

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

श्रम अर्थशास्त्र

(Labour Economics)

अखंडिक्षित राष्ट्रों के संदर्भ में

वैभिन्न विश्वविद्यालयों की एम॰ए० (अर्थशास्त्र)

पढ़ीज्ञान के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार

लेखक

डॉ० बी० सी० सिन्हा

[एम.ए., एम.फॉम., पी.एच.डी.]

अध्यक्ष, व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग

व्यवस्था प्रशासनिक विश्वविद्यालय, रोड़, म० प्र०

एवं

पुष्पा सिन्हा

एम.ए., एच.डी.

1986



नेशनल पब्लिशिंग हाउस

नथी दिल्ली □ जयपुर □ इलाहाबाद

ने श न ल प बि ल शि ग हा उ स

23, वरियांगज, नवी दिल्ली-110002

शाखाएं
चौड़ा रास्ता, जयपुर
34, नेताजी मुमाय मार्ग, इलाहाबाद-3

ISBN 81-214-0011-2

मूल्य : 100 00

नेशनल प्रिलिंग हाउस, 23, वरियांगज, नवी दिल्ली 110002 द्वारा प्रकाशित /
पाचवा सप्टेम्बर 1986 / सर्वाधिकार पुण्या मिन्हा / विसाव बॉइलेट शरदरा,
दिल्ली 110032 में मुद्रित। [4175 (03B-13PB) 786/N]

प्रिय समरेन्द्र और सुशील
को

पांचवें संस्करण की भूमिका

पुस्तक का पूर्णतया सशोधित एवं परिवर्तित संस्करण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमे अपार हृपं एवं गौरव का अनुभव हो रहा है। विषय सामग्री में नये विकासों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक सुधार किये गये हैं।

आधिक विकास एक यात्रिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक मानवीय उपक्रम है और समस्त मानवीय उपक्रमों के समान इसकी सफलता भी अतिम स्पष्ट से इसे किया जित करने वाले मनुष्यों की कुशलता, गुण और प्रवृत्तियों पर निर्भर करती है। कुशाग्र बुद्धि, कर्तव्यपरायण, जागरूक, स्वस्थ और मुख्यी अभिक किसी भी राष्ट्र के आधिक विकास की आधारशिला है। यदि देश में विकास की आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्र में अभ्यासित है, यदि वह आवश्यक कुशलताओं और शिक्षा प्रशिक्षण तथा तकनीकी ज्ञान में सम्पन्न है, यदि उसकी कार्यक्षमता उच्च स्तर की है, यदि उसमें आधिक प्रगति की उत्कट अभिलाप्ता और उसके लिए पर्याप्त प्रेरणाएँ हैं तो वह देश द्रुत गति से आधिक विकास करेगा। यदि भारत, चीन तथा एशिया और अफ्रीका के अनेक अद्वितीय राष्ट्रों की तुलना में पिछड़े हुए हैं तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह रहा है कि, यहा अम-शक्ति की श्रेष्ठता का स्तर भी अपेक्षाकृत नीचा रहा है अर्थात् 'मानवीय पूजी' घटिया किसम वीर ही है। स्पष्टतः भारत जैसी अर्थव्यवस्था, जो आधिक विकास की दृष्टि में काफी पिछड़ी है, में अभिकों का महत्व नि मन्देह अधिक है। इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि देश ना तीव्र गति से बौद्धिक विकास हो, परन्तु बौद्धिक विकास की गति त्वरित करने के लिए यह अति आवश्यक है कि उद्योगों में कार्यरत अभिकों का जीवन मुख्यमय हो, उन्हें अपने कार्यों वी उचित मजबूरी मिले, कार्य की दशा ए श्रेष्ठ हो, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सबधी सुविधाएँ पर्याप्त स्पष्ट में उपलब्ध हो और अम के वास्तविक अधिकारों तथा आकाशों तक सहित सम्मान को स्वीकार किया जाय। प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य 'अम अर्थशास्त्र' के सिद्धांतों की मार्पिक्षक पृष्ठभूमि में अम समस्याओं का एक विश्लेषण-त्वरित विवेचन प्रस्तुत करके अभिक और अनन्समस्याओं की वास्तविकताओं ने परिचित कराना है। अधिकाश विश्लेषण नियोजित आधिक विकास की गृष्ठभूमि में ही किया गया है।

पुस्तक में दी गई विषय-सामग्री को यथासम्भव नवीनतय बनाने का प्रयास किया गया है और इस चट्टेश्वर ने नवीन धर्मो, प्रतिवेदनों और पञ्चिकाओं में प्रकाशित लेख एवं समको से सहायता ली गई है अत लेखक उनके लेखकों के प्रति कृतज्ञ है। लेखक वयने उन नभी मित्रों का कृतज्ञ है जिन्होंने अनेक प्रकार से प्रमुख पुस्तक को अतिम रूप देना सम्भव बनाया है। पाण्डुलिपि द्वारा स्वच्छ रूप से तैयार करने में मेरे विद्यार्थी धी एन० पी० पाठक व्याख्याता, नेहरू स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चाकधाट का परिश्रम प्रशसनीय है।

यदि यह पुस्तक अन समस्याओं के प्रति अध्येता की सुचि उत्पन्न कर सकी तो मैं अपने इस प्रयास को सफल समझूँगा।

पुस्तक को और अधिक उपयोगी बनाने की दिशा में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के सुझाव आमंत्रित है।

—लेखक

विषय-सूची

भाग 1

1. थम अर्थशास्त्र—परिभाषा और क्षेत्र

(Labour Economics—Definition and Scope)

थम अर्थशास्त्र की परिभाषा—थम की विशेषताएँ—थम का वर्गीकरण—आधुनिक विचारधारा—थम मस्थाओं के सबव में ढेल योड़र का मत—डाफट का मत—निष्कर्ष—अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं का आर्थिक विकास एवं थम का स्थान—थम अर्थशास्त्र का क्षेत्र—परीक्षा-प्रश्न।

2. भारत मे थम-शक्ति

(Labour Power in India)

17

थम शक्ति से आशय—भारतीय थमिकों की स्थिता—वार्षीय जनस्थिता का व्यावसायिक वितरण—उद्योगानुसार थम शक्ति—भारतीय थमिकों की विशेषताएँ—परीक्षा प्रश्न।

3 थमिकों की प्रवासी-प्रवृत्ति

(Migratory Character of the Labour)

23

प्रवासी-प्रवृत्ति का अर्थ—प्रवासिता की प्रकृति व प्रकार—प्रवासी-प्रवृत्ति के कारण—प्रवासी प्रवृत्ति के मुण दोष—प्रवासी प्रवृत्ति के लाभ—वश थमिक को गाव से सबध-विच्छेद कर देना चाहिए?—परीक्षा-प्रश्न।

4 अनुपस्थितता व थम-परिवर्तन की समस्या

(Problem of Absenteeism and Labour Turnover)

35

अनुपस्थितता का अर्थ—अनुपस्थितता की माप—भारत मे अनुपस्थितता व थम-परिवर्तन के बारण—अनुपस्थितता के दृष्टिकोण—

(अनुपस्थितता को रोकने के उपाय) श्रमिकों के हेरफेर या परिवर्तन की समस्या—श्रम परिवर्तन और अनुपस्थितता में अतर—श्रम परिवर्तन के कारण—श्रम परिवर्तन के कुप्रभाव—श्रम परिवर्तन को कम करने के उपाय—श्रम परिवर्तन की माप—श्रम परिवर्तन की सीमा—परीक्षा-प्रश्न।

२५. श्रमिकों का जीवन-स्तर एवं उनकी कार्यकुशलता (Standard of Living and Efficiency of Workers)

50

जीवन-स्तर से आशय—जीवन-स्तर के निर्णायिक तत्व—भागी—कारण का जीवन-स्तर निम्न जीवन-स्तर के कारण—जीवन-स्तर ऊचा करने के उपाय—श्रम की कार्यकुशलता—कार्यक्षमता के निर्धारक तत्व श्रम की कार्यकुशलता से लाभ—भारतीय श्रमिकों की कार्यकुशलता—क्या भारतीय श्रमिक बास्तव में अकुशल हैं? —भारतीय श्रमिकों की अकुशलता के कारण—भारतीय श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के उपाय—परीक्षा-प्रश्न।

६. औद्योगिक श्रम की भर्ती (Recruitment of Industrial Labour)

74

भारत में भर्ती की पद्धति—मध्यस्थो द्वारा भर्ती—मध्यस्थो के कार्य—मध्यस्थो द्वारा भर्ती के दोष—ठेकेदारों द्वारा भर्ती—प्रत्यक्ष भर्ती की पद्धति—श्रमिक सघों द्वारा भर्ती—बदली-पद्धति—श्रम अधिकारियों द्वारा भर्ती—श्रम सबधियों की नियुक्ति—स्थायीकरण पद्धति—रोजगार दफतरों द्वारा भर्ती—विभिन्न उद्योगों में भर्ती की प्रणाली—कारखानों में श्रमिकों की भर्ती—खानों में भर्ती—वागानों में श्रमिकों की भर्ती—रेलवे में भर्ती—बंदरगाह व जहाजरानी में भर्ती—परीक्षा-प्रश्न।

७. रोजगार दफतर या सेवानियोजन कार्यालय (Employment Exchanges)

86

आशय—क्या ये रोजगार उत्पन्न करते हैं? —रोजगार दफतरों के कार्य (उद्देश्य व महत्व)—विदेशों में रोजगार के दफतर—भारत में रोजगार के दफतर—ऐतिहासिक पुनर्वेक्षण—वर्तमान स्थिति—श्रमिकों वो प्रशिक्षण—रोजगार-दफतरों का आलोचनात्मक मूल्यांकन—उन्नति के लिए सुझाव—शिवाराव समिति की सिफारिश—आर्थिक नियोजन एवं रोजगार के दफतर—परीक्षा-प्रश्न।

४ कार्य की दशाओं और कार्य के घटे

99

(Working Conditions and Hours of Work)

काम करने की दशाओं का अर्थ व क्षेत्र—श्रेष्ठ कार्यदर्गाओं का महस्त्व—कारखाना अधिनियम 1948 के अतर्गत काम करने की दशाओं से सबधित व्यवस्था विभिन्न उद्योगों में काम करने की दशाएँ—काम के घटे—कार्य के घटों का परिणाम—भारत में प्रमुख उद्योगों में काम के घटे—परीक्षा-प्रश्न।

९ भारत में उत्पादकता आदोलन

110

(Productivity Movement in India)

उत्पादकता का अर्थ—उत्पादकता के विषय में भ्रामक धारणाएँ—भारत में उत्पादकता आदोलन का महस्त्व—भारत में उत्पादकता वृद्धि आदोलन—परीक्षा-प्रश्न।

10 श्रम और सहकारिता

122

(Labour and Co-operation)

सहकारिता की परिभाषा—सहकारिता के मिदात अथवा तत्व—श्रमिकों के लिए सहकारिता के लाभ—सहकारिता द्वारा श्रमिक सहायता के रूप—विदेशों में श्रमिक सहकारी समितियों के कार्यों के अध्ययन से निकाले गये परिणाम—भारत में श्रम सहकारिता के विकास के लिए मुफ्काव—परीक्षा प्रश्न।

११ श्रम-नीति

127

(Labour Policy)

भारत सरकार की पचवर्षीय योजनाओं में श्रम नीति—राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें—भारत में आधुनिक श्रम नीति—श्रम-नीति का मूल्यांकन—परीक्षा प्रश्न।

१२ कृषि-श्रमिक

135

(Agricultural Labour)

कृषि-श्रमिक से आशय—कृषि-श्रमिकों का बर्गीकरण—कृषि-श्रमिकों की सह्या—भारत में कृषि-श्रमिकों की सह्या में वृद्धि के कारण—भारतीय कृषि श्रम की वर्तमान दशा—कृषि श्रमिकों की समस्याएँ तथा कठि-नाइया—कृषि श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के उपाय—कृषि श्रमिकों की उन्नति के लिए उठाये गए कदम—पचवर्षीय योजना में कृषि श्रमिक—परीक्षा प्रश्न।

भाग 2

१. मजदूरी के भुगतान की रीतिया एवं मजदूरों के सिद्धात
 (Methods of Wage Payment and Theories of Wage)

मजदूरी देने की पद्धतिया—समयानुसार मजदूरी या दैनिक मजदूरी—
 समयानुसार मजदूरी पद्धति के लाभ—समयानुसार मजदूरी पद्धति के दोष—
 कार्यानुसार मजदूरी पद्धति—कार्यानुसार मजदूरी पद्धति के लाभ—
 कार्यानुसार मजदूरी पद्धति के दोष—कार्यानुसार मजदूरी पद्धति में सुधार के
 उपाय—प्रगतिशील (प्रेरणात्मक) मजदूरी या प्रीमियम बोनस प्रणाली—
 मजदूरी के सिद्धात—मजदूरी निधारण का आधुनिक सिद्धात—परीक्षा-प्रश्न।

2 न्यूनतम मजदूरी, न्यायपूर्ण मजदूरी तथा जीवन मजदूरी
 (Minimum Wage, Fair Wage and Living Wage)

न्यूनतम मजदूरी—न्यूनतम मजदूरी का महत्व और उद्देश्य—न्यूनतम
 मजदूरी निश्चित बरने में कठिनाइया—आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम
 मजदूरी—उचित मजदूरी का निधारण—वैज्ञानिक न्यूनतम मजदूरी—
 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948—कृपि मजदूरों के लिए न्यूनतम
 मजदूरी। इसकी सीमाएँ—भारत में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की
 उपयुक्तता—परीक्षा-प्रश्न।

3 लाभ अशाभागिता एवं सहभागिता
 (Profit Sharing and Co-partnership)

लाभ अशाभागिता की परिभाषाएँ और विशेषताएँ—ऐतिहासिक सिहाव-
 लोकन—लाभ अशाभागिता के विभिन्न रूप और तरीके—अशाभागिता
 योजना के लाभ व हानिया—भारत में लाभ अशाभागिता की योजना—
 सहभागिता—परीक्षा-प्रश्न।

४ औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों का भाग या भागीदारी
 (Workers' Participation in Management)

प्रबंध में भागीदारी का अर्थ—विशेषताएँ—औद्योगिक प्रजातन्त्र के
 सिद्धात—उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों को भाग देने के लाभ व महत्व—
 श्रमिक प्रबंध के प्रारूप—प्रबंध में सहभागिता का दर्शन और व्यवहार—
 भारत में औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों का भाग—अध्ययन दल की सिफारिशें—
 प्रबंध में श्रमिकों की भागिना योजनाओं की प्रगति अथवा भारत में
 प्रबंध में श्रमिक सहभागिता का स्वरूप और ढाचा—भारत में इस योजना
 के कार्यान्वयन में कठिनाइया—भारत में श्रमिक भागीदारी योजनाओं को
 सफल बनाने के लिए सुझाव—परीक्षा-प्रश्न।

5 विवेकीकरण (Rationalisation)

85

आशय व परिभाषाए—विशेषताए व उद्देश्य—विवेकीकरण के तत्त्व अथवा पहलू—विवेकीकरण के लाभ व दोष—विवेकीकरण की योजना कैसे सफल हो—भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण—भारत में विवेकीकरण आदोलन का इतिहास—आधुनिकीकरण विवेकीकरण का नया रूप—भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण की धीमी प्रगति के कारण—भारत सरकार की नीति—परीक्षा-प्रश्न।

6 विशिष्टीकरण (Specialisation)

111

विशिष्टीकरण का अर्थ व स्वरूप—विशिष्टीकरण से लाभ व हानिया—विशिष्टीकरण की सीमाए—विशिष्टीकरण के लाभप्रद उपयोग के लिए मुझाव—परीक्षा प्रश्न।

7 सेविवर्गीय प्रबंध (Personnel Management)

119

सेविवर्गीय प्रबंध का अर्थ व परिभाषाए—सेविवर्गीय प्रबंध की विशेषताए व उद्देश्य—सेविवर्गीय प्रबंध के कार्य—सेविवर्गीय प्रबंध के विभाग—सेविवर्गीय प्रबंध के मिहात—सेविवर्गीय नीति—परीक्षा-प्रश्न।

8 स्वचलन (Automation)

132

स्वचलन का अर्थ व परिभाषाए—स्वचलन प्रक्रिया की अवस्थाए—स्वचलन की विशेषताए—यशोकरण या मशीनीकरण और स्वचलन—स्वचलन एवं विवेकीकरण—स्वचलन और कंप्यूटर—स्वचलन के उपयोग में कठिनाइया—स्वचलन के प्रभाव—स्वचलन के सबध में भारत सरकार की नीति—भारत में स्वचलन की प्रगति—परीक्षा-प्रश्न।

9 भारत में श्रमिक सघ या सघवाद (Trade Unions in India)

151

श्रम सघ की परिभाषाए—श्रम सघों के उद्देश्य व कार्य—श्रम सघों के जरूरी—श्रमिक सघ एवं श्रमिक विकास—सामूहिक सौदेबाजी या श्रमिक सघ तथा मजदूरी—श्रमिक सघों से हानिया—भारत में श्रमिक सघ आदोलन का इतिहास—भारतीय श्रम सघवाद की वर्तमान स्थिति—भारतीय श्रमिक सघ आदोलन की समस्याएं, कठिनाइयाएवं दोष—भारत में श्रम सघ मादोलन को डढ़ बनाने के लिए सुझाव—श्रम सघ और पच-

वर्दीय योजना—भारत और इंग्लैंड के अमिक सघ आदोलन की सुलना—राष्ट्रीय श्रम आयोग और श्रम सघ—परीक्षा प्रश्न।

10 भारत में औद्योगिक सबध व औद्योगिक सघर्थ

(Industrial Relations and Industrial Disputes in India)

183

औद्योगिक सघर्थ का अर्थ—भारत में औद्योगिक सघर्थ की ऐतिहासिक समीक्षा—भारतीय औद्योगिक सघर्थों का विश्लेषण—औद्योगिक सघर्थ के कारण—औद्योगिक सघर्थ के प्रभाव या परिणाम—क्या अमिकों को हड़ताल का अधिकार मिलना चाहिए?—औद्योगिक शाति स्थापित करने की रीतिया—भारत में औद्योगिक सघर्थों को रोकने तथा निपटाने की विद्यमान व्यवस्था—भारतीय औद्योगिक शाति व्यवस्था का मूल्यांकन एवं सुनावें—औद्योगिक सबध एवं योजनाएं—औद्योगिक सबधी विधेयक—आवश्यक सेवा अनुरक्षण अध्यादेश-1981—परीक्षा-प्रश्न।



सामूहिक सौदेबाजी

(Collective Bargaining)



217

अर्थ और परिभाषा—सामूहिक सौदेबाजी के तत्व—सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया—सामूहिक सौदेबाजी की विषय-सूची या क्षेत्र—सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धांत—सामूहिक सौदेबाजी के स्वरूप—सामूहिक सौदेबाजी का विकास—सामूहिक सौदेबाजी दो प्रभावित करने वाले घटक—सामूहिक सौदेबाजी के लाभ व दोष—सामूहिक सौदेबाजी को सुदृढ़ बनाने के उपाय—औद्योगिक सौदेबाजी और सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया—भारत में सामूहिक सौदेबाजी—क्या सामूहिक सौदेबाजी भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल है?—परीक्षा-प्रश्न।

12 औद्योगिक आवास

(Industrial Housing)

231

औद्योगिक आवास के आवाय—औद्योगिक क्षेत्रों में आवास दशाएं—दोष-पूर्ण आवास व्यवस्था के दुष्परिणाम—गदी बस्तियों की सफाई—आवास-समस्या को सुलझाने के लिए किये गये प्रयास—पचवर्षीय योजनाओं के अधीन प्रगति—आवास-योजना के धीमी प्रगति के कारण और सुभाव—आवास मन्त्री सम्मेलन सन् 1971 की सिफारिशें—परीक्षा-प्रश्न।

13 भारत में श्रम कल्याण

(Labour Welfare in India)

251

श्रम कल्याण का अर्थ एवं परिभाषा—श्रम कल्याण के अतर्गत किये जाने वाले कार्य—श्रम कल्याण का महत्व—भारत में श्रम कल्याण कार्य—केंद्रीय सरकार द्वारा श्रम कल्याण कार्य—सेवा योजनाओं द्वारा किये जाने

बाले कल्याण-कार्य—श्रम कल्याण कार्यों के असफलताओं के कारण और सुझाव—श्रम कल्याण कार्य की नई दिशाएं—राष्ट्रीय श्रम आयोग एवं श्रम कल्याण—परीक्षा-प्रश्न।

**14 सामाजिक न्याय का सिद्धात
(Theories of Social Justice)**

265

सामाजिक न्याय क्या है?—उपर्योगितावाद—व्यक्तिवाद—सघवाद—समष्टिवाद या राजकीय समाजवाद—अराजकतावाद—साम्यवाद—गांधीवाद—परीक्षा-प्रश्न।

**15 भारत में सामाजिक सुरक्षा
(Social Security in India)**

276

सामाजिक सुरक्षा की धारणा—सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा—सामाजिक सुरक्षा के तत्त्व—सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता—भारत में सामाजिक सुरक्षा—भारत में बर्तमान व्यवस्था—भारत में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता व उद्देश्य—भारत में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की विशेषताएं—भारत में किये गए सामाजिक सुरक्षा कार्यों की आलोचनाएं—सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव—परीक्षा-प्रश्न।

**16 विदेशों में सामाजिक सुरक्षा
(Social Security in Abroad)**

306

ग्रेट ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा—अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा—रूस में सामाजिक सुरक्षा—परीक्षा-प्रश्न।

**17 भारत में श्रम सन्तुलन
(Labour Legislation in India)**

319

कारखाना अधिनियम—भारतीय खान अधिनियम—वागान अधिनियम—परिवहन अधिनियम—मजदूरी सबधी अधिनियम—सामाजिक सुरक्षा सबधी अधिनियम—श्रम कल्याण सबधी विधान—अन्य श्रम सबधी अधिनियम—परीक्षा-प्रश्न।

**18 बेरोजगारी की समस्या
(Problem of Unemployment)**

330

परिभाषा—बेरोजगारी के प्रकार—बेरोजगारी के सिद्धात—बेरोजगारी के कारण—बेरोजगारी के दुष्परिणाम—बेरोजगारी दूर करने के उपाय—भारत में बेरोजगारी की समस्या—भारत में बेरोजगारी की प्रकृति—बेरोजगारी के कारण—पचवर्षीय योजनाओं के अतर्गत बेरोजगारी को

दूर करने के प्रयत्न—छठी योजना में रोजगार नीति—स्व-रोजगार के लिए मार्गदर्शन समिति वा गठन—परीक्षा-प्रश्न।

- 19. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन**  355
 (International Labour Organisation)
 सक्षिप्त इतिहास—मूलभूत मिछात—प्रमुख उद्देश्य—अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सविधान—भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन—संघठन का भारतीय श्रम संघ आदोलन पर प्रभाव—भारत को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा दी गई सहायता—संघठन के कार्यों का मूल्याकान—परीक्षा-प्रश्न।
- 20. औदोगिक श्रमिकों की ऋणग्रस्तता** 363
 (Debt of Industrial Workers)
 ऋणग्रस्तता की समस्या—ऋणग्रस्तता के बारण—ऋणग्रस्तता के दृष्टिकोण—ऋणग्रस्तता को दूर करने के उपाय—ऋणग्रस्तता संबंधी वैधानिक व्यवस्था—परीक्षा-प्रश्न।
- 21. बाल एवं महिला श्रम** 371
 (Child and Women Labour)
 बाल श्रम वी समस्या—समस्या का स्वरूप—बाल श्रम को रोजगार पर लगाने के कारण—विभिन्न उद्योगों में बाल श्रमिक—बाल श्रम की प्रमुख समस्याएँ—बाल श्रमिकों की अवस्था में सुधार के राजकीय प्रयत्न—भावी नीति एवं सुझाव—महिला श्रम—महिला श्रमिकों की स्थिता—महिला श्रम वी समस्याएँ—महिला श्रमिकों की सुरक्षा के राजकीय प्रयास—महिला श्रमिक व श्रम संघ—महिला श्रमिकों की स्थिति में सुधार हेतु अन्य सुझाव—परीक्षा-प्रश्न।
- 22. बोनस की समस्या** 388
 (The Bonus Issue)
 बोनस की घारणा—विवास—बोनस विवाद समिति—बोनस आयोग—बोनस भुगतान अधिनियम, 1965—बोनस पुनरीक्षण समिति—बोनस संबंधी अध्यादेश—बोनस संबंधी 1979 वा अध्यादेश—बोनस भुगतान संशोधन अध्यादेश, 1980—परीक्षा-प्रश्न।

अध्याय ।

श्रम अर्थशास्त्र—परिभाषा और क्षेत्र (Labour Economics—Definition and Scope)

श्रम अर्थशास्त्र की परिभाषा श्रम अर्थशास्त्र एक विस्तृत वाक्यांश है, जिसका विगत कुछ दशाओं में सदृपत राजव अमेरिका के माहित्य में प्रचार होने लगा है। वहा जाता है कि श्रम अर्थशास्त्र आर्थिक अध्ययन के एक प्रमुख अग के रूप में अर्थशास्त्र के अध्ययन की वह शाखा है जिसके अतर्गत श्रम एवं उसकी समस्याओं और उसस सबधित मिद्दातों आदि का अध्ययन किया जाता है। परतु श्रम अर्थशास्त्र को हम केवल अर्थ-शास्त्र का एक अग नही मान सकते क्योंकि श्रम अर्थशास्त्र पर अर्थशास्त्र के अतिरिक्त समाजविज्ञान मनोविज्ञान, राजनीतिशास्त्र व नीतिशास्त्र आदि अनेक सामाजिक विज्ञानों का प्रभाव पड़ा है। श्रम की समस्याए केवल आर्थिक समस्याए ही नही बल्कि राज-नीतिक मनोवैज्ञानिक तथा नेतिक समस्याए भी है। यद्यपि श्रम अर्थशास्त्र में भी अन्य सामाजिक विज्ञानों की भाँति अनेक विज्ञानों का प्रभाव पड़ा है परतु इसका अपना एक अलग अस्तित्व है। श्रम अर्थशास्त्र सामाजिक उत्पादन में श्रम की वटती हुई भूमिका तथा प्रस्थिति (Status) की ओर सकेत करता है। हम श्रम अर्थशास्त्र की एक सामान्य परिभाषा इस प्रकार कर सकत है— ‘श्रम अर्थशास्त्र वह विज्ञान तथा कला है जिसमें विभिन्न श्रम समस्याओं का मेद्दातिक और व्यावहारिक रूपों में अध्ययन किया जाता है।’

श्रम अर्थशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि श्रम की विसी समस्या पर तब तक विचार नही किया जाता जब तक हम जान न हो कि श्रम का व्यवहार कैसे होता है क्यो होता है? व्यवहार में कुछ नियम होते हैं। अत व्यवहार का मेद्दातिक विवेचन भी हो सकता है। श्रम की कुछ समस्याए भी होती हैं जिनके कारण और परिणामो पर विचार करके उनका निशान ठोजन वा नावश्यकता पड़ती है। इस प्रकार श्रम अर्थशास्त्र के अध्ययन का मेद्दातिक पक्ष भी है और व्यावहारिक उपयोग भी। इसीलिए हम कह सकत हैं कि श्रम अर्थशास्त्र एक विज्ञान और कला दोनो ही है।

ऊपर हमने दिया कि श्रम अर्थशास्त्र में श्रम की समस्याओं और सिद्धातों का अध्ययन किया जाता है। अत यह ज्ञान होना आवश्यक है कि श्रम से हमारा तात्पर्य क्या है।

श्रम अर्थशास्त्र में श्रम की परिभाषा : साधारण बोलचाल की भाषा में हमी प्रकार की चेष्टाओं के लिए आवश्यक परिचय को श्रम कहते हैं। परतु श्रम अर्थशास्त्र

मेरे थ्रम का प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ मेरि किया जाता है। प्रो० जेवन्स वे शब्दा मेरे थ्रम वह मानविक तथा शारीरिक प्रयत्न है जो अदात या पूर्णत काय से प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाले सुख के अतिरिक्त किसी आधिक उद्देश्य से किया जाता है।¹ मार्शल ने भी इस परिभाषा को स्वीकार किया है परतु इसमे यह स्पष्ट नहीं है कि आधिक उद्देश्य क्या है? प्रो० थ्रमस का कथन है— “सभी प्रकार वा मानव थ्रम चाह वह शारीरिक हो या मानविक, परतु जो पारिश्रमिक प्राप्त करने को आशा से किया जाता है अर्थशास्त्र मेरम कहलाता है।² वास्तव मेरे इस पीढ़ी वे सभी अर्थशास्त्रियों ने थ्रम को समाज वे दृष्टिकोण मेरे देखने का प्रयत्न नहीं किया। वस्तुत थ्रम के अतर्गत समाज और व्यक्ति वे सपूर्ण मानवीय प्रयास आते हैं जिनके द्वारा उन वस्तुओं और सेवाओं वा निमणि होता है जिनकी मानवीय जीवन के लिए उपयोगिता है।³ सक्षेप मेरे, थ्रम अर्थशास्त्र मेरम से तात्पर्य नियुक्त थ्रम (Employed Labour) से है। वे सभी व्यक्ति, जिनकी जीविता वा प्रमुख साधन थ्रम का विक्रय है अर्थात् जो अभिक हैं, इस शास्त्र के अध्ययन के विषय हैं।

थ्रम की विशेषताएँ

उत्पत्ति के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप मेरे थ्रम की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं—

1 थ्रम उत्पत्ति का अनिवार्य साधन है जिन। थ्रम के किसी भी प्रकार का उत्पादन सभव नहीं है।

2 थ्रम नश्वर है थ्रम को सबय करके नहीं रखा जा सकता। यदि किसी दिए अभिक कार्य नहीं करता तो उस दिन का उसका थ्रम सदा के लिए तष्ट हो जाता है।

3 थ्रम को अभिक मेरे पृथक् नहीं किया जा सकता अभिक को थ्रम करने के लिए कार्य स्थान पर स्वय जाना पड़ता है। इसीलिए अभिक अपने काय तथा उसम सब-धित अन्य बातों मेरे बहुत रुचि रखता है।

4 थ्रम गतिशील होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान और एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय मेरे आसानी से जा सकता है।

5 थ्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है भूमि और पूजो स्वय कोई उत्पन्न नहीं कर सकते। जब थ्रम का सहयोग माधनों से होता है तब धन वा उत्पादन होता है। इस प्रकार थ्रम उत्पादन किया मेरे सक्रिय रूप मेरे भाग लेता है।

6 अभिक अपने थ्रम को बेचता है परतु अपनी आय नहीं जैसे दूसरी ड्राइवर सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुचाता है तो उस समय वह अपना थ्रम

1. "Labour is that exertion of the mind or body undertaken partly or wholly with a view to some good other than the pleasure derived directly from the work" —Jevons
- 2 "Labour connotes all human effort of body or mind which is undertaken in the expectation of some reward" —Thomas

वेचता है, अपनी आय को नहीं।

7 श्रम उत्पादित का साधन और साध्य दोनों ही हैं गजदूर लोग केवल उत्पादन में ही सहायक नहीं होते बल्कि जिन वस्तुओं का वे उत्पादन करते हैं उनका वे स्वयं भी उपभोग करते हैं। इस प्रकार थम उत्पादक और उपभोक्ता अथवा साधन और साध्य दोनों ही हैं।

8 श्रम की पूर्ति वेत्तोचदार होती है थम की पूर्ति मैं परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि श्रम की पूर्ति में दो प्रकार से घट-बढ़ की जा सकती है (1) जनस्वामी में परिवर्तन द्वारा और (ii) श्रमिकों की कार्य-कुशलता में वृद्धि अथवा कमी के द्वारा। परन्तु इन दोनों ही प्रकार से श्रम की मात्रा में परिवर्तन चीरे-घीरे होते हैं।

9 श्रम में पूजी लगाई जा सकती है जिस प्रकार विभिन्न उद्योगों में पूजी नगाकर आप प्राप्त की जा सकती है उनी प्रकार श्रम की कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण आदि पर रूपया खप करके इसमें अतिरिक्त लेभ बनाया जा सकता है।

10 श्रम की सौदा करने की शक्ति कम होती है इसके कई कारण हैं (1) श्रम नश्वर होता है (ii) श्रमिकों में अर्थ तथा सगठन का अभाव रहता है, (iii) श्रमिकों की आधिक स्थिति कमजोर होती है, और (iv) रोजगार के क्षेत्र में श्रमिकों का अधिकार नहीं रहता।

11 श्रम आधिक वस्तुओं से भिन्न है इसलिए इसके मूल्य के निर्धारण के लिए अलग सिद्धातों की आवश्यकता होती है। बहुत सीमा तक श्रम की प्रतिस्थापना मशीनों से हो सकती है। स्मरण रहे कि मशीनों में मनुष्य के शारीरिक श्रम की प्रतिस्थापना हो सकती है नेकिन बुद्धि की नहीं।

श्रम का वर्गीकरण

श्रम का तीन प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है—

1 उत्पादक और अनुत्पादक श्रम अर्थशास्त्रियों का इस बात पर मतभेद है कि किस प्रकार के श्रम को उत्पादक कहा जाय और किस प्रकार के श्रम को अनुत्पादक माना जाय। इस बब्ब में विभिन्न व्यय शास्त्रियों के विचार इस प्रकार हैं—

(अ) वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों (Mercantilist) का मत इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार केवल वही श्रम उत्पादक है जो उन उत्पादक कारों में लगा हुआ है जहाँ प्रकृति मनुष्य के कार्य में महायक है। उनके विचार में कृषि खनिज उद्योग मछली पकड़ना आदि कुछ ऐसे उचाय एवं व्यवसाय हैं जिनमें मनुष्य प्रकृति की सहायता प्राप्त करता है और उसकी दयानुका के कारण ही उत्पादन में वृद्धि करने में समर्थ हो पाता है। अब उन उद्योगों में लगा थम उत्पादक है। इसके नातरिक अन्य प्रकार के कारों में चूँकि

(ब) निर्बाधावादी (Physiocrats) का मत इन अर्थशास्त्रियों का विचार यह कि केवल वही श्रम उत्पादक है जो उन उत्पादक कारों में लगा हुआ है जहाँ प्रकृति मनुष्य के कार्य में समर्थ है। उनके विचार में कृषि खनिज उद्योग मछली पकड़ना आदि कुछ ऐसे उचाय एवं व्यवसाय हैं जिनमें मनुष्य प्रकृति की सहायता प्राप्त करता है। अब उन उद्योगों में लगा थम उत्पादक है। इसके नातरिक अन्य प्रकार के कारों में चूँकि

प्रकृति सहायक नहीं होती इसलिए उनमें लगा हुआ श्रम अनुत्पादक है।

(स) प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों (Classical Economists) का मत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्टिव्हन तथा जै. एस. मिल ने केवल 'उन्हीं श्रमों को उत्पादक माना है जिनसे किसी ठोस भौतिक तथा विक्रय योग्य बस्तु का निर्माण होता है। इस प्रकार बन्न, बस्त्र, भेज, बतन, मशीन आदि भौतिक बस्तुओं का उत्पादन करने वाले श्रमिकों का श्रम उत्पादक होगा परंतु एक वकील, डाक्टर, बैध्यापक, गायक, पुजारी, कलाकार आदि का श्रम अनुत्पादक होगा, क्योंकि उसके फलस्वरूप किसी ठोस भौतिक बस्तु का निर्माण नहीं होता बल्कि अमूर्त सेवाएँ उत्पन्न होती हैं।

(द) आधुनिक विचारधारा (Modern Concept) आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी प्रकार का भी श्रम जिससे उपयोगिता का सृजन या उसमें वृद्धि होती है, उत्पादक श्रम कहलाता है। यह उपयोगिता की वृद्धि किसी मूर्त बस्तु में हो सकती है और अमूर्त में भी। इस परिभाषा के अनुसार डाक्टर वकील, शिक्षक आदि की सभी सेवाएँ उत्पादक श्रम के अतर्गत आ जाती हैं। अनुत्पादक श्रम वह होता है जिससे न तो उपयोगिता का सृजन होता है और न उपयोगिता में वृद्धि ही होती है, जैसे—एक ऐसे लेखक के श्रम को अनुत्पादक कहा जाएगा जिसकी पुस्तक छपी नहीं है।

वेन्हम जैसे आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि श्रम के उद्देश्य को सफलता के आधार पर उसे उत्पादक तथा अनुत्पादक बर्गों में बाटना उचित नहीं है। वेन्हम का कहना है कि जो श्रम आय अर्जित करते हैं वे उत्पादक हैं तथा जो आय अर्जित नहीं करते वे अनुत्पादक हैं। फ्रेजर ने इस सबध में एक ऐसे गायक का उदाहरण दिया है जिसके गदंभ राग के शीर से पीछा छुड़ाने के लिए मुहल्ले वाले उसे कुछ पैसा देते हैं। यह गवंये का सहीत उसके लिए उत्पादक है क्योंकि वह उससे आय प्राप्त करता है यद्यपि यह समाज के लिए अनुत्पादक है क्योंकि वह किसी प्रकार की उपयोगिता का सृजन नहीं करता।

2. कुशल तथा अकुशल श्रम जिस मानसिक अथवा शारीरिक श्रम के लिए किसी विशेष शिक्षा तथा ट्रेनिंग की जरूरत होती है उसे कुशल श्रम कहते हैं। इजीनियर, बैध्यापक, चिकित्सक, मशीन चालक आदि का श्रम कुशल होता है क्योंकि इन सभी को अपना-अपना काय संपादित करने से पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, जिस श्रम को करने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती उसे अकुशल श्रम कहते हैं। चपरासी, बोझा ढोने वाला श्रमिक, घरेलू नौकर व होटल के दौरों का श्रम अकुशल होता है।

कुशल व अकुशल श्रमों का वर्गीकरण सापेक्षिक है क्योंकि कुशल एवं अकुशल श्रम का अतर देख एवं परिस्थितियों के अनुसार निरतर बदलता रहता है तथा इस अतर को छिपा प्रसार, औद्योगिक विवास तथा श्रमिकों के प्रशिक्षण की मुद्रियाओं द्वारा दूर किया जा सकता है।

3. अर्थस्थित तथा शारीरिक श्रम जिस कार्य को करने में महिलाएँ की अपेक्षा

शारीर के बगो अथवा मासपेशियों के कार्य की प्रधानता होती है उसे शारीरिक श्रम कहा जाता है, जैसे—एक कुली का श्रम शारीरिक श्रम है। इसके विपरीत, जिस कार्य को सपन्न करने में शारीरिक शक्ति की अपेक्षा मानसिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे मानसिक श्रम कहते हैं, जैसे—शिक्षक, वकील, डाक्टर आदि ज्ञानशाली कार्य की मानसिक श्रम है। किन्तु इस सबध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक मानसिक कार्य के लिए शारीरिक श्रम जावशयक होता है और कोई भी शारीरिक कार्य बिना मस्तिष्क की सहायता लिये सपन्न नहीं किया जा सकता। अतर केवल इतना ही है कि एक में शारीरिक शक्ति की प्रधानता रहती है और दूसरे में मानसिक शक्ति की।

श्रम अर्थशास्त्र का क्षेत्र (Scope of Labour Economics)

श्रम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में श्रम से सबधित आर्थिक समस्याएँ सम्मिलित हैं। इसमें श्रम मिद्दातों व व्यवहारों वा अध्ययन किया जाता है। श्रम अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित हो गया है। इसके अपने सिद्धात, नियम, उपनियम व व्यवस्थित ज्ञान मढार हैं। एडम्स व समर (Adams and Summar) के शब्दों में ‘‘श्रम समस्या का क्षेत्र इतना विशाल है कि श्रम सघवाद एवं औद्योगिक शार्ति की समस्याएँ उसके अतर्गत वा जाती हैं। श्रम समस्या के अतर्गत श्रमिकों की भर्ती से लेकर उत्पादकता वृद्धि तक की सपूर्ण समस्याएँ सम्मिलित की जाती हैं।

संखेप में श्रम समस्याओं का निम्नलिखित शीर्षकों के अतर्गत अध्ययन कर सकते हैं—

- 1 मजदूरी सबधी समस्याएँ।
- 2 श्रम के कार्य से सबधित समस्याएँ।
- 3 रोजगार की सुरक्षा से सबधित समस्याएँ।
- 4 सामाजिक सुरक्षा सबधी समस्याएँ।

1 मजदूरी सबधी समस्याएँ मजदूरों की सेवाओं के लिए जो पारितोषण दिया जाता है उसे साधारणतया मजदूरी कहते हैं। वस्तुतः मजदूरी ही ऐसी घुटी है जिस पर अधिकांश श्रम समस्याएँ चक्रकर काटती हैं। मजदूरी ही श्रमिकों के जीवन का आधार है। एक श्रमिक को जितनी मजदूरी मिलती है उसी के अनुसार उसका जीवन-स्तर निश्चित होता है। श्रमिक उद्योग वे संनिक होते हैं तथा जब तक पेट भरने, तब ढकने व उचित लावास के। लेकिन उन्हें पर्याप्त मजदूरी नहीं दी जाती, वे पूर्ण कार्य-शमता के साथ काय नहीं कर सकते। मजदूरों वा महत्व के बाल जीवन-पापन-स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय के रूप में ही नहीं, बल्कि उत्पादन बढ़ाने व अर्थव्यवस्था को मुदृद बनाने के साधन के रूप में भी है। सेवायोजकों वी दृष्टि से मजदूरी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्पादन लागत वा एक प्रमुख तत्व मजदूरी सबधी व्यय होता है। सेवायोजकों के लिए मजदूरी के महत्व वा एक जन्य कारण यह भी है कि मजदूरी तथा व्येष्ठ कार्य दसाओं के लिए मार्ग मूल्य बाजार एवं उत्पादन की अनेक समस्याएँ उत्पन्न कर देती हैं। इस प्रकार श्रमिक व सेवायोजन तथा राष्ट्र सभी मजदूरों वी समस्या से प्रत्यक्ष व परमा-

वैश्यम रूप से सबधित हैं। वर्तमान समय में मजदूरी सबधी ऐसों तीन शारणायें प्रचलित हैं। प्रथम, रहन-सहन मजदूरी अथवा जीवन मजदूरी जिसे श्रमिक संघ के समर्थन प्राप्त है। द्वितीय, जीवन निर्वाह मजदूरी, जिसका समर्थन सेवायोजकों द्वारा किया जाता है और तृतीय, उचित मजदूरी जिसे सरकार एक माध्यम वर्ग के रूप में अपनामे कर्म प्रयोग करती है। न्यूनतम मजदूरी जीवन-निर्वाह मजदूरी से अधिक होती है और ~~उचित~~ मजदूरी न्यूनतम मजदूरी और रहन-सहन मजदूरियों के बीच होती है।

भारतीय श्रमिकों की मजदूरी की समस्याओं के कई रूप हैं, जैसे (अ) मजदूरी इननी उम है कि जीवन निर्वाह सभव नहीं है। (ब) मजदूरी की दर सभी उद्योगों में समान नहीं है। (स) मजदूरी देने के डग दोपूर्ण है। (द) मजदूरी उतनी नहीं मिलती जितनी कि श्रम के वास्तविक प्रतिफल के रूप में मिलती चाहिए। भारतीय श्रमिकों की मजदूरी की इन समस्याओं का परिणाम यह होता है कि श्रमिकों का जीवन-स्तर निम्न बना रहता है और निम्नतर होता जाता है। जीवन स्तर निम्न बने रहने से श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं काय-क्षमता की अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जानी हैं। स्वास्थ्य और काय-क्षमता की समस्याएँ उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इन मजदूरी की समस्याओं को लेकर प्राय औद्योगिक संघर्ष होते रहते हैं जिनका दुष्परिणाम सारे राष्ट्र पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि मजदूरी वह घुरी है जिस पर अधिकाश्वरम श्रम समस्याएँ चढ़कर काटती है।

2 श्रम के कार्य से सबधित समस्याएँ कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं जो श्रम के कार्य ने सबधित होती है। श्रम की प्रवासी प्रवृत्ति, श्रम की कार्य कुशलता व गतिशीलता, दुर्बंटना, अनुपस्थितता व श्रम परिवर्तन इसी प्रकार की समस्याएँ हैं। ये समस्याएँ श्रमिकों के साथ साथ उद्योगपतियों व राष्ट्र को भी प्रभावित करती हैं। ये श्रम समस्याएँ भारतवर्ष में काफी उग्र हैं।

3 रोजगार की सुरक्षा से सबधित समस्याएँ रोजगार-सुरक्षा के क्षेत्र का अध्ययन किये विना श्रम समस्याओं के स्वभाव को समझना कठिन है। कारण यह है कि श्रम समस्याओं का मुख्य खोत राजगार सबधी सुरक्षा का अभाव है। औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी और कृषिक बेरोजगारी ये तीनों वर्ग श्रम समस्याओं के मुख्य स्रोत हैं। किसी श्रमिक को रोजगार सदबी सुरक्षा प्राप्त नहीं है तो उसके परिवार का भविष्य और उसके समुदाय का कल्पण कुप्रभावित होगा। बेरोजगारी का विचार मात्र ही श्रमिक के सुख और शांति को हानि पहुंचाता है। लैसकोहिपर ने कहा है 'बेरोजगारी श्रमिकों को तीन प्रकार से प्रभावित करती है—यह श्रमिक की गाय को कनार-रुकती है जपा-जातियामितता-जाती है और वह श्रमिक की गाय तुलता-दोषभा करती है।' सक्षेप में बेरोजगारी से व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में अनेक प्रवार की वाधाओं का जन्म होता है जिनका राष्ट्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

विगत वर्षों में रोजगार की सुरक्षा निम्न कारणों से खतरे में पड़ गई है
 (i) जनस्वास्थ्य में तीव्र गति से बढ़ गई है (ii) उद्योगों में निश्चिर मशीनीकरण का प्रयोग

(iii) औदोगिकरण की धीमी गति, (iv) ग्रामीण उद्योगों की समाप्ति, (v) विवेकी-करण उ आधुनिकीकरण के कार्यवर्तमों को अपनाया जाना आदि।

भारत में बहती हुई जनसंख्या के परिणामस्वरूप श्रम की अधिकता के कारण भारत में बरोजगारी और अल्प बेरोजगारी की समस्या बहुत उग्र है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें शीघ्र ही सबके लिए रोजगार की भावना से युद्ध-स्तर पर सक्रिय उपाय करने होंगे।

4 सामाजिक सुरक्षा सबधी नमस्याएँ : एक कल्याणकारी राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को मामाजिक न्याय का आश्वासन होता है परतु इसकी आवश्यकता श्रमिकों को अधिक है। अधिकाशन मजदूरी पर कार्य करने वाले व्यक्ति अपनी जीविका के लिए किसी-न-किसी व्यवसाय के नियमित रूप से चलते रहने पर निर्भर होते हैं। जब ये व्यवसाय किसी कारण से बद हो जाते हैं या जब व्यक्ति औदोगिक दुर्घटना, वृद्धावस्था, आकस्मिक मृत्यु बीमारी या अपवाह अथवा बेरोजगारी के कारण जीविका कमाने के लिए असर्व छोड़ जाना है तब उसका और उसके आधिकारियों का पालन-पोषण कैसे हो ? — इन सब कठिनाइयों पर कोई श्रमिक एकाकी रूप में विजय नहीं प्राप्त कर सकता। वेवल समाज ही, F-सवा कि वह एक अग है, इन सभी जोखिमों और आकस्मिकताओं के विरुद्ध प्रतिरक्षित व्यवस्था कर सकता है। यदि इस प्रकार की व्यवस्था न की गई तो अनेक श्रम समस्याओं को बढ़ावा मिलेगा, अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जायेगी व समाज का विध-दन होने लगेगा। जल्द समाज की शाति, समृद्धि और स्थिरता के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना एक अनिवार्यता है। यही कारण है कि सामाजिक सुरक्षा सबधी नमस्याओं का अध्ययन भी श्रम अर्थशास्त्र के अन्तर्गत किया जाता है।

श्रम समस्याओं के सबध में डेल योडर (Dale Yoder) का मत¹

श्रम समस्याओं के सबध में डेल योडर का विचार कुछ भिन्न है। उनका कहना है कि श्रमिक वे समझ कुछ विशिष्ट लक्ष्य होते हैं और जब इन लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होती तब श्रम समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। योडर के शब्दों में, “श्रम की समस्याएँ उन व्यवस्थाओं को इग्नित करती हैं जिनमें श्रम लक्ष्यों की पूर्ति में अवरोध उत्पन्न होता है।” इवित वा अधिकतम विकास, श्रम शक्ति का अपव्यय न होना व श्रम का अच्छें ढग से उपयोग आदि वे लक्ष्य हैं जिनकी पूर्ति श्रमिक करना चाहता है। इस प्रकार योडर के अनुमान श्रम समस्याओं का वर्गीकरण निम्ननिखित प्रकार से हो सकता है—

1 श्रमिक के व्यक्तिगत विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाली समस्याएँ, जैसे निम्न जीवन स्तर और कार्य-कुशलता, वृण्णप्रस्तसा, बिशिक्षा आदि।

2 श्रम दक्षित के नक्ती उपयोग में वाधा डालने वाली समस्याएँ जैसे बेरोजगारी अनुपस्थितता व श्रम परिवर्तन की समस्या व औदोगिक सर्वर्य आदि।

3 समाज में भाग लेने में वाधा डालने वाली समस्याएँ, जैसे तरह-तरह के

कर व अधिनियम आदि।

डाफर्टी (Daugherty) का मत¹

इनका मत यह है कि श्रम की समस्या का मूल कारण मानवीय व मनोवैज्ञानिक है। डाफर्टी के शब्दों में “श्रम समस्या एक मानवीय समस्या है जो कि उम समय उत्पन्न होती है जब व्यक्ति आर्थिक उपकरणों में भाग लेने के परिणामस्वरूप मुख-समृद्धि प्राप्त करने में असफल रहते हैं। यह उस समय भी उत्पन्न होती है जब व्यक्ति या व्याकृतव्य का समूह अपने को दूसरे सबसंघित व्यक्तियों व समूहों से समायोजित नहीं कर पात अथवा उद्योग के अनुकूल अपने को नहीं बना पाते।”

इस प्रकार डाफर्टी का मत है कि श्रम समस्या मानवीय अथवा मनोवैज्ञानिक समस्या है और उसी के अनुसार उसका समाधान ढूढ़ना चाहिए।

यद्यपि इस बात से इकार नहीं किया जा सकता कि श्रम समस्या का एक महत्व-पूर्ण कारण मनोवैज्ञानिक है, परन्तु प्रत्येक श्रम समस्या को इसके द्वारा नहीं समझाया जा सकता। श्रम की अनेकों समस्याएँ आर्थिक व सामाजिक भी हैं।

निष्कर्ष

यदा श्रम समस्याएँ प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती हैं? ऊर हमन देखा कि श्रम समस्याओं से आशय उन समस्त समस्याओं से है जिनका प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में श्रमिकों से सबध है। अब प्रश्न यह उठता है कि श्रम समस्याएँ प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान हैं या नहीं? मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार की हो सकती है - पूजीवादी और समाजवादी। विधारणीय विषय यह है कि श्रम समस्याएँ पूजीवादी अर्थव्यवस्था में ही विद्यमान रहती हैं अथवा समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी इनका जन्म हो सकता है? यह विषय विवादप्रस्त है अत इसके लिए अलग विचार करना होगा।

समाजवादी विचारधारा समाजवादियों का विचार है कि पूजीवादी अर्थव्यवस्था में ही श्रम समस्याओं का जन्म होता है। इसका कारण यह है कि पूजीवाद की लाभ की प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण आधार-शिला है। पूजीवादी अर्थव्यवस्था म प्रत्यक्ष वस्तु व सेवाओं की उत्पन्नि स्वार्थ-मिद्दि और अधिकतम लाभ के उद्देश से की जाती है। पूजीपति अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को दम मजदूरी देता है व अधिक घटो दाम करता है। इस प्रकार नहीं श्रम शोषण की नीति जपताता है जिसके श्रम समस्यायें जन्म लेती हैं। श्रमिक वर्ग एडी-चोटी का पमीना एक करने परिश्रम करता है फिर भी उसे उचित मजदूरी उचित सामान और पर्याप्त वस्त्र प्राप्त नहीं होता दूसरी ओर पूजीपति मनमाने वैभव में भस्त रहते हैं।

इसके अतिरिक्त समाजवादियों का कथन है कि समाजवादी अथवा दियत्रित

1. C R. Daugherty 'Labour Problems in American Industry', p. 10.

अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व के अभाव के कारण किसी भी प्रकार से थम शोषण की नीति नहीं अपनाई जा सकती जिससे थम समस्याओं का जन्म ही नहीं होता। इस अर्थव्यवस्था में सरकार अधिकार कोई सर्वोच्च सत्ता श्रमिकों की मजदूरी, काम करने के घटे अव्यवस्था व आवास आदि के सबध में नियमों द्वारा निर्णय कर देती है जो प्रत्येक को मान्य होता है। इस प्रकार से थम समस्याएं जन्म नहीं लेती।

विरोधी मत समाजवादियों के विचारों का खड़न करते हुए कुछ विचारकों ने लिखा है कि थम समस्याएं केवल पूजीवादी अर्थव्यवस्था में ही नहीं बल्कि प्रत्यक्ष प्रकार की अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती हैं। यह मत अधिक उपयुक्त प्रभावी होता है क्योंकि थम समस्याओं को जन्म देने वाली थम की विशेषताएं सभी व्यवस्थाओं में मौजिक रूप से बनी रहती हैं और थम समस्याएं अनिवार्यत उदय होती हैं। अगर थम की मौजिक विशेषताएं केवल पूजीवादी अर्थव्यवस्था में ही जन्म ने और समाजवादी अर्थव्यवस्था में इन विशेषताओं का लोप हो जाय तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में थम समस्याओं का जन्म नहीं होगा। परन्तु चूंकि थम की विशेषताएं प्रायेक अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती हैं इसलिए थम समस्याओं के जन्म को भी समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं रोका जा सकता। राष्ट्रीयकरण कोई मजीवनी नहीं है जो थम समस्याओं को मूलतः नष्ट कर दे। हाँ, यह अवश्य है कि पूजीवादी अर्थव्यवस्था में थम समस्याओं का रूप अधिक जटिल होता है जबकि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में वे इतनी जटिल और व्यापक नहीं होते। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि पूजीवादी अधिकार समाजवादी किसी भी प्रकार के देश थम समस्याओं से अखूते नहीं हैं। सोवियत रूस जैसी समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी थम समस्याएं उसी वेग और गति के साथ उत्पन्न होती हैं जिस गति से पूजीवादी अर्थव्यवस्था में। भारत में जहा केवल निजी क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र में भी अनेक कारकाने और उद्योग-धर्षण हैं, कोई भी क्षेत्र थम समस्याओं से खाली नहीं है। रेलवे, पोस्ट अफिस व गन्य राजकीय उपकरणों में हड्डताकों के होने से यह स्पष्ट है कि इस दृष्टि से इनमें तथा व्यक्तिगत उपकरणों में कोई अतर नहीं है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था हो—पूजीवादी, गिरिधर या समाजवादी—थम समस्याएं सभी में विद्यमान होती हैं।

अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं का आर्थिक विकास एवं थम का स्थान

आर्थिक विकास की समस्या एक व्यापक मानवीय समस्या है। बाज़ विश्व के सभी राष्ट्र विवित और अल्पविकसित श्रेणियों में विभक्त हैं। जहा एक और इसलैं, अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश हैं वहा दूसरी ओर भारत, पाकिस्तान, चीन, चिली आदि देश हैं जो दरिद्र तथा अल्पविकसित हैं। यहा की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के करोड़ों लोग जघन्य निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे निर्धनता के उस कूदाशा में पासे हूए हैं जिसमें से निकलना उनके लिए कठिन प्रतीत हो रहा है। यहा प्रति व्यक्ति आय, बचत और पूजी-निर्माण की दरें निम्न हैं। फलतः उत्पादन-स्तर भी अत्यन्त निम्न है। बद्विकसित देशों के आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या ने ही अन्य

समस्याओं, जैसे अशिक्षा, अधिविश्वास, तकनीकी पिछड़ापन, ऊची मृत्यु दर व सामाजिक नथा धार्मिक अवरोध इत्यादि को जन्म दिया है। अतः भारत जैसे अद्विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास की समस्या का प्रमुख स्वरूप यही है कि वहाँ निधनता के कुचक्क को तोड़ कर किम प्रकार शीघ्रातिशीघ्र आर्थिक विकास की गति की तीव्रतर किया जाय ताकि ये देश एक स्वगतिमान आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होकर आत्मनिर्भर हो सकें।

आर्थिक विकास की परिभाषा आम तौर पर वास्तविक उत्पादन में अवबा प्रति व्यक्ति आय में बढ़ि द्वारा की जानी है। परन्तु यह आर्थिक विकास की एक महीने परिभाषा है। आर्थिक विकास का अर्थ है—राष्ट्रीय आय में बढ़ि, आर्थिक सरचना में परिवर्तन, जनता के उच्चवर्त जीवन-स्तर, उनकी मान्यताओं और दफ्टिकोण में परिवर्तन देश की उत्पादन क्षमता में बढ़ि और मानव का सर्वांगीण विकास।

अर्थश्वस्था का विकास एक अन्यत जटिल प्रक्रिया है, यह अनेक प्रकार के एवं मानवीय घटकों के अनमंव वो एवं व्यवहारों का परिणाम होता है। आर्थिक के लिए तीन महत्वपूर्ण साधनों की आवश्यकता होती है और वे हैं मानव, माल व यांत्रीन। इन तीनों साधनों में प्रथम माध्यन अर्थात् धर्म-शक्ति का होता नितात आवश्यक है। आर्थिक विकास पूजी, भूमि आदि अन्य महत्वपूर्ण साधनों के अतिरिक्त धर्म जैसे अत्यत आवश्यक और सक्रिय साधन के ऊपर निर्भर करता है। प्रो० फ्रेड्रिक हार्बिसन और चाल्स ए० मीयर्स (Fredrick Harbison and Charles A. Myers) के शब्दों में : “पूजी, प्राकृतिक साधन, विदेशी सहायता और अतराष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास में स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण योग देते हैं किन्तु जन-शक्ति (श्रमिक) से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है।” धर्म-शक्ति की महिमा के मध्य में स्वेट मार्डेन ने लिखा है कि “सत् परिषम के द्वारा ही मिस के मैदान में पिरामिड नैषार किये गये, अधक धर्म के द्वारा ही ये रुसलम के विशाल और भव्य मदिर बने, चीन साम्राज्य की सीमा का रक्षण करने वाली दीवार लड़ी की गई, जगत् और पहाड़ों रो काटकर नई दुनिया में नगर, राज्य व राष्ट्रों का निर्माण हुआ !”

वास्तव में अद्विकसित देशों में विकास के लिए धर्म-शक्ति का समुचित उपयोग ही आर्थिक विकास की गति को बहुत सीमा तक प्रभावित करता है। यदि देश में विकास की आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में धर्म-शक्ति है यदि यह आवश्यक कुशलताओं और शिक्षण तथा तरनीकी ज्ञान में सपन्न है, उसकी कार्य-क्षमता उच्चतर स्तर की है, यदि उसमें आर्थिक प्रगति की उत्कृश अभिलाषा और उसके लिए पर्याप्त द्वेरणाएँ हैं तो वह देश तीव्र गति से आर्थिक विकास करेगा। प्रो० कॉफिकॉट के अनुमानों के अनुसार मध्युक्त राज्य अमेरिका में 1889 से 1957 की अवधि पे हुई राष्ट्रीय उत्पत्ति में बढ़ि का श्रेय जितना था और स्पर्शनीय मपत्ति के रूप में साधनों में बढ़ि को है उन्होंना ही धर्म की उत्पादकता में बढ़ि को है। अमेरिकी अर्थश्वस्था की गत 70 वर्षों में

जिन्होंने लिखा है कि “आर्थिक विकास एक यात्रिक प्रक्रिया नहीं है। यह एक मानवीय उपक्रम है और समस्त मानवीय उपक्रमों के समान इसकी सफलता अतिम रूप में किया-नियत करने वाले मनुष्यों की कुशलता, गुण और प्रवृत्तियों पर निर्भर करेगी।”¹

अद्विकसित कहे जाने वाले देशों में आर्थिक विकास की योजनाओं के अतंगत श्रम का निर्णायक महत्व है जो पूजी के मम्भीर अभाव से उत्पन्न होता है। इन देशों की अतिरिक्त श्रम शक्ति का पूजी निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। अधिकांश अद्विकसित देश अदृश्य बेरोजगारी में छिपी हुई बचत की सम्भावनाएँ (Disguised Saving Potential) निहित हैं।²

प्रो० पाल अलपर्ट (Paul Alpert) के मनानुसार भी जनसंख्या समस्त अद्विकसित देशों का एक बड़ा ग्राधन है। आग तौर से अद्विकसित देशों में श्रम छिपी हुई बेरोजगारी की मात्रा लगभग 25% है। इस प्रवार इन देशों में श्रम की भविकर बराबादी है। यदि इस अतिरिक्त श्रम-शक्ति को कृषि व्यवसाय में हटाकर अर्थ कार्यों जैसे निर्धार्ष परियोजना, सड़को, रेलो, मकानों और कारबानों—में लगाया जाय तो एक और तो कृषि में उत्पादन में कभी नहीं होगी और दूसरी ओर देश की पूजीमत वस्तुआ का निर्माण होगा। श्रम प्रकार कृषि स उद्योग में श्रम का हस्तानरण आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक दशा और उसका परिणाम दानों ही है। अद्विकसित देशों में जहां पूजी नहीं, श्रम पूजी निर्माण का प्रमुख साधन हो वहां श्रम के महत्व हो सहज समझा जा सकता है।

किन्तु इस सदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अद्विकसित देशों के लिए औद्योगीकरण का कार्यक्रम केवल कृषि सब्धी आर्थिकों और यामीण क्षेत्रों से प्रतिग्रिहित शक्तियों को उद्योगों की ओर स्थानात्मक करने पर ही निर्भर नहीं है बल्कि इस शक्ति का औद्योगिक व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित करने पर भी निर्भर है। अन्य शब्दों में आर्थिक विकास के दृष्टिकोण में श्रम शक्ति की अधिकता ही पर्याप्त नहीं है बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात श्रम शक्ति का गुणात्मक पहलू है। सोलोमन के एक अनुमान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में 1869-73 में 1949-53 के बीच के 80 वर्षों में प्रति व्यक्ति उत्पादन में 190% प्रति वर्ष की दर से बढ़ दूई किन्तु इस बढ़िया का 1/10 भाग ही भौतिक पूजी में बढ़ दूआ। शेष 9/10 भाग उत्पादन में बढ़िया श्रम तथा गुणा और उत्पादक कला भी मुदार के कारण हुई। भारत की उत्पादन गुणवत्ता राज्य अमेरिका की जनव्यवस्था में डाई गुना और इन्हें की जनव्यवस्था न दम गुना अधिक है परतु इन देशों की प्रति व्यक्ति आय भान की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में नमश्च तीन गुना और सोना गुना तीन गुना है। आगले पृष्ठ पर दी गई सारणी 1 के अनुसार भी इसी तथ्य से पुष्ट करते हैं।

1 T Gill, Richard 'Economic Development', p 18

2 R Nurkse 'Problems of Capital Formation'

सारिणी—1 : विश्व में कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति

आय वर्ग वाले प्रदेश	जनसंख्या हजारों में	कर्मचारी दर प्रति हजार हजारों में	कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति मिलियन डालरों में	कर्मचारी दर प्रति हजार हजारों में	प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति डालरों में
1 100 डालर प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति वाले प्रदेश	13,87 324	49 7	1,00 597	8 7	73
2 101 से 200 डालर प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति वाले प्रदेश	4,77 343	17 1	94,588	8 2	198
3 301 से 600 "	5 01,641	18	2 45,446	21 3	489
4 601 से 1,200 "	2 10 247	7 5	2 04,177	17 7	971
5 1 201 डालर प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति वाले प्रदेश	2 13,578	7 7	5 09,819	44 2	2,387

(Source Adopted from E E Hagen's 'Some Facts about Income Levels and Economic Growth & Review of Economics and Statistics (Feb 1960), pp 62-67)

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि कम आय समूह वाले देशों की 138 73 डरोड जनसंख्या वेवल 1 00 597 मिलियन डालर कुल राष्ट्रीय उत्पादन का ही युजन परती है जबकि अधिकतम आय समूह वाले देशों की 21 35 करोड जनसंख्या ही 5 09 819 मिलियन डालर कुल राष्ट्रीय उत्पादन करने में समर्थ होती है। यद्यपि विकसित देशों में प्रति व्यक्ति दृम अधिक उत्पत्ति का ध्येय अन्न कई तर्फों से भी है किन्तु इन सब में योग्य और कुशल अम शक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है। यह इस बात का प्रभाव है कि अम शक्ति के परिभाषात्मक पहलू को अपेक्षा उसका गुणात्मक पहलू अधिक महत्वपूर्ण है। अतः किसी देश की श्रम-शक्ति पर विचार करते समय श्रम-शक्ति भ आवार के साथ साथ उसकी कुशलता, दक्षता और कार्य-असत्ता पर भी पूर्ण ध्यान देना चाहिए। परंतु अर्द्धविकसित देशों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि गानव पूजी घटिया किसी वी होती है क्योंकि वहाँ श्रमिकों की प्रत्याशित आय कम है, अधिकाय श्रमिक-

बकुशल हैं, पौष्टिक भोजन का अभाव व चिकित्सा मुविधाओं के अभावों के कारण अर्थमिक मानेक्षिक हाइट से अकुशन हैं। अत अद्विकसित देशों में थ्रम-शक्तिन मांधरें वे विलास के लिए सामाज्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था अक्षाहार की उपलब्धि, गेगो पर नियन्त्रण, चिकित्सकों और चिकित्सा सुविधाओं जौ़-वृद्धि के न्यू म स्वास्थ्य मुवार के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर सचालिद किए जाने चाहिए। यद्यपि एसा करने म सूत्पु-दर घटती है जिससे अतिरिक्त जनस्वास्थ्य की समस्या और भी उत्तिन हो जानी है। परन्तु जैसा पेपेलेसिस, मियस और एडलमेन ने कहा है कि इस बुराई का तो स्वीकार करना ही पढ़ेगा क्योंकि इन सुधारों के बाब्दनी आर्थिक विकास भी सक्षिय प्रक्रिया भ वाधा ए उपस्थित होगी। अत अद्विकसित देशों के उत्पादन म वृद्धि के लिए भोजिक पूजी की कमी की पूति मानव पूजी निर्माण और उसके सर्वोत्तम उपयोग द्वारा किया जाना चाहिए। यद्यपि यह सत्य है कि इस उक्फार की मानव पूजी निर्माण के निव इन देशों ने पास अधिक साधन नहीं हैं किंतु फिर भी इन देशों में थ्रम अधिक अच्छे उपयोग द्वारा उत्पादन में वृद्धि की पर्याप्ति सभावनाएँ हैं। इस प्रकार उनकी उत्पादकता बढ़ान म आय बढ़ेगी और फिर भोजिक पूजी निर्माण में भी सहायता मिलेगी।

आर्थिक विकास के लिए थ्रम शक्ति का महत्व एक अन्य हाइटकोण से इसलिए भी है कि इनका आर्थिक विकास से दो प्रकार का सबध है। मानवीय तत्त्व के बल उत्पादन का साधन ही नहीं, बल्कि उत्पादन और विकास का उद्देश्य भी है। साधन के हृष म वह आर्थिक विकास की गति को तेज करता है और साध्य के हृष मे विकास के फल का उपभोग करता है। दूसरे शब्दों मे वह उत्पादन और उपभोक्ता दोनों ही है। आर्थिक विकास मे एक और मानव के जीवन-स्तर को ऊचा उठाने का प्रयास किया जाना है और दूसरी और आर्थिक विकास स्वय मानवीय थ्रम द्वारा ही सम्पन्न किया जाना है। पेपेलेसिस, मियस और एडलमेन के शब्दों मे “साधन की हैसियत स थ्रमिक उत्पादन क्रियाओं मे अन्य मासाधनों के साधनों के साथ मयुक्त होने के लिए उत्पादन के साधन के हृष म उपलब्ध होते हैं। उपभोक्ताओं की हैसियत म आर्थिक विकास का उद्देश्य उनकी आकाशाओं और अभिलापाओं की अधिकतम प्राप्ति है। अन किसी भी विश्लेषण म मानवीय तत्त्वों पर इसके उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हृषो मे विचार किया जाना चाहिए।”^{1,2}

थ्रम की मात्रा या थ्रमिकों की सूखा उत्पादन का एक महत्वपूर्ण निधारक नत्त्व है। मूल्य का थ्रम मिट्टात थ्रमिकों की सूखा और उत्पादन के सबध को भी स्थापित करता है। आर्थिक क्षेत्र म जर्मनी और जापान की हाल ही की आश्चर्यजनक सफलताओं का एक रहस्य युद्धोनर काल मे इन देशों के द्वारा अतिरिक्त थ्रम-शक्ति की उपलब्धता भी मे निहित है। जनमह्या मे वृद्धि स बहुत सीमा तक थ्रम विभाजन और विशिष्टीकरण सभव होता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात पह है कि बढ़ती हुई थ्रम शक्ति बढ़ती हुई मांग को प्रस्तुत करती है जो उत्पादन किया के विस्तार के लिए आवश्यक होनी है।

बढ़ती हुई जनसंख्या विकसित अर्थव्यवस्था में सहायक हो सकती है परन्तु भारत जैने अद्विकसित देशों में बढ़ती हुई श्रम-शक्ति एक अभिनाप है क्योंकि (अ) इन देशों में पहले से ही श्रम-शक्ति अधिक होती है। इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश में बेरोजगारी की समस्या जटिल हो जाती है। (ब) जनसंख्या में वृद्धि होने से वस्तुओं की माग बढ़ती है किंतु पूर्ति उसी अनुपात में नहीं बढ़ती। फलत, वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। (स) जनसंख्या के अत्यधिक भार के कारण उत्पादन वृद्धि का अधिकांश भाग उपयोग में ही चला जाता है और आगे विनियोग के लिए कम बचता है। इस प्रकार अद्विकसित देशों में बढ़ती हुई श्रम-शक्ति विकास में बाधक सिद्ध होती है परन्तु इस सबध में ए० द्वी० मात्र उड़ाय का विवार महत्वपूर्ण है। उनके शब्दों में : “कुछ दशाओं में अनेक अद्विकसित देशों में पायी जाने वाली अपार श्रम-शक्ति एक महान् आधिक सम्पत्ति है, जिसका पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। मानव शक्ति पूजी का उपयोग करने के साथ-साथ पूजी का निर्माण (कार्य द्वारा) करती है।” इस प्रकार अद्विकसित देशों में जहाँ वह अत्यधिक श्रम-शक्ति के विकास में बाधक होती है वही आधिक विकास में सहायक भी हो सकती है। परन्तु यह उसी स्थिति में होगा जबकि उचित मानव श्रम नियोजन (Proper Manpower Planning) किया जाय।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अर्थव्यवस्था के विकास मतथा देश के उत्पादन संघनों की वृद्धि में उन्हें कठोर श्रम का अनुदान देना चाहिए और निजी हित की अपेक्षा सामाजिक हित को प्राप्तिकर्ता देनी चाहिए। अद्विकसित देशों में आधिक विकास की गति को तीव्र बढ़ाने और उत्पादकता में वृद्धि के हेतु कठिन परिश्रम के अतिरिक्त जन्म कोई मार्ग नहीं है परन्तु इसके लिए हमारा श्रमिक सत्तुष्ट और सुखी होना चाहिए। अधिक-ग्रामीण लोगों के अधिकतम कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त बढ़ान के लिए कठोर सामाजिक अनुशासन की आवश्यकता है जिसमें श्रमिकों तथा सेवायोजकों को अपने निजी हिनों की चित्तान करके राष्ट्रीय विकास के लिए जुट जाना चाहिए। भारत का भावी आधिक विकास तथा आधिक विकास की दर बहुत सीमा तक इस बात पर निर्भर होगी कि हम देश में श्रम-शक्ति का किस तरह विकास करते हैं और किस तरह उसका उपयोग करते हैं।

अद्विकसित देशों में श्रम को उचित स्थान नहीं दिया गया है। राज्य का आचरण य अव्यवहार भी श्रमिकों के प्रति बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं रहा है। पूजीपतिया ने उनका जो प्रणयन किया है, परन्तु गोवियत क्राति ने श्रम के महान् को मौकाकार किया है और वहाँ श्रमिकों को सुखी तथा सतुष्ट रखने के सब प्रकार वे प्रयत्न किये गए हैं। वहाँ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण की वृद्धि मुखिधाएं प्रदान की गई हैं। फलत संविधान इस भौतिक दलिल से काफी विकसित है।

अद्विकसित देशों में श्रम-शक्ति का आधिक विकास में पूर्ण योगदान सभव हो इसके लिए निम्नलिखित मुझाव दिए जाने चाहते हैं—
1. श्रमिकों को शिक्षित व प्रशिक्षित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए और

इसका व्यय मुख्य रूप से सरकार को सहन करना चाहिए।

2. कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी और बेरोजगारी को दूर कर छाना अतिरिक्त जनसंख्या के लिए रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

3. अभिको को “चित मजदूरी मिलनी चाहिए तथा मजदूरी में वृद्धि को उत्पादकता से जोड़ना चाहिए जिससे जब उत्पादकता भवृद्धि हो तो मजदूरी बढ़े और कीमतो में वृद्धि न हो।

4. विकास के नाम पर वास्तविक मजदूरी नहीं गिरनी चाहिए। बस्तुत अद्विकसित देशों में मजदूरी का मुद्रा-स्फीति में अधिक योगदान नहीं होता।

5. कार्यानुसार मजदूरी पद्धति के क्षेत्र दो दिम्नूत करने के प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसी पद्धति कर्मचारियों की महमति के साथ अच्छे औद्योगिक सबधों के बातावरण में विकसित की जानी चाहिए। महगाई भने को जीवन-निर्वाह मूल्य के साथ सबद्ध करना उपयुक्त है, जिन्हें सभी स्तरों पर निर्वाह मूल्य में वृद्धि को प्रभावहीन करना सभव नहीं है। इस मबद्दल में मूल्य “आकड़ों के संग्रह एवं मूल्य निवेशक के साथ इनके प्रकाशन की बतेमान व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए।

6. देश में सुदृढ़ और शक्तिशाली श्रमिक संघों का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि एक सुदृढ़ श्रमिक संघ की मामूलिक सौदेबाजी भी श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करने और उस बढ़ाने में महत्व हो सकती है। श्रमिक संघ ही श्रमिकों में पर्याप्त आशा और विश्वास उत्पन्न कर सकता है कि उनका किसी भी प्रकार से शोषण नहीं होगा और उन्हें अधिक इच्छा तथा निर्णय के साथ कार्यों वा निष्पादन करने वाला उत्पादन की अधिकाधिक बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। पूर्जी निर्माण के सबध में भी श्रमिक संघ (अ) अल्प-बचत योजनाओं को प्रोत्साहन देकर, (ब) सड़क निर्माण तथा इसी प्रकार की योजनाओं के लिए ऐच्छिक श्रमिक दलों का मण्ठन करके, तथा (स) अनिवार्य बचत योजनाओं वो श्रमिकों द्वारा रक्षित दिनबातर नहायक मिल हो सकते हैं।

7. अगिको की पनोरामियि में इस प्रकार से परिवर्तन चरना चाहिए कि वे नवनीकी परिवर्तनों का विशेष न करें।

8. अम अधिनियमों न ममुचिन कियान्वयन की व्यवस्था होनी चाहिए।

9. देश में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण सबधी मुविधाओं का विस्तार होना चाहिए।

10. श्रमिकों में भी कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं अनुशासन की भावना जागृत की जानी चाहए।

निष्पक्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि “न्यून युग के बल तभी लायेगा जब हाथारे देश की अम-शक्ति न देवल उपेदा, भावव्यक्ति, पिता, धीर व्यास्त्य एवं परेशानी से मुक्त हो जायेगी, वरन् उच्चतम दहनता एवं मानूभूमि के प्रति उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य की पूर्ण भावना भी विकसित कर देगी।”

परीक्षा-प्रश्न

- 1 श्रम अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं ? श्रम अर्थशास्त्र के क्षेत्र की विवेचना कीजिए।
2. श्रम से आपका क्या आशय है ? इसकी प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में समझाइए।
- 3 श्रम के विभिन्न भेदों को उदाहरणों द्वारा समझाइये।
- 4 “ऐसे व्यक्ति मूँछों के स्वर्ग में रहते हैं जिनका यह निश्चास है कि श्रम समस्याएं केवल पूजीवाद के अतर्गत ही जन्म देती है और एक नियन्त्रित अथवा समाज-वादी अर्थव्यवस्था के अतर्गत ऐसी समस्याएं नहीं हो सकती।”

उक्त कथन का आलोचनात्मक आधार पर स्पष्टीकरण कीजिए और उन तत्वों को भी स्पष्ट कीजिए जो श्रम समस्याओं को जन्म देते हैं।

- 5 अल्प-विकसित देशों के आर्थिक विकास में श्रम की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
- 6 “श्रम समस्या, श्रम संघवाद की समस्या से अधिक विस्तृत तथा औद्योगिक शांति की समस्या ने अधिक महत्वपूर्ण है।” (एडम्स व समर) विवेचन कीजिए।
- 7 देश की वर्तमान सामाजिक व आर्थिक प्रणाली के अतर्गत श्रम समस्याओं के अध्ययन का महत्व संक्षेप में बताइए।

अध्याय 2

भारत में श्रम-शक्ति (Labour Power in India)

श्रम-शक्ति से आशय श्रम अर्थशास्त्र में श्रम शक्ति से आशय उन समस्त व्यक्तियों के समूह से है जो कार्य करते हैं या कार्य करने की इच्छा और योग्यता रखते हैं किन्तु उन्हें कार्य करने का अवसर नहीं मिलता यद्यपि इसके लिए वे सदा प्रयत्नशील रहते हैं। एन० जी० रेनाल्ड्स के शब्दों में 'किसी व्यक्ति को उस समय श्रम-शक्ति में सम्मिलित समझना चाहिए, यदि वह कार्य करने में समर्थ हो और या तो कही ताम बरता हो अथवा सक्रिय रूप में कार्य की खोज में हो।'"^१ किसी देश की नपूर्ण जनसंख्या को श्रम-शक्ति नहीं माना जा सकता बल्कि जनसंख्या के बीच वही भाग श्रम शक्ति में सम्मिलित किया जाता है जो उत्पादन के लिए सक्रिय होता है। इस सक्रिय श्रम शक्ति को कार्यशील जनसंख्या भी कहा जाता है। सपूर्ण जनसंख्या का वह भाग जो श्रम शक्ति है उसे 'एक अनुण्ट या दर के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसे श्रम शक्ति सहभागिता दर (Labour Participation Rate) कहते हैं।

श्रम-शक्ति का महत्त्व 'साधन' और 'साध्य' दोनों रूपों में है। समस्त उत्पादन का मूल माध्यन श्रमिक ही है वही अपनी शारीरिक और बौद्धिक शक्ति तथा भौतिक साधनों का प्रयोग करके नयी रीतियों और प्रक्रियाओं की सोज करके उत्पादन की प्रक्रिया तो जन्म देता है और आधिक विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। सभी साधनों को जुटाकर वह ही ममन्वित बरता है और उन्हें सेवा तथा वस्तुओं में परिवर्तित करके उन्हें गणीय धन में अधिकाधिक उत्पादन में सहायक बनाता है। यदि देश के प्राकृतिक साधन अत्यन्त परापर हो तो भी वह देश गरीब ही रह सकता है यदि उसकी श्रम शक्ति परापर और कार्य कुशल न हो।

लेकिन श्रम उत्पादन का साधन ही नहीं, साध्य भी है क्योंकि वह जो कुछ उत्पादन करता है उसका उपभोग भी करता है। मार्क्स के शब्दों में धन का उत्पादन मनुष्य की जीविका के लिए उसकी इच्छाओं की सत्तुष्टि के लिए, उसकी क्रियाओं—शारीरिक मानसिक और नेतृत्व—के विकास के लिए केवल साधन मान है। परंतु श्रम स्वयं ही उस धन की उत्पत्ति का मुख्य साधन है जिसका वह अतिम उद्देश्य है। मध्यप म,

1 LG Reynolds 'Labour Economics and Labour Relations', p 24

आधिक विकास की प्रक्रिया में साधन व साध्य दोनों ही रूपों में मानव की भूमिका अत्यत महत्वपूर्ण है। श्रम को इस भूमिका का स्वरूप समय और स्थान ने सदर्म में विभिन्न प्रकार का ही सकता है।

यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है कि श्रम शक्ति की प्रचुरता को ही शक्ति का प्रतीक नहीं माना जा सकता। श्रम के सम्प्राप्तमें पहलू की अपेक्षा उसका गुणात्मक पहलू अधिक महत्व रखता है। यदि सूखा ने अधिकता के साथ-साथ श्रम दक्ष व योग्य ही और उसकी उत्पादन कुशलता अधिक हो तो निश्चय ही वह राष्ट्र की एक अमूल्य संपदा होगी।

भारतीय श्रमिकों की संख्या

(ब) संगठित थोक्र : संगठित उद्योगों से तात्पर्य उन उद्योगों से है जिन पर कारखाना अधिनियम लागू होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संगठित थोक्र में सबसे अधिक श्रमिक कारखानों में काम करते हैं। देश के औद्योगीकरण के साथ-साथ कारखानों की संख्या में वृद्धि होने से श्रमिकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जैसाकि निम्न सारणी के अंकों से स्पष्ट है।

सारणी—1

वर्ष	कारखानों की संख्या	श्रमिकों की संख्या
		(लाखों में)
1947	14,576	22,75
1950	27,745	25,05
1955	34,275	28,82
1960	48,038	37,64
1965	63,573	47,30
1970	76,549	49,77
1975	78,550	59,04
1981	80,100	66,5
<u>ग्रन्ति</u>		

सन् 1981 में भारत में श्रमिकों की संख्या लगभग 66,5 करोड़ थी। यह देश की कुल जनसंख्या के लगभग 33,45 प्रतिशत थी।

भारतीय अर्थव्यवस्था के संगठित थोक्र में सर्वाधिक श्रमिक शक्तियों या कारखानों में काम करते हैं। 1978 में चालू फैक्ट्रियों में, जिनके आवडे उपलब्ध हैं, प्रतिदिन का अनुमानित औसत रोजगार 65,24 लाख था।

राज्यानुसार कारखानों में रोजगार कारखानों में श्रमिकों का वितरण समान नहीं है क्योंकि उद्योगों का केंद्रीयकरण झुस्यत, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा गुजराती बगाल में है।

1978 के दैनिक रोजगार आकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में फैक्टरी कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक थी (11,60,178)। इसके पश्चात् पश्चिम बंगाल (8,69,676), गुजरात (5,88,620), तमिलनाडु (5,99,682) तथा उत्तर प्रदेश (5,32,659) का नम्बर आता है।

उद्योगों के इस असतुलित वितरण के कारण देश के आर्थिक विकास में भी असतुलन देखने को मिलता है। मृती वस्त्र मिलों का केंद्रीय करण-अधिकार महाराष्ट्र व गुजरात में है। इसी प्रकार कोयला, इस्पात, जूट व रासायनिक उद्योगों का जमाव पश्चिमी बंगाल विहार व तमिलनाडु में है।

उद्योगानुसार श्रम शक्ति विभिन्न उद्योगों में कारखानों की संख्या तथा उनमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या सन् 1978 में अनुमानत विभिन्न सारणी के अनुसार थी।

सारणी—2 :

उद्योग	कारखानों की संख्या	श्रमिकों की संख्या ('000 में)
1 वस्त्र	6,000	1,200
2. खाद्यान्न (पेय के अतिरिक्त)	24,800	650
3 परिवहन इक्विपमेंट	3,500	500
4 अन्य मशीनें	6,000	325
5 बुनियादी धातु उद्योग	2,500	300
6 धधातु खनिज उत्पादन	3,500	250
7 रसायन व रासायनिक उत्पादन	2,700	250
8 धातु उत्पादन	4,500	230
9 विद्युत् भवीतनरी व उपकरण	1,500	200
10 विविध उद्योग	2,700	200
11 अन्य	20,952	940
योग	78,652	5,045

(ब) असंगठित उद्योगों में श्रम शक्ति जसगठिन उद्योगों से तात्पर्य उन उद्योगों से है जिन पर कारखाना अधिनियम लागू नहीं होता। उन पर कारखाना अधिनियम इसलिए लागू नहीं होता, क्योंकि या तो श्रमिकों की संख्या 10 से कम रहती है अथवा वे शक्ति का प्रयोग नहीं करते, और 20 से कम श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं। असंगठित उद्योगों की धरणों में प्राय निम्नलिखित का समावेश किया जाता है—
/बीड़ी बनाना, चटाई बुनाना, काच व चुड़ी बनाना, जूट बनाना, ऊन साफ करना, हृषकरघा उद्योग तथा इसी प्रकार के अन्य छोटे-छोटे उद्योग। सामान्यतया भी ग्रामीण कुटीर एवं लघु स्तरीय उद्योग द्वारा एवं प्रतिष्ठान, ठेके के श्रम, आकस्मिक श्रम, असुरक्षित श्रम आदि इसी शैली के अतिरिक्त आते हैं।

बसंगठित उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की सही सह्या का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि इनका सेवा अत्यन्त व्यापक एवं विस्तृत है। आधुनिक अनुमान के अनुसार सगभग 3 करोड़ व्यक्ति इन उद्योगों में लगे थे।

भारतीय श्रमिकों की विशेषताएं

यद्यपि भारतीय श्रम में भी श्रम की समान विशेषताएं पायी जाती हैं परन्तु भारतीय परिवेश के प्रभाव से यहाँ के श्रमिकों की कुछ अपनी निजी विशेषताएं हैं जिनका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

प्रवासी प्रवृत्ति भारतीय श्रमिकों की प्रमुख विशेषता यह है कि ब्रह्मर में काम करने वाले श्रमिक अधिकतर गाव से आते हैं। भूमि पर जनसह्या का बढ़ता हुआ भारी ग्रामीण उद्योगों का पतन, अनाधिक कृषि, महाजनों द्वारा दोषण, सयुक्त परिवार के दोष आदि से विवश होकर गाव के लोग अपनी जीविका की सोज में औद्योगिक नगरों में आते हैं। परन्तु गाव के वातावरण में पले हीने के कारण नगरों के कृत्रिम वातावरण और प्रौद्योगिक परिस्थितियों में उनका मन नहीं लगता। अत वे शीघ्र अवसर मिलने पर पुन गाव को वापस लौट जाते हैं। भारतीय श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति की यह विशेषता स्वयं ही एक समस्या बन गई है जिसकी विस्तृत विवेचना हम आगे करेंगे।

2 एकता का अभाव भारतीय श्रमिकों में एकता का सर्वथा अभाव है। वे देश के सभी भागों में और समाज के सभी वर्गों से आये हुए होते हैं। फलत नगरों में श्रमिकों का जो वर्ग बनना है उसमें भाषा, धर्म, रहन सहन, रीति रिवाज आदि की बहुत भिन्नताएं होती हैं। उनका सामान्यत अशिक्षित होना और उनके जीवन का स्तर निम्न होना इस विभिन्नता को और भी बढ़ा देते हैं। इस अनेक भिन्नताओं के कारण श्रमिक वर्ग में संगठन नहीं है। संगठन तो दूर रहा। पारस्परिक मेल जोल भी उनमें बहुत कम है।

3 अधिक अनुपस्थिति भारतीय श्रमिकों में काम से अनुपस्थित रहने का प्रतिशत दूसरे देशों की अपेक्षा बाकी अधिक है। काम से अनुपस्थित रहने का विशेष कारण यह है कि श्रमिक मजदूरी पान के बाद मनोरजन हतु गाव भाग जाना है। कृषि थेट्रों से आने वाले श्रमिक कृषि मौसम से अच्छा फसल पर गाव में जब अधिक काम होता है, अपना कार्य छोड़कर चले जाते हैं। श्रमिकों के कार्य करने की दशाएं और कार्य न करने की उदासीनता भी उन्हें यदाकदा गाव चल जाने के लिए प्रेरित करती है। यही नहीं भारत में दीमारी और दुर्घटना की दरें भी दूसरे देशों की अपेक्षा नहीं अधिक है। इसका कारण भी यहा का श्रमिक अपने काम में अधिक अनुपस्थित रहता है। काम की अनुपस्थिति से एवं और तो श्रमिकों की मजदूरी कम होनी है और दूसरी ओर उनकी कार्य क्षमता घटती है। मिल भालिकों को भी हानि होती है क्योंकि विकल्प स्वरूप उन्हें दूसरे मजदूर रखने पड़ते हैं जिसमें उनका व्यय बहुत अधिक बढ़ जाता है।

4 अज्ञानता तथा शिक्षा का अभाव भारत की कुल जनसह्या में बेल 32% अवित ही शिक्षित हैं। इन व्यक्तियों में औद्योगिक श्रमिकों का भाग तो नाम मात्र का

ही आता है। साथ ही ग्रामीण वार्तावरण और परिस्थितियों में पले होने के कारण वे बहुत ही भोले-भाले तथा सरल होते हैं। अपनी ज्ञानता और सामान्य तथा औद्योगिक शिक्षा के अभाव में न तो अपनी समस्याओं को ही समझ पाते हैं और न प्राप्त अवसरों से लाभ उठाने में ही समर्थ होते हैं। शिक्षा का अभाव होने के कारण श्रमिक पूर्ण उत्तर-दायित्व के साथ अपने कर्तव्य का निष्पादन नहीं कर पाते।

5 रुद्धिवादिता और भाग्यवादिता : भारतीय श्रमिक अपनी ज्ञानता और शिक्षा के अभाव के कारण अत्यत रुद्धिवादी और भाग्यवादी हैं। अपने जीवन के सुख-दूँख को वे भाग्य की देन समझते हैं। नया कदम उठाने में या नया प्रबल करने में वे डरते हैं।

6. गरीबी तथा रहन-सहन का निम्न स्तर : भारतीय श्रमिकों की आय बहुत बम होने के कारण उनका रहन-सहन का स्तर अत्यन्त गिरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति, जब तक उसके पास अपनी समस्त आवश्यकताओं की सतुर्धि हेतु साधन न हो, अपने रहन-सहन का स्तर ऊचा नहीं कर सकता।

7 भारतीय श्रमिकों की पूर्ति उद्योगों की आवश्यकतानुसार न होना भारत में कुशल श्रमिकों की अपेक्षाकृत कमी है, और श्रम-शक्ति का विकास उद्योगों की आवश्यकतानुसार नहीं हो रहा है जिसके कारण भारतीय श्रमिकों की पूर्ति उद्योगों की आवश्यकतानुसार नहीं होती।

8 सामाजिक व धार्मिक दृष्टिकोण : भारतीय श्रमिकों की एक अन्य विशेषता उनका सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण है। उदाहरणार्थ, जाति प्रथा श्रम की स्वतंत्रता एवं पूर्ण गतिशीलता में वाधक है। यह श्रम सगठनों के मणित रूप में विकास में भी गतिरोधक है। यही नहीं, भिन्न-भिन्न जातियों के श्रमिक एक सामान्य अधिकार की मांग के लिए भी मणित नहीं हो पाते। उनमें सामाजिक व धार्मिक उत्तरदायित्व इतने अधिक होते हैं कि उनको निभाने में ही काफी समय, शक्ति व धन नष्ट हो जाता है। परिणामतः वे अपनी आर्थिक स्थिति को शीघ्रता से नहीं सुधार पाते। जाति प्रथा के अतिरिक्त सम्मुख परिवार प्रणाली और इससे सबैधित सभी प्रकार की चिंतायें भारतीय श्रमिक के दृष्टिकोण को निराशावादी बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। इन सब बातों का उनकी कार्य-कुशलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

9 कार्य-क्षमता का निम्न स्तर भारतीय श्रमिकों की एक और विशेषता यह है कि उनकी कार्य-क्षमता का स्तर दूसरे देशों के श्रमिकों की तुलना में काफी कम है। इसका कारण यह नहीं है कि हमारे श्रमिकों में कोई विशेष कमी है या वे जन्म से ही अकुशल हैं। अम अनुसधान समिति ने उपर्युक्त ही लिखा है "भारतीय श्रमिक पर संगत्या गया अकुशलता का अरोप कल्पना मात्र है।" यदि हम अपने श्रमिकों को वैसी ही कार्य-दशा ए, मजहूरी उचित व्यवस्था, मशीनें और वन आदि प्रदान करें जो दूसरे देशों में श्रमिकों को मिलती हैं तो भारतीय श्रमिकों की कार्य-कुशलता भी अन्य देशों के श्रमिकों से कम न होगी। इतना ही नहीं, जिस कार्य में भी आर्थिक सामाजिक सम्बन्ध की व्यवस्था महत्व-पूर्ण नहीं होती वहा भारतीय श्रमिक ने अन्य देशों के अपने साधियों की अपेक्षा अधिक अर्थ-कुशलता का प्रमाण दिया है।"

10/ गतिशीलता मे कमी . भारतीय श्रमिको मे गतिशीलता की बहुत कमी है । वे सब बाधाए जो श्रम की गतिशीलता मे बाधक होती हैं भारत मे विद्यमान हैं । निष्ठ-नता अज्ञानता, अधिविश्वास, महत्वाकांक्षा का अभाव, जन्म स्थान से विशेष अनुराग आदि के कारण यहां व्यक्ति अपने स्थान को नहीं छोड़ता चाहता । यातायात की महाई और असुविधाए भी श्रम की गतिशीलता को रोकती हैं । भारतीय श्रम की इस विशेषता के कारण एक तो आवश्यकतानुसार कुशल श्रम उपलब्ध नहीं होता और दूसरे, कुशल श्रम को उचित पुरस्कार नहीं मिल पाता ।

उपर्युक्त विशेषताओं के अतिरिक्त यह बात भी उल्लेखनीय है कि (अ) भारतीय श्रमिक अपेक्षाकृत कम सगठित हैं, (ब) श्रम की माग और पूर्ति मे भारी अतर होने के कारण वह एक शोषित बग बना हुआ है । लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी आज का भारतीय श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति काफी जागरूक है और उसमे राजनीतिक चेतना भी काफी आ गई है । श्रमिक सगठनों का महत्व वह समझने लगा है । बाहरी नेता अव सुरक्षा से उनका शोषण नहीं कर सकते । श्रमिको की स्थिरता मे भी बढ़ि हुई है और उनका सगठन भी मजबूत हो गया है । राष्ट्रीय श्रम आयोग, 1969 ने लिखा है कि गाव मे सबध कमश शिथिल होता जा रहा है । बागानो तक मे स्थिर श्रमिको की सख्त बढ़ती जा रही है । आज मे श्रमिक ने जो प्रतिष्ठा प्राप्त की है वह उनके पूर्वजों को प्राप्त नहीं थी । वह समाज का सम्मानित सदस्य है और कल्याणकारी लाभों को प्राप्त करता है । परन्तु आयोग के ये विचार भुल्यत सगठित उद्योगों के श्रमिकों के सबध में ही सत्य हैं क्योंकि कृषिक श्रमिको और लघु उद्योगों के श्रमिकों की दशा मे कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है ।

परीक्षा-प्रश्न

- 1 भारत की श्रम शक्ति पर एक सक्षिप्त निवध लिखिए ।
- 2 भारतीय औदोगिक श्रमिको की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए ।

अध्याय 3

श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति (Migratory Character of the Labour)

प्रवासी प्रवृत्ति का अर्थ : प्रवासी प्रवृत्ति दो शब्दों का समूह है—(अ) प्रवासी, एवं (ब) प्रवृत्ति। प्रवासी शब्द का अर्थ है किसी मूल स्थान को छोड़कर जाना, कही अन्यत्र बस जाना व बार-बार मूल स्थान को जाते रहता। प्रवृत्ति से आशय स्वभाव या आदत से है। इस प्रकार प्रवासी प्रवृत्ति से आशय मूल स्थान को छोड़कर कही अन्यत्र जाकर बस जाने और उस मूल स्थान से निरतर सबध बनाये रखने से है। भारतीय श्रम की वर्तमान समय में यह विशेषता है कि उसकी प्रवृत्ति प्रवासी है जिसके कारण उसमें स्थायित्व की कमी है। भारत के औद्योगिक क्षेत्रों के अधिकांश श्रमिक ग्रामीण होते हैं जो गाँव में आते हैं और वे नगरों में स्थायी निवास न करके समय-समय पर अपने गाँवों में लौटते रहते हैं। उनकी यही प्रवृत्ति प्रवासी कहलाती है।

प्रवासिता के दृष्टिकोण से भारतीय एवं पाइचात्य श्रमिकों में बतर पाया जाता है। पाइचात्य देशों में श्रमिक प्रवासी नहीं, बल्कि आवासी होते हैं। अर्थात् श्रमिकों का ग्रामों में कोई मबद्दल नहीं होता और वे औद्योगिक क्षेत्रों में ही स्थायी रूप से रहते हैं। औद्योगिक केंद्रों को ही वे अपना घर समझते हैं और बार-बार ग्रामों में जैसे जाने की प्रवृत्ति वहाँ देखने को नहीं मिलती। उदाहरणार्थ, लकाशायर की मिलों में कार्य करने वाले कर्मचारी इन्हीं नगरों में पैदा हुए, वही शिक्षा-दीक्षा ली तथा बड़े होकर वही कार्य करने लगे। सक्षेप में, पाइचात्य देशों में आवासी प्रवृत्ति या स्थायी श्रम-शक्ति पाई जाती है।

उपर्युक्त विवेचन से प्रवासी प्रवृत्ति का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। सक्षेप में, हम कह सकते हैं कि नगरों में परदेशी की तरह रहने वाले भारतीय श्रमिक जातरिक हृदय से ग्रामीण ही रहते हैं। गाँव में पुनः वापस जाने की प्रवल इच्छा उनमें सदैव ही बनी रहती है। उनकी इसी इच्छा को देखती हुए पानन्दीकर ने लिखा है: “किसी कार-खाने में काम करने वाले श्रमिक में, जिसका मन मुस्त और भारी है और जो मशीनों के शोर से अपना थकान वाला काम करता है, उसके गाँव की जहा कि उसका दिल और दिमाग घूम रहा है, बातचीत करके देखिए तो आप यह पायेगे कि उसके चेहरे में उदासी होते हुए भी एक चमक आ जाती है।” यही प्रवासी प्रवृत्ति की प्रेरणा दर्शित है और यही उसका वास्तविक अर्थ भी।

भारतवर्ष में प्रवासिता एक गंभीर समस्या है। यहाँ प्रवास ग्रामों से नगरों की ओर ही रहा है। 1901 से 1971 तक के जनसंख्या के बढ़कड़ों को देखने से यह विदित होता है कि शनैः-शनैः ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर सामान्य जनता का प्रवास दृढ़ता जा रहा है, जैसाकि सारणी 1 में दिखाया गया है—

सारणी—1

वर्ष	ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत
1911	88.8	11.2
1931	88.0	12.0
1941	86.1	13.9
1951	82.7	17.3
1961	82.0	18.0
1971	80.0	20.0
1981	76.0	24.0

प्रवासिता की प्रकृति व प्रकार (Nature and Kinds of Migration)

भारतीय श्रमिकों की प्रवासिता की प्रकृति के सबध में शम के दाही आयोग के ये शब्द उल्लेखनीय हैं : “कुछ श्रमिकों का गाव के साथ सबध अत्यत धनिष्ठ व निरतर बना रहता है, कुछ के साथ यह सबध केवल सामान्यक हाता है और कुछ के साथ यह सबध वास्तविक न होकर केवल प्रेरणा मात्र ही रह जाता है।”¹ इस परिभाषा के अनुसार हमारे देश में प्रवास के विभिन्न प्रकार ही सकते हैं जिनमें से प्रमुख निम्न हैं—

1. दैनिक प्रवास जैसाकि इसके नाम से स्पष्ट है, दैनिक प्रवास ग्रामों से नगरों की ओर वह प्रवास है जो प्रतिदिन समान रूप से होता रहता है। जो ग्राम शहरों के नजदीक होते हैं वहाँ के निवासी नीकरी या अन्य कार्यों से ग्रामों से नगरों की ओर आते हैं और कार्य समाप्त हो जाने पर शम को ग्राम को लौट जाते हैं।

2. मौसमी प्रवास · ग्रामों से नगरों की ओर जो दूसरा प्रवास होता है वह एक विशेष मौसम में ही होता है और जैमे-जैमे वह मौसम समाप्त हो जाता है, प्रवासी प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है। जैसे फसल के कटने के समय या बीज बोने के भूम्य श्रमिक अपने मूल गाव को चले जाते हैं और कार्य की समाप्ति पर पुन कररखानों की ओर आ जाते हैं।

3. आकस्मिक प्रवास : कभी-कभी प्रवास आकस्मिक या जचानक होता है।

1. Report of The Royal Commission on Labour in India, p. 13

कभी कभी कुछ विदेश परिस्थितिया उत्पन्न हो जाती है जिन भारण बचानक प्रवास हो जाता है जैसे बीमारी, अदालत, सामाजिक और धार्मिक उत्सव व अन्य इसी प्रकार की परिस्थितिया।

4 स्थायी प्रवास स्थायी प्रवास ने हमारा आशय यह है कि कभी कभी श्रमिक सर्वे के लिए गाव को छोड़कर नगरों में चले जाते हैं और स्थायी रूप से वही रहने लगते हैं। जब एक बार अद्वितीय गाव को छोड़कर नगर चला जाता है तो फिर उसकी इच्छा गाव की ओर लौग्ने की नहीं होती। आधुनिक समय में यह प्रवृत्ति दिशेष रूप से देखने वो मिलती है।

इस प्रकार भारत के औद्योगिक केंद्रों में अधिकांश श्रमिक निकटवर्ती गाव में आते हैं और कई दशाओं में यह प्रवास न केवल अनजिला है बल्कि यह अतर्राज्यीय भी है। सामाजिक तथा छोट और मध्यम आकार वाले औद्योगिक केंद्र समस्त अकुशल धर्म की पूति के लिए निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों पर ही निभर करते हैं। किंतु दूसरी ओर वहे औद्योगिक शहर —जैसे पटई, कलागता भिलाई, दुर्गपुर आदि— अपने श्रमिक लाभ अधिक व्यापक क्षेत्र में प्राप्त करते हैं। बवई के सूती वस्त्र मिल उद्योग में श्रमिक कोकन के निकटवर्ती जिले में या कुछ अन्य पड़ोसी जिले में ही नहीं बल्कि दक्षिण व उत्तर प्रदेश से भी आये हैं।

भारतीय श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति के बारण श्रमिकों में वही विभिन्नता है जिसके देश के मध्ये भागों और सभी दर्गों से श्रमिक औद्योगिक कार्य में नियोजित होते हैं। किंतु यह उल्लेखनीय है कि जहाँ रोजगार के लिए भाग्य में पर्याप्त अनजिला और अतर्राष्ट्रीय प्रवासन होता है, वहाँ इस आशय के लिए विदेशों के लका, बर्मा, मलाया जैसे देशों के अनिरिक्त, बहुत ही कम प्रवासन होता है। हाल के वर्षों में ही इस प्रवास का परिमाण भी घटने लगा है।

विभिन्न भारतीय शहरों और नगरों में नदे तथा विकासोन्मुख उद्योगों में धर्म के लिए बढ़ती हुई माग प्रत्युत्तर में ग्रामीण प्रवासियों वी बाड़न, बाफी सीमा तक बढ़ा की जनसंख्या में आश्चर्यजनक बढ़दि कर दी है।

प्रवासी प्रवृत्ति के कारण

भारतीय श्रमिक की प्रवासी प्रवृत्ति के कारणों में विशेषण हम निम्नलिखित शीर्षकों के अध्ययन कर सकते हैं—

१ संयुक्त परिवार प्रथा: भारत में ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त परिवार प्रथा भी काफी प्रचलित है। संयुक्त परिवारों में प्राय अनेक सदस्य होते हैं, जिनमें में कुछ सदस्य औद्योगिक केंद्रों में नौकरी कर परिवार की आग बढ़ाने के लिए आ जाते हैं परतु ये अपना स्थायी निवास नगरों में नहीं बनाते, क्योंकि उनका अन्य परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में ही बसा हुआ रहता है। माध्यराजन, संयुक्त परिवार प्रथा के बारण ग्रामीण अपनी स्त्री व बच्चों को गाव में ही छोड़ जाता है और नगर से धन कमाकर गाव में आता-जाता रहता है।

2 भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत बढ़ गया है, फलत सोगा को कृषि व्यवसाय में पूरा काय नहीं मिलता और न उनका जीवन निर्वाह भली प्रकार हो सकता है। अत वे रोजगार की दोनों में शहरों को जाने के लिए प्रेरित होते हैं। उन्नत परिवहन वे साधन उनके इस प्रवास में सहायक हुए हैं।

3 कुटीर उद्योग का अत भारत में औद्योगिकरण के प्रारम्भ से ग्रामीण क्षेत्रों के लघु व कुटीर उद्योगों का पतन हो गया क्योंकि वे बड़ी-बड़ी मिलों के साथ प्रतियोगिता नहीं जर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इन कुटीर उद्योगों में काय करने वाले श्रमिकों को विवश होकर नगरों की मिलों में आकर काय करना पड़ा है।

4 क्रृष्णग्रस्तता बहुत-अधिक धोर निधनता व क्रृष्णग्रस्तता के कारण गाव के महाजनों न बचने के लिए अपने निवास-स्थान को त्याग देते हैं और शहर में आकर कारबानों में मजदूरी करने लगते हैं। जब उनकी आर्थिक स्थिति कुछ सुधर जाती है तो वे पुन अपने गाव में वापस आ जाते हैं।

5 परिवारिक सघर्ष कभी-कभी एक ही परिवार के सदस्यों में घरेलू सघर्षों के कारण कृषि श्रमिक गाव को छोड़कर नगरों में काम करने लगते हैं। बाद में स्त्री-बच्चों का भोग उन्हें पुन नगरों से गाव की ओर खीच लाता है।

6 सचार तथा यातायात के साधनों का विकास सचार तथा यातायात के साधनों के विकास सभी ग्रामीण क्षेत्रों से औद्योगिक केंद्रों की ओर श्रमिकों के प्रवास को प्रोत्साहन मिला है। इनके विकास से अब मनुष्य सूदर क्षेत्रों में जाकर रोजगार कर सकता है।

7 भूमिहीन श्रमिकों की सह्या में बृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी श्रमिक होन हैं उन सब के पास भूमि नहीं होती। वल्कि एक वग भूमिहीन श्रमिकों का भी होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य आवश्यक काय करता है। विगत वर्षों में भूमिहीन श्रमिकों की सह्या में तीव्र गति से बृद्धि हुई है। इन भूमिहीन परिवारों के पास एक मात्र उपाय यही रहता है कि गाव में काय न मिलने के कारण वे शहरों की ओर अप्रसर हो जायें। परतु वे अपना गार्डों से सब व शूरूंतया नहीं छोड़ देते, क्योंकि उनके अन्य सबधी उसी गाव में रहते हैं और बचपन से ही उसी गाव में निवास करने के कारण उनका सब व्यवसाय गाव में बना ही रहता है।

8 सामाजिक व्यवहार से असतुष्ट होना ग्रामीण सामाजिक संरचना स्वयं भी प्रवास का एक कारण है। ग्रामों में जाति पाति की भावनायें काफी प्रवल होन के कारण दलित वर्ग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। नगर में गरीब-अमीर का भेद होता है परतु जातिवाद के आधार पर किसी व्यक्ति को अपमानित नहीं किया जाता। फल-स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों से निम्न वर्ग औद्योगिक केंद्रों में समानता का व्यवहार पाने और अपनी रुचि वा काय करने के लिए आ जाते हैं। डॉ. राधा कमल मुखर्जी ने अपनी पुस्तक में उदाहरण देते हुए लिखा है कि कानपुर के बड़े उद्योगों में काय करने में स्त्री श्रमिकों में से 60% स्त्री श्रमिक ऐसी हैं जो दलित वग संबंध रखती हैं और पुरुष श्रमिकों में

30% श्रमिक दलित वर्ग से सबध रखते हैं। ये ग्राम के अनुचिन व्यवहार से असतुष्ट होकर ही नगरो में आ जाते हैं।¹

9. ऊंची मजदूरी का आकर्षण : ग्रामीण क्षेत्रों में साधारणतः श्रमिकों को कम मजदूरी मिलनी है परन्तु नगरो में उन्हें अधिक मजदूरी मिल सकती है। अत. अनेक ग्रामीण उच्च पारिश्रमिक के प्रलोभन में नगरो में जाकर कार्य वरते हैं परन्तु आदाम की भमस्या व बाम करने की दूषित दशाओं के कारण अपने परिवार को गाव में ही छोड आते हैं। इस कारण भी वे बार-बार नगरो से गाव की ओर आते हैं और यह प्रवास निरतर जारी रहता है।

10. शिक्षा; इलाज व भनोरंजन की सुविधाएं : बहुत-से व्यक्ति इसलिए भी शहर में जाना चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा वहाँ उपलब्ध हो सकती है और वीमारी का इलाज भी सार्वजनिक अस्पतालों में किया जा सकता है। शहर की रोनक व सिनेमा का आकर्षण भी गाव दे लोगों के लिए कम नहीं होता।

उपरिलिखित ऐसे कारण हैं जो श्रमिकों को ग्राम छोड़कर शहर में जाने के लिए बाध्य कर देते हैं। इन कारणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय समाज व औद्योगिक व्यवस्था में कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिनके कारण यहाँ के श्रमिकों में प्रवासी प्रवृत्ति स्वतं ही उत्पन्न हो गई है। संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक में ठीक ही लिखा हुआ है 'शहरो में जाने की इस प्रवृत्ति की प्रेरणा औद्योगिक रोजगार के प्रलोभनों में नहीं पाई जाती बल्कि ग्रामीण दशाओं की विपरीत परिस्थितियों में उत्पन्न आर्थिक दबाव ही इस प्रेरणा के मुख्य आधार है।'² इसी मत का समर्थन शाही श्रम आयोग ने इस प्रकार से स्पष्ट शब्दों में किया है: "प्रवास की प्रेरक शक्ति गाव स आती है। श्रमिक नगरीय जीवन के किसी विशेष प्रलोभन से उत्पाहित होकर औद्योगिक नगरों में आकर नहीं वसते। जीवन-निवाह की आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य में ही वे अपने ग्रामों को छोड़कर नगरों में आते हैं। यदि उनको ग्रामों में ही पर्याप्त मात्रा में आवश्यक पदार्थ उपलब्ध हो जायें तो बहुत कम सख्त्या में श्रमिक नगरों में आयेंगे।"³ सक्षेप में, "श्रमिक नगरों में आकर्षित होकर नहीं आता बल्कि विवश होकर आता है। इसमें सदैह नहीं कि गाव की कट्टिनाड्या प्रवास वो प्रेरणा देती है और श्रमिक विवश होकर नगरों में आ जाते हैं परन्तु नगरों में कोई आकर्षण नहीं होता, ऐसा कहना कम-से-कम वर्तमान समय में ठीक नहीं है। शाही आयोग के समय में शहरों की परिस्थितिया बहुत ही भयावह थी और मजदूरों के जीवन और कार्य की दशाएँ अत्यन्त गमीर थीं। परन्तु 1975 तक स्थितियों में आधारभूत परिवर्तन हुए हैं। श्रम आदोलन, श्रम विधान, श्रम कन्याण - सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं ने श्रमिकों की दशाओं में उस समय की अपेक्षा राफ्फी सुधार किया है। अन वर्तमान परिस्थितियों में यह कहना

1. R K Mukherjee Indian Working Class, p 3.

2 U.N.O : The Processes and Problems of Industrialisation in Underdeveloped Countries (1975)

3. Report of The Royal Commission on Labour in India, p 16.

अधिक उपयुक्त है कि प्रवासी की प्ररणा दाहर और गाव दोनों ही सिरा से प्राप्त होती है अर्थात् मजदूर को केवल गाव ही धरका नहीं देता बल्कि उगर भी अपनी तरफ खीचता है।

प्रवासी प्रवृत्ति के परिणाम

भारतीय श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति के अनक महत्वपूर्ण आधिक और सामाजिक परिणाम निकले हैं जिनम सपूर्ण समाज प्रभावी त हुआ है। नीच हम प्रवासी प्रवृत्ति के दुष्परिणामों और लाभों की सक्षिप्त विवेचना प्रस्तुत कर रहे हैं—

1 अरियर जीवन प्रवासिता का परिणाम यह होता है कि श्रमिकों का जीवन स्थिर हो जाता है। वे कभी शहरों में रहते हैं तो कभी गावों में कभी उद्योग में काय बरत है तो कभी कृषि कार्यों का प्रतिपादन करते हैं। इसमें बेचारे श्रमिकों का कोई स्थिर जीवन नहीं रहता। यह स्थिति सुखी स्थिति एवं स्वाभाविक जीवन के लिए अहितकर है।

2 निम्न जीवन स्तर प्रवासी प्रवृत्ति का श्रमिकों के स्वास्थ्य पर भी बुरा अभाव पड़ता है। इसके प्रमुख कारण हैं—(अ) श्रमिकों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। (ब) उन्हें भरपेट पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता। (स) इनके काम करने की दगावें अस्वास्थ्यकर होती हैं। (द) ग्रामीण क्षत्रों की जपेश्वा नगरों की जलवाया भी न होती है। (व) परिवार का विवेग उनक मन को व्यवित बरता रहता है। इन सब कारणों से श्रमिकों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। परिणामस्वरूप उन्हें मानसिक हृषि संस्थान एवं घिताग्रस्त रहने लगता है।

3 काय क्षमता में ह्रास जैसाकि ऊपर बताया गया चुका है प्रवासी प्रवृत्ति के कारण श्रमिकों का स्वास्थ्य गिर जाता है और वे प्राय रोगशृङ्खला रहते हैं। इससे उनकी काय क्षमता स्वतं ही घट जाती है। भारतीय बौद्धोगिक श्रमिकों की काय कुशलता घटने वाले एवं कारण यह भी है कि वे स्थायी रूप से एक निश्चित काय नहीं कर पाते उन्हें अपने काय वा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता लेकिन जो कुछ प्रशिक्षण वे कारकाने में प्राप्त बरते हैं गाव में जाकर वह उन भूल जाता है वयोंकि उसे उस काय को करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त गाव के साथ सपक जोने पर निरत गाव वापस लौटने की अभिलाषा में वे अपने व्यवसाय को घटानपूरक नहीं सीख पाते।

4 नतिक पतन प्रवासी प्रवृत्ति का एक दुष्परिणाम यह भी होता है कि इसमें व्यवित और समाज का नैतिक पतन होता है। बौद्धोगिक केंद्रों के भिन्न जीवन गुह समस्या और मन्त्र रहन सहन के कारण श्रमिक अपने परिवारों को साथ नहीं रखते। परमस्वरूप उन्हें अपने जाता द में पारिवारिक जीवन से वचित होना पड़ता है। इसका श्रमिकों की मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वे बुरी प्रवृत्तियों जैसे जुआ शराब व वेश्यागमन के शिकार हो जाते हैं। शहरों में उन पर परिवार पड़ोसी या पर्वायत आदि विसी वा भी नियश्वर नहीं होता और वे मनमाने तौर पर काय करने के लिए स्वतं होते हैं जिसका अतिम परिणाम यह होता है कि उनमें चरित्रहीनता बढ़ती है।

5 श्रमिक और मालिक के बीच थेष्ट सबधों का अभाव श्रमिकों के बार-बार ग्रामों में चले जाने के कारण सबप्रयम मालिकों के समक्ष सदैव नदे श्रमिकों के प्रवध करने की समस्या बनी रहती है और द्वितीय, थोड़े समय काय करने से न तो श्रमिक अपन मालिक को भनी प्रकार समझ पाता है और न मालिक वपने श्रमिक को। फलस्वरूप श्रमिक और मालिक के बीच धनिष्ठ सबधों का पनपना तो दूर रहा उनमें बीच बीच न सघप तक उत्पन्न हो जाता है।

6 अम सधों के विकास में बाधा अपनी प्रवासी प्रवृत्ति के कारण श्रमिक अपन सगठनों का कार्यों में किसी प्रकार की रुचि नहीं लेते परिणामत न तो द अम सभा को नियमित रूप में चढ़ा ही देते हैं और न उनको सुदृढ़ बनाने की दिशा में ही कोई प्रय न करते हैं। यही कारण है कि भारतीय अम सभ आदोलन वहून धीमी गति के साथ बढ़ा है और इसका नेतृत्व व हरी लोगों के हाथ में रहा है।

7 देकारी और अद्वेकारी का भय प्रवासिता में देकारी और अद्वेकारी क बढ़न का भय रहता है। श्रमिक जन भी कारबानों में छुट्टी लेकर जाना है तो वह छुट्टी की समाप्ति पर अपने काम पर नहीं लौटता और छुट्टियों में बृद्धि करता रहता है। जब वह एइ नवी अवधि तक कार्य पर नहीं लौटता तो उसके स्थान पर नई नियुक्ति कर ली जानी है। फलत जब वह श्रमिक गाव म लौटकर आता है तो इस बात की कोई निश्चिन्ता नहीं होती कि उस फिर काय मिल ही जायेगा। यहा पर स्मरणीय है कि यदि श्रमिक स्थायी रूप से किसी स्थान पर रहे तो उस बड़ी ग्रासानी में रोजगा-मिल सकता है।

8 विशेष सुविधाओं से बचित श्रमिकों के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए आम अन्त तुविधाएं = जिन्हे प्राप्त करने के लिए यह जावश्यक है कि श्रमिक एवं निश्चिन्त समद तक निरतर काय पर उपस्थित रहे। भारतीय श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति उह इन सुविधाओं से बचित कर रखी है। डाम मिल मालिका वा तो लाभ होता है या श्रमिकों के जीजन म सुधार नहीं होन पाता।

9 गाव का वातावरण दूषित होना श्रमिक नोग कुछ समय गहरा म हन के उपरान प्रवासी प्रवृत्ति के कारण गामा म लौटते ही तो व जपन माथ नगरीय जीजन वा अन्त बुरायों वो साय न न है। ऐ गहरा वी दान गौकन व दियावे म प्रभावित गोकर गाव म जाकर उही वा उनुकरण करत ह त य व्यक्ति भी उनका उनुकरण बरता है। फलस्वरूप गाव का वातावरण दूषित हो जाता है।

10 सामाजिक अनुकूलता में बाधा औद्योगिक नगरा म श्रमिक देश के विभान भान आत ह। कान नवी भाषा उहन सहा जा तरीका और सहृदय जग अलग होता है। इन भिन्नताएं के कारण उनम साम य सगठन ना दूर रहा पारम्परिक मेन जान भी नहीं पाय पाता। इससे श्रमिका ने मा-जिन उनुकूलता वा प्रक्रिया म बाधा उत्त न हानी है।

11 राष्ट्राय उत्पादन में बाधा प्रभानी प्रवृत्ति के कारण राष्ट्रीय उत्पादन में बाधा उत्त न होतो है बयानि (अ) प्रवासिता के कारण उनकी कुरातता और काय-

क्षमता में वृद्धि नहीं हो पाती, और (ब) औद्योगिक क्षमता में यह अनिश्चितता इनी रहती है कि किस दिन कितने श्रमिक कार्य पर आयेंगे। राष्ट्र के आधिक हित की दृष्टि से ये दोनों ही परिस्थितिया हानिकारक हैं।

प्रवासी प्रवृत्ति के लाभ

औद्योगिक केंद्रों के कष्टमय जीवन अस्वास्थ्यप्रद बातावरण और निम्न मज़्दूरी इत्यादि की दृष्टि से प्रवासिता श्रमिकों के लिए लाभदायक भी है। प्रवासिता के इन लाभों का निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है—

1. भूमि पर जनस्वया का कभी दबाव जनस्वया की अत्यधिक वृद्धि व उभीन के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाने से कृषि व्यवसाय अलाभकर हो गया है। परतु श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति के कारण गाव की जनस्वया का एक बहुत बड़ा भाग नगरों को चला जाता है। इस प्रकार भूमि पर जनस्वया का भार कम हो जाता है।

2. कठिनाइयों से सुरक्षा दीमारी, बेरोजगारी हड्डाल, वृद्धावस्था प्रसूतकाल, दुर्घटना आदि के समय जब श्रमिकों की आय लगभग समाप्त हो जाती है तो गाव सुरक्षा के रूप में काय करता है। गाव हर प्रकार से श्रमिकों को सामाजिक, आधिक और राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करता है।

3. स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकर प्रवासी प्रवृत्ति श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। श्रमिकों के कभी कभी गाव चले जाने से उन्हें कम से कम कुछ समय के लिए नगरों के दूरित बातावरण से छुटकारा मिल जाता है उनकी थकान समाप्त हो जाती है काय की नीरसता दूर हो जाती है और शारीरिक आराम मिलने से काम करने की नई स्फूर्ति और शक्ति प्राप्त होती है।

4. आधिक दशा में सुधार प्रवासिता से श्रमिक और उसके परिवार की आधिक दशा सुधरती है। जो श्रमिक शहरों में कार्य करते हैं वे अपनी आय का कुछ भाग नियमित रूप से अपने परिवार को भेजते रहते हैं जिससे न केवल परिवार की आधिक स्थिति में सुधार होता है बल्कि कृषि सदब्धी उन्नति भी सभव होती है। ऋण से दबे हुए अनेक श्रमिक नगरों में काय करके इस कृषण को उतारन में सफल होते हैं।

5. श्रमिकों के जीवन-स्तर में वृद्धि नगरों में काय करने वाले श्रमिकों के रहन-सहन व वेश भूपा आदि का ग्रामवासियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है और उनके मन में भी अपने जीवन स्तर को ऊचा उठाने की तीव्र भावना जागृत हो जाती है। वे अपने उपभोग के स्तर को बढ़ाने के लिए सक्रिय प्रयास भी करते हैं जिसमें स्वभावत उनके रहन सहन वा स्तर बढ़ता है।

6. ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन विचारों का प्रवेश ग्रामीण जगत अपने मनोर्गन और परपरागत जीवन पद्धति पर चलता है। परतु ग्रामीण क्षेत्रों से श्रमिक जद औद्योगिक क्षेत्रों में जाते हैं तो वे औद्योगिक जगत के विचारों से प्रभावित होते हैं और उनका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। जब वे अपने गाव में पुन जाते हैं तो नगरीय जीवन के विचारों का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार होता है। फलत ग्रामीण क्षेत्रों में रुदिवादिना व

अन्धविश्वास का हास होता है तथा सामाजिक परिवर्तन और सुधार के लिए पृष्ठभूमि तैयार होती है।

7. अम की गतिशीलता में बृद्धि : प्रवासिता के कारण जब थ्रमिकों का औद्योगिक केंद्रों में आना-जाना लगा रहता है तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों के सभी थ्रमिक प्रभावित होते हैं और अम की गतिशीलता में बृद्धि होती है।

8. नगर व गांव के जीवन में समन्वय : थ्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति से गाव और नगरों के जीवन में समन्वय स्थापित हो जाता है। यह समन्वय दोनों के लिए लाभदायक है। इससे ग्रामीण जीवन में चाहूँ जगत् वा अत्यरिक्त ज्ञान आ जाता है। इसी प्रकार नगर निवासियों को भी भारतीय ग्रामीण जीवन की वास्तविकता का सही शान प्राप्त हो जाता है।

च्या थ्रमिकों को गांवों से सबध विच्छेद कर देना चाहिए ?

प्रवासिता के गुण-दोषों के विवेचन के उपरात स्वभावत यह प्रश्न उठता है कि भविष्य में हमारी नीतिका होनी चाहिए—ओद्योगिक थ्रमिकों के गाव में सपर्क समाप्त करने के लिए प्रयत्न रिये जायें और नगरों में ही एक पूर्णतः स्थिर श्रम-शक्ति निर्मित की जाय अथवा गाव में सपर्क थ्रमिकों और मेवायोजकों के लिए हिस्तकर है इसलिए इसे प्रोत्साहित व नियमित किया जाय ? —ये दोनों ही प्रश्न विवादग्रस्त हैं जैसाकि निम्न-लिखित विवेचन से स्पष्ट हो जाएगा ।

थ्रमिकों का गांव से सपर्क बनाए रखने का महत्त्व

इस सबध में अम के शाही आयोग का मत है कि “निष्कर्ष चाहे कुछ भी रहे, उद्योगों को काफी समय तक याव पर निर्भर रहना पड़ेगा और जिस दृढ़ता ने बिना किसी प्रोत्साहन के थ्रमिकों ने गाव से अपना सपर्क बना रखा है, उसमें यह स्पष्ट है कि इस व्यवस्था को जड़े काफी दूर तक चली गई है”¹। इस तथ्य को दृष्टि से रखने हुए अम आयोग ने यह सुझाव दिया है कि “वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान म रखते हुए यह सपर्क एक विशेष महत्त्व रखता है। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि इसे समाप्त करने की अपेक्षा सुनियमित एवं प्रोत्साहित किया जाय ।”²

डॉ० राधा कमल मुमर्जी ने भी थ्रमिकों के गाव से सपर्क बनाये रखने के पक्ष में ही सुझाव दिया है। उन्होंने रूस, बेल्जियम, हालैंड, जर्मनी व जापान आदि का उदाहरण देते हुए इस मत की पुष्टि की है कि थ्रमिकों का गाव से सपर्क बनाये रखने के लिए उद्योगों का विकोंट्रीकरण करके उन्हें गाव के आस-पास स्थापित करना चाहिए ।³

1. Report of The Royal Commission on Labour, p. 20

2. Ibid., p. 20.

3. R K. Mukherjee : Indian Working Class, p. 13.

उद्योगों पर ही आधित रहने वाले थ्रमिकों का महत्त्व

इसके विल्कुल विपरीत क्षुल लोगों का विचार है कि देश में औद्योगिक इकाइयों को ठीक ढंग से कार्य करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि थ्रमिक स्थायी रूप से नगरों में निवास करें और एक समगठित थ्रम शक्ति का निर्माण करते हुए अपनी तथा राष्ट्र की आधिक व सामाजिक प्रणति के काय़फ़मों में महिला रूप से हाथ बटायें।

यदि भारत के औद्योगिक विकास के इतिहास का मिहावलोकन करें तो हमें विदित होगा कि भारत में यदि स्थायी औद्योगिक थ्रम शक्ति का निर्माण हो जाय तो इससे औद्योगिक थ्रम की काय़क्षमता भवित्व होगी थ्रमिकों व मेवायोजकों के सबसे थ्रेष्ठ हो जायेंगे और देश में सुदृढ़ तथा शक्तिशाली थ्रमिक संघों वा जन्म होगा। भारत में कुछ बड़े बड़े औद्योगिक शक्ति के विकास का इतिहास यह प्रदर्शित करता है कि किन किन घटकों के कारण उन शक्तियों में स्थायी थ्रम शक्ति का निर्माण हआ है। नगरों में स्थायी रूप से रहने के इच्छुक थ्रमिकों की संख्या का अनुपात बहुत-भी आधिक व सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है जैसे—(1) जो औद्योगिक क्षेत्र उन स्थानों के समीप होते हैं जहाँ जनसंख्या अधिक होती है वहाँ व थ्रमिक स्थायी रूप से उन औद्योगिक क्षेत्रों में बस जाते हैं। उदाहरण के लिए कानपुर, अहमदाबाद नागपुर व तमिलनाडु आदि नगरों में थ्रमिक स्थायी इमलिंग हैं क्योंकि य उन क्षेत्रों से आये हुए हैं जहाँ कृषि पर जनसंख्या वा भार बहन अधिक है और जहाँ भूमिहीन किसानों की संख्या अधिक है। (2) औद्योगिक केंद्र में थ्रम उम समय भी स्थायी हो जाता है जब उस उद्योग की स्थापना किसी विल्कुल नवीन क्षेत्र में की जानी है। जमशेदपुर दुर्गापुर और डिगवोई में प्रारम्भ से ही थ्रम स्थिर है क्योंकि इन नगरों को वनों की नूमि पर बसाया गया है। (3) थ्रम में अब स्थायी रूप से बसने की प्रवृत्ति है। इस बात की पुष्टि औद्योगिक क्षेत्रों ने थ्रम पूर्ति के लिए दूर के शक्ति में आये हए प्रवासी लोगों की अधिकता में होती है। उदाहरण के लिए अहमदाबाद पूना व उत्तर प्रदेश में बबई के मूर्ती व पट्टे के कारखानों में तथा बलकना के कारखाने में पश्चिमी विहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में थ्रमिक आये हुए हैं और उनमें स्थायी रूप से रहने की प्रवृत्ति है।

थ्रम अनुसंधान समिति। (1944) के एकांतर उपर्युक्त बातों को दृष्टि में रखते हुए अधिक उचित होते हैं। इस समिति के अनुसार थ्रमिकों दो प्रधान कारण। एक गाव को जान है—प्रथम तो यह है कि गाव एक ऐसा स्थान है जहाँ थ्रमिक कुछ देर के लिए विद्याम कर सकता है और द्वितीय वाल यह है कि गाव उसका सुरक्षा-स्रोत है। जहाँ तक पहली बात का प्रश्न है इमारे विचार में औद्योगिक थ्रम को विशेष सुविधाएँ देकर रहा जैसे सस्ते वापसी टिकट व छुट्टियों की व्यवस्था करके गाव को जान देना चाहिए। ऐसा मजदूरों के स्वास्थ्य और काय़क्षमता के लिए लाभदायक है। इसरी ओर थ्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व गाव पर लादना उपयुक्त नहीं है। थ्रम

यह होगा कि श्रमिकों के लिए गाव को आराम और मनोरजन का स्थान मानते हुए औद्योगिक नगरों की दशाओं में उन्नति की जाय, श्रमिकों के लिए अधिनिकतम सामाजिक सुरक्षा सबधी माध्यन, उत्तम मकान, उचित मजदूरी, अच्छे भोजन आदि की समुचित व्यवस्था की जाय तथा कारखानों में कार्य करने की दशभाओं को सुधारा जाय। यदि नगर का जीवन सुधार जाय, सामाजिक सुरक्षा, श्रम कल्याण, औद्योगिक आवास आदि सतोपजनक हो जाय तो गाव का प्रवास स्वतं कम हो जायगा। इस सबध में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का मत है “श्रम को स्थायी बनाने के लिए तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए पहली बात तो यह आवश्यक है कि हम औद्योगिक केंद्रों में पर्याप्त आवास की व्यवस्था करें और दूसरे, श्रमिकों की दीमारी, बेरोजगारी और बुढ़ापे में उसके लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करें ताकि वह जीवित रह सके।”

राष्ट्रीय श्रम आयोग के विचार¹। सन् 1969 में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने इस प्रश्न पर पुनः विचार किया कि क्या श्रमिकों का गाव से सबध जुड़ा रहना चाहिए? राष्ट्रीय श्रम आयोग ने शाही आयोग (1930) और अनुसंधान समिति (1944) के विचारों का अध्ययन किया और निखा है कि विगत वर्षों में आज के श्रमिकों के रहन-सहन, प्रकृति एवं दशा में बहुत परिवर्तन हुआ है। श्रम आयोग ने आगे लिखा है “विछले बीस वर्षों में औद्योगिक श्रमिकों की स्थिरता में काफी सुधार हुआ है। आज का श्रमिक अपने दृष्टिकोण और अभिभूति में अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक नगरीय है।”

विगत वर्षों में श्रम के लिए उद्योगों की निर्भरता ग्रामीण क्षेत्रों पर कम होती गई है। नगरों में श्रम जीवित का एक बड़ा भाग अब शहरों से ही प्राप्त होता है। राष्ट्रीय श्रम आयोग के शब्दों में ‘औद्योगिक नगरों जैसे बवई, पुना, दिल्ली, जमशेदपुर आदि के श्रमिकों का सर्वेक्षण करने से विदित होता है कि प्रारंभिक श्रमिकों की प्रवृत्ति गाव को लौटने की अधिक थी, परन्तु बाद के मजदूरों की इच्छा शहरों और कारखानों से सबध बनाये रखने की है। इस बात पर आयु का भी प्रभाव पड़ता है। तब्दि श्रमिकों को शहर अधिक आकर्षित करता है।”²

अत भारत की वर्तमान आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों के अतर्गत राष्ट्रीय श्रम आयोग के मतानुसार भविष्य में श्रमिकों को गाव से सबध बनाये रखने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। कारण यह है कि पुराने उद्योगों में मजदूरों की चार पाँच पीढ़िया काय तर चुकी हैं। नगरों में जो वज्रे पैदा हुए या बड़े हुए हैं उनका ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। इसके अनिरिक्त उद्योगों की स्थिति में भी सुधार हो रहा है और मजदूरों के प्रति अधिक न्याय किया जा रहा है। उनको अधिकाधिक सुविधाएं, कल्याणकारी सेवाएं तथा सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था मिलने लगी हैं। ऐसी स्थिति में श्रमिकों का गाव में सबध बनाये रखने की आवश्यकता का महत्व बहुत कम हो जाता है। अत उचित नीति यही होगी कि हम औद्योगिक नगरों में सुधार करें,

1 National Labour Commission, pp 31-32

2 Ibid., p 31

कारखानों में कार्य परिस्थितिया उन्नत करें, मकान, वेतन व पौष्टिक भोजन आदि उपलब्ध करें व श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करें जिससे धर्मिक नगरों को अपना स्थायी निवास-स्थान मान सके और सुखी समृद्ध तथा प्रगतिशील नागरिक के रूप में राष्ट्र की आधिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान कर सके।

परोक्षा-प्रश्न

1. "भारतीय धर्मिकों की प्रवासी प्रवृत्ति" का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा देश में पाई जाने वाली प्रवासी प्रवृत्ति के लाभ और दोष बतलाइये।
2. "भारतीय औद्योगिक धर्मिकों की महत्वपूर्ण विशेषता है प्रवासी प्रवृत्ति—इस दृष्टिकोण से वि भारतीय धर्मिक अपने काम करने के स्थान को अपना स्थायी निवास स्थान स्वीकार नहीं करता।" (सक्सेना)। उपर्युक्त वाक्य की व्याख्या कीजिए तथा इस सबध में प्रवासी प्रवृत्ति के स्वरूप तथा उसके कारणों पर प्रकाश दालिए।
3. भारतीय धर्मिक के प्रवासी चरित्र के स्वभाव और कारणों का वर्णन कीजिए। क्या इस पर हाल के औद्योगिक विस्तार की कोई टक्कर है?
4. "भारत के औद्योगिक श्रम के चारित्रिक गुणों में एक गुण यह है कि वह अधिकाशत प्रवासी स्वभाव का है।" उक्त कथन को पूर्णतया स्पष्ट कीजिये।
5. "भारतीय फैक्टरी के लगभग सभी काम करने वाले प्रवासित हैं।" प्रवासिता के कारणों और इसके प्रभावों का वर्णन करते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। हाल ही के समय में यह किस प्रकार से स्थायी खानागी, जैसाकि पश्चिम म हो रहा है, बनने के लिए ज्ञाक चुका है?
6. गाड़ों से पृथक् औद्योगिक जनसम्प्रा के निर्माण हेतु प्रयास करना चाहिए अथवा गाड़ों से धर्मिकों के विद्यमान सपर्क को बनाये रखना तथा प्रोत्साहित करना चाहिए। तक्सगत उत्तर दीजिए।
7. यह कथन कहा तक सत्य है कि "भारतीय धर्मिक औद्योगिक केंद्रों की ओर आक-पित नहीं होते वरन् दकेले जाते हैं।" क्या ग्रामीण क्षेत्रों के साथ उनका यह सपर्क (अ) भारतीय धर्मिकों, तथा (ब) भारतीय उद्योगों के लिए उपादेय है?
8. "हमारे विचार से एक स्थायी श्रम शक्ति प्राप्त करने तथा औद्योगिक धर्मिकों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रथमत औद्योगिक केंद्रों में उनके लिए पर्याप्त आवास की व्यवस्था होनी चाहिए तथा दूसरे, बीमारी, बेरोजगारी व बृद्धावस्था की अवस्था के लिए भी कुछ प्रावधान होना चाहिए।" उपरोक्त कथन के प्रकाश में एक स्थायी अम-शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने सुझाव दीजिए।

अध्याय 4

अनुपस्थितता व श्रम परिवर्तन की समस्या (Problem of Absenteeism and Labour Turnover)

अनुपस्थितता का मर्यादा साधारण बोलचाल की भाषा में अनुपस्थित से हमारा अभिप्राय विना सूचना दिये काम पर न आना है। लेकिन उद्योगों में अनुपस्थित शब्द दड़ ही सकुचित अर्थों में प्रयोग होता है। अनुपस्थितता की कुछ प्रचलित परिभाषाएं निम्नलिखित हैं—

— 1 ज० डॉ० हैकट ‘अनुपस्थितता से तात्पर्य अस्थाया रूप से काम के रूप जाने में है जिसकी अवधि कम-से-कम एक दिन की अवधि होनी चाहिए विशेषत उस दिन जबकि ध्रमिक के काम पर आने की अपेक्षा की जाती है।’¹

2 प्र०० अकालिकार “अपने कार्य से अनुचित गा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हा जाना ही अनुपस्थितता कहलाती है।”²

3 क० जी० फेनेलन ‘जब कार्य हो तब कार्य पर न आना अनुपस्थितता कहलाता है।’³

4 अम विभाग का परिपथ्य ‘अनुपस्थितता की दर कल श्रमिक कार्यों का वह प्रतिशत है जिसमें कार्य नहीं हो पाता।’⁴

परिभाषाओं का परीक्षण उपर्युक्त मतों में श्री फेनेलन और प्र०० अकालिकार के मन अत्यंत विस्तृत और अस्पष्ट हैं। इन विद्वानों ने अनुपस्थितता को अन्य दूसरे प्रकार के कार्यों मजदूरी और उत्पादन की हानि से पृथक नहीं किया है। श्री हैकट और भारत सरकार के अम विभागीय परिपथ्य में वर्णित परिभाषा शेषतम प्रतीत होती है।

अनुपस्थितता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं—

1 श्रमिक कार्य पर उपस्थित होने के लिए अनुमूलित होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहता है।

1 Absenteeism is ‘temporary cessation of work, for not less than one whole working day, on the initiative of the worker, when his presence is expected’

2 Absenteeism is “unauthorised absence of the worker from his job”

3 Absenteeism is “absence from work when work is available”

2. यह अनुपस्थितता अनधिकृत होती है।

3. यह अनुपस्थितता स्वेच्छा पर आधारित होती है। । । -

4. इस अनुपस्थितता का उचित कारण श्रमिक द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाता है।

5. सार्वजनिक छुट्टियों में न उसे अनुपस्थित मानना चाहिए और न कार्य के लिए आपेक्षित।

6. अनुपस्थितता को रोका जा सकता है।

अनुपस्थितता की माप

भारत में विभिन्न कारखानों में अनुपस्थितता का अनुमान लगाने के लिए अलग-अलग प्रणालियों का सहारा लिया जाता है। यही नहीं, अलग-अलग स्थानों तथा एक ही उद्योग की विभिन्न इकाइयों में भी अनुपस्थितता निकालने की अलग-अलग पद्धति प्रचलित है। सर्केप में, भारत में अनुपस्थितता का सही अनुमान लगाने के लिए किसी निश्चित सिद्धांत को नहीं अपनाया जाता।

अनुपस्थितता की सीमा के सबूत में कोई भी सार्विकीय अनुमान उगाने में मुख्य कठिनाई यही सामने आती है कि केवल इसी बात से अनुपस्थितता की दर मान्यमान नहीं की जा सकती कि श्रमिक कार्य पर नहीं आया। ऐसी स्थिति में तीन समाचनाएँ हो सकती हैं—(अ) श्रमिक को कार्य पर आने में विलम्ब हो जाय, (ब) यह अनुपस्थित हो जाय, व (स) कार्य छोड़ दे। अतः जब तक समय हानि के सबूत में निश्चित नीति का निर्धारण नहीं किया जायेगा तब तक अनुपस्थितता की दर का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस सदर्भ में शाही आयोग वे शब्दों को उद्देश करना उचित होगा—“अनुपस्थित एक जटिल शब्द है जिसमें कितने ही कारणों से होने वाली अनुपस्थिति मन्मिलित है। सभवतः कुछ ऐसे प्रबन्धक हो जो पहले में ही यह बतला राकें कि कौन-से श्रमिक कार्य पर नहीं हैं, इसलिए नहीं हैं कि वे इधर-उधर टहलने गये हैं या बीमार हैं या छुट्टी पर गये हैं और फिर लौट आयेंगे। इसलिए वे श्रमिक भी जो छोड़ने के मन से नहीं गये, अनुपस्थित समझे जा सकते हैं।”

श्रमिकों की अनुपस्थितता की प्रतिशत दर का सही व विश्वसनीय माप करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जा सकता है—

अनुपस्थितता की दर = मानवीय छठो (पालियो) का नुकसान
संपूर्ण नियोजित अथवा अनुसूचित कार्य
के मानवीय घटे (पालिया)

अनुपस्थितता का माप करते समय कुछ अन्य ध्यान देने योग्य बातें इस प्रकार हैं—(1) यदि कोई श्रमिक कारखाने में योड़े समय के लिए उपस्थित होता है तो उसे अनुपस्थित श्रमिकों की श्रेणी में नहीं पिनना चाहिए। (2) हड्डाल या तालाबदी की

देश में श्रमिकों को अनुपस्थित नहीं समझना चाहिए क्योंकि हड्डताल आदि के आकड़े बलग से एकत्र किये जाते हैं। (3) एक ऐसा श्रमिक जो दिना सूचना दिये हुए नौकरी छोड़ देता है उसको निर्धारित कार्य से उस समय तक अनुपस्थित समझना चाहिए जब तक सक्रिय सूची से उसका नाम हटा नहीं दिया जाता। (4) एक ऐसा श्रमिक जो अपने सेवायोजक की बाज़ा से छुट्टी पर है, उसको न तो कार्य हेतु निर्धारित ही समझना चाहिए और न अनुपस्थित ही। (5) श्रमिक को कार्य के लिए अपेक्षित तब मानना चाहिए जब (अ) उसके लिए कार्य हो (ब) श्रमिक को यह ज्ञात हो कि वह श्रमिक कार्य पर नहीं आयगा। यदि व्यवसाय में मद्दी के कारण सेवायोजक के पास कार्य नहीं है और इस बात की सूचना दी जा चुकी है तो वे कार्य के लिए निर्धारित अवधि अनुपस्थित नहीं समझे जायेंगे किसी नियमित श्रमिक के चार दिन तक न आने की दशा में यदि सेवायोजक के द्वारा स्थानापन श्रमिक रख लिया जाता है तो सेवायोजक के दृष्टिकोण से भले ही अनुपस्थित न समझा जाय किंतु अर्थशास्त्र की दृष्टि से यह अनुपस्थित ही है क्योंकि स्थानापन श्रम शक्ति को ध्यान में नहीं रखा जा सकता।

भारत में अनुपस्थितता की सीमा

अन्य देशों के श्रमिकों की अपेक्षा भारतीय श्रमिक में अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति अधिक है, जिसके कारण भारतीय उद्योगों में अपेक्षाकृत अनुपस्थितता की दर भी ऊची हो जाती है। खेद का विषय है कि भारत में औद्योगिक अनुपस्थितता के विषय में विश्वसनीय आकड़े उपलब्ध नहीं हैं। महसूपूर्ण केन्द्रों के चुने हुए उद्योगों के आकड़े लेवर व्यूरो, कुछ राज्य सरकारों के खातों के मुख्य निरीक्षक के कार्यालय के द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं। उत्तर भारत का मिल-मालिक सब भी कानपुर के कुछ उद्योगों की अनुपस्थितता के आकड़े लेयार करता है। उन आकड़ों को छोड़कर कोयला खानों को एकत्र करना पड़ता है जो खनिज नियम के अतिरिक्त आती है। शेष अनुपस्थितता के आकड़े इन ऐच्छिक दिवरणियों द्वारा प्राप्त होते हैं जो सेवायोजक देते हैं।

इंडियन लेवर ईयर बुक, लेवर गजट व अन्य प्रकाशनों के अनुसार सन् 1980 में अनुपस्थितता प्रतिशत विभिन्न उद्योगों में इस प्रकार थे—

सारणी—1

उद्योग ने नद्र	अनुपस्थितता प्रतिशत
1 बागान (मंसूर)	22.9
2 कोयला खाने (समस्त भारत)	13.0
3 साने की याने (मंसूर)	15.4

४५८

सूती वस्त्र मिल—

बम्बई	19.0
अहमदाबाद	15.0
मुंबई	16.3
कानपुर	16.7

5 ऊनी मिल—

कानपुर	12.6
घारीबाल	14.4

6 इज़ोनियरिंग उद्योग—

बम्बई	16.7
पश्चिमी बंगाल	16.7
मेसूर	17.2

अनुपस्थितता के कारण 
(Causes of Absenteeism)

यद्यपि भारत के विभिन्न उद्योगों में अनुपस्थितता के कारण अलग-अलग हैं किन्तु कुछ सामान्य कारण जो लगभग सभी उद्योगों व औद्योगिक केन्द्रों में विद्यमान हैं, निम्नलिखित हैं—

1 गाव से सबध भारतवर्ष में कारखानों में कार्य करने वाले अधिकतर अधिक समीपवर्ती गावों से आते हैं और काम करने के बावजूद भी उनके घरों के साथ सबध इस स्तर के बने रहते हैं कि उन्हें अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व निभाने के लिए गावों में पुन जाना पड़ता है। गावों में होता है उनका परिवार, सेती-बाढ़ी मित्र व दूध इत्यादि। इस सबका अकार्यण ही उन्हें गांव लौटने के लिए विवश करता है। इसके अतिरिक्त काम करने की यकान व अस्तोपजनक दशाए, भिन्न जलवायु तथा खाने-नीने का उचित प्रबन्ध न होना इत्यादि घटक भी इस अभिलाधा को और भी बढ़ाव देते हैं।

 बम्बई में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार 47% मजदूर वर्ष में एक बार गाव जाते हैं, 38% दो बार और 6% तीन बार गाव जाते हैं।

2 काम की प्रकृति: कारखानों में अधिकांश अधिक प्रामीण धोष से आते हैं। गाव का प्राकृतिक वातावरण उन्हें शहरों में नहीं मिल पाता है फिर कार्य की प्रकृति व कार्य की दशाए अत्यन्त सोचनीय होती है। लगातार भशीनों पर धटो कार्य करने के कारण उनका जीवन भी अत्यवृत् हो जाता है। अधिक एक विचित्र पक्षावट का अनुभव करने लगता है जो कई दिनों तक एक ही प्रकार की दिनचर्या में असचि में बदल जाती है। साथ ही जैसे-जैसे श्रम-विभाजन वा विस्तार होता है वैसे-वैसे उत्पादन,

प्रक्रियाए कम हचिपूर्ण होती चली जाती है। श्रो० विलियम्स ने इम सबध मे लिखा है “अनुपस्थिति इस कारण होती है कि श्रमिको को एक अपरिचित उद्योग मे नये प्रकार से काम करने के समय समायोजन की कठिनाई होती है।” प्रो० विलियम्स ने आगे लिखा है “अनुपस्थिति की प्रकृति उन श्रमिको मे सबसे अधिक देखने के मिलती है जिन्हे फैक्टरी अनुशासन की आदत नही है।”

3 सोमान्य व औद्योगिक बीमारी अधिकाश स्थानो पर बीमारी ही अनु-पस्थितता का मुख्य कारण है [लेवर ब्यूरो द्वारा प्रकाशित थको से स्पष्ट है कि भारत मे लगभग 4% अनुपस्थित बीमारी की वजह से थी] बतर्टोटीय सामाजिक सुरक्षा सधे के अनुसार बीमारी के कारण अन्य देशो मे अनुपस्थितता की दर इस प्रकार है—

कनाडा	11	संयुक्त राज्य अमेरिका	19
इटली	26	बेल्जियम	32

वराव और अपर्याप्त भोजन, दोषपूर्ण गृह व्यवस्था, गदगी, काम करने की सोचनीय दशाए गरीब श्रमिको को अनेक महामारियो, जैसे—पलेरिया, हैजा, पेचिस, चेचक आदि का सरलता से शिकार बना देती है। न केवल श्रमिक की अपनी बीमारी ही अनुपस्थिति का कारण बाती है बल्कि उसके परिवार मे किसी भी सदस्य के अस्वस्थ हो जाने पर वह अनुपस्थित हो ही जाता है क्योंकि इससे मन चिन्तित तो रहता ही है, कभी कभी डाक्टर के पास जाने, दवाई लेकर लौटने में भी विलब हो जाता है। इन बातो को छान मे रखकर कुछ उद्योगो ने अपने यहाँ उचित चिकित्सा की व्यवस्था की है [लेकिन फिर भी बहुत-से श्रमिक बीमारी का झूठा बहाना करके भी अनु-पस्थित होते पाये गए हैं।

4 दुरी आवास व्यवस्था बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्रो मे जनसम्या की अधिकता के कारण आवास की समस्या काफी गभीर है। मकानो के किराये बड़े ऊचे हैं जिनको एक निर्धन श्रमिक सहन नही कर पाता। उचित आवास सबकी मुविधाए उपलब्ध न होने के कारण श्रमिक परिवार को गाव मे ही छोड़ जाता है। परिवार के गाव मे होने के कारण वह समय-समय पर अपने बच्चो से गाव मे मिलने जाता रहता है जिससे उसे काम से अनुपस्थित रहन्य पड़ता है। एक अनुमान के बाधार पर केवल मकान की अच्छी व्यवस्था करने से अनुपस्थितता की दर 4% घटाई जा सकती है।

5 दुर्घटनाए उचित आवास सबधो मुविधाए उपलब्ध न होने के कारण श्रमिक अपने परिवारो के सदस्यो से दूर शहर मे एकाकी जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हो जाता है और इसके फलस्वरूप वह शराब, जुआ व वेश्यावृत्ति जैसे दुर्घटनो का योकार होता है। रात्रि जागरण चाहे वह जुए मे हो या भदिरापान मे या वेश्यावृत्ति मे, अगले दिन बात मे बाधा पहुचाता है। यह देखा गया है कि वेतन के दिन उपस्थिति सबसे अधिक होती है और उसके अगले दिन सबसे कम।

6 दुर्घटनाए : भारत मे कारबानो के बदं बायं करने के स्थान पर सुरक्षा का उचित प्रबध नही रखा गया है। योडे स्थान में सेंकड़ो व्यक्ति कार्य करते हैं। मशीनें भी पुराने प्रकार की हैं। इस कारण अधिक दुर्घटनाए होती हैं। दुर्घटनाग्रस्त

होने पर श्रमिक अनुपस्थित होने पर बाध्य हो जाता है।

7 जलवायु परिवर्तन भारत में जलवायु के कारण भी श्रमिकों को कठिनाई होती है। यहा अप्रैल से जून के 3 महीनों में भीषण गर्मी रहती है। ऐसी अधिक गर्मी में कारखानों के भीतर कार्य करना व गदी श्रम बस्तियों में रहना श्रमिकों के लिए कठिन हो जाता है। फलस्वरूप इन दिनों प्राय श्रमिक गाव चले जाते हैं।

8 सामाजिक अथवा धार्मिक सस्कार भारतवर्ष पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के बावजूद आज भी परपराओं व स्कीर्णताओं स प्रस्त है। धार्मिक और सामाजिक आवश्यकताओं का अवशान श्रमिकों की अनुपस्थिति में भी महत्वपूर्ण है। विवाह, शादी, जन्म व मृत्यु आदि सामाजिक व धार्मिक अवसरों के समय श्रमिकों की अनुपस्थिति बढ़ जाती है।

9 महाजन से छुटकारा भारतीय श्रमिक का जीवन निर्धनता के कारण सदैव कृष्ण से दबा रहता है। पठान और महाजन उनसे कृष्ण का तकाजा करने के लिए कारखाने के दरवाजे तक आ जाते हैं। अत कभी-कभी इन लोगों की निर्देशता से बचने के लिए भी श्रमिक काम पर नहीं जाता।

10 जाँबर का अनुचित व्यवहार श्रमिकों का जाँबर द्वारा किये गए विभिन्न प्रकार के अत्याचार भी श्रमिकों को कार्य पर जाने के लिए हतोत्साहित कर देते हैं जिससे श्रमिक कुछ दिनों में लिए अनुपस्थित रहते हैं।

11 आराम लगातार एक ही प्रकार का कार्य करता हुआ श्रमिक अपने जीवन में एकरसता का अनुभव करने लगता है और इस कष्टदायक एकरसता स मुक्ति पाने के लिए जान बूझकर कार्य पर नहीं आता।

12 मानसिक असतुलन मानसिक असतुलन और अनुपस्थिति में भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। परतु इस तथ्य की हमारे देश में उपेक्षा की गई है। थोड़ा तुर्गानन्द सिन्हा ने अपने अध्ययन में यह पाया है कि 'अधिक अनुपस्थित रहने वाले श्रमिकों के समूह में बहुत-से व्यक्ति मानसिक तनाव से भी पीड़ित थे। यह असतुलन जन्मजात भी हो सकता है। इस प्रकार के व्यक्ति न केवल काय में, बल्कि परिवार व समाज में भी अपने को अच्छी प्रकार नहीं मिला सकते। अनुपस्थिति इसका ही एक परिणाम है।'

13 अन्य कारण, कार्य पर न थाने के अनेक अन्य कारण भी हो सकते हैं जैसे—(अ) पारिवारिक बलह, (ब) रात्रि पालियो भ काय करना, (स) यातायात की हड्डताल व न मिलना (द) कट्टोल जोन की समस्या, (य) बच्चों को स्कूल में भर्ती करना, व (र) मुकदमे की तारीख का होना।

भारत के कुछ निर्माण उद्योगों में अनुपस्थितता के कारण सबधी प्रतिशत सारणी न० 1 में दर्शाये गये हैं। (सारणी न० 2 अगले पृष्ठ पर देखिये)।

सारणी न० 2 के अको से स्पष्ट है कि श्रमिकों वी अनुपस्थितता के अनेक कारण हैं परतु इन सब कारणों में वीमारी, दुर्घटना व सामाजिक तथा धार्मिक उत्सव आदि अधिक महत्वपूर्ण हैं।

सारणी—2 अनुपस्थितता के कारण

उद्योग	बीमारी दुर्घटना	सामाजिक धार्मिक	अन्य	वेतन सहित	वेतन रहित	कुल
लोह व इस्पात						
(बिहार)	29	0 6	8 8	8 1	4 2	12 3
आईनेन्स						
(उ० प्र०)	66	1 9	3 9	8 7	3 7	12 4
सीमेंट						
(बिहार)	28	4 1	4 7	8 5	3 1	11 6
दियासलाई						
(महाराष्ट्र)	27	0 6	7 9	5 4	5 8	11 2
मूती बस्त्र						
(मद्रास)	4 8	1 7	4 7	3 8	6 4	10 2
(मदुराई)	3 5	2 9	7 2	3 1	10 5	13 6
ऊनी मिल						
(घारीबाल)	3 9	2 0	6 1	6 1	7 6	12 0

अनुपस्थितता के दुष्परिणाम

थ्रम जात्र समिति ने अनुपस्थितता से होने वाली हानियों का विवरण देते हुए लिखा है। अनुपस्थितता से दोनों ही पक्षों को हानि होती है। श्रमिक की जहा आय घरती है उत्पादक अनुशासनहीनता व अनियमितता के बारण हानि उठाता है। अनुपस्थितता के दुष्परिणामों को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर वर्णते हैं—

I) श्रमिकों के लिए हानि उद्योगों में प्राय सामान्य नियम यह होता है कि मजदूरी केवल उन्हीं श्रमिकों को दी जाती है जो काय पर आते हैं। इसलिए अनुपस्थिति काल में श्रमिकों की आय समाप्त हो जाती है, उसक स्वास्थ्य एवं भोजन का स्तर पहले से ही गिरा हुआ होता है। अत आय कम होने स स्वास्थ्य ऐसे क्य गद व्यय में और कमी आ जाती है।

अधिक समय तक अनुपस्थित रहा पर उन श्रमिकों को केवल आय की ही हानि सहन नहीं करनी पड़ती, बल्कि कभी कभी रोजगार से भी हाय घोना पड़ता है। औ यो ० थो ० गिरि के शब्दों म लगातार और अवारण अनुपस्थिति से अभिप्राय रोजगार स वचिन हो जाना समझना चाहिये।”

अनुपस्थितता के कारण श्रमिक सूख औदोस्त भी कमजोर हो जाता है वयोंकि नियमित रूप स काम करने वाला और शहर मे रहने वाला मजदूर ही श्रमिक सूख क सपर्क म रह सकता है। बार बार गाव जाने स सपर्क टूट जाते हैं।

2 सेवायोजक को हानि: श्रमिकों की अनुपस्थितता से सेवायोजकों को और भी हानि होती है। सेवायोजक को निम्न दो प्रकार से हानि सहन करनी पड़ती है—

(अ) उत्पादन में कमी : अनुपस्थितता से उद्योग का कार्य अस्त व्यस्त हो जाता है और उससे उत्पादन घटता है। प्राय अनुपस्थित श्रमिकों के स्थान पर अन्य श्रमिक रखे जाते हैं जो अनुभवहीन होते हैं जिसका अतिम परिणाम कुल उत्पादन में कमी होना होता है। यह भी समझ है कि उद्योगपति को आवश्यकतानुसार अन्य श्रमिक न मिल सके तो ऐसी स्थिति में उद्योग में श्रमिकों की कम सूखा रह जाने से उद्योग के उत्पादन की कुल मात्रा में कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त अधिक समय तक अनुपस्थित रहने के कारण श्रमिक का कार्य करने का अभ्यास छूटता है और उसकी उत्पादकता घटती है।

(ब) अतिरिक्त श्रमिकों पर निर्भरता अनुपस्थितता की कमी दर के कारण सेवायोजकों को अतिरिक्त मजदूरों की पक्कित रखनी पड़ती है जिसमें से वे आवश्यकता पड़ने पर बदली मजदूरों को रख सकें। अतिरिक्त श्रमिकों अथवा श्रमिकों की द्वितीय पक्कित को बनाये रखने के लिए कभी-कभी सेवायोजक नियमित मजदूरों को अनिवार्य छुट्टी देने के लिए विवश करते हैं। इस प्रवृत्ति का श्रमिकों द्वारा विरोध होता है क्योंकि उन्हें इस बात की वास्तविकता होती है कि हड्डताल की परिस्थितियों में मुकाबला करने के लिए एक दूसरी रक्षा पक्कित तैयार की जा रही है।

3 अनुशासन में बाधा किसी भी कार्य को सुचाहर रूप से सचालित करने के लिए काम करने वालों एवं काम लेने वालों के बीच अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। यदि श्रमिक अपने कार्य से अनुपस्थित रहते हैं तो काम में अनुशासनहीनता आ जाती है जिसके फलस्वरूप सबधित उद्योग में प्रबल व उत्पादन में कठिनाइया उत्पन्न हो जाती है। औद्योगिक अनुशासनहीनता से सपूर्ण समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

4 सेवायोजकों और श्रमिकों के बीच सधर्य बढ़ना यदि श्रमिक अपने कार्य से अनुपस्थित रहते हैं तो सेवायोजक को काफी हानि सहनी पड़ती है। फलत श्रमिकों की बढ़ती अनुपस्थिति को देखकर सेवायोजक कठा व्यवहार करने लगते हैं। श्रमिक सेवायोजकों की इस नीति का घोर विरोध करते हैं जिसके कारण दोनों वर्गों के बीच सधर्य बढ़ना है और सबध विगड़ने लगता है।

अनुपस्थितता को रोकने के उपाय

उद्योगों में श्रमिकों की अनुपस्थिति की समस्या सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का मिला जुला परिणाम है। श्री टी० एल० ए० शाचार्य लिखते हैं: 'उद्योगों में बीम से अनुपस्थितता इस बात की दौतक है कि समाज में बहुत अधिक बुराइया आ गई है।'¹ अत अनुपस्थितता की समस्या का समाधान आर्थिक दृष्टिकोण से इतना

¹ TLA Acharya Do not punish the Absentee but Recreat Society Planning for Labour.

महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मामाजिक दृष्टिकोण से अनुपास्थितता को प्रवृत्ति को रोकने के विषय पर समय-समय पर नियुक्ति की गई अम जाव समितियों ने विचार किया है। अनुपस्थितता को यद्यपि बिन्कूल समाप्त नहीं किया जा सकता परन्तु काफी मात्रा में कम किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित मुझाव दिये जा सकते हैं—

1. अम कल्याण अनुपस्थितता को कम करने के लिए लेन-कूद, मनोरजन, पुस्तकालय इत्यादि के द्वारा श्रमिकों को स्वस्थ और प्रसन्न रखा जा सकता है जिससे वे कार्य के भार को कम अनुभव करें।

2. उचित आवास व्यवस्था : एक अनुमान वे अनुसार अनुपस्थितता में लगभग 4% की कमी केवल उचित आवास व्यवस्था के द्वारा लाई जा सकती है।

3. उचित पारितोषण / श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दी जानी चाहिए जिससे उनको ऋण लेने की आवश्यकता न रहे। श्रमिकों की आय में बढ़ि होने से उनकी कारखाने में कार्य करने की अभिरुचि बढ़ेगी जिससे परिणामस्वरूप अनुपस्थितता की दर में स्वाभाविक रूप से कमी जा जायगी।

4. कार्य की परिस्थितियों में उचित परिवर्तन . कारखाने की कार्य की परिस्थितियों में सुधार किया जाना चाहिए जिससे श्रमिक को कार्य की थकान कम अनुभव हो। जिस स्थान पर श्रमिक कार्य करता है वहां सफाई, रोशनी, वायु आदि का उचित प्रबंध होना चाहिए।

5. छुट्टी की उचित व्यवस्था कार्य करने की अद्योग्यता के समय श्रमिक के लिए छुट्टी की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए और उसे विश्राम पाने की सुविधा दी जानी चाहिए।

6. अन्य सुभाव (अ) औद्योगिक दुर्घटनाओं और बीमारी से श्रमिक वर्ग की रक्षा की जानी चाहिए। (ब) श्रमिकों को कुछ शिक्षा देकर भी उनको अपने उत्तरदायित्व को समझाकर अनुपस्थित न रहने की प्रवृत्ति बढ़ाई जा सकती है। (स) जौवर हारा होने वाले दुर्घटनाएँ से श्रमिकों की रक्षा की जानी चाहिए। (इ) बद्दी अम जाव समिति¹ के अनुसार अनुपस्थितता को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाये जा सकते हैं। (क) कारखानों ने काम करने की दशाएँ सुधारी जायें। (ख) श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दी जाय। (ग) बीमारी एवं दुर्घटना से बचाव की व्यवस्था की जाय। (घ) आराम के लिए अवकाश लेने की सुविधा दी जाए।

श्रमिकों के हेर-फेर या परिवर्तन की समस्या

(Problem of Labour Turnover)

आशय . ३८ निश्चित समय के अदर एक उद्योग संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों के परिवर्तन की गति को अम परिवर्तन कहा जाता है। अन्य शब्दों में उद्योग की संस्था में काम करने वाले पुराने कर्मचारियों को काम छोड़कर चले जाने

और नये कर्मचारियों के काम करने के लिए उद्योग में प्रवेश करने की सीमा का माप ही श्रम परिवर्तन है। अब जाच समिति ने श्रम परिवर्तन की परिभाषा करते हुए लिखा है : “किसी निश्चित अवधि में किसी मिल में श्रमिकों की संख्या में होने वाले परिवर्तन की दर से श्रम परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह एक प्रकार से पुराने श्रमिकों के किसी उद्योग की सेवा त्यागने व नवीन श्रमिकों के भर्ती होने की मात्रा की माप है।”¹

किसी कारखाने में यिस दर पर कर्मचारी कार्य छोड़कर दूसरे कारखाने आदि में चले जाते हैं वह श्रम परिवर्तन की दर कहलाती है। उदाहरणार्थ, यदि एक कारखाने में 100 मजदूरों में से 10 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर 10 नये मजदूर रखने पड़ते हैं तो श्रम परिवर्तन की दर 10 होगी।

श्रम परिवर्तन और अनुपस्थितता में अंतर

श्रम परिवर्तन और अनुपस्थितता दोनों में अंतर है। अनुपस्थितता में श्रमिक कार्य पर नहीं आता, पर कार्य छोड़ता नहीं है जबकि श्रम परिवर्तन की दशा में किसी विशेष अवधि में पुराने श्रमिक कार्य छोड़कर चले जाते हैं और उनके स्थान पर नये श्रमिकों वी भर्ती कर ली जाती है। इस प्रकार श्रम परिवर्तन के दो पहले हैं—प्रथम, कार्य छोड़कर जाने वाले श्रमिकों का जनुपात और, द्वितीय, कार्य पर नियुक्त किये जाने वाले नये श्रमिकों का अनुपात।

श्रम परिवर्तन के कारण

भारत में श्रम परिवर्तन के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालने हुए श्रम जाच समिति ने कहा था कि “श्रमिक परिवर्तन अधिकतर दिये गये त्याग-पत्रों के द्वारा ही सम्भव होता है, नौकरी न अलग किये जाने के उदाहरण यद्यपि पाप्त होते हैं परन्तु कम मात्रा में।”

भारत में श्रम परिवर्तन की ऊची दर के लिए अनेक घटक उत्तरदायी हैं जो समय, परिवर्षिति, देश, व्यवसाय तथा कारखाने विशेष के मालिक व प्रबंधक के स्वभाव आदि पर निर्भर करते हैं, परन्तु उनमें से कुछ प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं—

1. प्राकृतिक कारण श्रम परिवर्तन में प्राकृतिक कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन वारणों के बतर्गत उन घटकों का समावेश किया जाता है जिनके परिणामस्वरूप श्रमिकों को अनिवार्य रूप से कार्य छोड़ना पड़ता है, जैसे श्रमिकों की मृत्यु, दुष्टनाओं के परिणामस्वरूप उनका काम करने के लिए अधोग्य हो जाना। आयु अधिक हो जाने पर भी कार्य करना बिठन हो जाता है।

2. श्रमिकों द्वारा त्याग-पत्र देना : जब श्रमिक कार्य छोड़कर चले जाते हैं अथवा त्याग-पत्र दे देते हैं, तब भी श्रम परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

1. Labour Investigation Committee, Main Report, p. 101.

श्रमिक प्राय निम्नलिखित बातों के कारण त्याग पत्र देते हैं (अ) उचित मजदूरी न मिलने की दशा में (ब) वीमारी की परिस्थिति में (म) सम्प्याके अधिकारियों व प्रबघकों के दुर्घटनाएँ (द) नाम करने का वातावरण खराब होने की दशा में (ग) आवास की असुविधाओं के कारण, (र) पहले की अपेक्षा मजदूरी घट जाने की दशा में (ल) आकस्मिक अवकाश न मिलने की दशा म।

— 3 सेवायोजकों द्वारा नौकरी से अलग करना कभी कभी सेवायोजक नी मजदूरों को हटा देता है। इसके भी कई कारण हो सकते हैं—जैसे (i) मजदूरों की न शासनहीनता (ii) श्रमिकों द्वारा हड्डाल में सञ्चित भाग लेना (iii) श्रमिकों द्वारा कामचोरी करना (iv) विवेकीकरण (v) मदी के कारण उत्पादन पटाना (vi) पुजीकरण (vii) कच्चे माल आदि के न मिलने से श्रमिकों की कम माग होना आदि। कभी कभी जाँचर भी पुराने श्रमिकों को हटाकर नये लोगों की भरती करना चाहता है वयाक इसमें उसे कमीशन मिलता है।

4 बदली प्रणाली जब किसी औद्योगिक सम्प्यामें बदली प्रणाली प्रबलित होती है तो उदली श्रमिकों को काम देने के लिए सेवायोजक काम करने वाले पुराने कमचारी को बदकाश देने के लिए अलग कर देते हैं। इस प्रकार श्रम परिवर्तन की दर बढ़ जाती है।

5 विशेष काय की समाप्ति बृद्ध औद्योगिक सम्प्याओं का निर्माण विसी विशेष काय को करने के लिए किया जाता है। जब यह काय ममाप्त हो जाता है तो इम काय को करने वाले श्रमिकों दो भी काम संपथक कर दिया जाता है और जब पुन कोई काय दुरु किया जाता है तो निकाने यथे श्रमिकों को पुनर रख दिया जाता है। इस प्रकार श्रम परिवर्तन की दर ऊची हो जाती है।

6 श्रम पूर्ति का अधिकार भारत में बेरोजगारी की स्थिति बहुत गमीर है। श्रम पूर्ति का दहुत आधिकार है। फलत में सेवायोजक मनमानी करते हैं और पुराने श्रमिकों को निकालकर उनक स्थान पर स्थित न रखते हैं ताकि श्रम लागतों में कमी हो। इसमें भी श्रम परिवर्तन होता है।

7 अय कारण इसके विविध अनेकों अय कारण श्रम परिवर्तन में सहायक सिद्ध हुए हैं जैसे—(i) अय औद्योगिक इकाइयों में पदोन्नति की जागा। (ii) उचित मजदूरी न मिलना। (iii) अवकाश प्राप्त न होना। (iv) गाव जान की प्रवृत्ति। (v) संयुक्त परिवार प्रण लो। (vi) देश दिवेश के आर्थिक पुनर्गठा। (vii) आवास जी बिठाइया। (viii) धर्म जाति तथ भाषा का अन्तर।

श्रम परिवर्तन के कुप्रभाव

श्रम परिवर्तन के सबै भए श्रम निर्माण का मत था कि श्रमपरिवर्तन एक ऐसा अवरोध है जिसे हम मानवीय और भौतिक साधनों का पूष उपयोग न होने व लिए उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। सामायन श्रमपरिवर्तन से अप्रलिखित प्रभाव देखने को मिलते हैं—

1. श्रमिकों को हानि (अ) श्रम परिवर्तन के कारण श्रमिकों को विशेष सुविधाओं से बचित रहना पड़ता है। लगातार एक स्थान में कार्य करने से श्रमिकों को बुनस, छुट्टी, बेतन वृद्धि, आवास आदि अनेक सुविधायें प्राप्त हो जाती हैं। ये लाभ नई जगह जाने से तत्काल नहीं मिल जाते। (ब) बार-बार कार्य बदलने से श्रमिकों की कार्यक्षमता में कमी आ जाती है। (स) तथा कार्य प्राप्त करने में कठिनाई और व्यय हो सकता है। (द) उद्योग में भर्ती की जाँचर प्रणाली होने पर श्रम परिवर्तन की ऊची दर श्रमिकों को बार-बार रोजगार पाने के लिए जाँचर को धूस के रूप में धन देना पड़ता है। (ग) श्रम परिवर्तन की ऊची दर श्रमिकों के समठन में भी बाधक होती है क्योंकि ऐसी दशा में श्रम-समठन में कुशल और अनुभवी कार्यकर्ताओं की कमी बनी रहती है। (र) कुछ श्रमिकों के कार्य बदलने से शेष श्रमिकों पर अधिक कार्य का बोझ बढ़ता है, उनकी योग्यता में कमी होती है और उसमें अधिक अनुपस्थिति तथा श्रम परिवर्तन बढ़ता है।

2. सेवायोजकों को हानि (अ) श्रम परिवर्तन से उद्योग की उत्पादन-क्षमता कुप्रभावित होती है। कारण यह है कि पुराने श्रमिक हटने पर नये श्रमिक रखने पड़ते हैं जो उतना अच्छा उत्पादन नहीं कर पाते। फलत उत्पादन की मात्रा और गुण में कमी होती है। (ब) जब नये श्रमिकों को कार्य पर लगाया जाता है तो प्रशिक्षण व्ययों में वृद्धि हो जाती है क्योंकि नये कर्मचारियों को कुछ समय तक प्रशिक्षण देना आवश्यक होता है। अमेरिका में एक श्रमिक के हटने गे लगभग 200 डालर का खर्च पड़ता है। भारत में इस प्रकार का होने वाला व्यय भी कम नहीं होगा यद्यपि वह प्रशिक्षण आदि पर व्यय बहुत है। (स) नये श्रमिकों में दुर्घटनायें अधिक होती हैं तथा मशीनों को भी अधिक क्षति होती है जिनमें हानि सेवायोजकों को ही सहनी पड़ती है। (द) श्रमिकों के कार्य बदलने से मशीन और उसमें लगे हुए मजदूरों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता।

3. सगठनकर्ताओं को असुविधा श्रम परिवर्तन से सगठनकर्ताओं को भी वडी असुविधा होती है क्योंकि उन्हें काय मुचार रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने अधीन कार्य करने वालों का स्वभाव, अभिहृति व योग्यता आदि से भली-भाति परिचित हो। इन बातों की जातकारी में कुछ समय लगता है। अत नित्य नवीन श्रमिकों की भर्ती होने से सगठनकर्ताओं को कठिनाई का मामना करना पड़ता है।

श्रम परिवर्तन को कम करने के उपाय

श्रम परिवर्तन को कम करने का मदसे प्रभावोत्पादक ढग श्रमिकों की उन दशाओं में सुधार करना है जो इस स्थिति के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी हैं। इस दिशा में निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं—

1. भर्ती के तरीके में सुझाव जब तक श्रमिकों की भर्ती का कार्य रोजगार दफ्तर अथवा अन्य सम्पादक अपने हाथ में नहीं लैंगी तब तक श्रम परिवर्तन की दर में आशाजनक कमी नहीं की जा सकती क्योंकि मध्यहृष्ट अपने कार्यों की पूर्ति के लिए श्रम परिवर्तन को प्रोत्साहन देते हैं।

2 सुरक्षा चूंकि सामान्य परिस्थितियों में अकुशल श्रमिकों का की सख्त्या में) उपलब्ध रहते हैं इसीलिए सेवायोजक कम बेतन पर श्रमिकों को रोजगार प्रदान के प्रलोभन में पुराने श्रमिकों को अन्यायपूर्ण तरीके ने निकाल देते हैं। अत थ्रम परिवर्तन को कम बरने के लिए अन्यायपूर्ण तरीके से श्रमिकों को हटाये जाने पर नियन्त्रण लगाया जाना चाहिए।

3 श्रमिकों की आर्थिक दशा में सुधार व थ्रम कल्याण में वृद्धि-मजदूरा, योनस आदि आर्थिक लाभ में वृद्धि से थ्रम परिवर्तन तुरत घटता है। थ्रम-कल्याण में कार्य, जैसे आनास, शिक्षा, मनोरजन, निकिस्या आदि की व्यवस्था का भी श्रमिकों के मन और शरीर पर स्वस्थ प्रभाव पड़ता है तथा थ्रम परिवर्तन में कमी आती है।

4 कार्य की दशाओं में सुधार स्वस्थ हवा-पानी प्रकाश की व्यवस्था व शोर-गुल का नियन्त्रण भी थ्रम परिवर्तन में कमी लाता है।

5 प्रबन्धकों का अच्छा व्यवहार प्रबन्धकों के व्यवहार का भी थ्रम परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। जहा प्रबन्धकों का श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार रहता है वहा थ्रम परिवर्तन की समस्या कम रहती है।

6 सामाजिक सुरक्षा, पेंशन व प्राविडेंट फड़ की मुद्रिता थ्रम परिवर्तन को दर में कमी लाने के लिए यह आवश्यक है कि बीमारी वेरोजगारी व दुष्टना आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था हो तथा वृद्धावस्था के लिए प्राविडेंट फड़ व पेंशन आदि का आयोजन किया जाय।

7 सुदृढ़ थ्रम संगठन श्रमिक सघों को मजदूरत किया जाय जो श्रमिका और सेवायोजकों के बीच अधिकाधिक उत्तम सदृश्यों की म्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करें यद्योंकि श्रमिकों एव सेवायोजकों का जितना ही अधिक पारस्परिक सहयोग बढ़ाया थ्रम परिवर्तन की दर में उतनी ही कमी आयेगी।

8 कम कार्य के घटे, विश्राम व छुट्टिया इनसे भी थ्रम परिवर्तन में कमी आती है, क्योंकि इनके द्वारा ओद्योगिक यकान कम होती है व स्वास्थ्य परं बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।

बवई सूती मिल थ्रम जान समिति ने थ्रम परिवर्तन में कमों लाने वाल उपायों का वर्णन संझेप में इन शब्दों में किया है 'कार्य वी परिस्थितियों में सुधार, मजदूरी हस्तान्तरण पदोन्नति, छुट्टियों, शिक्षा और प्रशिक्षण के सदृश्य में प्रबन्धक वी उदारता पूर्ण नीति में, थ्रम-कल्याण के काय से वेरोजगारी और बीमारी के बीमा में पदान व प्रेक्षुटी में थ्रम परिवर्तन वर्तमान समय की अपेक्षा अधिक स्थिर होगा।

थ्रम परिवर्तन का माप

थ्रम परिवर्तन को उचित ढंग से मापना बहुत कठिन है। यही वारण है कि भारत में थ्रम परिवर्तन के विश्वसनीय आकड़े उपलब्ध हैं। बवई सूती मिल थ्रम जान समिति के अनुसार "यद्यपि भारतीय उद्योगों में थ्रमपरिवर्तन अत्यधिक मात्रा में पाया जाना है, परन्तु इसके माप व लिए कोई वैज्ञानिक या विश्वसनीय आकड़े उपलब्ध नहीं

है।" श्रम परिवर्तन के माप-सबध में जो कठिनाइया आती हैं वे सक्षेप में इस प्रकार हैं—

(अ) सस्था को छोड़कर जाने वाले और सस्था में आने वाले कर्मचारियों का कोई विवरण नहीं रखा जा ता जिससे श्रम परिवर्तन की गणना करना कठिन हो जाता है।

(ब) व्यापारिक तेजी व भद्री के समय कर्मचारियों की सख्ति अस्थिर हो जाती है।

(स) श्रम परिवर्तन मापने के लिए अनुपस्थितता और श्रम परिवर्तन के बीच अतर स्पष्ट नहीं हो पाता।

(द) बदली-श्रमिक श्रम परिवर्तन की गणना में बड़ी कठिनाई पैदा करते हैं क्योंकि स्थायी कर्मचारी न तो त्याग-पत्र देते हैं और न निकाले ही जाते हैं।

यदि किसी व्यवस्था में कार्य करने वाले श्रमिकों की सख्ति अपरिवर्तनशील रहती है तो श्रम परिवर्तन की गणना करना सरल हो जाता है क्योंकि एक निश्चित समय में कार्य को छोड़कर जाने वाले श्रमिकों की सख्ति और नये आने वाले श्रमिकों की सख्ति मालूम करके श्रम परिवर्तन की गणना की जा सकती है। परन्तु जब व्यापार में भद्री अथवा तेजी के कारण किसी संस्थान में कार्यरत श्रमिकों की स्थिति जल्दी-जल्दी बदलती रहती है तो श्रम अनुपात को आसानी से नहीं मालूम किया जा सकता।

माप का सूत्र

श्रम परिवर्तन की दर को मापने के लिए निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग किया जाता है—

$$1 \text{ श्रम परिवर्तन} = \frac{\text{किसी अवधि में सस्था से अलग हुए श्रमिकों की सख्ति}}{\text{काम करने वाले कुल श्रमिकों की सख्ति}}$$

2 अमेरिकी श्रम सांख्यिकी विभाग ने श्रम परिवर्तन मापने के लिए निम्नलिखित सूत्र की निर्माण किया है—

$$\text{श्रम परिवर्तन} = \text{अ} + \text{स} - \frac{\text{प}^1 + \text{प}^2}{2} \times \frac{365}{\text{म}}$$

अ=लगाव (accession), स=अलगाव (separation), प¹=महीने के प्रारंभ में काम पर लगे श्रमिकों की सख्ति, प²=महीने के अंत में काम पर लगे श्रमिकों की सख्ति म=महीने में काम में अनुपस्थित रहने वाले दिनों की सख्ति।

श्रम परिवर्तन की सीमा

शान्ति श्रम आयोग द्वा मत था कि अधिकांश कारखानों के अन्तर्गत 5% कर्मचारी प्रति मास नये रखे जाते हैं। श्रम जात्य समिति के अनुसार सूती वस्त्र उद्योग में श्रम परिवर्तन की दर लगभग 0.6, ऊनी वस्त्र उद्योग में 0.4 सोने की साधारणी में 1.6, सीमेंट उद्योग में 2.0, शीशा उद्योग में 2.1, चावलों के कारखानों में 3.1 थी।

एक अन्य अनुमान के अनुसार इंजीनियरिंग उद्योग में श्रम परिवर्तन का प्रतिशत

महाराष्ट्र तमिलनाडु व बगल में क्रमशः 31, 31 व 16 है। गुजरात और महाराष्ट्र की सूती वस्त भिन्नों ने नियमित आकड़े श्रम परिवर्तन के गवध में उपचाव्य हैं।

महाराष्ट्र राज्य में 2000 में अधिक थमिको वाले कारणों में श्रम परिवर्तन दर बहुत कम थी लेकिन गुजरात राज्य में 501 से लेकर 1000 थमिको तक के कारणों में श्रम परिवर्तन दर सबसे कम थी। इसमें कोई सदेह नहीं है कि श्रम परिवर्तन की प्रवणि भारत के नभी उद्योगों में देखने का मिलती है। विशेषकर नियमित उद्योगों में श्रमपरिवर्तन का विस्तार और अधिक है।

परीक्षा-प्रश्न

- 1 भारतीय उद्योगों में अनुपस्थिति और श्रम परिवर्तन की ऊची दर के कारणों की विवेचना कीजिए। देश में स्थित विशेष दशाओं में वे किस प्रकार से दूर की जा सकती हैं?
- 2 भारतीय उद्योगों में अनुपस्थिति और श्रम परिवर्तन की ऊची दर के इन कौन-से कारण हैं? वे किस प्रकार में दूर की जा सकती हैं?
- 3 श्रमपरिवर्तन के मापने में आने वाली कठिनाइयों का स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रभाव (Incidence) को कम करने के लिए सुवाव दीजिए।
- 4 भारतीय थमिको में ऊची अनुपस्थिति के कारणों का वर्णन कीजिए। वे अपने ग्राम के साथ निकट सबध बढ़ो बनाते हैं?
- 5 हमारे जीवोगिक केंद्रों में अनुपस्थिति के कारणों और उनके इलाज के लिए सुवाद दीजिए।
- 6 भारतीय उद्योगों में अनुपस्थिति की ऊची दर के कारणों का वर्णन कीजिए। इसे कम करने के लिए कुछ उचित प्रभावों का सुवाव दीजिए।
- 7 यद्यपि भारतीय उद्योगों में श्रम परिवर्तन की अत्यधिक ऊची दर पाई जाती है, किंतु श्रम परिवर्तन की सीमा का पता लगाने के लिए विश्वसनीय आकड़ उपलब्ध नहीं है। जब तक विश्वसनीय तथा पर्याप्त आकड़ फाइल नहीं किये जाते तब तक सावधानीपूवक उनका आन्तोचनात्मक विश्लेषण नहीं प्राप्त किया जाता तब तक श्रम परिवर्तन के प्रतिगत का कोई ~~अस्तित्व~~ महत्व नहीं है। इस कथन की आलोचना कीजिए।

आरामदायक व विनासिता सबधी उन आवश्यकताओं से हैं जिनको पूरा करने का उपभोक्ता आदी बन गया है। प्रो० एलो ने उत्त्युक्त ही लिखा है कि 'जीवन-स्तर का आधार आवश्यक और विलासिता सबधी उन आवश्यकताओं से है जिन्हें एक व्यक्ति दिवाह भाइ के मोके पर प्राप्तिकरता देता है।'

यहाँ यह अलेखनीय है कि किसी व्यक्ति या समाज का जीवन स्तर सदैव सापेक्षिक होता है। इसलिए इसका प्रयोग भी तुलनात्मक या सापेक्षिक रूप में ही किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, वह मदावाद के कारणानों में बाम करने वाले दो श्रमिकों के बीच उनके रहने महन के स्तर दो तुलना की जा सकती है अथवा बामपुर के चमड़ा श्रमिक के रहने सहन के स्तर की तुलना आगरे के चमड़ा श्रमिक के जीवन-स्तर से की जा सकती है अथवा भारतीय श्रमिकों के जीवन-स्तर की तुलना इंग्लैंड व अमेरिका के श्रमिकों से की जा सकती है।

जीवन स्तर दो प्रकार का होता है—ऊचा और नीचा। ऊचा जीवन स्तर वह है जिसमें मनुष्य अपनी अधिक न अधिक आवश्यकताओं की मतुरित करता है। इसके विपरीत, निम्न जीवन-स्तर वह है जिसमें मनुष्य अपनी मीमित आय में बहुत कम आवश्यकताओं की मतुरित करता है।

जीवन-स्तर के निणायिक तत्त्व

(Determinants of Standard of Living)

निसी भी व्यक्ति परिवार या समाज वे जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले बहुत से तत्त्व होते हैं जिनका अध्ययन हम निम्नलिखित शीषकों के अतंगत कर सकते हैं—

1 जौतिकी तत्त्व दश की भौगोलिक परिस्थितिया व जलवायु वहन सीमाना आवश्यकताओं को प्रभावित करती है तेंम एक छड़े स्थान के निवासी के लिए मदिरापान लड़े मउली व मास का प्रयोग तथा ऊनी वस्त्र धारण करना अनिवाय हो जाता है जबकि एक गरम स्थान के निवासी को इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके आधार पर भारत और इंग्लैंड का उदाहरण प्रत्यक्ष है। इंग्लैंड में अत्यधिक मर्दी होने के कारण यहाँ ऊनी वस्त्र धारण करना अनिवाय है परन्तु भारत एक गरम देश होने के कारण यहाँ वस्त्र व मदिरा पान की आवश्यकता इनकी नहीं है। यही कारण है कि इंग्लैंड के ऊनी वस्त्रागण का जीवन स्तर भारतीयों के जीवन स्तरकी अपेक्षा ऊचा है।

2 सामाजिक परिस्थितिया चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इसलिए उसकी आवश्यकताएँ तथा जीवन स्तर आमतिक प्रथाओं द्वारा ही प्रभावित होते हैं। उदाहरणार्थ, भारतीय समाज में अधिकांश जीवन की क्षमाई प्रियाह, दंडज व क्षणिक धान शोकत पर व्यय कर नीजानी व और दोग नीजन मूली रोगी व कर बना पर व्यतीत किया जाता है। गती परिस्थितिया में हम ऊन जीवन म्नग की आशा रखते हैं कि मकने हैं। इसी प्रकार, गाज के रहने वाले जिस सामाजिक आनावरण में शहरों के बातावरण से भिन दाना है। इसलिए उनका जीवन स्तर में

आता है।

3. समय-प्रभाव जीवन-स्तर का समय से भी अनिष्ट सबघ है और समयानुसार इसमें भी परिवर्तन होता चला जाता है। समय के परिवर्तन के अनुनार ही विज्ञान की प्रगति बढ़ती जा रही है और मशीनों की सहायता में नई-नई वस्तुएँ तैयार की जा रही हैं। उदाहरण के लिए, आज तरह-नरह की जीवनोपयोगी वस्तुएँ कम मूल्य पर जाता के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, जैसे विजली का पदा, रेडियो टेलीविजन इत्यादि। पहले इन्हें विलासिता की वस्तुएँ समझा जाता था लेकिन आज ये आराम व अनिवार्यता की वस्तुएँ मानी जाती हैं।

4. धार्मिक प्रवृत्तियाँ धार्मिक प्रवृत्तिया भी रहन-महन के स्तर को ऊचा बरने अथवा नीचे गिराने में उत्तरदायी सिद्ध होती है। उदाहरण के लिए, भारतीय धार्मिक प्रवृत्तिया हिंदुओं को शाकाहारी बनाने की प्रेरणा देती है व सादा जीवन उच्च विचार का पाठ पढ़ाती है। इसमें व्यक्ति की आवश्यकताओं में कमी आ जाती है और उनका जीवन-स्तर निम्न बना रहता है।

5. विदेशी सम्यता व संपर्क : इसका भी जीवन-स्तर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब कोई भारतीय इंग्लैण्ड के किसी नगर में एक-दो वर्ष रह जाता है तो वहां जाकर वह नपी-नयी वस्तुओं का उपयोग देखता है और स्वयं भी उनका उपयोग करने लगता है, जिससे उसका जीवन स्तर ऊचा हो जाता है। अर्थशास्त्र में इसे प्रदर्शन प्रभाव कहते हैं। “प्रदर्शन प्रभाव का बाश्य उपयोग प्रवृत्ति में उस वृद्धि से है जो बढ़िया उपयोग की वस्तुओं तथा उन्नत जीवन-स्तर से संपर्क बढ़ाने में फलित होती है।” परिवहन में सुधार के कारण अद्विकसित देशों में संपर्क सभव हो सका है। इस संपर्क के कारण अद्विकसित देशों के निवासी विकसित देशों के लोगों के रहन-सहन के तरीकों से परिचित हो जाते हैं। वे देखते हैं कि विकसित देश के निवासी तिनेमा, रेडियो, रेफिजरेटर, घड़िया, फर्नीचर और अन्य बहुत-सी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। इससे अद्विकसित देशों के व्यक्तियों में अतृप्ति लालसा उत्पन्न हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप उनकी आय में प्रत्येक वृद्धि इसी प्रकार की वस्तुओं (रेडियो, फर्नीचर, घड़िया आदि) के क्रय पर लचं कर दी जाती है। प्रो० नक्सन ने इस सब्द में लिखा है। “जब लोग बढ़िया वस्तुओं अथवा उन्नत उपयोग-कलाप, नई वस्तुओं अथवा पुरानी इच्छाओं की सतुर्धि की नयी विधियों के संपर्क में आते हैं तो कुछ समय बाद कुछ बेचींगी तथा असतुर्धि बनुभव करने लगते हैं, उनकी जानकारी बढ़ती है और उनकी कल्पना उत्तेजित होती है। नयी इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं और उपयोग प्रवृत्ति में वृद्धि होती है।”

6. आय का आकार : एक व्यक्ति की आय जितनी अधिक होती है वह उसनी ही अधिक संख्या में आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। यही कारण है कि साधा-रक्षतया एक धनी व्यक्ति का जीवन-स्तर एक निर्धन व्यक्ति के जीवन-स्तर की अपेक्षा अच्छा होता है।

7. व्यवहार की रीति : व्यवहार की रीति का भी जीवन-स्तर पर बहुत

प्रभाव पड़ता है। अधिक आय होने पर भी यदि कोई व्यक्ति शराब या अन्य वस्तुओं पर फिजूल सर्व व रता है तो उसका जीवन-स्तर ऊचा नहीं हो सकता।

8 यातायात के साधनों का प्रभाव जैमे-जैमे यातायात के साधनों का विकास हो रहा है, जनता का बाहरी सपर्क बढ़ता जा रहा है, और उनके प्रभाव में जीवन-स्तर में सुधार होता जा रहा है। उदाहरण के लिए, शहरों और गांवों के मध्य सपर्क बैझ जाने से ग्रामवासियों के जीवन-स्तर में पर्याप्त उन्नति हुई है।

9 शिक्षा एवं बौद्धिक विकास शिक्षा की प्राप्ति से व्यक्ति के ज्ञान में बढ़िये होने के कारण हप्ती हनि और आवश्यकतायें परिवर्तित हो जाती हैं और उनके प्रभाव के फलस्वरूप रहन-सहन के स्तर में भी परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए, जब विद्यार्थी गाव के स्कूल में पढ़ता है तो उसे अधिक साफ तथा लोहा किए हुए वस्त्रों या सूट की आवश्यकता नहीं पड़ती, परन्तु वहीं विद्यार्थी जब उच्च निक्षा प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय में प्रवेश करता है तो उसके लिए साफ तथा लोहा किए हुए वस्त्र या सूट पहनना आवश्यक प्रतीत होता है।

10 व्यक्तिगत दृष्टिकोण किसी व्यक्ति के जीवन-स्तर पर उसके जीवन रावधी दृष्टिकोण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे गतीय और आघ्यातिमकता में विश्वास करने वाले व्यक्ति का जीवन स्तर अधिक ऊचा नहीं होता।

11 प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता जिस देश में प्राकृतिक साधनों, जैसे — मूदि, खनिज पदार्थ, गिरियाँ साधन, धन की प्रचुरता होती है वहां धन का उत्पादन भी अधिक होता है और ऐसे प्रकार जीवन-स्तर भी सामान्यत ऊचा होता है।

12 प्राकृतिक साधनों का दोहन केवल प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता में ही देश का जीवन-स्तर ऊँजा होना अनिवाय रूप से आवश्यक नहीं है। यदि ऐसे देश के निकासी खोजों का पर्याप्त दाहा (Exploitation) नहीं कर पाए हैं तो उनका जीवन-स्तर ऊचा नहीं होगा।

13 राष्ट्रीय आय का विभाजन यदि देश में राष्ट्रीय आय का विभाजन न्याय-पूर्ण और उचित है, तो साधारण लोगों का जीवन-स्तर ऊचा उठ जाता है। इसके विपरीत, यदि राष्ट्रीय आय का विभाजन दोयपूर्ण है तो कुछ लोगों का जीवन-स्तर भले ही ऊचा हो सकता है परन्तु सामान्य लोगों का स्तर नीचा हो रहेगा।

14 मुद्रा की क्षय शक्ति प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि मुद्रा की क्षय शक्ति अधिक हो, तभी जीवन-स्तर ऊचा हो सकता है। यदि किसी देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है लेकिन उसके साथ-ही-साथ क्षेत्र मूल्यों के कारण मुद्रा की क्षय-शक्ति कम हो जाती है तो देश का जीवन-स्तर ऊचा नहीं हो सकता।

15 देश में शाति व सुरक्षा जब तक देश में शाति व सुरक्षा की व्यवस्था न होगी, व्यक्ति का जीवन स्तर ऊचा नहीं हो सकता क्योंकि उपभोग की वस्तुओं की पूर्ति शातिपूर्ण समय में बढ़ाई जा सकती है। इसी प्रकार, यदि लोगों को सामाजिक सुरक्षा काफी मात्रा में प्राप्त है तो वे अपनी आय के एक बड़े अश को बचाने की वजाय खर्च करेंगे और उनका जीवन स्तर ऊचा होगा।

16. नीयन सुधार समझौते का प्रभाव : अजयल बहुत ग ऐस मगठनों का जन्म होता है जो अपने सदस्यों के जीवन-स्तर को ऊचा उठाने का निरतर प्रयास करते हैं। पश्चिमी देशों में थ्रिमिकों के लिए ऐसे अनेक सगठन कार्य कर रहे हैं। यद्यपि भारत में इनका अभाव है।

17. स्वास्थ्य का अभाव मनुष्य के स्वास्थ्य का भी उसके जीवन-स्तर पर प्रभाव पड़ता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की कार्य-क्षमता अस्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होती है। जिसके कारण वह अस्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा अधिक धन कमाने लगता है और अधिक मात्रा में बस्तुओं का उपभोग करने के योग्य हो जाता है। फलतः उसका जीवन स्तर अधिक ऊचा होता है।

उपरोक्त विवेचन ग यह स्पष्ट है कि मनुष्य के जीवन-स्तर को प्रभावित करने वाले अनेक घटक हैं। यदी कारण है, दि दो वर्किंगों या दो देशों के निवासियों का जीवन स्तर मामान्य नहीं होता।

भारतीय थ्रिमिको का जीवन-स्तर (Standard of Living of Indian Workers)

भारतीय थ्रिमिको का जीवन-स्तर विद्युत के अन्य देशों के थ्रिमिकों के जीवन स्तर से निम्न है। भारतीय थ्रिमिको के जीवन-स्तर का अनुमान निम्नलिखित कमीटियों के आधार पर लगाया जा सकता है—

1. आय किसी देश के थ्रिमिको की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर उसके जीवन-स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे औद्योगिक थ्रिमिको की औसत वार्षिक आय इतनी कम है कि वे अपनी समस्त अनिवार्यताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। ऐसी परिस्थिति में उनका जीवन-स्तर नीचा होना स्वाभाविक है। एक अनुमान के अनुसार हमारे अधिकांश थ्रिमिको की औसत वार्षिक आय 1,500 रु. से भी कम है। इतनी कम आय से आरम्भवक जीवन घटतीत करना सधिक नहीं है। परिणामत उनका जीवन-स्तर भी निम्न है।

2. आयु जीवन-स्तर की दूसरी कमीटी औसत आय है। यद्यपि भारत में औसत आयु बढ़ी है, फिर भी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। विभिन्न देशों की औसत आयु इस प्रकार है न्यूजीलैंड—पुरुष 69 व स्त्री 71, संयुक्त राज्य—पुरुष 65 व स्त्री 71, इंग्लैंड—पुरुष 66 व स्त्री 71 तथा भारत—पुरुष 40 व स्त्री 38। ऊचे जीवन स्तर के परिणामस्वरूप ही दीर्घ आयु प्राप्त होती है। चूंकि भारतवासियों का जीवन-स्तर चहरा है इसीलिए इनकी औसत आयु भी बहुत कम है।

3. कार्य-क्षमता कार्य-क्षमता के आधार पर भी अग्र भारतीय थ्रिमिको की तुलना विदेशी थ्रिमिको से की जाती है दो भारतीय थ्रिमिक कम कार्य-कुशल सिद्ध होते। सर अलेक्जेंडर मैंकरावाट का मत है कि विदेशी थ्रिमिक भारतीय थ्रिमिक की अपेक्षा $3\frac{1}{2}$ गुना अधिक कुशल हैं। अतः कार्य-कुशलता का कम होना भारतीय थ्रिमिकों के निम्न जीवन-स्तर का प्रभाव है।

4 आधारभूत बहुतुभ्रों की उपलब्धि : जीवन-स्तर का अनुमान उस उपभोग सामग्री के आधार पर भी लगाया जा सकता है जो एक देशवासी द्वारा उपलब्ध होनी है। भारतीय श्रमिकों की उपभोग सामग्री के सबूद में अतराष्ट्रीय श्रम धारालिय, वस्त्र उद्योग, श्रम जाव समिति डॉ० राधा कमल मुकर्जी तथा डॉ० अनवर इकबाल कुरैशी ने यहन अध्ययन किया है। इन लोगों वे अनुमानानुसार भारत में केवल 39% ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पेटभर भोजन प्राप्त होता है और ऐसे लोगों को आधा पेट भरकर ही जीवन अतीत बरना पड़ता है। जिन लोगों जो पेटभर भोजन मिलता है उनके सबूद में भी ऐसा कहा जाता है कि उनके भोजन में पौष्टिक पदार्थों का अश बहुत कम है। एक अन्य अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति औसतन केवल 7 और 8 दूध प्राप्त होता है जबकि इनमें से प्रति व्यक्ति को प्राप्त होने वाले दूध की मात्रा 39 और 8 है। भारत में खाईनानी भी प्रति व्यक्ति औसतन दैनिक उपलब्धि 16 और 8 तथा कपड़े की प्रति व्यक्ति वाष्पिक उपलब्धि 16 मीटर है। इसमें भी स्पष्ट होता है कि भारतवासियों का जीवन-स्तर अन्य देशों के निवासियों के जीवन-स्तर में राफ़ी निम्न है।

5 वज्रों का निष्कर्ष औद्योगिक श्रमिकों के पारिशारिक वज्रों के विकलेण में भी श्रमिकों के निम्न जीवन-स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। औद्योगिक श्रमिकों के पारिशारिक वज्रों के विकलेण में जो तथ्य सामने आए हैं वे इस प्रकार है—

(अ) श्रमिक अपनी आय का 60 से 70% भाग केवल भोजन पर व्यय करते हैं;

(ब) इसन व ग्रकाश पर वे 5 से 7% तक धन व्यय करते हैं।

(स) मकान के किराये पर 4 से 6% तक व्यय करते हैं।

(द) कपड़ों ग़ब जूतों पर व्यय विभिन्न स्थानों में 3 से 14% तक आता है।

इन तथ्यों से स्पष्ट है कि श्रमिकों की आय का समग्र संपूर्ण भाग अनियांत्रियों पर ही व्यय हो जाता है और इनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरजन पर व्यय के लिए कुछ नहीं दचता जिससे उनका जीवन-स्तर निम्न रहता है।

निम्न जीवन-स्तर के कारण

(Causes of Low Standard of Living)

भारतीय श्रमिकों के निम्न जीवन-स्तर के निए उन्नरदायी कारणों का हम निम्नलिखित तीन शीर्षकों के अतर्गत अध्ययन कर सकते हैं—(क) भौगोलिक, (ख) जातिय, (ग) वर्षिकान्तः।

I भौगोलिक कारण

जलवायु भारत की जलवायु गम्भीर है। इसलिए हमारे देश के व्यविनयों की आवश्यकताएँ भी सीमित हैं। यहा मनुष्य वात्यत साधारण जीवन अतीत करते हैं जिससे उनका जीवन-स्तर बहुत नीचा है।

II. अधिक कारण

1. कीमतों में निरतर वृद्धि भारतीय श्रमिकों के निम्न यीवन स्तर के लिए उत्तरदायी एक महत्वपूर्ण कारण कीमतों में निरतर वृद्धि है। जिस अनुपात में कीमतों में वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि नहीं हो रही है। फलत श्रमिकों का जीवन स्तर गिरता जा रहा है। लेवर ब्यूरो द्वारा अधिक भारतीय उपभोक्ता की कीमत सूचकांक की नयी शृखला (Series) का जो सर्वत्र व प्रकाशन किया जाता है उससे यह स्पष्ट होता है कि कीमतों में निरतर वृद्धि के कारण श्रमिकों के जीवन-स्तर में गिरावट थाई है।

2. कम मजदूरी भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है जिसके कारण भारतीय श्रमिक अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी कठिनाई से कर पाता है। दूध, दहन, चींफ और अदि वस्तुओं की वह कल्पना भी नहीं कर सकता। कम मात्रा में वस्तुओं का उपभोग करने से रुहन सहन के स्तर का नीचा होना स्वभाविक ही है।

3. अशिक्षा, छंडिवादिता व अज्ञानता अधिकांश भारतीय श्रमिक अशिक्षित हैं। देश में केवल 22% व्यक्ति ही पढ़े-लिखे हैं और उनमें औद्योगिक श्रमिकों का भाग तो 2 या 3% ही है। अशिक्षित होने वे कारण भारतीय श्रमिकों का मानसिक विकास नहीं हो पाया है और उनमें अपने जीवन स्तर को ऊचा उठाने की भावना का सर्वथा अभाव है। वे अपनी वर्तमान स्थिति से ही सतुष्ट हैं। अशिक्षा के कारण ही भारतीय श्रमिक छंडिग्रस्त हैं और परपरा से चले आये रीति रिवाज का स्वभाव से ही अनुकरण करते हैं। वे जन्म मृत्यु विवाह आदि अवसरों पर वर्षों की बचत को एक दिन में व्यय कर देते हैं जिससे उनका जीवन स्तर हमेशा निम्न ही बना रहता है।

4. अकुशलता भारतीय श्रमिक अन्य देशों के श्रमिकों की अपेक्षा कम कार्य-कुशल हैं जिसके कारण उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसकी मात्रा बहुत ही कम रहती है। कम उत्पादन कर सकने के कारण सेवायोजक उन्हे कम ही मजदूरी प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप उनका जीवन-स्तर नीचा रहता है।

III. व्यक्तिगत कारण

1. जन्मग्रस्तता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डालिंग का वर्थन है कि भारतीय श्रमिक जन्म में ही जन्म लेता है जन्म में ही उसका पालन पोषण होता है और बत में जन्म में ही उसकी मृत्यु होती है। विभिन्न अनुमानों के अनुसार प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में लगभग 7% श्रमिक परिवार जन्मग्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में आय का अधिकांश भाग जन्म तथा व्याज के मुग्यान में ही चला जाता है और श्रमिकों के पास जो बेप राशि बचती है उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। इससे वह कम मात्रा में वस्तुओं का उपभोग कर पाता है जिससे उसका जीवन स्तर गिर जाता है।

2. दुर्घटन महाराष्ट्र, बंगाल, उडीसा, उत्तर प्रदेश व विहार आदि राज्यों द्वारा की गई जान से यह पता लगता है कि श्रमिक अपनी आय का 10 त 15% भाग

मादक वस्तुओं के मेवन पर व्यय करते हैं। भारतीय श्रमिक आज धूम्रपान, मदिरा, अफीम व बेश्यावृत्ति के आदी बन गये हैं जिसके कारण उनकी आय का अधिकांश भाग दून्ही कियाज्ञे पर व्यय हो जाता है। परिणामस्वरूप उनका जीवन-स्तर गिर जाता है।

3. शारीरिक दुर्बलता। भारतीय श्रमिक अधिकतर अस्वस्थ रहते हैं और उनका शारीर दुर्बल होता है, जिसके कारण वे कठोर परिथम नहीं कर पाते और उनकी ओष्ठ कम रह जाती है। एक बार रोगी हो जाने पर वे अच्छी तरह अपनी इलाजी भी नहीं करा सकते। इससे उनकी कार्य-क्षमता गिरती है और उत्पादन में भी दूरी दूरी घटती है।

4. अतंतुलित एवं अपर्याप्त भोजन निधनता एवं अल्प वेतन के कारण भारतीय श्रमिकों का भोजन केवल असतुलित ही नहीं, बल्कि अपूर्योप्त भी है। वहूत दूरी अनिको को एक समय का भोजन भी भरपेट नहीं मिलता। इष्ट दूरी की अनिवार्य अविद्युक्तता ए पूरी नहीं हो पाती तो सामान्य स्वास्थ्य खराब होने लगता है, जेनके बीमारियां लग जाती हैं और कार्य-कुशलता कम हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप कम मजदूरी मिलती है और जीवन-स्तर नीचा हो जाता है।

5. जनस्वास्थ्य की अधिकता। भारत की जनस्वास्थ्य विस्फोट की अवस्था में है थर्यात्, यहा जनस्वास्थ्य में वृद्धि तीव्र गति से हो रहा है। परिणामतः हम अपनी राष्ट्रीय आय को अधिक व्यक्तियों में वाटना पड़ रहा है जिससे देशवासियों के जीवन-स्तर में कोई वृद्धि नहीं हो पा रही है।

6. धन का असमान वितरण भारत में राष्ट्रीय आम बावजूद वितरण बहुत असमान है। राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग धनी वर्ग के पास केंद्रित हो गया है और निधन वर्ग की आय कम रहने के कारण उनका जीवन-स्तर निम्न है।

जीवन-स्तर ऊचा करने के उपाय

(Measures to Raise the Standard of Living)

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय श्रमिकों का जीवन-स्तर बहुत ही निम्न है। इसलिए उसे ऊचा उठाने की आवश्यकता है। भारतीय श्रमिकों के जीवन-स्तर में वृद्धि करने के लिए निम्ननिमित उपाय प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

I. उचित मजदूरी की व्यवस्था : जब सक मजदूरों की आय में वृद्धि नहीं की जायेगी तब तक उचित जीवन की कल्पना नहाँ की जा मरती। उत्तर प्रदेश की श्रम जात्य समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक स्थान पर सबेत किया है : 'मजदूरी एक कीली के समान है जिसके इदं-गिदं श्रमिकों की अधिकांश समस्याएं चक्कर बाटती हैं। इस प्रकार जीवन-स्तर दी समस्या, श्रमिकों वा सामान्य आर्थिक कल्पाण उनकी सापेक्षिक कार्य-क्षमता, श्रम की लागत, सभी का इस समस्या से सबध है।' अत यदी ही राष्ट्रीय आय के साथ मजदूरी का समन्वय आवश्यक है। उन सभी उद्योगों में, जहाँ अभी तक न्यूनतम मजदूरी निश्चित नहीं की गई है सभी श्रमिकों के निए जीवन-निर्वाह-स्तर से कुछ अधिक स्तर न्यूनतम मजदूरी वा निश्चित किया जाना चाहिए। उन उद्योगों में, जहाँ न्यूनतम

मजदूरी पहल स ही निश्चित है थ्रिमिका की बढ़ती हृदय-त्पादकता के बनुहप मजदूरी भी वाती रहनी चाहिए। सधेंग म मजदूरी बढ़ती रहनी चाहिए जिससे कि राष्ट्रीय अर्थतत्र म जीवन धारण मन्त्री का नश्य प्राप्त किया जा सके।

2 थ्रिमिकों की आय कुशलता में वृद्धि थ्रिमिकों का शिक्षित दरके प्रशिक्षण देवर व स्नास्थ्य भुक्तानी मार्यों प्रदान दरके अधिक गायदाम बनाया जा सकता है। जब थ्रिमिक पहने का ० पक्षा ५४- आय बना हो जायेंगे तो उनकी उपादकता म वृद्धि होगी और उपादान भी मात्र गढ़ जायगी। इससे सदापोज्ज्वल भी स्वयं अपनी इच्छा म ही मजदूरी गढ़ा दग निगम थ्रिमिक अपने जीवन निर को ऊचा उठाने में समर्थ हो जायेंगे।

3 परिवार नियोजन गट्ठी हृदय जनसभा के बारण भी हमारे थ्रिमिकों का जीवन-स्तर निम्न गता हुआ है। जनसभा को कम करन का एक महत्वपूर्ण उपाय परिवार नियोजन है। परिवार नियोजन का अर्थ है परिवार जो समृद्ध रूप में सीमित रखना व बच्चा की उत्पन्नि म पर्याप्त कामला रखना। पिंडिती देशों म जनसङ्ख्या को कम बनाये रखने के लिए यह एक प्रमुख ढग है। परतु भ रत म अभी तक इस नियम की ओर पूरी तरह स ध्यान नहीं दिया गया है। अत हम ऐ दश के लिए आवश्यक है कि परिवार नियोजन का गणीय स्तर पर प्रचार किया जाय और सतति निरोध की एक ऐसी विधि निकाली जाय जो मृगम सुरक्षित व साध्य हो। जिसका साधारण जनता द्वारा उपयोग किया जा सके। गिक्षा म भी जनता म जागति उत्पन्न होती है और लोग छोट परिवार के महत्व को समझते हैं। अन छोट परिवार के महत्व को समझने के लिए यह आवश्यक है कि अनिवाय गिक्षा की व्यापक योजना बनाई जाय।

4 सामाजिक सुरक्षा व अम कल्याण थ्रिमिकों के जीवन स्तर को ऊचा उठाने के लिए थ्रिमिकों व तिए सामाजिक सुरक्षा के कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार के कार्यों एवं मुरिधाजा वा प्रत्यक्ष मवध थ्रिमिकों के स्वास्थ्य काय-क्षमता और जीवन स्तर से है। यह थ्रिमिकों की स्वाया आय व ऊणग्रस्तता की-समस्या का भी समाधान करगी।

5 शिक्षा का प्रसार थ्रिमिकों के जीवन-स्तर को ऊचा उठाने के लिए उन्हें शिक्षित करना होगा। थ्रिमिकों व सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण म शिक्षा के प्रसार द्वारा ही परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षा प्रसार म उनका मानसिक दृष्टिकोण न केवल विस्तृत होगा बल्कि वे अपनी जाय का विवरपूर्ण व्यय करना भी सीखेंगे।

थ्रिमिकों वो सतुरित वज्र वा लाभ भी महसूस कराना चाहिए। सम सीमात उपयोगिता नियम के जनुसार वज्र बनान और घन व्यय करन की आशा अविक्षित एवं अनभिज्ञ थ्रिमिकों स नहीं की जा सकती।

6 धन का समान वितरण भारत म अब तर धन वा असमान वितरण होता चला आ रहा है जिससे समाज धन व निधन तर्जों म पट गया है। यदि समाज मे धन का समान वितरण कर दिया जाय तो समाज म केवल एक ही वर्ग होगा और सभी व्यक्तियों का जीवन-स्तर एक समान ही उच्च होगा।

7 राष्ट्रीय वाय मे वृद्धि एक देश का जीवन स्तर ऊचा करने के लिए यह आवश्यक है कि उस देश मे उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का समुचित निकास किया जा। अधिक नियोजन द्वारा प्राकृतिक साधनों का समुचित विदेहन किया जा सकता। इसमे राष्ट्रीय वाय मे वृद्धि होगी जो इति व्यवित व्यवस्था मे वृद्धि करके जीवन स्तर को ऊचा कर देगी।

8 अन्य सुझाव : (अ) थमिकों का ऋणग्रन्तता से मुक्त करने के लिए आम कदम उठाय जाने चाहिए। (ब) सरकार थमिकों के हितों की रक्षा के लिए थम सुरक्षा की विभिन्न प्राजनात वनामर थमिकों को स्वस्य रख सकती है। (स) प्रधार एवं प्रमार द्वारा थमिकों को इस बात की शिक्षा दी जा सकती है कि वे अपनी वाय वा अधिक उपयोगी आवश्यकता नी पूर्ति के लिए व्यय करें। (द) औद्योगिक थमिकों को गृह समस्या से मुक्त करने के लिए विभिन्न कदम उठाय जाने चाहिए। (ग) थमेमध्ये तो मजदूरी मे वृद्धि जीवन स्तर बी लागत मे वृद्धि के अनुमार होनी चाहिए ताकि जीवन-स्तर को लात्क क निर्देशारु मे वृद्धि के परिणामस्वरूप उनर्ही मजदूरी पर दुष्परिणाम न पड़े। (र) छुट्ट्या त सवेतन अवकाश की व्यवस्था हानी चाहिए।

निष्कर्ष यदि उपरोक्त उपायों को व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाय तो भारतीय थमिकों के जीवन स्तर मे नि सदेह वृद्धि होगी। एक दश वे उन और समृद्ध-शाली होने की पहचान उच्च जीवन-स्तर ही हुआ करता है। भारतीय थमिक के निम्न जीवन-स्तर की समस्या वहत दिनों से सरकार व सम्मुख है। समय समय पर स्थापित समितियां ने भी इस सबव म अपने सुझाव दिये हैं। बानपुर थम जाच समिति न कहा था कि 'हमारी इच्छा है, हमारे थमिक उचित व आत्म-सम्मान वा जीवन व्यतीत करें। हम चाहते हैं कि उनके पास उचित व पर्याप्त घर हो तथा उन्ह उचित भोजन मिल। उनक बच्चों को जीवन की प्रत्येक मुविधा उपलब्ध हो तथा भली प्राप्त र स शिक्षित हो ताकि दश म काय-कुशल थम शक्ति का निर्माण हो सक।' डॉ. राधा कामन मुकर्जी के शब्दो म 'किसी भी उद्योग की सुदृढता एव सपनता उस उद्योग म वाम करने वाल वर्मचारियों की काय क्षमता एव उनके जीवन-स्तर पर निमर करती है। सामाजिक मुरशा द्वारा यह सपनता पर्याप्त सीमा तक प्राप्त की जा सकती है। औद्योगिक शानि और प्रमति बी नीव थमिक वर्म की काय कुशलता उन्नत जीवन-स्तर सामाजिक मुरक्षा तथा व्यवस्था जन-सामारण मे उचित वितरण पर ही आधारित होती है।'

थम की कार्य-कुशलता (Efficiency of Labour)

परिभाषा थम की कार्य कुशलता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है एक निश्चित अवधि और सामान्य परिस्थितियों मे एक थमिक द्वारा व्योगाहत अधिक या थेठ प्रयत्न थमिक वर्म की काय कुशलता उन्नत जीवन-स्तर सामाजिक की शक्ति, योग्यता तथा क्षमता को थम की कार्य-क्षमता कहते हैं।"

थ्रम दी कार्य-कुशलता सापेक्षिक पारणा है इसलिए इसवा प्रयोग हमेशा एक तुलनात्मक रूप मे किया जाता है। जब हम किसी थ्रमिक वी कार्य-कुशलता के बारे मे जानना चाहते हैं तब हम दो थ्रमिकों द्वारा नियत यमय मे किए गए कार्यों की तुलना बरके ही यह जान कर सकते हैं कि कौन-सा थ्रमिक अधिक कार्य-कुशल है। कार्य कुशलता के दो पक्ष होते हैं—(i) परिमाणात्मक (Quantitative) पक्ष और (ii) गुणात्मक (Qualitative) पक्ष। जब हम जात करना चाहते हैं कि दो थ्रमिकों मे कौन-सा थ्रमिक अधिक कार्य-कुशल है तो हम यह देखते हैं कि 'अन्य भातों के समान रहने पर' एक निश्चित समय मे कौन-सा थ्रमिक अधिक मात्रा (परिमाणात्मक पक्ष) अथवा अच्छी किस्म (गुणात्मक पक्ष) का उत्पादन करता है। इस प्रकार हम कठ सकते हैं कि थ्रमिक की कार्य-कुशलता से अभिप्राय थ्रमिक द्वारा अधिक मात्रा मे या उत्तम कार्य करने वाला अधिक मात्रा मे उत्तम कार्य करने की क्षमता या सामर्थ्य से है। स्पष्ट है कि थ्रमिक की कार्य-कुशलता की तुलना करते समय हमें तीन भातों का ध्यान रखना पड़ता है—

- (i) कार्य करने की दशाएं, सुविधाएं और समयावधि,
- (ii) कार्य का परिमाण, तथा
- (iii) कार्य की उत्तमता।

कार्य-कुशलता के निर्धारिक तत्त्व

थ्रम की कार्य-कुशलता को प्रभावित करने वाले अनेक तत्त्व हैं। इन तत्त्वों मे विभिन्नता वे कारण विभिन्न देशों के थ्रम की कार्य-कुशलता मे भी विभिन्नता पाई जाती है। पैसन न उनकी ओर मंकेत करते हुए कहा है— "थ्रम की कार्य-कुशलता आशिक रूप से मालिक पर और आगिक रूप से थ्रमिकों पर, आशिक रूप से भगठन पर और आशिक रूप से व्यक्तिगत प्रयत्न पर, कुछ भाव तक कार्य करने वे औजारों तथा यत्रों आदि पर और कुछ अब तक थ्रमिकों की अपनी दक्षता तथा परिव्रम पर निर्भर होती है।"

थ्रम वी कार्य-कुशलता को प्रभावित करने वाले तत्त्वों को हम-तीव्र भागों मे बाट मंकते हैं—

- (अ) थ्रमिक के व्यक्तिगत गुण,
- (ब) कार्य की दशाएं तथा अन्य सुविधाएं, और
- (स) अन्य परिस्थितिया।

I थ्रमिक के व्यक्तिगत गुण : थ्रम की कार्य-कुशलता पर मजदूरों ने जिन व्यक्तिगत गुणों का प्रभाव पड़ता है वे इस प्रकार हैं—

1. जातीय गुण : मजदूर की कार्य-क्षमता इस पर निर्भर होती है कि वह किस

जाति का है, व्योकि कुछ जातिया स्वभाव से ही दूसरी जातियों की अपेक्षा अधिक दक्ष होती है। जैसे—आर्य और मगोल जाति से सबधित मजदूर अप्रीको जाति से सबधित मजदूरों की अपेक्षा अधिक हृष्ट-पृष्ट होते हैं, फलत उनकी कार्यक्षमता भी अधिक होती है।

2 पैतृक गुण श्रमिक वृत्त मावा म अनन्ते पूर्वजों के गुण दाप प्राप्त करता है। मा-वाप के स्वस्थ, मेहनती और बुद्धिमान होने मे उनके बच्चों मे नि सदेह काय क्षमता अधिक होगी। भारतीय मजदूरों की कार्य कुशलता के कम होने का एक कारण यह भी है कि अधिकांश मजदूर ऐसे माता पिता की सताने हैं जो कि अनपढ़, लूटिक, दी व अध-विश्वासी होते हैं।

3 नैतिक गुण प्रो० मार्डल ने कहा है कि श्रमिकों की काय-कुशलता पर नैतिकता का भी प्रभाव पड़ता है। कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार श्रमिक चरित्रहीन तथा बेईमान श्रमिकों से अधिक आर्य कर सकते हैं।

4 आत्म-विश्वास आत्म विश्वास शारीरिक शांकित रा लोग होता है। इस-लिए जिस श्रमिक वो उपने आप मे विश्वास होता है वह अधिक वार्य कर सकता है।

5 श्रमिकों की सामान्य बुद्धि एक सामान्य बुद्धिसम्पन्न मजदूर की कार्य-कुशलता एक मूल मजदूर की काय कुशलता की अपेक्षा अधिक होती है, व्योकि जिस श्रमिक मे यह गुण होता है वह प्रत्येक काय को सोच-समझकर और विधित् करता है। यद्यपि सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है लेकिन किर भी उन शिक्षा तथा वातावरण द्वारा विस्तृत किया जा सकता है।

6 शिक्षा श्रमिकों की काय-कुशलता पर उनकी शिक्षा का बहुत ग्राहक प्रभाव पड़ता है। मजदूरों को निम्न दो प्रकार की शिक्षा भी जावेदपन्ना पड़ती है—

(i) सामान्य शिक्षा सामान्य शिक्षा से मजदूरों की सामान्य बाना न बार म जान विस्तृत होता है, उनका दृष्टिकोण व्यापक होता है और उनकी आहाशक्ति इड जाती है।

(ii) विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट शिक्षा न द्वारा मजदूरों को किमी विशेष व्यव-साय के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

शिक्षित तथा विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए मजदूरों की काय-कुशलता अशिक्षित तथा ग्राहक मजदूरों म अधिक होती है।

7 जीवन-स्तर जिन श्रमिकों का जीवन-स्तर ऊचा होता है, उनको पौष्टिक भोजन, पर्याप्त वस्त्र, रवारथ एवं सुविधाजनक मकान आदि उपलब्ध होने के कारण उनम बास करने की योग्यता उन मजदूरों से अधिक होती है जिनका जीवन स्तर निम्न पौष्टि का होता है तथा जिन्हे जीवनोन्योगी बन्नुए न्यूनतम मात्रा मे उपलब्ध होती है।

II. कार्य की दशाए तथा अन्य सुविधाए श्रमिक की कार्य-कुशलता पर प्रभाव दालने वाली कार्य सदृशी दशाए इस प्रकार है—

1. कार्य के चंदे कार्य करने का समय भी काय-कुशलता पर प्रभाव दाता है। यहाँ श्रमिकों की अविकल तब्दील कार्य करना पड़ता है वही तथातार कार्य करने की

वजह से श्रमिकों के बुगी तरह थक जाने के कारण उनकी काय कुशलता बहुत ही जाती है। लेकिन जहां काम करने के घटे कम होते हैं और काय के दौरान श्रमिकों को विश्वास नहीं दिया जाता है वहां वे यत्वान का अनुभव नहीं भरते और नित्य नवीन उत्तमा^३ साथ अपना काय संपाद करते हैं। फलत उनकी काय कुशलता बढ़ जाती है।

२ उचित पारिष्ठमिक जहां श्रमिकों को उनके काय उचित पुरस्कार दिया जाता है जहां श्रमिकों को ठीक समय पर मजदूरी मिल जाती है और जहां पर बोनस वेशन नथा लाभ निभाजन भवधी योनाए अपनायी जाती है वहां पर श्रमिक सतुष्ट होकर अधिक और अच्छा काय करते हैं इसीलिए वहां श्रमिक अधिक काय कुशल होते हैं। उचित पारिष्ठमिक के अभाव में जो परिणाम होता है वह इसरे विरोधी ही होता है।

३ काय की प्रकृति मनुष्य के मा मे कष्टकर व नीरस कायों का करने वी इच्छा नहीं है और मनोरजक तथा आसान कायों को करने की रुचि अधिक होती है। जो काय रुचिकर होते हैं उन्हें प्रकृति लवे समय तक बर भवता है इसन उभयी काय कुशलता बढ़ जाती है जैस डाक्टर प्रोफेसर संगीनज्ञ व अभिनेता का काय। इसके विपरीत खाना के मीठर काय करने में अथवा चमड़ों के कारखानों में काय बरन में श्रमिकों की अधिक रुचि नहीं होती और उनकी काय क्षमता स्वाभाविक रूप न कम हो जाती है।

४ काय फरने का स्थान तथा दशाएँ काय करने के स्थान तथा दशाओं का भी श्रमिकों की काय कुशलता पर प्रभाव पड़ता है—

(१) श्रमिक जिस स्थान पर काय बरता है वह स्वच्छ साफ सुधरा व नीर रहोना चाहिए। इसने मजदूर की काय करने की इच्छा बढ़ जाती है और उसकी काय कुशलता में बढ़ि होती है। अद्यकारपूर्ण गदे और ऐसे स्थान जहां पर मशीनों के चलन से धुआ का अनुभा होता है श्रमिकों की काय कुशलता पर बुरा प्रभाव डालते हैं क्योंकि ऐसा परिस्थिति में काय करने से नकी शारीरिक और मासिक शक्ति का धीरे धीरे हास हो जाता है।

(२) यदि कारखानों में ब्यतरनाव मशीनों में मजदूरों की गुरु क्षत रखने की सतीषजनन व्यवस्था ह तो इसका श्रमिकों की काय क्षमता पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

(३) जहां मानिक मजदूरों के साथ बच्चा ब्यवहार करना^४ इन मजदूरों का काम करने में ज्यादा मन लगता है और साथ ही उनकी काय क्षमता भी बढ़ होती है।

५ काय में स्वतंत्रता यदि श्रमिक वो नएना काय बरन में स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो वे उपति के य म बुछ गान्ध अनुभव बरते हैं और उनका बाम य रघिर मन लगा रहता है तथा उन दो काय क्षमता बढ़ जाती है। परन्तु विपरीत यदि उन्हें स्वतंत्रता नहीं होती और उनमें काय पर आवश्यक नियन्त्रण नया दिया जाता है तो वे सदा बाम बरत होन अथवा मालिक का समयन प्राप्त न होने की आशका से ढरन

रहते हैं और उनका काम म मन नहीं लगता। मूलत उनकी काय कुशलता कम हो जाती है।

6 भविष्य में उन्नति की आशा यदि वर्मिकों द्वारा इस बात का विश्वास हो जाता है कि अधिक श्रेष्ठ कार्य का करने पर उनकी पदान्नति हो जाएगी तो उन्हें स्फूर्ति तथा प्रणाल प्राप्त होगी और वे मन लग दर्ज है में काम करेंगे। इससे उनकी कार्य-कुशलता म अनिवार्य रूप में बढ़ दी जाएगी लेकिन जहाँ उनको भविष्य में किसी प्रकार की पदोन्नति की आशा नहीं रहती हो उनकी काम करने की इच्छा शिथिल हो जाती है जिससे फनस्त्रहप उनकी काय करने की क्षमता घट जाती है।

III अ-य परिस्थितिया 1 जलवायु देश या देश दी जलवायु श्रमिकों की कार्य-कुशलता को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती है। इस प्रभाव को हम तीन भाग म बाटकर व्यव्ययन कर मनते हैं—

(1) काम करने की इच्छा वर्जन गम या ऊर्जा जलवायु में मानव के निए मुचारू रूप से काम कर पाना बहुत होता है। वर्जन अधिक गर्भी म व्यक्ति आनंदी होता जाता है और उसकी काय करने की इच्छा समान जो जाती है तथा कठी सर्दी म अग छिप जाते हैं और काय करना मुश्किल हो जाता है गड़बड़ गोतोष्ण जलवायु म चूत अच्छी तरह काम करते हैं अन तिम देश की जल यु जीतोष्ण होती है तभा श्रमिकों को उपरोक्त परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता और उनकी कार्य कुशलता बढ़ती है।

(ii) काम करने की आवश्यकता जलवायु मनुष्य की वाम करने की आवश्यकता को भी निर्धारित करती है और नसकी राय कुशलता को प्रभावित करती है। जिन प्रदेशों में जलवायु अच्छी होती है और फसलों की उत्तमता होती है वहाँ नुस्खे वो अपनी आवश्यकताओं की सतुर्धि के लिए अधिक वाम नहीं करना पड़ता। फलत नहीं कार्य-कुशलता उत्तम स्तर की नहीं होती।

(iii) आवश्यकताओं की सह्या चूंकि गम जलवायु बाले दशों के लोगों की आवश्यकताएँ कम होती है इसलिए उनकी सतुर्धि के लिए भविष्य कड़े पर्याप्त जी आवश्यकता नहीं होती। योड़ ग भविष्य म ही उन्ह मनुष्ण किया जा सकता है और मनुष्य को योटा सा ही थम रन की आदत पड़ जाती है। फलत उमरी क य चलता निम्न स्तर की होती है।

2 सामाजिक दशाएँ थम की काय क्षमता को प्रभावित कर दाता म सामाजिक दशाएँ भी महत्वपूर्ण हैं। जहाँ पर जातीय परपराजा व जनगांव काय का चुनाव करना पड़ता है समुद्धि कुटुंब का लोग उठाना पड़ता है वहाँ यह सामाजिक वातावरण म रहने वाल श्रमिकों की काय कुशलता कम रहती है।

3 राजनीतिक परिस्थितियों थम जी वाय कुशलता पर र जीनिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है जैस—(क) एक परतव देश के श्रमिकों भी काय क्षमता बहुत कम रहती है नथानि उम नेतित युग वाय आप विश्वास रा अन र रहता है। (ख) जाति और सुरक्षा रा जातावरण रहने पर श्रमिक कार्य में अधिक सचित लगता है।

जिससे उसकी उत्तरादर्शता में वृद्धि होती है। (ग) राष्ट्र की सकटकालीन परिस्थितियों में धर्मिक पूर्ण मनोयोग से कार्य करने वाले हैं और उस समय उनकी कार्य-कुशलता बढ़ जाती है।

4 धार्मिक जीवन एवं सत्याएं धर्म का प्रभाव भी धर्मिक की कार्य-क्षमता पर पड़ता है, जैसे—(क) धर्म लोगों को अध्यात्मवादी बना देता है जिससे व्यक्ति भौतिक मुखों की विशेष चिंता नहीं करते फलत लागों को कार्य-कुशलता कम हो जाती है। (ख) धार्मिक अध-विद्वामों के कारण ही भाग्यवादी धर्मिक अपने दुष्प्रभाव जीवन को पूर्वजन्म वा अभिशाप मानते हैं और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाकर आय में वृद्धि करने के लिए प्रयत्नशील नहीं होते। परिणामस्वरूप उनकी कार्य-कुशलता निम्न स्तर पर ही स्थिर हो जाती है।

5 धर्मिक सघ मजदूर वी कार्य-कुशलता पर इस बात का भी प्रभाव पड़ता है कि धर्मिक सघ मणिठ है या नहीं। यदि मजदूर सघ समठित है तो वे धर्मिकों के मानसिक, नैतिक शारीरिक और अधिक स्तर को ऊचा रखने में सहायता होते हैं और निश्चय ही धर्मिक की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। यदि धर्मिक सघ समठित नहीं हैं और स्वार्थी नेताओं के हाथ म पड़ गये हैं तो कार्य-क्षमता में अवश्य ही कमी आएगी।

6 अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की हो सकती है: (i) विकसित, (ii) अर्द्धविकसित (iii) अविकसित। च कि विकसित अर्द्धव्यवस्था में मजदूरों का जीवन-स्तर ऊचा होता है इसलिए उनकी काय क्षमता अर्द्धविकसित व अविकसित अर्थव्यवस्था में ज्ञाम करने वाले मजदूरों की अपेक्षा अधिक होती है।

7 सरकारी नीति जिस देश में सरकार की नीतियोंगत नीति मजदूरों के हित की रक्षा करती है, वहा धर्मिकों की काय कुशलता अधिक होती है। धर्मिकों के हितों की रक्षा अम सबधी कानून बनाकर की जाती है। इसी प्रकार जहा सामाजिक मुरक्खा की पूर्ण व्यवस्था रहनी है वहा धर्मिक काम को पूरा भन लगाकर करते हैं और उनकी कार्य-कुशलता अधिक होती है।

8 प्रबधक की कार्य-कुशलता धर्मिकों की काय कुशलता पर प्रबधक की योग्यता का भी प्रभाव पड़ता है। प्रबधक तीन प्रकार से धर्मिकों वी कार्य-कुशलता को प्रभावित कर सकता है—

(i) धर्मिकों को उनकी योग्यतानुसार कार्य देकर,

(ii) धर्मिकों को उत्पन्नि के अन्य साधनों के साथ आदर्श अनुपात में लगाकर,

(iii) धर्मिकों के साथ अच्छा व्यवहार करके।

सक्षेप में, धर्मिकों की कार्य-कुशलता पर प्रभाव ढालने वाले तत्त्वों को पृष्ठ 65 पर चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

श्रम को कार्य-कुशलता को प्रभावित करने वाले तत्त्व

————— ————— —————		
(अ) श्रमिक के व्यक्ति-	(ब) कार्य की दशाएं तथा	(स) अन्य परिस्थितियां
गत गुण	अन्य सुविधाएं	(१) जलवायु
(१) जातीय गुण	(१) कार्य के घटे	(२) काम करने की इच्छा
(ii) पैंतीक गुण	(ii) उचित पारिश्रमिक	(३) काम करने की आवश्यकता
(iii) नैतिक गुण	(iii) कार्य की प्रकृति	(४) आवश्यकताओं की मस्त्या
(iv) आत्म-विश्वास	(iv) कार्य करने का स्थान तथा दशाएं	(५) सामाजिक दशाएं
(v) श्रमिकों की सामान्य बुद्धि	(क) स्थान की स्वच्छता	(vi) राजनीतिक परिस्थितिया
(vi) शिक्षा—	(ख) मशीनों से सतोष जनक सुरक्षा	(७) देश की स्वतंत्रता
(क) सामान्य शिक्षा	(ग) मालिक का व्यवहार	(८) शाति और सुरक्षा
(ख) विशिष्ट शिक्षा	(५) कार्य में स्वतंत्रता	(९) राष्ट्र की परिस्थितिया
(vii) जीवन-स्तर	(vi) भविष्य में उन्नति की आशा	(१०) धार्मिक जीवन एवं सस्थाएं
		(क) अध्यात्मवादिता
		(ख) अध-विश्वास, भाग्यवादी
		(व) श्रमिक संघ
		(vi) अर्थव्यवस्था वी प्रकृति
		(१) दिक्षित
		(२) अद्विक्षित
		(३) अविक्षित
		(४) सारकारी नीति
		(५) प्रवधक की कार्य-कुशलता
		(क) श्रमिकों को योग्यता नुसार कार्य
		(ख) अन्य साधन से आदर्श अनुपात
		(ग) द्युवहार

श्रमिक की कार्य-कुशलता से लाभ

श्रमिकों की कार्य-कुशलता में बूढ़ि हो जाने से समाज के विभिन्न दर्ग लाभान्वित होते हैं।

1. श्रमिक : इससे स्वयं मजदूरों को ही लाभ पहुँचता है क्योंकि उनकी उत्पादकता अधिक होने पर उन्हें ऊची मजदूरी तथा निरतर गणगार प्राप्त होते हैं।

2. उत्पादक : उत्पादक इससे लाभान्वित होते हैं क्योंकि जिन उत्पादकों के पास अधिक कार्य-कुशल श्रमिक होते हैं उनकी उत्पादन-सामग्र कम होती है।

3. राष्ट्र : कार्य-कुशल श्रमिक राष्ट्र लिए मूल्यवान निधि होते हैं, क्योंकि कुशल श्रम से उत्पादन की मात्रा बढ़ती है और इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में बढ़ि होती है।

4. उपभोक्ता : उपभोक्ता भी कुशल श्रमिक वे कारण स्वाभावित होता है। क्योंकि इससे उसे अच्छी किम्बा का माल सम्मेलन पर मिल जाता है।

भारतीय श्रमिकों की कार्य-कुशलता (Efficiency of Indian Workers)

परपरागत विचार पह है कि अन्य देशों की तुलना में भारतीय श्रमिक मामान्य रूप में अकुशल हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक वस्त्र मिल में भारत का श्रमिक 180 तकुओं को सभाल सकता है जबकि जापान का श्रमिक 240 तकुओं को, इंग्लैंड का 540 से 600 तकुओं को और अमेरिका का 1,120 तकुओं को उतने ही समय में सभाल सकता है। औद्योगिक आयोग के सम्मुख सर अलेक्जेंडर मंक रॉबर्ट (Sir Alexander Mac Robert) ने स्पष्ट कहा था कि एक अंग्रेज श्रमिक एक भारतीय श्रमिक वी अपेक्षा 35 गुना अधिक काम करने की क्षमता रखता है। श्री क्लीमेट सिम्पसन (Clement Simpson) के मनानुसार लकाशायर के सूती वस्त्र उद्योग का एक श्रमिक भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में काम करते वाले 267 श्रमिकों की कार्य-कुशलता के समान है। कोयला खान उद्योग में एक श्रमिक का औसत उत्पादन 260 टन है, जबकि क्रिटेन, जर्मनी व अमेरिका के आकड़े कमशा 629 टन, 899 टन तथा 2168 टन हैं। भारतीय श्रमिकों की उत्पादकता गत कुछ वर्षों में और भी कम ही गई है। योजना आयोग के मनानुसार जबकि श्रमिकों की संख्या में 58 प्रतिशत की वृद्धि वी गई, तो उत्पादन केवल 32 प्रतिशत बढ़ा और श्रमिक वा प्रति घटा उत्पादन 127 टन न गिरकर 100 टन रह गया।

क्या भारतीय श्रमिक वास्तव में अकुशल हैं ?

(Are Indian Labourers Really Inefficient ?)

उपरोक्त विवरण से यह धारणा दन जाना स्वाभाविक ही है कि भारतीय श्रमिक अकुशल हैं। यद्यपि यह सत्य है कि भारतीय श्रमिक इंग्लैंड या अमेरिका की तुलना में कम कार्य-कुशल हैं तथापि उन्हें मन एकरक्षीय है क्योंकि भारतीय श्रमिकों के कम उत्पादन का दायित्व केवल भारतीय श्रमिकों का ही नहीं है, इसके लिए वातावरण तथा प्रवध की अकुशलता भी आवश्यक रूप भ उत्तरदायी हैं। हमारे श्रमिकों में जन्मजात कोई दोष नहीं है। भरतराष्ट्रीय श्रम कार्यालय द्वारा की गई जांच तथा अमेरिका सर्विसिल की रिपोर्ट से यह धारणा असत्य सिद्ध होती है कि भारतीय श्रमि-

चास्तूव मे अकुशल हैं।

अम जाच समिति का कहना है : “उपलब्ध प्रकाशित प्रमाणों तथा उम सूचनाओं के आधार पर जिन्हें हम अपनी जाच के दौरान एकत्र कर सके हैं, हम इस लिखित पर पहुँचे हैं कि भारतीय थ्रिमिक की तथाकथिन कार्य-कुशलता बहुत सीमा तक मिट्ठा है। समान कार्य की दशाएँ, मजदूरी, कुशल प्रबंध तथा कारबाने के पदोन एवं अन्य उपकरण उपलब्ध होने पर भारतीय थ्रिमिक की कार्य-कुशलता अन्य देशों के थ्रिमिकों मे उम नहीं है। इतना ही नहीं, जहा यात्रिक उपकरण तथा प्रबंध-कुशलता का महत्व नहीं है, वहा कही-कही भारतीय थ्रिमिक विदेशों के थ्रिमिकों की विपक्षा अधिक कार्य-कुशल पाए गए हैं।”

इसी प्रकार के विचार भारतीय उद्योगों की प्राविधिक कार्य-कुशलता के सबध मे ग्रेडो मिशन्स रिपोर्ट (Grady Missions Report) मे भी प्रकट किए गए हैं। रिपोर्ट मे कहा गया है “भारतीय थ्रिमिक किसी भी उद्योग के लिए, जो किंदेश की परिस्थितियों के अनुकूल हो, उपयुक्त होते हैं। मैंने जप्पेन्डपुर मे ऐसे मजदूरों को देखा जो कुछ वर्ष पूर्व स्यात के जगलो मे निवास करते थे और जिनके पास कोई दैक्षिक योग्यता नहीं थी। अब वे इस्पात की लाल तपती हुई छड़ी के बीच काम कर रहे हैं और रेल की पट-रिया, नक्के तंगा नोहे के कोण उसी कार्य-कुशलता से बनाते हैं जो इनमे के थ्रिमिक मे पाई जाती है।”

सर थामस हालेंड व थ्रो सी० डब्लू० जैसे अनेक पाइवेजों का भी यही यत है कि भारतीय थ्रिमिसों को अनुशाल कहना बहुत बड़ी गलती होगी। इस प्रकार के प्रमाणों की कमी नहीं जिनमे यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है कि भारतीय थ्रिमिक कार्य-अनुशाल नहीं हैं। इसलिए हैरालड बटलर ने कहा है कि भारतीय थ्रिमिकों की कार्य-कुशलता विवादप्रस्त है। भारतीय थ्रिमिकों की कार्य-कुशलता के सबध मे निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं, जिनके आधार पर ही हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारतीय थ्रिमिक कार्य-कुशल हैं या नहीं—

(अ) थ्रम को औसत उत्पादकता और थग की स्वाभाविक कार्य-कुशलता अलग-अलग बन्नुए हैं। प्रति व्यक्ति अधिक या कम उत्पादन होने से यह सिद्ध नहीं होता कि थ्रम कार्य-कुशल या कार्य-अनुशाल है। अत दोनों मे अवर करना चाहिए।

(ब) उद्योगों मे उत्पादन के बत्त थ्रिमिकों के कारण नहीं होता बल्कि वह कच्चे माल की प्रकृति, यथा या उपकरणों के प्रकार, कार्य-दशाओं व जीविक सांगठन आदि पर भी निर्भर करता है। यदि उत्पादन कम है तो उसके लिए केवल भारतीय थ्रिमिकों को ही उत्तरदायी नहीं टहराया जा सकता।

(स) बहुधा भारतीय नी-विदेशी थ्रिमिकों की तुरना नशिलित थ्रिमिकों की तुलना होती है।

(द) नेको आधुनिक भारतीय उद्योग इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जिन उद्योगों मे विदेशी रेमी सुविधाएँ दी गई हैं वहा पर थ्रिमिकों की कार्य-कुशलता कम नहीं है। पिछले कुछ वर्षों मे अनेको उद्योगपतियों और विदेशी न भारतीय थ्रम की

कार्य-कुशलता की सराहना की है।

कुटीर उद्योगों में जहाँ प्रबन्ध और यन्त्र की कुशलता का महत्व नहीं है वहाँ भारतीय श्रमिकों ने चमत्कार दिखाया है।

(प) चूंकि भारत में श्रम सस्ता है और सयत्र महणे हैं इसलिए उद्योगपति अधिक श्रमिक आर्थिक कारणों से रखते हैं। इस कारण वे अधिक श्रमिक नहीं रखते कि श्रमिक घटिया हैं।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय श्रमिक केवल सामेजिक दृष्टि से भले ही अकुशल हो परतु व्यास्तव में बिल्कुल अक्षम नहीं हैं। भारतीय श्रमिकों की अन्य देशों से तुलना करते समय उपरोक्त अतरों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस सबव भे रेगे समिति के ये शब्द उल्लेखनीय हैं—“यदि यह देखा जाय कि इस देश में कार्य करने के घटे बहुत लघे हैं, अल्प विद्याम कम है, प्रशिक्षण और परीक्षार्थियों के लिए सुविधाएँ बहुत अल्प हैं, आहार का स्तर और कल्याण सबधी सुविधाओं का स्तर बहुत निम्न है तथा अन्य देशों की अपेक्षा भजदूरी भी बहुत कम है, तो श्रमिकों की तथाकथित कार्य-कुशलता का कारण यह नहीं हो सकता कि हमारे देश के नोगों की बुद्धिमत्ता में कुछ कमी है अथवा हमारे श्रमिकों में कार्य करने की रुचि नहीं है।”¹

भारतीय श्रमिकों की अकुशलता के कारण

(Causes of the Inefficiency of Indian Workers)

1 प्रतिकूल जलवायु भारत एक गर्म देश है। गर्मी के कारण यहाँ का श्रमिक अधिक परिश्रम नहीं कर पाता। वह थोड़ा-सा परिश्रम करने के बाद यक्कान अनुभव करने लगता है।

2 प्रवासी प्रवृत्ति: भारतीय औद्योगिक केंद्रों में अधिकादा श्रमिक गाड़ों में आते हैं और वे गाड़ों को पुनः लौटने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रवृत्ति वे कारण श्रमिक कहीं भी स्थायी रूप से रहकर कुछ भी ठीक से नहीं सीख पाता। प्रवासी स्वभाव के कारण सेवायोजक श्रमिकों को प्रशिक्षण देने पर भी अधिक व्यय करना पसंद नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि श्रमिक किसी भी समय कार्य छोड़कर जा सकता है।

3 निम्न स्वास्थ्य स्तर: अधिकादा श्रमिकों को सतुलिन भीजन नहीं मिल पाता, गदे मकानों में रहना पड़ता है न अस्वास्थ्यप्रद परिस्थितियों में काम करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप उनका स्वास्थ्य प्रायः खराब हो रहता है जिसमें कठोर परिश्रम करने के अयोग्य हो जाते हैं और उनकी कार्य क्षमता क्षीण होने लगती है।

4 अज्ञानता एवं अशिक्षा: सामान्यतः भारतीय श्रमिकों में शिक्षा का नितात अभाव है। अनिश्चित होने के कारण भारतीय श्रमिक रुद्धिवादी, अध-प्रिश्वामी और भाग्यवादी हैं। सामान्य गिराव के अतिरिक्त इस देश के लिए तकनीकी प्रणिक्षण प्राप्त करने की सुविधायें भी नहुन इम हैं। शिक्षा वे प्रभाव को माझांल ने व्यक्त करते हुए

लखा है 'कोई भी शिशु जो अधेरे मकान में पैदा हुआ हो, अधिकारित माद्वारा जिसका पालन पोषण हुआ हो, जो लाभकारी बाहरी प्रभाव के अभाव में युवा हुआ हो, वह कभी भी अच्छा श्रमिक और सम्मानित नागरिक नहीं बन सकता।'

5 अल्प मजदूरी भारतीय श्रमिकों को मजदूरी बहुत कम मिलती है और वे निर्धन हैं। निर्धनता के कारण उन्हें न तो भरपेट भोजन मिल पाता है और न वे शिक्षा और कुशलता की वृद्धि के लिए आवश्यक अन्य सुविधाओं का ही प्रबंध कर पाते हैं। फलत उनकी कार्य कुशलता कम रहती है।

6 कार्य करने की असतोषजनक दशा^ए औद्योगिक संस्थाओं में कार्य करने की दशा^ए भी अत्यत असतोषजनक है, जैसे समुचित प्रकाश एवं हवा का प्रबंध न होना, नहाने एवं विश्राम की सुविधाओं का अभाव, स्वच्छ पानी एवं पाखाना-वेशाव व्यवस्था इत्यादि का अभाव। इन सबका श्रमिकों की वार्य-क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

7 कार्य के दोष घटे भारतीय श्रमिकों को अपेक्षतया अधिक घटों तक कार्य करना पड़ता है। काम करने के घटों के फैलाव में अववाह की अवधि भी बहुत सीमित है। यद्यपि कारखाना अधिनियम के अतर्गत इस सदबंध में सुधार के कुछ प्रयत्न किये गए हैं लेकिन अभी भी बहुत-से उद्योगों में गरिस्थितिया असतोषजनक है।

8 आराम करने की मनोवृत्ति और अनुशासन की कमी भारतीय श्रमिकों की अकुशलता का एक महत्वपूर्ण कारण उसकी आराम करने की मनोवृत्ति एवं अनुशासन की कमी है। यदि श्रमिक अपनी जिम्मेदारी का अनुभव नहीं करता और स्वयं अपने हित तथा सेवायोजक के हित में समानता नहीं समझता है तथा काम को टालता है तो इस बात के बावजूद कि उसकी सामर्थ्य अधिक काय अधिक कुशल दण से करने की है, वह अकुशल बना रहता है। दुर्भाग्यवश भारतीय श्रमिकों की मनोवृत्ति स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद से बिगड़ती गई है। वे अपने अधिकारों के प्रति दो अधिक जागरूक हो गये हैं, परन्तु कस्तब्धों के प्रति सजग नहीं हैं। प्राय सेवायोजक श्रमिकों के कर्तव्य के उत्तरदायित्व एवं अनुशासन की भावना में दुखद हास के सदबंध में विस्तार करते हुए पाते हैं। महाराई भट्टा और बोनस आदि का उत्पादन के आधार पर न करके केवल हानिरी के आधार पर होने से पिछोने कुछ बर्पों में भारतीय श्रमिकों में अनुशासनहीनता के विचास को प्रोत्साहन मिला है।

9 वैज्ञानिक प्रबंध का अभाव भारत के अधिकाश प्रबंधक अकुशल हैं जो बहुत सीमा तक श्रमिकों की कार्य-अकुशलता के लिए उत्तरदायी हैं। प्रबंधकों का दुर्ब्यवहार, काम का दोषपूर्ण विभाजन आदि ऐसे दोष हैं जिससे कार्य भी मन नहीं नगता।

10 अन्य कारण कुछ अन्य कारण भी भारतीय श्रमिकों की कार्य-कुशलता के स्तर को घटाते हैं, वे कारण निम्नलिखित हैं—

- (अ) श्रमिकों की भर्ती की दोषपूर्ण पद्धति,
- (ब) रहने की अस्वस्य जावास व्यवस्था,
- (स) व्यापक प्रस्तता,
- (द) श्रमिकों का नंतिक पतन,

- (य) निरीक्षण में बसावधानी, और
 (र) पुरानी भजीनें।

भारतीय श्रमिकों की कार्य-क्षमता बढ़ाने के उपाय

(Suggestions for Improving the Inefficiency of Indian Workers)

ज्ञान दिये हुए कारबों के अध्ययन से हम इस निष्पत्ति पर पहुंचते हैं कि अधिकार इष्ट ने उद्योग से सबृहित और बाह्य परिस्थितिया ही भारतीय श्रमिकों की कम कार्य-कुशलता के लिए उत्तरदायी है। अत उपर्युक्त परिस्थितियों को अनुकूल चारकर भारतवर्ष में श्रमिकों की कार्य-कुशलता बढ़ाई जा सकती है। भारतीय श्रमिकों की कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिए हमारे मुख्य निम्नलिखित हैं—

1. स्वास्थ्य रक्षा भारतीय श्रमिकों की कार्य-कुशलता में बृद्धि करने के लिए आवश्यक है कि श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा की जाय जिससे उनका शरीर दुबल न होने पाए और बार-बार बोमारी के ठिकार न होने पाए।

2. उचित मजदूरी श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी की व्यवस्था हानी चाहिए। मजदूरी निश्चित करते समय रहन-सहन की सागत और श्रमिकों की उत्पादकता दोनों ही बातों को ध्यान में रखना चाहिए। महगाई भत्ता व बोनस इत्यादि उत्पादन के बाघार पर दिय जान चाहिए।

3. सामान्य व तकनीकी शिक्षा की उचित व्यवस्था शिक्षा का प्रसार करके भारतीय श्रमिकों का मानविक विकास किया जा सकता है जिससे वे काय शीघ्र सीख सकें और अपने कर्तव्य को समझ पायेंगे। अत श्रमिकों को सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिए हर समव आधिक सहायता दी जानी चाहिए। श्रमिकों की कार्य-क्षमता बढ़ाने के लिए उनके प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

4. वैज्ञानिक प्रबन्ध उद्योगों में प्रबन्ध वैज्ञानिक दण पर होना चाहिए। अन्य बातों के होते हुए भी यदि प्रबन्ध वैज्ञानिक दण से नहीं किया जाता तो उत्पादन में बृद्धि नहीं होगी और प्रति श्रमिक औसत उत्पादन कम ही रहेगा। श्रमिकों को प्रबन्ध में भाग लेने के प्रश्न पर यो विचार करना चाहिए तब श्रमिक और अधिक उत्तरदायित्व का अनुभव करेंगे और उनकी कार्य-क्षमता में बृद्धि हो जायगी।

5. प्रवासी स्वभाव का अत बगर भारतीय श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति का अत करके उनको स्थायी औद्योगिक श्रमिक बना दिया जाय तो उनके गाव जले जाने के कारण कार्य का जो अस्थाय रुक जाता है वह नहीं रुक सकेगा जिसमें कार्य-क्षमता में कमी नहीं आयगी।

6. कार्य करने की श्रेष्ठ दशाएं यद्यपि भारत सरकार न श्रमिकों की काय दशाओं में भुखार करने के दृष्टिकोण से कारखाना अधिनियम पारित किया है परतु इस अधिनियम का कठोरता के साथ पालन नहीं किया जा रहा है। एकत्र भारतीय उद्योग में कार्य करने की दशाएं असुरोधप्रद हैं। अत यदि उद्योगों में कार्य करने की दशाओं में झुग्गार करके वहां पर उचित प्रशास्त्र द बायु, स्वच्छ अत तथा अच्छी कंटीनों आदि की

ब्यवस्था कर दी जाय तो श्रमिकों का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है और वे अधिक कार्य-कुशल बन सकते हैं।

7 कार्य करने के घटो में कमी भारत में गर्म जलवायु होने पर भी कार्य करने के घट अधिक हैं जिसमें भारतीय श्रमिक की कार्य कुशलता कम हो गई है। अतः पर्दि भारत में भी कार्य के घटो में कमी कर दी जाय तो यहां के श्रमिकों की कार्य-कुशलता बढ़ सकती है।

8 मकानों की उचित ब्यवस्था भारतीय श्रमिकों की कार्य-कुशलता में वृद्धि के लिए यह नितात आवश्यक है कि श्रमिकों के लिए लुल हुए स्थानों में स्नच्छ और हवादार मकानों की ब्यवस्था की जाय।

9 ऋणग्रस्तता की समस्या का समाधान ऋणग्रस्तता की समस्या का समाधान करके श्रमिकों को चिताओं से मुक्त करके उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि की जा सकती है। ऋणग्रस्तता में मुक्ति प्राप्त करने का सरल उपाय यही है कि श्रमिकों को प्राप्त होने वाली मजदूरिया बढ़ा दी जाय जिससे उन्हें ऋणदाता की शरण में न जाना पड़े। इसके अतिरिक्त, सहकारी साझ समितियों की स्थापना करके श्रमिकों को सस्ते ऋण प्रदान किये जा सकते हैं।

10 अच्छी मशीनों व यन्त्रों की ब्यवस्था श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि सेवायोजक श्रमिकों को काम करने के लिए अच्छी मशीनों व उत्तम यन्त्रों की ब्यवस्था करें।

11 अम कल्याण व सामाजिक सुरक्षा। यद्यपि अम कल्याण व सामाजिक सुरक्षा की दिशा में अनेक सराहनीय प्रयास किये गये हैं किन्तु आवश्यकताओं को देखते हुए ये बहुत कम हैं। अग अम कल्याण-कार्यों में वृद्धि की जानी चाहिए तथा कर्मचारी राज्य दीमा अधिनियम, 1948 का क्षेत्र और विस्तृत किया जाना चाहिए ताकि अधिक-से-अधिक लोगों को इससे लाभ मिल सके।

12 अम संघों को सुदृढ़ करना : श्रमिक संघ भी सदस्य श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करके उनके लिए मनोरजन के साधन जुटाकर उन्हें आवास मुविधा प्रदान करके तथा उनमें कर्तव्य भावना उत्पन्न करके उनकी कार्य-क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बत श्रमिक संघों को सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। भारत में रस्तिन कॉलेज औफ़ ऑफ़ एक्सफोर्ड के नमूने पर अम कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए। कलकत्ता में एशियन ट्रेड गूनियन कॉलेज की स्थापना करके इश दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

13. अन्य सुझाव : (अ) देश में इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाना चाहिए कि श्रमिक धूम्रपान, गद्दिरापान व बेश्यावृत्ति आदि दुरी प्रियाओं के उपभोग से घृणा करने लगें। (ब) भर्ती प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें कार्य-कुशल श्रमिकों को प्रत्येक प्रकार की मुविधा हो और कुशल श्रमिकों को असुविधाओं का सामना न करना पड़े। (स) श्रमिकों का कठोर परिश्रम करने का आदी बनाने के सिए उन पर कठोर नियशण रखना अनिवार्य है। (द) पर्दि श्रमिक अच्छी प्रकार काम न

करें और निर्धारित मात्रा से कम उत्पादन करें तो सेवायोजकों को उन्हें निकालने का अधिकार होना चाहिए। (य) मिल मालिकों का श्रमिकों के प्रति दृष्टिकोण सहानु-भूतपूर्व होना चाहिए। इससे श्रमिक अधिक सत्रुट्ट रहेंगे और दिन लगाकर कार्य करें।

नियोजित विकास काल में श्रमिकों की कार्य-क्षमता अथवा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हरेक सभव प्रयास किये जा रहे हैं। नियोजित विकास काल के 23 वर्षों में उनकी सभी आवश्यक परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयत्न किया गया। उचित मज़दूरी से लेकर श्रमिकों के प्रबंध और लाभ में भाग लेने तक के बातावरण में उन्नति की गई। सामाजिक सुरक्षा की सुविधाओं में अधिकाधिक वृद्धि की गई। इन सबके फल-स्वरूप उनकी उत्पादकता अथवा कार्य-कुशलता में अवश्य ही वृद्धि हुई है। उदाहरणार्थ, 1961 में अम-उत्पादकता का जो सूचकांक 121.4 था वह 1978 में 152 हो गया। इसके उपरात इसमें और अधिक वृद्धि हुई है।

बत्तेमान परिस्थितियों में, और विशेषज्ञ परचम पर्वतपर्याय योजना में इनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कमबढ़ एवं सगठित प्रयत्न किये गए। श्रमिक का विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अधिक-से-अधिक सहयोग लिया जायेगा।

परीक्षा-प्रश्न

- जीवन-स्तर की धारणा का भली प्रकार परीक्षण कीजिए। भारतीय श्रमिकों का जीवन-स्तर निम्न होने के कारणों पर प्रकाश ढालिए।
- भारतीय श्रमिकों के निम्न जीवन-स्तर को किस प्रकार सुधारा जा सकता है?
- "असमर्थता अधिक काम के विरोध में भारतीय श्रमिक की कला पर आत्म-रक्षा से अधिक कुछ नहीं!"—विवेचना कीजिए। भारतीय श्रमिक की अक्षमता के क्या कारण हैं? उपायों का सुझाव दीजिए।
- "भारत में औद्योगिक श्रम की विचारणीय विशेषताएं, उसकी निर्धनता और उसकी कार्य-क्षमता का निम्न स्तर हैं। इस कथन की आलोचनाभूमिका विवेचना कीजिए। भारतीय श्रमिक की कार्य-क्षमता के सुधार के आवश्यक पर्याप्त स्पष्ट कीजिए।
- कानपुर श्रम जाच समिति, 1938 ने कहा था कि "हमारी इच्छा है कि हमारे श्रमिक उचित व आत्म-सम्मान का जीवन व्यतीत करें। हम चाहते हैं कि उनके पास उचित व पर्याप्त धर हो तथा उचित भोजन प्राप्त हो। उनके बच्चों को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो और भली प्रकार से शिक्षित हो ताकि देश में कार्य-कुशल श्रम-दृक्षिण का निर्माण हो सके।" इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए तथा प्रकाश ढालिए कि भली दो परवर्याय योजनाओं में इन उद्देशों की पूर्ति बहुत तक की जा चुकी है।
- "औद्योगिक शाति व प्रगति के आधार हैं बड़ी हुई कार्य-क्षमता, उच्चतर जीवन-स्तर और सामाजिक सुरक्षा का प्राप्त होना तथा विस्तृत व पर्याप्त नय-दर्शित का

जनसंख्या में समुचित आवटन।” स्पष्ट कीजिए।

- 7. “जिसको हम अक्षमता कहते हैं वह भारतीय थ्रिमिकों की दृष्टि से अत्यधिक काम के विरुद्ध एक तर्क से अधिक कुछ नहीं है।” आलोचना कीजिए। भारतीय थ्रिमिकों की अक्षमता के क्या कारण हैं? उपचार भी बताइये।

अध्याय 6

औद्योगिक श्रम की भर्ती (Recruitment of Industrial Labour)

किसी भी उद्योग में श्रमिकों की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम समस्या श्रमिकों की भर्ती की है। भर्ती का अर्थ है उद्योगों द्वारा जनसंख्या में से आवश्यक श्रमिकों की नियुक्ति करना। भर्ती के बाद ही कोई व्यक्ति श्रम शास्त्र में श्रमिक कहलाता है। श्रम जाध समिति ने उचित ही लिखा है “श्रमिकों को रोजगार देने में भर्ती प्रथम सोपान है। अनः उद्योगों की सफलता या असफलता स्वभावतः और बहुत कुछ उन उपायों और मण्डनों पर निर्भर करती है जिनके द्वारा श्रमिक उद्योगों तक पहुचते हैं।”¹ प्रत्येक श्रमिक यदि अपनी योग्यता के अनुकूल कार्य पाता है और कार्य के अनुकूल श्रमिक की नियुक्ति की जाती है तो कार्य-कुशलता और उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके विपरीत, यदि श्रमिक की नियुक्ति कार्य और उसकी कुशलता के अनुकूल नहीं होती तो उत्पादन व वार्षिक कुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सावंजनिक नीति तथा देश की आर्थिक स्थिति के अनुकूल मानव-शक्ति के विकास, उपयोग तथा विवरण के दृष्टिकोण से भी भर्ती पद्धति का जटिल आवश्यक है। एक विकासशील देश के लिए यह नितात आवश्यक है कि ऐसी नीति और परिस्थितिया विकसित की जाए कि एक स्थायी श्रम-शक्ति का निर्माण हो तथा समुचित रूप से प्रशिक्षित और योग्य श्रमिक उद्योग के लिए निरतर उपलब्ध होते रहें ताकि उद्योग की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताएँ पूरी हो सकें। औद्योगिक प्रगति व उन्नतिशील देशों में श्रमिकों की भर्ती इसलिए प्रायः श्रमिक विषय हो गई है। परंतु दुर्भाग्यवश भारतवर्ष में विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों की भर्ती में श्रम और श्रम प्रबन्ध के कोई वैज्ञानिक सिद्धात न अपनाये जाने के कारण बड़ी बेड़गी भर्ती पद्धतिया विकसित हो गई है। अधिकांश सगठन व असमिति उद्योग श्रमिकों की भर्ती के लिए मध्यस्थो पर निर्भर करते हैं। विगत कुछ वर्षों में स्थिति में अवश्य परिवर्तन हुआ है और अधिकांश भारतीय उद्योगों को कारखाने के दरवाजे पर ही पर्याप्त और कभी-कभी आवश्यकता से अधिक श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। सामान्य रूप से श्रमिकों की पूर्ति में मोइर्न-व्हु वर्तमान शताब्दी में 1930 के बाद हुआ। इससे पूर्व श्रमिकों की सेवाओं के लिए सेवापौत्रों में प्रतियोगिता रहती थी और इसीलिए आवश्यक श्रमिक भर्ती करने हेतु वे सब प्रकार के साधन प्रयोग में लाते थे।

भारत में भर्ती की पद्धति (Methods of Recruitment in India)

हमारे देश में जौद्योगिक श्रमिकों की भर्ती निम्नलिखित ढंग से हो जाती है—

मध्यस्थो द्वारा भर्ती

जब किसी उद्योग में उच्चोगपति स्वयं प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों को कार्य पर न लगाकर किसी मध्यस्थ की सहायता लेता है और उस श्रमिक को कार्य पर लगाने और हटाने का पूर्ण अधिकार इस मध्यस्थ को ही होता है तो ऐसी विभिन्न को मध्यस्थो द्वारा भर्ती कहा जाता है। मध्यस्थो द्वारा श्रमिकों की भर्ती हमारे दहुन से उच्चोगों की दीर्घ-काल तक एक विशेषता रही है। ये मध्यस्थ विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं जैसे—जॉब्बर (Jobber), सरदार, चौधरी, मिस्ट्री, मुकद्दम, फोरमेन, ठकेदार आदि। बड़े उच्चोगों में स्त्री मध्यस्थ भी होती है जो कि नाइकीन, मुकद्दमीन, चौधरानी, ठकेदारिनी आदि कहलाती हैं। प्रारंभ में मध्यस्थों की आवश्यकता गाड़ों से मपकं रखने के लिए और श्रमिकों को नगरों तक लाने के लिए रहती थी। परतु अब नियंति में काफी परिवर्तन हो गया है, क्योंकि श्रमिकै स्वयं ही रोजगार की सुविधा अच्छी मजदूरी और अन्य सुविधाओं से आकर्षित होकर नगरों में आ जाते हैं। फिर भी भर्ती का कार्य गवायोजकों ने सीधे व्यपने हाथों में न लेकर बहुत कुछ मध्यस्थों पर छोड़ रखा है और नयी भर्तिया प्रायः मध्यस्थो द्वारा की जाती हैं।

मध्यस्थों के कार्य

थम-भर्ती व शम-प्रशासन में मध्यस्थ बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जैसे—

1. आवश्यक श्रमिकों को स्वोजकर कार्य करने के लिए लाना।
 2. श्रमिकों की पदोन्नति, प्रशिक्षण, अवकाश, दण, आवाह आवश्या आदि का उत्तरदायित्व भी वहूधा इनका होता है।
 3. मध्यस्थ श्रमिकों के कार्यों की देखभाल भी करता है।
 4. श्रमिकों के पारिवारिक मामले में हर प्रकार की महायता देता है आवश्यकता पठने पर उन्हें ऋण भी देता है। वस्तुतः वह श्रमिकों का मिल, वाशंनिक तथा पर्याप्तरांक सभी कुछ होता है।
 5. कुछ मध्यस्थ कारखानों में कुशल कार्य जैसे मिस्ट्री आदि का कार्य भी करते हैं और अकुशल श्रमिकों वी सहायता करते हैं।
 6. मेवायोजक मध्यस्थों पर श्रमिकों की आवश्यकताओं की शिकायतों को जानने के लिए तथा उनकी योजनायें उन तक पहुँचाने के लिए नियंत्र रहते हैं।
 7. कभी-कभी सरकार को भी इन मध्यस्थों का आश्रय लेना पड़ता है और उचित कमीशन देना पड़ता है।
- इस प्रवार, मध्यस्थ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह प्रबन्धकों और मजदूरों के

बीच की एक कड़ी होता है। शाही आयोग ने लिखा है 'मध्यस्थ भारत में मरदार, मिस्त्री, मुकद्दम आदि अनेकों नामों से जाना जाता है और अकेला अनेकों महस्त्वपूर्ण कार्य करता है।'¹

मध्यस्थों द्वारा भर्ती के दोष

1931 में शाही शम आयोग से लगाकर अब तक जितनी भी शम अनुसंधान समितियां नियुक्त हुई हैं सभी ने इस पद्धति की कटु आलोचना की है। संक्षेप में, मध्यस्थों द्वारा भर्ती प्रणाली के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं—

1 शमिकों का शोषण मध्यस्थों द्वारा शमिकों का बहुत शोषण होता है। मध्यस्थ मजदूरी का एक भाग अपने हक्क या दस्तूरी के रूप में लेते हैं। इनको प्रसन्न रखने के लिए समय समय पर विभिन्न आहार व नशीले पेय पदार्थ भी शमिक दिया करते हैं। इसके अतिरिक्त, ऊची व्याज दर पर मै रुपया उधार देते हैं। इस प्रकार शमिकों की आर्थिक स्थित खराब हो जाती है। शम आयोग के अनुसार मध्यस्थ प्रणाली द्वारा शमिकों का आर्थिक शोषण होता है। उनका भविष्य मध्यस्थ की कृपा पर निर्भर रहता है। फलस्वरूप मध्यस्थ को प्रसन्न रखने के लिए वह गलत कार्य करने को भी बाध्य रहता है।

2 भ्रष्टाचार मध्यस्थों वे कारण कारखानों में बहुत-से अनेकिक कार्य होते हैं। शाही शम आयोग ने इस प्रणाली के दोषों को बताते हुए लिखा था "जॉबर की स्थिति के अनेक प्रलोभन होते हैं और यह आश्चर्य की बात होगी कि वे इन अवसरों का साम न उठावें।" स्पष्ट है कि रिश्वत और भ्रष्टाचार विभिन्न मध्यस्थों द्वारा शमिकों की भर्ती करने की प्रणाली के प्रमुख दोष रहे हैं।² इन मध्यस्थों का मुख्य उद्देश्य अपने व्यवित्रित स्वार्थ की पूर्ति करना होता है। अत वे इसके लिए भी निदनीय कार्य कर सकते हैं, जैसे—पुराने शमिकों को हटाना और उनके स्थान पर नये लोगों को नियुक्त कराना, धूत लेकर अपोग्य अपनित को कार्य पर लगाना। अहमदाबाद घट्ट अम संगठन ने इस विषय पर टिप्पणी की है सैकड़ों कुशल और योग्य शमिक सड़कों पर बेकार चूमते रहते हैं और अनेक अपोग्य शमिक कारखानों में उन कामों पर लगे हुए होते हैं जिनके लिए उनमें कोई योग्यता नहीं होती, अतिरिक्त इसके बिंवे उस नौकरी के लिए मध्यस्थों को रिश्वत देने को तैयार हैं।³ इस प्रकार के कार्यों से संपूर्ण उद्योग का अनुशासन और वातावरण दूषित हो जाता है। अधिकांश अनेकिक कार्यों में इनका सहयोग रहता है। महिला शमिकों के साथ इनका व्यवहार बहुत निर्देशतापूर्ण रहता है। चरित्रहीन स्त्रियां ही ग्राम जॉबर हुआ करती हैं जो स्त्री शमिकों के अस्तित्व को सूझने

1 Report of the Royal Commission on Labour in India, p. 21.

2 Ibid.

3. Replies to Questionnaire of the Textile Labour Enquiry Committee submitted by the Textile Association Ahmedabad, p. 49.

में भी सकोच नहीं करती। अपने आर्थिक लाभ या अपने किसी अफसर या मालिक को सुश करने के लिए ये स्वी मध्यस्थ भोली भाली और सच्चरित्र स्त्रियों को अनैतिक रास्तों पर ले जाती हैं। डॉ० राधा कमल मुकर्जी ने अपने अनुसंधानों के अधार पर इस प्रकार वे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये हैं।

3 श्रमिक तथा मालिकों में सधर्ष औद्योगिक सबधों में मध्यस्थों का बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इस प्रकार की भर्ती^{अर्थात् श्रमिकों व भेवायों को} के बीच प्रत्यक्ष सबध स्थापित नहीं हो पाता। भठ्ठी, बिक्रीपूर्ति, लैण्डली, निवासादि के द्वारा ये श्रमिकों व मालिकों न अनावश्यक मतभेद बढ़ाने कर देते हैं जो कभी भी विवाद का रूप धारण कर सकता है।

4 उत्पादन में कमी जो लोग मध्यस्थों द्वारा खियुक्त किये जाते हैं वे अधिक-उत्पादन के मित्र अथवा कुटुम्बी ही होते हैं, अधिक-उत्पादन से लोग होते हैं जो उन्हें अधिक-मध्यस्थ पृष्ठ दे सकते हैं। कलत उद्योगों में कुशल श्रमिकों के स्थान पर अकुशल श्रमिकों की जर्नी हो जाती है। इसका परिणाम उद्योगस्थियों को न्यून नाभ के रूप में सम्भाल देश को कम गाढ़ीय उत्पादन के रूप में सहन करना पड़ता है।

5 अनुपस्थितता व श्रम परिवर्तन में वृद्धि मध्यस्थ श्रमिकों को गाव स अच्छी मजदूरी तथा अच्छे व्यवसाय का प्रलोभन देकर शहरों में लाते हैं परतु जब उन्हें जीवन-योग्य मजदूरी नहीं मिलती और व्यवसाय भ अस्थिरता का सामना करना पड़ा है तो वे अपने गाव वापस चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यस्थों के शोपण से विवाह होकर भी अनेक श्रमिक पद त्याग करके गाव वापस चले जाते हैं। इससे अनुपस्थितता बढ़ती है। श्रम परिवर्तन में वृद्धि इस कारण होती है कि मध्यस्थ रिश्वत आदि के प्रलोभन में पुरान कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देते हैं और उनके स्थान पर नये श्रमिकों को भर्ती कर लेते हैं।

6 श्रम सध का कमजोर होना श्रम सध व लिए भी मध्यस्थ जमिलाप होने हैं क्योंकि उनकी महानुभूति प्रबद्धता के साथ होती है। अन श्रमिकों न हित के लिए ये कभी ईमानदारी में सधर्ष नहा करत। प्रायः इनकी महायता में प्रबद्धक श्रम आदोलन वा दमजोर बनान का प्रयत्न करते हैं।

7 शहरों में द्वेरोजगारों की सह्या में वृद्धि औद्योगिक नगरों में द्वेरोजगारों की एक बाढ़ सी अद्वहन का पारण गव्यमयों द्वारा भना पढ़ति ही है। कारण यह है कि मध्यस्थों का हाथ मौकरी दिनवाने की गक्किन होती है। इसलिए इनके नात-गिर्जेदार व इच्छमित्र नौकरी पान के लालच में गाव छाड़कर गहर आ जाते हैं जिसमें गहर न द्वेरोजगारों की सह्या पढ़ती है।

उपराका दाया न रहने द्वारा भी मध्यस्थ प्रथावी जागरूक भी नमाल नहा हा पा नहीं है। अम जाच समिति ने टिक्कि है यत्त्वपि मध्यस्थ प्रथा अनका दोया स युक्त है परतु भारतीय श्रम का इनका दिक्काम नहा भा है कि इस प्रणाली का पूरी तरह समाप्त किया जा यव। ^१ आधिकारिक वर्षों में इस बात का प्रयत्न किय गय है कि उद्योग

में श्रमिकों को रोजगार देने के सबध में मध्यस्थों के अधिकार और प्रभाव घटते जायें।

मध्यस्थों द्वारा भर्ती को पढ़ति में सुधार विगत कुछ वर्षों में मध्यस्थ की शक्ति को कम करने व भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अनेक प्रयत्न किये गये हैं। नियोक्ता सघों व श्रम जाति समितियों ने भ्रष्टाचार चलन को स्वीकार किया है। अहमदाबाद, बड़ई, शोल पुर कानपुर आदि केंद्रों में इस दिशा में अनेक सुधार किये गये हैं। यदि व्यवस्थित रूप से प्रयत्न किया जाय तो रिप्पत के दोष को बहुत कम किया जा सकता है। शाही श्रम आयोग ने इन प्रणाली को समाप्त करने के लिए उच्च शिक्षा-प्राप्त श्रम अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया था। आयोग का यह भी सुझाव यह कि महिला श्रमिकों की देख रेख के लिए शिक्षित महिलाओं की ही नियुक्ति की जानी चाहिए। अनेकों उद्योगों ने इस प्रकार के अधिकारी नियुक्त भी किये हैं। परंतु इनका भी काम मध्यस्थों के बिना नहीं चल पाया है।

भारत में बतमान समय में तीव्र औद्योगीकरण के लिए उद्योगों के आधुनिकीकरण की बहुत आवश्यकता है। भर्ती की मध्यस्थ प्रणाली अत्यत पुरानी, अवैज्ञानिक और बेड़गी है। अत उद्योगों में मध्यस्थ प्रणाली को समाप्त करने का समय आ गया है। इनके द्वारा बहुत-सी समस्याएँ पैदा होती हैं जो औद्योगीकरण को गति को अवरुद्ध करती है। मध्यस्थ चाहे उद्योग में हो अथवा शासन में, तभी सहन हो सकते हैं जब उनका कोई वास्तविक उपयोग हो। सक्षेप में, भारत की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मध्यस्थ प्रणाली को पूर्णतया समाप्त करन की आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किय जा सकते हैं—

1. रोजगार दपतरों का संगठन अधिक श्रेष्ठ ढंग से किया जाना चाहिए। यद्यपि रोजगार दपतर भी मध्यस्थ सम्पादक ही है परंतु वे मध्यस्थ प्रणाली के अनेकों दोषों से मुक्त हैं।

2. प्रत्यक्ष भर्ती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

3. उद्योगों में कुण्डल, प्रशिक्षित व सुहृद श्रम अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए जो श्रमिकों वी ममम्याओं को समझ सकें और उनका विश्वास प्राप्त कर सकें।

4. मदूरों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण स्कूल खोले जाने चाहिए।

5. उद्योगों में मामूलिक सौदेवाजी को अपनाना चाहिए। अर्थात् उद्योगपतियों को मजदूरों के संगठनों से प्रत्यक्ष रूप से वार्ता करनी चाहिए।

ठेकेदारों द्वारा भर्ती

भारत के अनेक उद्योगों में श्रमिकों की भर्ती के लिए ठेकेदारों की प्रथा प्रचलित है। ठेकेदारों को श्रमिकों की भर्ती का ठेका दे दिया जाता है। ठेकेदार प्रथा भी मध्यस्थ प्रणाली का ही एक रूप है। अतर्यह है कि इस प्रथा म ठेकेदार श्रमिकों की भर्ती करते हैं और उनसे स्वयं काय ल ते हैं। अमेरिका उद्योगपतियों का कमचारी नहीं होता, वह ठेकेदारों का ही कमचारी होता है। मुख्य उद्योग जिसमें अधिकतर ठेकेदार वा श्रम लगाया जाता है वे हैं— इजीनियरी, केंद्रीय तथा प्रातीय विभाग, कुछ खेतों में सूती वस्त्र उद्योग, गोदी-

बाटा (dock-yard), सीमेट, काशज उद्योग, नारियल की रस्सी से चटाई बाजाना और खानें-मूती वस्त्र उद्योग में ठेके का श्रम अधिकतर गिथण करना, कपड़ी करना रगना, विरजन तथा परिसज्जा आदि कार्यों के लिए लगाया जाता है। खाना में अधिकतर श्रम ठेकेदारों द्वारा रखा जाता है।

ठेके का श्रम लोकप्रिय क्यों ? ठेके पर श्रमिकों की भर्ती बहुत लोकप्रिय है, इसके प्रमुख कारण इम प्रकार हैं— (अ) अल्प सूचना पर ही मिल मालिकों को आवश्यक श्रम-संवित प्राप्त हो जानी है। (ब) श्रमिकों से काम लेने व काम निश्चित समय पर समाप्त करने का उत्तरदायित्व उद्योगपतियों पर ही नहीं होता। (स) ठेके पर काम करवाना सस्ता और आसान पड़ता है। (द) मालिक श्रमिकों के प्रति समस्त उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते हैं। श्रम कल्पाण एव सामाजिक सुरक्षा के कानूनों के अनुसार श्रमिकों को कल्पाण एव मुरक्खा सबधी जो सुविधाएँ अनिवार्य देनी पड़ती हैं, मालिक उनमें मुक्त होते हैं और असुविधाओं पर व्यय होने वाली सपूर्ण राशि बच जाती है। अत इस्तेव्व है कि ठेके के श्रम में उद्योगपतियों को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं।

ठेके के श्रम के बोध ठेके पर भर्ती प्रणाली के उपरोक्त लाभों से हानिया कही अधिक है। इसीलिए यही श्रम आदोग विहार श्रम जाच समिति, वर्वई वस्त्र श्रम जान समिति आदि न इस प्रणाली की कट्टु आलोचना की है। इस प्रथा की उत्तेजनीय हानिया इस प्रकार है—

(अ) ठेके के श्रमिकों को प्राय बहुत कम भजदूरी दी जाती है क्योंकि ठेकेदार उन्हीं श्रमिकों को भर्ती करते हैं जो कम-से कम भजदूरी पर नार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही नहीं ठेकेदार विविध ढंगों से श्रमिकों का अनावश्यक जोगण करते हैं। ठेके के श्रमिकों न अधिक घरों तक काम लिया जाता है।

(ब) ठेका प्रणाली में मिल मालिक श्रम अधिनियमों की व्यवस्था से विशेष रूप से कारबाना अधिनियम वेतन अदायगी अधिनियम मातृत्व लाभ अधिनियम आदि से बच जाता है। यह श्रमिकों के लिए बहुत बड़ी हानि है।

(स) ठेकेदार श्रमिकों ने उनि 'वसी भी प्रकार वे नेतिक उत्तरदायित्व का अनुभव नहीं करते। यही कारण है कि श्रमिकों के स्वास्थ्य रान पीने, विश्राम आवास-निवास किसी भी विषय पर वे ध्यान नहीं देते।

निकष उपर्युक्त दोपो को इस्तिम रखवार पह उचित जान पड़ता है कि जहा भी सभृ हो इस पढ़ति को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। योजना आदोग न द्वितीय पचवर्षीय याजना में ठेका श्रम पर विचार किया है। ठेका श्रम की दो प्रमुख समन्वयाएँ हैं—प्रथम उनकी दार्य दशाओं का नियन्त्रण करना और द्वितीय, लगातार रोजगार सुनिश्चित बरता। इन समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित कार्य किय जान आवश्यक है—

1. विभिन्न उद्योगों में इस समस्या के विस्तारनया स्वभाव का अध्ययन कर ना।

2. इस जात की जाच करना कि कहा ठेका श्रम श्रमिकों का जा सकता है।

3. उन वार्यों को निश्चित करना जहा मजदूरी का भुगतान तथा अच्छी कार्य-स्थिति की जिम्मेदारी ठेकेदार के साथ-साथ मुख्य सेवायोजक पर भी ढाली जा सके।

4. जहा सभव हो, ठेका पद्धति को शनैः-शनैः समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जो श्रमिक बेरोजगार हुए हैं उन्हें दूसरे कार्यों पर लगाया जाय।

5. मुख्य सेवायोजक ने जो दूसरे श्रमिक समाये हैं और उन्हें जो कार्य स्थिति तथा सुरक्षा प्राप्त है वह ठेका श्रम के लिए भी प्राप्त की जाय।

6. जहा भी सभव हो सके स्थायीकरण की पद्धति प्रारम्भ की जाय।

प्रत्यक्ष भर्ती की पद्धति

बहुत-से कारखानों में प्रत्यक्ष रूप से भी भर्ती की जाती है। यह प्रणाली साधा-रणतया इम प्रकार है—कारखाने के गेट पर इस आशय की सूचना चिपका दी जाती है कि अमुक दिन अमुक पद के लिए इतने श्रमिकों की भर्ती की जायेगी। उस दिन बेरोजगार श्रमिक कारखाने के गेट पर आकर उपस्थित हो जाते हैं और मिल के जनरल मैनेजर अथवा श्रम निरीक्षक आवश्यकतानुसार श्रमिकों का चुनाव कुछ पूछ-ताछ या प्रायगिक परीक्षा के उपरात कर लेते हैं। पजाब, बंबई, तमिलनाडु व पश्चिमी बंगाल में यह पद्धति बहुत प्रचलित है।

लाभ : इस पद्धति के कुछ अपने लाभ हैं, जैसे—(अ) मध्यस्थ प्रणाली के समस्त दोष इस प्रणाली के द्वारा दूर हो जाते हैं। (ब) इस पद्धति के अनुसार कुशल श्रमिकों का चुनाव करके उनकी भर्ती की जाती है जिससे फैक्ट्री की उत्पादन-शक्ति बढ़ जाती है।

दोष : (अ) यह पद्धति बास्तव में अकुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए ही अधिक उपयुक्त है। कारण यह है कि कारखाने के दरवाजे पर उपस्थित होने वाले श्रमिकों में अधिकतर फैक्ट्री में कार्य करने वाले श्रमिकों के सबधी ही होते हैं और अन्य बेरोजगार श्रमिकों को इन रिक्त स्थानों की सूचना तक नहीं मिल पाती। (ब) इससे श्रमिकों के चुनाव का अधिकार कारखाने के अधिकारियों के हाथ में रहता है और प्राय ये लोग उन्हीं लोगों की भर्ती करते हैं जो इन्हें अच्छी रकम धूस के रूप में देते हैं अथवा जो इनके पास सिफारिशों को पहुंचाने में सफल होते हैं।

श्रमिक संघों में भर्ती

इस विधि के अनुमार रिक्त स्थानों की सूचना धर्म संघों को दे दी जाती है और धर्म संघों के पास बेरोजगार श्रमिकों की सूची होती है। सूचना मिलते ही नम सब उन उम्मीदवारों का नाम भेज देते हैं। उनके चुनाव के सबधी में अतिम फैसला प्रबंधकों द्वारा किया जाता है।

बदली पद्धति

1935 में बंबई के मिल मालिक संघ ने बदली पद्धति को शुरू किया था। इस

पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक भाह की पहली तारीख को कुछ चूने हुए लोगों को बदली-काढ़े हैं दिये जाते हैं और उनसे प्रत्येक सुबह को मिल में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है जिसमें कि उनमें से भर्ती करके रिवत स्थानों की पूर्ति की जा सके। स्थायी पद के लिए पुराने लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। इस पद्धति में गुण यह है कि मिलों को स्थिर, पर्याप्त, प्रशिक्षित तथा योग्य बदली श्रमिक प्राप्त हो जाता है। परन्तु बदली श्रमिक की सभ्या अधिक होने के कारण उन्हें इतना कार्य नहीं मिलता जिससे कि वे अपना जीवन-निर्वाह कर सकें।

श्रम अधिकारियों द्वारा भर्ती

कुछ उद्योगों में श्रम अधिकारियों द्वारा भर्ती की पद्धति प्रचलित है। ये श्रम अधिकारी अपने ढग से रिवत स्थानों का प्रचार करते हैं और फिर एक निश्चित तिथि पर श्रमिकों को एकत्रित करके उनमें से योग्य श्रमिकों की भर्ती कर लेते हैं। कभी-कभी ये अधिकारी भर्ती के लिए गाड़ों में जाते हैं और श्रमिकों से सबै स्थापित करते हैं। लेकिन उनको अधिक सफलता नहीं मिल पाती क्योंकि अपरिचित होने के कारण वे मज़दूरों में वह विश्वास पैदा नहीं कर पाते जो कि स्थानीय व्यक्ति कर सकते हैं।

श्रम संबंधियों की नियुक्ति

इस विधि के बनुसार रिवत स्थानों पर फैक्टरी में काम करने वाले श्रमिकों के पुत्रों और अन्य सबधियों को ही रखा जाता है। इस विधि को अपनाकर उद्योगपति श्रमिकों का सहयोग व विश्वास प्राप्त कर सकता है। परन्तु व्यावहारिक रूप में यह अधिक पक्षपात्रूणि सिद्ध हुई है क्योंकि मालिक प्राय उन श्रमिकों के बच्चों तथा सबधियों को ही भर्ती करते हैं जो उनकी खूब खुशामद करते हैं चाहे ऐसे श्रमिकों के बच्चे कितने ही अधिक बयान क्यों न हों।

स्थायीकरण पद्धति

कुछ आंदोगिक केन्द्रों में स्थायीकरण (Decasualization) योजनाएँ चल रही हैं। इस पद्धति के द्वारा श्रमिकों की भर्ती की नियमित करने का प्रयत्न किया जाता है और इस उद्देश्य से बदली के श्रमिकों पर नियन्त्रण रखा जाता है। इसीलिए इसे बदली नियन्त्रण परियोजना अथवा बदली श्रमिकों का स्थायीकरण कहते हैं। इस योजना के मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं—प्रथम, बदली श्रमिकों को नियमित रोजगार दिलाना और दूसरी ओर भर्ती में मध्यस्थी के प्रभाव को ममाप्त करना।

इस योजना का मूल्यपात्र भारत सरकार ने 1937 में किया ताकि बदली श्रमिकों के रिवत स्थानों की पूर्ति की जा सके। जिस प्रकार इस पद्धति के द्वारा भारत के कुछ भागों में कार्य हो रहा है उनके अनुमान इसके मुख्य स्वरूप निम्नलिखित हैं—

1. श्रमिकों का एक सामान्य रजिस्टर रखा जाता है।
2. प्रत्येक श्रमिक जिसका नाम रजिस्टर में लिखा जाता है, प्रतिदिन

स्थायीकरण दफतर से उपस्थित होता है। यदि उस कार्ड कार्य नहीं दिया जाता तो उपस्थित होने वा कुछ भत्ता मिलता है।

3 श्रमिकों का आकार सेवायोजकों की आवश्यकता पर निर्भर होता है।

4 मजदूरी, उपस्थिति भत्ता आदि की अदायगी का कार्य एक सत्ता द्वारा किया जाता है और यह सत्ता इसको उन मालिकों से बसूल करती है जहां श्रमिकों को कार्य करना होता है।

5 सेवायोजकों से प्रशासनिक लागत बसूल की जाती है और यह कुल मजदूरी के कुछ प्रतिशत के रूप में होती है।

6 प्रायः इस पद्धति के पृच्छे वैज्ञानिक स्वीकृति होती है।

गुण (अ) इस पद्धति से बहुत सीमा तक भौतिक्य का प्रभाव कम हो गया है।

(ब) इस पद्धति में मिलों को नियमित और योग्य तथा पर्याप्त बदली श्रमिक प्राप्त हुए हैं।

दोषः (अ) इस पद्धति में मिला भूश्रमिकों के उपयुक्त प्रशिक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

(ब) इस पद्धति के अनुसार जो श्रमिक भेजे जाते हैं उन सभी को मिल मालिक कार्य पर नहीं लगाते।

(स) स्थायीकरण दफतर में श्रमिकों का नाम लिखाना भी त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यहां नाम 'सेवा प्रमाण पत्री' के आधार पर लिखा जाता है। परंतु इन प्रमाण पत्रों की सत्यता की जान नहीं की जाती।

रोजगार दफतरों द्वारा भर्ती

वैज्ञानिक आधार पर श्रमिकों की भर्ती बरने का सर्वश्रेष्ठ साधन रोजगार दफतर है। रोजगार दफतर प्रत्येक प्रकार के श्रमिकों के विषय में विस्तृत विवरण अपने यहां रखते हैं और मिल मालिक अपने श्रमिकों की माग इन दफतरों को भेजते हैं। उसी के अनुसार रोजगार दफतर उचित श्रमिकों को छाटकर इन उद्योगपतियों के पास भेज देता है। अतिम चुनाव मालिक करता है। (रोजगार दफतरों के बारे में विस्तृत विवेचन अगले अध्याय में करेंगे।)

विभिन्न उद्योगों में भर्ती की प्रणाली (Recruitment in Various Industries)

कारखानों में श्रमिकों की भर्ती

कारखानों में अधिकतर प्रथम रूप में भर्ती की जाती है। परिवेशण सबधी तथा सफेदरोन कार्यों के लिए विज्ञापन दिये जाते हैं। अकुशल श्रमिकों की भर्ती कारखानों के मुहूर द्वारा पर श्रम अधिकारियों द्वारा की जाती है। अधिक संगठित उद्योगों में, जहां अनेक संस्थान एक ही स्थान पर केंद्रित हैं, बदली नियन्त्रण व्यवस्था के द्वारा भर्ती

की जाती है। बबई, तमिलनाडु, पजाव, बिहार, उडीसा राज्यों में सीधे भर्ती प्रणाली अधिक प्रचलित है जबकि आध्र प्रदेश में श्रमिकों की भर्ती अधिकतर मध्यस्थों द्वारा होती है, लेकिन जब तक नीकी व कुण्डल श्रमिकों की आवश्यकता होती है तो रोजगार दफतरों को माग भेज दी जाती है। असम में मिल मालिक रोजगार दफतरों की सेवाओं से अधिकाधिक लाभ उठा रहे हैं। त्रिपुरा में भवन व निर्माण उद्योगों व वायु परिवहन में बांधों में सामान उत्तरने व चढ़ाने के लिए श्रमिक प्रायः सरदारों तथा ठेकेदारों द्वारा रखे जाते हैं। केरल में जो व्यापारिक सम्पत्ति राज्य के अधिन हैं उनमें रोजगार दफतरों के द्वारा भर्ती की जाती है। मैसूर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, जम्मू और काश्मीर में रोजगार दफतरों के माध्यम से भर्ती बड़ी प्रसिद्ध है। अडमान व निकोवार में बन और सार्वजनिक निर्माण विभाग के बड़े बड़े विभाग हैं जो श्रमिकों को कार्य पर लगाते हैं। महाराष्ट्र में लौटी श्रमिकों में स्थायीकरण की स्वेच्छा से अपनाई गई एक प्रणाली बबई और जोनापुर में 1950 से कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में पूल तथा स्थायीकरण प्रणाली के धर्मीन, जो कानपुर में प्रचलित है, रोजगार चाहने वाले श्रमिकों के नाम दर्ज किये जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में समस्त राजकीय क्षेत्र में रोजगार दफतरों से श्रमिकों की भर्ती की जाती है।

खानों में भर्ती

मध्यस्थों और ठेकेदारों के माध्यम से खानों में भर्ती अब भी की जाती है। कोयने वी साना म श्रमिकों की नियुक्ति की अत्यत प्राचीन प्रणाली जमीदारी प्रणाली यी जो ति अब समाप्त हो गई है। वास्तव में कोयन की खानों म कुल श्रमिकों का एक अच्छा प्रतिशत ठेकेदारों द्वारा भर्ती किये गये श्रमिकों का है। भर्ती की एक प्रमुख स्थान गोरखपुर श्रम सगठन है। इस सगठन की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1942 में की गई थी। उत्तराखण्ड में भर्ती इस प्रकार की जाती है कि पहले कोयला क्षेत्र म भर्ती सगठन अथवा ग्रन्थ कोई श्रमिकों की आवश्यकता का अनुभव बरने वाली स्थान गोरखपुर श्रम सगठन को इस आवश्यकता से अवगत करानी है और गोरखपुर श्रम सगठन इस कार्य में गहायता करता है।

अन्य खाना जैसे— लोहे, मैगनीज व मोने चादी आदि में श्रमिकों की नियुक्ति प्रव्याप्त तथा ठेकेदारी प्रथ जो का सम्मिश्रण है। जहा राजगार के दफनर उपलब्ध हैं वहा वे स्थामी उनकी भी महायता लेते हैं।

बागानों में श्रमिकों की भर्ती

अमम क घाय बागानों म श्रमिकों की भर्ती प्रायः बागान के सरदारों अथवा स्थानीय अन्य दर्बनयों के माध्यम से होती है। श्रमिकों की भर्ती की पूल पदलि प्रचलित है जिसके बनान श्रमिक लाभल पारवडिंग एजेंसी व पार पहुँच जाते हैं जहा वे श्रम चाहन वाल उन्ह बागान पर भेज देने हैं। विगत वर्षों म असम क घाय बागान ये बैरोजगार श्रमिकों को सर्वाम वृद्धि होने के कारण तंजपुर, जोरहट डिग्रूगढ़ के

रोजगार दफतरों में प्रचार सबधी कार्य तीव्रता में आरम्भ कर दिया गया है जिससे कि अधिक धर्म की अधिकता वाले क्षेत्र से श्रमिकों की कमी वाले क्षेत्र की ओर अप्रसर हो सके।

पश्चिमी बगाल में चाय के बागानों में साधारणतः श्रमिकों की कमी रहती है अतः भर्ती पर कोई नियन्त्रण नहीं है। प्रायः चाय बागान थ्रमिक बोर्ड, भारतीय चाय उत्पादकों का बोर्ड तथा भारतीय चाय बोर्ड द्वारा भर्ती अपने-अपने सदस्य बागानों के लिए की जाती है। पजाब व त्रिपुरा के बागानों में मालिक न्दव भीधी प्रणाली द्वारा श्रमिकों की भर्ती कर लेते हैं अथवा मध्यस्थी द्वारा भर्ती कराते हैं। पजाब में इन मध्यस्थी को चौधरी कहते हैं। केरल राज्य के बागानों में ऐसे श्रमिक, जिनको समय के लिए कार्य पर लगाया जाता है, बागान के श्रमिकों द्वारा ही भर्ती कर लिए जाते हैं। मैसूर में भर्ती की कगानी पद्धति समाप्त हो गई है और अब प्रत्यक्ष रूप से भर्ती की जा रही है।

स्लेव में भर्ती

रेलवे के विभिन्न विभागों में श्रमिकों की नियुक्ति के लिए विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तृतीय वर्ग की सेवाओं के लिए भर्ती रेलवे मेवा आयोग द्वारा की जाती है। निम्न वर्ग एवं कुशल श्रमिकों की नियुक्ति प्रत्यक्ष भर्ती प्रणाली के आधार पर होती है। सबधियों व ठेकेदारों के माध्यम से भी भर्ती की जाती है।

बंदरगाहों व जहाजरानी में भर्ती

बंदरगाहों में कुशल व अकुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए प्राय विज्ञापन दिया जाता है। भारत सरकार ने 1948 में जहाजरानी श्रमिक रोजगार नियमन अधिनियम पास किया है जिसका मुख्य उद्देश्य डाक कर्मचारियों के रोजगार को अधिक व्यवस्थित करना है। इसके अनुसार श्रमिकों के पजीकरण का प्रबंध किया गया है जिसका प्रबंध द्विदलीय जहाजरानी धर्म बोर्ड के हाथों में है। इस प्रकार के बोर्ड कलकत्ता, बंबई, तमिलनाडु व विशाखापट्टम के बंदरगाहों में पाये जा रहे हैं।

निष्कर्ष : उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि बौद्धिगिक धर्म की विभिन्न भर्ती की पद्धतियां भारत में प्रचलित हैं। यहीं नहीं, एक ही उद्योग में भिन्न भिन्न स्थानों में भर्ती की विभिन्न पद्धतियां प्रचलित हैं जो कि बहुत अनुचित हैं। अतः इस सबध में ठोस कदम उठाय जाने चाहिए ताकि भर्ती प्रणाली में समरूपता लाई जा सके। राष्ट्रीय रोजगार सेवा अब तक प्रमुख रूप से नागरिक क्षेत्रों तक ही सीमित रही है। अतः रोजगार दफतरों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थापित किया जाना चाहिए और सेवायोजकों को बढ़ावता से इस बात के लिए बाध्य किया जाना चाहिए कि वे अपने सभी रिक्त रथावों की मूलता दफतरों को दें और दफतर द्वारा प्रेपित कियें ये व्यक्तियों में ऐसी ही चुनाव करें।

परीक्षा-प्रश्न

- 1 भारतीय उद्योगी में मजदूरों की भर्ती की विभिन्न पद्धतियों की सापेक्ष दक्षता का परीक्षण कीजिए। इस सबध में रोजगार दफतरों के कार्यों की विवेचना कीजिए।
- 2 भारत में श्रमिकों की भर्ती के विभिन्न तरीकों का आलोचनात्मक विवरण दीजिए।
- 3 “आधुनिक उद्योग भर्ती की वैज्ञानिक पद्धति की मांग करता है।” अपने उद्योग में प्रचलित पद्धतियों के सदर्भ में इस पर टिप्पणी लिखिए और यह बताइए कि इस समस्या का समाधान करने में वैज्ञानिक पद्धति बहुत उपयोगी निछ हो सकती है।
- 4 भारत में श्रमिकों को भर्ती करने के तरीकों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। किती भी उद्योग और श्रमदान दोनों के लिए ही एक उचित विधि का क्या महत्व हो सकता है? स्पष्ट कीजिए।
- 5 भारत में ओद्योगिक श्रमिकों की भर्ती के तरीकों का वर्णन कीजिए। मुधार के लिए सुझाव भी दीजिये।
- 6 भारतीय श्रमिकों की भर्ती के साथ कौन-कौन से दुराचार संयुक्त किये जा चुके हैं? रोजगार दफतरों की स्थापना के द्वारा वे कहा तक दूर किये जा चुके हैं?
- 7 भारत में ओद्योगिक श्रम की भर्ती के विभिन्न तरीकों का सक्षेप में वर्णन कीजिए। रोजगार के दफतर कहा तक भर्ती के अवगुणों और गुणियों को दूर करने में सफल हो पाये हैं?
- 8 ‘मध्यस्थी के द्वारा श्रम की भर्ती गभीर अवगुणों सहित सदा ही डरावनी हो जाकी है।’ आलोचनात्मक विवेचना कीजिये।
- 9 ‘मध्यस्थी के द्वारा श्रम की भर्ती गभीर अवगुणों सहित सदा ही डरावनी हो जाकी है लेकिन फिर भी वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो कार्यों के एक भयकर घूँह म अपने आप को बिलाता है। स्पष्ट कीजिए।
- 10 मध्यस्थी द्वारा श्रमिकों की भर्ती की पद्धति सदैव दाष से युक्त रही है, किन्तु फिर भी जाँचर श्रम की नियुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो कि अनेक कार्य करता है।’ विवेचन कीजिए।
- 11 आधुनिक उद्योग में भर्ती के वैज्ञानिक साधनों की आवश्यकता है।’ देश में प्रचलित भर्ती की पद्धतियों के सदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए तथा यह बताइये कि इनके दोषों के निवारण में राष्ट्रीय सेवा केन्द्रों का क्या योगदान हो सकता है?

अध्याय 7

रोजगार दफतर या सेवानियोजन कार्यालय (Employment Exchanges)

आश्रम रोजगार दफतर श्रमिकों की भर्ती की आधुनिक पद्धति है। रोजगार दफतर एक ऐसी संस्था है जो सेवायोजक और कार्य की खोज करने वाले के बीच मध्यस्थ का कार्य करती है अर्थात् सेवायोजक को आवश्यक श्रमिक पाने तथा श्रमिकों को आवश्यक रोजगार प्राप्त करने में सहायता देती है। सक्षेप में, रोजगार दफतर वह संगठित संस्था है जो कार्य खोजने वाले श्रमिकों और सेवायोजकों को एक-दूसरे के संपर्क में साती है।

क्या ये रोजगार उत्पन्न करते हैं ?

कुछ व्यक्तियों का विचार है कि रोजगार दफतर रोजगार का निर्माण करते हैं। परतु यह विचार गलत है क्योंकि रोजगार दफतर रोजगार का निर्माण नहीं करते बल्कि श्रमिकों की माग और पूर्ति के बीच सुव्यवस्था या सतुलन स्थापित करते हैं, जिससे श्रमिकों को कार्य प्राप्त करने में सरलता हो जाती है और सेवायोजकों वो भी योग्य व्यक्तियों की सेवाएँ अल्प सूचना पर ही प्राप्त हो जाती हैं। जिन लोगों को रोजगार की आवश्यकता होती है वे अपना नाम निकटतम रोजगार दफतर में रजिस्टर करा आते हैं। इसी प्रकार, जो सेवायोजक श्रमिकों की आवश्यकता अनुभव करते हैं वे भी रोजगार दफतर में अपनी अम आवश्यकताओं सबधी विस्तृत सूचना भेज देते हैं। रोजगार दफतर उचित व्यक्ति को जूनकर सेवायोजकों के पास विचारार्थी भेज देते हैं। इस प्रकार, रोजगार दफतर न तो स्वयं नियुक्ति करता है और न किसी प्रकार के रोजगार को उत्पन्न करता है। इसका कार्य काम खोजने वाले श्रमिकों और अम की आवश्यकता वाले सेवायोजकों के मध्य संपर्क स्थापित करता है। अतिम निर्णय सेवायोजकों व काम चाहने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार, रोजगार दफतर श्रमिकों की माग और पूर्ति में सतुलन स्थापित करते हैं तथा प्रत्येक स्थान पर उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति कराने में सहायक होते हैं।

रोजगार दफतरों के कार्य (उद्देश्य व महत्व)

रोजगार दफतरों के कार्यों से ही उनके महत्व का आभास होता है। रोजगार

दफतर के महत्वपूर्ण कार्य व उद्देश्य इस प्रकार हैं—

1 अम की मांग और पूर्ति मे सतुलन स्थापित करना : प्रत्येक बीड़ोगिक व्यवस्था के सुसचालन के लिए श्रम की मांग और पूर्ति के बीच सतुलन होना आवश्यक है। यह सतुलन उसी समय सभव है जब एक और रोजगार चाहने वाले श्रमिकों को रिक्त स्थानों के विषय मे ठीक-ठीक सूचना उचित समय पर मिलती रहे और दूसरी ओर रोजगार देने वाले सेवायोजकों को यह जान हो कि जिस प्रकार के श्रमिक उन्हें चाहिए उस प्रकार के श्रमिकों की पूर्ति सभव है या नहीं। रोजगार दफतर इस कार्य को बड़ी कुगलता मे सपादित करते हैं। इन दफतरों को श्रमिकों की मांग और पूर्ति दोनों का ही ठीक-ठीक ज्ञान रहता है और जहाँ जिस प्रवार के श्रमिकों की मांग होती है वहाँ उसी के अनुसार श्रमिकों की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार रोजगार दफतर श्रमिकों की मांग और पूर्ति के बीच सतुलन स्थापित करके एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।

2 श्रगिकों की गतिशीलता मे बढ़ि रोजगार दफतर श्रम की गतिशीलता मे बढ़ि करते हैं। प्रो० पीरगू ने लिखा है “किसी विशेष स्थान पर अध्यवा एक समय-विशेष मे किसी उद्योग मे श्रम बेचने वालों का देरोजगार रहना स्वाभाविक ही है जबकि किसी दूसरे स्थान पर अध्यवा किसी दूसरे उद्योग मे बच्छी मजदूरी पर उनके लिए कार्य रहता है किंतु वे अमिक इन कार्यों को इसलिए नहीं प्राप्त कर पाते क्योंकि इन रिक्त स्थानों के सबध मे उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं होता।¹ रोजगार दफतर देश के विभिन्न क्षेत्रों और व्यवसायों मे होने वाले रिक्त स्थानों की सूचनाएँ श्रमिकों को देकर उनकी गतिशीलता मे बढ़ि कर देता है। रोजगार दफतर श्रमिकों को यह जानकारी देता है कि किस स्थान पर, किस प्रकार का व कितनी मजदूरी का रोजगार रिक्त है। इससे श्रमिकों की गतिशीलता बढ़ जाती है।

3 योग्यता के अनुसार श्रमिकों को रोजगार विलासा : इन रोजगार दफतरों की सहायता से श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार उचित रोजगार मिल जाता है। श्रमिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुभव व योग्यता का पूरा विवरण रोजगार दफतरों मे लिखा रहता है। सब श्रमिकों के विवरण को वर्गीकृत करके रखा जाता है जिससे कि रिक्त स्थान होने पर सरलता से उपयुक्त कर्मचारी को उसके लिए भेजा जा सके।

4 भर्ती की अन्य गतियों के दोषों को दूर करना जैसाकि हम अध्ययन कर चुके हैं कि रोजगार दफतर के अतिरिक्त उद्योगों मे श्रमिकों की भर्ती की जितनी प्रणालिया प्रचलित है वे पूर्णतया दोषों से भरी हैं। इन प्रणालियों से उत्पन्न दोषों के कारण श्रमिकों की कार्य-कुशलता मे कमी आती है और उद्योगों का उत्पादन कम होता है। रोजगार दफतर भर्ती की अन्य प्रणालियों के दोषों को दूर करता है क्योंकि इस प्रणाली को उचित ढंग से काम मे लाया जाय तो इसके द्वारा अन्य प्रणालियों के सभी दोषों से सरलता से बचा जा सकता है।

5 रोजगार के अवसरों का पूल (Pool) रोजगार दफतरों को रोजगार के

अवसरों का सबसे बड़ा पूल समझा जाता है। भारतवर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र में लोक सेवा आयोग द्वारा चुने जाने वाले पदों के अतिरिक्त शेष सभी प्रकार के रिक्त स्थानों की पूर्ति रोजगार दफतरों द्वारा की जाती है। रोजगार दफतर (अनिवार्य रिक्त स्थानों की सूचना) अधिनियम, 1959 के अनुसार तीन माह से अधिक अवधि वाले सभी पदों के लिए रोजगार दफतर से प्रार्थी बुलाना आवश्यक है।

6 सेवायोजकों के लिए महत्त्व रोजगार दफतर सेवायोजकों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। प्रत्येक सेवायाजक के दृष्टिकोण से उसके कारखाने में किसी भी रिक्त स्थान का थ्रेटनम व्यक्ति द्वारा भरा जाना बहुत महत्त्व रखता है। रोजगार दफतर इस कार्य में सेवायोजकों की सहायता करता है। यदि रोजगार दफतर यह कार्य न करे तो सेवायोजकों को शीघ्र योग्य व्यक्ति मिलना कठिन होगा। यही नहीं, रोजगार दफतरों की सेवाओं के कारण ही रिक्त स्थानों का विज्ञापन देने या भर्ती के लिए एक विशेष विभाग खोलने में सेवायोजकों का जो व्यय होता है वह भी बच जाता है।

7 तकनीकी शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। रोजगार दफतर अभिकों के लाभार्थ विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण कार्य भी समर्थित करते हैं और इस कार्य के हेतु देश में प्रशिक्षण संस्थाओं का संगठन करते हैं। भारत में रोजगार दफतरों का यह एक विशिष्ट कार्य समझा जाता है। यदेशी में उन दफतरों द्वारा प्रशिक्षण संस्थायें चलायी जाती हैं, जो विभिन्न उद्योगों के लिए कर्मचारी तैयार करती हैं।

8 मार्ग-दर्शन प्रदान करना : रोजगार दफतर अनुभवी तथा गैर-अनुभवी वयस्कों को मार्ग-दर्शन प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। मार्ग-दर्शन कई तरीकों द्वारा प्रदान किया जाता है, जैसे (अ) मार्ग-दर्शन वार्ता के द्वारा जिसमें व्यवसायिक मार्ग-दर्शन अधिकारी प्रतिदिन व्यवसाय में चुनाव के लिए उचित परामर्श प्रदान करता है। (ब) साक्षात्कार के द्वारा व्यक्ति-विशेष को चुनाकर उसकी समस्या के समाधान वा प्रयास किया जाता है। (स) विचार विभाव के दौरान व्यावसायिक मार्ग-दर्शन अधिकारी रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों के साथ सामूहिक रूप से रोजगार वक्सरों व प्रशिक्षण सुविधाओं आदि के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करता है। (द) रोजगार दफतर द्वारा प्रकाशित साहित्य भी पूलों, कॉलेजों और वाचनालयों को वितरित किया जाता है। (य) स्कूल, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में व्यवसाय-वार्ता भी व्यावसायिक मार्ग-दर्शन अधिकारियों द्वारा नवमुद्योगों को प्रदान की जाती है।

9 व्यावसायिक सूचना का नयहृण व प्रसारण रोजगार दफतर देश के विभिन्न व्यवसायों के मध्य में सूचना नियमित रूप से एकन व प्रकाशित करते रहते हैं जोकि समाज के लिए बहुत उपयोगी है।

10 रोजगार सबधी आकड़े एकत्र करना ये दफतर रोजगार सबधी अनेक उपयोगी आकड़ों का सकलन करते हैं, जैसे बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, उन लोगों की संख्या जिन लोगों को कार्य मिल गया है इत्यादि। इन आकड़ों की सहायता से यह पता लगाया जा सकता है कि देश में रोजगार की क्या स्थिति है, बेरोजगारी घट रही है या व्यावसाय घट रही है, किन्तु व्यक्तियों को कार्य दिलाने में उनको सफलता मिली है, इत्यादि।

11. रोजगार संबंधी शोध करना : चूंकि रोजगार दफतरों के पास नये आकड़े व नई सूचनाएँ आती रहती हैं इसलिए रोजगार में सबधित शोध में इनको आसानी होती है।

12. राष्ट्रीय लाभांश में बुद्धि : राष्ट्रीय लाभांश या उत्पादन को बढ़ाने के लिए पह आवश्यक है कि देश में उपलब्ध समस्त श्रम-शक्ति का उपयोग किया जाय अर्थात् वेरोजगार श्रमिकों को रोजगार दिया जाय और साथ ही प्रत्येक श्रमिक को उसकी योग्यता के अनुसार ही रोजगार प्रदान किया जाय। रोजगार दफतर इन दोनों कार्यों को उचित ढंग से करके राष्ट्रीय लाभांश को बढ़ाने में सहायक होते हैं।

13. योजना बनाने में सहायक रोजगार दफतर उपयोगी योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाते हैं जैसे कर्मचारी राज्य बीमा योजना, वेरोजगारी बीमा योजना, विस्थापित श्रमिकों के पुनर्वास की योजना आदि।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि एक देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार दफतरों का महत्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि रोजगार दफतरों के महत्व को अतराष्ट्रीय आधार पर स्वीकार कर लिया गया है।

भारत में रोजगार दफतरों का महत्व अन्य देशों से कही अधिक है क्योंकि हमारे देश में आर्थिक नियोजन के अंतर्गत औद्योगिक रण की योजनायें नियान्वित की जा रही हैं। इनकी सफलता के लिए थोड़ा व्यक्तियों की नियुक्ति आवश्यक है। इस कार्य में रोजगार दफतर अत्यंत उपयोगी योगदान प्रदान करते हैं।

विदेशों में रोजगार दफतर (Employment Exchanges Abroad)

विश्व में औद्योगिक क्रान्ति के साथ ही रोजगार दफतरों वी आवश्यकता भी अनुभव होने लगी थी। यही कारण है कि इनकी स्थापना विश्व में औद्योगिक क्रान्ति के बाद ही प्रारंभ हुई है। सबंप्रथम, 1833 में जर्मनी में ऐते कार्यालय स्थाने गये। जर्मनी में 1918 में उन समस्त रोजगार दफतरों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिनकी स्थापना 1883 ने एचिंडिक संस्था के रूप में की गई थी। 1891 म न्यूजीलैंड की सरकार ने सगठन एवं नियन्त्रित रोजगार दफतरों की स्थापना की। 1927 मे वर्निन म 'राष्ट्रीय श्रम बिनियोग' तथा 'रोजगार बीमा संस्थान' (National Institute of Labour Exchange and Employment Insurance) की स्थापना हुई। फ्रास में सर्वप्रथम सामुदायिक रोजगार कार्यालयों की स्थापना की गई। दाद मे इनके स्थान पर 1914-18 के बीच विभागीय रोजगार कार्यालय (Departmental Employment Exchanges) चालू किये गये।

हम ने स्टाफ कार्यालय (जिसको स्थापना 1931 मे गण्डीय समाजनीय व्यवस्था के अंतर्गत की गई) ही उन समस्त कार्यों को करते हैं जो रोजगार दफतर करते हैं। अमेरिका प 1915 तक रोजगार दिलाने का कार्य करने की कुछ नियों संस्थायें थीं जो यह काम थमियों से कुछ फीस लेकर करती थीं। 1923 म सरकारी श्रम

विभाग के माध्यम से इन पर नियन्त्रण रखने का प्रयास किया गया। आजकल भी अमेरिका में निजी रोजगार दफतर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ग्रेट ब्रिटेन में प्रथम रोजगार दफतर 1885 में ऐंघम नामक स्थान पर स्थापित किया गया जो नि शुल्क सेवा प्रदान करता था। 1902 में एक अधिनियम पास किया गया जिसके अनुसार स्थानीय संस्थाओं को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे रोजगार दफतर स्थापित कर सकती हैं। सरकारी रोजगार के दफतर 1910 में स्थापित किये गये। 1920 में उन्हें ब्रिटेनी बीमा का एक आवश्यक अंग माना गया। अब ग्रेट ब्रिटेन में लगभग एक हजार रोजगार दफतर हैं।

भारत में रोजगार दफतर (Employment Exchanges in India)

ऐनिहासिक पुनर्वेक्षण

अतर्राष्ट्रीय धर्म संगठन ने अपने 1919 के अभिसमय (Convention) द्वारा यह फ़िकारिय दी थी कि नि शुल्क रोजगार दफतरों की स्थापना समस्त देशों में की जाय। नारत में इस अभिसमय का 1921 में समर्चन किया गया था लेकिन 1938 में इस पुनर्वेक्षण धोषित किया गया। 1929 के शाही धर्म आयोग ने रोजगार दफतरों की स्थापना के विरुद्ध सुझाव दिया। शाही धर्म आयोग ने कहा है कि ऐसे समय में जब विभिन्न मालिकों द्वारा मिल के दरवाजे पर ही काफी श्रमिक मिल सकते हैं तो रोजगार दफतर अधिक लाभदायक नहीं हो सकते। परतु श्रम अनुसंधान समिति ने रोजगार दफतरों की सहाया बढ़ाने का सुझाव दिया। दूसरी समितियों भेवायोजकों व श्रमिक संघों ने भी समिति वे इस विचार का समर्थन किया।

द्वितीय महायुद्ध के समय भारत सरकार को युद्ध-सामग्री उत्पन्न करने वाले कारखानों और फौज के लिए तकनीकी कर्मचारियों का अभाव अनुभव होने लगा था। इस अभाव को दूर नहने के लिए 1943-44 में 9 रोजगार दफतरों की स्थापना की गई। भारत में रोजगार दफतरों का धीरेण्ठ यहीं से हुआ। द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने पर भारत में अतिरिक्त सैनिकों को निकाल दिये जाने पर उनकी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। इस समस्या को हल करने के लिए रोजगार दफतरों की स्थापना की आवश्यकता अनुभव की गई। इसी आवश्यकता की पृति के लिए जुलाई, 1945 में एक डायरेक्टर जनरल ऑफ सेटलमेंट एड एम्प्लायमेंट की स्थापना की गई थी। इसकी मेजा के लिए 70 रोजगार दफतर खोले गये। 1947 में इन रोजगार दफतरों का क्षत्र बहुत विस्तृत कर दिया गया ताकि ये उन सब श्रमिकों की मेवा कर सकें जो राजगार की खोज में हो। 1 नवम्बर, 1956 से रोजगार दफतर और प्रशिक्षण केन्द्र राज्य सरकारी व नियन्त्रण में आ गये हैं। अब केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व के तहत नीनि संबंधी कार्य समाजन और देलभाल तथा व्यवस्था संबंधी व्यय का 60 प्रतिशत सहन बरने तक ही सीमित रह गया है।

वर्तमान स्थिति

इस समय दफतरों का सगठन एक डायरेक्टर जनरल के अधीन रखा गया है। इस डायरेक्टर जनरल के अन्तर्गत तीन अन्य डायरेक्टर भी हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं—

- 1 डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लायमेंट एक्सचेंज ।
- 2 डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग ।
- 3 डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिमिटी ।

धोशीय नगठन व स्थानीय कार्यालयों द्वारा समरत देश की आवश्यकता को व्यवस्थित रूप से पूरा करने का प्रयत्न किया जाता है। नई दिल्ली का केंद्रीय रोजगार दफतर अतप्राप्तीय निकासी गृह वा कार्य करता है। धोशीय रोजगार दफतरों में महिला विभाग है। चलते फिरते रोजगार दफतरों की स्थापना भी की गई है। ये चलते फिरते दफतर बड़ी बड़ी मोटरों में होते हैं तथा धोशीय व उपक्षेत्रीय दफतरों द्वारा सचानित होते हैं। शारीरिक रूप से अपग्रेडिंग की नियुक्ति के सबध में सहायता देने हेतु दो व्यावसायिक पुनर्वापि केंद्र (हैदराबाद और बर्बई) में जून, 1968 से वाय करने लगे हैं। रोजगार कार्यालयों का दैनिक प्रशासनिक नियन्त्रण 1956 से राज्य सरकारों को सौंप दिया गया था। अप्रैल 1969 से इनको मानवीय शक्ति एवं रोजगार प्रायोजनाओं का वित्तीय नियन्त्रण भी प्राप्त हो गया है। रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली रोजा के गुण को सुधारने के लिए कई योजनाएँ—जैसे गोजगार बाजार सबधी सूचना का संग्रह व्यावसायिक अनुसंधान एवं विशेषण तथा व्यावसायिक मर्यादान एवं रोजगार सबधी परामर्श—शुरू की गई हैं। 1958 में केंद्रीय रोजगार समिति गठित की गई जो रोजगार सुअवसरों के सूजन, राष्ट्रीय रोजगार सेवा की काय प्रगति तथा रोजगार सबधी समस्याओं पर सरकार को परामर्श देती रहती है।

वर्तमान समय में रोजगार दफतरों द्वारा जो सवाएँ प्रदान की जा रही हैं वे इस प्रकार हैं—

- (अ) रोजगार बाजार से सबधित सूचनाओं का एकत्र करना।
 - (ब) पेशा सबधी शोध तथा विश्लेषण (occupational research and analysis)।
 - (स) पेशा के चुनाव तथा प्रशिक्षण (training) सुचिपाओं के सबध में पुरित कामा (hand books) का प्रकाशन।
 - (द) मौखिक परीक्षा (oral testing) का विकास।
- अगले पृष्ठ पर दी मारणी। म राजगार दफतरों के नाय की प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है।

सारणी—1 : रोजगार कार्यालयों की गतिविधियाँ

वर्ष	रोजगार कार्यालयों की संख्या	परीक्षित अवधियों की संख्या	रोजगार पाने वाले अधिकारियों की संख्या	चालू राजस्टर में अधिकारियों की संख्या	रोजगार कार्यालयों का सामूहिक उठाने वाले मालिकों का ग्राहिक बोस्ट	जापित रिक्त रूपानों की संख्या
1956	143	16,69,985	1,89,855	7,58,503	5,346	2,96,618
1966	396	38,71,162	5,07,342	26,22,460	12,908	8,52,467
1972	453	58,26,916	5,07,111	68,96,238	13,154	8,58,812
1974	481	51,76,274	3,96,898	84,32,869	12,175	6,72,537
1976	517	56,19,397	4,96,781	97,84,332	13,277	8,45,575
1980	567	61,58,242	4,77,651	1,62,00,270	13,227	8,37,725
1982	619	58,62,900	4,73,400	1,97,53,000	—	8,19,900

श्रमिकों को प्रशिक्षण

1954 में देश के श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार प्राप्ति कराने के लिए जधिक योग्य बनाने के उद्देश्य से 'श्रमिकों की प्रशिक्षण योजना' नामक एक योजना चलाई गई। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् व्यक्ति को 'राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र बोर्ड' (National Trade Certificate Board) द्वारा हिस्टोरी प्रदान कियोग्याता है।

श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता, बड़ौदा, दिल्ली, कानपुर, हैदराबाद, तमिलनाडु व लुधियाना में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थायें भूमिका हो गई हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पर्यवेक्षकों, फोरमेनों, आचार्यों और ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के नियोजकों का प्रशिक्षण भी सम्मिलित है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बहुतल ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ही नहीं है बल्कि उद्योग के दूसरे श्रमिकों के लिए भी है जिनके लिए राजि की कक्षायें लगाई जा रही हैं।

एक राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी स्थापना की गई है जो सरकार को प्रशिक्षण की नीति सब धरी सभी समस्याओं पर परामर्श देने वे अतिरिक्त श्रमिकों की कार्य-कुशलता का प्रमाण-पत्र भी प्रदान करता है।

रोजगार दप्तरों का आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Appraisal of Employment Exchanges)

रोजगार दप्तर भारत में भर्ती के दोषों को दूर करने और भर्ती की एक वैज्ञानिक पद्धति का विकास करने में असफल रहे हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं—

1 दिल्लावटी काम : अधिकतर रोजगार दप्तर अपने कर्मचारियों को कारखानों के दरवाजों पर भेज देते हैं जिराग कि वे इन श्रमिकों का नाम उन श्रमिकों में, जो उन कारखानों में पहले से काम कर रहे हैं, लिख लें ताकि वे यह तिदं कर सकें कि उनका अस्तित्व व्यायपूर्ण है। वे रोजगार श्रमिक स्वयं अपने प्रयास से कार्य पाता है तो भी रोजगार दप्तर में यदि उसका नाम दर्ज है तो दप्तर उस अपनी उपलब्धि दिखलाता है।

2 सेवा भाव का नितान अभाव इन दप्तरों के कर्मचारियों में सेवा भाव का नितान अभाव है। एक तो जो व्यक्ति अपना नाम रजिस्टर कराने के लिए जाते हैं उन्हें घटो और कभी-कभी पूर दिन बनावश्यक रूपना पड़ता है। प्रायः लोगों को कार्य की सूचना उस समय मिलती है जब भर्ती हो चुनती है। चूंकि रोजगार दप्तर एक सरकारी विभाग है अतः सरकारी प्रशासन के सब दोष इसमें भी पाये जाते हैं।

3 भ्रष्टाचार व पक्षपात इन दप्तरों में पक्षपात और भ्रष्टाचार व भी बहुत-से प्रमाण मिलते हैं। यह देखा जाता है कि इन दप्तरों में काम करने वाले कर्मचारी अपने नाम-रिक्तेशारी और इष्ट मिला को कार्य वित्तान में प्राप्तिकर्ता दत हैं। इन दप्तरों से संकात्कार-पत्र निकालने के लिए बहुधा मरविन कर्मचारियों को सघू देना पड़ता है।

4 अन्य दोष उपरोक्त दोषों के अतिरिक्त रोजगार दफतरों में और भी दोष हैं, जैसे—

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में इन दफतरों का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई देता।

(ii) इनमें लाभदायक रोजगार के प्रशिक्षण का अभाव है।

(iii) ये निर्धन श्रमिकों को किसी प्रकार से आर्थिक सहायता नहीं प्रदान कर पाते।

(iv) भारत में रोजगार दफतरों के प्रशासन का जो विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, इससे श्रमिकों की गतिशीलता और भर्ती का दायरा केवल एक राज्य तक ही सीमित हो गया है।

फिर भी यह चहता उपरोक्त नहीं है कि दफतरों ने कोई काय नहीं किया है। घन्तुत देश की विशालता और बेरोजगारी के आकार को देखते हुए इन रोजगार दफतरों की सहया बहुत कम है। विगत वर्षों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण बेरोजगारी की समस्या इतनी विस्फोटक हो गई है कि कोई भी कार्य पर्याप्त नहीं हो सकता। यहां इस प्रकार के कार्यों के लिये अपार धैर्य परिश्रम और साधनों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त भारत के अकुशल श्रमिक अधिक्षित व अज्ञानी होने के कारण भी इन दफतरों के महत्व को नहीं समझ पाये हैं। साथ ही इन दफतरों के पास ऐसी जकित नहीं है जिसके द्वारा ये भी सेवायोजकों को रोजगार के दफतर के द्वारा ही श्रमिकों की भर्ती व अन्य पदाधिकारियों व कलकौ आदि की नियुक्ति के लिए बाध्य कर सके। रोजगार दफतरों की इन सीमाओं को ध्यान में रखकर ही राष्ट्रीय श्रम आधार ने लिखा है ‘विछले बीस वर्षों में गष्टीय नियोजन सेवा ने उद्योगपतियों और काय की तलाश करने वालों को मिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्नति के लिए मुझाव

भारतीय रोजगार दफतरों की काय प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं—

1. सहया में वृद्धि भारत की आवश्यकता को देखते हुए रोजगार दफतरों की सहया में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए। 20 हजार से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्यक्ष स्थान पर रोजगार दफतर होता चाहिए।

2 श्रमिकों को नौकरी दिलाने में पूर्ण तटस्थिता रोजगार दफतर को श्रमिकों को नौकरी दिलाने में पूर्ण तटस्थिता दिखानी चाहिए। उन्हें प्रक्षणात नहीं करना चाहिए। इन दफतरों को श्रम बाजार का अधिक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करके अधिकाधिक राजगार दिलाने का प्रयास करना चाहिए।

3 श्रमिकों को आर्थिक सहायता निधन श्रमिकों की आवश्यकता पटने पर आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए और राजगार मिल जाने पर यह धन उनसे किसी भी सेवायोजकों का पूर्ण सहयोग आवश्यक है।

4 सेवायोजकों का सहयोग सेवायोजकों का पूर्ण सहयोग आवश्यक है। उन्हें

प्रत्येक रिक्त स्थान की पूर्ति इन्हीं दफतरों के माध्यम से ही करनी चाहिए। सेवानियोजकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए कि वे रिक्त स्थानों की पूर्ति रोजगार दफतरों के माध्यम से ही करें। यह बड़े दर्जे का विषय है कि अहमदाबाद मिल मालिक संघ वे सदस्य रोजगार के दफतरों के द्वारा अनिवार्य रूप से भर्ती के पद में हैं।

5 अन्य सुझाव (1) इन दफतरों को तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण पर जटिल बल देना चाहिए।

(ii) विशेष प्रवार के रोजगार दफतरों की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें विशिष्ट उद्योगों के श्रमिक भी लाभ उठा सकें।

(iii) इन दफतरों की कार्य-विधि का विशेष निरीक्षण होता चाहिए ताकि अप्टाचार आदि दूर हो जाय।

(iv) रोजगार दफतरों को ग्रामीण क्षेत्रों के कस्बों में भी स्थापित किया जाना चाहिए।

शिवाराव समिति की सिफारिश

(Recommendations of Shiva Rao Committee)

भारत सरकार के योजना आयोग की सिफारिशों के आधार पर नवबद्ध, 1952 में बो० शिवाराव वे सभापतित्व में सात सदस्यों की एक कमेटी (जिसमें श्रमिक तथा मालिकों के प्रतिनिधि भी थे) रोजगार दफतरों के संगठन, पद्धति व कार्य आदि की जाच करने तथा उनमें सुधार के हेतु सुझाव देने के लिए नियुक्ति री गई। इस समिति ने 28 अप्रैल, 1954 को अपनी रिपोर्ट सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट की उल्लेखनीय सिफारिशें इस प्रकार हैं—

1 रोजगार दफतरों का नाम राष्ट्रीय रोजगार रोदा होना चाहिए।

2 रोजगार दफतरों को स्थायी संगठन के रूप में कार्य करना चाहिए।

3 प्रशासन को द्वितीय होना चाहिए अर्थात् रोजगार दफतरों का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारी को सौंप देना चाहिए और केंद्र सरकार पर वेवल नीति आदि बनाने का उत्तरदायित्व होना चाहिए।

4 सरकारी तथा अद्वंसरकारी नीकरियों की भर्ती जहा तक सभव हो सके रोजगार दफतरों द्वारा ही होनी चाहिए।

5 केंद्र की अनुमति के बिना न तो नये दफतर खोले जायें और न वद दिये जायें।

6 निजी क्षेत्र वे उद्योगों को अपने रिक्त स्थानों की मूचना अनिवार्य रूप से देनी चाहिए।

7 श्रमिकों के नाम दर्ज कराने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए।

8 रोजगार दफतरों को अमिको व सेवायोजकों को अपनी समाये बिना किसी कोस वे देनी चाहिए।

9. नकुशस अमिको की भर्ती के लिए किसी प्रसार की अनिवार्यता सेवायोजकों

पर नहीं लानी चाहिए।

10 रोजगार कार्यालयों के कामों का विस्तार करना चाहिए। रोजगार के बाकडे एकत्र करना, रोजगार के लिए परामर्श देना, व्यावसायिक अनुसंधान, विश्लेषण और प्रशिक्षण आदि कार्य रोजगार दफ्तर को आवश्यक रूप से करना चाहिए।

शिवाराव समिति के अधिकारा सुझाव मान लिए गये हैं और धीरे-धीरे उनके सुझाव के आधार पर रोजगार दफ्तरों की दशा में सुधार किया जा रहा है।

आर्थिक नियोजन एवं रोजगार के दफ्तर

(Economic Planning & Employment Exchanges)

प्रथम पचवर्षीय योजना प्रथम पचवर्षीय योजना में रोजगार दफ्तरों की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए देश की औद्योगिक व्यवस्था में इन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। प्रथम पचवर्षीय योजना आयोग ने कहा “सरकार द्वारा स्थापित रोजगार दफ्तर यद्यपि बहुत ही सीमित सेवा कर रहे हैं फिर भी यह सेवा बही लाभदायक है। यह जानने के लिए कि इसे ठीक करने के लिए इसके तरीकों और ममटन में क्या परिवर्तन होना चाहिए, एक जांच तुरत ही की जानी चाहिए।” इस सुझाव के अनुसार भारत सरकार ने शिवाराव समिति की स्थापना की। इस समिति ने 1954 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें इस सम्बन्धीय सुझाव के लिए सुझाव दिये गये।

द्वितीय पचवर्षीय योजना: इस योजना में भारत सरकार ने राव समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए रोजगार दफ्तरों के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया। इस विषय में जो प्रस्ताव रखे गये वे इस प्रकार हैं—

(अ) रोजगार दफ्तरों के सेवा क्षेत्र को विस्तृत किया जाय ताकि ये ग्रामीण क्षेत्र में उचित सेवा कर सकें।

(ब) देश में एक युवक रोजगार कार्यालय की स्थापना की जाय जो युवा श्रमिकों की भर्ती के विषय में कार्य करे।

(स) इन दफ्तरों को रोजगार बाजार से सबधित विविध प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करना चाहिए।

(द) रोजगार दफ्तरों को काम खाहन वाले व्यक्तियों को ढूढ़ने अथवा काम नहुने के विषय में परामर्श देना चाहिए।

(य) इन दफ्तरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक प्रवध करना चाहिए।

द्वितीय योजना अवधि में 125 अतिरिक्त रोजगार दफ्तर खोले गये

तृतीय पचवर्षीय योजना इस योजना में द्वेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए ऊपर वर्णित कार्यक्रमों को व्यावहारिक रूप देने के अतिरिक्त श्रमिकों को विभिन्न व्यवसायों व उद्योगों में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए उनके प्रशिक्षण पर बहुत जोर दिया गया।

चतुर्थ पचवर्षीय योजना इस योजना में रोजगार दफ्तरों को, विश्वविद्यालयों

को सलाह व इनफॉर्मेशन बूरो को तकनीकी सलाह व सुझाव देने वाले हैं एवं ऐसे रोजगार के आकड़े इकट्ठे करने वाले रोजगार याजारों के कार्यक्रम को संक्षिप्तशास्त्री बनाकर रोजगार सेवा का अधिक प्रसार किया गया।

पंचम पंचवर्षीय योजना: इस योजना में अपनाये गये ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के साथ इन योजनाओं पर अमल भी किया गया।

षष्ठम पंचवर्षीय योजना: इस योजना में राष्ट्रीय नियोजन सेवा को और भी उपयोगी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

निष्कर्ष : रोजगार दफतरों के महत्त्व, उनकी वर्तमान स्थिति, सेवाओं और सफलताओं आदि के आलोचनात्मक मूल्यांकन के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि रोजगार दफतर एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्था है। परन्तु यदि इसमें अपेक्षित सुधार नहीं किए गए तो यह अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में असुमर्य रहेगी। वर्तमान आर्थिक स्वरचना में जहाँ लोग बेरोजगार हैं और साथ ही प्रशिक्षण सुविधाओं का भी अवास है, शब्द की मांग व शूरूति में सामर्जस्य बनाए रखने के लिए रोजगार दफतर अत्यन्त उपयोगी है।

परोक्षा-प्रश्न

1. श्रम की मांग एवं पूर्ति के बीच समघ स्थापित करने वाली एक कड़ी के रूप में रोजगार के दफतरों के महत्त्व की विवेचना कीजिए।
2. क्या सेवा रोजगार कार्यालय रोजगार उत्पन्न करते हैं? एक अद्विकसित देश के आर्थिक विकास में इनकी उपयोगिता एवं अर्थ बताइये।
3. भारत में रोजगार के दफतरों के इतिहास व समग्र की विवेचना कीजिए। इनकी वार्ष प्रणाली में क्या दोप हैं? इनके सुधार के लिए सुझाव दीजिए।
4. "भारतीय उद्योगों में श्रम की भर्ती के तरीके इच्छक होने के लिये बहुत अधिक छोड़ देते हैं और कार्य-समता की ओर नहीं झुकते।" इस कथन के प्रकाश में भारत में रोजगार के दफतरों का महत्त्व, कार्य और प्रगति की व्याख्या कीजिये।
5. "जिस समय तक समाज की आधुनिक व्यवस्था रहती है और उस समय तक जब तक कि उसका स्थान ऐसी व्यवस्था नहीं ले लेनी जिसमें प्रत्येक नागरिक को निकाप और सेवा अवमर प्राप्त नहीं होता, उन समय तक श्रम की मांग और पूर्ति पर आवश्यक सत्त्वन सम्बन्ध नहीं है।"

उक्त वाक्य को दृष्टि न रखते हुए रोजगार के दफतर के महत्त्व और कर्तव्यों की भारतीय दृष्टिकोण से विवेचना कीजिए।

6. "दृम दान वी पूर्ण सावधानी रखनी चाहिये कि श्रमिकों की भर्ती करते समय उनमें पूर्ण ज्ञान और योग्यता के साथ चारित्रिक गुण भी पाये जाते हैं जिससे कि वे अपने कर्तव्य का पूरा पालन कर सकें।" स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि भारतीय उद्योगों में श्रम भर्ती का क्या आधार अपनाया जाता है।
7. "रोजगार के दफतर, रोजगार को व्यवस्थित करने के लिये है, त कि रोजगार को

जन्म देने के लिये।” भारत में रोजगार के दफ्तरों की कार्य प्रणाली के प्रकाश में उक्त कथन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिये।

- ८ यद्यपि आपके देश में रोजगार के दफ्तर सतोषप्रद काय कर रहे हैं? उनकी त्रुटियों की व्याख्या कीजिये और उनकी कार्य-प्रणाली के सुधार के लिये उपायों का सुझाव दीजिये।
- ९ भारत में रोजगार के दफ्तरों की कार्य-प्रणाली का आलोचनात्मक विवेचन कीजिये। उनके सुधार के लिए आप कौन-कौन से सुझाव देंगे?

अध्याय ४

कार्य की दशाओं और कार्यके घंटे (Working Conditions and Hours of Work)

कार्य करने की दशाओं का अर्थ व क्षेत्र (Meaning and Scope of Conditions of Work)

कार्य करने की दशाओं से तात्पर्य कारखाने के उस वातावरण से है जिसमें श्रमिकों को कार्य करना पड़ता है। इसमें उनके स्वास्थ्य स्वच्छता, सुरक्षा कल्याण सबधी भवेक बातों का समावेश होता है। सक्षेप में, कार्य करने की दशाओं के अन्तर्गत वह मूर्ति परिवेश या पर्यावरण या जाता है, जिसमें एक श्रमिक को कार्य करना पड़ता है और जो श्रमिक की बाहरी व आतंरिक दोनों ही अवस्थाओं को प्रभावित करता है।

वाय दशाओं के क्षेत्र में जिन विविध बातों का समावेश किया जाता है सक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

१ स्वच्छता स्वच्छता में तात्पर्य यह है कि कार्य करने के स्थान पर किसी भी प्रवार की गदगी न हो और वहां पर प्रतिदिन सफाई की जाय, फौ पर नमी न हो, दीवारों पर मफकी हो, शौचालय व मूत्रालय की मफाई का उचित प्रबंध हो, काम करने की मशीनें साफ सुखरी हो। यही निकलने के लिए नालिया चाही हो, इत्यादि।

२ उचित वायु का प्रबंध कारखानों में शुद्ध वायु के अदर आन तथा गदी वायु के बाहर नाने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जहां पर प्राकृतिक वायु के नाने की कोई उपचार न हो वहां पर कृतिग वायु की व्यवस्था की जानी चाहिए। किंतु किसी उदाया में उत्तापन प्रक्रिया के दीरान हास्यध के लिए हानिकारक गैस उत्पन्न होनी चाही है इसके लिए रोशनदान तथा गैस निकालने वाले पक्षेदार रोशन दान की व्यवस्था होनी चाही है। वायु की उचित व्यवस्था न होने स श्रमिकों के खात्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

३ पर्याप्त प्रकाश वाय करने के स्थान पर उचित मुकादा की व्यवस्था होना भी चाहिए इ अन्यथा श्रमिकों को आदा पर बूत बुरा प्रभाव पड़ता है और वे मरनना नया कार्य करना वे गाय कार्य नहीं कर सकते जिसमें उत्पादन कम होता है। जग नह हा गह दारूतिक प्रकार का प्रबंध होना चाहुए और इसक लिए रोशनदान और तिर्फिकों का पर्याप्त सम्बन्ध म होना आवश्यक है। यदि कृतिम प्रकाल का प्रबंध दिया जाय तो मानसी नेत्र और राह बर्बिक उपयुक्त होग।

4 धूल से रक्षा : धूल श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए यह आवश्यक है कि श्रमिकों के लिए धूल से रक्षा करने का उचित प्रबन्ध हो। अत आस-पास की सड़कों और कारखानों के अदर जल छिड़कने की व्यवस्था की जानी चाहिए और यदि निर्माण किया ऐसी है जिसके परिणामस्वरूप धूल, बुकनी आदि उड़कर इधर-उधर एकत्रित होती रहती है तो उसकी सफाई की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। भारत में गर्म जलवायु होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में धूल अक्सर उड़ा करती है इसलिए भारतीय उद्योगों में जल के छिड़काव का महत्व और भी बढ़ जाता है।

5 उचित तापमान : तापमान का मनुष्य की शारीरिक व मानसिक कार्य-कुशलता से बहुत गहरा संबंध होता है। यदि तापमान बहुत ठड़ा या गर्म है तो दोनों ही दशाओं में श्रमिक काम नहीं कर सकेंगा। भारत में ग्रीष्म काल में इतनी अधिक गर्मी पड़नी है कि मानसिक कार्य तो दूर रहा, शारीरिक कार्य करने की भी इच्छा नहीं होती। अत कृतिम साधनों द्वारा तापमान को कम करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

6 यत्रों से सरक्षण सभी खतरनाक मशीनों के चारों ओर आड़ की व्यवस्था की जानी चाहिए और यदि किसी यत्र के प्रयोग के संबंध में विशेष सावधानी की आवश्यकता हो तो श्रमिकों की उचित आदेश दे देने चाहिए और आवश्यक सावधानी रखने के लिए पोस्टर थोड़ी-थोड़ी दूर पर लगा देने चाहिए।

7 कल्याण-कार्य व्यवस्था इसके अलावा स्नानागार, पीने योग्य स्वच्छ जल, वाचनालय, शिशु-सदन, शौचालय, मूत्रालय खेल के मैदान तथा कैन्टीन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। इन सुविधाओं का भी श्रमिकों की उत्पादकता एवं कार्य क्षमता से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।

8 उचित कार्य के घटे कार्य करने की दशाओं में सबने महत्वपूर्ण बात कार्य के घटे हैं। इनका श्रमिकों नियोक्ताओं और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि कार्य के घटों का श्रमिक की काय-कुशलता, उसके स्वास्थ्य, काम करने की मनोवृत्ति, सामाजिक सम्बन्धों तथा धार्मिक कार्यों के मायथ घनिष्ठ सम्बन्ध है।

6

श्रेष्ठ कार्य-दशाओं का महत्व

(Importance of Working Conditions)

व्यक्ति परिस्थितियों की उपज है, जिस प्रकार वो परिस्थितियों में वह रहता है वह ढलकर उसी प्रकार का बन जाता है। कहा जाता है, पर्यावरण मनुष्य का निर्माण करता है और अगर वह पर्यावरण में सुधार कर ल तो मनुष्य में भी सुधार कर सकते हैं।" जिन परिस्थितियों में मनुष्य कार्य करता है उनका उसके स्वास्थ्य, मनोवृत्ति, काय-क्षमता, उत्पादकता तथा पारिथर्मिक आदि सभी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही नहीं, ओद्योगिक संबंध, श्रम स्थिरता, श्रम-मध्य भी इस प्रभाव से अद्भूत नहीं रहते। अब यदि कोई राष्ट्र यह जाहता है कि ओद्योगिक स्थिट से उसकी सम्भन्नता और उत्पादकता अधिकतम हो, तो वहाँ के श्रमिकों के लिए काम करने की उचित दशाओं का होना बहुत आवश्यक है।

थ्रम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण सक्रिय साधन है और थ्रमिक इस साधन का धारक व वाहक है। अच्छे व उत्तमाहवधंक वातावरण में थ्रमिक अधिक कार्य करता है। जब थ्रमिक को अस्वस्थ और दृष्टिन वातावरण में कार्य करना पड़ता है, जहां पर चारों ओर गदगी रहती है और धूल उठती है तथा वायु एवं प्रकाश का समुचित प्रबंध नहीं होता, तो उसका स्वास्थ्य दिग्डने लगता है तथा उसकी कार्य-क्षमता घट जाती है।

कार्य करने की दशाओं का प्रभाव केवल थ्रमिक के स्वास्थ्य व कार्य-क्षमता पर ही नहीं पड़ता, बल्कि थ्रमिक की प्रवासी प्रवृत्ति तथा औद्योगिक सबध भी इससे प्रभावित होते हैं। आज भारतीय औद्योगिक थ्रमिकों का जो प्रवासी स्वभाव पाया जाता है, उसका मूल कारण भी कार्य करने का दृष्टिवत वातावरण ही है।

थ्रमिकों और मालिकों के बीच शातिपूर्ण और भौत्रीपूर्ण सबध पञ्चाने में कार्य करने की दशाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण है। अनुभव यह बताता है कि जिन कारखानों में कार्य करने की दशाये बनुकूल होती हैं उनमें औद्योगिक विवाद यदा-कदा ही खड़े होते हैं और वे सद्भावपूर्ण वातावरण में सुलझ भी जाते हैं।

कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुरूप कार्य करने की दशाओं से सबधित व्यवस्था

(Working Conditions Under Factories Act, 1948)

कारखानों में उनमें कार्य-दशायें मुनिश्चित करने के लिए भारतीय कारखाना अधिनियम में निम्न व्यवस्था की गई है, जिसका पालन बरना अनिवार्य है—

1. स्वच्छता प्रत्येक कारखाना पूर्ण रूप से स्वच्छ रहना चाहिए तथा नाली में कूड़ा कच्चा, शौचालय आदि के कारण कहीं भी दुर्घंथ नहीं रहनी चाहिए। ज्ञान अधिकारी नाली में द्वारा प्रतिदिन फर्ज़, कार्य करने के कमरों की बैचों आदि में से गदगी साफ होनी चाहिए कारखानों के बदर की दीवारें, छतें, आने-जाने के मार्गों की दीवारें, मोदिया इत्यादि कमन्से कम हर दर्ये साफ किये जाने चाहिए और उन पर सफेदी अथवा वानिश होनी चाहिए।

2. गदगीयुक्त पदार्थों को सफाई गदि कारखानों में निर्माण किया के फल-स्वरूप उसमें कूड़ा करकट या ध्वन्य पदार्थ उत्पन्न होने हैं तो उनकी सफाई के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

3. धूल व पूए से सुरक्षा : यदि किसी कारखाने में उत्पादन प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि उसमें धूल व पूआ उत्पन्न होता है जो थ्रमिकों के लिए हानिकारक व दुर्घंथ-मुक्त हैं तो उसे नाम करने के बारे में उसी रूपय निवालने और एकलित न होने देने की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें दृष्टिवत वायु में सास न ली जाय।

4. रोशनदान तथा नापमान प्रत्येक कारखाने में शुद्ध वायु के आने-जाने के लिए पर्याप्त रोशनदान होने चाहिए। कमरों में नापमान इतना होना चाहिए जिससे थ्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पहे।

५ कृत्रिम नमी • जिन कारखानों में वायु में कृत्रिम ढग से नमी बढ़ायी जाती है, राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वे उनमें सबध में नमी का प्रतिपान निर्धारित कर सकें और उसके पालन के नियन भी बना सकें।

६ अधिक भीड़भाड़ पर नियन्त्रण: कारखाने के किसी भी कमरे में इतने अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए जिसमें श्रमिकों के स्थान पर बुरा प्रभाव पड़े। अधिनियम में पहला आदेश है कि काम करने के स्थान पर प्रत्येक श्रमिक वे नियंत्रकम से-कम ५०० घन फुट का स्थान होना चाहिए।

७ प्रवासी प्रत्येक कारखाने में अदर के भागों में प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से समुचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि किसी कारखाने में ऐसी खिड़किया प्रयोग की गई हैं जिनके काव्य चकाचौथ उत्पन्न करते हों, अथवा आखों को हानि पहुँचाते हों तो उन पर रोक लगा देनी चाहिए।

८ पीने योग्य जल प्रत्येक कारखाने में पीने के लिए स्वच्छ जल का भी उचित प्रबन्ध होना चाहिए। जल पीने का स्थान, स्नानागार, शौचालय, मूत्रालय आदि से २० फुट से अधिक दूर होना चाहिए। यदि कारखाने में २५० से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं तो गर्भी के मीसम में पानी को ठड़ा करने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए।

९ शौचालय व मूत्रालय कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सुविधा-जनक स्थानों में पर्याप्त संख्या में शौचालय और मूत्रालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। पुरुषों व महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय व मूत्रालय की व्यवस्था होनी चाहिए।

१० पीकदान प्रत्येक कारखाने में धूकने के लिए पीकदानों की व्यवस्था होनी चाहिए और उनकी सफाई होती रहनी चाहिए। राज्य सरकारों का इस सबध में आवश्यक अधिनियम बनाने का अधिकार होगा।

११ यत्रों की घणाबदी श्रमिकों की सुरक्षा और दुष्टंटनाओं की रोक-धारम के नियम खतरनाक मशीनों उनके धूमने वाले भागों और पहियों के चारों ओर पर्याप्त रूप में आड़ लगाकर रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। खतरनाक आड़ अथवा विस्फोट से सुरक्षा वा भी उचित प्रबन्ध होना चाहिए। आग नग जान की स्थिति वा थाग बुखाने वाले यथ कारखाने में काफी मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए।

१२ कल्याण कार्य की व्यवस्था भारतीय कारखाना अधिनियम की ४२ से ५० तक की धौगाएँ तिन कल्याण कार्यों की व्यवस्था हेतु आदेश दती है—(ए) कपड़े धोने की सुविधा (ब) बैठने की सुविधा, (स) कपड़ा वो सुखाने व रखने की सुविधा, (द) प्राथमिक चिकित्सा के उपकरण रखना (य) आधिक स्थल विधाम स्थल एवं कैन्टीन की व्यवस्था (र) शिशु सदन की व्यवस्था (ल) जल जान गृह की व्यवस्था, (व) चल्य य अधिकारियों आदि की नियुक्ति।

दिव्यन्त उद्योगों में कार्य करने की दशाएँ

(Working Conditions in Various Industries)

यह प्रश्न श्रमिकों की काय तुश्लता और स्वास्थ्य के लिए कार्य करने की दशाएँ

सतोपजनक बनाना आवश्यक है परतु भारतीय उद्योगों में काम करने की दशाएँ आदि भी सतोपजनक नहीं हैं। श्रम जात्य समिति के अनुसार “भारतीय कारखानों की बड़ी इकाइयों की दशाएँ अल्पत शोचनीय व विशेष सुधार करने के योग्य हैं। भारत में काम करने की दशाएँ शोचनीय होने के कारण यह हैं कि अधिकारी सेवायोजक इस ओर से विलकृत उदासीन रहते हैं और यह सोचते हैं कि काम करने की दशाओं में उन्नति के लिए व्यय करना व्यर्थ है।” भारत में विभिन्न उद्योगों में काम करने की दशाएँ सामान्यतः इस प्रकार हैं—

1 वस्त्र उद्योग अन्य उद्योगों की अपेक्षा वस्त्र उद्योग में कार्य करने की दशाएँ काफी सतोपजनक हैं। नगभग प्रत्येक कपड़ा मिल में वायु व प्रकाश का पर्याप्त प्रबल्ध है और मतोपजनक यतों का प्रयोग किया जा रहा है। स्वच्छ जल, सफाई आदि की भी समुचित व्यवस्था है। अहमदाबाद, शोलापुर, ग्वालियर, बबई, दिल्ली, मुरुराई, मोदीनगर आदि स्थानों की कुछ कपड़ा मिलों में मौसम के अनुकूल तापमान बनाये रखने के यतों का प्रयोग किया जाता है। बबई व अहमदाबाद की कुछ मिलों ने इह की हानिकारक गद्द व रेणो को बाहर निकालने के लिए यत्कलगा रखे हैं। पुराने सूती कपड़ों के कारखानों में प्रकाश और तापमान का प्रबल्ध सतोपजनक नहीं है। मशीनें भी इस तरह लगाई गई हैं कि श्रमिकों के जनने-फिरने को पर्याप्त स्थान नहीं है।

2 चीनी उद्योग सामान्य रूप से मद्रास और बबई की चीनी मिलों में उत्तर प्रदेश और बिहार के चीनी के कारखानों की तुलना में सफाई अधिक है। अहमदनगर के चीनी के कारखानों व उत्तर प्रदेश और बिहार के कारखानों की तरह दुगंध नहीं आती। बिहार और उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में मैले पानी, सीरे व जमे हुए कीचड़ के कारण सफाई की ममस्या बढ़ती जा रही है। सक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि चीनी उद्योग में कार्य करने की दशाएँ सतोपजनक नहीं हैं।

3 जूट उद्योग जूट उद्योग में वायु, प्रकाश तथा तापमान को अनुकूल बनाये रखने के लिए प्रयोग किये जाने वाले आधुनिक कृतिम साधनों का नहीं के बराबर उपयोग किया जाता है। कलकत्ता की पुरानी जूट मिलों में हवा और रोशनी का प्रबल्ध असतोपजनक है। कई मिलों में स्थान अत्यंत मकुचित है। इन मिलों में मशीनें भी ठीक से नहीं लगाई गई हैं। इसलिए मजदूरों को आने-जाने से काफी कठिनाई होती है। श्रम जात्य समिति के अनुसार “जूट उद्योग में श्रमिकों को खड़े-खड़े काम करना पड़ता है जिससे उनके स्वास्थ्य व कार्य-क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। महिला श्रमिकों की दशा तो और भी शोचनीय है।”

4 इजीनियरिंग उद्योग इजीनियरिंग उद्योग में कार्य करने की दशाएँ अधिक सतोपजनक हैं और उनमें वायु तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था है जिससे श्रमिकों को काम करन में किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। परतु कुछ फाउंड्री और वर्कशॉपों में अभी भी स्थिति सतोपजनक नहीं है।

5 छापायाना उद्योग कुछ बड़े-बड़े छापेशानों को छोड़कर अधिकारी छापेशाने ऐसे मकानों में स्थित हैं जहा हवा, रोशनी आदि का कोई प्रबल्ध नहीं है। कुछ

छापेखाने तो अस्तबलो, टीन के दोडो व अधेरी गतियों के किन्हीं पुराने मकानों में कार्यम हैं। इन छापेखानों की सफेदी या रगाई का प्रदर्शन भी 8-10 साल म ही रहता है। फॉर्मो, दीवारो और मशीनों की सफाई भी नियमित रूप से नहीं होती है। फलतः यहाँ-वहाँ कूड़ा-करकट इकट्ठा रहता है। छापेखानों में गर्मी में गर्म और जाड़ों में ठड़ा तापमान होने के कारण तथा वर्षा में छतों के चूने के कारण सकट और भी बढ़ जाता है। छापेखानों में पखों के न होने के कारण श्रमिकों की समस्या और भी बढ़ जाती है।

6 बत्तन बनाने के उद्योग इस उद्योग में कलकत्ता और खालियर म काम करने की दशायें बहुत ही असतोषजनक हैं। मुरक्का की सुविधायें बगलीर के अतिरिक्त और कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं।

7 बागान उद्योग : भारत के बागानों में कार्य करने की दशायें अत्यधिक शोचनीय हैं। असम और बगाल के बाय बागानों में तो मलेरिया का प्रबोप बहुत है, जिसके कारण श्रमिक किसी-न-किसी बीमारी के शिकार बने रहते हैं। श्रमिकों के रहने के लिए बावास का भी अभाव है और उन्हें धूप, वर्षा तथा सर्दी की कठोरता कान्सामना करना पड़ता है। उन बागानों में श्रमिकों के लिए पीने के शुद्ध जल की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही साथ पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो पाते हैं। श्रमिकों को इस दूषित बातावरण में अधिक घटों तक कठोर परिश्रम करना पड़ता है जिसके कारण उनकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगती है।

8 अन्य उद्योग अन्य उद्योग, जैसे—काच, चमड़ा, बीड़ी, अभ्रक व स्फनिंज आदि में भी काम करने की सामान्य दशाओं की हाल बहुत शोचनीय है।

उपर्युक्त वर्णन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारतीय उद्योग में काम करने की दशायें अत्यत शोचनीय हैं जिनके कारण भारतीय श्रमिक अधिक कार्य-कुशल नहीं हैं।

कार्य के घटे

(Working Hours)

मजदूरी के स्तरों में वृद्धि के साथ साथ सतोषजनक काम के घटों की मात्र ही बढ़तर होती जा रही है। श्रमिकों का स्वास्थ्य कार्य क्षमता, उत्पादकता व कार्य के घटों से सबद्ध है। सेवायोजकों के लिए श्रम की उत्पादन लागत, उत्पादन की मात्रा व गुण, सतुर्ध श्रमिक वर्ग महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका समाधान श्रमिकों के काम के घटों से जुड़ा हूँआ है सामाजिक उष्टिकोण से भी वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति तथा सासाधनों का उपयोगीकरण श्रमिकों के काम के घटों पर निर्भर रहता है। यहीं नहीं, उपयोगी वस्तुओं व सेवाओं की मात्र भी परोक्ष रूप से कार्यविधि से प्रभावित होती है। इस प्रकार, कार्य के घटों की समस्या राष्ट्रीय आय की वृद्धि तथा उसके उपभोग से घनिष्ठ रूप से सबधित है। राष्ट्रीय आय या लाभाश का हित इसी बात मे है कि कार्य करने के घटे प्रत्येक उद्योग की परिस्थितियों के अनुसार निश्चित किये जायें। चूंकि श्रमिकों की योग्यता, उनकी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रत्येक उद्योगों में उस कार्य-परिस्थिति के कारण, जिसमे वह कार्य

करता है, भिन्न-भिन्न होते हैं, इसलिए सभी उद्योगों में समान कार्य के घटे निश्चित नहीं किये जा सकते।

इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि प्रत्येक उद्योग के लिए अनुकूलतम् काम के घटे निश्चित किये जायें। अनुकूलतम् कार्यावधि से आशय उन कार्य के घटों में होना है जो कि एक निश्चित उत्पादन प्रणाली के अतर्गत बिना अनावश्यक थकान के अधिकतम उत्पादन करते हैं। अनुकूलतम् काम के घटे होने पर ही श्रमिक दोषों वाल तक एक-से परिध्रम से कार्य कर सकते हैं। अनुकूलतम् काम के घटे मालूम करने के लिए अनवरत अनुसधान की आवश्यकता होती है।

कार्य के घटों के परिणाम

कार्य करने के घटों का—उत्पादन, श्रमिकों के स्वास्थ्य व कार्य-क्षमता तथा औद्योगिक शाति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है—

१. उत्पादन पर प्रभाव : यद्यपि इस सबध में कोई निश्चित नियम नहीं है कि उत्पादन पर कार्य के घटों का व्याप्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह बहुत कुछ प्रबंध की दक्षता और यत्र की नवीनता पर निर्भर करता है, फिर भी यह देखा गया है कि काम करने के घटों में वृद्धि करने से उत्पादन परिया किस्म का होता है, दुर्घटनाये अधिक होती हैं तथा उत्पादन की मात्रा पट जाती है। इसके बई कारण हैं—

(अ) अधिक घटे काम करने में श्रमिकों में शकावट पैदा हो जाती है। अतः बाद के घटों में उत्पादन मदा घटता रहता है।

(ब) श्रमिक जान-पूःज्ञता अपने श्रम की वज्रत करते हैं और यह दुर्गुण भारत के श्रमिकों में बहुत अधिक है।

(स) अधिक घटे कार्य कराने से छुट्टी, अनुपस्थिति, दुर्घटना, श्रम परिवर्तन अधिक होते हैं। अतः काम में घटों के कम होने से उत्पादन बढ़ सकता है। एक अध्ययन के अनुसार जब काम करने के 60 घटे प्रति सप्ताह रहे तब बीमारी, चोट व अनुपस्थिति के कारण व्याप्रमय नष्ट हुआ, परन्तु जब 75 घटे प्रति सप्ताह काम कराया गया तो अधिक समय नष्ट होने लगा।

(द) काम करने के घटे कम होने से विजली व्यय में कमी होती है।

(४) अधिक समय कार्य करने से कार्य का गुण भी खराब हो जाता है।

मास-हिन्दू दशाता घक (Weekly Efficiency Cycle) और दैनिक दक्षता घयरे अध्ययन से भी यह पता चलता है कि कार्य के घटे घटने का अर्थ उत्पादन घटना नहीं है। प्र०० एवं० एम० घनन ने प्रथम महायुद्ध में कार्य के घटों के घटाने में उत्पादन य वृद्धि पाई थी। उनके अध्ययन के दुसरे परिणाम सारणी—१ (प० 106) में दिया इसे रखे हैं।

इस विवरण से यह स्पष्ट है कि यह कहना त्रुटिपूर्ण है कि पदि कार्य के घटों में वृद्धि की जाय तो राष्ट्रीय उत्पादन या नामांश में भी वृद्धि होती। पूजीपति लोग राष्ट्र में न भ पर श्रमिकों वा शोषण करने के लिए इस प्रकार के तक देते हैं परन्तु इसका अर्थ

यह नहीं है कि काम के घटे विरतर घटाने से उत्पादन सदैव ही बढ़ता है। एक विदु पर वह घटना भी शुहू हो जाता है। उसके बाद कार्य के घटे घटाना समाज और व्यक्ति के लिए हानिप्रद है। काम के घटे निषिवत बरते समय यह विचार रखना चाहिए कि अधिकानम घटे विभिन्न त बन जायें तथा घटों को निश्चिन करते समय विभिन्न श्रमिकों वी विभिन्न आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए।

सारणी—1 महिता श्रमिकों का दैनिक और साप्ताहिक उत्पादन¹

प्रति मध्याह कार्य के घटे	¹ प्रतिदिन का उत्पादन	कुल साप्ताहिक उत्पादन	उत्पादन का साप्ताहिक निदेशाक
66.0	100	7,128	100
54.4	122	7,126	100
47.5	156	8,028	113

मुख्य श्रमिकों का दैनिक और साप्ताहिक उत्पादन

प्रति उच्चाह कार्य के घट	प्रतिदिन का उत्पादन	कुल साप्ताहिक उत्पादन	उत्पादन का साप्ताहिक निदेशाक
58.2	100	5,820	100
51.0	110	6,120	105
50.4	137	6,905	119

2 श्रमिकों पर प्रभाव सामान्यन कार्य के घटे कम होने से मजदूरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इससे (अ) श्रमिकों की कार्य-कुशलता व उत्पादकता में बढ़ाद होनी है, (ब) उसके स्वास्थ्य को हानि नहीं होती, (स) उसकी आय में वृद्धि होनी है, (द) दुर्घटनायें अनुपस्थिति तथा श्रम परिवर्तन कम होता है, (य) वह शिक्षा, प्रशिक्षण आदि कार्यों में अधिक समय दे सकता है, (र) उसे परिवारिक जीवन के लिए भी अधिक समय मिलता है। एक थका हुआ श्रमिक परिवार समाज के लिए ग़ए समस्या होता है।

3 श्रम व पूँजी के सबध पर प्रभाव सेवायोजकों के साथ श्रमिक के सबध में अधिक काम के घटों के प्रदानों को लेकर अवसर वैमनस्य हो जाता है। काम के घटे कम होने की दशा भ श्रम और पूँजी के दोन मधुर सबध पैदा हो जाते हैं। श्रमिक सेवायोजकों को शोषक नहीं पोषक समझन लगते हैं। इस प्रकार के संनहपूर्ण बातावरण में उत्पादन निश्चय ही बढ़ता है।

¹ Quoted by Chaturvedi & Chaturvedi Labour Economics and Labour Problems, p. 407.

कार्य के घटे के परिणाम के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि यदि श्रमिकों के काम के घटों की सत्त्वा कम होती तो निश्चय ही परिणाम अच्छे होगे। उपर्युक्त बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय उद्योग में कम काम के घटे रखने का विशेष महत्व है क्योंकि (अ) भारत एवं गर्म देश है जहाँ थोड़ी देर ताम्बूरेन्ट आजाती है। (ब) काम के घटे कम रखने से अग्रिकल्पित और धर्म पूजी के गीच मधुर सब्द बने रहेंगे जिसमें ओटोगिक शारि कॉलिंग और धर्म

पूजी के गीच मधुर सब्द बने रहेंगे जिसमें ओटोगिक शारि कॉलिंग मिलेंगी। (स) भारत में अनुपस्थिति की समस्या गमीर है। सेवायोर्जन श्रमिक के घटे कम कर दें तो अनुपस्थिति काफी सीमा तक कम हो जायेगी।

भारत में प्रमुख उद्योग में काम के घटे

(Working Hours in Main Indian Industries)

भारत के प्रत्येक उद्योग में काम के घटों का विवरण इसना तो कठिन है। अत बुच प्रमुख उद्योगों पर प्रकाश डाता जा रहा है—

1 कारखाने भारत में समठित उद्योगों में कार्य के घटों का विवरण विभिन्न नियमों द्वारा होता है। कारखानों में समय समय पर अधिनियमों में सशोधन हुए हैं और कार्य के घटों में भी कमी होती रही है। बर्नमान समय में जहाँ तक सीमिती व निरन्तर चलने वाले कारखानों में श्रमिकों के कार्य के घटों का सवाय है प्रत्येक सप्ताह में 48 घटे और प्रत्येक दिन में अधिक में अधिक काम के घटे 9 हो सकते हैं। बच्चों से दिन में $4\frac{1}{2}$ घटों से अधिक के गीच नहीं कराया जा सकता। सप्ताह में एक दिन अवकाश और प्रत्येक 4 घटों के काम के उपरात आधे घटे का भृत्यातर विश्वास आवश्यक है।

2 सदान उद्योग इनमें भी के ही व्यवस्थायें हैं जो कि कारखाना अधिनियम के अतर्गत लागू होती हैं। इनमें एक विशेष व्यवस्था यह है कि जो श्रमिक भवह के अदर कार्य करते हैं उनमें दिन में 8 घटों से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता।

3 बागान उद्योग बागानों में वार्षिक के घटे वागान श्रमिक नियम द्वारा नियमित हैं। यसका के लिए सप्ताह में 54 घटे और बच्चों तथा किशोरों के लिए 40 घटे कार्य की सीमा है। एक दिन में 12 घटे में अधिक वार्षिक नहीं लिया जा सकता। सप्ताह में एक दिन अवकाश होना चाहिए।

4 परिवहन उद्योग रेलवे गर्कंशार्प में काम करने वाले कर्मचारियों ने दो ढोड़ सभी रेलवे कर्मचारियों के कार्य के घटों का निर्धारण (Railway Servants Hours of Employment Rules) 1951 के अनुसार होता है। इसके अतर्गत रेलवे कर्मचारियों को चार भागों में वार्षिक गया है और प्रत्यक्ष श्रणी के श्रमिक वे निए कार्य के घटे यन्त्रणा विभिन्न वर्ग दिये गये हैं। गढ़न श्रणी के नमनारी अधिक स अधिक औसत रूप में एक सप्ताह में 49 घटे से अधिक कार्य नहीं बर सकते। निरन्तर श्रेणी के कर्मचारियों के निए यह अधिक 54 घटे की रखी गई है। आवश्यक अन्तरिम (Intermittent) श्रणी में आने वाले कर्मचारियों के लिए वार्षिक के घटों की सह्या अधिक से-अधिक 75 घटे निश्चित की गई है। रेलवे वर्कंशार्प में काम करने वाले श्रमिकों के

काम के घटे कारखाना अधिनियम द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

भारतीय जहाजरानी उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए कार्य के घटों का निर्धारण इडियन मर्चेंट शिपिंग एवं ट्रांसपोर्ट द्वारा किया जाता है।

5 व्यापारिक स्थानों : व्यापारिक स्थानों में कर्मचारियों के कार्य घटे उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की सरकारों ने क्रमशः 8, 10, 8, 9, 9 तथा 9 निर्धारित किये हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रति पाँच घटे के बाद 1 घटे का आराम अनिवार्य है। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश व तमिलनाडु राज्यों में प्रति 4 घटे के बाद 1 घटे का आराम आवश्यक है।

निष्कर्ष : कार्य के घटों के सबध में राष्ट्रीय श्रम आयोग का यह विचार है कि कारखानों, खदानों और बागानों में कार्य के घटे धीरे-धीरे घटाकर 40 करदेने चाहिए। यह कार्यक्रम दो चरणों में पूरा किया जाना चाहिए। पहले तो कार्य के घटे 48 से घटाकर 45 किये जाने चाहिए और किर 40 कर देना चाहिए। हमारे विचार में चर्नेमान परिस्थिति में मजदूरों के स्वास्थ्य निधनता महगाई व दक्षता में हास को देखते हुए यह सर्वेषा उचित प्रतीत होता है कि सप्ताह में कार्य के घटे 48 से कम करके 40 और कार्य के दिवस 6 से घटाकर 5 कर दिये जाए। इससे ही मकता है कि प्रारम्भ में उत्पादन पर कुछ हानिकारक प्रभाव पड़े, परतु बाद में श्रमिकों की कार्य कुदालता और उत्पादकता में सुधार होने से उत्पादन में निषिचत रूप से वृद्धि होगी।

स्वतंत्रता के उपरान्त कार्य की दशाओं में वैधानिक सुधार

स्वतंत्र भारत सरकार श्रमिकों की आधिक दशा सुधारने में काफी प्रयत्नशील है। निम्नलिखित अधिनियमों के अतर्गत भारत सरकार ने श्रमिकों की कार्य-क्षमता को बढ़ाने, उनके रहन-सहन के स्तर में वृद्धि करने तथा कार्य की दशाओं में सुधार करने के लिए प्रयास किया है—

- 1 कारखाना अधिनियम के अतगत व्यवस्था
- 2 कर्मचारी भविष्य निधि
- 3 कर्मचारी राज्य चीमा योजना
- 4 मातृत्व ताम अधिनियम
- 5 न्यूनतम मूल्ति अधिनियम
- 6 औद्योगिक सघव अधिनियम
- 7 चूद्धावस्था में पेन्मन

इन अधिनियमों का विस्तृत वर्णन विभिन्न अध्यायों में किया गया है अतः हम उनकी पुनरावृत्ति यहां नहीं कर रहे हैं।

परीक्षा-प्रश्न

- 1 क्या आपकी सम्मति में भारतीय कारखानों में काम करने की दशायें सतोषजनक हैं? यदि नहीं, तो उनके सुधार के लिए आपके वया सुझाव हैं?

- 2 कार्य के घटों के सबध में कारवाना अधिनियम, 1948 के विविध प्रावधानों का आखोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- 3 कार्य के न्यून घटों के लाभों की विवेचना कीजिए। वया आप भारत में कम कार्य के घटों की पैरवी करेंगे?
- 4 स्वतंत्रता के उपरात औद्योगिक श्रमिकों की काम करने की दशाओं में क्या सुधार किये गये हैं? उनका स्पष्ट वर्णन कीजिए।

अध्याय ९

भारत में उत्पादकता आन्दोलन (Productivity Movement in India)

उत्पादकता का अर्थ उत्पादन कई साधनों, जैसे — भूमि, श्रम, पूजी, सगठन आदि के सहयोग पर निर्भर रहता है। इसमें से किसी एक साधन का उत्पादन में जो अनुपातिक भाग रहता है उसे ही साधन की उत्पादकता कहते हैं। सध्येष में, उत्पादकता का सामान्य अर्थ वस्तुओं और सेवाओं के रूप में सपत्ति के उत्पादन तथा उत्पादन में साधनों के उपयोग के अनुपात से है।” सबसे अधिक रुचि श्रम के सबध में ली जाती है। अत उत्पादकता शब्द का अभिप्राय श्रम के सापेक्षिक सहयोग से लगाया जाता है। प्रति व्यक्ति या प्रति घटा श्रम की उत्पादकता ज्ञात करनी हो तो निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है—

$$उ = \frac{प}{श} \text{ or } P = \frac{O}{M}$$

इस सूत्र में $उ (P)$ = उत्पादकता (Productivity), $श (M)$ = श्रमिक घटे (Men-hours) तथा O = समस्त उत्पादन।

परतु उत्पादकता को केवल श्रम के दृष्टिकोण में मापना गलत परिणाम प्रस्तुत करेगा क्योंकि श्रम तो उत्पादन के कई साधनों में से एक है। वास्तव में, उत्पादकता से आशय प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक प्रकार के अपव्यय को समाप्त करने हेतु सामूहिक प्रयासी से है और उपलब्ध मानवीय मौद्रिक मशीनरी व पदार्थों के पूर्णरूपेण उपयोग के लिए मणित प्रयत्नों से है। अतर्राष्ट्रीय श्रमसगठन ने अनुमार “उत्पादकता से आशय ममूह, समाज अथवा देश के सभाव्य प्रसाधनों के साथ उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के अनुपात में है। इसमें मानव, मशीन, माल, मुद्रा जूनिन तथा भूमि आदि यमस्त उपलब्ध साधनों का पूर्ण उचित एवं क्षमतापूर्ण उपयोग निहित है। यह प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक प्रकार से अपव्यय के विरुद्ध सगित आक्रमण है।” श्री बी० के० आर०० मेनन के मतानुमार “उत्पादकता के अतगंत मानसिक प्रवृत्ति का विकास गम्भीर करना है। इसमें तात्पर्य किसी कार्य को करने, किसी कम्तु का निर्माण करने अथवा विस्तीर्ण सेवा को प्रदान करन का सर्वथेठ, सल्ला, गतिवान एवं सरल साधन खोज निकालना है।” डॉ० बी० बी० लाल के मतानुमार “उत्पादकता से तात्पर्य एक निश्चित समय तथा दशाओं में उत्पादन परिवारों तथा सबकित उत्पादन घटकों के मध्य, वित्तीक तथा भौतिक दोनों में मध्य माप

भारत में उत्पादकता आदोलन

योग्य सुपरिभाषित सबूदो से है।"

उत्पादकता के विषय में भ्रामक घारणाएं

(अ) उत्पादकता बनाम अत्यधिक कार्य-भार-श्रमिक वर्ग ग उत्पादकता से अधिक कार्य-भार एवं बठिन परिश्रम का अर्थ समझा जाता है, जिसका उद्देश्य मिल माटिको के लाभ में वृद्धि करना है। श्रमिकों को अपने भस्तिष्ठक म इस भ्रामिपूर्ण घारणा को निकाल देना चाहिए और समझना चाहिए कि उत्पादकता बढ़ाने का उद्देश्य अधिक कुशलता से कार्य करना है जिससे श्रमिकों को कम थकावट हो, उनके काम की दशाओं में सुधार हो और उनकी कार्य विधि सरल हो जाए।

(ब) उत्पादकता बनाम उत्पादन : कुछ लोग उत्पादकता को उत्पादन का पर्यावाची मानते हैं। वास्तव में, उत्पादन व उत्पादकता में अंतर है। यदि किमी उद्योग में उत्पादन बढ़ता है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हो गई है। ऐसा हो सकता है कि उद्योग में उत्पादन बढ़े जाय परन्तु उत्पादकता पूर्वक ही रहे अश्वा कम हो जाय। इस तथ्य को नीचे भारणी दोस्त समझाया गया है।

सारणी—1

'अ' फैक्टरी	'ब' फैक्टरी
विनियोजित पूजी	1 लाख रुपये
श्रमिकों की संख्या	100
उत्पादन इकाइया	3 लाख

उपर्युक्त दोनों फैक्टरियों म स 'ब' म उत्पादन अधिक है परन्तु श्रम एवं पूजी की उत्पादकता 'ब' की अपेक्षा 'अ' म अधिक है।

भारत में उत्पादकता आदोलन का महत्व

भारत एक विवासशील देश है जो स्नातकों श्रमित के धाद के बल पक्ष्यर्थीय योजनाओं वे याध्यम में अपना विवास करन का प्रयत्न कर रहा है। फिर भी हमारी औद्योगिक प्रगति सतोषजनक नहीं है। उद्योगों की उत्पादन क्षमता अत्यधिक है। यून है और उत्पादन लागत बहुत अधिक है। इसके लिए उत्तरदायी मुख्य कारण उत्पादन की अवैज्ञानिक एवं परपरागत पद्धतिया पुरानी मशीनें एवं यन्त्र अनुपर्युक्त मानवीय मनोध, निम्नतर प्रबल प्रणाली तथा विवेकीकरण एवं आधुनिकीकरण जैसी नीतियों की न अपनाना है। सक्षोप म, यहाँ वे उद्योगों की उत्पादकता अतर्राष्ट्रीय औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में काफी विछड़ी है। जन भारत म उत्पादकता बढ़ जीर उत्पादकता आदोलन अपना विशेष महत्व रखता है। उत्पादकता आज समृद्धि वा प्रतीक है और भारत के लिए यह जीवन-भरण का प्रश्न है। वस्तुत आवश्यकता इस बात की है कि उत्पादक-

की विकसित पद्धतियों नवीनतम मशीनों एवं उपकरणों, श्रेष्ठ मानवीय सम्बन्धी तथा प्रबल गतिविधियों द्वारा औद्योगिक उत्पादकता में बृद्धि की जाए। उत्पादकता बृद्धि से ही श्रेष्ठ किसी की वस्तुओं का कम लागत पर उत्पादन करना, बाजारों को व्यापक करना और जन-सामाजिक की जीवन-स्तर ऊचा करना सभव ही सकता है।

स्वर्गीय अधिकारी बहाहुरासाल नेहरू ने इस तथ्य का आभास करते हुए एक बार कहा था कि "यद्यपि हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में सस्ती अम-शक्ति उपलब्ध है किर मी हम अन्य देशों से उत्पादन-कला व लागत आदि में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम देश के बातरिक सुरक्षित बाजार में भी अधिक दिनों तक नहीं टिक पाते। इस वास्तविकता का उत्तर केवल एक ही बात में निहित है कि हम अपने सीमित साधनों का सर्वोपयुक्त ढग से उपयोग करें और उत्पादन की विकसित तकनीक एवं प्रबन्ध की श्रेष्ठतम प्रणालियों को मान्यता प्रदान करें।" स्वर्गीय धी साल बहाहुर शास्त्री ने भी उत्पादकता के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा था "हमें लोगों का जीवन-स्तर उच्च तर करना है। उत्पादकता बढ़ाने से उत्पादन की लागत कम होती है जिससे वस्तुएँ कम कीमत पर बेची जा सकती हैं और बाजार का विस्तार होता है तथा विषव के बाजारों में हमारी वस्तुएँ महत्वपूर्ण ढग से प्रतियोगिता कर सकती हैं।" इसी प्रकार, स्वर्गीय राष्ट्र परिषद डॉ० जाफिर हुसेन ने राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के सम्मिलित अधिवेशन में बोलते हुए कहा था यह एक विरोधाभास लगता है कि यद्यपि उच्च विकसित राष्ट्रों की तुलना में हमारे यहा भजदूरी का स्तर नीचा है लेकिन जो वस्तुएँ हम सेवार करते हैं वे सभी नहीं हैं वहिं अधिक लागत की है जिसमें उनके विकास में कठिनाई दर्ती रहती है। इसका एक ही उत्तर है कि हम अपनी जन शक्ति एवं अपनी साधनों का प्रभावशाली ढग से उपयोग करें ताकि उत्पादकता में बृद्धि हो सके।

भारत में उत्पादकता आदोलन की आवश्यकता का महत्व

1 आर्थिक पिछड़ापन भारत आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों की तुलना में एक पिछड़ा हुआ देश है और यह आत्म निभर नहीं है। अत यह आवश्यक है कि उत्पादकता को बढ़ाकर देश के प्राकृतिक साधनों का अधिक कुशल उपयोग किया जाय जिसके पहलवान देश में ही उत्पादन की मात्रा में बृद्धि होगी और आयात पर निर्भरता कम होगी।

उत्पादनता बृद्धि से एक तरफ तो औद्योगिक इवाइंडों की उत्पादन क्षमता बढ़ती है जोर हूसरी और पूजीगत वस्तुओं का अधिक उत्पादन होने के कारण पूजी निर्माण को न्यावा मिलता है। वही ही उत्पादन क्षमता तथा पूजी निर्माण से विकास की दर में बढ़ि होती है और अधिकवस्था में सुखता आती है।

2 जीवन स्तर में सुधार भारतवासियों का जीवन स्तर काफी गिरा हुआ है। यद्यपि पवर्पर्यां योजनाओं के माध्यम से जन साधारण की दर्जनाएँ को दूर करने के पुनीत काय में हमारी सरकार सलग्न है लेकिन योजनाएँ अपने म कोई नमत्वार अधिवा देखी शक्ति नहीं हैं इसके लिए हमें अतह उत्पादन-क्षमता अर्थात उत्पादकता बृद्धि का

ही वास्थय लेना होगा। उत्पादकता वृद्धि में श्रमिकों की आय बढ़ेगी, उनके जीवन-स्तर में सुधार होगा, उपभोक्ता वर्ग को विभिन्न वस्तुएँ श्रेष्ठ स्तर परीक्षा-नया उचित मूल्य पर उपलब्ध होगी और उद्योगपतियों को अपनी पूँजी पर न मुश्चित प्रतिफल मिलेगा।

3 नियंत्रित श्रीत्साहन एक अनुसार भारतीय वस्तुओं की उत्पादन सामग्री तथा वस्तुओं की उत्पादन सामग्री की तुलना में 50% से 90% तक अधिक है। फल-स्वरूप हम विदेशी उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। विदेशी प्रतिस्पर्धा के अतिरिक्त आर्थिक निकास की दृष्टि से हमें देश की आर्थिक गोजनाओं को कियान्वित करने तथा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की दृष्टि से विदेशी तकनीकी ज्ञान और विदेशी मशीनों को आयात करने के लिए विदेशी विनियम की आवश्यकता है, परन्तु यह सब कुछ तभी संभव हो सकता है जबकि हमारे उद्योग की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि हो अन्यथा सभी स्वन्न अधूरे बने रहेंगे। बल्कि विदेशी बाजारों में अपमा स्थान बनाए रखने और आर्थिक विकास की गति तीव्र करने के लिए शौद्धीयिक उत्पादकता में वृद्धि आवश्यक है।

4 उत्पादन मात्रा में वृद्धि प्रौद्योगिक उत्पादन सामग्री में कमी भारत में पूँजी-निर्माण का अभाव है अत यह आवश्यक है कि हम अपने सीमित जूगत साधनों से अधिकतम उत्पादन करें ताकि एक तरफ वस्तुओं की मात्रा एवं पूर्ति में सतुलन बना रहे, और दूसरी तरफ, उत्पादन की जागत में कमी हो सके। कम पूँजी में उत्पादन क्षमता में कमी और उत्पादन मात्रा में वृद्धि के लिए उत्पादकता को बढ़ाना होगा। 1954 में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक प्रवाशन में उत्पादकता के इस पहलू के संबंध में कहा गया था “विस्तृत और आधारभूत अर्थ में उत्पादकता वृद्धि की समस्या को रोजगार में लगे सभी साधनों को अधिक कुशल प्रयोग में लगाने की समस्या कहा जा सकता है जिसमें कम सेन्कम सभावित वास्तविक जागत पर वस्तुएँ और सेवाएँ उत्पादित की जा सकें।

5 उत्पादकता निर्देशकों के विविध प्रयोग आजकल उत्पादकता का माप सास्थिकीय विधियों द्वारा किया जाता है जिसमें उत्पादकता निर्देशकों का निर्माण मुश्य है। उत्पादकता निर्देशक में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ही (ब) मज़दूरी का मुग्यतान, मौद्रिक एवं वास्तविक मज़दूरी, कार्य करने की दशाओं, मूल्य नीति, प्रशुल्क नीति तथा मौद्रिक नीति आदि में यथानुरूप संशोधन किए जाते हैं। (व) उत्पादकता निर्देशकों में भूतकाल की स्थिति, वर्तमान की आवश्यकता और भवित्य की क्षमता वा अनुमान लगाया जाता है। (त) दो देशों की शौद्धीयिक प्रगति अथवा दो उद्योगों की तुलना उत्पादक निर्देशकों की सहायता से मरततापूर्वक की जा सकती है।

6 अन्य सामग्री (i) उत्पादकता में वृद्धि होने से देश की वास्तविक जाग में भी वृद्धि होती है।

(ii) उत्पादकता में वृद्धि होने से शरिका को भी जाग पहुँचता है। उत्पादकता में वृद्धि होनी है काम के धरों में कमी होती है तथा श्रम व्यापारी वार्षों में वृद्धि होती है।

(iii) विदेशी उत्पादकों से सफल प्रतियोगिता की जा सकती है।

(iv) देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए भी उत्पादकता में वृद्धि करना आवश्यक प्रतीत होता है।

भारत में उत्पादकता आदोलन की प्रगति

भारत में उत्पादकता आदोलन के सबध में समय-समय पर जो प्रयास किए गए हैं उनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है—

1 विदेशी विशेषज्ञ-दलों का आगमन सितम्बर, 1952 में अतर्टार्प्ट्रीय थम सगठन की ओर से 4 व्यक्तियों का एक शिष्ट मडल भारत पधारा, जिसका उद्देश्य अगले छ महीनों में भारतीय उद्योगों में उत्पादकता के बतमान स्तरों का पता लगाना तथा उसमें सुधार हेतु प्रदर्शन एवं सुझाव देना था। उस समय भारत में उत्पादकता का कोई केंद्रीय सगठन नहीं था। इस शिष्ट मडल ने बवई तथा कलकत्ता में अम-उत्पादकता से सबधित अनेक प्रदर्शन संयोजित किए और उत्पादकता आदोलन को सक्रिय आधार पर लागू करने के सुझाव दिए। सितम्बर 1954 में पुन दो विशेषज्ञ भारत आये और उन्होंने भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता कोइ स्थापित करने का सुझाव दिया।

2 भारतीय उत्पादकता शिष्ट मडल का जापान भ्रमण। अक्टूबर-नवम्बर, 1956 में भारत ने एक दल उत्पादकता बढ़ाने की प्रचलित विधियों का अध्ययन करने के लिए डॉ० विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में जापान भेजा। दल ने विस्तृत अध्ययन एवं गहन सर्वेक्षण के बाद 1957 में अपने प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया कि जापान की भाँति भारत में भी राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता वृद्धि आदोलन चलाया जाए और इस कार्य के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना की जाए।

3 उत्पादकता सेमिनार का आयोजन जापान से लौटे अध्ययन-दल की सिफारिशों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा 1957 में एक सेमिनार का आयोजन किया गया ताकि सपूर्ण स्थिति पर विचार करते हुए उत्पादकता आदोलन के आधारभूत सिद्धात तिळिचत किए जा सकें। इस सेमिनार में आदोलन की प्रगति के लिए जो आधारभूत सिद्धात तिळिचत किए गए वे मध्येप में इस प्रकार हैं—(i) उत्पादकता आदोलन को बल देने हेतु राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना दी जाय। (ii) सुधारी हुई तकनीज का प्रयोग करके उत्पादन की मात्रा और गुण में सुधार किया जाय। (iii) रीजगार सभावनाओं में वृद्धि उत्पादकता वृद्धि पर ही निर्भर है। (iv) उत्पादकता वृद्धि के सपूर्ण लाभ सभी कर्गों—श्रम पूजी तथा उपभोक्ता—में समान रूप से वितरित किए जाए। (v) उत्पादकता वृद्धि के लिए उपयुक्त बातावरण का निर्माण करने के लिए औद्योगिक सबध मधुर बनाए जाए। (vi) उत्पादकता आदोलन का क्षेत्र विस्तृत बनाया जाए अर्थात् लघु एवं वृहत तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र वे सभी उद्योगों में इस आदोलन को एक साथ लागू किया जाए।

4 राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् वो स्थापना उत्पादकता सेमिनार के निष्कर्षों के अन्दर पर बनायी, 1958 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की

स्थापना करने का निश्चय किया और करवरी, 1958 में सावंभीमिक संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई। उत्पादकता परिषद् की विस्तृत विवेचना हम इसी अध्याय में बांगे करेंगे।

5. उत्पादकता वर्ष 1966 का निर्धारण : उद्योगपतियों के मध्य उत्पादकता के प्रति उत्साह, जागरूकता और उत्प्रेरणा उत्पन्न करने की दृष्टि से भारत सरकार ने 1966 का कैलेण्डर वर्ष 'भारत उत्पादकता वर्ष' के रूप में मनाया। इस वर्ष में उत्पादकता आदोलन वो अधिक नितिशील तथा राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए हर सभव कदम रठाया गया। सरकार को ओर म एक नया नारा 'अधिक उपजाओ, कम उपभोग करो, नष्ट कुछ मत करो' (Grow more, Consume less, Waste nothing) चलाया गया, स्वतन्त्रता पर उत्पादकता सेमिनार आयोजित किए गए तथा काफी प्रचार विद्या गया।

6. पचवर्षीय योजनाओं में उत्पादकता बढ़ि प्रयत्न योजना के अनुसार 'देश की पचवर्षीय योजनाओं का मुख्य लक्ष्य औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की हर कीमत पर तीव्रता प्रदान करना है लेकिन यह तभी सभव हो सकता है जब उत्पादन के प्रत्येक मोर्चे पर हम सक्षिप्त बने रहे।'" विकास की दर पर ही अतिम रूप से उत्पादकता बढ़ि निर्भर करती है इसलिए हमें इस दृष्टि से पूर्ण सतर्क रहना है।" पचवर्षीय योजनाओं में उत्पादकता आदोलन के लिए उचित बातावरण तैयार हो सके, इस दृष्टि से हर सभव प्रयत्न किया गया। उदाहरणार्थ, क्षमता-महिता और माध्यार-महिता (Capacity Code, and Code of Conduct) संयार की गई। श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, श्रमिकों के कार्य की दशाओं में सुधार किया गया, श्रमिकों एवं सेवायोजकों के सबधों को मधुर बनाने के प्रयास किए गए। भारत सरकार ने उत्पादकता की प्रेरणा बनाए रखने के लिए 1956 से अम-बीर नामक राष्ट्रीय पुरुस्कार की भी व्यवस्था की है।

7. उत्पादकता आदोलन में अन्य मस्थानों का योगदान देश के औद्योगिक उत्पादकता आदोलन में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के अतिरिक्त निम्न सम्याओं के योगदान भी उल्लेखनीय है—(i) भारतीय साहिकोय संस्थान, कलकत्ता में विदेशी विदेशीजों को आमतिन कर साहिकोय गुण-नियन्त्रण के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया है। (ii) अहमदाबाद टक्सटोइन्स इंडस्ट्रीज रिसर्च एमोरियेशन ने वस्त्र उद्योग में गुण नियन्त्रण कानून का विस्तार किया है। (iii) राष्ट्रीय चिकित्सा परिषदों के अतंगत एलाट प्रोजेक्ट कमेटी एवं याजना वी औद्योगिक प्रबन्ध अनुमधान इकाई तथा अन्य अनुमधान संस्थाओं द्वारा उत्पादकता बढ़ि ने सार्वित तकनीक में छानबीन के प्रयत्न किए जाते हैं। (iv) अनरोट्रीय धर्म संगठन ने भारत को विदेशीजों को सेवाएं उपलब्ध कराए इस आदोलन को प्रोत्साहित किया है। (v) अमेरिका के तकनीकी महोगन मिशन ने भी विदेशीजों की सेवाओं तथा पुस्तकों के रूप में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् को सहयोग दिया है।

8. उत्पादकता सेमिनार, 1972 : नवी दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्

द्वारा मार्च, 1972 में उत्पादकता पर ज्ञिग्नीय सेमिनार का आयोजन किया गया तिसमें उत्पादकता वृद्धि के प्रयासों में तेजी लाने तथा उत्पादकता वृद्धि में श्रम और प्रबंध के योगदान पर विचार-विमर्श किया गया।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (राउप) (National Productivity Council)

1 स्थापना व प्रबंध अतर्राष्ट्रीय श्रम समठन द्वारा भेजे गए शिष्ट मडल को सिफारिश तथा 1957 में आयोजित उत्पादकता सेमिनार में लिए गए सर्वसम्मत निर्णय के आधार पर भारत सरकार ने जनवरी, 1958 में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की स्थापना का निश्चय किया जिसे फरवरी, 1958 में एक रूपाकार दिया गया। परिषद् एक स्वायत्तशासी संस्था है जिसमें सदस्यों की संख्या 75 से अधिक नहीं हो सकती। इसमें उद्योगपतियों, श्रमिकों तथा सरकार तीनों के सदस्य समान महत्व प्रदिए जाने हैं ताकि सही तरीके से प्रतिनिधित्व बदा रह सके। परिषद् का प्रबंध एक प्रशासनीय समिति द्वारा किया जाता है जिसमें अधिक-से अधिक 25 सदस्य हो सकते हैं। इन सदस्यों का निर्वाचन परिषद् द्वारा किया जाता है। परिषद् की इस समय 10 प्रशासनीय संस्थाएँ हैं जिनके जिम्मे अलग अलग कार्य संग्रह गए हैं। प्रशासन समिति की बैठक तीन महीने में एक बार होना अनिवार्य है।

परिषद् के कार्य

इस परिषद् के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं (1) स्थानीय उत्पादकता परिषदों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, सरठन तथा प्रबंध करना। (2) स्थानीय उत्पादकता परिषदों की कार्यवाही का निदेशन करना और इनका विकास करना। (3) उत्पादकता के सबंध में स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय सम्मेलनों और गोष्ठियों का आयोजन करना। (4) उत्पादकता में सबंधित साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएँ प्रकाशित करना। (5) उत्पादकता से सबंधित साहित्य के क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन वी व्यवस्था करना। (6) तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अतर्गत प्रबंधकीय एवं तकनीकी प्रशिक्षण के लिए व्यक्तियों को विदेश भेजना। (7) उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयास करना। (8) औद्योगिक इकाइयों में इकाई उत्पादकता केंद्र स्थापित करने में सहायता करना और संपूर्ण देश के लिए औद्योगिक उत्पादकता परिषदें स्थापित करना। (9) विदेशों में उत्पादकता मडल भेजना। (10) अध्ययन महलों व प्रतिवेदनों को प्रकाशित करना। (11) उत्पादकता रावेक्षणों वा सचालन करना। (12) एशिया उत्पादकता संगठन बी कार्यवाही में सहायता करना।

परिषद् की प्रगति

परिषद् की पहली बैठक मार्च, 1958 में हुई जिसमें अष्ट सूक्ष्म योजना तैयार करके उसे परिषद् के स्थायी कार्यों की सज्जा दी गई। अप्रैल, 1958 में परिषद् ने

उत्पादकता सर्वेक्षण समिति का गठन किया। इस समिति का मुख्य कार्य देश में तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाना और उनकी उपलब्धता के सबध में जानकारी प्राप्त करना है। अक्टूबर, 1960 के प्रथम सप्ताह में द्विदिवसीय सेमिनार वा आयोजन किया गया जिसमें 15 सूची योजना पर विचार करते हुए सरकार, अमिको तथा सेवायोजकों, तीनों पक्षों के उत्पादकता वृद्धि सबधी उत्तरदायित्व निश्चित किए गए। मई, 1962 में पुन सात मूँत्री उत्पादकता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को सात दिनों में बाटा गया ताकि सभी विषयों पर पूर्ण दक्षता के साथ विचार विमर्श किया जा सके। सम्मेलन में प्रत्येक उद्योग में एक उत्पादकता परिषद् स्थापित किए जाने का निश्चय किया गया। सबसे पहले छपाई उद्योग में यह परिषद् स्थापित की गई। बाद में अनेक अन्य उद्योगों में भी उत्पादकता परिषदों की स्थापना की गई।

इसकी कार्य प्रगति का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम परिषद् द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों वा आयोजन और विभिन्न क्षेत्रीय तथा स्थानीय उत्पादकता परिषदों को विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध कराई गई है। परिषद् वे समय-समय पर कार्य अध्ययन, कार्य विशेषण और कार्य मूल्यांकन तथा लागत नियवण में सबधित विभिन्न अध्ययन किए गए हैं और उनके निष्कर्ष प्रकाशित किए गए हैं।

परिषद् ने 1970 में सुपरवाइजर विकास योजना कार्यक्रम भी शुरू किया जिसके अंतर्गत 'National Certificate Examination' का आयोजन किया जाता है। पद्धति यह सबध एक अध्ययन योजना है लेकिन रजिस्टर्ड परीक्षार्थियों के लिए कोर्चिंग की ज्यवस्था भी की जाती है।

2. सञ्चुस्तरीय केंद्रों के लिए उत्पादकता सेवाएं परिषद् विशिष्ट उत्पादकता केंद्रों के माध्यम से सञ्चुस्तरीय क्षेत्र के उद्योगों को उत्पादकता प्रशिक्षण एवं तकनीकी सेवाओं वी सुविधा उपलब्ध करती है। परिषद् ने तमिलनाडु में राज्य सरकार की सहायता से एक उत्पादकता केंद्र केवल नषु उद्योगों के लिए ही स्थापित किया था। बाद में इसी प्रकार की इकाइया पजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई हैं। इन केंद्रों द्वारा बहुत ही कम शुल्क पर सेवा प्रदान की जाती है।

3. उत्पादकता सर्वेक्षण। परिषद् द्वारा 1964 में उत्पादकता सर्वेक्षण एवं क्रियान्वयन सेवा शुरू की गई। इस सेवा का उद्देश्य उद्योगों में सुधरी हुई पद्धतियों, प्रतियाआ एवं तकनीकों का प्रयोग करना तथा अपव्ययों को समाप्त करके उनकी क्रियात्मक तथा प्रबलकीय कार्य-भुक्ताना में वृद्धि करना है।

4. गोष्ठियों, परिचर्चाओं तथा सम्मेलनों का आयोजन परिषद् ने उत्पादकता वृद्धि में सबध में समय-समय पर गोष्ठियों, परिचर्चाओं तथा सम्मेलनों का आयोजन किया है।

5. प्रकाशन कार्य, यह परिषद् उत्पादकता के विभिन्न पहलुओं पर बहुत-सी विकाए भी प्रकाशित करती है। परिषद् नियमित रूप से अप्रेज़ो में Productivity

News (मासिक) तथा Productivity (श्रैमासिक) और हिंदी में उत्पादकता पश्चिमाए प्रकाशित वरता है। इसने अतिरिक्त परिषद् के प्रकाशनों में Training Manuals, Supervision Guides तथा A P O Study Mission Reports आदि उत्तेजनीय हैं।

6 ईंधन क्षमता एवं तकनीकी सेवाएँ : परिषद् ने कुछ विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे ईंधन क्षमता (Fuel Efficiency), संयंत्र अभियंत्रण (Plant Engineering) तथा उत्पादन अभियंत्रण में तकनीकी सेवाएँ प्रदान की हैं।

7 विदेशों में भेजे गए अध्ययन दल परिषद् ने समय-समय पर उत्पादकता के सबध में अध्ययन करने के लिए अध्ययन दलों को भी विदेशों में भेजा है।

8 अतर्राष्ट्रीय सेवाएँ : परिषद् ने अब तक 10 अतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशालों का आयोजन किया है तथा विदेशों में प्रशिक्षण के लिए काफी मात्रा में दान-वृत्तिया प्रदान की हैं।

9 विकास कार्य : परिषद् द्वारा स्थानीय उत्पादकता परिषदों वे माध्यम से 31 मार्च, 1977 तक 301 अतदेशीय उत्पादकता अध्ययन दलों का गठन किया गया जिनके सदस्यों की संख्या 2,862 थी।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के अधिक योगदान के लिए सुझाव

मार्च, 1972 में नई दिल्ली में उत्पादकता पर आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के योगदान को अधिक उपयोगी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए—

1 राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए।

2 प्रबन्धकीय निष्पादन को मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् को नई विधियों का विकास करना चाहिए।

3 राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् को चाहिए कि वह उत्पादकता की योजना तथा पचवर्षीय योजनाओं में सबध स्थापित करने हेतु मरकार तथा योजना आयोग की सिफारिश के लिए उचित कदम उठाए।

4 लघुस्तरीय उद्योगों में उत्पादकता में सुधार करने वे निम्न राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् को एक विशिष्ट परामर्श विंग (Special Consultancy Wing) की स्थापना करनी चाहिए।

5 राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् को मत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुमधान का कार्य संपन्न करना चाहिए, जैसे—वेतन वृद्धि के सबध में उत्पादकता वृद्धि का अध्ययन करना, उत्पादकता के क्षेत्र में अध्ययन करना आदि।

6 देश में मूल्यांकन यन तथा सामग्री का उपयोग होने के कारण उसके अनुरक्षण की ओर ध्यान देना चाहिए। इस ओर भी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् को ध्यान देना चाहिए।

7 कृषि उत्पादकता के क्षेत्र पर आधारित उद्योगों की उत्पादकता में सुधार करने के लिए भी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् को प्रयत्न करने चाहिए।

8 वर्मन्चारियों तथा श्रम सघों वे पदाधिकारियों के उत्पादकता-स्तर को कचा उठाने के लिए श्रम सघों को वित्तिष्ठ उपायों के सबध में परामर्श देना।

9 आगे बाने वाले वर्गों में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् को दिए जाने वाले वाधिक अनुदान में पर्याप्त वृद्धि करे।

10 विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् को एक 'प्रशिक्षण कार्यक्रम' का विकास करना चाहिए।

11 उत्पादकता तकनीकों वे उपयोग के लिए उपयुक्त वातावरण की स्थापना करना। इसके लिए योग्य पत्रों की समाजों का विकास वरना, ताकि प्रबध एवं श्रम सघ के मध्य विवाद के उत्पन्न होने पर उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सके।

भारत में उत्पादकता आनंदोलन का मूल्यांकन (An Evaluation of Productivity Movement in India)

भारत में उत्पादकता आनंदोलन की प्रगति के अध्ययन से महं स्पष्ट है कि यह आनंदोलन धीरे-धीरे जोर पकड़ता जा रहा है और उत्पादकता एवं श्रमिक दोनों वर्ग अब यह महसूस करने लगे हैं कि उत्पादकता में वृद्धि किए बिना उनका तथा राष्ट्र का हित सम्बन्ध नहीं है। परतु किर भी भारतीय उद्योग अधिक उत्पादन लागत, निम्न गुण-स्तर व अप्रयुक्त क्षमता आदि की व्यवस्थाओं से ग्रस्त हैं। अत आवश्यकता इस बात की है कि सभी व्यवस्थाओं का हल खोजा जाय, गतिरोधों को दूर किया जाय। देश के प्रत्येक कारकाने को उत्पादकता आनंदोलन की परिषि में लाया जाए। इस सबध में निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं—

1. प्रबधकीय कुशलता। उत्पादन के सभी साधनों का कामतापूर्ण प्रयोग प्रबधकीय कुशलता द्वारा ही सम्भव होता है। यदि हम यह मान लें कि कच्चे पदार्थों तथा पूजी ने प्रयोग से उत्पादन पर पड़ने वाला प्रभाव यथास्थिर रहता है तो श्रम ही उत्पादकता निर्धारित करने का प्रमुख कारक है। अतराष्ट्रीय श्रम संगठन के एक प्रत्येक में यह स्पष्ट किया गया है "जबकि सरकार, सेवायोजक वर्ग तथा प्रबधक वर्ग और श्रमिक वर्ग सभी उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं और उनमें योगदान दे सकते हैं। परतु प्रबध एक प्रमुख कारक है। कोई भी देश अन्य प्रकार की तकनीकी सहायता, जिसमें प्रशिक्षण भी शामिल है का पूरा साभ नहीं उठा सकता जब तक कि उसके पास श्रम-विकास में ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रबधकीय धोखता न हो। अत अद्विक्षित देशों में व्यापक अतिरिक्त पूजी को आवश्यक बनाने के लिए पर्याप्त परिमाण में प्रबधकीय योग्यता वा विकास आधिक विकास योजनाओं की सफलता के लिए निर्धारित है।" इसी प्रकार, उचिक एवं छोच ने प्रबधक वर्ग के उत्पादकता वृद्धि में योगदान वे महत्व को स्पष्ट करते हुए लिया है। "कोई सिद्धांत, वाद या गजनीनिक दर्शन सीमित मानवीय

तथा शैतिक साधनों के उपयोग से कम प्रयत्न द्वारा अधिक उत्पादकता सभव नहीं बना सकता। यह केवल दोषरहित प्रबन्ध द्वारा ही सभव हो सकता है।" अतः प्रबन्धकों के चुनाव व प्रशिक्षण के सबसे मेरि विशेष सतर्कता रखनी चाहिए।

अम की उत्पादकता मेरि वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि निम्नस्तरीय प्रबन्ध अर्थात् निरीक्षण-स्तरीय प्रबन्ध को सुदृढ़ किया जाए। यदि प्रबन्ध की यह कठी कमज़ोर होमी तो अम की उत्पादकता बढ़ाने के तकनीकी सुधारों को कार्यान्वित करने में बाधा उपस्थित होगी।

2. मधुर औद्योगिक सबध मधुर औद्योगिक सबध उत्पादकता बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण पूर्व शर्त है। अमिक-वर्ग उत्पादकता आदोलन मेरि सक्रिय रूप से भाग लें, इसके लिए आवश्यक है कि (i) अम-कल्याण-कार्यों मेरि वृद्धि की जाए। (ii) अमिकों को प्रबन्ध मेरि उचित स्थान दिया जाए। (iii) उन्हे आधिक उत्प्रेरणा प्रदान की जाए। (iv) कार्य वरने की दशाओं मेरि सुधार किया जाए। (v) उत्पादकता वृद्धि के लाभ उनमे समान रूप से वितरित किए जाए। (vi) इस प्रकार के नैतिक वातावरण तैयार किए जाए जिनमे अमिकों को अनुभव हो कि उत्पादकता वृद्धि उनके हित मेरि है।

3. वित्त की उपलब्धता औद्योगिक अनुसंधान एवं शोध कार्य करने, विवेकी-करण और आधुनिकीकरण की योजनाओं को क्रियान्वित करने तथा उद्योगों के अमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त वित्त की आवश्यकता होती है। अतः उत्पादकता वृद्धि के कार्यक्रमों को पर्याप्त मात्रा मेरि और आसान शर्तों पर वित्त उपलब्ध किया जाना चाहिए।

4. लाभ का समान वितरण उत्पादकता वृद्धि के परिणामस्वरूप हुए लाभ मेरि से अधिक उद्योगपति और उपभोक्ता सभी को लाभ प्रदान किया जाना चाहिए अर्थात् उद्योगपतियों के लाभ के अतिरिक्त अमिकों को अधिक अज्ञदूरी मिले और उपभोक्ताओं को सही कीमत पर वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए।

5. तकनीकी विधियों का उपयोग उत्पादकता नियन्त्रण, लागत नियन्त्रण तथा गुण नियन्त्रण आदि तकनीकी विधियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए।

6. सामाजिक वातावरण की अनुकूलता किसी भी उत्पादकता-वृद्धि आदोलन की सफलता के लिए आवश्यक है कि प्रबन्धरों, अमिकों उपभोक्ताओं तथा आपूर्ति-कर्ताओं, सभी की मानसिक दशाओं मेरि अनुकूल परिवर्तन होना चाहिए ताकि सपूर्ण सामाजिक वातावरण अनुकूल हो सके।

7. स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग देश मेरि इस समय अनक उद्योगों मेरि उनकी औद्योगिक क्षमता का एक महत्वपूर्ण भाग बनकर पड़ा है अतः उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से यह आवश्यक होगा कि उनकी स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग अति शीघ्र किया जाए।

8. सरकारी सहयोग यद्यपि देश मेरि उत्पादकता वृद्धि के आदोलन को सक्रिय बनाने के लिए सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है परतु वह अभी भी उत्पादकता वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण बनाने मेरि असमर्थ रही है। सरकार प्रबन्धकों, तकनीकी

विशेषज्ञों तथा निरीक्षकों को उत्पादकता की विधियों को बड़े-बड़े उद्योगों में क्रियान्वयन करने के लिए प्रशिक्षण दे सकती है और उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र उत्पादकता का केचा स्तर प्रदर्शित करके निजी क्षेत्र के सामने आदर्श उपस्थित कर सकता है। सरकार उत्पादकता बढ़ाने की क्रियाओं की सूचनाओं को शीघ्रातिशीघ्र उद्योगों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

9 अन्य सुझाव (1) वैज्ञानिक प्रबन्ध की तकनीक को सागृ करने के अतिरिक्त प्लाट ले आउट और पदार्थों के प्रयोग में यथा-सभव सुधार किया जाना चाहिए। (2) विभिन्न उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाव और प्रत्येक औद्योगिक उपकरण में एक उत्पादकता विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। (3) श्रमिकों की सार्वजनिक मान्यता अथवा परितोषण व्यवस्था द्वारा भी उत्पादकता बढ़ि के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

सक्षेप में, इस आदोलन को सफल बनाने के लिए एक और श्रमिकों को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा ताकि वे यह महसूस कर सकें कि उद्योग की उत्पादकता बढ़ि में उनकी समृद्धि निहित है और, दूसरी ओर, सरकार की सक्रियता, जागरूकता और प्रोत्साहन मूलक नीति की आवश्यकता है। प्रबन्धक वर्ग को भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी ताकि उत्पादकता आदोलन सफल हो सके। इस सबध में 1953 म अतराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रसारित पैम्फलेट के निम्न विचार महत्वपूर्ण हैं—“उच्च उत्पादकता सरकार, प्रबन्ध एवं श्रमिकों में कठोर परिश्रम से ही प्राप्त हो सकती है। सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह सतुरित अर्थिक विकास वा प्रोग्राम बनाकर वैदेशिक व्यापार, पूँजी निर्गाण, एकाधिकार प्रनीतियों, गोदिक एवं तट-कर नीतियों, मुख्य तथा अनुकूल कार्यकारी दशाओं का निर्माण करके वैज्ञानिक अन्वेषणों को प्रोत्साहन देकर इस सबध में अनुकूल वातावरण बनाए।”

परीक्षा-प्रश्ने

- 1 भारत में औद्योगिक “विवास” के सदर्म में ‘उत्पादकता आदोलन’ के औचित्य का परीक्षण कीजिए। इस आदोलन में राष्ट्रीय उत्पादकता परियोग की भूमिका वा वर्णन कीजिए।
- 2 “प्रत्येक दशा में प्रयत्नों का विवेकीकरण ही उत्पादकता का वास्तविक आधार है।” इस कथा का भारतीय उद्योगों की उत्पादकता के सदर्म में स्पष्टीकरण कीजिए।
- 3 उत्पादकता तथा उत्पादन में बताए कीजिए। भारत सर्व ये औद्योगिक विकास के सदर्म में उत्पादकता आदोलन के औचित्य ना परीक्षण कीजिए। इस आदोलन में राष्ट्रीय उत्पादकता परियोग की भूमिका का वर्णन कीजिए।
- 4 “उत्पादकता के ऊपर ही किसी उपकरण का जीवन तथा उसकी समृद्धि निर्भर करती है।” इस कथन की व्याख्या कीजिए और यह बताइए कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन-से वर्ग उठाए जाए?
- 5 राष्ट्रीय उत्पादकता परियोग के गठन, कार्यकारी संगठन, उद्देश्यों तथा वायों की विवेचना कीजिए। इसकी व्याख्या सफलताए हैं?

अध्याय 10

श्रम और सहकारिता (Labour and Co-operation)

गहकारिना को परिभाषा : साधारणत 'सहकारिता' शब्द का अर्थ होता है 'मिस-ज़ुलपर काम करना'। अर्थशास्त्र में सहकारिता का अर्थ व्यवितयों के उत्तम प्रूप से है जिसका उद्देश्य इमानदारी से समाज्य आधिक हितों को प्राप्त करना है। श्री कॉलवर्ट (Calvert) ने इन्होंने में : 'सहकारिता एवं ऐसा समाजन है जिससे व्यक्ति स्वेच्छा से और नमान रूप पर अपने आधिक उद्देश्यों को प्राप्त करते के लिए समर्हित होते हैं।'

अतर्राष्ट्रीय अध्य नगठन के अनुसार, "एक सहवारी समिति आधिक दृष्टि ने निबंध व्यवितयों का एवं समाजन है जिसके अतर्गत नमान आधिकार व समाज उत्तराधिकत्व के आधार पर सम्मिलित लोग स्वेच्छा से कार्य करते हैं।" प्रो० संतिगंभीर ने शब्दों में "सहकारिना का अर्थ उत्पादन और विनाश में प्रतिस्पर्धा का परिवर्तन तथा सभी प्रकार के महान्यों वी आवश्यकता को समाप्त करना है।"

सहकारिना के सिद्धात अथवा तत्त्व

किसी भी जगठन के सहकारी समाज होने के लिए निम्न तत्त्वों का होना आवश्यक है—

(i) स्वेच्छिक संघ : सहकारी सम्पत्ति की रादस्वता पूर्ण स्पैष्ट ऐच्छिक होती है वर्षात प्रत्येक सदस्य को सम्मान की सम्मति वो स्वीकार करन और छोड़ने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है।

(ii) नोवनश्रीय : सहकारी समिति का प्रशासन लोकतंत्रीय ढंग से चलता है अर्थात् प्रत्येक सदस्य वो एक मत प्रदान करते का आधिकार होता है जोहे उसने किये ही अज्ञ कर्त्ता न बनाए हो। 'एक व्यक्ति एक भर्त' काला मिठात ही लागू होता है।

(iii) पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म-सहायता खूँड़ि सदस्यों के पास अधिक साधनों का उपाय होता है, अतः वे सभी मिलकर और लपते साधनों वो एकत्रित रूप से उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, अर्थात् 'एक सबके लिए और सब एक के लिए' मुद्रण मिठात है।

(iv) सामाजिक हित सहकारी संघ सभी रादस्यों के कल्याण में दृष्टि का सदृश देवर बनाये जाते हैं। उनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा का अभाव रहता है।

(v) नैतिक गुणों का विकास : श्री ताल्मकी के शब्दों में “सहकारिता सदस्यों में स्वाभिभवित, नित्रता और सहकारिता की भावना वा विकास करती है।”

(vi) सहकारिता का उद्देश्य मध्यस्थों वा लोप करना और स्पर्द्धा की इतिश्री करना है।

थमिकों के लिए सहकारिता के लाभ

थमिकों के सामाजिक व आर्थिक कल्याण वे लिए सहकारिता बहुत महत्व रखती है। इस तथ्य से डकार नहीं किया जा सकता कि किसी बाहरी सहायता की अपेक्षा स्वयं के प्रयत्नों व पारस्परिक सहायता द्वारा अधिक सामान्य प्राप्त हो सकता है। सहकारिता देश में थमिकों वी स्थिति मुद्वारने में शहून महत्वपूर्ण तिहाई सकती है। सहकारिता ने थमिक बहुत सीमा तक व्युत्प्रस्तता से बच सकते हैं और गदी वस्तियों में रहने से छुटकारा पा सकते हैं। आर्थिक नश्वरियों की सतुष्टि वे साम-साम घटकारिता अपने सदस्यों के जीवन में स्वायंहीनता, ईमानदारी व समाजना जैसे उच्च आदर्शों का विकास भी करती है। सहकारिता ने थमिकों में गितव्ययना और पारस्परिक सहयोग की भावनायें बढ़ाती है और वे राष्ट्र के अच्छे नागरिक बन सकते हैं। उन्हें अनुशासन से रहने व कार्य करने की आदत पड़ती है। इस प्रकार, सहकारिता कार्य करने का एक ढंग है जो व्यवितरियों को समाजता वे आधार पर भिन-जुनवर कार्य करना सिखाती है।

सहकारिता वा विद्यार नर्वप्रथम डग्लेण्ड मे राबट झोवन वे भस्तिष्व मे आया करोकि उस समय कारखानों में थमिकों का बहुत अधिक शोषण हो रहा था। झोवन ने सर्वप्रथम अपने ही कारखाने में सहकारिता वा प्रयोग किया और व्यवसाय के प्रबन्ध मे थमिकों को अधिक-से-अधिक भाग दिया। वे यह चाहते थे कि थमिक कारखाने के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व सहकारिता के आधार पर स्वयं वहन दर्ते। इस प्रकार, कारखानों में थम सहकारिता का प्रादुर्भाव हुआ जिसमे थमिक ही व्यवसाय के प्रबन्धक होते थे और उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन इन सहकारी समितियों द्वारा किया जाता था।

सहकारिता द्वारा थमिक सहायता के रूप

भारतवर्ष मे महकारिता आदोलन के अन्तर्गत थमिकों के लिए जो कार्य किये गये हैं उनका अध्ययन हम पाठ शीर्षकों दे अन्तर्गत करते हैं—

1. थमिक सहकारी समितिया इन सहारी समितियों के अन्तर्गत थमिकों और प्रबन्धकों मे गङ्ग प्रवार की समझौता हो जाता है जिसकी जाती के अनुसार थमिक अपना कार्य करते हैं और उन्हे प्राप्त होने वा नाभा मे प्रबन्ध द्वारा उपयुक्त हिस्सा प्रदान किया जाता है। इस व्यवस्था की प्रमुख निदेशन यह है कि काम करते समय थमिक विवा मालिक के प्रबन्ध मे एक पकार की स्वतंत्रता वा अनुभव करते हैं।

भारतवर्ष मे थमिक सहकारी समितियों वे अन्यतिवित चार स्वस्थ देखने की मिलते हैं—

(अ) थम अनुबंध समितियाँ: इनकी स्थापना वा मुख्य उद्देश्य वे रोजगार

थ्रमिकों को कार्य दिलवाकर उनकी अभिहचियों की पूर्णि करना है। इस दिशा में प्रयास महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, आध्र प्रदेश व तमिलनाडु में किये गये हैं। उदाहरणार्थ, आध्र प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला बोर्डों, सिचाई और सड़कों के निर्माण का कार्य ऐसी ही अनुबंध समितियों को प्रदान किया जाता है।

थ्रम अनुबंध समितिया थ्रमिकों को ठेकेदारों एवं ऐसी अन्य किसी भी एजेंसी के शोपण से बचाती है और इस प्रकार उन्हें ऊची मजदूरी प्राप्त करवाने में सहायता होती है। यह भी महसूस किया गया है कि ये समितिया ठेकेदारों की अपेक्षा कम लागत पर कार्य निधानित कर सकती है।

(व) सहकारी कार्यशाला महाराष्ट्र, तमिलनाडु व केरल आदि में सहकारी आधार पर कार्यशालाएं चलाई जा रही हैं। इनके द्वारा सरकार से आधिक सहायता प्राप्त कर दैनिक जीवन में प्रयोग में लायी जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन करके सदस्यों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जाता है।

(स) मोटर यातायात समितिया इस प्रकार की समितिया वरपने सदस्यों द्वारा दिये गये वशदानों की महायता से मोटर आदि वाहनों का प्रबंध करती है और इनमें जो आय प्राप्त होती है उसे सदस्यों के मध्य वितरित कर दिया जाता है। ये समितिया मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब और पश्चिमी बंगाल में पाई जाती हैं।

(द) बन में कार्य करने वाले थ्रमिकों की समितियों इन समितियों के निर्माण आदिवासियों तथा अन्य पिछड़ी हुई जनजातियों की आधिक और सामाजिक परिस्थितियां में मुधार करने के लिए किया गया है। इस प्रकार की समितिया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व आध्र प्रदेश में कार्य कर रही हैं।

2 ओद्योगिक सहकारी समितियाँ इन्हें दो वर्गों में रखा जा सकता है—

(अ) कारोगर समितिया इनमें छोटे शिल्पी मिलकर निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए समझौता बनाते हैं—(१) उपयुक्त कीमत पर कच्चा माल अथवा औजार उपकरण प्राप्त करने के लिए (२) शीघ्र एवं सस्ती ज्ञान सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, (३) विभिन्न उत्पादक एकियाओं को तकनीकी एवं सामान्य पथ प्रदान करने के लिए।

(ब) उत्पादकों की समितिया इनमें उत्पादक आरभ से लेकर अत तक लित प्रयास करते हैं ऐसी समितियों में थ्रमिक इव्य निर्माता होते हैं वे स्वयं ही पूँजी तौर पर दो वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं—(क) हाथकरघा बुनकर समितिया, और (ख) अन्य ओद्योगिक समितियाँ, जैसे—लाल के कामगारों, कुम्हारों, पीतल एवं चमड़ा उद्योग के कर्मचारियों की समितियाँ।

हाल के एक आकलन के अनुसार ओद्योगिक क्षेत्र में लगभग 56,000 सहकारी समितिया समझौता हुई, जिनकी सदस्य सम्पूर्ण लगभग 40 लाख और कार्यगत पूँजी 268 करोड़ रुपये से अधिक है।

3 सहकारी ऋण समितिया . भारतवर्ष में श्रमिकों में पाई जाने वाली कृष्ण-ग्रस्तता की गभीर समस्या को दृष्टि में रखते हुए सहकारी ऋण समितियों का श्रमिकों द्वारा निर्माण किया गया है । भारत के विभिन्न क्षेत्रों व उद्योगों में जैस—जूट मिल उद्योग दस्त्र मिल उद्योग व रेलवे आदि में य ममितिया सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं जिसमें श्रमिकों को सस्ती दर पर ऋण दिया जाता है ।

4 सहकारी आवास समितिया आवास की अपर्याप्त व बुरी व्यवस्था हमारे श्रमिकों वे निम्न स्तर का एक मुख्य कारण है । आवास की गभीर समस्या के समाधान के लिए सहकारी आवास समितियों का भी निर्माण किया गया है । सहकारिता के आधार पर श्रमिकों की आवास-स्थान प्रदान करने के लिए सफल प्रयोग का भी उदाहरण मदुरा मिल्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है । जिसने मदुरा के निकट हरवेषटटी मालक भवन निर्माण सहकारी ममिति स्थापित की है ।

5 विविध प्रकार की सहकारी समितिया श्रम व अन्य क्षेत्रों में भी सहकारिता का उपयोग कि । जा रहा है जैस—सहकारी जलपान गह व सहकारी उपभोक्ता भड़ार आदि स्थापित किये जा रहे हैं ।

विदेशों में श्रमिक सहकारी समितियों के कार्यों के अध्ययन से निकाले गये परिणाम

कुछ महत्वपूर्ण विदेशों में सहकारी समितियों के कार्यों के अध्ययन करने से निम्नलिखित उपयोगी शिक्षाएं मिलती हैं—

1 कम सख्त्या में मदस्यता इस प्रकार की समितियों में मदस्यों की सख्त्या कम होनी चाहिए ताकि सदस्य एक दूसरे की योग्यता का अच्छी तरह से अनुमान लगा सके ।

2 सह श्रमिक चुनने की स्वतंत्रता सहकारी ममूहा जो यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपन सह श्रमिक चुन सक। इस प्रकार वी स्वतंत्रता म गमूह में समान योग्यता वाले घटकिं ही प्रवेश पा मकान जिसमें कार्य की गति में बढ़ि हो जानी है रीर मद्दूरी बढ़ जानी है ।

3 निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त उन कार्यों में सहकारी श्रमिक समितिया अधिक उपयुक्त होनी है जिनके लिए विप्रादन व लिंग अवृश्ल श्रमिक प्रमाप्त माना। म उप लक्ष्य रहते हैं। इस ब्रडार की समितिया तेलों सहकारी युनियो नहरों इल्यादि का निर्माण कार्य के लिए बहुत उपयागी प्रमाणित हुइ है ।

4 गूण जानकारी श्रमिक सहकारिता के साथ अनुबंध करते गमय सेवा योजना को चाहिए कि व ठेकें के कार्य की सब बातें विस्तारपूर्वक ममता दें और कार्य के प्रत्यक्ष अश का मूल्य अलग अलग भलग निधारित कर दें ।

5 ग्रामराज मे भुगतान नवायोजना को चाहिए कि यह यांत्रे समय के उपरात (जैसे सप्नाह या अड़ मालक) नियमित रूप से भजदीरी का भुगतान करें जिससे श्रमिक अपना जीवन निवाह नियमित रूप से कर सकें ।

6 आवश्यक श्रौजारो का प्रबन्ध . सेवायोजकों को चाहिए कि वे कार्य दें लिए आवश्यक उपकरण और ओजार व यत्र आदि अपने पास से दें ।

7 सुसंगठित फेडरेशन · थ्रम सहकारिता का एक सुसंगठित फेडरेशन बनाना आवश्यक है जिसकी समितियों के अधिकारों की रक्षा हो सके और उन्हें आत्मघाती प्रतिस्पर्द्ध से दूर रख सकें ।

भारत में थ्रम-सहकारिता के विकास के लिए सुझाव

भारतवर्ष में थ्रमिक वर्ग में सहकारिता आदोलन को अधिक लोकप्रिय तथा व्यापक बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं—

(i) थ्रमिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से थ्रमिकों में सहकारिता के महत्व के प्रति जागृति उत्पन्न की जाय और उन्हें सहकारिता के छोड़ो स अवगत कराया जाय ।

(ii) सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग को ठेके देने के मामले में थ्रम-सहकारिताओं को ही प्राथमिकता देनी चाहिए ।

(iii) गांवों में सहकारी समिनिया स्थापित की जानी चाहिए और जब कृषि कार्य न हो तब गांव में कार्य करने के ठेके दिये जाने चाहिए ।

(iv) जब तक थ्रम-सहकारिता अच्छी तरह स्थापित न हो जाय तब तक उनको होने वाली हानि सरकार को पूरी करनी चाहिए । सरकार को चाहिए कि वह सहकारिता आदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए अपना यथासंभव योगदान प्रदान करे क्योंकि सहकारिता द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों का प्रत्यक्ष प्रभाव थ्रमिकों की कार्य-कुशलता पर पड़ता है ।

(v) जहां तक हो सके कार्य के लिए आवश्यक सामान सत्र्य समिति उपलब्ध करे । इसमें लाभ व रोजगार के अतिरिक्त साधन मिल जायेंगे ।

(vi) क्षेत्रीय प्रमोशनल एजेंसिया स्थापित की जानी चाहिए जो अपने-अपने क्षेत्र में थ्रमिक सहकारिता के संगठन को बढ़ावा दें ।

परीक्षा-प्रश्न

- 1 थ्रम सहकारिता में थ्रमिकों को क्या लाभ है ? मारतवर्ष में सहकारिता आदोलन के अतिरिक्त थ्रमिकों के लिए जो कार्य किये जायें हैं उन्हें सक्षेप में बताइए ।
- 2 विदेशों में थ्रम-सहकारिता से प्राप्त कुछ प्रमुख निष्कर्ष बताइए । मारत में थ्रम-सहकारिता को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने सुझाव दीजिए ।

अध्याय 11

श्रम-नीति (Labour Policy)

श्रम-नीति से तात्पर्य श्रमिकों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण से है। इसके अन्तर्गत औद्योगिक नवध, मजदूरी, श्रम सघ, सामाजिक सुरक्षा व पूर्ण रोजगार आदि से मबद्धित नीति का समावेश किया जा सकता है।

भारत सरकार की पचवर्षीय योजनाओं में श्रम-नीति

1951 से सरकार ने पचवर्षीय योजनाओं को प्रारम्भ किया और इसके सबध में अपनी नीतिया घटकत की। जैसाकि तीसरी पचवर्षीय योजना में उल्लेख है: “भारत में श्रम-नीति का विकास उद्योगों और श्रमिक वर्ग से सबद परिस्थितियों की आवश्यकता और के अनुरूप ही रुआ है और इसे योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की आवश्यकतार्थे से सामर्जस्य रखना पड़ता है। सरकार को सेवायोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श बरते के फलस्वरूप कुछ सिद्धांतों और व्यवहारों के विकास में सहमति प्राप्त हो गई है और इस सहमति के आधार पर गरकार ने श्रम विधान तथा कुछ अन्य उपायों का निर्माण किया है। इस प्रकार राष्ट्रीय श्रम नीति का विकास हुआ है। नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन के लिए सरकार, सेवायोजकों और श्रमिकों वे प्रतिनिधियों की समुक्त समिनिया बनी हैं और इस विद्वीय तत्र के शिखर पर श्रम सम्मेलन है।

प्रथम पचवर्षीय योजना में श्रम-नीति

योजनाओं के निर्माण काल से ही सरकार ने स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय वर्ष व्यवस्था में श्रमिकों का पहल्वानी स्थान है। योजना आयोग ने प्रथम पचवर्षीय योजना में श्रम पे दो प्रमुख आधार बताये: प्रथम, श्रमिकों को सब प्रकार में उन्नति हो और उन्हें न्याय मिले। द्वितीय, देश के आर्थिक विकास में पूरा पूरा योगदान दे। इस योजना में आपनाई गई श्रम-नीति के कुछ महत्वपूर्ण बग इस प्रकार हैं—(अ) श्रमिकों की बार्य दण्डों में सुधार करना, (ब) सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं तो नामू करना, (स) श्रीयोगिक संघर्षों का आपसी बातचीत के द्वारा समाधान करना, (द) श्रम अधिनियमों का प्रभावपूर्ण प्रशासन व कार्यान्वयन, (य) श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना करना, (र) श्रम सबधी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय श्रम संस्थानों की

स्थापना करना।

उपर्युक्त कार्यक्रमों को सेवायोजको एवं श्रमिकों के सहयोग से कार्यान्वित करने वा प्रधास किया गया ताकि उनके माध्यम से औद्योगिक उपक्रमों की उत्पादकता को बढ़ाने, सबधों को सौहाइपूर्ण बनाने तथा प्रजातात्त्विक बातावरण की स्थापना करने में सहायता प्राप्त हो सके।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में श्रम-नीति

इस योजना के अंतर्भूत कुछ आवश्यक एवं वाढ़ित संशोधन करते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना की श्रम-नीति का अनुकरण किया गया। इस योजना के दोरान श्रम-नीति के दो महत्त्वपूर्ण पहलू विकसित हुए। एक या, श्रमिकों का प्रबंध में भाग, जिसके कारण श्रमिक यह अनुभव करने लगते हैं कि उत्पादन द्वारा इस उनका निजी सबध है और इसलिए उसकी उत्पादिता बढ़ाता उनका कर्तव्य हो जाता है। इस उद्देश्य में 23 उद्योगों में मधुकृत प्रबन्ध परिषदें (Joint Management Councils) बनाई गईं। इनका मुख्य उद्देश्य सेवायोजको एवं श्रमिकों में आपसी संपर्क बढ़ाना है ताकि अच्छे औद्योगिक सबध काश्रम हो सके। दूसरा पहलू श्रमिकों की शिक्षा के प्रोग्राम का विस्तृत व्यवस्था व्यावरण करना है। दूसरी योजना में श्रमिकों की शिक्षा का काय़क्रम भली भाति चलाया गया। इस काय़क्रम में कुछ श्रमिकों को ही श्रम व्यापक बनने तथा कुछ वो प्रशासक बनने का प्रशिक्षण दिया गया।

इस योजना में श्रमिकों को उचित मजदूरी देने का सुलाव रखा गया। इस योजना में यह भी सिफारिश की गई कि बड़े-बड़े क्षेत्रों के लिए मजदूरी सबधी विवादों को हल करने के लिए मजदूरी बोड वायम करते चाहिए।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में श्रम-नीति

इस योजना की श्रम नीति का उद्देश्य द्वितीय योजना में व्यक्त की गई नीति को सुदृढ़ स्थिर एवं विस्तृत बनाना था। इस योजना में भी श्रमिकों एवं सेवायोजकों के महत्त्व के महत्त्व पर जोर दिया गया जिसमें कि औद्योगिक विवादों का शातिपूर्ण समाधान हो सके। औद्योगिक विवादों को निपटने के लिए सेनेटिक अधिनियम के सिद्धात को अधिक-से-अधिक लागू करने की सिफारिश की गई। इस योजना में मजदूरी बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया और इस लागू किया गया। श्रमिकों को औद्योगिक प्रबंध में भागीदार बनाने के लिए संयुक्त प्रबंध परिषदों की स्थापना की गई और बतमान काय-समितियों को दृढ़ बनाने के लिए कदम उठाये गये। सामाजिक सुरक्षा सबधी अधिनियम को और अधिक व्यापक बनाया गया। आवास के लिए और अधिक प्रयाप करने वा भी निश्चय किया गया।

वार्षिक योजनाओं में श्रम-नीति 1966-67, 1967-68, 1968-69 में वार्षिक योजनाएं चलाई गईं। इन विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित की गई श्रम-नीति को अधिक प्रभावशाली बनाना

था। इस अवधि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 1966 में थी गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय थम आयोग की नियुक्ति की गई जिसने अपनी रिपोर्ट 1969 में प्रस्तुत की। शिल्पकार प्रशिक्षण एवं सेवायोजन (Craftsman Training and Employment Service) को 1968-69 तक द्वारा राज्यों को हस्तातरित कर दिया गया तथा समन्वय का उत्तरदायित्व सेवायोजन एवं प्रशिक्षण के सामान्य निदेशालय (Directorate General of Employment and Training) को सौंप दिया गया।

चतुर्थ पचवर्षीय योजना में थम-नीति

इस योजना के बताए उल्लिखित थम-नीति पचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं में निर्धारित नीति को निरतरता एवं प्रभावशीलता प्रदान करती है। इस योजना में मुख्यतः (अ) थम कानूनों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन हेतु थम प्रशासन को सुदृढ़ बनाने, (ब) थम सबधो एवं कानूनों में अनुसंधान, थम अधिकारियों के प्रशिक्षण वायंक्रमों के विस्तार, (स) प्रबधों के औद्योगिक सबधों में प्रशिक्षण (द) विश्वविद्यालयों के प्राच्यायपकों को थम विद्ययों से सबधित करने, (ग) कार्य-अध्ययन के मूल्यांकन निरीक्षण तथा थम सामियकी में सुधार पर अधिक जोर दिया गया। औद्योगिक सबधों के क्षेत्र में थम प्रबध सहयोग के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाने सामूहिक सौदेवाजी को प्रोत्तमाहन प्रदान करने तथा स्वस्य थमिक सघ आदोलन के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने को प्राथमिकता प्रदान की गई।

चतुर्थ योजना में मजदूरी प्रेरणाओं (Incentives) पर ज्यादा विस्तार से विचार किया गया और योजना आयोग द्वारा नियुक्त थम नीति दैनंदिन द्वारा उत्पादकता एवं प्रेरणाओं के लिए पृथक रूप से अध्ययन दल स्थापित किया गया जिसने बहुत सी महत्वपूर्ण सिफारिशें दी है जिन्हे उद्योग वे दोनों पक्षों तथा विषयों से मद्दतित बताना, दृष्टिकोण द्वारा माना गया समझा जा सकता है।

पाचवी पचवर्षीय योजना में थम-नीति

इस योजना का मुख्य व्यय उत्पादन वृद्धि एवं रोजगार वृद्धि है। इस योजना में थम नीति का आधार औद्योगिक ज्ञानित बनाये रखना एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। यह नीति को भी अब उत्पादकता में जोड़ दिया गया है। पाचवी योजना में थम नीति सम्बद्धी मुख्य विशेषताएँ हैं—(i) बर्तमान रोजगार दफत्रों को मजबूत बनाया जाएगा ताकि वे रोजगार चाहने वालों वे बदली हुई स्थिता की कुशलतापूर्वक सवा कर सकें। (ii) थमिक कार्यालय ग्रामीण थमिकों अनुमूलित जातियों तथा अनुमूलित जन जातियों के थमिकों के काम की दशाओं तथा थमिकों के थग से सम्बद्ध वे विषयों के बारे में सूचनाएँ आदि प्रक्रित रखें। (iii) उपभोग वस्तुओं की मूल्य वृद्धि, वेतन बोनस एवं अन्य महत्वपूर्ण मामलों का नया और व्यापक औद्योगिक सम्बद्ध सबधी कानून बनाते समय ध्यान में रखा जाएगा। (iv) वेतन पर रोजगार एवं स्वयं रोजगार सुधी धाना वे विकास दोनों पर बल दिया जाएगा। (v) कमंचारी राज्य द्वारा योजना को

विस्तृत किया जाएगा। (vi) भारतीय अभिक संस्था का पुनर्गठन और उसका विस्तार करके राष्ट्रीय अभिक संस्था बनायी जाएगी जो अभिका संसद्वद्ध मामला में अनुसधान के बारे में समन्वय स्थापित करने वाली संस्था होगी।

छठी पंचवर्षीय योजना में थमनीति

छठी पंचवर्षीय योजना में थमनीति का अनुमोदन किया गया है। उसमें उच्चतम उत्पादन को सुनिश्चित बनाने के लिए प्रत्यक्ष स्तर पर प्रबंधन। एवं अभिका देशध्य सहयोग पर बन दिया गया है। राज्यों के थम मंत्रियों द्वारा समिति द्वारा, मामूली सशोषनों के साथ, स्वीकृत इस नीति के प्रमुख अग निम्नलिखित हैं— (i) रोजगार की स्थिति एवं कार्य निष्पादन की परिस्थितिया (ii) कार्य सुरक्षा (iii) अभिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाए (iv) वेतनों का निगमन व नियन्त्रण, (v) प्रबंधन। एवं अभिकों के संगठनों को पूर्ण स्वाधीनता, (vi) थम नीति में मजदूर मध्य के आन्तरिक विवादों को निवारने के लिए मशीनरी द्वारा द्यवस्था दी गई है जिससे अवसर अवान्ति उत्पन्न होती है। बन्धक थम एवं बाल थम व उन्मूलन हतु योजनायें भी समाविष्ट की गई हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना में अभिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र एक सामाजिक सुरक्षा नियोजन विभाग की स्थापना करेगा। इस योजना में अस-गठित सेवा के मजदूरों के कार्य वरन द्वारा स्थितिया द्वारा नियमित करने के प्रयास किये जाएंगे।

(iv) सरकार को प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार न्यूनतम भजदूरी पर पुनर्विचार करना चाहिए, प्रतिकूल कीमत-स्थिति वे परिणामस्वरूप यदि तीन वर्षों के दौरान भजदूरी से परिवर्तन करना पड़े, तो इस प्रकार का परिवर्तन स्थानीय प्राधिकार को करना चाहिए।

(v) औद्योगिक संघों के समाधान हेतु सामूहिक प्रौदेवादी को प्रोत्साहन देना चाहिए।

(vi) वास्तविक भजदूरी में कोई भी निरतर वृद्धि, जो भजदूरी नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उत्पादकता में वृद्धि के बिना प्राप्त करना असम्भव है। भजदूरी नीति का उद्देश्य रहन-सहन की लागत को बढ़ने से रोकना चाहिए।

(vii) भजदूरी नीति का निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए—वह कीमत-स्तर जिसे कायम रखा जा सकता है, वह रोजगार-स्तर जिस प्राप्त करना हो मामाजिक न्याय की आवश्यकताएँ, आर्थिक व्यवस्था के भावी विकास के लिए आवश्यक पूजी-निर्माण योजनाओं के दौरान आय-जनन (Income Generation) और वितरण का छाना आर्द्ध।

(viii) आयोग ने भजदूरी निश्चित करने के माध्यम के रूप में भजदूरी बोहंड महसूस पर बन दिया और उनके प्रभावपूर्ण कियान्वयन के लिए अनेक सुझाव दिये। कृष्ण श्रम के सबूत भे आयोग ने न्यूनतम भजदूरी अधिनियम, 1949 को सागू करने का सुझाव दिया।

राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन एक मूल्यवान प्रलेख है जिसके द्वारा श्रमिकों को हानि पहुँचाने विना औद्योगिक शानि स्थापित की जा सकती है। अतः इसके वार्षिक न्यूनतम में देश के आर्थिक निकास को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। इतना होते हुए भी थम आयोग के प्रतिवेदन में सबसे दृढ़ी कमी यह है कि आयोग ने सभी अधिनियमों को मिनाइर गोड़ीकून अधिनियम बनाने की कोई भिकारिशा नहीं की है। इसके अतिरिक्त, इसने श्रम संघों को राजनीतिक सबूत लोडने व राजनीतिज्ञों द्वारा श्रम संघों को अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग किये जाने पर कोई विचार प्रकट नहीं किये।

भारत में आधुनिक श्रम-नीति (Present Labour Policy in India)

पचदर्दीय योजनाओं के अन्तर्गत भारत की श्रम नीति की प्रमुख विषयताएँ इस प्रकार हैं—(1) औद्योगिक शानि बनाये रखने को प्रायमिकता देना (2) आपमी गामूहित गोदर नीतया एवं उत्तराधिकार पर कैसनों को प्रोत्साहन दिया जाय, (3) व्याय न मिनते पर भ मरा द्वारा शानिपूर्ण प्रत्यक्ष कार्यवाही करने के अधिकार को स्वीकार किया याया है (4) राज्य को समाज के हित का सरकार तथा परिवर्तन एवं वित्ताण के प्रति उत्तरदायी संभा गया है, (5) निवेश पक्ष के हित में गजय द्वारा हस्तांतर करना, सभी गवर्निंग पक्षों द्वारा उचित धरकार करना, (6) उत्पादकता बढ़ाने म गहरों प्रान्त तरा, (7) वर्षों की आवन मरदूरी के प्रति आश्रस्त करना।

तथा सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, (8) समाज की आर्थिक आवश्यकताओं को सर्वोचित सम्भव रूप से पूरा करने के लिए नियोक्ता तथा श्रमिकों में रचनात्मक सहयोग स्थापित करना, (9) श्रमिकों के उद्योग की स्थिति में बृद्धि करना, (10) राजनियमों को उचित रूप में लागू करना, (11) विषक्षीय परामर्श को प्रोत्साहित करना।

संक्षेप में, भारत की श्रम-नीति की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं— (अ) वर्तमान सन्तियमों का एकीकरण तथा क्रिशन्वयन, (ब) श्रम कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा उपायों का एकीकरण तथा प्रसार, (द) द्विलोय तथा निवालीय परामर्श एवं सांझेदारी संयन्त्र द्वारा श्रम व प्रबन्ध में पारस्परिक सहकारिता तथा सहयोग की वृद्धि, (इ) देश के सामाजिक आर्थिक विकास में श्रम की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देकर उसके लिए प्रतिष्ठा तथा समानता सुनिश्चित करना।

श्रम-नीति का मूल्यांकन

(i) आर्थिक विकास की सफलता के लिए एक आघारभूत शर्त यह है कि देश का श्रमिक सतुष्ट और सुखी हो। बिना सतुष्ट एवं सुखी श्रमिक के आर्थिक विकास वीर्यति को त्वरित नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि हमारी पञ्चवर्षीय योजनाओं में समुचित श्रम-नीति के निर्धारण की ओर विशेष ध्यान दिया है। जैसाकि हम ऊपर अध्ययन कर चुके हैं कि भारत सरकार की श्रम-नीति और श्रम सबधों अधिनियमों का मुश्य उद्देश्य देश में औद्योगिक शांति सामूहिक सीदेवाजी के द्वारा और यदि वह असफल हो जाय तो समझौता करने की व्यवस्था द्वारा, और यदि वह भी असफल हो जाय तो मध्यस्थ निर्णयन द्वारा बनाये रखना है। परतु प्रश्न यह उठता है कि भारत सरकार की श्रम-नीति इतनी सुश्रृत और सुव्यवस्थित होने वे बाबजूद भी श्रमिकों में इतना असतोष बढ़ो है? हृदतालें और तालाबदी के कारण कार्य-दिवसों में बहुत बड़ी हानि बढ़ो होती है, औद्योगिक सबधों में सदैव तनाव बढ़ो बना रहता है? इन सब प्रश्नों का उत्तर केवल यही है कि श्रम नीतियों की घोषणाओं और अनुपालन में काफी अतार रहा है। सरकार की श्रम सम्बन्धी नीतिया केवल कागजों तक ही सीमित रही हैं और उन्हें पूरी तरह कार्यान्वयित नहीं किया गया। उदाहरणार्थं मजदूरी जैसे नाजुक प्रश्न को हल करन के लिए कोई गंभीर प्रयत्न नहीं किया गया है। आवश्यकतानुसार न्यूनतम मजदूरी के प्रश्न को सरकार मिद्दानत स्वीकार करने पर भी टाल मटोल करती रही है।

(ii) श्रम कल्याण के नाम पर कारबाना अधिनियम में श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति का ता प्रावधान है परतु उसके आगे कार्य रूप में कल्याणकारी होना सम्भव हो सके, इसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। श्रम सधों की माध्यता तथा सामूहिक सीदेवाजी के लिए प्रतिनिधि श्रम सध को ही एक मात्र प्रतिनिधि समूह मानन वा प्रश्न अधर में लटका हुआ है। अनुशासन सहिता के बल एक शुभवितक परिक्रमा कितु आत्मा रहित वाथों नियन्त्रित मात्र बनकर रह गई है, जिसका भ्रन्तिरण प्रबन्ध थोर श्रमिक दोनों ही नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार, औद्योगिक शांति प्रस्ताव भी केवल इतिहास की बात बनकर रह गया है। कार्य-समितिया और संयुक्त प्रबन्ध परिषद् अपने उद्देश्यों की

पूर्ति में सर्वेषा असकल रही हैं।

(iii) हमारी अम-नीति की एह महत्वपूर्ण कमजोरी यह है कि अम सधों को सुदृढ़ बनाने में कोई ठोस नीति नहीं अपनाई गई है। हमने श्रम संघवाद और सामूहिक सौदेबाजी के धारुनिकतम रूप अपनाये हैं किंतु हमारा औद्योगिक और सामाजिक विकास उतना समूलत नहीं हो पाया है। परिणामत आश्रित एवं दुर्बंल अम-सधों के बाहुत्य तथा शासन द्वारा निपत्रित अम सबधों ने वास्तविक नीतियों का श्रीगणेश अत्यत कठिन कर दिया है।

(iv) हमारी अम-नीति का एक उपेक्षित बग मजदूरी की समस्या है। एक ही अवमाय में काम करने वाले विभिन्न अभिकों की अलग-अलग कारखानों तथा क्षेत्रों में भारी मजदूरी दर में असमानता का होना एक ऐसी समस्या है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मजदूरी नीति में एक और असतोषजनक बात न्यूनतम और उच्चतम मजदूरी दर में भारी असमानता है। कहीं-कहीं तो यह असमानता एच्चीस गुने से भी अधिक है। ऐसी परिस्थिति को अधिक समय तक सहन नहीं किया जा सकता।

यद्यपि भारत सरकार अम-नीति की उपर्युक्त आलोचना के प्रति सचेत है और अम-सबधों के विकास के लिए सहकारी उपायों का आश्रय से रही है परंतु फिर भी अम-नीति को सुदृढ़ और सफल बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं—

1 मजदूरी नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे सभी अधिकारियों के कर्मचारियों को वैज्ञानिक बाधार पर वेतन मिले और असमानता न्यूनतम हो।

2 कार्यानुसार मजदूरी पद्धति के क्षेत्र को विस्तृत करने के प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसी पद्धति कर्मचारियों की सहमति के माय औद्योगिक सबधों के बाता बरण में विकसित की जानी चाहिए और उन उद्योगों तथा कार्यों में लागू की जानी चाहिए जिनके लिए वे उपयुक्त हैं।

3 कुल मजदूरी के तीन तत्त्वों का समावेश होना चाहिए। प्रथम—न्यूनतम मजदूरी, द्वितीय—जीवन-निर्वाह मूल्य से सबधित तथ्य और तृतीय—उत्पादकता में वृद्धि से सबधित तथ्यों का सबध मजदूरी में वृद्धि से सबधित तथ्यों के साथ जोड़ना चाहिए जिससे कि जब मजदूरी बढ़े तो साथ-साथ उत्पादन भी बढ़े और कोमतो में वृद्धि न हो।

4 मूल्य स्थिरता का प्रश्न मजदूरी नीति का मूल है। उच्च मजदूरी के लिए मान भाज प्रत्यक्षत मूल्य-वृद्धि और निर्वाह मूल्य में वृद्धि से उत्पन्न होती है।

5 महगाई भर्ते का जीवन निर्वाह मूल्य के साथ सबद्ध करना उपयुक्त है, किंतु सभी स्तरों पर निर्वाह-मूल्य में वृद्धि को प्रभावहीन करना सभव नहीं है। इस सबध में, मूल्य आकड़ों के तत्रह एवं मूल्य सूचकांक के साथ उनके प्रकाशक की वर्तमान व्यवस्थाओं म सुधार के लिए भी कदम उठाये जाने चाहिए।

6 प्रत्येक उद्योग में मजदूरी परिवर्द्धनित की जानी चाहिए और इन मजदूरी परिवदों की कार्य-पद्धति एवं उनके द्वारा अनुसारित माप इडों की समीक्षा की जानी चाहिए।

7 उत्पादन इकाई के स्तर पर एक स्वरित बदल के रूप में सेवायोजक और श्रमिकों द्वारा अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समुद्र रूप में सामान्य प्रोत्साहक योजनाएँ विकसित की जानी चाहिए।

8 अनुचित और अत्यधिक मजदूरी, बोनस, महगाई तथा अन्य प्रकार के भत्तों में अधिक वृद्धि से बचना चाहिए।

9 थम अधिनियमों के समुचित क्रियान्वयन की व्यवस्था होनी चाहिए।

10 सामाजिक न्याय वस्तुत थमिकों एवं उद्योगपतियों को समान स्तर पर रखकर नहीं किया जा सकता। इस हेतु आवश्यक यह है कि थम नीति वा ध्रुवाव थमिकों के पक्ष में हो।

नि सदैह विगत वर्षों में थमिकों की भर्ती में सुधार करने के लिए सेवायोजकों ने बहुत कुछ किया है परंतु अभी नहुत कुछ करना चाहिए है। यह सच ही कहा गया है कि “भारत में एक मौन शांति हो रही है और एक नया अम उत्पन्न हो रहा है—एक ऐसा अम जिसमें कर्मचारियों का जोषण भूतकाल की वस्तु बनकर रह जायेगा।”¹

वस्तुत भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि सरकार, सेवायोजक और थमिक तीनों में पूर्ण सहयोग हो और ‘केवल तभी स्वर्ण युग आयेगा जब हमारे देश की थम-शक्ति न केवल उपेक्षा, आवश्यकता, चिंता, क्षीण स्वास्थ्य और परेशानी से मुक्त हो जायेगी, बल्कि उच्चतम दक्षता और मातृभूमि के प्रति उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य की पूर्ण भावना भी विकसित कर लेगी एवं विश्व में किसी से पीछे नहीं रहेगी।”¹

यद्यपि यह सत्य है कि मानवीय दृष्टिकोण में थमिकों के अधिकारों एवं वल्याण के लिए पूर्व प्रयास किया जाना चाहिये परंतु जिसकी भारत की वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अधिक आवश्यकता है वह है एक और काति “कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के प्राकृत भाव, चरित के विकास एवं नैतिक मूल्यों के बोध के प्रति थमिक के मस्तिष्क की पूर्ण जागृति”。 आज हमें थमिकों को यह महसूस वराना है कि केवल अधिकार ही नहीं जिसका बिंदु वह हकदार है बल्कि उसके मेवायोजकों, राज्य एवं देश के प्रति महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम थमिकों में कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं अनुशासन की भावना जागृत करें, तभी देश में आर्थिक विकास का महायज्ञ सफल होगा।

परीक्षा-प्रश्न

1. योजनावधि में भारत में सचालित थम-नीति के मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए।
2. भारत सरकार की वर्तमान थम नीति का आखोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
3. राष्ट्रीय थम आयोग की सिफारिशों का आखोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

1 मिह माहेश्वरी द्वितीय 'थम अवश्यकता' पृ० 645।

अध्याय 12

कृषि श्रमिक (Agricultural Labour)

कृषि श्रमिकों की समस्या भारतीय कृषि की एक महत्वपूर्ण समस्या है। अतः कृषि सुधार की किसी भी योजना में इनको पर्याप्त महत्व देना आवश्यक है। कृषि सुधार समिति के अनुसार : "कृषि सुधार की किसी भी योजना में कृषि श्रमिकों की समस्या को सम्मिलित न करना देश की कृषि व्यवस्था में भयकर धारा को बिना मरहम-एटी के छोड़ देने के समान है।"

कृषि श्रमिकों से आशय

1. प्रथम कृषि श्रम जाच समिति के अनुसार : "कृषि श्रमिकों का अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जो कृषि-कार्य में किराये के मजदूर के रूप में कार्य करते हों तथा वर्ष में जितने दिन उन्होंने वास्तव में कार्य किया है, उससे वाधे स अधिक दिनों में उन्होंने कृषि में ही कार्य किया है। कृषि श्रमिक परिवार का तात्पर्य उस परिवार से है जिसकी वाधे से अधिक आय कृषि मजदूरी से प्राप्त होती है।"

2. द्वितीय कृषि श्रम जाच समिति के अनुसार : "कृषि श्रमिक से आशय उस व्यक्ति से है जो न केवल फसलों के उत्पादन के काम पर रखा गया है, बल्कि अन्य कृषि सम्बन्धी घघो (जैसे बागबानी, पशुपालन, दुध व्यवसाय, मुर्गी पालन आदि) में किराये के मजदूर के रूप में कार्य करता है। कृषि श्रमिक परिवार से आशय उस परिवार से है जिसकी अधिकारी आय कृषि मजदूरी से प्राप्त होती है।"

मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित कृषि कार्यों में से किसी एक या अधिक कार्यों को किराये के श्रमिक जथका विनियम के भाषार पर सम्पन्न करता है और उसे नकद रूप में, जिन्म के रूप में अपवा दोनों रूपों में मजदूरी प्राप्त होती है तो उसे कृषि श्रम कहत है—

(i) कृषि जिसमें भूमि की जुताई और खेती सम्मिलित है,

(ii) ढेरी उद्योग,

(iii) किसी बागबानी की वस्तु का उत्पादन, खेती उगाना तथा फसल नियार करना,

(iv) कृषि कार्य से सबधित किसी क्रिया को करना तथा कृषि पदार्थ को संग्रहीत करने या विक्रय के लिए तैयार करना अथवा विक्रय के लिए बाजार ले जाना, एवं

(v) पशुपालन, मधुमक्खी पालन अथवा मुर्गी पालन आदि।

कृषि श्रमिक औद्योगिक श्रमिकों से कई दूषितों से भिन्न हैं जैसाकि कृषि श्रमिकों की विशेषताओं के अध्ययन से स्पष्ट हो जाएगा।

कृषि श्रमिकों की विशेषताएँ

1. कृषि श्रमिक असगठित हैं औद्योगिक श्रमिकों की भाँति कृषि श्रमिक सगठित नहीं होते हैं। इसका मुख्य कारण कृषि कार्य की प्रकृति है। कृषि श्रमिकों को एक-दूसरे पर आश्रित रहकर कार्य नहीं करना पड़ता। कृषिको मे परस्पर आश्रितता के अभाव में उनमें उपयोगी समझन स्थापित नहीं हो पाता।

2. कृषि श्रमिक भ्रमणशील होते हैं : कृषि श्रमिकों की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे एक ही स्थान या सेत पर ही वर्ष भर कार्य नहीं करते। इसका कारण कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति है। भारतवर्ष में कृषि कार्य 6 से 7 महीने तक ही रहता है। वर्ष की शेष अवधि में जीविकों पाज़ंन के लिए कृषि श्रमिकों को अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है।

3. कृषि श्रमिक अकुशल होता है : कृषि श्रमिक मौलिक रूप से अकुशल होता है। वह सेती के कार्य में भी कुशल नहीं होता है, जो कि उसका प्रमुख व्यवसाय है।

4. कम मजदूरी चूकि कृषि श्रमिक अकुशल होते हैं इसलिए उनकी पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है। उत्पादक इस स्थिति का साम उठाकर श्रमिकों को कम मजदूरी देने से सफल हो जाते हैं।

5. सेवायोजक और कृषि श्रमिक में अन्तर मात्र मात्र का होता है कृषि श्रमिक का सेवायोजक साधन-सम्पन्न व्यक्ति नहीं होता। कुछ स्थितियों में तो एक छोटा किसान दूसरे छोटे किसान को रोजगार देता है। ऐसी अवस्था में सेवायोजक और श्रमिक के बीच प्रत्यक्ष निकटवर्ती सम्बन्ध होता है।

6. कृषि कार्य के लिए कानून का अभाव कृषि कार्य के लिए कोई नियमावली और निश्चित समयावधि नहीं होती। उत्पादक कृषि श्रमिकों द्वारा कार्य का अश्वासन भी नहीं दे सकता। कारण यह है कि कृषि कार्य प्रकृति पर निर्भर करता है। कई बार तो कठी धूप वर्दा व सर्दी में भी कृषि श्रमिक को कार्य करना पड़ता है। यद्यपि कृषि श्रम वर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने का प्रयास किया गया है परन्तु उत्पादक इन अधिनियमों की उपेक्षा करने से आसानी से राफल हो जाते हैं।

स्पष्ट कृषि श्रमिक असगठित और अकुशल होता है, उसकी पूर्ति लोचदार होने के कारण सौदाबाजी करने की शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। फलतः उसकी मजदूरी भी कम होती है।

भारत में कृषि श्रम का विकास

19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में कृषि मजदूरों की संख्या बहुत कम थी, परन्तु गत शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ इनकी संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। 1881 व 1921 के बीच सेतिहर मजदूरों की संख्या 75 लाख से बढ़कर 2 16 करोड़ हो गई। 1951 में कृषि श्रमिकों की संख्या 28 मिलियन थी जो 1961 में 31 5 मिलियन, 1971 में 47 5 मिलियन और 1981 में 5 54 करोड़ हो गई।

कृषि श्रम का देश की कुल कार्यशील जनसंख्या में अनुपात बढ़ रहा है। 1901 में यह अनुपात 16 9% था, जो कि 1921 में 17 4%, 1951 में 19 7%, 1961 में 16 71% तथा 1971 में 25 96% हो गया। उपर्युक्त आकड़ों से भारत में कृषि श्रमिकों की वृद्धी हुई संख्या का आधार होता है।

1961 व 1971 दोनों जनगणना रिपोर्टों के अनुसार 17 बड़े राज्यों में कृषि श्रमिकों और कृषकों के भाग की प्रतिशतता इस प्रकार थी—

1 अंग्रेज, 1961 और 1 अंग्रेज, 1971 को भारत में कृषि श्रमिकों व कृषकों का अनुपात

क्र० स० राज्य	वर्ष	
	1961	1971
1 झारखंड प्रदेश	0 76	1 18
2 बासाम	0 07	0 18
3 बिहार	0 41	0 52
4 गुजरात	0 30	0 33
5 हरियाणा	0 13	0 06
6 हिमाचल प्रदेश	0 02	0 05
7 जम्मू-काश्मीर	0 03	0 67
8 कर्नाटक	0 28	1 72
9 केरल	0 90	0 50
10 मध्य प्रदेश	0 29	0 83
11 महाराष्ट्र	0 51	0 58
12 उडीसा	0 24	0 47
13 पंजाब	0 24	0 14
14 राजस्थान	0 07	0 97
15 तमिलनाडु	0 47	0 35
16 उत्तर प्रदेश	0 16	0 83
17 पश्चिमी बंगाल	0 41	0 61
अखिल भारतीय	0 33	

उपर्युक्त सारणी के अंकों से स्पष्ट है कि कृषि अधिकों और कृपकों के अनुपात में, 1961 और 1971 के बीच के वर्षों में वृद्धि हुई है। परन्तु यह वृद्धि राज्यों में समान रूप से नहीं हुई है। अनुपात में सबसे अधिक वृद्धि हिमाचल प्रदेश में हुई है। कृषि अधिकों और कृपकों के अनुपात में जिन राज्यों में काफी वृद्धि हुई है, वे राज्य अवरोही क्रम में आसाम, उत्तराखण्ड, ओडिशा और बिहार हैं।

योजना आयोग के सर्वेक्षण के अनुसार कृषि श्रमिकों की सह्या 1977-78 में बढ़कर 530 लाख हो गयी है। इस प्रकार भारतवर्ष में कृषि श्रमिकों की सह्या में बढ़ि हो रही है। इसका अर्थ यह है कि ऐसे करोड़ों किसान, विशेषकर सीमान्त और छोटे किसान अपने देतों से बेदखल कर दिए गए हैं जिनके पास भूमिहीन श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं जितिरिपत अन्य कोई विकल्प नहीं था।

मोटे लौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि भारतवर्ष में कुल कार्यशील जन-संख्या ज्ञा 1/4 से अधिक भाग कृषि मजदूर है। ग्रामीण क्षेत्र में यह अनुपात 30 प्रति-शत तक भी अधिक है।

भारतीय कृषि धर्मिकों की सख्ती में विद्युत के कारण

इन वर्षों में भारत में कृषि श्रमिकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। इसके प्रभुत्व दरण तिम्नलिखित हैं—

। कुटीर उद्योगों का पतन कुटीर उद्योग धन्धों के पतन के कारण बहुत-से कानूनी-व्यवोजगार हो गये और उन उद्योगों से बेकार हुए थमिक कृपि कार्य करने लगे । डॉ० बुचेन का नियम है कि उनके स्वयं के दोजगार नष्ट हो जुके थे । आधुनिक उद्योगों का उस समय (19वीं शताब्दी में) विकास नहीं हुआ था, जबकि उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वे सेत लेकर उसे जोतने की व्यवस्था कर पाते । इन्हीं कारणों से उन्हें कृपि थमिक बनने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था ।

2 कृषि पर जनसंख्या का दबाव: भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, परन्तु दोषपूर्ण भूमि-व्यवस्था होने के कारण भूमि का केन्द्रीयकरण कुछ ही हाथों में होता रहा और कृषि अभिको की संख्या में बढ़ि होती गयी।

३ खेतों का छोटा आकारः भारतीय कृषि की एक विशेषता यह है कि यहाँ अधिकांश खेत छोटे आकार के होते हैं। खेतों के छोटे होने के कारण कृषक को पर्याप्त आवध नहीं हो पाती फलत उसे अपने खेत के अतिरिक्त दूसरे खेतों पर मजदूरी पर काम करना होता है।

4 ऋणप्रस्तता भारतीय कृपको की एक महत्वपूर्ण समस्या ऋणप्रस्तता रही है। ये अधिकाश ऋण साहूगारों से लेते हैं जिनकी ब्याज की दर इतनी अधिक होती है कि कृपको को अपनी जमीन मूलधन और ब्याज के मुगलान में बेचनी पड़ती है। इस परिस्थितियों के कारण भी कृषि धर्मिकों की सरूपा में काफी बढ़ि हुई है।

5 देरोजगारी की मजबूरी में कृषि कार्य . भारत में देरोजगारी की समस्या

ने विस्फोटक रूप ले लिया है, फलत, व्यक्तियों को मरलना में रोजगार नहीं मिल पाता। ऐसी परिस्थिति में बेरोजगार व्यक्ति मजबूरी में कृषि कार्य करने को तैयार हो जाता है और फलतः कृषि श्रमिकों की सख्ता में वृद्धि होती रही है।

6 सरकारी कामों पर खेती : भारत में योजना अवधि में सरकारी कामों (खेतों) की सख्ता में वृद्धि हुई है। इन कामों में भी कानूनी व्यवस्था में लोगों को रोजगार मिलता है।

7. दूषित भूमि व्यवस्था : डॉ० देसाई ने लिखा है कि जग्गों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्था भी किसी सीमा तक भूमिहीन किसानों की सख्ता में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी थी। इसके कुछ ऐसे व्यक्ति भी जैसे—जमीदार, जापीगढ़दार व रिगालदार जादि होते थे जो किसानों पर मनमाना अत्याचार करते थे जिसके कारण दहुतने विसान गांव छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे और वहां मजदूरी करना प्रारम्भ कर देते थे।

8. कृषि में जनिश्वितता की स्थिति भारत की कृषि हमेशा प्राकृतिक दशाओं पर आधित रहती है। मानसून की अनिश्वितता वे कारण फसल नष्ट हो जाती है जिसमें उमकी हानि होती है। जोन का आकार छोटा होने से दशा और गभीर हो जाती है। एक तरफ किसान जहरी हो जाता है प्रीत, इसी ओर, उसे अपनी भूमि पर साल भर काम नहीं मिलता जिससे किसान की आर्थिक स्थिति सुधर सके। अतः किसान मजदूरी करके अपनी जीविका चलाने को बाध्य हो जाता है।

कृषि श्रम की आर्थिक दशाएं

कृषि श्रम की आर्थिक दशाओं का शान विभिन्न तथ्यों की जानकारी से हो सकता है, इसमें कुछ प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं—

1. परिवार पा आकार कृषि श्रमिकों के परिवार के आकार को भाषने के लिए कोई मुख्यविधित प्रयत्न नहीं किए गए। डॉ० ०८० लक्ष्मीनारायण ने उत्तर प्रदेश एजाव और हरियाणा के तीन गांवों में कृषि श्रमिकों की बदलती हृदृदशाओं का अध्ययन किया। उनके बनुसार उत्तर प्रदेश में कृषि श्रमिकों के परिवार का औसत आकार 1958-59 में 6 था, जो कि 1972-73 में घटकर 4.45 रह गया। पाजाव भ पह औसत आकार 1956-57 में 5.34 था, जो कि 1971-72 में घटकर 8.65 हो गया। हरियाणा में यह आकार 1959-60 में 5.32 था, जो कि 1971-72 में 6.48 हो गया। उत्तर प्रदेश में परिवार के बोसत आकार में ही का मुख्य कारण इस सेवत में चिह्न मृत्यु दर का ऊचा स्तर था। कची चिनु मृत्यु दर कृषि श्रमिकों की निर्धनता और पिटेंडेन का परिचायक है।

2. शिक्षा कृषि श्रमिक परिवारों के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण नूतन स्कूली शिक्षा की प्रगति ने प्राप्त होती है। हरियाणा में कृषि करने वाले परिवारों में 4 स्कूल जाने की उम्र बाली लड़कियों में से एक लड़की ही स्कूल जाती है जबकि मजदूरी करने वाले यम परिवार में प्रति 25 स्कूल जाने की उम्र बाली लड़कियों में से केवल एक ही

स्कूल जाती है। इसी प्रकार, पंजाब में कृषक परिवारों के 78% बच्चे स्कूल जाते हैं जबकि श्रम परिवारों में केवल 40% बच्चे ही स्कूल जाते हैं।

यद्यपि कृषि श्रमिक परिवारों में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में निरतर वृद्धि हो रही है किन्तु इसका कुल साक्षरता की दर पर कोई धनात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

3 अणग्रस्तता पहली जात समिति के अनुसार 1950-51 में लगभग 44.5% कृषि परिवार अणग्रस्त थे। प्रति परिवार अण की औसत मात्रा बढ़कर 105 रुपये थी। दूसरी जात समिति के अनुसार 1956-57 में लगभग 64% कृषि परिवार अणग्रस्त थे तथा प्रति परिवार अण की औसत मात्रा बढ़कर 138 रुपये हो गई। 1964-65 में अणग्रस्तना के इस प्रतिशत में कमी हुई और यह 61% रह गया। लेकिन औसत अण की मात्रा 138 से बढ़कर 244 रुपये हो गई। 1971-72 में रिजवं बैंक ऑफ़ इंडिया ने अखिल भारतीय अण एवं निवेश सर्वे का आयोजन किया, जिसके अनुसार 35.33% कृषि परिवार अणग्रस्त थे तथा प्रति परिवार औसत अण की मात्रा 161.96 रुपये थी।

उपर्युक्त सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि अब भी बहुत-से कृषि परिवार देशी महाजनों के चंगुल में फसे हुए हैं। यद्यपि 1960 के बाद से सस्थायत साल एजेन्सियों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में कृषि माल की व्यवस्था की गई है।

4 रोजगार एवं बेरोजगारी भारतीय कृषि मौसम पर निर्भर करती है। अत फसल की कटाई के दिनों में ही श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कृषि श्रमिकों की वर्ष में 4-5 महीनों तक बेकार रहते हैं। प्रथम कृषि आयोग (1950-51) के अनुसार पुरुष श्रमिकों को वर्ष में केवल 200 दिन मजदूरी पर काम मिलता था। द्वितीय कृषि आयोग (1956-57) की जान के अनुसार पुरुष श्रमिकों को वर्ष में केवल 197 दिन मजदूरी पर कार्य मिलता था। ग्रामीण जात समिति-(1963-64) के अनुसार एक पुरुष कृषि श्रमिक को एक वर्ष में 240 दिन तथा स्त्री श्रमिक को 159 दिन रोजगार प्राप्त होता है। योजना आयोग के अनुसार प्राय. 16% व्यक्तियों को पूरे वर्ष भर कोई कार्य नहीं मिलता।

उपर्युक्त आकड़ों से स्पष्ट है कि मजदूर को एक वर्ष में लगभग 4 महीने बेरोजगार रहना पड़ता है। इस अवधि में उगे ग्रामीण जीवन की सभी बुराइयों का सामना करना पड़ता है।

5 कार्य करने का समय एवं दशाएँ कृषि श्रम जात समिति के अनुसार : "कार्य के घण्टों में कोई नियमितता नहीं थी और यह श्रमिकों और सेवायोजकों के मध्य सहयोग, विश्वास तथा स्थानीय रोति रिशाजो पर निर्भर करती थी। फसल की कटाई और सफाई के समय अनियमित कृषि श्रमिकों को प्रतिदिन 10-11 घण्टे कार्य करना पड़ता था। चूंकि स्पष्ट है कि कृषि श्रमिक की कार्य करने की दशाएँ प्रकृति पर निर्भर करती हैं। चूंकि कृषि श्रमिक खुले हुए बातावरण में कार्य करते हैं इसलिए उन्हें गर्मी और वर्षा दोनों में ही काम करना पड़ता है।"

कृषि श्रमिक

6 मजदूरी एवं आय प्रथम जाच समिति न दरताया है कि 1950-51 में पुरुष कृषि श्रमिकों की ओसत मजदूरी 109 रुपये प्रतिदिन थी, दूसरी जाच समिति के अनुमार यह 1956-57 में घटकर 090 रुपये प्रतिदिन रह गयी, तथा ग्रामीण जाच समिति के अनुमार यह 1964-65 में 143 रुपये आकी गई। स्त्री कृषि श्रमिकों के लिये 1950-51 में यह 068 रुपये, 1956-57 में 059 रुपये और 1964-65 में यह 095 रुपये थी। यद्यपि समयावधि 1950-51 से 1964-65 के दौरान पुरुष और स्त्री दोनों ही प्रकार के कृषि श्रमिकों की मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि हुई है लेकिन कीमतों में वृद्धि होने के कारण 1964-65 में वास्तविक मजदूरी 1950-51 की तुलना में कम हो गई।

जहाँ तक कृषि श्रमिकों की आय का प्रश्न है पहली कृषि श्रम जाच समिति के अनुसार, सभी लोगों से कृषि श्रम की वार्षिक आय 1950-51 में 447 रुपये थी। दूसरी जाच समिति के अनुसार 1956-57 में यह घटकर 437 रुपये रह गई है। ग्रामीण श्रम जाच समिति के अनुमार कृषि श्रम की वार्षिक आय 1964-65 में 660 रुपये थी। इससे श्रमिकों की मौद्रिक आय में वृद्धि का आभास होता है। लेकिन, यदि मौद्रिक आय में इस वृद्धि की कीमत वृद्धि के साथ तुलना करें तो विदित होता है कि कृषि श्रम की वास्तविक आय में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है।

7 उपभोग व जीवन-स्तर एक तो कृषि श्रमिकों की मजदूरी बहुत कम होती है। दूसरे, वर्ष में ये काफी दिन बेकार रहते हैं। कलस्वरूप इनकी आय इतनी कम हो जाती है कि इनके न्यूनतम उपभोग का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता और विवश होकर उने उपभोग के लिए भी उधार लेना पड़ता है। द्वितीय कृषि श्रम जाच समिति का अनुमान या कि 1956-57 में प्रति परिवार उपभोग पर वार्षिक व्यय 617 रुपये या तथा प्रति परिवार औसत वार्षिक आय 437 रुपये थी। इस प्रकार प्रति परिवार औसत धाटा 180 रुपये का था।

कृषि श्रमिकों के उपभोग ०४% से सबम महत्वपूर्ण बस्तु भोजन है। कृषि श्रम जाच समिति के अनुसार 'कृषि परिवार अपन उपभोग व्यय का 85.3% भोजन, 6.3% कपड़ों व जूतों तथा 6.0% सवााओं व अयकार्यों पर खर्च करते हैं। इस उपभोग ०४% के स्वरूप में कृषि श्रमिकों की पिछड़ी हुई दर'। एवं देरोजगारी की जानकारी मिलनी है।

कृषि श्रमिकों की समस्याएं तथा कठिनाइया (Problems and Difficulties of Agricultural Labourers)

योजना आयोग न जिता है कृषि श्रमिकों की समस्याएँ हमारे लिये एक चुनी है और इन समस्याओं का समृच्छित निदान नहीं। तकाफी ग्रामीण समाज पर है। अबात कृषि श्रमिकों की समस्या 1 की ओर ३० लाख श्रमिकों द्वारा ज्ञात दर्शाया जाता है। इन श्रमिकों के द्वारा कृषि मत्त्रालय द्वारा हापथ भर्तवासमस्या 1 का मानवान परिवार व्यवस्था व्यवस्थाएँ दूषित कर रही हैं। अद्यतन के ये विचार महत्वपूर्ण हैं। ममता का नमायान विन्दू रुपम प्रभाव नीचे भव्यतम देता है विचार महत्वपूर्ण है। ममता का नमायान विन्दू रुपम प्रभाव नीचे भव्यतम देता है विचार महत्वपूर्ण है। एमान जनका परिणाम एसी स्थिति

का उत्पन्न होना होगा वि ग्रामीण क्षेत्र का अमनुष्ट वर्ग मजबूर होकर समर्थित होगा और एक दिन विस्पोर्त स्थिति उत्पन्न कर देगा।¹ भारतीय श्रमिकों की मुख्य समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

१. मीसमी व छिपी बेरोजगारी कृषि श्रमिकों को वर्ष पर्यंत कार्य नहीं मिलता। द्वितीय कृषि जाव समिति के अनुभान के अनुसार कृषि श्रमिक को वर्ष भर में केवल 197 दिन ही काम मिलता है और ये प्रत्येक दिन कार्य वाहार रहता है। अन्यत्र रोजगार मिलने की सम्भावना एवं कम होने से कृषि श्रमिकों वा भार आवश्यक रूप से अधिक² हो जाना है और कुछ श्रमिक यद्यपि कार्यरत दिक्काई देते हैं तथापि कृषि उत्पादन में उनका अदान नहीं है वरावर है जिसके फलस्वरूप छिपी बेरोजगारी की समस्या पायी जाती है। भारतीय कृषि श्रमिकों में मीसमी बेरोजगारी, अद्वैतरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी तीनों ही समस्याएँ जटिल रूप में पायी जाती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में गोजगार के अनुभान का प्रयास नेशनल सैम्पल सर्वे (N S S) ने अपने 19वें सत्र में जुलाई 1964 से जून 1975 के मध्य किया। इसका प्रतिवेदन 1970 में प्रकाशित हआ। उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म शक्ति कुल जनसंख्या की 40.15 प्रतिशत धी जिसमें से 38.4 प्रतिशत लाभप्रद रोजगार में थे जबकि बेरोजगार गोजगार ने लिये उपलब्ध व्यक्ति 1.75 प्रतिशत थे। सर्वाह में 4 दिन या उससे कम तभा एक दिन तक काम करने वाले व्यक्तियों वा प्रतिशत कुल जनसंख्या का 10.24 प्रतिशत था।

२. भूमिहीनता भारत में अधिकांश कृषि श्रमिक भूमिहीन हैं और जिनके पास भूमि है वह प्रायः इतनी कम मात्रा में है कि न तो उन्हें उस पर वर्ष भर कार्य मिल सकता है और न वह आर्थिक दिक्काई के रूप में जोती जा सकती है।

३. अस्थायी श्रमिकों का आधिकाद भारत में अधिकांश कृषि श्रमिकों को अस्थायी रूप में ही जेतों पर कार्य मिलता है और भारत में अस्थायी कृषि श्रमिकों का ही आधिकाद है। 1970-71 में लगभग 70 प्रतिशत कृषि श्रमिक अस्थायी थे। अस्थायी होने में उनसी दशा दयनीय है।

४. काय के अनियमित घटे कृषि श्रमिकों के काय वे घटे भिन्ने भिन्न स्थान, अनु और फसलों के लिए एक म नहीं है। क्षेत्रों की कृषि मजदूरों को वर्ष भर काम महीने मिलता कि तू—य वह सना पर काम करना है तो उसके प्रतिदिन काम का समय काफी लम्बा होता है। श्रीद्योगिक श्रमिकों की तरफ इसका काम ऐसे घटे निश्चित नहीं किय गये हैं।

५. सर्वान का अभाव कृषि श्रमिक नियन्त्र नी—अज्ञानरूप है। वे विखरे हुए यांत्रों में अम उन रूप म रहते हैं। वे राज की सघावे रूप म समर्थित नहीं कर पाये हैं। सर्वान अभाव के नारण वे भूमिर्दा। ग ३ न अधिकारा वी प्रभावशाली ढंग म याव नहा र राते।

1. The Causes and Nature of Current Agrarian Tensions, (Ministry of Home Affairs, Govt. of India, 1969, p. 37).

6 कृष्णग्रस्तता कृषि श्रमिक दुरी तरह कृष्णग्रस्त हैं। भारतीय कृषि श्रमिक की प्रति व्यक्ति कापिक आय का अनुमान 140 रुपये लगाया गया है। 1972-73 के अनुमान के अनुमान भारत के समस्त कृषि परिवारों को राष्ट्रीय आय का केवल 8.3 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ। इतनी कम आय होने के कारण कृषकों के लिये अपना जीवन निवाह करना कठिन हो जाता है, कलत उसे कृष्ण लेना पड़ता है। एक दार कृष्णी होने के बाद कृषि श्रमिक को जीवन भर उससे छुटकारा नहीं मिलता। कृषि श्रम जात समिति के अनुसार हमारे देश में कृषि श्रमिकों के लगभग 45 प्रतिशत परिवार कृष्णग्रस्त हैं और प्रति परिवार औसत कृष्ण का अनुमान 105 रुपया है।

1971-72 में लगभग 60 प्रतिशत कृषि मजदूर परिवारों पर कृष्ण का राष्ट्रीय भार रहा। ऐसे प्रत्येक परिवार पर औसतन 138 रुपये कृष्ण रहा।

7 इन्हीं सामाजिक स्थिति अधिकारण कृषि श्रमिक युगों से उपेक्षित हवा दलित जातियों के सदस्य हैं जिनका सदियों से शोषण किया गया है। इसके कारण इनका सामाजिक स्तर नीचा रहता है।

8 आवास समस्या : भूमिहीन कृषि श्रमिकों दे मामन आवास दी समस्या भी है। उन्हें या तो भूमिपतियों की या ग्राम सम्पादों के स्वामित्व की भूमि पर उनकी स्वीकृति लेकर गकान या झोपड़िया बनाकर रहना पड़ता है। ये झोपड़िया अत्यन्त छोटी होती हैं। कृषि श्रमिकों की आवास-व्यवस्था की दबावीय अवस्था के सम्बन्ध में डॉ. राधा कमल मुकुर्जी ने लिखा है “इन झोपड़ियों में श्रमिक के बल पर फैलावार सो चकता है। एक ही झोपड़ी में अनेक व्यक्तियों के सोने में मर्यादा भी समाप्त हो जाती है।” गुढ़ वायु तथा रोगनी के लिये खिड़कियों का पता नहीं होता। इस व्यवस्था का श्रमिकों और उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

9 बेगारी की समस्या : अभी कुछ समय पहले तक भारत के लगभग सभी यांगों में कृषि श्रमिकों से बेगारी (Forced Labour) में काय लगने की प्रणाली प्रचलित थी। इसकी भी भता गुलामी से कुछ काम अवश्य थी जिन्हें इस प्रथा में कृषि श्रमिकों को कृष्णग्रस्तना के कारण मालिक के नेत या धर पर स्वार्थी स्वयं काम करना था जिसके लिये उन्हें नामानुसार वी मजदूरी मिलती थी। अब कानून बनाया गया प्रयत्न न कर दिया गया न।

10) मजदूरी की निम्न दर कृषि श्रमिकों की मजदूरी की दर नामन में बर्तन कम है। इसके कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं—

(अ) कृषि श्रमिकों का अनियन्त्रित व अनागिन्त हाना (ब) मार्गीय रुपका और स्वीकृत (ग) श्रमिकों द्वारा नाप्रिवय (द) सघन वनी और व्यापा (५) दम-की वनी। मजदूरी का स्तर नीचा रहने से श्रमिकों की व्याय शमना व मरहनी है जो भावी मनति र विकास पर कुप्रभाव पड़ता है।

11) ये कृषि व्यवसायों की कमी ग्राम में ये कृषि व्यवसायों की इसी भी कृषि श्रमिकों नी कम मजदूरी और हीन आधिक दणा के लिये उत्तरदायी है। ग्राम में जनसम्पद की नियन्त्रित बूढ़ि के कारण भूमिहीन श्रमिकों नी सह्या भी बड़ी ज़रूरी

है। परन्तु दूसरी ओर, गैर-कृषि व्यवसायों की कमी तथा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में न आने-जाने के कारण कृषि पर जनसंख्या का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। यदि बाढ़, अकाल इत्यादि के कारण फसल नष्ट हो जाय तो कृषि श्रमिकों का जीवन-निर्वाह करना भी कठिन हो जाता है।

12 कृषि-श्रमिकों में स्त्री और बच्चों का अधिकार : भारतीय कृषि में वैसे ही श्रमिकों की महया अनावश्यक रूप से अधिक है तथा स्त्री और बच्चों के बेतो पर कार्य करने में कृषि श्रमिकों की पूर्ति और प्रतियोगिता अधिक बनती है जिसका बुरा प्रभाव उनकी मजदूरी और बच्चों के शिक्षा-स्तर पर पड़ता है।

13 मध्यीनीकरण से बेरोजगारी समस्या . नियोजन काल में कृषि में नवीन यन्त्रों और वैज्ञानिक उत्पादन पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। इससे अधिकृति कृषि श्रमिकों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या और भी अधिक गम्भीर हो गयी है।

कृषि श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के सुझाव

(Suggestions to Solve the Problems of Agricultural Labour)

कृषि श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं—

1 जनसंख्या नियन्त्रण : भारतवर्ष में कृषि या अन्य क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए बहुत से प्रयत्न किये गये हैं तथापि बेरोजगारों की संख्या कृषि व गैर-कृषि क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। इसलिये आवश्यक है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को नियन्त्रित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को तेजी में कार्यान्वित किया जाय।

2 कृषि क्षेत्र से रोजगार बढ़ाया जाय : कृषि क्षेत्र में ही रोजगार बढ़ाने के लिए निम्ननिखित कार्यक्रम किये जा सकते हैं— (अ) कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बढ़ा-कर उन्नत बीज खाद आदि आवश्यक वस्तुएँ किसानों को उपलब्ध-कराकर संघन खेती को प्रोत्साहन देना चाहिये। (ब) अधिक-से-अधिक क्षेत्र में प्रतिवर्ष एक से अधिक फसलें बोते के लिये संघन फसल कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाना चाहिए। (स) ग्रामों में कृषि उद्योग, जैसे मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन, गो पालन आदि का व्यवसाय किया जाना चाहिये। (द) लोक निर्माण कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिये। सरकार गावों में अपनी परियोजनाओं इस तरीके से कार्यान्वित करे कि देकार समय (Off Season) में खाली श्रमिकों को रोजगार मिल सके। सड़कें बनाना, तालाबों तथा नहरों की लूदाई और उन्हें गहरा करना, बनारोपण आदि ऐसी ही परियोजनाएँ हैं।

3 गैर कृषि क्षेत्र से रोजगार बढ़ाना : इसके लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं— (अ) दून में बड़े-बड़े उद्योग स्थापित किये जाने चाहिए जिससे गैर कृषि क्षेत्र में राजनीति बढ़ा और कृषि-श्रमिक भी उनकी ओर आकर्षित होंगे। (ब) बहुउद्दीशीय नदी-धारी परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इनमें प्रत्यक्ष रूप से रोजगार में बढ़िया होगी और साथ ही परोक्ष रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण और निधाई की सुविधाएँ बढ़ाने में भी संघन कृषि और ग्रामीण उद्योग प्रोत्साहित होंगे जिनसे रोजगार

अवस्थरो का विस्तार होगा। (स) कलाई, गुनाई, मिट्टी का काम, बास और लकड़ी का काम आदि कुटीर उद्योग, इन्हों के पुर्जे लतानि व छोटे-छोटे यन्हों का निर्माण करने हेतु लघु उद्योगों तथा धान, निलहन, कपास, फल, दालें आदि पर प्रक्रिया करने के कृषि उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये।

4 शिक्षा का प्रसार · कृषि श्रमिकों की विभिन्न भयस्थाओं और कठिनाइयों के समाधान की दृष्टि से उनमें व्यापक रूप से शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिये जिससे वे भूमिपतियों के शोषण से बच सकें, अपनी मजदूरी की सही गणना कर सकें और कृषि में ही रही हरित कान्ति के अनुरूप अपने को कार्य करने के योग्य बना सकें।

5 कृषि कार्य में कार्य के घटों का नियमन : इटली, जर्मनी आदि कई दिसित देशों में कृषि कार्य के घटों नियमित किये गये हैं। अतः भारतवर्ष में भी कृषि श्रमिकों के कार्य के घटों का नियमन किया जाना चाहिए और निर्धारित समय में अग्रिक कार्य करने पर अतिरिक्त मजदूरी की व्यवस्था होनी चाहिये।

6 काम की परिस्थितियों में सुधार : काम की प्रतिकूल परिस्थिति के बुरे प्रभाव से बचने के लिए जाडे, गर्भा व वर्षा के भौसन में आवश्यकतानुसार सरकार बस्त्र तथा अन्य सुविधायें श्रमिकों को उपलब्ध होनी चाहिए। उनमें बैगार नहीं ली जानी चाहिए, अवकाश की व्यवस्था होनी चाहिये तथा दुर्घटना इत्यादि पर सहायता का प्रावधान होना चाहिये।

7 ग्रूनतम मजदूरी का प्रभावशाली क्रियान्वयन यद्यपि सरकार द्वारा कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में भी ग्रूनतम गजदूरी की ठागस्था की गई है परन्तु केवल ग्रूनतम मजदूरी अधिनियम बना देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के उपाय भी किये जाने चाहियें।

8 भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए भूमि की व्यवस्था कृषि श्रमिकों की दशा गुप्तारे के लिए भूमिहीन कृषि श्रमिकों को भूमि देना आवश्यक है। वर्तमान समय में भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारण तथा भूदान आदोलन द्वारा यह व्यवस्था की गई है, परन्तु जैसा चरण सिंह ने सिखा है 'अधिकतम सीमा निर्धारण के बाद जो अतिरिक्त भूमि प्राप्त हुई वह भूमिहीनों में वितरित करने का प्रबन्ध योजना काल में किया गया ए किन्तु इसमें भूमिहीनों की व्यवस्था को हल करने की सम्भावनाएं सीमित हैं।' कारण यह है कि अधिकांश भूमिहीन निम्न श्रणी की होने से तथा बैल, औजार और विन के अभाव में भूमिहीन श्रमिक भूदान में प्राप्त भूमि स अधिक लाभ न उठा सकेंगे।

9 स्त्री श्रमिकों की रक्षा . औद्योगिक श्रमिकों ली भाति कृषि श्रमिकों को सम्पूर्ण सुविधाएं निलंबी चाहियें विशेष रूप से प्रसव अवकाश आदि का प्रबन्ध कम-से-कम सहकारी व अन्य निजी तथा बड़े हेतों पर उपलब्ध होने चाहियें।

10 अम सहकारिताओं का निर्माण कृषि श्रमिकों को अम सहकारिताओं का निर्माण करना चाहिये और सरकार को सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य कार्यों में इन श्रम

सहकारिताओं को प्राप्तभिकता देनी चाहिये ।

11. प्रामीण रोजगार केन्द्रों की स्थापना : प्रामीण रोजगार केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिये, ताकि कृषि श्रमिकों वौ गतिशीलता बढ़े और रोजगार के सबध में उन्हें जानकारी उपलब्ध हो सके ।

12. कृषि श्रम कल्याण केन्द्रों द्वारा स्थापना : सण्ड व्यवहार व्याकृत-स्तर पर कृषि श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिये जहाँ पर श्रमिकों को मनोरजन तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हों ।

13. कृषि श्रम संगठनों की स्थापना भौद्योगिक श्रमिकों की भाँति कृषि श्रम संगठनों की स्थापना की जानी चाहिये जिससे कृषि श्रमिक अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकें ।

कृषि श्रमिकों की उन्नति के लिए उठाए गए कदम

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने कृषि श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए निम्न कार्य किये हैं—

1. कृषि-दास प्रथा भारतीय संविधान ने कृषि दास प्रथा को अपराध घोषित कर दिया है, जिससे कि कृषि श्रमिकों की दशा सुधारे तथा पूर्णकालीन राजगार मिल सके ।

2. न्यूनतम भजदूरी अधिनियम एवं कृषि अधिकारी 1948 में न्यूनतम भजदूरी अधिनियम पारित किया गया, जिसके अधीन तमिलनाडु और महाराष्ट्र को छोड़कर दोष सभी राज्यों और सधीय क्षेत्रों में कृषि भजदूरों की न्यूनतम भजदूरी निर्धारित की गई है । केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि दोषन संस्थाओं तथा संनिक कामों पर काम करने वाले श्रमिकों की भी न्यूनतम भजदूरी निश्चित कर दी गई है । अधिनियम में जीवन-नवाह व्यय में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 5 वर्ष की अवधि में न्यूनतम भजदूरी की समीक्षा करने की भी व्यवस्था है ।

3. श्रमिक सहकारिता का संगठन श्रम या सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है । इन समितियों वे सदस्य स्वयं श्रमिक ही होते हैं और सड़कों का निर्माण, नहरों और तालाबों की खुदाई, बन-रोपण आदि सहकारी परियोजनाओं के ठेक लेते हैं ।

4. भूदान आदोलन भूदान, प्रामदान व प्रखण्डदान आदि आन्दोलनों से भी कृषि श्रमिकों की दशा को सुधारने में बड़ी सहायता मिल रही है । इन आन्दोलनों में प्राप्त हुई भूमि के हन्तान्तरण व प्रबन्ध के लिए राज्यों ने आवश्यक कानून बना दिये हैं ।

5. कृषि भजदूर विकास संस्था : अखिल भारतीय कृषि अर्थ पुनरावृत्तोक्त ममिति ने सिफारिश में प्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों की विकास संस्था द्वारा उनकी मदद करने को कहा था । भारत सरकार ने उगे स्वीकृत ही नहीं किया बल्कि उससे एक कदम आगे भूमिरहित तथा बहुत छोटे किसानों के लिए भी विकास संस्था बोलने

कृषि श्रमिक

का निश्चय किया और इस निश्चय के आधार पर ऐसी सहस्रा को संगठित कर दिया गया जो भूमिरहित तथा छोटे-छोटे काशकारों के लिए नहायता प्रदान करेंगी। सहस्रा का मुख्य ध्वेष उन्हे रोजगार तथा साधार प्रदान करना है। आगामी 4 वर्षों में इस प्रकार की 40 परियोजनाएँ स्थापित करना ता प्रस्ताव है।

6. **ग्रामीण वर्षस कार्यक्रम** कृषि श्रमिकों को बेरोजगारी के दिनों में उनके निए रोजगार वी व्यवस्था करने के लिए वैन्ड्रीय सरकार ने ग्रामीण वर्षस कार्यक्रम की योजना तैयार की है। इस कार्यक्रम में नघु और मध्यम स्तरीय मिचाई साधनों का विकास भूमि संरक्षण, इत्यादि सम्भिर्ण है। पह नुमान है कि प्रति एक करोड़ रुपये का व्यय सम्बन्धित कार्यविधि में 25 हजार में 30 हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करेगा।

7. **ग्राम आशास निर्माण योजना** अगस्त, 1957 म यह योजना प्रारम्भ की गई। इसके अन्तर्गत भूमिहीन कृषि श्रमिकों नों नि शुल्क या नाम भान वीचन पर मकान प्रदान करने के लिए राज्य परकारों को अनुदान दिया जाता है।

8. **रोजगार गारण्टी योजना** महाराष्ट्र सरकार ने रोजगार गारण्टी योजना गुच्छ की है। इस योजना के अनुसार सरकार को प्रार्थी को उसक निशास-स्थान के 5 किलोमीटर के बीच रोजगार उपलब्ध ठगना होगा। इस उद्देश्य की पूति के लिए सरकार नो विभिन्न मार्गेजनिक निमान वार्यक्रम गमन्यी योजनाएँ (ग्राम मिचाई, महार, निर्माण यादि) तैयार रखती हाई। इसे नजदूरी वी दर ऐसी नहीं होगी जिसमे कृषि कियाओ म सामान्य रोजगार गारण श्रमिक नार्कर्पित हो सके। यह सभी व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का अभिन-इतिहास कदम है। यह आशा वी जाती है कि अन्य सभी राज्य भी ऐसी ही योजनाए चालू करेंगे।

9. **धोस सूत्री कार्यक्रम** प्रधान मंत्री ने धोस मूली कार्वक्रम म भी भूमिहीन श्रमिकों एव ग्राम चमाज के अन्य निवास यों की अधिक दशा मुदारन के लिए कई ज्ञाप दिये गये हैं। इनम निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं-

(क) उपि भूमि वी अधिकतम भीमा (Ceiling) के कानूनो का तानु वरना तथा अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में लेजी न विवरण करने की कार्यवाही करना और अभिन्न पूर्ण करना।

(ख) भूमिहीनों व समाज के निवास यों को मवानो की जगह (Land Sites) लेजी से वितरित करना।

(ग) बधुआ श्रम (Bonded Labour) को गैर कानूनी घोषित करना।

(घ) ग्रामीण नगरपालिका को समाप्त वरना। दहातो म भूमिहीन मजदूरों दस्तकारों और छोटे किसानों से इण वमूली पर रोक लगाने के लिए कानून वालवर प्रतिवध लगाना।

(इ) समग्र ग्रामीण विकास एव राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कायक्रम को मुद्द एव अधिक विस्तृत करने की योजना।

(झ) कृषि मजदूरों को न्यूततम मजदूरी गवधी कानून की समीक्षा और उनका

असरदार तरीके से क्रियान्वयन।

(छ) बंधुआ मजदूरों के पुनर्वासि की व्यवस्था।

(ज) ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीनों को आवासीय भूमि देने और मकान बनाने में सहायता सम्बन्धी कार्यक्रम का विस्तार।

(झ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के विकास से सम्बद्ध कार्यों में तेजी।

10. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम। आरम्भ में ग्राम पुनर्निर्माण के लिए सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को आरम्भ किया था, जिसमें कृषि अभियानों की आर्थिक दशा में सुधार की भी व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसके बाद यह निश्चय किया गया कि ये कार्यक्रम कुछ विशेष जिलों तथा क्षेत्रों में ही लागू किये जाने चाहिए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर वर्ड विशेष क्षेत्र कार्यक्रम आरम्भ किये गये। इन कार्यक्रमों में छोटे किसान, विकास एजेंसी, सीमान्त कृषक एवं कृषि अभियान विकास एजेंसी, कार्यप्रबन्ध बादिविशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

11. सीमान्त कृषक और अभियान योजना : सीमान्त कृषकों तथा कृषि अभियानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा देश के 41 ज़ुने हुए जिलों में पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू किये जायेंगे और प्रत्येक जिले में 20 हजार सीमान्त कृषक और कृषि अभियानों को वित्तीय सहायता दी जायेगी।

12. कुटीर व लघु उद्योगों का विकास : कृषि पर जनसंरक्षण के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने हमेशा लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां भी स्थापित की गई हैं।

13. कृषि अभियानों की स्थायी समिति : केन्द्रीय सरकार ने विद्यमान कृषि अभियानों सम्बन्धी कानूनों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा एवं विस्तृत अधिनियमों की रूप-रेखा बनाने के लिए एक स्थायी समिति की नियुक्ति की है।

14. बंधुआ मजदूर प्रयोग का अन्त : 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित कर बंधुआ मजदूरी प्रणाली गैर-कानूनी घोषित कर दी गई है—जिसके फलस्वरूप अब कोई भी व्यक्ति श्रृणो के चुकाने के लिए मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

15. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना . ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाएं प्रदान करते हैं।

16. श्रृण मुक्ति कानून : ऐसे भूमिहीन थमियों व शिल्पकारों को, जिनकी आय 2,400 रुपये वापिक या इससे कम है, पुराने श्रृणों से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से भिन्न-भिन्न राज्यों ने अध्यादेशों के माध्यम से कानून बनाये हैं जिनके अनुसार अब इस प्रकार के श्रृणों की वसूलयाबी नहीं हो सकती है और यदि कोई हिस्सी भी हो गई है तो भी उसकी वसूलयाबी नहीं हो सकती है।

पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि श्रमिक

प्रथम योजना में कृषि श्रमिक की स्थिति में सुधार नाने के उद्देश्य से कई कार्य किये गये, जैसे—कम मजदूरी वाले क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरिया निश्चित करना, निवास स्थान के सम्बन्ध में श्रमिकों को दबली अधिकार देना, श्रमिक सहकारिताओं का संगठन करना तथा भूमिहीन श्रमिकों हेतु पुनर्वास योजना बढ़ाना, जिस पर लगभग 1 करोड रुपये व्यय किये गये। परन्तु इस योजनावधि में कृषि श्रमिक की स्थिति में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई।

प्रथम योजना काल में भूमिहीन मजदूरों के पुनर्वास के लिए 2 करोड रुपये व्यय का एक कार्यक्रम तैयार किया गया था जिसे आगे कम करके केवल 1.5 करोड रुपये का ही रखा गया। किन्तु योजना काल में इस मद में एक करोड रुपये से भी कम रकम खर्च की गयी। प्रथम योजना में तमिलनाडु व आनंद प्रदेश में भूमिहीन श्रमिकों को बसाने के कार्यक्रम लागू किये गये। भोपाल में केन्द्रीय सरकार ने 10,000 एकड़ के फार्म पर भूमिहीन श्रमिकों को बसाया।

द्वितीय योजना में थम सहयोग समितियों की स्थापना, कुटीर व लघु उद्योगों को प्रात्साहन द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, भूमि के पुनर्वितरण व शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार पर दिशेप जोर दिया गया। योजना काल में 1 लाख एकड़ भूमि पर 10,000 भूमिहीन मजदूर परिवारों को बसाने के लिए लगभग 5 करोड रुपये व्यय किये गये। इसके अतिरिक्त, इसी योजनावधि में पिछड़े वर्गों के उद्घार के लिए लगभग 90 करोड रुपये व्यय किए गए।

इस योजनावधि में पजाव, आनंद प्रदेश, बम्बई व बिहार में शम-सहकारी समितियां स्थापित करने में सफलता प्राप्त की गई। बिहार में 10 हजार परिवारों को भूदान से प्राप्त भूमि पर बसाया गया। आनंद प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर व पजाव में खेतिहार मजदूरों को मकान की जगह दिलाने में सफलता मिली।

तृतीय योजना में कृषि श्रमिकों की स्थिति सुधारने पर पर्याप्त जोर दिया गया और इसलिए विशाल विनियोग की व्यवस्था की गई। विभिन्न विकास-कार्यक्रमों, जैसे कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास, गावों का विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, पीने के पानी की व्यवस्था, सिचाई, कृषि-उत्पादन में वृद्धि, शिक्षा आदि से कृषि श्रमिकों की स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ है। योजना काल में कृषि श्रमिकों को बसाने के लिए 12 करोड रुपये व्यय करने थे और 50 लाख एकड़ भूमि पर 7 लाख कृषि श्रमिक परिवारों को बसाने की व्यवस्था थी। विछड़ी हुई जातियों के कल्याणार्थ 19.41 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

तृतीय योजना में जो सद्य निर्धारित किय गए वे प्राप्त नहीं किये जा सके हैं। अनुमान है कि योजना काल के 15 वर्षों में भूमिहीन मजदूरों को एक करोड एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है।

चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना में कृषि श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किया

यथा जिसके अन्तर्गत (1) भूमि सुधार कार्यक्रम को प्रभावी ढग से लागू करने पर जारी दिया गया, एवं (ii) कृषि श्रमिकों को अन्य रोजगारों में लगाने पर ध्यान दिया गया।

पाचवर्षीय योजना में इस ममत्या का स्थायी हल निकालने के लिए 18 संदर्भीय कृषि-श्रम तदर्थ समिति बनायी गयी। साथ ही इस योजना में आवास व्यवस्था पर विशेष वल दिया गया।

छठी योजना तथा कृषि श्रमिक : छठी योजना में पिछड़े वर्ग के उत्थान के सिमें जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनमें कृषि श्रम वो सम्मिलित किया गया है। योजना में यह उल्लेख किया गया है कि देश की लगभग 20% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जातियों और जन-जातियों की है। ये जनसंख्या के निर्वन्ततम वर्ग का निर्माण करती हैं। इनके पास साधनों का अभाव है और प्रमुख रूप से ये कृषि पर निर्भर रहती हैं। इस योजना में इस वर्ग के आधिक विकास के लिए पुनर्वितरण के कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की गई है। इस योजना में सामान्य विकास कार्यालयों के साथ ही कमज़ार वर्ग के विकास को जाड़ा गया है।

इस योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हतु भी पर्याप्त मात्रा में परिव्यय का प्रावधान है। क्षेत्रीय विकास हेतु ब्लाको और कार्यक्रमों का चयन इस प्रबार किया जायेगा ताकि कमज़ोर वर्ग के लोगों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इसके साथ ही भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढग से लागू करने पर भी निर्वन्त वर्ग को लाभ प्राप्त हो सकेगा।

न्यूनतम आवश्यकताओं के सशीघ्रत कार्यक्रम (R M N P) में प्रायमिक और प्रौढ़ शिक्षा के विकास के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जिन लोगों ने पिछड़ी हुई जनसंख्या का प्रभाव अधिक है और शिक्षा की सुविधाएं उपरान्त नहीं हैं, वहां प्रायमिक शिक्षा के विकास वो प्रायमिकता दी जाएगी। इस कार्यालय से भूमिहीन लोग आवारा योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है इससे भी विवरण वर्ग के लोगों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके अतिरिक्त, गन्दी वर्सिटी के वातावरण में सुधार एवं अनुप्रूपक प्रोजेक्ट आदि के प्रावधान से भी निर्वन्त वर्ग ने लोगों को लाभ प्राप्त होगा।

स्पष्टतः छठी योजना म विवरणों के आधिक एवं सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। केवल सामान्य विकास कार्यालयों व कल्याणकारी कार्यक्रमों से ही नहीं, अग्रिम रोजगार उन्नति कार्यक्रमों के विकास से भी निर्वन्त वर्ग के लोगों को लाभ प्राप्त हो सकेगा। दसी तरह, महापक व्यवसायों व ग्रामीण उद्योगों के विकास से भी उन्हें पर्याप्त लाभ प्राप्त हो सकेगा।

परीक्षा-प्रश्न

- भारत म कृषि श्रमिकों की समस्याओं का उल्लेख कीजिए और इन समस्याओं को सुलझाने के उपाय बताइए।
- भारत म कृषि श्रमिकों की निम्न जारीक दशा के कारण बताइए तथा

इसकी दशा सुधारने के मुद्दाव दीजिए।

3. भारतीय कृषि में कृषि श्रमिकों की समस्या का परीक्षण कीजिए। यह समस्या कैसे हल हो सकती है?
4. देश में कृषि थाम समस्या की मक्षेत्र में विवेचना कीजिए। वया वह हृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था में आवश्यकतावे में परिवर्तन के बिना हल की जा सकती है?

अध्याय 1

मजदूरी के भुगतान की रीतियाँ

एवं

मजदूरी के सिद्धांत

(Methods of Wage Payment and Theories of Wage)

सामान्यतः मजदूरी का भुगतान दो प्रकार में किया जाता है— 1 समय के अनुसार एवं 2 कार्य के अनुसार। मजदूरी भुगतान की दोनों ही पद्धतियाँ अत्यत प्राचीन समय से चली आ रही हैं और आज भी काफी लोकप्रिय हैं। वर्तमान समय में जितनी प्रेरणात्मक य प्रगतिशील पद्धतियाँ अपनाई गई हैं वे सब इन्हीं दो पद्धतियों के समौक्षित रूप हैं।

मजदूरी देने की पद्धतियाँ

समयानुसार मजदूरी पद्धति	कार्यानुसार मजदूरी पद्धति
-------------------------	---------------------------

प्रगतिशील (प्रेरणात्मक) मजदूरी

- 1 टेलर पद्धति
- 2 मेरिक पद्धति
- 3 हैल्से पद्धति
- 4 रोबन पद्धति
- 5 गेट प्रव्याप्ति योजना
- 6 इमर्सन दलता योजना

समय के अनुसार मजदूरी या दैनिक मजदूरी (Time Wage or Daily Wages)

इस पद्धति के अनुसार व्यक्ति को काम करने के समय के हिसाब में पारिश्रमिक दिया जाता है। पारिश्रमिक को दर प्रति घटा, प्रति दिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह अथवा

प्रति वर्ष निश्चित होती है। प्राचीनकाल में अधिकतर श्रमिकों को मजदूरी दिन के हिताब से दी जाती थी अतः इसे दैनिक मजदूरी के नाम से भी सरोचित करते हैं। आएवर्ष में यह पद्धति सागमग सभी उद्योगों में प्रचलित है।

सामान्यतः इस पद्धति का प्रयोग निम्न परिस्थितियों में किया जाता है : (अ) जहाँ उत्पादन की मात्रा का सही-सही अनुमान न लगाये जा सके अथवा जहाँ नियमित पदार्थ इकाइयों में विभक्त न हो सके। (ब) जहाँ वस्तु की अच्छी किस्म एवं कलात्मक उत्पादन की आवश्यकता होती है। (स) जहाँ विदेशी ज्ञान की आवश्यकता होती है। (द) जहाँ उत्पादन-कार्य विभिन्न विधियों में होता है। (ष) जहाँ विभिन्न कार्यों में समय का अतर होता है।

समयानुसार मजदूरी पद्धति से लाभ

1. सरलता . यह पद्धति अत्यत सरल है जिससे श्रमिक अपनी मजदूरी का हिसाब आसानी से लगा सेता है तथा पूजीपति भी श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी मालूम कर सेता है।

2. अच्छा उत्पादन : इस पद्धति में श्रमिकों को अपना कार्य शोध ही समाप्त करने की चिंता नहीं होती, अत श्रमिक अपनी योग्यता के अनुसार अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं।

3. मजदूरी में स्थिरता : इस पद्धति में मजदूरी की मात्रा में स्थिरता बनी रहती है अर्थात् श्रमिक को नियमित वेतन पाने का विश्वास होता है। श्रमिक स्थिर आय का निश्चय हो जाने के कारण अपने व्यय को अपनी आय के साथ समायोजित कर सकता है एवं निश्चित जीवन-स्तर कायम रख सकता है।

4. उत्पत्ति के साथनों का उचित उपयोग जब काम सावधानी एवं निश्चितता से किया जाता है तो विभिन्न साथनों का निरर्थक क्षय नहीं होता है।

5. अच्छा स्वास्थ्य : इम प्रणाली के अतर्गत श्रमिक को निश्चित समय तक काम करना पड़ता है न कि निश्चित उत्पादन देना पड़ता है, जिससे उसके स्वास्थ्य पर बोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता और कुशलता में भी बही नहीं आती।

6. प्रशासन अपव्यय में कमी इस प्रणाली के अतर्गत प्रशासन की विदेशी आवश्यकता नहीं रहती, जिसमें योहे से कर्मचारियों की सहायता से भी काम चल जाता है और श्रमिक भी प्राय स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते हैं।

7. दीर्घकालीन दृष्टि से हितकारी : इस पद्धति के अतर्गत श्रमिकों को जो मजदूरी दी जाती है वह इस प्रकार से दी जाती है कि भविष्य में श्रमिक की सेवाये अधिक मूल्यवान हो सके।

8. अन्य लाभ समयानुसार मजदूरी पद्धति में अन्य बहुत से लाभ होते हैं जैसे—श्रमिकों भे पारस्परिक एकता का निर्माण होना, काम का सावधानीपूर्वक किया जाना व श्रम-संघों का समर्थन प्राप्त होना।

समयानुसार मजदूरी पद्धति के दोष

1. कार्यकुशलता की उपेक्षा : इस पद्धति में कुशल व अकुशल सभी श्रमिकों को एक ही दर से पारिश्रमिक मिलता है जिससे कुशल एवं परिपथमी श्रमिकों को कोई भी प्रोत्ताहन नहीं मिलता और वे सुस्त तथा कमजोर होने लगते हैं।

2. पोषणता-भाष्य का अभाव : इस पद्धति में उद्योगपति यह निश्चित नहीं कर पाता कि श्रमिकों की उत्पादन-शक्ति क्या है, क्योंकि इसमें श्रमिकों की उत्पादन-शक्ति का होई हिसाब नहीं रखा जाता।

3. काम में घब्बना . इस पद्धति में श्रमिक काम में घब्बना चाहते हैं। श्रमिकों के मनिषक में निश्चित अधिक की भावना होने के कारण वे मन रागाकर तथा ईमानदारी ने शाम नहीं करते। वे उनना ही काम करते हैं जो नोकरी बनाये रखने के लिए आवश्यक है। इससे उत्पादन की मात्रा में भी कमी आती है।

4. निरीक्षण व्यय . उद्योगपतियों को श्रमिकों के समय का दुर्घटयोग रोकते के लिए निरीक्षण व्यय अधिक करने पड़ते हैं। इससे उत्पादन की परोक्ष लागत में बढ़ि हो जाती है।

5. अम-पूँजी संघर्ष . इस पद्धति में श्रमिकों के चरित्र और कार्य को बिना मोरे जागे को दर्शाएं भवद्वय कर देने के परिणामस्वरूप थम एवं पूँजी में झगड़े पैदा हो जाते हैं।

6. विरोधी कार्यों की ओर भुकाव कार्य को दृष्टि में न रखने के कारण ही इस प्रणाली में श्रमिक अपनी पूर्ण क्षमता से काम नहीं करता। परिणामतः उसकी दबी हुई योग्यता उत्पादन के बजाय विरोधी कार्यों के रूप में प्रकट होने लगती है। फ्रैकलिन ने लिखा है, "दैनिक मजदूरी पद्धति में बहुत से भनुध्य ऐसे कार्य करते रहते हैं जिनमें न दिलचस्ती है और न योग्यता, जबकि दूसरे विरोधी कामों से वे बहुत आगे बढ़ जाते हैं।"

उपयुक्तता : समय के अनुसार मजदूरी देने की पद्धति निम्नतिथित परिवर्तियों में प्रधिक श्रेष्ठस्कर रहती है :

(अ) उहा निमित वस्तु द्वी किसी पर अधिक ध्यान रखना पड़ता है, जैसे चरकोटि को मिलाई।

(ब) उहा व्यापार की दृष्टि से केवल यही पद्धति लागू की जा सकती है जैसे अम-पूँज श्रमिकों को मजदूरी देने के लिए।

(स) उहा उत्पादन छोटे दैमाने पर विद्या जाता है और कठोर निरीक्षण सम्बव है।

(द) उन निरतर अबाध उत्पादन वाले उद्योगों में उहा उत्पादन की योत की मिथि एक ध्यान पर कम अधिक उपादा करने में समस्त उत्पादन प्रकाह में गतिरोध उत्तर्वे हो जाता है, जैसे रासायनिक उद्योग।

(ए) उहा श्रमिक अभी कार्य सीख रहा है।

समयानुसार मजदूरी पद्धति में सुधार के उपाय

समयानुसार मजदूरी पद्धति में सुधार करने के लिए सुझाव दिया जाता है जिसे वेबोजबो वो विभिन्न कारों को करने के लिए आवश्यक कार्यक्रमलता एवं अनुभव के अनुसार सामान्य मजदूरी के आधार पर अपने श्रमिकों को श्रेणी वर्गन पद्धति (Grading System) के अनुसार मजदूरी देनी चाहिए। श्री सी० एस० गुडरिच ने इस प्रणाली का वर्णन इस प्रकार दिया है, "वर्मिपम म श्रमिकों की राष्ट्रीय सूनियन कार्यकारिणी प्रत्येक श्रमिक को उसकी योग्यता के अनुसार श्रेणीवद्ध (Grading) करती है और उस अनेक विभिन्न वर्गों में, जिसमें से प्रत्येक की न्यूनतम मजदूरी सामूहिक सौदेबाजी द्वारा तय होती रहती है। यदि कोई सेवायोजक विसी श्रमिक की योग्यता पर आपनि उठाए तो म्युनिमिपल पीतल कार्य विद्यालय के प्रबंधक उस कार्य की विभिन्न प्रक्रियाओं के विषय में उसकी प्रायोगिक परीक्षा नेतृत्व है।" इस प्रणाली को सर्वप्रथम वर्मिपम वीनल के व्यापारियों ने सफलतापूर्वक साझा किया।

कार्यानुसार मजदूरी पद्धति (Piece Wage System or Rate System)

इस पद्धति के अनुसार एक श्रमिक जितना काम करता है उसी के अनुसार मजदूरी पाता है—चाहे वह काम को जितन भी समय में पूरा करे। इस प्रकार जो मनुष्य अधिक कार्य कर लता है उसको अधिक मजदूरी और जो कम कार्य करता है उसे कम मजदूरी मिलती है। जल्द मजदूरी का सबै काम की मात्रा से होता है न कि समय में। काम की दर पहले न ही निश्चित कर दी जाती है ताकि मर्भा श्रमिकों को मजदूरी के सबै में पूर्व जान रहे। उदाहरण के लिए यदि एक मेज बनाने के लिए 20 रुपये दिये जाते हैं तो उस श्रमिक का जो दो खंड बनाता है, 40 रुपये मिलेंगे चाहे वह दो मेज एक दिन में बनाय या दस दिन में। कार्यानुसार मजदूरी की गणना करने पर तिन मजदूरा द्वारा निर्मित इकाइयों को उनकी मजदूरी की दर में गुणा कर दिया जाता है। अन्य शब्दों में मजदूरी=सम्या × दर, यहा महस्या में अभिन्नाय दराई गई इकाइयों की सम्या से है और दर का अनिप्राय प्रति इकाई मजदूरी की दर म है।

कार्यानुसार मजदूरी पद्धति के नाभ

1. योग्यता के अनुसार मजदूरी इस पद्धति में मजदूरी श्रमिक की योग्यता के अनुसार दी जाती है। श्रमिक जितना अधिक काम करता है उतनी ही अधिक उसे मजदूरी मिलती है। इन प्रकार मजदूरी का विनाश न्यायपूर्ण होता है।

2. उत्पादन मात्रा में बृद्धि इस पद्धति के अतर्गत श्रमिक अधिक आय की आशा में अधिक न अधिक उत्पादन करने की उम्मीद करता है। परिणामतः उत्पादन की मात्रा में बृद्धि होती है।

3. उत्पादन लागत में अभी : सेवायोजकों ही दृष्टि में वह प्रभाती जापदायक

है, क्योंकि उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ-साथ उत्पादन लागत भी प्रति इकाई कम हो जाती है।

4 निपत्रण व्यय में कमी : जब अभिक स्वयं ही अधिकाधिक कार्य करने का प्रयत्न करता है तो निरीक्षण की आवश्यकता नहीं रहती जिससे निरीक्षण व्यय की घटत होती है।

5 अभिकों के लिए स्वतन्त्र चातावरण इसमें अभिक स्वतन्त्रता के बातावरण में कार्य करते हैं जिसमें कार्य के प्रति रुचि व उत्साह वा वातावरण बनता है। योग्यता के अनुसार मजदूरी मिलने से अभिक अधिकाधिक कार्य करने के लिए प्रोत्तमाहित होता है।

6 समय का सदृपयोग यहाँ अभिक जानता है कि वह जितना कार्य करेगा उस उतना ही पारिश्रमिक मिलेगा। अतः वह अपने समय का बिल्कुल दुरुपयोग नहीं करता।

7 यत्रों की सुरक्षा अधिक कार्य करने की चाह में अभिकों को दस बात का भी ध्यान रहता है कि यत्रों को सावधानी से उपयोग किया जाय, क्योंकि मशीन के टूटने से कार्य रुक सकता है और उनकी मजदूरी में भी कमी आ सकती है।

8 उत्पादन विधि में सुधार न केवल उत्पादन और मजदूरी ही बढ़ती है बल्कि उत्पादन की विधि में भी सुधार हो जाता है क्योंकि अभिक दोष रहित कच्चा माम और बिल्कुल ठौक दशा में यत्र, उपकरण आदि चाहता है।

9 योग्यता का भाष सुलभ : इस पद्धति में अभिकों द्वारा किये गये काम की मात्रा में उसकी तुलनात्मक योग्यता का बड़ी सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है।

10 उपभोक्ताओं को लाभ उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है क्योंकि उत्पादन व्यय में कमी होने के कारण उपभोक्ताओं को अच्छी वस्तु सस्ते दामों पर प्राप्त ही जाती है।

11 अम पूजो के सबधों में सुधार : इस पद्धति में अभिकों को उचित पारिश्रमिक तथा येवायोजनाओं को पर्याप्त उत्पादन प्राप्त हो जाने के कारण दोनों के बीच सदभावना व प्रेम जागृत होता है।

कार्यानुसार मजदूरी पद्धति के दोष

1 स्वास्थ्य पर दुरा प्रभाव अभिक अधिक मजदूरी कराने के लालच में अपने स्वास्थ्य की पराहन न करके अधिक परिश्रम करता है। इससे उसका स्वास्थ्य शोषित हो जाता है।

2 वस्तु के गुण में कमी अभिकों को उत्पादन बढ़ाने की सक्षीण गहनी है क्योंकि इसी के कारण उनकी मजदूरी की मात्रा निमर करती है जिससे वह वस्तु के गुणों की ओर विदेश ध्यान नहीं देत और वस्तु की किसी दिनोंदिन गिरती चली जाती है।

3 भशीनों का दुरुपयोग अधिक कराने के उद्देश्य से अभिक अपने कार्य की चट्टत तैजी से करता है जिससे मशीनों व औजारों का प्रयोग लापरवाही में होता है और मशीन या औजार जल्दी से घिसते और टूटते हैं।

4 पारिश्रमिक कटौती इस पद्धति के अतर्गत सेवायोजक आसानी से बढ़े हुए काम के लाभ में से श्रमिकों का पारिश्रमिक कम कर लेते हैं जो सर्वथा अनुचित है।

5 श्रमिकों के बीच असहयोग कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को समान पारिश्रमिक न मिलने के कारण उनमें परस्पर वैमनस्म, ईर्ष्या व द्वेष बढ़ता है।

6 आय की अनिश्चितता : इस पद्धति के कारण श्रमिकों की आय में अनिश्चितता बनी रहती है जिसका प्राय उनके जीवन-स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

7 अम-सगठन को हानि . अधिक मजदूरी कमाने की लालसा में श्रमिक सदैव काम में जुटे रहते हैं। उन्हें आपस में मिलने का अवसर नहीं मिलता। अत अम-सगठन ऐसी पद्धति का विरोध करता है क्योंकि उनको एकता इससे भग होती है।

8 अधिक निरीक्षण की आवश्यकता : इसमें निरीक्षकों को काम का अधिक सावधानी से निरीक्षण करना पड़ता है क्योंकि इस पद्धति में मात्रा की अपेक्षा थेट्टता की उपेक्षा हो जाती है।

9 असहनीय हस्तक्षेप इस पद्धति के अतर्गत श्रमिक प्रबन्धक अथवा निरीक्षक के हस्तक्षेप को पसद नहीं करते।

10 मालिक एवं श्रमिकों के बीच सघर्ष - श्रमिकों को अधिक कार्य करके अधिक मात्रा में मजदूरी पाते देखकर सेवायोजक प्रत्यक्ष अथवा परीक्ष रूप से श्रमिक की मजदूरी में कमी करने का प्रयत्न करने लगता है जिसमें सेवायोजक व श्रमिक के बीच सघर्ष उत्पन्न हो जाता है।

11 कोशलपूर्ण कार्यों के लिए अनुपयोगी - यह प्रणाली उत्तरदायित्वपूर्ण तथा कोशलपूर्ण कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है।

12 उत्पादनशीलता में कमी : श्रमिक कम समय में अधिक मजदूरी पा लेते हैं जिससे अवकाश के लिए छुट्टिया आदि अधिक लेते हैं जिससे कारखाने की उत्पादन-शीलता में कमी आ जाती है।

13 मनोवैज्ञानिक भेद मजदूरियों में व्येणिया बना देने से उनमें मनोवैज्ञानिक अंतर आ जाता है और वे स्वाधीनों के कारण अपने सहयोगियों की मानों की उपेक्षा करते हैं।

उपयुक्तता कार्यनुसार या प्रति इकाई मजदूरी देने की यह पद्धति निम्न-निखिल परिस्थितियों में अधिक उपयुक्त है।

(अ) जहा प्रति इकाई उत्पादन को सरलता से आका जा सकता हो और मूल्यांकिता किया जा सके।

(ब) जहा कार्य प्रमापित हो और बार-बार उसी प्रकार दिया जाना हो।

(स) जहा उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता हो।

कार्यनुसार मजदूरी पद्धति में सुधार के उपाय

कार्यनुसार मजदूरी पद्धति में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिये जा सकते हैं

1 कार्य की प्रकृति इस प्रकार की होनी चाहिए जिसको प्रमाणीकृत किस्म की

मापनीय इकाइयों में विभाजित किया जा सके।

2. इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अधिक उत्पादन करने के सामने में श्रमिक भूमीत आदि का अपव्यय न कर सके।

3. कार्यानुसार मुग्धतान की दर कार्य की यात्रा के आधार पर निश्चित की जानी चाहिए।

4. कार्य का समान इस प्रकार से होना चाहिए कि श्रमिक को प्रत्येक स्तर पर काम बेराबर मिलता रहे और कार्य-वितरण प्रणाली में किसी प्रकार का वलपात नहीं होना चाहिए।

5. निरीक्षण का उचित प्रबंध होना चाहिए ताकि दस्तु की किसी के विषयने पर अकुश रखा जाए।

6. इस प्रणाली को अपनाते समय श्रमिकों व सेवायोजकों दोनों के हितों का ध्यान रखना चाहिए।

प्रगतिशील (प्रेरणात्मक) मजदूरी या प्रीमियम बोनस प्रणाली (Progressive Wage System or Premium Bonus System)

प्रगतिशील मजदूरी पद्धतिया समय व कार्यानुसार मजदूरी पद्धतियों के सम्मिलन से बनी है। इसमें ध्यूनतम पारिश्रमिक के साथ साथ कुछ अधिनाभार या प्रीमियम भी दिया जाता है। इससे श्रमिकों को और अधिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। प्रेरणात्मक पद्धतियों के बहुत से रूप हैं जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं

1. टेलर भिन्नक कार्यानुसार मजदूरी पद्धति (Taylor Differential Piece Rate System)

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में थी एफ० डब्ल्यू० टेलर ने इस पद्धति का सूत्रपात लिया। वैज्ञानिक प्रबंध के अभ्यासाता थी टेलर को साधारण कार्यानुसार पद्धति से सतोष नहीं या अपेक्षित उनके मतानुसार पहुँच पद्धति श्रमिकों को पर्याप्त प्रेरणा देने से असफल रहती है। अतः उन्होंने भिन्नक कार्यानुसार मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन किया। इसी के अनुसार श्रमिकों को प्रमाणित कार्य करने पर ऊची दर से और प्रमाणित कार्य के निश्चित गमय में पूरा न करने पर नीची दर से मजदूरी दी जाती है। इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम थी टेलर ने 1884 में मिडवेस्टील कंपनी, फिलाडेलिक्या में किया था। इस विधि से काफी मितव्यप्रियता होती है। इस पद्धति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं-

(अ) इसमें मजदूरी की ऊची व नीची दरें होती हैं जो कार्यानुसार निश्चित होती हैं।

(ब) इन दोनों दरों में काफी अंतर होता है।

(स) निश्चित प्रगाप से अधिक कार्य करने पर ऊची दर पर तथा निश्चित कार्य से अधिक कार्य करने पर नीची दर से मजदूरी दी जाती है।

(द) कुशल श्रमिकों को ऊची दर से पारिश्रमिक देकर प्रेरणा तथा अकुशल श्रमिकों को नीची दर से मजदूरी देकर दहित किया जाता है।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण : यदि प्रमाप उत्पादन ८ इकाई प्रतिदिन तय किया गया है तो इतनी या इससे अधिक उत्पादन के लिए प्रति इकाई दर एक रूपया हो सकती है परतु प्रमाप से कम उत्पादन के लिए यह दर ७५ पैसे प्रति इकाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में ८ इकाई उत्पादन करने वाले श्रमिक को ८ रु० मिलेंगे, ९ इकाई उत्पादन करने वाले को ९ रु० इत्यादि, परतु ७ इकाईया उत्पन्न करने वाले श्रमिक को ७५ पैसे प्रति इकाई की दर से ५ रु० २५ पैसे ही मिलेंगे।

इस पद्धति में प्रमाप कार्य से एक इकाई भी कम उत्पादन होने पर एक श्रमिक वे पारिश्रमिक में बढ़ा बतार आ जाता है। इस योजना की राफलता प्रमाप को उचित ढंग से निश्चित करने पर निर्भर करती है। यदि प्रमाप असामान्य होता है तो श्रमिकों में विरोधी भावना की जागृति हो जाती है। वर्तमान युग में टेलर की पद्धति के बल अध्ययन का विषय रह गई है, व्यवहार में इसका प्रयोग नहीं होता क्योंकि आधुनिक प्रवृत्ति आय में समानता की ओर है न असमानता की ओर।

२ अमेरिक मजदूरी पद्धति (Maric Wage System)

नेलर पद्धति में यह कमी है कि जिस बिंदु पर प्रमाप-कार्य निर्धारित होता है उस पर दर का परिवर्तन अत्यंत आकस्मिक रूप में होता है। इसका फल यह होता है कि जो श्रमिक प्रमाप सीमा में थोड़ा भी पीछे रह जाता है उसे उस श्रमिक की अपेक्षा बहुत कम मजदूरी मिलती है जो उस सीमा पर पहुँच जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए श्री भैरिक ने अपनी योजना में तीन दरें रखी—पहली प्रमाप कार्य के ८३%, तक दूसरी प्रमाप बिंदु पर और तीसरी प्रमाप कार्य के ऊपर। अत यह योजना श्रमिकों को तीन सामान्य वर्गों में बाट देती है—(अ) नये श्रमिक, (ब) औसत श्रमिक और (स) उच्चकोटि के श्रमिक और इस प्रकार उनके पारिश्रमिक की दर उनकी कार्यक्षमता के आधार पर निश्चित की जाती है।

३ हैल्से मजदूरी पद्धति (Hailsey Premium Plan)

इस पद्धति का सुझाव श्री ८ फ० ए० हैल्से न दिया था। इस सर्वप्रथम अमेरिका में अपनाया गया। इस योजना के अंतर्गत उत्पादन का प्रमाप एवं सर्वाप्त करन का अधिकतम समय पहले स ही निर्धारित कर दिया जाता है। इस योजना के अनुसार प्रत्येक श्रमिक का एक निश्चित मजदूरी अवश्य दी जाती है चाहे वह श्रमिक निश्चित समय में प्रमाप कार्य को करे या न करे। परतु जो श्रमिक उम प्रमाप कार्य को निश्चित समय से पहले पूरा कर लेना है उस समयानुसार मजदूरी तो मिलेगी ही और साथ म बचाये हुए समय का कुछ प्रतिशत प्रव्याजि के रूप में जो मजदूरी का ३३ १/२% न

मजदूरी के भुगतान की रीतिया एवं मजदूरी के सिद्धात

50% तक हो सकता है, दिया जाता है। सक्षेप में, इस पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—(अ) प्रमापित कार्य व प्रमापित समय पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है। (ब) प्रत्येक श्रमिक के लिए एक न्यूनतम मजदूरी निश्चित रहती है। (स) प्रमापित समय से पूर्व कार्य समाप्त करने पर श्रमिक को बचाये हुए समय का कुछ प्रतिशत प्रब्याजि के रूप में दिया जाता है। (द) प्रत्येक कार्य पर प्रब्याजि अलग-अलग निकाली जाती है।

उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए 10 घटे निश्चित किये गये हैं और मजदूरी एक रुपया प्रति घटे की दर से निश्चित की गई है। मान लीजिए, एक श्रमिक उस कार्य को 8 घटे में पूरा कर लेता है। ऐसी स्थिति में उसका पारितोषण हैल्से पद्धति के अनुमार इस प्रकार निकाला जाएगा—

$$\text{निश्चित मजदूरी } (8 \times 1 \text{ रु}) = 8 \text{ रुपया}$$

बचाये हुए समय की मजदूरी (बचाया हुआ समय \times \text{निश्चित दर})

$$= 2 \times 1 \text{ रु} = 2 \text{ रु}$$

$$\text{प्रब्याजि (मान लो } 50\%) = 2 \text{ रु का } 1/2 = 1 \text{ रु}$$

$$\text{कुल मजदूरी} = 8 + 1 = 9 \text{ रु}$$

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त पद्धति सेवायोजक व श्रमिक दोनों के लिए ही सामर्थायक है क्योंकि अगर श्रमिक दो दी जाने वाली मजदूरी समय के अनुसार दी जाती तो सेवायोजक को 10 घट की मजदूरी 10 रु देनी पड़ती जब कि अब वे वह 9 रु ही देनी पड़ी है। इस प्रकार सेवायोजक को 1 रुपया का लाभ हुआ। इसके बिना रीत श्रमिक को 8 घटे की 8 रु मजदूरी मिलती चाहिए थी परंतु उसे एक रुपया अधिक मजदूरी के रूप में प्राप्त हो रहा है। स्पष्ट यह प्रणाली सेवायोजक व श्रमिक दोनों को ही सामरप्रद सिद्ध होती है।

हैल्से प्रणाली के गुण । इस प्रणाली की व्यावहारिकता अत्यधिक सरल है।

2 प्रमाप कार्य स अधिक कार्य वरन् पर अधिक पारिश्रमिक मिलता है जिसमें श्रमिकों को बाम करने की अधिक प्रवणता मिलती है।

3 बचाये हुए समय वा अधिनाभाग या प्रब्याजि निश्चित पारिश्रमिक के बराबर नहीं मिलता इससे मालिका को भी साम छोड़ना होता है।

4 मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रमिकों को जा कुछ लाभ होता है उसमें वह सतुर्ध्व हो जाता है।

हैल्से प्रणाली के दोष । एक कुशल श्रमिक वो शीघ्र बाम का समाप्त करने पर वचे हुए समय की जो मजदूरी मिलती है वह बहुत ही कम होती है। इस प्रकार कुशल श्रमिक को परिश्रम तो कठोर वरन् पड़ता है परंतु पारिश्रमिक बहुत कम प्राप्त होता है।

2 निश्चित न्यूनतम प्रारिश्रमिक श्रमिक को अधिक काम करने वा निए नाड़ों बोल्ता है।

3 अधिक उत्पादन से हुए साम वा एक महत्वपूर्ण भाग मेवायोजक व लता

है। इसलिए बचाये हुए समय के पारिश्रमिक के बारे में श्रमिकों द्वारा आपत्ति उठाई जाती है।

4 इसमें कार्य की दर उस प्रमाप के आधार पर निश्चित रीति से निर्धारित किया गया है।

5 प्रशासन की दृष्टि से भी यह प्रणाली दोषपूर्ण है क्योंकि इस योजना में एक निश्चित प्रमाप तक पहुंच जाने के पश्चात् अधिक उत्पादन करने या न करने का निश्चय करना केवल श्रमिक पर छोड़ दिया जाता है।

श्री इमर्सन ने इस प्रणाली के सबध में लिखा है “यदि सेवायोजक की ओर से कोई सुधार नहीं किया गया है और केवल श्रमिक के अधिक परिश्रम एवं विवेक के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई हो, तो कोई कारण नहीं है कि श्रमिक को सपूर्ण उत्पादन-वृद्धि न मिले।”

4 रोवन मजदूरी पद्धति

(Rowan Wage System)

इम प्रणाली को स्लासो निवासी जेम्स रोवन ने सुझाया। हैल्से योजना में एक दोष यह है कि अति कुशल श्रमिक सामान्य पारिश्रमिक का कई गुना बोनस कमा सकता है इसलिए उत्पादक हैल्से योजना का विरोध करते हैं।

रोवन पद्धति के अनुसार श्रमिक को उस समय के लिए जिसमें उसने काम किया है, माध्यारण दरो पर मजदूरी मिलती है। इसके पश्चात् यदि वह निश्चित समय के अदर अपना कार्य पूरा कर लेता है तो उसे बचाये हुए समय के आधार पर अधिलाभाश दिया जाना है। अधिलाभाश निकालने की रीत इस पद्धति में यह है—

$$\frac{\text{बचाया हुआ समय}}{\text{निर्धारित समय}} \times \text{लिया हुआ समय} \times \text{निश्चित दर}$$

उदाहरण : मान लीजिए, किसी कार्य को समाप्त करने के लिए 10 घटे निश्चित किये जाते हैं परतु एक श्रमिक उसे 8 घटे में ही समाप्त कर देता है। इस प्रकार वह श्रमिक 2 घटे बचा लेता है। इसके अतिरिक्त यह भी मान लीजिए कि श्रमिक की निर्धारित मजदूरी की दर एक रुपया पति घटा है तो श्रमिक को प्राप्त होने वाली मजदूरी इस प्रकार होगी—

$$\text{अधिलाभाश} = \frac{2}{10} \times 8 \times 1 = 1.60 \text{ पैसे}$$

श्रमिक ने जो 8 घटे तक काम किया उसकी मजदूरी उसे मिलेगी = $8 \times 1 = 8$ रु. और शीघ्र कार्य समाप्त करने के कारण 1 रु. 60 पैसे अधिलाभाश प्राप्त होगा। इस प्रकार श्रमिक को 9 रु. 60 पैसे प्राप्त होगे।

गुण : इस पद्धति के कई लाभ हैं—जैसे (अ) इसमें श्रमिक को जल्दबाजी करने का प्रतोभन नहीं रहता क्योंकि अपने काम को जितनी अधिक शीघ्रता से समाप्त करते हैं उन्हें उसी अनुपात में उतना अधिक बोनस नहीं मिलता है। (ब) इसमें श्रमिक

न ही अपने आपको बहुत बकाते हैं और न ही मशीनों आदि का अनुचित उपयोग करते हैं। (स) इसमें निर्मित वस्तु की किस्म का भी अधिक ध्यान रखा जाता है।

दोष : (ब) इस पद्धति का मुख्य दोष यह है कि इसमें अभिक जितना अधिक समय बचाता है उसका प्रति घटा बोनस भी उतना ही कम हो जाता है। यहाँ तक कि यदि अभिक आवेदन से अधिक समय बचाने लगे तो उसका कुल बोनस पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। (ब) इस पद्धति से बोनस की गणना अधिक कठिन है और उसे समझना अधिक जटिल है।

पारिश्रमिक की इस पद्धति में अभिकों को अधिक प्रेरणा नहीं मिलती क्योंकि जैसे-जैसे समय की बचत बढ़ती जाती है, अभिकों को बढ़ते हुए पारिश्रमिक का केवल एक निश्चित भाग मिलता है। सर विनियम ऐश्वर्य के मतानुसार, 'जिए हुए समय के उस अनुपात में, जो बचाये हुए समय का हो, न्यूनता की कोई तकनी-संगत व्याख्या नहीं होती।'

हैल्स और रोबन मजदूरी पद्धतियों की तुलना

1. आरम में हैल्स मजदूरी भुगतान पद्धति में अधिलाभांदा की दर कम रहती है परन्तु रोबन मजदूरी भुगतान पद्धति में यह दर अधिक रहती है।

2. जब हैल्स मजदूरी भुगतान पद्धति में अभिक आवेदन से अधिक समय बचाने लगते हैं तो अधिलाभांश की दर एकदम बढ़ जाती है। किन्तु रोबन मजदूरी भुगतान पद्धति में यह दर एक समान रहती है।

3. यदि अभिक के समय की बचत कुल समय के $1/2$ के बराबर होगी तो दोनों पद्धतियों में बराबर-बराबर लाभांश मिलेगा परन्तु समय की बचत कुल समय के $1/3$ से अधिक होने पर हैल्स पद्धति में अधिक अधिलाभांश मिलेगा।

5 गेंट प्रव्याजि योजना (Gant Premium Plan)

इस योजना में हैल्स पद्धति के समान प्रत्येक अभिकों को देनिक पारिश्रमिक अवध्य मिलता है, चाहे उसने प्रमाणित कार्य किया हो या नहीं। साथ ही टेलर योजना के समान यह प्रमाण तक पहुंचने में समर्पण और असमर्पण मजदूरों में निश्चित भेद बरती है। यह योजना टेलर योजना से इस बात से फिल्ड है कि यह अफिक वा, द्विलिङ पारिश्रमिक का विश्वास दिलाती है। श्री गेंट के सम्बोध में, 'यदि कोई व्यक्ति आदेशों के अनुसार चले और अपने निए दिन-भर के लिए एक निश्चित कार्य-मार की, जो प्रथम कोटि की कार्य-पूति को सूचित करता है, पूरा कर लेता है तो उसे देनिक दर के अतिरिक्त, जो प्रत्येक विष्टि में मिलती है, एक निश्चित बोनस भी दिया जाता है। किन्तु यदि दिन के अत में काम पूरा न कर सके तो उसे बोनस नहीं मिलता, बल्कि केवल दिन भर की मजदूरी मिलती है। यह बोनस 20% से 25% तक होता है। सर्वेर में इस योजना में यदि अभिक निश्चित समय में प्रमाण कार्य ने बराबर कार्य करता है तो देनिक पारिश्रमिक

के अलावा उस बोनस भी मिलता है और यदि कोई श्रमिक कम काम करता है तो उसे केवल दैनिक मजदूरी ही दी जाती है।

उदाहरण मान सीजिए, किसी बारखाने में मजदूरी दर 1 रु० प्रति घटा है और बोनस प्रमाप समय का 25% है। यदि कोई मजदूर 10 घटे के काम को 8 घटे में पूरा कर लेता है तो उसे 8 घटे की दैनिक दर और 8 घटे का 25% (अर्थात् 2 रु०) के हिसाब से कुल मजदूरी 10.00 ($8+2=10$) मिलेगी।

गुण (अ) यह प्रणाली सरल है क्योंकि इसका समझना व गणना करना आसान है।

(ब) श्रमिक इस पद्धति से अधिक सतुष्ट रहते हैं क्योंकि अच्छे काम के लिए उन्हें पर्याप्त बोनस मिल जाता है।

(स) इसमें श्रमिकों को सुरक्षा भी उपलब्ध हो जाती है क्योंकि कम-से-कम समयानुसार मजदूरी अवश्य मिलती है और यह प्रेरणादायक भी हैं, क्योंकि अधिक काम करने पर प्रति इकाई की दर से मजदूरी मिलती है।

(द) उन स्थानों में, जिनकी स्थायी लागत और मशीनों की लागत बहुत अधिक होती है, यह योजना अधिक उत्पादन प्राप्त करने में अत्यत लाभदायक सिद्ध होती है।

(य) इस पद्धति में कोई और काम की दशाओं का नियोजन एवं नियन्त्रण अधिक व्यवस्थित हो जाता है अतः पर्यावरणको को भी प्रेरणात्मक बोनस देकर अधिक कुशलता-पूर्वक काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

(र) गेट द्वारा सुझायी गई इस योजना में श्रमिकों के प्रशिक्षण पर बहुत और धिया जाता है जिसमें उनका विकास होता है।

दोष इस पद्धति में कूछ दोष भी हैं जैसे—

(अ) श्रम सघों का कहना है कि यह योजना भी मजदूरों म फूट डालती है वयाकि यह श्रमिकों को दो बग्रों ऐ विभक्त कर देती है। एक तो व श्रमिक जो बोनस अर्जित करते हैं और दूसरे वे जो इसमें विचित रह जाते हैं।

(ब) कभी कभी श्रम सघों के दबाव के कारण प्रबंधकों को समयानुसार मजदूरी की दरें भी ऊची रखनी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति म यह योजना बहुत सर्वानी हो जाती है।

(स) इस योजना में प्रमाप बिना पर मजदूरी एकदम बढ़ जाती है।

6 इमर्सन दक्षता योजना

(Emerson Efficiency Plan)

ट्लर के समकानीन श्री हेरिष्टन इमर्सन ने एक मजदूरी मुग्धतान योजना निकाली जो इमर्सन दक्षता-योजना के नाम भ प्रसिद्ध है। इमर्सन ने अपनी योजना में दन दोपों को दूर करने की चेष्टा की है जो टेलर व गेट पद्धतियों म विद्यमान थे। इस योजना में गेट योजना की भानि यथापि प्रत्येक श्रमिक की दैनिक मजदूरी मिलन की

गारटी रहती है परंतु बोनस कार्यक्रमता के अनुसार दिया जाता है। जो श्रमिक प्रमाण कार्य का ६६.६६% काम पूरा करते हैं उनको केवल दैनिक मजदूरी ही मिलती है। बोनस उन श्रमिकों को दिया जाता है जिनकी कार्यक्रमता ६६.६६% से अधिक होती है। यह बोनस उस समय तक बढ़ता जाएगा जब तक कि वह १००% न हो जाए।

इस पद्धति को अधिक स्पष्ट करने के लिए माना कि एक कार्य १२० घंटे पर प्रमाणित किया गया है। यदि श्रमिक इस कार्य को १२० घंटे में समाप्त करता है तो उसकी कुशलता १००% मानी जाएगी। यदि वह २४० घंटे सेता है तो उसकी कुशलता ५०% होगी। यदि वह उन कार्यों को करने के लिए केवल १०० घंटे ही लेना है तो उसकी कार्यकुशलता १२०% होगी। अब इस योजना के बताएं यदि किसी श्रमिक की कार्य कुशलता ६६.६६% है तो उसे केवल न्यूनतम दैनिक मजदूरी ही मिलेगी, बोनस नहीं मिलेगा। जैसे-जैसे कुशलता में बढ़ जाती है, श्रमिक को दिये जाने वाले बोनस में भी बढ़ जाती है। १००% क्षमता प्राप्त कर सेने पर श्रमिक को २०% बोनस मिलता है। १००% से कठर क्षमता पर श्रमिक को प्रयुक्त समय की तथा बचाए हुए समय की मजदूरिया मिलती है। उदाहरणार्थ—१२०% क्षमता प्राप्त कर सेने पर श्रमिक को बोनस ४०°, तथा १४०% क्षमता प्राप्त कर सेने पर दैनिक मजदूरी का ६०%, बोनस मिलेगा।

बोनस सारिणी की सहायता से विभिन्न कार्यक्रमता के प्रतिशतों के लिए बोनस का प्रतिशत निश्चित किया जाता है। यह प्रतिशत श्रमिकों को पहले से ही बता दिये जाते हैं ताकि वे अधिकतम कार्य बरों।

लाभ : (अ) यह समझने में सरल है।

(ब) इसमें श्रमिकों को कुशलता को मापने की व्यवस्था काफी तर्कपूर्ण है।

(स) इसमें नय-नये श्रमिकों को भी योड़ा बोनस मिल सकता है।

(द) यह योजना न की कर्मचारी की मजदूरी निकालने तथा मजदूरों की एक दालों की मजदूरी निकालने जैसे दोनों कार्यों के लिए प्रयुक्त की जा सकती है।

दोष : इस प्रणाली का मुख्य दोष यह है कि निर्धारित कुशलता को प्राप्त कर सेने के पश्चात् बोनस दी मात्रा बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, फलतः श्रमिक इस मान को प्राप्त करने के पश्चात् अधिक चरित्रम नहीं करते।

मजदूरी के सिद्धांत (Theories of Wage)

भारत में मजदूरी की समस्याओं का अध्ययन करने से पूर्व मजदूरी के तिदातों का उल्लेख करना हमारे लिए हितकर होगा। अर्थशास्त्रियों ने समय-समय पर मजदूरी निर्धारण के विभिन्न मिद्दातों का वर्णन किया है जिनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्न निवित हैं।

१. जीवन-निर्वाह अथवा मजदूरी का लौह सिद्धान्त

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन बठारहवो शाताच्छी में प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों ने किया था। जर्मनी के लथंशास्त्रियों तथा उनके समर्थकोंने इस-सिद्धान्त को मजदूरी का लौह सिद्धान्त (Iron Law of Wage) कहा है।

इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरों की मजदूरी उनके जीवन-निर्वाह स्तर से सीधित होती है। यह स्पष्ट नहीं है कि 'जीवन-निर्वाह स्तर' का वास्तविक अर्थ क्या है। इसका अर्थ वह मजदूरी हो सकती है जिससे वह अपने परिवार को जीवित रख सकता है। इस सिद्धान्त के अनुसार दीर्घकाल में श्रमिकों की मजदूरी न तो जीवन-निर्वाह स्तर से नीचे और न ही उसके ऊपर हो सकती है। क्योंकि जीवन निर्वाह स्तर से कम मजदूरी होने पर श्रमिक अपना और अपने परिवार का पालन नहीं कर सकेगा जिससे श्रमिकों की मृत्यु-दर अधिक होगी और श्रमिकों की पूर्ति कम हो जायेगी और अनतः उसकी मजदूरी घटने लगेगी। यह क्रम उस समय तक चलेगा जब तक कि मजदूरी बढ़ते-बढ़ते पुनः जीवन-निर्वाह स्तर के बराबर नहीं आ जाती। इसके विपरीत यदि मजदूरी जीवन-निर्वाह स्तर से अधिक हो तो वे आर्थिक समानता का अनुभव करेंगे, परिवार में वृद्धि होगी व श्रम की पूर्ति बढ़ेगी और अततः मजदूरी घटने लगेगी। यह क्रम उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि मजदूरी गिरकर जीवन निर्वाह स्तर के बराबर नहीं हो जाती।

यह सिद्धान्त दो मान्यताओं पर आधारित है-

(१) कृषि के क्षेत्र में सदा कमायत उत्पादन ह्यास नियम क्रियाशील होता है, जिससे स्थान-सामग्री के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती।

(ii) जनसंख्या की प्रकृति सदा बढ़ने की रहती है।

आलोचनाएः : इस सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं-

(१) इस सिद्धान्त से यह स्पष्ट नहीं होता कि जीवन-निर्वाह क्या है।

(२) यह गलत है कि जब श्रमिक की मजदूरी बढ़ती है तो उसके साथ ही माथ श्रमिकों की पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जीवन-स्तर में वृद्धि हो जाने पर जन्म-दर कम हो जाती है।

(iii) इस सिद्धान्त के अनुसार एक विशेष स्थान पर श्रमिकों के जीवन-निर्वाह स्तर समान होने के कारण सभी श्रमिकों की मजदूरी समान होनी चाहिए। परन्तु व्यावहारिक जीवन में एक ही व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों की मजदूरी भिन्न होती है।

(iv) यह सिद्धान्त एकपक्षीय है क्योंकि सिद्धान्त केवल श्रम की पूर्ति पर जोर देता है और उसकी मात्रा को और कुछ ध्यान नहीं देता। वास्तव में यदि श्रम की मात्रा अधिक है तो मजदूरी भी जीवन-स्तर से अधिक हो जायेगी।

(v) इस सिद्धान्त में नैतिकता का समावेश नहीं होता, क्योंकि (अ) प्रत्येक श्रमिक को आहे वह कुशल हो अथवा अकुशल, जीवन-निर्वाह स्तर के आधार पर समान

मजदूरी के भूगताम की जीवन-स्तर मजदूरी का प्रभाव

मजदूरी दी जाती है और (ब) मनुष्य होने के नाते श्रमिक को केवल उतनी ही मजदूरी देना जिससे वह केवल जीवित रह सके, किसी भी आधार पर न्यायोचित नहीं कहा जा सकता।

2 जीवन-स्तर मजदूरी सिद्धात

यह सिद्धात जीवन-निर्वाह का एक सशीघ्रता सुधरा हुआ ही रूप है। इस सिद्धात के अनुसार मजदूरी श्रमिकों को निगुणता और कार्यक्षमता से सबधित है इसलिए इस तरह की मजदूरी हमेशा जीवन निर्वाह से अधिक होगी। इसके अतर्गत मजदूरी का निर्धारण केवल अनिवार्य आवश्यकताएँ के आधार पर नहीं होता बरन् इसके अन्यतर मजदूरों के लिए शिक्षा, मनोरजन आदि भी सम्मिलित हैं जिसके उपभोग का श्रमिक आदी हो गया है। इस प्रकार जीवन-स्तर सिद्धात के अनुसार मजदूरी उस घनराशि के तुल्य होनी चाहिए जो किसी श्रमिक के उस जीवन-स्तर को बनाये रखने के लिए पर्याप्त हो जिसका वह वर्ग आदी हो गया ही। यदि मजदूरी की दर इस राशि से कम है तो श्रमिकों की पूति कम होगी। इसके विपरीत यदि मजदूरी की दर उससे अधिक है तो पूति बढ़ेगी। अतः मजदूरी दर में जीवन-स्तर के अनुरूप रहने की प्रवृत्ति होगी।

आनोचनाएँ : (i) यह सिद्धात अपूर्ण है क्योंकि इससे देवल पूति पक्ष का विशेषण किया गया है और मजदूरी पर पड़ने वाले माग के प्रभाव को मुला दिया गया है।

(ii) इस सिद्धात का आधार ही गलत है। जीवन-स्तर एवं परिवर्तनशील तत्व है, इसलिए इसकी मजदूरी निर्धारण का सिद्धात नहीं बनाया जा सकता।

(iii) यह निश्चित करना कठिन है कि मजदूरी जीवन-स्तर द्वारा निर्धारित होगी या स्वयं मजदूरी जीवन स्तरको निर्धारित करती है। साधारणत मजदूरी में वृद्धि हुए विना श्रमिकों के रहन-सहन में वृद्धि होना राभव नहीं है।

3 मजदूरी कोष सिद्धात

इस सिद्धात को जन्म देने का श्रेय एडम स्मिथ को है। उनके पश्चात रिकार्डों और मार्थस ने समर्थन किया परतु इसकी पूर्ण हपेण व्याख्या जैव एस० मिल ने की है। इस सिद्धात के अनुसार मजदूरी दी जाती पर निम्नर रहती है—

(अ) मजदूर कोष मिल के अनुमार श्रमिक की सेवाएँ प्राप्त करने के लिए पहले से ही एक निश्चित कोष निश्चय कर दिया जाता है। प्रत्येक व्यवसायी उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्रावन के लिए व्यवस्था करता है। इस कोष से अधिक मजदूरी श्रमिकों को उपलब्ध नहीं हो सकती। अतः यह बोय जितना ही अधिक होगा श्रमिकों की मजदूरी भी उतनी अधिक होगी।

(ब) मजदूरों की सह्या मजदूरी कोष तो निश्चित रहता है और श्रमिकों को इसी कोषसे मजदूरी दी जाती है। इसलिए श्रमिकों की सह्या जितनी ही कम होगी उतनी ही मजदूरी अधिक होगी। इसके विपरीत यदि श्रमिकों की सह्या अधिक है तो

प्रत्येक को इस कोष से कम मजदूरी प्राप्त हो सकेगी।

मिल के शब्दों में, "मजदूरी की मात्र एवं पूर्ति व्यवहा जैसे कि कहा जाता है पूजो व जनसुख्या के बीच अनुपात पर निर्भर होती है।" मजदूरी कोष को धर्मिकों की सत्त्वा ने भाग देने पर मजदूरी की दर निश्चित हो जाती है।

मजदूरी कोष धर्मिकों का पूर्ति

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण मान लीजिए, कि सी अवधि विशेष म कुल उत्पत्ति मूल्य 20,000 करोड रुपये है और उनका विभाजन अनुसार विद्या जौ और व्यय

सारणी—1

लगान	6,000 करोड रुपये
मजदूरी निधि	10,000 करोड रुपये
व्याज और व्यय	4,000 करोड रुपये
	————
	20,000 करोड रुपये
	————

उपरोक्त उदाहरण स म्पष्ट है कि उत्पादन ने धर्मिकों के निए मजदूरी कोष के रूप में 10,000 करोड रु० अला रखा है। यदि काम पर नगे हुए धर्मिकों की सत्त्वा 100 करोड है तो प्रत्येक मजदूरी को 100 रु० मजदूरी मिलेगी बतोकि—

$$\frac{10,000 \text{ करोड } \text{ रु०}}{100 \text{ करोड } \text{ रु०}} = 100 \text{ करोड } \text{ रु०}।$$

यदि मजदूरों की सत्त्वा बढ़कर 125 करोड हो जाती है तो प्रत्येक धर्मिक को 80 रु० मजदूरी मिलेगी। इसके विपरीत यदि मजदूरी की सत्त्वा घट कर 50 करोड हो जाती है तो प्रत्येक को 200 रु० मजदूरी मिलेगी। इस प्रकार मजदूरी की दर मजदूरों कोष और मजदूरों की सत्त्वा पर निर्भर रहती है।

आलोचनाएँ (i) मजदूरी कोष का विचार गलत है क्योंकि आप का ऐसा कोई भाग पहले से ही निश्चित नहीं होता जो धर्मिकों को देने के लिए हो।

(ii) मजदूरी कोष एक निश्चित रकम नहीं हो सकती क्योंकि वह धर्मिकों की अधिक या कम मात्रा के अनुसार घट बढ़ सकती है।

(iii) इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी आप निश्चित होने के कारण यदि किसी व्यवसाय में धर्मिक की मजदूरी बढ़ जाती है तो अब उद्योगों में धर्मिकों की मजदूरी म भी कमी हो जायगी। परंतु यह विचार वास्तविक नहीं है क्योंकि जब किसी एक व्यवसाय में धर्मिकों की मनदूरी बढ़ती है तो मात्र साथ अब व्यवसाय में भी मजदूरी बढ़ने लगती है।

(iv) यह सिद्धांत यह बताने म असमर्थ है कि दिभिन्न प्रकार के उद्योगों में

व्याविभिन्न स्थानों पर मजदूरी की दरें भिन्न-भिन्न बयो होती हैं।

(v) यह सिद्धात वास्तविक अनुभव के विरुद्ध है क्योंकि सामान्यतः नये उद्योगों में जिनमें पूजी की कमी होती है, वह मजदूरी ऊची रहती है परन्तु पुराने उद्योगों में, जहाँ पूजी अधिक प्रचुर होती है, वह ऊची रहती है।

(vi) यह सिद्धात यह नहीं बताता कि मजदूरी कोप का निर्धारण कौसे होता है।

(vii) अनुभव बताता है कि अधिकांश दशाओं में ऊची मजदूरी का कारण अधिक मजदूरी कोप अथवा श्रमिकों की कम सख्त्या नहीं होती बल्कि श्रमिकों की अधिक कार्यकुशलता होती है।

(viii) यह सिद्धात इस बात की व्याख्या नहीं करता कि सवायोजकों की प्रतियोगिता और श्रम सवाधों की कार्यवाही के कारण मजदूरिया बयो बढ़ जाती है।

(ix) यह सिद्धात एकपक्षीय है क्योंकि यह श्रम की नाग (मजदूरी कोप) यथास्थिर मानकर मजदूरी को केवल श्रम की पूर्ति पर आधित बना देता है।

4 अवशिष्ट अधिकारी सिद्धात

इस सिद्धात का प्रतिपादन अमरीकन अर्पशास्त्री वाकर (Walker) ने किया है। इस सिद्धात के अनुसार कुल उत्पादन में से लगान व्याज और लाभ के मुग्धान के बाद जो कुछ शेष रहता है वह श्रमिकों को मिलता है। ऐसे वाकर के शब्दों में 'कुल उत्पादन में से लगान व्याज जा लाभ निकाल देने के पश्चात जो बचता है वह श्रमिकों को मजदूरी के रूप में मिलता है।' इसी प्रकार जेवन्स ने कहा है श्रमिक जो कुछ पैदा करता है उसमें से लगान करता है पूजी का व्याज निकालने के पश्चात बचते वाली रकम उस मजदूरी के रूप में ही दी जाती है। सक्षेप में —

मजदूरी—सपूर्ण उत्पादन—(लगान+व्याज+लाभ)

इस सिद्धात की प्रमुख विदेशी यह है कि इसमें मजदूरी को श्रमिकों की कुशलता एवं उत्पादकता में सबधित किया जाता है अर्थात् श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़न पर श्रमिकों को मजदूरी में वृद्धि होगी क्योंकि लगान व्याज और लाभ निश्चित होने के कारण अवशेष में वृद्धि नहीं होगी जबकि कुल उत्पादन में वृद्धि हो और कुल उत्पादन में वृद्धि श्रमिकों के अधिक परियोग करन पर ही सभव है।

वालोवनाएँ (i) यह कहना ठीक नहीं है कि मजदूरी को निर्धारित करने के लिए कोई सिद्धात नहीं है क्योंकि यदि सीमातः उत्पत्ति हारा लगान व्याज व लाभ निर्धारण किया जा सकता है तब श्रमिकों की मजदूरी का निर्धारण उसी आधार पर क्यों नहीं किया जा सकता।

(ii) मजदूरी के निर्धारण में श्रम की पूर्ति का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जिसे इस सिद्धात में नहीं रखा है।

(iii) यह कहना गलत है कि मजदूरी अवशेष-अवश्य कोप से दी जानी है बाविं प्रदेश-अवश्य के अधिकारी श्रमिक नहीं साहसी होते हैं।

(iv) यह सिद्धात इस बात की व्याख्या करने में समर्प है कि मजदूरी-संघ-

मजदूरों को संगठित करके किस प्रकार उसकी मजदूरी में बढ़ि करने में सफल हो जाते हैं।

5. मजदूरी सीमात बहु उपज सिद्धांत

इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रो० टाजिग ने किया है। प्रो० टाजिग का कहना है कि मजदूरी का भुगतान करना उसी दिन आवश्यक हो जाता है जिस दिन ने उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो जाता है परतु उत्पादन में समय लगता है। इस प्रकार मजदूरों को मजदूरी उत्पादन की विक्री से पहले ही प्राप्त हो जाती है। उत्पादक ने जिस श्रमिक की मजदूरी आज चुकाई है उसकी उपज की कीमत उस वर्ड महीनो बाद प्राप्त होती है। अत उत्पादक इसी वीच श्रमिकों को मजदूरी अग्रिम के रूप में प्रदान करता है। यह अग्रिम राशि उत्पादक अपने पास से या उधार के रूप में दूसरे से प्राप्त करता है और इस राशि पर उसे ब्याज की हानि होती है। क्योंकि यह उत्पादक मजदूरों को मजदूरी उत्पादन कार्य के समय न देता तो उत्पादक को उस पूर्ण राशि की मात्रा पर ब्याज प्राप्त होता, जिसको उसने श्रमिकों को मजदूरी के रूप में दे रखा है। इसी कारण उत्पादक उसकी मजदूरी में से उतने समय का ब्याज काट लेता है जिसका कल यह होता है कि अतत मजदूरी थम की सीयात उत्पादकता के बराबर नहीं हो पाती। बहु मजदूरी थम की सीमात उत्पादकता में से उस कटौती को, जो ब्याज दर पर निभंग करती है, निकाल देने पर जो विषय बचता है उसी के बराबर होती है। इसी को प्रो० टांजिग ने कहा है, “मजदूरी के सामान्य सिद्धांत को सरल एवं स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि मजदूरी थम की बहु सीमात उत्पादकता द्वारा निर्धारित होती है।”

मजदूरी निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत (Modern Theory of Wage Determination)

मजदूरी थम की देवाओं का मूल्य है। अनः आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि थम का मूल्य भी अन्य वस्तुओं की तरह थम की मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, क्योंकि जिस प्रकार में किसी वस्तु की मांग व पूर्ति होती है उसी प्रकार में थम की भी मांग व पूर्ति होती है। मजदूरी का निर्धारण मूल्य के सामान्य सिद्धांत (General Theory of Value) वा ही गक विशिष्ट रूप है। फिर भी मजदूरी में अलग सिद्धांत की आवश्यकता इस बात से है कि थम की कुछ अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। सर्वे में, मजदूरी निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार एक उद्योग में मजदूरी उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहा पर श्रमिकों की कुल मांग-रेखा तथा उनकी कुल पूर्ति-रेखा एक-दूसरे को काटती है। इस सिद्धांत का अध्ययन हम दो परिस्थितियों में करेंगे—

1. पूर्ण प्रतियोगिता के अवधारण
2. अपूर्ण प्रतियोगिता के अवधारण।

(iii) श्रम की माग सबधी सारिणी, मजदूरी की विभिन्न दरों पर श्रम की माग की जाने वाली मात्रा के सबध को बताती है। अत्यकाल में किसी कर्म की श्रम की माग, माग के नियम के अनुसार होती है अर्थात् मजदूरी की दर जितनी ही कम होती है, उत्पादन के लिए उतनी ही अधिक सह्या में श्रमिकों की नियुक्ति करना लाभप्रद होता है।

श्रमिकों की माग तालिका या माग रेखा मजदूरी की विभिन्न दरों पर मागी जाने वाली श्रमिकों की मात्रा को बताती है। उद्योग का श्रम का माग वक्र वाली से दाढ़ी और नीचे झुकता चला जाता है जैसा कि "एवं मे दिखाया गया है। यह इस बात को व्यक्त करता है कि यदि मजदूरी की दर अधिक है तो श्रमिकों की माग कम होगी तथा मजदूरी दर कम होने पर श्रमिकों की माग अधिक होगी।


(iv) श्रम की पूर्ति श्रम की पूर्ति श्रमिकों द्वारा की जाती है अर्थात् श्रमिक श्रम विक्रेता है श्रम की पूर्ति से आशय है (i) एक विशेष प्रकार के श्रमिकों की सह्या जो मजदूरी की भिन्न-भिन्न दरों पर काम करने के लिए तैयार है और (ii) कार्य करने के घटे जो कि प्रत्येक श्रमिक मजदूरी की विभिन्न दरों पर देने को तत्पर है। अत श्रम की पूर्ति से आशय एक विशेष प्रकार के श्रम के उन घटों एवं दिनों स है जिन्हें विभिन्न मजदूरी दरों पर नियोजनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। सामान्यतया ऊची मजदूरी पर अधिक श्रमिक तथा कम मजदूरी पर कम श्रमिक कार्य करने वाले तत्पर होते हैं।

जिस प्रकार कोई भी उत्पादक अपनी वस्तुओं के लिए कम स-कम सीमात उत्पादन लागत के बराबर मूल्य लेता है ठीक उसी प्रकार मजदूरों की पूनरतम मजदूरी भी उसके सीमात त्याग अर्थात् जीवन-स्तर स तक होती है।

किसी उद्योग विशेष में श्रम को पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्त्व आधिक व गैर-आधिक होते हैं।

(i) गैर-आधिक तत्त्व यद्यपि एक श्रमिक अपनी मीट्रिक आय बढ़ान का इच्छुक होता है लेकिन वर्तमान रोजगार से मोह आलम्य तथा परेलू बातावरण आदि उसे ऊची मजदूरी दर पर जाने से रोक सकते हैं। इसके अतिरिक्त रीति रिवाज, सामृतिक तथा राजनीतिक परिस्थितिया व श्रमिक का स्वभाव भी श्रम-पूर्ति को प्रभावित करते हैं। श्रम की पूर्ति जनमन्या के आकार, आयु, विवरण, कार्य के घटे व श्रमिकों की कार्य कुशलता पर निर्भर होती है।

(ii) आधिक तत्त्व, सामान्यत ऊची मजदूरी दर पर श्रम की पूर्ति अधिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई उद्योग अधिक श्रमिकों को प्रयुक्त करना चाहता है तो मजदूरी दर ऊची पड़ेगी। तभी मन्य उद्योगों के श्रमिक इस उद्योग में



चित्र 1

आकर्षित होगे। दूसरे शब्दों में एक उद्योग में श्रम को पूर्ति 'व्यवसाय स्थानांतरण' पर निर्भर करती है। व्यावसायिक स्थानांतरण या गतिशीलता निम्न बातों पर निर्भर करती है—


1 व्यवसाय में नौकरी की सुरक्षा, पेशन की व्यवस्था, दोनस आदि जारी का तुलनात्मक महत्व।

2 श्रमिक की वैकल्पिक उद्योगों में उपलब्ध मजदूरी।

3 अन्य उद्योगों तक जाने का परिवहन व्यवहर।

श्रम की पूर्ति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण कार्य और आराम वे बीच अनुपात है। मजदूरी का परिवर्तन श्रम की पूर्ति पर दो प्रकार से प्रभाव डास सकता है—(i) प्रतिस्थापन प्रभाव—जब मजदूरी बढ़ जाती है तो श्रमिक स्वभावतः अधिक कमाना चाहेगा ताकि वह उच्चतर मजदूरी का लाभ कमा सके वह अवकाश को श्रम से प्रतिस्थापित करता है। मजदूरी की वृद्धि के कारण प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव प्रभाव तुलनात्मक होता है अर्थात् मजदूरी में वृद्धि के कारण श्रमिक अधिक कार्य करेगा। (ii) आय-प्रभाव—दूसरी ओर मजदूरी बढ़ जाती है तो श्रमिक की आय बढ़ने से उसकी आधिक स्थिति श्रेष्ठतर हो जाती है और वह अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अवकाश प्राप्त करता है। इस प्रकार आय में वृद्धि के कारण श्रमिक अधिक आराम चाहते हैं। यह मजदूरी में वृद्धि के कारण आय-प्रभाव हुआ। आय-प्रभाव तुलनात्मक होता है अर्थात् मजदूरी में वृद्धि के कारण श्रमिक आराम चाहते हैं।

इस प्रकार जबकि कच्ची मजदूरी का प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक मात्रा में श्रम करने के पक्ष में है तब कच्ची मजदूरी का आय-प्रभाव अवकाश (आराम) की विद्युत मात्रा के पक्ष में है, ये दोनों विरोधी प्रवृत्तियां एक-दूसरे को निष्प्रभावित करने का प्रयत्न करती हैं जिसके परिणामस्वरूप एक निश्चित सीमा के पश्चात् उच्चतर मजदूरी दरों पर श्रमिक कम घटे काम करना प्राप्त करते हैं। मजदूरी के बढ़ने पर जब एक श्रमिक अपेक्षाकृत कम घटे काम करता है तो उसके इस तरह के आवरण को चित्र 2 के द्वारा स्पष्ट किया गया है। चित्र को देखने से पता चलता है कि जैसे जैसे मजदूरी शून्य से बढ़ती जाती है काम करने के घटे भी बढ़ते जाती हैं। 6^{रु} मजदूरी पर वह प्रतिदिन 10 घटे काम करता है जो अधिकतम सीमा होती है। उसके पश्चात् पदि मजदूरी की दर में वृद्धि होती है तो काम के घटे




की संख्या कम होने लगती है। जैसे जब मजदूरी 8 रुपये हो जाती है, तो इस प्रकार मजदूरी की दर बढ़ जाने पर मजदूर अधिक घटे काम करने के लिए तैयार नहीं हैं वरन् वह अपनी इस बढ़ी हुई आय से अधिक आराम खो देना चाहता है। चित्र 2 में OS श्रमिकों की पूर्ति घटते हैं जो यह प्रदर्शित करता है कि अधिक मजदूरी बढ़ने से किस प्रकार काम करने के घटों पर इसका प्रभाव पड़ता है।

थम दी माग और पूर्ति के सम्बन्ध तथा मजदूरी निर्धारण

(दूर्व्य प्रतियोगिता में मजदूरी निर्धारण)

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में मजदूरी माग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। श्रमिकों की माग श्रमिकों की सीमान उत्पादकता पर और श्रमिकों को पूर्ति श्रमिकों के जीवन-स्तर पर निर्धारित होती है। संखेप में मजदूरी की अधिकतम सीमा श्रमिकों की सीमात उत्पादकता द्वारा तय होती है और न्यूनतम सीमा श्रमिकों के जीवन स्तर द्वारा तय होती है। इन दो अधिकतम और न्यूनतम सीमाओं के मध्य मजदूरी, श्रमिकों और सेवायोजकों की मोल भाव करने की सारणिक शक्तियों पर निर्भर होती है। श्रम की माग तथा पूर्ति में जिस मजदूरी की दर पर सतुलन स्थापित हो जाता है, वहां पर मजदूरी निश्चित हो जाती है। इस विधान को निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है।



चित्र 3

उपरोक्त चित्र में मजदूरी PM निर्धारित होगी क्योंकि इस मजदूरी की दर पर श्रमिकों की माग तथा पूर्ति दोनों OM के बराबर हैं अर्थात् सतुलन मजदूरी दर PM है। यदि मजदूरी दर इस समय दर से कम है, तो कुछ श्रमिक रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे अर्थात् श्रमिकों की पूर्ति उनकी माग से अधिक रहेगी। श्रमिकों की यह अविविक्त पूर्ति मजदूरी की दर को घटायेगी और मजदूरी घट कर PM हो जायेगी। इसके विपरीत यदि मजदूरी की दर माम्या या सतुलन पर PM से कम है तो श्रमिकों की पूर्ति उनकी माग से कम होगी। चूंकि श्रमिकों की माग अधिक होगी वह पूर्ति कम होगी,

मजदूरी के भुगतान की श्रीतिया एवं भजूरा का । ३।

इसलिए श्रमिकों की कमी मजदूरी दर को बढ़ायेगी और मजदूरी दर बढ़ कर PM हो जायेगी स्पष्टत मजदूरी की वह दर निर्धारित होगी जहा पर कि श्रमिकों की मात्रा उनकी पूर्ति बराबर हो जायेगी

एक व्यक्तिगत कर्म की दृष्टि से पूर्ण प्रतियोगिता के अतर्गत मजदूरी का निर्धारण अथवा मजदूरी एवं सीमात उत्पादकता के बीच संबंध

किसी समस्त उद्योग के लिए मजदूरी का निर्धारण चित्र (अ) की आकृति के अनुसार होगा । परतु एक बार सपूर्ण उद्योग के लिए मजदूरी का निर्धारण जब हो जाता है तो प्रत्येक फर्म (या सेवायोजक) इसे दिया हुआ स्वीकार कर लेती है । व्यक्तिगत फर्म उस दी हुई मजदूरी को ठीक उत्ती प्रकार स्वीकार करती है जिस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता के अतर्गत व्यक्तिगत फर्म वस्तु के उद्योग द्वारा निर्धारित मूल्य को स्वीकार कर लेती है । यही कारण है कि व्यक्तिगत फर्म की श्रम-पूर्ति रेखा अथवा मजदूरी रेखा (Wage Line) एक 'पड़ी हुई रेखा' होती है, जैसा कि चित्र 3 (व) में दिखाया गया है । चित्र 3 (अ) में PM उद्योग द्वारा निर्धारित मजदूरी है । इसे फर्म की स्थानात्मकता का दिया जाता है । फर्म को इसे स्वीकार ही करना होता है, क्योंकि श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, उद्योग में फर्मों की सऱ्हा बहुत होती है तथा प्रत्येक फर्म श्रमिकों की कुल पूर्ति को एक बहुत घोड़ी मात्रा में प्रदोग करती है, इसलिए फर्म बाजार में प्रचलित मजदूरी दर को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होती । अतः हम कह सकते हैं कि एक फर्म के लिए श्रमिकों की पूर्ति रेखा (या मजदूरी रेखा) पूर्णतया लोचदार होती है अर्थात् एक दी हुई मजदूरी पर फर्म जितने श्रमिक चाहे प्राप्त कर सकती है ।

उपरोक्त विवरण से एक बात और भी स्पष्ट होती है कि नूकि प्रतियोगिता के अतर्गत मजदूरी की दर एक ही रहती है इसलिए एक फर्म को एक अतिरिक्त श्रमिक को कार्य पर लगाने के लिए जो मजदूरी अर्थात् 'सीमात मजदूरी' (Marginal Wage i.e MW) देनी पड़ेगी वह 'औसत मजदूरी' (Average Wage i.e AW) के बराबर ही होगी । इसलिए चित्र में MW मजदूरी रेखा श्रमिकों की औसत और सीमात मजदूरी को भी प्रदर्शित करती है । संक्षेप में, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के लिए मजदूरी रेखा एक पड़ी हुई रेखा होती है तथा उसे औसत मजदूरी (AW) और सीमात मजदूरी (MW) द्वारा व्यक्त करते हैं ।

यह मानते हुए कि फर्म लाभ को अधिकतम या हानि को न्यूनतम बनाने का प्रयास करती है, वह दी हुई मजदूरी पर श्रमिक की वह सऱ्हा प्रयुक्त करेगी जहा पर श्रमिकों की सीमात आगम उत्पाद¹ (Marginal Revenue Product i.e MRP) श्रमिकों की सीमात मजदूरी (Marginal Wage i.e MW) के । अतः जब नव श्रम की MW उसके MRP के बराबर नहीं हो जाती, फर्म उत्तरोत्तर श्रमिकों

1 जब साथमों को पूरबत रखने हुए, श्रम की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से, जो कुछ आम है वृद्धि होती है श्रम की सीमात आगम उत्पाद (MRP) वृद्धि होते हैं ।

को लगाती चली जायेगी। इस प्रकार फर्म की सतुलन की स्थिति तब तक होगी जब तक $MRP = MW$ ।

यदि सीमात आगम उत्पाद सीमात मजदूरी से अधिक है ($MRP > MW$) तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक अतिरिक्त श्रम के प्रयोग करने से कुछ आगम में वृद्धि श्रमिक बोदी जाने वाली मजदूरी से अधिक है। अतः फर्म को लाभ होगा और वह श्रमिकों की अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग उस समय तक वरेगी जबकि $WRP - MW$ होगा। इसके विपरीत, यदि सीमात आगम उत्पाद कम है तो सीमात मजदूरी से ($MRP < MW$) तो फर्म को श्रमिकों के प्रयोग करने की दृष्टि से हानि होगी अतः श्रम की सीमात आगम उत्पाद (MRP) और श्रम की सीमात (MW) की समानता फर्म की सतुलन की स्थापना की अनिवार्य शर्त है।


चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी दर एक ही रहती है इसलिए औसत मजदूरी (AW) और सीमात मजदूरी (MW) एक ही होती है और ये दोनों मजदूरिया श्रम के औसत आगम उत्पाद (Average Revenue Productivity, i.e ARP) और सीमात आगम उत्पाद (MRP), जो दोनों में समान होते हैं, के बराबर होती है। इस प्रकार दीर्घकाल में साम्य मजदूरी की स्थिति में मजदूरी ($Wage$) = औसत मजदूरी (AW) = सीमात मजदूरी (MW) = औसत आगम उत्पाद (ARP) = सीमात आगम उत्पाद (MRP)। सखेप में, श्रमिकों के प्रयोग करने की दृष्टि से दीर्घकाल में एक फर्म के साम्य के लिए दोहरी शर्त पूरी होनी चाहिए। (i) $MRP = MW$, $ARP = AW$ ।

चित्र 4 में बिंदु W पर दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं अतः दीर्घकाल में मजदूरी दर WM प्रयुक्त श्रमिकों की सम्प्य OM और फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है।

अल्पकाल में, श्रमिकों के प्रयोग की दृष्टि से एक फर्म के लिए लाभ, सामान्य लाभ या हानि तीनों स्थितिया सम्भव हैं। श्रमिक के प्रयोग करने की दृष्टि से फर्म के लाभ तथा हानि की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम औसत आगम उत्पाद (ARP) तथा औसत मजदूरी (AW) रेखा पर ध्यान देते हैं।

(अ) यदि औसत मजदूरी अथवा मजदूरी श्रम के औसत आगम उत्पाद से अधिक है तो फर्म को हानि होगी, अर्थात् $ARP < AW =$ हानि।

(ब) यदि मजदूरी औसत आगम उत्पाद के बराबर है तो फर्म को न तो लाभ होगा, न हानि होगी अर्थात् $ARP = AW =$ सामान्य लाभ।



चित्र 4

के अतिरिक्त लाभ को समाप्त कर देंगे। अतः दीर्घकाल में मजदूरी दर औसत आय उत्पाद से न तो अधिक होगी बोर न कम। इस प्रकार जैसा कि वस्तु के सबूष में पूर्ण प्रतियोगिता के अतर्गत दीर्घकाल में साम्य की स्थिति औसत लागत = सीमात लागत = औसत आय = सीमात आगम ($AC = MC = AR = MR$) हारा दी जानी है, उसी प्रकार साम्य मजदूरी की स्थिति में औसत मजदूरी = सीमात मजदूरी = श्रम की औसत आगम उत्पाद = श्रम की सीमात आगम उत्पाद।

2 अपूर्ण प्रतियोगिता के अतर्गत मजदूरी

वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थितिया प्राप्त नहीं होती। आजकल श्रमिक और सेवायोजक दोनों ही तागड़ित हैं। श्रम बाजार में दो प्रकार की अपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक दशाएँ हो सकती हैं।

(अ) वह श्रम-बाजार जिसमें सेवायोजक मजदूरी निर्धारण करने में अधिक शक्तिशाली हैं। (ब) वह श्रम-बाजार जिसमें श्रमिक और सेवायोजक दोनों ही अपनी दर पर नियन्त्रण रखते हैं।

प्रथम प्रकार का श्रम-बाजार प्राय निम्न परिस्थितियों में पाया जाता है-

(i) जब सेवायोजक की महाया अपेक्षाकृत बहुत कम हो, अथवा एक ही सेवायोजक हो।

(ii) श्रमिक एक उद्योग से दूसरे उद्योग के लिए अधिक गतिशील न हो।

(iii) श्रमिकों की सौदेबाजी करने की स्थिति बहुत ही दुर्बल हो।

(iv) काम के लिए श्रमिकों में तो प्रभावशाली प्रतियोगिता हो लेकिन सेवायोजकों ने इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा न हो।

इस प्रकार के अपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक श्रम-बाजार में वास्तविक मजदूरी निम्न सीमाओं के अतर्गत किसी भी स्थान पर निश्चित हो सकती है।

1 यदि बाजार में एक ही सेवायोजक है और श्रमिकों की गतिशीलता प्राय नहीं के बराबर है तो मजदूरी नीची होगी और यह इतनी नीची होगी कि श्रमिक केवल मूल्या मरने के स्थान पर रोजगार में नगे रहना ही पसंद करेगा।


2 यदि सेवायोजकों में प्रतियोगिता है और श्रम की गतिशीलता अधिक है तो मजदूरी प्रतियोगिता स्तर पर पहुँच जायेगी।

इसरे प्रकार की अपूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में मजदूरी श्रमिक-सघ नया सेवायोजकों के बीच सौदेबाजी का परिणाम है। सेवायोजक साधारणतया नीची स नीची मजदूरी देने का प्रयास करेगा और श्रमिक सथ ऊपरी स ऊची मजदूरी प्राप्त करना चाहेगा। मजदूरी की वास्तविक दर इस बात पर निर्भर करेगी कि इन दोनों की तुलनात्मक मौद्दा करने की शक्ति किस प्रकार है। यदि सेवायोजक अधिक शक्तिशाली है और उसे हड्डताल के कारण आय म स्थायी हानि हीने का अस्य नहीं है तो मजदूरी नीची होगी। इसके विपरीत, यदि श्रमिक सथ अधिक शक्तिशाली है और हड्डताल सफलना पूर्वक खलाई जा सकती है तो मजदूरी ऊची होगी। वास्तविक मजदूरी का निर्धारण इन

(स) यदि मजदूरी श्रम की औसत आय उत्पाद से कम है तो फर्म को लाभ होगा अर्थात् $ARP > AW = \text{लाभ}$ ।

इन तीनों वैकल्पिक अवस्थाओं को चित्र 5 (अ, ब, स) में चित्रित किया गया है।

चित्र में जब श्रमिकों की सर्वा OM है तो औसत आगम उत्पाद PM है जबकि मजदूरी दर WM है। इस कारण $PM - WM = PW$ श्रम की प्रति इकाई पर मालिक को लाभ प्राप्त हो रहा है। चित्र (ब) में मजदूरी की दर तथा औसत आगम उत्पाद दोनों बराबर हैं, अर्थात् WM है। इसलिए श्रम के उपयोग से मालिक को न तो लाभ होगा, न हानि ही। चित्र (स) में जब श्रमिकों की मजदूरी दर OM है तब मजदूरी की दर WM है परतु औसत आगम उत्पाद SM है, इस कारण प्रति श्रमिक हानि की दर $WM - SM = WS$ है।



चित्र 5

अल्पकाल में ये तीनों ही सभावनाएँ विद्यमान रह सकती हैं, परतु दीर्घकाल में फर्म एवं उद्योग सतुलन अवस्था में होते हैं, फर्म को न लाभ होया और न हानि। दीर्घकाल में यदि किसी फर्म में औसत मजदूरी औसत आगम उत्पाद से अधिक रहती है तो फर्म उत्पादन को स्थगित कर देगी, फलत श्रम की मात्रा कम हो जायेगी और मजदूरी भी कम हो जायेगी। फर्मों की सर्वा में कमी होने से वस्तु के उत्पादन में कमी हो जायेगी और परिणामस्वरूप वस्तु की कीमत बढ़ जायेगी तथा श्रम की औसत आगम उत्पाद भी बढ़ जायेगी। इस प्रकार एक और मजदूरी नीचे की ओर खिसक जाती है और दूसरी ओर श्रम का औसत आगम उत्पाद ऊपर की ओर खिसक जाता है। दीर्घकाल में अत में दोनों बराबर हो जाते हैं। इसके विपरीत, यदि श्रम की मजदूरी श्रम की औसत आगम उत्पाद से कम है तो श्रम को लाभ होगा और वह अधिक लाभ उद्योग में नई फर्म को आकर्षित करेगा जिसके निम्नलिखित दो प्रभाव होंगे :


(अ) उद्योग में श्रम की कुल मात्रा बढ़ जाने के कारण मजदूरी भी बढ़ जायेगी।

(ब) वस्तु का कुल उत्पादन बढ़ जाने के कारण वस्तु का मूल्य गिर जायेगा, फलत श्रम की औसत आगम उत्पाद कम हो जायेगी। ये दोनों प्रभाव दीर्घकाल में फर्म

दो सीमाओं के बीच होगा।

रेसांचित्र द्वारा स्पष्टीकरण : चूंकि श्रम-बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता है इसलिए औसत मजदूरी रेखा तथा सीमात मजदूरी रेखा ऊपर को बढ़ती हुई रेखा होगी न कि पूर्ण प्रतियोगिता की भाँति पड़ी रेखा होगी)। सीमात मजदूरी रेखा औसत मजदूरी रेखा से ऊपर होगी। ऊपर की चढ़ती हुई सीमात मजदूरी रेखा का अर्थ है कि यदि उत्पादक अतिरिक्त श्रम को कार्य पर लगाना चाहता है तो अधिक मजदूरी देनी पड़ेगी। अपूर्ण प्रतियोगिता के अतंगत मजदूरी निर्धारण को चित्र 6 द्वारा समझाया जा सकता है।

चित्र में ARP औसत आगम उत्पाद वक्र है और MRP सीमात आगम उत्पाद वक्र है। एकाधिकारी नेता उस सीमा तक रोजगार प्रदान करेगा, जहां धम की सीमात इकाई के लगाने से आय में होने वाली वृद्धि (सीमात आगम उत्पाद) कुल मजदूरी में होने वाली (सीमात मजदूरी) वृद्धि के बराबर हा जाती है अर्थात् फर्म में सतुलन वहा होगा जहां सीमात मजदूरी (MW) और सीमात आगम उत्पाद (MRP) आपस में बराबर हो। चित्र में E बिंदु पर ये बराबर हैं, क्योंकि इस बिंदु पर ये वक्र MW और MRP एक-दूसरे को काटते हैं। सीमात आगम उत्पाद और सीमात मजदूरी उस समय बराबर होती है जब OW मजदूरी पर OM अधिक नियुक्त किये जाते हैं। इस बिंदु पर फर्म का नाभ अधिकतम होगा। जब फर्म अपना नाभ अधिकतम करती है तो वह असामान्य लाभ (Abnormal Profit) भी अर्जित करती है, क्योंकि औसत आगम उत्पाद (ARP) औसत मजदूरी (AW) से अधिक है। औसत आगम उत्पाद चित्र में QM है, जबकि औसत मजदूरी PM है, इस प्रकार प्रति QP अतिरेक है। बहुत कुल OM कार्य पर लगे श्रमिकों से कुल अतिरेक $OM \times QP$ अर्थात् आयत WPQR है। यह आयत असामान्य लाभ को प्रदर्शित करता है जो कि फर्म को प्राप्त होता है।



चित्र 6

E सतुलन बिंदु पर हम देखते हैं कि औसत मजदूरी PM (या OM) है और सीमात आगम उत्पाद (MRP) से, जो EM है, कम है। इमका अर्थ यह है कि मजदूर मालिक ने लिए उत्पादन अधिक करते हैं, परन्तु मालिक मजदूरी कम देता है अर्थात् वह श्रमिकों का शोषण करता है। सीमात आय उत्पादन की अपेक्षा मजदूरी की दर के न्यूनतम होने की स्थिति को श्रीमती जॉन रामिनसन ने श्रमिकों का शोषण रुहा है। चित्र से स्पष्ट है कि श्रमिकों का शोषण EM—PM=EP।

परीक्षा-प्रश्न

- 1 मजदूरी देने की विभिन्न प्रणालियों का सक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रत्येक के गुण-दोष की विवेचना कीजिए।
- 2 विस्तार सहित कोई तीन प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धतिया स्पष्ट कीजिए और इस सबध में उचित उदाहरण दीजिए।
- 3 मजदूरी देने की विभिन्न पद्धतिया कौन-कौन-सी है? प्रत्येक के गुण व दोष बताइये। आप उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ किसे और क्यों समझते हैं?
- 4 समय पर आधारित मजदूरी के गुणों व दोषों की विवेचना कीजिए। कार्य पर आधारित मजदूरी से उसकी किस प्रकार तुलना की जा सकती है?
- 5 श्रमिक को पारिश्रमिक देने की समय-मजदूरी एवं कार्य-मजदूरी पद्धतियों में विभेद कीजिए। हैल्मे व रोबन पद्धतियों के गुण एवं दोष की चर्चा कीजिए।
- 6 मजदूरी भुगतान की भिन्न-भिन्न पद्धतियों के नाम लिखिए। मजदूरी भुगतान की ऐसी पद्धति की सिफारिश कीजिए जो भारतीय उद्योगों के श्रमिकों की उत्पादकता को प्रोत्साहन दे सके।
- 7 मजदूरी देने की प्रेरणात्मक प्रणालिया क्या है? इनमें से कुछ के नाम बताइए और उनमें से किन्हीं दो के विशिष्ट लक्षण बताइए।
- 8 मजदूरी भुगतान की किन्हीं तीन महत्वपूर्ण रीतियों का वर्णन कीजिए। बताइए कि मजदूरों वो कुशलतापूर्वक काम करने के लिए प्रोत्साहित करने और साथ में उनकी कार्य शक्ति की रक्षा करने के लिए कौन-सी रीति सबसे अधिक उपयुक्त है?
- 9 एक अच्छी मजदूरी पद्धति की क्या विशेषताएँ हैं? हैल्मे एवं रोबन प्रब्याजि पद्धति का सक्षेप में वर्णन कीजिए तथा दोनों की तुलना कीजिए।
- 10 हैल्मे तथा रोबन मजदूरी पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तथा प्रत्येक का सक्षेप में वर्णन कीजिए।
- 11 इमर्सन की कुशलता योजना पर टेलर की विभेदात्मक उत्पादन के अनुसार मजदूरी देने की प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए।
- 12 निम्न पर संशिप्त टिप्पणी लिखिए—
 - (i) टेलर भिन्नक कार्यानुसार मजदूरी पद्धति,
 - (ii) मेरिक मजदूरी प्रणाली,
 - (iii) गेट बोनस पद्धति, तथा
 - (iv) इमर्सन दक्षता योजना।

अध्याय 2

न्यूनतम मजदूरी, न्यायपूर्ण मजदूरी तथा जीवन मजदूरी (Minimum Wage, Fair Wage and Living Wage)

यह एक विवाद का प्रश्न है कि श्रमिकों की मजदूरी क्या होनी चाहिए। इसका समाधान करने के लिए प्रायः तीन प्रकार के प्रस्ताव दिये जाते हैं—(अ) श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दी जाय, (ब) श्रमिकों को न्यायपूर्ण या उचित मजदूरी दी जाय तथा (स) श्रमिकों को जीवन या पर्याप्त मजदूरी दी जाय। अब प्रश्न यह है कि न्यूनतम मजदूरी, न्यायपूर्ण मजदूरी व जीवन मजदूरी से तात्पर्य क्या है?

१ न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage)

न्यूनतम मजदूरी वास्तव में न्यूनतम गढ़ अधिक महन्यवृण है जिसका वाचिक अर्थ है—कम से कम। मुद्रा की जो कम से रुप राति मजदूर ने मिलनी चाहिए वह न्यूनतम मजदूरी होती है। यह राशि सरबार द्वारा निश्चित हो सकती है जिसका अन्त संसदाओं, जैसे—मजदूर सघ व सेवायोजक सघ आदि द्वारा भी। मासून्न और परिणामस्वरूप भी इनकी मात्रा निश्चित हो सकती है। मारत सरदार या नियुक्त न्यायपूर्ण मजदूरी समिति ने न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा इस प्रकार दी है— न्यूनतम मजदूरी न केवल जीवन-निर्वाह के लिए बल्कि वायद्युशलता वा बनाय रखने के लिए भी पर्याप्त होनी चाहिए। इस उद्देश्य से इसमें कुछ शिक्षा, स्वास्थ्य सबधो आदयकाना। और अन्य सुविधाओं का व्यय सम्मिलित होना चाहिए।¹

उपरोक्त परिभाषा स्पष्टतम भारत की निर्यतता को द्यात्र म रखकर बनाई गई है, परन्तु प्रत्येक देश भ यह न्यूनतम सीमा लागू नहीं हो सकती। रोटटी न न्यूनतम मजदूरी को इस प्रकार परिभासित किया है— “न्यूनतम मजदूरी के द्वारा देवल जीवित रहने का व्यय मात्र नहीं मिनता, बल्कि इसका उत्ते य उन नुस-मुरिदाना वो उपत्यक कर है जिनमें अच्छी आदतो का तिराण होता है, आत्म सम्म न वे भाव का विसाम होता है

¹ Report of the Fair Wage Committee, pp. 8-9.

और समाज के किसी कार्य को करने वाले व्यक्तियों का सम्मान बढ़ता है।”¹

न्यूनतम मजदूरी का महत्व या उद्देश्य

किसी देश में न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने की अत्यत आवश्यकता होती है। इससे बेवल श्रमिक वर्ग ही नहीं बल्कि सपूर्ण समाज लाभावित होता है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1 न्यूनतम मजदूरी व सामाजिक न्याय : श्रमिक एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी के रूप में श्रमिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक है। इसके लिए वह उचित है कि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी जाय।

2 अम-शोषण पर प्रतिबध मजदूरों की सौदा करने की शक्ति कम होती है। अतः इस बात की अधिक सभावना रहती है कि उसका शोषण हो अर्थात् जो उसे मिलना चाहिए वह न मिले। न्यूनतम मजदूरी से श्रम के शोषण पर कुछ प्रतिबध लगेगा।

3 श्रमिकों के स्वास्थ्य को रक्षा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दने से श्रमिक व आयितों को कुछ सीमा तक भोजन, वस्त्र, आवास व शिक्षा आदि मिल सकेगा। इस प्रकार उसके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। उत्तम स्वास्थ्य श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि करेगा।

4 औद्योगिक शाति की स्थापना : औद्योगिक शाति का सबसे बड़ा कारण कम मजदूरी का मिलना होता है। मालिक वर्ग श्रमिकों को उचित मजदूरी न देने के फलस्वरूप श्रमिकों के लिए जिन दयनीय परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं, उनसे विवश होकर श्रमिक अपने को एक वर्ग के रूप में समर्थित करने को चाह्य होता है और उसमें क्रातिकारी विचारों का जन्म होता है, योकि जो जल्याचार श्रमिकों के ऊपर होता है उसे सहन करने की भी एक सीमा होती है। अत यह जावश्यक है कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी जाय ताकि क्रातिकारी विचार न पर्वे और देश में औद्योगिक शाति बनी रहे।

5 उत्पादन में वृद्धि न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों के हाप्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सेवायोजकों के लिए भी हितकर है। न्यूनतम मजदूरी से श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा होती है और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप उत्पादन भी बढ़ जाता है। उत्पादन बढ़ने से अतत मालिकों को ही लाभ होता है।

मालिकों को इस रूप में भी लाभ होता है जिसके विशेष में समान न्यूनतम मजदूरी निश्चित हो जाने से उस उद्योग की सभी फसों में उत्पादन लागत समान हो जायेगी।

एक उद्योग विशेष में समान न्यूनतम मजदूरी होने से एक उपक्रम से काम छोड़-

¹ Rowntree : A Study of Town Life, quoted by U. P. Labour Enquiry Committee.

कर अधिक मजदूरी के लालच से दूसरे उपकम में जने जाने की प्रवृत्ति भी श्रमिकों में कम हो जायेगी।

6 अन्य उद्देश्य . उपरोक्त उद्देश्यों के वित्तिरिक्त न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के कुछ अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं । जैसे—

(अ) सेवायोजकों के बीच प्रतिसंघर्ष को हटाना ।

(ब) श्रमिकों के भव्य पारस्परिक प्रतिसंघर्ष की भावना को समाप्त करना ।

(स) कुशल उत्पादकों का उन्मूलन करना ।

(द) थम-सगठन को सुदृढ़ बनाना ।

न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने में कठिनाइया

(Difficulties in Fixing Minimum Wage)

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सामाजिक न्याय व श्रमिकों के कल्याण की दृष्टि व औद्योगिक शांति को बनाये रखने के लिये न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण आवश्यक है । परन्तु श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सबधी विचार बहुत ही जटिल हैं क्योंकि न्यूनतम मजदूरी निश्चित करना बहुत कठिन है ।¹ कारण यह है कि स्थान स्थान उत्तर-उत्तर, समय-समय और यहाँ सक कि अधिक श्रमिक व स्त्री पुरुष के गवध में दशाए जसमान हैं । सक्षेप में न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने में निम्नलिखित कठिनाइया सामने आती हैं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है

1 मनदूरो का जीवन-स्तर यदि न्यूनतम मजदूरी से हमारा नात्यं उम मजदूरी से है जो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो सके तो हमें यह देखना होगा कि मजदूरो का जीवन-स्तर क्या है । उत्तर प्रदेश थम जाच समिति(1946) ने चार प्रकार के जीवन-स्तरो— निर्धनता स्तर' (Poverty level), 'न्यूनतम निर्वाह स्तर' (Minimum Subsistence level), निर्वाह से अधिक स्तर' (Subsistence plus level) और 'आराम स्तर' (Comfort level) पर विचार किया था । निर्धनता स्तर से अभिप्राय उस स्तर में है जो भौतिक कुशलता स्थापित रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं तक पूरी करने में असमर्थ है । न्यूनतम निर्वाह स्तर का तात्पर्य यह है कि कुल आय केवल भौतिकी कुशलता को स्थापित रखने के लिए ही पर्याप्त है । निर्वाह म अधिक स्तर में आशय यह है कि आय न केवल भौतिक अस्तित्व के लिए पर्याप्त है बल्कि इसमें कुछ प्रारम्भिक, सामाजिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सकती है । आराम स्तर का अर्थ है कि आय आराम से जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त है । इसके अतर्पं एक पर्यादित साज-सामान वाला घर, मनोरजन के लिए पर्याप्त धन की उपलब्धता, बच्चों के लिए उच्च शिक्षा, पीटिंड भोजन और और्वाध्या सम्मिलित हो सकती हैं । समिति न यह न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के हेतु निर्वाह से अधिक के स्तर का आधार मानने वे निए सुझाव दिया है । समिति ने जिस स्तर का मुकाबला दिया है वह न्यायोचित प्रतीत होता

1. S. B. L. Nigam : State Regulation of Wages, 1955.

है। यदि भारत में न्यूनतम मजदूरी के आधार के रूप में यदि निर्वाह से अधिक स्तर को अपनाया जाय तो यह भारतीय श्रमिकों की जीवनशक्ताएँ सुनुष्ट कर सकेगा और उनके औसत स्वास्थ्य एवं कुशलता को सुरक्षित रखेगा।

2 जीवन निर्वाह लागत : किसी देश या स्थान में जीवन निर्वाह लागत क्या है, यह बहुत कुछ कीमत-स्तर पर निर्भर होता है। चूंकि प्रत्येक स्थान पर कीमत स्तर अलग-अलग होता है। अतः सबके लिए मजदूरी की एक दर ठीक नहीं हो सकती; कानपुर में मजदूरी की दर निश्चित रूप से गाव भी दर से अधिक रखनी होगी। सब स्थानों की कीमत-स्तर व उनमें होने वाले परिवर्तनों का पता लगाना एक दुष्कर कार्य है। यही नहीं, कीमतों में निरतर परिवर्तन होने रहते हैं जिनके कारण भी जीवन निर्वाह लागत' निश्चित करना बड़ा हो जाता है। इस वाद्यय के लिए समय-समय पर जीवन लागत निर्देशक तैयार करने चाहिए और इसमें होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ही न्यूनतम मजदूरी में समायोजन किया जाना चाहिए।

3 परिवार का आकार न्यूनतम मजदूरों निश्चित करते समय परिवार के आकार वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। परतु परिवार का आकार क्या हो, इस सदृश में विचारकों में काफी मतभेद है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि श्रमिक के परिवार में उसकी पल्ली और तीन आवश्यक छच्छों को एक परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जा सकता है। श्रमिकों द्वारा न्यूनतम मजदूरी निश्चित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मजदूरी इतनी पर्याप्त हो कि न बाढ़ल श्रमिक को बत्सि उसके परिवार को भी सभ्य जीवन का एक उचित भौतर प्राप्त हो सके।

4 न्यूनतम मजदूरी दर श्रमिकों व जीवन स्तर और परिवार का औसत आकार मालूम हो जाने पर भी श्रमिक के लिए एक 'न्यूनतम मजदूरी दर निश्चित करना' कोई सरल काय नहीं है। अतर्राष्ट्रीय धर्म कार्यालय ने इस सदृश में दो विधिया सुझायी हैं—प्रथम विधि शरीर रखना-शास्त्रियों स्वास्थ्य शास्त्रियों व अन्याम विदेशीजो आदि के द्वारा मानक (Norms) नियार करना है और द्वितीय विधि आय के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न जनमन्या वर्गों के लिए स्टेंडिंग ब्रेंट बनाना है। यदि दोनों ही विधियों वो मयूरत रूप से कार्य में लाया जाय तो न्यूनतम मजदूरी दर के निवारण में बहुत सुविधा हो सकती है।

परतु यह उल्लेखनीय है कि न्यूनतम मजदूरी किसी भी शिविर में श्रमिक की उत्पादनता से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि न्यूनतम मजदूरी श्रम की उत्पादकता में अधिक है तो, प्रशिक्षण व उत्पादन की संवीक विधियों को उपनिवृत्त यह प्रतास हिता जाना चाहिए कि श्रमिकों की उत्पादकता बढ़े।

5 उद्योग की क्षमता न्यूनतम मजदूरी जो निश्चित बनने में पहले यह दात ध्यान में रखता भी आवश्यक है कि एक उद्योग विदेशी की मजदूरी मुगलान करने की क्षमता कितनी है। योद्द न्यूनतम मजदूरी किसी उद्योग व लिए भारतवर्ष है तो वह उद्योग भी समाप्त हो जायगा।

6 निर्मित वस्त्रभ कीमत न्यूनतम मजदूरी निश्चित बनने की वात

ओनकारी भी आवश्यक है कि न्यूनतम मजदूरी का निमित वस्तु की कीमत पर क्या असर पड़ना है। यदि इसमें कीमत में बढ़ि हो जाती है तो मध्यवर्ती का बाजार ही समाप्त हो जाए अथवा उत्तरीता की कठिनाइया दड जाए महं दोनों ही बातें वेद के लिए हानिप्रद हैं।

7. न्यूनतम मजदूरी की लागू करने की व्यवस्था फ्रेल न्यूनतम मजदूरी मध्यभी निमित वनाना ही पर्याप्त नहीं होता ताकि १०८ उचित व्यप संग्राहित किया जाना चाहिए। उचित महं होया कि केंद्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का उत्तरदायित अपने घटर ले और निर्धारित मजदूरी विभिन्न उद्योगों में लागू करने का काम राज्य सरकार का हो।

भारतवर्ष में औद्योगिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के संघर्ष में आने वाली बठिनाइयों के सदर्श में कानपुर श्रम-जाव समिति न रहा था 'नियूनतम मजदूरी निर्धारित करने के हमें जीवनयापन की लागू १०८ विवाह सरका पड़ना है, हमें स्तर का निष्ठनय करना पड़ना है, परतु यह कोई नरत व्यय नहीं है। समस्या वे दोरी-रचना मध्यभी सामाजिक एवं वातावरण मध्यभी सभी व ना पर सतकनापूर्वक विवाह करना पड़ता है, आकड़े मध्यह करने पड़ते हैं आवश्यक मदा का चुनाव करना पड़ता है और हन्हे गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों दोनों दोनों में सभी श्रद्धी मूल्याङ्कन करना पड़ता है। यह ०-५ जिल कार्य है जिसके लिए धैर्य नियूनता और जिन वर्गों के लिए जीवनयापन लागत की गणना की जा रही है उनके विषय में समृद्धि जानकारी की आवश्यकता है। स्वयं पारिवारिक इकाई को परिभाषित एवं निर्धारित नहीं पड़ता है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में यह उद्देश्य पूरा होना सरल नहीं है। सोगों की परपराओं और सामाजिक प्रथाओं का सम्मान करना आवश्यक है।' न्यूनतम मजदूरी परामर्श समिति की सिफारिशी और विभिन्न औद्योगिक ट्रिभ्युनलों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ सामान्य सिद्धात बनाए हैं जिन्हे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरियों निर्धारित करते समय ध्यान में रखना आवश्यक है।

आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी

(The Need-based Minimum Wage)

जुलाई 1957 में भारतीय श्रम अधिवेशन के नयी नियमों में १०८ १०८ अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कहा गया कि 'न्यूनतम मजदूरी आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए और इसे औद्योगिक श्रमिकों की न्यूनतम मानदीय आवश्यकता पूरी करने में समर्प होना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी समिति ने मजदूरी वोई अधिनियमिकों द्वारा सभी मजदूरी निधारिक प्राधिकारियों ने मार्गदर्शन के लिए निम्न-नियम मानक (Norms) हीकृत तियों गये हैं—

(अ) न्यूनतम मजदूरी की गणना करने में प्रमाणित श्रमिक परिवार के अन्तर्गत प्रत्येक कमाने वाले शीन उपभोग इकाइया सम्मिलित की जानी चाहिए। (ब) न्यूनतम आवश्यकता ओं की गणना डॉ० एकोपड़ द्वारा औसत भारतीय वरस्त के

लिए सुझाये गये केलोरीज संबंधी शुद्ध अंतर्घर्वहन के आधार पर की जानी चाहिए। (स) आवास के सर्दमें मे सरकारी औद्योगिक आवास-योजना के अधीन जिस न्यूनतम क्षेत्रफल का आयोजन किया गया है उसके फिराये के बराबर धनराशि को न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने मे विचार मे लेना चाहिए। (द) वस्तु सबंधी आवश्यकताओं का अनुमान प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष 18 गज के उपभोग के आधार पर लगाना चाहिए। (य) इंधन, प्रकाश एवं अन्य विविध व्यय कुल न्यूनतम मजदूरी के 20% के बराबर होने चाहिए। प्रस्ताव मे यह भी कहा गया कि जहाँ न्यूनतम मजदूरी उपर्युक्त मानको से कम निर्धारित की गई हो, वहाँ सबंध प्राधिकारियों के लिए अनिवार्य होगा कि वे इस कमी के औद्योगिक स्पष्ट करें। इस प्रकार न्यूनतम मजदूरी सबंधी धारणा को एक ठोस रूप देने का प्रयास इस प्रस्ताव द्वारा किया गया। प्रस्ताव मे जो मानक निश्चित किये गये हैं उनका ध्यान मजदूरी बोड़ अपनी सिफारिशों देते समय रखता है।

न्यूनतम मजदूरी की प्रणालिया

न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण की दो निम्नलिखित प्रणालियाँ हैं—

(अ) परोक्ष प्रणालियाँ : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की आवश्यकता को अनुभव करते हुए सरकार परोक्ष रूप मे अनेक कार्य कर सकती है; सर्वप्रथम सरकार को अपने शासकीय विभागों मे कार्यरत श्रमिको के लिए न्यूनतम मजदूरी दर निश्चित करनी चाहिए। ऐसा करने से निजी उद्योगों व व्यवसायों मे श्रमिको के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर निश्चित कर दी जाती है। परोक्ष डग से न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का एक तरीका यह भी है कि जब सरकार किसी वार्ष वे ठेके पर पूरा कराती है तो उसे ठेकेदार के साथ हुए अनुबंध मे यह शर्त लिखदा लेनी चाहिए कि वे श्रमिको को वही मजदूरी देंगे जिसका उल्लेख अनुबंध मे किया गया है। इस शर्त को 'उचित मजदूरी' उपचारण कहा जाता है जिसके अतिरिक्त वार्षिक मजदूरी की दरें, कार्य के घटे व कार्य की दिशाओं का उल्लेख रहता है।

(ब) प्रत्यक्ष प्रणालिया : न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए सरकार निम्न-निश्चित प्रत्यक्ष विधिया अपना सकती है—

(i) स्थायी न्यूनतम मजदूरी विधि इस विधि के अतिरिक्त राज्य जिन उद्योगों के जिस प्रकार के श्रमिको के लिए मजदूरी की एक न्यूनतम नीमा निर्धारित करना चाहता है, निर्धारित करके उसे कार्यान्वयन करने के लिए उद्योग विशेष के संवायोजको को आदेश दे सकता है। यदि राज्य यह चाहता है कि देश के गभी उद्योगों, समस्त क्षेत्रों व मध्य प्रकार के श्रमिको के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी जाए तो उम चाहिए कि सभी उद्योगों के सभी प्रकार के श्रमिको के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें निश्चित कर से और इस योजना को कार्यान्वयन करने के लिए नियम बनाकर उसे सभी स्थानों के सभी उद्योगों मे लागू कर दें। परतु इस विधि को कार्यान्वयन करने मे बहुत-सी कठिनाइया हैं इसलिए उसे कही भी अपनाया नहीं जाता।

(ii) मजदूरी मञ्चियाँ निपुणत करना : न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने के

मिस्ट्रो प्रकार की मठलिया हो सकती हैं—प्रथम तो वे जो स्वयं मजदूरी की दर निर्धारित नहीं करतीं बल्कि केंद्रीय अधिकारी को मजदूरी की दर निर्धारित करने में परामर्श देती हैं। इन मठलियों में श्रम व पूजी दोनों के प्रतिनिधि रहते हैं। दूसरी वे मठलियां जिनका प्रमुख कार्य मजदूरी का निर्धारण करना होता है और वे काम के घटों, उद्दिष्ट आदि का भी नियमन करते हैं।

(iii) समझौता व्यवस्था व पच-निर्माण न्यूनतम मजदूरी की दर के निर्धारण में समझौता व्यवस्था तथा निर्णय का भी सहारा लिया जा सकता है। इनका प्रमुख उद्देश्य श्रम व पूजी के दोनों हुए सघबों को समाप्त करना व उचित मजदूरी का निर्धारण करना होता है।

2. निर्वाह या पर्याप्त मजदूरी

(The Living Wage)

निर्वाह मजदूरी से हमारा आशय कम से कम इतनी मजदूरी से है जो कि इसी अभिक की अनिवार्यताओं व आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। निर्वाह मजदूरी की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्न हैं—

(1) डिलिज आस्ट्रेलिया की औद्योगिक सहिता सन् 1920 : निर्वाह मजदूरी में आशय यह है कि अभिक को कम से कम इतना पारिश्रमिक तो अवश्य मिलना चाहिए कि यिस द्वेष में वह नियुक्त हो वहा की सामान्य दशाओं के अनुसार वह अपनी उचित व सीलिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो सके।"

(ii) कॉमन-वेल्फ मध्यस्थ न्यायालय : निर्वाह मजदूरी से अभिश्राव यह है कि अभिकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक समाज के मध्य नागरिक वे रूप में सामन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा चाहिए।'

(iii) उचित मजदूरी समिति 'निर्वाह मजदूरी वह राणि है जो न देवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है बल्कि स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा की भी व्यवस्था करती है वर्षात् उसके द्वारा सामान्य मुक्त-सुविधाओं, बच्चों की शिक्षा धीमारी में इनाज, सामाजिक आवश्यकता और वृद्धावस्था इत्यादि प्रधान आपनियों में सुरक्षा का भी प्रबन्ध होता है।'

समिति ने यह भी कहा कि इस प्रकार की मजदूरी का निर्धारण राष्ट्रीय आय एवं उद्योग को क्षमता को व्याप में रखकर ही किया जा सकता है। समिति ने यह मत व्यक्त किया है कि पर्याप्त निर्वाह मजदूरी की अतिम लक्ष्य बनाना चाहिए— 'यह सामान्यतया स्वीकृत किया जाता है कि हमारी गण्डीय आय के बत्तमान मत्र की दृष्टि में अधिक उच्चत देशों में प्रचलित मानकों पर निर्वाह मजदूरी का मुगलान नहीं चिरा जा सकता।'

यह उन्नेस्चनीय है कि मजदूरी का लक्ष्य किसी एक समय पर एक व्याप या नियम मान रह सकता है वयोंकि बदलती हुई दशाएं और रहन सहन उच्चतर सामा य स्तरों की उपलब्धि निर्वाह मजदूरी के सक्षय को एक अधिक ऊंचे मत्र पर बद आये।

बढ़ा सकती है और इस प्रकार निर्वाह मजदूरी एक अभिष्ट या अनिष्ट लक्षण है जिसको प्राप्त करने के लिए मद्देब प्रयत्नशील रहना चाहिए।

स्पष्ट है कि जीवन मजदूरी न्यूनतम मजदूरी में कही अधिक होगी परन्तु इन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उद्योगपति के लिए उसका देना सभव भी है या नहीं। न्यायपूर्ण मजदूरी वही कहला सकती है जो न केवल मजदूरी बल्कि उद्योगपति के लिए भी लाभदायक एवं व्यावहारिक हो।

3 न्यायपूर्ण व उचित मजदूरी / (Fair Wages)

न्यायपूर्ण मजदूरी की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है क्योंकि प्रत्येक देश की आर्थिक व सामाजिक परिस्थितिया भिन्न होती है जिस यह समव है कि एक देश के लिए जो मजदूरी उचित हो वही किसी अन्य देश के लिए नुचित हो। बस्तुत उचित मजदूरी का निर्धारण विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न उद्योगों की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। उचित मजदूरी की परिभाषा के मवधों में निम्नलिखित मत उल्लेखनीय है—

1 मार्शल 'किसी उद्योग में मजदूरी का औचित्य (Fairness) उद्योग के मजदूरी के स्तर को देखकर मालूम किया जा सकता है। यदि थम भी माम को स्थिर मान लिया जाए तो उचित मजदूरी उसे लहंगे जो दूसरे धधों में लगे उस थम के मूल्य के बराबर होती है जिस प्र समान कठिनाई परेशानी होती है और जिसके करने के लिए समान प्राकृतिक दक्षता और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।'

2 पीगू के अनुसार, 'एक ही प्रकार के श्रमिकों को एक ही प्रकार के व्यवसाय में तथा आस-पीस के क्षेत्रों में मजदूरी की जो चालू दर दी जाती है उसी चालू दर (Current Rate) के बराबर ही मजदूरी की दर के होन पर उसे उचित कहा जाएगा। यह परिभाषा सुनुचित इष्टकोण से दी गई है। हमके विपरीत सपूर्ण देश में और अधिकांश व्यापारों में समान कार्यों के लिए जब समान ही मजदूरी की दर प्रचलित होती है तो पीगू विस्तृत इष्टकोण से उस दर को उचित मानते हैं।'

3 एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज उचित मजदूरी स नातर्यं उस पारितोषण द्वा है जो कि श्रमिकों को समान कुशलता कठिनाई अथवा अनुचित कार्य के प्रति फलस्वरूप दिया जाता हो। स्पष्ट है मजदूरी इस बात पर आधारित है कि मजदूरी निर्धारित करने वाली संस्था के सम्मुख कोई आदर्श या प्रमाणित स्तर है जिसके अनुसार मजदूरी निश्चित की जाती है।'

इस प्रकार हम देखते हैं कि उचित मजदूरी के सबध में कोई भी एक मर्वमान्य

1. Quoted by Pigou : The Economics of Welfare, p 550

2. Pigou : The Economics of Welfare, p 550

3. Encyclopaedia of Social Sciences, p 523.

इस पूर्ण परिभाषा नहीं है। उचित परिभाषा के आधार पर हम एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह वह सकते हैं कि उचित मजदूरी वह मजदूरी है, जिससे श्रमिक के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और सामाजिक स्तर के अनुसार श्रमिक व्यपना रहने सहन का स्तर बनाए रखकर जीवन को सुखी बना सके।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त उचित मजदूरी समिति ने एक न्यूनतम और एक निर्याह मजदूरी के मध्य अंतर किया है और बताया कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारित मजदूरी से ऊपर तथा निर्धारित मजदूरी में नीच होनी चाहिए। इसने यह निश्चित विचार कि जब न्यूनतम मजदूरी स्पष्टतया उचित मजदूरी की न्यूनतम सीमा है, इसकी उच्चतम सीमा सामान्य रूप से उद्योग की भुगतान-क्षमता के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए। इन दोनों सीमाओं वे द्वीच वास्तविक मजदूरी निम्न वातां वो प्रयान में रखकर निश्चित की जानी चाहिए—(अ) थम की उत्पादकता (ब) उसी उद्योग व्यवस्था परों के उद्योग में प्रचलित मजदूरी की दर, (स) राष्ट्रीय आय का स्तर (द) राष्ट्रीय काष के विवरण, (य) देश की गर्थव्यवस्था में उद्योगों का स्थान।

जिन श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी निश्चित करनी है उनके परिवार के आधार के सबध में समिति ने पारिवारिक बजट अनुमानों के परिणामों का अनुसरण करते हुए परिवार को तीन उपभोग इकाइयों के सदृश माना है। समिति ने यह भी पारम्परिश दिया है कि केवल उन्हीं उद्योगों के लिए जिनके सबध में सरकारें उचित मजदूरी निर्धारित करना आवश्यक समझती हैं और केवल सुपरवाइजरी स्तर तक क कम-चालियों तक के लिए उद्योग एवं क्षेत्र के आधार पर उचित मजदूरी निश्चित की जानी चाहिए।

उचित मजदूरी का निर्धारण

(Determination of Fair Wages)

यद्यपि सेंडातिक दृष्टि से उचित मजदूरी की परिभाषा सरल व स्पष्ट है किन्तु व्यवहार में उचित मजदूरी के निर्धारण में निम्नलिखित प्रमुख कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है—

1. उद्योग की भुगतान-क्षमता के निर्धारण में कठिनाई उचित मजदूरी समिति ने अपने प्रनिवेदन में यह उल्लेख किया है कि उचित मजदूरी वो अधिकतम सीमा उद्योग की भुगतान-क्षमता पर आधारित होनी चाहिए। सेंडातिक दृष्टि से यह बात ठीक भी प्रतीत होती है कि किसी उद्योग की उत्पादकता ही वह स्रोत है जिसमें से पार्टीरियों का भुगतान किया जाता है और उद्योग की वहन-क्षमता वो कैसे नहीं हो सकती। परंतु प्रश्न यह उठता है की उद्योग की भुगतान-क्षमता वो कैसे मापा जाए। कुछ व्यक्तियों का विचार है कि एक क्षम विशेष के उद्योग विशेष वी दृश्यतान क्षमता ही इसके निर्धारण की आधारभूत कसौटी होनी चाहिए और उस क्षेत्र के व्यवसंग जाने वाली समस्त औद्योगिक इकाइयों में भी इसी आधार पर सामान्य पार-

सौधध की व्यवस्था होनी चाहिए। इस विचारधारा के सबध में उचित भजदूरी समिति के निम्नलिखित दब्द स्मरणीय हैं : “हमारा विचार तो यह है कि उद्योग की मुगतान-क्षमता का निर्धारण करने के लिए किसी विशिष्ट इकाई अथवा देश के समस्त उद्योगों की क्षमता का आधार मानना बुटिपूर्ण होगा। न्यायोचित आधार तो यह होगा कि निर्धारित क्षेत्र के किमी विशिष्ट उद्योग की क्षमता को आधार माना जाय और जहाँ तक सभव हो सके, उस क्षेत्र की समस्त सबधित औद्योगिक इकाइयों के लिए समान भजदूरी निश्चित करनी चाहिए। स्पष्टतः भजदूरी निर्धारण करने वाले बोर्ड के लिए प्रत्येक औद्योगिक इकाई की मुगतान-क्षमता का माप करना सभव न होगा . . . ”

सामान्तर्य यह कहा जाता है कि शुभ लाभ किसी उद्योग के मुगतान-क्षमता का सर्वोत्तम सूचक है। परतु इस कसीटी में भी अनेक कठिनाइयों का आना स्वाभाविक है। भूत्य-हास-फंड (Depreciation Fund) तथा अन्य विविध प्रकार के बोर्डों की मात्रा को बढ़ाकर वास्तविक लाभ की मात्रा को बाम किया जा सकता है। उद्योग से सबधित अन्य विविध प्रकार के व्ययों के सबध में भी सामान्य कठिनाई उपस्थित हो सकती है। परिणामतः जब लेखों में व्यवसाय के सही शुद्ध लाभ वा अनुमान नहीं लग सकता तो उसके आधार पर निर्धारित भुगतान-क्षमता भी सही नहीं होगी। इसलिए उचित भजदूरी समिति ने यह सुझाव दिया है कि उचित भजदूरी को प्रचलित भजदूरी की दरों से सबधित करना अधिक हितकर होगा।

उद्योग की मुगतान-क्षमता को मापने के प्रमुख आधार निम्नलिखित हो सकते हैं—

(अ) उद्योग की लाभ-हानि : इस सिद्धात के अनुसार लाभ की एक निश्चित मात्रा को आधार मान लिया जाता है जिसके अनुसार भजदूरी की एक नियत दर निर्धारित कर दी जाती है। यदि लाभ की दर उस नियत दर से बढ़ती है तो इसका तात्पर्य यह होगा कि उद्योग की मुगतान-क्षमता में वृद्धि हुई है और उसी अनुपात में श्रमिकों की भजदूरी में भी वृद्धि की जा सकती है। इसके विपरीत यदि नियत लाभ की तुलना में वास्तविक लाभ की दर गिरती है तो यह उद्योग की मुगतान-क्षमता में कमी का प्रतीक होगा और इसी अनुपात में भजदूरी की दर को घटा देना चाहिए।

(ब) उत्पादन मात्रा उद्योग के उत्पादन की एक मात्रा निश्चित करके फिर उसमें वृद्धि या कमी से भी क्रमशः उद्योग की मुगतान-क्षमता में वृद्धि या कमी का अनु-मान लगाया जा सकता है। व्यवहार में पह सिद्धात अधिक लोकप्रिय नहीं है क्योंकि श्रमिकों द्वारा अधिक परिश्रम करने पर भी उत्पादन की मात्रा में अन्य कारणों से कमी आ सकती है।

(स) उद्योग का क्य मूल्य : लाभ की भाति वस्तुओं के क्य मूल्य का भी एक केंद्र-विद्यु नियत किया जा सकता है और उसमें वृद्धि या कमी के अनुपात में उचित भजदूरी की दर में भी वृद्धि या कमी की जा सकती है। व्यवहार में यह सिद्धात उपभोक्ता के हितों के विश्वद सिद्ध हुआ है।

(द) वेरोजगारी . इस सिद्धात के अनुसार वेरोजगारी का एक स्तर मान लिया

जाता है और पारिश्रमिक की दर भी निर्धारित कर ली जाती है। फिर वेरोजगारी के स्तर में कमी या वृद्धि कमता उद्योग की देय-क्षमता में वृद्धि या कमी का प्रतीक समझी जा सकती है। परतु यह सिद्धात भी न्यायपूर्ण नहीं है क्योंकि वेरोजगारी के निया बहुत से कारण उत्तरदायी हो सकते हैं और यह कहना सदैव सत्य नहीं होता कि वेरोजगारी में वृद्धि का एक मात्र कारण उद्योग की मुगातान कमता में कमी ही है।

2 औद्योगिक उत्पादकता का निर्धारण : यद्यपि उचित मजदूरी का अम की उत्पादकता से भी गहरा संबंध है, परतु कुल औद्योगिक उत्पादकता के बहुत अम की उत्पादकता (कार्य-क्षमता) पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि औद्योगिक उत्पादकता पर प्रबन्ध-क्षमता, वित्तीय तकनीकी कुशलता आदि का भी प्रभाव पड़ता है। इन अन्य बातों का अधिकों से कोई संबंध नहीं होता परतु फिर भी उत्पादकता पर इनका प्रभाव पड़ता है। यह भी सभव है कि गिरी हुई उत्पादकता का कारण स्वयं न्यून मजदूरी की हो। अत उत्पादकता की मात्रा का निर्धारण करते समय इसको प्रभावित करने वाले समस्त पटकों को ध्यान में रखना चाहिए।

3 उचित मजदूरी को लायू करने ये कठिनाई उचित मजदूरी का निर्धारण करने के बाद उसको क्रियान्वित करने में बहुत की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनका समाधान सरल नहीं है। उचित मजदूरी को क्रियान्वित करने के लिए उचित मजदूरी समिति ने मजदूर बोडी की स्थापना का समर्थन किया है। इसने यह मिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक प्रादेशिक बोर्ड होना चाहिए जिसमें स्वतंत्र सदस्य और समान संख्या में सेवायोजकों और अधिकों के प्रतिनिधि हो। इस बोर्ड के अनिरिक्त मजदूरी नियमन के लिए चुने गए प्रत्येक उद्योग के लिए एक क्षेत्रीय बोर्ड भी होना चाहिए। अत मे 'सेप्टेम्बर अपीलेट बोर्ड' होना चाहिए जिसके पास मजदूरी बोर्डों के विशद अधीन की जा सके।

निष्ठाएँ, भारत में उचित मजदूरी के निर्धारण की आवश्यकता अरपन ही प्रवल है परतु यह बात ध्यान देने योग्य है कि कोई भी मजदूरी अधिक वर्ग के नियंत्रण तक उचित न होगी, जब तक कि वह निर्वाह मजदूरी न हो। यह अधिकों का मौलिक आधार है जिसे स्वीकृति मिलनी ही चाहिए।

यह उल्लेखनीय है कि न्यूनतम, उचित एवं निर्वाह मजदूरियों की घारणाओं को एक-दूसरे से पूर्णतया पृथक् नहीं मानना चाहिए। ३०० बी० बी० सिह के द्वारा मेरे, "जबकि देश में विकास की उच्चतर अवस्थाओं में मजदूरी स्तर निर्वाह मजदूरी के समान होने भी प्रवृत्ति रख सकता है विकास के दोष के स्तर पर निश्चित की गई न्यूनतम मजदूरिया उचित मजदूरी स्तर के अनुरूप हो सकती है। किसी देश में बास्तव में प्रचलित होने वाला मजदूरी का स्तर पर्याप्त सीमा तक आधिक विकास में स्तर पर निर्भर करेगा। फिर भी मजदूरी नियमन एवं मजदूरी निश्चित बरने वाली मशीनरी द्वारा किया गया कार्य पर्याप्त सीमा तक एक ऐसी मजदूरी का ढाना विकसित करने में, जो उचित है और साथ ही देश में आधिक किया के स्तर के अनुस्पत्त हो, समर्थ हो सकता है।"

उचित मजदूरी के सब्द में योजना आयोग का सुझाव : योजना आयोग ने उचित मजदूरी के सब्द में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं —

1 दरों का निर्धारण वैज्ञानिक आधार पर हो मजदूरी का निर्धारण काल्पनिक न होव र वैज्ञानिक आधार पर किया जाना चाहिए।

2 मजदूरी की दरों को प्रमाणीकरण योजना आयोग के सुझाव के अनुसार मजदूरी की दरों का प्रमाणीकरण जहाँ तक हो सके एक विस्तृत क्षेत्र में होना चाहिए।

3 स्थायी मजदूरी नियन्त्रण की स्थापना आयोग न स्थायी मजदूरी नियन्त्रण की स्थापना पर विद्यय रूप न बल दिया। इसकी स्थापना सरकार उद्योगपति व धा श्रमिकों तीनों मिलकर करें।

4 मजदूरी जीवन निर्बाह, मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिए योजना आयोग ने सुरक्षा कि श्रमिकों को जो मजदूरी दी जाती है वह किसी भी हालत में नीचन निर्बाह मजदूरी म कम नहीं होनी चाहिये।

5 उद्योगपति द्वारा सहयोग योजना आयोग ने यह सुझाव दिया कि प्रत्येक उद्योग में यूनतम मजदूरी अधिनियम का लागू किया जाय तथा इसमें उद्योगपतियों द्वा पूरा पूरा महगोग देना चाहिये।

6 प्राविडेण्टकण्ड योजना उद्योग में प्राविडेण्टकण्ड योजना भी लागू की जानी चाहिये जिसस श्रमिक इसका साभ उठा सकें।

7 लाभ-अशाभागित योजना लागू करना आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि जहाँ तक हो सके, विभि न उद्योगों में साभ अशाभागित योजना को लागू किया जाना चाहिये।

वैज्ञानिक न्यूनतम मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Statutory Minimum Wage Minimum Wage Act, 1948)

न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करने में हाल ही म कुछ ठोस प्रयास किए गए। मन 1928 मे अन्नराष्ट्रीय श्रम समिति ने न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी अपना प्रस्ताव पास किया। इसको मायता दने के निम्न शाही श्रम आयोग ने भारत मे श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने के प्रश्न पर विचार किया। परन्तु सन् 1946 तक इस सम्बन्ध मे कोई विशेष प्रयत्न नहीं हए। 11 अप्रैल 1946 को भारत सरकार के श्रम सदस्य डा० वी० आर० बाबूकर ने सभद मे न्यूनतम मजदूरी विधेयक पेश किया। यह विधेयक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के नाम से मार्च 1948 मे पास हुआ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wage Act, 1948)

विभि न उद्योगों मे श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने से सबधित अधिनियम की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कहते हैं जो मार्च सन 1948 मे पास किया गया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1 अधिनियम के उद्देश्य (Objects of the Act) इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश निम्नलिखित हैं :—

(i) श्रोदोगिक शान्ति देश में श्रोदोगिक संघर्ष होते रहने से श्रोदोगिक विकास की गति मन्द हो जाती है। अत इस अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य देश में श्रोदोगिक शान्ति बनाये रखना है।

(ii) श्रमिकों के जीवन स्तर से बढ़ि इस अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों के मजदूरी निश्चित कर दी जाती है जिसके फलस्वरूप श्रमिकों का जीवन स्तर ऊचा हो जाना है।

(iii) श्रमिकों के जीवण का अन्त इस अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी की निम्नतम सीमा निश्चित कर दी जानी है। अत नियोक्ता उसमें कम मजदूरी श्रमिकों को नहीं दे सकता। फलस्वरूप श्रमिकों के जीवण का अन्त हो जाता है।

(iv) राष्ट्रीय उत्पादन से बढ़ि इस अधिनियम ने एक उद्देश्य राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ि करना भी है अशार् श्रमिकों को जब निश्चित वेतन प्राप्त होने का आशकासन रहता है तो पूर्ण कार्यक्षमता से कार्य करने लगते हैं फलस्वरूप प्रति श्रमिक उत्पादन बढ़ जाने से राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ि होती है।

2 अधिनियम का क्षेत्र (Scope of the Act) यह अधिनियम देश के नगरभूमि में भी महत्वपूर्ण उद्योगों तथा व्यवसायों में लागू किया गया है तथा अन्य में लागू किया जायेगा। यह अधिनियम कौन-कौन से उद्योगों में लागू होगा इसकी मूली इसमें दी गयी है। यह अधिनियम निम्नलिखित उद्योगों में लागू कर्या जाएगा।

(1) कृषि उद्योग (Agriculture), (2) लाख बनाने का काम (Lax Manufactories), (3) तेल की मिलें (4) अश्रक का उद्योग, (Mica Works), (5) पत्थर तोड़ना, (Breaking), (6) तम्बाकू बनाना (7) छन्नी बालीन बनाना या शाल बुनने के कारखाने, (8) सरकारी मोटर परिवहन (Public Motor Transport), (9) मटक निर्माण नायम रखना अथवा सुधार, (10) टनरी अथवा चमड़ा बनाने का काम (Tanneries or Leather Manufactories), (11) जाटा चावल या दाल मिल, (12) रबर जाय कॉफी सिनकाना आदि के बाग, (13) स्थानीय सस्थानों के आधीन कोई कार्य आदि।

3 मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम व अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों एवं श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त सरकार निम्न लिखित दरों निर्धारित बर गती है— (i) गमयानुसार मुगलाने के लिए मजदूरी की एक न्यूनतम दर जिसे इस अधिनियम से न्यूनतम समय दर कहा जायेगा। (ii) कार्य-नुसार मजदूरी के लिए मजदूरी को एक न्यूनतम दर जिसे कार्यानुसार न्यूनतम दर कहा जायेगा। (iii) पुरस्कार की वह न्यूनतम दर जो कि उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो कार्यानुसार मजदूरी मुगलाने के आधार पर नियुक्त किये गये हैं। इस दर का उद्देश्य उन्हें समयानुसार कार्य के आधार पर एक न्यूनतम दर दिलाना है जिसे गारंटी दर कहेंगे। (iv) अधिक समय कार्य दरने के सबसे में एक न्यूनतम दर जिसे अधिक समय

दर कहा जायेगा। उपयुक्त सरकार द्वारा मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित एवं सशोधित करते समय निम्न के लिए अलग-अलग दरें निश्चित की जा सकती हैं—
 (क) विभिन्न अनुसूचित रोजगारों के लिए, (ख) एक ही अनुसूचित रोजगार वी विभिन्न क्रियाओं के लिए, (ग) प्रोड-युवा-बालक और काम सीखने वालों के लिए तथा
 (घ) विभिन्न स्थानों के लिए।

निम्न विसी भी मजदूरों अवधि के आधार पर मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण किया जा सकता है—(अ) घटों के आधार पर, (ब) प्रतिदिन के आधार पर, (स) महीने के आधार पर, अथवा (द) किसी अन्य बड़ा अवधि वे आधार पर जो इस अधिनियम में प्रादिष्ट की जाय।

4 मजदूरियों की न्यूनतम दर अनुसूचित रोजगारों के सबध में उपयुक्त सरकार द्वारा निश्चित या सशोधित की गई मजदूरी सबधी न्यूनतम दरों में निम्नलिखित नौ सम्मिलित किया जा सकता है—(१) जीवन यापन भत्ते सहित अधिवा रहित मजदूरी की आधार दर तथा आवश्यक वस्तुओं की रियायती विक्री की रियायती का नकद मूल्य। (२) मजदूरी की आधार दर तथा विशेष भत्ता जिसकी दर का समायोजन ऐसे मध्यातरों व ऐसी रीति से किया जायेगा जो उपर्युक्त सरकार निर्देश करे। (३) एक कुल दर जिसमें मजदूरी की आधार-दर, जीवन-स्तर सबधी भत्ता और रियायती सुविधाओं का नकद मूल्य सम्मिलित हो। जीवन-स्तर सबधी भत्ता और सेवा-मुविधाओं का मूल्य एक समुचित अधिकारी द्वारा उपयुक्त सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित किया जायेगा।

4 न्यूनतम मजदूरी की निर्धारण विधि किसी अनुसूचित रोजगार के लिए इस अधिनियम के अतर्गत अगली बार मजदूरी की न्यूनतम दरें निश्चित करने के लिए निम्न कार्य-विधि अपनायी जायेगी—(क) ऐसे निर्धारण के सबध में जाव-पड़ताल करने के लिए जितनी समितियों उप-समितियों की आवश्यकता प्रतीत हो उतनी ही समितियां, उपसमितियां नियुक्त की जायेंगी। (ख) समितियों के परामर्श का सबधित व्यक्तियों के विचारों पर सोच-विचार करने के बाद उपयुक्त सरकार, सरकारी बजट में सूचना निकालकर प्रत्येक अनुसूचित रोजगार के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें निश्चित कर सकती है। यदि सूचना में कोई तिथि इन आदेशों वे लागू होने के लिए नहीं दी हुई है तो सूचना वे प्रकाशन की तिथि में तीन माह की समाप्ति पर वे आदेश लागू हो जाएंगे। (ग) सरकार द्वारा न्यूनतम दरों के सशोधन की दशा में सरकार को परामर्शदात्री वोर्ड में भी सलाह लेनी पड़ेगी।

5 न्यूनतम मजदूरी का भुगतान (१) इस अधिनियम के अतर्गत न्यूनतम मजदूरी सामान्यतया नकद में ही चुकायी जायेगी। (२) जिन व्यक्तियों में उपरोक्त तियम लागू वहा श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर में कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। (३) यदि कोई श्रमिक निर्धारित श्रमिक के अतिरिक्त समय पर कार्य करता है तो सेवा-योजक को उस श्रमिक को उस अतिरिक्त समय के लिए उस अधिनियम के द्वारा निर्धारित अतिरिक्त कार्य की मजदूरी दर अधिवा सरकार द्वारा किसी नियम के अतर्गत इस

अतिरिक्त कार्य के लिए निर्धारित दर के अनुसार मजदूरी देनी पड़ेगी।

अब अधिकाश अनुसूचित उद्योगों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरिया निर्धारित कर दी गई है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाने के विषय इस दर में शायद ही कोई वापत्ति उठायी जा सकती है। यद्यपि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अत्यन्त निम्न मजदूरियों के मुगलान के द्वारा श्रमिकों का शोषण रोकना था इसके अत यह उन रोजगारों का भी समावेश किया गया है जिनमें या तो श्रमिक असत्यालूम हैं अथवा वहाँ उनका समर्थन दुर्बल है। समय के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा मूल अनुसूची में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बहुत स नये रोजगार बढ़ाये गये हैं। अधिनियम के क्षेत्र में इस प्रकार वीर विद्विस उसके क्रियान्वयन सदृशी कठिनाईया उत्पन्न हुई है।

प्रथम पचवर्षीय योजना में इस बात पर जोर देते हुए वि-न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रभावशाली ढंग पर क्रियान्वयन किया जाना चाहिए यह सुझाव दिया गया कि उन क्षेत्रों न रोजगारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहाँ मजदूरिया अत्यन्त बम है। द्वितीय योजना में इस सदम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तृतीय व चतुर्थ योजना में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के क्रियान्वयन पर असतोष प्रकट किया गया और कहा गया है कि दरुन सी दशाओं में मजदूरी दरों का निश्चित किया जाना और सशोधन प्रभाव पूर्ण नहीं है।

आसोचना • न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उद्देश्य यद्यपि उत्तम था परन्तु श्रमिक वर्ग को इससे कोई विशेष लाभ नहीं हो सका। इसके निम्नलिखित कारण हैं—

(i) सकूचित क्षेत्र इस अधिनियम का धात्र बहुत सकूचित है क्योंकि इसमें वर्नेक महत्वपूर्ण सर्गठित व असगठित उद्योगों का समावेश नहीं किया गया है।

(ii) असगत छूट इस अधिनियम के अनुसार यदि किसी उद्योग में एक हजार से कम श्रमिक काम करते हों तो उसमें न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना आवश्यक नहीं है। इस छूट के कारण वे समस्त आवश्यक उद्योग छूट जाते हैं जिनकी दशा अवयन शोषनीय है और जहाँ इस अधिनियम को कार्यान्वित करने की बहुत आवश्यकता है।

(iii) एकीकरण का अभाव एक ही राज्य में विभिन्न भागों और विभिन्न सभ्यों में मजदूरी की दरें अलग अलग होने के कारण उनमें एकीकरण वा अभाव है।

(iv) अधिकारों का दुरुपयोग मरकार अपने अधिकारों वा दूरुपयोग करती है क्योंकि देशने में आता है कि किसी राज्य में एक ही उद्योग में एक विशेष प्रकार के श्रमिकों के ऊपर नियम लागू किया गया है परन्तु दूसरे राज्य में उसी उद्योग के उसी वर्ग के श्रमिकों के ऊपर वह नियम लागू नहीं किया गया है। इससे श्रमिकों के बीच असतोष उत्पन्न होता है।

5 मुख्य व्यवसायों पर लागू न होना उन उद्योगों में जिनमें श्रमिकों की दशा

जन्यन्त गाचनीय है इस अधिनियम का सागू बरना अत्यन्त आवश्यक है। परतु अधिनियम के अनातं य रद्दोग इमलिय ममिलित नहीं किय जाते क्योंकि उनमें 10 से कम श्रमिक वायरद हैं।

6 प्रकाशन में दोषः सरकार को मद्दतित उच्चोग वे विषय में जानकारी न होने के बारण न पर मरकार राजकीय प्रशासन द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करती है तो उसमें नन्हा दाप उत्तर्वन हो जाते हैं।

7 भूति भुगतान को दोषपूण पढ़ति वही कही मजदूरी का भगतान नकद हप के साथ-साथ आय रूपों में भी दिया जाता है जो गलत है। इस प्रकार की पढ़ति न श्रमिकों का आयधिक जापण होता है।

समितियों के निमाण में दोष नियम के अनुसार मरकार ही समिति के नमन सदस्यों का नामांकित कर सकती है। यह दूपिन प्रथा है क्योंकि वस्तुत मद्दाजवाब व श्रमिकों का अपने प्रतिनिधियों के नाम देने का अधिकार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त समिति म शिक्षक अध्यास्त्री व समाज सुधारका आदि को भी समितिन करना चाहिए।

9 परामशदान्त्री समितियों के दोष इन समितियों को कोई महत्वपूण भूमिका देना म नहीं आयी है। कबल जब निर्धारित मजदूरी की दरों म समोधन करना होता है तो इसकी मलाह ली जाती है।

10 अ.प दोष (अ) इस अधिनियम के अनुसार न सो राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण की व्यवस्था है और न मजदूरी के निमाण के लिए किसी व्यायी योनना की ही चाहना है। (ब) व्यावहारिक रूप म यह देखा गया है कि विना उचित जाच पड़ताल की न्यूनतम मजदूरी लागू कर दी गई है। कही कही पर तो यह इतनी अधिक निश्चित नी गई तै क उद्योग उस वर्चे का बदाश्त करने में असमर्थ है। (स) इस अधिनियम म एक चुट यह है कि न्यूनतम मजदूरी का अय कभी कभी अधिकतम मजदूरी म जागा जाता है।

हृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी इसकी सीमाएँ

(A Minimum Wage for Agricultural Workers Its Limitations)

अधिनियम की हिनोय अनुसूची हृषि-श्रमिकों के सबध म ही कितु हृषि-श्रमिकों नी न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण की समस्या कारताना श्रमिकों वे लिए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण नी समस्या न भी जटिल है क्योंकि (अ) देश के विभिन्न भागों म प्रचलित कुरि मजदूरिया क विषय म अनी भी सास्त्रियकीय सूचना बहुत कम उपलब्ध है (ब) हृषि काय म मामान्य काय दिवस क घट निश्चित करना अत्यन्त कठिन है। (स) हृषि श्रमिकों का रोजगार अस्थायी होना है और प्राय वही श्रमिक हृषि-कायों के विभिन्न मनरो पर विभिन्न काय करता है। (द) हृषि श्रमिकों को मजदूरिया प्राय जिस अथवा वस्तुओं के स्पष्ट में अधवा नकदी और जिस दोनों में चुकायी जाती है। इस प्रकार की मजदूरी का नकद मूल्य मालूम करना बहुत कठिन होता है। (य) उक्त कठिनाइयों के अनिरिक्त

एक समस्या यह भी है कि यदि किसी प्रकार यूनतम मजदूरी निर्धारित बरता सभव भी हो जाए तो त सब भी अधिनियम को लाग करना भी असम्भव नहीं जाना चाहिए वर्षा है। छाट छोट भू रक्षामियों की मरु तथा नवी अधिक कि अधिनियम के प्रभाव में अंडिनाव्या उत्तरान होना स्वाभाविक है। भारतीय दृष्टिकोण को रजिस्टर एवं लेवल प्राप्ति रखने का न तो ज्ञान है और न इसकी इच्छा ही।

अधिनियम को कार्यान्वयन बरन में उद्दन सभवित ठिन इयो को ध्यान में रखते हुए एक अविल गतीय एवं गई = निर्धारित दृष्टिकोण में श्रमिक का मजदूरी का मुण्डान करने की विधियों एवं उनी नाय चाहा। एवं सन्दर्भ में जारी एकत्र करना था। भूपूण देश को 23 टकाइयों में विभाजित किया गया थोर 812 गांव में जाति की गई। सग्रहीन आकड़ों के आधा पर यूनतम मजदूरी मश्यो एवं विवर प्रस्तावना किया गया। यूनतम में दरी वर्षान्वयों जिन। स्वरा प्रतिविता अध्ययन 26 रु० प्रतिमाह तथा अवयवों के लग 6२ प्रतिवादन अवयवा 16 रु० 25 रु० प्रति वर्ष निर्धारित की गई। कृषि श्रमिकों के लिए लाभग्राहक राशि में दूततम मजदूरों की जैसे निर्धारित कर दी गई है परन्तु कृषि नव में वर्ष में मजदूरी के विधायण के कदम कहा तक सफल होता यह नो समर्थ ही नहा सकेगा। परतु यह सच्चे कि यह काथ के लिए प्रश्नामन व्यवस्था बढ़त ही अनुच्छेद कुराल एवं बत्त प्रसारण होना चाहिए। कृषि में यूनतम मजदूरियों विभिन्न किए कराया जाया के लिए दहुल समय में मार्गोदित नहीं हुई है। तम भग्न में भान नग्न वास्तव में दर्दी प्रश्न में यूनतम में राधिक रहनी है और इनकी प्रवन्नि मूल्य मौमम में यूनतम में यह कम होने ही राखी है। यूनतम दरा को क्रियान्वयन करने दो वर्ष या तार्यालन है। इस श्रियान्वयन करने में कठिनाइया प्रमुख स्वयं कृषि श्रमिकों की नियन्ता तथा अग्निशमन वाहा कृषि जैसे सरचनात्मक धारा गे उत्तरान होती है। कृषि श्रमिकों के यूनतम मजदूरी का नियाल उसी समय व्यावहारिक हो सकता जर्वाव भी अविल हो। नियमाण यही तथा विषये होता कृषि श्रमिकों को माराट वर्जन की एवं व्यापक गोपना का अग वनाया जाय। हाल में ही यह धारा महाप्रति समन्वयन संघर्ष अपन अधिकारों के प्रति सज्जन है। इन क्षमों में प्रवन्नि द्वारा इनका ऊची होती है कि यह नियम दे अत्यन्त यूनतम दरे अवहीन होती है। मुख्य विभाग उन धारों में है — शहरी या प्रिकाम संवधी प्रभाव में दूर है और यह वर्ष एवं अनेक कान गोपन वह है।

नवीन विकास

Recent Development)

19 जूलाई 1975 को आयोजित गवाया के थम मत्रियों = 26वें मम्मान (26th Session of the State Labour Ministers Conference) में लिये गये (प्रमुख नियम इस प्रकार है—

1 प्रत्येक राज्य द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मजदूरी

की न्यूनतम वरों के निर्धारण एवं उनके सशोधन के बारे में लेपयुक्त व्यवस्था की जाय।

2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की कार्य प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन किये जाएं जिससे न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण तथा उसके नियान्वयन में होने वाले आवश्यक विनाश को रोका जाय।

3. न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का दायित्व थम विभागों पर है लेकिन उनके लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वे सबधित विभागों के परामर्श एवं सहयोग में ही न्यूनतम मजदूरिया निर्धारित करें।

4. जिन राज्यों में कृषि श्रमिकों की मजदूरी अपेक्षाकृत कम है वे राज्य अपनी दरों में 15 अगस्त, 1975 तक आवश्यक परिवर्तन कर लें।

5. जिन राज्यों में परिवर्तनशील महगाई भत्ता (Variable Dearness Allowance) की व्यवस्था न्यूनतम मजदूरी की दरों में अतींनिहित नहीं है, उन राज्यों को न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुन निर्धारण 2 वर्षों की अवधि के अंदर आवश्यक कर देना चाहिए।

6. समान कार्यों की मजदूरी पुरुषों और महिलाओं द्वारों के लिए एक समान होनी चाहिए।

कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी

(Minimum Wages for Agricultural Workers)

उपर्युक्त निर्णयों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही प्रयोग में आयी है। जहां तक कृषि श्रमिक के न्यूनतम मजदूरी का प्रश्न है, उक्त सम्मेलन में लिए निर्णयों के अनुसार विहार, गुजरात, हरियाणा, आध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश कनटिक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, पंजाब, उडीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, दिल्ली और गोश्वा दमन व दियू ने या तो कृषि थम की न्यूनतम मजदूरी पुन निर्धारित कर दी है अथवा उसमें सशोधन हेतु आवश्यक कार्यवाही पूरी कर ली है। पश्चिमी बंगाल में न्यूनतम मजदूरी जीवन-निर्बाह मूल्य निर्देशांक (Cost of Living Index) से सबढ़ है, और उसमें प्रतिवर्ष आवश्यक सशोधन कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 मई 1975 को न्यूनतम दरों में सशोधन कर दिया है। कॉड शासित इलाकों में भारत सरकार ने 3.50 रुपये से 5.15 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी के स्थान 4.45 रुपये से 6.50 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी अकुशल श्रमिक के लिए प्रत्येक क्षेत्र में निर्धारित कर दी है।

पुरुषों और स्त्री श्रमिकों के लिए समान पारिवर्त्यमान

(Equal Remuneration for Men and Women Workers)

अतर्राष्ट्रीय महिला कार्य महिला विशेष मान का एक म रखते हुए पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान पारिवर्त्यमान वी व्यवस्था जागू करने के उद्देश्य से 26 सितंबर 1975 को राष्ट्रपति द्वारा समान परिवर्त्यमान अध्यादेश, 1975 (The Equal Remuneration Ordinance, 1975) घोषी किया गया। इस

महत्वपूर्ण अध्यादेश के लागू होने से, 'सिंग-भेद से आधार पर मजदूरी मुमताज का वयों पुराना विभेदात्मक तरीका समाप्त हो गया।

इस आध्यादेश मे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बदाने हेतु सलाहकार समिति गठित करने का भी प्रावधान है। यह आध्यादेश बाणान मे 15 अक्टूबर, 1975 से स्वानीय सरकारों (नगरपालिका बादि) मे 1 जनवरी, 1976 से कॉट्टेय और प्रातीय सरकारों मे 12 जनवरी, 1976 से तथा अस्पतालों मे 27 जनवरी, 1976 से लागू किया गया।

अध्यादेश का स्थान अब संसद द्वारा पारित समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1975 (The Equal Remuneration Ordinance, 1975) ने ले लिया है।

भारत मे राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की उपयुक्तता

(The Feasibility of National Minimum Wage in India)

इस सर्वांग मे काफी मतभेद है कि भिन्न-भिन्न मेवायोजकों, क्षेत्रों, उद्योगों बादि के लिए भिन्न-भिन्न न्यूनतम मजदूरिया निर्धारित की जानी चाहिए अथवा एक समान न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाय। यह कहा जाता है कि यदि सक्षम मजदूरी की नियनी सीमा प्रदान करना और प्रत्येक श्रमिक के लिए एक न्यूनतम जीवन-स्तर निर्धारित करना हो तो यह आवश्यक है कि एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाय। इससे (अ) अनावश्यक रूप से व्यापक नजदूरी मे अतर दूर होगे, (ब) अधिक कुशल उपकरणों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, (म) मजदूरियों के नियमन के लिए अधिक संस्कृत और अपेक्षाकृत छोटी मदीनीरी की आवश्यकता होगी। परतु एक समान राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्दिष्ट किये जाने के विषद् यह कहा जा सकता है कि यदि जीवन निर्वाह कागत श्रमिकों की उत्पादकता एवं उद्योग की मुगलान-सम्ना म बहुत अधिक विषमताएँ हैं तो राष्ट्रीय आधार पर निर्दिष्ट की जाने वासी न्यूनतम मजदूरी कुछ श्रमिकों के लिए बहुत ऊची होगी और कुछ बन्ध श्रमिकों के लिए बहुत नीची होगी। इन्हीं कारणों म विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों मे श्रमिकों दे लिए भिन्न-भिन्न न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है और जहा राष्ट्रीय आधार पर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है वहा भी विभिन्न दोहों मे जीवन-निर्वाह कागत मे विभिन्नताओं के लिए यद्य छूट (allowance) रखी जाती है और कुशल मजदूरों के मध्य मे विभेदात्मक नीति अपनायी जानी है।

राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्दिष्ट करने के संदर्भ मे राज्य सरकारों और शासनीय विभागों का यह सामान्य मत है कि यद्यपि राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की अर्थत आकर्षक धारणा हो सकती है किंतु इसे व्यावहारिक रूप देने मे अनेक कठिनाइयाँ हैं। उनके विचार म एक क्षेत्रीय न्यूनतम दर के निर्धारण से न्यूनतम मजदूरी की पारणा को कम्पनिवत बरना चाहिए।

इसके विपरीत श्रमिक संगठनों का कहना है कि मजदूरों के मध्य मे एक राष्ट्रीय न्यूनतम दर निर्दिष्ट की जानी चाहिए जिसके नीचे किसी सेवायोजक को

श्रमिक नियुक्त करने का नियेष होना चाहिए। इस राष्ट्रीय न्यूनतम दर के साथ विभिन्न क्षेत्रों में रहन-महन के स्तरों में विशेष रूप में धोनीय न्यूनतम दर भी निर्धारित की जानी चाहिए। परतु मेवायोजकों का कहना है कि शोधित उद्योगों के लिए एक राष्ट्रीय न्यूनतम दर निश्चित की जा सकती है परतु अन्य उद्योगों की स्थिति मालिक न्यूनत दर निर्धारित करना आवश्यक है।

यद्यपि एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के पक्ष में बहुत कुछ कदा जा सकता है, परतु एक समान राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी देश की विश्वालता एवं उद्योगों तथा धेनों में विकास के स्तरों में व्यापक विभिन्नताओं के कारण निश्चित नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने में जो कठिनाइया निहित हैं उनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। किन्तु "यह सभव है कि प्रत्यक्ष राज्य में विभिन्न समस्त क्षेत्रों में धोनीय न्यूनतम दर निश्चित की जाय को दास्तव में अधिनियम के अन्तर्गत एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र के भीतर भी निश्चित की गई न्यूनतम मजदूरी की दरों में व्यापक भिन्नता की दृष्टि से आवश्यक हो सकती है। समय बीतने पर स्वयं इन धन दोषों पूरे राज्य के लिए विस्तृत किया जा सकता है। किन्तु न्यूनतम मजदूरी नियत करने के लिए किसी राज्य के क्षेत्र में अधिक विस्तृत क्षेत्र न केवल अव्यावहारिक हा सकता है बल्कि उसके न होने पर अधिक पूँजी विनियोजन की आवश्यकता न रखने वाले उद्योग एक राज्य में दूसरे राज्य में जाने की प्रवृत्ति रख सकते हैं, जैसा कि बीड़ी उद्योग में हुआ है।"¹

परीक्षा-प्रश्न

1. 'न्यूनतम मजदूरी' की परिभाषा दीजिए। न्यूनतम मजदूरी के लक्षण क्या हैं? व्या भारतीय कृषि-श्रमिकों पर यह लागू किया जा सकता है? विवेचना कीजिए।
2. 'भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से विभिन्न क्षेत्रों के दीन मजदूरी में अतरं समाप्त नहीं हो जायेगा, किन्तु प्रत्येक क्षेत्र के अतर्गत, और मुख्यतः कठिन परिश्रम के व्यवसायों में, मजदूरियों के दीन अतरं अवश्य कम हो जायेगा।' उपरोक्त कथन की पूर्ण विवेचना कीजिए।
3. भारतीय उद्योगों में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
4. 'न्यूनतम मजदूरी' के अर्थ, उद्देश्य व क्षेत्र की विवेचना कीजिए तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का सक्षेप में वर्णन करें।

1. T.N. Bhagoliwala : "Economics of Labour & Social Security."

5. "न्यायपूर्ण मजदूरी" के विद्वात को समझाइये। इस विद्वात के कार्यान्वयन में भारत में क्या कठिनाइया आ रही है?
6. न्या मजदूरी का वर्तमान कलेवर सतोषज्ञक है? सब पक्षों के सहयोग से एक राष्ट्रीय मजदूरी का गिर्माण किस प्रकार किया जा सकता है?

अध्याय 3

लाभ अशाभागिता एवं सहभागिता (Profit Sharing and Co-partnership)

कई प्रेरणा योजनाओं के होते हाँ भी सेवायोजकों और श्रमिकों के मध्य काफी अंतर्भेद है जिसके परिणाम हड्डालैं तथा तालाबदिया है, जिसका राष्ट्र की आधिक धिनि पर बुग प्रभाव पड़ता है। सेवायोजकों व श्रमिकों के आपसी संघर्ष को मिटाने जरूरत कम करने के लिए सतत प्रयत्न किये गये हैं जिसमें में लाभ अशाभागिता व अम सहभागिता का भी पर्याप्त सफलता के साथ प्रयोग किया जा सकता है। आशा है कि इन योजनाओं में सेवायोजकों वा श्रमिकों के मध्य मधुर सबूष स्थापित हो सकेंगे व अद्योगिक धोनों में उन्नति होगी।

लाभ अशाभागिता की परिभाषा

लाभ अशाभागिता मजदूरी मुगलान की काई प्रणाली नहीं है। वर्तमान व्यवस्था में यह समझा जाने लगा है कि अधिक अपने कठिन परिश्रम से उद्योग के सचालन में भाग नेने के कारण लाभ का कुछ भाग उस भी प्राप्त होना चाहिए। अत श्रमिकों को उद्योग के लाभों का एक भाग दने की पद्धति को ही लाभ अशाभागिता कहते हैं। लाभ अशाभागिता की कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं—

1. हेनरी आर० सीगर . “यह एक समझौता है जिसके अनुसार श्रमिक को लाभ का एक हिस्सा मिलता है जो कि लाभ होने से पूर्व ही निश्चित कर दिया जाता है।”

2. श्री राबर्ट : “लाभ-विभाजन एक स्वतंत्र समझौता है कि लिखित या मोलिक हो सकता है और जिसके अनुसार नियुक्त श्रमिकों को उनकी शाधारण मजदूरी के अतिरिक्त लाभ वा अश प्राप्त करने का अधिकार होता है किन्तु हानि के लिए उनका कोई उमरदायित्व नहीं होता।”

3. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, पेरिस 1899 - “वह समझौता (ओपचारिक तथा अनोपचारिक) जो स्वेच्छा स किया गया हो और जिसके अनुसार वर्मचारियों को लाभ होने से पूर्व निश्चित लाभ का हिस्सा मिलता हो।”

4. सन् 1939 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सीनेट की एक समिति ने लाभ अशभागिता को परिभाषित किया है : “श्रमिकों को लाभ पहुँचाने वाली वे सब योज-

नार्ण जिन पर मेवायोजक कुछ व्यय करता है।"

5 अतर्राष्ट्रीय अम सगठन "लाभ अशभागिता ओद्योगिक पारिश्रमिक भूग जान इने की वह पद्धति है जिसमें मेवायोजक अपने कर्मचारियों का उनकी नियमित मजदूरी के अनिश्चित शुद्ध लाभ का एक हिस्सा देने का बचन देता है।" इस परिभाषा में यह स्पष्ट होता है कि लाभ अशभागिता में श्रमिकों को दिये गए गोनम व्यय प्रचुरी का लाभ का डिफ्यू नहीं माना जायेगा अर्थात् लाभ का हिस्सा इनके अनिश्चित होगा।

"पूर्ववत् परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि लाभ अशभागिता वास्तव मजदूरी देने की पद्धति नहीं है। इसमें आज्ञा एक ऐसी विशेषता म है जिसके अन्तर्गत मेवायोजक अपने श्रमिकों को मजदूरी के अनिश्चित अपन होने वाले लाभ में से एक वृद्धिश्चित अश देने के लिए तैयार रहते हैं जिसमें श्रमिक का प्ररणा मिलती है।

विशेषताएः लाभ अशभागिता की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(1) शुद्ध लाभ का आधार श्रमिकों को वितरित किया जाने वाला भाग उपरम के शुद्ध लाभ पर आधारित होता है।

(2) पूर्वनिश्चित प्रतिशत श्रमिकों को लाभ का वितरण प्रतिशत दिया जाय यह पहले में निश्चित कर दिया जाता है।

(3) अनिश्चितता इस प्रकार श्रमिकों का दिया जाने वाला लाभ अनिश्चित रहता है। लाभ अधिक या कम हो सकता है और कभी वास्तविक हानि भी हो सकती है।

(4) मजदूरी के अनिश्चित लाभ के रूप म प्राप्त होने वाला भाग मजदूरी की नियमित मजदूरी के अनिश्चित होता है।

(5) कभी कर्मचारियों को लाभ लाभ अशभागिता की व्यवस्था का लाभ शुद्ध विशिष्ट कर्मचारियों तक नीचित नहीं होता वहिक इसका लाभ उपर्याम के प्रत्यक्ष कर्मचारी को मिलता है।

(6) व्यक्तिगत कुदालना वा ध्यान न देना लाभ अशभागिता का हिसाब नगते समय श्रमिकों की व्यक्तिगत रक्षणना का ध्यान नहीं दिया जाता।

(7) लाभ अश भुगतान का ढग श्रमिकों को लाभ का भाग नकदी के रूप म दिया जा सकता है अथवा उनके सामों के भाग को प्राविडेटफण्ड या वैश्वन में जमा बर दिया जा सकता है। कभी-कभी लाभ का भाग व्यक्ति वा स्कॉपो के रूप म भी वितरित किया जा सकता है।

(8) लाभ का समय श्रमिकों का लाभ का एक भाग निर्धारित अवधि के समाप्त होने पर दिया जाता है। प्राय लाभ का भाग यांत्रिक लेखा वर्ष की समाप्ति पर ही दिया जाता है।

(9) समस्त श्रमिकों को योग्यता की जानकारी इस लाभ का ज्ञान समस्त लाभ पाने वाले श्रमिकों को होता है। लाभ-अशभागिता में यह विशेषता होती चाहिये कि प्रत्येक श्रमिक वेयक्तिवृ लाभ-अश निर्धारण करन की जानी रूप रेस्ट पहने से ही बाहर बर सके।

(10) निश्चित समझौता : लाभ का भाग श्रमिकों तथा नियोक्ताओं में हुए किसी निश्चित समझौते के अनुसार हो दिया जाता है।

ऐतिहासिक सिहावलोकन

इस योजना का विचार सर्वप्रथम एक फ्रासीसी चिकित्सक थी एम० लेक्टेयर के दिमाग में आया। इन्होने बताया कि इस प्रकार की लाभ अशभागिता योजना समय, सामग्री तथा यन्त्रों को बचाने में सहायक होती है। प्रथम महायुद्ध तक यह योजना समग्र भग सभी देशों में अपना ली गई थी। सर्वप्रथम फ्रास में सन् 1820 में व अमरीका में सन् 1870 में यह योजना लागू की गई। भारत में लाभ अशभागिता की प्रथा उत्पादित बस्तु में हिस्सा बाटने की प्रथा के रूप में अनिश्चित काल से विद्यमान है। औद्योगिक क्षेत्र में इसका श्रीगणेश सन् 1940 के बाद ही हुआ।

लाभ अशभागिता के विभिन्न रूप व तरीके

लाभ अशभागिता के विभिन्न प्रारूप हो सकते हैं—

1 औद्योगिक आधार उद्योग के समस्त श्रमिकों को समान रूप में पारिश्रमिक देने के लिए उम उद्योग विशेष की विभिन्न इकाइयों का लाभ एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है। इस पद्धति से समस्त उद्योग के श्रमिकों के लाभ अश में समानता रहती है। यदि किसी औद्योगिक इकाई में किसी वर्ष हानि हो, तो भी श्रमिकों पर बुग प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इसकी क्षतिपूर्ति अन्य लाभ वाली औद्योगिक इकाइयों से कर दी जाती है।

2 स्थानीय आधार एक ही स्थान पर स्थापित समस्त उद्योग अपने लाभों को एकत्रित करके श्रमिकों का लाभाश निकालते हैं जिसमें उस स्थान के सभी श्रमिकों को समान रूप में दाटा जा सके।

3 इकाई आधार इस पद्धति में विभिन्न इकाइयों का लाभ बल्म-बल्म निकालवर प्रत्यक्ष इकाई के श्रमिकों में दाटा जाता है।

4 विभागीय आधार इसमें श्रमिकों का लाभ अश निश्चित करने व जिए केवल एक विभाग विशेष के लाभ पर ही विचार किया जाता है।

5 अपवित्रता आधार : इसके अनुसार किसी श्रमिक विशेष को उमक वार्ष के आधार पर ही एक निश्चित लाभाश दिया जाता है। इसमें श्रमिक के परिधम और पारिश्रमिक में एकदम सीधा संबंध रहता है।

लाभ-अश भुगतान के ढग : उद्योग में जो लाभ होता है उसको श्रमिकों में निम्नलिखित ढगों में से किसी भी ढग के द्वारा वितरित किया जा सकता है—

(1) नकद रूप में बितरण : इसके अवर्गत श्रमिक के भाग में लाभ की जितनी राशि आती है उसे नकद रूपयों में उन्हें दे दिया जाता है। कभी-कभी श्रमिकों ने नाम काते छोल कर उसमें यह राशि जमा कर दी जाती है तथा श्रमिकों को उसमें से रूपया विकालते के लिए अधिकार दे दिया जाता है।

(2) प्राविडेंटफँड अथवा पेशन के रूप में वितरण : इसके अनुसार श्रमिकों को लाभ की राशि नपद अथवा अशो के रूप में वितरित न कर उन्हें प्राविडेंटफँड अथवा पेशन आदि में जमा कर दिया जाता है। इससे श्रमिकों की वृद्धायस्था के समय महराशि लोटा दी जाती है।

(3) अशो अथवा स्कन्ध के रूप में वितरण श्रमिकों को लाभ वा भाग नकद रसों में न देकर उतने ही मूल्य के कम्पनी के अशो अथवा स्कन्ध के रूप में वितरित कर दिया जाता है। इससे श्रमिक उस कपनी का एक प्रकार से सहभागी बन जाता है तथा उनका उधार में स्थायी हित हो जाता है।

अभागिता योजना के लाभ

1 उत्पादन में वृद्धि लाभ में हिस्सा पान के कारण श्रमिक अधिक परिश्रम दरता है बदोकि लाभ उतने परिश्रम के अनुसार ही अधिक या काम होगा। फलत उत्पादन में वृद्धि होती है।

2 वस्तु के गुण में उन्नति, श्रमिक कपनी का वित्रय बढ़ाने के लिए इस बात के सिंग प्रयत्नशील रहता है कि वह अन्य कारखानों की तुलना में अच्छे गुण की वस्तु तैयार करे।

3 उत्पादन लागत में कमी। लाभ में हिस्सा पान के कारण श्रमिक इस बान का प्रयत्न बरता है कि कम से कम सर्व हो ताकि लाभ की मात्रा बढ़े। श्रमिक मामरी, इधन एवं मद्दीन का अधिकतम सदृप्तीय करते हैं ताकि व्यय कम से कम हो।

4 श्रमिक व सेवायोजक के समघों में सुधार यदि श्रमिक ईमानदारी और महत्व गे कार्य करते हैं तो श्रमिक व सेवायोजक के मवध अच्छे बने रहते हैं। लाभ अशभागिता योजना में श्रमिक व सेवायोजक एक लक्ष्य होकर परस्पर मिलकर काम करने की प्रवृत्ति व सहयाग की भावना से प्रेरित होते हैं।

5 निरीक्षण आवश्यक नहीं : इस प्रणाली में निरीक्षण भी आवश्यकता नहीं है कि श्रमिक व सेवायोजक स्वयं ही उत्ताह ने अधिक और अच्छा कार्य करते हैं।

6 श्रमिकों की आप व जीवनन्तर में वृद्धि, लाभ अभागिता योजना से श्रमिकों की आप में वृद्धि होती है। आप बढ़ जाने से उनका रहन सहन का भर ऊचा उठ जाता है और इससे श्रमिकों की कार्य-क्षमता में वृद्धि होती है।

7 श्रमिकों के रोजगार में स्थिरता : इस प्रणाली के कारण उद्योग में श्रमिकों का स्थायी हित हो जाता है। वे व्यवसाय को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं करते बदोकि पर्याप्त वे व्यय में नीकरी छोड़ दें तो लाभादा पाने के भी अधिकारी नहीं रहते। सेवायोजकों को भी यह विश्वास हो जाता है कि श्रमिक स्थिर रूप में उनके रोजगार में रहें। अत श्रमिकों की छट्टी में कमी आती है।

8 समाज को लाभ लाभ अभागिता पद्धति से ओरोगिक शांति रहती है अतः श्रमिकों व सेवायोजकों में शांति कम होते हैं। इससे मजदूरी जौर उत्पादन में

वृद्धि होती है। अधिक माता में उत्पादन के कारण उत्पादन की लागत भी कम हो जाती इसमें समाज को भी लाभ होता है क्योंकि समाज को वस्तुएँ कम बीमत पर प्राप्त हो जाती हैं।

9 राष्ट्र के लाभ औद्योगिक शांति होने से, राष्ट्रोदय उत्पादन में वृद्धि होने में व श्रमिकों के जीवन-स्तर में सुधार होने से गष्ट को भी लाभ होता है।

10 सामाजिक न्याय : लाभ अशभागिता श्रमिकों के पारिश्रमिक को स्थान की वित्तीय अमता से जोड़कर तथा उन्हे उसका सह-स्वामी बनाकर सामाजिक न्याय दिलाता है। इसमें समाज के दोनों वर्गों—श्रमिकों और पूजीपतियों—में आय का समान वितरण सम्भव हो जाता है।

लाभ अशभागिता की हानिया एवं कठिनाइया

1 प्रयत्न व पुरस्कार में प्रत्यक्ष सबध का अभाव इस प्रति में परिचय करने के तुरत बाद ही पुरस्कार नहीं मिल जाना। लाभ वर्ष में केवल एक ही बार घोषित किया जाता है और वह भी वार्षिक-हिसाब-किताब के परिणाम पर निर्भर होता है। लाभ की अनिश्चितता और पुरस्कार कम रहने से श्रमिक का उत्साह कम हो जाता है।

इसके अतिरिक्त पुरस्कार श्रमिक की व्यवित्रिता दक्षता के अनुसार न दिया जाकर सब श्रमिकों को सामूहिक रूप से दिया जाता है। इसमें कार्य करने की अधिक प्रेरणा नहीं मिलती।

2 पुरस्कार की अनिश्चितता उद्योग के लाभ में वृद्धि व कमी होती रहती है और कभी लाभ के स्थान पर हानि भी होती है। अत लाभ की यह अनिश्चितता श्रमिक के उत्साह को मद कर देती है और भविष्य में वे अधिक कियाशील नहीं रहते।

3 एकपक्षीय योजना : इस योजना का एक दोष यह भी है कि यह एकपक्षीय है। इसके अनुसार श्रमिक को कारखाने या उद्योग विशेष में होने वाले लाभ में स हिस्सा बाटने का तो अधिकार होता है किंतु हानि की दशा में केवल सेवायोजकों को उत्तरदायी होना पड़ता है।

4 लाभ निश्चित करने के अवैज्ञानिक आधार : लाभ-विभाजन निश्चित करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। यह अधिकतर सेवायोजकों की इच्छा पर होता है।

5. गतिशीलता में बाधा : यह पद्धति श्रमिकों की गतिशीलता में बाधा डालती है और श्रमिक एक ही उद्योग में बद्ध जाता है।

6 जटिल पद्धति श्रमिक इस पद्धति को सरलता में नहीं समझ पाते, अत उनके मस्तिष्क में एक सदाय बना रहता है।

7. श्रमिक को धोखा : लाभ का हिसाब लगाते समय प्रबंधकों द्वारा कपट का प्रयोग करके श्रमिकों को धोखा दिया जा सकता है।

8 असतोष : श्रमिक इस प्रकार के लाभ को प्राप्त करना अपना

एक अधिकार समझते हैं। किसी भी वर्ष पर्याप्त लाभ न होने पर और फलत शामांश प्राप्त न होने पर वे लोग असतोष प्रकट करने लगते हैं और कभी कभी असतोष ई भावनी हृदयाल का रूप धारण कर लेती है।

9 श्रमिकों के आत्म-सम्मान को छोट। सेवायोजकों के दृष्टिकोण से लाभ अशामागिता की योजना श्रमिकों के लिये दानस्वरूप होती है जिसको ने श्रमिकों पर दया समझकर देते हैं। सेवायोजक इस योजना को व्यावसायिक दृष्टि से नहीं देखते हैं।

10 श्रमिक सधो द्वारा विरोध थम सध भी इस योजना का विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें मालिकों से अधिक मजदूरी एव अन्य सुविधाएँ मामने के अवसर प्राप्त नहीं होते। इस योजना के अतिरिक्त श्रमिक सामान्यत सेवायोजक के प्रति अधिक स्वामिभावत रहता है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के विभिन्न समूहों में लाभ अश, विभिन्न होने से एक समूह का साथ नहीं देता और जिन उच्चोंमें से यह योजना लागू नहीं होती उन उच्चोंगों के श्रमिकों के साथ लाभभागिता उद्योग के श्रमिक सहयोग नहीं देते। इससे थम सधों को हानि होती है। प्रो० टासिंग के शब्दों में “इससे श्रमिक अपने निकट के साथियों में ही विरोध रूप से हित रखन न गता है और उस उद्योग या स्थान के श्रमिकों में हित नहीं रखता।”

11 प्रबद्धक की अकुशलता से श्रमिकों में निराशा इस योजना के अतिरिक्त अधिक परिथम से कार्य करने के परिणामस्वरूप भी यह समझ है कि कुछ कारणों से अधिक लाभ न हो, जैसे अवैज्ञानिक ढग से क्रय विक्रय करना व प्रबन्ध की कुव्यवस्था बादि।

12 प्रबद्ध मे भाग नहीं इस प्रणाली के अतिरिक्त श्रमिकों को प्रबद्ध मे भाग मेने की अनुमति नहीं दी जाती, परन्तु वे लाभ का लक्ष पाने के पूर्ण रूप मे अधिकारी होते हैं।

13 पूजीपतियों का विरोध पूजीपति भी इस योजना का विरोध करते हैं क्योंकि उनका कहना है कि सस्था द्वारा अंजित लाभ उनके द्वारा उठाए गये जौलिम वा पारतोषण है। अत वह केवल उन्हीं को ही मिलना चाहिए। वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि यदि श्रमिक लाभ मे हिस्सा बांटना चाहते हैं तो उन्हें लाभ मे भी हिस्सा बांटना चाहिए।

तिष्ठर्यः : यद्यपि इस बात से इकार नहीं किया जा सकता कि लाभ अशामागिता योजना मे श्रमिकों मे सतुष्टि बढ़ेगी, कार्यकालता मे मुघार होगा व राष्ट्रीय उत्पादन मे वृद्धि होगी परन्तु इन योजनाओं को कार्यान्वयन करने मे अनेक वाघाए हैं। प्रो० टासिंग के भतानुसार, यह आशा विकल नहीं की जा सकती कि लाभ अशभागिता विश्वराषी रूप प्रदृश कर लेगी। इनके व्यापक रूप से अपनाये जाने की आशा ए भी बहुत कम है।” थो घनश्यामदास विडला के विचार इस सबध मे सगहनीय हैं ‘‘इसमे संदेह नहीं कि लाभ अशभागिता योजना अध्यावहारिक है। विश्व मे कही भी इस प्रकार की योजना सफल नहीं हुई है, परन्तु मेरे विचार से श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी जबदम देनी चाहिए एव उनके हृदय मे कार्य के प्रति प्रेरणा की भावना जागत करने के लिए अधिक उत्पादन

करनें पर बोनस देना चाहिए। इसमें अतिरिक्त श्रमिकों की काम की स्थितियों में भी उचित परिवर्तन करना चाहिए।” निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जब तक सेवायोजकों और श्रमिकों वे दोनों पारस्परिक विश्वास का बातावरण पैदा नहीं होता, ऐसी योजनाएँ कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकती।

भारत में अशभागिता की योजना

(Development of Profit-sharing scheme in India)

स्वतंत्रता के पूर्व भारत में लाभ वशभागिता योजना लोकप्रिय नहीं थी। इसका उपयोग बेदल एक या दो संस्थाओं में ही किया जाता था। इसका मुख्य कारण इसके प्रति सेवायोजकों की अवधि थी। भारत में दिसम्बर, 1947 में एक चिदलीय उद्योग सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में औद्योगिक संघों में सुधार करने के लिए निष्पत्ति किया गया। 25 झूंड सन् 1948 में भारत सरकार ने लाभ वशभागिता पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों को एक समिति नियुक्त की, जिसने 1 दिसम्बर सन् 1948 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीं—

1. योजना का हेतु इस समिति ने यह सुझाव दिया था कि लाभ वशभागिता की इस योजना को प्रारम्भ में परीक्षण के लिए निम्न 6 उद्योगों में ही लागू किया जाना चाहिए—(अ) सूती वस्त्र उद्योग, (ब) जूट उद्योग, (स) इस्पात उद्योग, (द) सीमेट उद्योग, (ष) ट्यूर निर्माण उद्योग, और (र) सिगरेट निर्माण उद्योग।

2 योजना का उद्देश्य समिति ने यह सिफारिश की कि लाभ वशभागिता पर विचार विमश निम्नलिखित भारों को ध्यान में रखकर करना चाहिए—(अ) उत्पादन में प्रेरणा (ब) औद्योगिक शाति की स्थापना, और (स) औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों का भाग। प्रथम बात पर समिति का यह सुझाव था कि यदि पिछली अवधि वे कुल अनुपात में अम के उत्पादन का भाग व्यक्तिगत रूप से वितरित कर दिया जाय तो उत्पादन अधिक करने में इससे व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहन मिलेगा। समिति ने जिस उद्देश्य से साम वशभागिता की योजना की सिफारिश की वह यह था कि इससे औद्योगिक शाति की प्रेरणा मिलेगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर समिति ने यह सुझाव दिया था कि किसी ऐसे वर्ष में जब अधिक या अधिक के वर्ष किसी अवधि हड्डताल में भाग लेते हैं। तो साम का सह विभाजन पूर्णतया अवधा अधिक रूप से रोक लेना चाहिए।

3 श्रमिकों के साम-प्रशा का निवारण समिति ने यह सिफारिश की कि श्रमिकों को संस्था के उस साम में से जिसमें से पूँजी पर एक उचित प्रतिफल निकाल दिया गया है, 50% का हिस्सा दिया जाय। पूँजी पर उचित प्रतिफल वह प्रतिफल है जो उस पूँजी को व्यवसाय में कायम रखने के लिए आवश्यक है। जहा तक यह प्रस्तु है कि प्रत्येक श्रमिक को किसान सामाज दिया जाय। यह उसके द्वारा गत अवधि के 12 महीनों में प्राप्त भजदूरी के अनुपात में होना चाहिए, परन्तु इस भजदूरी में महगाई भत्ता अवधा अन्य कोई बोनस जो उसके द्वारा प्राप्त किया गया हो, समिति नहीं होन।

चाहिए। अब प्रश्न उठता है यह लाभ किस रूप में वितरित किया जाय? इस सवाल में समिति ने यह कहा कि यदि किसी अधिक का भाग उसकी मूल मजदूरी से 25% बढ़ जाता है तो नकद भुगतान उसकी मूल मजदूरी के 25% तक सीमित होना चाहिए और दोष राशि उसके प्रोविडेंटफल अथवा किसी अन्य हिसाब में रखी जानी चाहिए।

4 योजना का आधार: समिति की यह सिफारिश थी कि सामान्यतया लाभ अशभागिता का आधार उद्योग इकाई ही होनी चाहिए, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितिया में इसका आधार एक उद्योग या क्षेत्र भी ही सकता है। समिति के मतानुसार भारत में उद्योग व क्षेत्र के आधार पर बर्बई, अहमदाबाद और शोलापुर के सूती वस्त्र उद्योग में लागू करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

आत्मोचनात्मक मूल्यांकन : लाभ अशभागिता समिति की रिपोर्ट पर अमिक्स और सेवायोजकों दोनों के ही द्वारा विभिन्न कारणों द्वारा विभिन्न आधारों पर अनेक व्यापत्तियां उठाई गईं। कौटीय मकाहकार परियद जिसने इस समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। अगस्त व सितम्बर तन् 1951 और जून सन् 1951 ने यह पामका बार-बार मयुक्त सलाहकार मडल की सभाओं में विचार के लिए प्रस्तुत किया गया। समुक्त मकाहकार मडल के तत्कालीन प्रधार श्री गुनजारीसाल नदा का मत था कि लाभ अशभागिता जैसी समस्याओं की जटिलता को ध्यान में रखते हुए यह अधिक उपयुक्त होगा कि अपरीका इलेंड, जर्मनी, अन रॉट्टीय अम सध और भारत के विदेशी की महापता से निदातो, आदर्दों और स्नरो की स्थापना की जाय। प्रथम व द्वितीय प्रबल्योग योजना में योजना आयोग ने इस बान का उत्तेज विद्या या कि लाभ अशभागिता तथा बोनस के प्रस्तो के निए बड़ी आवधानी और गहन अध्ययन की आवश्यकता है। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ और पचम प्रबल्योग योजनाओं में भी लाभ अशभागिता योजना को लागू करने के पूर्व परिस्थितियों के गहन अध्ययन पर बल दिया गया है।

निष्कर्ष. निष्कर्ष लाभ अशभागिता योजना औद्योगिक लोकतंत्र की दिशा में प्रथम कदम है। भारत अत्यंत औद्योगिक व्यापत्ति प्रस्त धोत्र है और उद्योग में शाति लान की अत्यन्त आवश्यकता है। यह तभी ममव है जबकि अधिक को पूजीपतिया के साथ बराबर का साझी बनाया जाय। परतु इन योजना को पार्यान्वित करने में कई कठिनाईयाँ हैं जिन पर पहले विचार किया जा चुका है। इन तथा अन्य कारणों से व्यमिका और इलेंड में भी लाभ अशभागिता योजना का इनिहास उत्तार चदाव से पूर्ण है। भारत में सर्वप्रथम 1937 में टोटा जायरन एंड हटील कंपनी ने इस योजना को अननाया था। कंपनी के हुद्दे लाभ का 22% भाग बोनस के रूप में शर्मिकों को वितरित किया था परतु किर भी मजदूरों की उत्पादकता घट गई। इसमें भी कई कारण हो सकते हैं परतु याध्य होकर इस निर्णय पर पहुंचना पहना है कि लाभ अशभागिता योजना उत्पादकता बढ़ाने के अपने निश्चित लक्ष्य को पूरा करने में अमर्ष रही है। परतु अदेश की बन्धमान परिस्थितियों से काफी अतर आ गया है और हमें बदमान सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के अतिर्यक लाभ अशभागिता योजना का उचित परीक्षण करना चाहिए।

अब वह समय था गया है, जबकि पूजीपतियों को स्वेच्छा से श्रमिकों को उद्योग भवन का साझेदार स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि वे इच्छा से ऐसा नहीं करते तो सामाजिक शक्तिया उन्हें संपूर्ण औद्योगिक लाभों को छोड़ने के लिए बाध्य कर देंगी।

सहभागिता¹ (Co-partnership)

सहभागिता से तात्पर्य किसी औद्योगिक संस्था में श्रमिकों के हिस्सेदार बन जाने से है। लाभ अशभागिता के अतर्गत तो श्रमिक केवल उद्योग के अतिरिक्त साझा में से एक अंश पाने के ही अधिकारी होते हैं, परतु सहभागिता के अतर्गत श्रमिकों को उद्योग के लाभ में भाग लेने वे अतिरिक्त पूजी व प्रबंध में भी भाग लेने का अधिकार मिल जाता है। सेवायोजकों की ही भाँति श्रमिक भी औद्योगिक पूजी का एक अंश देते हैं और प्रबंध व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं।

परीक्षा-प्रदान

1. अच्छे औद्योगिक संवध बनाए रखने के लिए 'लाभ अशभागिता' और श्रम साझेदारी के महत्त्व को आकिए। अथवा

लाभ अशभागिता से आप क्या समझते हैं? उद्योग में इसे लागू करने के क्या उद्देश्य हैं? आप कहा तक सहमत हैं कि यद्यपि लाभ अशभागिता विभिन्न रूप रूप चुकी है तब भी पूर्णतया परिणाम निराश ही कर रहे हैं। अथवा

लाभ अशभागिता के औद्योगिक लाभ को श्रम की ओर बदलने के एक साधन के रूप में इसके गुणों की ओलोचनात्मक विवेचना कीजिए और भारत में 'लाभ अशभागिता' पर नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों का मूल्यांकन कीजिए।

[1] विस्तृत विवरण के लिए देखिए 'औद्योगिक प्रवातत' नामक व्यापार।

औद्योगिक प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग या भागीदारी (Workers Participation in Management)

प्रबन्ध में भागीदारी का अर्थ आधुनिक युग में औद्योगिक प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी कोंधारणा उनरोनर महत्वपूर्ण होती जा रही है। राष्ट्रीय उत्पादन में श्रमिकों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था की समृद्धि श्रमिकों के शोषण में नहीं बल्कि उनके साथ सहयोग से निहित है। इस नावता के सदर्म में मही औद्योगिक प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी की भावना पनपती और विकसित हुई है।

औद्योगिक प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग को व्यवहार में कई अदौम प्रयाग में लाया जाता है और उनका कई एप मिलते हैं। उद्योगपतियों श्रमिकों और सरकार ने अपने अपने हितों वा ध्यान में रखकर इसका पृथक पृथक अर्थ लगाया है। उद्योगपति इस ग्रा समृद्धि परामर्श कहता है तो श्रमिक इसका अधि सह-नियंत्रण में लगाते हैं। सुखारूढ़ इस योजना को औद्योगिक प्रजातन्त्र तथा समाजवादी समाज की स्थापना को पूर्वाग्रहन ममक्कनी है। लेकिन इसका अर्थ कुछ भी लगाया जाय इस विचारधारा के पीछे आधार मूल नावना यह होनी है कि उद्योग के मुख्य में समूर्ण उत्तरदायित्व क्वल प्रबन्धकों का ही नहीं बल्कि श्रमिकों का भी है। सक्षेप में औद्योगिक प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग का यारतविक अर्थ उद्योग से सद्वित विषयों में श्रमिकों परी प्रबन्धकों के समान हिस्सेदारा है जिसका तात्पर्य यह हुआ कि उद्योग में श्रमिक केवल अपने अभि को ही नहीं बेचता बल्कि उद्योग के प्रबन्ध में भी अपना योगदान करता है।

कुछ प्रमुख परिभाषाएं जो इस विचारपाठा ने मूल अर्थ को प्रस्तुत करती हैं वे इस प्रकार हैं।

1 डी० जी० मेहमान उद्योग के सदर्म में कमचारी सहभागिता में अ० य किसी औद्योगिक गणठन के कर्मचारिया द्वारा अपने उपयुक्त प्रतिनिधि व उचित प्रबन्ध ने विभिन्न स्तरों पर गापूर्ण प्रबन्ध क्षत्र के कियाक्तापा म विषय करने के अधिक हिस्सा नेना है।'

2 एन० पी० घृसिया 'प्रबन्ध में कर्मचारी भागिता न आपाम प्रबन्ध एवं चारिया द्वारा बाबावर के माझीदारों की भाँति प्रबन्ध सचालन न है।

3 डॉ० बी० आर० सेठ 'प्रबन्ध में बान्तवित कर्मचारी भागिता अम एवं पूजी के बीच सहयोग स्थापित करने की एक विधि है। यह सत्या म बया ही रहा है के दृष्टिकोण में कर्मचरियों एवं प्रबन्ध व बीच समूक्त परामर्श मात्र नहीं है। यद्यपि

सम्मुक्त परामर्श स्वयं में कोई बुरी बात नहीं है। किन्तु इसे प्रबन्ध में वास्तविक भागिता नहीं माना जा सकता।"

4 एसन पलेण्डसं "प्रबन्ध द्वारा श्रमिकों के साथ विचार-विमर्श करने का अधिकार आधारभूत रूप से नीतिक अधिक इसद्वारा आर्थिक परिणाम कुछ भी हो परतु यह अपने लाभों के आधार पर टिका हुआ है। मानव होने के नाते श्रमिक का भी अपना सम्मान है और वे स्वाभिभावन के अधिकारी हैं।

5 जी० एस० वाल्योल "श्रमिकों द्वारा प्रबन्ध में भाग देने का विचार श्रमिकों द्वारा शिखायत करने या सुझाव देने या परामर्श देने या श्रमिकों को रिखायत देने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उपक्रम के कार्यकर्ता होने के नाते ऐसा करने के अधिकार को मान्यता प्रदान वरना है जिससे श्रमिक उस उपक्रम में जिसने उनका धन तो नहीं परतु गीजन द्वारा पर संग्रह है, स्वयं को सम्मुक्त सम्प्रेदार महसूस कर सके।"

विभिन्न शब्दों में प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी की विचारधारा का विकास विभिन्न व्यवस्थाओं में हुआ है। फलत, इस विचारधारा द्वारा नामों से संबंधित किया जाता है उदाहरण के लिए यह विचारधारा अमेरिका में सघ प्रबन्ध सहयोग (Union Management Co operation), इंग्लैण्ड एवं स्वीडन में सम्मुक्त विचार विमर्श (Joint Consultation), फ्रान्स में अम प्रबन्ध सहयोग (Labour Management Cooperation), पश्चिमी जर्मनी में सह-निर्धारण (Co determination) या स्वत प्रबन्ध (Auto-management), यूगोस्लाविया में कर्मचारी प्रबन्ध (Workers Management) और भारत में प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता (Workers' Participation in Management) के नाम से जानी जाती है।

औद्योगिक प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी की विशेषताएँ

1 लाभान्व भागिता इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक नियिकत वेतन के अतिरिक्त सम्म्या के शुद्ध लाभ भी एक नियिकत अवश्य पाते हैं। वस्तुतः लाभान्व भागिता को प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी योजना का एक अवश्य मात्र है।

2 पूजी भागिता श्रमिकों के व्यक्तिगत लाभ का कुछ अवश्य सम्पूर्ण अवश्य स्थान की पूजी से नियमित कर लिया जाता है। फलत श्रमिक की स्थान की पूजी के स्वामी हो सकते हैं।

3 प्रबन्ध में भागिता : सम्पादी पूजी के एक भाग के स्वामी होने के नाते श्रमिकों की स्थान के प्रबन्ध एवं व्यवस्था में अधिकार मिल जाता है।

4 त्रिमुखी स्थिति इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को तीन तरफ से लाभ मिलता है। प्रथम तो श्रमिकों के रूप में उनको भजदूरी मिलती है, द्वितीय अवश्य अवश्यनी के रूप में उनको लाभान्व मिलता है और तृतीय राह-प्रबन्धक के रूप में सम्म्या के प्रबन्धन की नियन्त्रण में भी भाग मिलता है।

औद्योगिक प्रजातत्र (Industrial Democracy) प्रबन्ध में भागीदारी गो औद्योगिक प्रजातत्र की स्थिति भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अन्तर्गत समस्त औद्योगिक

दावा—उत्पादन प्रबन्ध वितरण इत्यादि प्रजातात्रिक प्राधार पर बढ़ा किया जाता है। सारांश हप मे सोकतथ के सिद्धातों को उद्घोगों द्वारा अतगत श्रमिक एवं लिमोजकों क पारस्परिक सम्बंधों के क्षेत्र मे लाग करने की व्यवस्था को ही ओदोगिक प्रजातात्र कहा जा सकता है।

अोदोगिक प्रजातात्र के आवश्यक भग (Ingredients)

पिफ्नर (Pfiffner J M) न ओदोगिक प्रजातात्र से निम्न पाँच अगों की विवेचना की है।

१ दिमुखी सचार (To wavcommunicatiob) दृष्टि मे छुटकारा प्राप्त करने के विषय मे प्रत्यक्ष कमचारी को प्रत्येक स्तर पर अपने विचार ढाकत करने का अवनर दिया जाना चाहिए। अवमर उपलब्ध वरने की व्यवस्था व्यक्तिगती द्वारा स्वयं अप्रति अव्याय के विषय मे विचार या किसी काय के विषय मे इत्यनातम् आलो चनाओं म सम्बंधित हो सकती हैं प्रबन्धक गणों द्वारा शिक्षायन कायगति सामूहिक सौदेदाजी सुभाव व्यवस्था की स्थापना सभानो आदि के माध्यम ने दिगुली गवार को द्वारा नाकृत करने का प्रयास किया जाना चाहेण।

२ निस्तार क व्यक्तियो द्वारा नीति को प्रभावित बरना गहयोग सध्य व स्थान तब तक प्रहण नहीं के मतता जब नक्त कि निम्न स्तर क व्यक्ति भी म भावना न पाई जाती हो विं उक्त विचार ने का स्वामूल दिया। उपेक्षा न ह स्वीकृत प्राप्ति नीति एव उन पर माय विठा गा।

नीति निर्धारण पर विद्या तरे व्याकाया क भार को अधिकार विम्या। म नियमवद्व वर दिया जाता है। इसका एव जन्म उत्तरण सामृद्धि कोडे जी है।

३ उत्तरदायित्व पूर्ण प्रबन्ध आधुनिक उत्पादित कायगांी जपित री निदे गव मण्डल उभोक्तानों सामूहिक नवाजा या अनिम स्तर स्थाया बायरत पमचार्यों के ग्रति उत्तरदायी द्वारा है एव एव तो एव एव उत्तरदायित्वों का निर्णय करना पठता है। उक्त प्रबन्धक इस बटास्यव उत्तरदायित्वा को नभी पूरा कर सकता है। व्युत्तमह्यव उत्तरदायित्वा को निभाने मे एच प्रबन्ध नम्बे नफनना प्राप्त कर सकते हैं जबकि वह निम्न स्तर पर वाय करन वाने व्यक्तियों क विचार मावनाम् सस्तुति आदि को सम्मत हो। यह दिमुखी सचार की स्थापना पर बन देना एव यथा ओदोगिक ममुद्दे के वायों म निम्न स्तर क व्यक्ति द्वारा उपाय मात्रा भ भाग नेने की व्याख्या करना है।

४ अधिकारो का ओदोगिक विधयक (Industrial Bill of Right)

ओदोगिक प्रजातात्र का चतुर्थ भग निम्न स्तर के कमचारिया क विश्व स्वच्छाक्षिद द्वारा अवहार वरने की मभावनाओं को यूतम वरन उमे द्वा ननु एव स्वयं स्वानार वरने एव उमे अधिकार एव मुविधामा को उपलब्ध वरने स सम्बंधित है।

५ वानुन का नियम इसके अनुसार प्रबन्ध वी प्रजातात्र नियमा की माय करता है निम्न आयार पर अधीक्ष काय करते हुए प्रत्येक व्यक्ति वे साथ सम्पूर्णा

वे साथ व्यवहार कर सकता है। इसे "ओद्योगिक योग्यता" (Industrial Jurisprudence) की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। शिकायत कार्यरीति, सौदेबाजी से मबदित मविधानों के विषयों, नियमों एवं नियमावलियों, श्रम सवधी दूनूनो (Labour Law) आदि को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। वरनुत इसमें सभी प्रकार के नियमों एवं नियमावलियों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रबन्धक की सम्बाओं में कानून के शासन व्यवस्था करती है।

ओद्योगिक प्रजातन्त्र के सिद्धांत (Principles of Industrial Democracy)

ओद्योगिक प्रजातन्त्र की स्थापना तभी हो सकती है जब इन श्रमिकों एवं प्रबन्धकों में नहयोग की भारता पायी जाती हो। इस सहयोग सम्बन्धित सिद्धांत निम्न है —

1. श्रमिक संगठन तथा संगठनों की स्वीकृति श्रमिकों एवं प्रबन्धकों में सहयोग वी मात्रा के विकास हेतु यह आवश्यक है, कि श्रमिक संगठनों को पूर्ण मात्रा प्रशान्ति की जाय। श्रमिक संघों के मान्यता प्रदान किए जाने पर श्रमिकों को प्रबन्धक सम्पत्ति स्थापित करने का एवं माध्यम प्राप्त हो जाता है। एक प्रजातात्त्विक व्यवस्था या जिस प्रकार अविह राजनीतिक दारा द्वारा सरकार को प्रभावित कर सकत है उसी पक्ष के श्रमिक भी आवश्यक है। शब्द म अपने मध्यो द्वारा अपनी कठिनाइयों का निराकरण करने विवारो एवं प्रबन्धनियों को में योजक तत्त्व पहुँचाने एवं सुझावों को मन्त्रियों वादि में गफन हो सकत है।

2. सेवायोजकों में श्रमिक संघों के प्रति अच्छा दृष्टिकोण नीति एवं प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि सेवायोजकों में एवं भर्तियों में स्पर्शितवास के बातावरण की स्थापना हो। ऐसा तभी सभव है जबकि सभा रोजगार श्रमिक संघों के प्रति अच्छा दृष्टिकोण रखते हो। ओद्योगिक प्रजातन्त्र के लिए नियमों व नियमों में शक्ति के प्रति केवल अच्छा दृष्टिकोण ही आवश्यक नहीं है बल्कि उनके द्वारा गमयन्मय पर विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधि श्रमिक संघों के सहयोग एवं परामर्श दा लिया जाना भी आवश्यक है।

3. लिखित सामूहिक स्वीकृति पत्र लिखित सामूहिक स्वीकृति पत्रों के लैयार करने के सहयोग की स्थापना को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। इनमें सभी विषयों का उल्लेख होना चाहिए। यह पत्र संघत के प्रत्येक वर्ग के लिए एक निर्देशन का कार्य करते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यत उपयोगी होते हैं।

4. प्रभाव पूर्ण योजनाओं का विकास श्रमिकों और प्रबन्धकों के मध्य सहयोग में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार की योजनाओं का विकास किया जाय जो दक्षता एवं कार्यकुशलता को प्रोत्साहन प्रदान कर सके। इन योजनाओं द्वारा रोजगार को स्थिरता एवं सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

5. शोधवारिक कार्यरीतियों की स्थापना यह योजनाएँ संस्कारित करने के लिए शोधवारिक कार्यरीतियों की स्थापना करती है।

ओद्योगिक प्रवर्त्त म श्रमिको वा भाग या भागीदारी

6 उपलब्धियों का नूत्यासन . ओद्योगिक प्रजातन्त्र सबधी योजनाएं ऐसे भाषनों का विकास बरती हैं जिनमें उपलब्धियों का मूल्याकान किया जा सकता है। इसका फल यह होता है कि सहयोग द्वारा प्राप्त किए गए जार्थिक लाभों को विभागित किया जा सकता है।

ओद्योगिक प्रजातन्त्र को विचारणारा का विकास : ओद्योगिक प्रजातन्त्र की विचारणारा का मर्वंप्रथम प्रयोग इंग्लॅण्ड में किया गया। इंग्लॅण्ड में समुक्त ओद्योगिक अपरिषदों एवं कार्य समितियों ने स्थापना ने ओद्योगिक प्रजातन्त्र की स्थापना की शुभारम्भ किया। समुक्त परिषदों की स्थापना हिटले रमीशन की सिफारियों एवं ओद्योगिक न्यायालय अधिनियम, 1919 (Industrial Courts Acts 1919) के फलस्वरूप हुई। कार्य समितियों के गठन की भी सिफारिया हिटले रमीशन ने दी थी। इंग्लॅण्ड में इन समितियों वे माध्यमें म श्रमिक कारखाने वे प्रबंध म हिस्सा ल सकते हैं। इन समितियों में नियंत्र सदा योनको एवं श्रमिकों के प्रतिनिधिया द्वारा नियंत्र संदियोग जाता है।

तरधको कृदापि अवहेलना नहीं कर सकते क्योंकि मानवीय स्वभाव में निष्ठलिखित बातें आवश्यक हैं और कि मानव को मानव के प्रति सहानुभूति और महत्वपूर्ण होना ही पड़ेगा।

(ब) मनुष्य का अपने प्रति होने वाले आदर वा चिन्तन—अपनेयन व महत्व का विचार।

(ब) दूसरे से सहयोग प्राप्त करने की इच्छा।

(स) जीवन अस्तित्व की अर्थात् जीवित रहने की धारणा।

(द) सुरक्षा आमाजिक चेतना की इच्छा।

ये उपर्युक्त बातें हैं जिनको देखते हुए श्रमिक को, भी मानवीय आधारों पर समाज में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। अत यहाँ है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते ही नहीं बल्कि उद्योग का एक सक्रिय साधन होने के नाते भी श्रमिक आत्म सम्मान और प्रतिष्ठा का अधिकारी है और यह प्रतिष्ठा उसे उद्योग में प्रबन्धक समान हिस्तेदार बनाकर ही दी जा सकती है। जी० एस० वालपोल ने उचित ही वहाँ है “ समस्त मानवीय इच्छाओं में सब अधिक तीव्र इच्छा मानव के रूप में सम्मान पाने की है। यह बात केवल जिकायत करने अथवा सुझाव देने के अधिकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह ऐसा करने वे उत्तरदायित्व को मान्यता देना चाहता है क्योंकि एक कर्मचारी होने के नाते वह उस उद्योग का संयुक्त भागीदार है जिसमें उसका रूपया लो नहीं किन्तु जीवन लगा होता है।”^१ प्लेन्डर्स महोदय (Flanders) उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों की दो गय और सहयोग को प्राप्त करना एक नैतिक प्रश्न है जिसका महत्व आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्णतया अलग है। श्रमिक मानव होने के कारण मानवीय और सामाजिक व्यवहार के अन्तर्गत अपनी एक प्रतिष्ठा रखता है और यह अवश्य इच्छा रखेण्टुकि समाज उसको उचित सम्मान प्रदान करे। इतनी ही नहीं वह आत्म-सम्मान का अधिकारी है।”^२

श्रमिकों को उद्योगों में प्रबन्ध देने के लाभ या महत्व

उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों को भाग देने की योजना अनेक प्रकार से लाभदायक सिद्ध होती है। योजना के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं—

पारस्परिक सद्भावना की स्थापना। इस योजना के परिणामस्वरूप अन्देरे औद्योगिक सम्बंधों की स्थापना होनी है। श्रमिक और नियोक्ता दोनों काफी समीप आ जाते हैं और उसमें पारस्परिक सहयोग की भावना बढ़ जाती है। जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादकता व कार्यदक्षता में बृद्धि होकर उत्पादन में बृद्धि होती है।

1. It is not a matter of a man being accorded the privilege although an employee, of stating a complaint of offering a suggestion, but of having a recognized responsibility for doing so because he is an employee and therefore a joint owner in the enterprise in which he is investing not money but his life G -S Walpole, Management and Man.

2. Allen Flander's : The Trade Unions,

२ ओद्योगिक शाति इस योजना के अत्यन्त श्रम और पूँजी दोना एक-दूसरे के काफी निकट आ जाते हैं और वे खुँसा अनुभव करने लगते हैं कि उद्योग हथी चक्की वे अनिवार्य पाठ हैं। जिसमें ओद्योगिक सघश समाप्त होकर ओद्योगिक शाति स्थापित होती है। मानसिक शाति की इस भावना से केवल एक सम्मान को विशेष लाभ नहीं पहुँचता बल्कि समस्त राष्ट्र लाभान्वित होता है।

३ उत्पादवता और उत्पादन में वृद्धि इस योजना के कारण श्रमिक अधिक पारंपरम एवं काम करता है वयोंकि उसके हृदय में उत्साह एवं लगन की भावना आ जाती है। प्रबन्ध में भाग मिल जाने पर श्रमिकों में विश्वास उत्पन्न होता है जिसमें उसकी कायदानना प्रदत्ती है। कलन उत्पादन सागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि होती है।

४ ओद्योगिक जनतन की स्थापना यह योजना ओद्योगिक जनतन की स्थाना में भी काफी सीमा तक सहायक होती है। क्योंकि सस्ता की प्रबन्ध व्यवस्था में बवन सना-योजना का गतिशील नहीं होता बल्कि यह मन भी अग्र पूँजी के स्वामी होने के लिए प्रबन्ध व्यवस्था में भाग ले सकते हैं।

५ विदेशीकरण एवं वैज्ञानिक प्रबन्ध की योजना में सहायक सामाजिक व्यवस्था में वित्तीकरण व वैज्ञानिक प्रबन्ध की योजना का शामिल रहा निर्गोष न है परन्तु जब उनमें परामर्श के योजनायें प्रारंभ की जायेंगी तो यह भविष्य ही सफल होगी।

६ अथ लाभ इस योजना में कुछ अत्य लाभ इस प्रकार हैं—

(अ) ओद्योगिक त्रान एवं श्रमिक वर्ग का महन्त वढ जाता है।

(ब) प्रबन्ध वैक्षणिक में वृद्धि होती है।

(म) श्रमिकों की अपेक्षा यह वर्ग जानी है तथा उनमें आत्मसम्मान का जागरण होता है।

होना चाहिए तथा भजदूर और टेक्नीशियनों को जहाँ भी सम्भव हो सके, प्रबंध से सहयोग करना चाहिए।" द्वितीय पचवपीय योजना में भी शम की प्रबंध में सहभागिता पर जोर दिया गया। परिणामस्वरूप पन्द्रहवाँ भारतीय शम काफ़ेस में संयुक्त प्रबंध परिषदों के उद्देश्य कार्य व स्वरूप निर्धारित कर दिये गए। 1958 एवं 1960 में हुए त्रिदलीय सम्मेलनों वे इस योजना में आवश्यक सशोधन भी किये हैं।

कार्य (Functions) of Joint Management Councils -

प्रारम्भ में संयुक्त प्रबंध परिषदों को मुख्यतया दो कार्य संप्रेरणे (i) कल्याण-कारी सुविधाओं का प्रशासन, और (ii) सुरक्षा उपायों का पर्यवेक्षण। लेकिन बाद में इन्हे सूचनाएं प्राप्त करने और उपक्रम के उन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर संयुक्त परामर्श करने का अधिकार दिया गया जो शम और प्रबंध के फारस्परिक हित म है।

संयुक्त प्रबंध परिषदों के कार्यों को विस्तृत रूप में निम्न प्रकार सम्झ किया जा सकता है—

(अ) परामर्श सम्बन्धी कार्य—(i) स्थायी आदेशों के प्रशासन तथा सशोधन सबधी कार्य (ii) कार्य पूर्णत बन्द करना या कार्य के थण्टों में कमी करना (iii) विवेकीकरण (iv) सेवा कटीती (v) छटनी यम्बन्धी कार्य।

(ब) सुभाव सम्बन्धी कार्य—निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में परिषदें सूचना प्राप्त करने और सुझाव देने का कार्य करती है—

(1) व्यावसायिक इकाई की सामान्य आर्थिक स्थिति। (ii) बाजार उत्पादन, व विक्रय कार्यक्रम की स्थिति (iii) संगठन एवं भागान्य काय निष्पादन। (iv) उत्पादन एवं कार्य की विधिया। (v) वार्षिक चिटठा लाभ हानि साता आदि। (vi) इकाई के विस्तार व पुनर्निर्माण की दीर्घकालीन योजनाएं। (vii) दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत अन्य मामले। (viii) ओद्योगिक इकाई की आर्थिक स्थिति वो प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ।

(स) प्रशासनिक उत्तरदायित्व के कार्य—(i) कल्याणकारी कार्यों का प्रशासन (ii) सुरक्षात्मक उपायों का पर्यवेक्षण (iii) व्य वमादिक प्रणाली काय (iv) अन्य कोई विषय जिसे परिषद द्वारा निश्चित किया जाय। (v) शमिकों के महत्वपूर्ण सुभावों के लिए पुरस्कार। (vi) काय व घट आराम एवं उपचार सम्बन्धी तारिकाएं बनाना एवं सार्गु करना।

प्रगति—भारत में सर्वप्रथम 1957 में सिम्पस युप इंडिया मर्ग म संयुक्त प्रबंध परिषद की स्थापना की गई। बाद में 1965 म दुसरी योजना तूम द्वारा भगतीर मे एवं 1959 म टिस्को (Tisco) म संयुक्त प्रबंध परिषद वाई ८० इमरे द्वारा इन परिषदों की सम्या निरन्तर बढ़ती चली गई।

31 दिसम्बर 1980 तक 588 सम्यानों म काय समिनिया काय रन रो पी।

मनुषन प्रबंध परिषदों वा वत्तमान सम्प्रय अभिक प्रशासनी नहीं रहा। एक रण योद सार पर धम मम इन परिषदों के कार्यों के लिए गवाने रन उन मारा है।

4 उद्योगों को सहकारिता के आधार पर संगठित किया जाय जिससे श्रमिक केवल धम में ही नहीं बल्कि पूजी में भी अपना योगदान दे सकें।

5 श्रमिकों को विचार व्यवत करने तथा अपने संगठन बनाने स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

6 सेवायोजको एवं श्रमिकों वे भव्य विचार विमर्श की मुद्द़ व्यवस्था निर्मिती जी जानी चाहिए।

7 प्रबंध के सभी स्तरों में श्रम को भाग दिया जाना चाहिए।

8 श्रमिकों में आपसी विश्वास और सद्भावना का अच्छा बातावरण उत्पन्न किया जाना चाहिए।

3 अनटूबर से 5 अनटूबर 1975 तक जयपुर में जायोजित प्रबंध में श्रमिकों की सहायता पर राष्ट्रीय परिसवाद ने तीन स्तरों पर सहभागिता की स्थापना की सिफारिश की है। श्रमिकों को कारखाने के स्तर से लेकर उच्च राष्ट्रीय प्रबंध व्यवस्था में साझेदार बनाना होगा, इसके लिए परिसवाद ने निम्नलिखित तीन समितियों की स्थापना की मिकारिश की है।

(अ) वर्कशाप स्त्री समिति यह समिति उत्पादन की समस्याओं एवं उत्पादन स्थल को पूरा करने पर कार्य करेगी। इसमें नीचे से नीचे स्तर के श्रमिकों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

(ब) विभागीय समिति यह समिति उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु बाब-इयक विभागोंय सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगी। साथ ही यह वर्क-शाप स्त्री समिति स समन्वय स्थापित करके लक्ष्यों को पूरा करने हेतु बाबश्यक साथन जुटाने का कार्य करेगी।

(ग) समन्वय स्तरीय समितियों में श्रमिकों को समुनित अधिकार प्रदान किये जाने चाहिए। प्रारम्भिक तौर पर योजना को कोयला, इस्पात, भारी इजीनियरिंग एवं उचंरक के कारखानों में लागू किया जाना चाहिए। इससे उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ देश का तीव्र गति से विकास हो सकेगा तथा वे अपनी कठिनाइया एक दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे।

भारत में ओद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों का भाग

(Workers' Participation in Management in India)

भारत में इस प्रकार की अवधारणा का प्रारंभ नहाना नाकों के द्वारा होने के सिद्धांत (Doctrine of Trusteeship) से समझना चाहिए। एक बार बहुमतावाद मूर्ती वस्त्र उद्योग में चल रहे मुख्यों ने सदमें में महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि प्रबंध म श्रमिकों को भाग दिया जाय तो यह सम्पूर्ण समाज के हित की बात होगी। भारत में ओद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों को भाग देने का प्रयास संघर्ष-प्रयत्न-सन्-1938 में दिल्ली कलाप एवं जनरल मिल्स का निर्णय के प्रयास में परन्तु इस रिपोर्ट में अन्य संघाओं ने स्वतंत्रता से पूर्व होई प्रयास नहीं किये। सरकारी प्रयासों में वर्ष-

प्रबन्ध सत् 1947 में ओद्योगिक संघर्ष अधिनियम पास किया गया जिसके अन्तर्गत मार्टिन लैंसन ने दोनों वर्गों में सामूहिक स्वतंत्रता का तो प्रयत्न किया परतु ओद्योगिक प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने की समस्या अद्यतीती बनी रही। इनके पश्चात सन् 1948 और 1956 की ओद्योगिक नीतियों में भी इस ओर सकेत किया। 1956 की ओद्योगिक नीति ने कहा गया 'एक समाजवादी प्रजातंत्र में थम विकास के सामान्य कार्य में सम्भार है और उसे उत्तराहृष्टवं उसम हाथ बनाना चाहिए। प्रबन्ध एवं थम के उत्तराधिकारों को मान्यता देकर ओद्योगिक सम्बन्ध विषयक अधिनियम पास किये जा चुके हैं और एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित हो चुका है। रामोहिक विनार विनियम होना चाहिए और जहां मम्भव हो श्रमिकों व तकनीकी विशेषज्ञों की धीरे धीरे प्रबन्ध में भाग देना चाहिए।

श्रमिकों के प्रबन्ध में भाग लेने की आवश्यकता पर जोर देते हुए द्वितीय पचार्यों द्वारा में यह कहा गया था—'एक समाजवादी समाज की रचना नाभकारी सिद्धातों पर नहीं की जो सकी। उसने लिए समाज-सेवक के विद्वातों का आनन्द पढ़ेगा। यह आवश्यक है कि श्रमिक यमर्खे कि वह प्रगतिशील राष्ट्र के निर्धारण में अपना योग दे रहा है। प्रजातात्त्विक समाज को मर्गित करने के पहले ओद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना अत्यावश्यक है। (द्वितीय योजना के सफल सचालन के लिए कर्मचारियों का प्रबन्ध से अधिकाधिक सहयोग अनिवार्य है) इसमें उत्पादन में वृद्धि होगी श्रमिक के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में तथा माथ ही माथ मजदूरों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वा अवसर मिलेगा जिसमें ओद्योगिक शास्ति होगी। योजना में यह स्वीकार किया गया कि योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए थम के प्रबन्ध में साथ अधिकाधिक प्रयोग आवश्यक है।

आगे चलकर योजना आयोग ने इसी विस्तृत योजना तंत्रार की ओर वहा कि ओद्योगिक प्रजातंत्र समय की पुकार है। उन्होंने महभागिता वे निम्न सामूह बता कर विभिन्न दृष्टिकोणों व उद्योगपतियों को आकर्षित करने की चेष्ठा की—

- (अ) उत्पादकता में वृद्धि होने की सम्भावना
- (ब) श्रमिकों और सेवायोजकों में शास्ति बनी रहेगी।
- (स) श्रमिकों का ज्ञान विकसित होगा जब वे प्रबन्ध में भाग लेने लगें।
- (द) श्रमिकों की आत्म-सम्मान प्राप्त करने की नीतिक माग की पूर्ति होगी।
- (य) समस्त राष्ट्र को लाभ होगा।

द्वितीय पचार्यों योजना में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि इस उद्देश्य को प्राप्ति के हेतु देश में ऐसी प्रबन्ध परिवर्तनें बनाई जाय। जिनमें प्रबन्धको, तकनीक विदेशी तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि हों।

द्वितीय पचार्यों योजना के प्राप्त में भी वहा गया था। "आधिक व्यवस्था के सांतिपूर्ण और प्रजातात्त्विक दण्ड से विकसित होने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग एक आधारभूत सिद्धात के रूप में स्वीकृत कर लिया जाय।"

भारत में उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों को भाग दिये जाने वे सम्बन्ध में किये गये

योजना में कोई अधिनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तथा अनुभव के तौर पर मार्व-जनिक तथा निजी क्षेत्र की 50 ओद्योगिक संस्थाओं में यह योजना लागू की जानी चाहिये। जिन उद्योगों की इकाईयों को चुना जाय जिन आधारों को उसकी कमोटी माना जाय—(अ) उस इकाई में कम से कम 500 श्रमिक कार्य करते हो। (ब) उस इकाई में एक सुसंगठित व भज्वून श्रमिक संघ हो। (स) उस इकाई में अच्छे ओद्योगिक संघ बने रहने का प्रमाण हो। (द) नियोक्ता और श्रमसंघ क्रमशः किसी बेन्द्रीय नियोक्ता संघ और संघ का सदस्य हो।

३ निवलीय गोष्ठी सन् 1958 जनवरी-फरवरी सन् 1958 में एक निवलीय (सरकार उद्योगपति और श्रमिक) गोष्ठी का आयोजन किया गया। इन गोष्ठी के मुहूर्य निष्कर्षों में निम्नलिखित निष्कर्ष विशेष रूप से उल्लेखनिय हैं—

१ संयुक्त परिषदों में मालिकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर-बराबर होनी चाहिये तथा यह संख्या 12 से अधिक भी नहीं होनी चाहिये। छोटे छोटे संस्थानों में सदस्या की संख्या 6 से कम नहीं होनी चाहिये,

२ जो भी नियन्त्रण किये जायें वह सर्वसम्मति से हो,

३ शामक संघों में यथा सम्भव श्रमिकों के प्रतिनिधि स्वयं श्रमिक ही होने चाहिये। जहाँ श्रमिक संघ यह अनुभव करें कि उनके संगठन में बाहरी व्यक्तियों वो भी सम्मिलित किया जाय वहाँ ऐसे सदस्यों की संख्या 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

४ संयुक्त परिषदों की इकाई के आधार पर स्थापित किया जाना चाहिये। जहाँ एक ही संस्थान में अनेक विभाग हैं वहाँ संयुक्त परिषदों में प्रतिनिधित्व का प्रश्न संघ और संस्थान पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए, एक ही क्षेत्र और एक ही प्रबंध के अन्तर्गत यदि विभिन्न संस्थान हों तो प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी प्रथम तो इकाई के आधार पर और बाद में बेन्द्रीय परिषद् की स्थापना करके की जानी चाहिये। इस गोष्ठी में यह मूल्यांकित किया गया कि परिषद् कल्याण मम्बाई कायक्रमों का प्रशासन करेगी, सुरक्षा संबंधी उपायों तथा छुट्टियों की अनुसूची का निरीक्षण करेगी इसके अतिरिक्त यह परिषद् उपक्रम की आर्थिक स्थिति, उत्पादन एवं विक्रय के कायक्रम और वार्षिक चिट्ठा तथा उसका स्पष्टीकरण और अन्य इसी प्रकार की बातें जो आपस में तय की जा सकती हैं, के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर सकती हैं, अपने सुझाव दे सकती हैं।

५ हिंदीय विचार गोष्ठी 1960 नई दिल्ली में 8 और 9 मार्च सन् 1960 को श्रमिकों का प्रबंध में भाग लेने के प्रश्न पर एक दूसरी विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में देश में इस आयोजन की प्रगति का मूल्यांकन किया गया और कहा गया कि भारत में इस योजना को आशातीत सफलता नहीं मिली है। सन् 1956 में निर्धारित 50 ओद्योगिक संस्थाओं के स्थान पर केवल 24 ओद्योगिक संस्थानों में ही संयुक्त प्रबंध परिषदों की स्थापना हो पाई थी।

इस गोष्ठी में यह विचार व्यक्त किया गया कि केन्द्रीय व प्रान्तीय स्तरों पर ऐसा उपयुक्त संगठन बनाया जाय जो यह देखे कि संयुक्त प्रबंध परिषदें प्रभावशाली ढंग से कार्य करें। केन्द्र में एक निवलीय समिति ही बनाइ जाय जो योजना की प्रगति

की समीक्षा तमय-समय पर करे और इसके नियान्वयन में जाने वाली कठिनाइयों का विस्तैपण करे।

भारत सरकार ने गोद्वारी सुझावों को कार्यान्वयन करने के लिए उचित कदम उठाए हैं। उद्घोगों के प्रबन्ध में शमिकों को भाग देने को प्रोत्साहित करने के लिए शमय रोजगार मकालय में एक विशेष विभाग स्थापित कर दिया है। इसके अतिरिक्त 22 फरवरी 1961 में अन्तर्राजिय वा मध्यी सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें यह नीति स्वीकार की गई कि रार्बेंजनिक धरों के उपकरणों में जहाँ भी अनुकूल बातावरण हो दम व्यवस्था की लागू किया जाए। मार्च सन् 1965 में ग्रन्ड्रोय अम शिक्षा मडल द्वारा बर्वई में 3 सेश्रीय गोष्ठिया आयोजित की गई। इसका उद्देश्य संयुक्त प्रबन्ध परिषदों की स्थापना तथा नियोजनाओं और शमिकों को इस विचारधारा का महत्व समझाना था।

मई 1971 में शमय संघों के प्रतिनिधियों ने समक्ष भाग्य में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था “जब आप ओदोगिक सम्बन्धों के सुधारने पर विचार करें तो आपको सार्वजनिक उपकरणों में प्रबन्ध तथा शमय के मध्य व्यवस्था तथा लाभकारी सहयोग पर भी विचार करना चाहिए।” इस महोग के अन्तर्गत शमिकों को उपकरण के विभिन्न स्तर पर उत्पन्न समस्याओं के मुलाकाने में शामिल किया जाना चाहिए।

26 जून 1975 को अन्तर्रिक आपातस्थिति द्वी घोषणा के बाद ओदोगिक संघों के सेव भव्यापक सुधार हुए। इस संग्रह में जो लाभ प्राप्त हुए उनमें स्थायित्व साने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रयास विए गए। इन प्रयासों में एक प्रयास ओदोगिक प्रबन्ध में शमिकों को भाग देना भी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1 जुलाई 1975 को प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा घोषित 20 मूल्रोय आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने 30 अक्टूबर 1975 की एक नई शमिक भागीदारी व्यवस्था का मूलपात्र किया है और इस उद्घोगों में इन्हाँचारी भागीदारी की सज्जा दी है। इस व्यवस्था के अधीन शांप परिषदों तथा संयुक्त परिषदों की स्थापना वा प्रावधान किया गया है।

इस योजना की मुख्य विशेषता इस प्रकार है—

(1) सोमान्सेप्र (Coverage) प्रारंभ में यह योजना विनिर्माण और खनन उद्घोगों (Manufacturing and mining) म लागू की जाएगी चाहे वे सार्वजनिक सेव में हो या निजी या सरकारी सेव में। इनमें विभागीय हृष में चलाए जाने वाली इकाई (units) भी सम्मिलित हैं, जो हेसी इकाई म संयुक्त संस्थानकार परिषद् स्तर का दाना कार्य कर रहा हो या न कर रहा हो।

इस समय यह योजना इन उद्घोगों की उन इकाइयों पर लागू होगी जिनकी नामा यनियो (rolls) पर 500 या उसमें अधिक शमिक है। इस योजना में शांप/विभागीय स्तर पर शांप परिषदों की तथा उपकरण स्तर पर संयुक्त परिषदों की व्यवस्था होगी।

2 शांप परिषदें (Shop Councils) — शांप परिषदों के द्वारा भाग लेने वो योग्य प्रबन्ध संबंधी योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं—

(i) 500 या उससे अधिक शमिक नियुक्त हरने वाली प्रत्येक ओदोगिक संस्था

न सेवायोजक द्वारा प्रत्येक विभाग दा शॉप हेतु एक परिषद निर्मित की जाएगी ।

(ii) इर परिषद मे श्रमिको और नवायोजको के ब्रावर वरावर प्रतिनिधि रहें ।

(iii) नियंत्रक जैसी भी स्थिर हो उसक अनुभार, मानदता प्राप्त सध या विभिन्न पंजीकृत अम सधा के गाथ या श्रमिको क साथे मलाह करके ऐसी विधि मे जो स्थानीय दशाओं के लिए मर्वाधिक अनुकूल हो यह निर्णय करेगा कि उपक्रम या प्रतिनिधि उपक्रम के हुए परिषद के साथ इतनी शार परिषदें और कितने विभाग सबद्व किए जाएं ।

(iv) "ए परिषद के समस्त विभाग भास भत के आधार पर दिए जाएंगे लेकिन हर पथ तप्त न कि" तासक्तन वापे मामलों को विचार के सिए सम्युक्त परिषद वो सौंप सकता है ।

(v) शार परिषद का प्रबन्धक विषय एक माह के भीतर मवधित पक्षो द्वारा लाग किया जाना चाहिए ।

(vi) वे विषय चिन्का प्रभार दूसरी स्थाया पर पड़ता है, विचार या अनुमोदन के लिए भयुक्त परिषद को सीरे लात है ।

(vii) कोई भी शॉप परिषद 1 वार बनो के बाद 2 वर्ष तक कार्य करेगी । इसकी बैठक मात्र पाँच बार होना अ बन्धन है ।

(viii) शार परिषद का अध्यक्ष प्रबन्धक द्वारा मनोनीत किया जाएगा और उपाधाक उपरिषद क श्रमिक मदस्या द्वारा अपने मे मे स्वय चुना जाएगा ।

3 शॉप परिषदो के कार्य (Functions of shop Councils) शॉप परिषदो को शार या विभाग वे उपादान उसकी उत्पादिता और व्यापक कार्यकुशलता के बढावे के लिए निम्नलिखित मामलो पर ध्यान देना चाहिए—

1 अपव्यय को दूर करने तथा मनोनीत शमता एव जनशक्ति के अधिकतम उपयोग को सम्मिलित करते हुए उत्पादिता और व्यापक कार्यकुशलता मे सुधार करना ।

2 मासिक वार्षिक उत्पादान नद्यो को प्राप्त करने मे प्रबन्ध की सहायता करना ।

3 सुरक्षा सबधी उपाय अपनाना ।

4 शॉप/विभागो मे सामान्य अनुशासन बनाए रखने मे मदद देना ।

5 निम्न उत्पादिता के क्षेत्रो की विशेष रूप ने महचान करने और इसम सबधित कारणो को दूर करने के लिए शाप स्तर पर आवश्यक सुधारास्मव कार्यदाती करना ।

6 शॉप/विभागो मे नुपस्थित का अध्ययन बरना और इसको कम करने के मुधाव देना ।

7 शॉपो, विभाग को सुचाह रूप म चलाने हेतु अपनाए जाने वाली वर्त्याण आव स्वास्थ्य सबधी कायवाहिया करना ।

8 काय बरने की भौतिक दशाए, जैस प्रकाश, सवातन (Ventilation) शौर, धूल आदि और घकान को दूर करना ।

६ प्रश्नवर और अधिकों के मध्य विशेषवर उत्पादन आकड़ो, उत्पादन अनु-सुचियों और तक्षणों की प्राप्ति में प्रयत्न से सवधित मामलों में समुचित दुनरफा सबध (two way communication) मुनिदिचत करना।

~~4~~ ४ समुक्त परिषद (Joint council) वे भी बोरोगिन इकाई जहा ५०० या इसमें अधिक शमिक काय करत है वहा एक इकाई के लिए समुक्त परिषद योजना की बुझ गाँव इस प्रकार है—

परिषद दा वर्ष तक बायं करेगी।

वे ब्रह्मा ही समुक्त परिषद व सदस्य ट्रोग जो वास्तव म इकाई म कायरत है।

३ समुक्त परिषद अपन मदस्या म एक समिति का निर्दिचन करेगी। मनिव का बुझतापूर्ण बायं करने के लिए बावश्यक सुविधाए उपकरण, स्थान व भाव (premises) म भी जाएगी।

४ समुक्त परिषद वे चेयरमैन इकाई के मुख्य प्रबाहक होये एक उपचेष्ठमें होंगे जो परिषद व अधिक सदस्यो द्वारा मनोनीत हिंग जाएग।

५ समुक्त परिषद ही बैठक बम्बम तीन माह म एक बार अवश्य होगी।

६ समुक्त परिषद का प्रत्यक निर्णय सदसम्मति व आधार पर होगा अर्थात् और प्रविता व अधार वर नही। यह निर्णय नियोजनो एव श्रिगिका ए तिंग वधावारी होगा और ब्रह्म तर निर्णय म ही बुझ और न बहा गया हो एक माह म लागू करना होगा।

७ परिषद का गठन हो जान पर वह दो वर्ष की अवधि के लिए कायं करेगी, परनु यदि एक मदस्य की अवधिक रिक्तता को भरने के लिए परिषद वी भव्यावधि म मनोनीत किया जाता है तो यह सदस्य परिषद वी दोष अवधि के लिए बना रहगा।

८ समुक्त परिषद के कायं (Functions of Joint Council)—समुक्त परिषद को निम्न मान्यों से सबधित कायों व उनका चाहिए—

(१) बिसी गाँव परिषद वे कायं जो दि किसी और गाँव या गमस्त इकाई पर प्रभाव डालते हैं।

(२) एक सपूर्ण इकाई हेतु बायं बुझता, अधिकतम उत्पादन और मशीन एव अदिक ए वित उत्पादित मानको का विपरिणय करना।

(३) बायं योजना और उत्पादन लक्ष्यो की प्राप्त करने के बारे म समन्वयाद्वय म इकाई म बढ़वित मामल।

(४) गाँव परिषद म उत्पन्न गोश मामले जो अनिर्णीत हो हैं।

(५) अधिको मे प्राप्त बहुमूल्य और मृज्ञामक मुद्राओं के लिए पुरस्कार दना।

(६) बायं के घटे तथा अवकाशो वी अनुमूल्यित बनाना।

(७) अधिको वी बुझता रा विकास और प्रशिक्षण हेतु दर्याना सुविधा।

(८) इकाई या सवद हेतु बन्धाण, मामल्य स्वास्थ्य और गुण्डा सवभी उपाय।

(ix) कच्चे माल और तैयार निर्मित वस्तुओं की किस्म का और अनुकूलतम् प्रयोग।

6 गठन (Composition) विभिन्न उद्योगों में एक इकाई में दूसरी इकाई में विभिन्न दशा में पर्याप्त विभिन्नता है। भारत सरकार में एक ही मन्त्रालय के अधीन विभागीय उपक्रमों और सरकारी क्षेत्रों के उद्यमों को भी स्थानीय दशाओं और उनकी निजी आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए विभिन्न विधियों को अपनाना पड़ता है। इस विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए, शाँप परिषदों और सयुक्त परिषदों के गठन के लिए विशेषकर श्रमिकों के प्रतिनिधित्व में सबधित एक-सा ढाचा निर्धारित नहीं विधा जा रहा है। प्रबंधवों को श्रमिकों के साथ समाह वर्तक प्रतिनिधित्व का अत्यत उपयुक्त ढाचा विकसित करना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रमिकों प्रतिनिधित्व वा परिणाम श्रमिकों की प्रभावी अर्थपूर्ण और विस्तृत आधार पर साझेदारी निकले।

ऐच्छिक प्रकृति की इस योजना को सरकारी प्रस्ताव के रूप में रखने के 2 प्रमुख कारण बताए गए—(i) औद्योगिक सघर्ष अधिनियम के अतिरिक्त बनाई जान वाली कार्यसमिक्षियों का अधिक सफल न होना और (ii) अच्छे औद्योगिक सबधों को बनाए रखने के लिए 1958 में शुरू की गई सयुक्त प्रबंध परिषदों के ऐच्छिक योजना द्वारा मतोषजनक परिणाम प्राप्त न किया जा सकना।

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी की यह नवीन योजना एक उत्तम योजना है। इस योजना में निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्योगों ने पर्याप्त रुचि दिखाई है।

2 42वा संविधान संशोधन अधिनियम और प्रबंध में कर्मचारी सहभागिता—भारत सरकार ने जनवरी 1977 में 42वा] संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार सरकार ने उपभोक्ताओं को अधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रबन्ध में कर्मचारियों की योजना सार्वजनिक क्षेत्र के सभी व्यावसायिक एवं सेवा मंगठों में जिसमें 10% या इससे अधिक कर्मचारी काय करते हैं लागू की है।

भारत सरकार ने सितम्बर 1977 में केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में प्रबंध एवं अशबूझी में श्रमिकों का भाग लेने के सम्बन्ध में अध्ययन हेतु एक विषयकीय समिति का गठन किया। समिति न बढ़तूबर 1978 में ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट की मुख्य सिफारियों निम्नलिखित हैं—

(1) श्रम प्रबंध सहभागिना की योजना को लागू करते समय निजी, सार्वजनिक या सड़कारी क्षेत्र में किसी प्रकार का अन्तर नहीं किया जाना चाहिए।

(2) अधिवाश मदस्यों ने सहभागिता की तीन दायर व्यवस्था का समर्थन किया है। ये स्तर हैं कम्पनी स्तर, व्यापार स्तर और शाप प्लोट्स्टर। निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों ने दो दायर व्यवस्था की समर्थन किया है ये हैं शाप स्तर एवं प्लान्ट स्तर।

(3) अक्ष भागिता के सम्बन्ध में समिति ने विचार प्रकट किया है कि यह बैकलिंक ही रहनी चाहिए।

(4) प्रबंध में सहभागिता की योजना को लागू करने एवं इसकी क्रियाशीलता

इन समितियों के निषय क्षेत्र से बाहर रखी जाती है। इसका कारण यह है कि इन मामला को प्राय भावूहिक सौदेबाजी के अधीन तथा किया जाता है। संयुक्त प्रवध परियद का मुख्य उद्देश्य शमिकों और प्रवधकों को एक सूचकान्वयना है। दस्तक्षमिकों का मनो बल बढ़ता है उत्पादन म वृद्धि होती है, बौद्धोगिक सम्बद्ध मुद्रा और मध्येर बनते हैं तथा दोन। पथा क मध्य विचारा और सूचनाओं का अधिक सुना एवं मैत्रीपूण आदान प्रदान होता है।

यह सुझाव दिया था कि सार्वजनिक उपकरणों के सचालन मडलो में श्रमिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति बी जाय। सरकार हारा इस सुझाव को मान लिया गया है। सन् 1971 में प्रथम बार सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में मजदूर सचालक की प्रथा का प्रारंभ किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपकरणों—हिंदुस्तान आर्मेनिक कैमिकल्स तथा हिंदुस्तान एन्टी बायोटिक लिं. में यह योजना प्रयोगात्मक आधार पर प्रारंभ की गई थी। अब यह योजना कुछेक राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी प्रारंभ कर दी गई है। इस योजना में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सचालक मडल में मजदूरों का प्रतिनिधि मान्यता प्राप्त अम सघ हारा नामित डोना चाहिए तथा वह उपकरण में कार्य कर रहे मजदूरों में से ही कोई होना चाहिए।

भारतवर्ष में अभी यह कार्य एक प्रयोग के रूप में किया जा रहा है। यदि यह सफल रहा तो निश्चित रूप से इसका विस्तार किया जाएगा।

4 शॉप परिषदें तथा संयुक्त परिषदें (Shop councils and joint councils) अब टूटा 1975 में श्रम मत्रालय ने उद्योगों में कार्यशाला स्तर पर शॉप परिषदें तथा एलान्ट स्टर पर संयुक्त परिषदें गठित किये जाने की घोषणा की है। इन परिषदों की विस्तृत व्याख्या हम पूर्व में कर चुके हैं अत उनकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।

श्रम मत्रालय की रिपोर्ट 1977-78 के अनुसार यह योजना अब तक केंद्रीय सरकार की 545 उपकरणों राज्य सरकारों के 167 उपकरणों, सहकारी क्षेत्र के 993 उपकरणों तथा निजी क्षेत्र के 1132 उपकरणों में लागू हो चुकी है। वास्तव में यह योजना आपानशाल की देन है और इसकी सफलता के बारे में कुछ भी निष्कर्ष निकालना कठिन है।

जनवरी 1977 में एक अन्य योजना सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े पैमान पर जनता में कारोबार करने वाले उन व्यापारिक तथा सवा संगठनों के प्रबंध में जिम्मे वाले से कम 100 व्यक्ति काय करते हैं कमचारियों की साभदारी की घोषणा की गई है।

- 1. अस संगठन के द्वारा स्थायी श्रम शक्ति होने के कारण भारत में सुदृढ़ श्रम समर्टनों का विवास नहीं हो सका है। श्रमिकों की जलग-अलग अम मगठनों हैं और सभी श्रमिक इनके सदस्य नहीं हैं। जो श्रमिक गदस्य हैं, वे भी नियमित हृष म संघ का चदा नहीं देते। ऐसी स्थिति में श्रमिकों से यह बाधा कैसे की जा सकती है कि प्रबंध के कार्यों में पूरी रूचि लेंगे तथा अपनी आदिक स्थिति को दूढ़ करने का प्रयत्न करेंगे अथवा उद्योग के उत्पादन की वृद्धि में रुचि लेंगे।

- 2 भावश्यक सहयोग और उत्साह का समाचार : पहली लेकामोजकों और श्रमिक मध्ये न इस योजना का स्वागत किया है और अपना पूर्ण सहयोग देने का वायदा किया है नेविन व्यवहार में इन श्रमिक संघों ने यह सहयोग और उत्साह नहीं दिखाया है जो इस तरह की योजनाओं की सफलता के लिए चाहिए।

3 मिल मालिकों का विरोध नियोक्ता वर्ग इस प्रकार की योजना का विरोध बरते हैं। उनका मत है कि उद्योगों का प्रबंध करने का अधिकार वेवल उन्हीं को है। वे अहते हैं कि जिस प्रकार गाड़ी दो ड्राइवर के होने ने नहीं चल सकती उनीं प्रकार दो प्रबंधकों में सुप्रबंध म फटिनाइया उपस्थित होगी।

इसी प्रकार सदायोजक श्रम को प्रबंध में भाग देना और मयुक्त परिषदों का निर्माण करना अपने अधिकार को कम करना समझते हैं।

यह भी कहा जाता है कि श्रमिकों के प्रतिनिधियों वे पास न तो पवित्र ज्ञान हाता और न तकनीकी अनुभव। अत वे मही दिशा में मार्गदर्शन नहीं कर सकते।

4 संयुक्त प्रबंध परिषदों को राज्यकाल यात्यारों का अस्तित्व : उद्योगों में संयुक्त प्रबंध परिषदों वे संगठन तथा मफल सचालन में एक ही बाधा उनकी समस्तरीय संयुक्त समितियों जैसे Work Committee, Welfare Committee & The Emergency Production Committee इत्यादि का विद्यमान होना है। ये समितियां भ्रम उत्पन्न करती हैं और इन संयुक्त प्रबंध परिषदों की स्थापना आवश्यकता को सदिगं एव अनावश्यक सिद्ध कर देती है।

5 स्थापित संयुक्त प्रबंध परिषदों की आडिए सफलता : जिन उद्योगों में शुल्क म संयुक्त प्रबंध परिषदों की स्थापना हुई उन्हें भी वाहित सफलता नहीं मिल सकी। प्रारंभिक परिषदों की असफलता वे कारण नहीं परिषदों की स्थापना को प्रोत्साहन नहीं दिल सकते।

6 सार्वजनिक दोनों की उदासीनता : सार्वजनिक दोनों से यह जागा की गई पी कि वह संयुक्त प्रबंध परिषदों की स्थापना में पहल करवे निजी शंका के सम्मुख एक आदर्श उपस्थित रखेंगे लेकिन व्यवहार में पापा जाता है कि उन्हें पहल एव नतुरा का बायं नहीं किया है।

7 श्रमिकों का समुचित इक्टिकोष श्रमिकों के अग्निशमन होने वे का ये श्रम प्रबंध महभागिना की योजना को ठीक तरह से नहीं समझ सकते हैं। उनका दृष्टि-दोष अत्यन्त महीय है। संयुक्त प्रबंध परिषद वे सदस्य बनने वे वावजूद उनका योगदान नगम्य है।

8 अम सगठनों में राजनीतिक हस्तक्षेप औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना में अम सगठन में व्याप्त राजनीतिक हस्तक्षण भी बाधक रहा है। अनेक अम संघों के नेता राजनीतिज्ञ हैं जो औद्योगिक संघर्षों को सुलझान के स्थान पर राजनीतिक स्वाध सिद्ध में अधिक रुचि लेते हैं फलत औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना पूर्ण स्वप स नहीं हो पाती।

9 अर्थ बाधाएँ (i) प्रबंधकों वंड उपेक्षापूर्ण नीति (ii) लोकतंथ की प्रारंभिक अवस्था का अभाव (iii) श्रमिकों की निधनता।

भारत में श्रमिक भागीदारी योजनाओं की सफलता के लिए सुझाव (Suggestions for the Success of Labour Participation Schemes in India)

भारत में प्रबंध में अमभागिता योजना को सफल बनान के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं।

1 औद्योगिक वातावरण में परिवर्तन प्रबंध में अमभागिता की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि अम और प्रबंध दोनों का एकमात्र उद्देश्य उत्थोग की प्रगति करना होना चाहिए। इसने लिए एक ऐसे वातावरण की रचना करनी होगी जिसम पेशेवर प्रबंध की प्रधानता हो जो वैज्ञानिक प्रबंध में विश्वास रखना हो और अम संघ ऐस हो जो अपने को पूर्णत औद्योगिक श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु अधिन कर दे। सरकार भी यह अनुभव करे कि उसका उत्तरदायित्व के लिए नीति की घोषणा नहीं ही सीमित नहीं है बल्कि उसको यह देखने का उत्तरदायित्व भी दाना होगा कि नीति म सम्मिलित योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से कियाजिया बत किया जाय।

2 अम प्रतिनिधियों का चुनाव अम संघों को विभिन्न समितियां ये अपने प्रतिनिधि भेजने स पूर्व उनकी नीतिनिक योग्यता आदि का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए।

3 अम संघों का सुदृढ बनाना औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना म सुदृढ अम संघ विदेशी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हैं श्री दी० चौ० गिरी न भी अम प्रबंध सहभागिता की योजना को सफल बनान के लिए देश म सुदृढ अम संघों के निर्माण का सुझ व दिया है। सुदृढ अम संघों के बनान ये प्रतिनिधि अम संघ का अभाव समाप्त हो जायगा अम संघों की पारम्परिक शक्तुका समाप्त हो जायगी और अम प्रतिनिधियों के चुनाव का काय आसान हो जायेगा।

4 अमिक शिखा श्रमिकों को शिक्षित किया जाना चाहिए जिसम वे प्रबंध संबंधी उत्तरदायित्व को स्वीकार करने मे समर्थ हो सकें।

5 एक प्रतिष्ठान मे एक ही एकीकृत अमिक भागीदार योजना एक कार्रवाने प्रतिष्ठान या मिल मे अमिक भागीदारी के एक ही एकीकृत समिति होनी चाहिए जो समुक्त परिषद काय समिति या अमिक मञ्चनको वा काय करें यदि कही कायस्तर या शाँस्तर आदि पर समितया बनाने की आवश्यकता हो तो वे ये एकीकृत समिति के अतगत होने चाहिए।

6 सरकारी हस्तक्षण मे कमो मयुक्त प्रबंध परिषदों की कियाजो म सरकारी

परीक्षा-प्रश्न

1. आध्यात्मिक प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लेने की योजना से आप क्या समझते हैं? भारत में इस दिशा में क्या प्रयत्न किए गए हैं और वह किस सीमा तक सफल हुए हैं?
 2. भारतीय उद्योगों के सबध में श्रमिकों द्वारा भाग लेने की योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए?
 3. “आध्यात्मिक प्रबन्ध में श्रमिकों को भाग लेने का अधिकार यदि समय में पूर्व ही प्रदान कर दिया गया, तो या तो वह प्रबन्ध द्वारा स्तरीय लिए जायेंगे और शात कर दिए जायेंगे, अथवा यदि वह कठोर विचार वाले हैं तो नेव इरादे रखते हुए भी वह प्रबन्ध में प्रति बाधक सिद्ध होंगे।” विवेचना कीजिए।
- Q-4 प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? इनकी पूर्व शर्तों का वर्णन कीजिए।

अध्याय 5

विवेकीकरण (Rationalisation)

विवेकीकरण से आशय विवेकीकरण शब्द 'विवेक' शब्द से बना है और 'विवेक' पर अर्थ है किसी कार्य को विवेक में या सोच-समझकर करना। अतः वे समस्त जियाएं जो सोच-समझकर और बुद्धिमत्तापूर्ण की जाती हैं, विवेकीकरण के बहतगंत आती है। औद्योगिक समाज के क्षेत्र में विवेकीकरण से आशय उद्योग में तर्क या विवेक को अपनाना है। प्रत्येक उद्योग का यही विवेकपूर्ण लक्ष्य रहता है कि उनकी औद्योगिक क्षमता अधिकसम हो और प्रति इकाई उत्पादन लागत न्यूनतम हो। अतः उद्योगपति उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने और उत्पादन लागत को कम करने के लिए जो भी कार्य करता है वह विवेकीकरण के बहतगंत व्यापकता किया जा सकता है। संक्षेप में विवेकीकरण उद्योगों को कार्यक्षमता बढ़ाने और उत्पाद व्यय कम करने की एक विधि है।

विवेकीकरण की परिभाषा

विवेकीकरण के व्यापक आशय को शब्दों की परिभाषा में बौधना एक कठिन बायं है। प्रो० एच० जो० वेल्सा निहते हैं कि "ओद्योगिक एव आर्थिक समस्याओं से म रघित नदीन निमित शायद ही ऐसा कोई शब्द हो जिसके बारे में इन्हें सदेहास्पद विचार हो और जिसके इन भिन्न-भिन्न तथा विवरीत विवरण दिए गए हो।"¹ वास्तव म वेल्स वा यह कथन विवेकीकरण की व्यापकता का ही दोतक है क्योंकि विवेकीकरण दूतना व्यापक अर्थ उन्हन बतला रखत है कि भार्तुनिकीकरण, प्रमाणीकरण, विनियोगरण इत्यादि सभी वो इसम शामिल कर लिया जाता है और यही कारण है कि विवेकीकरण की वहाँ-मो परिभाषाएँ मिलती हैं। विवेकीकरण को कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं—

1 राष्ट्रीय मिताध्यिता तथा कार्यक्षमता परिषद जर्मनी (National Board of Economy and Efficiency, Germany) : 'विवेकीकरण सपुर्ण उद्योग को उन्नत करने में लिए व्यवस्थित योजनाओं एव तकनीकी साधनों का उपयोग है जिसम वस्तु लागत पर लधिता उत्पादन हो एव उत्पादन में गुणों में सुधार हो। इसका उद्देश्य

‘सस्ती कीमत पर अधिक मात्रा में अच्छे गुणों की बस्तुओं का उत्पादन करके जनसाधारण की संपन्नता में बढ़ि करना है।’

2. प्र०० सारलैट प्लोरेस के शब्दों में—“किसी उद्योग के अंतर्गत सभी इकाइयों के सामूहिक प्रयत्न में वैज्ञानिक एवं तकनीकी रीति से बदादी एवं अक्षमता दूर करने के प्रत्यनों को विवेकीकरण कहते हैं।”

इस परिभाषा के विस्तैरण करने पर विवेकीकरण (अ) मुख्य रूप से उद्योग में होने वाली बदादी और अक्षमता को दूर करना है। (ब) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक सकनीकी व तकनीकी विधार को प्रयोग में लाया जाता है। (स) इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मामूलिक प्रयत्न (प्रायः संयोजन के रूप में) किए जाते हैं।

3. अंतर्राष्ट्रीय अम संगठन 1937 की विदेशी समिति ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है : (म) साधारण अर्थ में : “विवेकीकरण किसी ऐसे सुधार को कहते हैं जिसके द्वारा पुरानी परपरागत प्रणालियों के स्थान पर नियमित एवं विवेकपूर्ण विधियों का उपयोग किया जाता है।”

(ब) अत्यंत संकुचित अर्थ में : “विवेकीकरण से तात्पर्य किसी सस्था, शासन अधिकारी अथवा गैर-शरकारी संवा में किए जाने वाले ऐसे सुधारों से हैं जिनके द्वारा पुरानी परपरागत विधियों के स्थान पर नियमित और विवेकपूर्ण नीति का उपयोग किया जाता है।”

(स) विस्तृत अर्थ में : “विवेकीकरण ऐसे सुधार को कहते हैं जिनमें औद्योगिक सस्थाओं के किसी समूह को इकाई मान लिया जाता है तथा व्यवस्थित, विवेकपूर्ण तथा संगठित प्रयास द्वारा अनियन्त्रित प्रतियोगिता से होने वाली बदादी तथा हानियों को रोका जाता है।”

(द) अति विस्तृत अर्थ में : “विवेकीकरण से तात्पर्य ऐसे सुधार से हैं जिसमें विशाल आधिक तथा सामाजिक समूहों, क्रियाओं में नियमित तथा विवेकपूर्ण विधियों का प्रयोग किया जाता है।”

इस प्रकार विवेकीकरण संकुचित अर्थ में एक कारबाने पर, विस्तृत अर्थ में एक विशेष उद्योग पर तथा अति विस्तृत रूप में समस्त समाज पर लागू होता है।

4. कर्नल एल० उर्विक ‘विवेकीकरण एक दृष्टिकोण एवं विधि दोनों ही है। दृष्टिकोण के अर्थ में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके संसार के आधिक जीवन वा अधिक विवेकपूर्ण नियन्त्रण संभव एवं दाउनीय है। विधि के अर्थ में इसका अर्थ उत्पादन, वितरण तथा उपभोग के सामान की समस्त समस्याओं में वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने से है।”¹

5. डॉ० टी० आर० शर्मा ने विवेकीकरण की व्याख्या करते हुए लिखा है कि “विवेकीकरण के दो अर्थ हैं—व्यापक अर्थ में विवेकीकरण एक उद्योग की समस्त संस्थाओं में सामूहिक रूप से सुधार करता है, जिससे सामूहिक प्रयत्नों से बदादी और

हानि कम कर दो जाए। सहनित अर्थ में विवेकीकरण औद्योगिक इकाई में गैर-आर्थिक व अकृतिपद्धतियों के स्थान पर विधिवत् व वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर सुधार करना है।¹

उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण में पता चलता है कि ये परिभाषाएँ विवेकीकरण के विभिन्न तत्वों को अनग-अलग महत्व देती हैं। परतु सार रूप में ये सभी परिभाषाएँ इस तथ्य पर जोर देती हैं कि अर्थव्यवस्था के औद्योगिक हेतु में वैज्ञानिक पद्धतियों पर विधियों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाना आहिए। भूल रूप से इसका उद्देश्य उद्योग म सभी प्रकार के अपव्ययों और बुशलताओं को दूर करना और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना है जिसमें उत्पादकता को अधिकतम बनाया जा सके। थीं ३०० यो० गिरि ने उपमुक्त हो लिखा है, 'विवेकीकरण का सार पद्धतियों में ऐसा विनियोगी परिवर्तन साजा है जो पुरानी घिसी-फटी परपराओं को और अद्यवस्थित चानूंतरीकरण को नुस्खा दर दे और उनके स्थान पर वैज्ञानिक स्वभाव के मिलातो और प्रणालियों को स्थापित कर दे।'²

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हम विवेकीकरण की धारणा को भरने गम्भीर में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं—

विवेकीकरण सामूहिक प्रयत्नों पर आधारित एक ऐसी विधि है, जिसमें पर-परामर्श एवं नीतिनिर्ण प्रणाली की जगह व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अन्वेषण एवं अध्ययन पर आधारित प्रणालियों एवं तकनीकों का उपयोग किया जाना है, जिसमें दोहरी विधाओं का नियामन हो, समय, धन एवं उत्पादन साधनों का अनावश्यक अपन्ना न्यूनतम हो तथा इसका प्रयोग और राष्ट्र के सर्वांगेष्ठ हित म हो।

विवेकीकरण की विशेषताएँ

उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन के आधार पर विवेकीकरण की विशेषताएँ निम्नलिखित हो गयी हैं—

- 1 विवेकीकरण एक व्यापक विधि : विवेकीकरण एक व्यापक विधि है जिसका उद्योग सम्पूर्ण जार्यिक हेतु में विद्या जा सकता है।
- 2 वैज्ञानिक प्रहृति के लिद्दीत एवं विधि, इसमें असामिया रिचार्जों तथा वेट्रो कार्प-विधियों का अन वरके वैज्ञानिक प्रहृति के मिलात एवं विधियों को जगनाया जाता है।
- 3 आर्थिक स्पष्टी का भल विवेकीकरण प्रतिपोषिता को समाप्त कर उद्योग नियों में सामूहिक रूप में सोचने की क्षमता प्रदान करता है।
- 4 उद्योग ही सम्पूर्ण इकाइयों का सुधार सम्भव इसमें व्यक्तिगत इकाई के स्थान पर उद्योग ही सम्पूर्ण इकाइयों के सुधार का प्रयत्न विद्या जाता है।

1 T R Sharma Indian Industrial p 101.

2 V V Giri Labour Problems in Indian Industry, p. 203

5. उत्पादन तथा माग मे संतुलन : विवेकीकरण की दूसरी प्रमुख दिशेयता यह है कि इस पद्धति के द्वारा उत्पादन तथा माग मे संतुलन रहता है।
- 6 सभी बर्पों को सामः : विवेकीकरण सम्पूर्ण समाज-श्रमिको उद्योगपतियो व उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने का प्रयत्न करता है।
- 7 नवीन विचारधारा को प्रोत्साहन : यह उद्योगों के उद्देश्य, ढाँचे तथा नियंत्रण के सबध मे एव नवीन विचारधारा वो प्रोत्साहन देना है।
- 8 वस्तुओं की उत्पादन लागत कम : उद्योगों मे विवेकीकरण अपनाने से वस्तुओं की उत्पादन लागत कम आती है।
- 9 श्रमिकों की कार्य-क्षमता मे बृद्धि : विवेकीकरण उद्योगों मे होन वाले प्रत्येक प्रबाल के अपव्यय को रोकता है जिससे श्रमिकों नी कार्यक्षमता मे बृद्धि होती है।
10. उद्योगों मे अपव्यय व अकुशलता का अंत यह मुख्य रूप से उद्योगों मे अपव्यय एव अकुशलता का अंत करता है तथा अधिक-मे-अधिक उत्पादन करने की दशाओं का निर्माण करता है।
- 11 जन साधारण के जीवन स्तर मे सुधार : विवेकीकरण से उपभोक्ताओं को सही व अचौंडी बिस्म की वस्तुए उपलब्ध होती है, जिसमे जन-साधारण के जीवन-स्तर मे सुधार होता है।
- 12 उत्पादन कार्यशीलता व प्रबध मे मित्रध्ययिता : विवेकीकरण से उत्पादन कार्यशीलता व प्रबध मे मित्रध्ययिता आती है।

विवेकीकरण के उद्देश्य

प्रधानत विवेकीकरण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1 अपव्यय को रोकना विवेकीकरण जा मुख्य उद्देश्य दोषपूर्ण सगठन, प्रतियोगियो मे अनावश्यक प्रतियोगिता, दोषपूर्ण उत्पादन विधियो एव उत्पादन के विभिन्न साधनो मे समन्वय न होने के कारण श्रम, पूँजी व साहस इत्यादि वे अपव्यय को रोकना है, जिसमे उत्पादन उचित लागतो पर किया जा सके।

2 उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग : विवेकीकरण का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष साधन का सर्वोत्तम उपयोग करना होता है। प्रत्येक देश तथा उद्योग मे साधन मीमित होते हैं। उनको कम या अधिक करना सभव नही है। विवेकीकरण की योजनाओं मे उपलब्ध साधनो वा ऐसे फ़र्म मे प्रयोग किया जाता है कि अधिकतम उत्पादन हो सके।

3 देश के उद्योग-घरों मे स्थिरता लाना : उद्योगों मे निरतर होन य देश की आधिक दशा अस्थिर हो जाती है। विवेकीकरण द्वारा उद्योगों की गिरनी टूट स्थिति को समालन की कोशिश वी जाती है। विवेकीकरण अपनाने के कारण ही सन् 1929 की विश्वव्यापी मर्दी के दुष्प्रभाव जर्मनी के उद्योगो पर नही पड़े।

4 जनसाधारण का जीवन-स्तर ऊचा करना विवेकीकरण मूल्यो वा ना र

कम करके समाज की स्तरीयता पर बस्तुएँ दिलाने पर सहायता करता है। इससे समाज के व्यक्तियों का रहन-सहन का रंगतर, समता व समृद्धि में वृद्धि होती है।

4 सामाजिक उद्योग • विवेकीकरण उत्पादन और विताण के क्षेत्र में अनावश्यक मध्यम्यों को समाप्त करता है और उपभोक्ताओं और उत्पादक के बीच प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना करता है। इस प्रकार समाज पर आधिक भार कम करना भी विवेकीकरण का एक मुख्य उद्देश्य है।

विवेकीकरण के तत्त्व अथवा पहलू

विवेकीकरण के अतर्गत उत्पादन के विभिन्न पहलूओं में सबधित विवेकपूर्ण प्रयासों की सम्मिलित किया जाता है। अत निवेकीकरण का सही अर्थ जानना तभी समव हो सकता है जबकि उसके विभिन्न पहलूओं पर तत्त्वों का अध्ययन किया जाए। विवेकीकरण के तत्त्वों को निम्नलिखित चार वर्षों में विभाजित किया जा सकता है—

1 तकनीकी तत्त्व, 2 संगठन तत्त्व, 3 विनीय तत्त्व 4 सामाजिक तत्त्व।

तकनीकी तत्त्व

(Technical Aspects)

विवेकीकरण का प्रधान पहलू तकनीकी है, क्योंकि विवेकीकरण वा मुख्य उद्योग विभिन्न अन्यव्ययों को समाप्त करके उत्पादन की किसी और मात्रा में सुधार करना है। इसीलिए उसमें तकनीकी सुधार करन होते हैं। इन सुधारों पर तत्त्वों को 'प्राकौपिक इजीनियरिंग' से सम्बद्धित नव्य वज्रा जा सकता है। इस तत्त्व में निम्नलिखित उष्टुतत्त्वों को शामिल किया जाता है—

1 प्रमापीकरण (Standardisation) प्रमापीकरण का अर्थ अनेक किसी के व्यापार पर कुछ चुनी हड्डी जटी किसी जो ही उत्पादन करना होता है। प्रौद्योगिक किसी व्यापार की किसी एक शावक में घोटे गए गोगे, किसी एक विशेषता व्यापार में सीमित वरने को प्रमापीकरण कहते हैं। प्रमापीकरण उत्पादन की किसी औजार उत्पादन-विधि जो हो सकता है। इसमें किसी व्यापार की विभिन्नता में हूनि वाली इनियरिंग दूर हो जानी है व ग्राहक को चुनाव वरने में विदेशी उत्तिनाई नहीं होती। वन्युआ ट्रैक मार्क के आधार पर बेंची जानी है। इसके व्यापार की स्थानीय बढ़नी है और माल के वेचने में अधिक प्रयत्न नहीं वरने पड़ता। डॉ० मेयर्स के जनुमार 'इसके अपनान में न वेचन उत्पादन की दामना बढ़नी है व विक्री उन्नादा-शक्ति में भी वृद्धि होती है।

2 विधियों को सरलता (Simplification) उत्पादन विधियों एवं तारों की जटिलता को समाप्त करने उन्हें सरल बना दिया विधियों दी सरलता के अनर्गत जाता है। इससे उत्पादन मात्रा बढ़ जाती है। लागत वस्तु हो जानी है तथा विक्रय में वृद्धि के साप-साप लाभ भी बढ़ जाता है।

3 यन्त्रीकरण (Mechanisation) मानवीय शर्म के रक्षान पर अधिकाधिक

यथो का उपयोग यत्त्रीकरण कहलाता है। यत्त्रीकरण विवेकीकरण की आधारजिमा है क्योंकि विवेकीकरण से तकनीकी पहलु से 'सबधित अनेक घटक जैसे प्रमाणीकरण विशिष्टीकरण, आधुनिकीकरण इत्यादि यत्त्रीकरण पर आधारित होते हैं। यत्त्रीकरण में श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ती है और उत्पादन शीघ्र एवं रूप और श्रेष्ठ किस्म का होता है।

4 गहनीकरण (Intensification) : गहनीकरण का तात्पर्य श्रमिकों की उत्पादकता और मशीनों की उत्पादन क्षमता में बढ़ करना है। मक्षेप में विद्युमान यत्त्रों व सगड़न का सर्वोत्तम उपयोग गहनता कहलाता है। इसके अतर्गत अधिक पारियों का मचालन तथा श्रमिकों के लिए प्रेरणात्मक मजदूरी पढ़नि की नीति को अपनाया जाता है। इस तस्व का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों में कार्य करने में फिलाई व अकुशलता की प्रवृत्ति को दूर करना होता है।

5 विशिष्टीकरण (Specialisation) किस्माल के अन्तर्गत, "प्रयुस के मीमित क्षेत्र में केंद्रीयकरण को ही विशिष्टीकरण कहते हैं। "विशिष्टीकरण के द्वारा औद्योगिक इकाइयों में इस प्रकार का समझौता हो जाता है कि हर इकाई हर किस्म का मान तंत्यार न करके केवल कुछ किस्मों का उत्पादन करे। इसका निर्णय कारबाहे को प्राप्त विशेष सुविधाओं के आधार पर किया जाता है। उत्पादन कार्य में ही नहीं, बाजारों तथा श्रमिकों व प्रबन्धकों के कार्यों में भी विशिष्टीकरण अपनाया जाता है। विशिष्टीकरण ने ये लाभ—(अ) श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि (ब) अधिक उत्पादन, (स) वस्तुओं की किस्म में सुधार, (द) अनावश्यक व्यय का रुक जाना आदि।

6 वर्गीकरण (Functionalisation) वर्गीकरण में अत्यधिक अधिकाधिक श्रम-विभाजन में है। इसके अतर्गत उच्च स्तर के प्रबन्धक से लेकर श्रमिक तक कार्य इनकी योग्यता और दायित्व के अनुसार सौंपा जाता है।

7 आधुनिकीकरण (Modernisation) पुरानी तथा दोषपूर्ण मशीन व उत्पादन विधियों के स्थान पर नवीन तथा आधुनिकतम मशीनों का प्रयोग करना आधुनिकीकरण कहलाता है। आधुनिकीकरण की उपयोगिता वे गवध में विभिन्न विवार हैं—एक तो पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनों को लगाने के लिए अधिक मात्रा में पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे नई मशीनों के लगाने से श्रमिकों की बेगोजगारी बढ़ने लगती है। उत्पादन बढ़न्य की समस्या भी मामने आ जाती है। जर्मनी व जर्स में जहा श्रम दुर्लभ है। आधुनिकीकरण अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। परंतु भारत में इससे बेगोजगारी की समस्या बढ़ने की सभावना हो सकती है।

8 स्व-सचालन (Automation) स्व-सचालन अब का प्रयोग 1936 में किया गया। मर्वन्प्रथम इसका प्रयोग प्रगतिशील उत्पादन प्रक्रियाओं तक ही रामित था परंतु यह शब्द और भी व्यापक हो गया है। अब व्यापक रूप में स्व-सचालन की व्याख्या मशीनों वा सचालन है। इस प्रकार मशीनीकरण और स्व-सचालन में अतर यह है कि मशीनीकरण में निर्णयशक्ति मानव पर ही आधारित होती है, परंतु

स्वसचालन में इस निर्णयशक्ति का भी यशोकरण हो जाता है। वान्तव में स्व-सचालन मशीनीकरण का ही विकसित एवं आधुनिकतम रूप है।

9 औद्योगिक अनुसंधान एवं व्यापारिक भविष्यवाणी (Industrial Research and Business Forecasting) : नए-नए अविद्यारो द्वारा उत्पादन अधिक होता है। यहिंको पर व्यय कम होता है। इसलिए औद्योगिक अनुसंधानशालाएँ खोली जाती हैं। जहाँ नई-नई प्रविधियों व यन्त्रों की खोज की जाती है।

नई-नई योजने के साथ-माथ व्यापारिक भविष्यवाणी भी विवेकीकरण का एक अग्र है, जिसके आधार पर व्यापार व उद्योग की भावी योजनाओं का निर्धारण किया जा सकता है।

संगठनात्मक तत्त्व

(Organisational Aspects)

1 वैज्ञानिक पुनर्संगठन (Scientific Reorganisation) : उद्योग की कार्य-क्रमना बढ़ाने के लिए इसका वैज्ञानिक आधार पर पुनर्संगठन आवश्यक हो जाता है। वैज्ञानिक पुनर्संगठन के अतर्गत अमामयिक एवं अप्रबन्धित प्रब्रह्म पद्धति के स्थान पर उद्योग का वैज्ञानिक आधार पर अंतरिक पुनर्संगठन किया जाता है।

2 संयोजन (Combination) : संयोजन के द्वारा छोटे उद्योगों को मिलावत भ्रान्तवश्यक उत्पादन एवं प्रतिस्पर्धा को कम करके व मानव-पूर्ति में सतुरुन साचार बड़े पैमाने के लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। उद्योग का संगठन मनमाना न छोकर एवं निश्चित तथा निर्धारित रीति से किया जाता है। यह संगठन संघ, ट्रस्ट, काल्प गूल, चैंबर आर्क कामर्य इत्यादि रूप में हो सकते हैं।

वित्तीय तत्त्व

(Financial Aspects)

विवेकीकरण की योजना को क्रियान्वित करने के लिए काफी विन की आवश्यकता पड़ती है। उद्योग में विवेकीकरण अपनाने के लिए वित्तीय पुनर्गठन की आवश्यकता होती है। वित्तीय 'पुनर्गठन' में तात्पर्य अनावश्यक घट्यों को हमारे करना, प्रशासकीय व अतिरिक्त घट्यों में नभी करना व पूँजी की उचित व्यवस्था करना हाजा है। उद्योग का उचित पूँजीकरण होना चाहिए न तो अनि-पूँजीकरण हो और न अल्प-पूँजीकरण। विवेकीकरण में वित्तीय प्रब्रह्म के विभिन्न घोटों का मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे साधनों में वित्तीय व्यवस्था नी जाती है, जिसमें ज्ञाकम पर कम भार दटे। इसके लिए आतंरिक पित्त-व्यवस्था पर उधिक जोर दिया जाता है।

सामाजिक तथा मानवीय पहलू

(Social and Human Aspects)

'विवेकीकरण केवल योग्यिक विज्ञान ही नहीं अपितु मानवीय क्षमा भी है।'

अत विवेकीकरण के सामाजिक व मानवीय पहलू की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसमें श्रमिकों की भौतिक मानसिक व आध्यात्मिक प्रगति का प्रयत्न किया जाता है व श्रमिक जसतोष एवं सधर्पे के कारणों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। श्रमिकों को उचित सम्मान औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों का भाग, श्रमिकों को उचित नियुक्ति आवंकारी दशाओं में मुद्धार व उनकी पदोन्नति की व्यवस्था आदि इसके अतर्गत आते हैं। अन्य शब्दों में विवेकीकरण के इस पहलू के अतर्गत औद्योगिकरण इस प्रकार किया जाता है, जिससे सास्कृतिक मैतिक तथा चारिनिक विकास पर कुप्रभाव न पड़े व औद्योगिक नगरों में अस्वच्छता एवं अधिक भीड़ भाड़ न हो डाठ सौ० एस० मेयर्टन न ठीक ही लिया है— विवेकीकरण की यह मांग है कि व्यापार सबधी विचार केवल स्वार्थ मय न हनीची व ब्राह्मणिक पहलुओं में ही न बिए जाए वलिक आविक, सामाजिक तथा मानवीय पहलुओं पर भी ० यापक दृष्टिकोण लेफनाया लाए। दूसरे पहलुओं के बिना व्यापारिक मामला का छवपूर्ण विवेकीकरण ही होगा।

विवेकीकरण से लाभ

प्रध्ययन की मुद्रिधा की दृष्टि से विवेकीकरण के लाभों को चार भागों में विभक्त कर सकते हैं—

1) उत्पादकों को लाभ उत्पादकों की दृष्टि से विवेकीकरण की नीति का पालन करने से नियन्त्रित लाभ होने हैं—

(अ) लाभ में वृद्धि विवेकीकरण ने उत्पादकों वे लाभ में वृद्धि होती है। इसके अतर्गत वैज्ञानिक कार्यद्रव्यों के उपयोग से श्रमिक की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, जिसमें उत्पादन अधिक होता है। माथ ही इसमें उत्पादन के विभिन्न अंगों की उन्निती ही व्यवस्था दी जाती है। जिसमें उत्पादन व्यवस्था कम हो जाता है और लाभ में वृद्धि होती है।

ब) प्रतिस्पर्धा का अत विवेकीकरण से उद्योगरतियों भ परस्पर समर्पक एवं महत्वोग होने म प्रतिस्पर्धा का अत हो जाता है। सहयोग से औद्योगिक लाभों म वृद्धि होती है तथा औद्योगिक स्थायित्व स्थापित होकर उत्पादन की मांग अनुसार नियंत्रित होती है। उत्पादन की मांग एवं योग्यता म ननुलत स्थिति किया जाता है जिसमें उत्पादनापिक व ब्राने वाली हानियों का नियारण होता है। वैज्ञानिक लाभ शोध कोशल तथा सुधारी उत्पादन-विधि तो का नियोजित करने सामूहिक उपयोग होता है, जिससे भवित्व उद्योग का नवजीवन प्राप्त होता है।

(स) प्रमाणीकरण का लाभ प्रमाणीकरण में निश्चित प्रमाण वाही माल बनता है। ऐसे विष्मा लाभ मिलने की आशा होती है—(1) प्रमाणीकरण गे बड़े देमाने पर उत्पादन की सकती है तथा केवल योड़ी सी प्रमाणित किसमें नैयार करने से उत्पादन व्यवस्था भी कम हो जाते हैं। (2) प्रमाणित वस्तुओं के बनाने से एक स्थान पर अन्य उत्पादन द्वारा नियमित वस्तु का प्रयोग हो सकता है। (3) वस्तुओं वो दिखाने को आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि थेण्ड किस्म के वारण उपभोक्तागण विना छाटे माल को लेने

है। (4) अनेक प्रश्नारया डिजाइन की वस्तुएँ बनाने में समय व धन नष्ट नहीं होता है। (5) प्रमाणित वस्तुगत जच्छी किस्म की हान के कारण ग्राहकों का विश्वास प्राप्त कर लानी है। डॉ० किम्बाल के शब्दों में, प्रमाणित वस्तु चिरंप वस्तु में हमेशा अधिक सतीप्रद होती है। इसनिए जब तक बहुत बड़ा कारण न हो तभी तक ग्राहक प्रमाणित वस्तुएँ नहीं होती हैं। (6) प्रमाणीकरण द्वारा प्रोत्साहन मिलता है।

(द) सुगमन इसके द्वारा उत्पादन की विधिया में संधार होता है व कच्चे माल तथा मानवीय प्रयत्न के विनाश का रोका जाता है। उत्पादन एवं कार्यक्रमलता में वृद्धि होती है व अपव्यय भी कम हो जाता है।

(७) न्यूनतम पूँजी का उपयोग विवेकीकरण के कारण उद्योगपति रूप कर्म चारिया सु ही काम रखा सकता है। विशिष्टीकरण होने में कच्चे माल वा त्रय वितरण व्यवस्थित होने वाले वितरण भी काम रखा जाते हैं। अत ऐसे की अपेक्षा उन प्राप्तारम् काम पूँजी लगानी पड़ती है।

(८) अधिक एवं पूँजीपति में एकता विवेकीकरण के परिणामस्वरूप पूँजीपति और अधिकारक दूसरे व प्रति निवृट भी जाते हैं। इसमें सहयोग की भावना में वृद्धि होती है जिसमें राष्ट्र भी लाभान्वित होता है।

(९) यत्रीकरण के साथ विवेकीकरण के अतिरिक्त उद्योग में अधिकारियों की कारण दिया जाता है। मशीनों से शीघ्र व अधिक मात्रा में उत्पादन होता है तथा उत्पादित वस्तु में एवं हपता पाइ जाती है। यत्रीकरण में थ्रेम विभाजन द्वारा नीत्रोत्पादन मिलता है।

(१०) औद्योगिक अनुसंधान की मुख्यालय उत्पादन एवं वितरणन्यून्हति का केंद्रीकरण होने में अनुसंधान के लिए पर्याप्त स्थान रहता है। बारण यह है कि सभी उद्योगों में सामूहिक प्रयत्न एवं साधन अनुसंधान के लिए उपलब्ध रहत है जिसमें समृद्ध उद्योग लाभ उठा सकता है। औद्योगिक अनुसंधान एवं प्रयोगा एवं नए यथा व उत्पादन विधियाँ द्वारा आविष्कार होता रहता है व उद्याग निरतर प्रवर्ति करते रहते हैं।

२ अधिकों को लाभ विवेकीकरण में अधिकों द्वारा होने वाले लाभ एवं प्रकार हैं—

(अ) रोजगार में स्थिरता विवेकीकरण द्वारा उद्योगों को प्राप्त होने वाले लाभों में स्थिरता या जाने से अधिकारक रोजगार में भी स्थिरता आ जाती है। दीघाम भी गोजार के अवसर भी बढ़ जाते हैं।

(ब) काय क्षमता में वृद्धि जल्दी अौजार उनमें प्रबंध व उनमें शिक्षा कारण मजदूरों की काय क्षमता बढ़ जाती है। अच्छा व्यवस्थायरण व अच्छी सामग्री मात्र-दूरी को अधिक कार्य करने के लिए प्राप्तमाहित करती है।

(स) देतान में वृद्धि उनमें प्रबंध द्वारा मजदूरों की नापक्षमता बढ़ जाती है जिससे उत्पादन लागत कम हो जाती है। कारखानों को अधिक लाभ होता है तथा वे मजदूरों की असती मजदूरी बढ़ा देते हैं।

(द) गतिशीलता में बृद्धि : विवेकीकरण में यथो का सर्वव एवं सभी किनाओं के लिए समान हैप में उपयोग होने के कारण श्रमिकों की गतिशीलता बढ़ जाती है।

(ए) पारस्परिक सहयोग : विवेकीकरण में श्रमिक एवं पूजीपति एवं दूमरे के निकट आकर एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करते हैं। दोनों पक्षों में पारस्परिक सहयोग बने रहने से दोनों को ही लाभ होता है।

3 उपभोक्ताओं को लाभ विवेकीकरण उपभोक्ताओं को निम्नलिखित लाभ पहुचाता है—

(i) सस्ते मूल्यों पर उच्चकोटि की वस्तुएँ उपभोक्ताओं को विवेकीकरण के परिणामस्वरूप सस्ती दर पर उच्चकोटि की वस्तुएँ मिलने लगती हैं, इससे उनकी शक्ति बढ़ जाती है।

(ii) चुनाव के भ्रमेलो से मुक्ति माल के प्रमापित किस्म का होन म उपभोक्ताओं को एक ही प्रकार की अनेक वस्तुएँ नहीं देखनी पड़ती और उसे इच्छित वस्तु दीघता से मिल जाती है, जिससे इसके समय की बचत होती है।

(iii) रहन-सहन के स्तर में बृद्धि : सस्ते मूल्यों पर उत्तम किस्म की वस्तुएँ मिलने के कारण लोगों के रहन महन का स्तर ऊचा हो जाता है। उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है और वह अधिक वस्तुओं का उपभोग कर सकता है।

(iv) राष्ट्र अथवा समाज को लाभ विवेकीकरण राष्ट्र अथवा समाज के लिए निम्न प्रकार में लाभ पहुचाता है—

(अ) राष्ट्रीय आय में बृद्धि : विवेकीकरण के उपयोग से देश की औद्योगिक व आर्थिक प्रगति होती है। फलस्वरूप उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ती है थ आर्थिक सकट से छुटकारा मिल जाता है।

(ब) विदेशी प्रतियोगिता से रक्षा विवेकीकरण के उपयोग से उद्योगों की धमना बढ़ जाती है नथा वे विदेशी प्रतियोगिता का सामना कर सकते हैं।

(स) राष्ट्रीय बचत विवेकीकरण में उत्पादन-क्रियाओं में माल, अम, पूजी आदि के प्रयोग में जो अपद्यय होता है, वह समाप्त हो जाता है जिससे राष्ट्रीय बचत होती है।

(द) व्यापारिक चक्रों से बचा रहना विवेकीकरण की योजना के अतर्गत मार्ग एवं पूर्ति में समन्वय स्थापित किया जाने में देश व्यापारिक चक्रों के दुष्प्रभाव से बचा रहता है।

(ए) विवेकीकरण के उपयोग से दीर्घकालीन आर्थिक योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है।

विवेकीकरण के दोष एवं कठिनाइया

विवेकीकरण म उपरोक्त लाभों के होते हुए भी वहुत सी कठिनाइया व दोष है। यह कहा जाता है कि “विवेकीकरण के मार्ग में भी उतने ही गड्ढे हैं, जिनमी सफलता की आशाएँ।” “प्रो० वले का कथन है—“विवेकीकरण बी कठिनाइया उनको

मुलझाने वालों की योग्यता के अनुपात में अधिक है।”

विवेकीकरण के प्रदीगात्मक स्वरूप को देखत हैं उसमें अनेक दोष पाए जाते हैं जिसके कारण ही श्रमिकों, धर्म भवा एवं उद्योगपतियों की ओर से इसका कानून बिरोध किया जाता है। उनके दृष्टिकोण व्यक्तिगत हितों पर ही आधारित हैं।

१ श्रमिक द्वारा बिरोध रामान्य व्यष्टि रे श्रमिकों एवं धर्म राचों के दृष्टिकोण में विवेकीकरण के निम्न दोष हैं जिसके आधार पर इसका बिरोध करते हैं।

१ देशभरारी में वृद्धि विवेकीकरण में मशीनों वा अधिकाधिक प्रयोग होने वा तात्कालिक प्रभाव यह होता है कि बहुत-से श्रमिकों को बाम स अलग कर दिया जाता है। फलत उनमें बरोजगारी, मुखमनी एवं गरीबी वढ़ती है।

२ पूजी का धर्म पर आधिपत्य विवेकीकरण में नई नई स्वचालित मशीनों व प्रशंसन में श्रमिकों का महत्व कम हो जाता है। प्रौढ़ हान्सन के अनुमार, विवेकीकरण ये समाज के सबग बढ़े दोष आये कि गमान वितरण को प्रोत्साहन मिलता है। अनन्त उद्योगों में उत्पादन का वृद्धि उपायों से न बेतत श्रमिकों की ही बचत होती है परन्तु श्रमिक द्वारा उत्पादन पर प्रयोग भी कम होता है। इसमें पूजी को अधिक व श्रम का कम भग मिलता है। पूजी श्रम की अनेकांश अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

३ श्रमिकों का शोषण प्राय विवेकीकरण की जोड़ना उत्पादकों द्वारा धर्म रे शाखण का साधन रामजी जाती है। श्रमिकों का कहना है कि विवेकीकरण न जा उत्पादन में वृद्धि होती है उसकी नुलनामक मजदूरी में वृद्धि नहीं होती। ऐसी प्रकार अधिकाश लाभ श्रमिकों को मिलने के बजाय परीपतियों की जेब पर जाता है।

४ श्रमिकों के कायों का घोभन बढ़ना विवेकीकरण की योजना क्यान्दित वरन में श्रमिकों के कायभार में बोढ़ हो जाती है। विषयन यदि कारबान वा वातावरण स्वास्थ्यप्रद न हो तो मरीन यथ टीक न हो। अनिश्चित उत्पादाप्रत्व एवं बाम के बाने कारण मजदूरों का वास्थन बिन्डन वा डर रहता है।

५ गतिशीलता में कमी विवेकीकरण का कारण श्रमिकों की गतिशीलता में रक्षा जाता है ताकि उसके आगत उत्पादिकरण के फलस्वरूप मनुष्य के प्रकार के काय वरन् के प्राय रहना है और यदि उसकी नोकरी छुट जाती है तो वह जे ग्राम वरन में बैठना असम्भव होता है।

६ नोरस एवं यत्रवन जीवन श्रमिकों दो यथा पर यत्रा की गति एवं निश्चिन प्रतियों के अनुमार के य करना होता है जिसमें श्रमिकों का जीवन यत्रवत एवं नीराम हो जाता है।

७ सगठन के दोष श्रमिकों के ऊपर कुछ श्रमिकों का कहना है कि उद्योगपति सुनाठा संवर्धी दापा का धर्मिका पर मढ़ दत है और उनका कायभार बढ़ावा बहिक लाने का प्रयत्न रखत है।

(२) उद्योगपति वग द्वारा बिरोध उद्योगपति वग द्वारा भी विवेकीकरण का बिरोध किया जाता है वराकि उनकी भी अनेक विभिन्नाद्या है—

(१) अत्यधिक पूजी की आवश्यकता उद्योगपतियों का कहना है कि विवेकी

वरण की योजना लागू करने में पर्याप्त पूजी का विनियोग करना पड़ता है। परंतु उस विनियोजित पूजी पर उचित प्रतिफल मिलन की गारटी नहीं होती है।

(ii) कुशल प्रबधकों का अभाव विवेकीकरण के कारण औद्योगिक इकाइयों का आकार काफी बढ़ जाता है, जिसके प्रबध के लिए उच्च श्रेणी की प्रबध क्षमता आवश्यक होती है परंतु उच्च प्रबधकों का मिलना कठिन होता है, जो विवेकीकृत उद्योगों का कुशलतापूर्वक प्रबध कर सके।

(iii) राष्ट्रीयकरण का अभाव सरकार उद्योगों का किसी भी समय राष्ट्रीयकरण कर सकती है। ऐसी दशा में पूजीपति भारी विनियोग वरके पूजी की जीलिम नहीं उठाना चाहते।

(iv) पुरानी मशीनों की बबादी नवीनीकरण के कारण तुरत वहुत बड़ी मात्रा में पूजी की आवश्यकता पड़ती है; नई मशीनों को उत्पादन कार्य में लगाने से पुरानी मशीनों की बबादी होने लगती है।

3 यह दोष विवेकीकरण के अन्य दोष निम्नलिखित हैं—

(i) विवेकीकृत उद्योगों में कुछ सीमा तक एकाधिकार आ जाता है, जिससे उपभोक्ताओं के शोषण का भय रहता है।

(ii) विवेकीकरण सयोजन प्रवृत्ति प्रोत्साहित करता है, परंतु कभी-कभी य सम्योग इतने विस्तृत आकार के हो सकते हैं, जिससे बड़े व्यापार की बुराइया इसमें था जाती है।

(iii) कुटीर उद्योगों का विवेकीकृत उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करना सभव नहीं होता। अत उनके अवनति प्रारम्भ हो जाती है।

(iv) प्रमाणीकरण के कारण मौलिकता तथा व्यक्तित्व का अत हो जाता है।

विवेकीकरण की योजना कैसे सफल हो ?

विवेकीकरण के उपर्युक्त दोनों से ऐसी धारणा नहीं वरना लेनी चाहिए कि यह कोई बुरी नीति है। मुकिन भी नीति तो सदैव ही म ही होती है। इस सदध में इतना अवश्य ध्यान में रखना चाहिए यदि विवेकीकरण दोपरहित सभव हो जाए तभी बिना आमू के विवेकीकरण किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित मुझाव दिए जा सकते हैं—

1 सर्वदलीय सहयोग विवेकीकरण की जो भी योजना क्रियान्वित की जाए, वह सरकार, उद्योगपति और श्रमिकों तीनों पक्षों की सहमति, सहयोग और समन्वय से क्रियान्वित को जाए।

2 विवेकीकरण की योजना धीरे धीरे लागू की जाए विवेकीकरण की योजना एकदम लागू न की जाकर शनै शनै लागू की जाए, जिनसे श्रमिकों की छटनों न की जाय अथवा उनमें देरोजगारी न फैले। योजना इस प्रकार होती चाहिए।

(i) हर वर्ष जो श्रमिक मुत्यु वृद्धावस्था व अन्य कारणों से कार्य छोड़ देते हैं, उनके स्थान पर नए श्रमिक न रख कर उनका कार्य दूसरों को दे दिया जाए।

(ii) श्रमिकों की छटनी यदि आवश्यक हो तो इस गबड़ में सूची बनाकर, जो अधिन पुराने हो, उन्हें पहले हटाया जाए तथा छटनी हेतु पहले में ही प्राथमिकता कम निश्चित रहना चाहिए और इमर्सी सूचना श्रमिकों को भी होनी चाहिए।

(iii) छटनी किए गए श्रमिकों के लिए कार्य के अवसर की व्यवस्था की जाय, साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाए कि उनकी मजदूरी पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(iv) हटाए गए श्रमिकों के स्थान पर ऐसे जाने वाले श्रमिकों में उनको सर्वप्रथम अवसर दिया जाना चाहिए, जो ऐसी छटनी के कारण बेरोजगार हो गए हैं। इस गबड़ में रोजगार कार्यालय की सेवाओं का भी प्रयोग करना चाहिए।

3. दिक्षास निधि का निर्माण नई मसीनों के लिए पूजी वी समरया को हल करने हेतु प्रत्येक निधि का सूचन किया जाना चाहिए।

4. श्रमिकों का प्रबंध में सहयोग विवेकीकरण की योजना में श्रमिकों की सद्भावना तथा सहयोग प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उनको उच्चोगों के प्रबंध में हिस्सा दिया जाए।

5. अनुसंधान समिति पर्येक उद्यम में एक अनुसंधान भित्ति बनाई जाए, जो उमे उच्चोग संबंधित उद्योग का अनुसंधान करे। समिति द्वारा प्रत्येक किस्म के प्रमाण निकाले जाएं काम को करने की आदर्श विधिया खोजी जाए गादि।

6. वैकारी दूर करने का प्रयत्न विवेकीकरण में यदि वैकारी होती है तो उद्योग-पतियों को पहले में ही सांबंधान रहना चाहिए तथा ऐसे उपाय करने चाहिए, जिससे बेरोजगार श्रमिकों वो काम मिल सके।

7. काम का समान वितरण विवेकीकरण स मिलने वाले नाभ को सभी पक्षों में समान रूप सं बाटा जाना चाहिए। जहा एक ओर उच्चोगपतियों के लाभ में वृद्धि हो, वहा दूसरी ओर श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धितथा उपभोक्ताओं को सस्ती व अच्छे किस्म की वस्तुएँ मिलनी चाहिए।

8. समस्त दिशाओं से विवेकीकरण। विवेकीकरण के समस्त अग एक साथ लागू किए जाने चाहिए जेम मशीनों का नवीनीकरण वैशानिक प्रबंध संयोग, विशिष्टी-करण आदि। उसी दिशा में डिसाइन के साधनों का समुचित विकास स भव होता है।

9. प्रशिक्षण की सुविधा श्रमिकों को कुशल बनाने के लिए नवनीती विद्या की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशिक्षण की सुविधा वी व्यवस्था भी सामूहिक खप मे की जा सकती है।

श्रमिकों का विराघ कम करने की इच्छा म उपयुक्त मुझावों के अनिवार्य प्रयत्न योजना म योजना आगोग न निम्ननिमित्त सूचाव दिये—(1) कार्यभाषु विशेषज्ञों द्वारा की गई तकनीकी जाव के आधार पर निश्चित विद्या जाए और विशेषज्ञों का चुनाव प्रबंधक दोनों क द्वारा किया जाए। (2) स्वेच्छा न अवकाश यहण करने वाले श्रमिकों का व्यवस्था दी जानी चाहिए। (3) यदि छटनी आवश्यक हो तो नई नियुक्ति म म की जानी चाहिए। (4) जब कभी विवेकीकरण की योजना नियमित करने का पा विचार बनाया जाए, नई भर्तीया नहीं करनी चाहिए। (5) नौकरी से हटाए जाने

दाले थमिकों को बन्ध कायी में प्रशिक्षण प्राप्त करने की मुविद्धाएँ दी जानी चाहिए। (6) छटनी विए गए थमिकों को सार्वजनिक उपकरणों के रोजगार में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

भारतीय उद्योगों में विवेकोकरण (Rationalisation in Indian Industries)

हमारे दश में विवेकोकरण व आधुनिकीकरण की विशेष आवश्यकता है। इसके प्रधान कारण निम्नलिखित हैं—

1 प्रतिरिक्षित रोजगार प्राप्त करने के लिए भारत जहा भूमि पर जनसम्म्या का अत्यधिक भार है और जहा जनसम्म्या नीचे गति में बढ़ रही है, वहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि उद्योग एवं सर्वार्थों के विकास की इस समस्या का हल बिया जाए लक्षित पुरानी एवं प्रचलित मध्दीना और तकनीका द्वारा रोजगार में वृद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्मान तीव्र प्रतियागिता के द्वारा अनार्थिक एवं अक्षम्य कार्यों को काढ़ स्थान नहीं है। अतः देकारी की समस्या को हल करने के लिए एवं अत्यधिक राजगार के निर्माण के लिए भारतीय उद्योगों में तेजी से विवेकोकरण की योजना लागू करना आवश्यक है। यद्यपि विवेकोकरण में अन्यकाल में देशेजपारी में वृद्धि होनी है तबिन दीर्घकाल में रोजगार के अवमर बढ़ते हैं। एवं अनुमान के अनुमान विवेकोकरण औद्योगीकरण में भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 35 लाख व्यक्तियों का रोजगार प्रदान किया जा सकता है।

2 निधनता एवं निम्न उत्पादकता स्तर को दूर करने के लिए पुरानी उत्पादन तकनीका एवं अप्रचलित योगीना के प्रयोग के कारण भारतीय उद्योगों में उत्पादकता का स्तर काफी नीचा है। उत्पादकता का स्तर नीचा होने के कारण वस्तुओं की तात्पत्र अधिक होनी है और थमिकों का दस्त मज़बूरी मिलती है। इस मज़बूरी के कारण जनता की अतः अकिञ्चन और मार्ग बम रहनी है और बम मार्ग के कारण बम दिक्की पलत बम उत्पादन होता है। अब दश में निधनता का यह विषय कुचक्क बन चुका है जिस भगवना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि उद्योगों में आधुनिकनम् यथा तथा विधिया का प्रयोग किया जिसमें उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि हो।

3 पारस्परिक सहयोग से औद्योगिक कुशलता में वृद्धि के लिए भारतीय उद्योगवित्तियों में मिलजुलकर औद्योगिक मुद्घारा एवं प्रगति की जावना नहीं पाइ जाती है। उनके सम्बन्ध में वहा जाना है कि वे मिलजुलकर तंत्रण के बजाय अवन रहकर झुकना अधिक प्रसद बनते हैं। अब पारस्परिक सहयोग द्वारा औद्योगिक कुशलता वृद्धि के लिए विवेकोकरण की आवश्यकता है।

4 अनार्थिक औद्योगिक इकाइयों को समाप्त करने के लिए भारत के प्राय प्रत्येक उद्योग में उनके इकाइया अनार्थिक हैं। गार्डोंय श्रम आयोग द्वारा गठित मूली दस्त उद्योग अध्ययन दल ने बताया था कि अनेक मूली मिलें अनार्थिक हैं। उन्हें या तो दम्प इकाइयों के साथ मिला दिया जाय या समाप्त कर दिया जाए। इसी प्रकार नौकरा

उद्योग कागज उद्योग व जूट उद्योग में अनाधिक आकार की इकाइया पाई जाती है। अनाधिक इकाइयों के कारण साधनों का अपव्यय होता है और लागत अधिक रहती है। अत इस दृष्टि में भी विवेकीकरण अत्यत आवश्यक है।

‘ 5 अप्रचलित तथा घिसी पिटी मशीनों को बदलने के लिए अनेक पुराने भारतीय उद्योगों में सभी हुई मशीनें पुरानी अप्रचलित व घिसीपिटी हैं। इससे परम्परा व भरण पौष्ण पर अधिक व्यय करना पड़ता है और श्रमिकों पर काय भार अधिक रहता है तथा प्रति श्रमिक उत्पादकता कम रहती है। हमारे मूली वस्त्र उद्योग की अधिकांश मशीनें 50 वर्ष पुरानी हैं और चीमी उद्योग की मशीनें 40 वर्ष पुरानी हैं। जूट उद्योग की मशीनों की तो और भी बुरी हालत है। अत अप्रचलित एवं घिसीपिटी मशीनों के बदलने के लिए आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।

6 विदेशीय विनियम प्राप्त करने के लिए उच्चवर्तीय योजनाओं की सफलता व निए यह आवश्यक है कि प्राप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा का अजन किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि एक चार परपरगत वस्तुओं जैसे जूट, चाय मूली वस्त्र आदि का निर्यात बढ़ाया जाए और दूसरी ओर नई वस्तुओं जैसे हाईकी इंजीनियरिंग वी वस्तुएँ माइक्रोल विज्ञीक पस, वपड़ा सीने की मशीनें आदि के लिए नय बाजार खोजे जाय। इस उद्देश्य को विवेकीकरण द्वारा लागत घटाव और विस्म सुधार कर ही प्राप्त किया जा सकता है।

7 सहकारिता के आधार पर काय क्षमता में वृद्धि हमारे देश में चाहे वह लघु उद्योग हाया प्रमुख उद्योग इन सभी उद्योगों में समठन एवं सहकारिता का अभाव पाया जाता है। सीमेण्ट उद्योग ही एवं एसा उद्योग है जिसम सहकारिता के आधार पर काय किया जाना है। विवेकीकरण की योजना कायाँ बत होने पर सहयोग की भावना स्वाभाविक है म जागत होने लगी जिसका प्रभाव उद्योगों की काय-क्षमता पर भी पड़गा ॥ 1 ॥

8 विभिन्न समितियों तथा आयोगों द्वारा सिवारिंग विभाजन समितिया तथा आयोगों ने भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण की आवश्यकता पर विदेशीय जार दिया है। जिन समितियों व आयोगों ने विवेकीकरण की योजना लागू करन की सिफरिंग की है वे इस प्रकार हैं—(i) योजना आयोग (ii) ब्रौदागिक विद्याम समिति 1951 (iii) जूट सर्वेक्षण उद्योग 1953 (iv) अनराष्ट्रीय नियान दल 1954 (v) नार नीय लोक सभा प्रस्ताव 1954 (vi) रामबुर मूली वस्त्र फैल विवेकीकरण समिति 1956 (vii) नियान सम्बद्धन समिति 1957 (viii) नारनीय थम सम्मलन (ix) जूट उद्योग के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त नदू प्र पुनिकीकरण समिति 1958 (x) चीमी उद्योग की विकास परियद 1962 (xi) मूली वस्त्र मिल उद्योग का काय-कारी दल ।

9 राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए श्रोदागिक सर्विंग र अंग भर गय है अत अय प्रगतिशील भोजन की अपद्या हमार द्वा प्राप्त र जय व राष्ट्रीय आय बढ़ाव करता है। यदि उद्योगों में—विवेकीकरण की योजना का कायाँविंग कर दिया

जाय तो उत्पादन मे वृद्धि की जा सकती है जिससे प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय मे भी होगी ; आय मे वृद्धि होने से नि सदेह उनके जीवन स्तर मे भी सुधार हो सकेगा ।

10 विवेशी प्रतियोगिता का सामना करते हेतु हमारे प्रतिस्पर्धियों ने अपने यहां के उद्योगों मे विवेकीकरण योजना लागू कर दी है । इसके परिणामस्वरूप हमे विवेशी बाजार मे कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है, विशेषतः सूती वस्त्र और बूट उद्योग मे । जूट के क्षेत्र मे फिलीपाइस और दक्षिणी अफ्रीका तथा सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र मे चीन, जापान और ड्रिटेन स हमे कठु प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है । अतः प्रतिस्पर्धक देशों का सफलापूर्वक सामना करने के लिए हमे भी हमारे उद्योगों मे विवेकीकरण का सहारा लेना पड़ेगा । इस सबध मे वहा जाता है, 'विवेकीकरण ही निर्यात बाजार मे भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति मे वृद्धि के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली उपाय है ।'

स्पष्टरूपक तथ्यो के आधार पर ही समय-समय पर स्थापित विभिन्न 'समितियो और आयोगों ने देश मे उद्योगों के विवेकीकरण पर जोर दिया है । अतराष्ट्रीय आयोजन दल के अनुसार, "विवेकीकरण को रोकना व आधुनिकीकरण मे बाधा डालना केवल अताकिंक ही नहीं, बल्कि भारतीय उद्योगों को बद्दल सम्भिरता और अवनति के गर्त मे ढकेलना है ।" निष्कर्ष मे हम यह कह सकते है कि भारत के सभी बड़े उद्योगों मे विवेकीकरण की योजना लागू कर देनी चाहिए, क्योंकि शीघ्र तथा मितव्ययी ओद्योगित विकास के लिए यह अत्यत आवश्यक है ।

भारत मे विवेकीकरण आदोलन का इतिहास

(History of Rationalisation Movement in Indian Industries)

विवेकीकरण का प्रारम्भ - भारत मे विवेकीकरण का प्रारम्भ सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग मे किया गया, जिसमे क्षमता पद्धतियो के रूप मे 1926 मे ३० ढी० ससून एड कपनी ति० मिल ने मनचेस्टर मिल मे विवेकीकरण की योजना कियान्वित की । सन् 1927 मे टैरिफ बोर्ड ने बदई की मिलों की क्षमता बढ़ाने और प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता पर बल देते हुए सुधार की योजनाओं पर जोर दिया ।

सीमेट उद्योग मे तोप्र प्रतिस्पर्धा और मूल्य-कटौती का सामना करने के उपाय के रूप मे विवेकीकरण प्रारम्भ किया गया और सन् 1927 मे भारतीय सीमट उत्पादक सघ की स्थापना की गई । 1930 मे सीमेट मार्केटिंग कपनी और सन् 1936 मे एमोसि-येटेह सीमट कपनी की स्थापना हुई ।

बदई की सूती मिलो मे क्षमता पद्धतियो वो अपनाने के पश्चात सन् 1935 मे यहमदाबाद और सन् 1937 मे कानपुर की सूती वस्त्र मिलो मे विवेकीकरण के उपायो को लागू करने के प्रयत्न किया गए, परन्तु श्रमिकों वे विरोध के कारण योजनाए स्थगित करनी बड़ी और सफल न हो सको । कानपुर की सूती मिलो मे श्रम के विरोध का अध्ययन करने के लिए सन् 1937 मे ३०० राजेन्ट्र श्रसाद की अध्यक्षता मे कानपुर श्रम जाति समिति निष्पक्ष की गई । इस समिति ने विवेकीकरण का समर्थन किया और सुसाव

दिया कि उद्योगपतियों की नीति श्रमिकों का शोषण करने की न होकर माल व मशीन का शोषण करने की होनी चाहिए।

द्वितीय विश्वपुढ़ व युद्धोत्तर काल में विवेकीकरण : सन् 1939 में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ। इस पुढ़काल में उद्योग उत्पादन-कार्य में इतने व्यस्थ रहे कि उन्हें विवेकीकरण की ओर कोई व्यापार ही नहीं मिला। युद्ध के पश्चात् मधी की अवस्था आने, मार्ग काम हो जाने, निर्यात घट जाने तथा मशीनों इत्यादि के गिरी पिटी हो जाने पर उद्योगपतियों ने आधुनिकीकरण की दशा में प्रयास किए।

योजना कान में विवेकीकरण : स्वतंत्रता के पश्चात् में योजनाप्रबन्ध में देश में औद्योगिक विकास की गति तीव्र करने के लिए, उत्पादकता में बृद्धि करने के लिए एवं रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए विवेकीकरण की विस्तृत योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं और इस दिशा में सरकार आवश्यक सहयोग प्रदान कर रही है।

आधुनिकीकरण—विवेकीकरण का नया रूप (Modernisation of Cotton Textile Industry)

विवेकीकरण को वर्तमान औद्योगिक जगत में एक नए नाम से पुकारा जाने लगा है। यह नाम आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण से तात्पर्य नई मशीन व उपकरण लगान या मशीनों में सुधार करने से है। परतु व्यापक दृष्टिकोण से इसका अर्थ नवीन मशीनों के लगाने के अतिरिक्त उन्नत प्रबन्धनीय एवं तकनीकी विधियों से प्रशिक्षित अंग वारियों की नियुक्ति तथा काम करने की सुधरी विधिया भी शामिल हैं। स्मरण रहे कि आधुनिकीकरण एक गतिशील तथा निरतर प्रगति करने वाली विधि है, ज्योंकि मशीनों में निरन्तर सुधार होते रहते हैं। अत व्यावहारिक रूप से आधुनिकीकरण का बोई निश्चय मापदण्ड स्थापित नहीं किया जा सकता।

सूती वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण (Modernisation of Cotton Textile Industry)

सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्रमुख व बड़ा उद्योग है, लेकिन खेद का विषय है कि अनार्थिक आकार की मिलो श्रमिक लागत, विदेशी प्रतियोगिता एवं पुरानी तकनीक के कारण इस उद्योग को बहुत-सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस शदमें में सूती वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण पर जोशी एमिति का यह विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, “यदि समय रहते ही हमारी मिलें आधुनिक योगों से मजिजत नहीं की जातीं तो आगे चलकर वही सकट व बेकारी की स्थिति पेंदा हो जाएगी। जिससे बचने के लिए श्रमिक इतने चिंतित हैं। वह सर्वविदित है कि भारत में बहुत-सी पिलें पुरानी और जाकड़ मशीनों से काम चला रही हैं” यदि अन्य बाहों को इस स्थिति में पहुँचने से बचाना है तो उनका आधुनिकीकरण एक अपरिहार्य आवश्यकता है।”

संक्षेप में निम्न कारणों से भारतीय सूती वस्त्र उद्योग आ आधुनिकीकरण आवश्यक है—

1. प्रादोन मरीने भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में इस समय जो मरीने हैं वे काफी पुरानी हैं। 30 में लेकर 40 प्रतिशत मरीने 40 वर्ष पुरानी हैं तथा लगभग 65 प्रतिशत मरीने 20 वर्ष से अधिक पुरानी हैं फलता उत्पादन की किसी नीचे स्तर की और उत्पादन लागत अधिक रहती है व धमिकों पर कायमार-अधिक रहता है। अत उत्पादन में मितव्ययिता एवं क्षमता लाने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग में आधुनिकतम मरीनों वो लागाया जाए।

2. अनाधिक आकार की मिले भारत में अनाधिक आकार की मिले की संख्या भी काफी अधिक है। सन् 1969 में 81 मिले अनाधिक परिस्थितियों के कारण बढ़ थी, जिनके परिपामस्वरूप एक और प्रतिस्पष्टक शक्ति भवाधा में पड़नी है। अत ऐसी मिलों को आधिक आकार का बनाने व उनकी क्षमता का स्तर उठानी जीव आवश्यकता है। भारतीय सूती वस्त्र मिल संघ के भूतपूर्व अध्येत्र श्री कृष्णराज चंद्रसे के शब्दों में हमें यह जानना चाहिए कि अर्द्धवस्था के दिस्तार व उसके क्षमतापूर्ण व आधिक परिचालन के लिए आकार की मितव्ययिताओं को नजरबदाज नहीं किया जा सकता है। अत जहाँ वही भी सभव हो अनाधिक आकार की इकाइयों वो शक्ति शाली इकाइया में मिला देना चाहिए।

3. स्वचालित वर्धों का कम प्रधोग भारत में स्वचालित करघा का प्रयोग आय देशों की तुलना में बहुत कम है जैसाकि निम्नलिखित तालिका व अक्षों से स्पष्ट है।

सारिणी—I

देश	कुल कर्घों में प्रतिशत	देश	कुल वर्धों में प्रतिशत
संयुक्त राज्य	100	संयुक्त अरब गणराज्य	59
हागकाग	100	चीन	40
रूम	72	इंग्लैंड	40
पाकिस्तान	69	भारत	15.6

4. धमिकों का उत्पादकता स्तर कम है भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में धमिकों की उत्पादकता का स्तर नीचा है। एक अनुमान के अनुसार जापानी धमिक औसतन 14 से 15 करघा की देखभाल करता है जबकि भारतीय धमिक औसतन 2 करघा वा ही चला पाता है। यह स्थिति खेदजनक है। इसमें सुधार उसी समय सभव है जब उद्योग में आधुनिकरण और पुनर्संगठन के कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाए।

5 निर्यात में धूति सूती वस्त्र उद्योग भारत का एक परपरागत विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाला है। परन्तु निर्यात बाजार में बढ़ती हुई प्रतियोगिता के कारण भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। भारत को सूती वस्त्र के विदेशी बाजारों में जापान, हामकाग चीन व इंग्लैंड में प्रतियोगिता करनी पड़ती है। निर्यात बढ़ाना की सभावना तभी की जा सकती है जबकि कपड़े का लागत मूल्य कम किया जाए और उत्पादन की किस्म में सुधार किया जाए जो बिना आधुनिकीकरण के सभव नहो है।

6 देश में उपभोग बढ़ाने के लिए भारत में प्रति व्यक्ति कपड़े का उपयोग अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। इसका मूल कारण एक और तो कीमती व अधिक होना तथा दूमरी और नागरिकों की कफ़-शक्ति का सीमित होना है। बत. अधिक उपयोग के लिए कपड़े की कीमत कम जाए और इसके लिए आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।

7 कृत्रिम धारा वस्तु उत्पादन आज कृत्रिम धारों ते बढ़े कपड़े जैसे नाइलोन, टेरीकाट व टेरीलीन इत्यादि की मात्रा प्रायः प्रत्येक राष्ट्र में बढ़ रही है। इसके उत्पादन की दृष्टि से भी नवीन मशीनों और तकनीकों की आवश्यकता है।

सूती वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण में प्रगति

प्रथम योजना की समाप्ति तक सूती वस्त्र उद्योग में आधुनिकीकरण की प्रगति बहुत ही कम हुई। एक अनुभान के अनुसार 1946 से 1953 तक स्वचालित करघो की संख्या 7430 से बढ़कर 11099 हो गई। इस प्रकार औसततः 458 करघे प्रति वर्ष लगे। यानवरी 1960 में स्वचालित करघो 118 की संख्या 16977 हो गई। सन् 1961-66 की अवधि में 30 हजार स्वचालित करघो की संख्या 16977 हो गई। जगत नगरण 14 प्रतिशत थे; सन् 1970 में स्वचालित करघो का भाग नगरण 20 प्रतिशत हो गया।

हर्ष की बात है कि भारत सरकार ने सूती वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण में पर्याप्त सहायता की है। सरकार ने इस सदर्म में जो प्रमुख कदम उठाए हैं वे निम्न-लिखित हैं—

1. विसीय सहायता सरकार ने सूती वस्त्र उद्योग को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता से अनिवार्यत राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम और (अब औद्योगिक विकास बंक) द्वारा सन् 1957 में उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए कम ब्याज पर ऋण देना प्रारम्भ किया है।

2. राष्ट्रीय सूती वस्त्र निगम की स्थापना सन् 1968 में राष्ट्रीय सूती वस्त्र निगम की स्थापना की है जो कमज़ोर मिलो का प्रबंध अपने हाथ में लेता है। यह योजना प्रारम्भ में 16 मिला भ प्रारम्भ की गई। कुछ राज्यों में प्रादेशिक स्तर पर भी सूती वस्त्र निगमों की स्थापना की गई है।

करों में रियायतें सरकार न सूती वस्त्र मिलो को करों में भी रियायतें प्रदान की हैं। सन् 1969-70 व वज़र म सूती वस्त्र उद्योगों वे उत्पादनों पर उत्पादन वर म छूट दी गई।

4 अनुसधान कार्यक्रम सूती वस्त्र उद्योग में कार्य कर रही तीन अनुमधान संस्थाओं—अहमदाबाद वस्त्र उद्योग संघ, दक्षिण भारतीय शोध संघ व बबई शोध संघ को सरकार द्वारा एक बड़ोर में भी अधिक अनुदान दिया गया है।

5 सूती वस्त्र उद्योग नवीनीकरण योजना 1971 अगस्त सन् 1971 म सूती वस्त्र उद्योग के नवीनीकरण के लिए एक छ सूतीय योजना केंद्रीय मरकार द्वारा नेपार की गई है जिसका विवरण इस प्रकार है—(अ) ऐसी मिलों इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता की पात्र होगी जिन्हें विद्धने दो वित्तीय बप्टों से प्रत्येक बर्द म अपने कुर उत्पादन का कम से कम 10 प्रतिशत भाग निर्यात किया हो। (ब) इन मिलों के और्हणों के आवेदन-पत्रों पर विचार औद्योगिक वित्त निगम द्वारा किया जाएगा (स) और्हणों पर मार्जिन राशि को घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा। (द) ऐसी मिलों को व्याज दर में भी रियायत दी जाएगी जिनका लाभ तीन बर्दों में दिक्षी के 15 प्रतिशत से कम रहा है। (ए) व्याज दर में रियायत की पूर्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। (र) औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सूती वस्त्र मिलों को दिए गए और्हणों के अवृद्धि ही जाने पर 80 प्रतिशत राशि की पूर्ति केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाएगी।

1 जूट उद्योग का आधुनिकीकरण

जूट उद्योग भारत के महत्वपूर्ण उद्योगों में से है परन्तु सूती वस्त्र उद्योग की भाँति यह उद्योग भी पुरानी और अप्रचलित मशीनों की समस्याओं से प्रस्त है। अत इस उद्योग का आधुनिकीकरण करना भी निकात अवश्यक है। संजैन में भारतवर्ष में जूट उद्योग के आधुनिकीकरण की आवश्यकता निम्न कारणों से है—

1 पुरानी व धिसी मशीनें भारत में जूट मिलों की अधिकांश मशीनें काफी पुरानी व धिसी हुई हैं। अत आवश्यकता इस बात की है कि पुरानी मशीनों को उन्नत किया जाए व कुछ नई मशीनें भी संग्राही जाएं जिससे लागत व्यव कम हो सके और विश्वव्यापी प्रतियोगिता में हमारा उद्योग टिक सके।

2 विदेशी प्रतिस्पर्धा भारतीय जूट मिल उद्योग को एक बड़ी समस्या विदेशी माल से प्रतिस्पर्धा की है। दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, जापान, फिलीपाइस आदि अनेक देशों ने जूट के सामान का उत्पादन करने के लिय आधुनिक मशीनें लगा कर अनेक मिलों की स्थापना की है। भारत की अपेक्षाकृत ये देश विदेशी बाजारों में जूट का सामान सस्ता बेचने लगे हैं। अत ऐसी प्रतिस्पर्धा की स्थिरत्वति में इस उद्योग के आधुनिकीकरण की शीघ्र आवश्यकता है।

3 विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए : जूट उद्योग भारत को पर्याप्त विदेशी विनियम प्रदान करता है। इस उद्योग द्वारा कुल विदेशी विनियम का लगभग 29 प्रतिशत अर्जित किया जाता है। अत ऐसे समय जबकि हम विदेशी विनियम की अत्यधिक आवश्यकता है, इस उद्योग का आधुनिकीकरण करके निर्माता बढ़ाना चाहिए।

4 स्थानापन वस्तुएः विदेशी बाजारों में जूट के स्थान पर कागज तथा अन्य स्थानापन पदार्थों का पैकिंग के लिए प्रयोग होने लगा है। इसकह एक कारण यह भी

है कि भारतीय जूट की कीमत ऊची है। भारतीय जूट उद्योग विवेकीकरण द्वारा अपनी प्रतियोगी शक्ति में सुधार कर सकता है।

भारतीय जूट उद्योग के आधुनिकीकरण पर जोर देते हुए सन् 1953 में जूट जाच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यहा था—“भारत के पास जो बाजार का वर्तमान बाकार है वह तभी उसके पास जा सकता है जबकि आधुनिकीकरण के लिए तेजी में प्रयास किया जाए और भारतीय उद्योग लागत घटाकर व कार्यक्षमता में वृद्धि करके प्रतिस्पर्धा करने वाले को यह दिशा सकें कि इह भी इस क्षेत्र में भरकर प्रयास करने के लिए दृढ़ रूप में कठिबद्ध है।”

उद्योगों में विवेकीकरण की प्रगति,

जूट उद्योग में विवेकीकरण की दिशा में पहला कदम सन् 1936 में उठाया गया। तब केंद्रीय जूट समिति बनाई गई जिसने उद्योग की सुदृढता के लिए आर्थिक, कृषि एवं ब्रन्चमंधान कार्यों में योगदान दिया।

विवेकीकरण की दिशा ने एक उन्नेसनीय प्रयास अखिल भारतीय जूट मिल सघ का रहा है, जिसने उद्योग के उत्पादन पर नियशङ्ख व जूट उद्योग में सुदृढता लाने की दिशा में सफल प्रयत्न किए हैं।

सन् 1947 में दिशा का विभाजन होने से जूट उद्योग पर यहूत दुरा प्रभाव पड़ा। अतः योजनावधि के प्रारम्भ से ही सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर इस उद्योग के आधुनिकीकरण के अनेक प्रयास किए गए।

प्रथम पंचवर्षीय योजना: प्रथम योजना काल में जट तैयार करने तथा कानूनी की मशीनों के आधुनिकीकरण करने से पर्याप्त प्रगति की गई। इस योजना में 28 मिलों के करोड़ों का आधुनिकीकरण किया गया और इस पर 8.5 करोड़ रुपये व्यय हुए। इसके अतिरिक्त अनुमानतः 15 करोड़ रुपये मूल्य की आधुनिकतम मशीनें भी बुनाई गईं। इस योजना के अंत तक जूट कानूने के अधिकार उपकरणों का आधुनिकीकरण किया जा चुका था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना: द्वितीय योजना में जूट उद्योग के आधुनिकीकरण वार्षिकम की गति को तीव्र किया गया। सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को जूट उद्योग की मशीनों का आधुनिकीकरण करने के लिए लक्षण व अधिम देने के लिए कहा। मार्च सन् 1961 तक निगम ने इस नीति के अन्तर्गत जूट उद्योग को लगभग 6 करोड़ रुपये का लक्षण स्वीकृत किया है। द्वितीय योजना में जूट उद्योग के आधुनिकीकरण कार्यकर्मों पर संगभग 35 करोड़ रुपये व्यय हुए।

तृतीय पंचवर्षीय योजना: तृतीय योजना में जूट उद्योग की बुनाई व फिनीशिंग विभागों के आधुनिकीकरण की योजनाएँ तैयार की गईं और देश के ब्रदर ही मशीनों का निर्माण प्रारम्भ किया गया। सन् 1963 के मध्य तक जूट उद्योग की वर्ताई क्षमता का दातशतिथ आधुनिकीकरण हो चुका है। इस योजना में इस उद्योग के आधुनिकीकरण पर संगभग 65 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

सन् 1969-70 के बजट में सरकार ने जूट उद्योग को प्राधिमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल कर लिया है जिसके आधार पर इस उद्योग को 35 प्रतिशत की दर से विकास लूट मिलेगी। जूट उद्योग के आधुनिकीकरण की दिशा में यह एक अच्छा कदम उठाया गया है।

चीनी उद्योग का विवेकीकरण

(Rationalisation of Sugar Industry)

चीनी उद्योग भी भारत का एक प्राचीन उद्योग है। इस उद्योग के अधिकांश यथा पुराने व घिसेपिटे हैं। इनको बड़े पैमाने पर बदल कर उद्योग में आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।

आधुनिकीकरण की योजना चीनी उद्योग में आधुनिकीकरण के सद्बध में सन् 1962 में भारतीय चीनी मिल मध्य न ताक नोट तैयार किया था जिसके अनुसार देश में सन् 1951 से वहने स्थापित मिलों की संख्या 136 थी जिनमें 67 मिलें ऐसी थीं जिनका विस्तार नहीं हुआ था। 20 मिले ऐसी थीं जिनका विस्तार पूर्ण क्षमता तक 30 प्रतिशत तक हुआ था और 49 मिले ऐसी थीं जिनका विस्तार 38 प्रतिशत तक हुआ था। इस नोट के अनुसार इन मिलों में से प्रधान दो प्रकार की मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए 70 लाख ₹० प्रति इकाई और तृतीय प्रकार की मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए 35 लाख ₹० प्रति इकाई अनुमानित किया गया। इस आधार पर सपूर्ण आधुनिकीकरण का ये 78,05 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया।

भारत सरकार ने गुट्टराव की अध्यक्षता में एक चीनी मिल पुनर्वासि और आधुनिकीकरण समिति नियुक्त की जिसने अपनी रिपोर्ट (जो सन् 1961 में दी गई थी) में यह बताया कि चीनी उद्योग का सुदृढ़ चालार पर लाने के लिए 260 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। समिति ने आधुनिकीकरण के लिए एक विशेष निधि के निर्माण का सुझाव दिया।

आधुनिकीकरण की प्रगति चीनी उद्योग में उत्पादकता बढ़ान के लिए गुणनियत योजना कार्यान्वयन की जा चकी है। शक्ति के गुणों के प्रमाण भी निश्चित किया जा चुक हैं। तृतीय पश्चदर्दीय योजना में गन्ना विकास योजना को अधिक गहनता से लागू किया गया। चीनी उद्योग में मशीनों के आधुनिकीकरण के काय में भारतीय औद्योगिक विकास नियम न पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की है तोकिन इसकी प्रगति काफी धीमी गति से हुई है।

लोहा, इस्पात, बोयला एवं सीमेट उद्योगों में विवेकीकरण

लोहा एवं इस्पात उद्योग में विवेकीकरण की दृष्टि से सन् 1936 में इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का पुनर्गठन किया गया और स्टील कारपोरेशन की स्थापना की गई। सन् 1952 में बगाल स्टील कारपोरेशन को इंडियन आयरन एंड कंपनी में मिलाया गया। इसमें भी विवेकीकरण की क्रियाओं को प्रोत्साहन मिला। सौह खनन

क्षेत्र में जापान की सहायता से बेलाइला (म० प्र०) में आधुनिकतम् यत्रों से सुसज्जित लोह स्तन कार्य प्रारम्भ किया गया। 14 जुलाई 1972 को केंद्रीय सरकार ने देश के दूसरे विद्यालय लोह एवं इस्पात कारखाने IISCO का प्रबंध अपने हाथ में लिया है। जिसका मुख्य उद्देश्य कारखाने की मशीनों भे उचित सुधार करना व श्रम समस्याओं का समाधान करना है।

कोयला उद्योग को प्राय बतंभान में बीमार तथा भविष्य के प्रति अनिश्चित बहा जाता है। इसके उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। भारत मरकार इस उद्योग को विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए शुरू में ही काफी प्रयास नील रही है। सन् 1950, 54, 55 तथा 1957 में राष्ट्रीय स्तर पर कोयला उद्योग की समस्याओं के समाधान और बन्धन स्थान हेतु धनबाद में केंद्रीय ईंधन बन्धन संघानशाला को स्थापना की गई। द्वितीय योजना काल में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना की गई। तृतीय योजना में इस उद्योग के आधुनिकीकरण तथा विवेकीकरण वे लिए विश्व बैंक न 17 करोड़ रुपये का ऋण दिया।

सीमेट उद्योग अपेक्षाकृत नया उद्योग है और इस उद्योग में मुख्य समस्या जनर्मिक आकार की फ्राकाइयों की है। इस उद्योग में विवेकीकरण की दृष्टि से मुख्य प्रयाम संयोजन के रूप में किया गया है। मन् 1936 में 11 सीमेट कपनियों के सम्मिश्रण में एसोसिएटड ग्रुप की सीमेट कपनियों ने इससे समझौता कर लिया। सरकार की ओर से इस दृष्टि से उल्लेखनीय प्रयाम भारतीय सीमेट के रूप में किया गया है। केंद्रीय भवन शोध संस्थान रुडकी में उत्पादन लागत कम करने के सबव एवं प्रयोग किए जा रहे हैं। उद्योग में उत्पादन वृद्धि की दृष्टि में अमरीका के विकास ऋण निधि और प्राविष्टिक महयोग मिशन की सहायता भी जा रही है।

भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण की धीमी प्रगति के कारण

इसमें सदैह नहीं कि देश के विभिन्न महत्वपूर्ण उद्योगों में विवेकीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं। लेकिन इसकी प्रगति अत्यधिक ही धीमी गति से हुई है। इसका बारण देश में विवेकीकरण एवं याग में अनेक बाधाएँ हैं जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं—

1. पूजी का अमाय भारत में पूजी निर्माण की गति बहुत कम है जिसके द्वारा नवीन विनियोगों की आवश्यकताओं को भी पूर्ण कर पाना सभव नहीं है। एसी स्थिति ये विवेकीकरण की योजनाओं के निम्न दर्शान मात्रा में पूजी जुटा बाहा दुष्कर कार्य है।

2. तकनीकी ज्ञान एवं प्रानुभव की कमी विवेकीकरण के दायकरणों की कामा क्षिति करने के लिए उच्च स्तर के तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। भारत में इस तरह की श्रम-कालिक की कमी है जिसके कारण विदेशों से विशेषज्ञों को बुलाना पड़ता है और काफी खर्च बाहा पड़ता है।

3. उद्योगों में परस्पर सहयोग की भावना का अभाव भारतीय उद्योगपतियों

परस्पर सहयोग को भावना का अभाव है। व्यक्तिगत स्वार्थों को अधिक प्रधानता देने के कारण जो समझौते किये गये, वे अल्पकालीन ही रहे तथा वे असफल रहे।

4 ओद्योगिक समर्थन श्रमिकों एवं नियोक्ताओं में परस्पर असहयोग एवं वैमनस्यता की भावना के कारण विवेकीकरण को अपनाने में अनुकूलिता इच्छिता उपस्थित होती है। श्रमिक वर्ग नियोक्ताओं को अपना सहयोगी व पोषक नहीं बल्कि शोषक समझते हैं। उद्योगपति श्रमिकों का महत्व नहीं समझते। श्रमिकों के प्रति उद्योगपतियों का सर्वीण विचार विवेकीकरण से प्राप्त होने वाले लाभ को स्वयं रख लेना तथा श्रमिकों व प्रौद्योगिक समठन आदि घटणों से विवेकीकरण की योजना भारत में सफल नहीं हो सकी।

5 बेकारी की वादाका भारत में वैसे ही बेकारी की समस्या बड़ी जटिल है। यदि विवरीकरण की योजनाओं को वार्तान्वित किया गया तो बेकारी फैलने की आशंका बनी रहती है। इस प्रकार बेकारी के भय के कारण विवेकीकरण का विरोध किया जाता है।

6 भूमीन निर्माण-समता की कमी विवेकीकरण के प्रमुख अगों के रूप में यात्रीकरण आधुनिकीकरण और स्वच्छालन इत्यादि की योजनायें क्रियान्वित की जाती हैं जिनके लिए मरीनों की आवश्यता होती है। यद्यपि देश में मरीनों का निर्माणकार्य नेत्री में बढ़ रहा है तथा सूती पहन करघो शाकर बनाने की मरीनों, सीमेट बनाने की मरीनों आदि के निर्माण में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा चुकी है किर नी देश में आधुनिक तकनीक से सुसज्जित मरीन-निर्माण की क्षमता की कमी रही है।

7 श्रमिकों द्वारा विरोध भारत में जब भी विवेकीकरण की योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं श्रमिक द्वारा उसका विरोध किया गया है। विरोध रूप से स्वार्थी श्रमिक नेताओं ने श्रमिक वर्ग को शोषण छटनी व बेरोजगारी का भय दिखाकर विवेकीकरण का विरोध किया है।

8 उद्योगपतियों की रुद्धिवादिता भारतीय उद्योगपतिया में सामान्यत साहस का गुण नहीं पाया जाता। उनकी उद्योग स्वर्थी नीतिया रुद्धिवादी हैं। वे सच्चे अथ मायापारिक अधिक और उद्योगपति कम हैं। पूजी के विनियोग में उनका सकोच बना रहा है औद्योगिक अनुमधान का प्रति उदासीनता की नीति अपनाई है।

विवेकीकरण के सबूत में भारत सरकार की नीति

(Policy of Indian Government Towards Rationalisation)

विवेकीकरण की दिशा में सरकार द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं वे निम्नलिखित हैं—

1 औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951 भारत सरकार ने सन 1951 में औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम पास किया जिसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों का स्वस्थ नियमन एवं नियंत्रण करना है। अधिनियम के अन्तर्गत अनु-सूचित उद्योगों में विवेकीकरण लागू करने के लिए, विभिन्न पहलुओं पर विचार करने

विवेकीकरण

के लिए विकास परियोग की स्थापना की गई है।

2 द्वितीय सहायता. विवेकीकरण कार्यक्रम के अतर्गत मरीनीकरण, आध-निकीकरण व पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता जैसे औद्योगिक विकास प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के अतिरिक्त विशिष्ट वित्तीय सहायता जैसे औद्योगिक विकास बैंक ने भी वित्तीय सहायता करती है। सरकार द्वारा उद्योगों के प्रतिनिधित्व पर्याप्ति पुनर्निर्माण के सबध में योजना म 230 करोड़, द्वितीय योजना में 150 करोड़, तृतीय योजना में 188 करोड़ व चतुर्थ योजना में लगभग 525 करोड़ रुपये विनियोग किए गए।

3 अब एवं पूजो में पारस्परिक सहयोग विवेकीकरण की योजना की सफलता के लिए अब और पूजो दोनों का सहयोग बाढ़नीय है। यह सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार ने अर्डे कदम उठाए जैसे—(अ) आमूर्ति विवेकीकरण की नीति की प्राप्ति, (ब) औद्योगिक प्रबध में अभिकों की भागीदारी की योजना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। (स) विवेकीकरण से उत्पन्न लाभों में अभिकों को न्यायोचित भाग दिलाने का आशय सत दिया है।

4 आदर्श ठहराव का निर्माण सन् 1957 में हुए अखिल भारतीय अम सम्मेलन में एक आदर्श ठहराव पास किया गया जिसमें किसी भी औद्योगिक सम्बन्ध में दिवेकीकरण योजना लागू करने से पहले अम प्रबध के प्रतिनिधियों के समुदाय विचार विमर्श आदि की अनिवार्य व्यवस्था कर दी गई है। इसमें एक अम-मूलीय पथ प्रदर्शक नियमों की सूची भी प्रकाशित की गई है। इन नियमों में अभिकों की छटनी की रोकथाम विवेकीकरण ने उत्तम लाभों के न्यायोचित विनाश एवं अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ सम्मिलित हैं।

5 करों में छूट विवेकीकरण द्वारा प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने करों में विभिन्न प्रकार की सूची दी है जिनमें विकास छूट अतिरिक्त हास भास इत्यादि सम्मिलित हैं।

6 औद्योगिक शोध एवं अनुसंधान विवेकीकरण कार्यक्रमों में सहायता नी दृष्टि म सरकार न शोध कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया है वे विभिन्न अनुसंधान केंद्रों की स्थापना भी है। मन 1940 म बोर्ड ऑफ माइट्रिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की प्रारूपित तुम्हारन विभाग खोला गया जो मन 1954 म नवनिर्मित विभाग के बैंडानिं शोध मन्त्रालय का अंग बन गया। शोध के अधिकारम व्यावहारिक प्रयोग के लिए मन 11 अम केंद्रीय सरकार न राष्ट्रीय शोध विकास निगम की स्थापना भी है। मन 1940 म एक ना दर्शाय प्रोत्साहन मंडल स्थापित किया गया। शाविष्यार्थी वे विभाग न जीय एवं तरनीकी सहायता देना है।

7 उत्पादकता आदोत्तम विवेकीकरण का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता न बढ़िकरना है। अत सरकार न इम दार पदाप्त ध्यान दिया है। इस सबध म एन 1958 म राष्ट्रीय उत्पादकता परियोग की स्थापना की गई स्थानीय तपा शेषीय उत्पादकता

पारंपदो की स्थापना की गई और सन 1966 वष को उत्पादकता वष के स्प मे मनाया गया।

8 भारतीय मानक संस्थान उद्योगो मे प्रमाणीकरण लाने के लिए सन 1957 म भारत सरकार द्वारा भारतीय मानक संस्थान की स्थापना की गई। इस संस्थान क प्रमुख काय है—(अ) वस्तुओ कचे माल व विधियो के प्रमाप तैयार करना। (ब) प्रमाप का प्रचार करना। (स) गुण नियन्त्रण व प्रक्रियाओ वा मरलीकरण करना। (द) विभिन्न संस्थाओ को प्रमाप देना तथा उनका पजीयन करना आदि। जन सन 1972 तक इस संस्थान द्वारा 6864 भारतीय प्रमाप निर्धारित किए जा चुके थे।

परीक्षा प्रश्न

- 1 विवेकीकरण एक उद्योग म लगी हई सभी इकाइयो द्वारा किसी प्रकार की मयुक्त कायवाही करके वैज्ञानिक तथा तक्युक्त ढग म ही चयन्त्र तथा अनुशासन को दूर करने का प्रयत्न अभियान है। इस कथन की विवेचना कीजिए और विवेकीकरण के मुख्य सिद्धान्त और उद्देश्य की विवेचना कीजिए।
- 2 विवेकीकरण एक अमिथत वरदान नही है। इस कथन की व्याख्या कीजिए।
- 3 विवेकीकरण का सबसे अधिक विरोध श्रमिको के ओर से हुआ है। इस कथन की व्याख्या कीजिए और यह बताइए की विवेकीकरण की किसी योजना को अपनान म श्रमिको का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किया जाए?
- 4 निर्यात बाजारो से भारतीय उद्योग की स्पष्ट नक्कि मे बढ़ि करने के लिए विवेकीकरण ही सबसे अधिक प्रभावशाली उपाय है। इस कथन का परीक्षण कीजिए।
- 5 भारतीय उद्योगो मे विवेकीकरण पर एक सक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। भारत सरकार की विवकाकरण के सबध मे क्या नीति है?
- 6 'श्रीद्वय तथा मित्रव्ययी औद्योगिक उन्नति के लिए विवेकीकरण आवश्यक है' और इससिए भारत मे समस्त बड पैमाने के उद्योगो मे इसको लागू करना चाहिए। इस कथन की विवेचना एव आलोचना कीजिए।
- 7 विवेकीकरण क्या है भारतीय उद्योगो मे विवेकीकरण की तात्कालिक जाव इयकता को समझाइए। श्रम द्वारा विवेक करण का विरोध क्यो होता है?
- 8 विवेकीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय उद्योगो म यह कहा तक अपनाया गया है?

विशिष्टीकरण (Specialisation)

विशिष्टीकरण का अर्थ नतमान युग विशिष्टीकरण का युग है। छोटे से ठोटे काय के लिए भी विशेषज्ञता जावश्यकता पड़ती है। विसी काय में निपूणता प्राप्त करना ही विशिष्टीकरण कहलाता है। विशिष्टीकरण वे कुछ परिभाषा इस प्रकार हैं—

1. सामाजिक विज्ञानों का गम्भकोष विशिष्टीकरण से उन सभी नमाजिक वैज्ञानिक आधिक व सकनीकी परिमितियों का बोध होता है, जो सामाजिक श्रम विभाजन की परिधि में आती है। 1

2. किसी भी विशिष्टीकरण प्रयास के सीमित क्षमता में प्रयत्न न के केंद्रीयकरण को कहते हैं। इस परिभाषा का अर्थ यह है कि विशिष्टीकरण के द्वारा यस्ति सभी दिशाओं में प्रयत्न न करके सीमित क्षमता में विशेष योग्यता प्राप्त कर नेता है। ऐस प्रकार उसके समस्त साधन व शक्तियाँ एक विशेष विभाग की ओर केंद्रित हो जाती हैं और उसकी कायसमता अधिकतम हो जाती है। श्री जरोसलाय नूमा ने इसी रिंग विशिष्टीकरण को पारिभाषित करते हुए लिखा है— विशिष्टीकरण मानसिक काय या गारीरिक प्रदर्शन की विशेष समस्याओं वथवा कार्यों पर कठिन करने को कहा जाता है।

वस्तुत विशिष्टीकरण आधिक श्रीछोगिक प्रणाली की विशेषता है अन हम इस सकते हैं कि विसी काल म योग्यता और निपूणता प्राप्त करना ही विशिष्टीकरण है।

विशिष्टाकरण के स्वरूप

विशिष्टीकरण वे प्रमुख स्वरूप निम्नलिखित हैं—

1. अम का विशिष्टीकरण अम विभाजन के आधार पर यह विशिष्टीकरण किए जाना है जिसम अभिक वो मानसिक व गारीरिक योग्यताओं को ध्यान म रखा जाता है। जो यकिन गारीरिक दृष्टि ग हूट्ट पुण्ड होते हैं उन्ह गारीरिक काय दिया जाता है और मानसिक दृष्टि म योग्य न-यकिन को मानसिक अम का बाय नीरा जाता है।

2 पेशो का विशिष्टीकरण : सम्यता के विकास के साथ-साथ व्यक्तियों ने विदेश पेशे चुनने थारभ किए। इस प्रश्नार पेशेवर आधार पर श्रम-विभाजन किया जाने लगा। वर्तमान समय में यह विशिष्टीकण और भी बढ़ गया है। अब सिफ़े डाइटर ही नहीं मिलते बल्कि नाक, बान, गले, दात, खाल व गुप्त रोग आदि सभी के विशेषज्ञ मिलते हैं। इसी प्रकार दर्जों की दुकान में भी असम-असम मदनि,^१ जनाने अथवा घड़के के कपड़ों के विशेषज्ञ मिलते हैं।

3 औद्योगिक विशिष्टीकरण : प्राचीन समय में एक ही कारखाने में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था परतु वर्तमान समय में वस्तु के केवल एक ही भाग का निर्णय एक कारखाने में होता है तथा उस वस्तु ने सवधित अन्य भागों को छुसरे कारखाने से कप करके प्राप्त कर लिया जाता है। उदाहरणार्थ—साइकिल इनाने के प्राय सभी कारखाने टायर-ट्यूर आदि दूसरों से ही खरीदते हैं।

4 भौगोलिक विशिष्टीकरण : प्रत्येक देश की जलवायु व प्राकृतिक साधन विशिष्टीकरण पर पर्याप्त प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए बर्बादी व अहमदाबाद में गूंती वस्त्र उद्योग क्षेत्र में जूट उद्योग, खूनी में फर्नीचर उद्योग व फिरोजाबाद में भूही उद्योग स्थापित होने वा पमुक्का क्षेत्र बनुकूल जलवायु व प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता ही है।

5 तकनीकी विशिष्टीकरण वर्तमान समय में उत्पादन कियाओं को अनेक उपक्रियाओं में विभाजित करके प्रत्येक उपक्रिया पर अलग-अलग तकनीकी विशेषज्ञ काम करते हैं। इसमें इसे तकनीकी विशिष्टीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में जूता उद्योग में जूता बनाने की क्रियाक्रम लगभग 200 उपक्रियाओं में विभक्त कर दिया गया है।

6 अन्य क्षेत्रों में विशिष्टीकरण उद्योगों के अन्य क्षेत्रों में भी अब विशिष्टीकरण ज़ोरों पर है। उदाहरण के लिए बैंकों को ही लिया जा सकता है। पहले बैंकों ने केवल सावध की कमा में ही विशिष्टीकरण प्राप्त की थी, परतु अब उसमें भी विशिष्टीकरण हो गया है। जैसे—मरकारी बैंक, औद्योगिक बैंक, भूमि बधक बैंक व व्यापारिक बैंक जादि।

विशिष्टीकरण के लाभ

विशिष्टीकरण के मवध में एडम रिम्प ने कहा है—“अब की कार्य थमता उमकी कुशलता वाव निण प्रशिक्षित में वृद्धि का सबमें अधिक श्रेष्ठ विशिष्टीकरण हो ही तो विशिष्टीकरण के लाभ का नीन दृष्टिकोण स अध्ययन किया जा सकता है।

(अ) उत्पादन की दृष्टि से लाभ

इस वर्ग के अन्तर्मन निम्ननिवित लाभों का वर्णन किया जा सकता है—

1 उत्पादन में वृद्धि विशिष्टीकरण के कारण उत्पादन में वृद्धि हो जाती है क्योंकि (i) इसमें प्रत्येक व्यक्ति वह विशिष्ट कार्य करता है जिसके लिए वह विशेष रूप से योग्य होता है। (ii) निरन्तर एक ही कार्य को करते रहने के कारण व्यक्ति उसे बतने

विशेष निपुणता प्राप्त कर लेता है। एडम न्सिय के अनुसार यदि एक आदमी अकेने ही आलिंग बनाता है तो वह दिन भर में 20 आलपिनों में अधिक नहीं बना सकता है। योकि यदि वह 10 श्रमिकों के साथ विशिष्टीकरण के अनुसार कार्य कर तो यही उत्पादि 4800 आलपिनों तक बढ़ सकती है।

2. उत्पादन व्यय में कमी - चूंकि विशिष्टीकरण के द्वारा एक अविन द्वारा कम समय में ही अधिक वस्तुएँ उत्पादित वी जाती है इसलिए प्रति वस्तु के उत्पादन व्यय में कमी भी जाती है।

उत्पादन की थेट्ठता विशिष्टीकरण के अतर्गत विशेषज्ञों द्वारा वस्तुएँ उत्पादित होने के कारण वे अधिक अच्छी एवं थेट्ठ होती हैं।

4. मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग - चूंकि विशिष्टीकरण में सपूर्ण उत्पादन-क्रियाओं अनेक उपक्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है इसलिए प्रत्येक क्रिया अत्यधिक गति वस्तु हो जाती है और मशीन के द्वारा वी जाने लगती है। इस प्रकार विशिष्टीकरण से मशीनों का प्रयोग अधिक गति वस्तु हो जाता है।

5. अपव्यय में कमी - चौंकि विशिष्टीकरण के अतर्गत प्रत्येक कार्य विशेषज्ञों द्वारा सपन्न किया जाता है इसलिए उत्पादन के तम में साधनों का अपव्यय कम से कम होता है।

6. समय की बचत - विशिष्टीकरण पर आधारित प्रणाली में समय की बचत तीन प्रकार से होती है --

(i) अधिक निपुणता के कारण श्रमिक थोड़े समय में ही अधिक कार्य कर सकते हैं।

(ii) सभी श्रमिकों का कार्य तथा कार्यस्थान निश्चित होता है जब उन्हें अधिक भाग-दोइ नहीं करनी पड़ती।

(iii) श्रमिकों को मशीनों वी सहायता से कार्य करना पड़ता है।

इन सबका लाभ यह होता है कि उत्पादन में लगाने वाले मरम्म की बचत हो जाती है।

(ब) समाज की दृष्टि से

विशिष्टीकरण से सपूर्ण समाज निम्न प्रकार से नाभनित होता है—

1. आविष्कारों की सम्या में बढ़ि - विशिष्टीकरण में एक ही प्रकरण के कार्य को रोज़-रोज़ करते रहने से श्रमिक उसमें विशिष्ट योग्यता प्राप्त कर लेता है और उसको और भी सरल एवं सुलभ विधियों द्वारा सपन्न करने के बारे में सोचता रहता है। इसस नए-नए आविष्कार और कार्य-विधियों का जन्म होता है।

2. प्रमाणनों का उचित प्रयोग - विशिष्टीकरण के कारण समाज के प्रसाधनों और परिवर्तनों का सर्वोत्तम उपयोग सम्भव होता है।

3. रोजगार के अवसरों का विस्तार - विशिष्टीकरण के कारण उद्योग घटों का विकास होता है जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिलने लगता है और बेरोजगारी की समस्या दूर होती है।

4 कुशल सगठनकर्ताओं में वृद्धि : चूंकि जटिल विशिष्टीकरण के अतर्गत उत्पादन की प्रत्येक उपविधियों में समन्वय स्थापित करने के लिए योग्य एवं कुशल सगठनकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए देश में उनकी संख्या में वृद्धि होती है।

5 सहयोग की भावना में वृद्धि : चूंकि विशिष्टीकरण उत्पादन प्रणाली के अतर्गत कोई भी व्यक्ति या परिवार आत्मनिर्भर नहीं हो पाता, इसलिए समाज में सहयोग की भावना बढ़ती है।

6 सम्पत्ति वस्तुएँ विशिष्टीकरण से ही समाज को अच्छी, श्रेष्ठ एवं मस्ती वस्तुओं की प्राप्ति होती है।

(स) श्रमिकों को वृद्धि से लाभ

1 श्रम की कार्यक्षमता में वृद्धि : विशिष्टीकरण प्रणाली के अतर्गत प्रत्येक श्रमिक केवल एक ही कार्य या उपकार्य को करता रहता है जिसके कारण वह इस विशेष विधि या उपविधि में बहुत ही कुशल हो जाता है।

2 श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि : विशिष्टीकरण के अतर्गत चूंकि उत्पादन कार्य को अनेक सूक्ष्म उपविधियों में बाट दिया जाता है तथा प्रत्येक उपविधि इतनी सरल और सुगम हो जाती है कि आवश्यकता पड़ने पर कोई भी श्रमिक उसे आसानी से सीख सकता है, इसलिए यदि श्रमिक एक उद्योग को छोड़ कर दूसरे उद्योग में प्रविष्ट होता है तो उसे दूसरे कार्य को सीखने में अधिक समय नहीं लगता। फलतः श्रमिकों की व्यवसायिक गतिशीलता अधिक होती है।

व्यावसायिक गतिशीलता से श्रमिकों को दो प्रकार से लाभ होता है —

(i) एक उद्योग में बेकारी बढ़ने पर वह दूसरे उद्योग में लग सकता है।

(ii) श्रमिकों को अच्छी मजदूरी प्राप्त हो जाती है।

3 प्रशिक्षण में कम समय व धन के बच्य में बचत चूंकि विशिष्टीकरण के अतर्गत पूर्ण क्रिया के सीखने के बजाय एक छोटे से भाग को ही सीखना पड़ता है इसलिए श्रमिकों का प्रशिक्षण में कम समय और कम व्यय लगता है।

4 पारिश्रमिक में वृद्धि : चूंकि विशिष्टीकरण के कारण उत्पादन में वृद्धि होती है जिससे श्रमिकों को अधिक पारिश्रमिक मिलता है।

5 रोजगार में वृद्धि : विशिष्टीकरण के परिणामस्वरूप कई प्रकार के कार्यों का सून्नपात होता है तथा कई टुकड़ों में बट जाते हैं, डमीलिए स्त्री पुरुष, मुड़द, जवान, बड़वे सबको उनकी शक्ति एवं क्षमता के अनुसार कार्य मिल जाता है।

6 सहयोग की भावना का विकास विशिष्टीकरण ने वृहद उत्पादन तो जन्म दिया है जिसमें सैवडो या हजारों मजदूर एक साथ मिलकर एक स्थान पर काम करते हैं अतः उनमें पारस्परिक एकता तथा सहयोग की भावना उदय होनी है।

7 श्रमिकों का सांस्कृतिक विकास जब विभीं कारखाने में हजारों मजदूर देश के विभिन्न हिस्सों में आकर परस्पर सहयोग वरत हैं तो इससे श्रमिक एक दूसरे के

प्रैमिकियता तथा सास्कृतिक जीवन से भ केवल परिचित होते हैं बरन् आपस में सकृति का उनमें आदान प्रदान होता है एव इसी में नई-नई बातें सीखने का अवसर प्राप्त होता है। -

8 अभिकों में सगठन और उनको सौदा करने की शक्ति में वृद्धि विशिष्टीकरण के कारण चूंकि उत्पादन का पैमाना बढ़ा हो जाता है इसीलिए भारी स्था में थर्मिक कार्य करते हैं। परम्पर साथ रहने से उनमें वर्ग चेतना आती है और वे भिन्नकर थर्मिक खेल करते हैं। इससे मालिकों के साथ सौदा करने की शक्ति बढ़ती है और उनके काय करने की अवस्थाओं में सुधार होता है।

प्र० ० वैसन ने विशिष्टीकरण के अनेक लाभों को सक्षेप में इस प्रकार वर्णित किया है— विशिष्टीकरण का परिणाम अम की अपेक्षाकृत अधिक उत्पादकता, पूजी के विनियोग के लिए अधिक अवसर, व्यवसाय की अपेक्षाकृत अधिक विविधता, समठनकर्ता की कुशलता की अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन आदि इन रूपों में प्रकट होता है। सारांश में विशिष्टीकरण का परिणाम उत्पादनात्मक प्रयत्न की कुशलता में वृद्धि होना है।”

विशिष्टीकरण की हानिया

विशिष्टीकरण की हानियों का भी हम तीन दृष्टिकोणों से अध्ययन कर सकते हैं—

(क) अभिकों के दृष्टिकोण में

विशिष्टीकरण से अभिकों को निम्नलिखित हानिया है—

1 नीरसता जब एक थर्मिक प्रतिदिन केवल एव ही काम को निरतर करता रहता है तो वह कार्य उसके लिए नीरस हो जाता है और वह शीघ्र ही उस काम से छूट जाता है।

2 कार्यक्षमता की क्षति विशिष्टीकरण में थर्मिक किसी काय का अवलाभ ही करता सीखता है और कालातर भ थर्मिक इसे यद्यपि करने लगता है और फिर उसे अपनी कार्यविधि के विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें उसकी कार्यक्षमता का हास होने लगता है एहम स्थित्य के बान्दो म ऐम मनुष्य को जिसका संपूर्ण जीवन किसी सरल बाय को न्यरत ही बोत जाता है उस कभी अपनी समझदारी पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्राप वह इतना मूल्य और अज्ञानी हो जाता है जितना कि मानव के लिए सभव है।

3 उत्तरदायित्व का अभाव विशिष्टीकरण के अन्तर्मन मजदूरों में उत्तर दायित्व का हास हो जाता है क्योंकि अतिम उत्पादन नब थर्मिकों की चट्ठानों वा परिणाम हाना है। यदि अनिम उत्पादन विसी बारण परिया विस्म रा है तो उसके लिए किसी एक थर्मिक को उत्तरदायी नहा ठहराया जा सकता।

4 थर्मिक की गतिशीलता में कभी विशिष्टीकरण व कारण थर्मिक वी गतिशीलता बढ़ने के बजाय घटती है क्योंकि थर्मिक एव छोटी सी किया वा ही रानता

है। इसीलिए जब नेक उसी किया की माग न हो तो श्रमिक को कार्य नहीं मिलता।

5 द्वितीय बाल श्रमिकों का शोषण विशिष्टीकरण में अनेक कार्य स्त्री और बच्चों के करने लायक भी होते हैं परंतु सेवायोजक वहुधा उन्हांना पूर्ण पुरस्कार न देकर उनका शोषण करते हैं।

(स) उत्पादक के दृष्टिकोण से

उत्पादक को भी विशिष्टीकरण से निम्नलिखित हानियां हैं—

1 चूंकि विशिष्टीकरण के कारण उत्पादन का पैमाना बढ़िल हो जाता है इसलिए उसके प्रबंध एवं प्रशासन का कार्य अत्यत बड़िल हो जाता है।

2 विशिष्टीकरण के कारण चूंकि श्रमिक सघों को प्रोत्साहन मिलता है इसलिए उत्पादकों को हमेशा भय बना रहता है कि कहीं श्रमिक उचित-अनुचित मार्गों के लिए हड़ताल आदि न करें।

(ग) समाज के दृष्टिकोण से

विशिष्टीकरण में समाज को निम्नलिखित हानियां हैं—

1 विशिष्टीकरण ने ही फैक्टरी को जन्म दिया है जिससे—

(i) गदगी मकान का अभाव, गुडागर्दी तथा अन्य सामाजिक कुरीतियां व्यापक रूप से दृष्टिगोचर होती हैं।

(ii) अविकल्पों में गाव से भागकर शहर में आने की प्रवृत्ति बढ़ती है।

(iii) मजदूरों की गदी वस्तिया बसती हैं।

(iv) औद्योगिक नगरों के बसने से महागाई में वृद्धि होती है।

(v) स्त्रियों और बच्चों का शोषण होता है।

(vi) अति उत्पादन का भय बना रहता है।

(vii) औद्योगिक सघों को प्रोत्साहन मिलता है जो सामाजिक जीवन को न केवल कल्पित करता है बरन् इसमें राष्ट्रीय उत्तरति का भी हानि होती है।

2 विशिष्टीकरण के कारण समाज के सदस्यों की आन्तरिकता घट जाती है तथा वे एक दूसरे पर अद्वितीय हो जाते हैं। यदि सूती वस्त्र उद्योग में मूल तंत्रार करने वाले श्रमिक हड़ताल कर दें तो इसमें न केवल वपड़ा बनाने वाली मिल दद हो जाएगी बन्क ब्यापास बेचने वाले थोक व्यापारियों का व्यवसाय भी ठप्प हो जाएगा।

विशिष्टीकरण की सीमाएं

विशिष्टीकरण की निम्नलिखित सीमाएं हैं जिसके कारण विशिष्टीकरण का अधिक विस्तार सभव नहीं हो पाता।

1 बाजार का विस्तार जैसा कि एडम स्प्रिथ ने कहा है कि 'विशिष्टीकरण बाजार के विस्तार द्वारा सीमित होता है।' यदि किसी वस्त्र की माग बहुत विस्तृत

विशिष्टीकरण

होती है तो सबधित उच्चोग का उत्पादन पैमाना बृहद् होगा और विशिष्टीकरण भी व्यापक रूप में सभव हो सकता है बरता नहीं।

प्रो० टाजिग के शब्दों में जूता बनाने का कार्य काटने वाले, सीने वाले, कील ठोकने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के मध्य बाटना तब तक सभव नहीं है जब तक कि सबके गम्भीर श्रम से उत्पन्न जूते की विक्री के लिए पर्याप्त बाजार उपलब्ध न हो।

2. व्यवसाय अथवा उद्योग की प्रगति ऐसी कलात्मक वस्तुओं के उद्योग जिनकी उत्पत्ति वे लिए अभिको में विशेष निपुणता की आवश्यकता पड़ती है और जिनका उत्पादन वडे पैमाने पर सभव नहीं है उनका विशिष्टीकरण के लिए अधिक सेव नहीं होता।

3. वस्तु की मात्राकी स्थिरता : विशिष्टीकरण को व्यापक रूप से अपनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि वस्तु की मात्रा बाजार में निरतर रहनी चाहिए अन्यथा उत्पादन के पैमाने का अधिक विस्तार नहीं हो सकता। यदि उत्पादन मौसमी है तो मजदूरों को बेकारी के दिनों में दूसरे कामों पर जाना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में विशिष्टीकरण अधिक भाना में नहीं हो सकता।

4. अम की उपलब्धता तथा परस्पर सहकारिता : विशिष्टीकरण के बल उस सीमा तक सभव हो पाता है जिस सीमा तक अभिको की पूर्ति यथन होती है। इसी प्रकार अभिको में सहकारिता की भावना की सीमा भी विशिष्टीकरण की सीमाओं को निर्धारित करती है। सहकारिता के अभाव में एक बर्ग द्वारा उत्पन्न वस्तु का उपयोग दूसरे बर्ग द्वारा नहीं किया जा सकता है जिससे विशिष्टीकरण में कठिनाई होती है।

5. सगठनकर्ता की कुशलता : चूंकि प्रत्येक सगठनकर्ता के उत्पादन कार्य की देख-रेख की क्षमता सीमित होती है इसलिए विशिष्टीकरण भी सगठनकर्ता की देख-रेख की क्षमता से सीमित रहता है।

9. व्यापार सद्व्याप्ति सुविधाएः : विशिष्टीकरण प्रणाली का विस्तार देश में उपलब्ध व्यापार सद्व्याप्ति मुविद्याओं पर ही निर्भर रहता है। जिस देश में परिवहन और सामाजिक सेवाएँ—बैंक, बीमा कपनिया, आदि जितनी अधिक भाना में उपलब्ध होंगी उतना ही बाजार विस्तृत होगा और बाजार विस्तृत होने पर विशिष्टीकरण प्रणाली का उपयोग भी उतना ही जटिल होगा।

विशिष्टीकरण के लाभप्रद उपयोग के लिए सुझाय
विशिष्टीकरण में जटिल कार्य को उत्तम ढंग से करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को छोटे से छोटे कार्य पर अपना सपूर्ण ध्यान लगाना पड़ता है वे कार्य को कुशलतापूर्वक करता होता है। अत विशिष्टीकरण का लाभप्रद उपयोग उसी समय सभव हो सकेगा जबकि निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाए—

1. निश्चित कार्य-सेवा : वारकानों में काम करने वाले प्रत्येक अधिक का कार्य सेव व उत्तरदायित्व निश्चित कर देना चाहिए।

2 वैशानिक विभाजन प्रत्येक कार्य एवं उपकार्य का विभाजन वैशानिक आकार पर किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक क्रिया पूर्ण एवं निश्चित हो।

3 इसके आधार पर कार्य प्रत्येक कार्य करने वाले ध्यानिकों द्वारा उसकी इच्छा एवं योग्यता वो ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्रमिकों को एक से अधिक कार्य करने की सुविधा दी जानी चाहिए—कुछ दिन एक कार्य कुछ दिन दूसरा कार्य, कुछ दिन तीसरा कार्य आदि। इससे लभातार रोज़-रोज़ एक ही काम करने से बेदा होने वाली नीरसता कम हो जाती है।

समन्वय विशिष्टीकरण के बहुमंत कार्यों को अनेक उपकार्यों में विभाजित किया जाता है परंतु उनमें आपस में समन्वय होना आवश्यक है।

5 उत्पादन लागत विशिष्टीकरण के प्रभावों का अध्ययन उत्पादन लागत के रूप में विशेष तौर पर किया जाना चाहिए।

6 बड़ा आकार विशिष्टीकरण उसी उत्पादन इकाई में अपनाया जाना चाहिए जिसका आधार बड़ा हो, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन समव हो सके।

7 तकनीकी शिक्षण व प्रशिक्षण तकनीकी शिक्षण व प्रशिक्षण वी सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए ताकि श्रमिक एक नहीं कई काम सीख सके और मौका मिलने पर एक कार्य से दूसरे कार्य पर जा सके।

8 मशीनों की जिम्मेदारी विशिष्टीकरण अत्याशिक कार्य करने वाले श्रमिकों को उनके काम की मशीनों की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।

परीक्षा प्रश्न

1. विशिष्टीकरण किसे कहते हैं? इसके विभिन्न रूप क्या हैं? विशिष्टीकरण के गुण दोपों की विवेचना कीजिए व इसकी सीमाएँ बताइए।

2. आज का युग विशिष्टीकरण का युग है। क्या आप इस क्षण से सहमत हैं? यदि हाँ, तो विशिष्टीकरण के गुण दोपों का वर्णन कीजिए।

3. विशिष्टीकरण से क्या आशय हैं? विशिष्टीकरण के गुण व दोपों का वर्णन कीजिए। विशिष्टीकरण को विस प्रकार अधिक लाभप्रद घनाया जा सकता है?

अध्याय 7

सेविवर्गीय प्रबंध (Personnel Management)

सेविवर्गीय प्रबंध का लार्य प्रबंध का वह भाग, जो कर्मचारियों व अन्य अभिको की प्रबंध व्यावस्था में सब्दित हो, उसे सेविवर्गीय प्रबंध कहा जाता है। सेविवर्गीय प्रबंध वास्तव में एक ऐमी प्रबंध प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य संस्थान के कार्य में लगे हुए कर्मचारियों का मर्गीण विकास इस द्वारा भी करना होता है कि वे कार्य संपादन को रोचक अनुभव करते हुए हमें अपना अधिकतम योगदान दे सकें। संस्कृत में शमिकों से अधिक अनुभव करते हुए हमें अपना अधिकतम योगदान दे सकें। संस्कृत में शमिकों से अधिक अनुभव करते हुए हमें अपना अधिकतम योगदान दे सकें। संस्कृत में शमिकों से अधिक अनुभव करते हुए हमें अपना अधिकतम योगदान दे सकें। संस्कृत में शमिकों से अधिक अनुभव करते हुए हमें अपना अधिकतम योगदान दे सकें। संस्कृत में शमिकों से अधिक अनुभव करते हुए हमें अपना अधिकतम योगदान दे सकें।

अमेरीका के हवाई विश्वविद्यालय द्वारा बैंस्टर्न इनेविट्रूक कम्पनी के होय्यून संघ में 1926 में किए गए परीक्षण ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति की उत्ता दक शक्ति उसके द्वारा कार्य व वातावरण से प्राप्त जात्मसंतुष्टि की दृढ़ि के साथ बढ़ती है। परिवर्मिक वर्तमान कार्य से संतुष्टि एव भविष्य के प्रति आशाप्रद हो तो उसके मनोवल को उच्च स्तर पर रखा जा सकता है। अत अभिको से अधिक कार्य-क्षमता के आधार पर कार्य नेत्रे में सेविवर्गीय प्रबंध व उससे सद्वितीय नीतियों का विशेष महत्व माना जाता है।

सेविवर्गीय प्रबंध की परिभाषा

सेविवर्गीय प्रबंध के सबंध में निम्नलिखित परिभाषाए महत्वपूर्ण हैं—

1 पांल जी० हेस्टिंग्स “सेविवर्गीय प्रबंध, प्रबंध का वह पहलू है जिसका उद्देश्य एक संगठन के अम साधनों के प्रभाव का उपयोग करना है।”¹

2 शॉमस जी० स्पेट्स सेविवर्गीय प्रबंध कर्मचारियों के कार्य का संगठन करने एव नेत्रे व्यवहार करने के द्वारा की एक सहिता है जिससे वे अपनी वास्तविक आवश्यकता और अधिकतम मुख्यरित कर सकें और इस प्रकार उम संगठन को, विसके कि वे

1 Personnel Management is that aspect of management having as its goal the effective utilization of the labour resources of an organisation.”

अग है, निर्णायक प्रतिस्पर्धात्मक लोभ और अनुकूलतम परिणाम दे सके।”¹

3 अमरीकन सेविवर्गीय शासन संस्था “सेविवर्गीय प्रबन्ध योग्य कर्मचारियों को इस ढंग से प्राप्त करने, विकसित करने, व बनाए रखने की कला है, जिसस सगठन के उद्देश्यों एव कार्यों को अधिकतम क्षमता व मितव्यप्रिता से पूर्ण किया जा सके।”²

4 एडविन बो० पिलप्पो “सेविवर्गीय कार्य का सबध एक सगठन में लगे कर्मचारियों को उस सगठन के प्रमुख लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से उपलब्ध करने, विकास, प्रतिफल, एकीकरण व बनाए रखने में होता है। अतः सेविवर्गीय प्रबन्ध उन क्रियात्मक कार्यों के नियोजन, सगठन, निर्देशन एव नियन्त्रण करने को कहा जाना है।”³

5 मॉरिस डब्ल्यू० कामेंग “सेविवर्गीय प्रबन्ध का सबध एक सगठन के लिए तथा सभव सर्वथेष्ट कर्मचारियों को प्राप्त करना व उन्हें प्राप्त करने के पश्चात् उनकी देखभाल करना, जिससे वे उसमें थने रहे और अपने कामों में सर्वथेष्ट योगदान दे सकें, मे है।”⁴

6 ई० एफ० एल बच : “सेविवर्गीय प्रबन्ध का उद्देश्य मानवीय सबधों को स्थापित करना है, जिससे मस्थान के समस्त कर्मचारी प्रभावशील ढंग से कार्य-सचालन

1. “Personnel administration is a code of the ways of organizing and treating individuals at work so that they will get the greatest possible realization of their intrinsic abilities, thus attaining maximum efficiency for themselves and their group, and thereby giving to the enterprise of which they are a part, its determining competitive advantage and its optimum results.”
- 2 “Personnel administration is the art of acquiring, developing and maintaining a competent work force in such a manner as to accomplish with maximum efficiency and economy the functions and objectives of the organization ”
- 3 “The personnel function is concerned with the procurement, development, compensation, integration and maintenance of the personnel of an organization for the purpose of contributing towards the accomplishment of that organization's major goals or objectives. Therefore, personnel management is the planning, organizing, directing and controlling, of the performance of those operative functions ”
- 4 “Personnel management is concerned with obtaining the best possible staff for an organization and, having got the them, looking after them so that they will want to stay and give of their best to their jobs,”—The Theory and Practice of Personnel Management, 1908, p. I

सेविवर्गीय प्रबन्ध

में अधिकाधिक योगदान दे सके ।¹

7. भारतीय सेविवर्गीय प्रबन्ध संस्थान “प्रबन्धकीय कार्य का वह भाग जो सगठन में मानवीय सबैधों से मर्दित है, सेविवर्गीय प्रबन्ध कहलाता है। इसका उद्देश्य भग्धारण है, जिससे सगठन में प्रभावी कार्य के माध्यम से उत्पादन को बढ़िवानम् महर्षी प्राप्त हो सके ।²

8. सेविवर्गीय प्रशासन समिति (1958) द्वारा प्रकाशित सेविवर्गीय प्रशासन की आचारसंहिता (Code of Ethics for Personnel Administration) में सेविवर्गीय प्रशासन की परिभाषा इस प्रकार दी गई है—“यह सक्षम नर्तन्त्र-समूह सेविवर्गीय प्रशासन की भर्ती करने, विकसित करने तथा कार्यरत (Competent working group) की प्रशासन की प्रशासन करने तथा एक साथ सगठन के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कार्य करना सम्भव हो सके ।”

सेविवर्गीय प्रबन्ध की विशेषताएं

उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन एवं निश्चेषण से सेविवर्गीय प्रबन्ध की निम्न-सिद्धि विशेषताओं का पता चलता है :

1. सेविवर्गीय प्रबन्ध सामान्य प्रबन्ध विज्ञान का एक भाग है, अतः प्रबन्ध के सामान्य मिद्दात इस विशिष्ट प्रबन्ध पर भी लागू होते हैं ।

2. उपक्रम एवं कर्मचारियों के हितों का एकीकरण करने में सेविवर्गीय प्रबन्ध एक महत्त्वपूर्ण योगदान देता है ।

3. मानवीय सबैधों को मधुर बनाएँ रखने के लिए इस प्रकार के विशिष्ट प्रबन्ध में मानवीय संबंध संबंधी सिद्धातों का पालन होता है ।

4. उपक्रम के हित को ध्यान में रखने हुए कर्मचारियों से अधिकतम् योगदान प्राप्त किया जाता है ।

5. इसमें कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण एवं अन्य प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करना सम्मिलित रहता है ।

6. कार्य पर सर्गे व्यक्तियों को संगठित हृष में कार्य करने के लिए निश्चिन्त सिद्धातों का पालन किया जाता है ।

7. सेविवर्गीय प्रबन्ध के सिद्धातों की महायता में व मंचारियों की क्षमता का पूर्ण विकास करने का प्रयास किया जाता है ।

सेविवर्गीय प्रबन्ध सामान्य प्रबन्ध विज्ञान का ही एक अंग है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की क्षमता को प्राप्त करना विकसित करना और बनाएँ रखना है जिसकी सहायता से औद्योगिक सगठन के उद्देश्यों और कार्यों को सबसे अधिक क्षमता और मितव्यविता से नियंत्रित और निर्देशित किया जा सके ।

1. Brech - The Principles and Practice of Management
2. Indian Institute of Personnel Management, Calcutta, Personnel Management in India, 1974,

सेविवर्गीय प्रबन्ध के उद्देश्य

एल० पी० अलफोर्ड बधा ए० न० रडोन बोटो ने सेविवर्गीय प्रबन्ध के दो लक्षणक उद्देश्य बतलाए हैं—

1 श्रेष्ठ कर्मचारी मनोवृल बनाकर उपक्रम द्वारा समाजको उपलब्ध सेवाओं में सुधार करना, और

2 उपक्रम से सबधित व्यक्तियों, जैसे कर्मचारी, अशाखारी, लेनदार, प्राहृक व सामान्य जनता के महिलाओं में यह विचार भर देना कि उपक्रम उनकी सर्वथोष्ठ सेवाएँ कर रहा है।

मोटे तौर पर सेविवर्गीय प्रबन्ध के उद्देश्यों को हम निम्नलिखित दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—

(2) सामान्य उद्देश्य, (2) विशिष्ट उद्देश्य।

(1) सामान्य उद्देश्य सेविवर्गीय प्रबन्ध के सामान्य उद्देश्य इस प्रकार है—

(अ) मानवीय साधनों का प्रभावकूर्ण प्रयोग करना।

(ब) सरगठन के सभी मद्दतों में वाचित कार्यशील सबधों का विकास करना।

(म) प्रशेक कर्मचारी को सेवाओं का अधिकाधिक उपयोग करना।

2 विशिष्ट उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य का तात्पर्य सेविवर्गीय विभाग की विभिन्न गतिविधियों को निर्दिष्ट करना है। कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

(अ) उपक्रम ने सचालन के लिए आवश्यक व्यक्तियों का विशिष्ट सम्म्यां में और उपयुक्त तरीके में चुनाव करना।

(ब) नए कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण और दिशा निर्देशन देना।

(म) एक ऐसे सुदृढ़ प्रशासन का निर्माण करना जिसकी सहायता से कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक फ़िल सके।

(द) कर्मचारियों को इस प्रकार की प्रेरणा देना जिसने वे अधिक लगत और कुशलता से कार्य कर सकें।

(य) उपक्रम के विभिन्न पदाधिकारियों को कर्मचारियों से सबधित समस्थाना, जैसे—पदोन्नति स्थानांतरण पदच्युत करना आदि के बारे में परामर्श देना, अमिको की मुजाबजा देने व लाभ की योजनाओं को अपनाने के लिए सहायता देना।

(र) सेवायुक्त उपकार की व्यवस्था करना। इसमें चिकित्सा सुविधाएँ प्राविड़ेट फ़ॉर्मेचुरी सर्वेतनिक अवकाश और अ॒य ऐसी ही सुविधाएँ हो जो कि उपयुक्त और प्रोग्रेसिव व्यक्तियों ने सरगठन में रखने वे लिए सहायता होंगी।

(ल) प्रतिनिधि धर्म संघों स विश्वास और सम्भान पर आधारित संघों की स्थापना करना।

(न) सेविवर्गीय प्रबन्ध को अधिकाधिक वैज्ञानिक बनाने वा लिए अनुसंधान आदि को प्रोत्साहित करना।

सेविर्गीय प्रबन्ध के कार्य (Functions of Personnel Management)

सेविकार्य प्रबन्ध के कामों को गोदे तौर पर चार भागों में विभाजित किया जा सकता है—

- परामर्श सबधी कार्य,
 - प्रबल सबधी कार्य,
 - प्रशासन सबधी कार्य, और
 - कमचारी कल्याण सबधी कार्य।

4 कर्मचारी कल्याण सबंधी कार्य ।
 1 परामर्श सबंधी कार्य इसमें सेविवर्गीय नीति का निर्धारण व्यवसाय की अनेक कार्यों में परामर्श देना व कर्मचारी तथा उच्च प्रबंध के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करना आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मस्था में ऐसा बाटा-बरण तैयार करना है, जिसमें प्रबंधकों को और कर्मचारियों के बीच अच्छे सबंध बनाए जा सकें।

२ प्रबन्ध सबधी कार्य प्रबन्ध सबधी कार्यों को निम्नलिखित भागों में बाटा जा सकता है—

(1) धर्मिकों की भर्ती और रोजगार : इसे श्रीधर्मिक धर्मिकों को रोजगार-व्यवस्था मी बहा जाता है। इसके अतर्गत निम्ननिखित को सम्मिलित किया जाता है—
 (अ) धर्मपूर्ति के साथनों का विकास करना, (ब) आवश्यक जाव पड़वाल, परीका,
 माधात्कार आदि द्वारा धर्मिकों को रोजगार पर लगाना, (स) नवीन धर्मिकों को सस्थाया
 की नीरियों से अवगत कराना, (द) मर्जदूरी की प्रचलित दरों के सबध में सूचनाएँ एवं
 वित्र करना, गृहपूर्व, नवंमान और भावी कर्मचारियों के सबध में आवश्यक जानकारी
 रखना।

(ii) प्रशिक्षण-सेविवर्गीय प्रशिक्षण में कई बातें आती हैं, जैसे—(अ) ना वर्भवारियों को प्रशिक्षण देने के सबै में नियम बनाता प्रशिक्षण की व्यवस्था और देखभाल करना, (ब) सुरक्षा एवं उपक्रम की नीतियों के सबै में प्रशिक्षण बनाए जाने की व्यवस्था एवं उपक्रम की नीतियों का कार्यवाही करना।

(म) कम्पचारियों के सुन्नाव पर उचित कार्यवाही करना।
 (iii) पदोन्नति, स्थानातरण और सेवा निवृत्ति इसमें निम्नलिखित कार्यों का सम्मिलित करते हैं—(अ) पदोन्नति, स्थानातरण और सेवा-निवृत्ति में महाधित नियमों के विरोध में उचित परामर्श देना और उन्हें प्रमाणशाली ढंग में कार्यकृत म परिणत करना। (ब) स्थानातरण के सबध में नीतियों का निर्धारण करना। (म) नौकरी न पृष्ठक् किए जाने वे कारणों को दूर करना। (द) नौकरी में अलग करने के सबध में उपक्रम वी नीति बनाना व इस सबध में आवश्यक जानकारी स निरीक्षकों व उम्मा चारियों को अवगत करना।

(iv) सेवा संबंधी क्रियाएँ : इस बारे के अतंगत अग्रनिशित चारों को सम्मिलित करते हैं—
 (अ) मनोरजन की सुविधाओं का निरीक्षण करना (ब) पन्थाण-कार्य

की व्यवस्था बरना । (स) सामाजिक सुरक्षा का प्रबन्ध करना । (द) सयत्र की पत्रिका प्रकाशित करना । (य) कर्मचारियों के व्यक्तिगत मामलों में परामर्श देना । (ष) कर्मचारियों के नैतिक साहस को मुदृढ़ बनाना ।

(v) मजदूरी एवं प्रेरणाएँ इसके अतर्गत निम्न कार्यों को सम्मिलित किया जाता है—(अ) मजदूरी सबधी योजनाओं के सबध में परामर्श देना । (ब) योजन, लाभ-वभाजन, वीमा और योजना आदि के विषय में विस्तृत जानकारी देना । (स) जाच मबधी निर्देश लिखना व उसका मूल्यांकन करना ।

(vi) सामूहिक सांदेवाजी एवं कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व इनमें निम्न को सम्मिलित करने है—(अ) श्रम सथ के प्रतिनिधियों के साथ सहयोग करना । (ब) कर्मचारियों को बलव आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना । (स) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने में सक्रिय भाग लेना आदि ।

(vii) कर्मचारियों के पारिश्रमिक की योजना बनाना इसमें कार्य-मूल्यांकन, पारिश्रमिक नीति व मजदूरी नीति के सबध में निर्णय लिए जाते हैं ।

(viii) सगठन और कर्मचारी के हित का एकीकरण करना इसमें उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो श्रमिकों के मनोबल को ऊचा उठाने, उनमें अनुशासन नाने, उनकी शिकायतें दूर करन और उन्हें प्रबन्ध में सम्मिलित करके प्रेरित करने आदि न सबधित होता है ।

3 प्रशासन सबधी कार्य ये ये कार्य हैं, जो कर्मचारी विभाग को अपना प्रशासन चलाने के लिए करने पड़ते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की सूचनाओं व समझों को एकत्र करना, उत्पादन कार्यकुशलता, अनुपस्थित व श्रम परिवर्तन व दुर्घटनाओं आदि के विषय में आवश्यक सूचनाएँ एकत्रित करना, श्रम सबधी अधिनियमों की व्यवस्थाओं का पालन करना आदि ।

4 कर्मचारी कल्याण सबधी कार्य । इसके अतर्गत उन बार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो कर्मचारियों के कल्याण से सबधित होते हैं । इस पकार के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है—

(अ) चिकित्सा सुविधाएँ—श्रमिकों को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सबधी म्बाए दिलाना जैसे (i) वीमारी निवारण हेतु चिकित्सा सुविधाएँ देना, (ii) श्रमिकों को स्वास्थ्यबर्धक रहन-सहन तथा वीमारियों को दूर करने के उपाय बताना, (iii) समय-समय पर शारीरिक परीक्षण की व्यवस्था करना तथा (iv) श्रमिकों के रक्तस्थ के प्रति रेखीय प्रबन्धकों द्वारा राय देना ।

(ब) मनोरजन तथा अन्य कल्याणकारी कार्य—कारखाना की सेवाओं को आवर्धक बनाने के लिए मनोरजनात्मक तथा कल्याणकारी काय किए जाते हैं जैसे (i) कार्य-नम का प्रभाव देखना तथा इस क्षेत्र में कर्मचारी की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना (ii) उच्युक्त नीतिया, कार्यक्रम तथा सुविधाएँ विकसित बरना तथा (iii) कार्यक्रम एवं सुविधाएँ प्रदान करना तथा उनका सुचारू रूप से सचालन करना ।

(स) सुरक्षा सबधी कार्य कार्यविधि में श्रमिकों की शारीरिक सुरक्षा वा

महिनार्थीय प्रबन्ध

भी व्यान रखना तथा उसरे सबधित आवश्यक कार्यवाही करना, (१) सुरक्षित विधियों से कार्य करने वा लिए प्रथम रेखीय पर्यवेक्षणों को प्रशिक्षण देना (२) सुरक्षा की विधिया नीतिया तथा प्रक्रिया विकसित करना (३) दुष्टनाओं के मद्द भ जाच करना (४) सुरक्षा कार्यक्रमों की नियमित देखभाल करना, (५) व्येक्षण कायक्रम वे प्रभान का मूल्याकृत करना।

5 कम्चारी आलेख या रिकाड़ सबधी कार्य इसके अन्तर्गत विमलिति कार्य किए जाते हैं (अ) कर्मचारियों के मेवाकाल पदान्तिया बेतनमान प्रशासनपत्र इत्यादि सबधी समूण आन्वय तैयार करना और उनको सुरक्षा करना (ब) कर्मचारी अधिक सबधी समूण आन्वय तैयार करना और उन्हें अधिक का मूल्याकृत करने की दृष्टि से मकालित समझों का विश्लेषण करना और उन्हें अधिक प्रस्तुत करना।

6 सेविवर्गीय शोष सबधी कार्य इसके अन्तर्गत विमलिति काय समिलित किए जाते हैं (१) कार्यरचि का सर्वेसण करना (२) अनुपमित हड्डान दुष्टनाएं व उत्तादकता सबधी आवश्यक समक एकत्र करना (३) अध्ययन वे तिकर्त्यों न रेखीय प्रवधको को अवगत करना (४) अच्छे सेविवर्गीय कायक्रम नीतिया और प्रक्रिया विकसित करना।

नीचे चार्ट द्वारा सेविवर्गीय प्रबन्धको के कार्यों का सम्पर में दराया गया है—

सेविवर्गीय प्रबन्ध के कार्य

1	2	3	4	5	6
परामदा	प्रबन्ध	प्रशासन	कम्चारी	कम्चारी	सेविवर्गीय
सबधी	सबधी	सबधी	कल्याण	आलेख या	शोष
काय	कार्य	काय	सबधा	रिकाड़	सबधी
(१)	(१)	(१)	(१)	(१)	(१)
सेविवर्गीय	श्रगिको	सुवनाभा	चिकित्सा	आकड़ा	कायक्रम
नीति का	की भर्ती	और समका	मूदधारा	को एकत्र का सर्वेसण	करना
निधारण	जोर	की एकत्र			
	रोजगार	करना			
(२)	(२)	(२)	(२)	(२)	(२)
ध्याय	प्रशिक्षण	थम	मनी	आवडो	समक
का		मदधी	रजन	का	एकत्र
प्रशासन		अधिनियमो	तथा	विश्लेषण	करना

		की व्यव-	अन्य		करना
		स्थाओं का	कल्याण-		
		पालन	कारी		
		करना	कार्य		
(iii)	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)	(iii)
उमंचारी	पदो-	उत्पादन	सुरक्षा	निर्णय	अधिक
और उच्च	नति	कार्यकुश-	सबधी	के लिए	उपयुक्त
प्रदृष्ट के	स्थाना-	लता, अनु-	कार्य	सूचना	नार्यत्रम्
मध्य एक	तरण	परिस्थित व श्रम		का विकास	तथा नीति
कढ़ी के	और	परिवर्तन व		करना	वा विवास
रूप में कार्य	मेवा-	दुर्घटनाओं			
उक्ता	निवृत्ति	की आवश्यक			
		सूचनाएँ			
		एकत्रित			
		करना			
	(iv)				
	मेवा				
	मवधी				
	वाय				
	(v)				
	मजदूरी				
	गाव				
	प्रेरणाएँ				
	(vi)				
	सामूहिक				
	मौद्रिकाजा				
	एवं				
	कमंचारियों				
	वा प्रति				
	निश्चित्व				
	(vii)				
	व म				
	वारियों				
	व परि				
	धर्मिक वी				

सेविकर्गीय प्रबन्ध

योजना
बनाना
(भी)
समझन
ओर कर्म-
चारी के
हित का
एकीकरण
करना।

सेविकर्गीय प्रबन्ध के विभाग

सेविकर्गीय प्रबन्ध के द्वनेक विभाग होते हैं जो वि नियन्त्रित प्रकार के हैं—

1. रोजगार विभाग रोजगार विभाग उद्योगों के लिए आवश्यक माशा में कर्मचारियों को उपलब्ध कराता है। इसके अतर्गत नियन्त्रित काय आत है—श्रम कर्मचारियों का नियोजन कार्य विवरण को तैयार करना श्रम पूर्ति क समस्त वभावित श्रोतों से सबध स्थापित करना, पदोन्नति व स्थानातरण सर्वेषों नियम बनाऊ व गम्भान नोडने वाले कर्मचारियों का साक्षात् करना।

2. प्रशिक्षण एवं शिक्षा का विभाग समस्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण दना, निरीक्षणों व प्रबन्धकों का विकास करना कर्मचारी का शिक्षण सम्पादन इनीकी विद्यालय आदि के द्वारा शिक्षा-नृदि के लिय प्रोत्साहित करना आदि काय इस प्रभाग को सपन्न करने होते हैं।

3. कल्याणकारी विभाग कर्मचारियों के कल्याण मनारंजन व मुख मुविधा वा की व्यवस्थाओं की व्यवस्था करना इस विभाग के कायक्षव म आत है।

4. सुरक्षा विभाग यह विभाग बारतीन के सुरक्षा मवधी कायों का व व अधिनियम का पालन करता है।

5. चिकित्सा विभाग प्रत्येक कर्मचारी का नावदक चिकित्सा मुविधा उपलब्ध कराना इस विभाग का प्रमुख काय है। नारीरिक उपयुक्तना व मानदंड निर्धारित करना व समय ममय पर कर्मचारियों की जात करना ज्यों त्रिभाग व अ गत आता है।

6. औद्योगिक सबध विभाग यह विभाग कर्मचारी ग्री व उच्च प्रबन्ध के मधुर मवध स्थापित वरन का काय नरना है।

7. मजदूरी व वेतन विभाग भजरी की विभिन त्रग का नियन्त्रण व नियन्त्रण काय का मल्याकन व मुकाब रोजना दो कायावित रना गरि वार व नियन्त्रण अनगत जाते हैं।

8. अनुमधान एव समक विभाग यह विभाग धमिता व वार वर्गा व गति का अध्ययन वर्द्धे आवश्यक प्रमाप आदि स्थापित करना है व आवदो का मनन कर

विश्वास्य करता है।

9 स्त्रो श्रमिक विभाग यदि सस्या म प्राप्त मरण म स्थिरों को नियुक्त किया जाता है तो उनके हितों की देवभाल क लिए पृथक् में विभाग स्थापित किया जा सकता है।

सेविवर्गीय प्रबन्ध के सिद्धान्त (Principles of Personnel Management)

नविवर्गीय प्रबन्ध के गिरावटों के सबध म विभिन्न व्यक्तित्वों न अपन अपन मत लगवान किए हैं। इन विचारकों के सिद्धान्तों को जगत्वर्णित प्रकार रख जा सकता है—

1. मी० एच० नार्थवाट

इन्होंने नविवर्गीय के सबध मे निम्नलिखित चार आधारभूत सिद्धान्त बतलाए हैं—

1 न्याय का सिद्धान्त औद्योगिक सदृशा को यायचिन आधार प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि (अ) श्रमिकों को उचित प्रतिकल दिया जाए। (ब) मजदूरी मुगतान का उचित आधार हो। (स) अधिक वेतन प्राप्त होने के अवसर उपलब्ध किए जाए। (द) पूँजी एवं श्रमिक दोनों मे ही अतिरिक्त लाभ का विभाजन किया जाए। (य) काय के गवध मे श्रमिकों को महत्व दिया जाए, व (र) बेरोजगारी को दूर करने के प्रयास किए जाए तथा गलत काम करने वाला के विरुद्ध दर की ममुचित व्यवस्था हो।

2 व्यक्तित्व श्रमिकों के काम करने अथवा मवा करने से प्राप्त सत्तुएं से उसके व्यक्तित्व का विकास होना जा रहा है जो कि नविवर्गीय के लिए आवश्यक माना जाना है।

3 सहयोग व्यवसाय म विकास के लिए कर्मचारियों व प्रबन्धको के मध्य नव्या महयोग होना चाहिए। सामान्य उद्देश्य ज्ञात हो जान पर सहयोग बढ़ाता है। अपसी परामर्श भी सहयोग का प्रतीक है।

4 लोकतंत्रीय आधार कर्मचारियों व प्रबन्धको मे साझेदारी को भावना का विकास होना चाहिए। प्रबन्ध-व्यवस्था मे कर्मचारियों को प्रमुख स्थान देकर सेविवर्गीय प्रबन्ध मे लोकतंत्रीय आधार अपनाया जाना चाहिए।

2 जार्ज डी० हेल्से

इन्होंने अपनी पुस्तक 'Hand Book of Personnel Management' मे नविवर्गीय प्रबन्ध के निम्नलिखित सिद्धान्तों का उल्लेख किया है—

- 1 कर्मचारी के चुनाव मे सततता व कौशल का उपयोग किया जाना चाहिए।
- 2 काय मे कर्मचारियों को लगाना चाहिए।
- 3 कर्मचारियों को चिता व सुरक्षा की भावना से मुक्त रखा जाना चाहिए।

सेविवर्गीय

4 प्रत्येक कर्मचारी में आने का मूल व कषणी की योजना के प्रति एक गौरव की भावना होनी चाहिए।

5 कार्य की दशाए पर्याप्त होनी चाहिए।

6 सगठन सरचना ऐसी होनी चाहिए, जिससे किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में अपने कर्तव्यों अथवा दायित्वों के प्रति कोई अम न हो।

7 कर्मचारियों के प्रयासों को अनुभव करते हुए उसे वास्तविकता में आगामी के प्रयास किए जाने चाहिए।

8 कर्मचारियों का नियोजन करने में हाथ होना चाहिए।

9 प्रत्येक नीति एवं व्यवहार उचित होना चाहिए।

3 अम प्रबन्ध संस्था ब्रिटेन

इस मम्भा ने अपनी एक रिपोर्ट में सेविवर्गीय प्रबन्ध के निम्नलिखित सिद्धात दर्शाए हैं—

1 हमस्त कर्मचारियों की सेविवर्गीय पदाधिकारियों तक व्यक्तिगत व योग्यता रूप में पहुँच सुलभ होनी चाहिए।

2 सेविवर्गीय नीति एवं सिद्धातों का पालन बिना किसी भेद भाव से किया जाना चाहिए।

3 रोजगार में यथासम्भव सर्वाधिक स्थिरता प्रदान करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

4 अम सम्प्र की सदस्यता के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए व सदस्य तथा गैर सदस्य के बीच कोई भेद-भाव नहीं बरता जाना चाहिए।

5 कार्य की दशाओं का उच्च स्तर रखा जाना चाहिए।

6 कर्मचारियों व प्रबन्ध में नियमित परामर्श के लिए प्रभावी विधिया स्थापित की जानी चाहिए।

7 उचित मजदूरी से सबधित मान्य प्रभावों का पालन किया जाना चाहिए।

8 सामाजिक, शैक्षणिक व मनोरंजन सुविधाओं के विकास के पूर्ण अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

9 सचात्क मदल द्वारा सेविवर्गीय नीति को स्पष्ट ढंग से रखा जाना चाहिए।

10 कर्मचारियों को अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सेविवर्गीय नीति (Personnel Policy)

व्यापारिक उपकरण की प्रगति के लिए सेविवर्गीय नीति का बनाना आवश्यक है। सेविवर्गीय प्रबन्ध का कार्य सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए यह आवश्यक है डि एस्टे द्वारा कर्मचारी का स्पष्टीकरण किया जाए तथा वह नीति निर्माणित की जाए, जिसके द्वारा

सहयों को प्राप्त किया जाएगा। मार्टिन डेस्ट्रू० कर्मिग ने नीति को इस प्रकार पारिभाषित किया है—“एक संगठन की नीति उसके उद्देश्यों का, यह बताते हुए क्योंकि प्राप्त करना है, एक स्पष्ट विवरण है।”

सेविवर्गीय नीति प्रायः ऐसे घटकों पर निर्भर करती है, जिन पर व्यापारिक संगठन का कोई नियन्त्रण नहीं होता जैसे—समाज की प्रकृति, राजनीतिक दबाव, स्थानीय सम्भवता व शासकीय कार्य आदि। सेविवर्गीय नीति के निश्चर पालन के लिए उचित रहता है कि उसे एक नियमावली के रूप में बना लिया जाए।

थ्रेट सेविवर्गीय नीति के लक्षण

एक थ्रेट सेविवर्गीय नीति के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं—

1. स्पष्ट नीति : नीति सदिग्द व अस्पष्ट नहोकर स्पष्ट व सूक्ष्म होनी चाहिए।

2. न्याय : नीति सभी कर्मचारियों के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार भाली होनी चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति न तो गद्दूता होनी चाहिए और न पक्षपान।

3. अपनत्व को भावना : ऐसी नीति का पालन किया जाना चाहिए, जिसे सहस्य के कर्मचारी अपनत्व की भावना का अनुभव करके अधिकाधिक कार्य कर सकें।

4. सुरक्षा की भावना : सेविवर्गीय नीति में उद्योग की सुरक्षा की भावना भी होनी चाहिए।

5. पूँजी एवं श्रम के मध्य मध्यर संबंध : नीति ऐसी होनी चाहिए, जो कि पूँजी व श्रम के मध्य मध्यर सबध स्थापित कर सकें।

6. कार्यों को मान्यता : उद्योग के प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए।

7. लोचदार : नीति लोचदार भी होनी चाहिए, जिससे समय-समय पर उसमें आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए।

विगत वर्षों में आर्थिक एवं सामाजिक दशाओं में परिवर्तन के कारण नेवायोजकों द्वारा पर्याज्ञ प्रगतिशील सेविवर्गीय नीति का अनुकरण किया जा रहा है और आशा है कि भविष्य में भी सेविवर्गीय नीति अपनाने की आवश्यकता के रूप में समायोजित करके कर्मचारियों में सर्वश्रेष्ठ योगदान प्राप्त करने में सफल रहेगी।

सेविवर्गीय नीति के बढ़ाव के लिए हाईकोर्ट टर्नर ने पाच सिद्धातों का विवेचन किया है। वे निम्नलिखित हैं— (अ) प्रबन्ध-इर्दंग नीति द्वारा स्पष्ट दिखलाई पड़े। (ब) प्रबन्ध के सभी सदस्य नीति की मानिकता को ममता सकें। (म) मकान के समय स्वतं बढ़े होने की शक्ति। (द) सभी पक्षों के प्रति निष्पक्ष भावना। (ग) नीति स्वशासित (Self Perpetuation) आधार पर हो।¹

1. J. H. Turner : Essentials in the development of personnel policy from Addresses and Industrial Relations, 1957, Social Bulletin No. 25, pp. 1-6.

परीक्षा-प्रश्न

1. मैत्रिवर्गीय प्रबन्ध की परिभाषा दीजिए। इसके उद्देश्य व विभिन्न विभागों की विवेचना कीजिए।
2. “मैत्रिवर्गीय व्यवस्था वा आधारभूत प्रबन्ध कार्य है, जो प्रबन्ध के प्रत्येक स्तर पर व हर प्रकार के प्रबन्ध में आवश्यक होता है।” इस कथन की विवेचना कीजिए।
3. द्वाराजमानिक मगठन में मैत्रिवर्गीय प्रबन्ध के महत्त्व का परीक्षण कीजिए और उसके बार्यों को घलाइए।

अध्याय ४

स्वचलन (Automation)

स्वचलन का अर्थ - स्वचलन शब्द प्राय दो लोगों में प्रयुक्त किया जाता है : कुछ लोगों के मतानुसार स्वचलन से आशय कारखाने और उत्पादन को अधिकाधिक गतीकृत करने में है। इस दृष्टि से स्वचलन कोई नयी धारणा नहीं है। परंतु कुछ अन्य लोगों का मत है कि स्वचलन से आशय उत्पादन-प्रक्रिया के सचालन और नियन्त्रण दोनों को स्वचालित करने में है। इस अर्थ में उत्पादन मशीनें स्वयं अपना कच्चा माल उठाती हैं उसे पक्के माल में बदलकर दूसरी मशीनों तक पहुँचाती हैं, पक्के माल की किसी पर नियन्त्रण करती हैं और किसी प्रकार की कमी होने पर स्वयं ही उस दूर करती है। स्वचलन सिद्धात का उपयोग न केवल उत्पादन के क्षेत्र में किया जाता है बल्कि प्रत्यक्ष नियन्त्रण क्षेत्र में भी किया जाता है। मध्येष्ट में स्वचलन का अभिप्राय व्यायाम के अपने-आप होने से है और इसके अतर्गत उद्देश्य को पूर्ति करने वाले सामस्त साधन एवं विधिया सम्मिलित हैं।

विभिन्न विद्वानों ने स्वचलन की जो परिभाषा दी है, उनमें में कुछ प्रमुख नीचे दी जा रही है—

1 एडविन बी० फिलिप्पो “सरलतम रूप में, स्वचलन का व्यापार मशीनी कार्यविधिया म होता है, जिन्हें स्वचालित आत्मनियम के बिन्दु तक यत्रीकृत कर दिया जाता है।”¹

2 इनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना “स्वचलन ओटोगिक नियंत्रण तथा वैतानिक अन्वेषण को ध्वनि उन्नत तकनीक है, जिसका आविर्भाव यत्र और वहे उत्पादन की घटनाओं से हुआ है।”²

3 जेहेन गुडवेन “स्वचलन स्वचालित क्रियाओं की ओटोगिकी है, जिसमें सचालन पद्धतियों, प्रक्रियाओं और उत्पादित वस्तुओं की रूपरेखा का समन्वय विचारों और प्रशारों के यत्रीकरण का उपयोग करने के लिए किया जाता है।”³

- 1 In its simplest term (automation) is applied to machine work processes that are mechanized to the point of automatic self-regulation.
- 2 Encyclopaedia Americana, Vol. 2, p. 64
- 3 Goodman quoted in competition master a monthly Journal, September, 1968, p. 115.

4 जॉन डिबोहॉड “स्वचलन एक नवीन शब्द है, जिसका अर्थ स्वचालित अर्चालन तथा बस्तुएँ बनाने का कार्य स्वचालित बनाना है।”¹

5 रॉट्क जें कॉर्डिनर “स्वचलत अवधिक यशीकृत व्यवितरण क्रियाओं को एक साथ जोड़ने के अर्थ में, अविच्छिन्न स्वचालित उत्पादन है। स्वचलन कार्य को प्रलय-अलग भागों में विभिन्न क्रियाएँ मानते हुए कार्य करने की एक विधि है।”

स्वचलन प्रक्रिया की अवस्थाएँ (Stages in the Process of Automation)

उत्पादन के क्षेत्र में स्वचलन की रूपाना में निम्नलिखित अवस्थाएँ आती हैं—

(ब) स्वचालित मशीनों का चयन स्वचलन रूपाना करने के लिए निर्माता ने सबसे पहले ऐसी मशीनों का चयन करना पड़ता है, जो स्वचलित हो और उत्पादन की ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना पड़ता है, जिसमें एक मशीन द्वारा तैयार मान बिना किसी अन्य कार्यवाही के अन्य दूसरी अवस्थाओं की मशीनों में पहुँच सके। स्वचालित मशीनों अपने कच्चे माल को स्वयं उठाती हैं, तैयार करती हैं और आगे भेजती हैं। उत्पादन कार्यवाही के अन्य दूसरी अवस्थाओं की मशीनों में पहुँच सके। स्वचालित मशीनें, स्थानातरण सुविधाएँ और उत्पादन प्रक्रिया सब एक-दूसरे के साथ इम प्रकार बंधे होते हैं कि सारा उत्पादन कच्चे माल से लेकर निर्मित माल तैयार परने तक अपने आप पूरा होता है। तैयार हो रहे माल को एक उत्पादन विभाग से दूसरे से उत्पादन विभागों में भेजने के लिए एक सतुरित और स्वचालित व्यवस्था की जाती है।

(ब) उत्पादन-किस्म का नियन्त्रण उत्पादन की किस्म का नियन्त्रण करने के लिए और मान की जांच के लिए स्वचालित व्यवस्था करना स्वचलन स्थापित करने की प्रक्रिया की दूसरी अवस्था है। यह अवस्था दो प्रकार की हो सकती है—प्रथम, गलत गति होने पर मशीन को स्वयं बद कर देना और द्वितीय—इसी गलती की जांच कर रख ठीक करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया के उग्रयुक्त अवस्था में आवश्यक मशीनें अधिक अन्य मूधार करना, जिससे गलती की पुनरावृत्ति न हो। यदि गलती इस मशीन सुधार में भी दूर नहीं हो पाती है तो यह उत्पादन मशीन को ही बद कर देती है।

(स) कंप्यूटर का उपयोग उत्पादन नियोजन व नियन्त्रण के लिए तथा सम्पूर्ण उत्पादन की मात्रा पर नियन्त्रण के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करना पड़ता है। कंप्यूटर इन कार्यों के अतिरिक्त निर्णय सबधीं अनेक अन्य कार्य भी कर सकते हैं।

स्वचलन की विशेषताएँ

स्वचलन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. मशीनीकरण स्वचलन का आधार मशीनीकरण है। स्वचलित बार-बाने

Automation is a new word denoting both automatic operations and process of making things automatic.

में तीन प्रकार की मशीनें होती हैं—माल बनाने वाली उत्पादन मशीनें, नियमित वस्तुओं को जगह-जगह पर जुटाने अथवा एकत्र करनेवाली मशीनें और इन मालों को उठाने-धरने वाली मशीनें। ये तीनों प्रकार की मशीनें किसी एक केंद्रीय स्थान से नियन्त्रित और सचालित होती हैं। स्वचालित प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली प्रायः विशेष उपयोग की की मशीनें होती हैं और ये तकनीकी निपुणता की उच्चतम प्रतीक होती हैं।

2 भशीनों, पदार्थों और विधियन का समन्वित व्यवहार स्वचलन सफलता के लिए यह आदृश्यक है, जि कारखानों में लगी मशीनें और उनके द्वारा की जाने वाली मशीनी कार्यंशाही, उत्पादन की प्रक्रिया तथा उनकी बिन्न भिन्न अवस्थाएं व उत्पादन की योजना सभी एक-दूसरे के साथ एकीकृत व्यवस्था के रूप में जुड़ी हो, बिल्कुल वैस ही मनुष्य के शरीर के भीतर की तमाम क्रियाएँ अपनी विशेष रचना के कारण समन्वित रूप में संपन्न होकी रहती हैं। उदाहरण के लिए स्वचलन व्यवस्था में माल एक मशीन से निकासकर दूसरी मशीन तक स्वयं पहुंच जाता है। मशीने इस अम से लगी होती है कि एक मशीन से निकला सारा माल दूसरी मशीनों द्वारा स्वयं ले लिया जाता है और किसी भी मशीन के दाम भाल का जमाव नहीं होता।

3 स्वचालित नियन्त्रण की व्यवस्था स्वचलन व्यवस्था में सब मशीनों द्वारा ही उत्पादन की मारी प्रक्रिया की जाती है। इसलिए उत्पादन प्रक्रिया में आन वाली एकावटी, गिरावटी और अमतुलन आदि को रोकने उसकी जान करने और उसे दूर करने की व्यवस्था भी स्वचालित होती है। इसके लिए उत्पादन-प्रक्रिया में ऐसी संवेदी व्यवस्था होती है कि वह किमी भी प्रकार की त्रुटि व खराबी को तुरत नोर कर देता है और उसे नियन्त्रणात्मक व्यवस्था को बतला देता है। नियन्त्रणात्मक व्यवस्था यह सूचना मिलने पर इसके कारणों को समझकर तुरत उचित सुधार कर देती है और इस प्रकार उत्पन्न खराबी छुट हो जाती है।

4 अभिकलित व कंप्यूटर शिल्प-विज्ञान (Computer Technology) स्वचलन में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अतर्गत तरह-तरह की जटिल सूचनाओं या जानकारियों का अभिलेखन, संग्रह करना और आवश्यकतानुसार उपयोगी बनाना शामिल है।

यन्त्रीकरण या मशीनीकरण और स्वचलन (Mechanization and Automation)

स्वचलन को कभी-कभी यन्त्रीकरण के अर्थों में भी उपयोग किया जाता है। इस अर्थ के अनुसार, जिस संस्था में मशीनीकरण जितना ज्यादा होता है, उसमें स्वचलन की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। लेकिन आजकल स्वचलन को मशीनीकरण से भिन्न मानते हैं। स्वचलन यन्त्रीकरण के क्रमिक विकास में ही एक और पदक्षेप है। स्वचलन यन्त्रीकरण से बहुत कुछ अधिक है। यन्त्रीकरण में निर्णयशक्ति मानव पर ही आधारित होती है, परन्तु स्वचलन में इस निर्णयशक्ति का भी यन्त्रीकरण हो जाता है। अन्य शब्दों में यन्त्रीकरण में मशीनें मानवीय श्रम को प्रतिस्थापित करती हैं जबकि स्वचलन में ज्ञान

और मस्तिष्क और शारीरिक क्रियाओं का प्रतिस्थापन निहित होता है, जिसका अर्थ मशीनों को नियंत्रित करने वाली मशीनों का विकास करना है।

मशीन को स्वत ही अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता ही वह विदेशी है, जो स्वचालित उपकरणों को विशिष्ट बनाती है। जैसा कि माउज़ेर एवं स्वार्टन ने कहा—‘यत्रीकरण तो मूलतः आदमी के हाथ के काम की जगह मशीनी काम का प्रयोग करना है, लेकिन फिर भी मशीन को व्यक्ति ही सचालित और नियंत्रित करना है, इबकि वास्तविक स्वचलन तो वह है जिसमें मशीनों पर से व्यक्तियों के शारीरिक नियंत्रण को समाप्त ही कर दिया जाता है।’¹ इसी प्रकार कीय और यूनेस्को ने कहा—‘स्वचलन यत्रीकरण के अधिगम स्तर से भी कही अधिक है, परंतु इसमें यत्रीकरण का द्वितीय निहित है, यह उन मशीनों से कही अधिक है, जो न्यूनतम मानवीय श्रम न परिचालित होती है।’² सक्षेप में स्वचलन मानसिक या शारीरिक अथवा दोनों प्रकार की जनशक्ति को स्वनियमित मशीनों द्वारा प्रतिस्थापित करता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वचलन का अर्थ मनुष्य के हाथों के हस्तक्षेप व्यक्ति नियंत्रण के दिना ही मशीनों के द्वारा किसी चीज का उत्पादन होना होता है। स्वचलन का प्रयोग करने वाली निर्माणियों में मशीनों में कच्चे माल स्वत ही बले जाते हैं तथा पर्सनलों का मशीनों के द्वारा नत् प्रवाह मन्मन्वित रहता है। स्वचलन अथवा स्वचालित उपकरण में नियंत्रण ऐसी युक्तियों के द्वारा होता है जो अपना कार्यक्रम स्वयं ही तैयार करती है अर्थात् बिना किसी व्यक्ति की सहायता के अपना एक के बाद दूसरा काम करनी जाती है और साथ-साथ में जरूरत पड़ने पर बीच की हर गड़बड़ी भी ठीक करती चलती है। चूंकि चलने के बीच में उठने वाली कठिनाइयों को मशीन ही हल करती है और मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना ही वह तात्कालिक समस्या का मब्द से अच्छा हल खोज सकती है, इसलिए स्वचलन गपने-आप में एक पूर्ण क्रिया है।

वर्णनबद्ध में स्वचालित मशीनें बड़ी चमत्कारिक हैं। उदाहरण के लिए स्वयं चालित टेलीफोन पर बात करने के लिए उपभोक्ता को ढायल पर नबर लगाना पड़ता है। यदि साइन खाली न होई तो उसे कुछ समय के बाद पुनः नबर लगाना पड़ता है, जिस स्वचलन के अत्यंत उपभोक्ता को दुबारा नबर लगाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि मानवीय मस्तिष्क की भाँति यह यह भी नबर स्मरण रख सकता है और वैन ही साइन खाली होगी, वैसे ही घटी बज उठेगी और दुबारा नबर लगाए बिना ही शर्तों की जा सकती है। इस प्रकार स्वचलन यत्रीकरण की चरम अवस्था है और इसकी कल्पना अरस्टू से लेकर एच० बी० बेस्स तक के विचारकों ने की है। अरस्टू ने लिखा है—‘केवल एक ही अवस्था की कल्पना हम कर सकते हैं जबकि प्रबन्धकों को सहायता की आवश्यकता न पड़े और मालिकों को दासों की जरूरत न रहे। वह अवस्था ऐसी ही है, जिसमें यह निर्देश पाते ही कार्य करने लगेंगे अथवा स्वेच्छा से ही कार्य करने

¹ Mauser & Schwartz : Introduction to American Business, p. 230.

² Keith & Gubellini : Introduction to Business Enterprise, p. 506.

लगेंगे।”¹

स्वचलन एवं विवेकीकरण (Automation and Rationalization)

स्वचलन और विवेकीकरण में अतर है, क्योंकि—(अ) विवेकीकरण एक व्यापक अवधारणा है जिसमें कई संस्थाएं मयुक्त रूप में सम्मिलित हो सकती है। इसके विनाशक स्वचलन प्राप्त एक संस्था में ही सीमित रहता है। (ब) स्वचलन एक विशिष्ट अवधारणा है जिसका आधार संस्था की प्रत्येक क्रिया को स्वचालित बनाना है। परन्तु विवेकीकरण में यह होना आवश्यक नहीं है। विवेकीकरण का उद्देश्य तो किसी निश्चित काय को अधिकतम तुशालता और न्यूनतम लागत पर संपादित करना है। यदि यह उद्देश्य अभियोगों के अच्छे संगठन, प्रशिक्षण आदि से ही प्रोत्साहित हो जाए तो उनके स्थान पर मशीनें लगाना आवश्यक नहीं है। (स) विवेकीकरण प्रत्येक संस्था का बाछनीय उद्देश्य है, लेकिन स्वचलन निश्चित रूप से बाछनीय उद्देश्य होना आवश्यक नहीं है।

स्वचलन और कंप्यूटर (Automation and Computer)

कंप्यूटर का विकास स्वचलन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और क्रातिकारी उपलब्धि है। इसे इलेक्ट्रॉनिक भस्त्रिक (Electronic brain) भी कहते हैं। कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी हैं। इनके द्वारा कठिन से कठिन घमस्थाओं को तत्काल ही सुलझाया जा सकता है। उत्पादन नियोजन व नियन्त्रण से लेकर मजदूरी भुगतान के लिए विभव बनाना, देवे गए माल के लिए बीजक तंयार करना और रिकार्ड बनाना आदि अनेक ऐसे कार्य हैं, जो कंप्यूटर सरलता से कर सकते हैं। बीमा कपनियां अपने पॉलिसीधारियों के पूरे रिकार्ड इन कंप्यूटरों द्वारा देती हैं और ये कंप्यूटर न केवल ठीक समय पर प्रीमियम नोटिस जारी कर देते हैं बल्कि उस पॉलिसी के सबध में पूरी जानकारी तुरन्त उपलब्ध कर देते हैं। ये कंप्यूटर कठिन से कठिन गणना प्रक्रियाएँ में पहले कर देते हैं। उदा हरण के लिए इटरनेशनल बिजेनेस मशीन कार्पोरेशन द्वारा बनाया गया IBM-709411 कंप्यूटर एक संकेत 3,57,000 जमा या घटा कर सकता है। कुछ अन्य कंप्यूटर एक आधे घटे में इतनी गणना कर सकते हैं जिनमें एक व्यक्ति को प्रतिदिन आठ घटे काम करने पर लगभग आठ वर्ष लगेंगे। आधुनिक व्यवसाय में जहां कोई भी नियम लने के लिए अनेक तथ्यों को समझना पड़ता है। उनके आपसी सबस्थों का विद्युतप्रग करना पड़ता है और तब कहीं सही नियंत्रण लिया जाता है। इन सारे कायों को कंप्यूटर पर छोड़ा जा सकता है और अनुकूलतम नियंत्रण लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार भविष्य के बारे में पूर्वानुमान करने और नियोजन करने में भी कंप्यूटरों का महत्वपूर्ण स्थान है।

स्वचलन के प्रयोग में कठिनाइया

स्वचलन के प्रयोग में निम्नलिखित कठिनाइया उपस्थित होती हैं—

1. पूँजी संबंधी कठिनाई : स्वचलित मशीनें बहुत महंगी होती हैं और स्वचलन के उपकरणों की सहायता भी अत्यधिक होती है। अतः इनसे सुसज्जित मशीनें लगाने में इनी अधिक पूँजी आवश्यकता पड़ती है कि उच्चागों में स्वचलन अपनाने में कठिनाई उपस्थित होती है। अनेक औद्योगिक इकाइयां जो स्वचलन का प्रभावी उपयोग कर सकती हैं, पूँजी के अभाव में इसका प्रयोग नहीं कर पाती।

2. श्रमिकों का विरोध अनेक कारणों से श्रमिक स्वचलन की योजना का विरोध करते हैं व उनको कार्यान्वयित करने में रोड़े अटकाते हैं। स्वचलन में जिस प्रकार पुरानी मशीनों को कूड़े में कैंक देना होगा, उसी तरह पुराने कर्मचारियों को भी हड्डाना होगा, और समाज की एक बहुत बड़ी जनसम्पत्ति को देरोज़ारी का सामना करना पड़ेगा और इसलिए विश्व में लगभग सभी जगह मजबूर यथागिक दर्गे उत्पादन तथा कार्य की स्वचलन प्रणाली का विरोध कर रहा है।

3. समय अतिरात्र : स्वचालित विधिया दड़ी तथा जटिल होती है। स्वचालित व्यवस्था का नियोजन करने उसकी स्थापना करने व विस्तार करने में बाकी समय लगता है। इसलिए मर्ब्रप्रथम पूर्वानुमान का कार्य अति मृदमता में करना अपक्षिण लगता है। पूर्वानुमान में थोड़ी-दी चुटि की लागत जाफी अधिक हो सकती है। अन्यदि औद्योगिक इकाई भविष्य के लिए ठीक से नियोजन नहीं कर सकती तो स्वचलन व्यवस्था लगाना आसान नहीं होता है।

4. जोखिमपूर्ण स्वचालित व्यवस्था बहुत जाखिमपूर्ण होती है, क्योंकि उत्पा दन में पूर्व काफी समय लगने के अतिरिक्त, बचतों के लिए में लागत बसूल करने के लिए भी काफी समय लगता है। यह अवधि 5-10 की भी हो सकती है। यह अवधि जितनी ही बड़ी होगी, उनना ही उतना ही अधिक भय व्यवस्था के प्राचीन हो जाने का रहगा। यदि उच्चोग ऐसी अवधि से गुजर रहा है कि नकनीकी परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे हैं तो जोखिम का तत्व और बढ़ जाता है।

स्वचलन के प्रभाव

स्वचलन के प्रभाव को मुख्यतः दो शीर्पंको के अतिरंगत अध्ययन करेंगे। प्रथम, औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव और द्वितीय—श्रमिकों पर प्रभाव

औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव

1. उत्पादन में बृद्धि : स्वचालित मशीनों के प्रयोग के कारण उत्पादन अधिक और सहज भी होगा। इसके दो प्रमुख कारण हैं—(अ) स्वचालित व्यवस्था में उत्पादन की दर और मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और इसके साथ-साथ यह बृद्धि काम करने वाले कर्मचारियों की सहायता अधिक कार्यकुशलता पर निर्भर नहीं रहती। (ब)

नहि उत्पादन का यह त्रम एक निरतर प्रक्रम होता है और कर्मनारियों की सब्धा नहीं है इसलिए उत्पादन अधिक और सस्ता होता है। उदाहरण के लिए ७५ हजार मजदूर उत्पादन अन्तर्थं वहाँ बय वेवल २३० मजदूर ही उत्पादन काम सकते हैं। इसका रहस्य स्वचलन न नी हिंगा है।

२ उत्पादित वस्तु में विविधता चूंकि स्वचलन शिल्प विज्ञान के अतगत केंद्रीय नियवण वर्तमान में मूल मूलनारी और उनमें सबधित नियवण पैलों में ही परिवर्तन करके मशीनों के ने विना ही उही सभित भिन्न कार्य लिए जा सकते हैं इसलिए वाजार की प्रवृत्ति वार उपभोक्ताओं की स्वत्ति के अनुमार अन्तर समय मही किसी एक वस्तु को छोड़कर यह अब वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है। अत स्वचलन से उत्पादित उत्पत्ति में नी धना गाई जा सकती है।

३ अनुप्राप्ति को प्रो सार्टन स्वचलन रथय ही वैज्ञानिक अनुसधान की देन है। अत स्वचलन वार एक सामग्री भी नहीं है वैज्ञानिक वैज्ञानिक और अनुसधान को प्राप्तमान भलना है।

४ औद्योगिक व्यवस्था स मुक्ति स्वचलन में चूंकि विना किसी व्यक्ति के हस्त-धृप नियवण के ही उत्पादन होता रहता है और उत्पादन कार्य में होने वाली घटनाएँ स्वयं मशीन ही श्रीकरणी चतुरी हैं इसलिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण सभी स्वचलन व्यवस्था उपयुक्त होती है।

५ कमचारियों की त्रम सहया स्वचलन व्यवस्था में उद्योगों को एक लाभ यह है कि उत्पादन कार्य का करने वाला कमचारियों की बहुत कम सरपा की आवश्यकता नहीं और जो कमनारी रहेंगे वे भूत्यत व्यवस्थापक सचालक इज्जीनियर और टेक्नीशियर आदि ही होंगे। इसका परिणाम यह होगा कि रोज रोज की मजदूर समस्याओं वतन व पदोन्नति आदि नी कठिनाईयों से मालिकों को मुक्ति मिल जाएगी।

६ एकाधिकार में बढ़ि चूंकि स्वचालित मशीनें बहुत महीनी होती हैं इसलिए स्वचलन का उपयोग करने के लिए बहुत अधिक पूजी की आवश्यकता पड़ती है। इसके अन्तिरिक्त स्वचलन सभी तक की तमाम पुरानी मशीनें व्यर्थ हो जाती हैं। सभी व्यक्तियों के पास इतनी अधिक पूजी नहीं होती कि वे पुरानी मशीनों में स्थान स्वचालित मशीनों का उपयोग कर सकें। इसका परिणाम यह होता है कि बड़े-बड़े एकाधिकारी औद्योगिक संस्थानों के बनने का जो काम पहले से हाँ चल रहा है वह और अधिक तेज जाना न चाहा तोटे उद्योग समाप्त हो जाते हैं क्योंकि उनके पास स्वचालित मशीनों को मध्यावना के लिए पर्याप्त पूजी नहीं होती है।

७ असतुलित औद्योगिक विकास चूंकि सभी उद्योगों में स्वचलन को अपनाना कठिन होता है इसलिए इसका फल वह होता है कि जहाँ स्वचालित मशीनों का प्रयोग किया जाता है वहाँ नी गति होती है किंतु जहाँ स्वचालित मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता वहाँ एग्जेक्यूट जाती है। इस प्रकार औद्योगिक विकास असतुलित रूप में होता।

वे बल पुराने श्रमिकों के स्थान पर नए श्रमिकों को लगाना पड़ता है बल्कि पहले की अपेक्षा बहुत कम श्रमिक लगाने पड़ते हैं। रोजगार की इस सामान्य कटौती को सामान्य बेरोजगारी कहा जाता है।

सामान्य बेरोजगारी को भी हम दो शीर्षकों में बाट सकते हैं—(क) तात्पर-निक बेरोजगारी, जो कुछ श्रमिकों के रूप में सामने आती है और (ख) दीर्घकालीन बेरोजगारी जो मस्था में रोजगार के नए अवसरों में कमी आने के कारण उत्पन्न होती है। सामान्यतया स्वचलन को लागू करते समय सत्था के प्रबन्धक वर्तमान श्रमिकों की छटनी बम ही करते हैं। प्राय प्रबन्धक ऐसी नीति बनाते हैं, जिनके पालनवर्त्तन नई व नवीनी जगहों को भरने के लिए नए श्रमिकों का चुनाव नहीं किया जाता बल्कि पुराने श्रमिकों को जिनके पास स्वचलन लागू होने के कारण कम काम रह गया था, उन्हें ही रख लिया जाता है।

यद्यपि इसमें दो नहीं हैं कि कालातर में जब यह स्वचलन व्यवस्थापूर्ण तथा "प्राप्त रूप से प्रचलित हो जाएगी तो इसमें भी काफी लोगों को रोजगार देने की क्षमता हो जाएगी, परन्तु फिर भी तत्त्वाल में समाज को एक भयकर बेरोजगारी का सबूत भेलना ही पड़ेगा। इस बेरोजगारी के भयकर मकान की आशका को देखकर ही एक समाजदास्त्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि "जबकि यहाँ औद्योगिक क्रांति ने ग्रामी से नास्तो मजदूरों को नगरों में लाकर काम पर लगाया, यह दूसरी क्रांति तो उन्हें निकाल-कर फिर से बेरोजगारी के मुह में ढकेलने जा रही है।"

स्वचलन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी का स्वरूप कैसा भी क्यों न हो, इसके नमाधान के लिए अत्यत सतकेंता की आवश्यकता है। तकनीकी बेरोजगारी की बहुत सीमा तक पुराने श्रमिकों को उत्पादन की नई विधियों में प्रशिक्षित करके अध्याय स्वच-
—न द्वारा पैदा किए गए नये-नये कामों वा प्रशिक्षण देकर पूरा किया जा सकता है। परन्तु इसकी भी अपनी वई सीमाएँ हैं जैसे—(अ) यह प्रशिक्षण अनिपुण व अद्वैत निपुण श्रमिकों को नहीं दिया जा सकता, (ब) यद्यपि युवा और प्रगतिशील श्रमिक नए कार्यों को शृंच के साथ सीख लेंगे, परन्तु प्रौढ़ और पश्चपरामर विचारों वाले श्रमिक न तो इसमें नहीं लेंगे और न ही नए कार्य सीखने का प्रयास करेंगे। (स) इस प्रशिक्षण की लागत नी बहुत होगी जिसे सेवायोजक करने में हिचकेंगे।

सामान्य बेरोजगारी की समस्ता वा समाधान और भी कठिन है। इसका एक माधान यह हो गता है कि इन श्रमिकों को अन्य रथानों पर अन्य प्रकार के कार्य दे दिए जाएँ। उदाहरण व लिए यदि उत्पादन-प्रक्रिया में स्वचलन पद्धति का उपयोग होया जाता है और इसमें कारणाने के उत्पादन में वृद्धि होती है तो इस अतिरिक्त उत्पादन को बेचने के लिए प्रधिक विक्रय-कर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी। अतः प्रबन्धक सभने कुछ श्रमिकों को विक्रय के द्वारा काम में प्रशिक्षित करके उन्हें नया रोजगार दे

चूकि स्वचलन ने महीनों उ पादन अपौरुष औद्योगिक रूप से भवूल प्रा या में एक मौतिक क्रांति उत्पन्न कर दी है इसकी द्वितीय औद्योगिक क्रांति भी नहा जाता है।

म सकता है। विक्रय प्रसार और विज्ञापन ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें व्यक्तिगत सेवाओं का महत्त्व-पूर्ण स्थान है और उन्हें आसानी से स्वचालित नहीं बनाया जा सकता है। परन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि अधिक उत्पादन में बनाए गए ये रोजगार उन रोजगारों की तुलना में जो समाप्त कर दिए गए हैं कहीं कम होंगे। अतः यह फल इस समस्या को केवल आशिक रूप से सुलझा सकेगा।

कुछ व्यक्तियों का मत है कि स्वयं स्वचलन भी अपने भाग कई प्रकार के रोजगारों को जन्म देता है, जैसे—(अ) स्वयं स्वचालित मशीनों के निर्माण के लिए बहुत श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, (ब) स्वचालित मशीनों अत्यन्त किसी और पेचीदों मशीनों होती है, जिन्हे लगाने, चलाने और देखभाल करने के लिए कुशल श्रमिकों की बड़ी-बड़ी टोकियाँ रखना आवश्यक होगा, (स) स्वचालित मशीनों को निरतर चालू रखने के लिए इनके हिस्से-मुँजों की आवश्यकता होगी, जो एक पृथक् उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। यह उद्योग भी अनेक व्यक्तियों का नए-नए रोजगार उपलब्ध करायगा। (द) स्वचलन अधिक उत्पादन को सभव बनाकर व्यापार को बढ़ाता है और यह बढ़ा हुआ व्यापार रोजगार के लिए नये दरवाजे खोल देता है, जैसे माल को लाने ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ती है और उसकी जोखिम को उठाने के लिए बीमा-कर्त्तव्यों की सेवा प्राप्ति की जाती है। परन्तु किर मी यह रोजगार सारे वे रोजगारों को काम नहीं दे सकते तथा यह आवश्यक नहीं है कि निकाने गए सभी श्रमिक इन बायों के सिंग योग्य हों। इसके अतिरिक्त नए रोजगार के निर्माण में काफी ममद लगता है। फलत अपने रोजगार से निकाले गए श्रमिक भूखे नहीं रह सकते हैं।

2 श्रमिकों की कार्यक्षमता से वृद्धि स्वचलन में श्रमिकों द्वारा कार्य-कुशलता में वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक कार्य अत्यन्त ही सरल ही जाते हैं। ग्रामवंश ने श्रमिकों को अपना परिश्रम अधिक सचिपूर्ण प्रतीत होने लगता है। भारी और नीरसन वार्ष कम नहीं जाते हैं। स्वचालित कैंटिंगों में काम की सामान्य पर्सनलिटी वहुत अच्छी रहती है। वहाँ गदगी का नामो-निधान न होगा और स्वचलन श्रमिकों की नीरसन और वोरियत को भी कम कर देता है। क्योंकि ऐसे कार्य मशीनों द्वारा करा दिए जाते हैं और साथ ही मात्र व्यापिका के भागमें लिए भी काफी अधिक समय मिलन लगता है। इन सब का फल यह होता है कि श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है।

3 रहन-सहन के स्तर व सामाजिक प्रतिष्ठानों में वृद्धि : स्वचलन में रहन-सहन वे स्तर में वृद्धि होती जौर उन्हें सामाजिक पद एवं प्रतिष्ठान में वृद्धि होती। जैसा कि इस ऊपर देख चुके हैं कि स्वचलन में उच्च स्तरीय, उच्च शिक्षित और योग्य कर्म चारियों, जैसे व्यवस्थापक, इंजीनियर व टेक्नीशियर आदि की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हे स्वाभाविक रूप में आज के माया-द कर्मनारियों की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञेन्त्र मिलेगा। अधिक ज्ञेन्त्र मिलने का मुख्य कारण स्वचालित मशीनों द्वारा व्यधिक उत्पादन

व अधिक लाभ पूजीपतियों को प्राप्त होता है। जब श्रमिकों को अधिक बेतत, इस लाभ व मुजनशीलता के दाम आदि उपलब्ध होगे तो इन सबका संयुक्त प्रभाव यह होगा कि श्रमिकों के सामाजिक पट एवं प्रतिष्ठा में कमी होगी। साथ ही चूंकि फैक्ट्री व अदर विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों में बोई विशेष अवर नहीं होगा और न उनके रहन-महन के द्वयों में कोई विशेष ऊन-नीच का प्रभाव होगा। इसीलिए उनके कार्य सबधी सबधा में भी पर्याप्त नमृहपना रहेगी।

4 वशानुगत कुशलता भे कमी यह कहा जाता है कि स्वचलन व कारण कारीगरों की वशानुगत कुशलता में कमी आनी है, वयोंकि पूर्णरूपेण मशीनों प्रक्रम मनुष्य को बारीगरी दिखाने का अवसर ही नहीं मिलता। श्रमिक तो बैठा बैठा मशीनों के परिचालन को ही देखता रहता है। लेकिन यह शका कि मनुष्य की कारीगरी को स्वचलन में पूर्णतः लाप हो जाएगा भ्रमात्मक है, वयोंकि कालातर में जब एवं स्वचलन व्यवस्थी पूर्ण हो जाएगी तो कौशल का स्तर उठेगा और यह प्रति इजीनियरों, विंशेपनों आदि के कामों में होगी।

निष्कर्ष—स्वचलन ने धिना श्रमिकों के कारबाने, विना मनुष्यों के मशीनों तथा विना लिपिकों के कार्यालयों की कल्पना सरकार अवश्य की है, परतु इसके नामाजिक परिणाम क्या होगे, इसे जो ग्लेजर (Joe Glazer) ने अपने स्वचलन वा गीत' (Song of Automation) में भली-भाति व्यक्त किया है। ग्लेजर वे अमेरिकी गान का हिंदी अनुवाद नीचे दिया जा रहा है—

स्वचलन का गीत (Song of Automation)

‘एक सोमवार की सुबह
मैं फैक्ट्री देखने गया।
जब मैं यहां पहुंचा,
वह निर्जन थी— बिल्कुल सुनसान।
न तो मुझ 'जो' मिला न 'जैक' न ही 'जॉन' न 'जिम',
मुझे कोई भी न दिसा—
बोई भी नहीं
हा बटन, घटिया व
(लाल पीली नीली, हरी) वर्निया
जस्तर पूरी फैक्ट्री मधी।

क्या क्या था?—यह जानने के लिए
मैं फोरमैन के ऑफिस में
पूछ-घूम कर चलता रहा।
उसके बेहरे पर सीधे देखकर

मैंने पूछा—“क्या हो रहा है ?”
 उत्तर जानते हैं क्या मिला ?
 उसकी आखें लाल हरी, नीली होती गई,
 तब मुझे सहसा भान हुआ कि
 फोरमेन की कुर्सी पर रॉबॉट बैठा था ।

उस फैक्टरी में चारों तरफ चलता रहा—
 ऊपर-नीचे, आर-पार
 लौट-पौट कर मैंने वहाँ की
 सभी बटनां, घटियों और बत्तियों को देखा ।
 रहस्य-जैसा लगा मुझे यह सब कुछ ।
 मैंने पूछारा—“फॉक, हैक, आइक, माइक
 रॉय, राय, डॉन, डैन, चिल, फिल, पैट्रिक, पीर ।
 जबाब में एक मशीन-जैसी तेज आवाज आई—
 “ये सब तुम्हारे लोग पूराने हो चुके” ।

मैं सहम गया।
 और चितित हो उठा, *
 जब फैक्टरी से निकला, मैं अस्वस्थ था ।
 मैंने
 कपनी के प्रेसिडेंट से मिलता चाहा,
 उसके ऑफिस म पहुँचने पर देखा—
 वह भी है चढ़ाप, मुह बनाप
 दरवाजे के छाहर दौड़ा चला आ रहा था,
 वयोर्क प्रेसिडेंट के स्थान पर मशीनगुमा अधिकारी ढटा था ।

मैं धर चला आया,
 जब बल्ली रो,
 हमेशा चाहते बाली पत्नी को
 फैक्टरी बे बार मे कह मुनाया,
 प्रेम करनी, चूमनी वह रो उठी ।
 ये सब दरन जी' बत्तिया
 ता मै नहीं सपझता,
 नेकिन दतन ज़म्मर जानता हू—
 प्यार भाज भी पूराने तरीके मे ही किया जाता है ।”

स्वचलन के सबध मे भारत सरकार को नीति

स्वचलन के सबध मे भारत सरकार की नीति भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 के श्वीकृत विषयकीय समझौते पर आधारित है। इस समझौते की कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं निम्ननिचित हैं—

1 स्वचलन लागू करने भ न तो कोई पुराता श्रमिक निकासा जाना चाहिए और न ही किसी का परिवर्थित नम किया जाना चाहिए। हा विधापित श्रमिकों को उसी मन्द्या म उए काम या उसी प्रबध के अधीन अप्प काम दिए जा सकते हैं।

2 विवेकीकरण और स्वचलन से प्राप्त लाभ समाज सेवायोजक और श्रमिकों सभी म न्यायोचित ढग से वितरित किया जाना चाहिए।

3 नई योजना के फलस्वरूप श्रमिकों के काय भार की निष्पक्ष जाति की जानी चाहिए और श्रमिकों के बार्य की दशाओं मे सुधार किया जाना चाहिए।

भारतीय श्रम सम्मेलन सन 1968 ने स्वचलन की समस्या का पुन अध्ययन किया था। जुलाई 1968 मे व्यायो श्रम समिति ने भी इस प्रश्न पर विचार किया और यह सिफारिश बी कि सरकार इस प्रश्न पर नीति मदधी मार्य दशक प्राप्त करने के लिए एक विषयकीय समिति बनाए।

राष्ट्रीय श्रम योजना, 1966

राष्ट्रीय श्रम योजना ने भी स्वचलन के प्रश्न पर काफी विस्तारपूरक विचार किया है। 1969 मे प्रस्तुत इसदे प्रतिवेदन मे कुछ महत्वपूर्ण मुझाव निम्नलिखित हैं—

‘स्वचलन की किसी भी योजना को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए—
(अ) इसमे उन सारे श्रमिकों को जो स्वचलन के परिणामस्वरूप बेरोजगार हो जाएंगे, काय देने की व्यवस्था होनी चाहिए (ब) स्वचलन मे प्राप्त होने वाले लाभ को न्यायो चित ढग से वितरित करके श्रमिकों की आय के स्तर म सुधार करना चाहिए (द) इससे नामन राम होनी चाहिए और समाज को लाभ होना चाहिए।¹

वर्ष्यूटर के प्रश्न पर आयोग का विचार है कि विशिष्ट धनों मे कप्यूटरोंका प्रयोग किया जा सकता है। इस सबध म सरकारी नीति का उद्देश्य यह होना चाहिए कि एक नरक तो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उच्च औद्योगिक स्तर की ओर बढ़ा सके और दूसरी ओर न्यू रोजगार मे भी उल्लेखनीय सुधार दिखाई दे।

स्वचलन समिति 1972 की सिफारिश

भारत सरकार के श्रम मञ्चालय प्रो० धो० एम० दडेकर का अध्यक्षता मे एक स्वचलन समिति गठित की जिसकी रिपोर्ट मई 1972 म प्रकाशित हुई।

इस समिति ने जो सिफारिशें थीं उनसे बाया होती है कि स्वचलन के सबध

में एक उचित और व्यावहारिक नीति की जा सकती है। इस समिति की प्रमुख सिफारिशों निम्नलिखित हैं—

1 स्वचलन सबधी योजनाओं को आरभ करने के पूर्व अधिकों और मालिकों से पूर्व सहमति लेना आवश्यक है। यदि अधिकों और मालिकों में इसको लेकर कोई भवित्व है तो इसे उद्देश्य के लिए गठित राष्ट्रीय द्विपक्षीय दल के पास निर्णय के लिए भेज देना चाहिए।

2 यदि कंप्यूटर का प्रयोग केवल बार-बार दोहराने वाले कागजों के लिए किया जाता है तो उस स्थिति में प्रबल्लकों को पहले एक श्रीचित्य प्रतिवेदन संघार करना चाहिए और उसे मूल्याकान के लिए विशेषज्ञों की समिति के पास भेजना चाहिए।

3 इस समिति ने शिक्षा विज्ञान अनुसंधान साहियकी सुरक्षा और व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कंप्यूटरी के व्यापक प्रयोग को स्वीकार किया है।

4 स्वचलन का प्रभाव रोजगार पर दो स्तरों पर पड़ता है—(अ) सबधित प्रतिष्ठान विभाग में रोजगार पर प्रभाव, और (ब) संपूर्ण अर्थव्यवस्था के प्रस्तुत में रोजगार पर प्रभाव। यहाँ तक (ब) व्येणी में वर्णित प्रभाव का सबध है यह सामान्य टैक्नो-लॉजी की नीति के अतर्गत आना चाहिए। इस नीति के निर्धारण के लिए यह आवश्यक है कि व्यापक स्तर पर स्वचलन के क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसके विषय में आवश्यक तथ्य और आवड उपलब्ध हों। अभी इस प्रकार के आकड़ों का बहुत अभाव है। इस कमी को जल्दी ही पूरा किया जाना चाहिए।

5 कंप्यूटर प्रयोग के हर अलग अलग मामले पर उसके अपने गुण दोष को देखते हुए तमान सबढ़ पहलुओं को, विशेषकर रोजगार पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसे व्यान में रखते हुए विशेषज्ञों द्वारा उस पर विचार होना चाहिए।

यद्यपि दहेकर समिति ने कंप्यूटरों के प्रयोग के सबध में एक छोटी नीति अपनाई है। उसमें देश के सामाजिक-आर्थिक विकास की वर्तमान अवस्था को देखते हुए उसके उपयुक्त नियन्त्रण व प्रतिकूल प्रभावों के विशद सरकार पर बल दिया है, पर समिति ने स्वचलन के परिणामस्वरूप देकार हो जाने वाले अधिकों के नए प्रशिक्षण के प्रबल के सबध में कोई सुमाव नहीं दिया।

समुक्त राष्ट्रीय सर्वेक्षण

समुक्त राष्ट्रीय सबध के औद्योगिक विकास संगठन ने विकासशील देशों में कंप्यूटरों के प्रयोग की रामस्या का अध्ययन करने हेतु भारत में एक सर्वेक्षण कराया, जिसकी रिपोर्ट 1973 के आरभ में पेश की गई। विषय की सीमित रखते के उद्देश्य से केवल निर्माणी उद्योगों का सर्वेक्षण किया गया।

इस सर्वेक्षण ने आधुनिक जटिल कार्मों में कंप्यूटरों के प्रयोग का समर्पन किया है। लेकिन किर भी इसके पक्ष में नहीं है कि केवल अम बचाक उद्देश्य से अपर्याप्ति अधिकों की सम्म्या करने के लिए उसका उपयोग किया जाए।

सर्वेक्षणकर्ताओं ने कप्पूटरों के प्रयोग के प्रति कर्मचारियों के दृष्टिकोण का पता लगाने का प्रयत्न किया है। इनकी रिपोर्ट के अनुसार स्वचलन का देश के सभी श्रमिकों ने सार्वजनिक रूप से विरोध किया है। लेकिन श्रमिक इसके विरुद्ध नहीं हैं। किसी बड़े कारखाने या संस्थान में कहीं-कहीं यहां-यहां इकाई रूप में इसका उपयोग हो, क्योंकि इससे आमतौर पर कर्मचारियों को विशेष हानि नहीं होती है, लेकिन जहां तक ऐसे संस्थानों का सबध है, जिनमें निर्माण कार्य नहीं होता और अधिकतर कर्मचारी सफेदपोश बाबू हैं, जैसे बैंक, बीमा कंपनी या प्रबंध प्रशासन, कार्यालय आदि, वहां के कर्मचारी सध कप्पूटर के प्रयोग का बड़ा विरोध करते हैं।

कर्मचारियों तथा मजदूर सभों के दृष्टिकोण और औद्योगिक संस्थानों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने के उपरात सर्वेक्षणकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सामान्यत व्यक्तियों का यह विचार गलत है कि कप्पूटरों के प्रयोग से कर्मचारियों की छठनी होगी और औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ेगी। कर्मचारियों व श्रमिकों के उस व्यापक वार्य को कोई हानि नहीं होगी, जिसका सबध विनिर्माणी उद्योगों से है। यह स्तरांतर तो कहीं तब जाकर पैदा हो सकता है, जब देश के भिन्न कारखानों का भौतिक रूप ही बदलकर पूर्ण स्वचालित हो जाएगा जिसकी अभी निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं है।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि स्वचलन से अस्थायी कठिनाइया अवश्य हो सकती है। स्वचलन अपनाने से नि सदैह अल्पकालीन बेकारी होती है और विस्थापित श्रमिकों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्वचलन से संपूर्ण समाज को लाभ होता है। बतः समाज का कर्तव्य है कि विस्थापित श्रमिकों की कठिनाइयों की दूर करने का प्रयत्न करे। विस्थापित श्रमिकों को नवीन कार्यों के योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। अतिरिक्त श्रम को अन्य विकास बायों में लगाया जा सकता है, कार्य के घटे कम किए जा सकते हैं, जिससे कि अधिक व्यक्तियों को काम मिल सके। बेकारी की बीमा योजना को भी कार्यान्वित किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि स्वचलन के कार्यक्रम को योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाए और स्वचलन सदृशी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पूजी, श्रम, उपभोक्ता व सरकार का सहयोग आवश्यक है। अतः स्वचलन की योजना लागू करने से पूर्व सभी हितों की स्वीकृति की जानी चाहिए। स्वचलन से होने वाले लाभों में श्रमिकों को हिस्सा दिया जाना चाहिए और स्वचलन की आवश्यकताओं के अनुरूप श्रमिकों को तंत्यार करने के लिए उनके उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय जिसका उत्तरदायित्व मालिकों पर डाला जाय।

भारत में स्वचलन की प्रगति

जहां तक भारत में स्वचलन का सबध है, वह अभी काफी दौरावाचस्था में है। भारत जैसे देश में स्वचलन की योई तत्काल समस्या नहीं है। अभी भारतीय उद्योग यंत्रीकरण के प्रारंभिक चरण में है। स्वचलन के लिए भारत में आवश्यक पूजी भी नहीं

स्वचलन

है और उसके यत्रों का निर्माण भी भारत में नहीं होता और उन यत्रों का सचलन मीखने में भी हमें समय लगेगा। भारत में स्वचलन की धीमी रफ्तार की बहुत कुछ जिम्मेदारी यदि एक और इस सबध में सरकार की अनिश्चित नीति पर है तो दूसरी और उद्योगपतियों और बर्मचारियों की उदासीनता और विरोध पर भी है। भारत में स्वचलन अभी नुस्खत कंप्यूटरों तक ही सीमित है जो स्वचालित मशीनों का सबसे मामूली और बुनियादी रूप है।

भारत में कंप्यूटर का सर्वप्रथम उपयोग कलकत्ता में स्थित भारतीय साह्यकीय संस्थान में वैज्ञानिक और व्यापक अनुसंधान सबधी कार्यों के लिए 1950-60 के बीच के बीच में बैंकिंग में किया गया था। व्यवसायिक उद्देश्य से एक अमरीकी तेल कंपनी ने सबसे पहले 1961 में अपने कार्यालय में इसे लगाया। इसके बाद से इसका प्रयोग निरतर बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय रेल के सात दोषों में कंप्यूटर लगा या। दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड के कार्यालय में भी कंप्यूटर लगाया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी कंप्यूटर लगाया जा रहा है। देश में जहाँ-जहाँ कंप्यूटरों का प्रयोग हो रहा है, अगर उनके देश की दोनों विभाजन की दृष्टि से गणना की जाए तो उनकी सूच्या इस प्रकार होती है— पश्चिम 62, दक्षिण 32, उत्तरी 40 और पूर्वी 36। नगरवार वितरण इस प्रकार है— बबई 46, दिल्ली 23, कलकत्ता 18, बगनौर 15, मद्रास 10, अहमदाबाद 6, हैदराबाद 6 पूरा 6, जमशेदपुर 5, कानपुर 5 और अन्य नगर 30। उद्योगानुसार इसका वितरण इस प्रकार है—इंजीनियरिंग 30, रासायनिक तथा औषधि उत्पादन 17, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक 16, कपड़ा 14।

मई 1967 में स्थायी श्रम समिति में स्वचलन पर व्यापक रूप से विचार-विभाग हुआ। यद्यपि कोई स्वास फैसला नहीं लिया जा सका यह राय जाहिर की गयी। 'प्र उत्पादन कार्य' के लिए स्वचलन भारतीय श्रम सम्मेलन के 15 वें अधिवेशन में लिए गए 'आदर्श समझौते' द्वारा नियतिन होने रहना चाहिए। दूसरे में कार्य के लिए स्वचलन के मान्द्रध में राय अलग-अलग थी। जुलाई 1968 में स्थायी श्रम समिति के सास अधिवेशन में इस बात पर फिर विचार किया गया। श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने कहा कि देश में बहुत देवारी तथा टेक्नोलॉजी और पूँजी की कमी के कारण सामान्य नीति स्वचलन के लिलाक होनी चाहिए। 1969 में भारत सरकार द्वारा श्री आर० वैकटारमन की अध्यक्षता में स्वचलन पर एक समिति नियुक्त की गयी जिसका उद्देश्य उन सारणाओं में, जहाँ स्वचलन लागू किया जा चुका है, उसे असर नहीं मालूम करना था। समिति ने उन दोषों को भी तय करना था जहाँ कंप्यूटरों को शामिल करते हुए स्वचलन को अपनाया जा सके और साथ ही स्वचलन के पह सहने वाले सराब सामाजिक प्रभावों को दूर या बम करने के लिए साधारणियों को मिफारित रखनी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 1972 में प्रस्तुत की।

वीजें दिए विवेचन से स्पष्ट हैं कि स्वचलन की प्रगति भारतवर्ष में अत्यत मद गति से हुई है। भारतवर्ष में स्वचलन की प्रगति धीमी गति में होने वे कुछ महत्वपूर्ण भारत नियन्त्रित हैं—

(अ) स्वचलन की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूजी की आवश्यकता पड़ती है, परतु भारत में पूजी का सर्वथा अभाव है और इसीलिए 'पूजी न्यून अर्थव्यवस्था' कहा जाता है।

(ब) स्वचलन प्रणाली को जिस ऊर्जे दर्जे के कौशल आवश्यकता पड़ती है भारतवर्ष में ऐसे व्यक्तियों का सदा अभाव रहा। स्वचलन में व्यक्तियों की आवश्यकता इतनी भिन्न प्रकृति की होती है कि बत्तमान सुविधाओं का विलक्षण ही परिस्थाग करना पड़ेगा।

(स) श्रमिकों के विरोध के कारण भी स्वचलन की प्रगति भारतवर्ष में नहीं हो पाई है। कहा जाता है कि स्वचलन से भारत में व्याप्त वेरोजगारी की समस्या और गमीर हो जाएगी।

(द) भारतीय उद्योगपति अत्यत रुदिकारी और परपराकारी हैं। वे उद्योग विशेष में स्वचलन अपनाने को इसलिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हे विद्यमान प्रबद्ध व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा जिसके बे अध्यस्त है। मालिकों के विरोध का एक कारण यह भी है कि वे स्वचलन से प्राप्त लाभ में श्रमिकों को उचित हिस्सा नहीं देना चाहते। स्वचलन के बंतर्गत कुछ आर्थिक इकाइयों के मालिक इसक लिए तैयार नहीं होते और वे उन्हे जिस हालत में बे हैं उसी हालत में घसीटना चाहते हैं। उद्योगपति द्वारा स्वचलन का विरोध उनमें साहस के अभाव को दर्शाता है।

(य) भारत में स्वचलन की धीमी गति का एक कारण यह भी है कि इसके सिए जिस विशिष्ट प्रकार की स्वचालित मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए हमें विदेशी पर निमर रहता पड़ता है। परतु विदेशी विनियमय की कठिनाई (अर्थात् विदेशी मुद्रा) की कमी के कारण पर्याप्त सख्त्या में मशीनों को प्राप्त करना कठिन होता है।

(र) भारत सरकार भी उद्योगों में तेजी से स्वचलन लागू करने की विरोधी है। सरकार की इस नीति के कई आधार हैं, जैसे—भारत में वेरोजगारी की समस्या, बौद्धोगिक विकास में असतुलन का भय, स्वचलन के कारण आर्थिक शक्ति के केंद्रीय-करण का भय, विदेशी मुद्रा पर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता, स्वचलन के सामाजिक और राजनीतिक परिणामों का भय आदि।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में स्वचलन के मार्ग में बहुत-की कठिनाइयाँ हैं, परतु प्रश्न यह उठता है कि क्या भारतवर्ष में स्वचलन को प्रोत्साहन किया जाहिए कि नहीं?

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में स्वचलन के कार्यक्रम पर अत्यत सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। स्वचलन का विरोध प्रमुख रूप से वेरोजगारी वड़ाने के अम से किया जाता है। अम की अधिकता के कारण भारत में वेरोजगारी और अम-वेरोजगारी की समस्या अत्यत उग्र होती जा रही है। वेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें कीमत ही सबके लिए रोजगार की सभावना से मुद्द स्तर पर काकिय उपाय करने होंगे। स्वचलन के कार्यक्रम को अपनाने से श्रमिकों के स्वान पर मशीनों का उपयोग,

कुशल औद्योगिक इकाइयों की समाप्ति, धर्म के उपयोग में मितव्यता लाने आदि के प्रयत्न किए जाते हैं। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ती है। इसलिए यह कहा जाता है कि भारत में स्वचलन के अपनाने से बेकारी की स्थिति और भी भयावह हो जाने की आशका है।

परतु बेकारी के कारण स्वचलन को त्यागा नहीं जा सकता। भारत को तकनीक के विकास में दीखे भी नहीं रहना चाहिए। यद्यपि यह सत्य है कि बर्तमान में स्वचलन के कारण काफी लबे समय तक समाज को एक भयकर बेकारी का सकट झेलना ही पड़ेगा। परतु कालातर में जब यह स्वचलन-व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी तथा व्यापक रूप से प्रचलित हो जाएगी तो इनमें भी काफी लोगों को समा लेने की क्षमता हो जाएगी। भारतवर्ष में स्वचलन की पोजना को लागू करने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि—(अ) देश में निर्धनता व निम्न उत्पादकता के स्तर को दूर करने के लिए यह बावश्यक है कि उद्योगों में आधुनिकतम यथो व विधियों का प्रयोग किया जाए। उत्पादकता-स्तर बढ़ने पर ही भजदूरों को अधिक भजदूरी दी जा सकेगी व उनके रहन-महन के स्तर में सुधार होगा। (ब) स्वचलन की सहायता से कम समय और परिश्रम में अधिक सस्ती और अन्धेरे किस्म की वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकेगा। (स) विदेशी विनियम का अजैन व निर्धारित प्रोत्साहन के लिए आवश्यक है कि हम आधुनिकतम मध्दीनों और विधियों का उपयोग करें।

यह तो निश्चित ही है यदि हम औद्योगिक विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहते तो हमें स्वचलन को प्रोत्साहन देना होगा। हा, स्वचलन की योजना एकदम लागू न करके नहीं: शनै लागू की जानी चाहिए। ऐसा करने से उपस्थित कठिनाइयों का समुचित हम निकालना सभव हो जाएगा। इसके लिए पूजी व कुशल प्रबधकों का पहले प्रबंध वर सेना चाहिए कर्योंकि पूजी व कुशल प्रबधकों के अभाव में स्वचलन की योजना, सफल नहीं हो सकती है। टेक्नोलॉजी के परिवर्तन से विस्थापित अभिकों को पुनः काम में लाया जाना औद्योगिक शानि की पहली शर्त है। परिवर्मी जर्मनी में इस कार्य के लिए पुनः शिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार के केंद्र हमारे यहां भी बुल्सने चाहिए। जहां कप्यूटर के प्रबंध से बेकार हुए वर्मचारियों को पुनः शिक्षा की पूरी सुविधा हो, ताकि उन्हीं लोगों को पुनः नए रामों में लगाया जा सके।

जिन सत्यानों और अवस्थाओं में स्वचलन का विशेषकर कप्यूटरों का प्रबंध कराया जा सकता है, उनके चूनाव का मानदण्ड निश्चित किया जाना चाहिए। इस प्रवार अवस्था कप्यूटरों के अपनाने या त्याग की नहीं है, बल्कि इनके प्रबंध के नियन्त्रण की है। इस दिशा में राष्ट्रीय अभिक आधोग ने पहले ही सकेत किया था—“हम इस बात की सिफारिश करते हैं कि चूने हुए सीमित आघार पर कप्यूटरीकरण को स्वीकार किया जाय। इस नीति का उद्देश्य यह होना चाहिए कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था कमशा उच्चतर टेक्नोलॉजी की ओर बढ़े, वैसे-वैसे कुछ रोजगार में भी बुद्धि हो।” इस प्रकार भारतवर्ष में स्वचलन को एक व्यवनात्मक आघार पर एक के बाद दूसरे चरण में अपनाया चाहिए। सायं ही यह निश्चय करना चाहिए कि रोजगार के अवसरों में कभी न

हो। इस तरह की योजनाओं को अभिको स परामर्श के साथ ही लागू करना चाहिए।

परीक्षा प्रश्न

- 1 स्वचलन में आपका क्या आदाय है? इसके गुण दोषों की व्याख्या कीजिए तथा रोप्छगार पर इसका प्रभाव बताइए।
- 2 स्वचलन के उद्देश्य बताइए। क्या दिना अशु के स्वचलन सभव है?
- 3 स्वचलन का अथ स्पष्ट कीजिए। विवेकीकरण के उद्योगों पर तथा मजदूरों पर प्रभाव को स्पष्ट कीजिए।
- 4 विवेकीकरण और स्वचलन में अतर कीजिए। विवेकीकरण के उद्योगों पर तथा मजदूरों पर प्रभाव को बताइए।
- 5 भारत में स्वचलन लागू करने के पक्ष व विपक्ष में तक वितक दीजिए। इस सबध में भारत सरकार की नीति भी स्पष्ट कीजिए।

अध्याय 9

भारत में श्रमिक संघ या संघवाद (Trade Unions in India)

थम संघ की विशेषताएँ . थम संघवाद के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए थम संघ शब्द नी स्पष्ट धारणा आवश्यक है, क्योंकि इसके उपयोग के सबध में गहरे मतभेद हैं। थम संघ की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं—

1 सिडनी ब वेब . “एक श्रमिक संघ मजदूरी करने वालों का एक स्थायी समगठन है जिसका उद्देश्य अपने कार्यों की दशाओं में सुधार करना वथवा उनको विमड़ने में रोकना होता है।”¹

व्याख्या व आलोचना : इस परिभाषा से स्पष्ट होता है—(अ) थम संघ एक एक प्रकार स्थायी समगठन है, (ब) यह समगठन उन व्यक्तियों का है जो मजदूरी पर निवाह करता है, (ग) इसका प्रमुख उद्देश्य है—जो कुछ प्राप्त हो पुका है उसे बनाए रखना तथा अधिक सुधार के लिए प्रयत्न करना।

इस परिभाषा में ‘मजदूरी करने वालों’ शब्द बहुत झामक है। ऐसे व्यक्तियों का संघ जो दूसरों के यहाँ मजदूरों (नोकरी) भर्हों करता श्रमिक संघ है अथवा नहीं, यह विवादप्रत विषय है। यकीलों व डॉक्टरों आदि का संघ क्या है? रियायायामिकों का संघ श्रमिक संघ कहना एगा नहीं, वह भी विचारणों प्रश्न है। कारण यह है कि ये लोग उस अर्थ में मजदूरी नहीं करते जिस अर्थ में कारखाने में लोग कार्य करते हैं।

धी घिन्ने व वेबी ने इस परिभाषा की आलोचना करते हुए कहा है कि “यह—परिभाषा पुरानी अत्यधिक सीमित या गतिहीन है, क्योंकि वर्तमान में एक थम संघ का कार्य अपने सदस्यों के कार्य जीवन को देखने, बनाए रखने और सुधार करने से आगे भी निवित हो सकता है।”²

2 रियायायामिक स्ट्राईक “वह प्रौलिक रूप में श्रमिकों का एक संघ है जिसका उद्देश्य अपने समुदाय के सदस्यों को रोजगार संघर्षी दशाओं की स्थिर रखना और सुधारना होता है।”³

इसमें व्याख्या देने योग्य दात यह है कि स्थायी शब्द का उपयोग नहीं लिया जाता है। सिडनी ब वेब वौ परिभाषा नया इसमें यह अतर प्रचान है।

1 Sindney and Beatrice Webb History of Trade Unionism, p. 1

2 R. A. Lester Economic of Labour, p. 539

3 जी० डी० एच० कोल : "सामान्यतया श्रमिक संघ का अर्थ एक या अधिक व्यवसायों में श्रमिकों के एक ऐसे संघ से लगाया जाता है, जो अपने सदस्यों के उनके दैनिक कार्यों से सबधित आर्थिक हितों की रक्षा एवं बढ़ावा करने के उद्देश्य से सचालित किया जाता है।"¹

4 थी० थी० गिरि "श्रमिक संघों से हमारा अभिप्राय ऐसे संगठनों में है जिनका निर्माण ऐच्छिक रूप से सामूहिक शक्ति के आधार पर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है।"²

5 थी० ए० सी० जोन्स 'एक श्रमिक संघ अनिवार्य रूप से श्रमिकों का ही संगठन है, मालिकों, सहभागियों अथवा निजी श्रमिकों का नहीं।'³

श्रम संघों की विभिन्न परिभाषाओं के अध्ययन से हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचते हैं

- 1 यह श्रमिकों एवं कर्मचारियों का संगठन है।
- 2 यह एक ऐच्छिक संगठन है।
- 3 यह व्यक्तिवादी समान की देन है।
- 4 यह स्थायी अथवा अस्थायी दोनों ही प्रकृति के होते हैं।
- 5 यह कर्मचारियों एवं नियोजकों, कर्मचारियों एवं कर्मचारियों तथा सेवानियोजकों एवं सेवानियोजकों के मध्य सम्बंधों का नियमन करता है।
- 6 इसकी स्थापना व्यापार या व्यवसाय की क्रियाओं पर आधारित प्रतिबंध लगाने हेतु की जाती है।
- 7 यह अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करता है।
- 8 इसके उद्देश्य एवं कार्य परिवर्तनशील है।
- 9 इनकी क्रियाओं को नियत्रित करने हेतु विश्व के विभिन्न देशों में पृथक तथा अधिनियम पारित किये गये हैं।

(अस्त्रकलि श्रमिक संघ अनेकों कार्य करते हैं। उन समस्त कार्यों को किसी परिभाषा परिधि में वाधना सम्भव नहीं है और न आधारक है। मुख्य कार्य समूह बनाकर अपने सब प्रकार के हितों की रक्षा करना ही है। श्रम संघ की परिमापा हम इस प्रकार दे सकते हैं— श्रम संघ मजदूरी, वेतन और शुल्क उणांजन करने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा ऐच्छिक संगठन है जो मूलन रामग्रह रूप से अपने सदस्यों और व्यापार अथवा रोजगार के हित के उद्देश्य से संगठित किया जाता है और वह मालिक के साथ-साथ सबंधों में प्रतिनिधित्व करता है।

श्रम संघों के उद्देश्य व कार्य

श्रम संघों के उद्देश्य के सबंध में विवारकों में काफी भिन्नता मिलती है। कार्ल

1 G H H Cole An Introduction to Trade Unionism, p 1

2 V V Giri Labour Problems in Indian Industry, p 1

3 A C Jones Trade Unionism Today, p 3.

मार्क्सी व एजिल्स जैसे भौतिकवादी विचारक श्रमिक संघों को क्रांति के एजेंट के रूप में और वाणि संघर्ष की प्रक्रिया में इन्हें एक दल के रूप में स्वीकार करते हैं, जो पूजीवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त कर देता है। वेब ने श्रमिक संघों को सद्योग के सेवा में प्रजातात्त्विक विद्वानों के विस्तार के रूप में स्वीकार किया है। कोल के विचार में श्रमिक संघों का अतिम उद्देश्य श्रमिकों का उद्योग पर नियन्त्रण करना है। लास्को के मत में श्रमिक संघों के उद्देश्यों के मौलिक रूप से आर्थिक होने के बावजूद भी सामाजिक उद्देश्यों में वृद्धि होने के साथ-साथ बहुमुखी होते जा रहे हैं। यदि वे ऐसा करने में असफल रहे तो तीव्रता से बदलते हुए समाज द्वारा रखी गई मार्गों के सदर्शन में जीवित नहीं रह सकते।

श्रमिक संघों के उद्देश्यों का आभास उनके कार्यों में होता है। श्रमिक संघ के कार्यों का हम निम्नलिखित शीर्षकों के अतर्गत अध्ययन कर सकते हैं—

1 आतंरिक अथवा लडाकू कार्य : इस प्रकार के कार्यों के अतर्गत श्रमिक संघ श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। इस लडाई का लक्ष्य होता है—(अ) उचित मजदूरी, (ब) कार्य और सेवा की अच्छी शर्त, (स) मालिकों के अच्छे व्यवहार, (द) काम के कम घटे व उद्योग के प्रबन्ध में हिस्सा। इस लडाई में वे अनेक अस्त्रों का प्रयोग करते हैं जैसे हड्डताल, बहिस्वार, सामूहिक सौदेवाजी, समझौता बाराएं आदि।

2 बाह्य कार्य अथवा भित्रवत् कार्य : इसके अतर्गत वे कार्य आते हैं जो श्रमिक परस्पर एक दूसरे के जीवन को सुधारने के उद्देश्य से करते हैं। जै.० आई० रोपर का एक सुदर वाक्य है “एक श्रमिक संघ एक नगरपालिका के सदृश है जिसका उद्देश्य नागरिकों वा जीवन सुधारना है।” अर्थात् जिस प्रवार नगरपालिका शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालय इत्यादि की सेवाओं की व्यवस्था करती है श्रमिक संघ भी करता है। इन कार्यों को निम्नलिखित कुछ यारों में बाटा जा सकता है—

(अ) शिक्षा सबधी कार्य महिला शिक्षा, प्रोट शिक्षा, पुस्तकालय व वाचनालय आदि वी व्यवस्था करना।

(ब) आर्थिक कार्य : सहवारी निमित्यों का निर्माण करना जो सम्ते अनान मवान व अचूण दिलाने से सबधित कार्य करती है। अनाय गरीबों की सहायता का प्रबन्ध करना।

(स) स्वास्थ्य सबधी कार्य दवा, इसाज, सफाई की व्यवस्था करना व डिशु एव मातृ वृत्त्याण करना।

(द) भूनोड़न वैलकूद व्यायाम टूल्मिट आदि का प्रबन्ध करना व उनक इत्यादि का संगठन करना।

(य) संस्कृतिक कार्य लोक नृत्य संगीत कला नाटक इत्यादि।

यद्यपि इन कार्यों की भारत में वरेण्य ही है परन्तु कुछ प्रमुख श्रमिक संघों न इस पक्ष पर बहुत ध्यान दिया है। अहमदाबाद के यूती वस्त्र मजदूर संघ ने सभी इत्याण-वारी कार्यों में विशेष प्रमति भी है।

3 राजनीतिक कार्य : देश वे दासन प्रबन्ध में भाग लेने के उद्देश्य से निर्वाचन आदि में श्रमिक वे प्रतिनिधियों को खदा करना राजनीतिक कार्यों वी थेणी में आता है।

आर्थर गोल्ड वर्ग के अनुसार “संघ सदस्यों का यह कर्तव्य है कि वे देश के राजनीतिक अधिकारों के निश्चित राष्ट्रीय कार्यक्रम को आश्रय प्रदान करें तथा अपने संघ को देश के राष्ट्रीय जनसंघों के साथ जलाने के लिए दृढ़ता से करें।” संघेष में श्रमिक संघ के राजनीतिक कार्य अग्रलिखित प्रकार के हो सकते हैं—

(अ) विधान सभाओं में अपने प्रतिनिधि भेजना, नगरपालिकाओं में अपना प्रभाव उत्पन्न करना।

(ब) चुनाव के द्वारा स्वयं अपनी सरकार बनाने का प्रयास करना ताकि सत्ता में आकर कुछ और अधिक अच्छा कार्य किया जा सके जैसा कि ब्रिटेन में लेवर पार्टी सत्ता में है। ऐसा केवल औद्योगिक देशों में सभव है। भारत में भविष्य में ऐसा होना सभव नहीं है।

(स) श्रमिकों के हित के अधिनियमों को बनवाना। भारत में अनेकों अधिनियम श्रमिक आदोलन के फलस्वरूप दर्शाते हैं।

थ्रम संघ किसी राजनीतिक व्यवस्था में पनप सकते हैं—चाहे वह पूजीवाद हो अथवा साम्यवाद। पूजीवाद के अतर्गत जहा श्रम संघों का प्रमुख कार्य है मजदूरी, कार्य की शर्तों एवं कर्मचारी वर्ग की मांग और पूर्ति में सबधित विषयों के लिए सेवायोजनों के समर्थन रखना, साम्यवादी देश में श्रमिक संघ नस्तादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करने में, अनुशासन बनाए रखने में बल देते हैं और समाजकल्याण एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। साम्यवादी देशों में मजदूरी की मांगों के समर्थन में हड्डतालों का सहारा श्रमिक संघ नहीं रोते।

विकासशील देशों में श्रमिक संघ का कार्य, पूजीवाद और साम्यवाद के अतर्गत दो चरम रूपों के बीच स्थान पाता है।

भारतीय थ्रम संघ अधिनियम 1926 के अनुसार संघों को श्रमिकों के हितों की रक्षा, रोजगार एवं कार्य की दशाओं में सुधार तथा उनके हितों में वृद्धि करना चाहिए। यह कार्य उनका मूल उद्देश्य है किन्तु इसके अतिरिक्त थ्रम संघ के कुछ गोण कार्य भी हैं जैसे कि गोण कार्य मूल उद्देश्य के नीति विरुद्ध नहीं होने चाहिए।

भारतीय थ्रम संघों के मूल उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

(1) अपने सदस्यों के लिए उपर्युक्त मजदूरी, अच्छी कार्य दशाएं तथा अच्छे रहन-सहन की सुविधाएं उपलब्ध कराना। (2) श्रमिकों के जीवन स्तर में वृद्धि करके उन्हें उद्योग में सहभागी के रूप में तथा समाज के अच्छे नागरिक के रूप में लाना। (3) श्रमिकों द्वारा उद्योग पर नियन्त्रण प्राप्त करना। (4) आकस्मिक हुद्देटनाओं के समय सामूहिक रूप से संगठित प्रबलकीय घट्यनों के लिए अन्याय को दबाने के लिए श्रमिकों की व्यक्तिगत क्षमता में वृद्धि करना। (5) श्रमिकों तथा उत्तरदायित्व अनुशासन के बहन करने की योग्यता उत्पन्न करना। (6) श्रमिकों में यह आत्मवेत्त जागृत करना कि वे केवल मशीन के पूर्जे मात्र नहीं हैं। (7) श्रमिकों की नीतिक उन्नति के लिए कल्याणकारी कार्य करना।

१. श्रम संघों के लाभ

श्रम संगठनों के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं—

१) पारस्परिक भिन्नता व सहयोग श्रमिक संघों में श्रमिकों में पारस्परिक भिन्नता व सहयोग की भावना का विकास होता है। उनमें अपने अधिकारों के संबंध में जागरूकता बढ़ती है और इससे उनकी सामूहिक सौदा करने की शक्ति बढ़ जाती है। परिणामतः पूजी शक्तिशाली होते हए भी श्रमिकों का गोपन नहीं कर पाते।

२) जीवन स्तर में वृद्धि श्रम संगठन श्रमिकों की आर्थिक, शारीरिक व मानसिक स्थिति को मुद्दाहरने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। फलत श्रमिकों का जीवनस्तर ऊचा होता है और उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है।

३) शिक्षा व अनुशासन श्रमिक संघ, शिक्षा प्रचार आदि के द्वारा श्रमिकों के अनुशासन वनाएं रखने में सहायक सिद्ध होता है जिससे ओटोगिक शाति बनी रहती है।

४) उचित परिवोषण श्रम संघ अपने अधिकारों के लिए लड़ कर श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलाने का प्रयत्न पारता है। जब श्रमिकों को उचित परिवोषण मिलता है तो वे पूर्ण मन से कार्य करते हैं।

५) कल्याण कार्य की व्यवस्था श्रम संघ अनेक ऐसे कार्य करते हैं जिनका मम्बन्ध सामाजिक कल्याण और श्रम कल्याण से होता है, जिससे श्रमिकों का मानसिक दृष्टिकोण विकसित होता है और उनकी कार्यक्षमता व कुशलता बढ़ती है।

६) ओटोगिक विकास व राष्ट्रीय आप ये वृद्धि श्रम संघ देश ओटोगिक शक्ति वनाएं रखने का प्रयत्न करता है। फलत ओटोगिक उत्पादन में निरतर वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय बढ़ती है।

७) आदर्श श्रम अधिनियमों के निर्माण में सहयोग श्रम संघ लोक सभा में अपने प्रतिनिधि भेजकर श्रमिकों की आवाज सुरकार तक पहुंचाता है। परिणामस्वरूप सरकार भी अधिनियम बनाकर श्रमिकों को सुविधाएं देने का प्रयत्न करती है जिसमें उसका यो न सुधर सके और वे देश के आदर्श नागरिक बन सकें।

श्रमिक संघ एवं आर्थिक विकास

(Trade Unions and Economic Development)

अद्दं विकसित देशों वे आर्थिक विकास में श्रम संघ महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। आर्थिक विकास एक अनवरत प्रविधि है जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आप में निरतर वृद्धि होती है। यह निश्चयात्मक रूप से कहा जा सकता है कि अद्दं विकसित देशों के आर्थिक विकास के महान् यत्न में श्रमिक संघ अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

किभी देश के आर्थिक विकास में कुछ ऐसे तत्त्व पाए जाते हैं जो देश के आर्थिक विकास का आधार प्रस्तुत करते हैं और जब विकास की गति शुरू हो जाती है तो कुछ दूसरे तत्त्वों का भी आगमन हो जाता है जो विकास-नियिकों और भी अधिक ही द्वारा देते

है। प्रथम श्वेती के तत्त्व जो विकास गति वा शुभारम्भ करते हैं प्राथमिक तत्त्व कहलाते हैं। ये तत्त्व यह प्रदर्शित करते हैं कि आधिक विकास क्यों होता है? दूसरे प्रकार के तत्त्व जो प्रारम्भ हो गए विकास की प्रक्रिया में सहायता पहुँचाते हैं। सहायक तत्त्व कहलाते हैं। प्राथमिक सत्त्व मुख्यतः एक ही होता है और यह सरलनापूर्वक सहायक तत्त्वों से पृथक् किया जा सकता है जो अनेक हो सकते हैं। प्रो० लुइस¹ ने आधिक विकास में तीन महत्वपूर्ण निधारिक तत्त्वों का उल्लेख किया है—(अ) आधिक क्रिया, (ब) बढ़ता हुआ ज्ञान, (स) बढ़ती हुई पूजी। आधिक क्रिया का अभिप्राय उन प्रयत्नों से है जो एक दिए हुए प्रसाधन की उत्पत्ति बढ़ाने अथवा एक दी हुई उत्पत्ति की लागत को घटाने के लिए क्रिया जाना है। परतु उत्पादन में वृद्धि करने अथवा लागत को न्यून करने की सभावना, व्यक्तियों की कार्य करने की तत्परता और योग्यता पर निर्भर करती है। परतु कोई व्यक्ति वार्ष में हचि उस समय लेता है, जबकि उसे उस कार्य से लाभ होने की आशा रहती है। प्रो० लुइस के शब्दों में “मनुष्य तब तक प्रयत्न नहीं करते जब तक कि उन्हें अपने प्रयत्न का फल स्वयं को मिलने का आश्वासन न हो।”² स्पष्टतः आधिक विकास के लिए श्रमिकों में आशा और विश्वास का होना अत्यत आवश्यक है। एक सुदृढ़ श्रमिक संघ, जो सामूहिक सौदेबाजी द्वारा श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करने और उसे बढ़ाने के योग्य हो, श्रमिकों में पर्याप्त आशा और विश्वास उत्पन्न कर सकता है कि उनका किसी प्रकार से शोषण नहीं होगा और वे अधिक हचि और लगन के साथ अपने कार्यों का निष्पादन करें और उत्पादन को अधिकाधिक बढ़ाने का प्रयत्न करें।

देश के आधिक विकास के साथ-साथ तकनीकी, प्रशासनिक और सामान्य सभी प्रकार के कौशल और ज्ञान की आवश्यकता बढ़ती जाती है। अद्वैत-विकसित देशों में शिक्षा के अभाव के कारण मनुष्य के कौशल में कभी रह जाती है और वह देश के विकास में पूर्णतम संहयोग नहीं दे पाता है। यह मानव शक्ति का दुरुपयोग है। एक कल्पनाशील कुशाप्रदुर्दिः, जागरूक और कुशल श्रमिक किसी राष्ट्र के लिए बरदान है। ऐसे श्रमिकों की उत्पादकता अधिक होती है। उसके उपलब्ध न होने से एशियाई देशों के औद्योगिकरण में बहुत चापा पड़ रही है।³ श्रमिक संघ सामान्य शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देसकते हैं क्योंकि श्रमिक संघों द्वारा सचालित शिक्षा कार्यक्रम अपेक्षाकृत अधिक श्रमिकों को आकर्षित कर सकता है। यदि एक बार श्रमिकों की हचि शिक्षा के प्रति ही गई तो इस दिशा में काफी सफलता प्राप्त की जा सकती है। जहाँ तक तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के प्रबन्ध का प्रश्न है श्रमिक संघों को अद्वैत-विकसित देशों में ऐसे दायित्व डालने में अपने अल्प विभीत संसाधनों के कारण बहुत कठिनाई अनुभव होगी। फिर भी वे यदि

1 The Theory of Economic Growth, p. 23.

2 Lewis The Theory of Economic Growth, p. 23.

3. Economic Background of Social Policy including Problems of Industrialization, Report IV, I. L. O. p. 743

सरकार व उद्योग जो ऐसी योजनाएँ इस दिग्गा मे नलाते हैं उनके सहयोग के लिए प्रयत्न पर्ते तो सभवत श्रमिक संघ श्रमिकों को ऐसे कार्यक्रमों मे नियमित और सक्रिय भाग लेने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त श्रमिक संघ उद्योग के बदर उत्पादन गोप्यता को बढ़ने के कार्यक्रमों मे प्रत्यक्ष रूप मे भाग ले सकते हैं। उदाहरणार्थ—श्रम नघ श्रमिकों को कच्चे भाल का अपच्यव करने और कार्यके रोप वितरण और सामान्य तकनीकी सुधार के द्वारा कुशलता बढ़ाने वे व्यावहारिक उपाय बता सकते हैं। इसी प्रकार श्रमिकों के स्वाभाविक नेता वे रूप मे श्रमिक संघ समुक्त उत्पादन मिमितियों, कार्य-परिषदों आदि को जो उत्पादन-कुशलताके सुधार मे श्रमिकों के भाग लेने का साधन हैं, वास्तविक रूप से प्रभावशाली बना सकते हैं क्योंकि वे विभिन्न सुधारों के सबध म गहनतापूर्वक विचार करने के लिए श्रमिकों को प्रोत्साहित कर सकते हैं और उन्हे अपने विचार व्यवस्थित तथा सक्षित रूप मे प्रस्तुत करने मे सहायता दे सकते हैं। ऐसे म 'स्टखानोव आदोला' (Stakhanow Movement) जिसका इस देश के आर्थिक नियोजन की सफलता मे महत्वपूर्ण योगदान था, बहुत सीमा तक श्रमिकों की सहभागिता पर ही निर्भर था जो कार्य वे विरिठ फ तरण और उनके द्वारा सुझाए गए सामन्य तकनीकी अविळकारों के प्रयोग के द्वारा उत्पादकता बढ़ाने और लागत घटाने के सबध मे उपलब्ध हुआ था।¹

पूजी निर्माण के सबध मे भी श्रमिक संघ (अ) अल्प व्यवत योजनाओं का प्राप्तसाहृदय देकर, (ब) सड़क निर्माण तथा इसी प्रकार की प्रयोजनाओं के लिए ऐच्छिक श्रमिक दलों का संगठन करके, तथा (स) अनिवार्य व्यवत जैसी योजनाओं को श्रमिकों द्वारा स्वीकृति दिलवाकर महायक सिद्ध हो सकते हैं।

श्रमिक संघ आर्थिक विकास एक अन्य योगदान श्रमिकों को औद्योगिक जीवन से सम्बन्ध और स्वीकृत करने की प्रक्रिया मे सहायता देकर कर सकता है। बारण यह है वि उद्योगों भ अधिकाश श्रमिक गाव से आते हैं और उन्हे इस सबध मे कोई जानवारी नहा होती कि विरिठ कमचारियों और साधियों से कैसा व्यवहार दरना चाहिए, अनुशासन एव नियमितता का उद्योग मे वया महत्व है, वह अपन को एक अन्य अजनवी जगह म खोया खोया सा पाता है। बारबाने के बाहर का बातावरण भी उसे पराया भालूम होता है। श्रमिकों के औद्योगिक जीवन मे समायोजन और अनुशासन या यह अभाव आर्थिक विकास के लिए बहुत ही स्तरनाक है क्योंकि आर्थिक विकास के लिए एक अनुशासित और लगभग स्थायी श्रम शीकित वा होना आवश्यक है। अतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन निवेशक न अनराष्ट्रीय श्रम सम्प्रेक्षन की 36 वीं बैठक के अवसर पर विचार व्यवत किया था "श्रमिक संघ एक जीवन औद्योगिक समाज की रचना करन और ग्रामीण समुदाय से हाल मे भए द्वारा श्रमिकों को औद्योगिक जीवन की परिस्थितियों के माध्य सामजन्य की स्थिति आने मे एक वित्तियासी उपक्रम के रूप मे कार्य कर सकता है।" इस तरह का बातावरण उत्पन्न करने के लिए श्रमिक संघ सिद्धा और मनोरंजन के समुक्त केंद्र खोल सकते हैं।

1. Maurice Dobb : Soviet Economic Development since 1917, p 429.

जो ग्रामीणों को नए जीवन के आदर्शों और आवश्यकताओं से अवगत कराने के साथ-साथ ग्रामीण समाज में प्राप्त होने वाले मनोरंजन के साधनों का स्थानापन भी उपलब्ध करेंगे जिसके लिए उन्हे संघ के चदे के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं देना होगा। श्रमिक संघ श्रमिकों और अपने धर बनाने में महायता करने के लिए सहकारी गृह-भूमितिया भी स्थापित कर सकते हैं। श्रमिक संघ अन्य कल्याणकारी उपायों द्वारा भी समन्वय की इस प्रक्रिया को सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

अद्वै विकसित देशों में श्रम संघों का समठन व्यक्ति-प्रणाली इस प्रकार की नहीं है कि वे विकास में बहुत अधिक सहायक हो सकें। वस्तुत वे विकास के प्रारंभिक घरणों में बाधा या गतिरोध ही उत्पन्न कर देते हैं। इन देशों में श्रम-संघों की वित्तीय स्थिति घोचनीय होती है, श्रम संघों में समुक्त प्रयत्न और एकता का अभाव रहता है, उचित नेतृत्व का अभाव रहता है, सदस्यों की सख्ती कम व अस्थिर रहती है, श्रमिकों में अनुशासनहीनता रहती है। अधिकारा श्रमिकों में अपने नेताओं के प्रति सद्भावना नहीं होती तथा श्रम संघ कल्याण के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते हैं। इन देशों में इन सब दुराइयों की जड़, श्रमिकों में अशिक्षा अज्ञानता, रुद्धिवादिता, निर्बन्धता, शृणग्रस्तता, वेरोजगारी और जनसख्ता की वृद्धि है।

यदि अद्वै विकसित देश औद्योगिक इटिट से समृद्धशाली बनना चाहते हैं तो उन्हे श्रमिकों के समठनों को मुदृढ़ और सुमरणित करना होगा। औद्योगिक विकास के लिए श्रमिकों के प्रति विश्वास और सहानुभूति का इटिकोण जपनाना होगा। श्रमिकों की हितों की रक्षा करने और उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ श्रम समठन नितात आवश्यक है।

सबथी वेब का मत है कि श्रम संघवाद के निम्नलिखित तीन सिद्धांत हैं—

१ अपने स्वार्थ की भावना का सिद्धांत (The doctrine of vested interest) इसके अत्यंत श्रम संघ राज्य का सरकार चाहते हैं, नई प्रविधियों का विरोध करते हैं और भिन्न भिन्न श्रम संघों में अतर बनाए रखते हैं।

२ मांग और पूर्ति का सिद्धांत (The doctrine of supply and demand) इसके अत्यंत श्रम संघ सामूहिक सादेवाजी, मजदूरी, सरचना, हड्डाल तालाबदी, उत्पादन को जानबूझ कर कम रखने का प्रयत्न करते हैं या किर उत्पादन बढ़ाने में सहायक होने आदि जी और अधिक ध्यान देते हैं।

३ सुधारक के सिद्धांत (The doctrine of improvement) इसके अत्यंत श्रम संघ श्रमिकों की कार्यकुशलता और मजदूरी बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं तथा कार्य करते की परिस्थितियों में सुधार की मार्ग करते हैं।

सिड्नी ब वेब का कथन है कि श्रम संघों को प्रथम सिद्धांत को छोड़ देना चाहिए, द्वितीय को मशोधित रूप में अपनाना चाहिए और तृतीय कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए।

द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरात दो नवीन सिद्धांत और प्रचलित हुए हैं (अ) महभागिता का सिद्धांत (The doctrine of Partnership) और (ब) तमाजवाद

का सिद्धात् (The doctrine of socialism)

(१) सहभागिता सिद्धात की मान्यता है कि श्रमिकों को उद्योग का सहभागी समझा जाना चाहिए और प्रबंध व्यवस्था आदि में उनकी सलाह ली जानी चाहिए। सामूहिक सौदेबाजी, समझौता प्रणाली आदि के प्रचलन में यह सिद्धात अधिक सफल हुआ।

(ii) समाजवाद सिद्धात के अनुमार प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार है और बीमारी, अवकाश, वृद्धावस्था का प्रबंध, समान कार्य के लिए उचित मजदूरी तथा असमर्थता के लिए उचित व्यवस्था का भी अधिकार है। श्रमिक और प्रबंधक का उद्देश्य एक ही होता है अर्थात् समाजवादी समाज की स्थापना करना तथा घन का समान वितरण एवं मुक्तिपात्रों का समान आवटन करना।

इन सिद्धातों की महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन सिद्धातों न श्रम आदोलन मशक्त करने में सक्रिय योगदान दिया है तथा इनके आधार पर चार प्रमुख नामे प्रचलित हैं—राजकीय हस्तक्षेप, सामूहिक सौदेबाजी, प्रजातंत्र तथा समाजवाद।

सामूहिक सौदेबाजी या संघ तथा मजदूरी

(Collective Bargaining of Trade Unions and Wages)

श्रमिक संघों का प्राथमिक उद्देश्य श्रमिकों को उनित मजदूरी दिलाना है इसलिए मजदूरों का प्रश्न श्रमिक संघों के लिए एक प्रधान विचारणीय विषय है। प्राय यह विश्वास किया जाता है कि श्रमिक संघ श्रमिकों की सोदा करने की शक्ति में वृद्धि करके मजदूरियों बढ़ा सकते हैं। बिना प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने श्रम संघों की उपयोगिता का स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि उनके मतानुसार श्रम संघ श्रमिकों की कुशलता और मजदूरी में कमी लाते हैं। थोड़ी वेब वे दब्दों में 'श्रमिक संघवाद' उन शोषण करने वाले उद्योगों में एक ऐसे बुनक को जन्म देता है जिससे निरंतर पारिश्रमिक की दर में धीरे-धीरे कमी होते रहने से कार्य की किस्म में अनिवार्य गिरावट आती है और उत्पादक पदार्थों के गुण में अपेक्षित व्यापक वृद्धि नहीं होती।¹ इस प्रकार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने यह तर्क किया कि श्रमिक संघ मजदूरियों के स्तर को बढ़ाने में जोई सहायता नहीं कर सकते। उनके मतानुसार श्रमिकों की मजदूरी को केवल सामाजिक बढ़ाया जा सकता है। सामाजिक बढ़ाया जा सकता है। लाभ में कमी करने से ओद्योगिक बायं-विषय में कमी की जाएगी जिसके फलस्वरूप श्रमिकों के लिए मार्ग भी कम हो जाएगी। इस प्रकार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मतानुसार या तो यही ही मजदूरियों स्वीकार होनी अवश्य बेरोजगारी का सामाजा करना होगा। अतः इस दृष्टिकोण के अनुसार श्रमिक संघ मजदूरियों में स्थायी वृद्धि नहीं करा सकते।

1 The Webb's Industrial Democracy, p. 416.

आधुनिक अर्थशास्त्री यह स्वीकार करते हैं कि धर्मिक संघों द्वारा मजदूरियों में कटौती का जो विरोध किया जाता है, वह न्यायसंगत है, क्योंकि मजदूरी में कमी का साधारणतया रोजगार की बृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्र०० जे०० एम० कीस्स ने उचित ही लिखा है, "प्रत्येक धर्मिक संघ मौद्रिक मजदूरियों में कटौती का, चाहे यह कमी कितनी ही अल्प क्यों न हो, विरोध करेगा। चूंकि कोई भी धर्मिक संघ जीवन-निवाह संगत के बढ़ जाने के प्रत्येक अवसर पर विरोध करने की कल्पना नहीं कर सकता। इस-निए य कुल रोजगार में किसी बृद्धि के विरुद्ध कोई रोड़ा नहीं अटकाते, जैसाकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने आरोप लगाया है।"

धर्मिक संघ मजदूरिया स्थाई रूप से बढ़वा सकते हैं या नहीं, इस प्रश्न का अध्ययन हम इस प्रकार कर सकते हैं—

- 1 उद्योग विशेष की दृष्टि से, और
- 2 संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से।

1. उद्योग विशेष की दृष्टि से

अम संघ विशेष उद्योग में मजदूरी दर में बृद्धि लाने में सफल हो सकते हैं किन्तु उनकी सफलता मुख्यतः निम्नलिखित घटकों में प्रभावित होती है—

(अ) वस्तु की माग लोच का स्वरूप अम की माग अम के द्वारा उत्पादित वस्तु की लोच पर निर्भर करती है। यदि उद्योग विशेष द्वारा बनाई गई वस्तु की माग बेलोचदार है तो ऐसी स्थिति में उत्पादक बल्तु की कीमत में बृद्धि कर सकता है। इस दशा में यदि धर्मिक संघ मजदूरी के लिए उत्पादकों को वाध्य करते हैं तो उत्पादक को अम संघ की माग को स्वीकार करने में अधिक हिचकून नहीं होगी। क्योंकि उत्पादक मजदूरी में बृद्धि के अनुपात से वस्तु की कीमत में बृद्धि कर सकता है। इसके विपरीत यदि वस्तु वी माग लोचपूर्ण है तो उत्पादक धर्मिक संघ की अधिक मजदूरी की माग स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी दशा में वस्तु की कीमत बढ़ाने से वस्तु की माग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सभावना होती है।

(ब) कुल लागत में मजदूरी का अश यदि किसी उद्योग में कुल लागत में यजदूरी का एक बहुत थोड़ा अश है तो उत्पादक को उन धर्मिकों के बांग को ऊची मजदूरी देने में अधिक कठिनाई नहीं होगी। इसके विपरीत यदि कुल लागत में मजदूरी का अश अधिक है तो उत्पादक मजदूरी की दर बढ़ाने में हिचकेंगे।

(स) अम का अन्य साधनों द्वारा प्रतिस्थापन यदि धर्मिकों के विनेप बांग की माग बलोचदार हो अर्थात् उस विशेष बांग के धर्मिकों की अन्य उत्पादन के साधनों द्वारा प्रतिस्थापन की सभावना दूर्घट्य हो तो उत्पादक अधिक मजदूरी देने के लिए बाध्य होगा। इसके विपरीत यदि उत्पादन किया में धर्म की मात्रा का प्रतिस्थापन किया जा सकता है

तो अधिक संघ द्वारा अधिक मजदूरी की मांग किए जाने पर उत्तरादनकर्ता थम का किसी अन्य साधन के द्वारा प्रतिस्थापन कर लेगा और अधिक मजदूरी नहीं देगा।

अधिक संघों द्वारा मजदूरी में बढ़िया के तरीके : उपर्युक्त दशाओं के अंतर्गत किसी उद्योग विशेष में अधिक संघों द्वारा मजदूरी में बढ़िया हेतु निम्नसिखित तीन विधियों को अपनाया जाता है—

1. थम की पूर्ति पर प्रतिबंध : थम का मूल्य उस स्थान पर निश्चित होता है जहाँ थम की मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। यदि थम की पूर्ति कम हो जाती है और थम वक्र पीछे भी आगे विवरित हो जाता है तो सतुलन थम की मांग वक्र पर ऊचे बिन्दु पर होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मजदूरी दर पहले से अधिक हो जायेगी। स्पष्टतः अधिक संघों द्वारा थम की पूर्ति में प्रतिबंध लगाकर, मजदूरी में बढ़िया की जा सकती है। अधिक संघ किसी उद्योग विशेष में थम की पूर्ति अनेक तरीकों द्वारा घटा सकते हैं—जैसे विदेशों से अधिकों के आने पर प्रतिबंध लगाकर, अधिकतम काम के घटे सबधी कानून बनाकर तथा नए सदस्यों की भर्ती पर रोक लगाकर। इसके अतिरिक्त अधिक संघ अनेक जटिल विधियों द्वारा भी थम की पूर्ति को रोक सकती है जैसे बाम की अधिकतम मात्रा निर्धारित करना। सैम्प्रलसन 'Feather-bidding Labour Practice' कहते हैं।¹

2. मानक मजदूरी (Standard Wages) दर में बढ़िया करके : अधिक अपों द्वारा स्वयं थम की पूर्ति पर प्रतिबंध लगाने की विधि का उद्योग बहुत कम किया जाता है। अधिक संघों का उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से मानक मजदूरी दर में बढ़िया करना होता है और यदि अधिक राध इसमें सफल हो जाता है तो भेवायोजकों द्वारा थम की नियुक्ति में वर्षी कर दी जाती है। वास्तव में अधिक संघ हड्डीतान करके अधिक सरकार द्वारा दबाव ढनवाकर मजदूरी-दर में बढ़िया करने में सफल हो सकते हैं परंतु जैसा हमने ऊपर कहा कि भेवायोजक ऊची मजदूरी की दर पर अधिकों की सख्त्या कम कर देगा विस्तर से अनेक अधिक रोजगार में विवित रह जाएगे।

3. थम की मांग में बढ़िया थम की मांग व्युत्पन्न मांग है जौर उत्पादकता में कारण उत्तरादन होती है। थम की सीमात उत्पादकता में बढ़िया वे माथ-माथ स्वभावतः थम की मांग में बढ़िया हो जाती है। अधिक संघ अनेक प्रकार की बन्दाण-जारी योजनाओं जैसे शिक्षा, वाकास व्यवस्था, चिकित्सा और मनोरजन की मुद्रिधा आदि द्वारा अधिकों की सीमात उत्पादकता में बढ़िया कर नहते हैं। इसी प्रकार अधिक संघ अपने उद्योग की वस्तुओं के विकास में महायना द्वारा या सरकार द्वारा अपने उद्योग की सरकार दिलदार वर अथवा उद्योग के ऊचा एकाधिकारी मूल्य दराएँ रखने में महायना देवर वस्तु की बीमत ऊची रखने में सफलतापूर्वक प्रयासशील हो सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप थम की सीमात आगे उत्पादकता में बढ़िया प्राप्त करना समझ हो सकता है।

सैम्प्रलसन ने "ह शप्ट कर दिया है" उन्नर्युक्त तीनों विधियां दूसरे में

सबृहित है और श्रमिक संघ तीनों विधियों वो एक साथाउपयोग में लाकर भी मजदूरी वृद्धि का प्रयास कर सकती है।

संपूर्ण अर्थव्यवस्था

संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से श्रमिक संघ मजदूरी की दर में वृद्धि नहीं करा सकते। यह धारणा मजदूरी के सीमात उत्पादकता सिद्धात पर आधारित है। यदि सामूहिक सौदेबाजी के परिणामस्वरूप मजदूरी में सीमात उत्पादकता से अधिक वृद्धि प्राप्त कर सकी जाती है तो इसके निम्नलिखित दो परिणाम होंगे—

- (अ) उत्पादकों के साम भी कमी,
- (ब) वस्तुओं की कीमत में वृद्धि।

इन दोनों ही परिस्थितियों में श्रम की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फलत, रोजगार की मात्रा और मजदूरी की दर में कमी आ जायेगी। इस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मजदूरी सीमात उत्पादकता के बराबर हो होगी।

थ्रम संघों की मजदूरी-वृद्धि की सीमाएँ उपर्युक्त विवेचन में स्पष्ट हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सामूहिक सौदेबाजी के प्रयासस्वरूप मजदूरी की दर श्रम की सीमात उत्पादकता के बराबर हो सकती है। इसके विपरीत श्रमिक संघ किसी विशेष बगं के श्रमिकों को मजदूरी की दर में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं परतु अनुकूलतम दशाओं में भी श्रमिक संघ पूर्ण रूप से प्रभावशाली नहीं होने। श्रम के विशेष बगं को मजदूरी भी असीमित मात्रा में नहीं बढ़ाई जा सकती। इसकी शक्ति पर मुख्यतः निम्नलिखित सीमाएँ हैं—

1. विभिन्न श्रमिक संघों के हितों में विरोध एक देश में बनेक श्रमिक संघ पाए जाते हैं और प्रत्यक्ष श्रमिक संघ यही चाहता है कि उसके सदस्यों की मजदूरी बढ़ जाए और सामान्य मूल्य स्तर स्थिर रहे। ऐसा उसी समय सभव है जबकि एक श्रमिक संघ के सदस्यों की मजदूरी लो बढ़ जाए परतु श्रमिक संघों के सदस्यों की मजदूरी यथास्थिर रहे। परतु यथार्थ में यदि एक श्रमिक संघ मजदूरी वृद्धि में सफल हो जाता है तो अन्य संघ भी मजदूरी वृद्धि का प्रयास करने लगते हैं। यदि उसी श्रमिक संघ मजदूरी वृद्धि में सफल हो जाते हैं तो सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाएगा और मजदूरी में वृद्धि का वास्तविक लाभ किसी को भी प्राप्त नहीं होगा।

2. श्रम संघ की शक्ति श्रमिक संघ उसी दशा में ही शक्तिशाली हो सकता है जबकि उस उद्योग विशेष के अधिकारा श्रमिक उसके सदस्य बन जाए और समर्थित होकर कार्य करें। यदि श्रमिक संघ में कुछ ही सदस्य हैं तो हड्डताल अवधा अन्य किसी शमझी का सेवायोजक पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि श्रम संघ के सदस्यों में एकता के स्थान पर फूट रहती है तो सेवायोजक सदा विभिन्न सदस्यों वो आपस में ही संघर्षत रहने में सफल हो जाएगा।

3 थ्रिमिक संघ की भार्यिक हितति : थ्रिमिक संघ की सौदेशजी वरने की शक्ति संघ वी आधिक हितनि पर भी निर्भर करती है कि हड्डताल करने वाले थ्रिमिक कितने दिन तक अपना और अपने परिवार का पागन-नोपण पर सहते हैं। यदि आधिक हिट में थ्रिमिक संघ कमज़ोर हैं तो भूखलमरी वी हि अनेही वे मेवायोजक के सामने घुटने टेक देंगे। इस प्रवार आधिक र प से नक्किनगाची मध्य उत्पादक एवं साहगकर्त्ता वर्ग से सौदेशजी म जरनी शर्त मनवाने में रक्षा हुन रक्ती दसा मे होता है।

थ्रिमिक मण्डनो मे हानिया

थ्रिमिक संघ का अर्धव्यवस्था मे महत्वपूर्ण स्थान होने के साथ-साथ थ्रिमिक मण्डन न कुउ हानिया भी है—

1 औद्योगिक असाति की आशका कभी-कभी थ्रिमिक संघों के नेता अपना स्वार्थ सिद्ध परने के लिए थ्रिमिकों को चुनाव देकर उनको हड्डताल करने के लिए विवर करते हैं। इसका परिणाम पह होता है कि औद्योगिक असाति फैलती है, उत्पादन स्तर मे गिरावट जाती है। फक्त राष्ट्रीय आय मे भी कमी हो जाती है।

2 थ्रिमिकों की दलबदी, थ्रिमिकों के बीच दलबदी की भावना को बढ़ावा देने है। थ्रिमिक संघ की जो आर्यकारिया होती है उसम चुनाव वे वारण थ्रिमिकों मे गुरुदी जादि हो जाती है जिसने वारण थ्रिमिक संघ रव्वस्थ रूप न बायं नही कर पाते।

3 स्वार्थसिद्धि के साधन थ्रिमिक संघों के नेता बेत्तल गजनीलि स्वार्थ निर्द वरने के उद्देश्य स इनका नेतृत्व करते हैं परतु वास्तव मे इनका थ्रिमिक स नाईक महान्-भूति नही होती।

4 पदतोनुपत्ता को भावना यह देखा गया है कि नम गधों के विभिन्न नेता न म प्राय पदतोनुपत्ता के सिए सघर्ष होते रहते हैं जिसन थ्रिमिक वर्ग का अहित होता है और थ्रिमिक आदोलन की जड़े कमज़ोर हो जाती हैं।

5 पार्यं-क्षमता व जीवन-स्तर मे गिरावट औद्योगिक असाति, हड्डताल व दलबदी वी व्यवस्था मे थ्रिमिक निर्माण कार्य वरने मे जममर्य रहते हैं और उन्हें मज़-दूरी न मिलने से वारण उनकी आधिक हितति यराब हो जाती है तथा जीवन-स्तर गिर जाता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि थ्रिमिकों की कार्य-क्षमता मे कमी आ जाती है।

6 आधिक विहास मे गतिरोध थ्रिमिक संघ कभी-कभी आधिक विहास मे रोहा जाता है। तब वे मनदूरी चाहान की अनुचित भाग वे लिए दबाव ढानते हैं। सास-गोर न जब अर्थध्यवस्था मे मुद्दा स्थिति के दबाव का प्रारभ दिखाई देता है।

निष्ठार्थ : यदि हम ऊर बनित थ्रिमिक संघों के दोपो पर गभीरता गे मनव करें तो हमे विदिन होगा कि वे थ्रिमिक मण्डन की जुटिया न होते हुए उनके नेताओं के दाव हैं। जो अपने सुगठन के उद्देश्यो से विशित होकर स्वार्थ साथक बन जाते हैं। वस्तुत थ्रिमिक संघ समाज एवं देश के सिए बह्यानकारी सत्या है।

भारत में श्रमिक संघ आंदोलन का इतिहास

भारत में श्रम संघ आंदोलन का विकास पूजीवाद को प्रोत्साहित करने वाले औद्योगीकरण के फलस्वरूप हुआ है। भारतीय श्रम संघ आंदोलन के पिता एन० एम० जोशी ने कहा था कि स्वतंत्र प्रतियोगिता और पूजीवादी नियन्त्रण की बर्तमान ओटो-गिक व्यवस्था के अतिरिक्त सेवायोजकों और कर्मचारियों की अभिस्वच्छियों में स्पष्ट संघर्ष है। श्री जोशी का यह मत कालं मार्कमं के इस विचार के सदृश ही है 'श्रमिक संघ प्रारंभिक स्थिति में श्रमिकों द्वारा पूजीवादी स्पर्धा को दूर करने अथवा कम से कम एसो अनुबंधित तर्कों को जो उन्हें नाम गुलामों की स्थिति से आगे बढ़ा सकती है, प्राप्त वरन के लिए इसे नियन्त्रण करने हेतु स्वतंत्र किए गए प्रयत्नों के फलस्वरूप विकसित हुए हैं।'

भारत में आधुनिक अर्थ में श्रीपक्षीक संघ आंदोलन का दिकास 20वीं शताब्दी के आरम्भ से होता है। यद्यपि इनके बहुत निःसंदेह 19वीं शताब्दी के अंत में अकुरित हो चुके थे। सुविधा की दृष्टि से भारतीय श्रम आंदोलन को निम्न चार कालों में विभाजित किया जा सकता है—

1 श्रम संघ आंदोलन का प्रारंभिक (1875-1900) अन्य देशों की तरह भारतवर्ष में भी श्रमिक आंदोलन का जन्म एवं विकास औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप हुआ। सर्वप्रथम 1875 में बबई में सोराबजी शाहपुर ने श्रम की दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इसी वर्ष बबई में कारखाना आयुक्त नियुक्त किया गया। सन् 1881 में कारखाना अधिनियम बना। सन् 1884 में द्वितीय बबई कारखाना के आयुक्त नियुक्त हुए। सन् 1884 में नारायण मेधा जी लोखाडे ने बबई के मजदूरों का एक मम्मेलन बुलाया था और उन्होंने ही 1890 में बॉम्बे मिल हैंड एमोसिएशन नामक मजदूरों का एक संगठन स्थापित किया। इस संघ की स्थापना से भारतीय श्रमिकों में श्रम संघ का इतिहास आरम्भ होता है। इसी समय श्री लोखाडे ने दीनबंधु नामक एक पत्र निकाला जिसके माध्यम से श्रमिकों की मांगों को उनके अधिकारियों व सरकार तक पहुंचाया जाता था। सन् 1881 में कारखाना अधिनियम पास हुआ। सन् 1897 में कारखाना अधिनियम समिति बनी। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के अंतम चरण में भारतवर्ष में श्रमिक संघों का जन्म हुआ। परंतु इस समय के श्रमिक संघ समुचित रूप से मन्दिर नहीं थे।

श्रम संघ आंदोलन के प्रथम चरण की मुख्य विशेषताएं संक्षेप में इस प्रकार थीं—(अ) श्रमिकों में यह भावना उत्पन्न नहीं हो पाती थी कि आंदोलन के द्वारा उन्हें अपने जीवन में क्रातिकारी सुधार लाना है, (ब) यह आंदोलन स्वतंत्र ही विकसित हो गया था। इसका विकास विभिन्न भारतीय उद्योगों में समान रूप से नहीं हो पाया था (स) श्रमिक संघ समुचित रूप में संगठित नहीं थे।

2 श्रम संघों की धीमी प्रगति का पूरा सन् 1904 में अवैधी आंदोलन व फलस्वरूप श्रमिकों में ग्रजनीनिक चेतना उत्पन्न हुई जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में श्रमसंघों की स्थापना हुई जैसे—सन् 1903 में पिंडी खुनियन कलाकना सन्

1907 में दोन्हे पिटसं यूनियन, सन् 1909 में कामगर हितवर्धक सभा और सन् 1910 में सोशल सर्विस लोग आदि। इन्ही सभी प्रयत्नों का परिणाम या कि 1911 में पुनः कारखाना अधिनियम पारित किया गया।

प्रथम विश्वयुद्ध के समय कीमतें बहुत बढ़ गई थीं जबकि श्रमिकों की मजदूरी में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई थी। इस महाराई के कारण श्रमिकों में बहुत असतोष था। इसी समय हमारे कुछ राजनीतिक नेताओं ने भी श्रमिकों के सागठन में इच्छा दिसुक्षाई। उदाहरण बैलिए लोकमान्य तिलक, एनीमेसेंट और महात्मा गांधी ने जो बांदोलन चमाएँ, उनमें भारतीय श्रमिक संघ आदोलन दो प्रेरणा मिली। देश में राजनीतिक जागृति और सन् 1917 में रुसी जाति ने भी श्रमिकों को संगठित होने के लिए उत्साहित किया और थम संघों के विकास के लिए उन्नित बातावरण तैयार किया।

यह उल्लेखनीय है कि अभी तर थम संघों ने केवल वैधानिक तरीकों पर ध्यान दिया। वस्तुत श्रमिक संघ श्रमिकों ने नहीं बल्कि श्रम नेताओं के सागठन 'से जो समाज-सुधारक होंगे वे नाते श्रमिकों के कल्याण के लिए व श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए प्रयत्न दीन्दे।

3 थम राघों की तेज प्रगति का पुण प्रथम महायुद्ध के पश्चात् देश में थम संघ आदोलन का तेजी में विकास हुआ। सन् 1918 में पद्मास थम संघ द्वी स्थापना हुई। मूर्ती मिलों में काम करने वाले प्राय सभी श्रमिक इस संस्था वे सदस्य बन गए। सन् 1920 में आत इंडिया ट्रेड प्रूनियन दाप्रेस द्वी रथापना हुई ताकि यह श्रमिकों के हितों को रक्षा कर सके। 1921 के गांधी ची के असहयोग आदोलन का प्रभाव भी ब्रिटिश श्रमिकों पर काफी गहरा पड़ा। उन्होंने प्रप्राप्त के फलस्वरूप अहंप्रदावाद वस्त्र थम संघ द्वी स्थापना हुई। इस सागठन ने श्रमिकों द्वारा जापें वे अहिंसारपक वस्त्र से निपटाने पर अधिक बल दिया। सन् 1919 और 1923 के बीच अनेक थम संघों की स्थापना की गई कि तु उनक मध्यूष अनेक कठिनाइयां थीं, जैसे—निरिचित संविधान का अभाव, वैसे की मूर्ती पश्चिमारिया में काम के उन्नित विभाजन का न होना आदि के कारण इन्हें सफलता प्राप्त न हो सकी। कुछ थोड़े से थम संघ व्यवस्थित थे जैसे अमरेशदपुर थम संघ, दर्दी मूर्ती वस्त्र संघ, गिरनी कामगर मध्य महल बदई आदि। इसके सदस्यों की संख्या हुई हजार। से अधिक थी। सन् 1922 में तीन महन्तपूर्ण सागठनों की स्थापना हुई—श्रमिक समिति, आत इंडिया रेलवे फोटोरेशा तथा आत इंडिया पोर्ट एंड टेलीशाफ मैन फोहरेंग। 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पास हुआ जिसमें पंजीकृत मजदूर श्रमिकों द्वारा बानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। भारतीय थम संघ के आदोलन के इतिहास में इन अधिनियम का प्रभाव अत्यधिक रूप से रहा। इसके साथ ही श्रमिकों के संघों का पञ्चीयन भी प्रारम्भ हो गया और थम गपों के निर्माण में तेजी आई। सन् 1926 के बाद थम आदोलनों द्वा नतुर साम्यवादियों के हाथ में पहुच गया। ये साम्यवादी थम गप आदोलन द्वी लाड में जपना स्वार्थ मिल करने लगे। सन् 1926 में थम आदोलन में दो दम हो गए। एक साम्यवादियों का और दूसरा सुधारवादियों का। दोनों दमों में गुला मपर्यं हाना रहा और थोड़ हटानें भी हुईं। सन् 1928 में सरिया में साम्य-

बादियों ने अधिल भारतीय थम संघ कांग्रेस पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। इससे सरकार सतर्क हुई और अनेक साम्यवादियों को गिरफ्तार किया गया तथा उन पर मुद्रादमा चलाया गया और अनेक साम्यवादी नेताओं को अनेक बर्याँ तक कारागार में रहना पड़ा। थमिकों की समस्याओं के मुधार द्वारा दृष्टि से 1928 में शाही नीतिशन की नियुक्ति की गई। 1929 में अधिल भारतीय थम संघ कांग्रेस का दसवां अधिवेशन नागपुर में हआ जिसके परिणामस्वरूप आल इंडिया ट्रेड यूनियन फैडरेशन की स्थापना हुई। इमने थमिकों वे हितों की रक्षा के लिए अपेक्षाकृत अधिक रचनात्मक नीति अपनाई।

4 बर्ग चेतना व एकता का युग : थम संघ आदोलन को बौद्धी अवस्था 1930 से आरंभ होती है। जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आदोलन झुक किया था तो इस आदोलन को सफल बनाने के लिए नेताओं न थमिकों की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। साथ ही मदी के कारण अनेक थमिकों को निकाल दिया गया तथा जाम पर लग थमिकों की मजदूरी में बढ़ोती की गई। थमिकों ने इसके प्रियद्वारा आवाज उठाई और हड्डताले की, परतु अमगठन के कारण उन्हे अधिक सफलता नहीं मिली। इस अवस्था की प्रमुख बातें इस प्रकार है—(अ) 1931 में आल इंडिया ट्रेड यूनियन बाद्रस के कलकत्ता अधिवेशन में पुनर्फूट पड़ गई और देशपाडे तथा खाडे के नेतृत्व में अतार में इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई जो सन् 1932 में पुनर्जन्म लिया गया। (ब) रेलवे से काम करने वाले थमिकों ने अपना अलग संगठन बना लिया। (स) 1933 में नेशनल ट्रेड यूनियन फैडरेशन नामक नई संस्था का जन्म हुआ। (द) 1938 में नेशनल ट्रेड यूनियन फैडरेशन और नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस वा विलयन हो गया। (ए) 1935 में देश में राजनीतिक सुधार लाने के उद्देश्य में एक नया कानून दनाया गया जिसके अनुसार प्राप्तों को अधिक मात्रा में राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए। सन् 1965 के कानून के अतर्गत थमिकों के लिए निवाचिन थेत्र का प्रावधान किया गया और लोकप्रिय सरकार के गठन के पश्चात् थम कल्याण संबंधी नीतियों वा निर्माण किया गया। (र) 1939 में आल इंडिया ट्रेड यूनियन बांग्रेस ने बधाई थेत्र में भारतवर्ष छारा द्वितीय महायुद्ध के सहयोग प्रदान करने के सबै में उदासीनता के निर्णय पर उद्य बादियों को एम० प्ल० राय के नेतृत्व में इस संगठन से अलग होना पड़ा। इन लोगों ने इंडियन फैडरेशन ऑफ लेबर का निर्माण किया। (ल) 1944 में भारत सरकार ने यह स्वीकार किया कि आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और इंडियन फैडरेशन ऑफ लेबर के प्रतिनिधि बारी बारी से प्रतिनिधि अतर्राष्ट्रीय सभा में भाग लें। (व) युद्धवान में थमिकों से अधिक भयोग प्राप्त करने के लिए सरकार ने प्रतिरक्षा नियम पास कर दिया और समुक्त सलाह की आयश्यकता को स्वीकार किया तथा कल्याण समितियों की स्थापना की। (श) सन् 1944 में सरकार ने थम से सबैधित विभिन्न मामलों की जाच करने के लिए थम जाच समिति की स्थापना की। (ए) सन् 1946 में आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस व इंडियन फैडरेशन ऑफ लेबर में प्रतिनिधित्व के मामले को लेकर शक्ति प्रदर्शन हुआ जिसमें आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की विजय हुई।

संघेप में श्रम संघ आदोलन की तौरी अवस्था की विशेषताएँ इस प्रकार थी—

(अ) अमिको में एकता और जागरूकता की भावनाओं का अधिक विकास हुआ। (ब) जनता में श्रम समस्याओं के समाधान के प्रति जागरूकता का विकास हुआ। (स) द्वितीय महायुद्ध के कारण श्रम संघ आदोलन को अधिक सफलता मिली। (द) अमिको की दशाओं का अध्ययन करने के लिए पहली बार कल्याण समिति की स्थापना हुई।

5 1947 से यर्तनान समय तक भारतीय श्रम आदोलन के इतिहास में आपूर्तिक बाल स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद प्रारंभ होता है। 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस ने शासन-सूत्र अपने हाथ से लिया लेकिन स्वतंत्रता के बाद देश में बही भारी मात्रा में हड्डताले हुईं। इसका कारण यह था कि अमिक मजदूरी और कार्य की अच्छी दशा ए प्राप्त कर सकेगा, पूरी नहीं हो सकी। अमिको की समस्याओं पर नियन्त्रण पाने के उद्देश्य से 1947 में औद्योगिक बाल विवाद अधिनियम पारित किया गया जिसमें भारत मुरश्दा कानून को हड्डताल सबधी घाराएँ सम्मिलित की गईं। सन् 1948 में पुनः एक विभाजन हुआ। समाजवादी अलग हो गए और उन्होंने हिन्दू मजदूर समा के नाम से अपना एक अलग संगठन बनाया। 1949 में प्रौ० के० टी० शाह और श्री एम० के० बोस ने संयुक्त श्रम संघ कांग्रेस के नाम से अलग संगठन की स्थापना की। अद्वित भारतीय रेलवे कर्मचारी संगठन पर समाजवादियों का अधिकार हो गया और इसका परिणाम यह हुआ कि श्री जयप्रकाश नारायण उसके सभापति हुए। श्री हरिहरनाथ शास्त्री की अध्यक्षता में रेलवे कर्मचारियों का एक और संगठन बना जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारी संगठन रखा गया।

श्रम और पूजी के सबधो में एक नया मोड़ 1967 के चुनाव के बाद आया जब बहुत से राज्यों में कांग्रेस सरकार हार गई। फलत वह राज्यों में मिली जुली सरकारें बनाई गईं जिनमें साम्बद्धवादी दर्शाण पथी एवं बाम पथी दोनों ही सम्मिलित थे और श्रम वे सबध में इनकी नीति अत्यत उप्रयोगी। पश्चिमी बगाल में सरकार ने अमिकों को अत्यधित उत्तेजित किया जिसके परिणामस्वरूप अग्निकाट, गोलावादी इत्यादि हिंसात्मक घटनाओं के परिणामस्वरूप 1967 और 1968 ने पश्चिमी बगाल में बनेह चंडोल बद हो गए और जन-जीवन भी स्कट में पड़ गया। इसी समय से अमिकों ने अपनी मांग मनवाने की एक उप्र प्रणाली को काम भे लाना सुरु किया जिसे घेराव कहते हैं। श्री वी० वी० गिरि का मत है कि यह प्रणाली श्रम आर्द्धोलन के लिए बही घातक है। घेराव के अत्यंत मजदूर एकत्र होकर कारताने के अधिकारियों को घेर कर कंद कर लेते हैं और इस प्रकार उन्हें बाल्य करते हैं कि उनकी झाँगें मान ली जाएँ।

भारत में मजदूर संघ आदोलन की प्रगति की जानकारी बगले पृष्ठ की तात्त्विका में दी जा रही है—

विवरण	मजदूर सध		
	1961-62	1976	1979
रबिन्स्टार पर सधों की सख्ती	11,416	22,417	33,023
रिटन भेजने वाले सधों की सख्ती	6,954	8,919	6,655
रिटन भेजने वाले सधों की सदस्यता (हजार में)	3,960	6,021	4,661

इस तालिका के आकड़ों से स्पष्ट होता है कि अम सधों ने तीव्र उन्नति की है जिसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं—

(अ) अधिक अपने रहन-सहन के स्तर को ऊचा करने के लिए अपनी आय को समठित करने की आवश्यकता अनुभव करने से।

(ब) राजनीतिक दल अम सधों पर अपना प्रमुख जमाने के लिए होड़ करने से।

(स) कॉन्सीट्रीय और राज्य सरकारों ने सामुदायिक सौदे की सुविधा का प्रयोग बढ़ाने के लिए कई कानून पास किए।

भारतीय अम सधवाद की वर्तमान स्थिति

हमारे देश के अधिक मध्य दो प्रकार के समाजों से संबंधित हैं—(अ) गट्टीय केडरेशन, (ब) अधिक सधों के फेडरेशन। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अविल मारतीय स्तर पर निम्न चार सध हैं—

1. भारतीय राष्ट्रीय अम सध कांप्रेस या इटक (INTUC) : यह संस्था कांप्रेसी विचारधारा के अन्तर्गत है। इसके प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं—(ए) समाज का निर्माण करना जिसमें प्रत्येक सदस्य को अपने विकास के लिए पूर्ण अवसर मिले, (ब) अधिकों को पूर्ण रूप से भयित्ति करने का प्रयास करना, (स) अधिकों की कार्य-दशाओं व उनके जीवन-स्तर में सुधार करना, (द) समाज व उद्योग में अधिकों के स्तर को ऊचा उठाना, (ग) अधिकों की कार्यक्षमता में नुँदि करना, अधिकों में उद्दीग व समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना पैदा करना, (र) यारस्ट्रिक वार्ता द्वारा ऐद्योगिक संघबों को मुलझाना।

जून 1972 से इटक का एक भाग टूटकर अलग हो गया और राष्ट्रीय अम समाज के नाम से स्वतन्त्र रूप से काम करने लगा।

2. आखिल भारतीय अम सध कांप्रेस (AITUC) : यह साम्यवादियों के हाथ में है। इस समाज की स्थापना सन् 1920 में हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य देश के समस्त अम सधों के कावों में साम जस्य स्थापित करना, भारतीय अधिकों के आधिक, सामाजिक व राजनीतिक हितों की रक्षा करना है।

३ हिंदू मजदूर समा या हिम्स (HMS) : यह समाजवादियों द्वारा 1946 में स्थापित की हुई संस्था है। इस संस्था का प्राथमिक उद्देश्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना है ताकि अधिकों को अपने मानसिक, शारीरिक व लाध्यात्मिक विकास के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त हो जाए।

४ सम्पूर्ण अम संघ कार्प्रेस या यूटक (UTUC) : असिल भारतीय अम सध कार्प्रेस के बुल अमतुष्ट नेताओं ने 30 अप्रैल 1948 में एक नवीन संगठन को जन्म दिया जिसका नाम है सम्पूर्ण अम सध कार्प्रेस। इसका मूल उद्देश्य राजनीति में अलग रूप कर अधिकों के हितों की रक्षा करना है।

अन्य सध इन चार संगठनों के अतिरिक्त निम्नलिखित संगठन 1950 के दृष्टि-रात स्थापित हुए—

१. जनसध द्वारा सन् 1955 में भारतीय मजदूर सध की स्थापना की गई।

२. समुक्त सोशलिस्ट पार्टी द्वारा सन् 1965 में हिंदू मजदूर पथायत की स्थापना की गई।

३. स्वतंत्र पार्टी तथा इविह मुनेत्र कङ्गम (DMK) द्वारा अपने-अपने सध स्थापित किये गए।

४. इनके अतिरिक्त निम्नलिखित राष्ट्रीय संगठन और कार्य कर रहे हैं—(i) असिल भारतीय वेक कर्मचारी सध, (ii) नेशनल फेडरेशन आफ फोस्ट एड टेनीशन वर्कर्म, (iii) लाल इडिया वर्कर्स एमोसिएशन, (iv) नेशनल फेडरेशन ऑफ इडियन रेलवेर्म। ये सध केंद्रीय स्तर पर संबद्ध नहीं हैं।

५. सन् 1962 में एक नए संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम कान्फेड-रेशन ऑफ फ्री यूनियस (CFTU) है। इसके बनाने में इटरनेशनल कान्फेडरेशन जॉफ श्रिश्वयन ट्रेडयूनियन ने काफी रुचि दर्शायी तथा इसे स्वतंत्र पार्टी वा समर्थन प्राप्त या।

६. सन् 1970 में एट्ट ने पृथक् एक नया अम-सध गठित रियर गया जिसे सेंटर आफ इडियन ट्रेड यूनियस (CITU) कहा जाता है।

भारत का अम सध आदोनन दो अतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबद्ध है—(i) चल्डे फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियन (WFTU) जो 1946 में स्थापित हुई थी, तथा (ii) इटरनेशनल कान्फेडरेशन आफ की ट्रेड यूनियस (ICFTU) जो सन् 1949 में स्थापित हुई थी। इन राष्ट्रीय संगठनों में भारत विकासशील देशों तथा विशेषवर एशियाई अम वा प्रतिनिधित्व करता है।

भारत में अधिक सध वे संघ में निम्नलिखित वार्ते उल्लेखनीय हैं—

१. देश की अपूर्ण अम शक्ति का लगभग 24% ही अधिक सध संगठन का रास्ता है।

२. उद्योग के अनुसार अम सधों की संख्या में पर्याप्त अंतर है। सन् 1970 उद्योग में अमात अधिकों वा 51%, व यातायात तथा सचार प्रतिष्ठानों में, निर्माण उद्योगों, बिजली तथा गैरि प्रतिष्ठानों में सपूर्ण अधिकों वा 37-39% अम सधों का संबंध है। अम सधों की संख्या निम्नलिखित उद्योगों में अधिक है—सचार निर्माण (75%),

श्रमिक भारतीय संगठनों की सदस्यता

क्र०स०	संगठन का नाम	सम्पद थम सप				सदस्य (सह्या दस लाख में)			
		1958 व	1960 व	1966	1968	1978	1958 व	1960 व	1966
1	INTUC	727	860	1305	1165	3135	0.91	1.05	1.42
2	AITUC	807	836	808	1008	2879	0.54	0.51	0.44
3	HMS	151	190	258	248	635	0.19	0.29	0.44
4	UTUC	182	229	170	216	469	0.08	0.11	0.46
कुल जोड़		1867	2165	2541	2637	7118	1.72	1.96	2.39
								2.56	2.71

लोहा इस्पात (63%), कोणता (61%), सूती वस्त्र (56%), बैंक (51%), ग्रीमा (33%) वागान (28%)।

3 सभी राज्यों में श्रमिक संघ आदोलन का विकास एक समान नहीं हुआ है। बंबई मद्रास, विहार, उत्तर प्रदेश, आध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल व केरल राज्यों में इसका विवेप्रय से विकास हुआ है।

4 मजदूर संघ आदोलन काफी फैल गया है। इसकी जड़ें शनै शनै मजदूरत होनी ना रही हैं और यह स्थायी रूप धारण कर रहा है। किंतु अन्य देशों की तुलना में भारतीय श्रमिक संघ बहुत निर्वास है और श्रमिक इसके गदाय नहीं बने हैं।

5 बाहरी नेतृत्व का प्रभाव कम हो रहा है। मजदूर स्वयं अपना नेतृत्व करने लगे हैं।

6 समाज का दृष्टिकोण मजदूर संघों के प्रति क्षमता बदल रहा है। पहले इनके प्रति जन साधारण की अवघारणा खराब थी। उन्हें अशांति उत्पन्न करने वाली स्थाएँ ही समझा जाता था। परन्तु अब इन संघों के प्रति जनता की सहानुभूति उत्पन्न हो रही है।

7 श्रमिक और श्रमिक संघों की रुचि राजनीति में श्रमश बढ़ रही है। स्थानीय और केंद्रीय चुनाव तथा अन्य राजनीतिक कांगों में मजदूरों का योगदान बढ़ रहा है। आज के मजदूर में राजनीतिक चेतना बहुत अधिक है।

भारतीय श्रमिक संघ आदोलन की समस्याएँ, बठिनाइया व दोप (भारत में श्रमिक संघ आदोलन की धीमी प्रगति के कारण)

यद्यपि हमारे देश में हिन्दूप्रथा से अब तक श्रमिक संघ ने काफी उन्नति पर भी है किंतु भी इसके विकास के मार्ग में कुछ बाधाएँ हैं, कुछ दोष हैं और कुछ विविध हैं जिससे श्रमिक संघ ने उतनी प्रगति नहीं की जितनी अपेक्षित थी। थी राबर्ट्स के दावों में 'भारत में श्रमिक संघ आदोलन इतना मुदृढ़ नहीं है जितना इसे ढोना चाहिए।' सच बात तो यह है कि भारतीय श्रमिक संघ आदोलन के तीव्र विकास में अत्रभ से ही अनेक बाधाएँ व कठिनाइया रही हैं जिनका हम दो शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते हैं—(a) आतंरिक बाधाएँ, (b) बाहरी बाधाएँ।

(a) आतंरिक बाधाएँ

—1 श्रमिकों की असिक्षा एवं अतानता भारतीय श्रमिक अशिक्षित एवं अज्ञानी हैं। इसलिए वे अपनी समस्याओं को समझने का प्रयत्न नहीं करते और भारत पर विश्वास करते हुए अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न नहीं करते। ऐसी स्थिति में हम श्रम संघों के तीव्र विकास की आदा कैसे कर सकते हैं?

—2 श्रमिकों की नियन्ता : भारतीय श्रमिकों को बहुत कम वेतन मिलता है। इस कारण हमारे अनेक श्रमिक तो चढ़ा ही नहीं दे पाते। आवश्यक धन राशि के अभाव में श्रमिक संघ प्रगति नहीं कर सकते।

३। श्रमिकों की एकता में कमी श्रमिकों में जाति, धर्म और भाषा की क्षेत्रीय भिन्नता पाई जानी है जो सगठन के मार्ग में वापक है।

४। श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति — भारतीय श्रमिक स्वभाव से ही प्रवासी हैं। चूंकि श्रमिक औद्योगिक केंद्रों में स्थायी रूप से निवास नहीं करते इसलिए वे श्रम सगठनों में रुचि • ही लेते हैं।

५। उचित नेतृत्व का अभाव : भारत में श्रमिक संघों के सचालन करने वाले नोंग श्रमिक नेता न होकर बाहरी व्यक्ति हैं जिनका निजी स्वार्थ व विशिष्ट दृष्टिकोण होता है। श्रम समस्याओं में उनकी रुचि नहीं होती। वे दलगत राजनीति में फ़से हुए श्रमिकों का यत्तत पथप्रदर्शन करते हैं।

६। श्रमिकों में लोकतंत्र की भावना का अभाव भारतवर्ष में श्रम संघों में लोकतंत्र की भावना का अभाव पाया जाता है। प्राय बड़े-बड़े नियंत्रण श्रमिकों की राय दिना ही से लिये जाते हैं। इसलिए इन पंथों में श्रमिकों का पूर्ण सहयोग नहीं प्राप्त होता।

७। संघों का छोटा आकार औ बी० बी० गिरि के अनुमार “भारत में श्रमिक संघ आदोलन के विविक्षित होने का एक प्रधान कारण अधिकाशत् श्रम संघों के आकार का छोटा होना है।

८। आंतरिक फूट भारत में श्रमिक संघ आदोलन का एक अन्य भारी दोष इनमें आंतरिक फूट है। एक उद्योग में विरोधी आदर्शों में विश्वास रखने वाले संघ पाये जाते हैं जिनमें आपस में ही झगड़े होते रहते हैं।

९। रचनात्मक कार्यों का अभाव भारत में अधिकाश श्रमिक संघ केवल संघर्षात्मक कार्य करने में ही व्यस्त रहते हैं। रचनात्मक वल्याण सबधी कार्यों जैसे—शिक्षा, चिकित्सा व मनोरजन आदि की ओर उनका ध्यान अभी नहीं गया है जिसके अभाव में श्रमिक संघ श्रमिकों को अपनी ओर आकर्षित करने में असफल रहे।

१०। काम करने की दशाएँ • शहरों में श्रमिकों को वारकाने व गृहस्थी के कामों में इनका व्यस्त रहना पड़ता है कि सगठन आदि कार्यों में उन्हें अवकाश नहीं मिल पाता।

११। पूर्णकालिक एवं वैतनिक अधिकारियों की कमी : भारतवर्ष में श्रमिक संघों वे सचालन करने वाले श्रमिकों की समस्याओं की ओर पूरा ध्यान नहीं द पाते वयोंकि उन्हें न तो इस कार्य के लिए वैतन मिलता है और न ही उनके पास अधिक समय है जोकि इन कार्यों के लिए दे सकें।

(ब) बाहरी बाधाएँ

१। मजदूरों से ठेकेदारों वा विरोध भारत में उद्योगों में भर्ती अधिकार अध्यस्थी द्वारा होती है। ये मध्यस्थ अग्रणी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए श्रमिकों में एकता की भावना उत्पन्न नहीं होने देते और वे सदैव यह प्रयत्न करते हैं कि श्रमिकों में फूट पड़ी रहे और वे कभी भी सुगठित न हो सकें।

2 मालिकों का विरोध कारखाने के स्वामी भी श्रम संघों को सहयोग देने वे बजाय उनका विरोध करते हैं। वे यह नहीं समझते कि मेरे संघ अनुचित हड्डतालों को राकर्ने में कितने सहायक हो सकते हैं।

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना में श्रामिक संघ आदोलन के दोपो को सक्षम में इस प्रकार घण्टित किया गया है—

श्रमिक संघों की अधिकता राजनीतिक भन्नमुटाव साधनों की कमी एवं श्रमिकों में एकता का अभाव वादि भारत में श्रमिक संघ आदोलन की प्रधान त्रुटियाँ हैं।

भारत में श्रम संघ आदोलन को दृढ़ बनाने के लिए सुझाव

(Suggestions for the Growth of Indian Trade Unionism)

भारतीय श्रमिक संघों को वार्तविवर रूप में दृढ़ और शक्तिशाली बनाना देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि श्रमिकों का हित राष्ट्रीय हित से अलग नहीं है और इन दोनों के हित एक दूसरे के पूरक हैं। अत श्रमिक संघ आदोलन को इस प्रकार से संगठित व विकसित करना है जिससे श्रमिकों की यह प्रगति राष्ट्र की प्रगति में गतिरोधक सिद्ध न हो। राष्ट्र के बिना श्रमिकों और श्रमिकों के बिना राष्ट्र का अस्तित्व सभव नहीं है। अत दोनों को ही स्वरूप और सुखमय रूप में जीवित रहना होगा और इस काय में श्रमिक सेवायोजक सरकार और जनता सबकी अपना बहुमूल्य योग दान देना होगा।

श्रमिकों को शक्तिशाली बनाने के लिए उनको दृढ़ संगठन को बहुत आवश्यकता है सुदृढ़ और शक्तिशाली श्रमिक संगठन बनाने के लिए बहुमुखी प्रयत्नों वी आवश्यकता है परंतु इससे भी पहले यह आवश्यक है कि श्रमिक इस अपना संगठन समझ कर विकसित बरने के लिए तन मन धन की बलि दें। मालिक इहे अपना शत्रु न मानकर एक राहपोर्ती वे रूप में स्वीकार करें सरकार इन श्रमिक संघों को आर्थिक व नैतिक प्रोत्साहन दे और जनता का जनमत इहे वह बल प्रदान करे जिससे कि समस्त शोपण नीति को अपनाना असभव हो। आधुनिक श्रम संघवाद को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्न विवित सुवाच दिए जा सकते हैं—

१ उचित नेतृत्व जहाँ तक सभव हो श्रम संघों का नेतृत्व मजबूरी से ही आना चाहिए। दुमोग्यवा भारतीय श्रम संघों के नेता श्रमिकों से न होकर बाहरी व्यक्ति हैं जो श्रम समस्याओं से अनभिज्ञ और लगने ही स्वाध म प्रारित होकर बाय करते हैं। एक याम् परिश्रमी तथा नि स्वार्थी श्रमिक नता संघ को प्रगति की ओर अग्रसर कर सकता है। अत आवश्यकता इस बात की है कि श्रम संघ आदोलन को राजनीति से दूर रखकर राजनीतिक नेताओं में उसे मुक्त रख श्रमिकों से किसी नेता की अधीन कर दें। आनंदिक नेतृत्व के विकास के लिए श्रमिक निकाय काय कम को घटीभूत बनाना होगा और नताना को मानिक्षों द्वारा दिलाई दिए जाना स बचना होगा। पराष्ट्रीय श्रम आम्फेग द्वारा औद्योगिक संघों के लिए बढ़ाए गए व्यव्ययन दन ने मार्च 1968 में प्रस्तुत अपने प्रति दर्शन म दिसा पथानिप्रा धारा द्वारा बाहरी उम्मूलन के पक्ष म अपना मत नहीं व्यक्त

किया है। इससे कमचारी नेता में रूप में आगे आने वी दुर्बिधा की चर्चा असहानुभूतिपूण एवं विवेकशूल मालिकों द्वारा उपीडत के भय के रूप में की है फिर भी इसने एक तिहाई वाहरी व्यक्तियों वा प्रस्ताव दिया है जो कि सध के पदाधिकारी हो सकते हैं।

२ शिक्षा का प्रबार थ्रमिक सधों में शिक्षा का प्रबार किया जाना चाहिए ताकि थ्रमिकों में व्याप्त व्युद्धिकादिता व सकीणता समाप्त हो जाए और वे थ्रमिक सध आदोलन के महरन को समझ सक। क्वन सामाज्य शिक्षा ही नहीं बल्कि थ्रमिक सधों के कार्यों के उन्नित प्रशिक्षण का प्रबाध भी बहुत आवश्यक है। इससे एक ओर उनमें अनुशासन वी भावना और दूसरी ओर अधिकारी के प्रति जागरूकता उपन होगी।

३ सधों में एकता। अध्ययन दल 1968 ने भारतीय थ्रम आदोलन को प्रभावित करने वाली मुख्य बुराई पारस्परिक प्रतिद्वारा द्वारा की प्रबलता पर हुए व्यक्त किया है। भारत में विभिन्न थ्रम सधों में आपसी सहयोग की भावना न होकर ईर्ष्या व एक दूसरे को नहर करने की भावन विद्यमान है। अत उनमें आपसी सहयोग और एकता वी भावना जब तब उपरा नहीं हो जाएगी तब तक इस आदोलन का विकास सदैहमय है। श्री वी० वी० गिरि रा भी यही मत है कि थ्रमिक सध को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दढ़ एवं शक्तिशाली होगा अनिवाय है अन्यथा पूर्ण समाजवादी प्रजाति के आधार पर नो वौद्योगिक चाचा नामाया जा रहा है वह दढ़ न हो सकेगा।

४ यतनिक कमचारियों को नियमित भारतीय थ्रम सधों में यतनिक व्यक्तिकाम वरते हैं फलत ये नियमित रूप से काय नहीं करते और जपने निवाह के लिए बेईमानी वरने से भी नहीं चकते इस प्रबार की स्थिति थ्रमिक सध आदोलन के विकास में बाधक सिद्ध होती है। अत प्रयोक्त थ्रमिक सध में सध के आवश्यक कार्यों को करने के लिए यतनिक कमचारियों का होना बहुत जरूरी है। इन कमचारियों के अतिरिक्त यतनिक कमच रियों वा सहयोग नी लिया जा सकता है।

५ गत प्रतशत सदस्यता एक थ्रमिक सध की सफलता उसवे प्रभाव र निभर हुआ करनी है और प्रभाव उनके आकार अर्थात् सदस्यों की संख्या पर निभर होता है। सदस्यता के आकार में कमी के बारण ही भारतीय थ्रमिक सधों वा अभाव कम रहा है और वे सफल नहीं हो सकते हैं अत आवश्यकता इस बात की है जि उद्योग में काम वरने वाले थ्रमिक सध के सदस्य हो तभी एक सध के लिए और सब एक वे निए की भावना पैदा हो सकती है।

६ एक उद्योग में एक सध एक मुक्ताव श्री वी० वी० गिरि ने दिया है— 1959-60 में विवरण भेजने वाले सधों में में 70% से अधिक ऐसे तथ थे जिनकी सदस्य संख्या 300 से कम थी। इसका कारण यह भी हो सकता है कि एक ही उद्योग में बहुधा कई सध बन जाते हैं जो एक दूसरे से सधय करते रहते हैं और दूसरा कारण है थ्रमिकों का सदस्य ही न बनना नियमित घटा न देना। अत वी० वी० गिरि ने यह मुक्ताव दिया है कि थ्रम सध के भावी दढ़ निर्माण एवं विकास में एक उद्योग में एक सध का सिद्धात अपनाया जाना चाहिए। श्री गिरि का यह मुक्ताव अच्छा तो अवश्य है लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण के बाते रहते इसका पूर्ण होना कठिन है।

भारत में श्रमिक संघ वाई संघवाद

7 [श्रमिक स्थिति को बढ़ बनाना] प्रत्येक संस्था का विकास उमरकी आधिक स्थिति पर निर्भर हुआ करता है। लेकिन भारतीय श्रम संघों के पास धन की घटत कमी है। यह समस्या बड़ी जटिल है। श्रमिक संघों के वित का मुख्य स्रोत श्रमिकों से मिलने वाला चाहा है। सदस्यों को नियमित रूप से चाहा देना चाहिए और यह राशि इतनी अवश्य होनी चाहिए कि संघ का साधारण काय सुचारू रूप से चल सके। 1968 के श्रम अध्ययन दल ने यह तिपारिश की कि प्रत्येक श्रमिक को अपना मजदूरी का कम से कम एक प्रतिशत जो कि कम से कम एक रुपया हो सामिक चढ़े के रूप में देना चाहिए।

8 [लाभ कोषों की स्थापना] प्रत्येक श्रम संघ को लाभ कोषों की स्थापना करनी चाहिए और उनकी धन राशि से श्रमिकों वी द्विष्टारी दुघटना वेरोजगारी व मृत्यु के समय आधिक एवं मामाजिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। भारत में हमदावाद सूती वस्त्र श्रम संघ ने लाभ कोषों की स्थापना कर रखी है और यह उनकी ओप ना लगभग 60 से 70% बद्दी कोष में जमा करके श्रमिकों के कल्याण पर व्यवहरता है।

9 [हड्डताल कोषों की स्थापना] भारतीय श्रमिक निधन हैं जिनको हड्ड तन की वडस्या में आम के साधन बद हो जाए के कारण बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिसमें हड्डताल को लवी अवधि तक तभी चलाया जा सकता। ग्राम ऐसा भी गया है कि लवी अवधि तक हड्डताल चलने के बाद धर्माधिकार के कारण श्रम संघों को ही अत में झुकाना पड़ता है। अत हड्डताल कोषों की स्थापना करके हड्डताल दो नीधवाल तक जारी रख कर संघ अपने उद्देश्य की दूरी में सफलता प्राप्त मैं सकता है। उन कोषों का प्रयोग हड्डताल की अवस्था में निधन श्रमिकों के लिए तारन की व्यवस्था पर किया जाना चाहिए।

10 [उत्प्रोपतियों के अस्थानारोपण नियन्त्रण] संघों को और मजदूर नतारों को मालिकों के उन्मीड़न वा गिराव होना पड़ता है जिसका नियन्त्रण आवश्यक है। डॉ राधाकमल भुकर्जी ने एक उपयोगी सुझाव दिया है। उत्तराकांत है कि भारत में भी एक ऐसा अधिनियम बनाना चाहिए जिसके अन्तरार यदि मिल मालिक संघों के कार्यों में हस्ताक्षण करते हैं या मजदूरों कायकर्ताओं को जातकित करते हैं तो उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए। परन्तु कठिनाई तो यह है कि यह सिद्ध करना कठिन है कि मजदूरों को आतकित किया गया है या उन पर अस्थाचार हुआ है।

11 [श्रमिकों से उत्तरदायित्व की भावना] श्रम संघों को तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक कि स्वयं श्रमिक इस काय में अपने उत्तरदायित्व का अनुभव नहीं करेंगे। अत श्रम संघों को चाहिए कि वे श्रमिकों में उनके अधिकारी और कातब्यों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जागृत करें। इससे श्रमिकों के पारस्परिक संवध अचौल होंगे और वे संघ के कायकर्ताओं में सक्रिय रूप में भाग लेंगे।

12 [रक्षमात्रम् कार्यों पर दब आधुनिक समय में इस बात पर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है कि श्रमिक संघ विद्वत्कारी नीति को त्यागकर रक्षमात्रम् कार्यों पर अधिक दब दें। परिचमी बोगात में श्रमिकों और नेताओं की विद्युत नीति का

परिणाम न केवल मजदूरों को बहिक पूरे राष्ट्र को भोगना पड़ा है। सेकंडों उद्योग समाप्त हो गए हैं और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। अत श्रमिक संघों को जनसत् और सेवायोजकों की महानुभूति प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि संघ श्रमिकों के विद्यालयों कार्य को प्राथमिकता दें और श्रमिकों के हितार्थ ही काम करें।

~13~ **आदोलन से राजनीति को बलग रखना** | भारत में जो भी श्रम संघ हैं वे किसी न किसी राजनीतिक दल से प्रभावित हैं। इससे अनेक हानियों को आशका रहती है। एक तो प्रजातात्त्विक विकास में बाधा पड़ती है और दूसरे, श्रमिकों के हितों की रक्षा नहीं हो पाती। अत श्रमिक संघ के नेताओं को चाहिए कि अपने को तथा श्रमिकों को हर प्रकार के राजनीतिक प्रभावों से अलग रखें। इन नेताओं का उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए बल्कि श्रमिकों के आधिक, नेतृत्व, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं सास्कृतिक जीवन को प्रगतिशील और सुखमय बनाना होना चाहिए।

14 अन्य सुझाव : (अ) प्रत्येक श्रम संघ में कम से कम एक तकनीकी विशेषज्ञ होना चाहिए जो संघ से सबधा उद्योग का सभी प्रकार का तकनीकी ज्ञान रखता हो।

(ब) औद्योगिक प्रबन्ध में श्रम संघ के प्रतिनिधियों को भाग लेने की सुविधा होनी चाहिए।

(स) जनता को श्रमिकों की समस्याओं में रुचि लेनी चाहिए और श्रमिकों को उचित सहयोग और समर्थन दिया जाना चाहिए।

(द) श्रमिकों में सहकारिता की भावना उत्पन्न की जानी चाहिए ताकि वे मिल कर कार्य संकें और एक दूसरे की सहायता कर सकें।

~(य) देश में इस प्रकार का वातावरण बनाया जाना चाहिए जिससे श्रमिक संघों को घृणा की दृष्टि से न देखकर सहानुभूति की दृष्टि से देखें और श्रम संघ के आदोलन के विकास में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न करें।

(र) श्रम पत्रिका का प्रकाशन होना चाहिए जिसके द्वारा श्रम समस्याओं का समस्त श्रमिकों और समाज को ज्ञान कराया जा सके।

भारतीय श्रम संघ आदोलन की दृढ़ता का समर्थन करते हुए श्री बी० बी० गिरि न लिखा है: “श्रमिकों के हितों की रक्षा करने व उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ श्रम संघ आदोलन नितात् आवश्यक है। यदि श्रम संघों में इन उद्देश्यों को पूरा करने की क्षमता और दृढ़ता नहीं है तो भारत में पूर्ण समाजवादी प्रजातत्व के आधार पर बनाये जाने वाले औद्योगिक ढाँचे की नींव ढूँढ़ न होगी और राज्य अपने श्रेष्ठतम आदर्शों के होते हुए भी श्रमिक वर्ग को मौलिक अधिकार देने में असमर्थ रहेगा।

श्रम संघ और पचवर्षीय योजना

प्रथम योजना में द्विपक्षीय संयुक्त विचार-यितर्ण प्रणाली प्रारंभ करने का विचार किया गया। इसके अतिरिक्त शिक्षा का विस्तार करना और श्रम संघों का विकास अनिवार्य बताया गया। योजना में कहा गया वि “श्रमिकों को समर्थित करने, सामूहिक सौदेबाजी और सहयोग का अधिकार सबसे पहले स्वीकार किया जाना चाहिए। इसे

अधिकार को आपसी सहयोग की दृष्टि से स्वीकार किया जाय। श्रम संघ की कार्य करने के लिए सहायता दी जानी चाहिए तथा उसे औद्योगिक तात्र का ही भाग समझा जाना चाहिए।¹ योजना ने इस बात को स्वीकार किया है कि संगठन श्रमशक्ति से ही सामूहिक सोदेवाजी सफल हो सकती है। और श्रम संघ एवं नियोक्ता संघ मिलकर योजनाओं को क्रियान्वित करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में कहा गया कि "समाजवादी समाज की स्थापना के लिए औद्योगिक प्रजातत्र का होना अनिवार्य है।"² श्रमिकों के हिस्तों की रक्खा करने तथा उत्पादन के लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए श्रम संघ बनाना एवं श्रमिकों के हिस्तों की रक्खा करना अनिवार्य है।³ श्रम संघों को संशक्त बनाने के लिए पह आवश्यक है कि उनकी आर्थिक पारिस्थिति मजबूत हो। यह तभी समव है जबकि मदन्यो एवं अन्य आतंकिक साधनों से पर्याप्त धन प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त विवादों का निपटाने के लिए समझौता प्रणाली एवं ऐच्छिक पञ्च-निषय पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। औद्योगिक विवाद का निर्णय करने के लिए संयुक्त समझौता प्रणाली महस्त्वपूर्ण होती चाहिए। श्रम संघ निम्न प्रकार के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए—(1) कायभार निश्चित करना, (2) बढ़े हुए कार्यभार के लिए मजदूरी में वृद्धि का निपरिण करना (3) नयी मशीन लगाने से बेरोजगार हुए श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने में सहायता देना और (4) मशीनों के पुरानी होने तथा घिस जाने पर उनके पुनर्स्थापन की रीया निर्धारित करना।

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना में श्रम नघों के क्रियाकलाप और विवारो की स्वतंत्रता पर वक्त दिया गया जिसमें बदलती हई परिस्थिति म यह संघ अधिक सफल हो सके। श्रमिकों द्वारा प्रबध, सहयोग तथा सहभागिता पर भी जोर दिया गया। योजना ने यह निर्णय लिया कि अनुशासनपूर्वक कार्य करने पर श्रम संघ स्वस्थ एवं विकसित होगे। निष्कर्ष में औद्योगिक तथा आर्थिक प्रशासन में मुख्य भूमिका निभाने के लिए श्रम संघ को प्रोत्ताहित किया जाने चाहिए।

चतुर्थ एवं पञ्चवर्षीय योजना में कहा गया है कि "श्रम संघ अपने सदस्यों को न केवल उचित वेतन दिलाने नया कार्य की दशा में सुधार करने के लिए आवश्यक कार्य करें वरन् राष्ट्रीय विकास में भी महस्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करें।"

पञ्चम पञ्चवर्षीय योजना में श्रम नघों को अधिक मजबूत बनाने तथा उन्हें गृह-नामक कार्बों में लगाने का प्रयत्न किया गया। परिणामस्वरूप श्रम संघ औद्योगिक क्षेत्र में अपापा प्रभाव जमा चुका है। श्रमिक भी अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो रहे हैं। अब न्यूनतम मजदूरी का निपरिण कुर्यांश श्रमिकों के लिए भी कर दिया गया है। प्रबध आदि म श्रमिक सहभागिता श्रमसंघों में अनुशासन आदि पर जोर दिया गया। छद्मवि

1 The First Five Year Plan, 1951, p 593

2 Ibid, 1958 p 572

3 Ibid, p 572.

पहले की अपेक्षा श्रमसंघ अधिक स्थायी हैं किन्तु अभी तक नेतृत्व पूर्ण रूप से श्रमिकों का नहीं है।

भारत और इंग्लैण्ड के श्रमिक सघ आंदोलन को तुलना

(Comparison between British and Indian Trade Union Movement)

दोनों देशों के श्रमिक सघों की तुलना में पहले इन राष्ट्रों की पृष्ठभूमि पर ध्यान देना आवश्यक है। इंग्लैण्ड एक विकसित औद्योगिक राष्ट्र है जहां पर सभी लोग रोजगार में लगे हैं फलतः श्रमिकों की पूर्ति माग की तुलना में अधिक नहीं है जबकि भारत एक अर्द्धविकसित राष्ट्र है जहां का औद्योगिक विकास अभी पूर्णरूपेण नहीं हुआ है। जन-सहयोगी वृद्धि की विकट समस्या होने के कारण यहां श्रमिकों की पूर्ति माग की तुलना में बहुत अधिक है। फलतः इंग्लैण्ड के श्रमिकों की आय काफी अधिक है। इसमें वहां के सौर्यों का स्वस्थ्य व रहन-महन का स्तर उच्च है। इसके विपरीत भारतीय श्रमिकों को कम परिवर्षमिक मिलने के कारण उनके रहन सहन का स्तर निम्न है। इही मौतिक एवं आधारभूत विभिन्नताओं के साथ ही साथ अम सगठनों की रचना में भी कई विभिन्नताएँ हैं। भारत और इंग्लैण्ड के श्रमिक सघ आंदोलन की तुलना अनेक आधारों पर की जा सकती है, जैसे—

1 कार्य करने की परिस्थितिया भारत तथा इंग्लैण्ड के श्रमिक सघ के कार्य की परिस्थितिया अलग-अलग हैं। इंग्लैण्ड औद्योगिक राष्ट्र होने तथा श्रमिकों की कम पूर्ति होने के कारण वहां श्रमिकों को अधिक महस्त्र प्राप्त है। श्रमिकों को उच्च मजदूरी प्राप्त होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति थेठ है परतु भारत की स्थिति इसके विपरीत है अर्थात् श्रमिकों की मजदूरी व जीवन-स्तर दोनों ही नीचे हैं। जिससे भारतीय श्रमिक सगठनात्मक कार्यों में विशेष रुचि नहीं लेता।

2 सगठनात्मक आधार इंग्लैण्ड में श्रमिक सघों का विकास दस्तकारी शणियों (Crafts Guilds) में मिला। फलत ये मुख्यतः दस्तकारी वे आधार पर आधोजित हैं। फलत, इनका स्वरूप मुख्य रूप में स्थानीय है।

3 सामाजिक सुरक्षा भारत में इंग्लैण्ड की तुलना में सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएँ काफी पिछड़ी हुई हैं। इंग्लैण्ड के जीवन का त्र क्षत्र सुरक्षित है। श्रमिकों को अपने और अपने परिवार की कोई चिंता नहीं रहती है जिससे श्रमिक सगठनात्मक कार्यों में विशेष रुचि लेत हैं, परतु भारत में सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से श्रमिकों का ज़ीड़न सुरक्षित नहीं है। भारत में अभी एक तरह से सामाजिक सुरक्षा वे कार्यक्रमों का थींगेश मात्र हुआ है।

4 शिक्षा: इंग्लैण्ड के श्रमिक सघ का प्रत्येक सदस्य शिक्षित है जिससे उनमें अधिकार और कर्तव्यों के प्रति बहुत जागरूकता बाई जाती है। उनमें अनुशासन की भावना होती है। फलतः वहां के श्रमिक सघों का स्वाभाविक विकास हुआ है। इसके विपरीत भारतीय श्रमिक सघों के अधिकाश सदस्य अविक्षित हैं। अभी तब इनमें शिक्षा की पूर्ण प्रसार नहीं हो पाया है। फलत यहां के श्रमिक अपने कर्तव्यों और अधिकारों के

प्रति चागरक नहीं हैं। इन सभों कारणों से भारत का श्रमिक संघ सुदृढ़ नहीं है।

5 स्वभाव यद्यपि इंग्लॉड की सरकार द्वारा प्रारंभ में कई बाधाएं उत्पन्न की गईं लेकिन फिर भी श्रमिकों के विरोधिक स्वभाव के कारण श्रमिक संघ का पर्याप्त विकास हुआ। जबकि भारतीय श्रमिक संघ अपेक्षाकृत अधिक समर्पणयोगी है।

6 नेतृत्व भारत और इंग्लॉड के श्रमिक संघों में नतृत्व की दृष्टि से भी पर्याप्त विभिन्नता है। इंग्लॉड के श्रमिक संघों का नेतृत्व प्रायः श्रमिक वर्ग से ही हुआ है परंतु भारत में श्रमिक संघों का नतृत्व धाहरी शक्तियों के द्वारा हुआ। जिनका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों ने गोपन करके अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना।

7 आधिक दशा श्रमिक संघों की आधिक स्थिति काफी मजबूत है। उच्च गाय प्राप्त होने के कारण शर्गिक संघों को चढ़े तथा दान देने रुक्ते हैं। परंतु भारतीय श्रमिकों ने आधिक दशा काफी दयनीय है। उनकी आय इतनी कम है कि उनके के चढ़े भारतीय नगरों में नगरना जौर समरूपता का विकास होता है।

8 महासंघ भारतीय श्रमिक कई महासंघों में बढ़ा हुआ है और प्रत्येक महा संघ की विचारधारा और कायविधि राजनीतिक दल की विचारधारा से संविधित है परंतु इंग्लॉड में श्रमिक महासंघ वहाँ बी लेवर पार्टी से संविधित रहते हैं। फिरत श्रमिक आदों नाम में स्थिरता और समरूपता का विकास होता है।

9 औद्योगिक विवादों का निवारण इंग्लॉड के महासंघों में मामूलिकता तथा उनका अधिक है फलत वहाँ के औद्योगिक विवादों को महासंघों के द्वारा निवारण होता है। तिसमें श्रमिकों के हितों की हमेशा रक्षा होती है। श्रमिक संघों के मध्य पारम्परिक प्रनिष्पत्ति नहीं होती उद्योग भारत में प्रादूर्य व्यवितरण स्वायत्त ने आधार पर नियन्त्रण निए जाते हैं। भारतीय शर्गिक संघ विभिन्न राजनीतिक बर्गों के बिक्कें भी हैं जिसमें सदब इनके मध्य का की स्थित बनी रहती है। फिरत वहाँ पोर प्रनिष्पत्ति का मुद्राबला बरना होता है।

10 श्रमिकों की स्थिरता भारत और इंग्लॉड के श्रमिक संघ श्रमिकों की स्थिरता नी इन भी पूर्णत भिन्न हैं। भारतीय श्रमिक प्रवासी प्रशृति के हैं जिससे एक स्थाई औद्योगिक थामक संघ नहीं गठित हो पाता। जबकि इंग्लॉड मध्यायी श्रमिक वर्ग पाया जाता है। अत वे अपने माठनात्मक कार्यों को महसूब देते हैं जबकि भारतीय थामक अपने माठनात्मक कार्यों के प्रति काफी उदासीन और उस पर्याप्त महत्व नहीं देते।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम वह कह सकते हैं कि इंग्लॉड की तुलना में भारतीय श्रमिक संघ आदान अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। हाँ यह अवश्य कहा जा सकता है कि जैसे जैसे भारत का औद्योगिक विकास हो रहा है साथ ही इसका भी विसरास हो रहा है।

राष्ट्रीय श्रम आयोग और श्रम संघ (National Commission on Labour and Trade Union)

राष्ट्रीय श्रम आयोग ने श्रम सघों के विकास के लिए अनेक सिफारिशें दी हैं। श्रम सघ संगठन के सबध में आयोग ने सिफारिश की कि कला-व्यवसाय सघ के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इन्हे औद्योगिक सघों में सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए साथ ही सेंटर-कम इडस्ट्री (Centre Cum Industry) और नेशनल इण्डस्ट्रीयल फैडरेशन (National Industrial Federation) की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

श्रम सघों के नेतृत्व के सबध में आयोग ने निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की हैं—

(i) श्रम सघों की कार्यकारिणी (Executive) में गैर कर्मचारियों को सम्मिलित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

(ii) आतंरिक नेतृत्व के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए और इसे उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संपूर्ण जानु चाहिए।

(iii) भूतपूर्व कर्मचारियों को बाहरी व्यक्तियों के रूप में नहीं मानना चाहिए।

(iv) श्रम सघों की कार्यवारिणी में बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश नेतृत्व के नियम अनुमति सीमा (Permissible Limit)।

(v) आतंरिक नेतृत्व को विवितमाइजेशन (Victimisation) की सीमा के बाहर रखा जाना चाहिए।

आयोग ने यह भी सिफारिश की कि श्रम सघों के पञ्जीकरण को रद्द कर दिया जाना चाहिए—

(i) पञ्जीकरण के लिए निर्धारित न्यूनतम संख्या (सात) में कमी हो जाने पर।

(ii) सघ द्वारा अपना वार्षिक प्रत्याय प्रस्तुत न किए जाने पर।

(iii) पञ्जीकरण के रद्द किये जाने की तिथि से 6 माह तक पुनर पञ्जीकरण के लिए आवेदन पत्र पर विचार नहीं करना चाहिए।

(iv) सघ ने दोषपूर्ण प्रत्याय प्रस्तुत किया हो और उत दोषों को निर्धारित समय में दूर न किए जाने पर।

आयोग की अन्य मुख्य सिफारिश है कि न्यूनतम सदस्यता शुल्क एक रुपया प्रति माह कर देना चाहिए।

परोक्षा-प्रश्न

1. श्रमिक सघ को स्पष्ट रूप से परिभ्रायित कीजिए और इसके उद्देश्यों एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। श्रम सघ के लाभ और हानिया कीत-कीत में हैं?

2. भारत में श्रम सघ के विकास के इतिहास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अथवा भारत में श्रमिक सघ आदोलन के संक्षिप्त इतिहास का वर्णन कीजिए। इसकी

वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए।

- 3 आपके विचार से एक जच्छे और सफल श्रम संघ की विशेषताएँ कौन-कौन सी हैं? श्रम संगठन के मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएँ और भारत में इसके विकास का वर्णन कीजिए।
 - 4 इस देश में अमिक संघ आदोलन की प्रगति को रोकने वाले कौन-कौन से प्रमुख तत्व हैं? आप इन बाधाओं को किस प्रकार से दूर करना चाहेगे, जो इस समय दियमान हैं? अथवा भारत ने श्रम संघवाद के विकास में कौन-कौन सी दावाएँ हैं? आप आदोलन को किस प्रकार भ मजबूत और सफल बनायेंगे?
 - 5 "श्रम संघवाद" की चुटियों और मुधार के उपायों की ओर सकेत करते हुए इसके विकास पर प्रकाश डालिए।
 - 6 भारत भ श्रम संघ आदोलन के विकास का सक्षिप्त विवरण दीजिए। क्या यह उमी मजबूती से विकसित हुआ है, जिस मजबूती से अन्य औद्योगिक अग्रणी देशों में विकसित हुआ है? अगर नहीं तो कारण दीजिए।
 - 7 परिवर्तनशील विश्व में अमिक संघ आदोलन अपने संगठन के युद्ध पूर्व विचार को अधिकार में नहीं रख सकता, अगर इसको सफल होना है और कुशलता-पूर्वक अपने जादरात्मक तथा व्यावहारिक कार्यों को पूरा करना है।"
 - भारत में श्रम संघ आदोलन के विकास और वर्तमान प्रवृत्ति के प्रकाश में इस उचित की विवेचना कीजिए।
 - 8 श्रम के हितों को रक्षा करने के लिए तथा उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दोनों ही दृष्टिकोण से एक संबल अमिक संघ आदोलन की भावशयकता होती है।"
- इस कथन को स्पष्ट कीजिए और भारत में श्रम संघ आदोलन की प्रमुख दुर्बलताओं की ओर सकेत कीजिए। अथवा
- यह स्पष्ट किया जा गकता है कि भारत में सेवायोजक ही प्रस्तावना के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी ही चुका है और भारत में श्रम संघों में बाहरी नेतृत्व बीं निर्यामितता।"
- उचित कथन की विवेचना कीजिए। और इम देश में श्रम संघों की कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। अथवा
- भारत भ श्रम संघवाद जैसा कि अधिकारा अन्य देशों में, औद्योगिक विकास की उत्पत्ति हो चुकी है।"
- इस कथन को पूर्णतया स्पष्ट कीजिए और हमारे देश में आदोलन की प्रमुख दुर्बलताओं की ओर सकेत कीजिए।
- 9 "यद्यपि भारत को श्रम अर्धव्यवस्था में इस समय श्रम संघ आदोलन बहुत अधिक महत्वपूर्ण तरह नहीं है पर इसमें कोई सदेह नहीं कि काम की दुखदायी दशाओं जीवन और शोषण के विरोध में अमिकों के लिए यही एक प्रभावी

रक्षक है। इसके विवास के लिए क्षेत्र बहुत थधिक है लेकिन इसमें कई बार कठिनाइयों की एक भारी संख्या के द्वारा विघ्न पड़ा है।”

वाक्याश को स्पष्ट कीजिए और आदोलन की कठिनाइया बताइये।

10. अमिक संघ किस अकार भजद्वारी दर को प्रभावित कर सकते हैं? उपर चाहत-विक जीवन में अम संघ भजद्वारी की दर में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं?

अध्याय 10

ओद्योगिक संबंध : ओद्योगिक संघर्ष (Industrial Relations Industrial Disputes)

ओद्योगिक सम्बन्ध से तात्पर्य सेवायोजकों और श्रमिकों के परस्पर सम्बन्ध तथा व्यवहार से है। वर्तमान समय में ओद्योगिक संबंध और सेवियर्गीय प्रबन्ध को एक दूसरे का पर्याय माना जाने लगा है तथा अनेक विद्वान् ओद्योगिक सम्बन्ध को श्रम सम्बन्ध (Labour Relations) मानवीय संबंध (Human Relations) एवं उद्योगियोजन-कर्मचारी सम्बन्ध (Employer-Employee Relations) आदि के रूप में प्रयोग करते हैं। ओद्योगिक संबंध की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ इस प्रकार हैं—

1 टीड एवं मेट काफ (Tead and Matcalf) ओद्योगिक सम्बन्ध, सेवायोजकों और कर्मचारियों की दन पारस्परिक भावनाओं और दृष्टिकोणों का परिचास है जिसे यह लोग न्यूनतम मानवीय प्रयास, मतभेद एवं सहयोग की तीव्र भावना सहित संगठन के सभी सदस्यों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उपकरणों के कार्य के नियोजन-पर्यवेक्षण निवेशन तथा समन्वय के लिए व्यवसाते हैं।"

2 जूसियस (Jucess) के अनुसार "ओद्योगिक संबंध प्रयोग कर्मचारियों, सेवानियोजकों और सरकार के मध्य अनेकों समतल सम्बंधों के सन्दर्भ में किया जाता है।"

3 रिचार्ड ए. लेस्टर (Richard A Lester) के अनुसार "ओद्योगिक सम्बंधों में विवादप्रस्त उद्देश्यों और मूल्यों के मध्य, अभिप्रेरणा और आर्थिक सुरक्षा के मध्य, अनुशासन और ओद्योगिक प्रज्ञानत्र के मध्य, अधिकार एवं स्वतंत्रता के मध्य, सोदैवाजी एवं सहयोग के मध्य कार्यात्मक हल प्राप्त करते के प्रयत्नों को सम्मिलित किया जाता है।"

4 जॉन डनलॉप (John Dunlop) ओद्योगिक समाज निरिचत रूप से ओद्योगिक सम्बंधों का निर्धारण करते हैं जिन्हें कर्मचारियों प्रबन्धकों और सरकार के मध्य अन्त सम्बन्ध की सज्जा दी जा सकती है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि ओद्योगिक क्षेत्र में ओद्योगिक सम्बंधों में आक्षय उन सम्बंधों से है जो सेवायोजकों, प्रबन्धकों, कर्मचारियों या उनके सर्थों तथा सरकार के मध्य विद्यमान हैं।

ओद्योगिक सम्बंधों को ठीक करने की समस्या ओद्योगिक संघर्षों की समस्या के कारण ही उत्पन्न होती है।

ओद्योगिक सधर्ण का अर्थ ओद्योगिक सधर्ण पूजीवादी अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। औद्योगिक सधर्ण से तात्पर्य मेवायोजकों और श्रमिकों के बीच होने वाले मतभेदों से है जिनके परिणामस्वरूप हड्डालें, तालाबदी, काम की धीमी गति, घेराव तथा अन्य इस प्रकार की समस्यायें उठ खड़ी होती हैं। ३० राधाकमल मुकर्जी के शब्दों में, “पूजीवादी उद्योग के विकास ने, जिसका अर्थ उत्पत्ति के साधनों पर धोड़े में साहसियों के बर्ग का नियन्त्रण होना है विश्व भर में प्रबध और श्रमिक के बीच सधर्ण की बड़ी समस्या को हमारे सम्मुख ला दिया है।”¹ औद्योगिक अशांति, औद्योगिक विवाद व थम सधर्ण के ही पर्यायवाची हैं।

भारत में औद्योगिक सधर्ण की ऐतिहासिक समीक्षा पाश्चात्य देशों की तुलना में भारतवर्ष में औद्योगिक विकास काफी विलब स शुरू हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि औद्योगिक सधर्ण भी इसके बाद से ही प्रारम्भ हुए। भारतवर्ष में औद्योगिक सधर्ण के इतिहास को हम निम्नलिखित भासों में विभाजित करक अध्ययन कर सकते हैं—

1 प्रारम्भिक अवस्था भारतवर्ष में औद्योगिक विकास के प्रथम चरण में औद्योगिक सधर्ण की समस्या नहीं थी क्योंकि ड्यौगपति संगठित और शक्तिशाली थे और श्रमिक संगठित नहीं थे। १९वीं शताब्दी में औद्योगिक सधर्ण का केवल एक उल्लेख-नीय उदाहरण मिलता है, जबकि सन् १८७७ व सन् १८८२ में क्रमशः एप्रेस मिल नामपुर तथा बबई की सूनी मिल में औद्योगिक सधर्ण हुए। परतु प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात ही श्रमिकों ने हड्डाले को एक महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में अपनाया। १९२० में २०० हड्डाले हुई जिनमें १५ लाख श्रमिकों ने भाग लिया। १९२२ में ३९६ हड्डाले हुई जिनमें ६ लाख श्रमिकों ने भाग लिया। केवल सन् १९२८ और १९३० के बीच बहुत सी हड्डालें और झगड़ हुए क्योंकि सध आदोलन पर साम्यवादियों का नियन्त्रण था और वे पूजीवादी अर्थव्यवस्था को हड्डालों द्वारा नष्ट करना चाहते थे। १९२९ में शाही थम आयोग नियुक्त हुआ जिसकी रिपोर्ट ने केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को कुछ वैधानिक कायदाहिया करने के लिए प्रोत्साहित किया। सन् १९३० से १९३६ तक सामान्यत औद्योगिक क्षेत्र में शांति थी। परतु १९३६ व '३७ में हड्डालों का ताता लग गया जिसका प्रमुख कारण काप्रेसी मत्रिमठल बनने के कारण श्रमिक बर्ग में चेतना का विकास होना व मदीं काल में कम की गई मजदूरी की दरों में वृद्धि की मार्ग थी।

सन् १९२२ से लेकर १९३८ तक जो औद्योगिक सधर्ण हुए उनका अनुमान सारिणी १ से लगाया जा सकता है जो पृष्ठ १८५ पर दी गयी है।

2 दूसरी अवस्था (१९३९ से १९४७) १९३९ में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया, इससे मुद्रा स्फीति हुई और बीमलों में भारी वृद्धि हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि श्रमिकों की मजदूरी और रहन-सहन के बीच काफी अतर हो गया। इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों में अमतोष व्याप्त हुआ और औद्योगिक सधर्णों की स्थिति में काफी वृद्धि हुई। यद्यपि इस समय में मजदूरों की रुठिवाइया काफी बढ़ गई थी फिर भी युद्ध काल

सारिणी 1. औद्योगिक संघर्ष की सन् 1922 से सन् 1938 तक की स्थिति

वर्ष	हड्डतालों की संख्या (लगभग)	भाग लेने वाले श्रमिकों हजारों में	जन-दिनों की हार्दिकता (लगभग) हजारों में
			की संख्या (लगभग)
1922	278	—	—
1924	133	—	—
1928	203	506	3,150
1930	148	196	2,261
1932	118	128	1,922
1933	146	264	2,168
1934	159	220	4,775
1937	379	647	8,982
1938	399	401	9,198

मेरे संघर्ष कम हुए, इसका प्रधान कारण भारत सुरक्षा नियम के अन्तर्गत किया जाने वाला दमन था। 1945 मेरे द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हो गया। श्रमिकों की ऐसी आशा थी कि जोसे ही युद्ध समाप्त होगा उन्हे राहत मिलेगी, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। अत द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् औद्योगिक संघर्षों मे बढ़ते बढ़ते हुई। सन् 1946 की जुलाई मे शाक व तार विभाग के कर्मचारियों द्वारा विस्तृत हड्डताल की गई। आगामी तालिका मे 1939 मे 1947 के बीच होने वाले संघर्षों का विवरण दिया गया है—

सारिणी 2. औद्योगिक संघर्ष की सन् 1939 से 1946 तक की स्थिति

वर्ष	संघर्षों की संख्या	भाग लेने वाले श्रमिकों (हजारों में)	जन-दिनों की हार्दिकता (हजारों में)
			की संख्या
1939	406	409	4,992
1940	322	452	7,573
1941	359	291	3,330
1942	694	772	5,779
1943	716	525	2,342
1944	658	550	3,447
1945	820	747	4,054
1946	1,629	1,971	12,717

3 तीसरी अवस्था (1947 से आज तक) . 15 अगस्त, सन् 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद हड्डतालों की संख्या में कमी आई और यह स्थिति 1954 तक बनी रही। मन् 1955 से स्थिति पुनः बिगड़ने लगी। इसका प्रमुख कारण बढ़ती हुई महगाई, अभिनवीकरण की ग्रणाली अपनाने के लिए किए गए प्रयत्न। सन् 1955 में अभिनवीकरण को लेकर कानपुर के बस्त्र उद्योग के शमिको ने एक महत्वपूर्ण हड्डताल की। सन् 1956 में बबई, अहमदाबाद व कलकत्ता के राज्यों के पुनर्गठन से प्रश्न को लेवर आम हड्डताल हुई। इसी वर्ष नागपुर, पश्चिमी बंगाल व झाडगपुर की 30 सालों, किरकी में प्रतिरक्षा कारखानों आदि में भी हड्डताले हुईं। सन् 1957 में पश्चिमी बंगाल तथा बिहार की सानों व पश्चिमी बंगाल की बैंकिंग कम्पनियों आदि में हड्डताले हुईं। सन् 1957 व उसके बाद मूल्यों में तीव्र वृद्धि के कारण औद्योगिक विवादों की संख्या अत्यधिक हो गई। सन् 1966 का दर्प तो बद का वर्ष रहा वशोकि इस वर्ष सभी क्षेत्रों में भयकर हड्डतालें व तालेवदिया हुईं। इसका प्रमुख कारण यह था कि फरवरी सन् 1967 में सामान्य चुनाव था। अतः राजनीतिक दलों ने अपना स्वायत्त्व सिद्ध करने के लिए विभिन्न वर्गों का दुरुपयोग करके हड्डतालें करवाईं। सन् 1966 में हड्डतालों का एक उग्र रूप घेराव सामने आया और साम्यवादियों से प्रेरणा पाकर अनेक घेराव प० बंगाल केरल व अन्य राज्यों में हुए। सन् 1968-69 में तो उग्रवादी मजदूरों ने केंद्रीय आवास निर्माता फैब्रिटी में आग लगा दी और उसमें अनेक अधिकारी जीवित जलने भ वधे। 1947 से 1980 तक भारतवर्ष में औद्योगिक संघर्ष का अनुमान तालिका 3 से लगाया जा सकता है—

तालिका 3 औद्योगिक संघर्षों की संख्या

वर्ष	संघर्षों की संख्या	सलान शमिक की संख्या (हजारों में)	जन-दिनों हानि (दस लाख में)
1948	1,639	1,333	9.21
1951	1,071	691	3.82
1956	1,203	715	6.99
1961	1,357	512	4.92
1966	2,556	1,410	13.85
1971	2,752	1,620	16.55
1976	1,459	737	12.75
1977	3,117	2,193	25.32
1978	2,728	1,470	21.51
1980	2,856	1,900	219 ¹
1981	1,926	118	226 ¹

मन् 1973 का वर्ष तो मुख्यत हड्डालों और तालाबदियों का वर्ष रहा है। देश भर मे मूल्य वृद्धि के कारण एक आत्मसत्तोष तो बढ़ ही रहा है और साथ ही देश के विभिन्न भागों मे विभिन्न कारणों से अशांति भी बढ़ रही है। 1974 मे तो स्थिति और भी भयावह हो गई है। अब हड्डाल, आदोलन न तालाबदी हमारे देश मे आग बात हो गई। पिछले कुछ वर्षों से समाज के कुछ ऐसे वर्ग हड्डाल कर रहे हैं जिनकी आपदनी अच्छी है और जो सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इंडियन एयर लाइस व जीवन वीमा निगम के कर्मचारियों ने जो हड्डालें हाल ही मे की हैं, उनका कोई औचित्य नहीं था। जनवरी 1974 मे डाकटरों ने जो मरीज को तड़पता-कराहता छोड़कर अपना वेतन बढ़ाने के सबध मे हड्डाल की, वह अत्यन्त ही निदनीय है।

“जिन तरह से रोम जन रहा था और नीरो बासुरी बजा रहा था” उसी तरह बिगड़ती जा रही थम स्थिति को देख कर भी प्रधानमन्त्री ने यही कहकर सतोग कर लिया है कि “वर्तमान औद्योगिक अशांति एक अस्थायी समस्या है जो आपात् काल की ज्ञानदत्तियों से उत्पन्न हुई है तथा जीवन ही समर्पण हो जाएगा” परतु दिसंबर 77 के प्रथम सप्ताह मे कानपुर मे घटी घटना जिनमे 11 लोगों, जिनमे फैक्टरी के उत्पादन भैनेजर भी शामिल थे, की हिंसात्मक वारदात मे मृत्यु, हरियाणा के अनेक शहरो म थली आ रही महीनों की गडबडिया, सारे देश के बैंक, बीमा कर्मचारियों रेल कर्मचारियों तथा साज्य परिवहन निगमों के कर्मचारियों द्वारा आशिक व पूर्ण हड्डाल या कार्य ठप्प करने की चेतावनिया क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि देश मे श्रमिक असतोष बढ़ता जा रहा है।

भारतीय औद्योगिक सधर्यों का विश्लेषण

1 राज्यों के आधार पर औद्योगिक सधर्यों का विश्लेषण करने ने पता चराता है कि उनकी सर्वया परिवर्त्मी बगाल, तलिनाडु, केरल, महाराष्ट्र मे अन्य राज्यों की अपेक्षा पर्याप्त रूप से अधिक रही है। राज्यों के अनुसार कुल कार्य दिवसों की हानि की दृष्टि से उनमे महत्व का क्रम 1978 मे इस प्रकार था—

पश्चिम बगाल 98.2 लाख, महाराष्ट्र 29.7 लाख, तमिलनाडु 21.8 लाख, गुजरात 11.6 लाख।

2 उद्योगों के आधार पर औद्योगिक विवादो को उद्योग के अनुमार विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि किसी भी वर्तु मे कुल समय हानि निर्माणी उद्योगों मे सबसे अधिक रही है। इस क्षेत्र मे सबसे अधिक हानि सूती वक्त मिले और जूट गिले रही हैं।

सारिणी 4 : औद्योगिक विवाद के भाष्ठार

उद्योग	कार्य दिवसों	कार्य दिवसों	कार्य दिवसों
	की हानि (000)	की हानि (000)	की हानि (000)
	1971	1976	1977
1 वृष्टि, बन बांगन आदि	1701	95	1,204
2 बनन	1,057	311	1,821
3 निर्माणी उद्योग	11,343	11,922	20,227
4 भवन निर्माण	250	16	317
5 विजली, गैस, पानी व भफाई सेवाएँ	722	5	488
6. वाणिज्य	115	33	71
7 यातायात व सेवाहन	1,096	66	461
8 सेवाएँ	207	180	1157
9 अन्य विधाएँ	55	161	108

3 क्षेत्र के अनुसार औद्योगिक विवाद औद्योगिक विवादों को क्षेत्र के अनुसार विवरण नीचे दारणी में दर्शाया गया है—

सारिणी 5 क्षेत्र के अनुसार औद्योगिक विवाद

(अ) केन्द्रीय क्षेत्र	1971	1975	1978
(i) विवादों की संख्या	334	300	—
(ii) प्रभावित व्यक्तिक (000)	257	300	—
(iii) कार्य दिवसों की हानि (000)	1931	1533	2260
(ब) राजकीय क्षेत्र			
(i) विवादों की संख्या	2398	1643	—
(ii) प्रभावित व्यक्तिक (000)	1358	843	—
(iii) कार्य दिवसों की हानि (000)	14615	20348	19250

औद्योगिक संघर्ष के कारण

अध्ययन की मुद्राधारी दृष्टि से औद्योगिक संघर्ष के कारणों को हम तीन शीर्षकों के अतंगत रख सकते हैं—

1. आधिक कारण
2. प्रबंध एवं व्यवस्था संबंधी कारण
3. राजनीतिक कारण।

1 आधिक कारण

ब्रौद्योगिक संघर्षों के आधिक कारणों के अन्तर्गत निम्नलिखित कारणों का समावेश किया जा सकता है—

(i) अधिक मजदूरी की भाग : अधिक संघर्षों का सबसे महत्वपूर्ण कारण अधिक मजदूरी की भाग है। पिछले कुछ वर्षों में मजदूरी में मज़गाई के अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। फरास्वरूप अभिकों की क्रय-शक्ति कम हो गई है और उनका जीवन-स्तर भी गिर रहा है। अतः अधिकांश ब्रौद्योगिक विवाद अभिकों द्वारा अपनी मजदूरी में वृद्धि करने के प्रयत्नों का परिणाम है।

(ii) बोनस की भाग मजदूरों में अब यह चेतना आ गई है कि उद्योगों के लाभ में उन्हें अधिक-ने-अधिक भाग मिलना चाहिए, क्योंकि यह लाभ मुख्यतः उनके श्रम का फल है। इसलिए कई बार बोनस न मिलने परवा बोनस कम मिलने के कारण भी हड्डनालें हो जाती हैं।

(iii) काम करने की दशायें : भारत में अनेक ब्रौद्योगिक संघर्ष, कारब्बाने के अस्वस्थ वासावरण, तुरी गृह व्यवस्था, दोषपूर्ण संयंत्र, काम करने के अधिक घटे आदि वातों को लेकर भी होते रहते हैं।

(iv) भर्ती पद्धति भारत में अभिकों की भर्ती प्रायः मध्यस्थों के द्वारा की जाती है। अतः कभी मध्यस्थों की यहानुभूति गया कभी उनके विरोध में हड्डनालें की जाती है।

2 प्रबंध एवं व्यवस्था संबंधी कारण

(i) अम एवं पूजी का पारस्परिक संघर्ष : जब व भी अभिकों को अनुशासन-हीनता या बन्ध वात के लिए काम ने निकाला जाना है तो निकाले गए अभिकों की सहानुभूति में अभिक हड्डनाल कर देते हैं। अभिकों को गोड़ित करना, अभिक तथों की मान्यता देने में इन्कार करना, पश्चीन में टूट-फूट करना, अभिकों की अशिष्टता अथवा अनुशासनहीनता आदि कारण भी ब्रौद्योगिक संघर्ष को जन्म देते हैं।

(ii) अभिकों दी अशिष्टा अभिकों की अशिष्टा व भोलेशन का कुछ स्वार्थी लोग साम उठा कर उनमें पूरी पतियों के विद्वु वैभनस्य व कटूताएं बोज दो देते हैं जिसके बारण भी हड्डनाल होती है।

(iii) विवेकीकरण ब्रौद्योगिक उत्तावन वहां तथा मित्रव्यविता के दृष्टिकोण में कारब्बानों में विवेकीकरण की योजनायें वार्यान्वित की गईं, जिनके विरोध में भी हड्डनाल हुईं।

(iv) प्रबन्धकों का दुर्घट्यहार . जब भारतीय प्रबन्ध एवं निरीक्षक अभिकों के

साथ अनुचित एवं असम्मानपूर्ण व्यवहार करते हैं तो वे इसके प्रतिरोध के लिए हड्डताल कर देते हैं।

(v) सामूहिक सोदेबाजी का अभाव : भारतीय धर्मिकों व सेवायोजकों के बीच प्रायः सपर्क वा अभाव रहता है जिसके परिणामस्वरूप छोटी-छोटी बातों पर हड्डताल हो जाती है। वयाकि ऐसी व्यवस्था का अभी तक अभाव था जिससे सेवायोजकों और मजदूरों में परस्पर शातिष्ठी बात हो सके।

(vi) छुट्टियों के लिए तग करना : जब धर्मिकों को धार्मिक व सामाजिक अवसरों पर छुट्टी नहीं दी जाती या उन्हे बतन महिन अवकाश नहीं दिया जाता तो वे हड्डताल कर दिया करते हैं।

3 राजनीतिक कारण

भारतवर्ष में धर्मिक सम्पद का पथ-प्रदर्शन राजनीतिक नताओं द्वारा किया जाता है और भारतीय धर्मिक अधिकारियों के कारण बहुकाव में आ जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति व पूर्व धर्मिकों की उठनावों का मुख्य कारण राजनीतिक विरोध था। परंतु आजकल नता नाय अपनी स्वायत्तिहिकी के लिए हड्डताल करते हैं।

नीच तालिका में ओद्योगिक संघर्षों के कारणों के अनुसार महत्त्व दर्शाया गया है—

कारण	1951	1961	1966	1981
मजदूरी एवं भना	29.4	30.4	35.8	28.7
बोनस	6.8	6.9	13.2	7.8
छटनी और अम समस्याएँ	29.3	29.3	25.3	21.4
अवकाश नाया कार वे घटे	8.2	3.0	2.4	2.2
अन्य	26.3	30.4	23.3	39.9
याग	100.0	100.0	100.0	100.0

उपर्युक्त तालिका में स्पष्ट है कि मजदूरी एवं भना और छटनी देश में ओद्योगिक असानी के प्रमुख कारण रहे हैं। यह सत्तोयोग की बात है कि सरकार द्वारा छुट्टियों और कार्य के घटा का नियमन किए जाने के बाद इन कारणों से होने वाले ओद्योगिक संघर्ष सन् 1961 में 30 से घटकर 1972 में 14% रह गए। ओद्योगिक संघर्षों के कारणों में उल्लेखनीय प्रवृत्ति यह है कि बोनस के कारण होने वाले ओद्योगिक संघर्षों की संख्या एवं निरतर बढ़ि हाती जा रही है।

इडियन इस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ब्लकता में दिसम्बर 1970 में आयोजित एक विचार घोषणी में भारत में ओद्योगिक संघर्षों की समस्या के निम्न कारण बताए गए।¹¹

I, Chatterjee, N. N.: Interpreting the Industrial Relations Situation in India (Indian Labour Journal, January, 1972, p. 23-24.)

सावंजनिक उपकरणों के प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा नियंत्रण की अभाव।	विजी सेत्रों के प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा तैयार सूची	सरकारी विभागों के प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा तैयार सूची
1 डिपूरुशन पर प्रबंधकों की नियुक्ति के कारण निश्चित वायदों (Commitment) का अभाव।	1 थम सर्वों में आत्म-रिक और पारस्परिक प्रतिस्पर्धा।	1 निर्जीक्षण तथा सेवायोजनों का संदीण दृष्टिकोण।
2 राजनीति का प्रभुत्व।	2 थम द्वारा समझौतों एवं अनुबंधों का उल्लंघन।	2 श्रासघा भ. पारस्परिक एवं आनंदिक प्रतियोगिता।
3 निजी क्षेत्र द्वारा अधिक मज़दूरी दिया जाना।	3 अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप।	3 थम नीति का हमेशा प्रभावशाली न होना।
4 भाद्र भेवायोजक की वायदा का स्पष्ट न होना।	4 वित्तिरेक थम को निकालना।	4 राजनीतिक दलों द्वारा थम वा शोषण।
5 सावंजनिक उपकरणों में थम सबधी नियम नेतृत्व भौतिक तात्त्व का कारण बिन्दु न होना।	5 थम की मांग में भिरन्तर वृद्धि।	5 राजकीय हाफ्टना की सीमा का एवं भाग्यन न होना।
6 सावंजनिक क्षेत्र में बहमयन्त उपकरणों का हाना और विभिन्न संघर्षों में पृथक और विरोधी नीतियां होना।	6 थम संघा का राजनीतिक उद्देश्य का नियंत्रण होना।	6 बायकृत्ताना और उत्पादनता व इस पर जोर दिया जाना।
7 अधिकारी का वर्म भाग्यन (Delegation) होना।	7 श्रमिकों एवं प्रबंधकों का परस्पर विरोधी दृष्टिकोण।	8 सरकार द्वारा नये वित्त उद्योगों में अनुशासनहीनता।
8 मवान्तर मटकों भ. थम मध्य नेतृत्व का अभाव।	8 उत्पादवता की प्रायिकता न देना।	
9 सराद या सरवित मवालय द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप।		

- 10 विभिन्न सावजनिक
उपकरण में विभिन्न
सेवा दशाएँ।
- 11 नीकरी की अधिक
सुरक्षा।
- 12 मरकार द्वारा प्रबंध
का समर्थन किया जाता।
- 13 पुरस्कार लक्ष्य का दह
व्यवस्था का प्रभाव या
अप्रभावीत होना।

औद्योगिक सधयों के प्रभाव या परिणाम

बौद्धोगिक सधयों का सीधा परिणाम हड्डताल या तालाबदी होता है जिससे उत्पादकों श्रमिकों व राष्ट्र सभी को हानि होती है ऐसा कि निम्न विवरण स्पष्ट हो जाएगा—

1 उत्पादकों के लिए हानि बौद्धोगिक सधयों के कारण उत्पादकों को अनेक हानियां उठानी पड़ती हैं—

(1) उत्पादन घटना जब किसी उद्योग में हड्डताल या तालाबदी हो जाती है तब उत्पादन काय म रुकावन पड़ती है जिससे उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है। राष्ट्रीय लाभान्वयन के प्रति व्यक्ति काय घटती है।

(2) अनुग्रासनहीनता हड्डताल-प्रस्त उद्योगों म अनुग्रासन व्यवस्था समाप्त हो जाती है। हड्डतालों द्वारा उत्पन्न अनिश्चितता के वातावरण म अनेक विकल्पों को प्राप्तमाहन मिलता है।

(3) अधिक सहायक स्थिर बौद्धोगिक गधय के कारण उत्पादक को उत्पादन काय बद रहने के कारण एक तो सभावित लाभ से वचित रहना पारता है और दूसरी ओर सहायक स्थिर जैसे वारसाना भवन का किराया पूँजी का व्याप्त ऊंचे पदों पर काम रहने वाले कमचारियों का वेतन आदि भी देना पड़ता है।

(4) धम और पूँजी के दीच धूणा हड्डतालों के कारण मेवायोगक श्रमिकों को धूणा की दृष्टि से देखने लगत हैं जिसस धम और पूँजी की दीच की खाई और नी गहरी हो जाता है। फलत बौद्धोगिक उत्पादन के प्रभावित होता है।

2 श्रमिकों के लिए हानि बौद्धोगिक सधय का सबसे बुरा प्रभाव श्रमिकों पर पड़ता है। हड्डताल हो या तालाबदी श्रमिकों को उतने समय बेकार बैठ रहना पड़ता है। उनकी मजदूरिया वैसे ही कम होती है और कुछ दिन वेतन न मिलना तो उनके लिए बहुत ही कष्टदायक होता है। मजदूरी के अभाव में श्रमिक व उनका आधिकारी को पूरी सुरक्षा न मिलने के कारण स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनका पारि वातिक जीकर छिन हो जाता है। श्रमिकों में अनेक अवृत्तिकर्ता ने राष्ट्र की

भ्रावनम् ज्ञानात् हो जाती है।

हड्डतालो की असफलता से श्रमिकों को और भी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। क्योंकि इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों नी अपने संगठन के प्रति आस्था कम हो जाती है और इससे अम संघ आदोलन को गहरी चोट पहुंचती है। एकता के अभाव में मिल नालिक भी मनमानी करते हैं।

— 3 समाज व राष्ट्र के लिए हानि—(अ) सामाजिक अर्थव्यवस्था हड्डताल व तालाबदियों के फलस्वरूप सामाजिक वातावरण दूषित हो जाता है और समाज में अनिश्चितता और असुरक्षा छा जाती है।

(ब) जनसाधारण के लिए मकट . रेल, डाक, तार, पानी, विजनी आदि से मबद्धित मस्थानों में हड्डताल होने की दशा में जनसाधारण को बड़ी असुविधा हो जाती है, क्योंकि ये जीवन की आवश्यक सेवाएँ हैं। कभी कभी हड्डतालों के परिणामस्वरूप वस्तुओं की पूर्ति कम होने से मूल्यों में वृद्धि हो जाती है और चोरवाजारी जैसी समाज विरोधी प्रवृत्तियां सक्रिय हो जाती हैं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि औद्योगिक संघर्षों में श्रमिक, मालिक व राष्ट्र को अपार क्षति होती है, परतु इसके कुछ अच्छे परिणाम ही होते हैं, जैसे—(अ) श्रमिकों में पारस्परिक सहयोग बढ़ जाता है। (ब) श्रमिकों को आवश्यक मजदूरी, बोनस व अन्य सुविधाएँ बढ़ जाती हैं। (स) कार्य करने की दशाओं में सुधार होता है और काम करने के घटों में कमी आती है। (द) मिल मालिक जाग्रहक रहते हैं एवं शोषण के दण पहुंच सोच समझ कर रखते हैं।

क्या श्रमिकों को हड्डताल का अधिकार मिलना चाहिए ?

(Should the Workers be given the Right to Strike ?)

बौद्धोगिक हड्डताल मालिक और श्रमिक के बीच का संघर्ष होता है पर इसका प्रभाव वेवल इन दोनों पक्षों पर ही नहीं बल्कि स्पूर्ण राष्ट्र जाम जनता पर भी पड़ता है। हड्डताल के दुष्परिणामों को देखते हुए यह कहा जाता है कि मजदूरों को हड्डताल का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत अन्य सोमों ना विशेषकर साम्यवादियों का कथन है कि इस पर कोई भी नियन्त्रण होना अनुचित है। श्री जॉ. ए. हास्टन के विचारानुसार 'हड्डताल या तालाबदी का अमीमिन अधिकार समाज होना चाहिए। यह अन्यायपूर्ण है क्योंकि इसमें शक्ति का उपयोग एक विवर्धयस्त विषय में होता है। यह अमानवीय है क्योंकि इसमें मजदूरों के दुख बढ़ जाते हैं। इसमें श्रम और पूजी का अपव्यय होता है। यह द्वेषपूर्ण वस्तु है क्योंकि इससे पूछा जाता होती है और यह असामाजिक है क्योंकि यह समुदाय की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देता है।'¹

परतु यह प्रश्न एक दूसरे प्रश्न के साथ उठना चाहिए कि क्या उच्चोगपतियों को मजदूरों के शोषण का अधिकार होना चाहिए ? औद्योगिक संघर्षों का इतिहास यह बताता

1 Hobson, J. A.—The Conditions of the Industrial Peace, p. 30.

है कि हड्डताल अस्त्र का उपयोग उस समय किया जाता है जबकि सवायोजक श्रमिकों की समस्याओं व कठिनाई के प्रति उपेक्षा की नीति अपनाते हैं। हड्डताल का यह हथियार एक निष्क्रिय गास्ट्र होता है क्योंकि यह वह स्थल है जिसम श्रमिक अपन मालिक को यह अनुभव कराता है कि वे हड्डताल करने वाले श्रमिकों द्वे बिना अपना काम नहीं चला सकत। अतः हड्डताल वा अधिकार प्राप्त होने वे कारण सेवायोजक श्रमिक पर अधिक शोषण करने में हितकिचाता है क्योंकि उसे सदा भय रहता है कि यदि उसन अनुचित बदम उजा दिया तो श्रमिक हड्डताल कर देंगे। इस भय वे कारण स तायाजक अतिम कदम नहीं ठाठा पाते। मजदूरों के अधिकार को तभी रोकना उचित होगा जब शोषण वो समाप्त कर दिया जाय। जब तक समाज की अर्थव्यवस्था दोषपूर्ण है मजदूरों के अधिकार म हस्तक्षेप करना अन्याय होगा। और केंद्र एन० श्रीवास्तव ने बडे ही जोशीले शब्दों में लिखा है, 'यदि जनता की सरकार, जो जनता के लिए हो, और जनता के द्वारा शासित हो एग आधारों पर श्रमिकों के हितों वो उपेक्षा करती है तो उसे जनता की सरकार कहलाने का बोई अधिकार नहीं है। मूसे भरने वालों से यह बहना कि तुम अपना मुह बद बर सा और अपने प्रति होने वाले अन्यायों का केवल इसलिए विरोध न करो कि दूसरों को असुविधा होती है, घनी और समृद्धशाली व्यक्तियों वे सुख-चैन में बाधा पड़ती है, सरासर अन्याय होगा। तीव्र पीड़ा स दुखी व्यक्तियों की कराहट को यह कह कर बद नहीं किया जा सकता कि उससे अन्य लोगों की नीद में अडचन होगी। सच ता यह है कि बौद्धोगिक शानि का रास्ता श्रमिकों की कठिनाइयों का कारण मालूम बरके उसे दूर करना है, दबाना नहीं।'"¹ इस प्रकार गभीरता में विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सवायोजकों द्वारा शोषण स वचने के लिए श्रमिकों को हड्डताल करने वा अधिकार देते हुए भी सीमावद्ध व नियन्त्रित कर दिया जाना चाहिए। हड्डताल वा दुरुपयोग मजदूरों के लिए भी हानिकारक है। अत इसका दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ सामान्य नियम बनाए जा सकते हैं।

(अ) हड्डताल वा प्रयोग बार-बार छोटी मोटी बातों के लिए नहीं होना चाहिए।

(ब) हड्डताल के पूर्व शातिपूर्ण व मंत्रीपूर्ण दृग न बगड़ा व कष्टों वो मुलझाने का प्रयास होना चाहिए।

(स) हड्डताल किसी न्यायपूर्ण मार्ग के लिए होनी चाहिए और मार्ग बनाना परिस्थितिया वी पृष्ठभूमि में व्याख्यातिक होनी चाहिए अयात हड्डताल रिमी एसी मार्ग के लिए नहीं होनी चाहिए जिसकी पूर्ण वस्त्र और जिसको पूरा करन में उद्योग ही समाप्त हो जाय। उचित मार्ग वो पूरा बरन के लिए सवायोजकों को कुछ समय भी देना चाहिए।

(द) कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे—देश के मकान व गम्भीर मुद्द, पदी व बकाल आदि में हड्डताल का उपयोग नहीं होना चाहिए।

(३) हड्डताल के समय हिंसा का सर्वथा त्याग होना चाहिए।

(४) ऐसी हड्डतालों का भी परिन्याय किया जाना चाहिए जो मात्र पेशेवर व अनन्त्रिक दबोचे के नेताओं की अपनी स्वाधि सिद्धि के लिए होती है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि अभिको को हड्डताल करने का अधिकार देते हुए उसे सीधाबद्ध पा नियन्त्रित कर दिया जाना चाहिए। पर वह दाहें भलमाने ढग से कारखाने में तालाबदी कर दें। सेवायोजक इस विवास पर अनिवित बाल के लिए तालाबदी का आदेश दे देते हैं कि दो चार हफ्ते की मजदूरी न मिलने पर निधन अभिक रथ्य ही छुटने टेक देंगे। इसी आधार पर सेवायोजक अभिको को दबाने व शायण करने के प्रयत्न करते हैं। मालिका का एसा दृष्टिकोण निदनीय है और सरकार की ओर से भी उनके नालाबदी के अधिकार पर नियन्त्रण होना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में हम कह यकते हैं कि अनियन्त्रित हड्डताल और नालाबदी दोनों ही अनुचित हैं और इस प्रकार का कोई भी अधिकार न तो अभिको को और न ही सेवायोजको को दिया जाना चाहिए।

भारतीय परिस्थितियों में समस्या का हल

भारत में ओद्योगिक विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में आरम्भ हुआ। शुरू-शुरू में बबई व लकड़ा मशास अहमदाबाद व कानपुर जैसे बड़े नगरों में ही कारखाने खोले गए और भजदूरों ने हड्डताल दो केवल विरोध प्रगत करने का जग्या बनाया। मृत्युनाम के उपरात हड्डताल को भजदूरा का एक भ्रात्यकार भी माना गया और प्रत्यक्ष व्यक्ति की अपनी बात स्पष्ट करन की मर्वधानिक छूट भी दी गई। उस समय के बाद से हड्डतालों का स्वयं काफी विकृत हो गया। और हड्डतालें बड़े पैकाने पर होने लाई और उनके समर्थन में वे नोम भी हड्डताल करने लगे जिनका हड्डताल स कोइ गीधा सबध नहीं होता था तोकिन वे भजदूरों को एकत्रा प्रदर्शित करना चाहत थ। परत भाकल प्रतिदिन अवधारो म विसी न विसी स्थ न स हड्डताल घरार या हिस्मक प्रदर्शन आदि का समा चार पढ़ने को मिलता है। मध्य दग के कमचारी भी जिन्हान भाज तक हड्डतालों में भाग नहीं लिया था उस भृत का उपराग करने लगे है। अव्यापक शाक्त और इस्त्रियिपर, य उन भजदूर मगठन के थग बन गा है जोर अपनी मार्गे मनवाने के लिए हड्डताल का महारा ले रहे हैं। समाज के कुल ऐसे वय हड्डताल को हथियार के रूप म उपयोग कर रहे हैं जिनकी आय अच्छी है लो जो सुरी जी न व्यतीत न र रह है। उदाहरणार्थ इडियन एपर लाइस और जाधन बीमा निगम व तम एस्पो न विछुल दिनों जो आदोलत आरम्भ लिए उनका काई अधिकार नहीं था। उनका वेतन सारे देश की ओसत वार्षिक आय से वर्द्धुता अधिक है, किर भी हर छोटी सी बात के लिए कर्मचारी हड्डताल का अस्त्र चलाना चाहता है। ऐसा तग र रह है कि मगठित म चढ़ते या मचारी वा अधिका की सामत-साही स्थापित करते जा रह है और वे जिनका राष्ट्रीय धन पैदा करत है उससे वही ज्यादा अपना हिस्मा मारते हैं। इस तरह वे सरकार और समाज के लिए अवरदस्त

खतरा बन गए हैं।"

अब विचारणीय विषय यह है कि भारत की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए श्रमिकों को हड़ताल करने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं? हमारे विचार में हड़तालों से लाभ कम और हानि अधिक है। आज देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उत्पादन की कमी और कीमतों की न रुकने वाली तेजी ने देश को ऐसे चौराहे पर ला खड़ा कर दिया है जहाँ से प्रगति का रास्ता ठीक नजर नहीं आ रहा है। विशिष्ट परिस्थितियों के कारण भारत में हड़तालों और तालेबदियों पर नियन्त्रण लगा देना चाहिए। इस सबध्यं में हमारे कुछ तर्क इस प्रकार हैं-

1. आर्थिक दृष्टि से हमारा देश काफी पिछड़ा हुआ है। इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए व बढ़ती हुई कीमतों तथा भयावह बेरोजगारी की समस्या को रोकने के लिए उत्पादन की बढ़ाने व औद्योगिक विकास करने की अत्यत आवश्यकता है। हम पचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश का आर्थिक विकास करना चाहते हैं। हमारी पचवर्षीय योजनाओं की सफलता बहुत कुछ औद्योगिक शांति पर ही निर्भर करती है। अतएव राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हड़तालें न्यायसंगत नहीं बही जा सकती। हड़तालों से कितनी हानि होती है इसे हर मामले में नापा नहीं जा सकता। केवल दिसंबर 1973 की हड़ताल से रेलवे को 10 करोड़ रुपए से अधिक की हानि हुई। परोक्ष रूप से देश को जो हानि हुई वह कई गुना अधिक है। इसी प्रकार अनुमान है कि इडियन एयर लाइस वी हड़ताल और तालाबदी से केवल निगम को 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त बाहर में आने वाले पर्यटकों की कमी के कारण देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। होटलों में कम आय होने के अतिरिक्त इस देश का जो कुछ माल पर्यटक खरीदते वह भी नहीं दिका। यह सब परोक्ष हानियां हैं जो इडियन एयर लाइस में हुई हड़ताल के कारण देश को सहनी पड़ी। भारत ये मजदूरों और दूसरे कर्मचारियों के असतोष के कारण हड़तालों और तालाबदियों से उत्पादन में हर रोज कमी हो रही है। आज इस देश में हड़ताल पौर तालाबदी केवल अन्याय ही नहीं है बल्कि अपराध भी है। इस समय भारत की सीमाओं पर प्राय तनाव बना रहता है और युद्ध की आशका जनमानस को भयभीत किए हैं। साथ ही देश के आतंरिक भागों में भी अशांति वा वातावरण है। कहीं किसी प्रदेश में कभी कोई आदोलन जोर पकड़ता है तो वही अन्य स्थान पर हिंसा, नूटपाट की घटनाएं होती हैं। हड़तालें प्रगति को रोकती हैं। इसलिए उनके प्रति उदार नहीं हुआ जा सकता और लोकतंत्र के नाम पर उन्हें सहन भी नहीं किया जा सकता, चाहे वे हिंसक हो या अहिंसक। अत आर्थिक योजनाओं की सफलता के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के साथ में श्रोपूर्ण व सौहार्दपूर्ण सबध्यं को बनाए रखने की आवश्यकता है। इसमें हड़ताल व तालाबदियों का कोई स्थान नहीं है। इस सदर्म में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के निष्पत्र शब्द स्मरणीय हैं: "वर्तमान स्थिति में हम सब लोगों के लिए यह आवश्यक है कि एवं असें तक देश में औद्योगिक शांति रहे दानी हड़ताल और तालेबदिया न हो जिसने हम आपसी दृह्योग से उत्पादन बढ़ा सकें और विकास योजनाओं को सही तरीके से सागू कर सकें।"

2. भारत में श्रमिक सभ आज भी उचित रूप से संगठित नहीं हैं पर उन पर वेत्ते-

वर या राजनीतिक नेताओं का अधिकार है जो अपनी राजनीतिक स्वार्थसिद्धि के लिए श्रमिकों को बिंदा कारण भड़का कर हड्डतालें कर बाते हैं। अत सामाजिक-आर्थिक प्रगति के बाध्य व समाज के शत्रु इन तथाकथित साम्यवादी नेताओं से श्रमिकों को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि श्रमिकों को हड्डताल का अधिकार तब तक न दिया जाय जब तक कि इस अधिकार को कार्य में लाने के लिए वे अपने में से ही योग्य व विवेकशील नेताओं को जन्म नहीं देते।

निष्पत्ति उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्पत्ति पर पहुँचते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गभीर स्थिति को देखते हुए हड्डतालों और तालाबदियों पर नियन्त्रण लगाना आवश्यक है। अगले पांच वर्षों के लिए सरकार, सेवायोजक और मजदूरों में ऐसी सधि होनी चाहिए जिससे देश की उन्वादन क्षमता को क्षति न पहुँचे और यदि ऐसा समझौता न हो सके तो सरकार को अधिनियम पारित करके हड्डताल के अधिकार को समाप्त कर देना चाहिए। अब समय और अधिक दूर देन का नहीं है।

बौद्धोगिक शांति स्थापित करने की रीतियां (Establishment of Industrial Peace)

इनका हम निम्नलिखित दो शीर्षकों के अतर्गत अध्ययन कर सकते हैं—

1. सधर्य सुनझाने की रीतिया अर्थात् जब सेवायोजक और श्रमिकों में वास्तव में सधर्य हो जाय तो उसे किस प्रकार निपटाया जाय?
2. सधर्य खोलने की रीतिया इन्हें प्रतिरोक्षात्मक रीतिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें अतर्गत वे रीतिया आती हैं जिनसे सधर्यों का होना ही रोका जा सकता है।

1. सधर्य सुलभाने की रीतिया

संदर्भातिक स्वयं ने झगड़े निपटाने की अनेक रीतियां हो रक्ती हैं। उनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं—

—(अ) परस्पर वार्ता इस विधि के अतर्गत सेवायोजक और श्रमिक स्वय ही अपने झगड़े को निपटाने का प्रयत्न करते हैं। साधारण झगड़ों में यह विधि अपनाई जाती है और बहुधा सफल भी हो जाती है परन्तु सधर्य का कारण यदि बड़ा हो और सधर्य काफी अमय तक चल चुका हो तब यह रीति अधिक प्रभावपूर्ण और सफल नहीं हो पाती।

—(ब) सारवना अथवा समझौता अपवस्था (Conciliation) : प्राय सेवायोजक और थोरीब अपने पारस्परीरक मतभेदों को दूर करने में असमर्थ रहते हैं। फलत बौद्धोगिक शांति मर्य होने की आशा का रहती है। अत इस विधि से बचने के लिए समझौता अपवस्था का आवश्यक लिया जाता है। इसमें श्रमिक अपने प्रतिनिधि चुन लेता है और सेवायोजक अपने प्रतिनिधि। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि तीसरे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के मामने लाए जाते हैं ताकि यह तीसरा पक्ष दोनों की समस्याओं को सुने, उनके तर्क ले चर तरश्चात् उनमें समझौता करा दे। यह समझौता बल के द्वारा नहीं बल्कि समुचित अपस्री वादचीत के द्वारा होता है। इस प्रकार समझौता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें

थमिकों और मालिकों के प्रतिनिधियों को एक तीसरे व्यक्ति के सामने इसलिए लाया जाता है कि पारस्परिक बातचीत के द्वारा एक मान्य समझौते पर पहुंचा जा सके।

समझौता व्यवस्था अनिवार्य तथा ऐच्छिक दोनों प्रकार की हो सकती है। समझौता उस समय ऐच्छिक होता है जबकि झगड़ा करने वाले दोनों ही पक्ष किसी तीसरे पक्ष के पास अपनी इच्छा से झगड़ा तय कराने को जाते हैं। इसमें कानून से किसी प्रकार की विवशता नहीं होती। इस तीसरे व्यक्ति का नियंत्रण दोनों पक्ष आवश्यक रूप में मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसके विपरीत जब राज्य किसी सधर्दे या वादविवाद को निपटाने के लिए अनिवार्य रूप से समझौता व्यवस्थापक को सौंप दे अर्थात् जब राधर्दे को अनिवार्य रूप से समझौता व्यवस्था में ले जाना पड़े तो उस व्यवस्था को अनिवार्य समझौता व्यवस्था कहते हैं।

गुण व दोष : ओद्योगिक सधर्दों को नियंत्रित करने में समझौता व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अभिक व सेवायोजक दोनों ही अपनी-अपनी समझौता समझ रखते हैं तथा आपसी सहयोग द्वारा उनको दूर करते हैं। इस प्रकार मेरा भेदों की स्थाई नहीं बनने पाती जिससे न तो अभिकों को हड्डताल की शरण लेनी पड़ती है और न ही सेवायोजकों को तालाबदी की। इस प्रकार हम देखते हैं कि समझौता विधि सधर्दों का जड़ से ही समाप्त कर देती है। समझौता विधि की इस विशेषता के कारण ही श्रम के शाही आयोग ने भी इस विधि का समर्थन किया है। शाही श्रम आयोग के दबदो में “पक्षकारों के सामने एक हल प्रस्तुत करने और फिर जन-भावना उभार कर उसे स्वीकार कराने की अपेक्षा यह कही अधिक अच्छा होगा कि झगड़ों के पक्षकारों को स्वयं उसे हल करने दिया जाय। ऐसे अनेक अवसर आएंगे जबकि चतुर और अनुभवी विधिकारी झगड़े के पक्षकारों को एक साथ बठाकर या किसी एक पक्ष के सामने दूसरे पक्ष का दिग्ठिकोण रखें, जिसे सभवत मुख्य दिया गया था। अथवा समझौते की सभावित रूपरेखा का सकेत कर समझौते करने में बढ़ी सहायता दे सकते हैं।”

कुछ लोगों की सम्मति से अनिवार्य समझौता घोषित है जबकि कुछ अन्य लोग ऐच्छिक समझौते को अधिक महत्व देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अनिवार्य समझौता अनुचित है क्योंकि यह स्वतंत्रता को छीनता है। परतु यह धारणा गलत है, क्योंकि अनिवार्य समझौता तो अधिकार के प्रयोग को वेतन स्थगित करता है और इस वीच समझौते के आधार वी खोज करता है। हड्डतालों का एथगन बड़ा आवश्यक है जिसमें झगड़ निपटाने के लिए उपयुक्त बातावरण पैदा हो सके। श्री वी. वी. गिरि ने ऐच्छिक समझौते को अधिक महत्व दिया है। सिद्धातत यह ठीक है कि तु व्यवहार में ऐच्छिक समझौते को नामांन्यता उपयोग करें। क्योंकि जो भारतीय विधियोंने जो नियमित समझौते की गहायता लेनी पड़ती है।

भारत में समझौता विधि का महत्व और भी अधिक है क्योंकि यहाँ सधर्दों की संरक्षा में काफी बढ़ि होती चली जा रही है। पचवर्षीय योजनाओं की सफलता के मार्ग में ये सधर्दे वाधक सिद्ध हो रहे हैं। इम समय भारत में उत्पादन की मात्रा में बढ़ि करने की आवश्यकता है, जो समझौता विधि द्वारा काफी सीमा तक पूरी की जा सकती है।

देश मे आवश्यकता अनुभव करते हए भारत सरकार ने ख्रिस्ती अधिकारी के द्वारा समझौता व्यवस्था को महसूपूर्ण स्थान दिया है। समझौता बोडे बना दिए गए हैं और समझौता अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। परंतु दृष्टिवश भारत में यह विधि सफल नहीं हो पाई है क्योंकि (अ) भारत का श्रमिक वर्ग केवल अशिक्षित ही नहीं बल्कि असचित भी है जिसके कारण समझौता बोडे मे श्रमिकों के प्रतिनिधि वर्षी समस्याओं को तकों सहित स्पष्ट नहीं कर पाते। इसका परिणाम यह होता है कि समझौता बोडे का निर्णय हमेशा सेवायोजको के ही पक्ष मे होता है और श्रमिकों को इससे कोई लाभ नहीं हो पाता। (ब) एक भारतीय समझौता अधिकारी एक समझौता विधिकारी ही अपेक्षा जज की भाँति अधिक कार्य करता है। यह वस्तुस्थिति का व्यावहारिक दृष्टिकोण न लेकर कानूनी दृष्टिकोण अपनाता है। यह भी इस व्यवस्था का दोष है क्योंकि समझौता अधिकारी का कार्य दोनों पक्षों के तक सुनकर अपना व्यक्तिगत निर्णय देना नहीं होना चाहिए बल्कि दोनों पक्षों भे सुलह कराना होना चाहिए।

समझौता व्यवस्था के जो दोष ऊपर बताए गए हैं, वास्तव में यह समझौता व्यवस्था के दोष नहीं बल्कि श्रमिकों के अशिक्षित होने वा अपील का अधिकार दे देने से आ गए हैं जिनको दूर किया जा सकता है। श्रमिकों व सेवायोजको को अधिकार दिया गया है कि अगर समझौता अधिकारी का निर्णय उन्हें स्वीकार न हो तो वे बोधोगिक व्यापलय में उसकी अपील कर सकते हैं। जीवोंगिक न्यायालय के अध्यक्ष वकील होते हैं जो सध्य के निर्णय पर कानून के आधार पर विचार करते हैं। इसलिए समझौता अधिकारी को भी कानून के आधार पर विचार करना पड़ता है।

(३) मध्यस्थिता (Mediation) इस विधि मे श्रमिको और सेवायोजकों के प्रध्य समझौता कराने के लिए किसी मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है। मध्यस्थ कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो हमेशा भरकारी अधिकारी है अथवा गैर-भरकारी। मध्यस्थ निष्पक्षता के आधार पर सध्य के दोनों पक्षों के तक गुनता है। और उसके पश्चात् निर्णय देता है। परंतु इस व्यवस्था के निर्णय को मानना अथवा न मानना श्रमिकों और सेवायोजकों की छह्डा पर निर्भर करता है। जब सध्य को निपटाने मे यह विधि भी असफल हो जाती है तो पन-फैसले की दारण ली जाती है।

मध्यस्थिता की नीति की यह विशेषता है कि इसमे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रचानता दी गई है। श्रमिक और सेवायोजक पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। उन पर किसी प्रकार वी वाधा अनिवार्यता अथवा बोक्षा नहीं होता।

(४) पच निर्णय (Arbitration) इस विधि मे तीसरे पक्ष का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस विधि मे श्रमिकों व सेवायोजकों दोनों दलों की बात सुनने के बाद नीमग्न दल अपना निर्णय देना है जो जदालत के फैसले के ममान होता है।

पच निर्णय ऐचिठ्क हो महान है या अनिवार्य। ऐचिट्क पचनिर्णय मे दोनों पक्षकार वयन जगहे को दियी पचक मुपुदं बरन के लिए रानी होते हैं जितना निर्णय उन्हें स्वीकार होगा। पच निर्णय तत्र अनिवार्य कहलाता है जबकि झगडे को सेवायोजकों और श्रमिकों की स्वेच्छा पर अनिश्चित काल के लिए नहीं बलने दिया जाता बल्कि सर-

कार उसमे हस्तक्षेप करती है और उसकी अनिवार्य रूप से जाच व निर्णय किया जाता है। यह निर्णय दोनों ही पक्षों को अनिवार्यतः स्वीकार करना पड़ता है।

जो विद्वान् अनिवार्य पच-निर्णय के पक्ष मे है उनका मत है : (अ) पच निर्णय व्यवस्था को अनिवार्य इसलिए होना चाहिए क्योंकि ज्ञागडो का निपटारा करने का कार्य यदि मालिकों और श्रमिकों की इच्छा पर छोड़ दिया जाएगा तो ज्ञागडों न केवल अनावश्यक रूप से दीर्घ समय तक चलता रहता है बल्कि ज्ञागडे का रूप और भी जटिल हो जाता है। (ब) ऐच्छिक पच निर्णयों द्वारा सरलता से अवहेलना की जा सकती है जिससे कि एक ज्ञागडों होने के स्थान पर अन्य ज्ञागडों व अन्य रूपों से प्रकट होता है। (स) अनिवार्य पच-निर्णय से ज्ञागडे का निपटारा अधिक वैज्ञानिक ढंग से सम्पन्न हो जाता है क्योंकि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पहले से ही एक सगठन स्थापित कर लिया जाता है।

परन्तु अनेक विद्वानों ने अनिवार्य पच-निर्णय को बहुत हानिप्रद बताया है। भारतीय शाही कमीशन ने इसका विरोध किया था। तिथिनी बेब ने लिखा है, "अनिवार्य पच-निर्णय यदि सामूहिक सौदेबाजी का दमन करता है तो किसी के लिए लाभप्रद नहीं है।" अमेरिका का श्रमिक द्वारा निम्नलिखित कारणों से अनिवार्य पच-निर्णय व्यवस्था के विश्वदृष्टि है।

1. यह उद्योग मे स्वशासन का अन्त करती है क्योंकि इसमे सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाता है।

2. यह औद्योगिक ज्ञागडों को और भी दीर्घकालीन बना देती है।

3. यह सामूहिक सौदेबाजी का बन्त करके उसे मुकदमेबाजी मे परिवर्तित कर देती है।

4. यह व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूर्णतया छीन लेती है।

5. इसमे श्रम का अपव्यय होता है क्योंकि श्रमिकों को गवाह के रूप मे अनिवार्य रूप से श्रम न्यायालय मे जपस्थित होना पड़ता है।

6. इस व्यवस्था मे श्रमिकों को उतने दिनों तक हानियों को सहन करना पड़ता है जितने दिन तक पचायत अपना निर्णय न दे दे। इस अर्थ मे श्रमिकों को मुकदमे की सुनवाई व दोष प्रभावित होने से पहले ही दड का भागीदार होना पड़ता है।

7. यह श्रमिक वर्ग को सेवायोजकों के अनुचित कार्यों के विरोध और अपने काम की दशाओं मे सुधार के लिए शातिपूर्ण प्रयत्नों से घर्षित करती है।

अनिवार्य निर्णय के सबध मे श्री बी० बी० गिरि ने लिखा है—“अनिवार्य पच-निर्णय एक पुलिसमंत के समान है जो कि मध्यर्य की निगरानी करता रहता है और जरा-सा सदैह होते ही दोनों दलों को बदालत मे धसीट ले जाता है और न्याय की एक महगी खुराक दोनों को पिला दी जाती है। चाहे उससे उन्हे असतोप ही हो।”

शाति बनाये रखने के साधन

सघर्य समाधान के साधन और शाति बनाये रखने के साधन दोनों ही औद्योगिक सांति के लिए आवश्यक हैं। शाति बनाये रखने के साधनों का हम निम्नलिखित शीर्षकों

के अतर्गत अधियन वर सकते हैं—

1 श्रमिक सघ श्रमिकों व सेवायोजकों के पारस्परिक सबधों को अधिक घनिष्ठ व मैत्रीपूर्ण बनाने में थ्रमिक सघ एक महत्वपूर्ण साधन है यह बात अब विस्तृत रूप से रवीकार की जाने लगी है। इसका कारण यह है कि समाजित श्रमिकों से सपक रखना और उनके दुख दर्द, सुविधा असुविधा एवं इच्छा-अनिच्छा दो जानला आसान है। समाजित श्रमिक अधिक अनुशासित और उत्तरदायी होते हैं। उनके परस्पर के ज्ञान और मनभूताव भी कम हो जाते हैं। श्रमिक सघ एक अन्य रूप में भी औद्योगिक सघपां को रोकता है। श्रमिक सघ एक समाज है और समाज में शक्ति होती है। जिन उद्योगों में मुद्द़ और सुसमिति श्रमिक सघ विद्यमान हैं उनमें सेवायोजक भनमान फग से श्रमिकों का शोषण नहीं कर पाने। इससे जगड़ों की सभावना भी कम हो जाती है।

2 कार्य समितिया औद्योगिक जगड़ों के प्रतिशोध के साधन के रूप में कार्य समितियों के महत्व को विद्यन के सभी प्रतिशोल देशों ने नीकार किया है। इस प्रकार की समितिया अमेरिका, ग्रेटब्रिटेन, डेनमार्क, इटली, आस्ट्रेलिया चैकोस्लोवाकिया फिन लैंड, फ्रांस नावें योलेंड जम्नी, हगरी आदि देशों में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इन कार्य समितियों के अतर्गत श्रमिकों और सेवायोजकों के समान सम्मान में प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्येक औद्योगिक सम्पदा की इस प्रकार की कार्य समिति अलग-अलग होती है और प्रत्येक औद्योगिक सम्पदा की कार्य समिति में उस सम्पदा के श्रमिकों व सेवायोजकों के समान सम्मान में प्रतिनिधि होते हैं।

उद्देश्य कार्य समितियों के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1 सेवायोजकों और श्रमिकों के बीच होने वाले सघपां को समाप्त करना कार्य समितियों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य श्रम और पूजी के बीच उत्पन्न होने वाले सघपां को समाप्त करना व औद्योगिर वातावरण को मधुर बनाना है।

2 अम और पूजी के बीच सहयोग सेवायोजकों और श्रमिकों के बीच वीच वाई को समाप्त करके उन्हें एक-दूसरे के निकट लाना और उनके सबधों को अच्छा करना। कार्य समितियों का एक प्रमुख उद्देश्य है। कार्य समितियों द्वारा श्रमिकों का उन परिस्थितियों के प्रति जिनमें कि उनका कार्य सम्पादित होता है व्यापक रुचि और उनका दायित्व का अनुभव हो।

3 कारब्राने के नियमों का पालन कार्य समितियों का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य श्रमिकों द्वारा कारब्राने के उन नियमों का पालन कराना है जिनके सबध म श्रमिक तथा सेवायोजक दोनों के बीच सामूहिक छहराब हो गया हो।

कार्य समितियों के कार्य औद्योगिक सघपां की रोकथान म इन समितियों का महस्त इनके निम्ननिविन कार्यों से स्पष्ट हो जायगा

(i) श्रमिकों में उनके कार्य के प्रति सचि और उनकरदायित्व की भावाओं उत्पन्न करना।

(ii) मजदूरी के सामान्य प्रश्नों को छोड़कर अन्य किसी भी मामले पर पर मर्जन देना।

(iii) श्रमिकों और सेवायोजकों के बीच हुए समझौते की शर्तों को साझा करना।

(iv) सेवायोजकों व श्रमिकों के बीच संघर्ष को रोकना व दोनों पक्षों के बीच गलतफहमी न होने देना।

(v) दिन-प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाकर श्रमिकों और मालिकों में पारस्परिक सहयोग बढ़ाये रखना।

(vi) श्रमिकों की सुख-सुविधा, स्वास्थ्य, मनोरजन, कल्याण और सुरक्षा सबधी प्रश्नों पर विचार करना।

(vii) ओद्योगिक उत्पादकता की वृद्धि के लिए प्रयत्न करना।

(viii) श्रमिकों की कार्यक्षमता को धटाने वाली परिस्थितियों को जाच करना।

(ix) श्रमिकों के जीवन-स्तर को ऊचा उठाने के लिए आवश्यक प्रयत्न करना।

(x) श्रमिकों व मिल-भालिकों के बीच मानवीय व्यवहार और पूर्ण अनुशासन बनाये रखने के लिए प्रयास करना।

(xi) अम न्यायालयों के निर्णयों, सरकारी आदेशों और विज्ञप्तियों के बर्य-स्पष्टीकरण के सबध में प्रबल्कों से बातचीत करना और उन्हें साझा करना।

(xii) किसी भी कर्मचारी द्वारा कारखाने के दैनिक जीवन और सुख-सुविधा को घनिष्ठ हृप से प्रभावित करने वाले प्रश्नों के सबध में प्रस्तुत किए गए सुझावों पर विचार करना।

(xiii) तालाबद्दी व हड्डताल न होने देना और अगर किसी कारण हो जाती है तो ऐसे प्रयत्न करना जिससे कि वह अधिक दिन तक न चल सके।

(iv) मिल में सामाजिक जीवन का विकास करना ताकि श्रमिकों में आपस में भी सौहार्दपूर्ण सबध पनप सकें।

अम के शाही आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ओद्योगिक संघर्षों को रोकने व उनका नपटारा करने के लिए उपरोक्त प्रकार की समितियों पर बल दिया था जिनके परिणाम-स्वरूप हमारे देश में कुछ कार्य समितियों की स्थापना की गई परतु वे अपने कार्य में अधिक मफल नहीं हुईं। सेवायोजक उन्हें अम संघों का स्थानापन समझकर उन पर निवारण नहीं करते जबकि अम संघों की व्यष्टि में ये समितियाँ इनकी विराधी संस्थाएं हैं। अपनी ब्रजानना के कारण श्रमिक भी उन पर विश्वास नहीं करते। इस प्रकार इन समितियों को किसी भी पक्ष का सहयोग प्राप्त नहीं है।

भारतीय सेविवर्गीय प्रबल संस्था के आठवें वार्षिक विवेशन ने कार्य समितियों को मफल बनाने के लिए निम्नलिखित मुद्दाव दिए हैं—

(i) कार्य समितियाँ सुझावात्मक होनी चाहिए। (ii) कार्य समितियों में पर्यवेक्षक के स्तर के अधिकारी भी समिलित हों जा सकते हैं। (iii) जार्य समिति के निर्णयों का अधिकाधिक प्रचार किया जाना चाहिए। इसके लिए पर्यवेक्षक की सहायता

भी ली जा सकती है। (iv) समुक्त परामर्श के निर्णय क्षेत्र को सामूहिक समझौते के निर्णय क्षेत्र से पृथक् रखना चाहिए। (v) कार्य समितियों पर अधिकों का प्रतिनिधित्व बरते बाले सदस्य उसी सम्पत्ति के कर्मचारी होने चाहिए। (vi) प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों में अपने लिए विश्वास पैदा करने का प्रयत्न करना चाहिए।

3 स्थायी आदेश (Standing Order) ओद्योगिक संघर्षों को रोकने के लिए स्थायी आदेश भी एक महत्वपूर्ण साधन है अनुभव बताता है कि अनेक झगड़े इस प्रकार के होते हैं कि या तो कार्य के कोई नियम नहीं होते अथवा उन नियमों का ज्ञान नहीं होता। यह नियम व्यक्तिगत भी हो सकते हैं या अधिनियम द्वारा निर्धारित हो सकते हैं। इन आदेशों में कार्य के घटे, अधिकों की छुट्टियाँ, वेतन मिलने की तारीख मजदूरी की दर, प्रारिदृष्ट पट्ट इत्यादि की सब शर्तों का उल्लेख होता है। ब्रिटेन में इस प्रकार की दशाएं एवं शर्तें अधिक एवं सेवायोजकों के संघों के समझौते के द्वारा विद्वित की जाती हैं। भारत में इस मबद्द में ओद्योगिक रोजगार ('स्थायी आदेश') अधिनियम 1946 पास ही चुका है जिसके अनुसार 100 वा अधिक कर्मचारियों की भर्ती करने वाले कारखानों को निरिट अधिकारी के पास इस संघर्ष में नियम भेजना आवश्यक होता है। 1961 में इस दूसरे ढंगों ग जिसमें 100 रुपये का कम करने का अधिकार दिया गया है।

4 समुक्त ओद्योगिक परिषद्. इन परिषदों में श्रम और पूजी दानों दे ही समान प्रतिनिधि होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य मेवायोजकों व अधिकों के बीच एक एमा बातावरण पैदा करना होता है जिससे दोनों ही पक्ष कथे संक्षामिला कर चल सकें, ये परिषद् अधिकों व सेवायोजकों के हितों की रक्षा के लिए पारस्परिक समझौता करती हैं।

इन परिषदों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि श्रमिक व सेवायोजक दोनों वे समर्थन मुद्दह हो और दोनों ही देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण हो।

5 मजदूरी परिषद् मजदूरी परिषद का समर्थन अधिकों और सेवायोजकों व समान अनुग्रह में प्रतिनानिधियों व कम स कम तीन बाहरी विशेषज्ञों के समझौते में होता है। इनका प्रमुख कार्य न्यूनतम भजदूरी की दर व कार्य करने की दशाओं के निर्धारण करने में योग देता है।

6 सामूहिक संविवाजी यह सेवायोजक और श्रमिक दोनों पक्षों म होने वाला समझौता है जो संघर्षों के कारणों को बहुत कुछ कम कर दता है। इसकी विस्तृत विवेचना इमन एक पृथक् अध्याय म की है।

भारत में ओद्योगिक भाड़ों को रोकने तथा निपटाने वाली विद्यमान व्यवस्था (Machinery for the Settlement of Industrial Disputes)

भारत में ओद्योगिक संघर्षों को रोकने और उनको तय करने के लिए पहली व्यवस्था सन् 1929 में अधिकारिक संघर्ष अधिनियम द्वारा की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया गया कि जहाँ वह उचित समझे, ओद्योगिक

सघयों मे हस्तक्षण कर सकती है। इस अधिनियम के अनगत झगड से सबधित किसी पक्षकार की प्राप्तना पर सरकार झगड़ा सुलझाने के लिए एक जाच अदालत और समझौता बोह वे नियुक्त कर देती थी। इतु इसके नियम पक्षकारों पर अनिवाय रूप से वाधित न होने के कारण उक्त व्यवस्था से कोई लाभ नहीं हुआ। सन् 1938 मे बब्ड औद्योगिक विवाद अधिनियम पास किया गया जिसमे मेवायाजको द्वारा व्यम सधा की अनिवाय मायता रोजगार की शर्तों का श्रमिकों को ज्ञान कराना ओद्योगिक अदालत की स्थापना का प्रावधान था। 1946 मे बब्ड औद्योगिक विवाद अधिनियम का प्रति स्थापक बब्ड औद्योगिक सबध अधिनियम पास किया गया। 1947 मे भारत सरकार ने औद्योगिक सघष अधिनियम पास किया जिसका सशोधन 1956 मे हुआ। औद्योगिक सघयों के निपटाने के सबध म वतमान मे यही प्रमुख अधिनियम है। इस अधिनियम व अनगत औद्योगिक विवादों के निपटाने हेतु निम्नलिखित 8 व्यवस्थाए हैं—

1 कारखाना समिति (Works Committees) प्रदेक कारखाने म अच्छे औद्योगिक सबध स्थापित करने के लिए कारखाना समितिया बनाई गई हैं जिनमे श्रमिकों व सेवायोजको के बराबर बराबर प्रतिनिधि रहते हैं। इन समितियों का उद्देश्य श्रमिकों एव मालिकों के मध्य दैनिक जीवन मे उत्पन्न होने वाले छोटे मोटे झगडों को रोकना और अच्छे पारस्परिक सबध स्थापित करना है।

2 समझौता अधिकारी (Conciliation Officers) समझौता अधिकारी श्रमिक व मालिक दोनों पक्षो को इकट्ठा लाकर आरभ म ही झगड को निपट ने का प्रयत्न करते हैं। यदि दोनों पक्षो मे समझौता हो जाता है दोनों पक्ष इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और यह समझौता दोनों पक्षो को मानना पड़ता है। यदि समझौता अधिकारी के प्रयत्न असफल रहते हैं तो वह अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज देता है। तत्पश्चात सरकार झगड को समझौता मडल या जाच यायासय को सौंप देती है।

3 समझौता का मडल (Board of Conciliation) सरकार औद्योगिक सघयों को निपटाने के लिए १५ मडल भी नियुक्त कर सकती है जिसमे एक चेयरमन और दो चार सदस्य होते हैं। उनकी सूचा सरकार निर्धारित करती है। संस्थो म मालिकों तथा श्रमिकों के बराबर बराबर प्रतिनिधि होते हैं। समझौता मडल को दो माह के अदर ही समझौते का अपना प्रयत्न समाप्त करना होता है। इसे भी अपनी सफनता या असफलता के मध्य मे सरकार को रिपोर्ट देनी पड़ती है।

4 जाच यायासय (Court of Inquiry) जब कोई औद्योगिक सबध समझौता अधिकारियों या समझौता मडल द्वारा नहीं निपटाया जा सकता तो इसे जाच यायासय म भेज दिया जाता है। इस प्रकार के यायासय मे एक या दो स्वतत्र व्यक्ति होते हैं। यह जाच यायासय औद्योगिक सघय के बारे मे आवश्यक जाच कर 6 माह के अदर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रवित कर देता है।

5 अम्बिब्युनल (Labour Tribunal) किमी मामले मे सबधित औद्योगिक सघय के नियम के लिए उपयुक्त एक या अधिक थम यायासय की नियुक्ति सरकार वर सकती है थम यायासय निम्नलिखित मामलों पर नियम दे सकता है—

- (अ) सेवायोजको द्वारा स्वापी आदेशों के अतिर्गत जारी किए गए आदेश की शुद्धता एवं बद्धता ।
- (ब) श्रमिकों की सेवामुक्ति करने के मामले ।
- (स) किसी विशेष सुविधा को वापस लेने सबधी मामले ।
- (द) हड्डताल या तालाबदी की वैधता के मामले ।
- (य) अन्य मामले ।

6 औद्योगिक ट्रिब्युनल (Industrial Tribunal) औद्योगिक ट्रिब्युनल का गठन प्रादेशिक सरकारों द्वारा औद्योगिक विवादों पर निर्णय देने के लिए किया जाता है। इसे निम्नलिखित मामलों पर निर्णय देने का अधिकार है—

- (i) मजदूरी उसके मुगतान की अवधि व नीति सबधी मामले ।
- (ii) बोनस, लाभभागिता, प्राविडेण्ट फण्ड सबधी मामले ।
- (iii) क्षतिपूरक व अन्य भत्तों सबधी मामले ।
- (iv) काम के घटे व विश्वामित्रातार के मामले ।
- (v) सबेतन अवकाश व सार्वजनिक छुट्टियों सबधी मामले ।
- (vi) श्रमिक छटनी व उपक्रम को बद करने के मामले ।
- (vii) विवेकीकरण सबधी मामले ।
- (viii) अनुशासन के लिए नियम सबधी मामले ।
- (ix) अन्य मामले ।

7 राष्ट्रीय ट्रिब्युनल (National Tribunal) इसके कार्यक्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के मामले या ऐसे मामले जो एक में अधिक राज्यों से सबधित हैं, आते हैं। इसके रामने जब कोई विवाद विवारणीय होता है तो उस समय जिसी अन्य थम न्यायालय या औद्योगिक ट्रिब्युनल को नियम देने का अधिकार नहीं है।

8 प्रच-निर्णय (Arbitration) किसी भी औद्योगिक सघर्ष को सबधित पक्षों द्वारा नियन्त्रित ठहराय द्वारा पन नियम हेतु सर्वभिन्न किया जा सकता है।

औद्योगिक सघर्ष को रोकने सबधी उपाय

उपर्युक्त व्यवस्थाओं का उद्देश्य औद्योगिक सघर्षों को समझाना और उनके सबध में नियम देना है लेकिन ऐसे प्रथास भी किये गये हैं जिसमें औद्योगिक सघर्षों नो जन्म न दिये। इस सबध में प्रमुख प्रयाय क्रियालयित है—

1 अनुशासन महिता सन 1957 में भारतीय थम सम्मेलन में अनुशासन सहिता सबधी प्रस्ताव पारित किया गया जिसका उद्देश्य सेवायोजकों तथा श्रमिकों में यह आशा रखना है कि पारस्परिक समझौतों तथा विचार विमर्श द्वारा अपनी समस्याओं और मतभद्रा का समाधान करें। अनुशासन महिता में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं—

- (i) विना उचित नोटिस के तालाबदी व हड्डताल नहीं की जा सकती।
- (ii) विभिन्न दलों को विना एक दूसरे से परामर्श किये कोई गव-एकीय वार्य बाही नहीं की जा सकती।

(iii) 'धीरे कार्य करो' की नीति नहीं अपनायी जायेगी और न ही जानबूझकर संयत्र या सम्पत्ति को क्षति पहुचायी जायेगी।

(iv) दोनों पक्षों को कोई ऐसा कार्य नहीं करता चाहिए जिससे कारखाने की औद्योगिक शाति भग हो।

अनुशासन संहिता में 180 सेवायोजकों तथा 166 ऐसे मजदूर संघों को स्वीकार किया गया है, जो किसी केन्द्रीय नियोजक अथवा थम संघ के मदस्य नहीं हैं। यह संहिता सार्वजनिक लेत्र के उन उपकरणों पर भी लागू होती है जो व्यवनियों या नियम के रूप में चलाये जा रहे हैं।

2 औद्योगिक शाति - नवम्बर 1962 में सेवायोजकों एवं श्रमिकों की केन्द्रीय समिति की संयुक्त बैठक में एक औद्योगिक शाति प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में देश में आपत्तिकालिन स्थिति में उत्पादन कार्य में विध्वं न ढालने तथा उत्पादन में हील न ढालने का निश्चय किया गया। इसके अतिरिक्त उत्पादन को अधिकतम करने तथा प्रयासों को हर सम्भव उपाय से प्रोत्साहित करने का सकल्प किया गया।

3 संयुक्त प्रबंध परिषदें (Joint Management Councils) सन् 1948 की औद्योगिक नीति में श्रमिकों के प्रबंध में भाग लेने के, महत्व पर प्रकाश डाला गया। फलतः अनेक औद्योगिक उपकरणों में संयुक्त प्रबंध परिषदों की स्थापना की गई। सन् 1974 में देश में 131 उपकरणों में संयुक्त प्रबंध परिषदों की व्यवस्था थी। 31 अक्टूबर 1905 को सरकार के शाँप स्तर और प्लान्ट स्तर पर संयुक्त परिषदें स्थापित करने की योजना घोषित की है।

4 संयुक्त विचार-विमर्श (Joint Consultative Boards) : पारस्परिक विचार-विमर्श द्वारा एक दूसरे पक्ष की स्थिति और कठिनाई समझने तथा आपसी द्वेष एवं स्नेह को समाप्त करने के लिए संयुक्त विचार-विमर्श की पथा प्रारम्भ नी गई। राष्ट्रीय स्तर पर इस एकार के बोर्ड की स्थापना सन् 1952 में 'Joint Consultative Board of Industry and Labour' के नाम से की गई।

5 मजदूरी मण्डल (Wage Boards) सन् 1947 के भारतीय थम समितिन में देश के प्रमुख उद्योगों 4 मजदूरी मण्डलों की स्थापना का निश्चय निया गया। देश में इस समय लगभग 23 प्रमुख उद्योगों में मजदूरी मण्डल स्थापित किये जाने हैं।

6 ऐच्छिक मध्यस्थता (Voluntary Arbitration) : जून 1964 के औद्योगिक विवाद (संघोधित) अधिनियम वे अतिरिक्त ऐच्छिक मध्यस्थता के आधार पर किये गये निर्णयों को भी वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इस व्यवस्था के लागू होने में बहुत से औद्योगिक संघर्ष खंडित पञ्च निर्णय द्वारा निर्णय गये हैं। सन् 1967 में सरकार द्वारा एक 'राष्ट्रीय पञ्च निर्णय प्रोत्साहन मण्डल' स्थापित किया गया है।

भारतीय औद्योगिक शानि व्यवस्था या मूल्यांकन एवं मुक्ताव

1965 में राष्ट्रीय थम आयोग की स्थापना हुई जिसकी रिपोर्ट 1969 में प्राप्त हुई। इस आयोग ने विवाद औद्योगिक संघर्ष मध्यनियों की जात करके उन्हें अनुक

कमियों ने पूर्ण पाया। आयोग के अनुसार 1959 और 1966 के बीच दोनों शाति व्यवस्था ने जिन सघर्षों को मुलझाने का प्रबन्ध किया उसमें 57% से 87% मामतों में सफलता प्राप्त हुई। अन्य निवाद या तो पच-निर्णय से अथवा आपसी बातों से तय हुए। आयोग ने बताया कि ओद्योगिक सबंध मशीनरी की प्रमुख कमिया निर्णयों में देरी, व्यय, मशीनरी की एड्हाक प्रवृत्ति व राजकीय स्वेच्छात्मक निर्णय आदि से सबभिन्न हैं। राजनीतिक दबावों व हस्तक्षेप में आक्षेप भी लगाए गए हैं। अतः राष्ट्रीय श्रम आयोग ने ओद्योगिक शाति बनाए रखने के लिए निम्नलिखित मुद्दाएँ दिए हैं।

(क) ओद्योगिक सबंध आयोग का गठन: आयोग ने राष्ट्रीय एवं प्रावेशिक स्तर पर ओद्योगिक सबंध आयोग नियुक्त करने का मुझाव दिया है जो नमूनों का और न्याय प्रणाली दोनों के कार्य करेगा। इसके अन्य कार्य श्रमिक सघ को मान्यना देना आदि होगे। इसमें न्यायालयों के जज आदि के स्तर के व्यक्ति होंगे।

(ख) श्रमिक न्यायालय: श्रमिकों के सघर्षों का श्रमिक न्यायालयों द्वारा केसला हो सके इसके लिए प्रत्येक राज्य में श्रमिक न्यायालय की स्थापना का सुझाव राष्ट्रीय श्रम आयोग ने दिया है।

(ग) सामूहिक समझौतों को प्रोत्साहन: आयोग ने सामूहिक समझौतों की प्रणाली के क्रमशः विकास पर बल दिया है। राष्ट्रीय श्रम आयोग का विभाग है कि प्रारम्भ में न्याय प्रणाली आदि की आवश्यकता की प्रणाली फिर क्रमशः "उत्तोरणी" व मजदूर स्वयं अपने विवाद तथा करना भी खले लेंगे।

(घ) संपुर्ण प्रबन्ध: श्रमिकों को प्रबन्ध में हिस्सा दिया जाना चाहिए। आयोग ना विचार है कि इस कार्य के लिए वार्षिक गमिति के ही अधिकारों और कर्तव्यों का बदला उचित रहगा।

(इ) अनुचित कार्यों पर नियन्त्रण: आयोग ने श्रमिकों के द्वारा नी जान राली अनुचित कार्यालयों को रोकन के निया दण्ड वी व्यवस्था वा मुझाव दिया है। इस प्रारम्भ की अनुचित क्रियाओं की सूची तैयार की जानी चाहिए।

बी० बी० गिरि के सुझाव श्री बी० गो० गिरन देग में ओद्योगिक सघर्षों जो रोकने व प्रोद्योगिक शानि न्यायित करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुझाव दिए हैं।

1. श्रातरिक समझौता: ओद्योगिक सघर्षों का निपटाने के लिए आतरि-गम शोत की नीति अपनानी चाहिए अर्थात् श्रम और पूजी का स्वयं अपने सघर्षों का दिलान वी पूर्ण रूपता द्वानी चाहिए।

2. सकटकासीन व्यवस्था: यदि किसी उद्योग में मकटकालीन व्यवस्था पैदा हो जाए तो ऐसी स्थिति में भरकार को हस्तक्षेप करके ऐसा आदेश जारी करना चाहिए जो सभी पक्षों को मान्य हो।

3. संयुक्त परिषदें: ओद्योगिक स्तर पर ही ओद्योगिक सघर्षों का निपटान होता चाहिए और इस कार्य म संयुक्त परिषदें मक्किय प्रोगदान दे सकती हैं।

4 ऐच्चिक समझौता व्यवस्था । यदि समुक्त परियदे सधों का निपटारा करने म असमर्थ सिद्ध हो तो दोनों पक्ष अपनी सहमति से मामले को समझौता व्यवस्था के अत्यंगत किसी समझौता व्यवस्थापक के पाठ भेज देना चाहिए और उनका निर्णय दोनों पक्षों का मान्य होना चाहिए ।

5 सामूहिक समझौता । यह अधिक श्रेष्ठ होगा कि सेवायोजक व अभिक आपस में बातचीत करके एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दें और वायं करने के दोरान दोनों पक्ष उनका पालन करना अपना कर्तव्य समझें ।

6 प्रतिबंधक उपाय औद्योगिक शाति स्थापित करने के लिए हर स्तर पर यही प्रबल्ल होना चाहिए कि जगहा उत्पन्न ही न हो । इस हेतु समझौते की व्यवस्था के तीन मुख्य कार्य होने चाहिए—(अ) ऐच्चिक समझौते के यत्र को सुदृढ़ बनाया जाए, (ब) ऐच्चिक समझौते को रजिस्टर्ड किया जाए, (छ) स्वस्य औद्योगिक सबधों का दिक्कास किया जाए ।

7 सार्वजनिक हित सामूहिक रूप से समझौता कराने की स्थाप्ता का आस्तत्व इस बात पर निर्भर करता है कि अभिक और सेवायोजक इस सीमा तक सार्वजनिक हित म अपने समुक्त सबध को बनाए रखन की क्षमता व तत्परता रखते हैं । औद्योगिक प्रबातचत्र भी मान यह है कि सधप म सबधित पक्षों को औद्योगिक सबधों की अत्यधिक सभ्य धारणा द्वे अपनाना चाहिए जिमकी विसेपता झगड़े करने में नहीं बल्कि विचार विमर्श करने म हैं ।

अन्य सुझाव भारत में व्याधिक विवास के लिए यह व्यावश्यक है कि औद्योगिक सेव म शानि बनी रहे । अभिकों वो उचित मजदूरी देकर कार्य की दशा म मुघार करके और प्रबध म भागीदार बनाकर उन्हें उद्योगो म महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए । महात्मा गांधी के शब्दों में 'नौकर और मालिक के सबधों को स्वाधं की भावना से आबद्ध न होकर एक दूसरे के सुख की भावना पर निर्भर होना चाहिए । लेन-देन भी नीति पर स्थिर न होकर पारस्परिक सहानुभूति पर स्थिर रहना चाहिए ।' मजदूर और उद्यागपति दोनों ही एक मार्ग मे राही हैं, एक रथ के दो चक्र हैं और एक साधना व दो साधक हैं । इनक पारस्परिक सबध अच्छे होने चाहिए ताकि सधप शोधातिशोध समझौता द्वारा निपटाया जा सक । इसी स देश की व अभिका तथा उद्योगातियों की भनाई निहित है । थम और पूरी व मध्य शातिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना के निए निष्क्रिय के रूप मे निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकत हैं—

1 अम प्रबध सबधों के बारे मे सभी प्रमुख सूचनाए प्रकाशित करन की नीति अपनारी चाहिए ।

2 सेवायोजका एव प्रबधका के बीच समय-समय पर समुक्त सम्मेलनो की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि यदि सेवायोजकों के बीच किसी प्रकार की गलतफहमी है तो यह दूर हो जाए ।

3 श्रमिकों को न्यायोचित मजदूरी देने की दृढ़ रीति अपनानी चाहिए। झगड़ों का एक मुख्य कारण मजदूरी और महगाई की विप्रवाप्ता है। मूल्य बढ़ते हैं परतु उनके अनुरूप ही मजदूरी में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं होती। यदि खास तौर से महगाई वे भत्ते में मूल्य स्तर के आधार पर वृद्धि हो तो गह समस्या हल हो सकती है।

4 श्रमिक के असतीय को दूर करने के लिए श्रम कल्याण में कार्य का बड़ा सहयोग रहता है। श्रम कल्याण की मुदिधाए उपलब्ध होने से एक तो मजदूर के चरित्र का विकास होता है और वह अधिक उत्तरदायी तथा अनुशासित होता है और साथ ही उनके मन म उद्योगपति के लिए कटुता भी कम होती है।

5 अहिंसा भारतीय स्तर पर विस्तृत सामाजिक सुरक्षा योजना बनाई जानी चाहिए।

6 मजदूर एक जीवन प्राणी है। उसका एक व्यक्तित्व होता है, भावनाए और ममम्याए होती है, उनकी समझकर ही प्रवधको को उनमें व्यवहार करना चाहिए। आज के युग में ओद्योगिक मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण विषय है।

7 श्रमिकों का जीवन सुखी हो इसके लिए इन्हे कानूनी मरक्षण मिलना चाहिए।

8 जो श्रमिक अपनी दशा में सुधार करने को उत्सुक हैं उन्हे तकनीकी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

9 ओद्योगिक उत्पादन से सबसित सभी विषयों में श्रमिकों का सहयोग लेना चाहिए।

10 जहा तक व्यावहारिक हो वहा तक श्रमिकों को लाभ में भाग देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

11 श्रमिकों को बढ़ता हुआ रोजगार मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए।

12 स्वतंत्र संघों के लिए वास्तविक, सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था होनी चाहिए।

13 शिकायतों के अभीर रूप धारण करने से पहले ही उन्हे दूर करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। शिकायतों पर कार्यवाही करने समय निम्नलिखित सिद्धातों औ व्यान में रखना चाहिए। (अ) शिकायत गुनने का स्थान शांतिपूर्ण एवं एकाकी होना चाहिए, (ब) श्रमिक को अपने डग से अपनी शिकायत करने का अवसर देना चाहिए। (स) शिकायत करने वाले कमचारी को शिकायत सुने जाने की अवधि में सतुर्ध रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। (द) यदि शिकायत सुनने वाला अधिकारी अपना निर्णय तत्काल नहीं देता तो उसे पीड़ित श्रमिक को यह दतला देना चाहिए कि वह अगला कदम क्या और कब उठायेगा। इससे वह अनुभव करने लगेगा कि प्रवध उसके मामलों में न्यायोचित व्यवहार को तत्पर है।

14 समाज की अर्थात् व्यवस्था में परिवर्तन किया जाना चाहिए अर्थात् समाजवाद की न्यायपना जी जानी चाहिए। समाजवाद में उत्पादन लाभ के लिए नहीं समाज के कल्याण के लिए किए जाते हैं। अतः इनमें व्यवसितगत लाभ के लिए शोषण का प्रस्तु

नही होता। परतु जब तक पूरे समाज मे समाजवादी रखना नही हो जाती श्रमिको का सधयं भी समाप्त नहीं होगा। केवल राष्ट्रीयवरण से मजदूरो का असातोष दूर नही हो सकता। सरकारी कारखानो व उपक्रमो से भी हडताते होती हैं। परतु पूर्ण समाजवाद मे यह समस्या काफी सीमा तक कम हो जाती है इसम सदेह नही है।

15 13 फरवरी 1978 को नई दिल्ली मे भारतीय नियोक्ता परिषद द्वारा आयोजित पाचवें औद्योगिक सबध सम्मेलन ने उद्योग व्यापार तथा औद्योगिक सबधों मे दिनचस्थी रखने वाले तत्त्वो को औद्योगिक सबधों मे सबधित कानूनो पर विचार-विमर्श दरने का एक उपयोगी अवसर दिया।

इस सम्मेलन मे भाग लेने वालो ने औद्योगिक विवादो को कम करने के लिए यह सुझाव दिए गए—

(i) अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन के अध्यक्ष थी क० एन० भोदो ने कहा कि श्रम नीति तथा उसको अमल मे लाये जाने वाले कानून ऐसे होने चाहिए जिसस रोजगार के अवसरो तथा उत्पादन की वृद्धि मे सहायता मिले। उन्होने कहा कि मालिक सौदेबाजी वो आशय और प्रोत्माहन देंगे परतु यह विचार कि अल्पसम्पद यूनियन को सौदेबाजी मे शामिल किया जाना चाहिए उनको पसद नही आता। उनकी सलाह थी कि शातिको को बहुसम्पद यूनियन से सौदेबाजी मे दृढ़ता से काम लना चाहिए और राजव्वो खुश रखने के प्रलोभन से बचना चाहिए।

(ii) इम्प्रायर्स के डरेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष नवल टाटा ने कहा कि हड-ताल को परिस्थितियो से सर्वथा अलग कर नही देखा जाना चाहिए, लेकिन यह तबात उन्होने स्वयं उठाया उस पर विस्तार से विचार नही किया।

(iii) सार्वजनिक उपक्रमो की स्टैण्डिंग राम्फेस के अध्यक्ष डी मोहम्मद फजल ने इस बात पर अफसोस व्यक्त किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था भारत वे लगभग साप्तरी साथ स्वतंत्र हुए दक्षिण-पूर्व एशिया के अनेक देशो से पिछड़ी हुई है।

(iv) केंद्रीय अम मत्री का यह कहना सही है कि औद्योगिक सबधो को समाज मे हुए परिवर्तनो के सदम मे देखा जाना चाहिए। उनका विचार है कि औद्योगिक सबधो के बारे मे नीति निर्धारित करत समय कुछ तथ्यो को जहर ध्यान मे रखना चाहिए। ये तथ्य हैं स्वामिल का स्वरूप उत्पादन की तकनीकी, सरकार का स्वरूप तथा उसकी विशिष्टताए, जनमत वो दिशा देने के माध्यम और मालिक तथा मजदूरो द्वारा उठाए जाने वाले कदमो की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सीमाए। उनका सुझाव है कि मालिक-मजदूरो का एक गोतमेज सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए जिसम राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक सबधो के बारे मे खुले दिल से और गहराई से बहस मुचाहसा हो और बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के वे अपनी समस्याओ का सर्वसम्मति स हल निवाला की कोशिश करें।

औद्योगिक संबंध एवं योजनाएं (Industrial Relations and Plans)

प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि औद्योगिक शानि बनाए रखना राष्ट्रीय हित की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही योजना में भवासी समझौतों, सामूहिक मीटिंगों, तथा ऐच्छिक परिनिर्णय पर जोर दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिफोरिसा भी गई कि "राज्य को अपने हाथ वैधानिक शक्ति से सशक्ति बनाने चाहिए जिससे अन्य उपाय असफल होने पर सरकार द्वारा किए गए निर्णय संर्पितान्य हो सकें।"

योजना में दो अन्य तथ्यों पर जल दिया गया—(1) श्रमिकों को बिना किसी बदलन के सघ बनाने तथा सम्मिलित होने एवं सामूहिक सोडेवार्डों करने, और (2) भेवायोजक और नियोक्ता सबसे सहभागिता के रूप में वृद्धि करने के प्रयत्न करना चाहिए। वैधानिक विधि में विवादों का निपटारा करने पर इच्छानुकूल शांति का बातावरण औद्योगिक क्षेत्र में नहीं बन पाता। इसी प्रकार न्यायिक विधि में परिवाद विवर्ण से प्राप्त होते हैं एवं प्राप्त निर्णय के सही होने की मान्यता बहुत कम रहती है। अतः आयोग ने यह निर्णय लिया कि परिवाद निवारण की सबसे ज़रूरी क्रियानुविधि यह है कि सेवायोजक एवं नियोक्ता को बिना किसी तीसरे पक्ष के आपसी सहयोग तथा परिवाद निवारण के लिए एक साथ बैठाया जाए। परिवाद निवारण की दृष्टि से सलाहकार समितियां पहला चरण है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आयोग ने यह निर्णय लिया नि सभी स्तरों पर यथासभव विवादों को टाला जाय। क्योंकि निर्णयों को उचित ढंग में लागू न करने पर श्रम तथा प्रवधकों में मनमुगाव उग्र रूप धारण कर लेता है। समझौता होने तक यथा-मध्य यह प्रयत्न करना चाहिए कि विवाद उत्पन्न न हो। इस योजना से प्रतिरोधात्मक उपाय पर अधिक जोर दिया गया अर्थात् विवाद पर दिए गए निर्णय का पालन न करने वाने के लिए कठोर आधिक दड वा प्रवध विया गया। आयोग ने श्रम मगठनों एवं कार्य समितियों वे हार्डप्रेणाली के ममुचित अन्वर पर अधिक जोर दिया जिससे किसी प्रकार का श्रम उत्पन्न न हो। अतः आयोग ने समुन्त विधार प्रणाली की आवश्यकता का अनुभा दिया। इसके अतिरिक्त प्रबंधकीय समितियों पर जल दिया गया।

तृतीय योजना में नैतिक उपायों पर जल दिया गया। वैधानिक मान्यता पर अनुशासन सहिता वा नियमन इस तथ्य का परिणाम है। आयोग में ऐच्छिक परिनिर्णय पर जल देते हुए इस दिशा में हुए प्रयासों में श्रमिक सहयोग को मान्यता प्रदान की गई। इस प्रकार नैतिक प्रयास के निमा श्रमिकों भी यिक्षा भी व्यवस्था भी जानी चाहिए तथा मनुकत प्रवध शमितियों का द्रुत गति से विकास किया जाय।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में श्रमिक सघ पर अधिक जोर दिया गया। योजना आयोग ने समुन्त प्रबंध समितियों भी स्थापना पर जोर देते हुए श्रमिकों के सहसंबंध, उचित मजदूरी और अच्छी वार्ष की दशाये आदि की ममुचित व्यवस्था को भी महत्वपूर्ण अग्रसम्भवते हुए पर्याप्त महसूब प्रदान किया।

पांचवर्षीय योजना : पांचवीं योजना में इस संबंध में नीति संबंधी कोई व्यापक परिवर्तन नहीं हुआ है और औद्योगिक शांति के आधिक सामाजिक पक्षों पर धोर दिया गया। इस संबंध में सामूहिक सौदेबाजी पर जोर दिया जाना, प्रबंध में अधिकों द्वारा भाग लेने की योजना बनाना तथा औद्योगिक संबंधों एवं संबंधित मामलों के सिए एक 'NAB' (National Apex Body) का कायम किया जाना महत्वपूर्ण है।

छठी पंचवर्षीय योजना : इस योजना में विछली नीतियों को जारी रखने का प्रावचार है।

औद्योगिक संबंध नीति की एक महत्वपूर्ण बात राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, कुशल प्रबंध एवं अधिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रबंध के सभी स्तरों पर प्रभावशाली और अर्थपूर्ण सहभागिता की योजना तैयार करना और आगू करना है।

औद्योगिक संबंध विधेयक (Industrial Relation Bill)

औद्योगिक संबंधी अधिनियमों को दिनाप्त बनाने की दृष्टि से 30 अगस्त 1978 को लोक सभा में केंद्रीय श्रम मंत्री ने औद्योगिक संबंध विधेयक (Industrial Relations Bill) प्रस्तुत किया जिसे अब Select Committee के विचारार्थ में भेज दिया गया है।

उद्देश्य (Objects)

इस विधेयक का उद्देश्य (1) वर्तमान तीन कानूनों (i) औद्योगिक विवाद अधिनियम (Industrial Disputes Act, 1947) (ii) औद्योगिक नौकरी (स्टेंडिंग आदेश) अधिनियम [Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946] व (iii) श्रम संघ अधिनियम (Trade Unions Act, 1926) के प्रावधानों का एकीकरण करना (2) देश के औद्योगिक संबंधों को नियमित करने के लिए एक विस्तृत कानून बनाना (3) राज्यों के औद्योगिक संबंध संबंधी कानूनों में कुछ प्रावधानों एवं अनुशासन संहिता का समावेश करना (4) राष्ट्रीय श्रम आयोग की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक सशोधन करना है।

विधेयक की मुख्य बातें (Main Points of the Bill)

(1) विधेयक का कार्य सेवा यह विधेयक विकाय परिवर्तन, मनोरजन संबंधी कायों में लगे उन सभी लोगों को कर्मचारी मानता है जिन्हें 1,000 प्रति माह से अधिक बेतन नहीं मिलता है।

(2) अनिवार्य सेवाएँ विधेयक की प्रधम मूर्ची में 12 उद्योग सम्मिलित किए जाए हैं जिनके अधिकों की सेवाएँ अनिवार्य सेवाएँ मानी गई हैं। इन उद्योगों में हट्टाल और तालाबड़ी नियेष कर दी गई हैं। इन उद्योगों में डिप्लोमा वार्ता विफल होन पर औद्योगिक विवादों को अनिवार्य रूप संन्यासिकरण का पत्र के पास फँसाने के लिए भेज

दिया जाएगा। इन उद्योगों की सम्भवा गरकार आवश्यकता पड़ने पर बढ़ा सकती है।

(3) अम संघों पर प्रतिबंध : (i) अभिक संघों के रजिस्ट्रेशन के लिए उस उद्योग में काम करने वाले कम से कम 10% या 100 मजदूर दोनों में से जो कम हो, होने चाहिए (ii) सभी वर्तमान अम संघों को अपना रजिस्ट्रेशन इस विधेयक के पारित होने पर 6 माह के भीतर नये सिरे से कराना होगा (iii) किसी भी संघ में दो से अधिक गंग अभिक पदाधिकारी नहीं हो सकते हैं। (iv) अम संघों से मान्यता प्राप्त एजेंट या समितियां ही नियोक्ताओं से समझौता या वार्ता करने के अधिकारी होंगे। यह एजेंट कपनी के तुमाम कागजात दस्त सकते हैं लेकिन गुप्त बात मजदूरों से नहीं कहेंगे। यदि वे कहेंगे तो उन्हें 6 माह की मजा या 2,000 रुपए जुर्माना या दोनों किए जा सकते हैं। (v) अम संघों के आपमी विवादों को अनिवार्य रूप से द्विभूत या राष्ट्रीय अम व्यायोग को सौंप दिया जायेगा जिसका फैलता अतिम होगा।

4 ले-आफ छठनी व बढ़ी पर रोक वे प्रतिष्ठान जहा 100 मे अधिक अभिक कार्य करते हैं उन्हें ले-आफ। छठनी या बढ़ी के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। ले-आफ मे मुजायजा देव होगा जो पहले महीने मे 50% और बाद के लिए 75% होगा।

5 विद्यमान वर्क समिति व बोर्ड आफ कान्सोलिएशन के लिए प्रावधान का समाप्त : इनको समाप्त कर सरकार अधो की एक मूली हैगार करेगी जिसे किसी के पास विवादप्रस्तर मामलों को निपटाने के लिए भेज सकती है। सामूहिक विवाद यूनियन के एजेंट नियोक्ताओं को 15 दिन का नोटिस देकर माग पत्र प्रस्तुत करेगा। नोटिस पर द्विपक्षीय वार्ता 60 दिन तक होगी। यदि मामला तय नहीं होता तो 60 दिन तक कासी-लियन चलेगा। यदि फिर भी नहीं सुलझा तो सरकार विवाद को 60 दिन के अदर न्यायाधिकरण या कोर्ट आफ इक्वायरी के पास भेज देगी। यह अपना फैलता 180 दिन व तेवर कोटि 90 दिन के अदर दे देगा।

6 अवैध हृडताल व तालाबदी , अवैध हृडताल शुरू करने या उसमे भाग लेने के लिए कर्मचारी को 3 माह की जेल या 100 रुपया जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। इसी प्रकार अवैध तालाबदी के लिए सेवायोजक को 3 माह की सजा या 2,000 रुपया जुर्माने या दोनों ही दी जा सकती हैं। अवैध हृडताल या तालेबदी मे भाग लेने को प्रेरित करने वाले व्यक्ति को 6 माह की सजा या 2,000 रुपये का जुर्माना या दोनों मजाए दी जा सकती हैं। किसी समझौता या अवार्ड के उल्लंघन पर एक वर्ष की सजा या 2,000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाए दी जा सकती हैं। यदि कोई नेता अवैध हृडताल करायेगा तो दो वर्ष के लिए उसे संघ से हटा दिया जायेगा। अवैध हृडताल का आह्वान करने वाली संघ का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा।

7 अन्य प्रावधान , विधेयक के साथ अनुसूची चौथी सलग्न है जिसमे अनुचित व्यवहारों () का वर्णन है जिसके अनुसार सेवायोजक न दो कपनी संघ बना सकते हैं और न किसी संघ को सहायता दे सकते हैं। इसी प्रकार वे न तो संघ के कार्य मे हस्तक्षेप कर सकते हैं और न ही कर्मचारियों को संघ के विविध

काय मे भाग लेने मे रोक सकत है। श्रमिक न घराव कर सकते हैं और न बक टू रूल (Work To Rule) वर सकत है। व प्रवेधक के आदास पर प्रदणन व धरना भी नहीं दे सकते हैं।

निष्ठप इम विधयक की व्यापक स्वप म करु आलोचना की गई। श्रमिक सघा ने इसे श्रम विनोधी कहा। श्रमिका वा कहना है कि (ज) हडताल मजदूरा का एक मात्र हथियार है जिस बतमान विधयक छोनता है। (व) बान बाली सेवाओं म हडताल नियम है। (स) जबैद्य हडताल के लिए कठोर दड की व्यवस्था है। (द) बाहा नेतृत्व न रहने स श्रमिक सध प्रभावी नेत व न प्रदान कर सक्ते। (ग) हडताल पर नाने की जो प्रक्रिया निर्धारित की गइ है उसम आम हडताल करना उसमध हो नायेगा। (र) विवाद के समाधान की प्रक्रिया म बाकी समय लगेगा। (ल) सध का पजीयन भविष्य मे सुरक नहीं रहेगा।

सेवायोजको के सगठको ने भी इस विधयक की बहत-सी व्यवस्थाओं का विरोध किया। उनका कहना है कि सरकार न उन प्रावधानो को लागू कर दिया है जो आश्रात काल मे लगाए गए थे। प्रतिष्ठानो म नानावदी व ले आफ आदि क उनके अधिकारो का हनन किया जा रहा है।

इस विल का व्यापक विरोध होने के फलस्वरूप सरकार को विल म सुधार के लिए ठोस सुझावो पर मिलार करने के लिए तयार होता पड़ा।

आवश्यक सेवा अनुरक्षण अध्यादेश 1981

राष्ट्रपति न 26 जून 1981 को जावश्यक सवा अनुरक्षण अध्यादेश जारी किया है। यह अध्यादेश कद्र सरकार की विसी भी आवश्यक भेवा म हडताल रोकने वा अधिकार प्रदान करता है।

अध्यादेश की मुख्य विनेपताए इस प्रकार हैं—

(1) रेलवे टाक्कधर टलीफोन बदरगाहो हवाई अडडो विमान पतनो विविध पेट्रोलियम के शोधन और उ गादन पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादा की सफ्टाइ और विनरण सावजाक सफाई व्यवस्था कद्र मरकार क नियतण मे सफाई अवस्था और अस्पताल रक्त प्रतिष्ठानो स सवधित सवा गो आदि को आवश्यक सवाओ क अतगत रखा गया है।

(2) अध्यादेश सरकार को किसी ऐसे विषय जिसके बारे मे ससद को कानून दनान ना अधिकार है भ सवधित भेवाओ वो भा आवश्यक भेवाए घोषित करने वा अधिकार प्रदान करता है।

(3) अध्यादेश म हडताल की व्यवस्था की गई है। यह अध्यादेश के अतगत केंद्र सरकार को किसी भी आवश्यक सवा म हडतालो को रोकने के लिए आदेश जारी करन का अधिकार प्राप्त होगा। एसा आदेश छह माह तक वध रहेगा परतु इस अवधि को और छह माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(4) किसी गर कानूनी हडताल से किसी भी तरह सवध रखने इसमे भाग

लेने वालों को जेल या जुमर्नि की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा दोषी के विरुद्ध इसके निलबन सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही भी को जा सकती है।

(5) गैर कानूनी हड्डताल के लिए लोगों को उपसाना, भड़काना भी दण्डनीय अपराध होगा और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। अध्यादेश के अतर्गत अपराध सज्जन होते। अध्यादेश के अतर्गत इन अपराधों के सक्षिप्त मुकदमे चलाये जा सकने का प्रावधान है।

अध्यादेश से सरकार को किसी भी सेवा को आवश्यक सेवा घोषित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इन अध्यादेश को सराद के आगामी अधिवेशन में विवेयक का रूप दे दिया जायेगा, और वह विवेयक आगामी तीन वर्षों तक कार्यवाही रहेगा। अर्थात् व्यावहारिक रूप में किसी भी सेवा को आवश्यक सेवा घोषित करने तथा इसमें हड्डताल पर आगामी तीन वर्षों तक के लिए प्रतिबध लगा दिया गया है।

परीक्षा-प्रश्न

- 1 भारत में ओचोगिक संघर्षों के प्रमुख कारण क्या हैं? ओचोगिक शाति भी स्थापना के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
- 2 ओचोगिक विवादों को तय करने के लिए कानून में क्या उपाय निर्धारित किया गया है, विस्तार में बताइए।
- 3 “यदि भारतीय मजदूर कारखानेदारों से गिलकर उत्पादन में बूढ़ि नहीं करें तो इसमें केवल समाज को ही नहीं बरन् उनके हितों को भी हानि पहुँचेगी।” इस कथन का विलेपण कीजिए।
- 4 विवेचना कीजिए कि हड्डतालों श्रमिकों का अतिम हृथियार होना चाहिए।

विषय

- 5 ओचोगिक विवादों को किसी उद्योग में पूर्ण रूपेण अथवा असत् शम और सामयी को क्षति पहुँचती है तो राष्ट्रीय लाभान् को भी मुकसान पहुँचता चाहिए जिसमें आर्थिक कल्याण को भी चीट पहुँचती है।” (पीयू) मुख्य समस्याओं पर प्रकाश हानिए जिनका उन साधनों की प्राप्ति में सामना करना वडता है जिसकी सहायता से यह अद्या को जाती है कि ओचोगिक शाति कायम रखी जा सकती है।
- 6 ओचोगिक मतभेदों के बारणों का वर्णन कीजिए। इन मतभेदों के समाधान में समझौता व्यवस्था और मध्यस्थिता के महत्व का वर्णन कीजिए।

अथवा

समझौता, पच-फैसला और मध्यस्थता के गुणों व अवगुणों का मुलतात्मक वर्णन कीजिए।

अपवा

ओद्योगिक मतभेदों के कारणों का वर्णन कीजिए। उनके समाधान में समझौतों और पच-फैसलों के महत्व का वर्णन कीजिए।

अध्याय 11

सामूहिक सौदेबाज़ी (Collective Bargaining)

अर्थ और परिभाषा | सामूहिक सौदेबाजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी अमिक आदोलन के प्रमुख अध्येता और ममर्थक मिडनी और ब्रिटिश वेब द्वारा 1891 में किया गया था। आधुनिक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के पश्चान् से ही आरंभ हुआ।

सौदेबाजी शब्द से ही स्पष्ट है कि इसमें दो पक्ष एक-दूसरे के साथ मोलभाव करते हैं। सौदेबाजी को सामूहिक इसनिए कहते हैं क्योंकि अमिक वर्ग अपने हितों का समुक्तीकरण करके एक समूह के रूप में सौदा करते हैं। सेवायोजक भी चाहते सामूहिक या अकेले सौदेबाजी कर सकते हैं। सामूहिक सौदेबाजी इस तथ्य पर आधारित है कि अम बाजार में अकेला अमिक अपनी सेवाओं के बदले में उचित प्रतिफल प्राप्त करने में प्रभावहीन रहता है। अकेले अमिक जो अम बाजार की स्थिति का न तो ज्ञान होता है और न अबसर सौजने के लिए उपयुक्त साधन ही उपलब्ध रहते हैं। ऐसी स्थिति में अमिक अमसघ को अपना एजेण्ट बना देता है तथा उसके द्वारा जिन शर्तों पर दशाओं पर समझौता किया जाना है उन्हे स्वीकार कर लेता है। संक्षेप में, सामूहिक सौदेबाजी मज़दूरों और सेवायोजकों के समग्रित दलों द्वारा कार्य की समूर्ण शर्तों के सबध में सौदा करने की क्रिया का नाम है। इस प्रकार के समझौतों में न केवल मज़दूरी की दरों ही निर्धारित होती है बल्कि कार्य के घटे, रात को कार्य करने, राजियों से काम करने, रायफनुसार मज़दूरी, अतिरिक्त कार्य की मज़दूरी-दर, अवबाद व काम दा बटदारा आदि चाहें भी शामिल की जा सकती हैं।

सामूहिक सौदेबाजी की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं—

1. ई० बॉल्डिंग “सामूहिक सौदेबाजी अम का मूल्य सुगठित करना और विक्रेताओं के बीच निश्चित करने की क्रिया का नाम है।”¹

इस परिभाषा में बॉल्डिंग ने सामूहिक सौदेबाजी शब्द का प्रयोग केवल अम या सेवायोजकों के बीच सीमित नहीं रखा, बल्कि किसी भी वस्तु के केता और विक्रेताओं

1. “Collective bargaining is the name given to the process of deciding the price (of labour) between organised groups of buyers and sellers.” —E. Boulding

के सौदे के लिए प्रयुक्त किया है, परन्तु अब इस शब्द वा थमशास्त्र में केवल मजदूरी और सेवायोजनों के सौदे के लिए ही उपयोग होता है। दूसरी कमी इस परिभाषा में यह है कि सामूहिक सौदेबाजी केवल मूल्य वे सबध में नहीं बल्कि कार्य के घटे, अतिरिक्त कार्य की मजदूरी व अवकाश के सबध में भी हो सकती है।

2 डेलयोडर “सामूहिक सौदेबाजी शब्द का प्रयोग उस स्थिति के लिए किया जाता है जिसमें रोजगार की आवश्यक शर्तों का निर्धारण एक ओर थमिकों के एक समूह के प्रतिनिधियों व दूसरी ओर एक या अधिक सेवायोजक के प्रतिनिधियों द्वारा सौदेबाजी की विधि से किया जाता है।¹

3 ग्री० डेल्हू० स्पाल्डिंग “ओपचारिक और अनौपचारिक समायोजन की उन प्रक्रियाओं का नाम सामूहिक सौदेबाजी मालिक या उनके समूह और समिति थमिक अपने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक-दूसरे के साथ सबध बनाने की अवधि में प्रयोग में लाते हैं।²

4 हास्टी सामूहिक सौदेबाजी कर्मचारियों को एक समिति सत्था तथा एक मालिक अथवा मालिकों का एक समिति जो प्राय उचित अधिकार प्राप्त अभिकर्ताओं के माध्यम से कार्य करती है के बीच सौदेबाजी द्वारा सेवायोजन की शर्तों को निश्चित करने का एक ढग है।³

सामूहिक सौदेबाजी के तत्त्व सामूहिक सौदेबाजी के उपर्युक्त विवरण से हमें इसके निम्नलिखित तत्त्वों का अभास मिलता है—

(i) सौदे की शर्तें इसके अत्यंत मजदूरी की दर, कार्य के घटे, कार्य की पद्धति आदि अनेक बातें आनी हैं जो अविकारगत रूप से निश्चित नहीं होती। बल्कि सध द्वारा सामूहिक रूप से समूह के लिए निर्धारित होती है।

(ii) अनुबध सामूहिक सौदेबाजी श्रम के विक्रय हेतु आवश्यक अनुबध करने का एक साधन है।

(iii) सौदे को निश्चित करने की विधि सामूहिक सौदेबाजी में यह निर्धारित कर दिया जाता है कि सौदा दोनों पक्षों में किस प्रकार सेहोगा, उसके प्रतिनिधि कौन होगे। प्रतिनिधि इस प्रकार के होने चाहिए जो सामूहिक सौदेबाजी करने के अधिकारी हो।

(iv) समझौते की व्याख्या सामूहिक शर्तों की निश्चित व्याख्या कर देनी चाहिए। इसका महत्व इसलिए है कि दोनों पक्षों के हित अलग अलग होने के कारण एक ही शर्त को परस्पर विरोधी व्याख्याएं हो सकती हैं।

1 'Collective bargaining is essentially a process in which employees act as a group in seeking to shape conditions and relationships in their employment' —Dale Yoder, *Personal Principles and Policies*, Second Edition p 97


2 L. W Spaulding *An Introduction to Industrial Sociology*,

3 शर० एक० हास्टी ज० रिटर द्वारा लार्डिंग "Reading in Labour Economics and Industrial Relations," p 148.

सामूहिक सौदेवाजी की प्रक्रिया (Collective Bargaining Procedure)

सामूहिक सौदेवाजी के अतर्गत औदोगिक शाति में वृद्धि करने के लिए सेवायोजकों द्वारा एकपक्षीय निर्णय नहीं लिया जाता है, थमसंघों को मान्यता प्रदान की जाती है और उचित बातावरण नेपार किया जाता है। सर्वेष गे, सामूहिक सौदेवाजी की प्रक्रिया को कई चरणों में बाटा जा सकता है, जैसे—(अ) उचित बातावरण तैयार करना, (ब) समस्या के अनुरूप उपयुक्त समाधान प्रणाली का चयन करना, (स) विवाद निवारण के लिए पक्ष-निवारण करना, (द) विनाश-विमर्श के उपरात किसी उपयुक्त निर्णय पर पहुंचना, और (ष) निर्णय को कियान्वित करना।

सामूहिक सौदेवाजी की प्रक्रिया को नीचे चित्र द्वारा दर्शाया गया है—



सामूहिक सौदेवाजी की विषय-सूची या क्षेत्र

दैवी के अनुसार, "सामूहिक सौदेवाजी में सपझीता, प्रशासन, निर्वनन, लिसित समझौतों के अनुसार कार्य करना और उन्हें लागू करने तथा सामूहिक समन्वय कियाए मिमिलित हैं। इसके अतिरिक्त मजदूरी और वेतन पर निवारण, कार्य के घटे तथा नियोजन की दशाएँ आदि समर्याएँ भी इसमें आती हैं।

एप्पलायर्स फैडरेशन ऑफ इंडिया (Employers Federation of India) के एक अध्ययन के अनुसार (जिसमें 111 संस्थाओं के 109 समझौतों का अध्ययन किया गया था तथा जिनमें गृहीत वस्त्र उद्योग, बवई एवं मद्रास, जूट वस्त्र तथा इंजीनियरिंग उद्योग कलकत्ता वागान उद्योग, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा मैसूर मिमिलित हैं।) निम्न सारिणी के हुईं। इस अध्ययन के अनुसार जैगा कि सारिणी से स्पष्ट है, प्रायः तीन प्रकार के विषय सामूहिक समझौते में देखने में आते हैं—(अ) वेतन एवं मजदूरी के प्रति प्रत्यक्ष कार्यवाही, (ब) अवकाश (स) कार्य की दशाओं एवं समय में गुधार।

109 समझौतों में समिलित विषयानुसार समझौतों की संख्या

समझौता विषय	समझौता संख्या
1 मजदूरी	
(अ) मजदूरी	96
(ब) महमाई भगा	59
(स) सेवा-निवृति नाम	53
(द) घोनस्त	50

2 अवकाश

(अ) वार्षिक अवकाश	40
(ब) सवेतन छुट्टिया	36
(स) आकस्मिक अवकाश	26

3 अन्य (कार्य की दशाओं में सुधार)

(अ) कार्य वर्गीकरण	26
(ब) अधिक समय वेतन	25
(स) प्रलोभन	23
(द) चारी भत्ता	22
(य) बार्यवाहक भत्ता	22
(र) चिकित्सा लाभ	19
(ल) लेन्टीन	19
(व) परिवाद-निवारण	14
(क) कार्य अव्ययन	13
(ख) पदोन्नति	12
(ग) आवासीय	12
(घ) विवेकीकरण	11
(ड) हुधर्टना-लाभ	11
(च) स्थायित्व	10
(छ) सामूहिक सौदेबाजी	9
(ज) दीमारी-अवकाश	9

स्रोत मामोरिया एवं दशोरा : सेविवर्ग प्रबन्ध एवं औद्योगिक सबध

समझौतों की शर्तें दो प्रकार की हो सकती हैं—(1) अभिवृत्ति एवं सेवायोजकों के मध्य व्यवितरण सबध (II) विभिन्न पक्षों के आपसी सामूहिक सबध। व्यवितरण सबधों में भजदूरों, कार्य के घटे, अधिसमय, सवेतन अवकाश, रोजगार समाप्ति हेतु अवकाश का ल तथा सामूहिक सबधों में सामूहिक समझौतों का क्रियान्वयन, विवाद-निवारण समझौता एवं पचनिर्णय, समझौता अवधि, समझौता वाल में कोई हडताल या तालाददा नहीं आदि शर्तें साम्मलित रहती हैं।¹

सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धात्

अर्नोल्ड ई० कैम्पो (Arnold E. Campo) के अनुसार सामूहिक सौदेबाजी के निम्नलिखित सिद्धात हैं—

सामूहिक सौदेबाजी

१ श्रम सघको के लिए सिद्धात

(i) उचित अमनीति श्रम सघको को एक उचित अम नीति का अनुकरण करना चाहिए और यह भी सतकता रखनी चाहिए कि सभी कर्मचारी उसका अनुकरण करें।

(ii) नीतियों का पुनरावलोकन श्रम सघको को नीतियों एवं नियमों में परिवर्तित परिस्थितियाँ के अनुसार परिवर्तन करते रहना चाहिए।

(iii) अम सघ को भाग्यता अम सघ को उचित गान्धिता प्रदान करनी चाहिए और उसे यह जानना चाहिए कि अम सघ एक महत्वपूर्ण सम्प्रदाय है। अत सब के साथ उसका व्यवहार मधुर होना चाहिए।

(iv) स्वत प्रयास श्रम सघको को समस्या का समाधान करन का प्रयास स्वत भी करते रहना चाहिए। उन्हे यह प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि अम सघ द्वारा विवाद प्रस्तुत किय जाने पर ही समस्या पर विचार किया जायेगा।

(v) सामाजिक विचारों को महत्व श्रम सघको को आर्थिक प्रभावों को मानने की दृष्टि से सामाजिक विचारों को भी अधिक महत्व देना चाहिए।

२ अम सघों के लिए मिद्दात

(i) उपयुक्त मार्गे अम सघ के नेताओं को सामूहिक सौदेबाजी के फलस्वरूप होने वाल आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए ऐसी मार्गे प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए जो उद्योग की देय क्षमता से नहीं हो अथवा राष्ट्रीय नीतियों के विरुद्ध हो।

(ii) प्रजातत्र विरोधी बातों का विरोध अम सघठन के रूप में स्वीकृत अधिकारों की दृष्टि से यह आवश्यक है कि अम सघ अपने कार्यस्थल पर प्रजातत्र विरोधी बातें नहीं प्रयोग करने वें।

(iii) कचा मनोवृत एवं अधिक उत्पादन अम नेताओं को अपना ध्यान केवल ऊची मज़दूरी, कम काय के घटेतथा अच्छी काय की दशाओं की ओर ही केंद्रित नहीं रखना चाहिए बल्कि अपने सदस्यों का मनोवृत कचा करने तथा अधिक उत्पादन की ओर प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए।

(iv) हड्डाल का उपयोग अम सघों को हड्डाल का उपयोग उसी समय करना चाहिए, जब सभी प्रयास निष्फल हो गये हो।

३ अम सघ एवं प्रबन्धक दोनों के लिए तिद्धात

(i) विवेकपूर्ण निषण अम सघ और प्रबन्धक दोनों को ही यह समझना चाहिए कि अधिक निषेच्पूर्ण निर्णय लेने के लिए सामूहिक सौदेबाजी एक बच्ची विधि है। अत समस्याओं के त्रामाधान के लिए ईमानदारी से विचार-विमर्श करना चाहिए।

(ii) शोक्षणिक आधार - सामूहिक सौदेबाजी का आधार शोक्षणिक होना चाहिए। अम सघ ने नेताओं को यह अवमर मिलना चाहिए कि वे प्रबन्धकों के समस्त अपनी मार्गे, आवश्यकताएं, थभिकों की मनोवृत्ति आदि प्रस्तुत कर सकें और प्रबन्धक

पुन उन्हे परिस्थितिया समझाने का प्रयास करें।

(iii) पारस्परिक सद्भावना : दोनो पक्षो में पारस्परिक सद्भाव तथा सौदेबाजी बरने की क्षमता होनी चाहिए।

(iv) अन्य बातें : (अ) दोनो पक्ष यह अनुभव करें कि मूल्य स्थिरीकरण आवश्यक है तथा बाजार मूल्य एवं मजदूरी में पर्याप्त तालमेल होना चाहिए, (ब) दोनो पक्ष राजकीय नियमन का पालन करने के लिए तैयार होने चाहिए, (स) समझौता हेतु इमानदार, योग्य तथा उत्तरदायित्वपूर्ण नेतृत्व आवश्यक है तथा (द) वे अनुबंध को क्रियान्वित करने में सक्षम हो।

सामूहिक सौदेबाजी के स्वरूप (Forms of Collective Bargaining)

सामूहिक सौदेबाजी के प्राय निम्नलिखित तीन स्वरूप होते हैं—

1 एक संयत सौदेबाजी (Single Plant Bargaining) जब सौदेबाजी एवं संघ और उन सेवायोजक के मध्य होती है तो इसे संयत सौदेबाजी कहते हैं। इसका प्रचरण अमरीका और भारत में है।

2 बहु संयत सौदेबाजी (Multi plant Bargaining) : जब सौदेबाजी एक इकाई (जिसके नई संयत हो सकते हैं) वे मध्य और उन सभी संयतों में नियोजित अभियोग एवं अभियन्त्र संघों के मध्य होती है तो इसे बहु-संयत सौदेबाजी कहते हैं।

3 बहु सेवायोजक सौदेबाजी (Multi-employer Bargaining) जब एक ही उद्योग के समस्त संघों की उनकी विभिन्न केंद्रों रेशन के माध्यम से सेवायोजक एवं उनके केंद्रों रेशन से सौदेबाजी होनी है तो इसे बहु-सेवायोजक सौदेबाजी कहते हैं।

सामूहिक सौदेबाजी का विकास

यद्यपि सामूहिक सौदेबाजी की प्रणाली अभिक संघ के विकास के कारण ही हुई है, परन्तु सामूहिक सौदेबाजी विभिन्न देशों में विकास की विभिन्न परिस्थितियों में है और अलग-अलग देशों में उसके विकास की गति, रूप और यहां तक कि त्रैम भी भिन्न है जो कि आशिक रूप से औद्योगिक ढांचे में विभिन्नता, राज्य हस्तक्षेप की मात्रा व श्रम आदोतन के आदर्शवाद में विभिन्नता द्वारा निर्धारित है। उदाहरण के लिए इंग्लैण्ड में केवल राष्ट्रीयकृत उद्योगों में ही यह सभी पक्षों पर अनिवार्य है कि वे एक-दूसरे के साथ सामूहिक रूप से स्वतंत्र अनुबंध एवं स्वैच्छिकता का त्याग किये बिना सौदेबाजी करें। अमेरिका में सामूहिक सौदेबाजी को सरकार प्राप्त करने के लिए कानून बनाए गए हैं और उन्हें प्रभावकारी बनाने के लिए हर तरह का प्रयास किया जाता है। कनाडा में विधान द्वारा यह आवश्यक है कि सबधित पक्ष सामूहिक रूप में सौदेबाजी कर सके। सौदियत कानून सभी उद्योगों में सामूहिक सौदेबाजी प्रदान करती है। फौस में सरकार विभिन्न तरीकों से सामूहिक सौदेबाजी अनुबंध की प्रक्रिया को प्रभावित बरने का प्रयास करती है।

सामूहिक सौदेबाजी को प्रभावित करने वाले घटक

सामूहिक सौदेबाजी को प्रभावित करने वाले घटक हैं, जैसे औद्योगिक उपकरण का आकार, उपकरण की आधिक स्थिति, कार्य की प्रकृति, उत्पादन में हाने वाली वृद्धि, अर्थिक सघों के राजनीतिक गवर्नमेंट, उद्योग व अभियान सघों का कार्यकाल, उत्पादित वस्तुओं की बाजार में विशेष की स्थिति अभियान सेवायोजनों में पाया जाने वाला पारस्परिक विश्वास आदि। यदि सेवायोजनों के अभियानों के प्रतिनिधि एवं दूसरे का विश्वास करते हुए उपयुक्त विचारों को स्वीकार करने के लिए तत्पर हो तो विचार-विमर्श की प्रतिया के दौरान शीघ्रता से समझौता करने में महायता मिल सकती है।

सामूहिक सौदेबाजी के लाभ

जैसा कि हम उपर देख चुने हैं कि सामूहिक सौदेबाजी अभियान सघों नीं वह प्रणाली है, जिसके द्वारा वे अथ का भूल्य और काय भी शाँ उद्योगपतियों के माध्यमिक निर्धारित करते हैं। निर्माता मजदूरों में मनमानी शर्तें न माना सकें व उनका जो प्रयोग न वर सकें व अभियानों को भी प्रयोग वाले के लिए हड्डान वा आश्रय न देना पड़े इसके लिए सामूहिक सौदेबाजी प्रणाली का जन्म हुआ। नव अ यह निरतर विकसित हो रही है। प्र०० ए० बी० रमनराव के शब्दों में सामूहिक सौदेबाजी सेवायोजनों और अभियानों में ही मुलह और समर्थन के लिए इच्छुक होने और उनहितों दो मान्यता देने के द्वारा एवं व्यवस्थाय रूप में रीजिस्टर की जर्ते निरूपित होती थी और वर्मचारी उन्हें योजनों को द्वारा एकपक्षीय रूप में रीजिस्टर की जर्ते निरूपित होती थी और वर्मचारी उन्हें अपरिहायी रूप में स्वीकार कर लेते थे। गायत्रे ने सामूहिक सौदेबाजी के प्रभावोंका अध्ययन द्वारा सक्रिय सूचि लेना आश्रम कर दिया है ताकि अभियानों द्वारा सेवायोजनों के हितों की आवश्यकताओं दी रामानु रूप से देखभाल की जा सके। सक्षम में सामूहिक सौदेबाजी के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं—

1. औद्योगिक शाति सामूहिक सौदेबाजी वा सदस बडा लाभ यह है कि इसमें अथ और पूजी दोनों साफी समीप आ जाने हैं और उनमें पारस्परिक सहयोग की भावना बढ़ जाती है। पलत औद्योगिक विचारों की सम्य घट जाती है। औद्योगिक मध्यम बढ़ जाती है। पलत औद्योगिक विचारों की सम्य घट जाती है। (हड्डान व तानावदियों) के अभाव म जाति वा वानावरण विस्तृत हो जाता है। इसमें समस्त राष्ट्र लाभान्वित होता है क्योंकि उत्पादन बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ जानी है।

2. शाति को परपरा सामूहिक सौदेबाजी म उद्योग म शाति की परपरा पड़ जाती है। इसमें छोट-मोटे विचार उत्पन्न भी होते हैं, तो वे पूर्व उदाहरणों के थाधार पर नय हो सकते हैं। ओ एल० ज्ञ० रेनालड्स न उचित ही कहा है— जब नियमों का अधार नय हो सकता है। जो पहले नहीं हुई हो और जो परपरागत नियमों से

बाहर हो।”¹ अतः यदि विवाद होता भी है तो वह सीधे समाप्त हो जाता है।

3 निरीक्षक की मनमानी का अन्तः : रेनाल्ड्स का यह भी मत है कि सामूहिक सौदेबाजी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह होता है ‘निरीक्षक एक निरकुश शासक न रहकर वैधानिक सम्माट रह जाता है, जिसकी समझीते की शर्तों को मानना पड़ता है और जिसके फैसले के विरुद्ध आगे अपील हो सकती है।’ प्रायः यह देखा गया है कि सामूहिक सौदेबाजी के अभाव में सभी कार्य प्रबंधकों की मर्जी से होते हैं, परन्तु सामूहिक सौदेबाजी के अनुबंध के बाद उनको अनुबंधों की शर्तों का पालन करना पड़ता है तथा किसी भी नीति के निर्धारण उपर्युक्त उन्हें यह भी विचार करना पड़ता है कि श्रमिक संघ को वह मान्य होगा अथवा नहीं।

4 श्रमिक वर्ग का महत्व बढ़ना : सामूहिक सौदेबाजी से श्रमिक के सामाजिक स्तर में उच्चित हो जाती है, फलस्वरूप श्रमिक का उद्योग में महत्व बढ़ जाता है।

5 कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम होना सामूहिक सौदेबाजी से औद्योगिक श्रम अधिक लाभदायक हो जाता है। अतः उद्योग में कार्य करने के लिए कृषक मजदूर तट्ठार रहते हैं। परिणामतः कृषि पर से जनसंख्या का दबाव कम हो जाता है।

6 औद्योगिक शोध को प्रोत्साहन चूंकि सामूहिक सौदेबाजी के अन्तर्गत भवायोजकों का व्यय बढ़ जाता है, इसलिए उन्हें उत्पादन की विधियों में सुधार करने के लिए अनवरत प्रयास करना पड़ता है। इस प्रकार सामूहिक सौदेबाजी औद्योगिक शोध में सहायक होती है।

7 आदेशों का स्वागत सामूहिक सौदेबाजी के परिणामस्वरूप एक तो प्रबंधका द्वारा श्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता मिलती है और दूसरे प्रबंधकों के आदेश आमानी से स्वीकार किये जाते हैं, इससे प्रभावी प्रेरणा मिलती है।

सामूहिक सौदेबाजी के दोष—

जैसाकि एच० एच० सिलिस्टर ने कहा है—“सामूहिक सौदेबाजी एक साधन है जिसका उपयोग अच्छा और बुरा दोनों ही हो सकते हैं। इसके परिणाम इस बात पर निर्भर—रहे हैं कि सौदे कितनी उचित होता है और दूरदृशिता से किये जाते हैं।” उदाहरण के लिए यदि सामूहिक सौदेबाजी उचित ढग से न की गई तो निम्नलिखित दोष उत्पन्न हो सकते हैं—

(अ) यदि दिना औद्योगिक समस्याओं पर पर्याप्त विचार किये हुए श्रमिकों की मजदूरी बढ़ा दी जाती है तो उद्योग के अन्य साधनों को पर्याप्त पुरस्कार नहीं मिलेगा और उद्योग का विकास अवरुद्ध हो जायेगा।

(ब) सामूहिक सौदेबाजी से जो मजदूर संघ के सदस्य नहीं हैं, वे नुकसान में रहेंगे क्योंकि उन्हें सौदे का लाभ नहीं मिल सकेगा।

(स) यदि श्रमिकों के प्रतिनिधि अयोग्य हैं उनमें तकनीकी ज्ञान द अनुभव का

आभाव है, तो वे उद्योग की प्रगति में सही ढंग से धोगदान देने में सर्वथा अनुपयुक्त रहेगे।

(द) सामूहिक सौदेवाजी रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। कारण यह है कि उद्योगपति मजदूरों को मजदूरी उनकी उत्पादकता से अधिक नहीं दे सकते। अतः उन्हें उत्पादन और राजगार घटाने पड़ सकते हैं।

सामूहिक सौदेवाजी को सुदृढ़ बनाने के उपाय

- सामूहिक सौदेवाजी की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं—

1. सामूहिक सौदेवाजी से सर्वधित दनों की मनोवृत्तियों में मूलभूत परिवर्तन आवश्यक है ताकि वे सामूहिक सौदेवाजी के महत्व को स्वीकार करने लगें और उनमें एक-दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान की भावना जागृत हो सके।

2. अम संघों को इक्षितशाली होना चाहिए और उनमें उत्तरदायित्व का अहमास होना चाहिए। अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वैधानिक उपायों के प्रयोग में उनका बढ़ विश्वास होना चाहिए।

3. श्रमिक मष्ट आदोलन को श्रमिक सब के बाहुल्य के कारण पैदा हुई प्रतिस्पर्धा और स्वार्थपरक राजनीतिक दनों एवं नेताओं के अवाञ्छनीय प्रभावों से बचाना चाहिए।

4. प्रबन्धकों में प्रगतिशील और उदार दृष्टिकोण की उपस्थिति सामूहिक सौदेवाजी की सफलता के लिए आवश्यक है।

5. श्रमिक वार्ग में शिक्षा, ज्ञान, चेतना एवं जागरूकता की कमी सफल सामूहिक सौदेवाजी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसे दूर करना चाहिए।

6. तथ्यों की खोजबीन और निष्पक्ष जाचन-उठान करने में आस्या होनी चाहिए और औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए नये प्रगतिशील साधनों व उपायों को प्रयोग में लाने की इच्छा होनी चाहिए।

7. सफल सामूहिक सौदेवाजी के लिए यह भी आवश्यक है कि दोनों पक्ष अपने आपको उत्पादन-क्रिया में उत्तरदायी साझेदार के रूप में मानें। एक-दूसरे के दृष्टिकोण को पूर्ण तथा वास्तविकता में समझना और उनकी कृदर करनी चाहिए।

8. चूंकि ऐच्छिक आधार पर किये ये ठहराव की दास्तों और दण्डों के गाड़े कोई वैधानिक समर्थन नहीं होता, इसलिए सर्वधित पक्षों को पारम्परिक ठहराव के आधार पर विश्वास के साथ अपनी कार्यवाहियों को करना पड़ा है।

9. उन क्षेत्रों के विषय में किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं शोनी जाती विनामे सर्वधित पक्षों को वैधानिक दृष्टि से सामूहिक रूप में मोदा करना होता है।

औद्योगिक सौदेबाजी और सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया (Collective Bargaining and Process of Social Change)

सामूहिक सौदेबाजी का प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। यह केवल आर्थिक क्रियाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन में भी सहायता है, जैसा कि श्री पर्लमैन ने कहा है—“यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्धन वर्ग (धर्मिक वर्ग) सदैव धनी वर्ग (पूजीपति वर्ग) के लिए उनकी सामाजिक प्रमुखता पर भार बना रहता है और अपने सदस्यों के लिए अधिक सुरक्षा, कल्याण एवं स्वतंत्रता की मांग करता रहता है। सामूहिक सौदेबाजी से व्यक्ति स्वतं राजनीतिक, वैधानिक, न्यायिक, राजकीय प्रशासन, धर्म, शिक्षा और प्रचार की दृष्टि से परिपक्व हो जाता है।”¹

मानसं की भाषा में सामूहिक सौदेबाजी केवल वर्ग-संघर्ष को ही बदल नहीं करती बल्कि यह स्पष्ट करती है कि दलित वर्ग पुराने शासक वर्ग को समाप्त नहीं करना चाहता बल्कि वह स्वयं भी उसके समान होना चाहता है।

यह उल्लेखनीय है कि सामूहिक सौदेबाजी अभी निरंतर विकास की ओर उभ्यता है, इसलिए प्रत्येक संघ और उद्योग में इसका स्वरूप पृथक्-पृथक् है। उदाहरण के लिए किन्हीं संघों में दिन-प्रतिदिन हड्डतालों के परिणामस्वरूप सामूहिक सौदेबाजी की जाती है तो कहीं न्यूनतम मजदूरी आदि के लिए सौदेबाजी की जाती है।

भारत में सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining in India)

सामूहिक सौदेबाजी की परम्परा भारत में नवीन है। यद्यपि उन्नत देशों में सामूहिक सौदेबाजी काफी सफल रही है, जिसका मुख्य कारण यह था कि वहाँ के अर्थिक संगठन अपने सेवायोजकों या प्रबन्ध संघठनों से वरावरी के साथ जूँझ सकते थे, पर भारत जैसे अद्यंविकसित देश में जहाँ अधिकारा अधिक अभी भी अशिक्षित या असंगठित हैं और जिनमें शक्ति, उनके नेताओं में बातचीत करने तथा देर तक लड़ने की ताकत की कमी है, सामूहिक सौदेबाजी अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाई है। 1969 में राष्ट्रीय अम घायोग² ने उचित ही लिखा है कि केवल कुछ राज्यों में ही औद्योगिक अधिनियमों में अधिक संघ को मान्यता प्राप्त है और अधिकतर स्थितियों में मजदूरों और मालिकों के बीच सौदों का कोई प्रावधान नहीं है। परिणामतः देश में सामूहिक सौदेबाजी की कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। यह भी देखने में आया है कि भारत में सामूहिक सौदेबाजी के परिणाम प्रायः अमिको के हितों के विरुद्ध ही रहे हैं।

1. Selig Perlman, “The Principle of Collective Bargaining,” The Annals of the American Academy of Political and Social Science,” 1936, p 154.
2. Report of the National Commission on Labour, p 321.

जाही आयोग के मतानुसार औद्योगिक सबधों को नियन्त्रित करने से वा पर्याप्त प्रयास अहमदाबाद में हुआ था। परंतु 1931 व 1947 के बीच इस क्षमा में कोई विभेद प्रणति नहीं हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कुछ सामूहिक सौदे हुए हैं। भारत के सेवायोजना परिषद वे अनुग्राह 1956 के एक सर्वेक्षण वे अनुसार 32% विवादों का निपटारा सामूहिक सौदे से हुआ था। 1960 में 49% विवादों में सामूहिक सौदों से निषय हुआ। 1954 और 1971 के बीच देश में सर्वभूमि 121 सामूहिक सौदे हुए।

भारतवर्ष में सामूहिक समझौते के स्तर भारतवर्ष में सामूहिक समझौते निम्नलिखित तीन स्तरों पर हुए हैं—

(1) संयंत्र स्तर पर समझौते (Agreements at Plant Level) इस प्रकार के समझौते कबल डाई विशेष में ही मान्य होते हैं। सन् 1955 से अब तक इस प्रकार के कई समझौते हुए हैं—इनमें से महत्वपूर्ण बाटा शू कपनी समझौता, 1955, टाटा आवरन स्टील कपनी समझौता 1956, मोदी स्पिनिं एंड वीविंग मिल समझौता, 1956, वैलूर समझौता, 1956, नेशनल न्यूज़ प्रिट नेपानगर का समझौता, 1956, तथा मैटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिंग समझौता 1960 मुख्य है। इन समझौतों के फलस्वरूप औद्योगिक विवाद निवारण की दिशा में नष्ट आधार तैयार हुए हैं।

(ii) उद्योग स्तरीय समझौते (Industry Level Agreements) . उद्योग स्तर पर प्राप्त निर्णय एक उद्योग विशेष में ही मान्य होते हैं। बवई एवं बहमदाबाद जैसे महत्वपूर्ण केंद्रों में उद्योग के स्तर पर इस प्रकार के समझौते सामान्य रूप में पाये जाते हैं। अहमदाबाद मिल मालिक संघ और अहमदाबाद सूती मजदूर संघ के बीनस चुगान के लिए तथा औद्योगिक विवाद निवारण के लिए 27 जून, 1955 को दो समझौते किये गये।

(iii) राष्ट्रीय स्तर पर समझौता (Agreement at the National Level) ऐसे समझौते प्राय द्विपक्षीय होते हैं तथा सरकार द्वारा आयोजित गोप्तियों ने तिये जाते हैं। 7 जनवरी, 1951 का दिल्ली समझौता, तथा जनवरी, 1956 का दामान श्रमिकों का बोनस समझौता इसके उदाहरण हैं।

विदेशों में सामूहिक सौदे ही मजदूरी, कार्य के घण्टे अवकाश सामाजिक सुरक्षा इत्यादि प्रश्नों को हल करते हैं, परंतु भारत में अभी यह स्थिति नहीं आ पाई है और सामूहिक सौदेबाजी ईश्वरवर्गमा में है। इसके कई कारण हैं—

1. भारतीय श्रमिक संघ आदोलन अभी भी विदेशों से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहां पर अशिक्षा, निधनता व जागरूकता की कमी के कारण श्रमिक संघ शक्तिशाली नहीं हो सके हैं।

2. श्रम सधों की विभिन्नता तथा उनकी आपसी प्रतिव्वदिता के कारण भी सामूहिक सौदेबाजी अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाई है।

3. इस योजना को सफलता न मिलने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि भारत के प्रबन्धकों ने सामूहिक सौदेबाजी में कोई विशेष शक्ति नहीं ली है। उनको को

यह भय है कि इससे उनके अधिकारों में कमी आ जायेगी।

4 यहा के श्रम विधान ने भी सामूहिक सौदेवाजी को प्रोत्साहन नहीं दिया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में भी सामूहिक सौदेवाजी को कोई विदेशी प्रभाव नहीं दिया गया है।

क्या सामूहिक सौदेवाजी भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल है ?

यह एक विवादपूर्ण प्रश्न है कि सामूहिक सौदेवाजी भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल है या नहीं? (राष्ट्रीय श्रम आयोग ने स्पष्टरूप से विचार बयान किया था कि सामूहिक सौदेवाजी का जो प्रारूप विदेशी में देखने को मिलता है वह भारत के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है क्योंकि, नियोजित अर्थव्यवस्था के उत्पादन के कुछ लक्ष्य होते हैं। उनकी पूर्ति सभव है कि सामूहिक सौदेवाजी के द्वारा न हो सके। आयोग ने आगे कहा कि श्रम न्याय प्रणाली के म्यान पर सामूहिक सौदों का प्रयोग वर्तमान स्थिति में न तो सभव है और न ही उचित। इसी प्रकार स कुछ अन्य लोगों का मत है कि भारत में जहाँ अधिकारी श्रमिक अभी भी असंगठित हैं, जिसमें शक्ति और शिक्षा का अभाव है, जहाँ श्रमिक सघों के बाहरी के कारण उनमें प्रतिद्वंद्विता है, जहाँ स्वार्थ-परक राजनीतिक दलों व नेताओं का श्रम सघों पर अनुचित प्रभाव है, सामूहिक सौदेवाजी सफल नहीं हो सकती।

उपर्युक्त विचार उपयुक्त नहीं है। भारत में सामूहिक सौदेवाजी की व्यवस्था अगलाना हितकर ही होगा। एक विस्तृत द्वंद्व में इसका विस्तार निश्चित रूप से बढ़नीय है, परन्तु भारत में सामूहिक सौदेवाजी एक औद्योगिक समाज के भीतर जीवन यापन के एक ढग के रूप में अभी विकसित होनी है और इसे श्रमिकों तथा उद्योग पर अपने प्रभाव को प्रभावपूर्ण बनाना है। जैसा कि प्रथम पचवर्षीय योजना में कहा गया था कि सामूहिक सौदेवाजी को धारणा उसी समय एक वास्तविकता का रूप ले सकती है जबकि श्रमिक संगठित हों और सेवायोजकों में सहयोग की सड़ची भावना हो। सामूहिक सौदेवाजी व्यवस्था धीरे-धीरे अपवार्द्ध जा सकती है। भारत में मुकदमेवाजी का श्रम न्याय प्रणाली ने श्रमिकों का बहुत अहित किया है। देश की वर्तमान परिस्थिति में जबकि प्रत्येक पचवर्षीय योजना के अवर्गत अच्छे से अच्छे श्रम प्रबन्ध संबंधों के लिए नवीनतम नीति प्रयासों की अनपरत स्तों ज होती रही है, हमें न्यायालय के महत्त्व को धटाना होगा और सामूहिक सौदों को उनका स्थान लेना ही चाहिए। द्विपक्षीय समझौता धारा औद्योगिक शाति को स्थिर करने वाली होनी चाहिए। श्रम और प्रबन्ध को एक दूसरे के साथ शातिपूर्वक रहना सीखना चाहिए, क्योंकि सामूहिक सौदों की राष्ट्रीय शाति के लिए अवृद्ध होगे। जहाँ तक उत्पादन के लक्ष्यों वा प्रश्न है, हमारा विचार है, कि सामूहिक सौदेवाजी में औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि इससे श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, प्रबन्ध की क्षमता बढ़ती है, अच्छे औद्योगिक संबंधों की उत्थापना होती है, प्रबन्धकों के आदेश का तत्परता में कार्यान्वयन किया जाता है। औद्योगिक झगड़ों के कारण जो उत्पादन की हानि होती है, वह नहीं होगी।

इसलिए उत्पादन की कुप्रभावित मिलाकर बढ़ि होगी। अत भारत में सामूहिक सौदेवाजी को प्रोत्साहित करना चाहिए और इसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिए। प्र०० ए० व्ही० रमनराव के शब्दों में “सामूहिक सौदेवाजी” दुरुप करने के लिए अम सधी, प्रबंध और सरकार को रचनात्मक प्रयारा करने हैं तथा नीतियों द्वारा गर्ग की शर्तों के कार्यान्वयन में सहकारी हस्तक्षेप आवश्यक न हो।”

(विंत वर्षों में भारत सरकार ने सामूहिक सौदेवाजी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से श्रमिक शिक्षा योजना, प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता योजना, अनुशासन राजनीति का विकास कारखाने में कार्य समितियों समुक्त परिषदों और शिकायत सबधी, त्रियादिधि आदि की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त त्रिलोक सम्मेलनों समुक्त परामर्श बोर्डों, औद्योगिक समितियों ने भी सामूहिक सौदेवाजी पद्धतियों के सचालन में व्यापक सहायता दी है। भारत में सामूहिक सौदेवाजी के क्षेत्र में शर्ते-शर्ते बढ़ि हो रही है और यदि प्रोत्साहन मिले तो यह देश को श्रीद्योगिक शांति और सफलता की ओर ले जा सकती है।

भारत में सामूहिक सौदेवाजी के विकास हेतु निम्न कारण उत्तरदायी हैं—

(अ) वैधानिक तथा राजकीय व्यवस्था, जिसके अतर्गत आदान प्रदान के सिद्धात, सामूहिक समझौतों की प्रणाली तथा विवादपूर्ण पक्षों के प्रतिनिधित्व का स्वप्न स्पष्ट किया गया है।

(ब) ऐच्छिक उपाय, जैसे शिष्टीय सम्मेलन, भौद्योगिक समितियां कार्य समितियां तथा मयुक्त सलाहकार बोर्ड द्वारा सामूहिक सौदेवाजी के लिए आवश्यक आवार तैयार कर दिया गया है।

(म) केंद्रीय सरकार के वर्तमान उपाय जैसे—अतस्मिन शांति सहिता (Code of Inter-Union Harmony), अनुशासन सहिता (Code of Discipline), मयुक्त प्रबंध समिति (Joint Management Councils), प्रबंध सहभागिता योजना, श्रमिक शिक्षा योजनाएं, कार्य समितियां (Works Committees), विवादनिवारण प्रणाली (Grievance Redressal Procedure) आदि से भी सामूहिक सौदेवाजी को बहु मिला है।

परीक्षा प्रश्न

- 1 सामूहिक सौदेवाजी से आप क्या आशय समझते हैं? सामूहिक सौदेवाजी व महत्व का मूल्याकान कीजिये।
- 2 सामूहिक सौदेवाजी वे राज-हास्तियों वा वर्णन कीजिये। क्या सामूहिक सौदेवाजी भारतीय अव्यवस्था के लिए उपयोगी है?
- 3 योजनावद्व विभास द्वारा लागू शर्तों के अतर्गत सामूहिक सौदेवाजी की क्या सीमाएं होनी चाहिए।
- 4 वैधानिक और स्वेच्छिक सामूहिक सौदेवाजी में आप क्या मतभेद करते हैं? किसे प्राप्यमिकता दी जानी चाहिए और क्यों?

- 5 वया आप इस बात से सहमत है कि (क) सामूहिक सौदेवाजी हितकर होती है जब श्रम सघ अपनी शवित पर्याप्त मात्रा में बढ़ा लें, उसी प्रकार श्रम सघों को मजदूत बनाने के लिए सामूहिक सौदेवाजी भी लाभदायक है, (ख) बदालती फँसले विना किसी खुले सघर्ष के विवादरत पक्षों को मतोष प्रदान कर सकते हैं ?
- 6 सामूहिक समझौते के विभिन्न स्तरों का उल्लेख कीजिए। भारत में प्रथम लित सामूहिक सौदेवाजी प्रणाली का मूल्याकान कीजिए।
- 7 सामूहिक सौदेवाजी की प्रकृति सरचना एवं भूहस्त्र पर प्रकाश डालिए। एक आदर्श सौदेवाजी की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए।

अध्याय 12

ओद्योगिक आवास (Industrial Housing)

ओद्योगिक आवास से आशय, सामान्यत आवास से आशय श्रमिकों के लिए रहने के लिए भवान की व्यवस्था से है। रहने की व्यवस्था अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, किंतु आवास-व्यवस्था का यह अर्थ अत्यंत ही मनुचित है।

व्यापक अर्थ में आवास-व्यवस्था से आशय श्रमिकों के लिए ऐसे आशय से है, जो बारामदायक हो, श्रमिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो और जहां श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य मुख्यतया जीवन व्यतिन बर मर्हे। न्यूट शब्दों में श्रमिकों की आवास-व्यवस्था वहा होनी चाहिए जहां चिकित्सा, शिक्षा, औड़ा, मनोरजन, स्वच्छ वायु, प्रकाश व जल, आग आदि की ममुचित व्यवस्था हो।

आधुनिक टॉप्टकोण से आवास या मकान से आशय आयोजित मकानों से है। आधुनिक आवास-व्यवस्था के सबध में कैथे गड़न और ने निला है—“आधुनिक आवास-व्यवस्था में कुछ विशेष गुण होते हैं तथा इसमें कुछ इग व उद्देश्य सम्मिलित होते हैं, जो आधुनिक एव प्राचीन आवास-व्यवस्था के अन्तर को स्पष्ट करते हैं। एहली बात यह है कि आधुनिक मकान वर्षों तक के कुशल प्रयोग के लिए बनाये जाते हैं; प्रारम्भिक रूप से कोई तात्कालिक लाभ कमाना उनके निर्माण का उद्देश्य नहीं होता। आधुनिक मकान आयोजित होता है, इसमें अनुमान का कोई भी प्रश्न नहीं उठता। आवास की यह आधुनिक भारणा इस बात को स्वीकार करती है कि आयोजन इकाई, निर्माण और व्यवस्था को आधिक इकाई तथा रहन-सहन को सामाजिक इकाई का अत्यंत से धनिष्ठ सबध है, जिसके अन्तर्गत आवास-व्यवस्था का विकास केवल गलियों का पार्श्वक विस्तार एव रहने के मकानों का भूष्ट गाव नहीं है। इसका आदि भी है और अंत भी। इसका एक मूर्त्त स्वरूप भी है, जिसको हम देखते हैं। इसका एक भाग दूसरे भाग से सद्वित है और प्रत्येक भाग का एक विशेष पूर्व निश्चिन उपयोग है। इसके अतिरिक्त आधुनिक आवास-व्यवस्था प्रत्येक आवास के स्थान में न्यूनतम सुविधाओं को स्वीकार करती है, जिसमें हवा को इम पार से उम पार जाने, प्रकाश, प्रत्येक विद्वकी में सुखद एव शाति हरण, पर्याप्त एकान्तता, समुचित सफाई, बच्चों के लिए बेलने व मनोरजन के स्थान आदि पा ममावेग होता है। अत मे यह आवास स्पान एक ऐसी कीमत पर उपलब्ध है।

सके, जो औसत दर्जे का नागरिक दे सकता हो।”¹

इस प्रकार हम देखते हैं कि आवास की आधुनिक धारणा के अनुसार आवास में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिए—

(अ) मकान में परिवार के सदस्यों के अनुपात में पर्याप्त कमरे होने चाहिए।

(ब) मकान ऐसी जगह पर स्थित होना चाहिए जहाँ स्वच्छता का अभाव न हो।

(स) मकान के प्रत्येक अग को सही तौर पर प्रयोग में लाना चाहिए। उदाहरण के लिए सोने के कमरे को पढ़ने का कमरा बनाना उचित न होगा।

(द) प्रत्येक मकान के मध्य कुछ जगह अवश्य खुली होनी चाहिए।

(य) मकान इस ढंग से बना होना चाहिए कि उसमें हवा को इस पार से उस पार जाने वाली रोशनी को पर्याप्त रूप में आने की सुविधा हो।

(र) मकान में बच्चों को बेलने-कूदने वाली अन्य कार्यों के लिए आगन की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

(ल) इस प्रकार का मकान ऐसे मूल्य या किराये पर उपलब्ध होना चाहिए, जिसे की औसत बेनन पाने वाला ध्यक्ति भी सरलता में भुगतान कर सके।

औद्योगिक क्षेत्र में आवास दशाये

(Housing Conditions in Industrial Centres)

भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में आवास की व्यवस्था अत्यत शोचनीय है। औद्योगिक केंद्रों में जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, परंतु मकानों का निर्माण उभी गति से नहीं हो पा रहा है। प्रत्येक बड़े औद्योगिक नगरों में भूमि की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई हैं। फलत सब मकान एक-दूसरे से मिले हुए बनते हैं और कमरे में हवा और रोशनी आने का एकमात्र रास्ता एक दरवाजा होता है। अनेक स्त्री-पुरुषों को एक ही कमरे में रहना पड़ता है। श्रमिकों के मकान जिन क्षेत्रों में बनते हैं, वहाँ पर सफाई तो नाम तक नहीं होता। वस्तुतः जनक नगरों में तो उनके निवास-स्थानों को मकान की मज्जा देना ही लज्जा की बात है। इसीलिए 1952 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री प्र० जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर को कानपुर में श्रमिकों के निवास स्थान का निरीक्षण करते हुए इस्तेवे ‘नरक कुण्ड’ कहकर सबोधित किया था। भारतीय औद्योगिक केंद्रों में आवास की स्थिति कितनी दयनीय है, यह थम जाऊ समितियों के प्रतिवेदनों से स्पष्ट हो जाता है। भूम के शाही आयोग के शब्दों में “अधिकतर मकानों में एक ही कमरा होता है, न दरवाजे, न खिड़िया और न रोश दान होते हैं। इनका दरवाजा इतना छोटा होता है कि बिना भुके अदर प्रवेश नहीं किया जा सकता। कुछ आड़ करने या परदा करने के लिए पुराने कनस्टरों के टीनों या पुरानी टाट की बोरियों को काम में लाया जाता है, जिनमें हवा और रोशनी के आने-जाने में और भी वाधा पड़ती है। इस प्रकार के मकानों में

1. Catherine Baur, Quoted in Labour Investigation Committee Report, p. 211

मनुष्य उत्पन्न होते हैं, मोते हैं, भोजन करते हैं, जीवित रहते हैं और मर जान हैं।' ब्रिटिश अधिक सघ सभा ने भी बोधोगिक केंद्रों की आवास व्यवस्था के सबध मध्य प्रकार सिखा है—“जहा कही भी हम लोग ठहरे वही हम सब अधिकारों के मकान दाढ़ने गए और अगर हम लोग अपनी आखो में न देखते तो शायद यह विश्वास भी न बन पाने कि ऐसे व्यावस्थाएँ भी हो सकते हैं।”

अब शाही आयोग व ब्रिटिश अधिक सघ सभा न भारतीय बोधोगिक अधिकों के मकानों की दशा के मध्य में जो विवरण दिया है, उसमें आज भी कोई उत्तेजनीय सुधार नहीं हुआ है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस देश में आवासीय स्तर, विशेषकर बड़े शहरों में बहुत ही असतोषजनक है और हमारी मध्ये कोशशो के बावजूद काफी गिर गया है। 1971 में मकानों की कमी का अनुमान 22 से 27 करोड़ था। राष्ट्रीय नमूना गर्वेक्षण के 18वें अध्याय के अनुसार, विभिन्न प्रातों में प्रति परिवार औसत निवास-स्थान 20 से 25 मीटर के बीच है। आवासीय क्षेत्र का 20 ने 25 प्रतिशत भाग राष्ट्रीय भवन-निर्माण योगठन के प्रतिमानों के अनुन्त्र नहीं है। कुछ अपवाहों द्वारा छोड़कर, 80 प्रतिशत से अधिक परिवारों और कुछ प्रातों में तो 95 प्रतिशत में भी अधिक परिवार के लिए आमीण क्षेत्रों में शोचातय की सुविधा भी नहीं है और शहरी क्षेत्रों में भी 25 व 50 प्रतिशत परिवारों की यही स्थिति है।

भारत के कुछ बोधोगिक नगरों में अधिकों के मकानों की जो वास्तविक अवस्था है, वह निम्नलिखित विवेचना में स्पष्ट हो जाएगी—

1 बबई इस शहर में अधिकाश अधिक चालों में रहते हैं, जिनकी दशा अत्यधिक असतोषजनक है। श्री शिवाराम ने चालों का जो वर्णन दिया है, वह इस प्रकार है—अधिकाश चालों बहुत ऊची और पक्की इमारतें हैं जो प्रम्य 4-5 मंजिल तक होती हैं। इनमें अधिकाशत एक कमरे वे मकान होते हैं। इनमें प्रकाश और वायु भी कोई अवस्था नहीं होती। श्री शिवाराम ने लिखा है कि जब बबई में मजदूरों की वस्ती में एक लेडी डाक्टर मरीज देखने गई तो उसने देखा कि एक कमरे में चार परिवार रहते हैं जिनके मध्यस्थी की संख्या 24 थी। चारों कोनों में चूल्ह बने हुए थे, सारा कमरा पुराना तथा काला हो रहा था। श्री हस्टं ने इस प्रकार मजदूरों के बसन को गोदामों में माल भरने के प्रमान बनाया है। शाही अम आयोग ने बबई की जानों के सबध में अपने प्रतिवेदन में लिखा था—“अधिकाश चालों में कोई भी मुघार करन की गुजाइश नहीं है और उनको नष्ट कर देने की आवश्यकता है।”

1981 की जनगणना के आकड़ों के अनुसार 82 लाख की आबादी वाले इस महानगर में 35 लाख लोगों का पास रहने को कोई पर नहीं है। 1941 म जब इस महानगर की आबादी केवल 18 लाख भी तब यहा 30,000 मकानों की कमी थी। 1979 म जब आबादी 77 लाख हो गई तो मकानों की कमी भी बढ़कर आठ लाख हो गयी और 1981 में आयडे ऊपर लिखे ही जा चुके हैं। अनुमान किया जाना है कि इस शहराद्वी के अन्त तक जब महानगर की जनसंख्या 160 करोड़ हो जायगी तिर पर त्रिमा छन दाद राम की संख्या भी। 20 करोड़ हो जायेगी।

बबई महानगर की जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है उस देखते हुए इस ग्रामीणे के अत तक 15 लाख और मकानों की आवश्यकता होगी जिसके लिए 10,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन बबई के उपनगरों में 15 लाख तक स्वयं बम्बई में मिल 1000 एकड़ भूमि रिक्त है। यदि इसमें से अधिकांश पर मकान बना जायेंगे तो शुद्ध वायु की समस्या दूर हो जायेगी। प्रति एक हजार की आवादी के लिए कम से कम 1.2 हेक्टर खुली जगह जरूरी होती है। बिन्दु बबई महानगर में बाल 0.08 एकड़ भूमि ही उपलब्ध है।

बम्बई में मकानों का किराया और विक्रय मूल्य सभवत भारत में सबसे अधिक है। पिछले 5 वर्षों में ही इसमें तीव्र सौ प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। कलकत्ता में चार कमरा वाला एक पैलेट अडाई तीन लाख रुपये में मिल जाता है जिसके बम्बई में दोमध्ये बीमत 20 लाख रुपये तक देनी पड़ती है।

बबई में पैइंग मेस्ट जैसा बग भी है। अबेना आदमी किसी जरूरत माद परिवार के माय महामाल के रूप में रहता है। बम्बई पैइंग मेस्ट बनाने के लिए भी 300 से 2,000 रुपये प्रतिमाह दिन पूर्ते हैं।

कलकत्ता यथाकाले पश्च में एक टिप्पणी द्योगी थी कि यदि भारत में कभी त्रावितीयी तो वह कलकत्ता में होगी क्याकि यहाँ पर एक और जहाँ वैभव की प्रतीक रूप दड़ी अद्वितीया है तो उसकी ओर चरम गरीबी की प्रतीक गदी वस्तिया है। जहाँ मनष्ट नामनामा में भी बनतर नालत में रहता है।

कलकत्ता में करीब 3,000 जाग गांदी प्रस्तिया हैं और महानगर की करीब 1/3 आवादी निवास करती है। करीब 57% परिवार एक कमरे वाले घरों में रहत हैं जिनमें भौमनन नीन बग भी उत्तर जगह होती है।

कलकत्ता में भी मकान प्राप्त करने के लिए मोटी पगड़ी प्रथमा सलाभी दिनी परती है। विनयवान्म दिनेग बाग (हलहोजी) अलीपुर पाक स्टीट तथा बड़ा बाजार में एक कमरे के लिए 10 से 25 हजार रुपये तक वी पगड़ी देंगी पठती है। अग्रिम दिन नाम पर ली गई रुपये रकम का कही उत्ता जोखा नहीं होता। न यह किराये में समायोजित होती न ही मकान छोड़ने पर जापन। इस पगड़ी के अलावा किगया 3-4 रुपये प्रतिवर्ष फीट है।

मध्य कलकत्ता में द गिद मोधारण में बने पलेटा की विक्रय दर एक सौ से तीन मौ रुपये रुपये फीट है। मध्य कलकत्ता में अपेक्षाकृत अच्छे ढंग में बने मकानों। पलेटा की विक्रय दर 450 रुपये प्रति बग फीट है।

कलकत्ता में प्रति बग औसत रुपये में 6,000 नयी आवास इकाइया का निर्माण होता है जो आवश्यकता वी दिन में काफ़ी कम है।

दिस्ती आवास वी समस्या दिल्ली में भी विवराल बनती जा रही है। अपने नगरों की तरह यहाँ भी मकानों की निर्माण की गति बहुत है और बेघरबार चोगों की समस्या बढ़ती जा रही है।

हर महीने 16,000 लोग बाहर न आकर दिल्ली को अपना सधय क्षत्र बनाते हैं।

इन सभी दिल्ली में नगरभग 650 अनाधिवृत बस्तियाँ हैं जो 3,500 एकड़ भूमि पर फैली हुई हैं। इन 650 बस्तियों में करीब 3,50,000 मकान हैं जिनमें 15,00,000 व्यक्तियाँ ने अपना सिर छुपाया हुआ है।

प० जवाहरसाल नेहरू की प्रेरणा से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवासीय समस्या के समाधान हेतु 30,000 एकड़ भूमि के अधिगृहण के नोटिस जारी किए थे जिनमें से अब तक 16,000 एकड़ भूमि अपिगृहीत रही जा चुकी है। 1962 से 1967 तक केवल 400 मकान बनाये गए थे। लेकिन इस स्तर से प्रापिकरण के प्रयोग करने के बाद 1967 से 1976 तक 40,000 मकान बनाये गए। इसके बाद के दो वर्षों में मकान निर्माण में और भी गति आई। 1979 तक 20,000 मकान बना डाने गए। पिछले बाय ने अब तक नगरभग 70,000 आवास डिक्टाइया लोगों को वितरित की जा चुकी है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण न झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों वे लिए 44 पुनर्वास आवासोनिया बनाई हैं जिनमें 25 वर्ग मीटर के ८१ आवास ब्लाउ वितरित किए गए हैं किन्तु आशिक कारणों से केवल 40% प्लानों पर ही मकान बन गए हैं।

प्राधिकरण ने करीब 250 अरब रुपए की लागत वाली गैरिहियों जाताम परि योजना बनाई है 11,17,000 पलैटो वाली यह परियोजना चडीगढ़ से चार गुना बड़ी होगी।

३. कालपुर . 1971 की की जनगणना के अनुसार कालपुर की जनसंख्या 12,73 लाख है, जिनमें एक विशाल सख्ता मजदूरों और उनके परिवारों के सदस्यों वीर। यहाँ के मजदूर बस्तियों को 'अहाना' कहा जाता है जिनमें बहुत-सी दोठरिया वंशी होती हैं, जिनके सामने कभी कभी बरामदा भी होता है। एक कमरे और बरामद की जाह मिलाकर औसतन 80 वर्ग फुट होती है जिनमें दो अपवानी और कभी-कभी चार परिवार तक रहते हैं। इनकी छतें बहुत नीची हैं तथा सफाई, प्रकाश एवं वायु का कोई प्रबल नहीं है। इम नगर में इतनी गदी बस्तियाँ हैं जिन्हें देखकर स्वर्गीय प० जवा हरिलाल नेहरू को इनमा आशंकये और दुःख हुआ कि उन्होंने कहा—“ऐसी गदी बस्तियाँ मानवीय पहन की चरम सीमा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके लिए उनका आविष्यका को कामी पर लटका देना चाहिए।”

कालपुर में सरकारी योजना के अनुसार लगभग 20,000 आवास निर्मित किये गए हैं, परंतु इससे समस्या की गभीरता में कोई वास अतर नहीं आया है।

४. अहमदाबाद 1971 की जनगणना के अनुसार अहमदाबाद की जनसंख्या 17,46 लाख है। यहाँ भी श्रम निगम की स्थिति बहुत मनोरोगजनक नहीं है। यहाँ की नगरपालिका ने हरिजनों के अन्य श्रमिकों के लिए बुँद मकानों का निर्माण किया है। अहमदाबाद धिन हालसिंग कम्पनी एवं मूनी बड़न मिल श्रम संघ की ओर में भी मात्रा का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद में श्रमिकों की गृह निर्माण नहीं कामी श्रमितिया भी है। परंतु श्रमिकों की वास्तविक महस्ता देखने पूर्व में वर्षी मकान न होने के बाबत है। अन्य अधिकांश मजदूर चाल में ही रहते हैं, जिनमें एक कमरा हो दें पर्याप्त का दोनों फल 12×10 फुट होता है। शोबालय, गोने के पानी, रोशनी, हवा आदि

प्रौद्योगिक आवास

धनिष्ठ रूप में जुड़ी हुई है। भारत में श्रमिकों की आवास व्यवस्था को दखकर मर्जानी के शब्द स्मरण हो आते हैं—“विश्व की रचना ईश्वर न की है, नगरों की मानव ने और श्रम वस्तियों की शैतानों ने।” आवास की बुद्धिपूर्ण व्यवस्था कितने व्यक्तिगत, आर्थिक व सामाजिक दोषों को जन्म देती है, इसका अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों द्वारा करेंगे:

करेंगे :

१ स्वास्थ्य हास आवास-व्यवस्था की हीन दशाओं का श्रमिकों के स्वास्थ्य पर दुरा प्रभाव पड़ना है। मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए चुद वायु व प्रकाश बहुत आवश्यक है। भारतीय श्रमिकों के लिए जो भी मकान बने हुए हैं, उनमें वायु और प्रकाश के आने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण भारतीय श्रमिकों का स्वास्थ्य दुर्बल है और वे अधिक बीमार रहते हैं। साथ ही श्रमिकों के मकान गती गदी गलियों में स्थित हैं जिनके आम-भास कूड़ा-करकट व अन्य बहुत-सी सड़ी गली बम्नुआ पढ़ी रहती हैं। इसमें भी वातावरण दूषित होता है और स्वास्थ्य पर इसका दुर्भाग्य पड़ना है। डा० अमर नागरण अग्रवाल ने अपनी पुस्तक Industrial Housing in India' में लिखा है कि 'बढ़ी की पास-पास बनी हुई चालें, अहमदाबाद के भूमि के नीचे बने हुए मकानों की क्लारें, कानपुर, लखनऊ और हावड़ा की आनंदिक वस्तियां, जूट मिल के गाव चाले छपर, कोपले की खानों के गढ़े घावरे तथा मद्रास के जौदोगिंज कस्बों के गढ़े छपर और — सभी नपेंदिक और दूसरे इवास रोगों वे घर बन गए हैं।' बम्नुत श्रमिकों की स्वास्थ्य पर स्पर्श सबधित समस्या है, जिना वायु और प्रकाश वारों मकान खगगग तथा शिशु मृत्यु की ऊची दर का एक महत्वपूर्ण कारण होते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे गढ़े स्थानों में मृत्यु दर २९५ प्रति हज़ार थी जबकि साधारण २०० से २३० प्रति हज़ार ही थी। यह भी पाया गया कि मृत्यु सूखा दिनाम ने कमरों के विपरीत अनुपात में ही। एक कमरे पाते निवास स्थानों में मृत्यु सूखा ७८.३ प्रतिशत थी।

में है। एक कमरे पाले निवास म्याना म मृत्यु सहना ७० उपरात्रि, १०८
2 नैतिक पतन और अपराध को प्रोत्साहन . मनुष्य जैसे वातावरण म रहता
है उनकी मनोवृत्ति वैसी ही जाती है। इन गिरावट के अनुमार गदे वातावरण म रहने
वाले श्रमिकों की मनोभावना भी गदी हो जाती है। डामे चोरी की आदत, शराब
पीने की आदत, जुआ खेलने का शौक और वेश्यावृत्ति आदि दुरुग पैदा हो जाते हैं।
श्रमिकों के निवास की व्यवस्था न होने के कारण वे जपन परिवार को औद्योगिक क्षेत्रों
में नहीं ला पाते जिसके परिणामस्वरूप वे या तो वेश्यावृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं
अथवा अन्य अधिकारी की मिलियों में अनुचित सबध स्थापित करते हैं। डाठ राज्यकल्प
मुख्यमन्त्री ने वेश्यावृत्ति के लिए आवाम की अपर्याप्तता को उत्तरदायी ठहराया है। वेश्या-
वृत्ति के कारण श्रमिकों वा चरित्र व स्वास्थ्य दोनों नष्ट हो जाता है। एक ही कमर म
पुष्ट व म्बी वे साथ रहने के कारण फिरतर मरम में जीवन व्यनीत करना कठिन हो
जाता है। ऐसे गरानों म माता-पिता व अन्य वयस्क व्यक्तियों के यों व्यवहारों को
दृच्छे देखते और सोखते रहते हैं। इसी कारण श्रमिकों की गदी बस्तियों म यौन अपराध
अधिक होते हैं। योग्यनीय स्थान के अभाव के कारण पुष्ट व मिलियों के यौन व्यवहारों में
भी दिविनता दर्शनी है तथा महिला श्रमिकों के नैतिक पतन की अधिक आशका रहती

है। डा० मुखर्जी के शब्दों में मिदनापुर के बगाल के जूट के मिलों में आई हुई 300 स्थियां ने यह स्वीकार किया कि उनमें से 3 में एक वेश्यावृत्ति करती है और हुगली में जितने परिवार पैदा हए हैं, उनमें से एक-तिहाई मिलों में बाम करते हैं तथा उनमें से 4 में 1 वेश्यावृत्ति करती है।

आवास-व्यवस्था की अमुकिधा के बारण श्रमिक स्थायी रूप से उद्योग में नहीं टिक पाते। इसलिए उद्योगपति बस्ती के निर्माण के साथ ही वेश्यागृहों का निर्माण भी कर देते हैं जिसमें श्रमिक ग्रामों से स्वस्थ व कार्यक्षमता को सेकर जाते हैं, परतु नगरों से वे जपनी जवानों तथा बार्यक्षमता को लुटाकर गाव वापस जाते हैं। इस अभाग्यशाली परिस्थिति में विवश होकर डा० राधाकमल मुखर्जी ने लिखा है, 'भारतीय ओद्योगिक केंद्रों की इन अस्थि गदी बस्तियों में मनुष्यता का निःसंदेह ही निर्देशता के साथ गला ढोटा जाता है, नागरिक का अपमान होता है और शिशुता को प्रारभ में ही विष्पान कराया जाता है।'

3 श्रमिकों की कुशलता पर कुप्रभाव श्रमिकों की कुशलता के लिए अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है। परतु अच्छे मकानों के अभाव में श्रमिक को गहरी नीद नहीं आती। गहरी नीद के लिए स्वच्छ वायु, उचित कमरा और नातिपूर्ण वातावरण बहुत आवश्यक है। पर वुरी आवास-व्यवस्था में श्रमिकों को यह सब सुविधाएं नहीं मिल पाती, इसमें उसकी घबाघट दूर नहीं होती और सोने के बाद जब दूसरे दिन वह उठता है तब भी वह थका हुआ ही रहता है और उसका मन कार्य में नहीं लगता। फलतः उसकी कार्यक्षमता में कमी आती है।

4 सेवायोजकों को हानि : अपर्याप्त आवास-व्यवस्था के कारण सेवायोजकों को भी श्रमिकों की न्यून कार्यक्षमता, बुरे स्वास्थ्य, अनुपस्थिति आदि के कारण बहुत हानि सहनी पड़ती है। आवास की हीन दशा ए ओद्योगिक संघर्षों को भी जन्म देती है। मकानों के अभाव के कारण श्रमिक को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, जिससे वह समझने लगता है कि सेवायोजक उसके हितों की उपेक्षा कर रहा है। इस भावना के आते ही श्रमिक भी सेवायोजकों के हितों की उपेक्षा करता है। घोमे चलो की नीति बपनाता है, उत्पादन कार्य में अपव्यय अधिक करता है तथा मशीनों की तोड़-फोड़ करने लगता है। जब सधर्य और बढ़ता है तो हड़तात और तालाबदी की त्रियाएँ होने लगती हैं। कभी-कभी यह सधर्य समाज क्रातिकारी प्रवृत्तियों को जन्म दे देता है।

5. सास्कृतिक स्तर में हास वुरी गृह-व्यवस्था के कारण श्रमिकों का सास्कृतिक स्तर में भी हास होता है। श्रमिकों का वेश्यागमन आदि कुप्रवृत्तियों के कारण नेतिक पतन हो जाता है। डा० राधाकमल मुखर्जी ने एक स्थान पर लिखा है, 'वेश्यागमन की प्रवृत्ति से स्त्री और पुरुष दोनों ही के चरित्र दूषित होते हैं। उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और राष्ट्र का सास्कृतिक स्तर गिर जाना है।'¹

1. R. K. Mukharjee *Indian Working Class*, p. 230.

2. *Ibid*, p. 201.

6 राष्ट्र की हानि : आवास की दुर्बलता में राष्ट्र को भी हानि होती है, जिसके आवास की अपर्याप्त व्यवस्था से श्रमिकों की कार्यकुशलता कम हो जाती है तथा श्रीद्योगिक ग्रन्थों के कारण राष्ट्रीय उत्पादन नहीं हो जाता है। साथ ही साथ श्रमिकों के लिए दशा सुधारने के लिए सरकार को सामाजिक कल्याण पर बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है।

गदी वस्तियों की सफाई (Slum Clearance Scheme)

भारत के सभी श्रीद्योगिक केंद्रों में अधिकारी श्रमिक गदी वस्तियों में ही निवास करते हैं। इन वस्तियों को अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग नामों में पुकारा जाता है, जैसे बबई में चाल, तमिलनाडु में चेरि, कानपुर में अहाना व कलकत्ता में बस्ती।

समस्या का स्वरूप

गदी वस्तिया प्रायः दो प्रकार की होती हैं—(अ) कच्ची और (ब) पक्की। कच्ची श्रम वस्तिया घास-फूस व बासों की सहायता से तैयार की जाती है और इनके निर्माण में किसी योजना से काम नहीं नियम जाता। इसके विपरीत पक्की श्रम वस्तिया इंट और चूने की सहायता से तैयार की जाती है। इसके कमरे छोटे होते हैं तथा वे भी बिना किसी योजना के बने होते हैं। उनमें वायु अव्यवहार प्रकाश वा कोई प्रबंध नहीं होता। यह गदी वस्तिया जिनमें श्रमिक अत्यत अरबास्थिक गदी कोठरियों में नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं, वर्तमान युग में समाज के माध्ये पर एक कलक का टीका है। मानव को जीवित रहने के लिए कितना दुख, कष्ट और दर्द सहना पड़ता है, इसका ज्वलत उदाहरण ये गदी वस्तियाँ हैं। दून वस्तियों को विन्कुल समाप्त कर देने की समस्या पर सर्वप्रथम स्व० प० नेहरू ने सन् 1952 में कानपुर में गदी वस्तियों को देखकर समाज-मुद्धारकों का ध्यान इस आर आकर्षित किया था। उनके शब्दों में, “मेरे विचार में से इन सब गदी वस्तियों को जला दिया जाये ताकि विकास अधिक तेजी से हो सके। जब तक निरोधात्मक उपायों का उपयोग नहीं किया जायेगा, तब तक अस्पतालों के निर्माण में बवा लाभ होगा? यदि वस्तियों को भाफ कर दिया जाये और श्रमिकों को रहने के लिए जच्छे मकान दिये जायें तो निश्चय ही उत्पादन बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ कि अस्पतालों पर व्यय किया जाने वाला सपूर्ण धन गदी वस्तियों की सफाई पर व्यय किया जाये।” मई, सन् 1952 में लोकसभा के सदस्य श्री शिवराम ने समझ में कहा था—“जब समस्त देश में गदी वस्तियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का समय आ गया है।”

गदी वस्तियों की सफाई

अब यह अधिकाधिक लोगों द्वारा स्पीकार किया जाने लगा है कि गदी वस्तियों को साफ करना न केवल श्रमिकों के ज्ञारीक, आधिक और नैतिक दृष्टिकोण से आवश्यक है, बल्कि सपूर्ण राष्ट्र में कल्याण के दृष्टिकोण से भी जरूरी है। परतु आवश्यकता

इस बात की है कि गदी वस्तियों की समस्या के निवारण के लिए एक ऐसी सुमर्गठित योजना दनाई जाये, जिसमें एक और तो विद्यमान गदी वस्तियों को समाप्त करने के लिए अमबद्ध प्रयत्न किये जायें और दूसरी ओर उनके भावी विस्तार को नियन्त्रित किया जाये। इस दिशा में जो किंचित् प्रयास किये गये हैं, वे इस प्रकार के हैं—

प्रथम पचवर्षीय योजना में इस समस्या पर गभीरतापूर्वक विचार किया गया था और स्वीकार किया गया था कि गदी वस्तियों को हटाने के लिए आवश्यक धन निश्चित होना चाहिए और गदी वस्तियों की सफाई की योजना हमारी आवास सदबी नीति का एक आवश्यक अग होना चाहिए। योजना में यह सुझाव रखा गया था कि मजाकों के निर्माण के लिए स्वीकृत 38.5 बरोड रुपयों में प्रति वर्ष गदी वस्तियों के निए अलग से आयोजन होना चाहिए। इन सनके फलस्वरूप सन् 1956 में गदी वस्तियों की सफाई की योजना का श्रीगणेश हुआ। इस योजना के अतर्गत गदी वस्तियों की सफाई के लिए राज्य सरकारों नथा उनके द्वारा नगरपालिका व अन्य स्थानीय संस्थानों को आयिन सहायता प्रदान की जानी है।

द्वितीय व तृतीय योजना के अतर्गत गदी वस्तियों की सफाई के लिए अनेक मुसाद रखे गए थे जैसे—(i) बनने से रोकना, (ii) नई गदी वस्तियों को साफ करना, (iii) गदी वस्तियों में रहने वालों में सामाजिक शिक्षा वे प्रमार द्वारा चेताना भरना (iv) गदी वस्तियों वे सबघ में नगरपालिकाओं द्वारा कठोर नियमों का निर्माण करना (v) राज्य सरकारों द्वारा गदी वस्तियों को स्थानीय संस्थानों द्वारा पुरा करना। चौथी पचवर्षीय योजना में भी ऐसी ही व्यवस्था की गई है।

योजना आयोग के आग्रह पर एक विशेष दल ने भी इस समस्या का गभीरता से अध्ययन किया और यह सुझाव दिया कि जिन नगरों में जनसंख्या बहुत घनी है उनमें म उद्योगों को हटाकर उन्हें गांव में स्थापित किया जाये, घनी वस्तियों में रोजगार के "वस्ता" को रोका जाये नगरों में जो नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं उनमें से अधिकांश सूवधाओं की व्यवस्था गांव में जाये, आदि।

अन्य मुझाव एवं निष्कर्ष

गदी वस्तियों की सफाई की परियोजनाओं में और अधिक सफलता प्राप्त करने वे लिए कुछ सुझाव इस प्रकार दिये जा सकते हैं

1. गदी वस्तियों वी सफाई की योजना के साथ साथ गदी वस्तियों के सुधार का भी योजना शुरू की जानी चाहिए।

2. नगर से दूर बसाई जाने वाली बस्तियों वा बारमदानों तक आवागमन की सुविधाएँ सस्ती दर पर उपलब्ध होनी चाहिए और साथ ही ऐसी वस्तियों में यातार, औषधालय, स्कूल आदि वारमदान समस्त सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए।

3. नगरपालिकाओं के अधिनियमों में आवश्यक संगोष्ठन किये जान चाहिए और इन्हें कड़ाई के साथ जागू किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में गदी वस्तियों के

निर्माण को किसी प्रकार का श्रोत्साहन न मिले ।

4 गदी वस्तियों की सफाई और सुधार के कार्यक्रमों को चलाने के लिए स्वयं-सेवी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का दूर्जन्य सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए ।

5 गदी वस्तियों के क्षत्र में शिक्षा का प्रचार किया जाना चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े और वे स्वस्थ जीवन अतीन करने के लिए उत्सुक हों ।

6 नए भिल या कारखाने नगर से दूर खोले जाने चाहिए, और उनमें जितने अधिक कार्य करें उनकी आवास व्यवस्था का उत्तरदायित्व मालिकों पर हो ।

7 प्रत्येक नगर के लिए मार्टिर प्लान होना चाहिए जिसके बनुसार नगरों का भावी विकास हो ।

8 बड़े-बड़े नगरों में दर्तमान उद्योगों और सहकारी कार्यालयों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए ।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि गदी वस्तियों की सफाई कोई एक पृथक समस्या नहीं है । यह सपूर्ण आवास नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है । बास्तव में आवास की प्रत्येक योजना में गदी वस्तियों की सफाई की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि जब भी कोई नदीन गृह व्यवस्था वी जाये गदी वस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को इन नये पकानों में ने जाया जा सके और सदृशित गदी वस्तियों में सफाई के लिए कार्य किये जा सकें ।

आवास-समस्या को सुलझाने के लिए किए गए प्रयास (Efforts to Solve the Housing Problem)

भारत में आवास की समस्या अत्यन्त जटिल है क्योंकि गृह निर्माण दृढ़त व्यय साध्य कार्य है । साथ ही दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है । अत श्रद्धिक वय नये गृहों का निर्माण करना आवश्यक है । नेत्री में विकासित होने वाले नगरों में मकान बनाने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं मिल रही है । परतु आवास की समस्या को इस प्रकार छोड़ा नहीं जा सकता । डॉ. राधाकृष्णन मुख्यमंत्री न उपयुक्त ही कहा था—‘कुछ ले १ यह नहन है कि भारत ओद्योगिक आवास के लिए अधिक व्यय करन की हितति में ।’ है । उनको केवल एक ही उत्तर दिया जा सकता है कि भारत इस व्यय से बचन परीक्षिति में भी नहीं है ।

भारतीय अधिकारी ने निवास की समस्या के समाधान के लिए कोहीय वर सरकारों उद्योगपतियों व नगरपालिकाओं द्वारा प्रयास चल रहे हैं । मुधार व प्रधनों वी विवेचना हम निम्न रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं ।

1 राज्य क्षत्र की योजनाएं आवास समस्या के समाधान के लिए राज्य शिक्षा । उन की जा रही प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं—

(1) एकोहृत मदायता प्राप्त आवास योजना यह योजना नं 19.21—
इस योजना का वाले ओद्योगिता अधिकारी और समाज के लाधिक दृष्टि में दुबा—
र ५१० है । इस योजना के अतिरिक्त मकान प्राप्त करने के लिए ५०० रुपया—

आमदनी की सीमा रखी गई है। जिनकी आमदनी या मजदूरी प्रति माह 351 रु० से 500 रु० तक है उन्हें कुछ अतिरिक्त भारवहन करना होता है। 31 दिसम्बर, 1980 तक इस योजना में 1,87,580 मकान बन चुके थे।

(ii) निम्न आय वर्ग आवास योजना : इस योजना के अतर्गत जो 1954 में चालू हुई थी, ऐसे व्यक्तियों को (या उनकी सहकारियों को) मकान बनाने के लिए ऋण दिया जाता है, जिनकी वार्षिक आय 7,200 रुपये से अधिक नहीं है। ऋण की राशि विकसित भूमि की लागत के 80 प्रतिशत तक होती है और अधिकतम ऋण राशि 14,500 रु० तक होती है। 31 दिसम्बर, 1982 तक 4,15,320 मकान बनाए जा चुके थे।

(iii) मध्यम आय वर्ग योजना : इस योजना के अतर्गत जो 1959 में प्रारंभ हुई थी मकान बनाने के लिए ऋण सामान्यतया उस धन राशि में से दिया जाता है जिसे जीवन बीमा निगम ऋण के रूप में राज्यों को देता है। केंद्र शासित प्रदेशों को यह धन केंद्रीय सरकार देती है। इस योजना के अतर्गत मकान बनाने के लिए ऋण उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी वार्षिक आय 7,201 रुपये से 18,000 के बीच होती है। ऋण मकान की लागत का 80 प्रतिशत तक होता है। और यह अधिकतम 27,500 रुपये तक हो सकता है। ऋण के पात्र व्यक्तियों को बने बनाए मकान खरीदने के लिए भी ऋण मिलता है। 31 दिसम्बर 1982 तक 45,252 मकान बनाये जा चुके थे।

(iv) प्रामोज आवास परियोजना कार्यक्रम : इस योजना के अतर्गत प्रामोजों को मकान बनाने के लिए ऋण देने की व्यवस्था है। यह ऋण निर्माण लागत का 80 प्रतिशत तक ही सकता है और अधिकतम 5,000 रुपये होता है। प्रामों का यातावरण सुधारने के लिए गलिया और नालिया बनवाने के लिए भी इस कार्यक्रम के अतर्गत ऋण दिया जाता है। 31 दिसम्बर 1982 तक लगभग 70,000 मकान बनाए जा चुके हैं।

(v) किराया आवास योजना : इस आवास योजना में राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए है और यह 1959 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अतर्गत राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए मकान बनवाती हैं और उन्हें किराये पर देती है। 31 दिसम्बर 1982 तक 35,000 मकान बनाए जा चुके थे।

(vi) 1959 से प्रारंभ सूमि अधिप्रहण और विकास योजना : इस योजना के अतर्गत राज्य सरकारें और केंद्र शासित क्षेत्रों के शासन शाहरी क्षेत्रों में भूमि का अधिप्रहण और विकास करते हैं, ताकि मकान बनाने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को, विभेदकर निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को उचित मूल्य पर विकसित प्लाट मिल सके। इसका उद्देश्य भूमि के मूल्य में स्थिरता लाना, नगर विकास के कार्य को मुक्तिसंगत बनाना और अपने आप में पूर्ण सुविधा युक्त वस्तियों के निर्माण को बढ़ावा देना है। 31 दिसम्बर, 1982 तक विभिन्न राज्य सरकारों ने लगभग 15,000 हेक्टर से अधिक भूमि का अधिप्रहण और 1,243 हेक्टर भूमि का विकास कर लिया था।

2. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ : आवास समस्या के समाधान के लिए केंद्र द्वारा कियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं—

(i) बागान मजदूरों के लिए : बागान मजदूरों के लिए सहायता-प्राप्त आवास

योजना 1956 से चाल है। इस योजना के अतर्गत केंद्रीय सरकार बागान थमिको पो विराया निप बिना मकान देने के बास्ते मकान तैयार करने के लिए 50 प्रतिशत कृष्ण और 37.5 प्रतिशत अनुदान देती है। बागान भजदूर छ राज्या असम कर्ताक, बेरल तमिलनाडु रिपुरा और रशिम बगाल भ है। बागान थमिका की सहकारियों को परियोजना की स्वीकृत लागत का 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता के रूप में मिलता है—65 प्रतिशत नक्षण के रूप में मिलता है और 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में।

1955 म स्वीकृत एक कल्याण योजना केंद्रीय सरकार की भी है जिसके अन्तर्गत यह प्रपत्रन कर्मचारियों को जिनमें वे कम चारी शामिल हैं जिनको वित्त कानून के भनुमार भुगतान होता है मकान बनाने और बन बनाये भगान तरीदने व लिए कृष्ण देती है। एक प्रत्येक 1978 से सूर्य स्वीकृत करने का अधिकार मध्यालयों द्विभागा को दे दिया गया है। वजट और फड में विस्ते का निदारण निर्माण तथा आवास मध्यालय बनाता है। 1983-84 वर्ष के लिए 42.50 करोड़ रुपये का प्रावधान था।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन थमिकों के लिए ग्रामीण क्षेत्र म भूमिहीन थमिकों को मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करवाने की योजना रप्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कायंक्रम वा एक अग है। पांचवी योजना के शुरू होने से जर्ता एक अप्रैल 1974 से यह कर्मीकरण से राज्य क्षेत्र में हस्तातरित कर दी गई है।

30 मिन्हिवर 1982 तक विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 80.24 लाख परिवारों को मकान बनाने वे लिए जमीन दी जा चुकी थी। इस योजना द्वा और व्यापक बनाया गया और मकान बनाने के लिए भावायता भी दी जाने लगी है। अब तक 12 राज्यों 4 राज्य शासित केंद्रों में 9.62 लाख परिवार अपने रहने के लिए मकान बना सकते हैं।

3 अन्य योजनाएँ

(i) गदी बस्तियों की सफाई और सुधार योजना गदी बस्तियों की सफाई और सुधार योजना एक केंद्र प्रतिन कायक्रम के रूप में 1956 म चालू की गई थी। इसे बनान गदी बस्तियों की सफाई और सुधार तथा गदी बस्तियों के ऐसे निवासियों का जिनकी मामिक आय 350 रुपए म अधिक नहीं है स्वच्छ क्षेत्रों में मकान देने के लिए राज्या और केंद्र शासित प्रवेशा वो वित्तीय सहायता दी जाती है। 1 अप्रैल 1969 से यह योजना राज्य सरकारों की सोप दी गई।

(ii) गदी बस्तियों के पर्यावरण का सुधार गदी बस्तियों के पर्यावरण को सुधारन के लिए गदी बस्ती पर्यावरण सुधार केंद्रीय योजना कायक्रम 1972 म 10 गहरा अहमदाबाद बरई बगलोर, दिल्ली, हैदराबाद कानपुर लखनऊ मद्रास, नागपुर और पुणे म शुरू किया गया। 1973-74 के दोरान 10 और गहरा कलकत्ता, कोचीन, इंदौर, गोहाटी, इंदौर, जयपुर, लुधियाना, पटना, रोहतक और श्रीनगर इस कायक्रम के अतर्गत आ गए। गदी बस्तियों के पीने के पानी की अवृक्षा करने, जलमल का निकास का प्रबल्य करने, गुमलनान और शीतात्मय बनाने, सटको पर रोपानी का इत्त शाम करने

और मौजूदा गलियों को चौड़ा और पक्का करने के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारी को पूरी वित्तीय सहायता दी गई। 31 मार्च 1974 तक 24 60 करोड़ रुपये भ अधिक लागत की 854 परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी थी। इन परियोजनाओं के लिए राज्य को 20 23 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई। इस राशि में मे 14 21 करोड़ रुपये से अधिक मार्च 1974 के अंत तक खाल्चं किए जा चुके थे।

यह योजना I अप्रैल 1974 से केंद्रीय क्षेत्र से निकालवार राज्य क्षेत्र को सौंप दी गई जिससे कि राज्य सरकार इसे एक व्यूनतम आवश्यकता कायकम वे रूप में कार्या निवत करें। इस योजना के कायदोंका कातीन लाल या उससे अधिक जनसत्त्वा याने नगरों तक या प्रत्येक उस राज्य के एक नगर में जहाँ यह योजना अभी तक लागू नहीं की गई है विस्तार कर दिया गया है। अब बिना किसी जनसत्त्वा आधार के मध्ये यहाँरी क्षेत्र इस योजना के अधीन भा गए हैं।

(iii) भुग्यी भोपढ़ी हटाने की योजना झुग्यी झोपड़ी हटाने की योजना का उद्देश्य उन लोगों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करना है जिहोने दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी और सावजनिक भूमि पर गैर कानूनी रूप में कड़ा कर रखा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 2 लाख मकानों और घरांठों का निर्माण/प्रिकास किया जा चुका है।

पचवर्षीय योजनाओं के अधीन प्रगति

1 प्रथम पचवर्षीय योजना इस योजना की अवधि म गण्डीय आवास काय कम तैयार करने की ओर ध्यान दिया गया। इस योजना में औद्योगिक केंद्रों की आवास व्यवस्था का विनीय उन राज्यों प्रमुख रूप भ केंद्र सरकार पर ही था और औद्योगिक श्रमिकों तथा कम जात वाले समूहों में आवास सवधी परिस्थितियों को छ वा प्रावधान करते हुए सुधारने पर ध्यान दिया गया। सहकारी आवास समिनिया की भूमिका पर विशेष बल दिया गया। स्वास्थ्य और एकात्तरा को ध्यान में रखते हुए मकानों के लिए अनुमति मानदण्ड निर्धारित किया गया। इस योजना मे 48 7 करोड़ रुपय की व्यवस्था की गई थी जिसके द्वारा नागरिक क्षत्रों में मकानों का निर्माण करना था। अनुमान है कि पहली योजना की अवधि में सरकारी स्थानों द्वारा लगभग 7 लाख मकान बनाये गए थे।

2 द्वितीय पचवर्षीय योजना द्वितीय योजना मे गह निमाण त लिए 120 करोड़ 40 की व्यवस्था की गई थी लेकिन वास्तव म 80 3 करोड़ 40 ही व्यय किये गय।

इस योजना काल मे उत्पादन औद्योगिक आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख 28 हजार मकान बनाने का लक्ष्य सामने रखा गया जा तथा गदी बस्तियों मे रहने वाले श्रमिकों के लिए 1 लाख 10 हजार नय मकान बनाय जाने थे। इनके अतिरिक्त पुनर्वास मुरक्का रेल फौलाद खान ईंधन तथा सचार मानायों और राज्य सरकारी तथा स्थानीय प्राधिकारों ने अपनी अपनी मरान रोजनाएं बनाई हैं। योजना और अध्यक्ष उद्योगों न अपने श्रमिकों के मकान निमाण वे लिए अनुग योजनाएं बनाई हैं। इन प्रकार

दूसरी पंचवर्षीय योजना में आवास योजनाओं पर सरकारी क्षेत्र में 250 करोड़ रु० संगता गया और पाच लाख मकान बनाए गए।

3. तीसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजनावधि में सामाजिक मकान योजना पर 1.7455 करोड़ रुपये व्यय किए गए। इसमें से 87.55 करोड़ रु० योजना साधनी ने और 60 करोड़ रु० जीवन धीमा निगम से प्राप्त किए गए थे। इस अवधि में लगभग 1 लाख 87 हजार मकानों का निर्माण किया गया। इसके अलिंगित दिल्ली नगर में व्यापक शोपिंग को हटाने की योजना कार्यान्वित की गई।

सन् 1966 से 1969 की अवधि में आवास-व्यवस्था पर 62.85 करोड़ रु० व्यय किए गए और 74,776 मकानों का निर्माण हुआ।

4. चतुर्थ योजना में आवास पर कुल 237.03 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई, जिसमें से 188.43 करोड़ विभिन्न आवासी योजनाओं पर व्यय होना था।

5. पांचवीं योजना में राज्यों की योजनाओं पर 343 करोड़ रु० तथा केंद्र की योजनाओं पर 237.16 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई। पांचवीं योजना में करीब 70 लाख भूमिहीन उमदूरों को घर बनाने के लिए जगह दी गई थी, किन्तु उन्हें विरुद्धित रूप से या उन पर घर बनाने के लिए कोई सहायता नहीं दी गई।

6. छठी योजना में (1980-85) सावंजनिक और निजी क्षेत्र कुल मिलाकर 12900 करोड़ रुपये व्यय करेंगे। इनमें से 3500 करोड़ रुपये शामील आवास के लिए और 9400 करोड़ रुपये शहरी आवास के लिए होंगे। इतने सर्वे से शामील इलाकों में 1 करोड़ 30 लाख मकान और शहरी इलाकों में 57 लाख मकान बन पायेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिश्ठान, विभागीय उपकरण और सरकारी भनुदान और सहायता पाने वाली संस्थाएँ भी 250-300 करोड़ रुपये इस कार्य में लगा सकती हैं। समाज के कमज़ोर और निम्न आय वर्ग के लोगों को मकान दिलाने पर पहले की तरह विशेष वचन दिया जाना है।

आवास-योजना की धीमी प्रगति के कारण

आवास-समस्या को सुलझाने के लिए किए गए प्रयत्नों से स्पष्ट है कि देश में आवास-समस्या की गभीरता पर इन प्रयत्नों का प्रभाव नगण्य रहा है। यही कारण है कि समस्त प्रयत्नों के होते हुए भी आज देश में आवास-समस्या अत्यंत गभीर बनी हुई है। अनेक प्रयत्न करने पर भी आवास-योजनाओं में प्रगति धीमी ही रही है। इस धीमी प्रगति के कारणों को निम्नलिखित धीर्घकों के अत्यंत कर सकते हैं—

1. राज्य सरकारों की धोर से धीमी प्रगति :

राज्य सरकारों द्वारा जो आवास-योजना चल रही है उसमें गति धीमी के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं—

(अ) राज्य सरकारों की योजनाओं में सरकारी भासफोताताही तथा मंद गति से कार्य करने की प्रवृत्ति अधिक है।

(३) आवश्यक टेक्निकल ज्ञान व यथो की कमी अनुभव की जाती है।

(४) भवन निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और न ही वह सस्ते मूल्य पर प्राप्त हो सकती है, जिसके कारण मकानों की लागत ऊची बैठती है। ऊची लागत राज्य सरकारों को भवन निर्माण के लिए हतोत्सा-हित कर रही है।

(५) राज्य सरकारें जो मकान बनाती हैं, उनको किराये पर श्रमिकों को दिया जाता है। परतु कुछ विशेष स्थानों पर श्रमिक इतने निर्धन हैं कि वे मकानों का 10 हजार मासिक किराया देने में भी असमर्थ रहे हैं, जिससे राज्य सरकारों को अधिक मकान बनाने के लिए कोई प्रेरणा नहीं मिली।

(६) कुछ अपवाहादों को छोड़कर राज्य सरकारें व्यापक भवन निर्माण कार्यक्रमों सहायता देने और उन्हें हाथ में लेने के लिए पर्याप्त रूप से समर्थित नहीं हैं।

2 सेवायोजकों द्वारा मकानों के निर्माण में धीमी प्रगति

सेवायोजकों को भी भवन-निर्माण में निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण वे इस ओर अधिक रुचि नहीं ले रहे हैं—

(अ) मकानों को बनाने के लिए भूमि प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

(ब) भवन-निर्माण की कुल लागत का 37-1/2% अंश सेवायोजकों को अपने पास से व्यय करना पड़ता है। अतः इससे बचने के लिए वे भवन-निर्माण की ओर कोई विशेष रुच नहीं लेते।

(स) भवन निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का आवश्यकतानुसार और कम मूल्य पर प्राप्त न होना।

(द) भवन-निर्माण से मकानों के मालिक बनकर श्रमिकों के साथ संघर्ष का एक नया कारण उत्पन्न हो जाने के भय से भी सेवायोजक भवन निर्माण की योजना की उपेक्षा करते हैं।

(ए) सेवायोजक यह भी सोचते हैं कि राज्य सरकारें तो मकान का निर्माण कर ही रही हैं, इसलिए उनको मकान बनाने की क्या आवश्यकता है।

(र) अधिकतर सेवायोजकों में आज भी यह भावना प्रबल है कि श्रमिकों के लिए मकान बनाने पर व्यय होने वाला रूपया व्यर्थ का खर्च है और इसलिए उद्योग पर वह एक आवश्यक भार है।

3 श्रमिकों की सहकारी समितियों द्वारा धीमी प्रगति :

निम्नलिखित पांच बाधाएँ ऐसी हैं जो सहकारी समितियों वो भी धीमी प्रगति पर चलने के लिए बाध्य कर रही हैं

(अ) श्रमिकों का इन समितियों में विशेष हुचि न लेना।

(ब) भूमि का उचित दर पर न मिल सकना।

- (स) इन समितियों की स्थापना व रजिस्टर्ड करने के ज्ञान की कमी ।
- (द) भवन-निर्माण की सांगत का 25% अंश के व्यय के लिए धन न होना ।
- (य) सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता की उचित विज्ञप्ति का न होना ।

आवास-योजना की तीव्र प्रगति के लिए सुझाव

औद्योगिक आवास योजना की अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए श्री श्रोतृ और मिरि के निम्नलिखित सुझाव अनुकरणीय हैं-

1. भवन-निर्माण के लिए विभिन्न संस्थाएँ जो कृष्ण देती हैं उनकी वापसी की किस्तों में कुछ रियायत कर देनी चाहिए, विदेषकर श्रमिकों की राहकारी समितियों के लिए ।

2. श्रमिकों का निवास स्थान अगर औद्योगिक क्षेत्रों से अधिक दूर हो तो निवास स्थान से लेकर औद्योगिक स्थान तक यातायात की व्यवस्था राज्य सरकारी व स्थानीय संस्थाओं को कर देनी चाहिए ।

3. श्रमिकों की बस्तियों में बाजार, औपचालय, स्कूल, खेल के मैदान, पार्क, डाक व तारधर यादि समस्त सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए ।

4. मजदूरी मुश्तान अधिनियम में इस प्रकार सशोथन किया जाना चाहिए, कि राज्य सरकारें सीधे श्रमिकों के वेतन से कृष्ण की राशि प्राप्त करें ।

5. यह योजना उन औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी काम में लानी चाहिए जो राज्य सरकारी वौर कैद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं ।

6. उपकरण में जो श्रमिक होते रह गये हो, जिनके लिए यकानों की व्यवस्था न हो सकी हो उनमें से अगर सेवायोजक कम से कम 20% श्रमिकों के लिए यकान बनवाने को तंयार हो जाते हैं तो उनकी बढ़ी हृदृद्धि दर पर कृष्ण और आर्थिक सहायता 3 से 5 वर्ष तक प्रदान करने की व्यवस्था की जाए ।

7. राज्य सरकारें सेवायोजकों को भवन निर्माण के लिए भूमि उचित मूल्य पर प्रदान करें ।

8. वित्तीय सहायता और कृष्ण में वृद्धि करके श्रमिकों की महकारी समितियों को प्रोत्तमाहन दिया जा सकता है ।

9. जहां पर श्रमिक स्वयं अपने श्रम से यकान की व्यवस्था कर सकता हो, वहां पर श्रमिकों को एक अलग भूमि का टुकड़ा दिया जाना चाहिए जिसमें उसको समस्त सुविधाएँ प्राप्त हो सकें ।

10. यदि कोई अन्य योजना बनाई जाती है तो उसके लिए भी वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

11. इतनी सुविधाएँ दे देने पर यदि सेवायोजक अपने श्रमिकों के लिए यकान नहीं बनवाते तो उनको कुछ यकान बनवाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए ।

आवास-समस्या पर राष्ट्रीय श्रम आयोग के मुझावा

१ ओद्योगिक नगरों में स्वयं सरकार को आवास व्यवस्था का उत्तरदायित्व लेना चाहिए। उद्योगपतियों में इस दशा में सहायता ली जा सकती है, परन्तु आवास-व्यवस्था को उद्योगपतियों के लिए अनिवार्य बनाने में कोई लाभ न होगा।

२ कम आय वाले वर्ग के लिए उत्पादन औद्योगिक आवास-योजना जारी रहनी चाहिए।

३ प्रत्येक राज्य में आवास बोर्ड संगठित होने चाहिए। केंद्रीय सरकार इन बोर्डों को सहायता दे जो ५०% उपादान और ५०% ऋण के रूप में हो।

४ सहकारी समितियों वा गठन प्रोत्साहित करना चाहिए।

५ यदि नये आवास ओद्योगिक केंद्रों से दूर पड़ते हैं तो यातायात की व्यवस्था सरकार, उद्योगपति व यातायात कर्पनियों की सहायता से होनी चाहिए।

६ भूमिहीन मजदूरों को अपने घर के स्वामित्व का अधिकार मिलना चाहिए।

७ ग्रामीण मजदूरों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए सरकारी योजनाएँ चलनी रहनी चाहिए।

आवास मंत्री सम्मेलन मन् 1971 की सिफारिशें

नवम्बर, मन् 1971 में नई दिल्ली में आवास मंत्री सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें आवास-समस्या पर गभीरता में विचार किया गया तथा निम्न-लिखित सिफारिशें प्रस्तुत की गईं।

१. राज्य सरकारों द्वारा चाहिए कि वे एक स्वस्थ नगरीय भूमि नीति का निर्माण करें, जिससे राज्य आवास बोर्ड को अपने काय-सचालन में अधिकतम स्वतंत्रता एवं सुगमता हो।

२. राष्ट्रीय नियोजन में आवास-व्यवस्था व नगरीय विकास को उच्चतम प्रायमिकता दी जानी चाहिए तथा इस हेतु राज्य सरकारों को चाहिए कि वे पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करें।

३. बड़ी-बड़ी राजधानियों भें फलंदास के क्रेतापों के हितों की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र एपार्टमेंट औनरराशिप एक्ट सन् 1970 के आधार पर अन्य राज्य सरकारों को भी उपयुक्त सन्नियंत्रण बनाना चाहिए।

४. कम आय वर्ग आवास योजना तथा मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अतिरिक्त मिलने वाले ऋण की सीमा ऋणश 14,500 रु. व 27,500 रु. तक बढ़ा देनी चाहिए।

भारत सरकार ने चौथी सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और दोष तीनों सिफारिशों का क्रियान्वयन राज्य सरकारों पर निर्भर करता है।

परीक्षा-प्रश्न

- 1 भारत में किसी बड़े नगर में औद्योगिक श्रमिकों की निवास दशाओं का वर्णन कीजिए और उनके सुधार के लिए उपर्युक्त सुविधाओं का सूझाव दीजिए।

अथवा

“भारत में एक बड़े औद्योगिक केंद्रोंमें उनके साथसामौ के साथ लगान पर कम आय के श्रमिकों के निवास को एक सार्वजनिक रबा के रूप में दबीकार किया जाना चाहिए।”

कानपुर के औद्योगिक श्रमिकों के मकानों की समस्या के उदाहरण सहित उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए।

अथवा

कानपुर के औद्योगिक श्रमिकों की निवास-दशाओं का वर्णन कीजिए और हाल के वर्गों में इसके सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनका वर्णन कीजिए। इस ओर आप अन्य कौन-कौन से सुझाव देंगे।

अथवा

भारत में औद्योगिक श्रम के निवास पर एक संशोधित डिप्पणी लिखिए। देश में श्रमिकों के लिए अच्छे और स्वस्य निवास के लिए सुझाव दीजिए।

अथवा

क्या इस देश के औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों की निवास दशाएं सतोष-जनक हैं? अगर नहीं तो इन दशाओं के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए।

- 2 अगर भारत में आज का औद्योगिक श्रमिक शारीरिक रूप में जकूशल और अस्वस्थ है तो असहनीय आवास-दशाएं इनवें लिए कम उत्तरदायी नहीं हैं।— श्रम अनुसंधान समिति।
- 3 औद्योगिक श्रमिकों के मकानों के सुधार के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा उठाए गए पर्याप्त वांछनिक कानून कीजिए। इस ओर आप और कौन-कौन-से सुधारों के सुझाव देंगे?

अथवा

देश में मकानों की बठिनाइयों का सामना करने के लिए कैटोप्र और राज्य सरकारों के विचाराधीन और व्यवहार में तार्द नहीं कियाजो का निरीक्षण कीजिए। स्थिति का मूल्याकान कीजिए।

अथवा

ओद्योगिक श्रमिकों के लिए भारत सरकार की वर्तमान नीति की मुख्य विशेषताओं वा दण्डन कीजिए। सेवायोजकों और राज्य सरकारों ने इसे किस प्रकार व्यावहारिकता प्रदान की है ?

- 4 ‘जब तक श्रमिक को उसके काम के जनुसार अच्छा तथा सुविधाजनक मकान रहने के लिए नहीं भिलता, तब तक वह एकाप्रता से कार्य नहीं कर सकता।’ इस सबध में अपने विचार प्रकट कीजिए।
- 5 “भारतीय ओद्योगिक केंद्रों की हजारों श्रम-वस्तियों में मानवता को निर्देशिता वे साथ अभिशापित किया जाता है, महिलाओं के सतीत्व का अपमान किया जाता है एवं देश के भावी आधार-स्तम्भ शिशुओं को आरभ में ही शोषित किया जाता है।” इस कथन के प्रकाश में श्रमिकों की कार्यक्षमता पर गदी घनी वस्तियों के प्रभाव का परीक्षण कीजिए।
- 6 ‘भारत में ओद्योगिक केंद्रों में गदी वस्तियों का होना हमारी सम्भता के लिए एक अभिशाप है।’ इस दोष के निवारणार्थं भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? इस सबध में भारत सरकार को और क्या करना चाहिए?
- 7 “गदी वस्तियों की सफाई कोई एकाकी समस्या नहीं है। यह वास्तव में आवास नीति का एक अंग है।” इस कथन को विस्तार से समझाइए :

भारत में श्रम कल्याण (Labour Welfare in India)

श्रम कल्याण का अर्थ एवं परिभाषा : श्रम कल्याण का अर्थ विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न अर्थों में लगाया जाता है, यद्यपि इसकी महत्ता एवं उद्देश्य विभिन्न देशों में समान है। अर्थात् जेबस टार्ड ने उपयुक्त ही लिखा है—“कल्याण वार्य के सम्प्रेरणों एवं योग्यताओं के विषय में तीव्र भिन्नता बाने विचारों की एक मूलता पाई जाती है।” इस विविधता को उपयुक्त ठहराते हुए शाही आयोग ने लिखा है—“श्रम कल्याण एक ऐसा शब्द है, जो बहुत ही लचीला है। इसका अर्थ एक देश में दूसरे देश की तुलना में उसकी विभिन्न सामाजिक नीतियों औद्योगिकरण की स्थिति व श्रमिकों की शिक्षा गद्यी प्रगति के अनुसार भिन्न भिन्न लगाया जाता है।” राष्ट्रीय श्रम आयोग (1969) के विचार में भी “श्रम कल्याण का विचार आवश्यक रूप से प्रातिशील है जिसका अर्थ देश में समय-समय पर यहाँ तक कि एक देश में ही उसके मूल्याकान, सामाजिक सम्प्रेरणों, औद्योगिकरण की मात्रा व मामाजिक तथा आर्थिक विकास के स्तर से भिन्न-भिन्न होता है।” इस प्रकार श्रम कल्याण को एक निश्चित सीमा के अदर बाधना जरूरी तो नहीं, बल्कि अवश्य ही है, क्योंकि इसका अर्थ बहुत लचीला है। फिर भी व्यवस्थित अध्ययन के लिए निम्न परिभाषाओं को दिया जा सकता है।

(i) **कु० ई० ट्र० कौली :** “श्रम कल्याण से तात्पर्य किसी कर्म द्वारा श्रमिकों के व्यवहार और कार्य के लिए कुछ नियमों को अपनाया जाता है।”

(ii) **सर एडवर्ड पेटन :** “श्रम कल्याण का अर्थ श्रमिकों को सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि वे लिए उपलब्ध की जाने वाली दशाओं से है।”

(iii) **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ :** “श्रम कल्याण से शाश्य ऐसी सेवाओं और सुविधाओं में समझना चाहिए, जो कारखाने वे अदर या निवटवर्ती स्थानों में स्थापित की गई हो, ताकि उनमें काम करने वाले श्रमिक स्वस्थ और शक्तिपूर्ण परिस्थितियों में अपना कार्य कर सकें और अपने स्वास्थ्य तथा नैतिक स्तर को ऊचा उठाने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकें।”

(iv) **सामाजिक विज्ञानों का विश्व कोष :** “श्रम कल्याण से तात्पर्य बानून, औद्योगिक प्रधा और बाजार की दशाओं के अतिरिक्त मालिकों द्वारा बर्तमान औद्योगिक व्यवस्था के अतर्गत श्रमिकों के काम करने और उन्हीं औदन-निर्वाह और सोस्कृ-

तिन दक्षाओं वौ उपलब्ध करने वे ऐच्छिक प्रयत्न में है।”¹

(v) अम जाच समिति, 1945 “श्रमिकों दे शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक व आर्थिक कल्याण के लिए किया गया कोई भी कार्य जो वैधानिक वास्तुन तथा सेवाप्राप्ति को अब श्रमिकों के मध्य हुए जनुचिन लाभों के अतिरिक्त हो, ताहे वह सेवायोजकों, सरकार अथवा अन्य किसी भी सम्बादी द्वारा किया गया हो, श्रम कल्याण कहलाता है।”²

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम वह सकते हैं श्रम कल्याण कार्यों से हमारा आशापृष्ठ ऐसे कार्यों से है, जो श्रमिकों, सेवायोजकों व समाजसेवी सम्बादी द्वारा श्रमिकों के जीवन-स्तरों को ऊचा उठाने, उनके सर्वांगीण विकास करने, उन्हें कुशल श्रमजीवी व उत्तम नागरिक बनाने के दृष्टिकोण से कारखानों के अदर पर वाहर किये जाने हैं।

श्रम कल्याण के अतर्गत किये जाने वाले कार्य

डॉ ब्राउटन (Dr Broughton) न श्रम कल्याण कार्यों को दो भागों में बाटा है— (प्र) आनंदिक श्रम कल्याण कार्य अर्थात् कारखाने के अदर किये जाने वाले कार्य औ (द) वाह्य श्रम कल्याण कार्य अर्थात् कारखाने के बाहर किये जाने वाले कार्य।

अनर्गिदीय श्रमसाधन ने भी श्रम कल्याण कार्यों का विभाजन इसी प्रकार किया है। “स मगढ़ द्वारा इस वर्गीकरण में निम्नलिखित कार्यों का समावेश विया गया है—

(अ) कारखाने के अदर के कल्याण कार्य 1 शोवालय एवं मूल्यालय, 2 स्नान व कपड़ा धोने की सुविधायें, 3 शिशुगृह, 4 विश्रामालय एवं जलपानगृह 5 पेयजल की व्यवस्था, 6 घरकान निरोध की व्यवस्था, 7 व्यवसायिक सुरक्षा-युक्त स्वास्थ्य गद्धी सेवायें 8 कल्याण की देख-रेख के लिए समय के अतर्गत की गई प्रशासनीय व्यवस्था, 9 वर्दी तथा मरक्षक वस्त्र, 10 पाली भत्ता।

(ब) कारखाने के बाहर के कल्याण कार्य : 1 भ्रातृत्व हित लाभ, 2 सामाजिक वीमा उपाय, जिसमें चेच्युआटी, पैशन, प्रावीडेंट फॉर्ड तथा पुनर्वास शामिल है, 3 बोनस कोप, 4 चिकित्सा सुविधायें जिनमें शारीरिक जाच क्षमता, परिवार नियोजन तथा शिशु कल्याण की सुविधायें शामिल हो, 5 शैयाविक सुविधायें; 6 आवास सुविधायें, 7 नेल-कूद, पुस्तकालय, वाचनालय, सास्कृतिक कार्यक्रमों सहित मनोरजन की सुविधाएँ, 8 श्रमिकों की सरकारी सम्बादी, 9. स्कूलों, दबचो एवं युवकों के लिए अन्य प्रोश्राम, तथा 12 वाम पर जाने व वहां से आने के लिए परिवहन की सुविधायें।

श्रम कल्याण का महत्त्व

(भारत में श्रम कल्याण कार्य की अवधिकरता)

प्राचीन भारत में जब श्रमिक एवं कारीगर, पूजीपति व सब कुछ या, कल्याण-कारी कार्यों की कोई महत्ता नहीं थी। पर आज जब कि श्रमिक केवल मजदूरी कमाने

1. Encyclopaedia of Social Sciences Vol. XV 1935, p. 395.

2. Labour Investigation Committee Report, p. 345.

बाले के हृप में रह गया है और जब यहाँ के श्रमिक औद्योगिक आजीविका को एक आवश्यक बुराई मानकर सर्दूव इससे छुटकारा पाने के लिए प्रयाम बर रहा है, श्रम कल्याण कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण व आवश्यक हो गया है। श्रम कल्याण श्रमिकों के माध्यम में हमने केवल श्रमिकों के मानवीय जीवन के लिए उचित एवं आवश्यक मुख्य मुद्रिधार्य जुटा सकते हैं, बल्कि उनमें नागरिक उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित कर सकते हैं।

भारतीय परिस्थितियों के सदम में श्रम कल्याण कार्यों का विदेष महत्व है जिनको निम्न तथ्यों के आधार पर समझा जा सकता है-

1 औद्योगिक शानि की व्यवस्था श्रम कल्याण औद्योगिक कल्याण की व्यवस्था में सहायक होने हैं, क्योंकि जब श्रमिकों को इस बात का अनुभव होने लगता है कि वे मेवायोजक और राज्य उनके ही कल्याण के लिए अनुकूल योजनाएँ कियान्वित कर रहे हैं तो उनके मन में एक स्वरूप भावना पैदा हो जाती है जो औद्योगिक सब्जेक्टों को भयर बनाये रखती है।

2 श्रमिक के उत्तरदायित्व में वृद्धि श्रम कल्याण के कार्य की व्यवस्था के श्रमिकों को यह अनुभव होने लगता है कि वे उद्योग के पार हिस्सेदार हैं इसलिए वे उस गृहण के कार्य में विशेष रुचि लेने लगते हैं।

3 कृषिकृषि में वृद्धि कल्याण कार्य से श्रमिकों की कार्यक्षमता प्रवृद्धि होनी है जियाकि अनेक प्रकार से उनका मानविक और वीद्विक विकास होता है तथा उनकी कई प्रेरणानिया दूर हो जाती हैं।

4 कल्याण कार्यों का सामाजिक महत्व श्रम कल्याण कार्यों के द्वारा मामा जिक लाभ भी होत है जैसे—कौटीन की व्यवस्था जहाँ श्रमिकों को स्वच्छ और भनु नित माजन मिल सकता है श्रमिकों के स्वास्थ्य में सुधार करती है। स्वरूप मनोरञ्जन के द्वारा उनकी कुरी आदर्श जैग मदिरापान जुआ सेनना आदि दूर हो जाती है तथा नम स्वरूप आदर्श चारिकृत विकास होता है।

5 श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति अनुपस्थिति एवं दुबल स्वास्थ्य सबधी समस्याओं का नियांरण भारतीय श्रमिकों की प्रवासी प्रवासी का मूल कारण यह है कि उन्हें पारा भए अनुविधानों का सामना करना पड़ता है जैसे कुरी आवास व्यवस्था दुर्लभ रानावाण का अभाव इत्यानेपीने का कारण आदि। श्रम कल्याण कार्यों का उत्तर एवं व्यवस्था उन्हें भवति स्वास्थ्यप्रद सहता भोगन तथा वीमार्दी में दवा मन से भी और सपरिवार कुमी से रह सकेंगे।

6 गेवाधा का आवश्यक बनाना जिग औद्योगिक संरचना में कल्याण कार्य का योग्य रूप होना वहाँ की सवाय अपेक्षाकृत अधिक आवश्यक हो जाती है और अपिकार्य भर्णा न। इस रूप नामद बरने हैं। इसमें स्थापी श्रम शक्ति की वृद्धि होती है।

7 श्रम गणठन दो दक्षिणताती बनाने के लिए परिवर्ती देश में श्रम नपा नामान नामान नामान विरगित है। यही कारण है कि पाश्चात्य श्रमिक यथा व्याप

श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण की पर्याप्ति सुविधाएँ प्रदान करते हैं, परन्तु भारत के श्रमिक न तो संगठित हैं और न उनके श्रम संघों की वित्तीय स्थिति ही सतोपजनक है। अत ऐसी पारमितिया में भारताय धामकों के निए उचित जीवन स्तर के लिए श्रम कल्याण कार्यों का बरना आवश्यक है।

8 श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए भारत के अधिकारी श्रमिक अभिक्षित हैं और अपनी भूमिति तथा अधिकारी के प्रति जागरूक नहीं हैं। श्रम कल्याण कार्य के अतंगत श्रमिकों को जो शिक्षा मिलगी उससे उनकी परिवारिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान मिलने होगा जोकि एक प्रजातात्रित देश के लिए आवश्यक है।

9 राष्ट्रीय समूद्रित देश की प्रार्थना व मानवाजिक समस्याओं के समाधान के उद्देश्य सहमानी राष्ट्रीय सरकार एवं पचवर्षीय योजनाओं का कायक्रम अपनाएँ है। प्रत्यक्ष योजना की सफलता कठोर श्रम पर निर्भर है। अत श्रमिक ही हमारी योजना के आधारस्तम्भ हैं। श्रमिक उमी भवय पूण सहरोग और सदभावना से काय रेंग जब वे समव नहें तो उद्यागपति और सरकार दोनों ही उनके वत्तमन तथा नावी जीवन को उन्नत बनाने म किया जीता है।

10 श्रम कल्याण औद्योगिक प्रशासन का एवं अग स्वीकार किया गया है। अब श्रम कल्याण कार्यों का आयोजन करना उद्यागपति का उन्नरदायित्र बन गया है। इसस श्रमिक वग में एक नवीन स्वाभिमान की भावना जागृत होती है।

उपर्युक्त विवेचन मुख्यतः है कि भारत में श्रम कल्याण कार्यों का महत्व और आवश्यकता पाइचाय देशों की तुलना मे कही अधिक है। श्रम कल्याण कार्यों का लाभों म प्रभावित होकर वस्त्र श्रम अनुसधान समिति न कहा था— वायक्षमना का उन्नत स्तर केवल उसी समय हो सकता है जबकि श्रमिक शारीरिक दृष्टि मे स्वस्थ व मानसिक दृष्टि से सतुर्प्त हो। इसका तात्पर्य यह है कि केवल वही श्रमिक कुशल हो मरते है, जिनके लिए शिक्षा आवाग योजना तथा वस्त्र आदि का उचित प्रबंध हो।

भारत में श्रम कल्याण कार्य

भारत में श्रम कल्याण कार्यों का प्रारंभ 1914-17 के महायुद्ध से हुआ। प्रथम महायुद्ध से ही श्रमिकों म जागृति प्रारंभ हो गई थी। औद्योगिक अशांति अतर्गतीय श्रम संगठन का दबाव राज्य के कल्याणकारी होने के विचार तथा वहुजन हिताय बहुजन सुखाय का ध्येय रखने वाले व्यक्तियों की मानवीय भावनाओं आदि न श्रम कल्याण कार्यों मे रुचि स्थापित की। श्रम कल्याण कार्यों की दिशा म उत्तरोत्तर प्रगति होती जा रही है। भारत मे किये गये श्रम कल्याण कार्यों को हम निम्नलिखित चार शीपको के अतंगत अध्ययन कर सकते हैं— 1 कैदीय व राज्य सरकार द्वारा कल्याण कार्य 2 सेवायोजको द्वारा छिपे नये कल्याण कार्य, 3 श्रमिक संघों द्वारा कल्याण कार्य, और 4 स्वायत्त शासन और शर्मिक तथा सामाजिक सम्प्राण द्वारा कल्याण कार्य।

केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रम कल्याण कार्य

(i) कोयला खान अभिक कल्याण कोष (Coal Mines Labour Welfare Fund) द्वोपला क्षेत्रों में संगठित कल्याण कार्य शुरू करने तथा तेथे कार्य के बिना व्यवस्था के निल पाक द्वोप को कायम करने के लिए भारत सरकार न 31 जनवरी 1944 को कोयला खान अभिक कल्याण कोष अध्यादेश जारी किया जिसका खान वाइ म कोयला खान अभिक कल्याण एवं 1947 में ले गया जो जन 1947 में लाग रहा। एवं उसे अन्तर्गत द्वोपला खान अभिक आवास और रामान्व कल्याण राय कायम करने विरा व्यवस्था की गयी। जिसके अन्तर्गत दो घाते रहेग—आवास खाता (Housing Account) और सामान्य कल्याण खाता (General Welfare Account)। इस खाते में 7.5% के अनुपात म राशि जमा की जाती है। यस राप म जमा राशि की वृद्धि जारी कार्य, जैसे हास्पर्सन सुविधा मनोरजन शिक्षा विशु सदन आवास व्यवस्था आदि पर व्यय किया जाना है। इस कोष का प्रशासन एवं परामर्शदाता समिति कर्तवी ने जिसम सरकार खान मानिक व अभिक के विवरण-विवर प्रतिनिधि होते हैं।

(ii) अभ्रक खान अभिक कल्याण कोष 1946 (Mica Mines Labour Welfare Fund 1946) अभ्रक का भारत म निर्यात होता है अब निर्यात एवं 31.2 ad Mclaren शुल्क लघाकर इस कोष की स्थापना की गयी है जिसको चिकित्सा मनोरजन, प्रमूलि पाव खान कल्याण कन्द्र वच्चो के स्कूल आदि पर व्यय किया जाता है। इस कोष म उच्चो को छात्रवृन्दी की जाती है तथा पुस्तकें जैसे विवाह की जैसी है। अभ्रक की खाने आत्र दिहार व राजस्थान में है जहाँ इस कोष का उपयोग उन्होंना राज्य के अभ्रक खान अभिकों के हित के लिए किया जाता है।

(iii) कच्चा लोहा खान अभिक कल्याणकारी कोष (Iron Ore Mines Labour Welfare Fund) कच्चा लोहा खान अभिक बन्धाण कोष एवं 1961 म पाय किया गया जिसमन 1963 म लागू किया गया है। इस कोष के अन्तर्गत डाक रीदेखभाल वदा मजा की व्यवस्था खास तीर पर की जाती है। इसके लिए बेन्द्रीप, क्षेत्रीय स्तर पर अस्पताल इमरजेंसी अस्पताल चलनी फिरती इस्पैसरी नया स्वास्थ्य देने खोले गए हैं। तर्वंदिक के मरीजों के लिए खास सुविधा की व्यवस्था है।

(iv) मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम 1961 (Motor Transport Employees Act 1961) माटर परिवहन कर्मचारियों को दशाओं म सुधार करने और उनके कल्याण के लिए मई 1961 म मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम पासित किया गया। इस अधिनियम द्वारा परिवहन कर्मचारियों के कल्याण और उनके काय की परिमितियों को नियमन करने के पावधान है। इस अधिनियम के अनुसार जलपान गृह, विधाय देने लिए बदले (वर्दी) दृटीयों और कार्य के घटे तथ करने की विभिन्न दोजनाओं वाला है। इस अधिनियम द्वारा परिपालन राज्य सरकार करानी है जिसके लिए उन्होंने आवश्यक नियम बनाये हैं।

(v) बड़ी एवं शिवरेट व नियम अधिनियम इस अधिनियम में बोही एवं सिवरेट

के कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य करने की व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत श्रमिकों की चिकित्सा, शिक्षा, मनोरनन, आवास आदि की सुविधायें दी जाती हैं।

(vi) कच्चा लोहा खान तथा मंगनीज खान श्रमिक कल्याण कोष (Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund 1976) यह एकट 1976 में पास किया गया। इसके अन्तर्गत कच्चा लोहा तथा मंगनीज की खाना में काम करने वाले श्रमिकों के लिए समान सुविधाएँ देने के लिए सदृक्षत कोष की व्यवस्था की जाती है।

(vii) बन्दरगाह श्रमिकों की सुविधाएँ बवई, कलकत्ता, कोचीन, मद्रास, विशाखापट्टनम, तथा अन्य बन्दरगाहों पर बन्दरगाह श्रमिकों के लिए अनेक कल्याण-कारी सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। इन सुविधाओं में आवास, चिकित्सा, शिक्षा और मदारजन व्यवस्था शामिल हैं कुछ बन्दरगाहों पर उचित मूल्य की दुकान और सरकारी उपभोक्ता गणितिशाली शामिल की जा सकती हैं।

(viii) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 1948 के कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कारखानों तथा बन्दरगाहों में सुरक्षा का अच्छाई प्रबंध करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार देने की कई योजनाएँ हैं। हर योजना में नगद पुरस्कार और थोक्ता का प्रमाण पत्र देने का प्रावधान है। 1977 के वप के लिए 73 कारखानों 2 नोभेम्बर को भी और तीन बन्दरगाह प्राधिकरणों को 1980 में पुरस्कार दिए गए।

(ix) अमंदीर पुरस्कार यह 'पुरस्कार' कारखाना, खाना, बगलो, गोदियों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए 1965 में दूर किय गए। यह पुरस्कार श्रमिकों के इनाध्य कार्यों—जैसे गोम सुजाव देना जिनम अधिक उत्पादन या मितव्यमता हो या कार्यशमता बढ़े—के लिए दिए जाते हैं। 1976 के पुरस्कार वप के लिए विभिन्न थोक्तों में 30 विजेताओं का 32 पुरस्कार 1978 में दिए गए।

(द) राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकारी द्वारा भी श्रम कल्याण के लिए भैत्र में राहाहनीय कार्य किए जा रहे हैं। स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने श्रम कल्याण के लिए आवश्यक अधिनियम बनाये हैं। अधिकास राज्य सरकारों द्वारा श्रम कल्याण केंद्र स्थापित किये गये हैं जिनमें श्रमिकों को शिक्षा व व्यायाम-शाला, वाचनालय, पुस्तकालय व मनोरजन आदि विविध कार्यक्रम की जाती हैं। कुछ राज्यों वे अनग्रहीत कार्य करने वाले श्रम कल्याण केंद्रों की संख्या व उनके द्वारा आयोजित की गई विविध प्रकार की क्रियाओं का विवरण नीचे तालिका में दिया जा रहा है।

लाइसेन्स 1 कुछ राज्य सरकारों द्वारा सञ्चालित कल्याण केंद्र

राज्य का नाम	कल्याण केंद्र	आयोजित किये गये कार्यक्रम
1 उत्तर प्रदेश	71 श्रम कल्याण केंद्र व वाहन सेल, सिलाई, कढाई, बुनाई व नाना विविध तथा नवा मनोरजन सुविधाएँ। दी बाल मनोरजन केंद्र।	चिकित्सा सहायता, वाचनालय, पुस्तकालय आनंदिक व्यायामशाला, हाथकरघा उद्योग, प्रशिक्षण शिशु शिक्षा।
2 महाराष्ट्र	72 वाचनालय व पुस्तकालय, आनंदिक व वाहन सेल-कूद, विविध शिक्षा मास्कुल्टिक कार्यक्रम, मनोरजन।	
, मध्य प्रदेश	33 वाचनालय एवं पुस्तकालय, आनंदिक व वाहन सेल-कूद, प्रौढ शिक्षा मास्कुल्टिक कार्यक्रम, मनोरजन।	
4 गोवा	29 वाचनालय एवं पुस्तकालय, चिकित्सा मवधी सहायता, मातृत्व एवं शिशु कल्याण सुविधाएँ, प्रौढ शिक्षा, हाथ-करघा उद्योग का प्रशिक्षण आदि।	
5 गुजरात	38 मनोरजनात्मक एवं शैक्षिक सुविधाएँ आदि।	
6 दिल्ली	25 मनोरजनात्मक तथा मास्कुल्टिक गतिविधियों सेल-कूद, गिल्प मवधी प्रशिक्षण।	
7 पंजाब	21 पुस्तकालय एवं वाचनालय, आनंदिक व वाहन सेल-कूद मनोरजनात्मक तथा दौकानिक मुद्रिताएँ भी श्रमिकों के लिए सिलाई बुनाई।	
8 पंजाब	16 वाचनालय, पुस्तकालय, सेल-कूद, व्यायामशाला हाथ-करघा उद्योग का प्रशिक्षण, सिलाई मवधी प्रशिक्षण	

सेवायोजको द्वारा किये जाने वाले कल्याण-कार्य

यद्यपि भारतीय उद्योगपति श्रम कल्याण कार्यों के प्रति उदासीन रहे हैं, परन्तु हानि के वर्षों में कल्याण सुविधाओं का आयोजन करने में सेवायोजकों ने बहुत प्रगति भी है। विभिन्न उद्योगों में सेवायोजकों द्वारा सम्पन्न विविध कार्यों की व्याख्या नीचे प्रस्तुत की जा रही है—

1. सूती वस्त्र मिल उद्योग अधिकारी उद्योगपतियों द्वारा सूती वस्त्र मिलों में चिकित्सालय, मनोरजन केंद्र, वाचनालय, शिशुगृह तथा कैटीन आदि स्थापित किये गये हैं। जिन मिलों में श्रम हित कार्य अधिक विद्योगी गण हैं उनमें दिल्ली विद्यालय एवं सेट्रल मिल्स दिल्ली, बैंकिंग एवं कर्नाटक मिल्स मद्रास, एमप्रेस मिल नागपुर, कैलिको मिल्स अहमदाबाद, मद्रास मिल्स कपनी मदुरा तथा बगलौर वूलेन-काटेन एण्ड सिल्क मिल्स विदेशीय उल्लेखनीय हैं।

2. जूट उद्योग जूट उद्योग में मिलों की ओर से कल्याणकारी कार्य सम्पन्न बरने का उत्तरदायित्व भारतीय जूट मिल मालिक संघ को है। इस संघ ने पाच स्थानों पर श्रम कल्याण केंद्र खोले हैं, जहाँ वाचनालय के अतिरिक्त सेल तथा अन्य प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त मिलों ने अपनी ओर से कैटीन, शिशुगृह, प्राइमरी स्कूल पुस्तकालय तथा औषधालय की व्यवस्था की है। सभी मिलों में श्रम अधिकारी नियुक्त किये गये हैं जो श्रम कल्याण व्यवस्था की देखरेख करते हैं। उन्होंने पाठशालाओं, अस्पतालों, मनोरजनगृहों की व्यवस्था की है।

3. चीनी उद्योग चीनी के सभी बड़े कारखानों में चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त स्कूल, मनोरजन केंद्र, कैटीन आदि की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

4. इजीनियरिंग उद्योग बड़े पैमाने के सभी इजीनियरिंग संस्थानों में चिकित्सालयों, श्रमिकों व उनके बच्चों के लिए शिक्षा तथा जलपानगृहों की व्यवस्था है। टाटा आयरन एवं स्टील कपनी, जमशेदपुर विदेशी रूप से श्रम कल्याण कार्यों के लिए उल्लेखनीय है। कपनी द्वारा चिकित्सालयों, आरामगृहों शिशुगृहों, पाठशालाओं, राशिकक्षाओं, प्राविधिक कार्यक्रमों आदि का प्रावधान है।

भारत के अन्य प्रमुख उद्योगों जिनमें लोहा और इस्पात, सीमेट, वागज, रसायन उद्योग उल्लेखनीय हैं, आदि में श्रमिकों के लिए कैटीन, शिशु-गृह, मनोरजन, वाचनालय तथा चिकित्सालय सहधी सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। रेलवे विभाग द्वारा कर्मचारियों के कल्याणार्थ चिकित्सालयों, जलपानगृह व एस्स-ए अधिक व्यवस्था की गई है। डाक तथा तार-विभाग द्वारा चिकित्सा पर होने वाले व्यय के भुगतान का प्रावधान किया गया है तथा सरकारी साध समितियों जलपानगृहों, राशि पाठशालाओं में मनोरजक कार्य-क्रमों का भी संगठन किया गया है, जहाँ जहाजरानी श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण योजना के 1961 के अधीन पैदल, शौचालय, वाचनालय, आरामगृहों तथा जलपानगृहों की व्यवस्था की गई है। मैसूर कोलाहल स्वर्ण क्षेत्र में निश्चित पैमाने पर श्रम कल्याण योजना चलाई जा रही है, जिसके अधीन नि शुल्क स्वास्थ्य सेवाओं, मातृत्वगृहों, शंक्षिक एवं

जनसेवनात्मक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। बदरगाह न्यास कर्मचारी कल्याण कोषों की सहायता से बदरगाह न्यास आवास शिक्षा तथा मनोरजन सबधी सुविधाएँ प्रदान करते हैं।

5 श्रमिक सधों द्वारा कल्याण कार्य पाइचात्य देशों में जहां श्रमिक सधों का पर्याप्त स्था से विकास हो चुका है, श्रमिकों के कल्याण सबधी कार्य बहुत हुए हैं, परंतु भारत में श्रम कल्याण के क्षेत्र में श्रमिकों के कल्याण सबधी कार्य नगण्य हैं। फिर भी कुछ श्रमिक सधों ने इस दिशा में कुछ प्रयत्न किये हैं, जिसमें अहमदाबाद टेक्सटाइल श्रमिक संघ, कानपुर मजदूर सभा, मिल मजदूर संघ इदौर, रेलवेमेस पूनियन आदि उत्तरेश्वरीय हैं। अहमदाबाद टेक्सटाइल श्रमिक संघ ने विशेष रूप से प्रशंसनीय कार्य किये हैं। यह संघ प्रति वर्ष 60% से लेकर 70% तक अर्थात् लगभग 45 हजार रुपये श्रम कल्याण कार्यों पर व्यय करता है। इस संघ द्वारा 25 सास्कृतिक और सामाजिक केंद्र चलाये जाते हैं। इस संघ ने श्रमिकों के बच्चों के लिए विद्यालयों, लड़कियों के लिए विद्यालयों, छात्रावासों व छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कक्षाओं, वाचनालयों चिकित्सालयों, स्त्री व ब्रात क कल्याण केंद्रों व सहकारी समितियों का भी प्रावधान किया है। इसी प्रकार अन्य श्रमिक सधों ने भी अपने सदस्यों के लाभार्थी पुस्तकालय, वाचनालय, विद्यालय, चिकित्सालय व सहकारी समितियों आदि की व्यवस्था की है।

मौलिक रूप से श्रमिक सधों की स्थापना श्रम कल्याण के उद्देश्य की प्रार्थन हेतु जोने के बावजूद भी वे निर्बंध आर्थिक स्थिति श्रमिक सधों की बहुलता बाह्य नेतृत्व की प्रमुखता व उसके निहित स्वार्थों के कारण अपनी भूमिकाओं को भी नहीं निभा पाये हैं।

6 स्वायत्त शासन और धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं द्वारा कल्याण कार्य भारत में नारपालिकाओं और नगर नियमों के द्वारा भी श्रम कल्याण कार्य निये गये हैं। इनके द्वारा पाठगालाओं वाचनालयों अस्पतालों और मनोरजनगृहों की स्थापना की गई है जिनसे श्रमिक लाभ उठाते हैं। कई धार्मिक व सामाजिक संस्थायें भी श्रम कल्याण का कार्य करती हैं, जैसे युवा पुरुषों की एक पिंडियन समिति (वाई० एम० सी० ए०) व वर्द्धि समाज सेवा स्लीग संवासदात ममाज व मानृत्व पाद गिर्धु कल्याण समिति आदि।

श्रम वल्याण कार्यों के असफलता के बारण

पीछे दिए विवेचन से स्पष्ट है कि श्रम कल्याण कार्यों के प्रति सरकार व श्रमिक गघा ने उत्तरोत्तर अधिक रुचि ली है, लेकिन फिर भी देश के श्रमिकों की दबनीय दशा तथा उनकी वास्तविक आवश्यकताओं को देखत हुए अब तक होने वाले श्रम कल्याण कार्य बहुत ही कम हैं। श्रम वल्याण कार्यों की अमनोपजनक प्रगति के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं—

1 भारतीय उद्योगेष्ठिया व सेवायोजकों की एक बड़ी मस्था कल्याण कार्य को और उदासीन है और वे कल्याण कार्यों को अपने पर एक विशेष प्रकार का भार समझते हैं।

2 हमारे देश में श्रम कल्याण सबधी अधिनियम अनियोजित एवं व्यवस्थापन

दूसरे पास हुए हैं।

3 भारतीय मिल मालिकों अथवा सरकारों द्वारा संगठित किये गये कल्याण कार्यों में नियोजन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है।

4 अम कल्याण कार्यक्रमों के प्रशासन के लिए संस्थान के कल्याण अधिकारी तथा इसके बाहर राज्य निरीक्षालय अपनी भूमिका अनेक कारणों से समुचित रूप से नहीं निभा सके हैं।

5 एक तो धनाभाव के कारण श्रमिक संघ अधिक कल्याण कार्य करने में असफल रहे हैं। साथ ही इस देश में यह समझा जाता है कि श्रमिक संघ के बल हड्डाल कर बाने या मालिकों से अधिक भजदूरी वसूल करने का एवं साधन भाव है।

सुभाव

अम कल्याण कार्यक्रमों की सफलता के लिए निम्नलिखित सुझाव दिय जा सकते हैं—

1 बत्तमान समय में अम कल्याण कार्य विभिन्न प्रकार की संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। इन सभी प्रयासों को सबधित करते हुए एकीकृत योजना के निर्माण की आवश्यकता है।

2 अम कल्याण कार्यों के लिए बहुत से अधिनियम बनाये गये हैं, किंतु आबृत्यकरता इस बात की है कि इन अधिनियमों को ठीक प्रकार से लागू किया जाये और अम के जिस दर्गे पर ये लागू नहीं हुए हैं उन पर यह लागू नहीं हुआ जाए।

3 कल्याण कार्यक्रम में सीत्र गति से प्रगति लाने के लिए श्रमिकों को कल्याण समितियों में अधिकाधिक भाग लेने का अनन्तर देना चाहिए।

4 अम संबंधी संस्थाओं का और अधिक विकास किया जाना चाहिए।

5 विभिन्न प्रकार के उद्योगों में विभिन्न श्रेणी के कल्याण कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जैसे जिन उद्योगों में स्त्रिया कार्य करती है उनमें मातृत्व एवं शिशुगृहों की व्यवस्था बागान म श्रमिकों के लिए निवास व्यवस्था, गानों के अधिकार के लिए मकान शिक्षा एवं दवा की सुविधा में प्राथमिकता देनी चाहिए।

6 केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को अम कल्याण कार्यों में अधिकाधिक हाऊ लेनी चाहिए।

7 अम कल्याण अधिकारी की केवल नियुक्ति ही सरकार द्वारा न की जाये, बल्कि उसे अपने कन्त्रियों की पूर्ति के लिए उचित सरकारी हस्तक्षेप भी प्राप्त हो। निरीक्षालयों द्वारा निरीक्षण कार्य में ढील दिये जाने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

8 उद्योगपतियों को श्रमिकों के हित में अधिक कार्य करना चाहिए।

9 अम संगठनों द्वारा भी अपने मदर्सों के कल्याण के लिए रचनात्मक कदम उठाने चाहिए।

10 अम कल्याण अधिकारिया तथा बारखाना अधीक्षकों की उचित शैक्षणिक

पृष्ठभूमि होनी चाहिए तथा उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जहाँ तक सभव हो सके, समाज-कार्य के व्यवसाय में प्रशिक्षित व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जानी चाहिए।

प्रम कल्याण पर मात्रबीय समिति ने श्रमिक सुविधाओं के लिए जो सिफारिशें दी हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित हैं-

1 सरकार को सब उद्योगों के लिए न्यूनतम सुविधाएं निश्चित कर देनी चाहिए और जो उद्योग आर्थिक दृष्टि से ये सुविधाएं नहीं दे सकते, उन्हें एक अवधि विशेष तक छूट मिलेगी।

2 जिस भी फार्म मालिकों ने पाध या उसमें अधिक झज्जूर रखे हो, उसके लिए यह कानूनी बधान होना चाहिए कि वह उनके लिए पीने के जल, प्राथमिकता सहायता, आरामगृहों, रक्षात्मक उपकरणों आदि की व्यवस्था करे।

3 श्रमिक कोप की स्थापना होनी चाहिए। इस कोष की प्रबालिश से स्कूल, दबावानों और धरों का निर्माण किया जाना चाहिए।

4 निभिन्न उद्योगों द्वारा समुक्त आधार पर श्रमिकों को चिकित्सा सबधी सुविधाएं देने की व्यवस्था होनी चाहिए तथा केंद्र द्वारा दीमार श्रमिकों के लिए सेनी-टोरियम बनाना चाहिए।

5 महिला-श्रमिकों के बच्चों के लिए शहरों के केंद्रीय स्थानों पर सबके सहयोग से शिशु गृह कायम किया जाना चाहिए।

यदि उपरोक्त सिफारिशों को कार्यान्वयित किया जायेगा तो इससे न केवल श्रमिक नग बहुत सुखी और सतुर्द जायेगा, बल्कि उनका यह सुख व सतोप देश के औद्योगिक विकास और समृद्धि में भी सहायक होगा।

श्रम कल्याण कार्य की नई दिशाएं

1 परिवार नियोजन को प्राथमिकता श्रम कल्याण कार्यों के द्वेष में परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाने लगी है। इसकी सफलता के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। कर्मचारी श्रमिकों में परिवार नियोजन की चेतना पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त नियोजन के विभिन्न साधन उपकरण आदि मुफ्त वितरित किए जाते हैं। परिवार नियोजन करने पर नगद राशि भी दी जाती है।

2 सतुर्दित भोजन को प्राथमिकता श्रमिकों को सतुर्दित भोजन अनुदान मूल्य पर उपलब्ध किये जाते हैं। उक्ती कायदानामता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक पौष्टिक पदार्थ एवं सतुर्दित भोजन निश्चित किए जाते हैं।

3 सस्ती दर पर वस्तुएं श्रमिकों के कल्याण में वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें सुविधाओं, वस्तुओं एवं सवाओं की पूर्ति सस्ती दर पर उपलब्ध कराई जाय और वे केवल मौद्रिक आय में वृद्धि करने से वास्तविक आय में वृद्धि नहीं हो जाती। अतः सरकार को चाहिए कि श्रमिकों को नि शुल्क शिक्षा का प्रबंध एवं सहकारी समितियों अथवा दुकानों में सस्ती दर पर वस्तुएं उपलब्ध करायें।

4. दृष्टिकोण में परिवर्तन . अब उद्योगपति यह अनुभव करने लगे हैं कि मानवीय आधारों पर श्रम कल्याण कार्यों पर व्यय करना व्यवसाय के हित में होता है। उद्योगपति बिना मजदूरी की दर में कटौती किए हुए ही उत्तम कार्यों की दशायें तथा सुरक्षा आदि की व्यवस्था करते हैं। श्रमिक सहभागिता पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है।

5. स्थानीय सहयोगियों को सहयोग - व्यवसाय समाज का ही अग होता है, अतः उद्योगपति स्थानीय सहयोगियों को सहयोग दे सकते हैं। आज हम देखते हैं कि कई उद्योगपति अस्पताल, घरमंशाला, पुस्तकालय, वाचनालय आदि वी स्थापना करते हैं, और सुधार रूप से चलाने के लिए बड़ी उदारता से दान देते हैं।

राष्ट्रीय श्रम आयोग एवं श्रम कल्याण (National Commission on Labour and Welfare)

श्रम कल्याण कार्यों का मूल्याकान करने के लिए राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा एक श्रम-स्थाण समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा किए गये मूल्याकान के आधार पर आयोग ने स्पष्ट किया है कि “श्रमिकों को विधान के अनुसार निर्धारित श्रम कल्याण सुविधाएं ठीक ढंग से और पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं की गई है...”। बहुत से उद्योगों में, विशेषकर मध्यम और छोटे जाकार के उद्योगों में, श्रम कल्याण कार्यों का स्तर बहुत ही खराब है...। कुछ राज्यों द्वारा श्रम कल्याण के विभिन्न अगों जैसे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं, कपड़े धोने की सुविधाओं, प्राचमिक उपचार के उपकरण, पेयजल, जलपानगृह, आश्रय-स्थल, विश्रामगृह और शिशुगृह आदि के बारे में अध्ययन किया गया। इनकी सामान्य धारणा यह रही कि सेवानिक श्रम कल्याण कार्यों की व्यवस्था अपर्याप्त है।”

राष्ट्रीय श्रम आयोग की श्रम कल्याण के सबध में प्रमुख सिफारिशों निम्न-लिखित हैं।

1. शिशु गृह की व्यवस्था 50 स्त्री श्रमिकों की सीमा में कमी होनी चाहिए। स्थानीय परिस्थितियों या 20 योग्य बच्चों (Eligible children) के आधार पर शिशु गृह की व्यवस्था की जानी चाहिए।

2. जब किसी कारखाने में निर्धारित लक्ष्य से अधिक श्रमिक नियुक्त हो तो सेवानियोजकों को स्वत ही जलपान गृह की व्यवस्था कर देनी चाहिए।

3. जलपान गृह की व्यवस्था हेतु जहा माग है उन कारखानों में श्रमिकों की सख्त 250 या इससे अधिक में कम करके 200 होनी चाहिए।

4. यदि जलपान गृह सहकारिता के आधार पर नहीं चलाए जाते तो श्रमिकों को उनके प्रबन्ध में समिलित किया जाना चाहिए।

5. यदि जलपान गृह सहकारिता के आधार पर चलाए जाते हैं तो सेवानियोजकों को सहायतार्थ मुफ्त मकान एवं फर्नीचर प्रदान करना चाहिए।

6. जलपान गृहों को कम से कम दिन में एक बार श्रमिकों के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना चाहिए।

7 कारखानों के सबध में आयोग ने सिफारिश की कि कारखाना अमिको को सामयिक डाक्टरी जांच हेतु प्रभावी कदम उठाने जाने चाहिए तथा थम कल्याण केंद्रों पर अमिक एवं उनके बच्चों को शिक्षित करने की सुविधाओं से बृद्धि की जानी चाहिए।

8 आयोग के विचार में थम कल्याण के अन्य अगों के सबध में वैधानिक प्रावधान पर्याप्त है लेकिन इन वैधानिक प्रावधानों का अवश्य पालन किया जाना चाहिए। इस सम्बद्ध में आयोग ने सिफारिश की कि ऐसे प्रावधान जिनका, सामान्यतः पालन नहीं किया जाता, उनके सम्बद्ध में आवश्यक दण्ड की व्यवस्था की जाना चाहिए।

9 कोषता खान अमिको की समय-तमय पर डाक्टरी जाच कराई जानी चाहिए।

10 ठेके पर कार्य करने वाले अमिक थम कल्याण सुविधाओं के प्रयोग के अधिकारी होने चाहिए।

11 सरकार को अमिको की सुविधा हेतु उचित मूल्य की दुकानें सोलनी चाहिए।

12 बागानों के सम्बद्ध में आयोग ने सिफारिश की कि बागान थम अधिनियम (Plantations Labour Act, 1961) के कार्य क्षेत्र में बृद्धि की जानी चाहिए। राज्य मरकारों को अस्पतालों के लिए दवाइयों, उपकरणों आदि की सूची निर्वाचित करनी चाहिए। व्यावसायिक बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए उचित योग्यता की जानी चाहिए।

13 खानों के सम्बद्ध में आयोग ने सिफारिश की कि कर (cess) लगाकर सामान्य खान थम कल्याण कोष (General Miner's Welfare Fund) का निर्भाण किया जाना चाहिए और इस कोष से सभी खान अमिकों को चिकित्सा, शिक्षा और मनोरजन सम्बद्धी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

14 कानून के अनुसार की जाने वाली थम कल्याण कार्यों की जाच का कार्य मान्यता (Unions) या कार्य समितियों (Works Committees) की सहायता से सुविधापूर्वक और ठीक ढग से किया जा सकता है।

15 सरकार द्वारा अमिकों को उपभोक्ता सहकारी भवडारों की स्थापना के लिए प्रो साहित किया जाना चाहिए।

16 ऐसे थम सघ जो स्वीकृत थम कल्याण कार्य कर रहे हैं, उन्हें थम कल्याण मण्डल द्वारा महायता दी जानी चाहिए।

17 जिन राज्यों में विधायी और वैधानिक थम कल्याण मण्डल (Labour Welfare Boards) नहीं हैं, उनमें इनकी स्थापना की जानी चाहिए।

परोक्षा-प्रश्न

1 थम कल्याण के क्षेत्र की परिभाषा बीजिए और इनके महत्व का वर्णन कीजिये।

2 भारत में इस प्रकार के कल्याण-कार्य में लगाई गई विभिन्न संस्थाओं के कार्यों

का वर्णन करते हुए श्रम कल्याण की व्याख्या कीजिए।

3. भारत में किये जाने वाले कल्याण-कार्य की सीमा और स्वभाव का वर्णन कीजिये।
4. श्रम कल्याण कार्य के क्षेत्र की परिभाषा दीजिये और भारत की कुछ बड़ी औद्योगिक संस्थाओं में सेवायोजकों द्वारा दी गई कल्याण-क्रियाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिये।
5. “श्रम कल्याण का महत्व पश्चिम की अपेक्षा भारत में अधिक है।” इस कथन की विवेचना कीजिये और भारत में विभिन्न संस्थाओं द्वारा श्रमिक वर्ग के लिए किए जाने वाले कल्याण-कार्यों के स्वभाव का आलोचनात्मक विवरण दीजिये।
6. श्रम कल्याण कार्य एक बहुत ही लोचदार घटद है। भारत में विभिन्न संस्थाओं द्वारा श्रमिक वर्ग के लिए किये जाने वाली कल्याण क्रियाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिये।
7. “श्रम कल्याण कार्य सेवायोजकों के द्वारा एक व्यर्थ की जिम्मेदारी के स्थान पर बुद्धिभृतापूर्ण विनियोग समझा जाना चाहिए।” कथन की विवेचना कीजिये।
8. “भारत में इस समय कल्याण-कार्य जिस प्रकार चल रहे हैं, उस पर हमारा सामाज्य निकर्ष यही है कि यह एक इद्रजाल और फुसलाने की विधि है।” आप इस मत से कहा तक सहमत हैं? क्या उपरोक्त निकर्ष न्यायप्रद है?

अध्याय 14

सामाजिक न्याय का सिद्धांत (Theory of Social Justice)

सामाजिक न्याय क्या है ? सामाजिक न्याय वह न्याय है, जो समाज के सभी नागरिकों के लिए केवल जीवित रहने के लिए ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रतापूर्वक और न्याय-पूर्ण ढंग से उनम् जीवन व्यक्ति करने के लिए समान भागनों और सुविधाओं को भी जुटाने पर दल देता है।

प्रसिद्ध दार्शनिक श्री अरस्टू ने बहुत पहले कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने इस स्वभाव के कारण ही वह दूसरों के साथ रहना पसंद करता है। इसके साथ ही उसकी कुछ आवश्यकताएँ और आकाशायें होती हैं, जिनकी पूर्ति वह स्वयं अकेले ही नहीं कर सकता है। इसलिए उसे वाध्य होकर दूसरों के साथ अपना सबध स्वापित करना पड़ता है। अन्य शब्दों में, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को वाध्य होकर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति का समाज से कुछ दावा हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति और समाज अतंकैदित है। व्यक्तियों दी अतंकियाओं के कारण समाज का जन्म होता है। समाज के अस्तित्व व निरतरता को बनाये रखने में समाज के प्रत्येक सदस्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः समाज का प्रत्येक व्यक्ति समाज से कुछ आशा और अपेक्षा करता है। यह आशा व अपेक्षा इस रूप में होती है कि व्यक्ति को अपने समाज से नियमित रूप में और पर्याप्त मात्रा में भोजन, कपड़ा, आवास, सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा आदि सुविधाएँ प्राप्त होती रहेंगी। यही सामाजिक न्याय है।

सामाजिक समानता और न्याय का सिद्धांत इस बात पर जाधारित है कि सभी सामाजिक प्राणी समान हैं, इसलिए समाज का यह अतंकैद है कि वह समाज के प्रत्येक मदह्य के माथ पक्षपात-रहित व्यवहार करे और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास करने तथा समाज की प्रगति में उचित योगदान बरने का अवसर उपलब्ध हो।

यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ उत्पन्न होता है कि वे कौन-से जाधार हैं, जिनकी सहायता से व्यक्तियों ने समानता रखी जा सकती है और उनके साथ न्याय किया जा सकता है ? इसके लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं —

(न) समाज द्वारा उन साथनों और सुविधाओं को उपलब्ध किया जाना चाहिए जिसमें उसके भयस्त सदस्य स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और सभ्य प्राणों के मूल-समृद्धि पहुँचने का समान अवसर पा सकें और अपनी कामतानुसार सामाजिक व

सास्कृतिक प्रगति में हाथ बटा सके ।

(ब) प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक प्रकार के सामाजिक अन्यायों से गुरक्षा प्रदान की जाये ।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक न्याय समाज द्वारा योजनाओं बनाकर समस्त नागरिकों की उन्नति के लिए प्रत्यनशील होना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन सदृशी आवश्यक वस्तुएं मिल सकें और हर नागरिक की प्रत्येक प्रकार की सामाजिक अन्यायों से रक्षा की जा सके । इस आदर्श की प्राप्ति सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में राज्य द्वारा समानता के सिद्धात के पालन और प्रयोग से हो सकती है ।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सामाजिक न्याय की धारणा स्थैतिक नहीं बल्कि प्रारंभिक है, क्योंकि समाज प्रगतिशील है और इस गतिशीलता के परिणामस्वरूप सामाजिक प्राणियों तथा उनकी समस्याओं का स्वरूप तथा उनकी आवश्यकताएँ बदलती ही रहती हैं । बदली हुई सामाजिक परिस्थिति में प्रत्येक विचारक ने अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण और अनुभवों के आधार पर अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करना है । इस प्रकार के व्यक्तिगत विचारों की पूर्ति और विस्तार उस विचारक के अनुयायियों द्वारा होता है । ऐसी स्थिति में यह विचार एक 'वाद' (ism) बन जाता है ।

वर्तमान युग में सामाजिक न्याय के प्रमुख सिद्धात निम्नलिखित हैं —

उपयोगितावाद (Utilitarianism)

उपयोगितावाद के प्रमुख विचारक जर्मे बेथम हैं । वे इस सिद्धात का प्रतिपादन बेथम ने अपनी पुस्तक Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1798) में किया है । इस पुस्तक का प्रथम वाक्य है "प्रकृति ने मानव जाति को दो सत्ताधारी स्वामियों—दुख और सुख—के अधीन रखा है ।" बेथम का मत है कि किसी कार्य व वस्तु की उपयोगिता इस बात पर निर्भर है कि उसके द्वारा व्यक्ति को कितना सुख, हर्ष, साभ व आनंद होता है अथवा उसकी पीड़ा, दुख या हानि का किनान निवारण होता है । बेथम का विचार है कि सुख और दुख को अकागणित की भाति नापा जा सकता है । इस सबध में उन्होंने 6 तत्त्व निर्धारित किये हैं (i) तीव्रता, (ii) अवधि, (iii) निश्चितता (iv) निकटता या दूरी, (v) उर्वरता, (vi) विशुद्धता ।

उपयोगितावाद और सामाजिक न्याय

श्री बेथम के अनुसार । सामाजिक न्याय की प्रत्येक योजना का अतिम उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम हित होना चाहिए । सामाजिक न्याय के सबध में उपयोगितावाद की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं —

1 व्यक्ति को सर्वोपरि महत्त्व उपयोगितावाद सिद्धात में व्यक्ति को सर्वोपरि महत्त्व प्रदान किया गया है । व्यक्ति को सामाजिक चक्र व्यूह का मुख्य द्वार माना

गया है। इस सिद्धांत के भनुसार व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होने चाहिए। व्यापार पर राज्य की ओर से कम से कम प्रतिबधि होना चाहिए। आधिक प्रगति की दृष्टि से स्वतंत्र व्यापार की नीति ही लाभदायक होगी।

2 सुख की प्राप्ति मुखबाद इस सिद्धांत का मुख्य आधार है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य को केवल वे ही कार्य करने चाहिए, जिससे अधिकतम् लागू क्री अधिक तम सुख की प्राप्ति हो। यह सिद्धांत व्यक्ति को उपर्योगी कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

3 समाज सुधार : उपर्योगिनावाद ने सामाजिक न्याय की स्थिति नो प्रछान्ति करने के लिए समाज-सुधार कार्यों को प्रोत्साहित करने पर जीर्ण दिया गया है। समाज-सुधार की अनेक योजनाएँ प्रस्तुत की गई हैं जिनमें से मुख्य हैं—कानूनी सुधार, जैल सुधार, दृढ़ व्यवस्था में सुधार, न्याय प्रणाली में सुधार, व्यारोधक सुधार, राजनीतिक सुधार, शिक्षा सबधी मुधार आदि। वेन्यम का मत है कि सामाजिक न्याय हेतु पूर्ण व्यापक है कि पुराने और व्यथं अधिनियमों को रद्द कर दिया जाय और ऐसे सरकार और सादे कानून बनाये जायें जिन्हें आम जनता सरलता से समझ सके।

4 शिक्षा प्रणाली : सामाजिक न्याय की दृष्टि से वेन्यम ने दो शिक्षा योजनाएँ बनाईं—(अ) गरीब लड़कों के लिए, जिसमें व्यक्ति-निर्माण को महत्व देते हुए, न्यायव्याखातिक वाक्यं सिखा जायें, जिससे वे अपनी रोज़ी-रोटी कमा सकें। (ब) मध्य व उच्च-वर्गीय वालको के लिए वौद्धिक शिक्षा का प्रबन्ध किया जाये।

5 प्रजातात्त्विक व्यवस्था : इस सिद्धांत में गहरा विश्वास किया गया है कि प्रजातत्र के द्वारा ही सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जा सकता है और सभी व्यक्तियों को न्याय दिलाया जा सकता है।

व्यक्तिवाद (Individualism)

इसके प्रागुत समर्थक वेन्यम मिल तथा स्पेनसर हैं। इस सिद्धांत में व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक न्याय भी अधारशीला माना गया है। हमबोह्ट वे दब्दों में—‘राज्य को नागरिकों के कलशण की समस्त चित्ताओं से दूर रहना चाहिए और पारस्परिक सुरक्षा एवं वाह्य दब्दों से रक्षा के कार्य से आगे नहीं जाना चाहिए।’ श्री क्रीमेन वे दब्दों में— सरकार का बिलकुल न होना ही सरकार का सर्वोत्तम स्वरूप है।” अन्य व्यक्तिवादी विचारकों ने इसी विचार को इन दब्दों में कहा है कि “मवसे अच्छी सरकार वही ने जो कम स कम शासन करती है।” प्रो० मिल भी सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु व्यक्ति के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षपाती वे व्योकि इसके विना व्यक्ति की वौद्धिक व नीतिक उन्नति कदाचि संगव नहीं है। यह प्रकार व्यक्तिवादी विचारकों ने राज्य के कार्यों को सम्मिलित रखने का प्रयास किया और उनके दृष्टिकोण में राज्य को बबल 3 कार्य करते चाहिए—(अ) देश में आतंरिक शास्ति बनाये रखना, (ब) बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा बरना और (स) देश में न्याय-व्यवस्था की स्थापना करना।

व्यक्तिवाद और सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय के सबध में व्यक्तिवादी विचारकों की विशेषताओं को निम्न-लिखित शीर्षकों के आधार पर समझाया जा सकता है—

1. **सामाजिक आधार** सामाजिक आधार पर व्यक्तिवाद की मूल धारणा यह है कि प्रत्येक सामाजिक न्याय का केन्द्र और मौलिक इकाई व्यक्ति ही है। इसलिए सामाजिक न्याय की दृष्टि से मध्ये क्षेत्रों में व्यक्ति को ही सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिए। इसका तर्क यह है कि व्यक्ति और समाज अत्यंत सम्बद्धित है। इसलिए जो बात व्यक्ति के हित की होगी, वह सपूर्ण समाज के लिए भी हितकर होगी।

2. **नैतिक आधार** व्यक्तिवाद का नैतिक आधार यह है कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए राज्य का कर्तव्य है कि वह ऐसा बातावरण उत्पन्न करे कि जिसमें व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक अपने व्यक्तित्व, चरित्र, विचार और कार्यों का मुस़गठित विकास कर सके। अनुचित हस्तक्षेप व्यक्तित्व के विकास में सबसे बड़ा गतिरोध है। इसलिए जै० एम० मित ने लिखा है—“कम हस्तक्षण व्यक्ति के आचरण को विकसित और शक्तिशाली बनाता है तथा व्यक्ति को प्रगति की ओर उन्मुख करता है।”

3. **राजनीतिक आधार** सामाजिक न्याय की दृष्टि से राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद की मूल धारणा यह है कि राज्य एक आवश्यक कुराई है। इसलिए सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य शक्ति के बल पर व्यक्ति करता है और अपने आदेशों का सबसे पालन करता है। यह कल्पदायक है और व्यक्ति स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय में बाधक है। इसके बावजूद भी सामाजिक नियन्त्रण के लिए राज्य अनिवार्य है, क्योंकि इसके द्वारा समाज-विरोधी व्यक्तियों, जैसे चोर, डाकू, घोषेवाज आदि पर नियन्त्रण रखा जाता है और व्यक्ति के जान-माल की रक्षा की जाती है। अत राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का बाधक होते हुए भी आवश्यक है।

4. **आर्थिक आधार** व्यक्तिवाद का आर्थिक आधार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक धन्व में पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इसमें केवल व्यक्ति को ही लाभ नहीं होगा, बल्कि सपूर्ण समाज भी निम्न दो प्रकार से लाभान्वित होगा—

(अ) समाज के सभी व्यक्ति परिवर्थम करेंगे जिससे कामचारी की प्रवृत्तिया हनोत्माहित होगी, और (ब) आर्थिक क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को समान लाभ होगा और सभी के मायना य हो सकेगा।

5. **प्राणिशास्त्रीय आधार** प्राणिशास्त्रीय नियम के अनुसार अस्तित्व के लिए सघर्ष निरतर चलता रहता है। प्रत्येक जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए द्वितीय प्राणियों में सघर्ष कर रहा है। इस सघर्ष की दो प्रवृत्तियाँ हैं—

(ज) इस सघर्ष में केवल सबसे उपयुक्त प्राणी ही जीवित रहते हैं और आयोग्य नहीं हो जाते हैं। जो लोग जीवन-सघर्ष में अयोग्य प्रमाणित हो जायें, सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए उनका नष्ट हो जाना ही उचित है।

(ब) सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों के साथ अपने दो समायोजित करना चीखता है।

सघवाद (Syndicateism)

फ्रांसीसी भाषा में सिडीर्कट शब्द का अर्थ मजदूर सघवाद होता है, अतः सघवाद का अर्थ ऐसे मजदूर सघवाद से है, जो क्रांति में विश्वास रखता है। मजदूर सघवाद का जन्म फ्रांस में श्रमिक आदोलन के फलस्वरूप हुआ। इस विचारधारा के अनुसार उद्योगों पर संपूर्ण समाज अवश्य राजवा राजवा का स्वामित्व और अधिकार न होकर वेल मजदूर सघ का ही नियन्त्रण व प्रबंध होना चाहिए। इसका कारण यह है कि सरकारी कर्मचारियों में नोडरेशाही की प्रवृत्ति पाई जाती है और वे श्रमिक तथा उपभोक्ताओं पर अत्याचार करते हैं। श्री गोड ने सघवाद की परिभाषा करते हुए लिखा है कि “सघवाद वह सामाजिक मिदात है, जो श्रमिक सघों को नवीन समाज की आधारशिला और इसके साथ साथन भी स्वीकार करता है, जिसके आधार पर नवीन समाज की स्थापना की जायेगी।”

संक्षेप में, इस मिदात की धारणा यह है कि उत्पादन के समस्त साधनों पर श्रमिक का आधिपत्य होना चाहिए।

सघवाद और सामाजिक न्याय

सघवाद में सामाजिक न्याय से सबधित प्रभुत्व बांते निम्नलिखित है—

(अ) धर्मिक सघ द्वारा ही एक आदर्श समाज का निर्माण और सामाजिक न्याय की प्राप्ति सभूत है।

(ब) सघवादी राज्याधीन समाज की वल्पना करते हैं। सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए राज्य की कोई आवश्यता नहीं है वल्कि उसके स्थान पर प्रत्येक उद्योग या कार्य के लिए एक सघ होगा। यह सघ इन उद्योग या कार्य में तांगे हुए श्रमिकों का होगा, अथान् इस प्रवार धर्म सघ ही धर्मिकों के हितों की रक्षा करेगा।

(स) प्रशासन के माध्यरण कार्य स्थानीय श्रमिक सघों के अधीन होगे, परतु डाक व्यवस्था, यातायात मुद्रा आदि राष्ट्रीय मेवाद् श्रमिकों के राष्ट्रीय सघों को गोपी जायेगी।

(द) देश की रक्षा के लिए वेतनभोगी भवा आदि की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि समाज में प्रत्येक सघ के पास अपनी रक्षन मता होगी।

(प) सघवादी समाज ने शोषण और असमनता या सामाजिक अन्याय न जागा। अतः जेलवानों या न्यायालयों की कोई आवश्यकता नहीं रह जायेगी।

समाजिकवाद या राजकीय समाज (Collectivism or State Socialism)

18वीं शताब्दी के अतिम दिनों में जर्मनी में एक नये दण का समाजवाद—राज-

कीय समाजवाद जोकि वैज्ञानिक दास्तविकता पर आधारित था, पनपा। इसके इन्ह का थ्रेय रोडबुट्स को है। बाद मे वैगनर, इमोलर और ब्रेटीनो आदि विद्वानो ने इस विचार-घारा का विवास किया। इसको जर्मनी मे कुर्सी का समाजवाद भी कहते हैं, क्योंकि कई विद्वान प्रोफेसर और समकालीन लेखको का इससे सदृश था।

(1) इनसाइक्लोपीडिया विटेनिडा मे दी हुई परिभाषा के अनुसार—“राज-कीय समाजवाद वह नीति अथवा सिद्धात है, जो प्रजातात्त्विक राज्य द्वारा सपत्ति का इस समय की अपेक्षा अधिक वितरण और उत्पादन कराने मे विश्वास करता है। इस प्रवार स्पष्ट है कि राजकीय समाजवाद के अनुसार सामाजिक न्याय के दो प्रमुख भाषाएँ हैं—प्रथम, प्रजातात्त्विक राज्य द्वारा सामाजिक जीवन का अधिकाधिक नियमन व नियन्त्रण और द्वितीय सपत्ति का उचित वितरण।

राजकीय समाजवाद और सामाजिक न्याय

राजकीय समाजवाद मे सामाजिक न्याय की जो प्रमुख बातें हैं, उन्हें हम निम्न-लिखित शीर्षको के अतर्गत अध्ययन कर सकते हैं—

1 उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियन्त्रण इस सिद्धात के अनुसार उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य का नियन्त्रण या राष्ट्रीय अधिकार स्थापित हो जायेगा। इसम दो लाभ होंगे—(अ) सामाजिकना की भावना का विवास होगा, क्योंकि अकिन गत लाभ को कोई महत्व नहीं देने। (ब) श्रमिको का जीवन-स्तर उन्ननिशील होगा।

2 राष्ट्रीयकरण इस मिद्दात का आधार राष्ट्रीयकरण है। चूंकि उद्योगों और कारणानों का राष्ट्रीयकरण हा जाने पर पूँजीवादी व्यवस्था और शोषण का अत अपने आप हो जायगा। इसके लिए जाति या हिमात्मक उपायों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। बारण यह है कि कोई भी सामाजिक न्याय की दोजना विना बहुमत की अभिमति के सफल नहीं हो सकती।

3 लोक-कल्याण मे यूद्धि इस मिद्दात के अनुसार उद्योगों मे जो अनिश्चित आय होगी उस सामाजिक कल्याण के कार्यों मे लगाया जायेगा तथा लोक कल्याण को प्रोत्साहन दिया जायेगा। ऐमा करने का उद्देश्य व्यक्तित्व का समुचित विकास करना है।

4 व्यक्तिगत सपत्ति का विरोध नहीं इसमे व्यक्तिगत सपत्ति व व्यक्तिगत उद्योग भी रहेंगे। उत्पादन के केवल प्रधान साधनो का ही राष्ट्रीयकरण किया जायगा। लोगों की आय मे उनके नार्यनुसार बतर भी रहेंगे।

5 बार्य देना राज्य का कर्तव्य सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए सभी लोगों को बार्य देना राज्य का कर्तव्य होगा। यदि राज्य किमी व्यक्ति को कार्य देने मे अमर्य है तो राज्य उस भरण गोपण के लिए आवश्यक आधिक सहायता दगा।

6 नैतिक विवास यह मिद्दात समाज म प्रतियोगिना ईर्ष्या द्वेष जैसी भावनाओं को भमाल करता है। इसका परिणाम यह होना है कि व्यक्ति का नैतिक विवास होता है। इसके बनर्गत निश्चित जायु (16 या 18 वर्ष) तक व सभी दच्चों को केवल नि शुल्क शिक्षा का ही प्रबन्ध नहीं किया जायेगा, बल्कि विद्यादिया को पुस्तकों व अन्य

आवश्यक सामग्री तथा स्कूल में एक बार भोजन या जलपान देने की व्यवस्था की जायेगी।

7 वर्ग सहयोग समाज में न्याय की स्थापना के लिए वर्ग सहयोग आवश्यक है। इस सिद्धांत में वर्ग सहयोग को महत्व प्रदान किया गया है।

करो का उचित वितरण सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से करो का उचित वितरण भी आवश्यक है। इस सिद्धांत में कर इस प्रवार लगाये जायेंगे जिसे एक निश्चित आपदनी तक तो कुछ भी न देना पड़ेगा या बहुत कम देना पड़ेगा, पर उसने ऊपर आये के माध्यम से उपर वर की गतिशीली बढ़ा दी जायेगी।

अराजकतावाद (Anarchism)

अराजकतावाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत है, जिसके प्रमुख प्रवर्तनक सर्वशी भादकेन बाहुनित व प्रिन्स ओप्रोटिकन हैं।

माध्यराण बोसचाल द्वी भाषा में अराजकता का तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से लगाया जाता है, जिसमें दिनी प्रकार की व्यवस्था नियन्त्रण व अनुशासन का अभाव रहता है, किन्तु वह अराजकता का गंतव्य अर्थ है। अराजकता वस्तुत एक राज्यविहीन समाज की स्थिति की द्योतक है। माध्यवाद और गाधीवाद भी अपने अनियंत्रित व्यवस्था में व्यक्ति को सामाजिक न्याय की प्राप्ति होना असम्भव है। अब अराजकतावाद का उद्देश्य व्यक्ति को इन वेडियो से मुक्ति दिलाना है। अराजकतावाद की कुछ परिभाषाएँ इस प्रकार हैं—

(अ) हेन्सले 'अराजकतावाद समाज को वह स्थिति है, जिसमें प्रत्येक मनुष्य अपना शासक स्वयं होगा।'

(ब) डिकिन्सन 'अराजकता व्यवस्था का अभाव नहीं, विकिंग शक्ति का अभाव है। सरकार का अध्ययन है अनिर्माता, अपवर्जन, पृथक्करण व विक्षण जबकि अराजकता स्वतंत्रता एकता और प्रम है।'

(स) जेनकर जादान की दृष्टि से अराजकता का अर्थ है कि व्यक्ति वा पूण व अतिवित्त स्वशासन जिसवा परिणाम किसी बाह्य शासन वा अभाव है।

सक्षेप में अराजकतावाद की निम्नलिखित दिशेपताएँ होती हैं

1 अराजकतावाद का विचार साम्यवाद में ही उत्पन्न हुआ है।

2 वाधिक दशन वे रूप में अराजकतावाद राज्य या शासन के अभाव को मूर्चित करता है।

3 अराजकता में बोई ऐसी सत्ता नहीं होगी, जिसके अधीन रहने के लिए व्यक्ति बाध्य है।

4 इसमें अतर्गत कोई ऐसी विधिया नहीं होगी, जिसका अनुकरण बरना मनुष्य के लिए अनिवार्य हो।

5. साम्यवाद के इस रूप के अनुसार आर्थिक और सामाजिक जीवन का संगठन स्वजासित स्थिति व सभाओं द्वारा होगा, जिसका संगठन ऐच्छिक समझौते के आधार पर किया जायेगा। इस प्रकार इस व्यवस्था में सेना, पुलिस, न्यायालय और राज्य सभी अनावश्यक हो जायेंगे और आर्थिक व सामाजिक संगठन पारस्परिक सहयोग के आधार पर होंगा।

अराजकतावाद और सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय के सबध म अराजकतावाद की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. राज्य केवल निरर्थक स्थिति ही नहीं, उन्हिं समाज के लिए एक हानिकारक स्थिति है। इसमें सामाजिक न्याय की दृष्टि से कई दोष हैं, जैसे—(अ) राज्य मानव-व्यवधान के मर्बंद अस्त्राभाविक व अप्राङ्गुलिक स्थिति है। (ब) राज्य समाज में असमानता वो जन्म देता है। (स) राज्य शोषण को प्रोत्साहित करता है। (द) राज्य ही व्यभिचार व बुराइयों को जन्म देता है तथा निरकुश वातावरण पैदा करता है।

2. पूजीवाद में असमानता फैलती है। पूजीवाद के कारण श्रमकों को अपार कष्टों का सामना करना पड़ता है, जबकि थोड़े ने पूजीपति ऐशो-आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए सामाजिक न्याय के लिए अराजकतावाद पूजीवाद का विरोधी है। अराजकतावाद में भूमि और उत्पादन के ममत्व साधनों पर समाज का स्वामित्व होगा। प्रियंकोपोलीन ने लिखा है—‘अराजकतावादी समाज में इन सभी पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होगा और वशनें कि प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन क्रिया में अपना उचित योग दे। प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण उत्पादन में से अपना उचित भाग पाने का अधिकार है।’

3. अराजकतावादी व्यवस्था में सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से कार्य करने का दशाएँ अत्यत मतोष्यजनक होंगी। कार्य करने हेतु आयु की सीमा 24 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के मध्य होंगी।

4. इसमें प्रजातत्र का विरोध किया जाता है। अराजकतावादियों का कहना है कि प्रजातत्र में जन-कल्याण की अपेक्षा जन शोषण ही अधिक होता है।

5. अराजकतावाद के अनुसार धर्म एक बुराई है क्योंकि धर्म से व्यक्तियों में अविश्वास का जन्म होता है, जिससे सामाजिक न्याय की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है।

6. अराजकतावादी समाज में अगर कोई असामाजिक कार्य करता है तो इसके लिए एक ही दण्ड होगा और वह यह है कि उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाय।

साम्यवाद (Communism)

साम्यवाद समाजवाद का ही एक रूप है और इसके जन्मदाता कार्ल मार्क्स हैं। जिन विद्वानों ने साम्यवाद की विचारधारा को प्रोत्साहित किया है, उनमें मार्क्स, एंजिस, लेनिन व स्टालिन आदि के नाम प्रमुख हैं। यद्यपि साम्यवाद की परिभाषा देना बहुत

कठिन है, किर भी यह कहा जा सकता है कि साम्यवाद से तात्पर्य एक ऐसी विचारधारा में है, जो आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक समाजता पर बल देती है। कालं माशं द्वारा साम्यवादी घोषणा में साम्यवाद को जो विवेचना की गई है उसे जोड़ ने निम्न शब्दों में अभिव्यक्त किया है—“साम्यवादी निश्चनात्मक रूप से साधन का सिद्धात है। यह उन नियमों का प्रतिपादन करता है, जिनके बाधार पर समाज की पूजीवादी व्यवस्था को साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है।” सक्षेप में, साम्यवाद की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

- 1 वर्गीन समाज का निर्माण।
- 2 जाति, धर्म, रंग और राष्ट्रीयता के भेदों से मुक्ति।
- 3 भूमि से व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन।
- 4 शोपण की समाप्ति।
- 5 पराधीन जाति का अभाव।
- 6 एक पूर्वतिश्वत योजना द्वारा समाजीकृत उत्थादन की समावेश।
- 7 हितयों को समान स्थान।
- 8 समस्त नागरिकों द्वारा भविष्य के निर्माण में योगदान।
- 9 नगर व देहान्त में अतर की समाप्ति।
- 10 सचेत सामाजिक दृष्टिकोण का विकास आदि।

साम्यवादी घोषणा में मार्क्स और एजिल ने ‘साम्यवाद’ की स्थापना की निम्न विधिया बताई है—

- 1 श्रमिकों को सुगठा के द्वारा ऊपर उठाकर उन्हें शारकों में परिवर्तित करना।
- 2 भूमि में व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन करना और भूमि के लगानों को सावज़निक देशों के लिए प्रयोग करना।
- 3 प्रशनिशील जाय वार नगाना।
- 4 सभी प्रकार के उत्तराधिकारों को समाप्त करना।
- 5 देशद्वीपी नथा देश को छोड़कर जाने वाले सभी व्यक्तियों की संपत्ति को जल्द कर लेना।
- 6 साथ वा राज्यों के हाथ में केंद्रीयकरण।
- 7 याताप्रात और नवादवाहन वे यात्राओं वा राज्य के हाथों में केंद्रीयकरण।
- 8 उत्तरति के साधनों पर राज्य का नियंत्रण।
- 9 सभी प्रकार के श्रम का समान उत्तरदायित्व और श्रम मेना की स्थापना।

साम्यवाद और सामाजिक न्याय

साम्यवादी घोषणा पत्र में यह निर्देश है कि “सर्वहाराचर्गं अर्थात् (श्रमिक वर्ग) अपने राजनीतिव प्रमुख वा प्रयोग इस रूप में करेंगे कि धीरे-धीरे पूजीपतियों वा सभी पूजी छोन ली जाये और उत्थादन के सभी साधन राज्य के अर्थात् शासक वर्ग के रूप में

समठित कर सर्वहारा वर्ग के हाथों में बैद्रित हो जायें और कुल उत्पादन साधनों को अधिक से अधिक तेजी से बढ़ाया जाये।” सामाजिक न्याय के सबध में साम्यवाद की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं—। पूजीवादी सामाजिक न्याय का निर्देशक सिद्धात् यह है कि—‘ जो काम करेगा वर्थात् (श्रमिक) वह किसी भी चीज का स्वामी नहीं बनेगा और जो रक्षामी बनेगा वर्थात् (पूजीपति) कोई कार्य नहीं करेगा।’ इसके विपरीत साम्यवादी व्यवस्था का सामाजिक न्याय यह है कि इसमें श्रमिक वर्ग की समृद्धि और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

2 सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए राज्य का पूर्ण लोग होना आवश्यक है। साम्यवादी इटिकोण से सामाजिक न्याय की पराकाढ़ा समाज की वह राज्यविहीन हित है, जिसमें प्रत्यक्ष व्यक्ति आत्म-नियन्त्रित है और इसमें इस प्रकार का आत्मा-नियन्त्रण मनुष्य के स्वभाव का ही एक अनिवार्य भग बन जाता है।

3 प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य रूप से कोई न कोई काम करना होगा। जो व्यक्ति किसी प्रकार का काम ठीक नहीं करता है, उसे भोजन पाने का अधिकार भी नहीं होगा। इस प्रकार समाज में बेरोजगारी नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्ति होगा।

4 सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समाजवादी व्यवस्था के अतागत राष्ट्रीय आग का कुछ भाग उत्पादन के साधन के उचित वितरण, प्राकृतिक साधनों से रक्षा, सामान्य प्रशासन सबधी व्यय, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा आदि के लिए निकालकर शेष माग श्रमिकों को मजदूरी के रूप में दिया जायेगा।

5 साम्यवादी विचारकों में सामाजिक न्याय के लिए धर्म को कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया। धर्म, कर्मफल, स्वर्ग-नरक तथा भाग्य आदि की भारणायें, मनुष्य को अस्याचार को सहन करने के लिए प्रेरित करते हैं। साम्यवादी इसलिए धर्म को जनता के लिए अफीम के समान मानते हैं। अत सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए धर्म का परित्याग आवश्यक है।

6 साम्यवादी योजना में सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा, कला, न्याय, विज्ञान, दर्शन आदि सभी व्यावहारिकता पर आधारित होनी चाहिए। इसी प्रकार समस्त सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक योजनाओं का एक वास्तविक और व्यावहारिक आधार होना चाहिए।

7 समाज में सभी व्यक्तियों के कल्याण और सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।

गांधीवाद (Gandhism)

महात्मा गांधी भारत के महान कर्मयोगी और सत्याग्रही थे। महात्मा गांधी के विचार गांधीवाद के नाम से जाने जाते हैं। गांधीवाद के मूल आधार सत्य, अहिंसा और जन-कल्याण हैं। अत बिना महात्मा गांधी के विचारों को प्रस्तुत किये सामाजिक न्याय सबधी सिद्धांतों का यह अध्याय अधूरा ही रह जाता है।

दस्तुत गांधीवाद सामाजिक समानता और न्याय पर आधारित है। डॉ० महां वीरप्रसाद शर्मा के शब्दों में—“गांधीवाद वह सिद्धांत है, जो सब प्राणियों को भगवत् रूप और डस कारण रामान्य जानकर सत्य और अहिंसापूर्ण माध्यनो द्वारा सभी के कल्याण अथवा सर्वोदय का प्रयत्न करता है और जिसके मतानुसार सभी व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याएँ सत्य और अहिंसा के द्वारा सुलझाई जा सकती हैं।”

सामाजिक न्याय में सबधित गांधी जी के विचार इस प्रकार थे—

(1) समानता जन्मजात है इसलिए न्याय की दृष्टि से सभी व्यक्ति को समान अवसर और सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए। इसी कारण जाति-पाति के आश्वस्त पर छुआ-छूत को गांधीजी ने हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था पर काला घब्बा कहा है। इस काले घब्बे को धोये बिना सामाजिक न्याय की प्राप्ति समव नहीं है।

(2) सामाजिक न्याय को प्राप्ति के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को ही समान सामाजिक अवसर प्राप्त होने चाहिए। मन्त्रियों के व्यक्तिगत के विकास के लिए सब प्रधार के साधनों को जुटाना सामाजिक न्याय का प्रथम चरण है।

(3) शिक्षा के प्रसार के द्वारा समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता और अन्याय को समाप्त किया जा सकता है।

(4) बायिन असमानता को ममाप्न बरने के लिए गांधीजी ने प्रन्यास के सिद्धांत को मानने का सुझाव दिया। उनका सुझाव है कि पूजीपति/अपते को निर्धनों का सरक्षक समझें तथा धन स्वेच्छा से सर्वसाधारण के हित में लगायें।

(5) सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए गांधीजी ने सर्वोदय धारणा का प्रतिपादन किया। गांधीजी ने अनुसार रार्वोदय पा सामाजिक न्याय का धर्य सभी के जीवन के मर्मा पक्षों की सपूर्ण प्रगति है। सर्वोदय ऐसे वर्गविहीन, जातिविहीन और जीवण-विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वानीष्ठ निकास के साधन और अवसर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय की सर्वोच्च स्थिति के रूप में सर्वोदय का विश्वास राजनीति में नहीं है।

परीक्षा-प्रश्न

- सामाजिक न्याय के प्रमुख मिदानों का उल्लेख कीजिए।

अध्याय 15

भारत में सामाजिक सुरक्षा (Social Security in India)

सामाजिक सुरक्षा की धारणा—सामाजिक सुरक्षा की धारणा सामाजिक न्याय के सिद्धात पर आधारित है। समाज के अधिकाश सदस्यों के जीवन में अनेक आकस्मिक विपर्तिया, जैसे बीमारी, वृद्धावस्था, असमर्थता, दुर्घटना, बेरोजगारी, माताओं की प्रसूतावस्था आदि आती है, जबकि वे इन आकस्मिकताओं का सामना करने हेतु साधन नहीं जुटा पाते। यदि समाज इन आकस्मिकताओं के समय इनकी सहायता न करे तो उनका शारीरिक व नैतिक पतन होने की बहुत सभावना रहती है। यही कारण है कि समाज अपने साधनों को समर्थित करके अपने सदस्यों के लगर आने वाली विपर्तियों से उनकी रक्षा की कोई समुचित व्यवस्था करता है। यही सामाजिक सुरक्षा है। सध्येत में सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य उस सुरक्षा से है, जिसके अतर्गत उपर्युक्त समाज के माध्यम से समाज अपने सदस्यों की विभिन्न प्रकार के जोखिमों से रक्षा करता है। श्रमिकों के समक्ष उपस्थित होने वाली आकस्मिकताएँ और असुरक्षा कई प्रकार वी हो सकती हैं, जैसे (अ) आय की असुरक्षा और उससे उत्पन्न होने वाला सकट श्रमिकों के सामन आ सकता है। इस प्रकार की असुरक्षा बेरोजगारी छठनी मजदूरी मुगतान में अनियमितता, अवैध कटौतिया, अण्याप्त मजदूरी आदि के कारण उत्पन्न होती है। (ब) व्यावसायिक असुरक्षा जो कार्य वी रूपाच दशाओं, व्यावसायिक बीमारियों तथा औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण उपस्थित होती है। (स) प्राकृतिक कारणों, जैसे वृद्धावस्था आय प्राप्त करने वाले की मृत्यु अथवा अस्वस्थता व महिला श्रमिकों के सवध म मातृत्व कल आदि हो सकती है। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा “प्राकृतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और आर्थिक कारणों से उत्पन्न होने वाली अनेक असुरक्षाओं के विरुद्ध समाज द्वारा प्रदान की गई एक विधि है।”

सामाजिक मुरक्खा की धारणा उतनी दी पुणी है, जितना कि समाज, वयोंकि आदिकाल से ही प्रत्येक समाज अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वे प्रदास में किसी न किसी रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदाता करता रहा है। यभीरता से मनन करने पर यह अनुभव होता है कि पहले सुरक्षा प्रदान करने वा उत्तरदायित्व देश में परिवार, जाति तथा धार्मिक सम्प्रत्याओं के माध्यम से निभृया जाता था, किंतु समाज

कल्याण की अवधारणा की स्वीकृति के साथ साथ यह उत्तरदायित्व राज्य द्वारा स्थापित विशिष्ट संगठनों द्वारा किया जाने लगा है।

'सामाजिक सुरक्षा' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के अंतर्गत 1933 में अब्राहम एप्स्टीनो द्वारा किया गया था। सन् 1935 में सर्वप्रथम इस शब्द का अधिकाधिक रूप से प्रयोग किया गया था, जबकि अमेरिका ने अपना सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बनाया। 10 दिसंबर, 1948 को समूक्त राष्ट्र की सामान्य सभा द्वारा मानवीय अधिकारों की मार्वभीमिक घोषणा विधे जान के कारण विभिन्न देशों में सामाजिक सुरक्षा को व्यापक स्वीकृति प्राप्त हुई।

सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा

सामाजिक सुरक्षा की धारणा को भली भाति समझने के लिए निम्नलिखित परिभाषाओं का उल्लेख करता आवश्यक हो जाता है—

1 अंतर्राष्ट्रीय शब्द संगठन 'सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो कि समाज उपयुक्त संगठन द्वारा अपने सदस्यों के जीवन में आने वाले विभिन्न सकटों में प्रदान करता है। सुरक्षा एक मानविक स्थिति है और एक वास्तविक व्यवस्था भी है। सुरक्षा प्राप्त होने का अर्थ है कि मनुष्य को यह गिरावट हो कि आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा प्राप्त होगी। सुरक्षा गुण और परिमाण में सतोपननक भी होनी चाहिए।'

उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक सुरक्षा के दो आवश्यक तत्त्व हैं, प्रथम, वास्तविक स्थिति जर्यात् सुरक्षित होने का अनुभव और द्वितीय आपत्तिकाल में सहायता का पर्याप्त ग्राहा में होना।

2 सर विलियम बेवरिज 'सामाजिक सुरक्षा से अभिप्राय एक ऐसी पद्धति-युक्त योजना से है जिसके द्वारा आवश्यकता, बीमारी अज्ञानता गदगी और बेकारी इन पाँच दानवों पर विजय मिले।'¹ इस परिभाषा में बेवरिज ने सामाजिक सुरक्षा की धारणा को पाँच दानवों से रोधित कर दिया है। आवश्यकता के विरुद्ध सुरक्षा से अभिप्राय है कि प्रत्येक नागरिक को उनकी सेवाओं के बदले इतनी पर्याप्त आय दिलाना जो कि उसके लिए पर्याप्त हो। अज्ञानता के विरुद्ध सुरक्षा से आदय समाज के सभी सदस्यों को जीवनाधिक शिक्षा सबधी मुविधाएं उपलब्ध कराना है। बीमारी से सुरक्षा का अभिप्राय अस्वस्थता के समय पर्येक नागरिक को चिकित्सा सबधी मुविधाएं

1 Social Security is the security that society furnishes through appropriate organization against certain risk to which its members exposed'

—Approaches to Social Security, III O p 83.

2 Social Security is an attack on five giants, namely, Want, Disease, Ignorance Squalor and Idleness"

—Sir William Beveridge

दिलाना है। गदगी के विरुद्ध सुरक्षा से आशय उन दोषों को रोकना है, जो कि नगरों की अनियोजित बृद्धि से उत्पन्न होते हैं। वेरोजगारी के विरुद्ध सुरक्षा के अतंगत प्रत्येक नागरिक को अपनी सेवाओं के बदले यथोचित आय का समुचित अवसर प्रदान करना सम्मिलित किया जाता है। सन् 1942 में अपनी सामाजिक सुरक्षा की योजना को प्रस्तुत करते समय बेवरिज ने कहा था कि सामाजिक व आधिक पुनर्निर्माण के मार्ग पर ये पाच दानव सबसे प्रमुख वाधाएँ हैं। अतः वह स्सथात्मक व्यवस्था व सगठन जो इन्हीं पाच दानवों पर आक्रमण करने के उद्देश्य से संगठित हो, उसे सामाजिक सुरक्षा कहते हैं।

3 भारिस्ट टेक "सामाजिक सुरक्षा से आशय समाज द्वारा दी गई उस सुरक्षा से है, जोकि आधुनिक जीवन में उत्पन्न होने वाली आकस्मिक विपत्तियों, जैम—बीमारी, बेकारी, बृद्धावस्था, औद्योगिक दुर्घटना तथा अपगता के विरुद्ध प्रदान की जाती है। जिससे अपने तथा अपने परिवार को अपनी क्षमता या दूरदर्शिता के आधार पर रक्षा की आशा एक व्यक्ति से नहीं की जा सकती।"¹

उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन के उपरात हम सामाजिक सुरक्षा को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, "सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है, जो समाज द्वारा एक उपयुक्त सगठन के माध्यम से अपने सदस्यों की कार्यशक्ति को क्षति पहुंचाने तथा जीवन-स्तर को गिराने वाली आकस्मिक घटनाओं, जैसे—बीमारी, बेकारी, दुर्घटनाओं, औद्योगिक रोग, मातृत्व, बुदापा, परिवार में जीविका कमाने वाले की मृत्यु आदि के विरुद्ध एक वाछित न्यूनतम जीवन-स्तर प्रदान करने की दिशा में किया गया सामूहिक प्रयास है।"

इस परिभाषा से हमें सामाजिक सुरक्षा की निम्नलिखित विशेषताओं का आभास होता है—

1 सामाजिक सुरक्षा किसी देश के नागरिकों का वह मानवीय अधिकार है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक नागरिक को सामाजिक आपत्तियों से सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व समाज पर है, जिसका वहन वह एक उपयुक्त सगठन की स्थापना करने हुए करता है।

2 सुरक्षा एक विशिष्ट आकस्मिकताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को ही प्रदान की जाती है।

3 सामाजिक सुरक्षा से जो लाभ व्यक्तियों को मिलते हैं, वह दान के रूप में

1. "By social security we understand a programme of protection provided by society against those contingencies of modern life—sickness, unemployment, old ages, dependency, industrial accidents and invalidity—against which the individual cannot be expected to protect himself and his family by his own ability or foresight."

—Maurice Stack.

प्राप्त होते हैं।

4 सामाजिक सुरक्षा गुण और परिणाम में सरोपजनक होनी चाहिए।

5 सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को एक न्यूनतम जीवन स्तर बनाये रखने में असमर्थ होने से बचाना तथा आय का न्यायपूर्ण वितरण करना है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सामाजिक सुरक्षा एक प्रार्थनिक घारणा है। इसका स्वरूप व क्षेत्र समय की गति के नाय-नाय परिवर्तित होता रहता है।

क्षमता के अनुसार प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करता है। यही कारण है कि कुछ देशों में सामाजिक सुरक्षा का आशय केवल आय सबधी सुरक्षा से है, जब कि अन्य देशों में इसके अतर्गत आय सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुरक्षा का मूल्य क्षेत्र सम्मिलित है और कुछ देशों में तो इसमें अतर्गत आवास-व्यवस्था भी सम्मिलित की जाती है।

सामाजिक सुरक्षा के तत्व

किसी भी सामाजिक सुरक्षा में निम्नलिखित तीन तत्त्व आवश्यक रूप से होने चाहिए—

1 निरोधात्मक या उपचारात्मक चिकित्सा सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य निरोधात्मक या उपचारात्मक चिकित्सा का प्रबंध करना होना चाहिए या काम से अनेक्षिक आय की संपूर्ण या आशिक हानि की स्थिति में आय की पूर्ति के सबब्र में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये या जिन श्रमिकों के आश्रितों की सह्या अधिक है, उनको अतिरिक्त आय देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

2 सविधान द्वारा व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था सविधान द्वारा की जानी चाहिए जिसमें व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिये गये हो तथा आधिक रूप में सार्वजनिक या स्वतंत्र संगठनों पर कुछ उत्तरदायित्व सौंपे गये हो।

3 प्रशासन सामाजिक सुरक्षा का प्रशासन भावजनिक या अग्रिमिक रूप में सार्वजनिक तथा स्वतंत्र सधो द्वारा किया जाना चाहिए। इस प्रकार किसी भी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के अतर्गत वे सभी योजनाएँ जाती हैं, जो उपरोक्त तीन शर्तों को पूरा करती हों।

सामाजिक सुरक्षा सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता

(Social Security, Social Insurance and Social Assistance)

सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक घारणा है और इसके दो महत्वपूर्ण अंग हैं—सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता।

1 सामाजिक बीमा

सामाजिक बीमा सामाजिक सुरक्षा का एक अंग है और इसका मुख्य उद्देश्य आय सुरक्षा प्रदान करना है। यह श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का सर्वोच्च

विवेकपूर्ण एव सबसे प्रभावपूर्ण तरीका माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक बीमा, मालिकों एव श्रमिकों की वह सहकारी व्यवस्था है, जिसके अतर्गत बेरोजगारी, बीमारी, मातृत्व, दुर्घटना आदि आकस्मिकताओं के समय बीमा कराये हुए श्रमिकों या उनके परिवार या दोनों ही को निश्चित अधिकार के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वह जीवन के एक न्यूनतम स्तर को बनाये रख सके। सर विलियम बेवरिज के अनुसार—“सामाजिक बीमे से अभिप्राय चढ़े के बढ़ले में जीवन-निर्वाह स्तर, अधिकार के रूप में विना साधनों पर विचार किये हित लाभ प्रदान करता है ताकि व्यक्ति स्वतन्त्रपूर्वक उस पर निर्भर रह सके।” इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक बीमा एक अनिवार्य युक्ति है, जिसमें सब लोग एक-दूसरे के मददगार होते हैं व प्रत्येक पक्ष सामर्थ्य के अनुसार बोक्ख उठाता है।

विशेषतायें : सामाजिक बीमा के आवश्यक तत्त्व या विशेषतायें निम्नलिखित हैं—

1. यह अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाता है।

2. एक सामान्य मुद्रा-कोष से लाभ दिये जाते हैं।

3. श्रमिकों द्वारा दिये जाने वाले चर्दे और उन्हें मिलने वाले हित लाभों में

‘कोई निकटस्थ सबध नहीं होता, क्योंकि श्रमिकों से केवल नाममात्र का ही चदा लिया जाता है।

4. लाभ एक अधिकार के रूप में स्वीकार किये जाते हैं।

5. हित लाभों को एक निश्चित सीमा के अतर्गत दिया जाता है, अर्थात् लाभ पाने वाले को जो काम दिये जाते हैं, उनकी सीमायें निश्चित होती हैं।

6. जोखिम की पूर्णतया रोकथाम तो नहीं हो पाती परन्तु इनके सहारे श्रमिकों को इस योग्य बनाया जा सकता है कि वे जोखिम का सामना करने से समर्थ हो।

इनका उद्देश्य खोई हुई अर्जन शक्ति को शीघ्र से शीघ्र वापस पाना व वर्तमान कार्यक्षमता को बनाये रखना है।

क्षेत्र उपर्युक्त विवेचन से सामाजिक बीमे के क्षेत्र का भी आभास मिलता है। इसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं—(अ) नीतिकता और न्याय के नाम पर गरीबी से लैडना और (ब) श्रमिक वर्ग का अपने को निर्भरता की स्थिति से मुक्त करने का प्रयास करना और अनिश्चितताओं से सुरक्षित करना। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक बीमा की योजना में निम्नलिखित विषयितायों से नागरिकों की सुरक्षा का प्रबंध होता है, जैसे बीमारी के समय में चिकित्सा व आर्थिक सहायता, काम की अवधि में चोट लग जाने की स्थिति में चिकित्सा एव आर्थिक सहायता, बेकारी हित लाभ, मातृत्व हित लाभ, आश्रित हित लाभ, अपगता की स्थिति में पेंशन आदि।

महत्व सामाजिक बीमे की पद्धति सामाजिक इंटीकोण से अत्यत महत्व की है। अमेरिकन राज्यों के द्वितीय सम्मेलन ने अपने प्रस्ताव में कहा था, “उत्पादन बढ़ाने व जीवन-स्तर को ऊचा उठाने के इच्छुक देशों द्वारा विकसित की गई युक्तियों में सामाजिक बीमे की युक्ति सबसे श्रेष्ठ है।” सामाजिक बीमे के अतर्गत विशेष रूप से

निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं—

1. इसमें चंदे के आधार पर श्रमिकों के स्वास्थ्य, कुशलता और कार्यक्षमता की रक्षा होती है।

2. यह निश्चित अधिकारों के रूप में लाभ स्वीकृत करती है, जिससे लाभार्थी के स्वाभिमान को चोट नहीं लगती।

3. इसका उद्देश्य इस प्रकार के सहयोगी सगटन का निर्माण करना है, जिसका विपक्षीय उद्देश्य होता है—खतरों को रोकना, जीवन-स्तर को बनाये रखना और कोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करवाना।

4. इसके अतर्गत प्राप्त होने वाले लाभों की मात्रा पर्याप्त होती है।

5. इस योजना की सहायता से देश की आर्थिक समृद्धि व सामाजिक व्याय की प्राप्ति दोनों ही संभव हो सकती है।

6. इससे श्रमिक पर इस बात का जोर पड़ता है कि वह अपनी आय का सदृश-योग करे। वस्तुतः उसकी आय का कुछ भाग उचित मार्ग में लगा दिया जाता है।

7. दूरदर्शिता के दृष्टिकोण से देखा जाय तो सामाजिक बीमा समाज के लिए एक अत्यत हितकर योजना है, जिससे कि समाज के अधिकाश सदस्यों के सुख व कल्याण के नहय की प्राप्ति गे राहायता मिलती है।

सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमे में अंतर साधारणतः लोग सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमे के बीच में कोई अंतर नहीं करते, परन्तु यह ठीक नहीं है। दोनों में निम्नलिखित भेद हैं—

1. सामाजिक सुरक्षा शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया जाता है और सामाजिक बीमे का सकुचित अर्थ में। सामाजिक बीमा सामाजिक सुरक्षा का ही एक अंग है। सामाजिक सुरक्षा से अभिप्राय सो एक ऐसी आर्थिक एवं मामाजिक नीति में है जिसमें पूर्ण रोजगार, पूर्ण चिकित्सा, आय, सुरक्षा आदि योजनाओं का समावेश रहता है। परन्तु रामाजिक बीमे का क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है। इसके अतर्गत कार्य-क्षमता और स्वास्थ्य आदि को बनाये रखने के लिए कुछ हित लाभ वा व्यवस्था ही रहती है। अन्य शब्दों में सामाजिक सुरक्षा पाचों दानबो पर आन्तरण है, जब कि सामाजिक बीमा केवल आवश्यकता के भानव पर आन्तरण है।

2. सामाजिक सुरक्षा एक सपूर्ण व्यवस्था है जब जि गामाजिक बीमा उस व्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधन मुख्य है। कारण यह है कि सामाजिक सुरक्षा दो प्रकार में दो जाती है—सामाजिक बीमा द्वारा व नामाजिक सहायता द्वारा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का सामाजिक बीमा एक साधनमात्र है।

सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय व एवं प्रता होना आवश्यक है, जबकि सामाजिक बीमे के कार्यक्रम में ऐसा आवश्यक नहीं है।

सामाजिक सहायता

सामाजिक सहायता वह व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत राज्य अपने साधनों में से उन श्रमिकों को जो कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, हित-लाभ कानूनी अधिकार के रूप में देता है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जीवन की आकस्मिकताओं से ग्रस्त सभी व्यक्तियों को हित-लाभ उनके द्वारा किसी अशदान के बिना उनके साधनों की जाति के पश्चात् निर्धारित की गई वर्तमान वास्तविक आवश्यकता के आधार पर प्रदान किये जाते हैं। ये लाभ उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, जिन्हे अत्यधिक बीमा में लाभ नहीं प्राप्त होते।

सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमा में अंतर

सामाजिक सहायता

सामाजिक बीमा

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 यह सहायता व्यक्ति की आय के साधनों पर विचार किए बिना आवश्यकतानुसार प्रदान की जाती है। 2 यह महायता अभावग्रस्त व्यक्तियों के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व का द्योतक है। 3 सामाजिक सहायता कार्यक्रम में मानवीय दण्डिकोष को प्राय-भिकता दी जाती है। 4 सामाजिक सहायता कार्यक्रम में लाभ स्वीकृत करने की दशा में श्रमिक के अशदान जमा पर विचार नहीं किया जाता। 5 इसकी सपूर्ण राशि राज्यपौय अथवा नियोक्ता से प्राप्त होती है। 6 इसके अंतर्गत सरकार यज नियोक्ता द्वारा धन दिया जाता है, जिससे श्रमिक हीन अनुभव करता है। 7 यह सहायता कार्यक्रम वहा सागू होते हैं, जहा श्रमिक गरीब, असंगठित, अशिक्षित, | <ol style="list-style-type: none"> 1. यह पारस्परिक अशदान पर आधारित है। 2 यह जोखिम को सामूहिक रूप से बहन करने का साधन है। 3 सामाजिक बीमा एक वैज्ञानिक उपाय है, जिससे दड़ी जोखिम का बटवारा बड़े समुदाय में करना सभव होता है। 4 सामाजिक बीमा कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ स्वीकृत करने की दशा में श्रमिक के अशदान जमा पर विचार किया जाता है। 5 सामाजिक बीमा कार्यक्रम से विष-क्षीय का अशदान होता है। 6 सामाजिक बीमा के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति आगे आप को किसी प्रकार का हीन अनुभव नहीं करता। 7 सामाजिक बीमा कार्यक्रम वहा सागू होते हैं, जहा श्रमिक समठित नियम, वित्तीय दण्डि से सबल तथा कोप का |
|---|--|

- दान देने में असमर्थ हो ।
- 8 यहा सहायता प्राप्त करने के लिए साधन तथा स्रोतों का व्यान रखा जाता है ।
- 9 इसके अतर्गत जोखिम तथा अशदान में सदघ आवश्यक नहीं है ।
- 10 यह सहायता नियोक्ता या सरकार की इच्छा तथा बजट प्रबंधान पर निर्भर करती है ।
- सदुपयोग करने को दृष्टि से सजग हो ।
- 8 सामाजिक बीमा विना आय के साधनों का पता लगाये अधिकार के रूप में शमिक को प्रदान किया जाता है ।
- 9 सामाजिक बीमा के अतर्गत जोखिम तथा अशदान में एक उचित अनुपात रखा जाता है ।
- 10 सामाजिक बीमा कार्यक्रम में स्वार्थ अशदान के आधार पर निश्चित बोय का निर्माण होना है ।

भारत में सामाजिक सुरक्षा (Social Security in India)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : भारत वे प्राचीन इतिहास से स्पष्ट होना है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा की परंपरा बहुत पुराती है । कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और शुर्मीति में सामाजिक सुरक्षा के बहुत-से नियमों की व्यवस्था दी है । प्राचीन कान से ही भारत में संयुक्त परिवार, जातीय पवायत, अनाधालय, प्रियदा-आधम आदि के माध्यम से उन लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती रही है, जिनके पास जीवन-निर्वाह का बोई साधन नहीं होता था और जो कार्य करने में भी असमर्थ होते थे ।

कारणाना उद्घोगचार के आगमन के बाद भारत में सामाजिक सुरक्षा आदोलन पाच अवधियों से गुजरा । 1 उदासीनता की अवधि, 2 अव्यवस्थित विकास की अवधि, 3 सुविचारित आयोजन की अवधि, 4 क्रियान्वयन की अवधि 5 समन्वय और सुदृढ़ी-करण की अवधि ।

उदासीनता की अवधि

सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था के सबध में उदासीनता की अवधि 1920 के साथ समाप्त हो जाती है । 1920 के पूर्व यद्यपि उत्पादन की कारणाना प्रणाली का प्रदुर्भाव हो चुका था, लेकिन अम आदोलन ने अलिन भारतीय स्पष्ट धारण नहीं किया था । 1855 में धातक दुर्घटना अधिनियम पास किया गया जिसके अनुगार यदि कोई मजदूर कार्य करने में मर जाय तो उसके आधिकारी को यह अधिकार पा कि वे मुकदमा चलाकर हरजाने का दावा करें । परन्तु अशिक्षित और निर्धन मजदूर इस स्थिति में कभी नहीं थे कि गपन उद्योगपतियों पर मुकदमा चलायें । बत यह अधिनियम कभी व्यवहार में नहीं आया । इसके अतिरिक्त इस अवधि में किसी और अधिनियम के सबध में कोई प्रमाण नहीं है, जो सामाजिक आकस्मिकताका से जनता बगे की रक्षा करता है ।

2. अव्यवस्थित विकास की अवधि

चूंकि 1921 से 1941 के दो दशकों में आकस्मिक विपर्तियों से सरकान की कुछ योजनाओं का मूल्रपात हुआ। इसलिए इस अवधि को हम अव्यवस्थित विकास की अवधि कह सकते हैं। इस अवधि में प्रथम सामाजिक सुरक्षा अधिनियम अमिक्रट-पूर्ति अधिनियम, 1923 के नाम ने पारित हुआ। इसका वर्णन हम आगे करें। इसके पश्चात् सन् 1929 में बबई सरकार ने मातृत्वहित अधिनियम पास किया और इसी आधार पर अन्य राज्यों ने भी इसका अनुकरण किया। सन् 1941 में केंद्रीय सरकार ने खानों में काम करने वाली स्ट्रियो के लिए मातृत्व अधिनियम पास किया। योजनाएँ परिस्थितियों की परिणाम थी। ये भावी सामाजिक सुरक्षा का कोई चित्र हमारे सामने प्रस्तुत नहीं रहती थी। इसके अतिरिक्त अधिनियम अतर्राष्ट्रीय निर्माण के अनुरूप नहीं थे और न ही इसके अतर्गत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को किसी योजना का अनुसरण किया जाता था।

3. सुविचारित आयोजन की अवधि

सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के सदृश में सुविचारित आयोजन की अवधि 1942 से शुरू होती है और पूरे दशक तक जारी रहती है। इस अवधि में सबोंगे से 1942 में सामाजिक दीमा और सबढ़ सेवाओं पर प्रसिद्ध वेवरिज रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ और यही आजवल सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में वेवरिज प्लान के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद 1943 में कनाडा में 'मास योजना' का प्रकाशन हुआ। इसके बाद अतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दो अध्ययन —सामाजिक सुरक्षा सबधी धारणाएँ, एक अतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण (। 42) और विशेष सुरक्षा युद्ध अन्य सिद्धात और समस्याएँ (1944) प्रकाशित हुए। इन सर्वका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। अतः 1943 में भारत सरकार ने देश के लिए एक निश्चित सामाजिक सुरक्षा सबधी योजना तैयार करने हेतु प्रो॰ बी॰ पी॰ ज़ाउरकर द्वारा नियुक्त किया गया, जिन्होंने 1944 में अपनी निश्चित रिपोर्ट प्रस्तुत की। अद्वाकर योजना की व्यवहारिकना भी जारी करने हेतु भारत सरकार द्वारा अतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अधिकारी श्री जार० राव को नियुक्त किया गया। इन विशेषज्ञों ने कुछ साधारण परिवर्तनों के साथ-साथ योजना दी संपूर्ण की तया भारत सरकार ने 1948 में वर्मचारी राज्य दीमा नियम पास किया जोकि अपने प्रकार का पश्चिमी-पूर्वी एशिया में पहला ही अधिनियम था, परतु नियोजकों के विरोद्ध के कारण कर्मचारी राज्य दीमा नियम 1952 में सरोधन किया गया है। इस प्रकार यद्यपि इस अवधि में सामाजिक सुरक्षा की योजना को व्यवहारिक रूप नहीं दिया गया, तथापि भावी रूपरेखा को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए सोच-विचारकर आयोजित किया गया।

4. क्रियान्वयन की अवधि

1942 से प्रारंभ अवधि सामाजिक सुरक्षा की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को

भारत में सामाजिक सुरक्षा

अमली जामा पहनाने की अवधि है। 20 फरवरी, 1952 को स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू द्वारा राज्य कर्मचारी बीमा योजना को कानपुर में कार्यान्वित किया गया तथा उसी दिन यह योजना दिल्ली में भी लागू की गई। उसी दिन से यह योजना अन्य क्षेत्रों से धीरे-धीरे कैलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी प्राविडेंट फड़ योजना भी इसी वर्ष चालू की गई। इसी अवधि में उत्तर प्रदेश राज्यालय ने 1 दिसंबर, 1957 से बृद्धावस्था पेशत की प्रथम सामाजिक योजना शुरू की। इसके अतिरिक्त कई राज्यों में विशेष रूप से अकान-पीडित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर जूटाने के उद्देश्य से राहत कार्य शुरू किये।

5 समन्वय और सुदृढीकरण की अवधि

1958 से आगे की अवधि को हम समन्वय और सुदृढीकरण की अवधि कह सकते हैं। सन् 1958 में भारत सरकार ने देश में कार्यान्वित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के एकीकरण के मबद्दल में आवश्यक मुझाव देने हेतु एक अध्ययन दल भी नियुक्त की। इस दल ने अपनी रिपोर्ट 1958 में दी और इसने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना व कर्मचारी प्राविडेंट फड़ योजना के प्रशासन के दायित्व एक ही संस्था को सौंपे जायें। बाद में कर्मचारी राज्य बीमा समीक्षा समिति ने 1965 में यह सिफारिश की कि भारत सरकार को एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति करनी चाहिए। 1969 में त्रिमासी राष्ट्रीय आयोग न यह विचार प्रकट किया चाहदार तथा यद्यपि नो यह होगी कि धीरे-धीरे एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा ही योजना बनाई जाय और इसके लिए एक निपिक का निर्माण किया जाय, जिसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का असाधारण सामूहिक रूप से एकत्र हा ओर किर इस निधि, विभिन्न पञ्जीयन आवश्यकरानुसार विभिन्न योजनाओं को सूल-रूप इन के लिए घनराजि निकाले। भारत में एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा के समन्वय और नायोजन की दिशा में प्रयत्न जारी है, और सामाजिक सुरक्षा मरम्भना का एक स्थान चित्र उभरकर हमार नामन भा रहा है।

भारत में बर्तमान व्यवस्था

सामाजिक सुरक्षा की दिशा में हमारे द्वारा में बनगान संघर्ष में विन्मनिन्मन आया जन है -

- 1 धर्मिक क्षतिपूर्ति अधिनियम
 - 2 कर्मचारी प्राविडेंट फड़ अधिनियम
 - 3 बोयला चान प्राविडेंट फड़, योजनायें तथा योजना याजनायें,
 - 4 प्रान्तन्व लाभ अधिनियम,
 - 5 कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा जन्य योजनायें।
- उपर्युक्त योजना के अध्ययन के पूर्व हम भारत में सामाजिक सुरक्षा के आवश्यकता व उद्देश्य पर प्रश्ना ढालेंगे।

भारत में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता व उद्देश्य

श्री बेवरिज का कथन है, 'जितने आप गरीब होंगे उतनी ही अधिक लापको मामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है।' यह कथन भारत की परिस्थितियों में पूर्णत सही है। भारत में मूलमरी, बेरोजगारी, दरिद्रता, अज्ञानता और विभिन्न प्रकार की दीमारियों का साम्राज्य है, इसलिए भारत में सामाजिक सुरक्षा का महत्व अन्य देशों की तुलना में अधिक है। सक्षेप में भारत में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है—

1 निधन श्रमिकों का सहारा। भारत एक अत्यत निर्धन देश है, फलत श्रमिकों को इतनी अधिक मजदूरी नहीं मिलती है कि वे अपने जीवन की अनिवार्यताओं को भी पूरा कर पायें। बीमारी, बेकारी, अस्थायी योग्यता अथवा परिवार के मालिक की अचानक मृत्यु हो जाने पर परिवार पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ता है। सामाजिक सुरक्षा ऐसी स्थिति में मुसीबतों से महारा प्रदान करती है।

2 भयकर रोगों से मुक्ति भारतीय श्रमिक मलेरिया, हैजा, प्लेग, टपेदिच, इन्पनुएजा आदि भयकर रोगों से अवसर प्रस्त रहते हैं। इन सब रोगों को दूर बरने के लिए चिकित्सा संवधी सुविधाओं का अभाव है, सामाजिक सुरक्षा चिकित्सा की सुविधा प्रदान करती है।

3 दुर्घटना के समय में लानकारी यदि किसी औद्योगिक दुर्घटना का धिकार होकर श्रमिक का कोई अग स्थायी या अस्थायी हृप ये बेकार हो जाता है या दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो परिवार की अत्यत कष्ट उठाने पड़ते हैं। श्रमिक परिवार की आय बद हो जाती है और परिवार के मदस्य निराशित हो जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा ऐसी स्थिति में श्रमिक परिवार को सुरक्षा प्रदान करती है।

4 बेरोजगारी की दशा में सहायता भारत में बेकारी-समस्या अत्यत उप है। इन सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत बेकारी की उपस्थिति में श्रमिकों को कुछ आर्थिक महार्यता प्राप्त हो सकेगी और श्रमिक तथा उसका परिवार एक न्यूनतम जी.न स्तर बनाए रख सकते हैं।

5 सामाजिक बुराइयों से सुरक्षा : अत्यत निर्धनता व बेकारी अनेक सामाजिक बुराइयो—भिक्षावृति, वेश्यावृति, चोरी, बाल व स्त्री श्रम अपराध आदि को जन्म देती है। भूख सब कुछ करवा सकती है। अतः इन सब सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सामाजिक सुरक्षा एक उपराय है।

6 भावी पीढ़ी का उत्तम लालन-पालन। भारतवर्ष में निर्धनता के कारण बच्चों का लालन-पालन उचित ढंग से नहीं हो पाता। सामाजिक सुरक्षा की योजना के अन्तर्गत परिवार के प्रत्येक बालक वे लिए कुछ आर्थिक सहायता माता-पिता को मिल जाती है जिससे वे बच्ची का लालन-पालन उचित ढंग से कर सकते हैं।

7 बृद्धावस्था में सहायता : बाज जो बृद्ध हैं उन्होंने अपनी युवावस्था में अपनी क्षमतानुसार समाज पा राष्ट्र की सेवा की है परन्तु अब वे बृद्धावस्था के कारण उत्पादन

कायदों में सक्रिय भाग नहीं ले पा रहे हैं अतः समाज का कर्तव्य है कि वह उनके बुद्धांपे के लिए व्यवस्था करे। सामाजिक सुरक्षा योजना इन कर्तव्यों के पालन में सहायक होगी।

अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा योजना द्वारा बीमारी, अज्ञानना व शृणुष्टी के दानवों से समाज की रक्षा होगी और श्रमिक का जीवन अधिक सुखी और सपन्न होगा।

'१ श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम

(Workmen's Compensation Act)

१

यह अधिनियम 1923 में पास किया गया और 1 जुलाई 1924 को लागू किया गया था। इस अधिनियम में 1926, 1929, 1933, 1937, 1939, 1946, 1959 और 1962 में संशोधन किये गए हैं।

उद्देश्य एवं क्षेत्र : यह अधिनियम सेवायोजकों पर दायित्व डालता है जिन वे श्रमिकों को उन दुर्घटनाओं के लिए जिनके बारण मृत्यु हो जाती है अथवा सात दिन से अधिक के लिए वे पूर्ण रूप में या अपूर्ण रूप से अयोग्य हो जाते हैं शतिपूर्ति प्रदान करें। कुछ व्यवसाय-जनित बीमारियों के लिए भी क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान है।

यह अधिनियम जम्मू व कश्मीर को छोड़ कर शेष समस्त भारत पर लागू होता है। यह अधिनियम रेलवे, कारखानों, वागानों, खाना मशीनों से चलने वाले वाहनों व निर्माण कायदों पर लागू होता है जहाँ दस मजदूर तथा शक्ति या पचास मजदूर विना शक्ति काम करते हैं। इसके अतर्गत वे कर्मचारी नहीं आते जो दफ्तरों में काम करते हैं, सुरक्षा सेवाओं में हैं अथवा 500 रु. से अधिक बेतन पाते हैं।

क्षतिपूर्ति का अधिकार इस अधिनियम के अतर्गत कार्य करने ममय छोट लग जाने से या दुर्घटना हो जान की स्थिति में श्रमिक को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। यह क्षतिपूर्ति केवल तभी दी जाती है जब कि हानि नहीं या किसी आदेश के स्वायत्पूर्ण खड़न से नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त कुछ व्यावसायिक रोगों में भी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था इस अधिनियम में है।

क्षतिपूर्ति की दर इस अधिनियम के अतर्गत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि हानि की प्रकृति व श्रमिकों की ओसत मासिक मजदूरी पर निर्भर करती है। क्षति को कई बगों में बाट दिया गया है (अ) मृत्यु, (ब) स्थायी पूर्ण असमर्थता, (स) स्थायी आश्रित असमर्थता, और (द) अस्थायी असमर्थता। मृत्यु, स्थायी पूर्ण असमर्थता और अस्थायी असमर्थता की स्थिति में क्षतिपूर्ति की राशि अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में जानी जा सकती है—

सारणी 1 . क्षतिपूर्ति की राशि (अनुसूची 4)

मासिक वेतन	मूल्य	स्थायी पूर्ण असमर्थना	हपये में
			अस्थायी असमर्थता (अधं भासी)
0-10	1000	1400	आधी मजदूरी
10-13	1100	1540	आधी मजदूरी
13-18	1200	1680	6 50
18-21	1260	1764	7 00
21-24	1440	2016	8 00
24-27	1620	2268	8 50
27-30	1800	2520	9 50
30-35	2100	2940	9 50
35-40	2400	3360	10 00
40-45	2700	3780	13 00
45-50	3000	4200	13 00
50-60	3600	5040	18 50
60-70	4200	5880	18 50
70-80	4800	6720	20 00
80-100	6000	8400	27 00
100-150	7000	9800	37 50
150-200	7000	9800	52 50
200-300	8000	11200	60 00
300-400	9000	12600	75 00
400 तथा ऊपर	10000	14000	87 50

अस्थायी असमर्थता में अधिक से अधिक पाच वर्ष तक के लिए क्षतिपूर्ति यी गणि मिन मर्कती है। स्थायी आधिक असमर्थता होने पर पूर्ण असमर्थता का वह प्रतिशत मिनता है जिस प्रतिशत में मजदूर को उपार्जन की शक्ति की क्षति हुई हो। उदाहरणार्थ यदि धन कमाने की शक्ति में 60% हानि हुई है और 1400 रुपूर्ण असमर्थता की स्थिति में मिनते हैं तो उसे आधिक असमर्थता में 840 रु. मिनता।

आश्रितों की क्षतिपूर्ति यदि कार्य करने हुए दुर्घटना के कानूनवाहा अधिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। आश्रितों को दो पर्सों में बाटा गया है—(a) वे आश्रित जो बिना प्रमाण के ही आश्रित समझे जाते हैं, जैसे, विधवा, अवयस्क, वैध पुत्र, अविवाहित वैध पुत्री अववा विवाहा माता। (b) वे आश्रित जिन्हें यह प्रमाणित करना पड़ता है कि मृत व्यक्ति के आश्रित ये जैसे—मिथुर पिता,

वालिग भाई, अविवाहित अवैध पुत्री, अविवाहित अथवा विधवा बहन, विधवा पुत्रम्, मृतक पुत्र का अवयस्क बच्चा, मृतक पुत्री का अवयस्क बच्चा आदि।

क्षतिपूर्ति का वितरण सेवायोजकों को दुष्टनाओं की सूचना कर्मचारी क्षात-पूर्ति वा मृतक वो दे देनी चाहिए। यदि सेवायोजक दायित्व को स्वीकार कर लेता है तो क्षतिपूर्ति को राशि आयुक्त के पास जमा करनी पड़ती है। यदि सेवायोजक दायित्व को स्वीकार नहीं करता तो आयुक्त जो आश्रितों को "ह सूचना देनी पड़ती है कि उपर्युक्ता दावा प्रमुख करें।

प्रशासन : इस अधिनियम का प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा कर्मचारी क्षतिपूर्ति संबंधी आयुक्त के माध्यम से किया जाता है।

अधिनियम की कार्यप्रणाली की आलोचना

यद्यपि यह नियम पचास वर्ष से अधिक पुराना हो गया है और इसमें कई बार संशोधन किया जा चुका है फिर भी इसमें कुछ दोष हैं—

1. **मीमित क्षेत्र :** इस अधिनियम का क्षेत्र बहुत सीमित है क्योंकि जनक व्यव-
साय नैम—रूपि, घरेलू उद्योग-घटे व अनिवार्ता कारबान इसके अतर्गत नहीं आते हैं।

2. **क्षतिपूर्ति राशि का एकमुद्दत दिया जाना :** इसमें क्षतिपूर्ति राशि एक साथ दे दी जाती है जिसे कि अधिकतर श्रमिक या उसके परिवार के लोग कुछ ही दिनों में खर्च कर दातते हैं और अधिनियम के वान्तविक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती।

3. **क्षतिपूर्ति देने से बचना :** यह देखा गया है कि सेवायोजक क्षतिपूर्ति देने से बचने का भरपूर प्रयत्न करते हैं। छोटी-मोटी चोट लग जाने पर उद्योगपति क्षतिपूर्ति आयुक्त को कोई सूचना नहीं देते अथवा श्रमिक को डरा-धमकाकर मामले को वही दबा देते हैं अयवा कभी बहुत ही कम रकम देकर उसमें हजारों की पूरी रकम पान की रसीद पर हस्ताक्षर या अशूठा लागवा लिया जाता है। ठेकेदार भी प्राप्त ऐसा ही करते हैं, में जा काढ़ न रखे जाने पर श्रमिकों के सबध में कोई भी जानकारी प्राप्त करना कठिन होता है क्योंकि दुष्टनाके बाद वे अपने घर को छले जाते हैं।

इस अधिनियम के अतर्गत सेवायोजकों के लिए गैर-घातक घटनाओं की सूचना आयुक्त को देना आवश्यक नहीं है, इसलिए यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि गैर-
घातक घटनाओं से क्षतिपूर्ति के दावे किए गए हैं अथवा नहीं।

इस नियम के उल्लंघन होने के बहुत से कारण हैं, जैसे—(अ) अधिकाश श्रमिकों के अनगढ़ होने के कारण यह भी मालूम नहीं रहता कि उन्हें हर्जाना मिलने का अधिकार है या नहीं। उद्योगपति इस अज्ञान का नाम उठाते हैं। (ब) अधिकाश भारतीय श्रमिक इन गरीब होते हैं कि मालिक द्वारा हर्जाना देने से इकार करने पर कार्य वाही कर उस व्यक्ति की क्षमता भी उनमें नहीं होती है। (स) बहुधा मजदूर सगड़न इतना कम-जोर झोका है कि इस नियम का पालन नहीं करवा पाता।

4. **अन्य दोष :** इस अधिनियम से कुछ दोष इस प्रकार हैं—

(1) अनेकानेक दौटे साधारणों में दुष्टनाश्वर कर्मचारियों के लिए कोई भी

चिकित्सा सद्बधी सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(2) इस अधिनियम का प्रशासन सद्बधी उत्तरदायित्व आयुक्त पर है। पर यह अधिकारी इस अधिनियम के अतर्गत आने वाले मामलों का निपटारा जल्दी नहीं कर पाते तबोकि वे अपने अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं।

(3) विभिन्न काच की फैक्ट्रियों में चौट इस प्रकार की होती है कि वह सात दिन की प्रतीक्षा काल में ठीक हो जाती है इसलिए सेवायोजक अपने दायित्व न बच जाने हैं।

सुभाव उपरोक्त दोषों को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं—

1 अंशिक्षित श्रमिकों को अधिनियम की धाराओं से अवगत कराने के लिए श्रम सघों द्वारा इस और विदेश प्रयत्न करना चाहिए। श्रम कल्याण अधिकारिया या श्रम सघों को व्यास्थान और सभाओं के द्वारा श्रमिकों को शिक्षित करना चाहिए। इस अधिनियम की आवश्यक धाराओं को क्षमतायें भावाओं में छपवा कर प्रत्येक श्रमिक द्वारा एक प्रति दी जानी चाहिए।

2 प्रशासन सद्बधी दोषों को दूर करना आवश्यक है ताकि सेवायोजक क्षतिपूर्ति देने के उत्तरदायित्व से न बच सके। इसीलिए पृथक् अधिकारी की नियुक्ति परमावश्यक है ताकि समस्त मामलों का निपटारा व निरीक्षण शीघ्रता से हो सके। अधिनियम के अतर्गत मामलों के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वे उन समस्त घटनाओं की मूख्या आयुक्त द्वारा पास भेजें जिनमें कि श्रमिक को हर्जाना मिलेगा और फिर आयुक्त व निरीक्षण में श्रमिक को हजाना दिया जाना चाहिए।

3 अधिनियम के अतर्गत नौकरी से सबधित सभी दुर्घटनाओं को सम्मिलित कर लेना चाहिए जैसे कि—कार्यस्थान से आने या जाने में हुई दुर्घटनाएँ भी इसमें सम्मिलित बर लेनी चाहिए।

4 क्षतिपूर्ति की राशि श्रमिक के परिवार के बाकार तथा बढ़ता हुई कीमत स्तर को ध्यान में रखते हुए निश्चिन करनी चाहिए।

5 अधिनियम द्वारा अन्यतर सेवायोजक सात दिन से अधिक की पूर्व व आंशिक असमर्थता के सबध में क्षतिपूर्ति करत है। पर चूंकि भारत में श्रमिक अत्यत निधन हैं इसलिए सात दिन की अवधि को घटाकर तीन दिन कर दिना चाहिए। बनाडा जमनी, इंगलैंड व फ्रांस आदि में यह अवधि तीन दिन भी है।

6 राष्ट्रीय श्रम आयोग न यह सुझाव दिया है—(क) सब प्रकार के मजदूरी और निरोक्षकों के सबध में यह अधिनियम लागू होना चाहिए चाहे जिनमें भी बतन पाते हो। (ख) एक क्षतिपूर्ति कोष की स्थापना होनी चाहिए जिसका मचालन कर्मचारी राज्य बीमा नियम कर। इसमें उदागपति मजदूरी का कुछ प्रतिशत जमा करें और क्षतिपूर्ति इसमें से दी जाय।

7. अन्य सुभाव : (अ) श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रतों को एक निश्चित दधी रकम देने के बाय दीर्घावधि के लिए योद्दी-योडी सहायता देने की

व्यवस्था होनी चाहिए। (ब) सभी औद्योगिक बीमारियों को समिलित करने के लिए व्यावसायिक बीमारियों की भूमि का विस्तार किया जाना चाहिए। (स) दाहन-स्कार के व्यय के रूप में कम-न्यै-कम एक माह का बेतन दिया जाना चाहिए, भले ही घातक दुष्टेनाओं के होने पर कर्मचारी के अधिक जीवित हो। (द) चोट पीड़ित कर्मचारियों की कार्यक्षमता सुधारने हेतु कृत्रिम हाथों व टागों की व्यवस्था तथा अन्य शल्य चिकित्सा सुविधा जुटाई जानी चाहिए।

2 कर्मचारी प्राविडेंट फड़ अधिनियम, 1952 ~

(Employees Provident Fund Act, 1952)

औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कर्मचारी प्राविडेंट फड़ 1952 में पास किया जाना एक महत्वपूर्ण घटना है। अबकाश प्राप्त वृद्ध कर्मचारी को मुख्यमंत्री और तबाही से बचाने के लिए किसी न किसी प्रकार की योजना का सर्वेत्या जन्म रहा है। इस अधिनियम ने इस महान कमी को पूरा किया है। इस अधिनियम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं—

केत्र • जन्मू और काश्मीर को छोड़कर यह अधिनियम भारत के उन सभी कारखानों में लागू होता है जिन्हें स्थापित किए हएं तीन वर्ष हो गए हैं तथा श्रमिकों की सम्प्या पचास या इससे अधिक है। यह अधिनियम उन कारखानों में भी लागू होता है जिन्हें पान वर्ष पूरे हो गए हैं तथा जिनके श्रमिकों की सत्या जीस गे अधिक तथा पचास वर्ष कम हैं।

उद्देश्य इस अधिनियम वा उद्देश्य अनियाय रूप ने प्राविडेंट फड़ की व्यवस्था करता है ताकि श्रमिक के मेनामुक्त होने के पहलान इनके भवित्व का प्रबंध हो सके तथा उसकी नेतामिक मृत्यु पर उसके आधिकों से कुछ राशि मिल सके। इस योजना का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मूल भजदूरी महगाई व भना मिलकर 1000 रु. मासिक से अधिक न हो तथा जिन्होंने एक वर्ष निरतर मेवा पूरी कर ली हो। यारह महीन या वर्ष की अवधि में 240 दिन बहस्तुत वाप किया हो।

अशादान प्रानिडेंट फड़ म कर्मचारी और मालिक दोनों को ही समान अशादान देना पड़ता है। प्रारम्भ में कर्मचारियों को अपन पूरे बेतन (मजदूरी व महगाई) का $6\frac{1}{4}$ अनियन जमा करना होता था। 1 जनवरी 1962 से यह अशादान उन कारखानों में जिनम पचास व अधिक वर्षमात्री हैं और जो मिगरेट व ब्रिजली के समान लोहा वापर आदि वा उत्पादन करत हैं यह अशादान 8 वर्ष दिया गया। इन्हीं ही राशि उद्योग-पति को भी जमा करनी पड़ती है। सरकार ने भवायोजना व द्वाग कर्मचारी के प्राविडेंट फड़ की राशियों में कुछ कटौत या दायित्व या मजदूरी की कटौती की ओर रकम बाटने से विहित कर्मचारी ~ 1 गुणका प्रदान की है। जीवन बीमा पालिसी से सबसे फढ़ से से मृगतान कर दिया जाने की अनुमति है।

रकम का भापस मिलना इस फड़ की कोई भी रकम सदस्य निम्न परिस्थितियों में 10% अधिकारी होगा—

(अ) नौकरी से अवकाश प्रहण करने के बाद ।

(ब) स्थायी या अस्थायी असमर्थना या शारीरिक या मानसिक असमर्थना वे कारण रिटायर होने के बाद ।

(स) विदेश में जाकर स्थायी रूप में बस जाने के बाद ।

(द) यदि कोई सदस्य एक उद्योग छोड़कर किसी दूसरे उद्योग में चला जाता है और वहाँ पर्दि इस प्रकार की योजना लागू नहीं है तो एक वर्ष उस उद्योग में नौकरी करने के बाद ।

(य) पांच वर्ष की सेवा के पश्चात कर्मचारी मालिक द्वारा जमा विधि गत अशा का आवधा और 20 वर्ष के पश्चात पूरा अशा लेने का अधिकारी होगा ।

(र) कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसका जितना भी रूपया इस फड़ में जमा हुआ है उसके कानूनी उत्तराधिकारी को या जिपा "ह मनोनीत" वर गया हो उसे फड़ की पूरी राशि दी जाएगी ।

प्रशासन इस योजना के प्रशासन के लिए एक केंद्रीय ट्रस्ट महान बनाया गया है । यह मठल त्रिपक्षीय संस्था है अर्थात् इसमें कर्मचारी, मालिक व सरकार के प्रतिनिधि होते हैं । केंद्रीय प्राविडेंट फड़ कमिश्नर डग केंद्रीय मठल ना प्रधान कार्यकारी अधिकारी होता है । प्रत्येक राज्य में स्थापित एक क्षेत्रीय प्राविडेंट कमिश्नर उसकी सहायता करता है ।

यह कानून 31 जार्व, 1982 को जम्मू और काश्मीर को छोड़कर देश भर के 160 उद्योगों पर लागू या । मांव, 1982 के अंत तक मे भविष्य निधि अदानाताओं की संख्या 108 74 नांब थी । भविष्य निधियों मे जमा अनर्गत व्याज समेत 8,554 26 करोड़ रूपये थी और भवताई रकम 3,780 60 करोड़ रूपया थी ।

बाधानयम का मूल्यांकन इस आधानयम के जुछ प्रमुख दोष इस प्रकार है —

(अ) मजदूर को सेवायोजक ला अदान पाने का तभी अधिकार है जब वह दीर्घकाल तक काम करता है । तीन वर्ष मे कम कार्यायधि हाने पर उद्योगप्रा ना अश दान केवल 25% ही मिलता है । यह नियम मजदूर की गतिशीलता को रुक रखा है और उसकी उन्नति मे बाधा उत्पन्न करता है ।

(ब) इस योजना की आलोचना सेवायोजक डम आधार पर करते हैं कि उनके कपर जो भार ढाला गया है उससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है और नाभ वा मार्जिन कम हो जाता है ।

(स) इस योजना का लाभ कुछ निश्चित उद्योग व विशिष्ट कर्मचारियों तक ही सीमित है । बहुत से संस्थान कर्मीयन गृहों विक्रय गार्जियों व कार्यशालाएँ के रूप मे काफी व्यापार करते हैं, परतु उनमे 20 स कम वर्मच भी लगे होने से इस योजना का लाभ उन्हें तभी मिल पाता ।

(द) सेवायोजक द्वारा एकत की रूपांतर फड़ राशि के दुर्पर्योग न भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं । कुछ कपनियों मे कर्मचारिया म एकन विए गए प्राविडेंट फड़ का उपर्योग कपनी के व्यवहारों मे या मट्ट के व्यापार में किया जाता है । यह भी

देवने में आता है कि उद्योगपति अपने अशदानों को नियमित रूप से जमा नहीं करते। बुध मासिकों में तो मजदूर के अशदान भी बट जाते हैं और जमा नहीं किए जाते।

(प) प्राविडेट फड़ की राशि का भुगतान कभी-कभी वर्षों बाद किया जाता है।

(र) स्वर्गीय रामभोहन लोहिया का विचार या कि जब मजदूर फड़ में रुपया जमा कर आते हैं तब कथ-शक्ति अधिक रहती है तरु जब राशि का भुगतान किया जाता है तब बढ़नी हुई कीमतों के कारण कथ-शक्ति कम हो जाती है। अत सरकार को इस हानि की क्षतिपूर्ण करनी न्याहिए।

3. कोयला खानों की प्राविडेट फड़ योजना (Coal Mines Provident Fund Scheme)

अथवा • यह अधिनियम प्रारम्भ में पश्चिमी बगाल तथा बिहार की कोयला खानों पर लागू किया गया था। धीरे धीरे अन्य राज्यों की कोयला खानों पर भी यह अधिनियम लागू किया गया। 1 अक्टूबर 1971 में जम्मू-काश्मीर में भी इसे लागू किया गया। अब यह अधिनियम देश के सभी राज्यों पर लागू होता है।

योग्यता काल • जिन कोयला खानों में प्राविडेट फड़ योजना लागू है वहां प्रत्येक कर्मचारी की उस निमाही के बाद तत्काल ही सदस्य बनाया पड़ता है जो तिमाही कोयला खान बोनस योजना के अतिर्गत नोनस पाने योग्य होने की तिमाही के बाद आती है। किसी भी निमाही में योग्यता काल बिहार और पश्चिमी बगाल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में खान के नीचे काम करने वाले श्रमिकों के लिए 60 दिन की उपस्थिति तथा खान के लागू काम करने वाले श्रमिकों के लिए 65 दिन की उपस्थिति निश्चित की गई है। परन्तु बिहार और पश्चिमी बगाल में यह योग्यता काल क्रमशः 54 और 66 दिन है।

अंशदान इस योजना के सदस्य श्रमिकों को मजदूरी के आठ प्रतिशत के बराबर चढ़ा देना "इता है।" इस मजदूरी में मोलिक "जदूरी, भस्ता, अतिरिक्त काम का भत्ता व सार्वजनिक हृष्टों वी मजदूरी सम्मिलित है। खान मालिकों को भी श्रमिक को मजदूरी का 8% चढ़े के लिए देना पड़ता है। सन् 1962 के पश्चात यह आयोजन कर दिया गया है कि कोई भी श्रमिक यनिवार्य चढ़े के अतिरिक्त स्वेच्छा से मजदूरी का 8% और चढ़े के लिए दे देने मन्त्रा है। ऐसी दशा में मालिक "चढ़ा नहीं देना पड़ेगा।"

पत्रराशि का वापस मिलना: कोई भी सदस्य पचास वर्षों की आयु या पूर्णरूप से अमर्य होने पर या नोन्हीं से स्थायी रूप से बवकाश ग्रहण करते समय इस फड़ से पूरी रकम ले सकता है।

प्रशासन व प्रगति: इस योजना का प्रशासन एक प्रत्याम बोर्ड के द्वारा होता है जिसके मदस्य सरकार, मालिकों और मजदूरों के बराबर सम्या में प्रतिनिधि होते हैं। कोयला खान "प्राविडेट फड़ आयुखन" इसका मुख्य अधिकारी होता है।

31 दिसंबर 1978 को 1001 कोयला खानों और सहायक साठनों में भविष्य निधि में यह जना दरने वाले कर्मचारियों की सम्या 678 लाख थी।

इस योजना के अतिर्गत श्रमिकों को नियमित काम पर जाने व गैर-कानूनी हृष-

तालों में भाग न लेने के लिए प्रेरणा हेतु बोनस देने की भी व्यवस्था की गई है। जो अधिक निश्चित दिनों की हाजिरी पूरी कर लेते हैं उन्हें वैमासिक बोनस दिया जाता है, जो उस तिमाही मजदूरी का दस प्रतिशत होता है।

4. मातृत्व हित-लाभ (Maternity Benefits)

स्त्री अधिकों के लिए बच्चा पैदा होने के पहले और बाद में आराम, उचित भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था करने के लिए 1929 में बवई सरकार ने मातृत्व हित-लाभ अधिनियम पास किया। इसके बाद 1930 में मध्य प्रदेश, मद्रास 1938 में, उत्तर प्रदेश 1939 में, बगाल 1943 में, पंजाब 1944 में, बिहार 1952 में, व केरल 1953 में इसके अतर्गत आए। उड़ीसा और राजस्थान सरकारों ने भी मातृत्व हित-लाभ अधिनियम पास किए। इस प्रकार के अधिनियम सभी राज्यों में हैं।

केंद्रीय सरकार ने 1941 में काम करने वाली स्थियों के लिए मातृत्व हित-लाभ अधिनियम बनाया। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 व बागान अधिनियम 1951 के अतर्गत भी मातृत्व हित-लाभ की व्यवस्था है। विभिन्न राज्यों में अधिनियम का क्षेत्र, हित-लाभ पाने की शर्तें, हित-लाभ की दरें आदि अलग अलग निश्चित की गईं।

मातृत्व हित लाभ में विभिन्नता दूर करके एकलूपता लाने के लिए केंद्रीय सरकार ने 1961 में मातृत्व हित लाभ एकट पास किया। 1972 में इस अधिनियम में कुछ सशोधन भी किए गए हैं। यह अधिनियम फैक्ट्री अधिनियम, खान अधिनियम व बागान अधिनियम के अतर्गत आने वाले उन समस्त सम्बन्धों पर लागू होता है जो कर्मचारी बीमा योजना के अतर्गत नहीं आते। यह अधिनियम 1961 से खानों में लागू हुआ। यह अधिनियम जब लागू हुआ तो इसमें खान मातृत्व हित अधिनियम 1941 व बवई मातृत्व हित अधिनियम 1939 को निरस्त कर दिया गया जो केंद्रशासित दिल्ली में लागू हुआ था।

यहाँ यह ध्यान दने योग्य है कि जिन क्षेत्रों में बननारी राज्य बीमा अधिनियम लागू हैं वहाँ सेवायोजकों को मातृत्व हित-लाभ के दायित्वों से भुक्त कर दिया गया है।

मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं।

योग्यता काल एक स्त्री अधिक 160 दिन से अधिक कार्य करने पर मातृत्व हित-लाभ पाने की अधिकारिणी हो जाती है। यदि 160 दिन की सेवा का अधिनियम उन महिलाओं पर लागू नहीं होता जो आसाम में अन्य जगहों से आई हैं तथा आने के समय गर्भवती थीं।

लाभ की अवधि - हित लाभ मिलने की अवधि 12 मप्ताह है यानी 6 हफ्ते प्रमध के दिन तक तथा 6 हप्ते प्रसव दिन के बाद।

लाभ राशि की दर छह टी के समय में स्त्री अधिक को पिछले 6 सप्ताह की मजदूरी के औसत के बराबर बेतन दिया जाता है। यदि सेवायोजकों द्वारा स्त्री-अधिक

को बच्चा पैदा होने के असर नि शुल्क चिकित्सा सुविधाएं न दी गई हो तो उसे 25 रुपया डाकटरी दोनों भी दिया जाता है।

अतिरिक्त लाभ कुछ राज्यों में अतिरिक्त लाभ जैसे नि शुल्क चिकित्सा सहायता, मातृत्व बोनस, बच्चों के लिए झूलों की व्यवस्था तथा अतिरिक्त आगाम वे घटे आदि की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

सुरक्षा दण्ड एवं प्रशासन गर्भवती कर्मचारियों के हितों नी रक्खा करने हेतु केंद्रीय व राज्य अधिनियमों में इनको नौकरी में न हटाने के लिए प्रावधान बनाए रए हैं। किसी भी स्त्री-श्रमिक को गर्भ रह जाने पर अपना मातृत्व अवकाश के दौरान काम से अलग नहीं किया जा सकता। बच्चा पैदा होने भ पूर्व व बाद में स्त्री-श्रमिक से कठोर वापस नहीं कराया जा सकता। राज्यों में प्रशासन के लिए कारखाना निरीक्षक उनर-दायी है।

1961 के मातृत्व हित लाभ अधिनियम को 1972 में समोधित किया गया और उसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी कारखाने या संस्थान में कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम 1948 लागू होता तो भी स्त्री कर्मचारियों को मातृत्व हित-लाभ अधिनियम के प्रसव काल सबधी लाभ तब तक मिलते रहेंगे जब तक कि वे कर्म-चारी राज्य वीमा अधिनियम के अतिरिक्त इसी प्रकार के लाभ की अपिकारणी नहीं हो जाएंगी।

आलोचनात्मक मूल्यांकन नि सदेह मातृत्व हित लाभ सबधी अधिनियम से देश की स्त्री-श्रमिकों को बहुत लाभ पढ़वा है। किर भी इनमें कुछ आधारभूत दोष होने के कारण इनका आन्तरिक लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है—

1. मालिक पर ही हित-लाभ देने का सपूर्ण उत्तरदायित्व होने के कारण वह ऐसा प्रयत्न करते हैं जिससे कि उन्हें यह हित-लाभ न देना पड़े।

2. इम अधिनियम में योग्यता कानून बहुत अधिक और हित-लाभ की राशि बहुत कम है। आजकल की महगाई आदि को देखते हुए हित-लाभ की रकम इतनी बढ़ा देनी चाहिए जिससे कुछ वास्तविक लाभ माताओं को प्राप्त हो।

3. अधिकतर महिला कर्मचारी निम्नलिखित कानून में सबधित आवश्यक-ताओं की जानकारी के अभाव में उन्हें पूरा करने में कठिनाई का अनुभव करती हैं—
(अ) समयानुसार सशायोजक तो नोटिस देना, (ब) मान्यता सबधी मेवा-कानून पूरा करना, (स) प्रसव काल वे 4 हप्ते बाद नौकरी पर आ जाना, व (द) लाभों को प्राप्त करने के लिए जन्म वा प्रमाणपत्र प्राप्त करना।

4. अधिनियम का पालन उचित दण्ड से हो रहा है या नहीं, इस सबष में पर्याप्त निरीक्षण का अभाव है। यद्यपि शाही थम आयोग ने यह रिफारिश की थी कि अधिनियम का प्रयोग समयानुसार सशायोजक तो नोटिस देना चाहिए, परतु अधिकतर राज्यों में अभी तब इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

उपरोक्त दोषों को हट करने के लिए कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम 1948 म मातृत्व हित-लाभ वे कुछ प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। आशा है समस्त

देश में लागू होने के उपरात यह सब राज्यों में मातृत्व हित-लाभ सबधी अधिनियमों में एक है प्रता ताकर वर्तमान में प्रचलित दोषों को दूर कर देगा।

5 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (Employees State Insurance Act 1948)

भारत में सामाजिक बीमा की दिशा में यह प्रथम प्रयास कहा जा सकता है। यह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम प्र० ० बी० पी० अदरकर द्वारा 1944 में प्रस्तुत प्रयोग की दिशा पर विशेष विचार करने के लिए अतराष्ट्रीय कार्यालय के दो विशेषज्ञ सर्वेश्वरी एम० स्टेक तथा आर० राव को आमतित किया। उनकी सिफारिशों के आधार पर 6 नवम्बर, 1946 को एक विल प्रस्तुत किया जो अप्रैल, 1948 में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के रूप में पास हुआ।

अधिनियम का क्षेत्र : यह अधिनियम पूरे देश में प्रभावशाली है। यह अधिनियम उन समस्त कर्मचारियों पर लागू होता है जिसका मासिक वेतन 1,000 रु० से अधिक नहीं है और जो ऐसे चिरस्थायी कारखानों में लगे हए हैं जिनमें विद्युत शक्ति का प्रयोग होता है तथा जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं।

राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा नियम से परामर्श करके तथा भारत सरकार की अनुमति लेकर किसी भी उद्योग, वाणिज्य, कृषि अथवा अन्य दूसरे सम्बन्धान में इसे लागू कर सकते हैं।

प्रशासन : इस योजना का प्रशासन कर्मचारी राज्य बीमा नियम द्वारा किया जाता है। इसमें कर्मचारियों व मालिकों, केंद्रीय व राज्य सरकारों तथा लोक सभा व डाक्टर पेशे के कुल मिलाकर 39 प्रतिनिधि सदस्य हैं।

नियम के कार्य चलाने के लिए एक स्थायी समिति है। इसके सदस्य नियम के कर्मचारियों में से चुने जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक तीसरी सम्पत्ति निकित्सा लाभ परियद् भी होती है जोकि चिकित्सा हित-लाभ सबधी विषयों पर नियम को परामर्श देती है। नियम का प्रमुख कार्यवाहक महासचालक होता है जिसकी संहायता 4 मुख्य अधिकारी करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र में स्थानीय समितियां स्थापित की गई हैं, जहां योजना चल रही है या चलने की सभावना है। इन स्थानीय समितियों का नियमण भी सभी वर्ग के प्रतिनिधियों को मिलाकर किया जाता है।

वित्त व्यवस्था इस योजना की वित्त व्यवस्था कर्मचारी राज्य बीमा काप में होती है। इस कोप का नियमण श्रमिकों व सेवायोजकों के अशदान, केंद्रीय व राज्य सरकारों के अनुदान तथा स्थानीय सत्ता, व्यक्तियों या सम्पत्तियों के दान व उपहार से होता है। राज्य सरकार विभिन्न व्यक्तियों की देखभाल और चिकित्सा पर होने वाले व्यय का कुछ भाग देती है। आजकल नियम और राज्य सरकार के बीच इसका अनुपात तीन और एक है परतु जिस तिथि से परिवारों को भी चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाने लगी है, अब घटाकर 1/8 कर दिया गया है।

अशदान • बीमा कोष में अशदान करने के लिए कर्मचारियों को 9 श्रेणियों में वाटा गया है। अशदान निम्नलिखित तालिका के अनुसार होते हैं—

सारिणी 2 साप्ताहिक अशदान

क्रम	वेतन क्रम में कर्मचारी (दिनिक मजदूर)	कर्मचारी का अशदान	उद्धोगपतियों का		घोग
			रु० पै०	रु० पै०	
1	1 रु० से कम	शून्य	0 45	0 45	
2.	1 रु० से 1 50	शून्य	0 45	0 45	
3	1 50 से 2 50	0 25	0 50	0 75	
4	2 00 से 3 00	0 40	0 80	1 20	
5	3 00 से 4 00	0 50	1 00	1 50	
6	4 00 से 6 00	0 70	1 40	2 10	
7	6 00 से 8 00	0 95	0 90	2 85	
8	8 00 से 15 00	1 25	2 50	3 75	
9	15 रु० से अधिक	1 75	3 50	4 25	

1951 में एक संगठन के हारा यह नियम बनाया गया कि सेवायोजक उपरोक्त तालिका के तीसरे कालम के अनुसार अशदान न देवर पूरे मजदूरी विस का एक निश्चित भाग अपने अशदान के रूप में देंगे। मजदूरी ने आधार पर वर्गीकृत कर्मचारियों के अशदान की चालू दर उनकी मजदूरी की लगभग $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत आती है। जिन क्षत्रों में योजना कार्यान्वयित हुई है उनमें मदायोजकों के विशेष अशदान मजदूरी की $2\frac{1}{2}\%$ है।

कर्मचारियों की बटोनी प्रति मध्याह्न होती है। यदि वे नियमित छुट्टी पार हो या वैध हड्डताल पर हो अथवा उच्चोग में नामांवदी हो तो भी वह गति कटती है, यदि इस समय का पूण या आविक वेतन उनको मिलना है।

हित लाभ कर्मचारी गत्य बीमा के अंतर्गत 5 साभ प्रदान किए जाते हैं। पचदीप शब्द इन पाच लाभों का द्यात्रक है जिनमें से 4 लाभ अर्थात् बीमारी हित लाभ मातृत्व हित लाभ, असमयता हित लाभ और वात्रत हित लाभ नगदी में प्रदान किए जाते हैं और पाचवा लाभ जर्षन चिकित्सा हित लाभ पैर मोर्फिक रूप में प्रदान किया जाता है।

1 बीमारी हित-लाभ बीमा कराने वाला कर्मचारी बीमार पड़ता है तो उस नकद सहायता दी जाती है। वर्ष के 365 दिनों से यह लाभ अधिक से अधिक 96 दिन तक लिए प्रदान किया जा सकता है। लाभ की प्रतीक्षित दर असेत प्रतिदिन मनदूरी की लगभग आधे के बराबर होती है। यह लाभ उसी वर्ष में प्राप्त होगा जबकि रागी का इलाज निगम ने निर्दिष्ट चिकित्सा सम्पादन में हो रहा हो। कुछ विशेष रोगों में जैसे दीप, कुण्ठ, कंसर या मानसिक रोगों में 309 दिनों तक की सहायता दी जा सकती है।

इस विशेष लाभ को Extended Sickness Benefit कहते हैं।

2 मातृत्व हित-लाभ यह स्त्री-अमिका को गर्भवती होने की स्थिति में दिया जाता है। यह हित-लाभ वर्म में कम 12 मप्ताह तक (6 सप्ताह बच्चा पैदा होने से पूर्व और 6 नप्ताह बाद म) दिया जाता है। नहायता की दर 75 पैसे प्रतिदिन अधिक वीमारी सहायता का दुगुना, जो अधिक हो, दिया जाता है।

3 असमर्यंता हित-लाभ अधिनियम के अतर्गत असमर्यंता हित-लाभ निम्न-निखित तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है—

(अ) अस्थायी असमर्यंता यदि असमर्यंता अस्थायी है तो असमर्यंता की अवधि ग पूर्ण मजदूरी की दर में लाभ दिया जाता है।

(ब) स्थायी आशिक असमर्यंता यदि असमर्यंता स्थायी है परतु आशिक है तो जीवन-भर क्षणिपूर्ण कर्मचारी क्षणि नियम की घारा 4 के अतर्गत मान्य प्रतिशत के हिसाब म दी जाती है।

(स) स्थायी पूर्ण असमर्यंता जीवन पर्यंत रहन वाली असमर्यंता में पूरी दर से जीवन-भर सहायता दी जाती है।

4 आधित हित-लाभ यदि किसी वीमित कर्मचारी की काम के समय में दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु हो जाती है तो उसके आधितो को पेशन प्राप्ति होती है। आधिता म आशय उसकी विधव ५ ती वैधानिक पुत्रों और वैधानिक और अविवाहित पुत्रियों से है। यह पेशन निम्ननिखित दरों से सामयिक मुगतान के रूप मे दी जाती है।

(क) कर्मचारी की विधवा मृती के लिए उसके जीवन-पर्यंत अथवा पुनर्विवाह कर नैने तक पूर्ण दर का ३/५वा भाग दिया जाता है।

(ब) मृत कर्मचारी के प्रत्येक पुत्र के लिए १८ वर्ष की आयु तक २/५वा भाग दिया जाएगा तथा उसकी प्रत्येक अविवाहित पुत्री को १८ वर्ष की आयु तक या शादी होने तक पूर्ण दर का २/५वा भाग दिया जाएगा।

यदि मृतक के पुत्र या विधवा न हो तो यह लाभ उसके माता-पिता अथवा दादा-दादी को अथवा अन्य किसी आधित को कर्मचारी राज्य वीमा न्यायालय द्वारा निश्चित की गई दर मे प्रदान किया जाएगा। मृत्यु की स्थिति मे १०० रु० अतिम सस्कार के लिए दिया जाता है।

5 चिकित्सा हित-लाभ वीमित कर्मचारी या परिवार के सदस्यों को नियम द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा का लाभ उठाने का अधिकार होता है। नियम द्वारा औषधालय अस्पताल तथा डाकगों की व्यवस्था की गई है जिनके द्वारा मरीजों का नि शुल्क इलाज होता है। चिकित्सा लाभ या तो चिकित्सा केंद्र पर इलाज के रूप मे या इश्योरेंग मेडिकल प्रेक्टिशनरी द्वारा अपने कर्तीनिको पर प्रदान वी जाती है अथवा कर्मचारियों वे घरों पर जाकर डाक्टर प सुविधाएं प्रदान करते हैं अथवा कर्मचारियों को अस्पतालों मे भर्ती करके उनकी चिकित्सा की जाती है। क्षय रोगी की वीमारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अस्पताल म प्रति 1000 वीमित अमिको पर क्षय रोग के लिए विस्तर वी व्यवस्था है।

6 विविध लाभ : अधिनियम में इन लाभों के अतिरिक्त कुछ अन्य छोटे़-मोटे लाभों का भी प्रावधान है, जैसे (अ) यदि बीमित कर्मचारी को विसी चिकित्सा थोड़े में दिखाने के लिए जाना पड़ता है तो उस यात्रा व्यय पा मजदूरी का नुकसान (अथवा दोनों) दिए जाते हैं। (ब) निगम के व्यय में नकद लाभों नो मनीशार्डर द्वारा भेजा जाता है। (स) बिना लाभ के लिए चश्मे दिए जाते हैं। (द) पेशे सदबी बोट में यदि आखों को नुकसान हो तो मुफ्त चश्मे प्रदान किए जाते हैं। (स) यदि काम करते समय दात टूट जाए तो नकली दात निगम के व्यय पर लगाए जाते हैं।

31 दिसम्बर, 1979 को 83 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल और 39 उप-अस्पताल वे जिनमें विस्तरों की संख्या 17,665 थी और बीमावालयों की संख्या 1,117 थी। एक जनवरी, 1982 तक इस योजना को 64 30 लाख कर्मचारियों तक पहुंचाया गया।

निगम को बर्नमान वार्षिक आय जोकि मुख्य हृष में अदानों ने प्राप्त होती है, लगभग 20 करोड़ है। योजना के निरतर विकास प्रगति की तीव्र गति प्रदान किए जाने वाले लाभों की भाँता में बृद्धि ने पिछले वर्षों में आय और व्यय के अतर को बहुत निवट ला दिया है। नि सदेह इस योजना ने कर्मचारी वर्ग की न्यूनतम सामाजिक आकर्षकता के विरुद्ध सरकार प्रदान करने का अच्छा प्रयास किया है। यह बात माननी पड़ेगी कि इस योजना ने औद्योगिक श्रमिकों की आय में सहायता करके निकित्सा सुविधाएं जुटाकर काफी गत्त्वपूर्ण काग किया है। इस योजना का नेतृत्व और वैज्ञानिक पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। विसी बीमित व्यक्ति को कोई कठन होता है तो अब उसके काट निवारण में सहायता करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना है जिसमें उमस्का सबधू है।

अधिनियम की कार्य-प्रणाली की आलोचनात्मक समीक्षा

1 राजनीति का प्रभाव इस योजना का प्रयासन कर्मचारी राज्य बीमा निगम को लोपा गया है जोकि पूर्णतया स्वतन्त्र सम्या नहीं है। प्रयासन निर्देश और विधियाँ के कार्यान्वयन में निगम को केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार के साथ मिलकर काय करना पड़ता है। इसलिए यह सदेह किया जाता है कि निगम की स्वतन्त्र कार्य-प्रणाली राजनीति में मवधित है।

2 सीमित धोत्र यह योजना कृपक श्रमिक और ऐसे श्रमिक जो ऐसी फैसिलिटी में काम करते हैं, जिनमें विशुल शक्ति का प्रयोग नहीं होता लागू नहीं होती। यद्यपि राज्य सरकारों को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वे निगम से गरामश करके काय क्षेत्र बढ़ा सकती हैं परन्तु व्यवहार में यह देखने को मिला है कि राज्य सरकार एक नहीं करती।

3 कर्मचारियों की आपत्ति कर्मचारियों का एक बग इस योजना में गिरो गतुप्त नहीं है क्योंकि (अ) यदि बीमारी की अवधि 7 दिन से लंग होती है तो इस योजने के अन्यत उम्ह लाभ नहीं प्राप्त होता। इसका अर्थ यह है कि यदि एक कर्मचारी 6 दिन तक निए बीमार है तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता और इसके विपरीत एक कर्मचारी जो

8 दिन के सिए बीमार हैं उसे पूरा लाभ प्राप्त होता है। (ब) योजना के परिवार के सदस्यों को लाभ प्राप्त नहीं होता है। परंपरागत व्यवित के परिवार के लोगों ने तिए चिकित्सा सुरक्षाओं वा भाग्योजन हे परतु चाहे किसी वीं हालत कितनी ही गम्भीर व्योजन हो, कमचारी राज्य बीमा निगम का डाक्टर बीमित व्यवित के परिवार को पर जाकर नहीं देखता। (स) अधिकाश केंद्रों पर जो चिकित्सा-सहायता प्रदान वीं जाती है यह अपर्याप्त है। (द) श्रमिकों का यह भी कहना है कि निराम के दार्थों पर उनका यूनतम नियन्त्रण है। (म) यदि कोई सवाल नक कमचारी के अवशाल का मुगलाल निगम को नहीं करता है तो कमचारी आनी गलती के बिना ही लाभ स व्यवित रह जाता है। इसके अतर्गत वेरोजगानी, वृद्धावस्था आदि जैसी जोखिमों से सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है।

4 राज्य सरकार का मद उत्साह योजना के लिए नियमित रूप से राज्य, सेवायोजकों और कमचारियों ने त्रिपक्षीय अवशाल प्रदान होना चाहिए। परतु राज्य को वैद्यन चदा या दान ही देना पड़ता है। कौची लागतों के कारण राज्य सरकार ने भी इस योजना म उत्साह नहीं दिखाया है। अत यह सदिग्द है कि बिना राज्य के योगदान के यह योजना सुदृढ रूप से कार्य कर सकेगी।

5 सेवायोजकों के सहयोग का अभाव इस अधिनियम के क्रियान्वयन मे सबा योजकों ने पूर्ण सहयोग प्रदान नहीं किया है। उनकी ओर से यह आपति उठाई जाती है कि एक तो इस योजना के कार्यान्वयन स उनके खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और दूसरे उन्हे श्रमिकों वा चदा वसूल करने से बहुत कठिनाई होती है और साथ ही इससे उनका प्रशासनिक उनरदायित्व और भी अधिक हो गया है।

6 भट्टाचार बीमा दवाखानों और डाक्टरों से भट्टाचार की भी गिरोट मिनती है कि वे न तो रोगियों को ठीक से देखते हैं और न ही उचित दवाईया की व्यवस्था करते हैं। बीमती दवाईया, इजेक्शन आदि किस खाते मे चले जाते हैं यह ईश्वर ही जानता है। कम्भी-कभी कमचारी राज्य बीमा निगम के डाक्टर द्वारा गलत महिकल मर्टिकेट दे दिए जाते हैं जिसमे सामाजिक लाभ प्रदान किए जान का सारा उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

7 दोषपूर्ण सचालन कमचारी राज्य बीमा योजना को सामाजिक कल्याण के रूप मे न चलाकर किमी भरकारी विभाग की तरह चलाया जाता है। फार इस मर्ग सामाजिक कल्याण योजना के पीछे जो उद्देश्य है वह प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

8 श्रमिक वर्ग की अशिक्षितता यद्यपि इस योजना का काय क्षेत्र सीमित है तथा, अन्य प्रगतिशील देशों की तरह हमारे देश मे राष्ट्रपापी सामाजिक बीमा योजना भी कोई व्यवस्था नहीं है किर भी जिन क्षेत्रों मे इस योजना को लागू किया गया है वहाँ श्रमिक अपनी अशिक्षितता के कारण इस योजना के महत्व को पूर्ण रूप से न तो समर्पते ही है और न इसके नियमों के अनुसार लाभ पाने की मांग ही करते हैं।

सन 1963 मे भारत सरकार ने एक ममीका समिति की स्थापना दी थी जिसका कार्य निगम के दार्थों का मूल्याकन दराया था। इसका प्रतियेदन फरवरी 1966

भारत में सामाजिक नुस्खा

म प्रस्तुत किया गया। इस समिति ने यद्यपि निगम की उपलब्धिया की प्रशंसा की है परन्तु दृष्टि में दुनिया भी चढ़ाई है। समिति ने 170 सूचाव दिए हैं जो इसके काम प्राप्तकर्त्ता लाभ का वर्तवारा करते प्राप्ति से संबंधित हैं। उनमें से अधिकाराओं को निगम न स्वीकार दर लिया है।

निगम अधिनियम के अनुगत क्षमताय वाड़ों की स्थापना नहीं है, बल्कि उनमें से दूरा नार उद्योगपतियों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए तथा प्रोड के अक्ष ना चढ़ाए भी कम से होना चाहिए। वस्ताव मजब्ता गरकार और उद्योगपतियों के प्रति निपिना मन में वारी दानी चुना जाना चाहिए।

समीक्षा समिति का एक मत्त्वावधार है कि जहाँ निगम की वैदेशिक व्यवस्था ज्ञावण महिलाओं का नालेज भी खोने जा ने चाहिए। यदि निगम अस्पतालों में सामाजिक जनना के उपचार का भी ज्यवस्था की जाए तो समीक्षा समिति न सहमति दिलाएगी कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि वीमा बृत्त कमचारियों को कमजूदी न हो।

राष्ट्रीय श्रम योगों का कथन है कि महाराई को देवने हों, चार रूपये देनिक वापान वारी मजबूरों को अगदान में मुक्त किया जाए।

6 कमचारी परिवार पेंशन योजना 1971 (Employees Family Pension Scheme 1971) लोगोंगव श्रमिकों का आवश्यक मृत्यु की व्यवस्था में उनके परिवारों को दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा से यार्दि 1971 द्वारा घोषित गई है। (1) बोयला खान परिवार पेंशन योजना 1971 व (ii) कमचारी परिवार पेंशन योजना 1971। दो योजनाएँ उन कमचारियों के श्रमिकों पर लागू होती हैं जो बोयला खान भवित्व निधि एवं योजना अधिनियम 1970 व कमचारी भवित्व निधि अधिनियम 1972 के सदस्य हैं।

पूर्व परिवर्क मृत्यु के बारे में 69 वर्ष की आयु श्रावन में पूर्व ही किसी कागज मृत्यु हो जाने दूसरों के अनान्त लाभ मिलते हैं—(i) श्रमिक या कम शारीरी की मृत्यु पर 400 रुपये लेजर 1। 40 प्रति माह परिवर्तन पर 1000 रुपये दीवान वीमा राशि (ii) 60 वर्ष की आयु पर अवृत्ति श्रद्धण के रूप में 4000 रुपये लाभ नीं तक धनराशि (iii) 60 वर्ष की आयु होने पर नवीन निधि की राशि तिक जन नीं छठे। अवृत्ति राशि 1978 को इस योजना के अन्तर्न 1000 बोयला योजना + 678 लाख अवशाली थी।

7 रेल कमचारियों के लिए वीमा योजना। मन 1976-77 के रेलव बजट में रेल कमचारियों के लिए भरपूर निधि में जमाराणी पर में सबद्ध वीमा योजना प्रारंभ दर्ता की घोषणा की गई थी। इस योजना के अनुगत किसी भी रेल कमचारी की कम परम भवित्व की सेवा के द्वारा द्वारा जाने के दौरान मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी पर अनियन्त्रित राशि पाने के अनुग्रहित की गयी।

8 प्रेस्युटी भुगतान अधिनियम 1972 विमृत अध्ययन हेतु 'भारत में श्रम एवं नगर नामक व्यव्याय देखिए।

विक्रेता अधिनियम (Salesman Act) विक्रेता संबद्ध कमचारी (रोबर्सर

दशाए) अधिनियम 1976 [The Sales Promotion Employees (Condition Service) Act 1976] विभिन्न थम अधिनियमों के अतर्गत विक्रय 'सम्बद्धन' विद्याओं में सलग्न व्यवित्रयों को अनेक प्रकार की मुद्रिताएं प्रदान करता है। रोजगार दणाओं के नियमन के अतिरिक्त सेवा, सुरक्षा, ग्रन्तिम सजदूरी, मातृत्व लाभ, बोनस, फ्रेचुटी व क्षनिपृति का मुगलान, अवकाश की व्यवस्था आदि से सबधित थम अधिनियमों के लाभ भी इस अधिनियम द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह अधिनियम 6 मार्च 1976 से क्रियान्वित हुआ और वर्तमान समय में औषधि (Pharmaceutical) उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर लागू होता है।

9 औद्योगिक विवाद अधिनियम (Industrial Disputes Act 1947) इस अधिनियम के अधिन सेवायोजकों को जबरन छुट्टी या छटनी के लिए अतिपूर्ति देनी होती है। यह व्यवस्था कारखानों, स्वानों और वागानों पर लागू है। इसके अन्तर्गत 50 या इसमें अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को जबरन छुट्टी की अवधि में कुल देतन का आधा भाग देना होगा। छटनी की स्थिति में कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष की मेंदा के लिए 15 दिन का औसत देतन तथा एक महीने का देतन दिए जाने की व्यवस्था है।

10 कर्मचारी जमा संबंध बीमा योजना (Employees Deposit Linked Insurance Scheme) यह योजना। अगस्त 1976 से लागू की गई है जिसके अनुसार कर्मचारी वी मूल्य होने पर उसके उत्तराधिकारी वी भविष्य निधि की धनराशि के अनिरिक्त एक और धनराशि दी जायेगी जो पिछले तीन वर्षों में निधि में जमा औसत धनराशि के बराबर होगी लेकिन यह धनराशि 10,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम मुगलान 10,000 रुपए होगा लेकिन इसके लिए कर्मचारी वी कोई अवादान नहीं करना पड़ेगा।

31 दिसम्बर, 1982 तक योजना के अन्तर्गत मुगलान के 34,444 प्रार्थकों का फसला किया गया और 20.51 करोड़ रुपये प्रार्थियों को दिए गए।

11 कोषला खान भविष्य निधि जमा से सबधित बीमा योजना—यह योजना एक अगस्त 1976 से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारी की मूल्य पर उसके वारिस को भविष्य-निधि की धनराशि के अनिरिक्त बीमे वी धनराशि भी मिलती है। दीम वी धनराशि भविष्य निधि में पिछले तीन वर्षों में मजूर दीमन धनराशि के बराबर नहीं है। शर्त यह है कि औसत धनराशि 1,000 रुपये से कम न हो। दीम की धनराशि के रूप में अधिकतम 10,000 रुपये का मुगलान होता है। दीमे के लिए कर्मचारी वी कोई अवादा नहीं देना पड़ता। बीमा राशि का मुगलान और वी 11 प्रार्थना चलाने के बचं दो दो तिहाई प्रबंधक मालिक देते हैं और एक नियाई कोंड्र सरकार नहीं है। 31 दिसम्बर 1978 तक 17 दावों का मुगलान किया गया। जिनमें 727 लाख 292 की अदायी की गई।

भारत में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था भी निशेषनाएं (Characteristics of The Social Security System in India)

उपर्युक्त वर्णित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जध्यरन के आधार पर भारतीय

सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की निम्नांकित विद्येयताएँ स्पष्ट हैं—

- (i) स्वतंत्रता के पश्चात् देश में सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं में तेजी से वृद्धि हुई है।
- (ii) कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि योजनाएँ देश की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ हैं।
- (iii) सरकार के द्वारा इन योजनाओं हेतु किसी प्रकार का अशादान नहीं दिया जाता। सरकार अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि, पेन्सन योजनाएँ एवं डाकटरी देखभाल पर अवश्य ही राशि व्यय करती है।
- (iv) पगडिल क्षेत्रों में कार्य करने वाले औद्योगिक श्रमिकों को ही इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अतिरिक्त सम्मानिति विधा जा रखा है।
- (v) समठिल क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिक अनी भी अनेक सुरक्षा योजनाओं के सामने से वचित हैं।

भारत में किए गए सामाजिक मुरक्षा कार्यों की आलोचनाएँ

यद्यपि भारत में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में साराहनीय काय विद्या गता है किन्तु फिर भी वर्तमान योजनाओं तथा अधिनियमों वी अप्रतिलिखित वाधार पर वट्ठ दबो में आलोचनाएँ की जाती हैं—

- (i) भारत एक हृषि प्रधान देश है। हमारी जनसंख्या पर 75 फीसदी से भी अधिक भाग प्रत्यक्ष हृप में धध में लगा हजा है किन्तु फिर भी यह अत्यन्त आश्चर्य का विषय है कि सामाजिक सुरक्षा की प्रत्येक यात्रा में शेतिहर भ्रमिक को दाखिल नहीं किया रखा है। वास्तविकता यह है कि अत्य उद्योग में लगे श्रमिकों री दशा अत्यन्त शोकनीय है।
- (ii) बेरोजगारी लाभ की जोई व्यवस्था नहीं है।
- (iii) चिनियां का वहूत ही अपर्याप्त प्रबल है।
- (iv) य लाभ कुछ स्थानों के विशेष प्रकार के श्रमिकों को ही मिलते हैं।
- (v) बीमारी लाभ वहूत ही अल्प काल के वास्त है।
- (vi) योजना गो का वहूत सा काय फाइलो तब ही सीमित है।
- (vii) निवाद का निपटारा करने में वहूत देरी लगती है।
- (viii) नागरिकादाही जोगे पर है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव

(The Necessary Suggestions For Making Social Security Schemes More Effective)

नातीय दरिद्रिताया को देखते हुए एक विस्तृत गार्भीय सुरक्षा योजना बनायी जानी चाहिए। इस योजना का तिर्यक करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाना

—गतिः—

- (i) सामाजिक सुरक्षा का सम्पूर्ण प्रधानत विकेन्द्रित किया जाना चाहिए। कुछ वैद्रीय से बार द्वारा कुछ राज्य सरकार द्वारा एवं इन समाज द्वारा प्राप्त सत रिया जाना चाहिए।
- (ii) गार्ज की मवारीण चिकित्सा सवालों का पुनर्संगठन किया जाना चाहिए।
- (iii) सभी नागरिकों को आप की सुरक्षा का गारंटी दी जानी चाहिए।
- (iv) सभी यामार्जिक भौजों कार्यालयों में सामाजिक सहायता योजनाओं एवं सामाजिक सुरक्षा विधान में सम्बन्ध हाना चाहिए तथा एक ही स्थान पर एक ही नामीहूँ है ना चाहिए।
- (v) योजनाएँ ऐसी होनी चाहिए जिनमें कि कभी जीवन निवाह वर सके और आवश्यकता एवं सकर्तव समय महायाता कर सके।
- (vi) पारिरक्षिक नीति में मदद वरने के लिए प्रत्यक्ष स्थान पर परिवार कल्याण कार्ड स्थापित किया जाने चाहिए।

उपर्युक्त निर्देशों के अतिरिक्त निम्नादित मुद्दाओं पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है—

- (i) भारत में दरिद्रता का हमेशा के बास्ते दूर भयान के लिए सतिहर श्रमिकों द्वारा भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सदृश्य बनाना आवश्यक है।
- (ii) न्यूनतम मजदूरी नीति शीघ्र में जीघ्र अपनायी जाय। न्यूनतम मजदूरी की मात्रा निश्चिन बरते समय उस वास का विशेष ध्यान रखा जाय कि कम में कम प्राया श्रमिक भी आवश्यकताभी वीर्य सुनिश्चित ही हो जाय।
- (iii) दत्तमान सामाजिक सुरक्षा की समस्त योजनाओं में सम्बन्ध हाना चाहिए।
- (iv) सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का कार्यान्वयन करते समय अतराष्ट्रीय श्रम संघ की मवारी प्राप्त वीर्य जानी चाहिए।

मैत्रन समिति की सिफारिशों—दसम्बद्ध 1958 में श्री वीरो वीरो मैत्रन की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई थी। समिति ने भारत में सामाजिक सुरक्षा हेतु निम्न मुद्दाओं प्रस्तुत किया—

- (i) दत्तमान श्रमिक प्राविडण्ड पण्ड योजनाओं को एक वैधानिक पक्षा योजना में परिणित किया जाय। इसमें ग्रेचुयटी भी जटिल विधान जाय।
- (ii) श्रमिक राज्य वीमा योजना के अन्तर्गत मिलन वाले लाभों में दृढ़ि की जाय।
- (iii) श्रमिक राज्य वीमा योजना तथा श्रमिक प्रोवडेंस फण्ड योजना को मिला कर दोनों का प्रादानासनिक उत्तरदायित्व सभालने के लिए कवल एक वैद्रीय संस्था की स्थापना की जाय।
- (iv) देशभरारी सामर शुल्क लिये जाय।

(v) चंदे की दर 6.25% से बढ़ाकर 8.33 कर दी जाय।

परीक्षा-प्रश्न

- 1 1948 के कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की मुख्य व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। विभिन्न केंद्रों पर इसकी व्यावहारिकता में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?

अथवा

1948 के राज्य बीमा अधिनियम के अतर्गत आए व्यक्ति के लिए कौन-कौन-सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? अधिनियम की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।

अथवा

भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का सक्षिप्त विवरण दीजिए। इसकी मुख्य सीमाएं कौन-कौन सी हैं?

अथवा

उन विभिन्न सविधाओं का आलोचनात्मक विवरण दीजिए जो 1948 के कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अतर्गत हैं।

अथवा

भारत में नागू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना की गुह्य विशेषताओं का निर्देशन कीजिए। औद्योगिक श्रमिक के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता के सबध में इसकी सामर्थ्य का वर्णन कीजिए।

- 2 व्यक्तिगत कर्मचारियों के लिए सामाजिक बीमा योजनाओं के महत्व का वर्णन कीजिए। इस और भारत सरकार द्वारा उठाए गए पर्याप्ति का उल्लेख कीजिए।

अथवा

भारत में सामाजिक दोमं को मुश्किल से जनिशयोक्ति कहा जा सकता है। पूर्णतया समष्ट कीजिए कि राज्य बीमा अधिनियम भारत में सामाजिक सुधार का एक विशिष्ट पर्याप्ति है।

- 3 स्त्री-श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ योजना की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
 4 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। क्या आप इसे मामाजिङ सुरक्षा की पर्याप्ति व्यवस्था मानते हैं?

- 5 निम्नलिखित पर सक्षिप्त उत्तरणी लिखिए:

(अ) कर्मचारी भविध्य निधि अधिनियम।

(ब) श्रमिक धनियोति अधिनियम।

(स) देरोजगारी अधिनियम।

- 6 भारत में सामाजिक सुरक्षा दो दृष्टि से चलाई गई विभिन्न योजनाओं का उत्सेष कीजिए। इस सबध में ही प्रगति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

- 7 'एक अद्विक्षित देश अपने आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में पुनर्वितरण प्रयासों, जिनको विकसित देशों में सामाजिक सुरक्षा के नाम से जाना जाता है, के बारे में अधिक व्याप सहृन नहीं कर सकता।' इस कथग की विवेचना कीजिए।

अध्याय 16

विदेशों में सामाजिक सुरक्षा (Social Security Abroad)

1. ग्रेट ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा (Social Security in Great Britain)

ग्रेट ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था काफी समय से विद्यमान रही है। मध्यकालीन युग में धार्मिक मठों के द्वारा निराश्रित व्यक्तियों को सहायता दी जाती थी। परतु जब उन मठों का उन्मूलन हुआ तो यह काम राज्य को अपने ऊपर लेना पड़ा। अतः एक निर्धन कानून पास किया गया। महारानी एलिजाबेथ के शासन में निर्धनों को सहायता देने के लिए व्यवस्थित अधिनियम बनाए गए। सन् 1601 में निर्धन सहायता कानून पास किया गया। सन् 1834 तक इस अधिनियम के अतर्गत गरीबों को सहायता प्रदान की जाती रही। सन् 1834 में इसमें सुधार किया गया। इस सुधार के अतर्गत एक सेंट्रल बोर्ड बॉर्फ पुश्पर ला कमिशनर्स बनाया गया, जोकि निर्धनता अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। सरकार ने कार्य करने में समर्थ लोगों के लिए कर्म-शालाओं का निर्माण किया और उन्हें सहायता दी। सन् 1848 में सहायता कार्य के निरीक्षण के लिए 'पुमर ला बोर्ड की' स्थापना की गई। यह बोर्ड सन् 1871 तक चलता रहा। इसके पश्चात् इसका स्थान लोकल गवर्नर्मेट बोर्ड ने ले लिया जो 1919 तक चलता रहा। सन् 1919 में सरकार ने श्रम मत्तालय बनाया जिसने 'लोक सहायता प्रशासन' का कार्य स्वयं ले लिया। सन् 1929 में स्थानीय सरकार अधिनियम बनाया गया। इसने निर्धनता अधिनियम का एक नया ढाँचा आरभ किया। इस अधिनियम के अतर्गत निर्धनता अधिनियम प्रशासन का कार्य कॉउटटी काउसिल और कॉउटटी बोरो काउसिल्स के मुप्रदं कर दिया गया। इन्हें लोक सहायता समितियों के द्वारा कार्य करना था। इस प्रकार इस अधिनियम के अतर्गत निर्धनता कानून का प्रशासन स्थानीय जिलों का उत्तरदायित्व बन गया।

सन् 1907 में अनिवार्य राजकीय बीमा बेरोजगारी के विरुद्ध बनाया गया। सन् 1920 में यह योजना सभी सार्वजनिक श्रम करने वाले और गैर-शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों के लिए बढ़ा दी गई जिनकी वार्षिक आय 250 पौंड नहीं थी। सन् 1931 में राष्ट्रीय दबत अधिनियम के अतर्गत बेरोजगारी बीमा मोगदान को बढ़ा दिया गया था।

सन् 1911 में एक अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा की योजना बनाई गई जोकि पदों पर आधारित थी। इस योजना में वे सभी व्यक्ति शामिल थे जिनकी आय 16 वर्ष से 65 वर्ष के बीच थी और जिनकी आय 250 पौंड में कम थी।

सन् 1908 में बृद्धावस्था पेंशन योजना को लागू किया गया। इस योजना के अधिनियम में सन् 1925, '29 और '37 में अनेक संशोधन किए गए।

सन् 1925 में विधवा माताओं व अनाथों के लिए एक योजना बनाई गई जोकि योगदान के सिद्धांतों पर आधारित थी।

सन् 1906 में अधिक क्षतिपूर्ति की योजना आरम्भ की गई। इस योजना के अत-गंत सेवायोजकों को अभिको की क्षतिपूर्ति करनी थी जो उन्हें रोजगार के दीरान किसी दुष्टेना या किसी बीमारी के फैल जाने से होती थी। सन् 1923 में इस अधिनियम में सुधार किया गया जिसमें इसका क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया।

सामाजिक सुरक्षा की देवरीज योजना

सन् 1941 में मरविलियम देवरीज को देश में प्रचलित सामाजिक वीमे और इससे सबंधित सेवाओं की योजनाओं का सर्वेक्षण करके अपने सुझाव पेश करने के लिए नियुक्त किया गया। दिसंबर 1942 में देवरीज ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की। इस रिपोर्ट को देवरीज रिपोर्ट का नाम दिया गया और इस रिपोर्ट को विभिन्न अधिनियम पास करके कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया है। वास्तव में इन्हें की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था देवरीज योजना के चारों ओर ही प्रभूती है।

योजना के आधारभूत सिद्धांत यह योजना निम्नलिखित 6 आधारभूत सिद्धांतों को लेकर बनाई गई है— 1. सामाजिक वीमे और सामाजिक सहायता की सभी विद्यमान योजनाओं का एकीकरण करना, 2. इस शक्ति के द्वारा योजना का नियन्त्रण करना, 3. चदे से इसके वित्त की व्यवस्था करना, 4. आय की हानि में समान हित लाभ प्रदान करना, चाहे इस प्रकार वी हानि का कुछ भी कारण रहा हो, 5. इसमें अभिको, मालिकों और राज्य से चदे लिए जाएंगे, और 6. चदों और हित लाभों को आय से स्वतंत्र नियंत्रित करना।

देवरीज योजना का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इस योजना ने प्रत्येक व्यक्ति को शामिल किया गया है। प्रशासन की सुविधा के लिये जनस्वास्थ्य को जीविका के आधार पर 6 भागों में वाटा गया है— 1. कर्मचारी, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, 2. मालिक और मजदूर व्यक्ति, जो लाभ के लिए काम कर रहे हो, 3. काम करने योग्य बायु की गृहिणियां जो किसी कमाने वाले रोजगार पर न लगी हो और जिनकी आय पेशन ही आयु में कम हो, 4. कार्य करने योग्य बायु वाले अन्य व्यक्ति जो रोजगार पर न लगे हो, 5. कार्य प्रोग्राम आयु से कम आयु के व्यक्ति अर्थात् 16 वर्ष से कम आयु के बालक; और 6. काम करने वी आयु से अधिक आयु वाले अनकाश प्राप्त व्यक्ति।

योजना में आठ प्रकार वी विभिन्न आपदाओं को सम्मिलित किया गया है— 1. देवरी, 2. असमर्पण, 3. बीमारी, 4. बृद्धावस्था, 5. जीविका की हानि, 6. वर्षों

का लच्चे, 7 दाह सस्कार का लच्चे, और 8 विवाहित स्त्रियों की आवश्यकता जैसे विवाह पर व्यय पति की कमाई का रुक जाना, मातृत्व पर व्यय, विधवा की पैशान सबध विच्छेद भत्ता इत्यादि।

चबे की दर इस योजना के अन्तर्गत चदे की दरें निम्नलिखित हैं—

सारिणी 1 • योगदान की दरें

	पुरुष शिलिंग	पैस	स्त्री शिलिंग	पैस
नियोजक द्वारा	3	3	3	6
नौकरी द्वारा	4	3	3	6
योग	7	6	6	12

लेकिन उपर लिखी चदे की दरें आयु के अनुसार बदलती रहती हैं। इस प्रकार सभी बीमित प्रक्रिया को अपनी आय मे से समान दर पर चदा देना होगा है।

योजना के अन्तर्गत हित लाभ योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित हित लाभों की व्यवस्था है।

1. गृहिणी को हित लाभ इसके अन्तर्गत विवाह के लिए 10 पौंड का लाभ मातृत्व हित के लिए 4 पौंड का हित लाभ। यथवा हित लाभ 36 शिलिंग के हिसाब मे 13 सप्ताह तक सरक्षणता हित लाभ 24 शिलिंग के हिसाब मे। यदि गृहिणी को बिना उमकी गलनी के तलाव मिला तो उस वैसे ही लाभ मिलेगा जैसा विधवा को मिलता है।

2. बेकारी और बीमारी हित लाभ बेकारी और बीमारी हित लाभ जिसकी दर अकेले प्रक्रिया के लिए 24 शि० प्रति सप्ताह और विवाहित युगल के लिए 40 शि० प्रति सप्ताह होगी।

3. दब्बों के लिए भत्ता इसके अन्तर्गत प्रत्येक परिवार मे प्रथम आर्थित बालक के घटियित हर ग्रन्तक को 8 शिलिंग प्रति सप्ताह भना दिया जाएगा चाहे उनके माता पिता की आय व मामाजिक स्थिति केमी भी हो।

4. असमयता की स्थिति मे 13 सप्ताह एक क्षतिपूति और घातक दुष्प्राप्ति की स्थिति मे आधितो को 100 पौंड की महायना।

5. प्रीढ की मृत्यु होने की दशा मे दाह सस्कार के लिए 20 पौंड की महायना।

6. बृद्धावस्था पैशान जिनकी दर अकेले प्रक्रिया वे लिए 24 शि० प्रति सप्ताह और विवाहित युगल के लिए 40 शि० प्रति सप्ताह होगी।

योजना की पात्रता-अवधि इस योजना ने अन्तर्गत पूरी दर पर लाभ पाने के लिए पात्रता अवधि निछले वर्ष 48 वर्षों की सह्या रखी गई। बेकारी और असमय हित लाभ की स्थिति मे किसी भी व्यक्ति को उस समय तक हित-लाभ नही मिलेगा जब तक

उसने 26 चदे न दे दिए हों।

प्रशासन और योजना का व्यय : बेवरीज ने प्रस्ताव रखा कि प्रशासन के लिए प्रशासनीय एकल्पन दायित्व एक सामाजिक बीमा राष्ट्र के साथ सामाजिक मत्तॊतय का हो। प्रारम्भ में सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया। परंतु अब एक अलग राष्ट्रीय बीमा मंत्रालय बना दिया गया है।

इस योजना पर सन् 1945 में 6,970 लाख पौंड के व्यय का अनुमान लगाया गया और सन् 1965 में 8,580 लाख पौंड का। वास्तविक जीमतों में जितना परिवर्तन होगा उसने हिसाब से इस व्यय में भी अधिकता या कमी हो जाएगी।

योजना का मूल्यांकन बेवरीज योजना एक व्यापक योजना है जो किसी व्यक्ति को जीवन की समस्त आभावित विपक्षियों से छुटकारा दिताने में सहायक सिद्ध हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को इस योजना द्वारा जीवन पर्यंत किसी-न-किसी रूप में सरक्षण मिलता रहता है और व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसके आश्रितों की भी रक्षा की व्यवस्था है। इस डॉक्योमें यह योजना एक उच्च उच्च कोटि की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजना का व्यय सहन करने में सामान्यतः असमर्थ रहते हैं। इस योजना का पूर्ण रूप से लागू करने में एक भय यह भी है कि यह योजना काम करने की प्रेरणा को कम कर सकती है। बेवरीज योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक नोन शिक्षित नहीं हो जाते और उनमें राष्ट्रीय प्रतिष्ठान और स्वाभिमान नहीं आ जाता। इन सब सीमाओं के होते हुए भी यह योजना कार्यकृतता बढ़ाएगी। उत्पादन बढ़ाने में सहायता होगी और वट्टी हुई जनसंख्या को नियन्त्रित करेगी।

इंग्लैंड में सामाजिक सुरक्षा की वर्तमान स्थिति

सन् 1942 में बेवरीज योजना के प्रकाशित होते ही सरकार ने इसके मुख्य मिळांतों को स्वीकार कर लिया और फिर उसे एक व्यावहारिक रूप देने के लिए अनेक अधिनियम पास किए जो कि निम्नलिखित हैं—

1. पारिवारिक भत्ता अधिनियम 1945 : इस अधिनियम के अतर्गत परिवार में प्रत्येक 15 वर्ष से कम आयु वाले बालक के लिए, सबसे बड़े बालक को छोड़कर, 5 शिलिंग प्रति सप्ताह है देने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन 1952 में पारिवारिक भत्ता और राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, पास, होने के पश्चात् यह दर बढ़ाकर 8 शिलिंग प्रति सप्ताह कर दी गई है। फिर सन् 1956 के एक ऐसे ही अधिनियम द्वारा इस भत्ते की दर तीमरे तथा उसके बाद के बच्चों के लिए प्रति सप्ताह 10 शिलिंग निर्दिष्ट दर दी गई है।

2. राष्ट्रीय बीमा अधिनियम 1946 यह अधिनियम 5 जुलाई मन् 1948 को लागू हुआ और सन् 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 और 1959 में इसमें अनेक संशोधन हुए। यह अधिनियम स्कूल जाने वाली आयु के सभी बच्चों पर लागू होता है। बीमित व्यक्तियों को मोटे तौर पर नीन बग्गों में बाटा गया है।

(क) रोजगार पर लगे हुए व्यक्ति (employed persons) अर्थात् वे व्यक्ति जो किसी नौकरी के समझीत के अतर्गत काम करते हैं।

(ख) स्वयं रोजगार करने वाले व्यक्ति (self-employed persons) अर्थात् वे व्यक्ति जो किसी लाभ के काम मे लगे हुए हैं लेकिन नौकरी के समझीते के अनुसार यहे नहीं हैं।

(ग) जो किसी रोजगार में नहीं लगे हुए हैं। (Non employed persons)

ये सभी वर्ग विभिन्न हित लाभों के निए निर्धारित दर से चदा देते हैं। राज्य भी एक निर्धारित दर के अनुसार इसमे चदा देता है। बेकारी, बीमारी या टुर्पटना या विद्या होने की स्थिति मे हित-लाभ पाते हुए चदा नहीं देता बड़ता।

इस अधिनियम के अतगत बेरोजगारी, बीमारी, मातृत्व व विद्या हितलाभ, रारक्षक भत्ता, नवकाश प्राप्ति की पेंशन और मृत्यु अनुदान की व्यवस्था है। प्रथम दर्ये के व्यक्तियों को सब लाभ मिलते हैं, द्वितीय वर्ग वे जोगो को वे रोजगारी और जीवोगिक दाति लाभ के अतिरिक्त अन्य लाभ लाभ उपलब्ध हैं और तृतीय वर्ग के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी मानूख हित बीमारी और जीवोगिक धति व अनिरिक्त भवस्त लाभ उपलब्ध हैं।

इन हितलाभों को प्राप्त करने के लिए दो शर्तें हैं—(अ) एक विशेष काल के लिए वर्ष-से-कम कुछ अवधान लाभ देने से पूर्व दिए जाए। (ब) पूर्ण दर लाभ प्राप्त करने मे लिए अवधानों की एक विशेष स्वत्या एक विशेष अवधि तक दी जानी चाहिए।

3 राष्ट्रीय बीमा (जीवोगिक चोट) अधिनियम 1946 थमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के स्थान पर जुलाई 1948 म इस ना अधिनियम को लागू कर दिया गया। इसके अतगत चोट हितलाभ अपगता हितलाभ और मृत्यु हितलाभ को सम्मिलित किया गया है। आधितों को भी हितलाभ देने की व्यवस्था है। साथ ही साथ व्यावसायिक दोगो भी अवस्था मे भी हितलाभ की व्यवस्था की गई है। धति लाभ किसी वयस्क के लिए 6 पौंड 15 शि० तथा दो पौंड 10 शितिग उसके आधित व लिए है। 1 पौंड 2 शि० 6 पौं रिमी प्रथम या एकमात्र वच्च के लिए और 14 शि० 6 पौं प्रत्येक अपगता वच्चे के लिए पारिवारिक नन्ते के अनिरिक्त मिलता है। अपगता लाभ महिल बोड द्वारा प्रमाणित अपगता भी सीमा तक ही मिलता है। मृत्यु हितलाभ भी आधितों का देने की व्यवस्था है जिसकी मात्रा मरने वाले के लिए पाने वाले के सबधो के ऊपर निभर करेगी।

4 राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 1948 यह अधिनियम 5 जुलाई, सन् 1948 मे लागू हआ। इस योजना के अतर्गत चदा देने की व्यवस्था नहीं रखी गई है और प्रत्येक व्यक्ति को विकितसा मददी देखभाल की सुविधा प्रदान की गई है। प्रत्येक व्यक्ति का नाम किमी न किसी डाक्टर के यहा दर्ज होगा और यह डाक्टर उस व्यक्ति ने मुफ्त सेवाए तथा दवाइया प्रदान करेगा। इसके प्रदान के लिए पेंशन और राष्ट्रीय बीमा मन्त्रालय बनाया गया। इसका मुख्य कार्यालय लदन मे है। क्षेत्रीय कार्यालय और स्थानीय कार्यालय भी बनाए गए हैं।

5. राष्ट्रीय सहायता अधिनियम, 1948 : यह अधिनियम 7 जूलाई सन् 1948 को लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य वर्तमान निर्धनता कानून को खत्म करके एक राष्ट्रीय सहायता बोर्ड स्थापित करने की व्यवस्था की गई ताकि देकारी भवायता, सहायता पेंशन, नेत्रहीन सहायता, क्षमरोग इलाज भत्ता इत्यादि देने के लिए एक व्यापक सेवा का निर्माण किया जा सके। जो व्यक्ति राष्ट्रीय बीमा योजना के अतर्गत हित-नाभ पाने के अधिकारी नहीं हैं वे इन विपत्तियों के समय आधिक सहायता के लिए योजना के बोर्ड की प्रार्थना-पत्र देंगे।

6. बाल अधिनियम, 1948 : इस अधिनियम के अतर्गत प्रत्येक ल्यानीय स्त्री के लिए एक बाल समिति की स्थापना करना अनिवार्य होगा। इस समिति का काम बदलते के आदेश से घर से अलग किए गए बच्चों की देख-रेख करना होता है। ये समितियां बच्चों के मरणक्षण का भी कार्य करती हैं। असहाय बच्चों के स्वर्स्य पालन-पोषण के लिए इस अधिनियम में बहुमूल्य सहायता की गई है।

7. शिशु और युवा अधिनियम, 1963 : यह अधिनियम शिक्षा, मायन्दार्सन और उपलब्ध करना है जिससे बच्चों का कल्याण बढ़े। यह अधिनियम बच्चों परोक्षिकारियों की देख-रेख पा उन्हें बच्चों की अवालत में लाने की आवश्यकता परोक्ष करता है। यह सहायता सामाजीय व्यवस्था के रूप में हो सकती है।

8. ऐच्छिक समठन इन वैधानिक अधिनियमों के अतिरिक्त बिटेन में अनेक ऐसे ऐच्छिक समठन भी हैं जो जनता के कल्याण का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार के समठनों के कुछ नाम इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सेवा समिति, पारिवारिक बल्याण परिषद, राष्ट्रीय बृद्ध कल्याण समिति, राष्ट्रीय युवक ऐच्छिक मण्ड का स्थायी सम्मेलन, शिशुगृहों की राष्ट्रीय समठित विचार सभा, राष्ट्रीय मानवत्व-हित एवं शिशु कल्याण विचार सभा, अपगों की देखभाल के लिए कोट्रीय मभा इत्यादि।

प्रेट बिटेन में हुए सामाजिक सुरक्षा में नए परिवर्तन

प्रेट बिटेन में विगत वर्षों में निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं—

(अ) आय सब्धी अट्पकालीन लाभ योजना 6 अक्टूबर 1966 में सुरु हुई और यह सभी रोजगार प्राप्त व्यक्तियों पर लागू होती है। यह लाभ रोजगार की अवधि में एकावट के तेहवें दिन से शुरू होता है और यह बेरोजगारी या जसमधना में 156 दिन तक जारी रहता है। 9 पौंड में 30 पौंड साप्ताहिक आय प्राप्त करने वालों में आय सब्धी लाभ की राशि साप्ताहिक औसत आय की एक तिहाई के बराबर होती है। यह राशि वर्तमान समान दर सामों के अतिरिक्त है।

(ब) दूसरा मनोरञ्जक दिकास यह है कि 28 नवंबर 1966 में राष्ट्रीय सहायता योजना का स्थान एक नई योजना अधादान रहित लाभ ने ले तिया है, जिसका प्रशासन सामाजिक सुरक्षा मनोरञ्जक होता है। वे लाभ जो पेंशन योग्य व्यक्तियों को दिए जाने पे उन्होंने पूरक भत्तों का रूप से निया है और जिन लोगों वीं पेंशन प्राप्त करने की आय नहीं यी उनके लिए पूरक भत्ते या किन्हीं विशेष परिस्थितियों से एक बड़ी घनराहि-

उनकी विशेष आवश्यकताओं के लिए दी जाती है। यह योजना ग्रेट ब्रिटेन में रहने वाले उन सभी व्यक्तियों पर लागू होती है जिनकी आयु 16 साल से अधिक है।

निष्कर्ष उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्रेट ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा की एक अचानक व्यवस्था विद्यमान है जिनका मुख्य उद्देश्य समाज की शक्ति को ग्रामने वाले अमाध, बीमारी, अज्ञानता, गदगी और बेरोजगारी के दानदों को समाप्त करना है। ग्रेट ब्रिटेन में वस्तुतः सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था काफी भीमा तक एक आदर्श स्तर पर है विशेष कर इस अर्थ में कि इस अर्थव्यवस्था में वर्ग और परिस्थिति में किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया है। यहाँ तक कि विदेशियों को भी लाभ प्राप्त है। जन कल्याण और जन-सुरक्षा इसका मुख्य आधार है।

2 अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा (Social Security in America)

अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था का प्रारंभ सन् 1935 में हुआ था जबकि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पास किया गया था। तब से अब तक अधिनियम में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन 1939 और 1950 में किए गए थे। वर्तमान में अमेरिका की सामाजिक सुरक्षा योजना के अतिरिक्त निम्न-लिखित महत्वपूर्ण सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं:

I. वृद्धावस्था और उत्तरजीवी बीमा। राष्ट्रीय बीमा योजना बीमित श्रमिकों, उनकी पत्नियों को जबकि वे वृद्ध हो जाएं और श्रमिकों के परिवारों को जबकि श्रमिक छोटे-छोटे बच्चों को छोड़कर मर जाएं, मासिक लाभ प्रदान करती हैं। इसकी प्रमुख बांध इस प्रकार हैं—

(अ) वृद्धावस्था बीमा लाभ का मूलतान उन श्रमिकों को दिया जाता है जोकि 65 वर्ष की आयु होने पर अवकाश प्राप्त करते हैं।

(ब) पत्नी का लाभ वृद्धावस्था बीमा सामने के आधे के बराबर होता है और एक अवकाश प्राप्त श्रमिक की पत्नी को दिया जाता है। यदि वह 62 वर्ष की आयु की है या वह श्रमिक के बच्चे हो अपनी देख-रेख में रखती है।

(स) एक विधवा का लाभ वृद्धावस्था बीमा लाभ वे तीन-चौथाई के बराबर होता है और 62 वर्ष की आयु में मृत श्रमिक की आधिकारित विधवा को देय होता है।

(द) विधुर का लाभ वृद्धावस्था बीमा लाभ के तीन-चौथाई के बराबर होता है और 62 वर्ष की आयु में मृत श्रमिक के आधिकारित विधुर को देय होता है।

(य) बच्चे का लाभ वृद्धावस्था बीमा लाभ ने आधे के बराबर होता है और अवकाश प्राप्त श्रमिक के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को देय होगा।

(र) माता का लाभ वृद्धावस्था बीमा लाभ का तीन चौथाई होता है।

(ल) माता-पिता का लाभ वृद्धावस्था बीमा लाभ का तीन-चौथाई होता है और 62 वर्ष की आयु में मृत श्रमिक के आधिकारित माता पिता को देय होता है। यदि श्रमिक की विधवा पत्नी या बच्चा मासिक लाभ लेने के योग्य नहीं हैं।

(८) मूल्य के पश्चात एवं मुश्त राजि वृद्धावस्था बीमा लाभ की तीन गुनी होती है जो वीभिन्न अमिक की मूल्य पर देय होती है।

(९) ये लाभ फैहरल ओल्ड एज एड सरवाइवर्स इण्डोरेस ट्रस्ट फड मे दिए जाते हैं।

2. वेरोजगारी बीमा विभिन्न राज्यो के वेरोजगारी मे वदधित अधिनियम भिन्न-भिन्न हैं किन्तु मौलिक विशेषताए लगभग समान हैं जो निम्नलिखित हैं।

(१) वेरोजगारी बीमा की प्रणाणी कृषि और परेलू अमिको तथा सार्वजनिक कर्मचारियो को छोड़कर सभी कर्मचारियो को शामिल करती है।

(२) किसी भी वेरोजगार को प्राय उस समय हित लाभ मिल सकता है जब उसने ये शर्त पूरी कर ली हो—(अ) उसने रोजगार केंद्रो मे अपना नाम रजिस्टर्ड करा लिया हो, (ब) वह काम करने के प्रोग्राम हो (स) यदि कोई उचित काम उमको दिया जाता है तो वह उसे करने के लिए तत्पर हो, (द) उसने एक निश्चित अवधि तक काम भिलने के अतीका की हो, (ग) उसकी कुछ मजदूरी भाव हो।

(३) लाभ की रायि जिसका कि एक अमिक अधिकारी है व कुछ सीमा तक उस दर से सद्वित है जिस पर एक अमिक प्राप्त रोजगार मे अपनी मजदूरी कमाता है।

(४) भुगतान की अवधि प्रत्येक राज्य म बदलनी रहती है।

(५) लगभग सभी राज्यो की प्रतीक्षा अवधि एज सप्ताह है। एक सप्ताह के समय की प्रतीक्षा के पश्चात अधिकतर राज्य 26 सप्ताहो नक वेरोजगारी भता देते हैं। हाल ही मे इन भुगतानों को लंबी अवधि तक बे तिए बड़ा दिया गया है।

(६) लाभ की वास्तविक रायि प्रत्येक राज्य मे अलग-अलग है और 10 डालर की न्यूनतम सीमा तथा 20 से 30 डालर की अधिकतम सीमा है।

3. सार्वजनिक सहायता सन् 1935 के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम मे मार्व-अनिक सहायता के लिए एक योजना बनाई गई जिसके तीन आधारभूत लग हैं—

(अ) उन जरूरतमद वृद्ध व्यक्तियो को सहायता जो नौकरी सरिना नहो हो चुके हैं और वेरोजगारों के अधीन सहायता नहीं पा सकते। इसका कार उल्लंघन किया गया है।

(ब) उन वज्जो को सहायता जिनका पालन-नीपण उनके माता पित ती मूल्य या उनकी अयोग्यता अद्या अनुपस्थिति के कारण नहीं हो पाता और (स) जरूरत मद अधे व्यक्तियो की सहायता। सन 1950 मे इस योजना म एक चौथा वग भी आमिक कर लिया गया जो गूण रूप से असामय वाकिन है। इस योजना वा प्रशासन गउद सरकार के हारा विया जाता है और इसके लिए केंद्रीय सरकार आवश्यक आधिक गान्द सहायता प्रदान करते हैं।

4. अमिक धतिपूर्ति 1908 का मध्यीय कम—। धतिपूर्ति ज्ञाय न्याय का प्रथम बान्नन या ५२ मे अमिक धतिपूर्ति का नून शामिल है। सन 1948 का भा १०१ ने यह सुरक्षा दे रखी है। यह अधिनियम उन व्यविच्चयों की सुरक्षा प्रदान करता है।

काय करते हुए दुष्टनाप्रस्त हो जाते हैं। एक राज्य स दूसरे राज्य मे यह अधिनियम बदलता रहता है। कुछ राज्यो ग अविवाहित व्यवितयो वे लिए सतिपूति भी दर ऊची है। सतिपूति की राणी मेवायोजको द्वारा दी जाती है।

5 बीमारी से सबधिन दीमा अमेरिका म बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई प्रकार की योजनायें लागू की गई हैं। बीमार पढ़ने मे नगद हित लाभ देने की भी व्यवस्था है। इमव अतिरिक्त बीमार श्रमिको को मुफ्त चिकित्सा और सदैतन छुट्टिया भी दी जाती है। यदि बीमार श्रमिक को अस्पताल की सुविधा की आवश्यकता है या उसका चापरेशा होना है तो इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए जो खर्च होता है वह अस्पताल बीमा योजना दे अतगत किया जाता है। श्रमिक को व्यावसायिक रोग लग जाने हैं जिसने उसके आय कमाने की क्षमता कम हो जाती है तो उस राज्य द्वारा मद्दायोजना दे चढे स म्यापिन दोप म हजारा दिया जाता है।

6 सानृत्य सबधी सुरक्षा मानव सबधी लाभ मेवायोजका या श्रमिक मध्या के द्वारा उपनध कराया जाना है। रेला सड़को और सागस्त सेना के लिए सधीय कानून भी बदलाव है। ग्रमवती स्थियो की प्रसूति सबधी देवभाल व अय मुविधाए मावजनिक सेवाओं का तरह प्रदान की जाती है। कुछ राज्यो ने स्त्रियो के प्रमव के तुरत वाद और पत्ने काय पर प्रतिवध लगा रखा है।

7 व्यावसायिक पुनर्वास व्यावसायिक पुनर्वास का सधीय राज्य कायकम अमहा रोगो को मदाए उपलव्य करना है। इन मेवाओं के माध्यम से य लोग अपनी वामनाङ नालन म जा जात हैं।

निष्फल उपरोक्त विवचन न यह स्पष्ट है कि अमेरिका मे सपूण जनसाधा को मामानिक सुरक्षा प्रदा करन क तिं अनक योजनाए चल रही हैं। अमेरिका की सामाजिक श्रेमे की योजना के ता प्रमुख लक्षण है—(अ) सामाजिक सुरक्षा के विभिन वायकमो म निधान भरकारी घरो पर सनायता मिनी है जैसे—कुछ कायकमो वा प्रगामन वेबन कदीय भरकार व द्वारा होता है तुछ वा कवल राज्य भरकारो द्वारा और कुछ वा स्थानीय सहायो द्व ग कुछ म कदीय और राज्य भरकारो का इत्यादि। (ब) जातियो के आमार पर अनक सुरक्षा कायकमा की भरमार है। प्रत्येव जोतिम के लिए पर दलग दायकम है।

3 इस मे सामाजिक सुरक्षा (Social Security in Russia)

इस मे सामाजिक सुरक्षा का प्रारम सन 1912 म हुआ। उद्दिक बीमारी वरोज गारी के सवध भ भुनियाय बीमे का सवप्रथम प्रचलन हुआ। लेकिन 14 नववर 1917 को हम सरकार द्वारा सामाजिक बीमे की प्रथम घोषणा सामाजिक सुरक्षा के धत्र मे एक महत्वपूण घटना मानी जाता है। कुछ कठिनाइयो के कारण इस घोषणा को सन् 1922 ने नवीन व्याधिक नीति दे अतगत ही कार्यावित किया जा मका।

रूस में सामाजिक बीमे की विशेषताएं

1. मुख्य सिद्धांत (अ) सामाजिक बीमे का सचालन अम-सघो द्वारा होता है, (ब) केवल नौकरी में लगे व्यक्तियों का ही सामाजिक बीमा होता है, (स) थमिकों के बीमे का प्रीमियम सेवागोड़को द्वारा दिया जाता है, (द) प्रीमियम की राशि मजदूरी के बिले के अनुपात में होती है (र) नाम प्राप्त करने की योग्यता सेवा की अवधि पर निर्भर होती है, (ल) बीमे से पूरा-पूरा लाभ तभी उठाया जा सकता है जबकि थमिक विभी-न-किमी थमिक सभ का सदस्य हो, (व) सामाजिक बीमा सरकार द्वारा प्रेरित है जिसके के थम का स्थायित्व व उत्पादन बढ़े, (श) देशोंगारी सन् 1930 में नामूरी रूप से समाप्त बरदी गई थी। अन. देरोजगारी के लिए बोई स्वान नहीं है।

2. क्षेत्र सामाजिक बीमे के अन्तर्गत निम्ननिमित्त व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है—(अ) समाजवाची क्षेत्र में रोजगार पर लगा हुआ प्रश्नक मजदूर तथा वेतन पाने वाला व्यक्ति, (ब) मार्बंजनिक संस्थाओं और प्राइवेट फार्मों पर काम करने वाले वैतनिक कर्मचारी, (स) प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम-दूरी या बेनन मिल रहा हो।

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित दो विशेष सामाजिक बीमे की योजना से क्षेत्रमें लिया गया है जिनका प्रशासन पारम्परिक सदायता कोयों में रिया जाता है—
(अ) सामूहिक कृषक, (ब) फर्म के स्वामी व उनके जन्मावार, तथा (स) पेशेवर वाम करने वाले जैसे भरम्मत आदि का काम बरने का नदिया।

3. वित्त व्यवस्था सामाजिक बीमे की योजना राज्य के वर नहीं है, एक सामाजिक बीमा कोष भी है जोकि सभी जीवीयिक संस्थानों व दप्तरों में भुगतान से बनाया गया है। उसके संपूर्ण वेतन राशि का एक निश्चित प्रतिशत उदन कोष में पड़ता है। थमिकों को इन कोष में खिसी प्रकार वा चदा नहीं देना पड़ता।

4. प्रबंध व प्रशासन सामाजिक बीम बी संपूर्ण योजना ना प्रशासन व प्रबंधिको द्वारा होता है। थमिकों वे थम-मध्य दत हैं जो इस बारे को नहीं । वे वे वो और दप्तरों द्वारा दिया गया चदा उस धोन के नेट्रीय थमिक वर वो भेज दिया । वे हैं और ये केंद्रीय समितियाँ यहाँ में थमिकों को सामाजिक बीमे बी सुविधाएँ प्रदान नहीं हैं। सामाजिक बीमा कोष थमिकों के मार्बंजनिक निरीक्षण में रहता है। उनमें से कानून या दप्तर की एक सामाजिक बीमा परियद भी होती है जिनको 'उले चुन रहे' आधार पर बनाया जाता है। यह परियद उस कारबान या दप्तर में सामाजिक बीमा योजना को लागू करती है। बीमारियों की रोकथाम दरना इस परियद ना मुख्य कार्य है।

5. हितसाम एवं वेशन सामाजिक बीमा कोष वे वर्तन्तारियों को निम्ननिमित्त सुविधाएँ दी नाती हैं—

(अ) बीमारी हितसाम लानी, मेटालार्डीक्ल, रसायन और दूसरे महत्वात्मक उद्योगों के कर्मचारियों को जिन्होंने सर्वित रास्ता में कम मे-कम एक वर्ष गारन्टर

वाम दिया हो, उनकी ओसत आय का 100 प्रतिशत तक बीमारी लाभ दिया जाता है। एक वर्ष से कम कार्य करने की स्थिति मे यह प्रतिशत 60 रहता है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दूसरी शाखाओं मे यह लाभ ऐवा अवधि के धाधार पर 90% से 100% के बीच मे मिलता है।

यदि किसी द्वी श्रमिक का 2 वर्ष तक का बच्चा बीमार पड़ जाता है तो माता पो कार्य से छुट्टी दे दी जाती है चाहे कोई दूसरा व्यक्ति घर पर देखभाल करने वाला हो या न हो।

बीमारी हित लाभ बीमारी शुरू होने के दिन से पूरी तरह अच्छा होने के दिन तक दिया जाता है। यदि बीमारी 4-6 महीने तक चलती है तो पूरी दर पर हितनाम प्रदान किया जाता है।

(द) पेंशन : सभी श्रमिक बिना किसी अपवाद के, कार्य करते समय हुई दुर्घटना वे कारण स्थायी असमर्थता, व्यावसायिक बीमारी या किसी साधारण बीमारी की स्थिति मे पेंशन लेने के अधिकारी हैं। पेंशन की राशि निर्धारित करते समय कई बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे असमर्थता के कारण, असमर्थता के पूर्व की ओसत आय व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वह शाखा जिनमे कर्मचारी काम कर रहा है।

विभिन्न प्रकार की पेंशन निम्नलिखित हैं-

(क) दृढ़ावस्था पेंशन : सभी श्रमिक एक निश्चित आयु प्राप्त करने और निश्चित वर्षों तक कार्य करने के पश्चात् दृढ़ावस्था पेंशन पाने के अधिकारी हैं। पुरुषों को 60 वर्ष वा होने पर तथा 25 वर्ष काम करने के पश्चात् तथा स्त्रियों को 55 वर्ष की होने पर तथा 20 वर्ष काम करने के पश्चात् पेंशन मिलती है। पेंशन प्राप्त व्यक्ति वाहें तो बाद मे भी काम करते रह सकते हैं और अतिरिक्त पारिश्रमिक कमाए सकते हैं।

(ल) उत्तर जीवी पेंशन : श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को पेंशन देने की व्यवस्था की गई है। पेंशन की भाँति जीविका कमाने वाले की मृत्यु के कारणों, उसके रोजगार की अवधि, आय की राशि और परिवार के कार्य करने के अयोग्य सदस्यों की सहाया पर निर्भर रहती है।

(ग) निरतर रोजगार की पेंशन : इस प्रकार की पेंशन उन व्यक्तियों को दी जाती है जैसे डाकटर, पशु-चिकित्सक, शिक्षक इत्यादि जिन्होंने अपने क्षेत्र मे नगानार 26 से 30 वर्ष तक काम किया हो। उदाहरणार्थ शिक्षकों को उसके वेतन का 40 प्रतिशत पेंशन मे मिलता है, पशु चिकित्सकों तो उनके वेतन का 50 प्रतिशत दिया जाता है आदि। ऐसे पेंशन वाने व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो यह पेंशन इसके परिवार के अयोग्य व्यक्तियों भी रुद्ध सदस्यों वो दी जाती है।

(स) अतिरिक्त सुविधाएँ पेंशन देने वे अतिरिक्त सरकार पेंशन पाने वाले व्यक्तियों ने उनके स्वास्थ्य की दशा के अनुरूप कुछ रोजगार देने की व्यवस्था करती है। सामाजिक बीमा कोष म समेटोरियम की सुविधाएँ प्रदान भी जाती है। जिनकी देखभाल बरने वाला कोई नहीं है उनके लिए सरकार विशेष गृह चलाती है।

अन्य सामाजिक सेवाएं व सुविधाएं

सामाजिक बीमा प्रणाली की पूर्ति सामाजिक सेवाओं द्वारा होती है। इस में सामाजिक बीमा की योजना के साथ-साथ अन्य हितकारी मस्त्याएं भी शमिकों को सुविधाएं देने में सहाय हैं। मक्षीप भे ये इस प्रकार हैं-

(अ) अस्पताल, विलनिक, पोलीविलनिक, फस्ट एड स्टेशन, रिसर्च इन्स्टीट्यूट्स लेबोरेटरीज एवं मेडिकल कालेज में चिकित्सा सबधी सुविधाएं सभी नागरिकों को नि-शुल्क राज्य के खर्चे पर प्रदान की जाती हैं।

(ब) एक ही उद्योग में कम से कम 11 माह तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात सबेतन 2 सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जाता है।

(ग) नगरों में विधाम और साम्झूलिक कार्यों के लिए पाकों की व्यवस्था है जिनमें रविवारों व अन्य सावेंजनिक छुट्टियों में लोग जापा करते हैं।

(द) प्रारम्भिक शिक्षा के लिए नि-शुल्क सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) गर्भवती माताओं को और प्रसवकाल के तुरन बाद ही महिला शमिकों का मातृत्व लाभ दिया जाता है। इस कार्य के निए प्रसूति गृहों व परामर्श केंद्रों का एक जाल-मा विछादिया गया है। मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए पाठ आवश्यक गत यह है कि उस स्त्री शमिक ने सबधित मस्त्य में कम-म-कम तीन माह काम किया हो। सामान्यत लाभ की मात्रा स्त्री शमिक के काष के रिकार्ड पर उस गाया है महस्त्व पर जिसमें वह कार्य करती है तथा वज्र की अवधि पर निर्भर होती है। गर्भवती माता नी के निए कुछ श्रम-अधिनियम बनाए गए हैं। उनके अनुसार गर्भवती माताओं वो काय न देने पर 6 मास का कानावास नियम 1000 रुपय का दृढ़ दिया जाता है। गर्भवती माता को वही मजदूरी दी जाती है जोविं गर्भवती होने के पूर्व मिलती थी। समावस्था में उमरों हल्का कार्य करने को दिया जाता है। गर्भवती स्त्री को पूर्ण देनन पर 112 दिन वी छुट्टिया प्रसूति लिए मिलती हैं।

माताजी और बच्चों की रक्षा करन की उपरोक्त सभी सुविधाएं अविवाहित शिवियों को भी उपलब्ध होती है। अधिक वानको बाली माताजा को राज्य द्वारा विजेता भते दिया जाते हैं।

उपरोक्त विवेचन म न्यून है कि इस म सामाजिक सुरक्षा से सबधित विस्तृत व्यवस्था के अन्यत अनक मुविधाएँ दहा के नागरिकों का पाप्त हैं।

परीक्षा-प्रश्न

- बेवरीज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा उन मानवाओं की बताइए जिन पर यह योजना आधरित है।

- 2 फ्रेट ब्रिटेन मे सामाजिक सुरक्षा पर एक टिप्पणी लिखिए।
- 3 संयुक्त राज्य अमेरिका मे प्रचलित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के मुख्य लक्षणों की व्याख्या कीजिए। क्या ये योजनाएँ एक सपन राष्ट्र के लिए आवश्यक हैं?
- 4 सोवियत रूस मे सामाजिक सुरक्षा योजना की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यह योजना अपने उद्देश्यों मे कहा तक सफल हुई है?

अध्याय 17

भारत में श्रम सन्नियम (Labour Legislation in India)

भारत में श्रम सबधी अनेक सन्नियम हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए उनका हम निम्न शीर्षकों के अतर्गत अध्ययन करेंगे

- 1 कारखाना अधिनियम
- 2 भारतीय खान अधिनियम
- 3 बागान अधिनियम
- 4 परिवहन अधिनियम
- 5 मजदूरी सम्बन्धी अधिनियम
- 6 सामाजिक सुरक्षा सबधी अधिनियम
- 7 श्रम कल्पणा सबधी अधिनियम
- 8 अन्य श्रम सबधी अधिनियम

1 कारखाना अधिनियम (Factory Legislation)

देश के श्रम सन्नियमों में कारखाना अधिनियम का विशेष महत्त्व है। मर्वप्रदम कारखाना अधिनियम सन् 1881 में पारित हुआ, जिसका उद्देश्य कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं करना था। इस कानून द्वारा वच्चों के श्रम की ही सीमित सरकार प्राप्त हुआ वयस्कों की स्थिति प्राप्त ज्यों की त्यों रही। अत वयस्कों की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से 1891 ई० में एक दूसरा कारखाना अधिनियम पास हुआ। जिसमें वच्चों को और सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त, छिप्यों को भी सुरक्षा मिली। सन् 1911 में तीसरा कारखाना अधिनियम पास होने पर ही पहली बार पुरुषों को कुछ सुविधाएं प्राप्त हुई। उनके दिन में कार्य के घटे 12 कर दिए गए। इस अधिनियम की व्यवस्थाएं दोपूर्ण थीं जिन्हें ठीक करने के लिए इसमें कई बार संशोधन किए गए।

पहले के सभी कारखाना अधिनियम समाप्त करके मन् 1948 में कारखाना श्रम से संबंधित एक व्यापक कानून पास किया गया। सन् 1948 के कारखाना अधिनियम की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं—

(अ) क्षेत्र : यह अधिनियम उन सभी कारखानों में लागू है जहाँ दस या अधिक

श्रमिक कार्य करते हैं और विद्युत् शक्ति का प्रयोग होता है अथवा जिनमें शक्ति का प्रयोग तो नहीं होता किंतु 20 या अधिक श्रमिक काम करते हैं। इस अधिनियम का क्षेत्र बढ़ान के उद्देश्य से इसमें यह भी आदेश दिया गया है कि जहाँ कहीं भी निर्माण का कार्य हो रहा है (भले ही उसमें कितने ही श्रमिक कार्य करते हो) यह सन्नियम लागू होगा।

(ब) सुरक्षा सबधी आदेश । (1) मशीनें, जो विद्युत् शक्ति से चलती हैं वे छोटे प्रकार से फिट होनी चाहिए ।

(2) द्रासमीशन तथा दूसरे खतरनाक यत्रों को चारों तरफ स आड़ लगाकर रखा जाना चाहिए तथा उनकी देखभाल के लिए केवल विशेष रूप स प्रशिक्षित पुरुष श्रमिक ही नियुक्त किए जाने चाहिए ।

(3) बाल अथवा महिला श्रमिक खतरनाक मशीनों पर काय नहीं करेंगे ।

(4) श्रमिकों से उनकी सामग्र्य से अधिक बोझ ढोने का काम नहीं लेना चाहिए ।

(5) यदि किसी काय विशेष में आरोप पर कुप्रभाव पड़ने की आशका हो तो उसकी राक के लिए सेवायोजकों को विशेष प्रकार के लिए आदि का प्रबन्ध करना चाहिए ।

(स) स्त्री श्रमिक को सरकार (1) खतरनाक मशीनों पर स्त्री श्रमिकों को काम पर लगाना निषेध घोषित कर दिया गया है ।

(2) चलती मशीन की सफाई करने उसमें तेल ढालने अथवा उसे सुधारने के लिए किसी भी स्त्री श्रमिक को काम पर नहीं लगाया जा सकता ।

(3) अगर किसी कारखाने में कम से कम 50 स्त्रियाँ काय कर रही हैं तो उस कारखाने में सेवायोजक को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिशु गृहों की व्यवस्था करनी होगी ।

(4) स्त्री श्रमिक से सप्ताह में अधिक से अधिक 38 घण्टे तक और प्रतिदिन 9 घण्टे तक काम लिया जा सकता है ।

(5) अगर किसी कारखाने में कपास की धूताई का यत्र प्रयोग किया जा रहा है और धूताई का कमरा व प्रस का कमरा दोनों ही पास पास है तो इसी भी स्त्री को कपास पर प्रस करने के दाय पर नहीं लगाया जा सकता ।

(६) कल्पाण काय सबधी आदेश श्रमिकों के लिए जलपान गृहों विश्वामानपों स्त्री श्रमिकों के छोटे बच्चों को दिन में रखने के लिए शिशु गृहों बैठने की व्यवस्था प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा वस्त्र घोने के स्थान की सुविधा आदि तो जानी चाहिए । 500 में अधिक श्रमिक वाले कारखानों के लिए राज्य सरकारों की महारता से हितवर अपमर रखना अनिवार्य कर दिया गया । व्यावसायिक रोगों आदि के दियप्य में सभी बारखाना मालिकों के लिए यह आवश्यक है कि दुघटना या धीमारी होने पर तत्काल सूचना दें ।

(७) सफाई व स्वास्थ्य (१) कारखानों की सफाई की समुचिता । (प्रथम दोनी चाहिए । (२) प्रत्येक कारखाने में धु़ुद दायु के आने के लिए पद गो वायु रे जाने के लिए पर्यात झरोमें होने चाहिए । (३) कारखाने में पीने के पानी देशान्तर तथा

शोधालय का भी प्रबंध आवश्यक है। (4) कारखाने के तापक्रम का श्रमिक के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

(र) काम के घंटे व नियुक्ति से संबंधित आदेश : (1) काम करने के लिए बच्चों की आयु 14 वर्ष और युवकों की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। (2) वयस्कों के लिए सप्ताह में काम के घटे 48 तथा 1 दिन में 9 घटे से अधिक नहीं हो सकते। (3) कम से कम आधे घटे का विश्राम दिए बिना किसी भी श्रमिक से जगातार 5 घटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। (4) विश्राम के समय को सम्मिलित करते हुए किसी भी दिन काम के घटों का फैलाव साढ़े दस घटे में अधिक नहीं हो सकता। (5) राज्य सरकारों को अधिनियम की उक्त धाराओं में कुछ छूट देने का अधिकार दिया गया है, परन्तु किसी भी अवस्था में वे निम्न नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती। (अ) किसी भी दिन कुल कार्य के घटे 10 से अधिक नहीं होने चाहिए, (ब) 3 माह की अवधि में कुल अतिरिक्त कार्य के घटे 50 से अधिक नहीं होने चाहिए, तथा (स) अतिरिक्त कार्य के लिए दूनी दर से बेतन और पूरे सप्ताह में एक दिन की छुट्टी भी अवस्था होगी।

(न) सबेतन छुट्टी : माज्जाहिक छुट्टी के अतिरिक्त प्रत्येक श्रमिक का 12 माह की नियंत्र सेवा के पश्चात निम्न दर पर अतिरिक्त सबेतन छुट्टियों का भी अधिकार होगा— (अ) एक प्रौढ़ श्रमिक 20 दिन काम करने वे बाद एक दिन की सबेतन छुट्टी प्राप्त कर सकता है। वह एक वर्ष में कम में कम 10 दिन सबेतन छुट्टी का अधिकारी है। (ब) एक व्यावर्षिक 15 दिन काम करने के बाद एक दिन की तथा एक साल में कम से कम 14 दिन की सबेतन छुट्टी ले सकता है। (द) यदि कोई श्रमिक जपनी अर्जित छुट्टी लेने में पहले काम से हटा दिया जाता है अथवा अधिक नीकरी छोड़ देना है, तो मालिक पर उम्मीजित छुट्टी की मजदूरी देने का उत्तरदायित्व है।

अधिनियम मद्दती प्रणालीन राज्य सरकारों वा उत्तरदायित्व है, जो इसे कपने फैक्टरी निरोक्षणालय के माध्यम से पूरा करनी हैं। राज्य सरकारों वो यह अधिकार दिया गया है कि वे दुष्प्रियों के किसी मामले में अथवा व्यावसायिक रोग के किसी मामले में कारखाने वीं जात्यां के लिए उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है।

फैक्टरी एकड़ का सशोधन 1926 ब्रतराष्ट्रीय अम समठन उपसंघि सम्म्या 89 व 90 (जो स्थियों व व्यक्तियों के कार्य के संबंध में थी) के अनुसमर्थन के लिए अधिनियम में 1950 म मद्दोधन विया गया। इस मद्दोधन के अनुमार सबेतन छुट्टी के लिए आवश्यक उपस्थिति एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन निश्चित की गई। सरकार ने छुट्टी की सीमा दढ़ा दी है जो आगे जोड़ी जा सकती है ताकि कर्मचारी लम्बी छुट्टी पर जा सके। यदि कर्मचारी छुट्टी को अस्वस्था की अथवि में गमिल करता चाहता है तो इसके लिए छुट्टी की पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं है जबकि 1948 के फैक्टरी अधिनियम के अतर्गत भावश्यक था।

भारतीय फैक्टरी अधिनियम की आलोचना

भारत में कारखाना अधिनियम के संबंधों में सन् 1946 की कम जोख तरिति ने

कई दोष बतलाएँ थे, जिनमें से कुछ अब भी विद्यमान हैं जैसे:- १०४ टा. न ३८२।

१. ऐसे अनेक उपाय हैं जिनकी आड़ में रहकर सेवायोजक मन्दिरानी करते हैं। १०५

(अ) अधिकों से अधिक काम लेने के लिए, घड़ी छों पीछे कर देते हैं। १०६

(ब) सामयिक अधिकों को कार्य पर संगत है और उन्हे पदमुक्त करके एवं पुनः नियुक्त करके संवेतन छुट्टी के प्रावधान के प्रति वंचना करते हैं। १०७

(स) ओवर टाइम के प्रावधान से बचाव करने के लिए गलत उपस्थिति रजिस्टर रखा जाता है। भूठा प्रमाणन्त्र प्राप्त करके बाल अधिकों को काफी सूखा में काम पर समाया जाता है।

२. निरीक्षक, जिसे कारखानों के निरीक्षण का कार्य सौंपा गया है, बहुत कम ही अपना कर्तव्य निभाता है। निरीक्षक कारखाने में निरीक्षण करने की पूर्व सूचना दे देते हैं जिससे सेवायोजक पहले से ही जागरूक हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त फैक्टरी निरीक्षक तकनीकी व्यक्ति होते हैं, इसलिए कर्मचारियों के कल्याण एवं स्वास्थ्य को नियन्त्रित करने के मामले में अयोग्य हैं।

शाही आधोग ने पूजी निरीक्षकों की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था जिसे केवल बंबई और मद्रास में ही अपनाया गया है।

३. राज्य सरकारें कुछ व्यक्तियों को आदेशों का पालन करने में मुक्त कर सकती हैं किन्तु वह छूट सब दशाओं में समान नहीं है और प्रायः न्यायसमद नहीं होती।

४ अनियन्त्रित कारखानों जैसे बीड़ी, कालीन और छोटे चमड़े के कारखाने आदि में काम करने वाले मजदूर जो कि औद्योगिक मजदूरों का काफी बड़ा भाग है, कदाचित् ही सुरक्षित हैं एवं उनकी स्थिति अत्यत शोचनीय है।

५. स्वच्छता एवं सुरक्षा के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया जाता है। अधिकारी कारखानों में तो प्रायमिक चिकित्सा पेटिकारें भी नहीं हैं।

६ बहुतन्ते कारखानों में आवश्यक अधिकारी भी नियुक्त नहीं किए गए हैं। कुछ ऐसे मामले भी देखते में आए हैं कि इन कल्याण अधिकारियों के ऊपर, अन्य कार्यों का बोझ भी डाल दिया गया जो कि इनका अधिकारी समय ले लेता है। चूंकि ये कर्मचारी अपने रोजगार व निलंबन के सबूत में फैक्टरी मालिकों की दस्तावेज निर्भर रहते हैं अतः निर्लंबन का भय उन्हें कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्य करने की ज़िन्दगी भरि नहीं देता।

इस अधिनियम की अधिकों के लिए वास्तविक लाभकारी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उक्त कार्यों की दूर करने के लिए, आवश्यक कदम उठाए जाए। अतः यह आवश्यक है कि (अ) अधिनियम के आदेशों का पालन तो रहा है या नहीं, इसे देखने के लिए राज्यों में निरीक्षक अधिकारियों की पर्याप्त व्यवस्था हो जाएँ। फैक्टरियों के निरीक्षण के दौरान निरीक्षकों को अप्रतिनिधियों से भी परामर्श करना चाहिए। (ब) अधिनियम के आदेशों का उल्लंघन करने वाले मालिकों के लिए कठोर दण्डों व्यवस्था हो जाएँ। (द) ५०० अधिकारी इससे अधिक कर्मचारियों से युक्त फैक्टरियों में स्वास्थ्य के स्तर में सुधार, साते के लिए

अविकारियों की नियुक्ति अनिवार्य होनी चाहिए। (य) राज्य सरकारों के अविकारों में एरण्डपता लाइ जानी चाहिए।

2 भारतीय खान अधिनियम

भारत में सर्वप्रथम खान अधिनियम सन् 1901 में पास हुआ। इसे 1923, 1935, 1936, 1937, 1940, 1946 में संशोधित किया गया। J बुनाई सन् 1952 में नया खान अधिनियम बना जिसे सन् 1959 में संशोधित किया गया। नए खान अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं-

(अ) अधिनियम दा क्षेत्र : यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर देश को समस्त जातों पर लागू होता है।

(प) सुरक्षात्मक व्यवस्थाएँ : यह अधिनियम कार्य करने वाले सभी अधिकारों को पारदाना अधिनियम के अतर्गत प्रदान की गई सुरक्षाओं एवं कल्याण सबधी-सुविधाओं को प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, सभी खानों के मालिकों के लिए आश्रमक है कि वे पीने योग्य शीतल जन, शौचालय, पेशावरघर तथा औषधि-पेटी की व्यवस्था करें।

(स) कार्यविधि : खान के भीतर जयवा बाहर कार्य करने वाले दोनों प्रकार के वयस्क अधिकारों के लिए कार्य के घटे प्रति सप्ताह 48 हैं।

(द) पहले अनुसूचित उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण हेतु यो समझौता रखी गई थी उसे बदल सन् 1961 के एवं संशोधन के अनुसार हटा लिया गया है।

सन् 1967-68 में एवं संशोधन प्रस्ताव या कि यदि कोई अधिक कुछ अधिनार एवं सुविधाएँ विसी "ह्रास" अथवा परपरा आदि द्वारा प्राप्त कर चुका है और ये सुविधाएँ अपेक्षाकृत अच्छी हैं तो उन सुविधाओं में बनी न होन दी जाएगी।

3 बायान अधिनियम (Plantation Legislation)

भारत में चाय, रवड, कहवा आदि के बायानों में बहुत बड़ी संख्या में अधिनियम लाये रखते हैं। अतः मजदूरों की सुरक्षा के सरकार के लिए निम्नलिखित प्रमुख अधिनियम पारित गए हैं-

1 चाय जिला प्रदाती अधिक अधिनियम, 1962 (Tea District Emigrant Labour Act, 1932) इस अधिनियम की प्रमुख याते इस प्रकार है:-

(अ) यह अधिनियम सुन्दर रूप में अन्य प्रांतों से जान वाले आसाम के चाय के बायानों के अधिकारों की भर्ती ने भवेषित था।

(ब) इसी अनुसार बहुत चायों के अंदर उनके एकेंट दूसरे दूसरों से आसाम के चाय गायानों के दोनों अधिकारों को जा सकते थे मिहनौ साइमेंस प्राप्त था।

(स) सोलह वर्ष के बायानों को बायानों के लिए उभी ले जाया जा सकता था जिसके अधिकारों के अधिनियमों में साथ हो।

(द) विवाहित नाहलाएँ परने परि की अनुमति सिंही चौथा बायानों को ले जायी।

जा सकती थी।

(य) अधिनियम का प्रशासन प्रवासी श्रमिक नियन्त्रक के द्वारा होता था।

2 बागान श्रमिक अधिनियम 1951 (Plantation Labour Act, 1951) ।

इस अधिनियम की मुख्य व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं :

(अ) यह अधिनियम चाय, काफी, रबर आदि के बगानों पर लागू होता है जिनका क्षेत्रफल 25 या अधिक एकड़ है और जिनमें 30 या अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं या पिछले 12 महीने में एक दिन काम कर चुके हों। नियम 1960 में संशोधित किया गया।

(ब) श्रमिकों के स्वास्थ्य, सामाजिक हितों, कार्य के घटों, छुट्टी के नियमों व बच्चों के रोजगार व श्रमिकों के लिए बीमारियों इत्यादि से बचने और उनकी चिकित्सा सबधी नियमों की पूर्ण व्यवस्था की गई है।

(स) बागान के मालिकों को श्रमिकों के पीते के लिए शुद्ध पानी, स्त्री और पुरुषों के लिए पर्याप्त सर्वयों में पृथक्-पृथक् शौचालयों और पेशावरों सबधी मुदि-धाओं की व्यवस्था करना आवश्यक है।

(द) प्रत्येक बागान मालिक का उत्तरदायित्व है कि बागान के कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था करें। आवास के आकार, उससे सबधित भूमि आदि के नियम बनाने का आदेश राज्य सरकारों को दिया गया।

(य) जिन बगानों में 300 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, उनमें एक कल्याण कार्य अधिकारी भी रहेगा।

(र) 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे किशोर माने जाते हैं। 12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की नियुक्ति पर प्रतिवध लगाया गया है। बच्चों और किशोरों की आयु सबधी प्रमाणपत्र देना पड़ता है।

(ल) वयस्कों के लिए कार्य के घटे सप्ताह में 54 और बच्चों तथा किशोरों के लिए 40 निश्चित किए गए हैं। एक दिन में कार्य के घटे 12 से अधिक (विश्राम या प्रतीक्षा समय सहित) नहीं होने चाहिए। सध्या के 7 बजे से 6 बजे प्रात तक बच्चों व स्त्रियों के लिए कार्य का नियेष्व है। पाच घटे कार्य के पश्चात् आधे घटे का विश्राम आवश्यक है।

(ब) सप्ताह में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। वयस्कों को 20 दिन कार्य पर एक दिन बेतन सहित अवकाश और बच्चों व किशोरों को 15 दिन काम पर एक दिन बेतन सहित अवकाश पाने का अधिकार है।

(स) आधी, तूफान, अग्नि व अन्य किसी प्राकृतिक वाधा से काम पर न आ सकने वाले श्रमिक के लिए वह दिन अवकाश का दिन गिना जा सकता है।

(द) बीमार होने पर प्रत्येक श्रमिक को चिकित्सक के प्रमाण पत्र देने पर बीमारी का भत्ता दिया जाएगा। महिला श्रमिकों को भी प्रसूति काल के लिए भत्ता दिया जाएगा।

(ह) अधिनियम का प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। मुख्य बागान नियंत्रक इसका प्रधान अधिकारी होता है।

4 परिवहन अधिनियम (Transport Legislation)

1 भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 (The Indian Railways Act, 1890) . भारत में परिवहन सेवाओं में लगे श्रमिकों के लाभार्थ सर्वप्रथम वैधानिक मुद्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए सन् 1890 के भारतीय रेलवे अधिनियम द्वारा दी गई। यह अधिनियम मन् 1930 में सदोषित होकर रेलवे कर्मचारियों को छोड़कर समस्त कर्मचारियों पर लागू हो गया और उनके विश्राम तथा काम करने के घटों का नियमन करने लगा। इसके अनुसार निरतर काम करने वाले कर्मचारियों के काम के पटे एक महीने में लगभग 60 घटे प्रति मासाह निश्चित किए गए थे। साथ ही प्रति मासाह 24 घटे लगातार विश्राम की भी व्यवस्था की गई। सन् 1931 में भारत सरकार ने काम के घटों का नियमन करने के लिए कुछ और नियम बनाए।

मन् 1946 में अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमण्डल ने रेलवे कर्मचारियों के घटे, अवकाश आदि विषयों पर कुछ मार्गे सरकार के समक्ष रखीं। सरकारों ने इन मार्गों पर विचार करने पर जस्टिस थी जी० एस० राजाध्यक्ष को निर्णयक नियुक्त किया। उन्होंने मई सन् 1947 में अपना निर्णय दिया, जिसके अनुसार काम के पटे, सूक्ष्मी के नियम, साप्ताहिक अवकाश डियादि के विषय में उन्होंने अपना निश्चित भत्ता दिया जिसे भारत सरकार ने स्वीकार किया। परिणामस्वरूप 31 मार्च 1951 से भारत में सभी रेलों में वे नियम लागू कर दिए गए हैं।

2 भारतीय घायारी जहाज अधिनियम, 1958 (Indian Merchant Shipping Act 1958) इस अधिनियम का पूर्वज 1923 का घायारी जहाज अधिनियम या जिसमें 1931, 1949 और 1951 में सदोषित निए गए थे। 1958 में पूरा अधिनियम मशोधित किया गया। इसके अनुसार 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की नियुक्ति निषेध है और 18 वर्ष तक टिमर या स्कोटर के काम पर नहीं लगाया जा सकता। अधिनियम में शासामन, दिक्काम आदि में मबदित कई बातों का प्रावधान है।

3 डॉक कर्मचारी (रोजगार नियमन अधिनियम, 1948) [The Dock Workers (Regulation of Employment Act, 1948)] : बदरगाही पर जहाजों पर से माल उतारने और जहाजों पर माल लादने वाले श्रमिकों के गद्बध में सर्वप्रथम मन् 1908 में भारतीय बदरगाह अधिनियम पास किया गया जिसका मन् 1921 व 1931 में सदोषित निया गया। इस अधिनियम के अनुसार श्रमिकों की भर्ती का नियमन विया गया। इसके पदचान् बतराव्युत्तीय श्रमिक संघ तथा शाही श्रम आयोग वी सिफारियों के आधार पर सन् 1934 भारतीय डॉक श्रमिक अधिनियम पास किया गया, जिसने 1949 तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका। मार्च 1949 में भारत सरकार ने डॉक कर्मचारियों की कठिनाइयों का निवारण करने हेतु डॉक कर्मचारी रोजगार नियमन अधिनियम 1949 पास किया। यह अधिनियम रोजगार कार्य के घटे, कल्याण कार्य, सुरक्षा आदि के नियमों का पालन करने के सबध में सलाह देने

दे तिए अधिनियम मे एक भलाहार समिति स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। इस समिति मे श्रमिकों, मालिकों तथा सरकार के 15 प्रतिनिधि होंगे। सरकारी प्रतिनिधिदों मे जे समिति का अध्यक्ष सरकार द्वारा प्रतोनीत होगा। ।

4. मोटर यातायात कर्मचारी अधिनियम, 1961 (Motor Transport Workers Act, 1961) : यह अधिनियम उन मोटर यातायात कर्मचारों पर लागू होता है जिनमे 5 वर्षीय अधिक कर्मचारी काम करते हैं। यार्थ के घटे सप्ताह मे 48 दौर दैनिक 8 से अधिक नहीं हो सकते। 15 वर्ष से कम उम्र के कामको की नियुक्ति नियंत्रित है। किसी भी के लिए कार्य के घटे 1 दिन मे 6 से अधिक नहीं हो सकते और उन्हे रात्रि 10 बजे से प्राप्त: 6 बजे तक कार्य पर नहीं लगाया जा सकता। किसी भी 15 दिन के कार्य पर 1 दिन की छुट्टी का प्रावधान है।

५. मजदूरी संबंधी सन्नियम

मजदूरी संबंधी सरकार बहुत सीफ़ा तक मजदूरों भुगतान अधिनियम नं. 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सन् 1948 के द्वारा प्राप्त होता है।

1. मजदूरी अधिनियम, 1936 : यह अधिनियम कारखानों, रेली, कोडले की वाले तथा असम एवं मद्रास के वागानों मे कार्य करने वाले श्रमिकों पर लागू होता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत 400 रुपये या इससे कम गासिक वेतन पाने वाले श्रमिक ही आते हैं। अधिनियम के अनुसार मजदूरी खुकाने की अधिकतम अवधि एक माह निर्दिष्ट ही गई है। मजदूरी नकद मुद्रा के रूप मे दी जानी चाहिए।

2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 : मार्च 1948 से यह अधिनियम वारित हुआ। इसके अनुसार कौदीय और राज्य सरकारों को किसी भी उद्योग मे जिसमे 1,000 व्यक्ति लगे हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया है।

2 अधिक संघ अधिनियम, 1926 (Trade Union Act, 1926) : इस अधिनियम के अतर्गत अधिक संघों के पंजीयन तथा कर्तव्यों का नियमन किया गया है।

3. औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946) इस अधिनियम के अतर्गत जिन औद्योगिक संस्थानों में 100 या अधिक व्यक्ति काम करते हों उनमें भर्ती, वर्दास्तागी, अनुशासन, छुट्टी आदि सबधी नियमों की व्यवस्था है।

4 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) . देश में औद्योगिक शाति की दूर करने के लिए इस अधिनियम की रचना हुई है।

5 मध्य प्रदेश औद्योगिक सबध अधिनियम, 1960 (Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960) इस कानून का उद्देश्य उद्योगपतियों और मजदूरों के सबधों को नियमित करना और विवादों को सुलझाना है। यह नियम अधिक संघों को मान्यता देने, थम अधिकारियों और कर्तव्यों का वर्णन करता है।

6 बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (The Payment of Bonus Act, 1965) यह अधिनियम उन सब कारखानों और औद्योगिक संस्थानों पर लागू होता है जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति किसी भी दिन पिछले एक वर्ष में काम कर रहे हैं। कर्मचारी से तात्पर्य उन सब वेतन या मजदूरी पान वालों में है जो प्रति मास 1,600 रुपये से कम पाते हों। इस अधिनियम के अतर्गत कर्मचारी को उद्योगपति से बोनस पाने का अधिकार होता है।

7 दुकान वाणिज्य संस्थान अधिनियम (Shops and Commercial Establishment Acts) : यह राज्यों के अधिनियम हैं और देश के सब राज्यों ने पास किए हैं। इनके अनुसार कर्मचारियों के कार्य के घटे, माप्ताहिक अवकाश आदि का नियमन किया गया है।

8 बीड़ी तथा सिगार कर्मचारी (रोजगार की दशा) अधिनियम 1966 [Bedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966] यह कानून जम्मू और काश्मीर को छोड़कर देश में लागू हो सकता है, और इसका उद्देश्य बीड़ी तथा सिगार के उत्पादन में सर्गे हुए मजदूरों की दशा को सुधारना है। कोई भी राज्य इसे किसी तिथि में लागू कर सकता है।

9 बधक मजदूरी प्रथा अधिनियम, 1976 (Bonded Labour System Act, 1976) . यह अधिनियम आपातकालीन युग में पास किया गया। इसके द्वारा ऊण आदि की अदायगी के लिए बधक मजदूरों की बंबर प्रथा की समाप्ति कर दी गई। बधक मजदूरों को मुक्त कर दिया गया और बधक रखना एक दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया। इस प्रकार मुक्त किए गए मजदूरों को उनके घर, खेन आदि से बेदबल नहीं किया जा सकेगा।

10 ठेकेदारी मजदूर (नियन्त्रण एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 [Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970] : इस अधिनियम के अतर्गत ठेकेदारी प्रथा के अतर्गत मजदूरों के कार्य का नियन्त्रण किया गया और कुछ

परिस्थितियों में ठेकेदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया।

11. समान मजदूरी अधिनियम, 1976 (Equal Remuneration Act, 1976) : यह अधिनियम भाषानवालीन युग की देन है। इसके द्वारा गुण्य एवं महिला मजदूरों को बराबर मजदूरी पाने का अधिकार मिला है।

परीक्षा-प्रश्न

1. भारत में फैक्ट्री विधान के विकास का वर्णन कीजिए। सन् 1948 के फैक्ट्री अधिनियम की कौन-कौन-सी मुख्य व्यवस्थाएँ हैं? अथवा

भारत में 1948 के फैक्ट्री अधिनियम की मुख्य व्यवस्थाओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए तथा आपके विचार में इसमें कोई अन्य सुधार की आवश्यकता है? अथवा

हाल में होने वाले मुख्य परिवर्तनों की ओर संकेत करते हुए भारत के फैक्ट्री विधान के सक्षिप्त इतिहास का वर्णन कीजिए।

2. भारत के प्रमुख श्रम सन्नियमों का उल्लेख कीजिए और संघेप में प्रमुख विशेषताओं को वर्तलाइए।

3. भारत में खान, उदान तथा परिवहन सन्नियम की श्रम संबंधी विशेषताओं को विवेचना कीजिए।

4. "श्रम सन्नियमों का नाभि उनकी सहाया बढ़ाने में नहीं, बरन उनको कार्यान्वयित करने की भावना एवं विधि में निहित है।" विवेचना कीजिए।

वेरोजगारी की समस्या (Problem of Unemployment)

परिभाषा विस्तृत रूप से वेरोजगारी कार्यन मिलने की स्थिति होती है। पीछे व मतानुसार एक मनुष्य तब ही वेरोजगार होता है जब उसे उसके पास कोई कार्य नहीं होता और दूसरे वह कार्य करना चाहता है। यहाँ रोजगार पाप्त वर्तने के विचार की विवेचना प्रतिदिन बाम करने वे घटे, मनदूरी की दरें व मनुष्य के स्वास्थ्य की दारा वह ध्यान में रखकर करनी चाहिए। यदि किसी काररगने के कार्य वर्तने वे घटे 6 हपरत कोई अभिक 7 घटे कार्य करने की इच्छा रखता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह व्यक्ति 1 घटे वेरोजगार रहता है। दूसरे मनदूरी प्राप्त वर्तन वी इच्छा वा कार्य अप्रवृत्ति वर्तन की दरों पर बाम वर्तन की इच्छा से नेना चाहिए। इसी प्रकार, ऐसे व्यक्ति को भी वेरोजगार नहीं कहा जा सकता जो कार्य करने की इच्छा नहीं रखता है परन्तु वीमारी के कारण काम नहीं कर पाता।

वेरोनारी की परिभाषा वी आठवीं अतर्राष्ट्रीय अम साख्यादिव सम्मेलन ने दताई है वह निम्नलिखित है—

1 वेरोजगार व्यक्तियों म निश्चित आयु से ऊपर के वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो निश्चित दिन या निश्चित सम्भाव्य म व्यापक व्यक्ति वर्गों मे थे

(अ) शनिक जो कार्य व तिए तत्पर हैं लेजिन मेवान्मनुवध समाप्त या इस्य वी रूप विलिखित वर्तन दिया गया है और जिनके पार कार्य नहीं है और कार्य को वेतन या लाभ के लिए चाहते हैं।

(ब) व्यक्ति जो एक विश्वित समय मे कार्य के लिए तत्पर थे (केवल छोटी-मोटी वीमारी को छोड़कर) और जो कार्य को वेतन या लाभ के लिए चाहते थे, जिन्होंने पहले कभी काय नहीं मिला था और जो कभी भी वर्षमारी रही थे (जैसे कि भूतपूर्व सेवायोन्क आदि) वर्धवा जोकि मेवा विवृत हो चुके थे।

(स) वेरोनार व्यक्ति जो काये वे तिए तत्पर हों जिन्होंने निश्चित वर्धित से पहले नया कार्य वर्तन का प्रबन्ध किया हो।

(द) स्थायी या अनिश्चित रूप स जपरिया छुट्टी पर नाने गते व्यक्ति जिन्हें वेतन नहीं मिलता हो।

(vi) अद्वै-बेरोजगारी (Under-Employment) जब लोगों को पूरा कार्य नहीं मिलता या काम बेतन पर कार्य मिलता है जैसे कृषि में, तो इसे अद्वै-बेरोजगारी कहते हैं।

(vii) अदृश्य बेरोजगारी (Disguised Unemployment) सर्वप्रथम इस शब्द को थीमती जोन राविन्सन ने दिया था। अद्वै-विकसित देशों में अदृश्य बेरोजगारी से हमारा आशय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जहां अधिकाश व्यक्तियों को पूरा काम नहीं मिल पाता। भूमि पर जनसंख्या के दबाव व सुबूत कुटुंब प्रणाली के कारण बहुत-से थर्मिक एक ही खेत में काम करते हैं जो ऊपर से देखने पर तो कार्यरत रहते हैं परतु वस्तुत बेकार रहते हैं—वे अदृश्य रूप में बेकार रहते हैं क्योंकि उनके द्वारा संपूर्ण उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं की जानी है। दूसरी जगह कार्य न मिलने के कारण वे कृषि में लगे रहते हैं किंतु वस्तुत वे कुछ उत्पादन नहीं करते, बल्कि वे अनुत्पादक होते हैं। इसका अर्थ यह है कि कृपिरत थर्मिकों में से कुछ को दूसरे व्यवसाय में लगा दिया जाए तो कृषि का उत्पादन उत्तना ही हो सकता है जितना कि पहले होता था। इससे स्पष्ट है कि वे बेकार ही कृषि में लगे रहते हैं—अन्य कोई काम नै पाने के कारण। अत वे अदृश्य रूप में बेरोजगार रहते हैं।

बेरोजगारी का सिद्धात

बेरोजगारी के सबध में हम निम्नलिखित दो प्रमुख सिद्धातों का अध्ययन करेंगे—

I बेरोजगारी का प्रतिष्ठित सिद्धात

(The Classical Theory of Unemployment)

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की मान्यता यह है कि थम एवं उत्पादन के अन्य साधन हमेशा ही 'पूर्ण रोजगार' की स्थिति में रहते हैं। प्रो० टी० आर माल्यस जैसे कुछ व्यादों को छोड़कर लगभग सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने आधिक समस्याओं पर अपनी रचनाओं में मर्दव यीपूर्ण रोजगार की दशा एक साधारण या सामान्य दशा है और उसमें किसी भी प्राचार के परिवर्तन असाधारण दशा के द्योतक हैं। यदि कभी कभी किसी समय रोजगार पूर्ण रोजगार की स्थिति में कम भी होता है तो उनके विचार भी इसके लिए सरकारी हस्तक्षेप अथवा सरकारी एकाधिकार या ऐसे ही अन्य कारण दोषी होते हैं जो कि मार्ग एवं पूर्ति कार्य-वाहन में अडचनें पैदा कर देते हैं। इन अर्थशास्त्रियों का विचार यह कि यदि मार्ग और पूर्ति की शक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वे पूर्ण-रोजगार की स्थापना कर देंगी। इसी आधार पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का भत्ता था कि थम व अन्य साधनों को पूर्ण-रोजगार प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार आधिक धोत में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। यदि किसी समय पूर्ण-रोजगार की वास्तविक स्थिति नहीं होती है तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूर्ण-रोजगार की प्रवत्ति सदैव विद्यमान रहती है। प्रतिष्ठित विश्लेषण में सामान्य बेरोजगारी असम्भव है। सामन्य परिस्थितियों में सदा ही पूर्ण-रोजगार तक पहुँचन की

प्रवृत्ति बाजार में दिलाई पड़ती है तथा स्थिर सतुलन विदु केवल पूर्ण-रोजगार की स्थिति पर आने वाला सतुलन विदु ही नहीं ही सकता है।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का उपयुक्त विचार जै० बी० से के विचारों पर वाधा-रित है। 'से' के नियम क अनुसार देश में सामान्य अति उत्पादन एवं सामान्य वेरोजगारी की दशाएं उत्पन्न हो ही नहीं सकती क्योंकि जो कुछ उत्पादन किया जाता है उसका उपयोग भी आवश्यक हो जाता है। उनका कहना था, 'सूति स्वत त्वं मदंव अपनी माग को उत्पन्न करती है।' प्रो० 'से' का कहना है कि बाजार ही उत्पादन का सृजन बरता है। उनके मतानुसार माग का मुख्य स्रोत उत्पादन के विभिन्न साधनों से प्राप्त होने वाली आय होती है और यह आय उत्पादन प्रक्रिया से स्वत ही उत्पन्न होती है। जब कभी उत्पादन की कोई नवीन प्रक्रिया शुरू की जाती है और उसके परिणाम-स्वरूप एक निश्चित उत्पादन उपलब्ध होता है तो उत्पादन के साथ ही साथ माग इस-तिस बढ़ती है कि उत्पादन में लगे हुए साधनों को पारिश्रमिक मिलता है। दूसरी शब्दों में उत्पादन प्रक्रिया बास में ही इनी कष्ट-शक्ति का सृजन हो जाता है कि फलत जितना माल नियार होना है वह माग स्वत छिक जाता है।

इस प्रकार, चूंकि प्रो० 'से' के अनुसार सामान्य जटि उत्पादन' असभव है, इसलिए सामान्य अति उत्पादन के अभाव में सामान्य वेरोजगारी भी असभव है। प्रो० डिलाई के कथनानुसार मे० का बाजार का नियम सामान्य जटि उत्पादन की सभावना परस्परीकृत करता है। अधिक साधनों का प्रयोग हमेशा लाभदायक रहेगा और इस प्रकार पूर्ण-रोजगार की स्थिति बायम हो जाएगी। उत्पादन के साधनों को उस समय तक डियोजित रखा जाएगा जब तक कि वे अपनी भौतिक उत्पादकता के वरावर पुरस्कार स्वीकार करने वे लिए तैयार हों। मजदूरों को जो मिलता चाहिए यदि वे उसे स्वीकार कर नेते हैं तो इस दृष्टिकोण से अनुसार मानान्य वेरोजगारी नहीं रहेगी।"

2 प्रो० कीन्स का वेरोजगारी का सिद्धान्त (Prof Keynes Theory of Unemployment)

प्रो० बीन्स के मतानुसार पूजीचादी अर्थव्यवस्था में प्रचलित अनेकित्त वेरोजगारी ऊनी मजदूरियों के बारण नहीं बल्कि प्रभावपूर्ण माग की कमी के कारण होती है।

हम जानते हैं कि स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था में व्यवितरण फर्मों द्वारा रोजगार दिया जाता है और वस्तुओं का उत्पादन होता है। व्यवितरण कर्मों ही यह निश्चित करती हैं कि इनी मात्रा में दिसी वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया जाए। किसी फर्म में कितने व्यक्तियों वेरोजगार पर लगाया जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस फर्म के उद्यमों के विचार में कितने व्यक्तियों को समाने में उपदेश लाभ जग्याता है। उदाहरण के लिए यदि एक फर्म 10 व्यक्तियों को रोजगार देना 100 रुपये लाभ लाती है, परन्तु यदि 9 व्यक्तियों को काम पर लगावर 330 रुपये साभ कमाती है तो 9 व्यक्तियों को ही रोजगार पर रखेगी न कि 10 व्यक्तियों १०। फर्म बास्तव में कितने व्यक्तियों को रोजगार पर समाती है वह उसके बारा-

उत्पादित वस्तु की माग पर निर्भर करता है। यदि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु को 'भाँग अधिक है तो वह अधिक वस्तुओं का उत्पादन करेंगी और लोगों को अधिक सरया में रोजगार मिलेगा। जिसको अन्य लेखकों ने माग बहा है, कीन्तु उसे ही 'प्रभावी माग' कहते हैं। माग में दो बातें निहित होती हैं—(अ) किसी वस्तु की इच्छा (ब) उस वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त क्रयशक्ति (आय)। कीन्तु ने माग के स्थान पर 'प्रभावपूर्ण माग' शब्द का प्रयोग इसलिए किया जिससे वस्तु को खरीदने की इच्छा और उसके खरीदने की सामर्थ्य में भेद बिता जा सके। अतः किसी समुदाय मा समाज की प्रभावपूर्ण माग ये हमारा तात्पर्य वस्तुना और सेवाओं की समस्त मायों के कुल योग स है। हम किसी समाज की प्रभावपूर्ण माग को केवल ध्यय द्वारा ही जान सकते हैं।

स्पष्ट है कि माग में वृद्धि फर्म को अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए ग्रोत्सा। हृत करती है और पर्शिय मत पहल से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। इसी प्रकार माग में कमी वे कानून रोजगार व उत्पादन में कमी खाती है। अर्थव्यवस्था में इल रोजगार में लगाये गय श्रमिकों की मरुद्या अधिकवस्था म व्यक्तिगत फर्मों द्वारा लगाए गए श्रमिकों की सह्या वे वरावर होती है। अतः समस्त फर्मों की उत्पादित वस्तुओं की कुल प्रभावपूर्ण माग में परिवर्तन के कारण ही अर्थव्यवस्था में उत्पादन व रोजगार में उच्चावचन होते हैं।

सक्षेप में कीन्तु के आय और रोजगार सिद्धात को इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं—

(i) किसी विदेश अवधि में किसी दशा में आय और रोजगार का स्तर 'प्रभावपूर्ण माग पर निर्भर करता है।

(ii) प्रभावपूर्ण माग में वृद्धि, आय और उत्पादन में वृद्धि की ओर हो जाती है और रोजगार के स्तर में वृद्धि करती है।

(iii) प्रभावपूर्ण माग में र्मी, आय और उत्पादन में कमी की ओर हो जाती है और रोजगार के स्तर में गिरावट आती है।

कीन्तु के अनुसार चूंकि रोजगार प्रभावपूर्ण माग पर निर्भर है आर प्रभावपूर्ण माग के दो अग है—(अ) उपभोग पर ध्यय, सथां (ब) विनियोग पर ध्यय, अर रोजगार ने वृद्धि करने के लिए अर्थवा बेरोजगारी बो दूर करने के लिए या तो उपभोग ध्यय में वृद्धि की जाए अथवा विनियोग ध्यय बो बढ़ाया जाए।

परतु जब उपभोग पर किए जाने वाले व्यवहार की मात्रा घटने लगती है और चक्रत की मात्रा बढ़ने लगती है तो बेरोजगारी फैलने लगती है।

3 मजदूरी की अधिक दर कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि जब मजदूरी की दर ऊची होती है तो प्रभियों की भाग कम हो जाती है और माग बढ़ होने ने बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है।

4 जनसत्या में बृद्धि माल्यस ने जनसत्या के सिद्धात का प्रतिपादन करके यह स्पष्ट कर दिया है जिस अनुपात में जनसत्या में बृद्धि होती है उसी अनुपात में रोजगार के अवसरों में बृद्धि नहीं हो पाती, जिसके कारण अनेक श्रमिकों द्वारा गोजगार में विचित रहना पड़ता है और बेरोजगारी फैलती है।

5 सकनीकी परिवर्तन कई बार तकीयी परिवर्तन के कारण बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। ऐसा नई मशीनों या नई पद्धतियों के उपयोग के कारण उद्योग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर से जान के कारण होता है। विवेकीकरण व स्वचालित मशीनों में भी ऐसी ही बेरोजगारी उत्पन्न होती है जिसके नए तरीकों में अम श्रमिक उत्तमादन कर नेते हैं, फलत अम का एक भाग काम में हटा दिया जाता है और जब तक वैकल्पिक काम उपलब्ध नहीं हो नाते वह बेकार ही होता है।

6 करोंमे बृद्धि कुछ अद्यान्त्रियों का मत है कि करारोपण से कारण भी बेरोजगारी फैलती है। "दाहरण के लिए अदि सरकार नियति कर में बृद्धि कर देती है अथवा उत्पादन कर में बृद्धि करती है नो वस्तुओं की व्यापत्रें बढ़ जाती हैं जिसमें उनकी माग कम हो जाती है। माग न व्यापत्र के कारण उत्पादन नी कम नो जाना है और अम उत्पादन के लिए कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। फलत बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

7 अन्य कारण इनके अनिवित कुछ और भी कारण है तो बेरोजगारी निए जिम्मेदार हैं।

(i) उत्पादकों से समन्वय की कमी इससे अधिक उत्पादन या मर्दी की दारा उत्पन्न हो पाती है।

(ii) अम की गतिहीनता इसके कारण माग और पूर्ति का उचित सतुलन नहीं होने पाता।

(iii) अम की अकुपलता जैसे अपर्योग औद्योगिक प्रशिक्षण जिससे अनुदात श्रमिकों की सर्वो अधिक हो जाती है।

(iv) आय का अमारा वितरण।

(v) औद्योगिक सुधर्य जैसे हटाल, तान्त्रिकी आदि जोकि अम इन्हाँ को अम्भ अस्त कर देती है।

(ix) कुछ धर्मों में माग का अनियमित होना।

(x) उद्योग से अशिक्षित और अनुशाल श्रमिकों को निकालना जबकि वे अधिक वेतन मांगते हैं।

(xi) उद्योग में फैशन म परिवर्तन विदेशी प्रतियोगिता या प्राकृतिक प्रसाधनों की समाप्ति के कारण होने वाले परिवर्तन।

(xii) अम सघ के प्रभाव से किसी उद्योग में अधिक वेतन दृढ़ होने पर भी वेरोजगारी हो जाती है। वयोकि सेवायोजक कम थोग्य श्रमिक को निकाल देते हैं, वयोकि सेवायोजक उन्हें उतनी ऊँची मजदूरी पर रखने में असमर्य हो जाते हैं।

(xiii) सामाजिक सुरक्षा और अन्य सरकारी सहायता जैसे वेरोजगारी भत्ता आदि भी वेरोजगारी उत्पन्न करते हैं। वयोकि ऐसा होने पर श्रमिक कार्य के लिए बहुत प्रयत्न नहीं करते।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब तक उत्पादन का घटेय लाभ कमाना है और सरकार द्वारा देश के माध्यनों का जनता के लिए पूरा विकास नहीं किया जाता, तब तक वेरोजगारी आधुनिक औद्योगिक प्रणाली की एक नियमित विदेशी वनी रहगी।

वेरोजगारी के दुष्परिणाम

वकारी के दुष्परिणाम इतने अधिक और इतन गमी है कि यदि हम वह कहें कि विन्व म वेरोजगारी में बढ़कर कोई समस्या नहीं है तो यह अतिशयोक्ति न होगी। अमेरिका के मूलपूर्व राष्ट्रपति आईजन हावर न ता यहा तक कह दिया है कि वेरोजगारी म बढ़कर विद्व म कोई भी बड़ा अभिशाप नहीं है और काम करने के इच्छुक व्यक्ति दो वेरोजगार क न मिलने पर किन्तु कष्ट होता है उसमें बढ़कर विद्व में कोई कष्ट नहीं है। मध्यप में वेरोजगारी के दुष्परिणामों पर निम्नलिखित दृष्टिकोण से विचार कर मकत है—

1 आर्थिक दोष आर्थिक दृष्टि से वेरोजगारी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इसमें पूरे दग की आर्थिक हानि होती है। जनशक्ति धन है और इसे वस्तु तथा सेवा ओ भ परिवर्तित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए बी० पी० अदारकर के अनुसार भारत में वेरोजगारी के कारण एक हजार करोड़ रुपय की क्षति प्रतिवर्ष होती है।

वेरोजगारी के कारण श्रमिक की कार्यकुशलता पर दुरा प्रभाव पड़ता है, इससे उसकी आर कम हो जाती है और उसका जीवन स्तर निम्न हो जाता है। उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। उसका दृष्टिकोण निराशावादी व विनाशकारी हो जाता है और औद्योगिक शारी व आर्थिक उत्पादन सर्वट में पड़ जाता है।

2 सामाजिक दोष सामाजिक दृष्टिकोण म भी वेरोजगारी भयकर अभिशाप है। वेरोजगारी समाज म जपराधों, पापो और दुराचारो को जन्म देती है। वेरोजगार व्यक्ति आर्थिक कठिनाइयों के कारण चोरी व बैद्धमानी की तरफ प्रवृत्त होते हैं। स्त्रिया वैद्यावृत्ति और दुराचार की ओर उन्मुख होती है तथा समाज में भिक्षावृत्ति बढ़ती है।

3 नैतिक पतन : नैतिक दृष्टि से बेरोजगारी की समस्या अत्यत धृणाप्रद है। बेरोजगारी मनुष्य के चरित्र, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की शत्रु है। बेरोजगार दर्शन स्वयं अपनी और समाज की दृष्टि में गिर जाता है। हजारों व्यक्ति बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर लेते हैं अथवा घर छोड़कर भाग जाते हैं।

4 राजनीतिक दोष राजनीतिक दृष्टि से भी बेरोजगारी की समस्या उतनी ही भयकर है जिसनी आर्थिक अथवा राष्ट्राजिक दृष्टिकोण से। बेरोजगारी देश में जशाति और प्राति को जन्म देती है। समाज में प्रजातद का विवाद होता है और जराजदाता फैलती है। जिस ममय में बेरोजगारी की अधिकता हीती है वहाँ तोड़फोड़, दर्गे, हड्डतालें आदि घटनाएँ सामान्य हो जाती हैं।

5 सास्कृतिक दोष : सास्कृतिक दृष्टिकोण से भी बेरोजगारी की समस्या बड़ी भयकर है। इससे मानव व समाज की सास्कृतिक दशा दयनीय हो जाती है, क्योंकि जब मनुष्य की आश्रियकताओं को सत्य करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होता, उसका मानसिक व मास्त्रित विकास सभव नहीं हो पाता। इतिहास इम बात का साक्षी है कि दिश्व के केवल उन्हीं क्षेत्रों में सास्कृतिक विकास हुआ है तथा वो रहा है जहाँ के निवासी पूरी तरह त रोजगार में लगे हैं।

बेरोजगारी दूर करने के उपाय

बेरोजगारी को दूर करने का सरल उपाय यही है कि बेरोजगारी को जन्म देने वाले कारणों को समाप्त कर दिया जाए। सर्वेष में, बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्नलिखित सूझाव दिए जा सकते हैं :

1 बेरोजगार कार्यालयों की स्थापना राज्य द्वारा बनाए गए रोजगार विभार विशेष प्रबन्धर वे वार्तालय होते हैं। ये कार्यालय रोजगार वी नई सुविधाओं को तो जन्म नहीं देते परन्तु ये श्रमिकों की मांग और पूर्ति में सतुलन स्थापित करने में सहायक होते हैं। ये रोजगार-हिति के विभिन्न पहलुओं पर उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। उपलब्ध रोजगार सुविधाओं की जानकारी के अभाव के कारण भी बेरोजगारी का आकार बहा हो जाया बरता है। रोजगार कार्यालय इस कठिनाई को समाप्त कर देते हैं।

2 शिक्षा प्रणाली में सुधार वह शिक्षा प्रणाली जो शारीरिक श्रम से धृणा करना मिलाती है उसमें सुधार दिया जाना चाहिए और साथ ही तकनीकी शिक्षा पर अधिक वज़ दिया जाना चाहिए, ताकि उचित स्थान के लिए योग्य और कुशल श्रमिकों को बास पर लागाया जा सके।

3 जनसंख्या नियन्त्रण जनसंख्या की तीव्र वृद्धि पर नियन्त्रण लगाया जाना चाहिए। बेरोजगारी को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि जिस अनुपात में रोजगार सुविधाएँ बढ़ रही हैं उसमें कम अनुपात में ही जनसंख्या में वृद्धि हो तो बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार मिल सके और नए श्रमिकों के आने पर भी बेरोजगारी का आकार छोटा होता चला जाए।

4 कुटीर उद्योगों का विकास कराई-नुताई, मिट्टी का बाम, चमं उद्योग आदि

कुटीर व लघु उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए ताकि ऐसे श्रमिकों को जो बड़े-बड़े औद्योगिक उपकरणों में कार्य करने योग्य नहीं हैं अथवा उनके लिए औद्योगिक उपकरणों में कार्य नहीं है, रोजगार की सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

5. बेरोजगारी बीमा : बेरोजगारी बीमे की व्यवस्था कर देने से बेरोजगारी के आकार में तो कोई कमी नहीं हो पाती, परन्तु यह रोजगार श्रमिकों के लिए एक प्रकार की आर्थिक सहायता है जिससे सकट-काल में श्रमिकों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करती है।

6. चक्रीय उतार-चढ़ाव को घटाने हेतु सरकारी उपाय : कीन्त के मतानुसार जब देश में प्रभावपूर्ण माग में कमी हो जाती है तो बेरोजगारी फैलती है। प्रभावपूर्ण माग के दो अण हैं : (अ) उपयोग पर व्यय, और (ब) विनियोग पर व्यय। अतः बेरोजगारी को दूर करने के लिए उपभोग व्यय और विनियोग व्यय को बढ़ाना चाहिए। उपभोग को प्रोत्साहित करने व विनियोग की मात्रा में बढ़ि दिए जा सकते हैं :

1 देश के उपभोग को प्रोत्साहित करने के उपाय : उपभोग प्रवृत्ति में वई प्रकार से बढ़ि की जा सकती है जैसे—

(i) आय का पुनर्वितरण करके, चूंकि अमीरों की अपेक्षा गरीबों की उपभोग प्रवृत्ति छंची होती है, इसलिए अमीरों पर भारी कर लगाना चाहिए और हम प्रकार प्राप्त की गई आय को सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण हेतु व्यय करना चाहिए।

(ii) गरीबों पर लगाए जाने वाले परोक्ष करों में कमी कर देनी चाहिए जिसमें उनकी उपभोग-शक्ति बढ़े और माग जागृत हो सके।

(iii) सरकार को वृद्धावस्था, बेकारी, अपाहिजों की सहायता इत्यादि वे रूप में आर्थिक सहायता देनी चाहिए ताकि वे अपने उपभोग-स्तर को पूर्ववत् न्वाप रख सकें।

2 देश के विनियोग की मात्रा में बढ़ि के उपाय : विनियोग दो प्रकार वे हो सकते हैं—

(अ) निजी विनियोग (Private Investment)

(ब) सरकारी विनियोग (Public Investment)

प्रो० की.स के मतानुसार इन दोनों प्रकार वे विनियोगों में बढ़ि करके ही हम रोजगार में बढ़ि कर सकते हैं।

(अ) व्यक्तिगत विनियोगों को प्रोत्साहित करने के उपाय : व्यक्तिगत विनियोगों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं :—

(i) व्यापारिक करों में कमी : उद्यमियों पर लगाए गए करों में पर्याप्त कमी कर देनी चाहिए जिससे कि व्यापारियों को 'वचत' हो और वे उस बचत को विनियोग कर सकें।

(ii) ब्याज की दर में कमी : व्यक्तिगत विनियोग मुख्यतः साभ के ऊपर आधारित होते हैं। अतः साभ को बढ़ाने के लिए सरकार वो अपनी निति द्वारा ब्याज

की दर को घटा देना चाहिए।

(iii) मूल्य स्थर्यं उपय (Price-Support Policy) मूल्यों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव राखने के लिए जिसमें व्यक्तिगत पूँजी को विनियोग में प्रोत्साहन मिले, सरकार को 'मूल्य स्थर्यं' नीति का अनुकरण करना चाहिए।

(iv) एकाधिकार विरोधी नीति व्यक्तिगत विनियोगों में बढ़िया करने के लिए सरकार को एकाधिकारी विरोधी नीति का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि ये एकाधिकारी व्यवसाय ना ना उद्यमियों को बाजार में प्रविष्ट नहीं हो देते और तरह-तरह की बाधाएँ मार्ग में उपस्थित करते हैं।

(v) विदेशी पूँजी को आमत्रित करना देश में विनियोग की भावा बढ़ाने के लिए, देश के हितों का ध्यान रखते हुए, विदेशी भ पूँजी आमत्रित की जा सकती है।

(vi) सार्वजनिक अथवा सरकारी विनियोग में बढ़िया उद्यमियों में मदी काल के गमय प्राप्त निरामा की लहर दौड़ जाती है। इस निरामापूर्ण मनोवृत्ति के कारण यह निश्चयात्मक रूप से तभी कहा जा सकता कि उपर्युक्त उपयोग का व्यक्तिगत विनियोग पर आशातीत प्रभाव पड़ेगा और व्यक्तिगत पूँजीपति उससे उचित रूप में प्रोत्साहित होकर कार्य करेंगे। इस गम के कारण प्रौद्योगिकी ने मदी काल में जहा निजी विनियोग को प्रोत्साहन देने को रुहा वहा जाय ही साथ सरकारी विनियोग का भी खोरदार रब्दों में समर्थन किया। सरकारी विनियोग निम्ननिमित्त प्रकार से किये जा सकते हैं-

(i) लीफ रैकिंग (Leaf Racking) यह सार्वजनिक व्यव द्वारा अनुत्तादक कार्यों को चताने की एक नीति है। ऐसे बेकार व्यक्तियों द्वारा गढ़े खुदवाकर भरवाना चाहिए।

(ii) सामाजिक सेवा के लिए दिनियोग जैसे स्कूल, अस्पताल, महको, नहरों इत्यादि का निर्माण करना।

(iii) उपभोग के लिए विनियोग जैसे रकूला म सुपन भोजन देना।

(iv) उत्पादक उद्यमों के लिए विनियोग करना जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी उद्यमों का विकास करना।

इस प्रवार की प्रोजेक्शनों में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के नए-नए व्यव-मर उपलब्ध होने हैं। उनकी जाति वृद्धि होने के कारण वे अधिक बस्तुओं की माग करने हैं परिणामतः प्रभावपूर्ण माग में बढ़िया होती है और गुणाक (Multiplier) की फिल्डिनेटा के चारण रोजगार की भावा में बढ़िया हो जाती है।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि उपर्युक्त कार्यों के लिए यित्त कहा से लिया जाए? कोन्स का मत यह कि प्रबन्धित स्रोतों जैसे करारोपण या सार्वजनिक क्रष्ण की अपश्या हीनार्थ प्रबन्धन (Deficit Finance) द्वारा धन प्राप्त करना अधिक थोड़ा-कर है। इस गत वर्ष ध्यान रखा चाहिए कि सार्वजनिक निर्माण कार्य योजना सामरिक और उचित नाहीं में हो, जिससे किसी प्रकार भी अपक्रियत विनियोग हनोत्साहित न हो।

अन्य सुनाव - (अ) औद्योगिक विनाशों को नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य अमरणों

को प्रोत्साहन देना, (ब) आय के पुनर्वितरण द्वारा वर्तमान औद्योगिक संगठन में परिवर्तन करना, (स) अतिरिक्त सुरक्षित श्रम को कार्य कम करके, उद्योग का क्षेत्र बढ़ाकर, पेशन की आगु को कम करके कार्य देना, (द) जो अभिकृत शारीरिक रूप से आघोष हैं उनको चिकित्सा-सहायता देकर ठीक करना।

भारत में बेरोजगारी की समस्या (Unemployment Problem in India)

बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ-साथ समाज की श्रम-शक्ति में वृद्धि होती है। श्रम की अधिकता के कारण भारत में बेरोजगार तथा अल्परोजगारी की समस्या बहुत उम्मीद होती जा रही है। श्री जगजीवन राम के शब्दों में, 'पिछले 15 वर्षों में रोजगार के जो अवसर प्राप्त हुए थे, वे बहुत सीमा तक बढ़ती हुई जनसंख्या में समा गए।' वास्तव में बेरोजगारी का दामन द्वारा संपूर्ण राष्ट्र-जीवन को आक्रत किए जा रहा है, और यह एक बुराई है जिसके कारण न केवल मानवीय सांसाधन का अपव्यय होता है, बल्कि इससे देश का भावी आर्थिक विकास रुकता है और विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक विषमताएं उत्पन्न होती हैं। जनसंख्या विस्फोट की भाँति 'बेरोजगारी विस्फोट' भी हमारे लिए एक महान चुनौती है। भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि के शब्दों में, "हमारी समझ से हमारी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और गरीबी की है। हम निस्त-देह एक दुश्चक्ष में फँस गए हैं। साधनों की कमी से और अधिक रोजगार के अवसर नहीं बन पाते और इसमें गरीबी निरतर बनी रहती है। लेकिन अगर हमें राष्ट्र के रूप में जीवित रहना है, तो इस दुश्चक्ष को समाप्त करना होगा।"

भारत में बेरोजगारी की स्थिति

विश्वसनीय आकड़ों के अभाव में बेरोजगारी के सबध में पूर्णतया सही स्थिति का अनुभान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जो भी आकड़े प्राप्त हैं उनके ही आधार पर सारिणी 1 द्वारा देश में बेरोजगारी की स्थिति अगले पृष्ठ पर दिखाई गई है।

आगे दी गई सारिणी से स्पष्ट है कि प्रत्येक उत्तरोत्तर योजना के साथ बेरोजगारी बढ़ती ही गई है। दो सूखे के वर्षों, वार्षिक योजनाओं की अवधि में सरकारी व्यय के तुलनात्मक निम्न स्तर, चौथी पचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में पूर्ण असफलता के कारण बेरोजगारी की मात्रा में वृद्धि हुई है। कारण चाहे कुछ भी हो, इतनी भारी मात्रा में बेरोजगारी का विद्यमान होना देश की सामाजिक स्थिरता के लिए भागी नहरा है। गुनार मिंडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में बेरोजगारी के सबध में योजना आयोग के आकड़ो और उसकी हिसाब पढ़ति में गहरा सदेह प्रकट किया है।

बेरोजगारी पर विशेषज्ञों की समिति, जिसके अध्यक्ष थी वी० भगवती थे, ने अपनी रिपोर्ट मई, 1973 में भारत सरकार को प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि दूसरी आकड़ों के आधार पर सन् 1911 में देश में बेरोजगारों की संख्या 187 लाख थी। इसमें से 161 लाख बेरोजगार व्यक्ति ग्राम-सेत्र से हैं और 26 लाख शहरी-सेत्र से हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में वेरोजगार व्यक्तियों में 76 लाख और 85 लाख स्थिता थी। शहरी क्षेत्र में वेरोजगारारों में पुष्टयों और निवासी की संख्या 16 लाख और 10 लाख थी। कुल अमन्यकृत के प्रतिशत के रूप में वेरोजगार व्यक्तियों की मात्रा 10.4% थी। रोजगार दफतरों के उपलब्ध आकड़ों के अनुसार दिसंबर 1971 की अपेक्षा दिसंबर 1972 में वेरोजगारों की संख्या 15.1% अधिक थी।

सारणी 1. भारत में वेरोजगारी की स्थिति (लाखों में)

योजना	नव आग तुक अनिवार्य रोजगार			
	रोजगारों को बकाया (New Entrants)	पर्याप्त संख्या (Back-log)	Employment) (Gap)	परतरात
प्रथम योजना	33	90	70	53
द्वितीय योजना	53	118	100	71
तृतीय योजना	71	170	145	96
चार्पीय योजनाएं	96	—	—	136
चतुर्थ योजना	126	273	180	219
पंचम योजना	140	220	150	210
छठी योजना	206	295	492	—

1971 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 9.5 करोड़ व्यक्ति रोजगार चाहते हैं। भारत में दो करोड़ व्यक्ति रोजगार में हैं। इस दृष्टिकोण से भारत में वेरोजगारी का प्रतिशत 20 है जोकि निश्चित ही गंभीर और चिनाजनक है।

भारत में वेरोजगारी को प्रकृति

भारत में वेरोजगारी का अव्ययन हम दो शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं :

(अ) ग्रामीण क्षेत्रों में वेरोजगारी : कृषि वेरोजगार।

(ब) नगरीय क्षेत्रों में वेरोजगारी ।

(ब) पार्श्वीय क्षेत्रों में वेरोजगारी : कृषि वेरोजगार : भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों में दो प्रकार की वेरोजगारी पाई जाती है—मोसमी तथा स्थायी या छिपी हई वेरोजगारी।

भारत के लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, और कृषि विधिक-तर एक मोसमी उद्योग है। मोसमी वेरोजगारों के अन्तर्गत ग्रामवासी फसल कट जाने के बाद बैकार हो जाते हैं तथा जब तक दूसरी फसल का कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हो जाना तब तक बैकार ही रहते हैं। भारतवर्ष में मिचाई व पूजी का अभाव होने से तथा कृषि सहायक एवं अन्य कुरोर उद्योगों का पर्याप्त विकास न होने से लोगों को वर्षभर कार्य नहीं मिल

पाता है। मौसमी वेरोजगारी के सबध में अलग-अलग अनुमान लगाए गए हैं। रायत्कक्षमीशान (शाही आयोग) के अनुसार कृषक वर्ष में कम से कम 4-5 माह तक अवश्य ही वेरोजगार रहते हैं। डॉ० राधाकमल मुकर्जी के अनुसार उत्तर प्रदेश में सधन कृषि क्षेत्रों में किसानों द्वारा साल-भर में केवल 200 दिन ही काम मिलता है। श्री जैक के अनुसार बगाल में पटसन की खेती करने वाले लगभग 9 माह व चावल की खेती करने वाले लगभग 7 माह खाली बैठे रहते हैं। डॉ० स्टेटर के अनुसार दक्षिण भारत में किसानों को साल-भर में केवल 200 दिन ही काम मिलता है।

भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में छिपी हुई वेरोजगारी भी अत्यत व्यापक है। छिपी हुई वेरोजगारी से हमारा तात्पर्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जिसमें श्रमिक काम पर तो लगा हुआ मालूम होता है किंतु उत्पादन में उनका अशदान नहीं के बराबर होता है। भारत में भूमि पर जनसंख्या का अत्याधिक दबाव होने वे कारण कृषि में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हुए हैं। उनकी सीमात उत्पादकता बहुत ही कम होती है या दूसरी होती है। कृषि में सलग इन अतिरिक्त व्यक्तियों को यदि कृषि स हटा लिया जाए और अन्य व्यक्तियों में लगा दिया जाए तो भी कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी। अर्थात् उनका उत्पादन में अशदान नहीं के बराबर होता है, जिसके फलस्वरूप छिपी वेरोजगारी की समस्या पाई जाती है। उदाहरण के लिए यदि कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात 70 प्रतिशत रु कम करके 60 प्रतिशत कर दिया जाए और देश में कृषि-उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़े, तो हम कह सकते हैं कि 10 प्रतिशत लोग छिपी वेरोजगारी से प्रभावित हैं। कृषि में ऐसे अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या का अनुमान कई विद्वानों ने लगाया है। जैसे श्री नवगोपालदास के अनुसार सन् 1939 में ऐसे अतिरिक्त कृषि श्रमिकों की संख्या 1 55 करोड़ थी। श्री दत्ता ने यह संख्या सन् 1951 में 1 94 करोड़ अनुमानित की थी। हाल ही में राष्ट्रीय अम आयोग के अध्ययन दल के अनुसार कम से कम 1 60 करोड़ व्यक्तियों के पास पूरा काम नहीं है। श्री गिरि के अनुसार देश में अद्वैतेरोजगारों की संख्या 10-15 करोड़ है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने देहात में रोजगारी का जुलाई 1960 से जून 1961 तक अनुमान लगाया है जिसके अनुसार ग्रामीण भारत में कुल जनसंख्या का 42% काम करने योग्य है, इसमें से केवल 40% जनसंख्या काम में लगी हुई है। कार्यरत सोगों में से 72 88 प्रतिशत सप्ताह में यातों दिन काम करते हैं और 11 17 प्रतिशत 4 दिन से 1 दिन काम करते हैं।

श्रीमती शकुंतला मेहरा ने अपने एक लेख “भारतीय कृषि में अतिरेक श्रम”

- (Surplus Labour in Indian Agriculture) में इस सबध में कुछ नमक प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने अतिरेक श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया है कि “ये वे हैं जिनको कृषि क्षेत्र से हटा लिया गाए तो कृषि के उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी।” इन्होंने इसमें मौसमी वेरोजगारी को नहीं सम्मिलित किया है। उनके अनुसार भारतवर्ष में कुल कृषि श्रम शक्ति का 17.1 प्रतिशत अतिरेक है। परमु भारत के विभिन्न राज्यों में अतिरेक कृषि-श्रमिक के प्रतिशत में काफी विभिन्नता है।

ग्रामीण क्षेत्र में वेरोजगारी की सस्या अत्यंत तीव्र दर से बढ़ रही है। प्रथम कृषि जात मन्दिर के अनुसार 1950-51 में भारत में कुल ग्रामीण वेरोजगारों की सस्या 28 लाख थी जबकि राष्ट्रीय प्रतिदश सर्वेक्षण के 16वें दोर में 1960-61 में यह अनुमान लगाया गया था कि उस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में कुल 56.4 लाख व्यक्ति वरोजगार थे। ग्रामीण वरोजगारी की सस्या में बढ़ने की यह प्रवृत्ति अगली दशान्दी में भी बनी रही और फन्स्वहप 1971 में ग्रामीण वेरोजगारों की सस्या का एक अनुमान भारतीय येजना आयोग ने अचूक पर्याप्त योजना 1978-83 के प्रारूप में प्रस्तुत किया। इस अनुमान के अनुसार 1973 में भारत में कुल ग्रामीण वरोजगारों की सस्या 1 करोड़ थी जबकि 1978 में इनसी अनुमानित सस्या 1 करोड़ 12 लाख हो गई थी।

भारत में अदृश्य वेरोजगारी अपवा कृषि वेरोजगारी के कारण भारत में अदृश्य वरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण मध्ये में इस प्रकार हैं—

(i) भारत में जनसंख्या में संजीवी से होने वाली वृद्धि।

(ii) औद्योगीकरण का अभाव।

(iii) कृषि की मौसमी प्रकृति जिसके कारण वर्ष में कई महीने कृषकों को अधिकार्य रूप से वेरोजगार रहना पड़ता है।

(iv) कृषि के जनाभदायक होने पर भी लोगों द्वारा भूमि को नहीं छोड़ा जाना, योद्धि भूमि के स्वामित्व न सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।

(v) कुनैर उद्योगों का पनन।

(vi) उत्तराधिकारी कानून के कारण वित्त की सपनि में भाग मिलना जिससे अनुन में नोग दिना लाभदायक कार्य किए ही ग्रामीण लोगों में बने रहते हैं।

(vii) ग्रामी का अनुकूल बातावरण भी व्यक्तियों को अपनी ओर अक्षित करता है।

(viii) संयुक्त परिवार प्रणाली भी विद्यमान अदृश्य वेरोजगारी का एक अन्य कारण है।

समस्या को हल करने के उपाय देश में अदृश्य वेरोजगारी की समस्या को समोप्रदद द्वय से हल करने के लिए उत्तरदायी उक्त मूल कारणों का निवारण चाहा परमावश्यक है। इसके लिए तीन प्रकार के उपायों की वावश्यकता है—

(अ) जनसंख्या नियन्त्रण के उपाय। (विस्तृत विवरण के लिए जनसंख्या नीति नामक अध्याय देखिए।)

(ब) आर्थिक विकास वी गति को तेज़ करने के उपाय। (विस्तृत विवरण के लिए आर्थिक विकास नीति नामक अध्याय देखिए।)

(ग) भूमि व्यवस्था में सुधार। (विस्तृत विवरण के लिए 'भूमि-व्यवस्था नामक अध्याय देखिए।)

नगरीय क्षेत्रों में वेरोजगारी ,

नगरीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से दो प्रकार की वेरोजगारी देखने को मिलती है :

(अ) औद्योगिक वेरोजगारी,

(ब) शिक्षित वर्ग व मध्यम श्रेणी के लोगों में पाई जाने वाली वेरोजगारी ।

(अ) औद्योगिक वेरोजगारी : देश में जनसंख्या की तेजी से वृद्धि के कारण अमिकों की संख्या भी बढ़ रही है। ज्यो-ज्यो नगरों का विस्तार होता जा रहा है, त्यो-त्यो ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में स्थानात्मिक होती जा रही है। इसके अतिरिक्त कम कामकाज वाले भौसम ये अनेक कृषि अभियान रोजगार वी तलाश में औद्योगिक केंद्रों में आते हैं। इस तरह उद्योगों में काम मांगने वाले व्यक्तियों की संख्या तो बढ़ती जाती है, किंतु औद्योगीकरण की गति धीमी होने के कारण रोजगार के इच्छुक अभियानों को उद्योगों में पूरी तरह समाया नहीं जा पा रहा है। इस प्रकार औद्योगिक अभियानों में वेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है।

(ब) शिक्षित वर्ग में वेरोजगारी, भारतवर्ष में शिक्षित बेकारी की समस्या मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में है। शिक्षित लोगों में वेरोजगारी का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें मैट्रिक या उससे कठीनी शिक्षा प्राप्त लोग बेकार रहते हैं। शिक्षित वर्ग में पाई जाने वाली वेरोजगारी एक भीषण समस्या है। शिक्षा क्षेत्र में 'संख्या-विस्फोट' अर्थात् अति संख्या में विद्यार्थियों का शिक्षा प्राप्त कर निकलने के कारण, शिक्षित वेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। शिक्षित व्यक्तियों की बेकारी का सही अनुमान लगाना बहुत कठिन है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस प्रकार के बेकार व्यक्तियों की संख्या रोजगार के अवसरों की उपलब्धि तथा पूर्ति और मांग में असुलन पैदा हो जाने के कारण अधिक हो रही है। प्रति वर्ष कितने ही नए कालेज तथा स्कूल खुलते हैं और प्रत्येक वर्ष शिक्षा प्राप्त करके युवक ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकल रहे हैं और इस प्रकार रोजगार या काम की तलाश करने वाले व्यक्तियों की संख्या रोजगार के अवसरों की तुलना में बढ़ती जा रही है। दोषयुक्त शिक्षा-प्रणाली से भी यह बेकारी बढ़ती है। हमारी शिक्षा प्रणाली पुस्तकीय है, उससे व्यावसायिक या प्राविधिक स्वरूप दूहत कम है। वह किसी विशेष कार्य के लिए प्रशिक्षित नहीं करती। यही कारण है कि बहुत से हिक्षित लोग वेरोजगार रहते हैं। भारतवर्ष में शिक्षित वेरोजगारी की समस्या अत्यंत गमीर होती जा रही है, जिसका अनुमान सारिणी 2 के अन्ती से लगाया जा सकता है।

अतः सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि हमारे देश में शिक्षक, इंजीनियर तथा अन्य व्यवसाय वाले वेरोजगारी की एक सेना बन गई है।

शिक्षित वेरोजगारी की समस्या को हल करने की प्राप्तिकाला देनी चाहिए। क्योंकि "शिक्षित वेरोजगार अपनी आवाज उठा सकता है, उसका अपने क्षेत्र में प्रभाव होता है, वह पूँछ अनुभव करता है कि उसके साथ अप्यग्रह हुआ है, अगर उसे नहीं समय तक बेकार रहना पड़ा तथा वेरोजगारों की संख्या भैड़उस रोक्ट वृद्धि होती रही जैसा

कि भारत में है तो उनमें विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है और यह स्थिति निश्चय ही विस्फोटक रूप धारण कर सकती है।” अत शिक्षित बेरोजगारी देश की सुरक्षा तथा स्थिरता के लिए भयानक सिद्ध हो सकती है। यही नहीं, लोगों द्वारा शिक्षित करने में राष्ट्र की काफी सप्ति सर्व करनी पड़ती है।

सारणी 2 . भारत में शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी

	(हजारों में)				
	1951	1961	1966	1971	1976
1. मैट्रिक	187 0 (76 5)	463 6 (78 5)	619 5 (65 7)	1101 2 (69 4)	2829 (55 4)
2. स्नातकपूर्व (हायर मेकेड्यो तथा इंटर आदि)	30 6 (12 5)	70 8 (12 0)	204 4 (23 1)	443 9 (24 4)	1255 (24 6)
3. स्नातक तथा स्नात- कोपरात शिक्षा प्राप्त	26 8 (11 0)	55 8 (9 5)	91 6 (11 2)	276 5 (15 8)	1020 (20 0)
	244 4	590 2	917 5	1821 6	5104

नोट— कोष्टक में दिए गए आकड़े कुल के प्रतिशत के रूप में हैं।

शिक्षित व्यक्तियों में बढ़ती ही बेकारी के स्तरों के साथ साथ कई व्यवसायों में जनशक्ति की कमी का विरोधाभास पाया गया है। हास ही में इंजिनियरिंग प्रेज़ुएट और डिप्लोमा होस्टर वी बेकारी देता है कई भागों में तर्ताई गई है। एक अनुमान के अनुसार इंजीनियर स्नातकों तथा डिप्लोमा वालों की कुल संख्या का 20% 1970 में बेरोजगार था। लेकिन साथ ही कुछ व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्रों में अभियों का अभाव भी है। जैसे—इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कैमिस्ट, टनर फार्मसिस्ट व ड्राप्टमैन जादि की कमी बनी हुई है। कुछ व्यवसायों में आवश्यक जनशक्ति की कमी और कुछ व्यवसायों में आवश्यक जनशक्ति से अधिक लोग उपलब्ध होना इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा और व्यवसाय में समुचित सतुर्जन नहीं रखा गया है अर्थात् हमारे देश में मनुष्य वर्गित के नियोजन में काफी दोष है। फलत एक ओर राजगार चाहने वालों की संख्या बढ़ती जाती है और दूसरी ओर कई बास घरें ऐसे हैं जिनके लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलते हैं।

कारण इन प्रवार को बेरोजगारी के प्रमुख वारण सदोंम इस प्रकार हैं—

- (i) विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या।
- (ii) सेंद्रातिक शिक्षा प्रणाली।
- (iii) भारतीय विद्यार्थियों द्वारा शारीरिक थम रखने में सदोंच।

(iv) प्रशिक्षण सम्याचो वा अभाव ।

(v) विभिन्न व्यवसायों वे सबध में प्रदर्शन व सूचना प्रदान करने वाले सम्बन्धों का अभाव ।

(vi) समुक्त परिवार प्रणाली के कारण युवकों में कार्य ढूढ़ने की चिंता और अभाव ।

(vii) अर्थव्यवस्था वा शहप विकसित रूप ।

उपाय : देश में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए हमें (i) शिक्षा-प्रणाली को व्यवसायमूलक नानां पड़ेगा, और (ii) आधिक विकास की गति और तीव्रतर करना पड़ेगा ताकि प्रशिक्षित व्यक्तियों वो शीघ्र ही कार्य मिल सकें ।

बेरोजगारी के कारण

भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी के कारण भिन्न भिन्न हैं तथापि हम कर्तिपर्य सामान्य कारणों का उल्लेख कर सकते हैं जो निम्न हैं

1 जनसंख्या में तीव्र वृद्धि : हमारी जनसंख्या में प्रतिवर्ष लगभग 2.5% से वृद्धि हो रही है । जासंख्या की इस तीव्र वृद्धि के कारण हमारी श्रम शक्ति भी तेजी से बढ़ रही है, परन्तु रोजगार के अवसर उसी गति से नहीं बढ़ सकते हैं । फलत देश में बेरोजगारी की समस्या उग्र है ।

2 कृषिका पिछड़ापन भारतीय कृषि करने का ढग अब भी पुराना है । कृषि उद्योग अविकसित है और वर्द्धापर अधिक निम्नर है जिससे उसका स्वरूप अधिक मोसमी है । कृषि की इस पिछड़ी हुई अवस्था के कारण इसमें अधिक लोगों को रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकता ।

3 दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है वयोंकि वह अधिक तर साहित्यिक है व्यावरायिक नहीं, जिसके फलस्वरूप शिक्षित बेकारी देश में अधिक है । प्रत्येक वर्ष हमारे विश्वविद्यालयों में हजारी विद्यार्थी द्वारा ०.८०, एम०.८० पास करते हैं, लालों की संख्या में विद्यार्थी हाईस्कूल व इंटर की परीक्षाएं पास करते हैं । फलत प्रतिवर्ष शिक्षित वर्ग में कार्य ढूढ़ने वाले तथा कार्य अवसरों में अतर बढ़ता जाता है ।

4 अन्य कारण उपर्युक्त अधारभूत लारणों के अतिरिक्त देश में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या के लिए निम्न कारण उत्तरदायी हैं—

(क) विटिश काल में जो नीति अपनाई गई उससे हमारे देश में कृषीर व लषु उद्योग का हास हुआ है, वे अभी तक पर्याप्त भावां में उचित ढग से विकसित नहीं हो सके ।

(ख) देश के प्राकृतिक साधनों की क्षमता का पूर्णतया उपयोग नहीं किया गया है ।

(ग) कृषि तथा अन्य उद्योगों में पूजी का अभाव है ।

(घ) भारत में अभियों की गतिशीलता का अभाव है ।

(इ) देश में अशिक्षित व अकुशल अभियों वा आधिक्य है ।

(च) बहुत से उद्योगों में लागत कम करने के उद्देश्य से नवीनीकरण व आप-

निवीकरण वे कार्यक्रम अपनाएं गए हैं जिससे योड़े-बहुत अनिका की छटनी हो गई है।

(८) पिछले कई वर्षों में कई विभाग जो युद्धकाल में न्यायित किए गए थे जैन नागरिक समरण विभाग आदि अब बद कर दिए गए हैं।

(९) देश का औद्योगीकरण भी घोटी गति से हो रहा है। हाल ही में विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण आयात पर बहुत में प्रतिवध लगा दिया गया है जिसमें कि औद्योगीकरण की गति में सिथिलता आ गई है।

(१०) देश में मानवीय ज़क्कित का उचित नियोजन नहीं हुआ है। देश की सामाजिक स्थिति ने कुछ बश तक वेरोजगारी की समस्या को भौत अधिक बढ़िन कर दिया है जैसे जातिप्रथा, बालविवाह व अन्य सामाजिक तुरीतियों के कारण श्रम की गतिशीलता में अभाव पाया जाता है।

(११) इसके अतिरिक्त लघु व कुटार उद्योग का ह्रास, उपलब्ध औद्योगिक क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना, ऊनी लागत वर्द्धनवस्था, गृस्वा मदी व अवमूर्त्यन की दशाएं तथा समाज की बदलती परिस्थितियों में मध्यम योगी की स्थितियों का अनवाजार में प्रवेश आदि को वेरोजगारी के अन्य कारणों के अतिरिक्त उल्लेख किया जा सकता है।

सुझाव

वेरोजगारी की समस्या देश में अत्यत गम्भीर है और इसको शीघ्र में शीघ्र दूर करना अत्यत आवश्यक है। यदि 'साठ' का दशक भारत में साच्चा समर्थन हल करने का दशक रहा है, तो 'मात्र' का दशक हमारे लिए वेरोजगारी दर करने का दशक 'हना' चाहिए। विकास कार्यक्रम इस आधार पर बनाए जाने चाहिए कि 'सब लोगों को रोजगार मिले।' श्री दी० बी० गिरि ने अनुसार वेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें शीघ्र ही सबके लिए गोजार की भावना से युद्ध-स्तर पर महिला उपयोग करने होंगे।

वेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित दीर्घकालीन और अल्पकालीन उपायों का उपयोग किया जाना चाहिए—

१. दीर्घकालीन उपाय वेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए अपनाई गई दीर्घकालीन नीति में निम्नलिखित बातों का होना अत्यत आवश्यक है—

(१) जनसत्त्वा नियन्त्रण जनसत्त्वा की तीव्र वृद्धि पर शीघ्रानिशीघ्र पूर्ण नियन्त्रण लगाना अन्यत आवश्यक है। इसके लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम वो प्रभाव शानी फृग से नेत्री के साथ चलाया जाना चाहिए और जन्म दर शीघ्रानिशीघ्र ४० से २५ तक पटाने के प्रयत्न होने चाहिए। चीन में भी पूर्ण गोजगार की स्थिति प्राप्त करने के लिए जनसत्त्वा नीति अपनाई गई है।

(२) तीव्र आर्थिक विकास देश में आधारभूत उद्योगों का विकास शीघ्रता से होना चाहिए जिसमें रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। विनेपकर नियन्त्रित तथा कुशल शक्तियों के लिए तथा कृषि व आतंरिक जनगति हरावर उद्योगों में लगाई जाएं सकेंगी लेकिन औद्योगीकरण के ये लाभ तभी मिल सकेंगे जबतक वह विकेंद्रित हो, छोटे भौतिक उद्योगों व बूद्ध उद्योगों के बीच उचित समन्वय रखा जाए और यूनी-

प्रधान उद्योगों की अपेक्षा श्रम प्रधान उद्योगों के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाए।

शामल्यनया यह हीकार किया जाता है कि आर्थिक विकास के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है और रोजगार का विस्तार होता है। किन्तु अतर्राष्ट्रीय शम समझदार एकत्र किए गएडाम से स्पष्ट होता है कि उ पादन और रोजगार में विस्तार के बीच राह सबध (Correlation) का अभाव है जैसा कि नीचे की तालिका के अका से पता चलता है। उदाहरणात् कनाडा में 1967 न 1969 के बीच उत्पादन में 47% की वृद्धि हुई किंतु रोजगार में केवल 18% की वृद्धि हुई।

सारणी 3

1967 और 1969 के दौरान उत्पादन और रोजगार में प्रतिशत वृद्धि

देश	उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि	रोजगार में प्रतिशत वृद्धि
कनाडा	47	18
मू० एस० ए०	46	19
प० जमनी	47	3
मू० क०	26	शृण्य
जापान	127	14
भारत	15	9

हाल में प्राप्त प्रमाणों ने इस बात को भी गलत सिद्ध कर दिया गया है कि आर्थिक विकास में बेरोजगारी कम करने की सामग्री होती है। कम से कम विकसित देशों के सबवें में यह बात ठीक है जैसे ब्रिटेन में 1970-71 की अवधि में सभी उद्योगों में उत्पादन में 2% की वृद्धि हुई परन्तु रोजगार में 5% की कमी हुई। विकसित देशों में विद्यमान इस परिस्थिति का मुख्य कारण तकनीकी परिवर्तन है जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु इसमें रोजगार के प्रत्यक्ष विस्तार पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसने यह मार निकलता है कि तीव्र आर्थिक विकास का अनिवार्य रूप से अध कम में कम समय में अधिक रोजगार नहीं होता वल्कि बेरोजगारी समस्या को हल करने के लिए विशिष्ट प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता है।

प्रदन यह उठाता है कि रोजगार के स्तर में विस्तार करने के लिए अतिरिक्त विनियोग के लिए पूँजी कहा से प्राप्त होगी। अधशास्त्रियों ने पूँजी एवं करन के लिए विभिन्न उपाय बताए हैं। बाचू समिति के अनुसार लगभग 7 हजार करोड़ रुपय का काला धार है। इसी प्रकार करों और सरकारी आद के अन्य साधनों में 840 करोड़ रुपये की वसुली बकाया है। इसके अतिरिक्त कृषि जाय पर कर तथा सपनि पर करारपण जी बतमान प्रणाली में सुधार करने पर, (राजसमिति वे अनुसार) सरकार हारा तर्जि

वर्ष 400 कराड रूपय प्राप्त किया जा सकता है। नगरीय क्षेत्र में खाली भूमि के राष्ट्रीय करण में तथा मार्वंजनिक क्षेत्र की उत्पादन इकाइयों के समृद्धि व प्रब्रह्म-व्यवस्था में सुधार में भी विनियोग को बढ़ाया जा सकता है।

(iii) शिक्षा-प्रणाली में सुधार वर्तमान पुस्तकीय शिक्षा प्रणाली को तकनी-कीय और व्यावसायिक रूप दिया जाना चाहिए। शिक्षा-प्रणाली को इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि कर्मचारियों की आवश्यकताओं के बदले हुए ढांचे से उसका सामन्य हो सके।

(iv) निर्माण-कार्यों में बृद्धि देश में यातायात गवाहा सदृश जनकल्याण संपादों के विस्तार की आवश्यकता है। यातायात के क्षेत्र में रोनगार की सभावनाएं बहुत अधिक हैं। अब इस क्षेत्र का तेजी से विस्तार किया जाना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा राष्ट्रीय संरचना बढ़ेगी तथा साथ ही-साथ रोजगार भी बढ़ेगा। इसी प्रकार इमारे देश में सामाजिक तथा लोकहितकारी स्वास्थ्य विकास स्वास्थ्य चिनित्या आदि का अत्याभाव है अत इस समाजिक रोनगार के विस्तार में जनकल्याण में बृद्धि होने का साथ से यह रोजगारी निवारण में सहायता मिलेगी।


(v) रोजगार व्यारालिय का विस्तार मार्ग राज्य में रोजगार क्षार्यालियों का नाम सा विछादेना चाहिए नाकि थम की गणितीयता में बृद्धि हो और जो वेरोजगारी के बारे खोजने के कारण है वह दूर हो। विभिन्न विश्वविद्यालयों में रोजगार विभाग खोलकर विद्यकाओं को उचित काम के बारे में मागदण्ठ कराना आवश्यक है।

(vi) मनुष्य शक्ति का नियोजन भारत में मनुष्य शक्ति के निराजन में काफी दाप है इसलिए आवश्यक है कि देश में वैशानिक ढांचे में मनुष्य-शक्ति का नियोजन किया जाए। कायदुशाल जनगति की कमी को समृद्धि हुए प्रशिक्षण-प्राप्ति और अनुनवदीय जनशक्ति का सही अनुमान लगात हुए रोनगार के बवसर अधिकाधिक उपलब्ध कायदुश जनशक्ति योजना को उचित ढांचे में कियान्वित किया जाए। यह मनाप की बात है कि पिछों दुष्ट वर्षों में इस दिशा में प्रयत्न न किया गया है। इसके लिए सन् 1967 में कायदुश मनुष्य शक्ति अनुग्रहान सम्बन्धी दिल्ली में स्थापित गई है।

(vii) सामाजिक सुधार भारत मामाजिक ढांचे में उपयुक्त पारवतन इवा चाव ताव जाति प्रथा मयुरत परिवार प्रणाली तथा दोप दूर हो सर्वे गैर धर्मियों का प्राप्तीयता में बृद्धि होकर रोजगार है अनन्य बढ़ सर्वे।

(viii) अनुकूल उत्पादन तरंगों का चूनाव भारत जैसे अह विकसित देश में जहाँ बहुत अधिक भावा में थम गवित पाई जाती है और जिसमें जनसंख्या बृद्धि का भाव साथ बृद्धि होनी जा रही = पूजी प्रथान तकनीकी का भ्रष्टांश इतनाय रोजगार यों दृष्टि से हानिकारक मिल रहा है। बस्तुत इस धैर्य प्रथान तकनीकी का उपयोग करना चाहिए जिसमें प्राप्तिता तथा रोजगार में एक साथ बृद्धि प्राप्ति की गयी है। इसी नियंत्रण का नियम रोजगार द्वारा स्पृह दिया गया है—

चित्र में OW रोजगार के विभिन्न रूपों पर अध्ययन स्वास्थ्य में भवद्वी की मात्रा प्रदर्शित करती है तथा TP रूपों उस उत्पादक वो मात्रा को बतलानी है तो अन्य व



चित्र स० १

का सहारा लें) में उत्पादन करें जो विनियोजन आधिकार्य शून्य होगा, क्योंनि मजदूरी AN उत्पादन AN के बराबर है। परंतु जहाँ तक रोजगार की मात्रा के कुल उत्पादन की जाते हैं श्रमप्रधान निधि पूँजीप्रधान विधि में उत्तम है क्याकि श्रमप्रधान f₁ व मरोजगार की मात्रा ON है जबकि पूँजीप्रधान विधि में रोजगार की मात्रा देवल OL है। कुल उत्पादन श्रमप्रधान निधि में ON × NA है जबकि पूँजीप्रधान विधि में देवल OL × LB ही है। ON × NA निश्चित ही OL × LB से अधिक है। स्पष्ट है कि श्रमप्रधान विधि में विनियोजन योग्य आधिकार्य तो कम है लेकिन यह अधिक उत्पादन तथा अधिक रोजगार प्रदान करती है।

2 अल्पशालीन उपाय अल्पकाल में बेरोज़गारी की समस्या का दूर करने के लिए निम्न उपाय लिए जाने चाहिए

(i) सघन कृषि सिचाई की सुविधा बढ़ाकर उन्नत दौज नाद दवा जैविक कृषि की आवश्यक वस्तुएँ किसानों को उपलब्ध कराकर हम अधिक संधिक क्षेत्र सघन कृषि के अतर्गत लाना चाहिए जिसमें प्रति हेक्टर उत्पादन बढ़ेगा और साथ ही इस क्षेत्र में रोजगारी भी बढ़ेगी।

(ii) सघन फसल कार्यक्रम अधिक में अधिक क्षेत्र में प्रतिवर्ष एक ने अधिक कसने लोने — लिए मध्यन फसल कार्यक्रम कार्यान्वित दिया जाना चाहिए जिसमें वर्ष भर में एक ने अधिक फसले उगाने से मौसमी बेरोज़गारी की समस्या हल होगी।

(iii) कृषि सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन, आदि कृषि सहायक उद्योगों को

पूँजी की मात्रा के विभिन्न मध्योगों से प्राप्त की जा सकती है। यदि पूँजी की OP मात्रा लेकर और थम की OL मात्रा से उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन BL और मजदूरी CL होगी अर्थात् BC विनियोजन योग्य आधिकार्य प्राप्त होगा। यह पूँजी प्रधान विधि है। अब यदि हम पूँजी की पूर्वदन मात्रा जधान OP के साथ थमिका की अधिक मात्रा ON (अर्थात् थम प्रधन विधि में) हो जाए तो क्या किंवित होगा।

अपनाकर रोजगार के अपसर म पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है।

(iv) कृषिउद्योगों का विकास कृषि न बैज्ञानिक ढंग अपनाकर इसको रोजगार प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। रासायनिक सादो उबरंक, मिश्रण तथा कोटनाशन दबाइया आदि की सुविधा उत्पादन होने से न केवल भूमि के प्रति एकड उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि इनके निर्माण से सरधित उद्योगों का भी विकास होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगी।

(v) कुटिर व लघु उद्योगों का विकास कृताई-वुनाई, मिट्टों का काम, चम उद्योग आदि कुनीर व लघु उद्योगों का विकास किया जाए ताकि एक और कृपक वर्ग की आय बढ़े और दूसरी ओर भूमि पर जनसंख्या का दबाव घटे। श्री बो० बो० गिरि के अनुसार, 'हर घर म एक कुटीर उद्योग तभा हर एकड भूमि पर चरागाह हमारा ध्येय होना चाहिए।

(vi) अन्य अल्पकालीन सुझाव बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए बाहर से आने वाले शरणार्थियों पर प्रतिवध लगाना चाहिए। गदी वस्तियों की सफाई के तथा वर्म आय वालों के सिंगूरु निर्माण व कायवर्म गहरी थोकों में अनाए जाने चाहिए। अधिकारी अतिरिक्त श्रमशक्ति का प्रयोग ग्रामों म उत्पादन वाय आरभ करक करना चाहिए जैसा वि ग्राम ग्री मध्यम सिनाइ काय भूमि वा सुधार व वृक्षों का नगाना आदि।

लघु उद्योगों द्वारा रोजगार बढ़ाने के लिए इतन्ह गाव व कुछ गांवों म भूमूल का गौद्योगिक बमियों के ग्राम पर साठित करना चाहिए। इन गौद्योगिक वस्तियों म साधारण मशीनें लगा देनी चाहिए जहा थमिक नाकर वाय करें और दस्तुओं का निर्माण कर सकें।

पचवर्षीय योजनाओं के अतर्गत बेरोजगारी को दूर करने के प्रयत्न

1. प्रथम पचवर्षीय योजना प्रथम योजना मे स्टार्ट समस्या, कच माल का अभाव आदि अन्य समस्याओं के ग्राम बेरोजगारी की समस्या व इनके उपनारा पर गहराई म विचार नहीं दिया गया। यह ठीक है कि भाद म 1953 म इस समस्या का स्वरूप कुछ स्पष्ट होता गया। 1953 के अस म योजना गांवों व रोजगार वसर की उन्नति के लिए 11 मूली कायकर बनाया जिसम लघु उद्योग यात्रा त शिक्षा के विकास व त्रिए मुद्यात दिए। प्रथम योजना म 75 लाख व्यक्तियों को वाय दिलान वा लाय रखा गया। परतु इस अवधि म अनुमानत 54 लाख बेरोजगारों के लिए काम प्रयोगी व्यवस्था की जा सकी।

2. द्वितीय योजना द्वितीय योजना के जारभ म बेरोजगारी को साझा भीषण रूप म थी। इस योजना के आरभ मे समय 53 लाख व्यक्तियों बेरोजगार था। इन पाव वर्षों मे कार्य दूढ़ने वालों की संख्या म 1 लाख जी जान की समावना थी। दूसरी योजना मे 96 लाख व्यक्तियों का रोजगार दिलान वा लाय था जिसम 16 लाख कृषि थोक मे और 80 लाख गर कृषि धाव म था। किन्तु साधनों की कमी के कारण दूसरी

योजना का आकार घटा दिया गया तथा गैर कृपि क्षेत्र में 65 लाख व्यक्तियों को ही रोजगार दिया गया। इस योजना के अत में वेरोजगारों की सख्त 71 लाख हो गई। इससे स्पष्ट है कि द्वितीय योजना के अत तक वेरोजगारी की समस्या सुधरने के बजाय और भी अधिक गम्भीर हो गई।

3 तृतीय योजना तृतीय योजना में कहा गया है कि रोजगार देना भारत में नयोजन का एक प्रमुख लक्ष्य है। अनुमान किया गया है कि तृतीय योजना में श्रम शक्ति में लगभग 1 करोड़ 70 लाख व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा। परंतु इस योजना में वेवल 140 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई। तीसरी योजना में रोजगार सबधी प्रयत्न मुख्यतः तीन दिशाओं में किए गए हैं—

(अ) यह प्रयत्न किया गया है कि पहले की अपेक्षा इस बार रोजगार का लाभ आधक लोगों को समान रूप में मिले।

(ब) गाव में औद्योगीकरण का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाए जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चेतना जागृत हो।

(स) गावों में निर्माण कार्य चलाया जाए, जिसमें 25 लाख व्यक्तियों को वर्ष में नियमित 100 दिन काम मिल सके। स्पष्ट है कि तृतीय योजना में बेकारी व अद्वैत बेकारी की समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त उपाय सोचे गए। किंतु दुर्भाग्यवश विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक सकटों के कारण इस योजना में लगभग 1 करोड़ 30 लाख व्यक्तियों को ही रोजगार प्रदान किया जा सका। जबकि 2 करोड़ 36 लाख रोजगार अवसरों की आवश्यकता थी।

4 चौथी योजना (1969-74) इस योजना की रूपरेखा में रोजगार के सबध में जाकड़ों का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें वेवल इतना ही कहा गया कि विभिन्न क्षेत्रों के विकास कायक्रम चौथी योजनावधि में रोजगार के काफी अवमर उत्पन्न कर देंग और इसके लिए कई कारण बताए गए हैं जैसे—

1 श्रम प्रधान योजनाओं पर अधिक बल देना, 2 गैर कृपि क्षेत्र में रोजगार म अधिक तेजी से वृद्धि, 3 कृपि विकास की वटनी हुई गति, 4 स्तरिज तथा निर्माण उद्योगों पर अधिक जोर, 5 ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयीकरण, 6 शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन जैसी सेवा व्यवस्थाओं में रोजगार वृद्धि 7 व्यापार, वाणिज्य और विनीय क्रिया-कलापों के क्षेत्र में विस्तार।

5 पाचवीं पचवर्षीय योजना पाचवीं योजना में वेरोजगारी को सबसे अधिक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में स्वांकार किया गया। पिछली योजनाओं में किए गए विनियोग अपेक्षित मात्रा म रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं कर पाए। अत चतुर्थ पचवर्षीय योजना के जनुभवों के आधार पर पाचवीं पचवर्षीय योजना में ऐसी परियोजनाओं को महत्व दिया गया जो श्रम प्रधान हो। शिक्षित वेरोजगारों की समस्या को हल करने के लिए नये उत्पादन कार्य खोजने तथा रोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करने के प्रयास किए गए। इसके अतिरिक्त शिक्षा को रोजगार-उन्मुक्त करने का प्रदास किया गया।

रोजगार व्यूह-रचना का प्रमुख अग्र प्रामीण लोगों की आय में वृद्धि करना है। पाचवी योजना में SFDA एवं MFAL योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया गया। 1976-77 में इन योजनाओं के लिए 260 करोड़ रुपये स्थीरत किए गए। तकनीकी योग्य व्यक्तिन ग्रामीण प्रमुख सेवा केंद्रों जी स्वायत्ता कर सकते हैं। वे कृपकों को उत्तम तकनीकी एवं प्रवध व विपणन के अच्छे ढग एवं अच्छी तकनीक म सहायता कर सकते हैं। पाचवी योजना वा मुख्य अग्र प्रशिक्षण के गुण का एकत्रीकरण एवं विकास करना रहा है।

छठी योजना में रोजगार नीति

छठी योजना में रोजगार जनन गरीबी हटाओ प्रोग्राम वा एवं प्रधान अग्र ही ममझा गया था। गरीबी हरायो के लिए विधि का उल्लेख करते हए नवी छठी योजना (1980-85) का मत इस प्रकार है— इस नमस्या के समाधान के लिए वैदल विकास प्रक्रिया पर ही निर्भर रहना युक्ति संगत नहीं होगा। इसके लिए विशेष नीति सबधी उपायों की प्रावधानकता होगी ताकि न केनल उत्तरादन की सरनेना को जनोपयोग की वस्तुओं के पक्ष म प्रभावित किए जाएं वल्कि एक अधिक सतुरित देशीय एवं वर्ष सबधी वितरण का भी आशवासन देना होगा। पिछड़ दोनों में विकास की त्वरित करने के लिए विशेष ध्यान देना होगा। अम प्रभाव ग्राम तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देने होये। हमारी मार्वन नीतियों के वितरण मबधी प्रभाव को निर्धन बर्गों व पक्ष म परिवर्तित करन के लिए सम्पादनामक सुधार अपेक्षाकृत अधिक तेजी से नामू करन होगे।

रोजगार बढ़ाने के मुख्य क्षेत्र हैं कृषि ग्राम विकास ग्राम नथा लघ उद्योग भवन निर्माण, मार्वन नीति एवं विकास। छठी योजना (1980-85) म ३५१ लाख मानव वप २५ रोजगार कार्यक्रम किया जायगा जो योजनाकाल मे दौरान अम शक्ति मे वृद्धि के लगभग बराबर होगा। इम प्रकार रोजगार म 4 17 प्रतिशत प्रति वप की वृद्धि होगी जो थम शक्ति म 2 ६४ प्रतिशत की इस बाल मे वापिक वृद्धि म कही अधिक है। छठी योजना के प्राप्ति म राष्ट्रीय ग्रामीण नेवायोजना कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) के अन्तर्गत 50 लाख श्रम के कार्य का प्रावधान था। पर अनिम दस्तावेज मे इसमे कार्य कमी हो गई। समैतिक ग्रामीण विकास के अन्तर्गत १९० भाव परिवारो दो गरीबी हो रेगा म ऊर उठाने का नक्ष्य है लेकिन इसमे इतन ३-ही 100 लाख परिवारो वर दिया जा रहा है जो कृषि नथा कानुपरिक कायों मे संयोग है। अत इसकी भी मभावनाएँ उल्लंघन नहीं दियावै पड़ रही हैं।

भारत में 0.4% से अधिक की वृद्धि नहीं होगी और यदि अम समावेश त्री दृष्टि से देखें तो भी यह 1.5% से अधिक नहीं आती है।

स्व-रोजगार के लिए मार्ग-दर्शन समिति का गठन

योजना आयोग ने केंद्रीय सरकार को रोजगार योजना के बारे में सलाह देने के लिए “स्व-रोजगार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मार्ग-दर्शन समिति” गठित की है। यह समिति रोजगार सृजन परियोग और जिला मानव शक्ति योजनाओं के कार्यों पर नज़र रखेगी।

योजना आयोग के सदस्य डा० एम० एस० स्वामीनाथन भी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक 2 मई, 1981 को होनी थी। राष्ट्रीय समिति के विचारणीय विषय इस प्रकार हैं—

1. सभी आर्थिक क्षेत्रों में स्व-रोजगार को प्रोत्साहन देने के तौर-तरीकों के बारे में सुझाव देना।

2. रोजगार कार्यालयों के पुनर्गठन से सबधित विषयों पर सलाह देना ताकि रोजगार कार्यालय स्व-रोजगार शुरू करने के लिए इच्छुक लोगों का मार्ग-दर्शन कर सकें।

3. जिला शृण योजनाओं को आधारभूत प्रशिक्षण, सरचना, विपणन मुविधाएं और मार्ग निर्देशन सेवाओं के ममन्वय के लिए जिला स्तर पर उचित कदम उठाने के बारे में सुझाव देना।

राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष डा० एम० एस० स्वामीनाथन के अतिरिक्त 69 सरकारी और गैर सरकारी सदस्य शामिल हैं।

परीक्षा-प्रश्न

- 1 बेकारी की अवधारणा को समझाइए तथा इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि ‘किसी व्यक्ति को तभी बेरोजगार कहा जा सकता है जबकि उसे रोजगार प्राप्त करने की इच्छा तो हो परतु यह उसे मिलता नहीं।’
2. बेरोजगारी से उत्पन्न होने वाली विभिन्न तुराइयों वा उल्लेख कीजिए तथा उनके निवारणार्थ उपाय बताइये।
3. बेरोजगारी से सबधित विभिन्न सिद्धातों वा विवेचन कीजिए। कीन्स के बेरोजगारी के सामान्य सिद्धात को भी समझाइये।
4. भारत में बेरोजगारी की समस्या का विवेचन कीजिए। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं? अपने सुझाव भी दीजिए।
5. “चारों योजनाओं के क्रियान्वय होने के बाद भी देश में बेरोजगारी की समस्या को समाप्त नहीं किया जा सका है।” इस कथन को स्पष्ट कीजिए और समस्या को दूर करने के उपाय बताइए।
6. “मानव-शक्ति के समुचित उपयोग की समस्या जितनी भारत के समक्ष आज उप्र है उतनी समवतः अन्य किसी देश के समक्ष नहीं है।” क्या आप इस कथन से सहमत हैं?

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation)

संक्षिप्त इतिहास : अंतर्राष्ट्रीय श्रम मण्डन सन् 1919 में वर्सलीज की सधि के फलस्वरूप स्थापित हुआ। इस सध का प्रायमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय धोन में शांति बनाए रखना था, परन्तु यह अनुभव किया गया कि शांति के बल उसी स्थिति में स्थापित हो सकती है, जब कि वह सामाजिक न्याय पर आधारित हो। इसलिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक था कि विश्व में कठिन परिस्थिति का काम करने वाले अर्थात् श्रमिकों के साथ भी सामाजिक न्याय किया जाए। अतः जून 1919 को उच्चकोटि के यमज्जोते करने वाले दल श्रमिकों की दशा में सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आधार पर एक स्थायी समूठन की स्थापना करने पर सहमत हो गए। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम समूठन कहा गया। इसे लोग ग्रांफ नेशन्स का एक अंग माना गया।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम मण्डन के मूलभूत मिळाते

अंतर्राष्ट्रीय श्रम मण्डन का आधार ऐने 9 गणारभूत दिनांक पर है, जो कि श्रमिक घार्टर में दिए गए हैं। राष्ट्र-सध के प्रत्येक सदस्य को इन सिद्धांतों को स्वीकार बरना पड़ता है—

1. श्रम को एक वस्तु अपना ब्यापार योग्य पदार्थ में रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

2. सेवामोद्धकों और कर्मचारियों के सभी प्रकार के वैज्ञानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए श्रम बनाने के अधिकार को मान्यता प्रदान भी आनी चाहिए।

3. द्वेष तथा कान के अनुसार एक बाढ़नीय जीवन-स्तर को बनाए रखने के लिए श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी के मुपनान की व्यवस्था भी जानी चाहिए।

4. दिन में 8 घण्टे के कार्य और गप्ताह न 48 घण्टे के कार्य के सिद्धार्थों को उन द्वारों पर लाना चाहिए, जहाँ ये अभी लाना नहीं।

5. सान्तुष्टि गे एक दिन अवकाश मिलना चाहिए।

6. बच्चों से काम लेना बद होना चाहिए।

7. सामाजिक कार्य के लिए स्नो और पुद्धो की मजदूरी म अउर नहीं होना चाहिए।

8 प्रत्येक देश में सब देशी-विदेशी मजदूरों से समान व्यवहार तथा समान मजदूरी की व्यवस्था होनी चाहिए।

9 प्रत्येक राज्य अपने यहाँ ऐसा प्रशासन बनायें कि कमंचारियों के हितों की रक्षा हो।

अतर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के इन उद्देश्यों में अतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 26वें अधिवेशन में पुनः मई 1944 में सशोधन किया गया जिसे फिलाडिल्फिया घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। यह घोषणा-पत्र उपर्युक्त आधारभूत सिद्धातों को प्रतिपादित बरते हुए निम्नलिखित विशेष सिद्धातों पर बल देता है—

1 श्रमिक कोई वस्तु नहीं है।

2 समाज में सगठन और बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

3 कहीं भी पाई जानेवाली निर्धनता प्रत्येक स्थान की समृद्धि के लिए खतरा है।

4 प्रत्येक राष्ट्र की निर्धनता और अभाव दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

अतर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के प्रमुख उद्देश्य

1 प्रत्येक कार्य करने योग्य व्यक्ति के लिए रोजगार की व्यवस्था करना।

2 श्रमिकों को शिक्षा और उनके प्रशिक्षण का प्रबद्ध करना।

3 श्रमिकों के कार्य व आवास की परिस्थितियों में सुधार करना।

4 श्रमिकों की भाष्य में वृद्धि करके उनके जीवन-स्तर को ऊचा उठाना।

5 श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा का समुचित प्रबद्ध करना।

6 सामूहिक सौदे के अधिकार को सम्मान व प्रोत्साहन देना।

7 प्रत्येक श्रमिक वो उसके योग्य कार्य में लगाना।

8 श्रमिकों के लिए मनोरंजन आदि की व्यवस्था करना।

9 समान श्रम के लिए समान मजदूरी दिलाना।

10 बाल-कल्याण की व्यवस्था करना।

11 काम दरने की दशाओं में आवश्यक सुधार करना।

12 बच्चों को काम में लगाने की मनाही करना।

13 प्रसूती सरक्षण की व्यवस्था करना।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम सगठन वा संविधान

[1972 में 118 राष्ट्र अतर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के सदस्य थे। इस प्रकार यह विभिन्न राष्ट्रों का सगठन है जो कि सुरक्षारों द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करता है और प्रजातात्त्विक आधारों पर सरकारों द्वारा रोकायोजकों और श्रम सगठनों वे प्रतिनिधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।]

अतर्राष्ट्रीय श्रम सगठन अपने नीन अगा के माध्यम ने कार्य करता है— (अ) अतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय जो इसका स्थायी मञ्चिकालय है (ब) अधिकारीय या प्रशासन

सुधिति जो इसकी कार्यकारिणी है तथा (स) अतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन।

(अ) अतर्राष्ट्रीय धर्म कार्यालय यह इस सगठन का स्थायी सचिवालय है जो सगठनात्मक कार्य तेर अन्य गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। यह धर्म में सबैधित मूलनाएँ एकत्रित होर वितरित और वितरित और के सम्मेलनों एवं समितियों के सम्पुख पाने वाले विषयों की परीक्षा करन के बाद उन एवं दस्तावेज तैयार करने और विशेष जाच-पड़तान करने के लिए उन्नरदायी है। इसके कर्मचारी मण्डल में विभिन्न देशों की धर्म-विशेषज्ञ होते हैं।

इनका मुख्य कार्यालय जिनेवा में है। इसके सेवीय कार्यालय पांच देशों में हैं। भारत म इराकी एक शाखा दिल्ली में है। इसके अतिरिक्त 12 देशों में शाखा कार्यालय एवं 37 देशों में सदाददाता है।

(ब) अधिकासी आग या प्रशासन समिति यह सगठन भी कार्यकारिणी है। यह कार्यालय व कार्यों का सामान्य परिवेषण करती है। यह इसका बजट बनाती है। यह नीति निर्धारण करती है व विशेषज्ञ समितिया सम्मेलन करती है। यह सामान्यत वर्षे में धार बैठक करती है। यह भी विदलीय आधार पर सगठन की जाती है। इसमे 24 सरकारी प्रतिनिधि, 12 उद्योगपतियों के प्रतिनिधि और 12 कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं। 24 सरकारी प्रतिनिधियों में 10 औद्योगिक महान्व के 10 राष्ट्रों की सरकारी द्वारा नियुक्त ये।

(स) अतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन साधारण सभा और सम्मेलन की सर्वोच्च-परिवत इसमे निहित है। इसमे प्रत्येक देश नार प्रतिनिधि भेजता है जिसम से दो मरकार वे, एक मेवायोजको का और एक कर्मचारियों का प्रतिनिधि होता है। इस प्रकार यह एक विदलीय सभा होती है। इसका सम्मेलन वर्ष मे एक बार होता है। प्रत्येक सदस्य अपना अलग अलग मत दे सकता है।

धर्म सम्मेलन म राष्ट्रों का सविधान बनाने के लिए कुछ निर्देश दिये जाते हैं जो वि दो प्रकार के प्रस्तावों के रूप मे सामने आते हैं—(क) अभिसमय (Convention) और (स) अभिसमय या अनुशासा (Recommendation)। सम्मेलन मे 2/3 बहुमत से नियम होना है। दोनो प्रस्तावों मे अतर यह होता है कि अभिसमय को स्वीकार करने वा नीतिव उत्तरदायित्व अधिक होता है और उसे सशोधित करने स्वीकार नही किया जा सकता।

दोनो ही प्रस्तावों को सम्मेलन की समाप्ति वे 18 माह के अंदर देश की विधान सभा के सामने रखना आवश्यक होता है। परतु शोई मदस्य देश उनको मानने के लिए आप्य नही है।

भारत एवं अतर्राष्ट्रीय धर्म सगठन

भारत का अतर्राष्ट्रीय धर्म सगठन और हमारे देश की व्यवस्था दोनो ही मामाजिक-वाय के गिराव एवं आधारित हैं। अतर्राष्ट्रीय धर्म सगठन के विदलीय सहयोग वा मिलात, जो दग सघर्ष के बिना ही सामाजिक व्याय म उद्देश्य की प्राप्ति पर जोर

देता है, वा प्रभाव हमारे देश में अस्यधिक पड़ा है।

बाजकल भारत अनराष्ट्रीय थम संगठन की प्रशासन सुमिति का स्थायी सदस्य है। संगठन द्वारा स्वीकृत अभिसमयों में से भारत 30 को स्वीकार कर चुका है जिन्हें निम्न तालिका ने संश्लेषित किया जा रहा है—

सारणी : 1

थम संगठन के अभिसमय की संख्या	विषय व वर्ष जिसमें थम संगठन ने पारित किया	भारत द्वारा स्वीकृत करने की तिथि
1	काम के घरे प्रतिदिन बाठ और सज्जाह में 48 भाग्य के नित नप्ताह में 60/1919	जुनाई 1921
2	बेकारी दूर की जाय 1919	1921 में स्वीकृत 1938 में त्वाग
4	भारत में शिवयों के कार्य वा निषेध 1919	1921
5	न्यूनतम मन्दूरी निवारण 1919	1955
6	बालकों में रादि में काम न लिया जाय 1919	1921
11	कृषि अभिकर्त्ताओं को संगठन का अधिकार 1921	1923
14	गन्धाह म एक अवकाश दिया जाय 1921	1923
15	न्यूनतम बाय निर्धारण हो। ट्रिमट तथा स्ट्रोक्यं काम करन वालों के लिया 1922	1922
16	समुद्र में राम करन वाल विद्योरों की हॉकटरी जाच 1922	1922
18	थमिकों की क्षति पूर्ति दो जाय, यदि व्यवसाय में कोई रोग हो। 1925	1927
19	दुर्घटना म शक्तिपूर्ण में देशी और विदेशी मन्दूरो के साथ समानता हो 1915	1927
21	उद्योगासी निरीक्षण अभियान 1926	1928
22	समुद्री व्यवित्रणों दी स्वीकृति की वस्तुओं का अभिसमय 1928	1932
24	न्यूनतम मन्दूरी निर्धारण व्यवस्था अभिसमय 1928	1955
27	भार चिह्नित करने वाले (नावों द्वारा ले जाय गए पार्सल) अभिसमय 1929	1931
29	वेदमं थम अधिनियम 1930	1954
31	दुर्घटना के इच्छ नरकशा (जड़ाजगानों के अभिक) अभिसमय (मशाइद) 1932	1948
41	राति के कार्य (स्त्रिया) अभिसमय (मशोधित) 1934	1935

45	भूमिगत कार्य (स्त्रिया) अभिसमय 1935	1938
80	धर्मिक संघ के अतिनियमों का पुनर्बलोकन का अभिसमय 1946	1947
81	श्रम निरीक्षण अभिसमय (सशोधित) 1948	1950
89	रात्रि कार्य (स्त्रिया) अभिसमय (सशोधित) 1948	1950
90	किसोर श्रमिकों से गति म कार्य न केने सबधी अभिसमय 1948	1950
100	समान वाणिजीय अधिनियम 1948	1950
107	देशी एवं जनजातीय जनसंहार अधिनियम 1957	1958
111	गोजाहार द घट्ये में मजदूरों में भेदभाव न करने से सबधित अधिनियम 1958	1960
116	अतिम अतिनियमों में मर्जीधन का अभिसमय 1961	1962
118	व्यवहार की समानता (मामाजिक मुरक्खा) अधिनियम 1962	1964

इस अधिनियम का आधार पर भारत में अधिकांश श्रम अधिनियम बनाए गए हैं। समय-सम्पर्क पर इसके आधार पर वामान, कारखाना आदि अधिनियम में संशोधन भी किए गए हैं। भारत में 31 मिफारियों भी स्वीकार की हैं।

भारत सभी अभिसमयों को स्वीकार नहीं दर सका है। इसके कई कारण हैं—(अ) अभिसमय का यह नियम है कि उसे पूरा ही स्वीकार करना होता है। भारत में वृद्धा ऐसी दरियावतिया रही है कि पूरी तरह से अभिसमयों को स्वीकार करना मन्मत नहीं था। भारत की अतिरिक्त परिस्थितिया इस प्रकार की है कि अनेक अभिसमयों द्वारा कुछ शर्तों के प्राधार पर ही अपनाया जा सकता है। परतु अतर्राष्ट्रीय धर्म संगठन के नियमों में इस प्रकार की कोई छूट नहीं है। (ब) भारत में सन् 1947 तक विदेशी मरकार भी जो कि अम-हित के सबध में उदासीन थी। (स) भारतीय धर्म-आदोलन की शिपिलता के कारण भी सरकार पर जोर नहीं डाना जा सका कि वह आत्मेत्यक विधान बनाए। (द) अनेक अभिसमय इस प्रकार हैं कि जिनके सागू होने से वर्तमान धर्मसंघों के उद्योगों पर अत्यधिक भार पड़ेगा।

अतर्राष्ट्रीय धर्म संगठन का भारतीय धर्म संघ आदोलन पर प्रभाव

अतर्राष्ट्रीय धर्म संगठन ने भारत में श्रमिक संघ आदोलन के विषास में महत्व पूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में आधुनिक धर्म संघ आदोलन का प्रारम्भ प्रथम महायुद्ध में बाद ही दर्जा है। लेकि यह कहा जा सकता है कि भारत में श्रमिक संघ आदोलन का प्रारम्भ भी अतर्राष्ट्रीय धर्म संगठन की स्थापना के साथ ही हुआ। अतर्राष्ट्रीय धर्म संघ ने भारतीय धर्म संघ आदोलन को कई प्रकार से प्रभावित किया है। इनमे भारतीय अभिसमयों में सुरक्षा चारों ओं को भारता पेटा वर दी जो कि अब तक अपने फो बहुत ही अग्रणी अनुभव रख रहे हैं। इसने अभिको प्रति लगिकारों के प्रति वेतना उत्पन्न

की और उन्हे अन्य देशों के धर्म आदोलनों की प्रगति से, पविकाओं एवं धर्म ग्रिपोर्टों आदि के मोष्यम से अवगत कराया है। उनदे प्रतिनिधियों ने अतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलनों में भाग लिया है। अन्य देशों के प्रतिनिधि मण्डलों ने अतर्राष्ट्रीय धर्म सगठन के विचार विमशों में भारत के कर्मचारियों की सक्रिय रुचि को बढ़ाया है। इस प्रकार अतर्राष्ट्रीय धर्म सगठन वे मोष्यम से अतर्राष्ट्रीय सपकों ने भारतीय धर्म आदोलन की गहान सहायता की है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय सम्मेलन सन् 1947 महीने जिसन नारन धर्म आदोलन को बड़ी प्रेरणा प्रदान की थमिक सघों दे प्रतिनिधियों ने भारत सरकार द्वारा गठित विदलीय सगठनों में धर्म सान्तायम, धर्म नीति एवं धर्म प्रशासन व व्यवधी बातों पर विचार विमर्श करने के लिए समय समय पर भाग लिया है। दक्षिण पूर्व द्वियां में स्वतंत्र धर्मिक सघवाद को विकसित करने के लिए इटर नेशनल कान्फ्रेडेशन १फ द्वेष्ट यूनियन्स ने एक एशियाई क्षेत्रीय सगठन भी स्थापित किया जिसका मुख्य कार्यालय कलकत्ता में है।

इस प्रकार अतर्राष्ट्रीय धर्म सगठनों के प्रयासों ने कारण ही नारन मधर्म आदोलनों को इसका बनमान रूप मिला है। भी आर० के० दास ने ठीक ही लिखा है कि “भारतीय प्रतिनिधियों विशेषकर मजदूरों के प्रतिनिधियों को इन सम्मेलनों के मोष्यम से अन्य देशों के अपने साधियों से मिलन के अवसर प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार अतर्राष्ट्रीय व्यवहृत एवं सामाजिक न्याय की भावना को महान प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिला है। भारतीय धर्म आदोलन के विकास पर अतर्राष्ट्रीय धर्म सगठन का प्रभाव इसी से स्पष्ट है।”¹

भारत को अतर्राष्ट्रीय धर्म सगठन द्वारा दी गई सहायता

भारत ने समय समय पर सगठन द्वारा प्रदत्त तकनीकी सहायता एवं सलाह व प्रशिक्षण सबधी सहायता का लाभ उठाया है। सन् 1951 से भारत वो निम्नलिखित क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्राप्त हो रही है -

(अ) सामाजिक सुरक्षा - कमचारी राज्य वीमा अधिनियम 1948 ने भारत कारखाना मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की बुनियाद रखी। इस अधिनियम को सागू करने के मामले में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने व उन्हे परामर्श दन व लिए अतर्राष्ट्रीय धर्म सगठन ने विशेषज्ञों को भारत भेजा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जो फोरेंशिप अतर्राष्ट्रीय धर्म सगठन देता है भारत ने उनका भी यथेष्ट लाभ उठाया है।

-(ब) कारखानों में प्रशिक्षण - इस कार्य के लिए भारत सरकार ने दो विशेषज्ञ माने थे। इनमें से एक विशेषज्ञ को अगस्त 1952 में अहमदाबाद लेत्र में काम मौजा गया और दूसरे विशेषज्ञ ने नववर, सन् 1954 से मध्यप्रदेश में कारखानों में प्रशिक्षण प्रदान

C. S. I. R.
C. C. C.

करने के लिए प्रतिष्ठान का सगठन व सचालन किया। इन्हीं विशेषज्ञों के प्रयत्न के फल-स्वरूप बन्डी, कानपुर, बगलौर, बड़ौदा, कोयम्बटूर और जमशेदपुर में 17 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला था गए।

(स) व्यावसायिक शिक्षकों का प्रशिक्षण अतर्राष्ट्रीय धर्म सगठन समय-समय पर जीवोग्य-जिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों द्वारा भेजता रहा है। जिसके फल-स्वरूप इस दिशा में भारत में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति हो गई है।

(द) रोजगार सेवा - इस बात के दिनसिले में भारत ने सगठन से दो विशेषज्ञ मार्गे थे। इन दोनों विशेषज्ञों ने दिल्ली और आध्रप्रदेश में व्यावसायिक जानकारी दुवक रोजगार सेवा और रोजगार नवधी परामर्श देने के कार्यक्रम के विकास के सबध में परामर्श दिया। इसके फलस्वरूप रोजगार सेवा के विस्तार में देश को बाधी सहायता मिली है।

(ग) उत्पादकता उत्पादकता के क्षेत्र में भी अतर्राष्ट्रीय धर्म सगठन भारत को सितंबर, 1952 में लगातार विशेषज्ञों की मेवाएं उपलब्ध कर रहा है।

इसके अतिरिक्त अतर्राष्ट्रीय धर्म सगठन के 50वें वर्ष में नलाए गए विश्व रोजगार कार्यक्रम के अतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय जनशक्ति पोजनाएं बनाई गई हैं। भारत भी पश्चिमाई जन शक्ति योजना से लाभान्वित हुआ है। युवक को अशानि की समस्या का समाधान प्रस्तुत करने व विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को एक साथ रखने व अतर्राष्ट्रीय धर्म सगठन द्वा विशेष योगदान रहा है।

अतर्राष्ट्रीय धर्म सगठन के कार्यों का मूल्यांकन

उपर्युक्त विवेचन में यह स्पष्ट है कि अतर्राष्ट्रीय धर्म सगठन सपूर्ण यात्रवता के लिए एक उद्दान तिहाई दुजा है। इसके द्वारा प्रदान वीर्य नेतृत्व एवं स्कोर न इस प्रकार है—
 (ज) विश्व के अधिकार देशों से अम वल्याण मवधी अधिकार अधिनियमों की रचना अतर्राष्ट्रीय धर्म सगठन के प्रभाव से हुई है, (ब) अतर्राष्ट्रीय धर्म सगठन द्वा प्रभाव धर्म धादोनन पर भी पड़ा है। 1919 में इसके निमान के साथ ही सासार का धर्म आदान प्रभावित हुआ है, (स) धर्म की विविध ममस्याओं से सर्ववित तथा को एकत्र करने व उपरांशित करने से अतर्राष्ट्रीय धर्म सगठन ने यहुत योगदान दिया है, (द) धर्मिक को समाज में एक महत्वपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने में देशवा महत्व पूर्ण स्थान रहा है, (ग) इस सगठन न धर्मिकों द्वारा जीवनस्तर को ऊचा उठाने, स्वास्थ्य और गुरुका की व्यवहारा व कार्य की दशाओं में सुधार करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, (र) धर्म सगठन न समाज में औदीगिक विकास में भी सहायता दी है, (र) धर्म सगठन न विश्व मध्यत्व, मानवता और समाजता की भावना द्वा प्रगति किया है, (ग) विश्व रोजगार नायकम के अतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय जनशक्ति पोजनाएं बनाई गई है।

सर्वप म हम कह सकत हैं कि सगठन अपने सदस्यों दो तीन प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है—(अ) तथ्या की सेवा करने वालों द्वारा दिया जाने वाला रास्था वे हैं म, (ब) सदस्यों द्वा-

धर्म सबधी सूचनाएँ, परामर्श और अदावहारिक सहायता देने वाली संस्था के रूप में, व (स) धर्मिकों के लिए सामाजिक न्याय के मापदण्ड का निधारण करने की संस्था के रूप में।

निष्पक्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि यह समग्र धर्मिकों के लिए सामाजिक न्याय की सभावनाओं को बढ़ाकर देवल गौद्योगिक शक्ति ही नहीं वल्कि विश्वशास्त्र की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदाता दे रहा है। हा, आवश्यकता इस बात की है कि अतर्राष्ट्रीय धर्म समग्र अपने प्रस्तावों को लोचपूर्ण बनाए, ताकि विभिन्न देशों की आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार उस बदला जा सके। जनवरी, 1969 म एशिया के धर्म मत्रियों की जो सभा नई दिल्ली में दृष्टि थी उसम यह प्रस्ताव रखा गया था कि अतर्राष्ट्रीय धर्म समग्र अपने प्रस्ताव आदि पर विचार करते समय, विवासनील देशों की समस्याओं को भी ध्यान में रखें।

परीक्षा-प्रश्न

- 1 अतर्राष्ट्रीय धर्म समग्र के संविधान, समग्र और मूल्य कार्यों का वर्णन कीजिए।
- 2 भारत में धर्म नियमों तथा धर्म संघ 3 दोलनों व अतर्राष्ट्रीय धर्म समग्र के अभाव की विवेचना कीजिए।
- 3 भारत में धर्म संघ आदोलन पर अतर्राष्ट्रीय धर्म समग्र के प्रभाव वा मूल्यांकन कीजिए।
- 4 हाल के वर्षों में अतर्राष्ट्रीय धर्म समग्र, सामाजिक मुरक्खा विधान के तिए दो प्रकार वे महत्वपूर्ण पर उठा सकता है—प्रथम, न्यूनतम अतर्राष्ट्रीय विकास और दूसरा, एशियाई देशों को टेक्नोलॉज महायता प्रदान करना। कुछ पर्यों की विवेचना कीजिए।
- 5 भारत में पिछले 200 वर्षों भ धर्म कल्याण को उत्साहित करने वाले अतर्राष्ट्रीय धर्म समग्र की प्राप्तिवा का उल्लेख कीजिए।

औद्योगिक श्रमिकों की ऋणप्रस्तता (Indebtedness of Industrial Workers)

ऋणप्रस्तता की समस्या भारतीय औद्योगिक श्रमिकों के आधिक जीवन की एक गमीर समस्या है। अम के शाही आयोग न अपनी रिपोर्ट में लिखा है, “भारतीय औद्योगिक श्रमिकों के विभिन्न जीवन-स्तर का प्रधान दारण उनकी ऋणप्रस्तता है। भारत के अधिकांश धर्मिक ऋण में ही जन्म लेते हैं। ऋणी के रूप में ही जीवन व्यतीत करते हैं और ऋण के भार से इधे हुए ही इन समाज से पम्यान कर जाते हैं। इतना ही नहीं, मृत्यु के उपरात भी वह ऋण का उत्तरदायित्व वसीयत के रूप में यथाने उत्तराधिकारियों के कधों पर छोड़ जाते हैं।”¹ अम आयोग का यह कथन सन् 1929 में जितना सत्य था उतना ही बाज भी है।

ऋणप्रस्तता की रामस्या (Extent of Indebtedness)

औद्योगिक श्रमिकों की ऋणप्रस्तता की सीमा के विषय में सही व विशदसतीय जाफ़डों का सर्वेता अभाव है। इस दिशा में चिन व्यविनदो व सस्थाओं ने प्रयास किया है उनका सक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है—

1 अम के शाही आयोग के अनुसार विभिन्न औद्योगिक केंद्रों में दो-तिहाई परिवार ऋणप्रस्तत है।

2 अम जात्य समिति के अनुसार बड़ई में 63% परिवार ऋणप्रस्तत थे और क्षण की मात्रा 10 रुपये से लेकर 700 रुपये तक थी, इन्हाँदावाद में 57% परिवारों पर ऋण था और औसत ऋण 266 रुपया था। होलापुर में 14% बजूद परिवार ऋण-प्रस्त थे, औसत ऋण 234 रुपया था। दगाल की जूट भिन्नों में 76% ऋणप्रस्त थे। नाग पुर में 82% व्यावित ऋणी थे और औसत ऋण 139 रुपया था। चमड़ा उद्योग न्यलकत्ता में 100%, रानपुर में 69.3% और मद्रासा में 64.4% बजूद परिवारों पर ऋण था।

3 डॉ. अग्निहोत्री ने कानपुर के औद्योगिक श्रमिकों की ऋणप्रस्तता के विषय में जात्य भी और यह बताया गया कि लगभग दो-तिहाई परिवार ऋणप्रस्तता य तथा प्रति

परिनाम ऋण की राशि लगभग 135 ह० थी।

4 प्रो० पी० सी० महालानोब्रिस के अनुसार बंगाल के जगदार क्षेत्र में लगभग 91% श्रमजीवी ऋणग्रह्यता थे।

5 1956 में विहार सरकार की एक जांच पता चला कि जमशेदपुर में 79.61 प्रतिशत, मिस्र में 76.91 प्रतिशत डाकमिया नगर में 71.9 प्रतिशत, कटिहार में 75 प्रतिशत श्रमिक रिवार ऋणग्रह्यता थे।

6 चीनी के कारखाने के केंद्रों में किए गए सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकाला कि 64% से 87% श्रमिक ऋणग्रह्यता थी।

7 मध्यप्रदेश के मंगनीज ज्ञान उद्योग में ऋण की ओरतन मात्रा 10 ह० से अधिक नहीं थी परन्तु व्याज नीदर 75% थी।

8 कोलार की सोने की खानी में 50% से अधिक श्रमिक ऋणग्रह्यता थे तथा ऋण भी मात्रा एवं माह के वेतन से तेकर नार माह के वेतन तक थी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय श्रमिकों की ऋणग्रह्यता उनकी प्रमुख विशेषता है जो उनकी जद्धता व निम्न स्तर का भी एक प्रधान कारण है।

ऋणग्रह्यता के कारण

1 पैतृक कारण भारतनर्य में पिता या अन्य पूर्वजों द्वारा लिए गये ऋण को चुका देना पर्योग मतान अपना एक विविध कर्तव्य मानती है। वह इस कानूनी स्थिति में परिचित नहीं है कि किसी मूल व्यक्ति द्वारा लिये गये ऋण के लिए उसका उत्तराधिकारी उसी सीमा तक उत्तरदायी होता है जितने की सपत्ति उसे उत्तराधिकार में मिलती है। चिह्नार के कर्मचारियों की ऋणग्रह्यता की मर्यादण रिपोर्ट के अनुसार पैतृक ऋण की राशि कुल ऋण का 2.27 प्रतिशत है।

2 सामाजिक अवसरों पर अपव्ययता श्रम जांच समिति के शब्दों में भारत में रीति रिवाज वहूत कठोर शासक है, क्योंकि उनके पालन के लिये अपना मव कुछ न्यौछावर बरना पड़ता है। विवाह मुण्डन, थाद्व व अन्य त्योहार बड़े धूम धाम से मनाये जाते हैं और ऐसे अवसरों पर ऋण लेकर भी लचं किया जाता है। जावर्स, मिस्र व पठान लोग प्रतिक्षण ऐसे ही अवसरों की ताक में रहते हैं और सहर्ये ऋण प्रदान बरने को तत्पर रहते हैं। कुछ सर्वेक्षणों द्वारा अनुमार 75% ऋण सामाजिक व धार्मिक उत्सवों के अवसर पर लिए जाते हैं।

3 प्रवासी स्वभाव भारतीय श्रमिकों का प्रवासी स्वभाव होने के कारण ग्रामों में जाने जाने की प्रवृत्ति जारी रहती है। प्रवासी स्वभाव के कारण गाव में जाने पर उसका व्यय अधिक हो जाता है तथा अनुपस्थिति की अधिकता के बारण प्राप्त भजदूरी की मात्रा भी कम हो जाती है। फलत श्रमिक को ऋणदाता वी शरण लेनी पड़ती है।

4 अशिक्षा और अज्ञानता : हमारे अधिकारा श्रमिक अशिक्षित हैं। उनकी इस वर्षी का लाभ उठाकर ऋणदाता मनमाती रकम उनसे लिखवा लेता है और ऋण का

ब्रौदीगिक श्रमिकों की ऋणप्रस्तता

हिसाब भी गलत बनाता है। श्रमिक वो कम हथया दिया जाता है जबकि कर्मज पर ऋण की मात्रा अधिक लियकर हरताक्षर करा लिए जाते हैं। इस प्रवार से श्रमिकों पर ऋण का दोष बढ़ जाता है।

5 जुआ, नशा आदि पर फिजूल खचं विवेकहीन होने के कारण श्रमिक अपनी आप का सदुपयोग नहीं कर पाते। जुआ खेलना व नशा करना भारतीय श्रमिकों की बहुत बुरी आदत है। ब्रौदीगिक केंद्रों में मवानों की संभूति उत्पन्न होती है इस कारण अधिकतर श्रमिक परिवार सहित नहीं रह पाते। पलटवाह वेद्यागमन में छड़ जाता है। इन सब पर जो फिजूलवर्चा होता है उसके लिए इसके ऋण लेना पड़ता है।

6 कम आप हमारे देश के ब्रौदीगिक श्रमिकों को मजदूरी पूरी तरह बोनम व महगाई की दरें बहुत कम हैं जिनके कारण लाभान्वय बहुत कम होता है। कलन इसमें से बचाना तो दूर रहा, न्यूनतम आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती है। अनेक केंद्रों में मजदूरी का मुगलान भी बड़ी देर में दिया जाता है। यह देरी भी श्रमिक की आधिक प्रेशानी को बढ़ाने का प्रबल कारण है यहाँ तक कि दैनिक आवश्यकतानों की पूर्ति के लिए भी उसे ऋण लेना पड़ता है।

7 वेरोजगारी हमारे देश में नामग्राम का धूपिण व महाप्राव द कुरीर उद्योग धरान पतन के कारण बेरोजगारी नी नामग्राम राकी विष्फों के होनी ना रही है। नामग्राम परिवारों पर आधिक बोझ ढून चाहते हैं। एक भूमिक व्यमान बाजा है तो 10 लाने जाते हैं। अब यह मजदूरी श्रमिकों पाता है उसका परिवार का भरण पोपण नहीं हो पाता और उसे वाघव हानि करना पड़ता है।

8 बीमारी की अधिकता ब्रौदीगिक सम्थ वाम काम करने का बातावरण अपित है तथा श्रमिकों की तस्वीर मढ़ी है। यह धूपिण बाजावरण में श्रमिकों को अनेक प्रकार की बीमारियां का गिकार बनाना पड़ता है। बीमारी बी ददा माता जोर काम से बहुप्रस्तित रहने के कारण भाव बढ़ जाती है और दूसरी जार चिकि ना के लिए दृश्या की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में विना ऋण लिए श्रमिक अपनी रक्षा नहीं कर पाता।

9 ऋण-प्राप्ति की मुविधा ब्रौदीगिक श्रमिकों की ऋणप्रस्तता का एक महत्व पूर्ण कारण यह भी है कि उनको ऋण बड़ी मुविधा में मिल जाता है। शहर में अनेक महाजन पठान मध्यस्थ आदि श्रमिकों वो कर्ता देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जहाँ तक वे इस देश के मदिरा विक्रीन परचून बालं दूकानदार भी श्रमिकों को उधार माल बचपर उनकी करणप्रस्तता का बड़ात है। उभी कभी वेश्याओं व विषवाप्ति भी अपन साम की दृष्टि में उन्हें ऋण प्रदान करती है।

10 दोषपूर्ण नर्ती प्रणाली भारत व उद्योग में प्रचालित दोषपूर्ण भर्ती प्रणाली श्रमिकों को काय पर उत्तान नाम यारम १२१ दर्जी ना होती है। वामग्राम में ये श्रमिकों को काय पर उत्तान नाम यारम १२१ दर्जी व १२२ दर्जी व १२३ माप्त हैं व ये करन वाले श्रमिक उत्तान नाम १२१ दर्जी का दर्जा काय व १२२ माप्त हैं व ये करन वाले प्रणाली प्रवर्ति २ श्रमिक नाम नहीं हैं और ये नामित उद्योग में उन्हें उत्तान नाम प्रणाली प्रवर्ति २ श्रमिक नाम नहीं हैं। रिटर्न नाम विना नामदाना का पर्याय नामप्रदाना है।

11 व्याज की ऊची दर : यद्यपि श्रमिकों को कृष्ण सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाता है, परन्तु व्याज की दरें बहुत कमी होती हैं, जबोकि बचारे श्रमिकों के पास कृष्ण लेने के हेतु गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता। उनकी प्रयासों प्रवृत्ति होने के कारण भी कृष्णदाताओं को अधिक जोखिम उठानी पड़ती है। दूसरी ओर श्रमिक प्रायः ऐसी आर्थिक स्थिति में कृष्ण लेता है जिसकि व्याज की अधिक से अधिक दर भी उसे स्वीकार करनी पड़ती है। व्याज की ऊची दर होने के कारण व्याज की कुल मात्रा ही इतनी अधिक हो जानी है कि श्रमिक बड़ी बठितता से उसका भुगतान कर पाता है और मूलधन का भुगतान करने में असमर्थ रह जाता है। इसों आरण यह कृष्ण भारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है।

12 अन्य कारण : इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी ओद्योगिक श्रमिकों की कृष्णप्रस्तता के लिए उत्तरदायी हैं जैस (अ) सरकार की उदासीनता की सीमिति, (ब) बाल विवाह की प्रथा के कारण छोटी आयु से ही श्रमिकों को गृहस्थी आ भार उठाना, (स) बनुत्पादक वार्षों के लिए कृष्ण लिया जाना, (द) महगाई बढ़ना तथा विभिन्न कर।

कृष्णप्रस्तता के दुष्परिणाम

1 निम्न जीवन-स्तर : अम जाच समिति के अनुसार श्रमिकों की निर्धनता एवं निम्न जीवन-स्तर दा प्रधान कारण उसकी भारी कृष्णप्रस्तर्ता है। भारतीय श्रमिकों की आय पहले से ही उनके जीवन निर्विह के लिए अवधित नहीं है। ऐसी स्थिति में कृष्णप्रस्त हो जाने से उनकी इसी आय में से ही कृष्ण व व्याज की भुगतान करना पड़ता है जिससे उपभोग व्यय के लिए श्रमिकों के पास धन की बहुत ही घोड़ी मात्रा रह पाती है। इस बची हुई राशि में वह अपने परिवार के उपभोग के लिए स्पूननम आवश्यकताओं का भी प्रबंध नहीं मर पाता। कलत अनुचित एवं अपर्याप्त आहार के कारण उसका व उसके परिवार के अन्य व्यक्तियों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है।

2 कार्यकुशलता में कमी . जब श्रमिकों को उचित भोजन और जावास नहीं मिल पाता और जब कृष्ण के बोझ को उतारने की जिता से वह सदैव पीड़ित रहता है, तो उसका बुरा प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्वास्थ्य स्वाच होने के साथ साथ श्रमिक की कार्यकुशलता भी कम हो जाती है। अतः अम जाच समिति का कहना कि कृष्ण की कूरता श्रमिक का पतन कर देनी है और उसकी कार्यक्षमता का क्षीण कर देती है, पूर्णतया ठीक ही जान पड़ता है।

3 आत्म-सम्मान को छेस : कृष्णप्रस्तता से श्रमिकों के आत्म सम्मान को भारी छेस लगती है जबोकि आय दिन कृष्णदाता श्रमिक को मूलधन अथवा व्याज नीं बदायगी का स्मरण दिलाता रहता है। साथ ही जिस दिन इनकी मजदूरी सवायोजनों से प्राप्त होती है उसी दिन कृष्णदाता स्वयं कुछ गुणों को लेकर कौरखाने के द्वार पर पहुंच जाते हैं और श्रमिकों को लाठी के बल पर भुगतान करने के लिए देवाव छातते हैं। ये सब परिस्थितियां श्रमिकों के आत्म-सम्मान को भारी छेस पहुंचाती हैं।

४ अनेतिक पतन : श्रमिकों को ऋण के बोझ से दबे रहने के कारण दासता का जीवन व्यतीत करना पड़ता है जिसमें उनका जीवन निराशापूर्ण एवं असलोक्य हो जाता है तथा वे अनेतिक कार्यों को करने के लिए वाप्ति हो जाते हैं। ऋण के बोझ को उतारने की चिंता से अपने बोधिमुक्त करने के लिए वह शराद की बोहन का सहाग लेना है, जुआ सेतकर ऋण को चुकाने की आशा से वह जुआ लेना शुरू करता है व अन्य दूसरे अनेतिक तरीकों से अपनी आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रदर्शन करता है।

५. वय-संघर्ष की भावना : जब महाजनों व साहरारों हारा श्रमिकों ने सताया जाता है तो उनमें वर्ग मध्यवर्षों की भावना बढ़ जाती है। श्रमिक इन लोगों को हेड ट्रूटिंग में देखने नयत हैं जिसका परिणाम कभी-कभी बहुत भयानक होता है। हाँ शामल के बढ़दो में “एक ऋणप्रस्तुत समृद्धाय निरव्यापक रूप में एवं सामाजिक उत्तमामुखी है। निभिन्न वर्गों के बीच असतोष का उत्पन्न होता स्वाभाविक है तथा जहैं-जानैं बहता हूँ आ अस-तोष एक दिन भपानका सिद्ध होता है।”

ऋणप्रस्तुता को दूर करने के उपाय

जौदागिक श्रमिकों की ऋणप्रस्तुता को दूर रखने में प्रमुख सूझाव निम्नलिखित है—

१. शिक्षा का प्रतार : शिक्षा के प्रतार से अर्थमें ज्ञानक हो जायेगे, उनके अनेक कुसल्कार दूर हो जायेगे, उनकी काव्यक्षमता बढ़ेगी और महाजन उल्टा सीधा समझाकर उनका शोधण नहीं र यापना। शिक्षन अर्थमें इत्यर्थ ही ऋणप्रस्तुता के दायों को समझकर ऋण लेने की प्रवृत्ति से बचा जरन लगेगा।

२ श्रमिकों की आय में बृद्धि : श्रमिकों दी जान-दाना उनकी ऋणप्रस्तुता की दूर करने का पमुख उपाय है। एक श्रमिक ने कम से कम इतनी आप मिलनी चाहिए कि वह अपने परिवार की न्यू। उस जावइकनाओं की इन सरकारपूर्वक कर मके और साप ही बीमारी, दुष्टाना आदि वी हालन म गार्च करने में लिप बुछ रुपया बचा भी सके। श्रमिकों की आर्थिक स्थिति म सुधार करने के लिए (अ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हारा निर्धारित मजदूरी वी दर वडानी चाहिए (उ) श्रमिकों को गर्गाई व बोहन चित रूप में दिया जाए, (स) श्रमिकों ने दहनायिता की योजना दे अतर्गत प्रबध व लाभार्थ में भी भागी दनाया जाना चाहिए।

३ भर्ती की बेजानिक प्रथाओं : श्रमिकों की भर्ती एक बेजानिक पद्धति वे अनुसार हीनी चाहिए जिसमें भध्यस्थो द्वारा धूस लेने की प्रथा का अत तो जाय।

४ अनेतिक व्यापों दर कड़े तियचण : ऋणप्रस्तुता को बग बरने दे निए जीदोगिक वारों में मदिरादान को नियेद घोषित रिया जाना चाहिए और वेश्यावृति दर चढ़ा नियतण रक्ता जाना चाहिए। जीदोगिक नगरों में श्रमिकों दे जावास की समुचित व्यवस्था हीनी चाहिए। इससे श्रमिक अपने परिग्रामों को भी दामों से ले आयेंगे जिसमें मनोरजन के लिए कुबूलियों की शरण लेने वी ग्रावरपक्ता हो न रही और इनके कारण जो ऋण लेना पड़ता है उनके लेने की आवश्यकता न रहेगी।

5 ऋण पूर्ति के स्रोतों पर नियन्त्रण (अ) महाजनों व सहकारों वी दोपुर्ण नीतियों पर प्रतिबद्ध लगा देना चाहिए, (ब) श्रमिकों की भर्ती करने वाले मध्यसंघों को श्रमिकों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन नहीं करना चाहिए।

6 सहकारी साख समितियों की स्थापना सहकारी साख समितियों वी स्थापना करनी चाहिए ताकि श्रमिक, हा सरलता ने एवं कम व्याज की दर पर ऋण भिल सब। ये समितिया श्रमिकों के अज्ञनता के बारण किसी प्रकार की हिसाब म गठाई नहीं करती और श्रमिकों वो केवल आवश्यकतानुसार ही ऋण प्रदान करती हैं।

परतु दुर्भाग्यवश भारत म ये समिनिया सफल नहीं हो पाई है। सन् 1945 की सहकारी नियोजन समिति ने यह सुन्माद दिया है कि अच्छपि भारतीय श्रमिकों की ऋणप्रस्तता की समस्या वो साख समितिया हल नहीं कर पाई है परतु इसका यह अर्थ नहीं है कि इन समितियों की पूर्णतया उपेक्षा कर ली जाये। कार्यकारों म न म करने वाले श्रमिकों मे मिनडगिता वी राजन डालने व उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन समितियों नी स्थापना आवश्यक है।

7 अन्य सुझाव

(अ) गरमार वो जानन द्वारा एक उचित व्याज वी दर निर्दित दर देंगी च दि और दसी के आधार पर ही श्रमिकों से व्याज दमूल किए जाना च।

(ब) ऋण वी वर्षी के निए महाजनों पठारो आदि वा औदागिक संस्थानों वे चक्रवर लगाना अपराध घोषित कर दिया जाना चाहिए।

(स) ऋण सबधी अधिनियम वे नियमण ने भी स्थिति का सुधार किया जा सकता है।

(द) प्रत्येक ओचोगिक कैद मे पचायतो की स्थापना दर दी जानी चाहिए ताकि श्रमिकों के छोट छोट जगड़ो का निपटारा सरलता मे हो जाय।

ऋणप्रस्तता सबधी वैधानिक व्यवस्था

ऋणप्रस्तता की समस्या को मुलझाने वे लिए समय-समय पर जो अधिनियम पास किये गये हैं उनमे से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं—

1 मजदूरी कुर्की सबधी अधिनियम श्रम के शाही आयोग का मुझाव था कि ऋणप्रस्तत श्रमिकों को महाजनो द्वारा प्राप्त हुई कुर्की से संरक्षण प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए। भारत सरकार ने इसे मान्यता देते हुए नागरिक दड सहिता' 1937 (Indian Civil Procedure Code 1937) मे संशोधन करके इस बात वी व्यवस्था कर दी है कि जिन श्रमिकों का वेतन 100 रु. प्रति मास से कम है उनकी कुर्की नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के वेतन के पहले 100 रु. और देश व आधे भाग को कानूनी कुर्की की छूट दे दी गई है। अधिनियम मे यह भी व्यवस्था वी गई था कि यदि किसी श्रमिक वे आधे वेतन वी लगातार 24 महीने तक कुर्की होती रही है तब उसके बाद एवं वर्ष तक उसकी कुर्की रोक दी

ओदोगिक श्रमिकों की ऋणप्रस्तता

जायगी। अक्टूबर सन् 1950 में एक विश्वित के हारा सरकार ने बोनस व बन्ध भत्तों को भी कुर्की से बचित कर दिया।

2 ऋण मुक्ति अधिनियम आयोग का दूसरा सुनाव था श्रमिकों को पूर्व ऋण से मुक्ति दिलाना। ऐसा अधिनियम पास किया जाये ताकि महाजनों का समस्त ऋण विना भुगतान किए हुए समाप्त हो जाय। इन भाष्य का कानून मध्यप्रदेश सरकार ने मन 1936 में पास किया या जिमके अतगत यह अवस्था की गई है कि 90 ह० से कम पान वाल श्रमिक, जिन पर उनके लान महीने वे वेतन से अग्रिम ऋण है अदालत में प्राप्तना एवं देका ऋण से मुक्ति पा सकते हैं।

3 ऋण हेतु कारावास के विवर अधिनियम बहुत से महाजन श्रमिकों को ऋण का भुगतान न करने की स्थिति में जेल भिजवा देते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए सन् 1934 में पंजाब नरकार न ऋणप्रस्तता सहायता अधिनियम पास किया जिसके अनुसार किसी भी श्रमिक को उसकी ऋण की घनराशि के लिए तब तक जेल नहीं भेजा जा सकता जब तक कि वह उसनी घनराशि देने को तैयार है जिन्होंने कि उसकी संपत्ति वी सामर्थ्य है। भारत सरकार ने भी इसी आधार पर नन् 1936 में नागरिक दड़ सहित म सशोधन किया। इस सशोधन के हारा केवल उन अवस्थाओं को छोड़कर जबकि उपर्युक्त म यह सभावना हो कि वह न्यायालय के कानूनी अधिकार से बाहर चला जायेगा अथवा सरकारी आदेय के निष्पादन म वाधा डालेगा या देर रहेगा ऋण की प्रनराणि के लिए उसे वागवास का दड़ नहीं दिया जा सकता है।

4 ओदोगिक सहायानों को धेरने पर प्रतिबधि उपाय विभाग व तमिलनाडु मखाने ने अधिनियम द्वारा यह अवस्था बीं है कि कारवानों के निवास श्रमिकों को धेरकर अथवा जोर जवादस्नी अपरा डरा धमकाकर ऋण की दम्भनी नहीं बीं जा सकती है। यदि ऋणदाता इस प्रकार म कण वसूल करन क प्रयास करता है तो उसको दहित किया नाए अथवा उ भाज का कारावास दिया जा सकता है।

निष्कर्ष यह सच है कि ओदोगिक श्रमिकों की ऋणप्रस्तता में मवधित बुराइयों को दूर करने व श्रमिकों को सरकार प्रुनान करने के लिए कुछ अधिनियम पारित किए गए हैं परतु ये प्रतिबधात्मक उपाय हैं परतु ममस्या तभी हल होगी जब हम बारतविरु उपाय—मजदूरी वा पड़ ना गिका का प्रचार नेतिक उत्पान—पर ध्यान देंगे। महराजिता व मामाजिफ सुरक्षा का विकास इस सब्द म एक आशीर्वाद। मह दो हो सकता है।

परीक्षा प्रश्न

- भारत में ओदोगिक श्रमिकों के बीच ऋणप्रस्तता के कारणों और सीमाओं का वर्णन कीजिये। क्या यह दर किया जा सकते हैं? आपके विचार म सहकारिता कहा तक इस समस्या को हल करने में सहायता कर सकती है।

अध्ययन

भारत म ओदोगिक श्रमिकों के बीच ऋणप्रस्तता के कारणों और सीमाओं का

वर्णन कीजिए। आपके विचार में 'सहकारिता' कहा तक इस समस्या को हल करने में सहायता कर सकती है।

2. भारतीय ओद्योगिक श्रमिकों की ऋणग्रस्तता के कारणों और सीमा का वर्णन कीजिए। इसके सुधार के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं?
3. "ऋणग्रस्तता की समस्या के विश्लेषण में ओद्योगिक श्रमिकों की दयनीय आर्थिक स्थिति प्रकाश में आती है।" इस कथन के प्रकाश में ओद्योगिक ऋणग्रस्तता की सीमा, कारणों व दुष्परिणाम की विवेचना कीजिए।
4. "ऋण की निर्देशता श्रमिकों का अपमान करती है और उसकी कार्यकुशलता को दीर्घ करती है।"

ओद्योगिक श्रमिकों के बीच ऋणग्रस्तता के कारणों के विशेष उदाहरणों सहित उक्त कथन का स्पष्टीकरण कीजिए और इन दोषों को दूर करने के लिए सम्भावित उपायों का भी वर्णन कीजिए।

अध्याय 21

बाल एवं महिला श्रम (Child and Women Labour)

बाल श्रम की समस्या (Problem of Child-Labour)

भारत में बाल-श्रमिकों को दो भागों में बाटा जा सकता है—(अ) वैधानिक बाल श्रमिक—वैधानिक रूप से बाल श्रमिकों के अतर्गत वे ही मजदूर आते हैं जो श्युन-तम आयु से अधिक हैं और वयस्क नहीं हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार 14 से 15 वर्ष के श्रमिकों को बालक तथा 15 से 18 वर्ष की आयु के लोगों को किसीर कहा जाता है। 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की नियुक्ति निषेध है। अत उनको बाल श्रमिक भी नहीं कहा जा सकता। खदानों में 15 से 16 वर्ष के मजदूरों वो बाल श्रमिक कहा जाता है। बागानों में 12 से 15 वर्ष तक के व्यक्तियों को बाल मजदूर कहा जाता है। (ब) अवैधानिक बाल श्रमिक—यह ऐणी वट्ट विस्तृत है इसके अतर्गत असंगठित उद्योगों में लगे हुए बच्चे; जितिहर मजदूर तथा वे सब बच्चे जो जाते हैं जो पैरकानूनी ढग में कारखानों, खदानों और बागानों आदि में अधिक उम्र दिखाकर भर्ती कर लिए जाते हैं। अमरावति में मुख्यत वैधानिक बाल श्रमिकों की समस्याओं पर ही विचार किया जाता है।

समस्या का स्वरूप

श्री दीप श्रीम गिरि ने उचित ही लिखा है कि बाल श्रमिक शब्द की व्याख्या मामान्यत दो तरह से की जाती है—(अ) एक आधिक व्यवसाय के रूप में, और (ब) एक सामाजिक बुराई के रूप में। प्रथम सदर्भ में बाल श्रमिक आधिक क्षेत्र में नाभ्रष्ट रोजगार को बताता है। इसमें परिवार की आय बढ़ती है। दूसरे सदर्भ में बाल श्रमिक उन बुराईयों पर जोपणों की विभिन्नता है जो कि बालकों को रोजगार में लगान के कारण पनपते हैं। आधुनिक समय में बाल श्रम सामाजिक बुराईयों को ही बताता है। बाल श्रम का उपयोग सामान्यत बुरा नहीं है, परन्तु जिन परिस्थितियों एवं जिन शर्तों पर हन्ते कार्य पर लगाया जाता है वह बुरा है। इस सदर्भ में यह कहावत

टीक जान पड़ती है, "बचपन में काम करना सामाजिक अच्छाई है और राष्ट्रीय हित में है। ऐसे बाल धर्म एक सामाजिक बुराई और राष्ट्रीय अपव्यय भी है।" सामाजिक अच्छाई से अथवा बुराई से हमारा आशय यह है कि जब तक किसी भी वस्तु का सदृप्योग होता है, वह सामाजिक हित कहलाती है। किंतु जब उनका दुरुपयोग होने लगता है तब वह सामाजिक बुराई का कारण बन जाती है। समाज के लिए यह अच्छी ही बात है कि समाज में कोई व्यक्ति बेकार न बैठे, सभी व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य करें। बच्चे भी कार्य करें यह सामाजिक हित की बात है और इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। परतु बाल श्रमिकों को काम में सागरकर जिस रूप में उनका शोषण किया जाता है व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक सुविधाओं में उन्हें दूर रखा जाता है और जिस रूप में उनके नैतिक पतन का पथ प्रशस्ति किया जाता है वह बास्तव में एक भयकर सामाजिक बुराई है। यदि बच्चों की कोमलता को निर्देशिता से कुचल दिया जाय उनकी महत्वाकांक्षाओं का गला धोट दिया जाय तो हम उससे औद्योगिक ममुद्दि की आशा नहीं कर सकते। बच्चों के श्रम का उनके स्वास्थ्य से प्रत्यक्ष सबध रहता है। जिस प्रकार का कार्य बच्चों में उद्योगों में लिया जाता है उनका उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। बच्चों के इस प्रकार के काम करने वालों द्वारा केमान्य जीवन में बाधा पहुंचती है व सामाजिक नियन्त्रण टूटने लगता है जो दर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए आवश्यक है। बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती और उनका बोन्डिंग विकास रुक जाता है। इस प्रकार अतिम रूप में देखने पर बच्चे नागरिकता के अधिकारों और कर्तव्यों में अस्वीकृति लाभदायकपूर्ण ढग से भाग नहीं से पाते।"

बाल धर्म की समस्या का एक आर्थिक पहलू भी है। बच्चों को काम पर लगाने का अर्थ यह है कि हम उद्योगों में धर्म को उसकी न्यूनतम उत्पादकता के विद्यु पर उत्पादन वरने में लगाते हैं और इसलिए यह धर्म-शक्ति का अकुशल प्रदोग हुआ। समाज को इससे आर्थिक हारान होती है। साथ ही जिन कार्यों को पुरुष अधिक कुशलतापूर्वक सम्पन्न कर सकते हैं वे यदि छोटे-छोटे बच्चों वो सौंप दिये जाते हैं तो निश्चय ही उत्पादन कु-प्रभावित होगा। छोटी आयु के कारण बच्चों में पुरुषों की अपेक्षा ज्ञान और अनुभव दोनों ही कम होते हैं। अतः वे पुरुषों के बराबर उत्पादन करने में सदैव ही असमर्थ रहते हैं।

अत यह सामाजिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोणों से यह आवश्यक है कि जहाँ तक सम्भव हो सके बाल श्रम का शोषण नहीं किया जाना चाहिए।

बाल धर्म को रोजगार पर लगाने के कारण

1 निर्धनता भारत में बासकों को कार्य पर लगाने का सर्वप्रमुख कारण भारतीय श्रमिकों की निर्धनता है। भारत में मा बाप बहुधा इतने गरीब हैं कि वे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते और उनके लिए खान-पहनने की व्यवस्था भी नहीं कर सकते। अत वे चाहते हैं कि बच्चे कुछ कमा कर लायें और उनकी आर्थिक महायना करें। देश की दर्तमान परिस्थितियों में निर्धन एवं असहाय माता-पिता के ये तकं गिर्लुल निर्यक नहीं हैं।

2 कुटीर उद्योगों का पतन : भारत में बाल श्रमिकों को रोजगार पर रखने का दूसरा प्रमुख कारण कुटीर उद्योग धर्धो का पतन है। वहाँ बाल्यावस्था में ही बच्चे पर के कुटीर धर्धों में हाथ बढ़ाते थे, परंतु औद्योगीकरण के साथ-साथ जहाँ गृह उद्योगों का पतन हुआ तो धर के अन्य लोगों के साथ बच्चों को भी अन्य उद्यागों में कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

3 उद्योगपतियों को नाम उद्योगपतियों के दृष्टिकोण से बालकों को रोजगार पर लगाना अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि सेवायोजक बच्चों को सरलता में बनुसासन में रख सकते हैं, उनको काम मजदूरी देसकते हैं और अधिक काम तेसकते हैं। इसके अतिरिक्त नवायोजनों को यह निश्चितता रहती है कि बाल श्रमिकों में नग छन वाला सर्वथा अभाव है और जपने अधिकारों के सबप में वयस्कों की भाँति जागरूक भी नहीं हैं। इसलिए उनमें योग-भाव करने को शक्ति बहुत कम होती है।

4 नियमों की शिखितता . भारत में बाल श्रमिकों दी भर्ती पर नियन्त्रण है और इनके लिए बहुत स अधिनियम भी पारित किये गए हैं परन्तु उनवा उचित रूप में पालन नहीं होता है। बाल श्रमिकों के अभिभावक सौर सेवायोजक भूठे दाकरी प्रमाण पत्र व रिष्वत आदि द्वारा अपना काम निकाल सेते हैं, इसलिए कुछ उद्योगों में बालकों को प्रत्येक भी अवैध रूप ये रोजगार में नागाया जाता है।

5 अन्य कारण भारत में बालकों को रोजगार पर लगाए जाने के कुछ अन्य कारण इस प्रकार हैं—

(अ) भारत में रोजगार वीमा और सामाजिक सुरक्षा की अन्य सुविधाओं का नियात अभाव है। अत परिवार के बालकों, स्त्रियों सभी दो नौकरी करने में उनकर लोग माध्यिक दशा दो मुश्किलें का प्रयत्न करते हैं।

(ब) भारत में ऐसी भी बोई योजना नहीं है जिसके बनुसार एक नियंत्रित आयु तक बच्चा दो अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी जरूरी हो।

(स) कृपि पर जनसूचा के बढ़ते दशावेद के कारण सभी को लाभदायक रोजगार देना नमम नहीं है। इसलिए कुछ तरह व बालक मिल या अन्य उद्योगों में रार्म बैने के लिए बाध्य हो जाते हैं।

(द) भारत में बालकों को नौकरी पर इसलिए भी भेज दिया जाता है कि यहाँ पर कम पड़े लिंगे या अनपढ़ बच्चों के लिए तकनीकी शिक्षा देने वाली मस्याएं बहुत कम हैं।

(ए) निरन्तर बढ़ती हुई बीमतों के कारण भी श्रमिक अपनी अनिवार्यतामा बो पूरा करने में सर्वथा क्षमते की असमर्पण पा रहा है। इसलिए अपने बच्चों को भी कार्य में लगाने के लिए बाध्य हो गया है।

इसके अतिरिक्त घोमती परियों सेन गुप्त ने लिखा है कि बड़े बच्चों को, तिशु गृहों में अभाव म उड़े जान पर जान दे वाद की अनुसन्धिति दे काल में छोटे बच्चों की इच्छामान के लिए भी रखा जाता या। इस सबध में इनका यह उल्लेख विशेष रूप से विपारणीय है—“वास्तव म, श्रमिक स्त्रियों के बच्चों, इनकी शिक्षा, पोषण और सालन-

पासन की समस्या कही अधिक महत्वपूर्ण है... श्रमिकों के बच्चों की समस्या अपने में विशेष महत्व की है।'

विभिन्न उद्योगों में बाल-श्रमिक (Child Labour in Different Industries)

अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विभिन्न कार्यों में सर्गे हुए बाल श्रमिकों को निम्नलिखित वर्गों में बाटा जा सकता है—

1. कारखानों में बाल-श्रम हमारे भारतवर्ष में कारखानों का प्रसार औद्योगिक ज़्याति के दाद शुरू हुआ और तभी से बालकों को कारखानों में लगाया जाने लगा। पहले कारखानों में बाल श्रमिकों की सर्व्या बहुत अधिक थी, परंतु अधिनियमों के नियन्त्रण के कारण इनकी सर्व्या में निरतर कमी होती जा रही है जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट पता चलता है :

सारणी 1

वर्ष	बाल श्रमिकों की सर्व्या	संपूर्ण श्रम-शक्ति में बालकों का प्रतिशत
1892	18,888	5 9
1912	53,700	6 2
1923	74,220	5 3
1933	19,091	1 4
1937	9,403	0 5
1943	12,484	0 5
1948	11,444	0 48
1950	7,764	0 31
1955	4,975	0 10
1960	3,220	0 10
1970	2,800	7 8
1981	13,530	0 6

यद्यपि उपर्युक्त आकड़ों को पूर्णत विश्वसनीय मही कहा जा सकता, परंतु यह निष्कर्ष अवश्य निकाला जा सकता है कि कारखानों में बाल-श्रमिकों की सर्व्या काफी है। श्रम स्थूरों के एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 'कारखाना अधिनियम के अतिरिक्त प्राप्त मूल्यना द्वारा बाल श्रमिकों का विवरण सत्य होने में संदेह है। कारखाने के निरीक्षक का यह अनुभव है कि जैसे ही वे निरीक्षण वे लिए पहुँचते हैं वैसे ही बहुत से बाल भवदूर कारखानों से हट जाते हैं। इनमें बहुधा न्यूनतम आयु से कम के मजदूर होते हैं।' तात्पर्य यह है कि कारखाना अधिनियम से न्यूनतम आयु 14 वर्ष की है परंतु उससे कम

आयु के बालकों को भी कार्य पर रखा जाता है और उनका कोई विवरण कागजों पर नहीं होता। बहुत में बालकों को डाक्टरी भूठे प्रमाण-पत्रों के द्वारा अधिक उम्र का दिखाकर इन्हे किशोर श्रेणी में दिखा दिया जाता है।

वर्तमान शताब्दी के प्रारंभिक चरण में कुल औद्योगिक श्रमिकों में बाल श्रम का प्रतिशत 6 था जो 1973 में घट कर 0.8% रह गया। बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक तमिलनाडु में है और फिर कर्मसा असम, महाराष्ट्र, गुजरात, बगाल व विहार में है। बालकों को अधिक संख्या में काम में लगाने वाली औद्योगिक इकाइया रासायनिक पदार्थ, पेय पदार्थ, सनिज व लब्धाकू उद्योग हैं। बाल-श्रमिकों में भी लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक है।

2 सनिज उद्योगों में बाल-श्रम : सनिज उद्योगों में भी प्रारंभ में कुल श्रम-शिवित का अधिकांश भाग बच्चे ही थे। परतु इस उद्योग में भी बाल श्रमिकों की संख्या में कमी हुई है। सन् 1901 में भारतीय खानों में 12 से कम आयु के बाल श्रमिकों की संख्या 5,147 थी परतु 1922 में अधिनियम बनाकर 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों की नियुक्ति अवंग कर दी गई। फिर भी इस समय खानों में छाप करने वाले बाल श्रमिकों की संख्या 6,381 थी। सन् 1925 में यह संख्या घटकर 4,135 रह गई थी। 1935 से आयु सीमा बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई है। किंतु फिर भी यह अनुभव विद्या गया है कि विहार, तमिलनाडु, और राजपूताने भी 15 वर्ष से कम आयु के बालक खानों में काम कर रहे हैं। सन् 1952 के खान अधिनियम से खानों में जमीन के नीचे किसी भी भाग में बच्चों ने उपस्थिति पर रोक लगा दी गई है जहाँ खान सोने का काम किया जा रहा है। यथापि अब 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे ही लदानों में काम कर सकते हैं परतु यम जात्य समिति के अनुसार अधिनियम के प्रारंभानों की अवहेलना बड़े पैमाने पर की जाती है।

3 बालकों में बाल श्रम - भारतीय बगानों में काफी संख्या में बाल श्रमिक काम करते हैं। 1948 के बागान अधिनियम के अनुयार बागानों के काम में 12 वर्ष से कम आयु के बालक काम पर नहीं लगाये जा सकते हैं। परतु ऐसे बच्चों की संख्या भी कम नहीं है। भूठे प्रमाण पत्रों से अधिकार पर अभी भी 8 से 9 वर्ष के बच्चे काम करते हैं। बोकड़ों से पता चलता है कि कुल जन्मचारियों का बगाल में 21.7%, दार्जिलिंग में 12%, असम की पाठी में 14.4%, सुरमा की घाटी में 16% तथा दक्षिण भारत में चाप व कर्फ़ी के बागानों में 11% बालक काम करते हैं।¹

4 अनियन्त्रित उद्योगों में बाल श्रम बाल श्रमिकों की एक भारी संख्या इस देश में विभिन्न अनियन्त्रित उद्योगों में लगी हुई है। इन उद्योगों में बीड़ी उद्योग, चमड़ा उद्योग, दरी उद्योग, छापालाना और चूड़ी उद्योग आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कपोकिय छोटे उद्योग हैं इसोलिए ये कारखाना अधिनियम के अतर्गत नहीं आते। यही कारण है कि हमारे देश में उनेक अनियन्त्रित उद्योगों में बाल श्रम का बहुत दुरी तरह

¹ Child Labour in India, Ministry of Labour Bureau, 1954, p. 8

शोषण होता है।

श्रम व्यूरो ने सन् 1954 में घरेलू उद्योगों में बाल श्रम की मात्रा का अनुमान लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों से सूचनाएं एकत्रित की थीं जिसका महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है—(अ) आसाम में दीड़ी व कपड़ा बुनाई उद्योग में बाल श्रम का उपयोग होता है, (ब) बाल श्रम का अत्यधिक उपयोग बिहार में दीड़ी, चमड़ा, अच्छक काच उद्योगों में होता है, (स) केरल राज्य के ट्रावनकोर-कोचीन क्षेत्र में 17,000 से अधिक बाल श्रमिक केवल कौपर (Coir) उद्योग में लगे हुए हैं, (द) बगाल के बस्त्र बुनाई उद्योग में लगभग 50 हजार बाल श्रमिक नियुक्त हैं, (य) उत्तर प्रदेश में बाल श्रम सिलोना, दीड़ी ताला, कपड़ा बुनाई व नमड़ा उद्योग में लगे हैं।

5. कृषि उद्योग में बाल श्रम : नूकि भारत एक कृषि-प्रधान देश है इसलिए कृषि में बाल श्रमिकों की संख्या काफी बिल्कुल है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे बचपन वडों को कृषि-कार्यों में सहायता पढ़ाते हैं। श्रम मंत्रालय की कृषि श्रमिक जाति के निप्कर्पों के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों का लगभग 60% बाल श्रम है।

बाल श्रम की प्रमुख समस्याएं

व्यापि विभिन्न उद्योगों में बाल श्रमिकों की समस्याएं विभिन्न हैं, किंतु कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो समस्त क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं :

1. कम आयु में कार्य करना : बालकों को ऐसी कच्ची उम्र से ही काम पर लगा दिया जाता है और उनसे कठोर परिश्रम कराया जाता है जबकि उनमें कान करने की पर्याप्त क्षमता नहीं होती। बचपन में जरीर और मन दोनों ही को मल होते हैं, परन्तु बचपन से ही इन्हें कठोर कामों में लगा देने से उनकी कोभलता नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति बालक के व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास में बाधक होती है। “परिवार के निर्वाह के लिए मञ्चनी कमाने की आधिक आवश्यकता बालक को शिक्षा, खेल-कूद एवं मनोरजन के अवसर। स व्यक्ति कर देती है, उसके शारीरिक विकास को रोकती है, उनके व्यक्तित्व के सामान्य विकास में बाधा डालती है तथा वयस्क जिम्मेदारी के लिए उसके तैयार होने में रोड़े अटकती है।”

2. दूषित दशाओं के अतिरिक्त कार्य करना लगभग सभी उद्योगों में बच्चों को अत्यत दयनीय दशाओं के अतिरिक्त काम करना पड़ता है, जिसमें वे शीघ्र ही रोगप्रस्त हो जाते हैं और चिकित्सा के समुचित अभाव में अपने को हमेशा के लिए खो बैठते हैं।

3. नैतिक पतन . वयस्क श्रमिकों के साथ काम करने से उनकी अनेक बुरी आदतें बच्चे भी सीख जाते हैं। विभिन्न खोजों से पता चलता है कि इन बुरी आदतों में दो आदतें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—एक तो दीड़ी या सिगरेट पीने की आदत और दूसरी जुआ खेलने की आदत। इसके अतिरिक्त उनसे अनेक अनुचित अनेन्ति और अमानवीय कार्य कराए जाते हैं जिससे उनका चारित्रिक हास होता है।

4. शिक्षा से व्युत्पत्ति : बचपन से ही बालकों को रोजगार पर लगा देने का अर्थ

है उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के अन्सरो में विचित करना। इसमें देश में अशिक्षा में वृद्धि होती है तथा व्यक्ति और राष्ट्र की प्रगति यह जाती है।

5 अनिश्चित कार्य के घटे, मजदूरी व छुट्टी के सबध में कोई निश्चित स्थिति नहीं है। नाम साव मजदूरी देकर क्षेत्र में तक कार्य लेना श्रमिकों से सबधित एक अन्य समस्या है। उन्हें समान्यतः वयस्क श्रमिकों की मजदूरी का 30% 50% अंश दिया जाता है।

6 अधिनियम का शिखिल पालन यद्यपि सरकार ने बास श्रमिकों के मद्देन्द्र में दृष्ट जघिनियम बनाये हैं किन्तु उनका पालन कठोरता से नहीं बिया जाता। इनका बच्चों को निश्चित मुविधाओं ने भी विचित रहना पड़ता है।

बाल श्रमिकों की अवस्था में मद्दार के राजनीय प्रयत्न

(Government Efforts to Improve the Condition of Child Labour)

1. बाल (श्रम अनुबंधन) अधिनियम, 1933 श्रम के शाही आयोग ने सरकार का प्रयाग इस और आकर्षित किया था कि इस देश में बीड़ी और दर्जी बनाने के उद्योग में बच्चों के श्रम को गिरवी रखने को एक अत्यंत हीन दशा प्रचलित है। इसे दूर करने के लिए यन् 1933 में बाल श्रम अनुबंध अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं—(अ) यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर सारे भारत में लागू होता है। (ब) कोई भी ऐसा समझौता अवैध होगा जिसके अवर्गत विसी बालक के माता-पिता या उसके सरकारक किसी लाभ या धन के बदन में उस बालक की मंदा या श्रम को किसी भी रोजगार में उपयोग करने की अनुमति देकर उसके श्रम को मालिक के पास बिरची रखते हैं। (स) इस अधिनियम को तोड़ते वाले को 200 रुपये तक जुर्माना तथा मा-बाप पर 50 रुपये तक का जुर्माना किया जा नहीं है।

2. बाल रोजगार अधिनियम, 1938 इस अधिनियम का उद्देश्य कारखानों मातायात आदि ने बच्चों की भर्ती व अन्य कार्य की दशाओं को निपत्ति करना था। इस अधिनियम में 1939, 1943, 1949, 1950, व 1951 में संशोधन किये गए। इस अधिनियम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं—(अ) यह अधिनियम जम्मू काश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है। (ब) अधिनियम में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की भर्ती का निषेध उन सब यातायात रेल आदि में है जिनमें यात्रियों, माल या डाक तार का भाना-भाना होता है अथवा धनदरगाह में सामान आदि चढ़ाने-उतारने का काम होता है। (स) जो बच्चे प्रशिक्षण में हैं उनको छोड़कर किसी भी बच्चे को, जिसकी आयु 15 और 17 वर्ष के बीच है, किसी भी दिन 12 घण्टे के समानार अवकाश के बिना नहीं समाप्त जा सकता। (द) बीड़ी बनाने, दरी बुनाने, कपड़े की ढाराई, रगाई व चुनाई, दियासलाई, अध्रक, ताल, साकुन, चमड़ा तथा उनकी रापाई से सबधित उद्योगों में बाल श्रमिकों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई है। उन सहस्रान्ति में पृथक सात लाख न होगी जहाँ मालिक अपने परिवार के सदस्यों को सहायता से इन प्रकार का

उच्चोग चलाते हैं। (य) रेल और बदरगाह के अधिकारियों को एक रजिस्टर रखना होता है उसमें काम पर लगाए गए 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जन्मतिथि, अवकाश, कार्य की प्रकृति आदि लिखना होता है। (र) अधिनियम का उल्लंघन करने वालों दो एक माह के कारावास अथवा 500 रुपये के बर्यंदड या दोनों से दिन किया जा सकता है। (ल) इस अधिनियम के प्रशासन का उत्तरदायित्व बारखानों के मुहूर निरीक्षक का है।

3 खान अधिनियम, 1952 : खानों में रोजगार सदब्धी न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित भी गई। अधिनियम ने इस आयु से कम के बालकों को किसी भी भाग में, चाहे यह भूमिगत हो या खुले में खूदाई का कार्य हो, कार्य पर रखने का नियोग किया है। इसने प्रावधान किया है कि किसी भी दिन किशोरों से साढ़े चार घण्टे में अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता।

4 बागान अधिनियम, 1951 इसके अतिरिक्त रोजगार के लिए न्यूनतम आयु 12 वर्ष रखी गई है।

5 कारखाना अधिनियम, 1948 (i) भारतीय कारखाना अधिनियम सन् 1948 के अनुसार कोई भी बालक, जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, कारखानों में काम नहीं कर सकता। 15 से 18 वर्ष के बालक किशोर वीथेणी में आते हैं। (ii) 17 वर्ष से कम आयु वाले बालक व किशोर श्रमिकों के काम के साढ़े चार घण्टे प्रतिदिन निर्धारित किया गया है तथा उनका फैलाव 5 घण्टे से अधिक नहीं हो सकता। (iii) बच्चे को 15 दिन के कार्य करने के बाद 1 दिन का सवेतन अवकाश और वर्ष में 14 दिन सवेतन अवकाश देना निश्चित हआ है।

भावी नीति एवं सुझाव

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि यद्यपि बाल-श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकारी प्रयत्न हृष्ट हैं और अब भी हो रहे हैं, परंतु इनमें बाल-श्रमिकों वी समस्याओं का कोई उल्लेखनीय हल सभव नहीं हुआ। इसका प्रमुख कारण यह है कि अधिकतर सेवायोजक इन अधिनियमों को तोड़ते हैं और अवैध रूप में बालकों को काफी सख्ता में रोजगार पर लगाते हैं। अब बाल-श्रमिकों की समस्याओं के सुलझाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं—

(अ) बालकों के सरक्षण की आय इननी पर्याप्त होनी चाहिए कि वे अपनी समस्त आवश्यकताओं को सरलता से पूरा कर सकें। जब तक श्रमिक परिवारों को अपनी लीजन-निर्वाह चलाने के लिए अपनी मजदूरी के अतिरिक्त और आय की आवश्यकता रहेगी तब तक बाल श्रमिकों को बारावर रोजगार पर लगाया जाता रहेगा। पालड़-च्लाँस के शब्दों में “समाज के बच्चों को सरक्षण प्रदान करने का सबसे प्रभावपूर्ण ढंग बच्चों के माता पिता को इतनी आय प्रदान करना है जिससे वह उसका उचित रूप से पालन-पोषण कर सकें। कम आय वाले श्रमिकों से यह आया करना बिलकुल मूर्खता है कि वह अपनी उस आय में अपने बच्चों को ठीक से लिला-पिला तकेंगे। किसी भी परि-

वारो को द्वीपसनन बुद्धि थोर पर्याप्त धन देने से वह अपन बच्चों का ठीक से पालन-पोषण करता सीख जायेगा। सबसे अधिक उत्तरदायित्व तो उद्योगों के ऊपर है कि वे मजदूरी देने की प्रणाली को उचित आधार पर बनायें, जिसके अभाव में हर प्रकार का सामाजिक सुधार विफल मिल होगा।” इस गवर्नमेंट में अतर्टीय धर्म समठन की रिपोर्ट में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है—“बाल धर्म को रोकने की समस्या बच्चे के पालन-पोषण और सभी श्रमिकों को एक स्तर पर बनाये रखने याएँ जीवन निर्वाह मजदूरी देने की समस्या के साथ भवधित है।” (ii) भारत की वर्तमान परिस्थितिया में नियन्ता के पूर्ण रूप से उन्मूलन की जाशा करना मृग तृष्णा मात्र है, अत सरकार ने चाहिए कि बाल-श्रमिकों सबसी अधिनियमों को अधिक बढ़ावता से लागू करे। (iii) जिन उद्योगों में बच्चों को कार्य पर लगाया गया है, उन उद्योगों में उनकी ‘शिक्षा का भी साधनाय प्रबन्ध होना चाहिए। श्रीमतो परिधिनी सेन गुप्ता के शब्दों में चूंच शिक्षा का काफी भूल्ल है और आधिक दबाव दबाव अधिक है कि बच्चों को भी अपना तथा अपने परिवार कालों का पेट पालने के लिए काम दरने की आवश्यकता है, इसलिए ‘वैतिक-शिक्षा’ का यह आदर्श कि ‘पढ़ो और कमाजो’ ही एन-मार्ट उपाय मालूम पड़ता है। धर्मजारी समिति ने उचित ही कहा है—“श्रमिकों की भावी सवाल की ओर ध्यान देना सरकार का कर्तव्य है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कहीं बालकों का बचपन स्कूलों में पढ़ने शिशुगृहों में पालित-पोषित होने तथा खेल के मंदानों के स्थानों पर कारबानों या कार्यालयों के गवे स्थानों में तो नष्ट नहीं हो रहा है।” अत इस हेतु सरकार को चाहिए कि वह अनिवार्य शिक्षा स्वस्थ मनोरजन व अन्य कल्याण योजनाओं की व्यवस्था करे।

दिसंबर 1975 में नेशनल इस्टोट्रॉट अर्ऱेंक परिवर्क कोशापरेशन एन्ड चाइल्ड मैनेजमेंट ने इस विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्मेलन का भी यह मत था कि बच्चों को काम देने पर रोक लगाने के बजाय ऐसे कानून बनाना जरूरी और जरूरी है जिसमें बच्चों का शोषण रोका या कम किया जा सके। इस सवध में अतर्टीय धर्म कानून भी है। उन्हें बढ़ावता के साथ लागू किया जा सकता है। साथ ही ऐसे उद्योगों की सूची भी कम्पशः बढ़ाया जा सकता है जिनमें बच्चों द्वारा रोजगार नहीं दिया जाएगा। उनके काम के पटे, अवकाश, छुट्टी आदि को नियमों के अदर नाया जा सकता है। पह उनको सही मदद होगी।

राष्ट्र के दीर्घकालीन श्रित की शिष्ट से सरकार की नाय-गाड़ में ऐसे स्कूल खोलने चाहिए जिनमें बच्चों को एडने विषयों के अलावा उन्हें खेली जाए या किसी शिल्प का नामकाज कराया जाए। उन्हें छाकावदा पारिथमिन दिया जाए। उनकी मशद से जो उत्पादन हो उसकी विक्री में यह पारिथमिक दिया जा सकता है। ऐसी हातत में गतापिता भी बच्चों को स्कूल भेजने—गताकानी न दर्जे। वर्षे भी पढ़ने लिखने वे माध्यम होंगे जो भविष्य में उनके काम आयेगा।

आपातकालीन स्थिति वह मोका है जिसमें राष्ट्र निर्माण की इन योजनाओं का सफलता के साथ कार्यान्वयन किया जा सकता है।

महिला-श्रम (Woman Labour)

आर्थिक क्रियाओं में स्त्रियों द्वारा भाग लेना कोई नई बात नहीं है। सास्कृतिक विकास के प्रत्येक स्तर पर तथा प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था में स्त्रियों का किसी न किसी रूप में अपना अशादान अवश्य ही रहा है। पहले महिलाओं की उत्पादन-क्रियाएँ इसी बात तक सीमित थीं कि वे मनुष्यों को कृषि, हाथ के काम, पशुगालन और घरेलू कार्यों में सहायता करें। परंतु श्रीदेवीकरण नारी-शिक्षा व वडे पैमाने के उत्पादन के प्रारंभ होने से अधिक से अधिक महिलाओं ने तामन्त्र रोजगार क्षेत्र में प्रवेश किया है और अब तक का इतिहास यह बनता है कि विनी भी रूप में वे पुरुषों में पीछे नहीं हैं और आवश्यकता पड़ने पर पुरुषों की भाँति ही प्रत्येक प्रकार के कार्य कर सकती हैं। थी बी० थी० गिरि ने उचित ही। नवा है, यदि उद्योगों में काम करने वाली स्त्रियों की सख्ती कम है तो इसका यह कारण नहीं कि भारत की स्त्रिया उद्योग में काम करना नहीं चाहती, बल्कि केवल इस कारण तँ देश में श्रीदेवीकरण में अभी पर्याप्त प्रगति नहीं हो पायी और अब भी लाखों पुरुषों नो रोजगार देना बाकी है। स्त्रियों में भी श्रम-शक्ति का विश्वाल भण्डार है और उनमें भी कार्य करने की इच्छा एवं आग्रह दोनों ही विद्यमान है और जब तेजी से श्रीदेवीकरण करने का समय आयेगा तो उनकी सेवाओं का भी उचित प्रयोग किया जा सकेगा।¹

भारतीय मविधान के अनुच्छेद 16 (1) तथा 16 (2) पुरुषों और महिलाओं को बिना किसी मविधान के रोजगार के समान अवसरों का अधिकार प्रदान करते हैं। इसमें सवधित गाउनीनि का निर्देशक मिद्दान 39 (ब्र) है। इन्हीं तथ्यों के सदर्भ में महिलाओं के रोजगार पर विचार किया जाता है।

सार्वज्ञी 1 महिला श्रमिकों की सख्ता

भारत में महिला श्रमिकों की सख्ता तालिका में दर्शायी गई है:

वर्ष	महिला श्रमिक (लाखों में)
1901	373
1911	418
1921	401
1931	376
1951	404
1961	595
1971	313
1977	315

1 V. V. Giri : Labour Problems in Indian Industries, p. 375.

इन अको का तुलनात्मक महत्व इसलिए कम है कि समय-समय पर अधिक शब्द की परिभाषा से परिवर्तन होता रहा है उसी के अनुसार महिला अधिकारों की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ है।

1971 में देश की कुल जनसंख्या में 83% पुरुष और 17% स्त्रियाँ थीं। 1981 में सर्वांग उद्योगों में महिलाओं का प्रातंशत 13·8 था :

कारखाना उद्योग में महिला अध्ययन : कारखाने उद्योग में अधिकतर महिला अधिकारों की (i) सूती वस्त्र (ii) बीड़ी (iii) माचिस (iv) भारी रसायन (v) तम्बाकू (vi) काजू (vii) अम्भक और कच्चे तोहे की खानों (viii) कागज और कागज की बनी हुई वस्तुओं (ix) आधारित यातु उद्योग में लगाया जाता है। सन् 1971 में कारखानों में लगभग 9.5 लाख महिलाओं का गोजगार प्राप्त था।

प्रथमि महिला अधिकारों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है, परतु कुल अधिकारों अनुपात में उनका प्रतिशत घटा है। यह कमी विशेष करके सूती वस्त्र, रसायन चाव कागज और कागज से बनी वस्तुओं में हुई है। 1981 में कारखानों में कुल अध्ययन में महिलाओं का प्रतिशत 10.81% था।

बागानों में महिला-अध्ययन : बागानों में भी स्त्री अधिकारों की संया उल्लेखनीय है। सन् 1972 में बागानों में कुल-शक्ति में से माडनाओं का प्रातंशत 41.6 था। बागानों में इनी अधिक संख्या में महिलाओं को लगाने के निम्नलिखित कारण हैं—(अ) जाय की पत्तियाँ तोड़ने का कार्य पुरुषों की जरूरत महिलाओं के बोझल हाथों द्वारा अधिक मुग्धता और शीघ्रता में मपन्न किया जा सकता है, (ब) इस कार्य के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। गाव की महिलाएँ नहीं परपरा से यह कार्य कर रही हैं, आसानी से यह कार्य कर लेती हैं। (म) बागानों में अधिकारों जी भरती अधिकतर पारिवारिक आधार पर की जाती है। पुरुष कठिन बार्य करते हैं व महिलाएँ वर्षेकाल सरल कार्यं (द) बागान में बेतन कम होने के कारण महिलाओं और बच्चों को भी नार्य करना पड़ता है।

खनिज उद्योगों में महिला-अध्ययन : खनिज उद्योगों में भी बड़ी संख्या में महिला अधिकारों का उपयोग किया जाता है। सन् 1960 में इस उद्योग में लगभग 6 लाख महिलाएँ बार्य करनी थीं। सन् 1971 में इनकी संख्या लगभग 8 लाख थी। 1972 में वानों में कुल अध्ययन में महिलाओं का प्रतिशत 19.3 था।

वानों की महिला अधिकारों के स्वध में एक बान उल्लेखनीय है कि प्रारम्भिक बाल में जब स्त्रियों के लिए जरूरीन के नीचे काम करने पर किसी प्रकार निषेध नहीं था, उस समय आदिम जन जातीय लोगों एवं अन्य परिवार कोयले की खानों के पास जाकर बन गए और खानों में समूह बनाकर काम करते लगे। किन्तु जमीन के अदर खानों में काम करना महिलाओं के सशस्त्र के लिए बहुत हानिकारक होता है तथा इसमें सामाजिक और नेतृत्व को लिये भी होती है। अतः भारतीय जाति अधिनियम के अंतर्गत इस पर प्रतिवध संग दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप इनके गोजगार की संख्या में कुछ वृद्धि भाइ है।

अन्य कार्यों में महिला श्रम : उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त महिला श्रम का उपयोग अन्य कार्यों में भी किया जाता है, जैसे चाय व दाल कूटने तथा सुखाने आदि कार्य, बीड़ी बनाने के कार्य घरों में विना बनाना, यत्तन माजना, बच्चों को खिलाना, सड़को पर ज्ञाहू लगाना, शिक्षण संस्थाओं में छोटा मोटा काम करना इत्यादि। ऐसे स्थानों में महिलाओं की काम करने की दशाएँ अत्यत शोचनीय हैं। उनसे कम वेतन पर अधिक वार्षिक लिया जाता है तथा वे न बुरा व्यवहार किया जाता है।

महिला श्रमिकों की समस्याएँ

यद्यपि विभिन्न उद्यागों में महिला श्रमिकों की समस्याएँ अलग-अलग हैं, किन्तु कुछ प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं।

1 **मजदूरी की समस्या** महिला-श्रमिकों की सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या यह है कि उन्हें पुरुष-श्रमिकों की अपेक्षा समान काम करने के लिए वह मजदूरी दी जानी है। भारतीय संविधान की धारा 39(द) के अनुसार समान मूल्य के कार्य के लिए स्त्रियों और पुरुषों को मजदूरी समान दी जानी चाहिए। परतु व्यवहार में महिलाओं को कम वेतन मिलता है। प्राय यह देखा गया है कि महिलाओं को घटे के हिसाब से या 'जिनना काम उतनी मजदूरी' के अधार पर रखा जाता है। उद्योगपति अपने स्त्रावं की सिफ्ट के लिए स्त्री श्रमिकों को काम पर लगाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इन स्त्रियों की मजदूरी व कजानता से फायदा उठाकर कम से कम मजदूरी पर अधिक से अधिक काम उनसे लिया जा सकेगा। प्राय महिलाओं की उत्पादकता कम होती है और उनको मातृत्व व अन्य सामग्री देने होते हैं। उनको कार्य की विशेष सुविधाएँ देनी पड़ती हैं। इसलिए उद्योगपति महिलाओं को कम मजदूरी देते हैं। उद्योगपतियों का यह मनोभाव महिला श्रमिकों के लिए समस्या बन गया है। भारतवर्ष में अब अतराष्ट्रीय श्रम संगठनों के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों के वरावर ही मजदूरी देने की प्रवृत्ति दढ़ती जा रही है। इसके कई कारण हैं—(अ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी की कानूनी व्यवस्था, (ब) औद्योगिक अदालती, अधिकरणों द्वारा दिए गए फैसले के कारण मजदूरी का प्रमाणीकरण हो जाना, (म) जनगत का दबाव, व (द) अतराष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रयत्न। अभी हाल ही में सरकार ने 'अतराष्ट्रीय श्रम संगठन' के उम अधिनियम को मान्यता प्रदान की है जिसमें पुरुष एवं महिला श्रमिकों वो एक समान मजदूरी देने की वात कही है।

2 **पुरुषों की भाति कठोर कार्य करना** . प्राचीन काल में स्त्रियों को मुख्यतः पुरुषों का मन दहलाने व ननोरजन करने वाले कार्यों में ही लगाया जाता था। परतु आधुनिक युग में उनसे ऐसे कार्य भी लिए जाते हैं जिनके लिए वे सर्वथा क्षयोगद हैं। यह सत्य है कि पुरुष की भाति महिलाएँ अधिक कठोर कार्य नहीं उत्तरकारी। अत इस वात की वाचशक्ति है कि उन्हें ऐसे कार्यों से बचाया जाए जिनसे उनको सार्वजनिक दृष्टि से हानि पहुचती है।

3 **सारिवारिक उत्तरवायित्व :** स्त्रियों का एक मुख्य कार्य बच्चों का पालन-

चाल एवं महिला श्रम

पोषण आदि का सञ्चालन करना है। महिला श्रमिकों को दो मोर्चों पर कार्य करनी पड़ता है, एक तो कारखाने में और दूसरे घर पर। इन दोनों स्थानों पर कुल लगभग दिन में 15 घण्टे कार्य करना पड़ता है, जिससे उनका शरीर बहुत अधिक शक जाता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता और स्वास्थ्य पर दुरा प्रभाव पड़ता है। मनोरजन और आराम के लिए उन्हें बिल्कुल समय नहीं मिलता। मृही नहीं, महिला श्रमिकों के बच्चे और परिवार दहशा उपेक्षित हो जाते हैं और इस प्रकार के बच्चे अधिकतर असामाजिक बनते हैं। आवश्यकता इरा बार्त की है कि महिला श्रमिकों के बच्चों की देस-भान करने के लिए शिशु गृह पाठशालाएं आदि हो जहा उनको अस्वास्थ्यपूर्ण बातावरण में रखा जा सके। शिशु गृह पाठशालाएं आदि हो जहा उनको अस्वास्थ्यपूर्ण बातावरण में रखा जा सके। महिलाओं के रोजगार का पति-पत्नी के सबघो पर भी कुप्रभाव पड़ता है। जब स्त्रिया कमाने लगती हैं तो यह मोर्चने लगती हैं कि पुरुषों को भी घर में काम में हाथ बटाना चाहिए। हमारे देश में घर का समूर्ण उत्तरदायित्व महिलाओं के ही बंधो पर होता है। यही कारण है कि वे पुरुषों को जपने कार्य में भागी बनाना चाहती है। नवीन बातावरण के अतर्गत पति-पत्नी के सबघ कहा तक मधुर रहेंगे यह तो समय ही बनाएगा।

4. मातृत्वकाल की समस्या मातृत्वकाल के दिनों में महिलाएं कठोर परिश्रम करने में असमर्थ होती हैं और साथ ही उनका स्वास्थ्य भी गिर जाता है। फलत इलाज और पथ्य के लिए उनको काफी धन की आवश्यकता पड़ जाती है। परंतु भारत यर्थ में गर्भावस्था में महिलाओं को पर्याप्त अवकाश व चिकित्सा तथा वार्षिक महायात्रा नहीं दी जाती, जिससे उनको शारीरिक हानि होती ही है, उनकी मतानें भी दुर्बल व अनेक रोगों का शिकार हो जाती हैं।

5. दुर्घटनहार जिन स्थानों में महिला श्रमिकों का उपयोग किया जाता है वहां पर अधिकांशत उनदें साथ दुर्घटनहार होता है। शायद ही ऐसा कोई औद्योगिक संस्थान हो जहा पर व्याख्याता जैसे हीन कार्य को स्थान न मिलता हो।

6. प्रतिकूल बातावरण में कार्य करना। भारतवर्ष में काफी बड़ी संख्या में स्थियों को कार्य पर लगाया जा रहा है, परंतु अधिकांश दशाओं में मिश्यों को अत्यत प्रतिकूल बातावरण में काम करना पड़ता है, जिससे शरीर और स्वास्थ्य पर दुरा प्रभाव पड़ता है।

7. अनुपस्थिति व अम परिवर्तन महिलाओं में परिवारिक उत्तरदायित्व बीमारी व प्रसव आदि के कारण अनुपस्थिति और अम परिवर्तन की दरें पुरुषों की अवेक्षा ऊची होती हैं। विवाह के बाद लड़कियों कार्य छोड़कर या समुराल चली जाती हैं अथवा अन्य किसी स्थान पर कार्य करने लगती हैं। परिवारिक कलह आदि के कारण उनकी अनुपस्थिति भी दर भी अधिक होती है।

महिला-श्रमिकों की सुरक्षा के राजकीय प्रयास

भारत में महिला श्रमिकों के हित के लिए कई अधिनियम बनाए गए हैं। विभिन्न अधिनियमों में किए गए प्रावधान संक्षेप में निम्नलिखित हैं।

1. कार्य के दौरे : कारखाना अधिनियम 1948, जान अधिनियम सं. 1952

और बागान थम अधिनियम सन् 1957 के अनुसार महिला श्रमिकों को सद्या के 7 बजे से प्रायः काल 6 बजे तक के लिए काम पर नहीं लगाया जा सकता। कारखानों में अधिकतम काम की सीमा 48 घण्टे प्रति सप्ताह है और बागानों में 55 घण्टे प्रति सप्ताह रखी गई है। इसके अनिवार्य 5 घण्टे लगातार काम करने के बाद आधे घण्टे के विश्राम की भी व्यवस्था है। यानों के अदर जमीन के नीचे हित्रया काम नहीं कर सकती।

2 स्वास्थ्य और सुरक्षा बोझा उठाने के लिए देश के लगभग सभी राज्यों में इस प्रकार की सीमा निर्धारित कर दी गई है—प्रौढ़ स्त्रियों के लिए 65 पौँड, वयस्क स्त्रियों के लिए 45 पौँड तथा बालिकाओं के लिए 30 पौँड।

3 मातृत्व लाभ : भारत के विभिन्न राज्यों ने अपने उद्योग में काम करने वाली महिला श्रमिकों को गर्भ धारण के समय अनेक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अधिनियम बनाये हैं जिनका विस्तृत उल्लेख हम सामाजिक सुरक्षा नामक अध्याय में कर चुके हैं।

4 महिलाओं की मजदूरी पुरुषों के समान : एक महसूलपूर्ण कार्य यह किया गया कि कानून बनाकर 11 फरवरी, 1976 से पुरुष तथा महिलाओं की मजदूरी बराबर घर दी गई है। मजदूरी की हिट्ट से पुरुषों और महिलाओं में भेद नहीं किया जा सकता। परन्तु इस अधिनियम से एक जाशका यह है कि महिलाओं को काम मिलने में और कठिनाई हा जायेगी क्योंकि उनको विशेष सुविधाएं देनी होती हैं और उनकी उत्पादकता पुरुषों से कम होती है अत उद्योगों में महिलाओं की अपेक्षा जी जा सकती है।

5 स्नानादि की पृथक व्यवस्था कारखाना, खानों और बागानों आदि उद्योगों में यह प्रावधान है कि स्त्रियों के लिए शांचालय, स्नानघर, विश्रामघर आदि की जलग व्यवस्था होनी चाहिए।

6 थम कल्याण राज्य सरकारों न बड़े-बड़े औद्योगिक नगरों में माता एवं शिशु कल्याण केंद्र खाले हैं जहाँ महिलाओं की चिकित्सा, मनोरजन और प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था है। उद्योगों में भी महिलाओं के लिए कल्याण-कार्य किया गया है।

7 खतरे का काम करना कारखाना अधिनियम सन् 1948 के अनुसार महिला श्रमिकों को जाखिम वाले कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार खानों में भी ऐसे कार्यों के लिए उनकी सवाओं का उपयोग नहीं किया जा सकता जिससे उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं जीवन पर बुरा प्रभाव पड़े।

8 शिशुगृह की व्यवस्था : कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार जहाँ 50 वा अधिक महिलाएँ चार्ड बरसती हैं वहाँ शिशुगृह होना आवश्यक है। खानों में भी शिशुगृह या होना आवश्यक है।

सुरक्षा व दड थम अधिनियमों के अतर्गत यह भी व्यवस्था भी गई है कि किसी भी स्त्री श्रमिक को प्रसव ताल के समय नीकरी से निकाला नहीं जा सकता। प्रसव काल के समय दी गई छुट्टी की अवधि में काम लेना दडनीय अपराध है।

महिला श्रमिक व श्रम-संघ

भारत में स्त्रियों में श्रम संघ का अधिक विकास नहीं हुआ है। इसके दो परिणाम हुए, प्रथम तो अधिक संघ अधिक शनितशासी नहीं होता और द्वितीय महिलाओं की विशेष समस्याओं को भी कम कर दिया जाता है। महिलाओं की इस व्यवस्था का मुख्य कारण पारिवारिक उत्तरदायित्व है। महिला श्रमिकों के पास इतना समय नहीं होता कि वे मजबूरी और गृहकार्य का सचालन भी करें और सामाजिक कार्यों में भी भाग लें। भारतीय महिलाओं की परपरागत जिज्ञासक भी एक कारण है। इसके अतिरिक्त जब पुरुष श्रमिकों में श्रम संघ संगठन सफल नहीं हो सका है तो स्त्री श्रमिकों में व्या सफल हो सकेगा? लेकिन इतका वर्णन यह भी नहीं है कि स्त्री श्रमिकों में श्रम-संघ के प्रति कोई रुचि नहीं है। स्वतंत्रता के उपरात महिला श्रम संघ आदोलन में कुछ वृद्धि हुई है। अन्य उद्योगों की अपेक्षा बागान उद्योगों में स्त्रियों की संख्या अधिक है। बागानों में कुल श्रम संख्या में महिलाओं का अनुपात यथापि 45% है जिससे स्त्री श्रमिकों की संख्या कुल श्रम संघ संख्या में महिलाओं का अनुपात यथापि 15% है। खाद्य तंत्राकू, दूती वस्त्र व एक सीमातक खानों में महिलाओं की श्रमिक संघों में संदर्भता बढ़ रही है।

महिला श्रमिकों की स्थिति में सुधार हेतु अन्य सुझाव

(i) महिलाओं को प्रारम्भिकता। कुछ उद्योगों में महिलाओं को ही प्रारम्भिकता दी जाय जैसे प्रारम्भिक पाठ्यालाएं, टेलीफोन एवं तार विभाग, अस्पतालों में नसं एवं परिचारिकाएं, हल्के कुटीर उद्योग आदि।

(ii) सरकारी कार्यालयों में सुरक्षित स्थान। सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान होने चाहिए। यहां तक कि रेलवे, पोस्ट ऑफिस, प्रशासनिक सेवाओं में भी उनके लिए स्थान सुरक्षित होने चाहिए।

(iii) कुछ विशेष उद्योगों में सुरक्षित संख्या। कुछ उद्योगों में महिला श्रमिकों की एक सुरक्षित संख्या हीनी चाहिए। फैब्रिक बदान बैंक, बीमा, बागान इत्यादि में एक नियंत्रित संख्या या प्रतिशत में महिला श्रमिक होनी ही चाहिए। ऐसा इमतिए जरूरी है कि पुरुष श्रमिकों से स्पष्टी होने पर महिलाओं को हानि उठानी ही पड़ेगी और उनको देकारी का सामना भरना पड़ेगा।

(iv) प्रसूति काल में सुरक्षा। प्रसूति काल के समय महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उनको कार्य से हटाना एक दण्डनीय अपराध घोषित होना चाहिए। उनके निरीक्षण के लिए विशेष अधिकारी की जाय। उनके लिए जो वैधानिक सुनिष्ठाएं हैं उनका निरीक्षण किया जाना चाहिए।

(v) कल्याण गृह की व्यवस्था। प्रत्येक संस्थान में शिशु गृह, शिशु कल्याण गृह, महिला कल्याण गृह, आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि उद्योगों में इतनी समता नहीं है तो सरकारी भवनों विद्या जाए। एक स्थान के कई उद्योगों को मिलाकर भी दो प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था रखी जा सकती है।

(vi) आवास की पर्याप्त व्यवस्था महिलाओं श्रमिकों के लिए आवास की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तभी स्थायी धर्मशक्ति का विकास हो सकता है। इसके अभाव में महिला श्रमिकों का नीतिक पतन होता रहेगा जो न केवल उद्योग के लिए बल्कि सम्पूर्ण समाज के लिए विषय का काम करेगा।

(vii) परिवार नियोजन का प्रचार महिला श्रमिकों में परिवार नियोजन का प्रचार करने के लिए जिन महिलाओं को मातृत्व कालीन लाभ न दिया गया हो तो उन्हें विशेष बोनस दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष के भावी औद्योगिक विकास में स्त्रियों के महत्व को हमें भूल नहीं जाना चाहिए। औद्योगिक विकास की जो भी नीति बनाई जाए उसमें महिलाओं का स्थान स्पष्ट रूप से निश्चित किया जाना चाहिए। जैसा कि गिरि ने कहा है कि यह प्राचीन धारणा है कि महिलाओं को केवल स्वस्थ और घर की देखभाल करनी चाहिए यह धीरे धीरे समाप्त हो रही है और आज देश की जनशक्ति का अनुमान लगाने में महिलाओं की सेवाओं पर बराबरी से व्यान दिया जाता है। सम्युक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1975 वर्ष 'अतराष्ट्रीय महिला वर्ष' घोषित किया जाता है। सम्युक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1975 वर्ष 'अतराष्ट्रीय महिला वर्ष' घोषित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त Committee on Status of Women की रिपोर्ट तथा जून 1975 में मैट्रिसको में अतराष्ट्रीय सम्मेलन का होना इस सबध में महत्वपूर्ण है।

परीक्षा प्रश्न

- 1 भारत में किन उद्योगों में बाल धर्म का अधिक उपयोग किया जाता है? आपकी सम्मति में बाल-धर्म के सरक्षण के लिए क्या अतिरिक्त व्यवस्था करनी चाहिए?
- 2 भारत के नियमित तथा अनियमित उद्योगों में बाल तथा महिला धर्म के रोज़ गार से संबंधित विशिष्ट समस्याएँ क्या हैं? आप उनका निवारण किस प्रकार करेंगे?
- 3 "बचपन में काम रना सामाजिक अच्छाई है एवं यह राष्ट्रीय हित में भी है परतु साथ साथ बाल धर्म एक सामाजिक बुराई व राष्ट्रीय अपव्यय भी है। भारतीय उदाहरणों द्वारा इस कथन को समझाइये।
- 4 भारतीय उद्योगों में महिला श्रमिकों की विशिष्ट समस्याओं की विवेचना कीजिए। उन समस्याओं के निवारणार्थ क्या कदम उठाये गये हैं।
- 5 "उद्योगों में महिलाओं की नियुक्ति पर पूर्ण वैधानिक नियेध होना चाहिए।" नीति एवं अर्थ व सामाजिक दृष्टिकोण से इस कथन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।

- 6 भारत की वर्तमान सामाजिक व आर्थिक दशाओं के सदर्भ में, महिला-श्रम के बेरोजगारी की भावों सुभावनाओं पर जातोचनातमक टिप्पणी लिखिए।
- 7 भारत के उन बड़े स्तर के उद्योगों देने नाम बताइये जिनमें बड़ी संख्या में स्त्री श्रमिकों को समाया जाता है। उन वैधानिक सीमाओं का भी वर्णन कीजिए जो उनके रोजगार को नियमित बरते हैं। यथा वे उनको पर्याप्त सरक्षण प्रदान करते हैं?

अध्याय 22

बोनस की समस्या (The Bonus Issue)

बोनस की धारणा शब्दकोश में बोनस शब्द का उपयोग कई अर्थों में किया गया है, जैसे—(अ) श्रमिकों को उनकी मजदूरी के अतिरिक्त अनुग्रह राशि (Gratuity) का दिया जाना, (ब) भले के लिए कुछ दिया जाना, (स) किसी कपनी के अधिकारियों को विशेष अतिरिक्त राशि दिया जाना, (द) बीमा पालिसी लेने वालों को नाम का बटवारा आदि।

सर्वप्रथम धारणा के अनुसार बोनस मालिक द्वारा की गई अनुग्रहपूर्ण अदायगी है। इस धारणा को अर्थशास्त्रियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। इसी प्रकार औद्योगिक न्यायालयों के अधिकारणों द्वारा दिये गये निर्णयों के अनुसार भी बोनस को अनुग्रहपूर्वक की गई अदायगी नहीं माना गया है। इसको श्रमिक अपने अधिकार के रूप में मान सकते हैं।

आधुनिक समय में बोनस को श्रमिकों की स्थगित मजदूरी माना गया है जिसकी वे अपने मालिकों से अधिकारपूर्वक मान कर सकते हैं। उनके इस अधिकार को न्यायालयों द्वारा वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इसे सामाजिक न्याय पर आधारित श्रमिकों का अधिकार माना गया है। इस दृष्टिकोण से श्रमिकों को बोनस का मुग्यतान मालिकों की इच्छा पर आधारित नहीं है। उद्योग का लाभ, श्रम तथा पूजी के सम्बन्ध प्रयासों का फल है। अतः पूजी को जिस प्रकार उद्योग के लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार है उसी प्रकार श्रम को भी उद्योग के लाभ को प्राप्त बरने का पूरा अधिकार है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बोनस श्रमिकों का अधिकार है जो बानूत तथा सामाजिक न्याय द्वारा समर्पित है।

विकास . यद्यपि भारत में यूरोपीय सेवायोजक औद्योगिक श्रमिकों को अक्सर त्योहार आदि पर मैट या बैलीन के रूप में कुछ अनुग्रह रक्ष्म मुग्यतान दिया करते थे लेकिन नियमित रूप से बोनस की प्रथा का प्रारभ प्रथम विवियुद के दौरान हुआ जबकि अनेक उद्योगों ने खुशहाली या तेजी का अनुभव किया। जुलाई, 1917 में बवई और अहमदाबाद दे मिल मालिकों ने अपने श्रमिकों को युद्ध रोनस देना मजूर किया। किन्तु युद्धान्तर काल में जब तेजी समाप्त हुई तो मिल मालिकों ने बोनस का मुग्यतान भी बढ़ कर दिया। फलत एक महस्वपूर्ण औद्योगिक विवाद खड़ा हुआ और 1924 में एक

बोनस विवाद समिति की नियुक्ति की गई। समिति ने बोनस मुगलान को श्रमिकों का कानूनी अधिकार स्वीकार नहीं किया किन्तु समिति ने यह स्वीकार किया कि चूंकि श्रमिक बोनस को एक स्थगित मजदूरी मानते थे इसलिए समानता के सिद्धान पर विचार किया जा सकता था। इस प्रकार बोनस को काफी समय तक श्रमिकों को न्याय एवं समानता के सिद्धान पर उन्हें किये गए एक अनुप्रह अदायगी भुगतान के रूप में निया गया।

दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान युद्धकालीन बोनस का अर्थ ऐसा भुगतान समझा जान लगा जो कि युद्ध के दौरान कमाये अतिरिक्त मुनाफे में में मजदूरों को दिया जाता था। न्यायालयों का कहना था कि श्रम और ई के सहयोग से ही लाभ प्राप्त हुए हैं इसलिए श्रमिकों को अधिकार है कि वे अटिर्वत लाभ में हिस्सा बटाने की मांग करते हुए तक भी बोनस का दावा एक कानूनी अधिकार नहीं था। केवल उसे मजदूरों को सतुष्ट रखने की दृष्टि से न्याय तक और सदभावना के सिद्धान्तों के आधार पर स्वीकार किया गया था। यह स्थिति तब तक चलती रही जब तक इस प्रश्न पर घबर्झ उच्च न्यायालय ने यह मुझाव नहीं दे दिया कि बोनस की मांग श्रमिकों का अधिकार माना जाना चाहिए।

बोनस विवाद समिति बदई के मूर्ती क्षण का मिल कामगारी की वय 1920 1921 तथा 1922 के लिए 1921 1912 तथा 1923 में भी बोनस दिया गया था। 1923 के लिए बोनस न देने के विरोध में जनवरी, 1924 में एक-आम हड्डताल हुई थी। उसके कलस्वरूप बदई उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्यन्यायाधीश की अध्यक्षता में एक बोनस विवाद समिति स्थापित की गई थी। मिल मजदूरों को पाच दर्पों तक जो बोनस दिया गया था उसकी प्रवृत्ति और आधार की जाच करने वे बाद समिति ने यह घोषित किया कि मिल मजदूरों का वार्षिक बोनस के भुगतान का कोई ऐसा कानूनी दावा नहीं बनता जिस दावत में सही ठहराया जा सके।

1921 में अहमदाबाद में भी उद्योग के सामने एमी ही समस्या उठ खड़ी हुई। बोनस नी विस्तृत शहरी पर विवाद हो गया था। स्वर्गीय प० मदनमोहन मालीपैथी की मध्यस्थता से ही इस समस्या का हुद निकला था।

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान समस्त उद्योगों को अनिवार्य सेवाएं अध्यादेश के तहत से आया गया था। अमाभा ए युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण कुछ कर्पनियों ने बहुत अधिक मुनाफा कमाया और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के माफिनों ने खुद इस बात को अच्छा समझा कि मजदूरों का खुश तथा सतुष्ट रखा जाए।

श्रमिक अधिकार बोनस के बारे में पहले समझा जाता था कि यह मालिकद्वारा अपने दमचारी को अपनी मर्जी सदी जाने वाली मेंट है किन्तु बदई उच्च न्यायालय के इदियन ह्यूम पाइप कर्पनों बनाम ई० एम० मनवुही के मामले वे निर्णय से श्रमिकों द्वारा बोनस की मांग के अधिकार के रूप में स्वीकार दी गई और यह स्वीकार किया गया कि उद्योग में सभे हुए श्रमिकों एवं ई० एम० ना ही योगदान लाभ में होगा है इसलिए दोनों को लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। जहाँ एक श्रमिकों का सबसे

है ऐमा ठीक हिस्सा निर्वाट मजदूरी-स्तर पर ही आधारित होना चाहिए। इसके अलावा यह भी स्वीकार किया गया कि यदि निर्वाह मजदूरी-स्तर पूरी तरह से मिल भी जाए तो भी श्रमिक उचित रूप से बोनस का दावा इस बात से कर सकते हैं कि किसी उद्योग को मिलने वाला लाभ श्रम एवं पूँजी दोनों के योगदान का फल है।

अप्रैल, 1948 में आयोजित इंडियन लेवर कानफेस ने लाभ बाटने के विषय पर विचार-विमर्श करते हुए कहा था कि यह मामला इस प्रकार का है कि इस पर विशेषज्ञों द्वारा विचार किया जाए चाहिए। मई 1948 में भारत सरकार ने लाभ बाटने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की। इस समिति ने सुझाव दिया कि कुछ सुव्यवस्थित उद्योगों में लाभ बाटने की बात प्रायोगिक तौर पर लागू की जा सकती है औ ये उद्योग हैं 1 मूती वस्त्र, 2 जूट 3 इस्पात, 4 सीमेंट, 5 टायर, 6 सिगरेट।

प्रायोगिक तौर पर लाभ बाटने का सुझाव देने के पीछे औद्योगिक शांति बनाए रखने की भावना ही काम कर रही थी।

केंद्रीय परामर्शदात्री परिषद ने उक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार किया किंतु कोई समझौता नहीं हो सका। व्यवहार रूप में लाभ के बटवारे की प्रक्रिया समय समय पर औद्योगिक अदानतों तथा न्यायाधिकरणों द्वारा बोनस अदायगी के निर्णय देने के रूप में चलती रही, लेकिन इसके लिए कोई समरूप या स्पष्ट आधार उभरकर सामने नहीं आ सका, क्योंकि समिति का विचार था कि बोनस के भुगतान के सबध में कोई आदर्श नियंत्रित करना बहुत कठिन होगा। कारण यह है कि उद्योग द्वारा कमाया गया लाभ श्रमिकों के अलावा दूसरी बहुत-सी बातों पर निर्भर करता है। फिर भी समिति ने सिफारेश की कि श्रमिकों का हिस्सा मूल्यांकन मुश्किल कोण एवं बमाई गई पूँजी पर उचित लाभ निकालने के बाद अतिरिक्त लाभों का 50% होना चाहिए। चूंकि मिलने वाले अतिरिक्त लाभ की मात्रा में भिन्नता होने के कारण बोनस सबधी विवादों में काफी पतभेद पाया जाता है। उद्योगों के अतिरिक्त लाभ की मात्रा को निर्धारित करने के लिए कुछ निर्देशक सिद्धात 1950 में बवई वस्त्र उद्योग के एक विवाद के फैसले में लेवर प्रपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा निश्चित किए गए थे जिसे बोनस निर्धारण का L A T कार्मूला कहते हैं।

सारे देश में L A T कार्मूला ही बोनस का फैसला देने में मान्य रहा, किंतु समय-समय पर इसमें सांघर्ष की मात्रा की जाती रही। 1959 में यह मामला एसोसिएटेड सीमेट कपनी की एक अपील के सबध में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया जिसने बढ़ते हुए असतोष को रोकने के उद्देश्य से बोनस के सारे मामले पर विचार करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की सिफारिश की।

बोनस आयोग 1960 में स्थापी श्रम समिति के 18वें अधिवेशन में यह निश्चय किया गया कि एवं बोनस आयोग की नियुक्ति की जाय। इसकी सिफारिशों के आधार पर 6 दिसंबर, 1961 को त्रिपुरीय आयोग श्री एम॰आर॰ मेहर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र को भी इस आयोग के विचार क्षेत्र में शामिल करने की मांग जोर-शोर से उठाई गई थी, लेकिन फैसला यह हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र में उन्हीं संस्थानों को आयोग के निचार क्षेत्र में रखा जाना चाहिए जो विभागीय तीर पर नहीं चलाए जाते हैं, और जो निजी क्षेत्र के अपने जैसे प्रतिष्ठानों से न्यूर्धा करते हैं।

सरकार को बोनस आयोग की रिपोर्ट 21 जनवरी, 1964 को मिली। रिपोर्ट सर्वमन्त्र नहीं थी। आयोग की सिवारिसो पर सरकार के निर्णय 2 सितंबर 1964 को घोषित किए गए।

बोनस मवधी विधेयक : सरकार द्वारा स्वीकृत बोनस आयोग की मिफारिसो को अवश्यक रूप देने के लिए प्रस्तावित विधेयक के बासोंदे पर स्थायी अम समिति ने अपनी दिसंबर, 1964 तथा मार्च, 1965 की बैठकों में विचार-दिमांग दिया। सरकार ने जिस विधेयक को अतिम हप दिया उसमें विभिन्न पक्षों द्वारा दिए गए मुद्दाओं का भी व्यापार रखा गया था। इसे 29 मई, 1965 को 'बोनस भुगतान अध्यादेश 1965' के नाम से जारी किया गया। 25 हितंबर, 1965 को बोनस भुगतान अधिनियम 1965 ने इस अध्यादेश का स्थान ले लिया।

29 मई, 1965 को बोनस अध्यादेश जारी होने के तुरंत बाद ही मर्वोच्च न्यायालय में और विभिन्न उच्च न्यायालयों में इस विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधानों की वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की गईं।

मर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर सदृढ़ पक्षों द्वारा विचार किया गया लेकिन फिर भी विभिन्न पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका।

बोनस भुगतान अधिनियम 1965

अधिनियम का क्षेत्र यह अधिनियम जम्मू तथा काश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में लागू होता है। यह उन प्रत्येक औद्योगिक सम्यानों में लागू होता है जिनमें किसी लेपा वर्ष के अंतर्गत 20 पा इससे औधक कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है। किसी नियम के सदर्भ में लेपा वर्ष का अभिप्राय वर्ष की उस समाप्ति से है जब लानों को बांट कर नये खात स्थाने जाते हैं। इसी प्रकार किसी कपनी के सदर्भ में लेपा वर्ष का अभिप्राय वर्ष की उस समाप्ति से है जब कपनी के लाभ-हानि के हिसाब को कमानी की गामान्य मीटिंग के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। निकाय अन्य स्थितियों में लेपा वर्ष का अभिप्राय पहली अप्रैल से भारतमें होने वाले वर्ष में है। यह अधिनियम निम्न-लिखित वर्ष के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता—

1. बीमा अथवा भारतीय बीमा नियम के कर्मचारियों, 2. डाक कर्मचारी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पञ्चीकृत कर्मचारी, 3. केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा किसी संस्थान में नियुक्त कर्मचारी, 4. भारतीय रेडक्रास सोसाइटी द्वारा नियुक्त कर्मचारी, 5. विश्वविद्यालय तथा शिक्षा संस्थाओं द्वारा नियुक्त कर्मचारी, 6. रिजेंस बैंक तथा औद्योगिक वित नियम द्वारा नियुक्त कर्मचारी आदि।

बोनस का भुगतान : अधिनियम वे अनुगार प्रत्येक मालिक अपने कर्मचारियों

को न्यूनतम बोनस के मुग्गतान के लिए उत्तरदायी है जिन्होंने लेखा वर्ष के अतर्गत कार्य दिया है। न्यूनतम वार्षिक बोनस मजदूरी तथा महगाई भत्ते के 8 33% से या 40 रुपये जो भी अधिक है होना चाहिए तथा अधिकतम बोनस 20% होना चाहिए। भारतीय फर्मों के लाभ की 60% राशि तथा विदेशी फर्मों को 67% राशि बोनस के लिए दी जानी चाहिए।

बोनस प्राप्ति के लिए योग्यता ऐसा कोई भी कर्मचारी अपने मालिक से बोनस प्राप्त करनेका अधिकारी है जो लेखा वर्ष के अतर्गत कम से कम 30 दिन कार्य कर चुका है और जिसे 1600 रुपये माह मजदूरी या वेतन मिलता है। लेकिन यदि उसकी सेवाओं को जलमाजी, उत्तेजक व्यवहार, धोखा अथवा गवन के अपराध में समाप्त कर दिया गया है तो उसे किसी प्रकार बोनस पाने का अधिकार न होगा।

बोनस से कटौती - अधिनियम के अनुसार यदि कर्मचारी ने लेखा वर्ष के अतर्गत पूरा कार्य नहीं किया है तो उसी अनुपात में उनके बोनस से कटौती की जा सकती है, लेकिन यदि कर्मचारी किसी समझौते, सेवेतन अवकाश या मातृत्व अवकाश में है, तो उन दिनों को अनुपस्थिति के दिनों में न जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कर्मचारी को पूजा बोनस या किसी अन्य प्रकार का प्रथागत बोनस दिया गया है तो उसकी कटौती की जा सकती है। बोनस का मुग्गतान नगद में किया जाना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी को मुग्गतान नहीं दिया गया है तो वह इस संबंध में सरकार को आवेदन-एव दे सकता है।

दृढ़ अधिनियम के अतर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसे छह माह की सजा और एक हजार रुपया जुर्माना अथवा दोनों दृढ़ दिये जा सकते हैं। बोनस संबंधी किसी भी मामले की मुनाखाई केवल प्रेसी-डेंसी मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट वे न्यायालय से छोटे न्यायालय में नहीं हो सकती है।

बोनस अधिनियम सशोधन 1969 मेटल बाक्स कम्पनी और उसके कर्मचारियों के बीच बोनस निवाद पर सर्वोच्च न्यायालय न जो फसला दिया-उससे अमिक और दुखी हो गए। वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घारा 34(2) रुपये कर देने से भी दुखी थे, क्योंकि इन दोनों निषयों का उन्हें मिलन वाली बोनस राशि पर दुष्प्रभाव पड़ा था। इसलिए 10 जनवरी, 1969 को एक अध्यादेश जारी करके अधिनियम की घारा 5 में सशोधन कर दिया गया। बाद में एक कानून ने इस अध्यादेश का स्थान ले लिया।

बोनस पुनरीक्षण समिति बोनस मुग्गतान अधिनियम म सशोधन करने के लिए 19 अगस्त 1966 को श्री चित्तवसु द्वारा राज्यसभा में बोनस मुग्गतान (सशोधन) विधेयक 1966 के नाम से एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। उस समय सरकार ने यह आश्वासन दिया कि सरकार उचित समय पर स्वयं उचित विधेयक येश करेगी ताकि 1965 के बोनस मुग्गतान अधिनियम को व्यापारिक स्पर्धा न करने वाली सार्वजनिक कम्पनियों पर सारू किया जा सके जो वर्तमान में अधिनियम की घारा 20 के अधीन इस अद्यूती रह गई है। उक्त विधेयक को राज्यसभा ने 26 मार्च, 1971 को अस्वीकृत

कर दिया। बहस के दौरान श्रमिकों ने यह आश्वासन दिया कि सरकार अतीत के अनुभवों को देखते हुए कानूनी बोनस मुगतान की पूरी योजना का पुनरीक्षण करेगी।

इस आश्वासन के अनुरूप 28 अप्रैल, 1972 को एक समिति गठित की गई, जिसे 1965 के बोनस मुगतान अधिनियम के पुनरीक्षण की जिम्मेदारी सौंधी गई।

बोनस पुनरीक्षण समिति ने 13 सितंबर, 1972 को अपनी अतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। समिति की अतरिम रिपोर्ट पर गभीरतापूर्वक विचार कर निम्ननिम्नित निष्णय लिए गए—

1 बोनस अधिनियम के तहत आने वाले श्रमिकों को मिलने वाले न्यूनतम कानूनी बोनस को 4 प्रतिशत से बढ़ावा लेखा वर्ष 1971-72 के लिए 8.33 प्रतिशत कर दिया जाय।

2 बोनस मुगतान अधिनियम के तहत आने वाले नमस्त व्यक्तियों को 8.33 प्रतिशत तक पूरा नगद मुगतान किया जाय। यदि दिए जाने वाले बोनस की राशि 8.33 प्रतिशत से अधिक हो तो देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को व्यान में रखते हुए इसे कमचारियों के भविष्यनिधि लाने में जमा कर दिया जाए।

3 उपर्युक्त व्यवस्थाओं को गैर प्रतियोगी सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों पर भी लागू किया जाय।

1965 के बोनस मुगतान अधिनियम में सितंबर, 1973 में फिर सशोधन किया गया और यह व्यवस्था कर दी गई कि श्रमिकों को बोनस की समूर्ण राशि नगद दी जाएगी।

बोनस सबंधी अध्यादेश

3 मिनम्बर 1977 को जनता सरकार ने बोनस के पुराने अधिनियम में एक अध्यादेश द्वारा फिर से सशोधन कर दिया। इस अध्यादेश के द्वारा फिर मे 8.33% बोनस को देने का आदेश दिया गया। अध्यादेश के प्रधान प्रावधान इस प्रकार थे—

(i) आपातकाल मे 8.33% न्यूनतम बोनस समाप्त कर दिया गया था, वह फिर मे दिया जाना चाहिए।

(ii) उद्योगों को चाहे लाभ हो अथवा हानि, बोनस देना अनिवार्य होगा परतु सरकार को यह अधिकार होगा कि वह असमर्थ उद्योगों की रक्षा के लिए इस आदेश से छूट दे सकती है।

(iii) बोनस की राशि 1976 के हिमाद वाले वर्ष के लिए देय होगी।

(iv) बोनस की अधिकतम राशि 20% हो सकती है जैसा कि पुराने अधिनियम मे प्रावधान था।

(v) बोनस के लिए दंक सदा औद्योगिक पुनर्स्थापना निगम को सम्मिलित कर निया गया है।

(vi) यदि कोई उद्योग किसी अन्य व्यवस्था के अनिवार्य बोनस देना चाहता है तो ऐसा सरकार की अनुमति लेकर कर सकता है।

बोनस संबंधी 1979 का अध्यादेश

30 अगस्त, 1979 को राष्ट्रपति नीलम सजीवा रेड्डी ने एक बोनस के विषय में एक नवीन अध्यादेश जारी किया जिसके अनुसार न्यूनतम बोनस की दर 8.33% और अधिकतम 20% होगी। इस सबध में सरकार स्थायी बातून बनाने का विचार कर रही है।

बोनस भुगतान संशोधन पर अध्यादेश 1980

बोनस भुगतान (संशोधन) अध्यादेश 1980 (1980 का दसवा) का स्थान बोनस भुगतान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1980 ने ले लिया है। यह संशोधित अधिनियम उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जिन्हे निजी उद्यमों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है, को छोड़कर अन्य पर लागू नहीं होता। यह उन स्थाओं पर भी लागू नहीं होता जो सामाजिक लिए नहीं जैसे रिजर्व बैंक, जीवन दीमा निगम, और विभागों द्वारा चालित उद्यम, सभी बैंक इसके अतर्गत आते हैं। इस अधिनियम में कम से कम बोनस 8.33 प्रतिशत या 100 रुपये (जो भी अधिक हो) देने की व्यवस्था है। चाहे इसके लिए वह की व्यवस्था उपलब्ध है या नहीं। इस फार्मूला के अन्तर्गत कम-से-कम अधिक भुगतान तभी सम्भव है जबकि उपलब्ध धन में इसकी व्यवस्था हो और वह अधिकतम 20 प्रतिशत हो। बोनस का भुगतान कर्मचारियों व मालिक के बीच एक आपसी करार-नामे के अनुसार एक भिन्न फार्मूले द्वारा उत्पादन उत्पादकता की अधिकता से संबंधित होता है। यहाँ में अपनायी जाने वाली कोई भी अन्य पद्धति नियम विरुद्ध होगी।

परोक्षा-प्रश्न

- 1 भारत में बोनस की समस्या पर एक निवध लिखिए।